पुस्तक संख्या 1 खण्ड I से III -09 दिसम्बर,1946 से 02 मई,1947

अंक-1 पुस्तक संख्या-1 दिनांक 09.12.1946 से 23.12.1946

भारतीय संविधान सभा
(भारतीय विधान परिषद)
के
वाद-विवाद
की
सरकारी रिपोर्ट
(हिन्दी संस्करण)

लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनर्मुद्रित

Con. 3.1.1.46
1000

अंक 1
संख्या 1

सोमवार
9 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. अस्थायी सभापति का निर्वाचन 1
2. शुभ-कामनाओं के सन्देश 2
3. ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां का चुनाव सम्बन्धी आवेदन 3
4. सभापति का उद्‌घाटन-भाषण 4
5. उप-सभापति का मनोनीतकरण 13
6. श्री प्रसन्नदेव रैकुट का स्वर्गवास 13
7. परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 14

प्रथम मुद्रण 1950
पुनः मुद्रण 1994
पुनः मुद्रण 2015

मूल्य: ₹ 4000/-

© 2015 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1946 को अंगीकार किया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जब स्वतंत्र भारत ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित किया। संविधान के लागू होने के समय से लेकर 64 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि के दौरान यह संविधान सफल रहा है और यह एक विकसित राजव्यवस्था की आवश्यकताओं पर खरा उतरा है। हमें उन महान व्यक्तियों की दृष्टा, दूरदर्शिता और बुद्धिमता पर आश्चर्य है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की रचना की।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और उनकी बैठकों का यह क्रम 24 जनवरी, 1950 तक चलता रहा। स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य कान्स्टीट्यूशनल हॉल में प्रारंभ हुआ, जिसे अब संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू होने के पश्चात् संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रही और 1952 में नई संसद के गठन तक इसने ही भारत की अस्थाई संसद का रूप ले लिया था।

9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक के संविधान सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का मुद्रण पहली बार 1950 में किया गया। लोक सभा सचिवालय ने इन वाद-विवादों का पुन:मुद्रण वर्ष 1994 में किया। वाद-विवाद के एक पूरे सेट में अनुक्रमणिका सहित 8 पुस्तकें शामिल हैं। सांसदों, शोधकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) को पुन:मुद्रित किया गया है।

इस पुन:मुद्रण को परामर्श करने हेतु अधिक उपयोगी और आसान बनाने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेदों और प्रारूप संविधान में संगत खंडों तथा संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा एवं अनुमोदन की तिथियों को दर्शाने वाला एक सारणीबद्ध विवरण शामिल किया गया है। यह विवरण पुस्तक संख्या 1 के प्रारंभिक पृष्ठों पर उपलब्ध है। इससे पाठक अधिक आसानी से विभिन्न अनुच्छेदों पर हुए वाद-विवाद का पता लगा सकेंगे। साथ ही, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का एक दुर्लभ सामूहिक फोटोग्राफ तथा भारत के संविधान की सुलेखित प्रतिलिपि से उद्धृत संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिरूपित हस्ताक्षर भी पहली बार पुस्तक संख्या 1 में शामिल किए गए हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन सभी सांसदों, शोधकर्ताओं, राजनीतिशास्त्र के छात्रों, वकीलों और अन्य पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगा।

नई दिल्ली;
जुलाई, 2015, श्रावण, 2037

अनूप मिश्र
महासचिव।

भारतीय संविधान सभा

अध्यक्ष :

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

अस्थायी अध्यक्ष :

डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा

संवैधानिक सलाहकार :

सर बी.एन. राव, *सी.आई.ई.*

सचिव :

श्री एच.वी.आर. आयंगर

सी.आई.ई., आई.सी.एस.

उप सचिव :

श्री बी.एफ.एच.बी. तैयबजी

आई.सी.एस.

अवर सचिव :

खान बहादुर एस.जी. हस्नैन

सहायक सचिव :

श्री के.वी. पद्मनाभन

मार्शल :

सूबेदार मेजर हरबन्स राय जैदका

भारत के संविधान के अनुच्छेद

भारत के संविधान का अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में संगत खंड	चर्चा और अनुमोदन की तिथियां
1	2	3
1	1	15 और 17 नवम्बर, 1948 17 और 18 सितम्बर, 1949
2	2	17 नवम्बर, 1948
3	3	17 और 18 नवम्बर, 1948 13 अक्तूबर, 1949
4	4	18 नवम्बर, 1948
5	5	10, 11 और 17 अगस्त, 1949
6	5क	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
7	5कक	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
8	5ख	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
9 (नया)		29 नवम्बर, 1949
10	5ग	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
11	6	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
12	7	25 नवम्बर, 1948
13	8	25, 26 और 29 नवम्बर, 1948
14 (नया)		29 नवम्बर, 1948
15	9	29 नवम्बर, 1948
16	10	30 नवम्बर, 1948
17	11	29 नवम्बर, 1948
18	12	30 नवम्बर, 1948 और 10 दिसम्बर, 1948
19	13	1 और 2 दिसम्बर 1948 तथा, 16 और 17 अक्तूबर, 1949
20	14	2, 3 और 6 दिसम्बर, 1948
21	15	6 और 13 दिसम्बर, 1948
22	15क	16 सितम्बर, 1949
23	17	3 दिसम्बर, 1948
24	18	3 दिसम्बर, 1948
25	19	3 और 6 दिसम्बर, 1948
26	20	7 दिसम्बर, 1948

1	2	3
27	21	7 दिसम्बर, 1948
28	22	7 दिसम्बर, 1948
29	23	7 और 8 दिसम्बर, 1948
30	23क	7 और 8 दिसम्बर, 1948
31	24	10 और 12 सितम्बर, 1949
32	25	9 दिसम्बर, 1948
33	26	9 दिसम्बर, 1948
34 (नया)		
35	27	9 और 16 दिसम्बर 1948 तथा 16 अक्तूबर, 1949
36	28	19 नवम्बर, 1948
37	29	19 नवम्बर, 1948
38	30	19 नवम्बर, 1948
39	31	22 नवम्बर, 1948
40	31क	22 नवम्बर, 1948
41	32	23 नवम्बर, 1948
42	33	23 नवम्बर, 1948
43	34	23 नवम्बर, 1948
44	35	23 नवम्बर, 1948
45	36	23 नवम्बर, 1948
46	37	23 नवम्बर, 1948
47	38	23 और 24 नवम्बर, 1948
48	38क	24 नवम्बर, 1948
49	39	24 नवम्बर, 1948
50	39क	24 और 25 नवम्बर, 1948
51	40	25 नवम्बर, 1948
52	41	10 दिसम्बर, 1948
53	42	10 और 16 दिसम्बर, 1948 तथा 16 अक्तूबर, 1949
54	43	10 और 13 दिसम्बर, 1948
55	44	13 दिसम्बर, 1948
56	45	13 दिसम्बर, 1948
57	46	13 दिसम्बर, 1948
58	47	27 दिसम्बर, 1948 और 13 अक्तूबर, 1949
59	48	27 दिसम्बर, 1948 और 14 अक्तूबर, 1949

1	2	3
60	49	27 दिसम्बर, 1948
61	50	28 दिसम्बर, 1948
62	51	28 दिसम्बर, 1948
63	52	28 दिसम्बर, 1948
64	53	28 दिसम्बर, 1948
65	54	28 दिसम्बर, 1948
66	55 (1)-(4)	28 और 29 दिसम्बर, 1948 तथा 13 अक्तूबर, 1949
67	56	29 दिसम्बर, 1948
68	55 (5)-(6)	28 और 29 दिसम्बर, 1948 तथा 13 अक्तूबर, 1949
69 (नया)		नवम्बर, 1949
70	57	29 दिसम्बर, 1948
71	58	29 दिसम्बर, 1948
72	59	29 दिसम्बर, 1948 और 17 अक्तूबर, 1949
73	60	29 और 30 दिसम्बर, 1948
74	61	30 दिसम्बर, 1948
75	62	30 और 31 दिसम्बर, 1948 तथा 14 और 17 अक्तूबर, 1949
76	63	7 जनवरी, 1949
77	64	7 जनवरी, 1949
78	65	6 और 7 जनवरी, 1949
79	66	3 जनवरी, 1949
80	67 (1)-(4)	3 और 4 जनवरी, 1949 तथा 13 और 17 अक्तूबर, 1949
81	67 (5)-(8)	3 और 4 जनवरी, 1949 तथा 10, 14 और 17 अक्तूबर, 1949
82	67क	18 और 23 मई, 1949 तथा 13 अक्तूबर, 1949
83	68	18 मई, 1949
84	68क	18 मई, 1949
85	69	18 मई, 1949
86	70	18 मई, 1949
87	71	18 मई, 1949
88	72	18 मई, 1949
89	73	19 मई, 1949
90	74	19 मई, 1949

1	2	3
91	75	19 मई, 1949
92	75क	19 मई, 1949
93	76	19 मई, 1949
94	77	19 मई, 1949
95	78	19 मई, 1949
96	78क	18 और 19 मई, 1949
97	79	19 मई, 1949
98	79क	30 जुलाई, 1949
99	81	19 मई, 1949
100	80	19 मई, 1949
101	82	19 मई, 1949
102	83	19 मई, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
103	83क	1 अगस्त, 1949
104	84	19 मई, 1949
105	85	19 मई, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
106	86	20 मई, 1949
107	87	20 मई, 1949
108	88	20 मई, 1949
109	89	20 मई, 1949
110	90	20 मई, 1949 और 8 जून, 1949
111	91	20 मई, 1949
112	92	8 और 10 जून, 1949 तथा 13 अक्तूबर, 1949
113	93	10 जून, 1949
114	94	10 जून, 1949
115	95	10 जून, 1949
116	96	10 जून, 1949
117	97	10 जून, 1949
118	98	10 जून, 1949
119	98क	10 जून, 1949
120	99	17 सितम्बर, 1949
121	100	23 मई, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
122	101	23 मई, 1949
123	102	23 मई, 1949

1	2	3
124	103	23 और 24 मई, 1949
125	104	27 मई, 1949 और 30 जुलाई, 1949
126	105	27 मई, 1949
127	106	27 मई, 1949
128	107	27 मई, 1949
129	108	27 मई, 1949
130	108क	27 मई, 1949
131	109	3 जून, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
132	110	3 जून, 1949
133	111	3 और 6 जून, 1949 तथा 16 अक्तूबर, 1949
134	111क	13 और 14 जून, 1949
135	112ख	
136	112	6 जून, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
137	112क	6 जून, 1949
138	114	6 जून, 1949
139	115	27 मई, 1949
140	116	27 मई, 1949
141	117	27 मई, 1949
142	118	27 मई, 1949
143	119	27 मई, 1949
144	120	27 मई, 1949
145	121	6 जून, 1949
146	122	27 मई, 1949
147	122क	6 जून, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
148	124	30 मई, 1949
149	125	30 मई, 1949
150	126	30 मई, 1949
151	127	30 मई, 1949
152	128	30 मई, 1949
153	129	30 मई, 1949
154	130	30 मई, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
155	131	30 और 31 मई, 1949
156	132	31 मई, 1949

1	2	3
157	134	31 मई, 1949
158	135	31 मई, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
159	136	31 मई, 1949
160	138	1 जून, 1949
161	141	1 जून, 1949 और 17 अक्तूबर, 1949
162	142	1 जून, 1949
163	143	1 जून, 1949
164	144	1 जून, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
165	145	1 जून, 1949
166	146	2 जून, 1949
167	147	2 जून, 1949
168	148	6 जनवरी, 1949
169	148क	30 जुलाई, 1949
170	149	6, 7 और 8 जनवरी, 1949 तथा 14 अक्तूबर, 1949
171	150	2 जून, 1949, 30 जुलाई, 1949 और 19 अगस्त, 1949
172	151	2 जून, 1949
173	152	2 जून, 1949
174	153	2 जून, 1949
175	154	2 जून, 1949
176	155	2 जून, 1949
177	156	2 जून, 1949
178	157	2 जून, 1949
179	158	2 जून, 1949
180	159	2 जून, 1949
181	159क	2 जून, 1949
182	160	2 जून, 1949
183	161	2 जून, 1949
184	162	2 जून, 1949
185	162क	2 जून, 1949
186	163	3 जून, 1949
187	163क	30 जुलाई, 1949
188	165	2 जून, 1949

1	2	3
189	164	2 और 16 जून, 1949
190	166	2 जून, 1949
191	167	2 जून, 1949
192	167क	14 जून, 1949
193	168	3 जून, 1949
194	169	3 जून, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
195	170	3 जून, 1949
196	171	3, 4 और 14 जून, 1949
197	172	30 जुलाई, 1949 और 1 अगस्त, 1949
198	173	10 जून, 1949
199	174	10 जून, 1949
200	175	14 जून, 1949, 31 जुलाई, 1949, 1 अगस्त, 1949 और 17 अक्तूबर, 1949
201	176	1 अगस्त, 1949
202	177	10 जून, 1949
203	178	10 जून, 1949
204	179	10 जून, 1949
205	180	10 जून, 1949
206	181	10 जून, 1949
207	182	10 जून, 1949
208	183	10 जून, 1949
209	183क	10 जून, 1949
210	184	10 जून, 1949 और 17 सितम्बर, 1949
211	185	10 जून, 1949
212	186	10 जून, 1949
213	187	14 जून, 1949
214	191	6 जून, 1949
215	192	6 जून, 1949
216	192क	6 जून, 1949
217	193	6 और 7 जून, 1949
218	194	7 जून, 1949
219	195	7 जून, 1949
220	196	7 जून, 1949

1	2	3
221	197	7 जून, 1949
222	198	1 अगस्त, 1949
223	199	7 जून, 1949
224	200	7 जून, 1949
225	201	7 जून, 1949
226	202	7 जून, 1949 और 9 सितम्बर, 1949
227	203	7, 14 और 15 जून, 1949 तथा 16 अक्तूबर, 1949
228	204	7 और 8 जून, 1949
229	205	8 जून, 1949
230	207	14 जून, 1949
231	208	14 जून, 1949
232	209	14 जून, 1949
233	209क	19 जून, 1949 और 16 सितम्बर, 1949
234	209ख	16 सितम्बर, 1949
235	209ग	16 सितम्बर, 1949
236	209घ	16 सितम्बर, 1949
237	209ङ	16 सितम्बर, 1949
238	211क	12 और 13 अक्तूबर, 1949
239	212	1 अगस्त, 1949
240	213	1 और 2 अगस्त, 1949
241	213क	2 अगस्त, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
242	214	2 अगस्त, 1949
243	215	16 सितम्बर, 1949
244	215ख	19 अगस्त, 1949
245	216	13 जून, 1949
246	217	13 जून, 1949
247	219	13 जून, 1949
248	223	13 जून, 1949
249	226	13 जून, 1949
250	227	13 जून, 1949
251	228	13 जून, 1949
252	229	13 जून, 1949

1	2	3
253	230	13 जून, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
254	231	13 जून, 1949
255	232	13 जून, 1949
256	233	13 जून, 1949
257	234-234क	13 जून, 1949 और 9 सितम्बर, 1949
258	235	13 जून, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
259	235क	13 जून, 1949
260	236	13 जून, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
261	238	13 जून, 1949
262	242क	9 सितम्बर, 1949
263	246	13 जून, 1949
264	247	13 जून, 1949 और 4 अगस्त, 1949
265	248	4 अगस्त, 1949
266	248क	4 अगस्त, 1949 और 7 सितम्बर, 1949
267	248ख	4 अगस्त, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
268	249	4 और 5 अगस्त, 1949
269	250	5 और 19 अगस्त, 1949 तथा 9 सितम्बर, 1949
270	251	5 अगस्त, 1949
271	252	5 अगस्त, 1949
272	253	5 और 8 अगस्त, 1949
273	254	8 अगस्त, 1949
274	254क	8 अगस्त, 1949
275	255	8 और 9 अगस्त, 1949
276	256	9 अगस्त, 1949
277	257	9 अगस्त, 1949
278	258	13 अक्तूबर, 1949
279	259	9 अगस्त, 1949
280	260	9 और 10 अगस्त, 1949
281	261	10 अगस्त, 1949
282	262	10 अगस्त, 1949
283	263	10 अगस्त, 1949, 9 सितम्बर, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
284	263क	9 सितम्बर, 1949

1	2	3
285	264	9 सितम्बर, 1949
286	264क	16 अक्तूबर, 1949
287	265	9 सितम्बर, 1949
288	265क	9 सितम्बर, 1949
289	266	9 सितम्बर, 1949
290	267	10 अगस्त, 1949
291	267क	13 अक्तूबर, 1949
292	268	10 अगस्त, 1949
293	269	10 अगस्त, 1949
294	270	15 जून, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
295	270क	13 अक्तूबर, 1949
296	271	15 जून, 1949
297	271क	15 जून, 1949
298	272	15 जून, 1949
299	273	15 जून, 1949
300	274	15 जून, 1949
301	274क	15 जून, 1949 और 8 सितम्बर, 1949
302	274ख	8 सितम्बर, 1949
303	274ग	8 सितम्बर, 1949
304	274घ	8 सितम्बर, 1949
305	274घघघ	8 सितम्बर, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
306	274घघ	8 सितम्बर, 1949, 13 अक्तूबर, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
307	274ङ	8 सितम्बर, 1949
308	281	7 सितम्बर, 1949
309	282	7 सितम्बर, 1949
310	282क	7 सितम्बर, 1949
311	282ख	8 सितम्बर, 1949
312	282ग	8 सितम्बर, 1949
313	283	8 सितम्बर, 1949
314	283क	10 अक्तूबर, 1949
315	284	22 अगस्त, 1949
316	285	22 अगस्त, 1949

1	2	3
317	285क	22 अगस्त, 1949
318	285ख	22 अगस्त, 1949
319	285ग	22 अगस्त, 1949
320	286.....................	23 अगस्त, 1949
321	287.....................	23 अगस्त, 1949
322	288.....................	23 अगस्त, 1949
323	288क	23 अगस्त, 1949
324	289.....................	15 और 16 जून, 1949
325	289क	16 जून, 1949
326	289ख	16 जून, 1949
327	290.....................	16 जून, 1949
328	291.....................	16 जून, 1949
329	291क	16 जून, 1949
330	292.....................	23 और 24 अगस्त, 1949
331	293.....................	24 अगस्त, 1949
332	294.....................	24 अगस्त, 1949
333	295.....................	24 अगस्त, 1949
334	295क	24 और 25 अगस्त, 1949
335	296.....................	26 अगस्त, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
336	297.....................	16 जून, 1949
337	298.....................	16 जून, 1949
338	299.....................	26 अगस्त, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
339	300.....................	16 जून, 1949
340	301.....................	16 जून, 1949
341	300क	17 जून, 1949
342	300ख	17 जून, 1949
343	301क	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
344	301ख	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
345	301ग	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
346	301घ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
347	301ङ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
348	301च	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
349	301छ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949

1	2	3
350	301ज	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
351	301झ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
352	275	2 अगस्त, 1949
353	276	3 अगस्त, 1949
354	277	19 और 20 अगस्त, 1949
355	277क	3 और 4 अगस्त, 1949
356	278	3 और 4 अगस्त, 1949
357	278क	3 और 4 अगस्त, 1949
358	279	4 अगस्त, 1949
359	280	4 और 20 अगस्त, 1949
360	280क	16 अक्तूबर, 1949
361	302	8 सितम्बर, 1949
362	302क	13 अक्तूबर, 1949
363	302कक	16 अक्तूबर, 1949
364	302ककक	17 अक्तूबर, 1949
365(नया)		
366	303(1)	16 और 17 सितम्बर, 1949 तथा 14 अक्तूबर, 1949
367	303(2 और 3	—तदैव—
368	304	17 सितम्बर, 1949
369	306	7 अक्तूबर, 1949
370	306क	13 और 17 अक्तूबर, 1949
371	306ख	13 अक्तूबर, 1949
372	307	10 अक्तूबर, 1949
373(नया)		
374	308	10 अक्तूबर, 1949
375	309	7 अक्तूबर, 1949
376	310	10 अक्तूबर, 1949
377	310क	7 अक्तूबर, 1949
378	310ख	7 अक्तूबर, 1949
379	311	10 और 11 अक्तूबर, 1949
380	311क	7 अक्तूबर, 1949

1	2	3
381	311ख	7 अक्तूबर, 1949
382	312	7 अक्तूबर, 1949
383	312क	7 अक्तूबर, 1949
384	312ख	7 अक्तूबर, 1949
385	312ग	7 अक्तूबर, 1949
386	312घ	7 अक्तूबर, 1949
387	312ङ	7 अक्तूबर, 1949
388	312च	4, 7 और 11 अक्तूबर, 1949
389	312छ	7 अक्तूबर, 1949
390	312ज	7 अक्तूबर, 1949
391(नया)		
392	313	7 अक्तूबर, 1949
393	313क	17 अक्तूबर, 1949
394	314	17 अक्तूबर, 1949
395	315	17 अक्तूबर, 1949

अनुसूची	तिथि
1	14 और 15 अक्तूबर, 1949
2	11 और 12 अक्तूबर, 1949
3	26 और 16 अक्तूबर, 1949
4 (अनुसूची-तीन-क) ..	17 अक्तूबर, 1949
5	5 सितम्बर, 1949
5 (भाग घ)................	5 सितम्बर, 1949
6	5, 6 और 7 सितम्बर, 1949
....	पैरा एक, 5 सितम्बर, 1949, पैरा 2-15, 6 सितम्बर, 1949 और पैरा 16-20, 7 सितम्बर, 1949
7	26, 29 , 30 और 31 अगस्त, 1949, 1, 2, 3 और 9 सितम्बर, 1949 तथा 13 और 17 अक्तूबर, 1949
8 (अनुसूची-सात-क) ..	14 सितम्बर, 1949

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 9 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की प्रथम बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में सोमवार ता. 9 दिसम्बर 1946 के सवेरे 11 बजे बैठी

अस्थायी सभापति का चुनाव

आचार्य जे.बी. कृपलानी *(संयुक्तप्रांत : जनरल): (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा से अस्थायी सभापति वे नाते सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए) आपने कहा:*

मित्रों, इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आप लोगों की ओर से मैं डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा को आमंत्रित करता हूं कि वह अस्थायी सभापति का आसन ग्रहण करें। डॉक्टर साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप लोग जानते हैं। वह हम लोगों में न केवल वयोवृद्ध ही हैं, वरन् भारत के सबसे पुराने पार्लियामेन्टेरियन भी हैं। आप सन् 1910 से 1920 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा सन् 1921 में आप सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के न सिर्फ सदस्य बल्कि उसके उप-सभापति (Deputy President) भी थे। उसके बाद आप बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट में एक्जीक्यूटिव कौंसिलर (Executive Councill or) और अर्थ-सदस्य (Finance Member) रहे। जहां तक मुझे याद है, प्रथम भारतीय जो किसी प्रांतीय सरकार में अर्थ-सदस्य बना, वह डॉक्टर सिनहा ही थे। आप जानते हैं कि शिक्षा के साथ आपका खास सम्बन्ध है। आप आठ वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा आप लोग यह भी जानते हैं कि डॉ. सिनहा सबसे पुराने कांग्रेसी हैं। सन् 1920 तक आप बराबर कांग्रेस के सदस्य थे और एक समय आप इसके मंत्री भी रह चुके हैं।

सन् 1920 के बाद जब हम आजादी हासिल करने के लिए एक नई राह पर चले, तो आप हमसे अलग हो गए। फिर भी आपने हमें कभी भी बिलकुल छोड़ नहीं दिया। हमेशा से ही आप हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आप कभी किसी दूसरे संगठन में शामिल नहीं हुए और आपकी सहानुभूति सदा हमारे

साथ रही हैं ऐसा व्यक्ति इस विधान-परिषद् का अस्थायी सभापति होने का सर्वथा अधिकारी है। उनका कार्य है इस परिषद् की कार्रवाई का उद्घाटन करना। यह काम अल्पकालीन है, पर है बड़े महत्त्व का। हम लोग हर एक काम परमात्मा के मंगलमय आशीर्वाद से प्रारम्भ करते हैं अत: हम आदरणीय डॉ. सिनहा से अनुरोध करेंगे कि वे इस आशीर्वाद का आवाहन करें, ताकि हमारा काम सुचारु रूप से चले। अब मैं पुन: आपकी ओर से डॉ. सिनहा से सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं।

(इसके बाद आचार्य कृपलानी ने डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभापति के आसन तक आदर के साथ पहुंचाया और हर्षध्वनि के बीच आप उस पर विराजमान हुए।)

शुभ-कामनाओं के संदेश

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्य, आज मैं आपको शुभ-कामना के तीन सम्वाद सुनाता हूँ, जो मुझे अमेरिका और चीन के जिम्मेदार राजकीय पदाधिकारियों तथा आस्ट्रेलिया की सरकार से प्राप्त हुए हैं। अमेरिकन सरकार के भारत स्थित प्रतिनिधि लिखते हैं:

प्रिय डॉ. सिन्हा,

निम्नलिखित तार मुझे अमेरिका के स्थानापन्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिला है। इसे आपके पास भेजने में मुझे बड़ी खुशी है।

तार की इबारत यों है:

''स्थानापन्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाशिंगटन डी.सी. से–

डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा

अस्थायी सभापति, विधान-परिषद्,

नई दिल्ली।

नवीं दिसम्बर के आगमन पर मैं, विधान-परिषद् के अस्थायी सभापति होने के नाते आपको और आपके द्वारा भारतीय जनता को इस महान अर्थ की सफलता के लिए, जो आप प्रारम्भ करने जा रहे हैं, अमेरिकन सरकार एवं अमेरिका की जनता की शुभ-कामनाएं समर्पित करता हूं। मानवजाति के स्थायित्व, शान्ति और सांस्कृतिक समुन्नति के लिए भारत को बहुत कुछ देना है। आपके काम को संसार की स्वातंत्र्य-प्रेमी जनता गम्भीर उत्साह और आशा से देखेगी।''

(हर्षध्वनि)

दूसरा सम्वाद मिला है चीनी प्रजातन्त्र के दूत से, जो यों है:

''नई दिल्ली,

विधान-परिषद् के प्रारम्भिक सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को:—विधान-परिषद् के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर मैं आपको चीन की राष्ट्रीय सरकार की ओर से ससम्मान अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी यह विधान-परिषद् सुसम्पन्न और प्रजातंत्रीय भारत की ठोस नींव डालने में सफल हो।

वांग शीह चेह

चीन प्रजातंत्र के वैदेशिक मन्त्री''

(हर्षध्वनि)

तीसरा और अन्तिम सम्वाद जो मुझे इस परिषद् को पढ़कर सुनाना है, वह है आस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से भारतीय विधान-परिषद् के सदस्यों को; वह यों है:

''आस्ट्रेलिया ने बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी से उस घटनाक्रम को देखा है, जिससे आज भारतीय जनता को विश्व की राष्ट्रसभा में उसका उचित स्थान मिला है। अत: आस्ट्रेलियन सरकार विधान-परिषद् के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इसे भारत के नवीन युग का प्रतीक समझ कर, इसकी सफलता के लिए विधान-परिषद् के सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभ-कामनाएं भेजती है।''

(हर्षध्वनि)

मुझे विश्वास है, यह सभा मुझे अधिकार और अनुमति देगी कि मैं इसकी तरफ से इन सरकारों को, जिन्होंने हमें ऐसे प्रसन्नता और प्रेरणापूर्ण सम्वाद भेजे हैं, धन्यवाद भेज दूं। मैं यह और भी कहना चाहता हूं कि आपके कार्य की सफलता के लिए यह बड़ा ही शुभ चिह्न है।

(हर्षध्वनि)

ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां का चुनाव संबंधी आवेदन

सभापति (Chairman): दूसरी चीज जो मुझे इस सभा की निगाह में लानी है, वह यह है कि मुझे ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां से एक अर्जी मिली है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश बलूचिस्तान की तरफ से नवाब मुहम्मद खां जोगजाई के विधान-परिषद् के प्रतिनिधि होने पर वैधानिक आपत्ति की है। निश्चय ही यह

सभा स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर यथासमय इस मामले पर ध्यान देगी। पर, मेरा यह निर्णय है कि स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक यही सदस्य जो प्रतिनिधि घोषित किये गये हैं, इस सभा के सदस्य बने रहेंगे।

कार्यक्रम का दूसरा विषय है, अस्थायी सभापति का उद्‌घाटन विषयक भाषण। मैं यथाशक्ति कोशिश करूंगा कि सारा भाषण पढ़कर सुना दूं, पर यदि इसमें मुझे थकावट मालूम हुई, तो आप कृपया मुझे अनुमति दे कि भाषण की टाइप की हुई प्रति सर बी.एन. राव को दे दूं जिन्होंने बड़ी कृपा कर मेरी तरफ से इसे पढ़ देने का भार स्वीकार किया है; परन्तु मुझे आशा है इसका अवसर न आयेगा।

सभापति का उद्‌घाटन-भाषण

प्रथम भारतीय विधान-परिषद् के माननीय सदस्यो, मुझे अपनी विधान-परिषद् का प्रथम सभापति स्वीकार करने में आप सब सहमत हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं। इससे मैं इस सभा के प्रारम्भिक कार्यक्रम को—जैसे स्थायी सभापति का चुनाव, कार्य संचालन के लिये नियम-निर्माण, विभिन्न समितियों की स्थापना, परिषद् की कार्यवाही को जो स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त और स्थायी विधान बनाकर आपके प्रयास को सफल करेगी, गुप्त रखने या प्रकाशन देने आदि का कार्य—सम्पादित कर सकूंगा। आपकी महती कृपा के प्रति प्रशंसात्मक भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक और अनुभूति को छिपा नहीं सकता, वह यह है कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं—अवश्य ही यह लघुता की महत्ता से तुलना होगी—कि वर्तमान अवसर पर मैं अपने को उसी स्थिति में पाता हूं, जिस में लार्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने अपने को उस समय पाया था, जब साम्राज्ञी विक्टोरिया ने उन्हें शूरता की उच्चतम उपाधि ''नाइटहुड ऑफ दी गार्टर'' (Knighthood of the Garter) प्रदान की थी। साम्राज्ञी की इस कृपा को स्वीकार करने के सम्बन्ध में लार्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने अपने एक मित्र को यों लिखा था:

> ''मैंने साम्राज्ञी की इस उपाधि को इसलिए कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है कि परमात्मा को धन्यवाद है—उपाधि प्राप्ति को योग्यता सन्देह से परे हैं।''

मैं खुद को कम या बेशी उसी स्थिति में पाता हूं। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि आपने मुझे अपना सभापति स्वीकार किया है केवल इस आधार पर कि

मैं इस सभा का सबसे वयोवृद्ध सदस्य हूं। अस्तु, चाहे जिन कारणों से भी आपने मुझे सभापति चुना हो, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। सार्वजनिक सेवाओं के लिए मुझे इस दीर्घ जीवन में अनेक सम्मान मिले हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस कृपा को सर्वोच्च सम्मान समझता हूं और इसे अपने अवशिष्ट जीवन में सदा सुरक्षित रखूंगा।

इस ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर पर अगर मैं विधान-परिषद् क्या है, इस पहलू पर आपके सामने कुछ बात कहूं तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ ख्याल न करेंगे। देश के लिए विधान बनाने की यह राजनैतिक प्रणाली हमारे ब्रिटेन निवासी प्रजा बन्धुओं को नहीं मालूम थी। यह इसलिए कि ब्रिटिश विधान में विधान मूलक नियम (Constituent law) बोल कर कोई चीज नहीं है। सर्वशक्ति सम्पन्न सभा होने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी कानूनों को, यहां तक कि विधान मूलक नियमों को भी बनाने और रद्द करने का खास अधिकार या सुविधा प्राप्त है। अत: विधान-परिषद् की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हमें ब्रिटेन को छोड़ दूसरे देशों की ओर देखना होगा। यूरोप में स्विट्जरलैंड के प्राचीनतम प्रजातंत्र के पास भी वास्तविक अर्थ में विधान मूलक नियम (Constituent Law) नहीं हैं, क्योंकि यह कई शताब्दियां पहले ऐतिहासिक कारणों और घटनाओं के वशवर्ती हो, अपने आज के आकार से कहीं अधिक छोटे आकार में उत्पन्न हुआ था। जो भी हो, स्विट्जरलैंड की वर्तमान वैधानिक प्रणाली ने कई उल्लेखनीय और उपदेशात्मक बातों की पूर्ति की है, जिनकी सिफारिश बड़े-बड़े योग्य अधिकारियों या विद्वानों ने भारतीय विधान निर्माताओं से की है। मुझे विश्वास है, यह सभा स्विस-विधान का ध्यान से मनन करेगी और स्वतंत्र भारत के उपयुक्त-विधान के निर्माण में लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करेगी।

यूरोप का एकमात्र दूसरा राज्य जिसके विधान की ओर सुविधा प्राप्ति के लिए हम दृष्टि डाल सकते हैं, वह है फ्रांस का विधान। इसकी पहली विधान-परिषद् "फ्रांसीसी राष्ट्रीय परिषद्" (The French National Assembly) के नाम से सन् 1789 में जब फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति फ्रेन्च राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में सफल हुई, बुलाई गई थी। पर तब से समय-समय पर फ्रांसीसी गणतंत्र प्रणाली परिवर्तित होती आई है और फिलहाल भी यह कम या वेशी निर्माण प्रक्रिया में है। अत: यद्यपि विधान मूलक नियमों से सम्बन्ध रखने वाली फ्रांसीसी प्रणाली के अध्ययन से आप उतना लाभ नहीं उठा सकते, जितना कि स्विस प्रणाली के अध्ययन से, फिर भी कोई कारण नहीं कि आप विधान-निर्माण के अपने महान कार्य में उससे जो भी लाभ मिलते हों, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास न करें।

फ्रांसीसी विधान निर्माता, जो सन् 1789 में अपने देश की प्रथम विधान-परिषद् में सम्मिलित हुए थे, वे इससे दो वर्ष पूर्व 1787 में फिलाडेल्फिया में होने वाले अमेरिकन विधान निर्माताओं के ऐतिहासिक विधान-सम्मेलन (Constitutional Convention) की कार्रवाई से वस्तुतः स्वयं बहुत प्रभावित थे। स-पार्लियामेंट ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजनिष्ठा (allegiance) का परित्याग कर अमेरिका के विधान-निर्माता समवेत हुए थे और उन्होंने ऐसा विधान बनाया, जो आज दुनिया में सबसे ठोस और व्यावहारिक विधान समझा जाता है और वह है भी ऐसा। यही महान विधान बाद में बने सभी विधानों के लिए, न केवल फ्रांस के, बल्कि कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका प्रभृति ब्रिटिश कामनवेल्थ के स्वायत्त शासन पूर्ण सभी उपनिवेशों के विधानों के लिए आदर्श स्वरूप माना गया था। मुझे सन्देह नहीं है कि आप भी और देशों की विधान-पद्धति की अपेक्षा अमेरिकन विधान-पद्धति की ओर अधिक ध्यान देंगे।

मैंने ऊपर चर्चा की है कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के उपनिवेशों के स्वायत्त शासन प्राप्त विधान अगर अमेरिकन विधान की हूबहू प्रति नहीं है, तो कम से कम बहुत हद तक उसके ही आधार पर बने हैं। अमेरिका की विधान-प्रणाली से लाभ उठाने वाला पहला देश कनाडा था। स्व-शासन-विधान बनाने के लिए इस देश का ऐतिहासिक सम्मेलन (Convention) सन् 1864 में केबेक में हुआ था। इसी सम्मेलन ने कनाडा का विधान बनाया, जो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सन् 1867 में स्वीकृत "ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन एक्ट" (The British North American Act) में मिला दिया गया, जो Act आज भी Statute Book में दर्ज है। आपको यह जान कर शायद दिलचस्पी होगी कि केबेक सम्मेलन (Quebek Convention) में केवल 33 प्रतिनिधि ही थे, जो कनाडा के सारे प्रांतों से आये थे और केवल तेंतीस प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन ने छिहत्तर प्रस्ताव पास किये, जो बाद में ज्यों के त्यों "ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन एक्ट" (British North American Act) में समवेत कर दिये गये और इन्हीं के आधार पर सन् 1867 में ब्रिटिश कामनवेल्थ ऑफ कनाडा (British Commonwealth of Canada) के स्वायत्त शासन प्राप्त उपनिवेश की उत्पत्ति हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कनाडियन सम्मेलन की सारी योजनाएं केवल एक संशोधन के साथ ज्यों की त्यों स्वीकार कर लीं। माननीय सदस्यो, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपका प्रयास भी इसी तरह साफल्य मंडित हो।

अमेरिका की विधान प्रणाली आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के विधान निर्माण की योजनाओं में भी कमी-वेशी व्यवहृत की गयी हैं। इससे स्पष्ट है कि सन् 1787 में फिलाडेल्फिया में समवेत अमेरिकन सम्मेलन का परिणाम विभिन्न देशों के स्वतंत्र संघ-शासन-विधान के बनाने के लिए आदर्श स्वरूप माना गया था। इन्हीं कारणों से मैंने यह उचित समझा कि आपका ध्यान अमेरिका की विधान प्रणाली और विधान मूलक नियमों की ओर आकृष्ट करूं कि आप ध्यान से उसका अध्ययन करें, इसलिए नहीं कि आप उसे पूर्णत: ग्रहण करें, बल्कि इसलिए कि अपने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के अनुसार उनकी व्यवस्थाओं को आवश्यक संशोधनों के साथ, देश की आवश्यकतानुसार विवेक के साथ अपनायें। श्री मुनरो (Munro) का जो इस विषय के सर्वमान्य अधिकार हैं, कथन है कि अमेरिका का विधान बहुत-सी शर्तों और समझौतों के आधार पर निर्मित है। श्री मुनरो के मन्तव्य के अनुसार ही मैंने आपको यह राय दी है। अपने आधी शताब्दी के सार्वजनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं यह और भी कहना चाहता हूं कि भारत जैसे देश के लिए विधान बनाने में तर्कसंगत शर्तों और विवेकपूर्ण समझौतों की जितनी आवश्यकता है, उतनी और कहीं नहीं।

अमेरिकन विधान के आधारभूत सिद्धांतों को तर्कसंगत शर्तों एवं विवेकपूर्ण समझौतों के साथ खूब सोच विचार कर आप स्वीकार करें, ऐसी सिफारिश करते हुए बहुत अच्छा होगा कि मैं उस विषय के सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान श्री विस्काउन्ट ब्राइस (Viscount Bryce) के उल्लेखनीय कथन को उद्धृत करूं जो उन्होंने अपनी अमर पुस्तक दी अमेरिकन कामनवेल्थ (The American Commonwealth) में अमेरिकन विधान के आधारभूत सिद्धान्तों का सारांश रखते हुए यों लिखा है:

> ''अमेरिका का केन्द्रीय संघ केवल एक लीग (जमाअत) नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व वहां के भिन्न-भिन्न स्टेटों या प्रान्तों पर निर्भर नहीं करता। यह तो खुद सर्वशक्ति सम्पन्न कामनवेल्थ और कतिपय कामनवेल्थों का संघ है, क्योंकि उसे तो सीधे प्रत्येक नागरिक पर शासनाधिकार प्राप्त है और वह इस अधिकार को अपने न्यायालयों और अधिकारियों या हाकिमों (Executives) के द्वारा प्रत्येक नागरिक पर लागू करता है। इंग्लैंड या फ्रांस की तरह यहां के भिन्न-भिन्न स्टेट या रियासतें महज संघ के अंतर्गत

एक छोटा-सा इलाका नहीं है, बल्कि उनको अपने नागरिकों पर शासनाधिकार प्राप्त में, जो उन्हें केन्द्रीय संघ से नहीं मिला है।''

यह सम्भव है कि अपनी आवश्यकतानुसार बुद्धिमत्तापूर्वक अपनाई हुई किसी ऐसी ही योजना के स्वतंत्र भारत के विधान का सन्तोषजनक हल मिल जाये और वह विधान इस देश के प्राय: सभी प्रमुख दलों की वाजिब आशाओं और आकांक्षाओं को सन्तोष दे सके। अमेरिकन विधान के महान गुणों पर सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान का उद्धरण मैंने आपको दिया है। अब मैं जॉसेफ स्टोरी (Joseph Story) नामक सर्वोच्च अमेरिकन jurist का काफी लम्बा उद्धरण सुनाता हूं और आशा है, मेरी तरह धीरज रखकर आप सुनेंगे। ''Commentaries on the Constitution of the United States'' नामक प्रसिद्ध पुस्तक के अन्त में आपने कुछ उल्लेखनीय और उत्साहप्रद बातें कही हैं, जिसे आपके मनन योग्य समझकर मैं आपके सामने रखता हूं।

वह यों है:

''अमेरिका के नवयुवकों को यह कभी न भूलना चाहिए कि अपने विधान में उन्हें एक ऐसी ऊंची विरासत मिली है, जिसे उनके पूर्वजों ने अथक परिश्रम, कष्ट और बलिदान करके, अपना खून देकर उपार्जित किया था और यदि ईमानदारी से इसकी रक्षा की जाये और बुद्धिमत्ता से इसे और समुन्नत बनाया जाये तो वह इस योग्य है कि वह उनके सुदूरभावी वंशजों को जीवन की समस्त कामनायें—स्वातंत्र्य, सम्पन्नता और धर्म का सुखद उपभोग—प्रदान कर सकता है। इस विधान की इमारत को बड़े-बड़े कुशल कारीगरों ने बनाया है; इसकी नींव ठोस है; इस इमारत का हर हिस्सा बड़ा फायदेमन्द और खूबसूरत है; इसकी व्यवस्था बुद्धि और तारतम्य से पूर्ण है; इसकी रक्षात्मक व्यवस्था बाहर से अजेय है; यह इस तरह खड़ी की गयी है कि अमर रहे—यदि मनुष्यकृति अमरत्व प्राप्ति की अधिकारी हो सकती है। पर अपने रक्षकों की यानी प्रजा की मूर्खता, उपेक्षा और आचारहीनता से यह इमारत क्षण भर में ढहकर खंडहर बन जा सकती है। मैं चाहूंगा, आप इसे याद रखें कि प्रजातंत्रों की स्थापना होती है नागरिकों के बुद्धिबल से, उनकी जनसेवा भावना और उनके गुणों से, और जब ईमानदार बने रहने का साहस रखने के कारण बुद्धिमान और विवेकपरायण पुरुष जनसभाओं से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं और सिद्धान्त-विहीन व्यक्ति जनता को ठगने

के लिये उसकी मिथ्या प्रशंसा या खुशामद कर सम्मान प्राप्त करने लगते हैं, तो प्रजातंत्र विनष्ट हो जाते हैं।''

अमेरिका के आदर्श विधान के बारे में एक और विद्वान का कथन मैं उद्धृत करता हूं। श्री जेम्स (James) जो एक समय अमेरिका के सालिसिटर जनरल थे। ''The Constitution of the United States—Yesterday, Today and Tomorrow'' नामक अपनी पाण्डित्यपूर्ण पुस्तक में लिखते हैं:

''शासन प्रणालियों के महौषधि स्वरूप कितने ही विधान बने और बिगड़े, पर अमेरिकन विधान की स्थिरता के सम्बन्ध में वह ऊंचा उद्‌गार लागू किया जा सकता है, जो डॉक्टर जॉनसन ने महाकवि शेक्सपियर की अमरकीर्ति की प्रशंसा में कहा है। जहां बड़े-बड़े ठोस विधान समय के प्रबल प्रवाह में बह गये, अमेरिका का शक्तिशाली विधान इससे बिल्कुल अछूता बच गया। प्रथम दस संशोधनों को छोड़ कर जो प्राय: मूल प्रस्ताव के ही भाग थे, केवल नौ संशोधन ही 139 वर्षों के दीर्घकाल में अपनाये गये। भला कौन-सी दूसरी शासन प्रणाली है जो जमाने की जांच में इससे ज्यादा पक्की साबित हुई हो।''

माननीय सदस्यो, मेरी यह प्रार्थना है कि जो विधान आप बनाने जा रहे हैं वह भी अमर हो, 'यदि मानव कृति ऐसा महत्त्व पाने का वस्तुत: अधिकारी हो सकती है, और ऐसा प्रबल शक्ति-सम्पन्न हो कि वर्तमान और भविष्य की तमाम विनाशकारी शक्तियों को पद्‌दलित कर दे।

अमेरिका और यूरोप के विधान-निर्माण के कुछ पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर लेने के बाद अब मैं अपने विधान सम्बन्धी प्रश्न के कुछ पहलुओं की ओर लाभ के लिये आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महात्मा गांधी के सन् 1922 में दिये एक वक्तव्य में विधान-परिषद् का जिक्र मुझे मिला है, यद्यपि इस नाम से नहीं। महात्माजी ने लिखा था:

''स्वराज्य ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक उपहार की तरह नहीं होगा। यह तो भारत की समस्त मांगों की स्वीकृति सूचक एक घोषणा होगी, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून पास कर, प्रदान करेगी। परन्तु यह घोषणा तो भारतीय जनता की चिर घोषित मांगों की केवल सौजन्यपूर्ण स्वीकृति ही होगी। यह

स्वीकृति बतौर सन्धि या समझौते के होगी जिसमें ब्रिटेन एक पार्टी रहेगा। जब यह समझौता होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय प्रजा की इच्छानुसार चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की हुई भारतीय जनता की मांगों को स्वीकार करेगी।''

समय-समय पर भिन्न-भिन्न राजनैतिक संगठनों और नेताओं ने भारतीय जनता की इच्छानुसार चुने प्रतिनिधियों से बनी विधान-परिषद् सम्बन्धी महात्माजी की मांग का जबरदस्त समर्थन किया था। पर मई सन् 1934 में रांची (बिहार) में संगठित 'स्वराज पार्टी' ने एक योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव भी शामिल था। प्रस्ताव यों था:

''यह कान्फ्रेन्स भारतवर्ष के लिये आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा करती है और इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का एकमात्र रास्ता यह है कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विधान-परिषद् बुलाई जाये, जो एक स्वीकृति-योग्य विधान बनाये।''

जो नीति इस प्रस्ताव में सन्निहित है, उसे कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, जिसकी बैठक बिहार की राजधानी पटना में मई सन् 1934 में हुई थी, स्वीकार किया। इस तरह भारतीय विधान बनाने के लिए विधान-परिषद् की योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने व्यक्तरूप से अपनाया।

दिसम्बर सन् 1936 में फैजपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव का पुन: समर्थन किया गया। समर्थन करने वाले प्रस्ताव में यों घोषणा की गई थी:

''कांग्रेस भारत में वास्तविक प्रजातंत्रीय राज्य चाहती है, जहां सम्पूर्ण राजनैतिक सत्ता जनता को हस्तान्तरित कर दी गयी हो और हुकूमत (Government) सम्पूर्णत: प्रजा के हाथ में हो। ऐसे राज्य का निर्माण तो ऐसी विधान-परिषद् ही कर सकती है, जो देश के लिए विधान बनाने की समस्त सत्ता रखती हो।''

नवम्बर सन् 1936 में कांग्रेस की कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह कहा गया था:

''भारत की स्वतंत्रता तथा उसकी जनता को विधान-परिषद् के द्वारा अपना विधान निर्माण करने के अधिकार की स्वीकृति परमावश्यक है।''

मैं यह भी कह दूं कि उपरोक्त प्रस्तावों में जिनसे मैंने उद्धरण दिया है, (जिसे नवम्बर सन् 1939 में कार्य-समिति ने पास किया और सन् 1936 में फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन ने पास किया) यह कहा गया था कि विधान-परिषद् बालिग मताधिकार के सिद्धान्त के आधार पर चुनी जानी चाहिए। जब से सन् 1934 में कांग्रेस ने इस प्रश्न पर नेतृत्व प्रदान किया, देश के प्राय: सभी राजनीति चेतना सम्पन्न वर्गों में विधान-परिषद् का विचार बतौर विश्वास (Article of Faith) की तरह जोर पकड़ गया है।

मार्च सन् 1940 के पहले जबसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, यह राजनैतिक संगठन (मुस्लिम लीग) इस देश के विधान-निर्माण के लिये विधान-परिषद् ही उचित और उपयुक्त उपाय है, इस विचार के पक्ष में मैं कभी न था। पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग का रुख विधान-परिषद् की स्थापना के पक्ष में बदल गया है। पर वे दो विधान-परिषदें चाहते हैं, एक तो उस क्षेत्र के लिये जिसे लीग पृथक् मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग करती है और दूसरा शेष भारत के लिए। इस तरह कहा जा सकता है कि देश के विधान निर्माण के लिये विधान-परिषद् की कल्पना को इन दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों ने सन् 1940 में स्वीकार किया और प्रश्रय दिया। पर दोनों में अन्तर यह था कि कांग्रेस समस्त भारत के लिये एक विधान-परिषद् चाहती थी जब कि मुस्लिम लीग देश में दो राज्यों की मांग के अनुसार दो विधान-परिषदें चाहती थी। अस्तु, चाहे एक परिषद् हो या दो, देश के विधान-निर्माण के लिए विधान-परिषद् ही उपयुक्त उपाय है, यह विचार उस समय तक स्पष्ट रूप में उत्पन्न और जागृत हो चुका था। इसी जबर्दस्त मानसिक जागरण के सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—"इसका मतलब है कि एक राष्ट्र अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने लिए, स्वशासन निर्माण के लिए अग्रसर हो चुका है।"

मुझे इतना और भी बता देना है कि सप्रू-समिति (Sapru Committee) के सदस्यों ने भी भारत का शासन-विधान बनाने के लिये विधान-परिषद् ही सर्वोत्तम उपाय है, इस कल्पना को पसन्द किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो गत वर्ष सन् 1945 में प्रकाशित हुई है, विधान-परिषद् के निर्माण के लिए एक विशेष योजना भी बनाई है। पर आज हम सब इस सभा में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा निर्मित योजना के अनुसार समवेत हुए हैं कांग्रेस, लीग एवं अन्य राजनैतिक संगठनों द्वारा इस मसले पर दिये गये सुझावों से मतभेद रखते हुये भी ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई है। इस योजना को यद्यपि सबने तो नहीं

स्वीकार किया है, पर न सिर्फ देश के प्रमुख राजनैतिक दलों ने और राजनीति-चेतना-सम्पन्न वर्गों ने ही, बल्कि उन लोगों ने भी जिनका किसी खास राजनैतिक-दल से सम्बन्ध नहीं है, उसे वर्तमान राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिये परीक्षणीय मान कर स्वीकार किया है। यह राजनैतिक गतिरोध अर्से से चला आ रहा है और इसने हमारी समस्त कामनाओं और लक्ष्यों पर पानी फेर रखा है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के गुणों पर और कुछ कहूं, क्योंकि इससे मैं मतभेद के प्रश्नों पर विषयान्तरित हो जाऊंगा और मेरी इच्छा नहीं कि मैं इस अवसर पर विषयान्तर में पडूं। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के कुछ भाग पर हमारे कुछ राजनैतिक दलों में गहरा मतभेद है और इसलिये मैं नहीं चाहता कि ऐसे स्थल पर चला जाऊं, जहां जाने में बड़े-बड़े राजनैतिक देव भी डरते हों।

माननीय सदस्यो, मुझे भय है कि शायद मैंने आपका काफी समय ले लिया, अत: अब अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। भारतीय इतिहास का यह महान और स्मरणीय अवसर अभूतपूर्व है। देश की जनता की बहुसंख्यक श्रेणियों ने जिस अदम्य उत्साह से इस परिषद् का स्वागत किया है, वह बेजोड़ है। परिषद् सम्बन्धी प्रश्नों ने देश के विभिन्न सम्प्रदायों में जो दिलचस्पी उत्पन्न की है वह अद्वितीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या—हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता—पर समझौता प्राप्त करने की उज्ज्वल आशा आज भी वर्तमान है; और आपको इतनी देर तक रोक रखने में यही एकमात्र औचित्य है। मेरी कामना है कि आपका प्रयत्न सफलीभूत हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको अपना मंगलमय आशीर्वाद दे, जिससे आपकी परिषद् की कार्रवाई केवल विवेक, जन-सेवा-भावना और विशुद्ध देशभक्ति से ही परिपूर्ण न हो, बल्कि बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय और सबके प्रति सम्मान, सद्भावना से भी ओतप्रोत हो। भगवान परिषद् के कार्य संचालन में आपको वह दूरदृष्टि दे, जिससे भारत को पुन: अपना अतीत गौरव प्राप्त हो और उसे विश्व के महान राष्ट्रों के बीच प्रतिष्ठा और समानता का स्थान मिले। महान भारतीय कवि इकबाल की चन्द चिर सुन्दर पंक्तियां आपको इस पुनीत अवसर पर सुनाता हूं। उस कवि को देश का कितना अभिमान था! इस प्राचीन ऐतिहासिक और महान देश के सौभाग्य की अमरता के प्रति उसका कितना ध्रुव विश्वास था! स्मरण रहे कि आपको इस कवि के अमर विश्वास और अभिमान को सही साबित करना है। कविता यों है:

यूनान, मिश्र, रोमां, सब मिट गये जहां से,
बाकी अभी तलक है नामो-निशां हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।।

इसका अर्थ यों है:—"ग्रीस, मिस्र और रोम प्रभृति सभी देश दुनिया के पर्दे से उठ गये, पर हमारे देश का नाम और गौरव आज भी समय के विनाशकारी प्रवाह से संघर्ष करता हुआ जीवित है। शताब्दियों से दैव की ही कोप-दृष्टि हम पर रही है, पर अवश्य ही हम में कुछ ऐसे अमर-तत्व हैं, जिन्होंने हमारे विनष्ट करने वाले सारे प्रयासों को पछाड़ दिया है।"

मैं आपसे यह विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रयत्न में विशाल और उदार दृष्टि से काम लें। पवित्र ग्रंथ बाइबिल हमें सिखाता है—"जहां दूर-दृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य का विनाश है।" *(हर्षध्वनि)*

उपसभापति का मनोनीतकरण

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे केवल व्यक्तिगत कारणों से आपके सामने एक प्रस्ताव रखना है। आशा है, कृपया आप इसका समर्थन करेंगे। अपने चिकित्सक की सलाह से मैं गत कई वर्षों से दोपहर बाद कुछ भी काम करने में असमर्थ हूं। मैं नहीं चाहता कि जलपान के अवकाश के बाद मैं फिर कार्य-संचालन करूं। अत: जब तक मैं अस्थायी सभापति हूं और सभा में परिचय-पत्र (Credential) पेश करने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का काम चलता है, तब तक के लिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे एक उपसभापति की सहायता दे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पद के लिये श्री फ्रैंक एन्थॉनी (Mr. Frank Anthony) को आप नामजद करें। *(कुछ रुककर)* मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं।

श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे सूचना मिली है कि नियमानुसार चुने हुए इस परिषद् के एक सदस्य बंगाल के श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु हो गई

है। इस सभा (Constituent Assembly) की ओर से मैं उनके सम्बन्धियों को संवेदना भेजना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि मैं इसे स्वीकृत समझ सकता हूं।

परिचय-पत्र की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं समझता हूं कि हमें परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मैं अपना परिचय-पत्र स्वयं अपने सामने पेश करता हूं। यद्यपि माननीय सदस्यों को इसमें कुछ खास रस्में अदा करनी पड़ती हैं, पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्यों का मंच तक आकर सभापति से हाथ मिलाने की रस्म को मैं हटा देता हूं। कल हम लोगों ने इसकी परीक्षा की और देखा कि हर सदस्य को हस्ताक्षर करने के बाद घूमकर मंच पर आने और सभापति से हाथ मिलाकर अपने स्थान पर जाने में दो मिनट नहीं तो कम से कम डेढ़ मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यह रस्म हटा देनी चाहिये। मंत्री (Secretary) अब माननीय सदस्यों का नाम पुकारेंगे और सदस्य उनके पास जाकर आप अपना परिचय-पत्र देंगे और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपने स्थान पर वापिस चले जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने तब अपने परिचय-पत्र (credential) पेश किये और रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये:

मद्रास

1. माननीय श्री सी. राजागोपालाचार्य
2. डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया
3. माननीय श्री टी. प्रकाशम्
4. माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर
5. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
6. श्रीमती अम्मू स्वामिनाथन, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
7. मिस्टर एस.एच. प्रेटर, ओ.बी.ई., जे.पी., सी.एम.जेड.एस., एम.एल.ए. (बम्बई)
8. डॉ. पी. सुब्बरायन्
9. महाराज बोब्बिली

10. श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
11. प्रोफेसर एन.जी. रंगा, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
12. श्री टी.ए. रामालिंगम चेट्टियर, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
13. श्री के. कामराज नाडर, एम.एल.ए.
14. श्री के. माधव मेनन, एम.एल.सी.
15. श्री बी. शिवाराव
16. श्री के. सन्तानम्
17. श्री टी.टी. कृष्णमाचारी
18. श्री बी. गोपाल रेड्डी, एम.एल.ए.
19. श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन, एम.एल.सी. (कोचीन)
20. श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई, एम.एल.ए.
21. श्री के. चन्द्रमौलि, एम.एल.ए.
22. श्री डी. गोविन्ददास, एम.एल.ए.
23. रेवरेन्ट जेरोम डीसूजा, एस.जे.
24. श्री रामनाथ गोयनका
25. श्री एच. सीताराम रेड्डी, एम.एल.ए.
26. श्री यू. श्रीनिवास मल्लय्या
27. श्री काला वेंकटराव, एम.एल.ए.
28. श्री पी. कुन्हीरामन
29. श्रीमती जी. दुर्गाबाई
30. श्री पी. कक्कन, एम.एल.ए.
31. श्री एम. संजीव रेड्डी, एम.एल.ए.
32. श्री ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियर, एम.एल.सी.
33. श्री सी. पेरूमलस्वामी रेड्डी, एम.एल.सी.
34. श्री एम.सी. वीरबाहु पिल्लई
35. मिस्टर टी.जे.एम. विल्सन, एम.एल.ए.
36. श्री पी.एल. नरसिम्हा राजू, एम.एल.ए.
37. श्री एस. नागप्पा, एम.एल.ए.
38. श्री एल. कृष्णास्वामी भारती
39. श्री ओ.वी. अलगेसन
40. श्री वी.सी. केशवराव
41. डॉ. वी. सुब्रह्मण्यम

42. श्री सी. सुब्रह्मण्यम्
43. श्री वी. नाडीमुथु पिल्लई

बम्बई

1. माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल
2. माननीय श्री बी.जी. खेर
3. माननीय डॉ. एम.आर. जयकर पी.सी.
4. श्री के.एम. मुंशी
5. श्री शंकर दत्तात्रेय देव
6. श्री नरहर विष्णु गाडगिल
7. श्री एस.के. पाटिल
8. श्रीमती हंसामेहता, एम.एल.सी.
9. डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौजा, एम.एल.ए.
10. श्री एम.आर. मसानी, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
11. श्री आर.एम. नलवदे, एम.एल.ए.
12. श्री बी.एम. गुप्ते, एम.एल.ए.
13. श्री एस. निजलिंगप्पा
14. श्री आर.आर. दिवाकर
15. श्री एस.एन. माने, एम.एल.ए.
16. श्री खन्डूभाई कासनजी देसाई
17. श्री एच.वी. पातास्कर, एम.एल.ए.
18. श्री कन्हैयालाल नानाभाई देसाई, एम.एल.ए.
19. श्री के.एम. जेधी

बंगाल

1. श्री शरतचन्द्र बोस
2. डॉ बी.आर. अम्बेडकर
3. श्री किरणशंकर राय, एम.एल.ए.
4. मि. फ्रैन्क रेजीनाल्ड एन्थॉनी, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
5. श्री सत्यरंजन बख्शी
6. डॉ. प्रफुल्लचन्द घोष

7. सर उदयचंद महताब, के.सी.आई.ई., एम.एल.ए.
8. डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी, एम.एल.ए.
9. श्री देवीप्रसाद खेतान, एम.एल.ए.
10. मिसेज लीला रे
11. श्री डम्बर सिंह गुरंग, एम.एल.ए.
12. डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, एम.एल.ए.
13. श्री आशुतोष मल्लिक, एम.एल.ए.
14. श्री राधानाथ दास, एम.एल.ए.
15. श्री प्रमथरंजन ठाकुर, एम.एल.ए.
16. श्री हेमचंद्र नस्कर, एम.एल.ए.
17. श्री सोमनाथ लाहिरी
18. श्री राजकुमार चक्रवर्त्ती
19. श्री प्रियारंजन सेन
20. श्री प्रफुल्लचंद्र सेन
21. श्री जे.सी. मजूमदार
22. श्री सुरेंद्र मोहन घोष
23. श्री अरुणचंद गुहा
24. श्री धनंजयराम, एम.एल.ए.
25. श्री धीरेन्द्र नाथ दत्ता, एम.एल.ए.

यू.पी.

1. आचार्य जे.बी. कृपलानी
2. माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंत
3. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन
4. माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू
5. श्री गोविन्द मालवीय, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
6. पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
7. श्री मोहनलाल सक्सेना, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
8. आचार्य जुगल किशोर, एम.एल.ए.
9. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, एम.एल.ए.
10. श्री श्रीप्रकाश, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
11. श्रीमती सुचेता, कृपलानी
12. सरदार जोगेन्द्र सिंह, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)

13. श्री दामोदरस्वरूप सेठ, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
14. श्री अलगूराय शास्त्री, एम.एल.ए.
15. श्री बंशीधर मिश्र, एम.एल.ए.
16. श्री भगवानदीन, एम.एल.ए.
17. श्री कमलापति तिवारी, एम.एल.ए.
18. श्रीमती कमला चौधरी
19. राजा जगन्नाथ बख्शसिंह, एम.एल.ए.
20. श्री हरिहर नाथ शास्त्री, एम.एल.ए.
21. श्री गोपाल नारायण, एम.एल.ए.
22. श्री फिरोज गांधी
23. श्री जसपत राय कपूर
24. माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू
25. माननीय मि. रफीअहमद किदवई
26. सर एस. राधाकृष्णन
27. श्री दयालदास भगत, एम.एल.ए.
28. श्री ए. धर्मदास, एम.एल.ए.
29. श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव
30. श्री धर्मप्रकाश
31. श्री अजीतप्रसाद जैन, एम.एल.ए.
32. श्री रामचन्द्र गुप्त, एम.एल.सी.
33. श्री प्रागीलाल, एम.एल.ए.
34. श्री फूलसिंह, एम.एल.ए.
35. श्री मसूरिया दीन, एम.एल.ए.
36. श्री शिब्बनलाल सक्सेना
37. श्री खुरशीद लाल
38. श्री सुन्दर लाल
39. श्री हरगोविन्द पंत, एम.एल.ए.
40. श्री आर.वी. धुलेकर, एम.एल.ए.
41. श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, एम.एल.ए.
42. श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, एम.एल.ए.

पंजाब

1. दीवान चमनलाल, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
2. सरदार हरनामसिंह
3. सरदार करतारसिंह, एम.एल.ए.
4. सरदार उज्जलसिंह, एम.एल.ए.
5. माननीय श्री मेहरचन्द्र खन्ना
6. सरदार प्रतापसिंह, एम.एल.ए.
7. बख्शी सर टेकचंद
8. सरदार पृथ्वीसिंह आजाद, एम.एल.ए.
9. पंडित श्रीराम शर्मा, एम.एल.ए.
10. राव बहादुर चौधरी सूरजमल, एम.एल.ए.
11. डॉ. गोपीचंद भार्गव, एम.एल.ए.
12. श्री चौधरी हरभजराम, एम.एल.ए.

बिहार

1. माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. श्रीमती सरोजिनी नायडू
3. माननीय श्री जगजीवन राम
4. माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा
5. श्री सत्यनारायण सिन्हा, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
6. माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह, के.सी.आई., ई. दरभंगा
7. डॉ. पी.के. सेन
8. माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा
9. श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
10. माननीय राय बहादुर श्रीनारायण मेहता
11. श्री देशबंधु गुप्त, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
12. श्री रामनारायण सिंह, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
13. श्री ए.के. घोष, एम.एल.ए.
14. श्री भगवत प्रसाद, एम.एल.ए.
15. श्री बोनीफेस लकरा, एम.एल.सी.
16. श्री रामेश्वरप्रसाद सिन्हा, एम.एल.ए.

17. श्री फूलन प्रसाद वर्मा, एम.एल.ए.
18. श्री महेश प्रसाद सिन्हा, एम.एल.ए.
19. श्री शारंगधर सिन्हा, एम.एल.ए.
20. राय बहादुर श्यामनंदन सहाय, एम.एल.ए., सी.आई.ई.
21. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद
22. श्री जयपाल सिंह
23. श्री चन्द्रिका राय, एम.एल.सी.
24. श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव, एम.एल.ए.
25. श्री जगत नारायण लाल, एम.एल.ए.
26. श्री यदुवंश सहाय, एम.एल.ए.
27. श्री गुप्तनाथ सिंह, एम.एल.ए.
28. श्री दीपनारायण सिन्हा, एम.एल.ए.
29. श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त, एम.एल.सी.
30. डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा, एम.एल.ए.

मध्यप्रान्त और बरार

1. माननीय पं. रविशंकर शुक्ल
2. डॉ. सर हरीसिंह गौड़
3. माननीय श्री ब्रजलाल नन्दलाल वियाणी
4. श्री रुस्तम खुर्शेदजी सिधवा, एम.एल.ए.
5. श्री सेठ गोविन्ददास, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
6. श्री ठाकुर छेदीलाल, एम.एल.ए.
7. श्री हरि विष्णु कामत
8. मि. सेसिल एडवर्ड गिब्बन, एम.एल.ए.
9. श्री शंकर त्र्यम्बक धर्माधिकारी
10. श्री गुरु आगमदास अगरमनदास, एम.एल.ए.
11. डॉ. पंजाबराव शामराव देशमुख
12. श्री बी.ए. मंडलोइ, एम.एल.ए.
13. श्री एच.जे. खांडेकर
14. श्री एल.एस. भाटकर, एम.एल.ए.

आसाम

1. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई
2. माननीय रेवरेन्ट जे.जे.एम. निकल्सराय
3. श्रीयुत अमियकुमारदास, एम.एल.ए.
4. माननीय श्रीयुत बसन्त कुमार दास
5. श्रीयुत धरणीधर बासू मातारी, एम.एल.ए.
6. श्रीयुत रोहिणीकुमार चौधरी, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
7. बाबू अक्षयकुमार दास, एम.एल.ए.

सीमाप्रांत

1. मौलाना अबुल कलाम आजाद
2. खान अब्दुल गफ्फार खां

उड़ीसा

1. माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब
2. श्रीमती मालती चौधरी
3. श्री विश्वनाथ दास
4. श्री बोधराम दुबे, एम.एल.ए.
5. श्री लक्ष्मी नारायण साहु, एम.एल.ए.
6. श्री बी. दास
7. श्री नन्दकिशोर दास
8. श्री राजकृष्ण बोस, एम.एल.ए.
9. श्री शान्तनुकुमार दास, एम.एल.ए.

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): मुझे यह सूचित किया गया है कि सिंध में कोई स्पीकर नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां धारासभा नहीं है। इस स्थिति में वहां की धारासभा के सेक्रेटरी ने परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, ये स्वीकार किये जा सकते हैं।

सिंध

1. श्री जयरामदास दौलतराम

दिल्ली

1. माननीय श्री एम. आसफअली

अजमेर-मेरवाड़ा

1. पं. मुकुटबिहारी लाल भार्गव, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)

कुर्ग

1. श्री सी.एम. पुनाका, एम.एल.सी.

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दोपहर में कोई बैठक न होगी। अब सभा कल बैठेगी। नया कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जो अभी प्रस्तुत नहीं है। मैंने वैधानिक सलाहकार के कार्यालय को कहा है कि वह माननीय सदस्यों को कार्यक्रम यदि सम्भव हो तो आज शाम तक पहुंचा दें। मुझे आशा है यह हो जायेगा। जैसा आप चाहें, सभा कल 11 बजे या $11^1/_2$ बजे बैठेगी।

बहुतेरे सदस्यः 11 बजे।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): हम लोग कल 11 बजे समवेत होंगे।

तब सभा मंगलवार ता. 10 दिसम्बर सन् 1946 ई. के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई।

Con. 3. 1.2.46
1000

अंक 1
संख्या 2

मंगलवार
10 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्
के
वाद-विवाद
की
सरकारी रिपोर्ट
(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	स्थायी सभापति के चुनाव की विधि	1
2.	केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति	8
3.	विधान-परिषद् कार्यालय के वर्तमान संगठन की स्वीकृति	12
4.	कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना	13
5.	सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति	34

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 10 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे अस्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा के सभापतित्व में बैठी।

---

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यदि कोई माननीय सदस्य कल दोपहर के बाद आये हों और अपना परिचय-पत्र दिखाकर अब तक रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, तो इस समय ऐसा कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर करने कोई नहीं आया)

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं स्थायी सभापति के चुनाव के लिए विधि निर्धारित करने का प्रस्ताव लेता हूं जो कार्यक्रम की दूसरी चीज है। मैं समझता हूं, आचार्य कृपलानी उस प्रस्ताव को पेश करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे प्रस्ताव उपस्थित करें।

स्थायी सभापति के चुनाव की विधि

*__आचार्य जे.बी. कृपलानी__ (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं, जो स्थायी सभापति के चुनाव की व्यवस्था निर्धारित करता है। स्थायी सभापति को आगे हम सभापति विधान-परिषद् के नाम से सम्बोधित करेंगे। प्रस्ताव यों है:

> ''यह सभा निश्चय करती है कि सभापति के चुनाव के लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग किए जायें:
>
> (1) आज दोपहर 2.30 के पहले कोई भी सदस्य सभापति के चुनाव के लिए किसी भी सदस्य का नाम उपस्थित कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह नामजदगी के पर्चे को जिस पर प्रस्तावक का तथा किसी तीसरे समर्थक सदस्य के हस्ताक्षर हों, अस्थायी सभापति

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[आचार्य जे.पी. कृपलानी]

को या वे जिसे नियुक्त करें, उसे उक्त समय के पहले दे दें। नामजदगी के पर्चे में इन बातों का उल्लेख आवश्यक है—

(क) मनोनीत सभापति का नाम।

(ख) यह कि प्रस्तावक ने इस बात का खुलासा कर लिया है कि वह सज्जन सभापति चुने जाने पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत हैं।

(2) किसी भी समय अस्थायी सभापति होने के नाते अस्थायी सभापति सभा के सामने मनोनीत सदस्यों का तथा उनके प्रस्तावकों और समर्थकों का नाम पढ़कर सुना देंगे और यदि एक ही सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो वे उन्हें निर्वाचित घोषित करेंगे। यदि एक से अधिक सदस्य मनोनीत किये गये हैं, तो सभा अस्थायी सभापति द्वारा निर्धारित दिन बैलट (अप्रकट-मत प्रणाली) द्वारा सभापति का चुनाव करेगी।

(3) नियम (2) की उद्देश्य-पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझा जायेगा, यदि उसने या उसके प्रस्तावक अथवा समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किया हो।

(4) यदि दो ही उम्मीदवार सभापति-पद के लिये मनोनीत किये गये हों, तो वह उम्मीदवार जिसे बैलट में अधिक मत मिले होंगे, चुना हुआ घोषित किया जायेगा। यदि दोनों को समान मत मिले हैं, तो लाटरी से इसका फैसला होगा।

(5) जब दो से ज्यादा उम्मीदवार मनोनीत किये गये हों और पहली मत-गणना (बैलट) में किसी भी उम्मीदवार को शेष समस्त उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों के कुल जोड़ से अधिक मत नहीं मिला है, तो वह उम्मीदवार जिसे सबसे कम मत मिले हैं चुनाव से हटा दिया जायेगा और फिर मतगणना (बैलटिंग) की जायेगी। इस तरह हर मतगणना में सबसे कम मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव से अलग होता जायेगा, जब तक कि एक उम्मीदवार अपने प्रतिद्वन्द्वी से अधिक मत न पा ले, या शेष समस्त उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल मत से अधिक मत

न पा ले। इस तरह अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(6) किसी मतगणना (बैलट) में यदि तीन या अधिक उम्मीदवारों को समान मत मिले हों और उनमें से एक को नियम (4) के अनुसार चुनाव से अलग करना है, तो समान मत प्राप्त उम्मीदवारों में से कौन अलग किया जाये, इसका फैसला लाटरी से किया जायेगा।''

सभापति के निर्वाचन की विधि निर्धारित करने वाले इस प्रस्ताव के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं सभा से इसकी सिफारिश करूं। सभी धारा-सभाओं (Legt. Assembly) में सर्वदा ये ही नियम प्रयोग किए जाते हैं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): प्रस्ताव बाकायदा पेश हो चुका है और इसका समर्थन किया जा चुका है। अब मैं उस पर मत लेता हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति महोदय, क्या प्रस्ताव में कुछ शाब्दिक परिवर्तन का सुझाव पेश करने की अनुमति मुझे मिल सकती है?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्य को पूरा हक है कि वह जैसा चाहे सुझाव पेश करें। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे। क्या सुझाव पेश करने के पहले माननीय सदस्य मंच पर आना चाहते हैं?

***डॉ. पी.एस. देशमुख** *(मंच पर आकर)*: मेरा सुझाव है कि पैरा (1) की पंक्ति (4) में 'तीसरे' (third) शब्द की जगह 'अन्य' शब्द रख दिया जाये। और पैरा तीन की दूसरी पंक्ति में 'और' की जगह दोनों स्थानों पर 'या' रख दिया जाये। मेरी राय में यह परिवर्तन आवश्यक है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या आचार्य कृपलानी इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं?

आचार्य जे.बी. कृपलानी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): इस परिवर्तन से तो यह अर्थ निकलता है कि समर्थक ऐसा भी हो सकता है, जो सभा का सदस्य न हो।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं यहां भाष्य करने के लिये नहीं हूं। भाष्य करना संकट का कार्य है। यदि सभा अनुमति दे तो मैं प्रस्तावित संशोधन पढ़कर सुना दूं। पहला संशोधन है कि पैराग्राफ (1) में 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' शब्द रखा जाये। क्या आचार्य कृपलानी इसे स्वीकार करते हैं?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): 'तीसरे' शब्द के स्थान पर 'अन्य' शब्द रखे जाने पर और किसी सदस्य को आपत्ति है?

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर** (मद्रास जनरल): मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है। पर इस परिवर्तन को मान लेने में एक असुविधा है। इस पैराग्राफ के पहले के पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में 'अन्य' सदस्य शब्द आ चुका है। यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं, इससे यह मतलब हो जाता है कि जो सदस्य सभापति बनाये जा रहे हैं, उन्हें खुद समर्थक होना चाहिए और यह बात बिल्कुल अर्थहीन है। अत: इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं। मूल शब्द 'तीसरे' रहना चाहिए। यह संशोधन अनावश्यक है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या आप चाहते हैं कि आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव में जो शब्द हैं, वे ही रहें, उनमें कोई रद्दोबदल न हो?

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर:** हां।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** संशोधन पर उठाई गई आपत्ति मेरी समझ में आ गई और मैं अपने संशोधन पर जोर देना नहीं चाहता। पर मैं समझता हूं यह ज्यादा अच्छा मालूम पड़ेगा, यदि प्रथम 'किसी' की जगह कोई 'किसी एक' और 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रख दिया जाये। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न समझा जाये कि बहुत रद्दोबदल का सुझाव पेश कर रहा हूं। पर हम लोग विधान बनाने बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज सभा के बाहर।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यह तो वैधानिक बात नहीं है। पहले आपने एक सुझाव दिया कि 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रख दिया जाये। आपके

प्रथम संशोधन पर कोई निर्णय हो, इसके पूर्व ही यदि आप दूसरा संशोधन रखेंगे तो सभा के साथ ज्यादती होगी। इस समय तो सभा के सामने केवल यह प्रश्न है कि आया आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द की जगह 'अन्य' रखा जाये या नहीं; उसके तय हो जाने पर आप चाहें तो दूसरा संशोधन रख सकते हैं।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** यह तो अनुवर्ती सुझाव है। मैं इसे पढ़कर सुना देना।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): नहीं, नहीं।

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** मेरी समझ में प्रस्ताव का मूलरूप बहुत अच्छा है। मैंने तो वाद-विवाद बचाने के विचार से ही सुझाव स्वीकार कर लिया था।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यदि सभा मेरी राय मांगे तो मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव के मूल शब्दों से कोई अन्य अर्थ नहीं लगता। वे ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, पर इसका फैसला करना सभा के हाथ में है।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य** (मद्रास : जनरल): मैं समझता हूं, संशोधन के उपस्थित करने वाले सज्जन गलतफहमी में हैं यह तो सिर्फ भाषा के सौंदर्य की बात है। प्रस्ताव के मूल शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह यह है—प्रस्तावक, प्रस्तावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा सदस्य होना चाहिये। दूसरी बात है कि समर्थक भी प्रस्तावक या प्रस्तावित सदस्य के अलावा कोई और सदस्य होना चाहिए। अतः प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द उपयुक्त है और उसकी जगह कोई भी अन्य शब्द रखने से गलतफहमी पैदा हो सकती है।

***एक सदस्यः** जब प्रस्तावक ने खुद संशोधन स्वीकार कर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर और बहस जरूरी है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): पर अवश्य ही आप प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को वाद-विवाद सुनने के बाद अपनी राय बदलने की अनुमति देंगे। इससे कोई क्षति न होगी। आप उनको राय बदलने से जबरदस्ती रोक नहीं सकते। मेरी समझ में इतने वाद-विवाद के परिणामस्वरूप अब प्रस्ताव में 'तीसरे' शब्द ज्यों का त्यों रह जाना चाहिए।

***एक सदस्यः** सभापति महोदय, आचार्य कृपलानी ने पहले यह संशोधन रखा था कि चेयरमैन को प्रेसीडेंट कहा जाये। इस पर सभा की राय नहीं ली गई है। मैं नहीं जानता, आया इस पर राय लेना जरूरी है या यह मंजूर किया गया है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): नहीं, वह अभी मंजूर नहीं किया गया है। वैधानिक सलाहकार से मुझे परामर्श मिला है कि पार्लियामेंट के नियमानुसार स्थायी और अस्थायी दोनों सभापतियों के लिए हमें चेयरमैन शब्द का ही प्रयोग करना होगा। मेरे लिए अस्थायी चेयरमैन और दूसरे को स्थायी चेयरमैन कहा जायेगा। परन्तु नियम-निर्मातृ-समिति (Rules Committee) जो शीघ्र ही निर्मित होगी, इस मामले का फैसला करेगी। नियम-निर्मातृ-समिति को अधिकार है, वह 'प्रेसीडेंट' शब्द का ही व्यवहार करे। अत: फिलहाल 'चेयरमैन' शब्द ज्यों का त्यों रहने देना चाहिए।

अब हम आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव के तीसरे भाग को लेते हैं, जो यों है–

> ''नियम नं. (2) की उद्देश्य पूर्ति के लिए कोई भी सदस्य नियमानुसार मनोनीत या मत देने का अधिकारी न समझा जायेगा, यदि उसने और उसके प्रस्तावक और समर्थक ने एसेम्बली के रजिस्टर पर बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर न किये हों।''

संशोधन यह है कि इस भाग में 'और' शब्द जो दो जगह आया है, उसकी जगह 'या' शब्द रख दिया जाये। मैं आचार्य कृपलानी से जानना चाहता हूं कि क्या वे यह संशोधन मंजूर करते हैं?

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता, बल्कि 'और' शब्द ज्यादा उपयुक्त है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं आप 'और' शब्द पर ही कायम रहना चाहते हैं, बजाय उसे 'या' में बदलने के, यद्यपि आप दोनों में अन्तर नहीं समझते।

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** हां, जनाब, जो शब्द प्रस्ताव में है, मैं उसे ही चाहता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा की क्या राय है?

कुछ सदस्यः 'या' उपयुक्त है।

बहुत से सदस्यः कोई रद्दोबदल न हो।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा की यह राय मालूम पड़ती है, 'और' शब्द को 'या' में बदलने की कोई जरूरत नहीं है और प्रस्ताव ज्यों का त्यों रहना चाहिए।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सके।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो सभा के सामने बोलने आये हैं, वह यह कहना चाहते हैं कि ऐसे नियमों में यह व्यवस्था रहती है कि कोई सदस्य चुनाव की प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले सके। मेरी समझ में यह बात सच है। उनका कहना है कि—हो सकता है इसकी जरूरत न पड़े–प्रस्ताव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव के लिए नामजद किया हुआ कोई सदस्य यदि प्रतियोगिता से हटना चाहे, तो वह समय पर ऐसा कर सके। ऐसी व्यवस्था जोड़ देने में मैं कोई क्षति नहीं समझता।

***श्री एच.वी. कामतः** सभापति महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं निम्नलिखित भाग जोड़ने की सिफारिश करूंगा। "जब एक से ज्यादा उम्मीदवार का नाम आ जाये, तो चेयरमैन एक तारीख और समय निर्धारित कर देंगे कि कोई उम्मीदवार जो प्रतियोगिता से हटना चाहते हैं, उस समय तक अपना नाम वापस ले लें।"

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुत ठीक। मैं आपके अभिप्राय को जहां तक मुझसे हो सकता है, सीधी-साफ भाषा में रखने की कोशिश करूंगा, यह व्यवस्था जोड़ी जा सकती है।

अब सारे संशोधन तय हो गये हैं और अब मैं आचार्य कृपलानी का प्रस्ताव बदस्तूर सभा के सामने रखता हूं, ताकि यह पास हो जाये।

प्रस्ताव मंजूर किया गया।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं।

केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं की स्वीकृति

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं माननीय सदस्य पं. जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करता हूं कि बाकी तीन प्रस्तावों में पहला सभा के सामने रखें।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं और आशा है, इससे सभा के कार्य संचालन में मदद मिलेगी:—

> ''वह सभा तब तक के लिए जब तक कि विधान-परिषद् के कार्य संचालन के लिये इसके अपने नियम न बन जायें, केन्द्रीय धारा-सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को ऐसे परिवर्तनों के साथ जो सभापति उचित समझे, मंजूर करती है।''

सभा को मालूम है कि विधान-परिषद् ने बिना ऐसे नियमों के जिन्हें किसी विदेशी सत्ता ने बनाये हों, अपना काम शुरू किया है। इसे अपने नियम खुद बनाने हैं। बाद में मैं नियम निर्माण के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव सभा के सामने रखूंगा। सम्भवत: उस समिति को अपना काम पूरा करने में दो-तीन दिन लग जायेंगे। इन चन्द दिनों तक जब तक नियम नहीं बन जाते, हमें अपना काम जारी रखना है। इसलिए यह वांछनीय है कि हम किसी व्यवस्था का सहारा लें। उसके लिये सरलतम उपाय यह है कि हम धारा-सभा के सारे नियम और स्थायी आज्ञाओं को अपना लें; पर ज्यों का त्यों नहीं, क्योंकि इससे काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम उन्हें मंजूर कर लें और सभापति को अधिकार दे दें कि वह अवसर के अनुकूल यदि आवश्यक समझे, तो उसमें परिवर्तन कर लें।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या माननीय प्रस्तावक प्रस्ताव के इन शब्दों को–'जो सभापति उचित समझें'—–क्या स्पष्ट कर देंगे? मैं समझता हूं यहां स्थायी सभापति से मतलब है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** मतलब है, उस समय जो भी सभापतित्व करता हो।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुत अच्छा।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब माननीय सदस्य, यदि संशोधन या सुझाव हों, तो पेश कर सकते हैं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या मैं यह जान सकता हूं कि आया सदस्य महोदय संशोधन पेश करने जा रहे हैं?

***श्री विश्वनाथ दास:** प्रस्ताव की रचना में मुझे कुछ कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक स्थिति पर गौर करें और विचारें कि क्या प्रस्ताव को वापस ले लेना सम्भव या वांछनीय नहीं है?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्षमा कीजिये, मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा।

***श्री विश्वनाथ दास:** प्रस्ताव की असली सूरत में मुझे कुछ कठिनाइयां नजर आ रही हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि आप प्रस्ताव का, जिस सूरत में वह रखा गया है, विरोध करते हैं।

***श्री विश्वनाथ दास:** हां।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): यानी आप प्रस्ताव नहीं चाहते? आशा है प्रस्तावक महोदय इसे समझेंगे। पं. नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव को अमली रूप देने में वक्ता को कुछ कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं। इससे वे इसका विरोध करते हैं, यद्यपि वह 'विरोध' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

***श्री विश्वनाथ दास:** खेद है कि मुझे एक ऐसा कार्यभार लेना है, जिसका मैं अभ्यस्त नहीं हूं इस सम्बन्ध में क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि वर्किंग कमेटी और पं. नेहरू द्वारा प्रदर्शित पथ का मैं सदा ही नीरव समर्थक रहा हूं? पर मुझे इस प्रस्ताव को अमली रूप देने में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। प्रस्ताव दो या तीन बातें कहता है। पहली बात तो वह यह कहता है कि ''ऐसे परिवर्तनों

के साथ जो सभापति जरूरी समझें'' फिर प्रस्ताव कहता है ''केन्द्रीय धारा सभा के नियम अमल में लाए जायें''। सभापति जी, नियम निर्मातृ-समिति शीघ्र ही बनने जा रही है। मैं समझता हूं नियम बनें और सभा के सामने आयें, इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन दिन लगेंगे। उम्मीद है कि इस बीच हम कोई महत्त्वपूर्ण काम न करेंगे। इसलिए इस अस्थायी प्रस्ताव से कुछ विशेष लाभ न होगा और इसे लागू करने में भी तरह-तरह की दिक्कतें पेश होंगी।

दूसरे, सभापति महोदय, प्रस्ताव में बहुत कुछ सभापति की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मैं अपने नेता से अपील करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या यह ठीक न होगा कि तीन दिनों तक सभा का कार्य संचालन सभापति पर छोड़ दिया जाये। बाद में नियम बन कर सभा के सामने आ जायेंगे। मेरा सुझाव है कि इस बीच में यदि सभा कोई काम करना चाहे तो कार्य संचालन बिल्कुल सभापति पर छोड़ दिया जाये, जैसा प्रस्ताव में कहा गया है।

तीसरे, केन्द्रीय धारा सभा के नियमों और स्थायी आज्ञाओं को जानना हमारे लिए कठिन है। मैं खुद नहीं जानता और मेरा ख्याल है बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिन्हें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं हैं। सभी प्रातों में ये एक से नहीं हैं; आवश्यक मामलों में भी इनमें प्रांत-प्रांत में भेद है। केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को जानने में सदस्यों को दो-तीन दिन लग जायेंगे। सदस्यों को इस कठिनाई में डालने के बजाय मेरी समझ में यह बेहतर होगा कि तब तक के लिए जब तक अपने नियम नहीं बन जाते, सभा का यदि कोई काम हो तो उसे सभापति पर छोड़ दिया जाये।

सभापति जी, इसके अलावा सभा के 220 सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति देनी होगी। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय धारा सभा इतने कम समय में नियमों की इतनी प्रतियां दे सकेगी। इन कठिनाइयों को देखते हुए मुझे यकीन है कि इसमें कोई नुकसान न होगा, यदि पंडित जी प्रस्ताव वापस लेने पर राजी हो जायें और सब कुछ सभापति की मर्जी पर छोड़ दें, जैसा प्रस्ताव में भी है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। सभापति जी, मुझे बहुत खेद है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है—जैसा आप कहते हैं—यद्यपि में विरोध नहीं कर रहा हूं।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री विश्वनाथ दास को मैं सूचित कर दूं कि आप चाहे जो भी उपयुक्त शब्द इसके लिए समझें, प्रयुक्त करें; पर बहैसियत सभापति के इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं आपके इस रुख को विरोध कहूं।

***श्री विश्वनाथ दासः** हो सकता है, पर विरोध की भावना से मैंने यह नहीं कहा है।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं माननीय पं. नेहरू द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। यदि माननीय मित्र श्री विश्वनाथ दास केन्द्रीय धारा सभा के नियमों को पढ़ें तो देखेंगे कि वे बिलकुल दुरुस्त हैं। उन्हें और अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि हमारी समिति बैठेगी और अपना काम शुरू करेगी तो उसे मालूम होगा कि उसे केन्द्रीय धारा सभा के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सभापति जी, यदि मन्त्री केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति परिषद् के सदस्यों को वितरित कर दें—और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है—तो श्री विश्वनाथ दास और दूसरे सदस्य भी यह देखेंगे कि जो नियम केन्द्रीय धारा सभा के लिए उपयुक्त हैं, वे हमारे लिए भी उपयुक्त हैं। मेरी समझ में यह महज वक्त की बर्बादी होगी कि हम नियम बनाने के लिए सभा का काम स्थगित करें। सभापति जी, मैं नहीं समझता कि बहैसियत अस्थायी सभापति आप यह पायें कि केन्द्रीय धारा सभा के नियम, परिषद् के बहस-मुबाहसे के सिलसिले में जो भी उलझनें सम्भव हैं, उनके लिए काफी नहीं हैं मैं माननीय मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे तो यह जानने की ज्यादा फिक्र है कि श्री विश्वनाथ दास का कोई समर्थन कर रहा है या नहीं। *(हंसी)* मुझे तो प्रश्न के इस वैधानिक पहलू की फिक्र है कि श्री विश्वनाथ दास के मन्तव्य का किसी ने समर्थन भी नहीं किया। मेरी समझ में सभा का सब बहुमत इसी पक्ष में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मंजूर किया जाये।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि परिषद् के सभी सदस्यों को केन्द्रीय धारा सभा के नियमों की एक-एक प्रति दी जाये।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे नहीं मालूम है कि इतनी प्रतियां प्राप्य हैं या नहीं। हो सकता है कि न प्राप्य हों, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं।

अब मैं पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर मत लेता हूं। मैं इसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

अब मैं पंडित नेहरू से अनुरोध करूंगा कि वे प्रस्ताव नं. 6 को उपस्थित करें।

विधान-परिषद् कार्यालय के वर्तमान संगठन की स्वीकृति

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:

> ''यह सभा विधान-परिषद् का अन्तिम निर्णय होने की अवधि तक विधान-परिषद् कार्यालय के वर्तमान संगठन को मंजूर करती है।''

सभा को शायद यह मालूम है कि गत कई महीनों से विधान-परिषद् का कार्यालय काम कर रहा है और हमारे पहले यानी इस सभा के समवेत होने के पहले जो कुछ हो चुका है, उसको इसी ने संगठन किया था। इसका बहुत कुछ काम तो नेपथ्य में ही हुआ है और सभा के समवेत होने के पूर्व के जो कठिन काम इस कार्यालय ने किये हैं, उनका अनुमान शायद कम ही सदस्यों को होगा। जो भी हो, जब तक यह सभा कुछ अन्य निर्णय नहीं करती, इस कार्यालय को जारी रखना है। किसी न किसी तरह का कार्यालय तो सभा को रखना ही है। सभा वर्तमान कार्यालय को ही जारी रख सकती है, चाहे तो इसे बढ़ा या इसमें रद्दोबदल कर सकती है, पर कार्यालय को तो जारी रखना ही होगा। मेरा प्रस्ताव एक तरह से इस कार्यालय के संगठन को तब तक के लिए, जब तक सभा अन्य निर्णय न करे, वैधानिक रूप देता है। सभापति जी, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या इस प्रस्ताव का समर्थन हो रहा है?

***माननीय श्री एम. आसफअली** (दिल्ली): पंडित नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे बड़ी खुशी है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपका मत लेने के लिए प्रस्ताव रखने में मुझे भी बड़ी खुशी है। *(हंसी)* क्या बिना हंसाये मैं कुछ भी आपके सामने नहीं कह सकता? *(और हंसी)* पं. नेहरू, आपके कथन के समर्थन में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन चंद दिनों में, जबसे मुझे सर बी.एन. राव के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, मैंने उनसे हर तरह की सम्भव मदद पाई है और मुझे विश्वास है कि मेरे उत्तराधिकारी को भी वे अपनी बहुमूल्य सहायता

देते रहेंगे मैं प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं।

अब आचार्य कृपलानी सातवां प्रस्ताव उपस्थित करेंगे।

कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति की स्थापना

***आचार्य जे.बी. कृपलानी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, हम यहां एकत्र तो हुए हैं पर कार्य संचालन के लिए हमारे पास नियमादि नहीं हैं। इसीलिए पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रथम प्रस्ताव पेश किया, ताकि उस अवधि तक जब तक हम अपने नियम नहीं बना लेते, उन्हीं से काम लें। हम अपनी तजवीजों के बहस-मुबाहिसे के सिलसिले में उन्हीं नियमों से काम लें, जो केन्द्रीय धारा सभा के कार्य संचालन में बरते जाते हैं। इन नियमों पर काफी विचार करने की जरूरत है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक समिति बना दी जाये; अत: यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

''यह सभा निश्चय करती है कि:

(1) सभापति और 15 सदस्यों की एक समिति निम्नलिखित विषयों पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए बना दी जाये।

(क) सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि''

जो प्रति आपको मिली है, उसमें आप 'सेक्शन्स और समितियां' शब्द भी पायेंगे। सेक्शन्स और समितियां सभा के ही अंग हैं और इसलिए मुझे ये शब्द अनावश्यक मालूम पड़े। इसी आधार पर मैंने ये शब्द हटा दिये हैं—

''(क) सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि।

(ख) सभापति के अधिकार।

(ग) सभा के कार्य का संगठन, जिसमें नियुक्तियों तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।

(घ) सभा के रिक्त स्थानों की घोषणा तथा उनकी पूर्ति की व्यवस्था।

[आचार्य जे.बी. कृपलानी]

(2) परिषद् के सभापति ही इस समिति के सभापति होंगे।

(3) समिति के सदस्य सूची में दिये हुए तरीकों के मुताबिक चुने जायें।

(4) इस मामले में समिति का निर्णय होने तक सभापति ही निम्नलिखित बातें तय करेंगे:

(क) सभा के सदस्यों का भत्ता नियत करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों का, जिनकी सेवाएं परिषद् के काम में ली जायेंगी, वेतन और भत्ता, सम्बन्धित हुकूमतों के परामर्श से नियत करना।

(ग) विधान-परिषद् के काम के लिए जो लोग नियुक्त किये जायेंगे उनका वेतन और भत्ता नियत करना।

सूची

(1) समिति के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मत की पद्धति द्वारा चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय धारा सभा में जो नियम बरते जाते हैं, यथासम्भव उन्हीं के अनुकूल चुनाव किया जायेगा।

(2) समिति के सदस्यों का चुनाव करने के लिए (यदि यह आवश्यक हुआ) सभापति तारीख और समय निर्धारित तथा घोषित करेंगे।

(3) कोई भी सदस्य जो चुनाव के लिए किसी सदस्य या सदस्यों का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। सदस्य परिषद् के मंत्री के नाम स्वहस्त लिखित सूचना अपने हस्ताक्षर सहित नोटिस आफिस में सभापति द्वारा नियत तारीख के दिन 12 बजे मध्याह्न तक दे सकते हैं। सूचना देने वाले सदस्य को यह पहले ही पक्का कर लेना होगा कि जिसका नाम वह प्रस्तावित करते हैं, वह (सज्जन) चुने जाने पर समिति में काम करने के लिए राजी हैं।''

इसके बाद मैंने एक दूसरा पैराग्राफ जोड़ दिया, जो यों है, यह पैरा जो कागज आपको दिया गया है उसमें नहीं है, पर बढ़ाया जा सकता है:

''सभापति द्वारा नियत किये हुए समय के अन्दर यदि कोई प्रस्तावित सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें, तो वे वापस ले सकते हैं।

(4) यदि नामजद सदस्यों की संख्या उन जगहों या सीटों से कम है, जिन्हें भरना है, तो सभापति और अवधि निर्धारित कर देंगे, जिसके भीतर उक्त सूचना (दवजपबम) दी जा सकती है और इसके बाद भी जब तक जगहों की संख्या के बराबर सदस्य नामजद नहीं हो जाते, सभापति इसके लिये और अवधि बढ़ा सकते हैं।

(5) यदि नामजद उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली जगहों के बराबर होगी तो सभापति सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देंगे।

(6) यदि नामजद उम्मीदवारों की संख्या जगहों से ज्यादा हो तो नियम 1 के मुताबिक चुनाव होगा।

(7) इन नियमों के उद्देश्यों को सामने रखते हुए कोई भी सदस्य बाकायदा नामजद न समझा जायेगा और न वोट (मत) देने का अधिकारी माना जायेगा, अगर उसने या उसके प्रस्तावक ने परिषद् (Assembly) के रजिस्टर में बहैसियत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं किये हैं।''

***एक सदस्यः** इन नामजदगियों के लिए क्या किसी समर्थक की जरूरत नहीं है? यहां केवल प्रस्तावक या उम्मीदवार का ही नाम आया है।

***राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): इन नियमों में जिनका प्रस्ताव अभी किया गया है, समर्थक नहीं रखा गया है। मैं इसका खुलासा करना चाहता था कि आया इन नामजदगियों के लिए समर्थक की जरूरत है या केवल प्रस्तावक से ही काम चल जायेगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): राय बहादुर श्याम नन्दन सहाय यह जानना चाहते हैं कि समिति के चुनाव के लिए जो नामजदगियां होंगी, उनके लिए केवल प्रस्तावक की आवश्यकता या समर्थक की भी?

***आचार्य जे.बी. कृपलानीः** जनाब, इसके लिए समर्थक जरूरी नहीं है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुत अच्छा।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति जी, निवेदन करूंगा कि चुनाव की अर्जियों के फैसले के सिलसिले में एक जबरदस्त दोष रह गया है। जनाब, मेरी राय में जहां चुनाव को चैलेंज किया गया हो यानी उस पर वैधानिक आपत्ति की गई हो, ऐसे चुनाव की दरख्वास्तों को निबटाने के लिए परिषद् को एक ट्रिब्यूनल जरूर मुकर्रर कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, कल ही बलूचिस्तान

[श्री एच.वी. कामत]

के चुनाव पर आपत्ति की गयी थी। कल वह कार्यक्रम में था, पर ट्रिब्यूनल नियत करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं समिति इसके लिए कुछ नियम बनायेगी। मैं सलाह देता हूं कि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव सम्बन्धी मामलों को निबटाने के लिए भी उन्हें नियम बगैरह बनाने जरूरी हैं।

*__डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी__ (बंगाल : जनरल): क्या प्रस्तावक महोदय का यह अभिप्राय है कि ये नियम सेक्शनों पर भी लागू होंगे? मेरी राय में यहां 'सेक्शन' शब्द खोलकर लिख देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ खास सेक्शनों को लेकर कठिनाइयां हैं।

*__डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी__ (बंगाल : जनरल): डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी के मसविदे का मैं भी समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं इसे स्वीकार कर लेना ज्यादा सुरक्षा-मूलक है। यदि प्रस्तावक का यह अभिप्राय है कि नियम-निर्मातृ-समिति सेक्शनों (वर्गों) और समितियों के लिए भी नियम बनायेगी, तो यह 'वांछनीय है कि प्रस्ताव में साफ-साफ सेक्शन और समितियां भी सम्मिलित कर दी जायें, ताकि वह यों पढ़ा जाये, ''सेक्शनों और समितियों सहित सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि।''।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी आपको एक सुझाव दे रहे हैं कि आप कृपा कर इस स्थल पर एक शब्द और शामिल करने की बात स्वीकार कर लें।

*__आचार्य जे.बी. कृपलानी:__ मैं समझता हूं जनाब, कि ''सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' में सेक्शनों और समितियों के नियम भी आ जाते हैं और मैं नहीं समझता कि सभा के सम्मुख उपस्थित प्रस्ताव में यह अनावश्यक जोड़ क्यों किया जाये।

*__डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी:__ सभापतिजी, क्या मैं आपकी अनुमति से इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ''सेक्शनों और समितियों सहित'' का जोड़ा जाना यहां क्यों आवश्यक है? जब सेक्शनों की परिषदें बैठेंगी तो हो सकता है, वे कार्य संचालनार्थ अपना पृथक्-पृथक् नियम बनावें। उस समय यह प्रश्न उठ सकता है कि विधान-परिषद् को सेक्शनों के लिए कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने का अधिकार भी

है या नहीं? उस समय नियम-निर्मातृ-समिति को अधिकार प्रदान करने वाले इस प्रस्ताव का प्रसंग जरूर ही उठेगा और तब उसमें केवल यही जिक्र पाया जायेगा कि समिति केवल विधान-परिषद् के कार्य संचालनार्थ नियमादि बनाने के लिए नियुक्त की गयी थी। उस समय इस भाष्य का प्रश्न उपस्थित होगा कि आया इस नियम-निर्मातृ-समिति को सेक्शनों के लिए भी नियमादि बनाने का अधिकार है या नहीं? यदि आपका यह अभिप्राय है कि नियम-निर्मातृ-समिति सेक्शनों के लिए भी नियम बनायेगी, तो साफ-साफ यहां ''सेक्शनों और समितियों सहित'' क्यों नहीं जोड़ देते; ताकि जब सेक्शन अपना काम शुरू करें; तो उन्हें इस सम्बन्ध में कोई दुविधा न रह जाये।

*__माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन__ (संयुक्तप्रान्त : जनरल): डॉ. मुकर्जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अभिप्राय को और स्पष्ट करने के लिए सुझाए हुए शब्दों को जोड़ लेने में आपको कोई आपत्ति है?

*__आचार्य जे.बी. कृपलानी:__ मैं समझता हूं कि सेक्शनों को अगर और अतिरिक्त नियमों की जरूरत हुई, तो यह निर्धारित कर दिया जायेगा कि सेक्शन कोई ऐसे नियम न बनायेंगे जो विधान-परिषद् के नियमों से असामंजस्य रखते हों। सभापति महोदय, मेरा मलतब है कि नियम-निर्मातृ-समिति व्यापक ढंग के नियम बनायेगी जो सेक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। यदि कोई समिति या सेक्शन को और नियमों की जरूरत है तो वह अपना स्वयं बना लेगा पर प्रतिबंध यही रहेगा कि उसके बनाये नियम विधान-परिषद् के बनाये नियमों से बेमेल न होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव का यह हिस्सा ज्यों का त्यों रहे।

*__सरदार हरनाम सिंह__ (पंजाब : सिख): सभापति जी, आचार्य कृपलानी द्वारा उपस्थित किये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे सभा के सामने दो बातें कहनी हैं। एक तो प्रस्ताव के पैरा 1(क) के सम्बन्ध में है। मैं डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी से पूर्ण सहमत हूं कि पैरा 1(क) में बजाय ''सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' के यों हों ''सभा, सेक्शनों और समितियों के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' यह मेरा पहला सुझाव है। कैबिनेट मिशन ने अपने स्पष्टीकरण में सेक्शनों का जिक्र हमेशा विधान-परिषद् के सेक्शनों के नाम से ही किया है। अतः मेरा मत है कि नियम

[सरदार हरनाम सिंह]

सम्बन्धी पैरा 1(क) यों पढ़ा जाये ''सभा, सेक्शनों और समितियों के कार्य संचालनार्थ नियमादि''।

एक बात और है। प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि ''सेक्शनों और समितियों'' का जोड़ना अनावश्यक है और इसलिए वे इसके निकाल देने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि सभा के कार्य संचालनार्थ जो नियम प्रस्तावित हैं उनमें सेक्शनों और समितियों के नियम भी शामिल हैं। इस प्रारम्भिक बैठक में आप जो समितियां बनायेंगे, उनमें एक परामर्शदातृ-समिति (Advisory Committee) भी होगी, जो उन चंद खास बातों के लिए होगी जिनका ब्यौरा कैबिनेट मिशन की योजना के पैराग्राफ 20 में है।

कैबिनेट मिशन ने यह साफ-साफ कहा है कि परामर्शदातृ-समिति (एडवाइजरी कमेटी) में सभी अल्पसंख्यकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एडवाइजरी कमेटी के कार्य संचालन के लिए नियमों का निर्माण जब एक ऐसी समिति करेगी जिसको यह सभा सूची के पैराग्राफ 1 के अनुसार चुनेगी, तो मुझे संदेह है कि उन नियमों के निर्माण में जिनके अनुसार एडवाइजरी कमेटी का कार्य संचालित होगा; अल्पसंख्यकों की कोई आवाज न होगी। इसलिए मेरा दूसरा सुझाव है कि सूची का पैरा 1 इस तरह हो ''समिति के 10 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एकाकी हस्तान्तरित मतपद्धति से चुने जायें।'' मैं एक दूसरा पैरा भी जोड़ना चाहता हूं, जो यों हो ''बाकी 5 सदस्य परिषद् के सभापति द्वारा मनोनीत किये जायें ताकि आवश्यक अल्पसंख्यकों को समिति में यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकें।'' अन्यथा मुझे डर है कि एडवाइजरी कमेटी का काम इस ढंग पर होगा जो सभा के एक आवश्यक वर्ग (अल्पसंख्यक) के हितों के प्रतिकूल होगा। ये मेरे दो सुझाव हैं कि सूची का पैरा 1 उपरोक्त ढंग से संशोधित हो जाये, सूची में एक दूसरा और पैरा बढ़ा दिया जाये और इस तरह सूची में बजाय सात के आठ पैराग्राफ हों।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, मैं श्री सुरेशचंद्र बनर्जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसका समर्थन डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी कर चुके हैं हाउस ऑफ कामन्स के शब्दों में इस परिषद् के काम में सेक्शनों और समितियों का काम भी स्वयं शामिल है; अत: यदि यहां ''सभा के कार्य संचालनार्थ नियमादि'' इतना ही रहा तो भी सेक्शनों और समितियों के जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें सन्देह नहीं है, पर साथ ही इस

सम्बन्ध में स्टेट पेपर में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। अतः सभापति महोदय, यहां ''सेक्शनों और समितियों'' का न जोड़ना बुद्धिमत्ता से खाली होगा, क्योंकि इससे यह जाहिर होगा कि विधान-परिषद् सर्वसत्ता सम्पन्न नहीं है। जिस बात पर हम जोर देते हैं उस हालत में हमारे सामने यह तर्क पेश किया जा सकता है कि इसका कोई भाग, सेक्शन या समिति खुदमुख्तारी से काम कर सकती है और अपना विधान बना सकती है। स्वयं आचार्य कृपलानी ने कहा है कि यदि हम इस प्रस्ताव को ज्यों का ज्यों रहने दें तो हम ऐसे रूल या नियम बनायेंगे जिनसे सेक्शनों या समितियों को ऐसे नियम बनाने का अधिकार न होगा, जो इस समिति द्वारा बनाये नियमों के प्रतिकूल या असंगत हो। यह तर्क स्वयं यह प्रकट करता है कि इस प्रोसीज्योर कमेटी को अख्तियार है कि कुछ हद तक वह सेक्शनों और समितियों के कार्य संचालन-पद्धति को नियंत्रित रखे। जो बहस-मुबाहिसा यहां हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए यह बेहतर है कि ''सेक्शन और समितियों'' रखा जाये बजाय इसके कि इन शब्दों की अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव के अर्थ पर पुनः आगे बहस खड़ी हो। मुझे एक पाइन्ट ऑफ आर्डर की मुश्किल दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि प्रोसीज्योर कमेटी सेक्शनों के प्रश्न पर विचार करती है या कोई नियम बनाती है, जैसा आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो निश्चय ही यह पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया जायेगा कि आया ''एसेम्बली'' शब्द में सेक्शन और समितियां भी शामिल हैं या नहीं। उस समय प्रोसीज्योर कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन को इस पर रूलिंग देनी होगी। यह ज्यादा अच्छा है कि यह प्रश्न प्रोसीज्योर कमेटी के चेयरमैन पर न छोड़ा जाये जो सम्भव है स्थायी सभापति ही हों। इस सभा को यहां यह बात साफ-साफ निर्धारित कर देनी चाहिए कि विधान-परिषद् एक और अविभाज्य है। सेक्शन जिनका जिक्र किया गया है वे इस एसेम्बली के ही सेक्शन हैं; और ये सेक्शन स्वतंत्र संस्था नहीं है कि अपने कार्य संचालन के लिए ऐसे नियम बनावे जो परिषद् के नियमों से बेमेल हों। अतः मैं अर्ज करता हूं कि यह बहुत जरूरी है और इसी समय जब कि यह प्रश्न सभा के सामने उठाया गया है कि इस प्रस्ताव की सीमा और क्षमता सभा के सेक्शनों और समिति सहित इन शब्दों को जोड़कर स्पष्ट कर दी जाये ''सभा के कार्य संचालनार्थ, जिसमें इसके सेक्शन और समितियां भी शामिल हैं नियमादि''।

***माननीय श्री बसन्त कुमार दास** (आसाम : जनरल): सभापति महोदय मैं जो कहना चाहता था उसमें से बहुत कुछ श्री मुंशी ने कह दिया। मैं यहां इस

[माननीय श्री बसन्त कुमार दास]

बुनियादी सवाल पर कि आया विधान-परिषद् को सेक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों के कामों की जांच-पड़ताल करने का हक है या नहीं, एक पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं। प्रस्ताव की सीमा के अन्दर सेक्शनों और समितियों को सम्मिलित करने वाले संशोधन में जो सिद्धान्त सन्निहित है उसे देखते हुए यह आवश्यक है। सेक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों को अलग-अलग काम दिये गये हैं। सेक्शन गुट (ग्रुप) और प्रान्त दोनों का ही विधान बनायेगा। अल्पसंख्यकों के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे और Excluded areas के नाम से परिचित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की क्या योजना होगी, इन बातों को ध्यान में रख कर एडवाइजरी कमेटी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बाबत परामर्श देगी। सेक्शन और एडवाइजरी कमेटियां चाहे जो भी करें, उसमें वे कह सकते हैं कि विधान-परिषद् एवं उसके प्रारम्भिक अधिवेशन को कोई हक नहीं है कि उनके कामों की जांच-पड़ताल करें। इसलिए जनाब, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न पर अपनी रूलिंग (निर्णय) दें कि सेक्शनों और एडवाइजरी कमेटियों के कामों में आदेश देने या उनकी जांच-पड़ताल करने का कितना अधिकार इस एसेम्बली को होगा। अत: सभापति जी, पेश्तर इसके कि प्रस्ताव पेश हो तथा प्रस्ताव और संशोधनों के सम्बन्ध में उठाये हुए प्रश्नों पर आगे बहस हो, मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी रूलिंग दें।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मेरी यह इच्छा नहीं है कि मेरी रूलिंग फेडरल कोर्ट तक घसीटी जाये। इसलिए बजाय रूलिंग देने के, जो मैं नहीं चाहता, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करूंगा कि इस पर वे अपने विचार व्यक्त करें।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, यह तो महज एक रस्मी तजबीज समझी गयी थी। पर बहस-मुबाहिसे के रुख से मालूम पड़ता है कि सदस्यों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां हैं। कुछ लोग इस पर कड़ी राय रखते हैं इसमें शक नहीं कि सेक्शनों में जो कुछ किया जायेगा उस पर यह सभा विचार करेगी। मेरी समझ में असली मसविदा बहुत दुरुस्त था पर जब मसला संशोधन की शक्ल में आ गया, तब जरूर ही यह एक जुदा चीज हो जाती है। इसका विरोध किया जा रहा है और एक संशोधन स्वीकार करने को कहा जा रहा है। अगर सभा के विचारों की यह तस्वीर है, इससे तो

आप जाहिर है कि कमेटी को पूरा हक है कि वह सारी बातों पर सोच-समझ कर काम करे। इस हालत में संशोधन मौलिक प्रस्ताव के प्रतिकूल है। अब आसाम के एक सदस्य ने एडवाइजरी कमेटी का भी जिक्र कर दिया। यह साफ है कि एडवाइजरी कमेटी को विधान-परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट देनी है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं नहीं समझता कि सभा के किसी भी सदस्य को इस पर कोई सन्देह होगा और मैं तो यह मानता हूं कि इस सभा की सभी समितियां सभा को अपनी रिपोर्ट देंगी। इसलिए मैं तो माननीय सदस्य को यही सुझाव दूंगा कि जब खास मसले पर सभा एकमत है, तो यह समय बिलकुल इसके लिये उपयुक्त नहीं है कि हम इस मसले के सब पहलुओं पर विचार करें। अतः मैं तो प्रस्तावक महोदय आचार्य कृपलानी को यह सुझाव दूंगा कि वे उपस्थित संशोधन को मंजूर कर लें।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री आर.वी. धुलेकर (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि संशोधन में।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि क्या वह अंग्रेजी नहीं जानते?

श्री आर.वी. धुलेकर: मैं अंग्रेजी जानता हूं पर हिन्दुस्तानी में बोलना चाहता हूं।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बहुतेरे सदस्य हिन्दुस्तानी नहीं जानते। उदाहरण के लिए श्री राजागोपालाचार्य को ही लीजिए।

श्री आर.वी. धुलेकर: जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उन्हें हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग यहां भारत का विधान निर्माण करने आये हैं और हिन्दुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं हैं। अच्छा हो वे सभा से चले जायें।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): कृपया आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए।

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सारे नियम हिन्दुस्तानी भाषा में बनाये और फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर, Bi-lingualism के प्रश्न पर और सभा के कागजात दो या ज्यादा जुबानों में छपें, इस पर सभा के सामने बोलने की अनुमति आपको नहीं है। आप एकदम कायदे के खिलाफ हैं। आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर पेश संशोधन पर आप बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री आर.वी. धुलेकरः मेरा यह संशोधन है कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने नियम हिन्दुस्तानी में बनाये। फिर उनका अनुवाद अंग्रेजी में हो। जब कोई सदस्य नियम पर बहस करेंगे तो वे उसका हिन्दुस्तानी रूप पढ़ेंगे और उसी के आधार पर फैसला चाहेंगे। अंग्रेजी रूप के आधार पर नहीं। मुझे खेद है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर!

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर संशोधन पेश कर रहा हूं। सभा का सदस्य होने के नाते मुझे इसका अधिकार है। मैं संशोधन रखता हूं कि प्रोसीज्योर कमेटी अपने सब नियम हिन्दुस्तानी में बनाये और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो। भारतीय होने के नाते मैं अपील करता हूं कि हम लोगों को और उन लोगों को जो देश को आजाद करने पर तुले हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी भाषा में सोचना और बोलना चाहिए। हम अरसे से अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और हाउस ऑफ कामन्स की चर्चा कर रहे हैं। इसने मेरे सिर में दर्द पैदा कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि भारतीय अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते। मैं भारतीय हूं और यह महसूस करता हूं कि सभा की कार्रवाई हिन्दुस्तानी भाषा में होनी चाहिए। दुनिया के इतिहास से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे पास अपने लाखों वर्ष के प्राचीन देश का इतिहास है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर।

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे संशोधन पेश करने की अनुमति दी जाये।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर। मैं आपको आगे बोलने की इजाजत नहीं देता। सभा मुझसे पूर्ण सहमत है कि आप कायदे के बाहर हैं।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मैं अर्ज करता हूं कि यदि सुझाव मंजूर कर लेने से सभा का बहस-मुबाहिसा कम हो जाता हो तो मैं उसे मंजूर कर लूंगा।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर** (बम्बई : जनरल): इस प्रस्ताव पर मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। मुझे पक्का मालूम नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सभा अति सतर्कता-मूलक न समझेगी, पर आपके सामने चन्द बातें कहने के लिए मजबूर हूं और मैं चाहता हूं कि इन पर पूरा गौर करें। ये चंद बातें ''सेक्शनों और समितियों'' का स्पष्ट उल्लेख हो, इसके विरुद्ध हैं। अवश्य ही मेरा यह विचार सतर्कता से प्रेरित है और मैं समझता हूं कि इस समय सतर्कता वांछनीय भी है। 'सेक्शन' शब्द को याद रखें। आपसे यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि आप सेक्शन के संगठन के पहले ही उनके लिए नियम (कानून) बना दें। यह भी याद रखें कि 'सेक्शनों' में 'बी' और 'सी' सेक्शन्स भी शामिल हैं। यह भी याद रखें कि 'बी' और 'सी' सेक्शनों में इस बात की सम्भावना है, बल्कि यह निश्चित है कि एक दल विशेष के आदमियों का बाहुल्य होगा जो आज उपस्थित नहीं है, पर उस समय मौजूद हो सकते हैं जब सेक्शनों का काम शुरू हो। उस दल के लोग अगर विरोध नहीं तो सन्देह की भावना से आज यहां अनुपस्थित हैं। क्या आप अभी उनके लिए यहां पहले ही से नियमादि बना देना चाहते हैं? आप इस मसले को फिलहाल यहीं न रहने देंगे, यानी चूंकि 'एसेम्बली' शब्द में कानूनी रूप से 'सेक्शन' खुद शामिल है। कोई भी सेक्शन 'ए' या 'बी' अथवा 'सी' ऐसे नियम नहीं बना सकता जो एसेम्बली के निर्मित नियमों से प्रतिकूल हों, यही आम वैधानिक रास्ता होगा। इस मसले को यही रहने दें। क्या आप आगे बढ़कर सेक्शनों का स्पष्ट उल्लेख कर इस बात पर रगड़ा करेंगे? इससे यही जाहिर होगा कि हम उस दल की गैरहाजिरी में सेक्शनस का स्पष्ट उल्लेख करके उनके लिए यह लाजमी कर देना चाहते हैं कि एसेम्बली द्वारा बनाये नियम सेक्शनों पर लागू होंगे? इस तरह का रगड़ा बिलकुल अनावश्यक हैं, क्योंकि कानूनी रूप से एसेम्बली के नियमों में सेक्शनों के नियम भी शामिल हैं। यह याद रखें कि इस दल के लोग आज मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा वे आपकी कार्रवाई को सन्देह और ईर्ष्या से देख रहे हैं। वे इस ताक में हैं कि कहीं आप उनके हाथ से कुछ छीन तो नहीं रहे हैं, उनके यहां आने के

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

पहले ही आखिरी फैसला तो नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या इस बात में बाधा न पड़ेगी कि वे यहां मैत्री और विश्वास के वातावरण में आवें? इसलिए मेरा सुझाव है कि बजाय 'सेक्शनों और समितियों' का स्पष्ट उल्लेख करने के आचार्य कृपलानी के असली प्रस्ताव को ज्यों का त्यों मंजूर कर लिया जाये।

***श्री देवीप्रसाद खेतान** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने की मेरी इच्छा न थी, पर संशोधन के सिलसिले में श्री मुंशी ने कहा है कि इसमें ''इसके'' जोड़ दिया जाये, इस बात को तथा आदरणीय मित्र डॉ. जयकर के भाषण को मद्देनजर रख मुझे चंद शब्द कहने की इच्छा हुई। पहले मैं श्री मुंशी के इस सुझाव पर कि संशोधन में 'इसके' जोड़ा जाये विचार करूंगा। आशा है, संशोधन को रखने वाले माननीय सदस्य डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस सुझाव को स्वीकार न करेंगे। प्रस्ताव में 'इसके' के जोड़े जाने से एक ऐसा अर्थ निकलने लगेगा जो न तो आचार्य कृपलानी का ही अभिप्राय है और न डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी का। इससे यह अर्थ लग सकता है कि 'इसके' शब्द से केवल एसेम्बली द्वारा नियुक्त समिति का ही मतलब है न कि सेक्शनों द्वारा नियत समितियों का। अत: सभापति जी, मेरा सुझाव है कि डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी द्वारा उपस्थित ''सभा, सेक्शन और समितियों सहित'' के संशोधन को सभा मंजूर करे।

डॉ. जयकर द्वारा व्यक्त आशंका के संबंध में मैं यही कहूंगा, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी ने समझाया है कि यह परिषद् एक ऐसी संस्था है, जिसे न सिर्फ यूनियन कान्स्टीट्यूऐंट एसेम्बली के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बल्कि इसके द्वारा निर्मित सभी समितियों तथा सेक्शनों के कार्य संचालनार्थ नियम बनाने का भी अधिकार है। मुझे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि चाहे किसी दल के लोग यहां उपस्थित हों या नहीं, इस सभा को अपना सारा काम करते जाना है। यह दल इसमें शामिल होने का फैसला करता है या नहीं, इस प्रश्न की अपेक्षा न कर हमें अपना काम करना है। और मुझे अवश्य ही इस बात की आशा है कि ज्यो-ज्यों समय बीतता है, यह दल इस बात को आवश्यक या ठीक समझेगा कि उसे इस सभा में शामिल होकर एवं देश का विधान कैसा बने, इसमें हमें परामर्श देकर समस्त देश के हितों की सेवा करनी चाहिए। मैं अपना विचार फिर दुहराता हूं कि जब तक यह दल शामिल

नहीं है, हमें सारे मुल्क के हितों को ध्यान में रख अपना काम करते जाना है। अतः मुझे आशा है कि आप कोई भय न अनुभव करेंगे और न प्रकट करेंगे और पेचीदगी से बचने के लिए प्रस्ताव में ''सेक्शन्स और समितियां'' हम जोड़ लेंगे। आशा है समूची सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

***श्री एस.एच. प्रेटर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, डॉ. एम.आर. जयकर ने जो कुछ भी कहा है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह सभा कार्य संचालन के लिए जनरल रूल तो बनावे पर इस जगह सेक्शनों के नियमों में न हस्तक्षेप करे न उन्हें बनावे ही। ऐसा करने का क्या अर्थ होगा, इसे डॉ. जयकर ने बताया है और उनकी बात मानना अच्छी राजनीति होगी। यह काम तो हम सब करना ही चाहते हैं, पर इस समय नहीं। इसलिए आचार्य कृपलानी के असली प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

***श्री शरतचन्द्र बोस** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, मेरा ख्याल है कि यदि डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी का सुझाव जिसका डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने समर्थन किया है, प्रस्ताव में शामिल कर दिया जाये तो इससे बात और साफ हो जायेगी।

***एक सदस्य:** क्या ये शब्द ''इसके सेक्शनों और समितियों सहित''?

***एक अन्य सदस्य:** 'इसके' नहीं।

***श्री शरतचन्द्र बोस:** 'इसके' शब्द से कोई अच्छाई नहीं आती। मैं पूर्ण सहमत हूं यदि ''सेक्शनों और समितियों सहित'' प्रस्ताव में जोड़ दिया जाये। प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा है कि उनका यही अभिप्राय है कि एसेम्बली के कार्य संचालक नियम सेक्शनों और समितियों पर भी लागू होंगे। पर चूंकि सभा के कई सदस्यों ने इस बात पर पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है कि आया ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं, मैं समझता हूं कि यदि ये शब्द शामिल कर लिए जायें तो इससे भविष्य के सारे झगड़े तय हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान डॉ. जयकर के कथन की ओर ले जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि अगर एसेम्बली ने ऐसे नियम बनाये जो इसके कार्य संचालन के साथ ही सेक्शनों और समितियों की भी कार्य-पद्धति पर लागू हों, तो इसमें भविष्य में कोई विवाद खड़ा होगा। बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि इससे बहुतेरे झगड़े पहले ही से सुलझ

[श्री शरतचन्द्र बोस]

जायेंगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता कि अगर हम यही समझते हैं कि आगे इस एसेम्बली और सेक्शनों में विवाद उत्पन्न होगा तो बेहतर है कि ''सेक्शनों और समितियों'' जोड़ कर हम झगड़े को यही दफना दें।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं कि इस प्रसंग पर हम काफी लम्बी बहस कर चुके।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): सभापति जी, मुझे एक सुझाव देना है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आशा है कि माननीय सदस्य का सुझाव एक लम्बे भाषण के साथ न होगा।

***माननीय श्री बी.जी. खेर:** मैं भाषण देने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं हूं। इस सभा के दिमाग में या बाहरी दुनिया के दिमाग में हमें जरा भी इस बात का शक न रहने देना चाहिए कि यह सभा जहां तक इसके सेक्शनों और उनकी कार्य-पद्धति का सम्बन्ध है, अधिकार सम्पन्न है। इस बहस और व्यक्त की हुई आशंकाओं के बाद ''सेक्शनों और समितियों'' को न जोड़ना राजनीतिज्ञता के प्रतिकूल होगा। हमें आज इस बात का निश्चय नहीं है कि आया सेक्शन शामिल होंगे या अलग रहेंगे। इस स्थिति से निकलने का यही अच्छा उपाय होगा कि ''सम्मिलित करने के अधिकार के साथ'' इतना और जोड़ दें ताकि जब दूसरे लोग आयें और ये नियम उन्हें नामंजूर हों, या इनमें कोई संशोधन आवश्यक हो जाये अथवा कोई सुझाव पेश हो जाये, तो उन्हें संशोधित करना सम्भव रहे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो समिति हम बनाने जा रहे हैं उसे और सदस्य सम्मिलित करने का अधिकार दे दें, ताकि वे समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन का सुझाव दे सकें जो बाद में इस सभा द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित हो। अत: मेरी समझ में फिलहाल डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के संशोधन को ''सम्मिलित करने के अधिकार के साथ'' इतना जोड़कर हमें प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए। यदि ऐसा किया गया, तो मैं समझता हूं कि परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं को हम और अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे।

***श्री जयरामदास दौलतराम** (सिंध : जनरल): मैं वाद-विवाद की वर्तमान हालत में सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो कुछ कहना है बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरी राय में हर आदमी को इस पर दृढ़ रहना चाहिए कि यह विधान-

परिषद् सर्वसत्ता-सम्पन्न है। मैं नहीं समझता कि यह बुद्धिमानी की बात होगी कि हम सिर्फ ''एसेम्बली'' शब्द ही रखें और इस बात को भाष्य के लिए छोड़ें कि सेक्शनों और समितियों को भी शामिल करने का हमारा अभिप्राय था। 'अभिप्राय' और 'भाष्य' ये दोनों ही, जैसा अनुभवों ने बताया है, खतरनाक हैं। हमें हर बात को जहां तक हो सके साफ कर देना चाहिए। साथ ही अपने अनुपस्थित मित्रों के बाद में शामिल होने की सम्भावना का भी हमें ख्याल रखना है, ताकि अगर वह हालत आई तो हम उसका भी उचित बन्दोबस्त कर लें। अतः मेरे मित्र खेर के कथन का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही मेरी राय में 'सहित' (including) शब्द अनुपयुक्त है। अगर प्रस्ताव का मौलिक रूप ही रखा जाता है, तो 'सहित' शब्द में जो थोड़ा रगड़ा है वह भी खुद-ब-खुद दूर हो जाता है। इसके अलावा हमें सभी नियम एक साथ तो बनाने नहीं हैं। सम्भव है, सेक्शनों के सम्बन्ध में आगे चलकर नियम बनाने हों या हम अभी ही नियम बना दें, पर यह समझ कर कि यदि कोई संशोधन या परिवर्तन जरूरी हुए तो प्रोसीज्योर कमेटी उन्हें ठीक कर लेगी। यदि इसे और सदस्य शरीक करने का अधिकार मिल जाये तो सारी कठिनाइयां और आने वाली उलझनों से बचाव का रास्ता पहले से ही निकल आयेगा।

आचार्य जे.बी. कृपलानी: इस समिति की कार्यसीमा तथा यह कितने दिनों तक रहेगी, इस सम्बन्ध में सदस्यों में कुछ गलतफहमियां हैं। जैसा कि प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने कहा था, जिन नियमों को बनाने की जरूरत है, वे यहां के वर्तमान कार्यों के संचालन के लिए होंगे। हमारे पास कोई भी कायदे नहीं हैं और हम नये सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था कि नियम उसी तरह के होंगे, जिनसे अमुमन सभाओं का कार्य संचालन होता है। इस सम्बन्ध से मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि सेक्शनों और समितियों को स्वयं और नियम बनाने होंगे। वे उपनियम (बाई-रूल्स) या इसी तरह और कुछ कहे जा सकते हैं। यह समिति विस्तृत नियम न बनायेगी। जहां तक शरीक करने (कोआप्शन) का सवाल है, वह अभी नहीं उठता। यह समिति स्थायी नहीं होगी। सभा का कोई भी वर्ग आज अनुपस्थित है, यदि बाद में शामिल होने का फैसला करता है और उसे इन नियमों पर कोई आपत्ति है, तो यह सभा आज्ञा दे सकती है कि उन्हें दुहरा कर फिर ठीक किया जाये। इसलिए शरीक करने (कोआप्शन) का सवाल भी नहीं उठता। मेरी समझ में यह गलत तरीका है कि कोई भी कमेटी

[आचार्य जे.बी. कृपलानी]

एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति द्वारा बनाई जाये और फिर उसे शामिल करने का अधिकार दिया जाये। सभापति जी, मुझे नहीं मालूम कि आपने इस संशोधन को पेश करने की इजाजत दी है या नहीं कि 10 सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायें और बाकी 5 अल्पसंख्यकों से लेकर शामिल किये जायें। हमने तो यह व्यवस्था कर ही दी है कि इस समिति के सदस्य एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति से चुने जायें। इस व्यवस्था से सभी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो जायेगा। यह अच्छा नहीं कि अल्पसंख्यक दस सदस्यों की एक समिति द्वारा नियुक्त किये जाये। इसलिए सभापति जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, अगर आपने इसे रखने की इजाजत दी है। प्रस्ताव में ''सेक्शनों और समितियों सहित'' को जोड़ने की बात को मैं मंजूर करता हूं, चूंकि इसके पक्ष में एक बड़ा बहुमत है। *(हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आचार्य कृपलानी ने एक प्रस्ताव पेश किया था। डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी ने उस पर एक संशोधन पेश किया। उस पर एक लम्बी बहस हुई है और सवाल के सारे पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला जा चुका है। उत्तर में आचार्य कृपलानी ने यह घोषित किया है कि वे डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी के संशोधन को मंजूर करते हैं। अब मैं इस पर सभा का मत लेता हूं।

***सरदार उज्जल सिंह** (पंजाब : सिख): उस संशोधन का क्या हुआ, जिसमें सभापति द्वारा मनोनीत करने तथा मेम्बरों द्वारा शामिल करने की बात थी?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): वह पेश नहीं हुआ था और इस समय मैं किसी भी संशोधन को रखने की इजाजत न दूंगा, जिसका मजमून मेरे सामने नहीं है।

इस सभा के सामने यह संशोधन है कि भाग (क) में 'एसेम्बली' शब्द के बाद ''सेक्शनों और समितियों सहित'' जोड़ दिया जाये।

संशोधन मंजूर हुआ।

***सरदार उज्जल सिंह:** सभापति जी, मैं यह संशोधन रखता हूं कि–

''दूसरी पंक्ति में '15 अन्य सदस्य' शब्द के बाद 'जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार है' जोड़ दिया जाये।''

इस संशोधन को रखने में मेरा उद्देश्य यह है–आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति

में सम्भव है, कुछ आवश्यक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व न मिले। आचार्य कृपलानी ने कृपा कर इस बात का जिक्र किया था कि सभी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कर दी गयी है। पर शायद वह इस बात को भूल गये कि 212 सदस्यों की सभा को 15 व्यक्ति चुनना है और यदि सभा में कोई दल सिर्फ 4 या 5 सदस्यों का ही है, तो सम्भव है उसे प्रतिनिधित्व मिले ही नहीं। हो सकता है उस दल के सदस्य को आवश्यक मत न मिले और कमेटी में स्थान पाना उसके लिए सम्भव न हो। उस लघु अल्पमत को प्रतिनिधित्व देने का एकमात्र रास्ता है, सभापति द्वारा मनोनीत करने की या शामिल करने की व्यवस्था। उसी बात को दृष्टि में रखकर मैं यह संशोधन पेश करता हूं। मैं तो समझता हूं कि यह उपयुक्त होगा कि इस प्रश्न को हम सभापति पर छोड़ दें कि जिस दल को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसके सदस्य कमेटी में कैसे लिए जायें। इससे सभापति के अधिकारों में वृद्धि होगी। पर यदि यह सम्भव नहीं है या सभा को ग्राह्य नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि यह अधिकार खुद कमेटी को दे दिया जाये। बहुत-सी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व न पाए हुए हितों को प्रतिनिधित्व देने की ऐसी व्यवस्था है। इन चंद शब्दों में मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): संशोधन यह है कि दूसरी पंक्ति में "मेम्बर्स" शब्द के बाद "जिन्हें कोआप्ट करने का अधिकार है" जोड़ दिया जाये।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): सभापति जी, मेरा सुझाव है कि यदि जरूरत हो तो हम इतना और जोड़ दें "पांच से अधिक नहीं"।

***सरदार उज्जल सिंह:** इस संशोधन को मैं मंजूर करता हूं।

***श्री एस.एच. प्रेटर:** मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री मोहनलाल सक्सेना ने एक संशोधन का नोटिस दिया है। वह कृपया संक्षेप में इसे पेश करें।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि पैरा 4 में।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): किस पैरे से जनाब का मतलब है?

श्री मोहनलाल सक्सेना: मैं चाहता हूं कि पैरा नं. 4 में चेयरमैन के बाद

[श्री मोहनलाल सक्सेना]

ये शब्द जोड़े जायें। ''सदस्यों को।''

मौजूदा तजबीज यह है कि अगर जो लोग नामजद किये गये हैं, उनकी तादाद चुने जाने वाली जगहों से कम हो तो नामजदगी के लिए दूसरा मौका देना होगा और उस समय तक ऐसा करते रहना होगा, जब तक नामजद किये जाने वालों की तादाद खाली जगहों के बराबर या उससे ज्यादा न हो जाये। आमतौर से यह कायदा होता है कि अगर नामजद किये आदमियों की तादाद कम होती है, तो ऐसे जितने लोग नामजद किये जाते हैं वह चुन लिए जाते हैं और बाकी जगहों के लिए दोबारा कार्रवाई की जाती है। मेरे संशोधन का भी यही मतलब है। मैं समझता हूं सभा इस संशोधन को मंजूर करेगी। आचार्य कृपलानी ने भी इसे मंजूर कर लिया है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री मोहनलाल सक्सेना का संशोधन यह है कि सूची के पैरा नं. 4 में 'चेयरमैन' के बाद इतना और जोड़ दिया जाये ''ऐसे नामजद किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए''।

कोई इसका समर्थन कर रहा है?

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): सभापति जी, मैंने आखिरी पैरा नहीं सुना।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपने आखिरी हिस्सा नहीं सुना? सर बी.एन. राव कृपया पढ़कर सुना दें।

***सर बी.एन. राव** (वैधानिक सलाहकार): सूची के पैरा नं. 4 में 'चेयरमैन' के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें ''ऐसे नामजद किये हुए सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए।'' सभापति जी यदि आपकी इच्छा है कि मैं संशोधित पैराग्राफ पढ़कर सुना दूं, तो मैं खुशी से वैसा कर दूंगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): हां, सर नरसिंह पढ़कर सुना दीजिए।

***सर बी.एन. राव:** संशोधित पैराग्राफ यों है, ''यदि नामजद सदस्यों की संख्या उन जगहों से कम है जिन्हें भरना है, तो सभापति ऐसे नामजद किये सदस्यों को चुना हुआ घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए और अवधि निर्धारित करेंगे, जिसके अन्दर उक्त सूचना दी जा सकती है। और इसके बाद भी जब तक जगहों

की संख्या के बराबर सदस्य नामजद नहीं हो जाते, सभापति इसके लिए और अवधि बढ़ा सकते हैं।''

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी:** सभापति जी, एक जानकारी चाहता हूं। मेरे एक सिख मित्र द्वारा उपस्थित संशोधन का क्या हुआ?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): वह तो पास हो गया।

***एक सदस्य:** 'पांच से अधिक सदस्य न कोआप्ट किए जायें' क्या यह संशोधन पास हो गया?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** इसके सम्बन्ध में मुझसे राय ही नहीं ली गयी कि आया मैं इसे मंजूर करता हूं या नहीं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपके प्रस्ताव पर आये हुए संशोधन के बारे में आपकी राय नहीं ली गयी?

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** मुझे मालूम ही नहीं कि संशोधन सभा के सामने आया है। यह पेश किया गया था और इसका समर्थन भी हुआ था, पर सभा ने इसे पास नहीं किया।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा की राय पक्ष में मालूम पड़ी और इस तरह वह पास हो गया।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी:** यह भी नहीं हुआ था *(लोग बीच में बोलने लगे)।*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर। संशोधन मंजूर किया गया था।

***डॉ. पी.सी. घोष** (बंगाल : जनरल): सभा की राय उस पर नहीं ली गयी थी। सभापति के आसन से आपने सिर्फ कह दिया था कि वह मंजूर हो गया।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा का काम कुछ तेजी से चलाना होगा। यदि माननीय सदस्य सावधान नहीं थे, तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं।

मैं मोहनलाल सक्सेना के संशोधन को पढ़ कर सुनाता हूं। आशा है सभा पुन: मुझ पर इल्जाम न लगायेगी कि मैं सभा का काम शीघ्रता से निपटाता जा रहा हूं।

[सभापति]

मैंने उसे एक बार सुना दिया था और सर बी.एन. राव ने इसे पुनः पढ़ दिया। यदि सभा चाहती है तो मैं इसे फिर पढ़ दूंगा। सूची के पैरा नं. 4 में 'चेयरमैन' शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें *(बाधा)*।

मैं नहीं चाहता कि जब मैं सभा के सामने बोलता रहूं, तो मुझे बीच में टोका जाये। संशोधन है ''सभापति ऐसे नामजद किये सदस्यों को नियमानुसार निर्वाचित घोषित करेंगे और बाकी जगहों के लिए।'' चाहे इसका जो अर्थ हो, संशोधन यही है। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति दें। मिस्टर आयंगर, कृपया गिन तो लीजिए।

*__माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः__ सभापति जी, जब तक कोई विरोध न हो इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं।

*__श्री एच.वी.आर. आयंगर__ (सेक्रेटरी, विधान-परिषद्) : 50 पक्ष में।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): विपक्ष में कितने हैं?

*__श्री एच.वी.आर. आयंगर__ (सेक्रेटरी, विधान-परिषद्): एक।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): 50 पक्ष में और एक विपक्ष में, इसलिए यह पास हुआ–संशोधन मंजूर हो गया।

*__श्री एच.वी. कामतः__ मैंने एक जुबानी संशोधन रखा था। क्या मैं बोलने के लिए खड़ा हो सकता हूं?

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आपके जुबानी संशोधन औरों के बाजाब्ता आए हुए संशोधन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप यह चाहते हैं कि भाग 1 (सी) में ''नियुक्ति'' के बाद ''कार्यों'' जोड़ दिया जाये। फिर वह भाग यों होगा:–

> ''(ग)सभा के कार्य का संगठन जिसमें नियुक्तियां, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।''

धारा (घ) में भी 'पूर्ति' शब्द के बाद 'में' जोड़ा जाये। आइये, प्रायः अपने संक्षिप्त भाषणों से आप अपनी बात मनवा लेने में सफल हो जाते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** सभापति जी, मैं चाहता हूं कि धारा (ग) में 'नियुक्तियां' शब्द के बाद, 'कर्तव्य' भी जोड़ दिया जाये वह और धारा यों हो:–

> ''जिसमें नियुक्तियां, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।''

दूसरा संशोधन जो मैं रखना चाहता हूं, वह है धारा (घ) में। सभापति जी, प्रस्तावक महोदय से ससम्मान मैं निवेदन करूंगा कि 'पूर्ति में' (filling in) यह मुहाविरा अधिक शुद्ध है और इसलिए यही प्रस्ताव प्रयुक्त हो।

***एक सदस्यः** मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री कामठ के संशोधन का, जिसे एक बार मैंने पढ़ा और फिर उन्होंने भी पढ़ा, समर्थन हो चुका है। क्या इस पर कोई जबरदस्त विरोध है?

***श्री के.एम. मुंशीः** हम लोगों ने नहीं सुना।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं काफी ऊंचा बोलता हूं। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर पढ़ देता हूं।

***दीवान चमनलाल** (पंजाब : जनरल): मैं ''filling in'' इस मुहाविरे के प्रयोग का विरोध करता हूं। न तो यह शुद्ध है और न सभाओं के कार्य संचालनादि के नियमों में प्रयुक्त ही होता है। प्रस्ताव में जो मुहाविरा है वह बिलकुल सही है और माननीय मित्र का यह संशोधन कि 'नियुक्ति' के बाद 'कर्तव्य' भी जोड़ दिया जाये, ठीक है। इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, यद्यपि यह स्पष्ट है कि 'पदाधिकारियों के अधिकार' में उनका कर्तव्य भी शामिल है। यदि अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह जोड़ा जा रहा है तो इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। पर असली प्रस्ताव में दिये हुए मुहाविरे के प्रयोग पर जो आपत्ति उठाई गयी है, वह नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम लोग यहां व्याकरण और मुहाविरों पर बहस कर सकते हैं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं समझता हूं कि मिस्टर मुंशी चाहते हैं कि संशोधन फिर पढ़ा जाये।

नियम 1 के धारा (ग) में 'नियुक्ति' शब्द के बाद 'कर्तव्य' जोड़ दिया जाये, ताकि वह धारा यों पढ़ी जाये ''नियुक्ति, कर्तव्य तथा सभापति के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के अधिकार'' 'कर्तव्य' शब्द जोड़ने के लिए ही यह संशोधन रखा

[सभापति]

गया है। यदि सभा का रुख समझने में मैं भूल नहीं कर रहा हूं, तो सभा इस संशोधन को मंजूर करने के पक्ष में है मैं उसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

श्री कामठ का एक दूसरा संशोधन है धारा (घ) में, मुहाविरा के संबंध में।

***कई सदस्यः** नहीं, नहीं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): सभा का रुख इसके विरुद्ध मालूम पड़ता है; यह नहीं मंजूर हुआ। कोई और संशोधन है?

***श्री एच.जी. खांडेकर** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): धारा 7 में 'ही' शब्द के बाद 'शी' शब्द भी जोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभा में महिला सदस्य भी हैं और यहां उनका जिक्र नहीं है। 'सदस्य' शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि कोई महिला सदस्य नहीं है और इसलिए 'ही' के बाद 'शी' और 'हिज' के बाद 'हर' भी धारा में जोड़ देना चाहिए।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): संशोधन का अभिप्राय यह है कि जहां तक सभा के महिला सदस्यों का सम्बन्ध है, हमें 'शी' शब्द रखकर उनकी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मेरी रूलिंग है कि 'ही' में 'शी' भी शामिल है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** सभापति जी, प्रस्ताव पर समष्टि रूप से मत नहीं लिया गया है।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं यही कहने जा रहा था। सारे संशोधनों पर फैसला हो चुका है। अब मैं लम्बे प्रस्ताव को बिना पुनः पढ़े, राय के लिए आपके सामने रखता हूं। यदि आचार्य कृपलानी चाहते हैं, तो वे इसे पुनः सुना सकते हैं। हमने इन पर अच्छी तरह विचार कर लिया है। तमाम संशोधनों के साथ मैं इसे स्वीकृत घोषित करता हूं।

सभापति तथा समिति के सदस्यों के मनोनीतकरण के संबंध में विज्ञप्ति

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आज मुझे दो ऐलान करने हैं। पहला तो यह कि इस समिति के लिये नामजदगी बुधवार 11 दिसम्बर, 12 बजे दिन

सेक्रेटरी (श्री आयंगर) के कमरे में होगी। सब नामजदगियां कल 12 बजे तक हो जानी चाहिये। चुनाव कल चार बजे अंडर सेक्रेटरी के कमरे में होगा। मुझे नहीं मालूम कि एक काम के लिए सेक्रेटरी का कमरा और दूसरे काम के लिए अंडर सेक्रेटरी का कमरा क्यों रखा गया है। शायद सेक्रेटरी का कमरा ज्यादा बड़ा है। बैलट बॉक्स वहां हैं; मैं उस समय अनुपस्थित रहूंगा। मेरी तरफ से श्री एन्थॉनी उपस्थित रहेंगे।

दूसरी विज्ञप्ति मुझे करनी है स्थायी सभापति के नामजदगी की। स्थायी सभापति के चुनाव के लिए......नामजदगी का समय कल दोपहर 2.30 है और यह होगा सेक्रेटरी के कमरे में। यदि चुनाव की जरूरत पड़ी तो उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। इसके बाद आज का काम समाप्त हुआ। दूसरी पहर अब कोई काम नहीं है।

***श्री शरतचन्द्र बोस** (बंगाल : जनरल): स्थायी सभापति की नामजदगी के लिए प्रस्ताव में यह है कि नामजदगी का परचा आपको या आपके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को देना होगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): नामजदगी का परचा लेने के लिए मैंने सेक्रेटरी श्री आयंगर को नियुक्त किया है।

***बख्शी सर टेकचन्द:** कल दिन को 2.30 तक?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आज अभी एक बजा है और नामजदगी के लिए डेढ़ घंटा और है। नाम वापस लेने का समय आज दो बजे तक है। कल सभा 11 या $11^1/_2$ बजे, जैसा आपको अनुकूल हो समवेत होगी।

***बहुत से सदस्य:** 11 बजे।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): बुधवार ता. 11 दिसम्बर सन् 1946 ई. को 11 बजे तक सभा स्थगित हुई।

इसके बाद सभा बुधवार ता. 11 दिसम्बर सन् 1946 ई. को 11 बजे दिन के लिए स्थगित हो गई।

Con. 3. 1.3.46
1000

अंक 1

संख्या 3

बुधवार,
11 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. विधान-परिषद् को प्राप्त शुभ-कामना के संदेशों का उत्तर 1
2. स्थायी सभापति का निर्वाचन 2
3. स्थायी सभापति को बधाइयां 3
4. कार्य संचालनार्थ नियम-निर्मातृ-समिति का निर्वाचन 33

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 11 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में 11 बजे प्रात: डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा के सभापतित्व में समवेत हुई।

***सभापति:** यदि किसी सदस्य ने अब तक अपना परिचय-पत्र न पेश किया हो और रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किया हो वह इस समय ऐसा कर सकते हैं।

(कोई नहीं)

विधान-परिषद् द्वारा प्राप्त शुभ-कामना के संदेशों का उत्तर

***सभापति:** यद्यपि यह आज के कार्यक्रम में नहीं है, पर मैंने अपने दायित्व पर यही अच्छा समझा कि मैं उस उत्तर को सभा के सामने पेश कर दूं जिसे मैं अमेरीका, प्रजातंत्रीय चीन तथा आस्ट्रेलिया की सरकारों के पास, उनसे प्राप्त शुभ-कामना के उत्तर में उनके दिल्ली स्थित प्रतिनिधि द्वारा भेजने का इरादा करता हूं। अवश्य ही मेरा मसविदा आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

उत्तर यों है:–

> ''आप से प्राप्त सद्भावना एवं शुभ-कामना के कृपापूर्ण सम्वाद को विधान-परिषद् तथा समस्त देश ने सम्मान के साथ स्वीकार किया है। इसके उत्तर में विधान-परिषद् की ओर से, एवं अपनी ओर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारा यह विश्वास कि संयुक्त-राष्ट्र, चीन तथा आस्ट्रेलिया के देशवासी और उनकी हुकूमतें हमारे कार्य को बड़ी सहानुभूति की दृष्टि से देख रही हैं, हमें साहस प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि उनकी सहानुभूति भारतीय विधान-निर्माण में हमारे लिए बड़ी सहायक होगी।''

माननीय सदस्यो यह उत्तर आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है।

(हर्षध्वनि)

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

स्थायी सभापति का निर्वाचन

***सभापतिः** आज के कार्यक्रम का दूसरा विषय है, सभापति का निर्वाचन। मुझे निम्नलिखित नामज़दगी के परचे मिले हैं:

''विधान-परिषद् के सभापति पद के लिए मैं परिषद् के सदस्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित करता हूं। प्रस्तावित सदस्य की स्वीकृति मैंने प्राप्त कर ली है।

प्रस्तावक–जे.बी. कृपलानी

समर्थक–बल्लभभाई पटेल

मनोनीतकरण से मैं सहमत हूं। राजेन्द्र प्रसाद''

यह परचा नियमानुकूल है। दूसरा भी एक परचा है।

''विधान-परिषद् के सभापतित्व के लिए मैं परिषद् के सदस्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैंने पता लगा लिया है कि वह कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं, यदि चुने जायें।

प्रस्तावक–माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब

मैं इसका समर्थन करता हूं–नन्द किशोर दास।''

यह भी परचा नियमानुकूल है।

अन्य दो परचे जो मुझे मिले हैं वे जायज नहीं हैं। उनमें एक जिसे माननीय श्री प्रकाशम् ने दिया है, वह निश्चित अवधि के बाद आया और उसमें किसी समर्थक का नाम भी नहीं है।

इसी तरह एक और परचा सर एस. राधाकृष्णन् से मिला है। यह भी नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि इसका कोई समर्थक नहीं है। इन दोनों में किसी पर भी (एक माननीय श्री प्रकाशम् और दूसरा सर एस. राधाकृष्णन् द्वारा प्राप्त) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की यह स्वीकृति नहीं है कि वे कार्यभार लेने के लिए प्रस्तुत हैं।

अस्तु, चूंकि अन्य दो प्रस्ताव पूर्णतः नियमानुकूल हैं और दूसरा कोई मनोनीतकरण-पत्र मेरे सामने नहीं है, मैं माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को नियमानुसार निर्वाचित स्थायी सभापति घोषित करता हूं। *(हर्षध्वनि)*

अब अस्थायी सभापति के नाते मैं आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब से अनुरोध करूंगा कि वे परिषद् की ओर से उसके नियमानुकूल निर्वाचित सभापति के पास जायें और उन्हें प्लेटफार्म पर लाकर मेरे पास के आसन पर आसीन करें। *(हर्षध्वनि)*

(आचार्य कृपलानी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को ससम्मान सभापति के आसान पर बिठाया)

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।

***माननीय सदस्यगण:** इन्कलाब ज़िन्दाबाद, इन्कलाब ज़िन्दाबाद। जय हिन्द, जय हिन्द।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब जब सभा के स्थायी सभापति ने अपना आसन ग्रहण किया है, सदस्यों को हक है कि वे उनका अभिनन्दन करें इसके लिए सर्वप्रथम मैं सर एस. राधाकृष्णन् को आमन्त्रित करता हूं।

स्थायी सभापति को बधाइयां

***सर एस. राधाकृष्णन:** आदरणीय सभापति महोदय, मैं इसे अपना महान सम्मान समझता हूं कि परिषद् के स्थायी सभापति के निर्वाचनोपरान्त मैं यहां पहला वक्ता बन रहा हूं। मैं सभा की ओर से इस अतुलनीय सम्मान प्राप्ति पर स्थायी सभापति महोदय का सादर अभिनन्दन करता हूं।

यह परिषद् यहां समवेत हुई है विधान बनाने के लिए, ब्रिटेन के राजनैतिक, आर्थिक तथा सामरिक नियंत्रण की वापसी को कार्यान्वित करने के लिए एवं स्वतंत्र भारत की राज्य स्थापना के लिए। यदि हम सफल हुये, तो सत्ता हस्तान्तरित करने का यह काम मानव इतिहास में जितने भी ऐसे कार्य हुये हैं, उनमें सर्वाधिक महान और रक्तपात-शून्य होगा। *(हर्षध्वनि)*

सबसे पहला अंग्रेज जो भारत में सन् 1579 में आया, वह था एक ईसाई धर्मप्रचारक। उसके बाद व्यापारी आये, जो आये तो थे व्यापार करने पर शासन करने के लिए यहां जम गये। सन् 1765 में राज्य सत्ता ईस्ट इंडिया कम्पनी को हस्तान्तरित हुई। बाद में धीरे-धीरे कम्पनी का शासन पार्लियामेंट के आधीन होता गया और फिर पार्लियामेंट ने शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया। तब से पार्लियामेंट ही यहां शासन कर रही है और यह शासन चल रहा है–"विश्व प्रेम एवं मुनाफा" के प्रसिद्ध सिद्धांत पर जो साम्राज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है जिसे

[सर एस. राधाकृष्णन]

श्री सेसिल रोड्स ने निकाला था। परन्तु ब्रिटिश-शासन के विरुद्ध यहां हमेशा ही आवाज उठती रही। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना से उन समस्त विरोधों का प्रवाह एक धारा में बहने लगा। महात्मा गांधी के आगमन तक महासभा नम्र उपायों से काम लेती रही, पर बाद में यह उग्र और तीव्रगामी हो गई। सन् 1930 में लाहौर में भारतीय स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ और आज हम उसी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए यहां समवेत हुये हैं। अंग्रेज जाति अथ से इति पर्यन्त अनुभवगामी है। लार्ड पामर्स्टन ने कहा था–''हम अंग्रेजों का कोई नित्य सनातन सिद्धांत नहीं है, हमारे लिए हित ही सनातन एवं नित्य है।'' अंग्रेज जब कोई विशेष पथ अपनाते हैं, तो आप इसे सत्य समझें, वे सत्ता को बाध्य हो समर्पित करने की भावना से ऐसा नहीं करते, प्रत्युत स्थिति की गम्भीरता एवं ऐतिहासिक आवश्यकता के उत्तर स्वरूप ही ऐसा पथ ग्रहण करते हैं। अब असंतोष उग्र हुआ तो उन्होंने हमें मोर्ले-मिन्टो सुधार दिया और साम्प्रदायिक निर्वाचन की पद्धति प्रारम्भ की। यह पद्धति जनता को परस्पर पृथक् रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। ब्रिटेन के उच्च मस्तिष्कों ने—विवेकी विद्वानों ने—यहां के अधिकारियों को यह परामर्श दिया था कि यदि साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघ की पद्धति को उन्होंने चतुराई से यहां चालू कर दिया, तो वे उस धरोहर के प्रति विश्वासघात करेंगे जो उन्हें सौंपी गई है। इससे वे यहां के राजनैतिक समुदाय में एक ऐसा घातक विष प्रविष्ट करा देंगे, जिसका निकालना बहुत ही कठिन होगा और यदि हम उसे निकाल भी सके, तो गृह-युद्ध, रूपी मूल्य चुका कर ही यह कर सकेंगे। हम देख रहे हैं कि ये पूर्वज्ञान या आशंकाएं आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। इसके बाद क्रमश: हमें मांग्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार, सन् 1935 का एक्ट, क्रिप्स-प्रस्ताव मिले और आज मंत्रिमंडल की योजना मिली। इस विषय पर सम्राट की सरकार का हाल का वक्तव्य यह प्रकट करता है कि अधिकार का सहज आत्म-समर्पण मानव-स्वभाव के लिए मुश्किल है। *(हर्षध्वनि)* एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा देना महती जाति की मर्यादा के प्रतिकूल है। यह तो चालाकी की अति है और टिक नहीं सकती। यह ग्रेट ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्ध को बड़ा अप्रिय बना देगी। *(प्रशंसासूचक ध्वनि)* ब्रिटेन को यह जानना नितान्त आवश्यक है कि अगर कोई काम करना है, तो उसे यथासम्भव सुन्दरता से पूरा

करना चाहिए। फिर भी हम सब यहां समवेत हुए हैं, भावी भारत का विधान बनाने के लिए। विधान राष्ट्र के मौलिक नियम हैं। इसमें जाति की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और कल्पनाओं का वास्तविक चित्र आना चाहिए। यह समस्त देश की स्वीकृति से ही निर्मित होना चाहिए और इस महान देश में बसने वाले सभी समुदायों के अधिकारों का इसे सम्मान करना होगा।

हम एक-दूसरे से अलग रखे गये हैं। अब हमारा यह कर्तव्य है कि एक-दूसरे को अपनायें। विधान-परिषद् से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि अनुपस्थित हैं, इसका हम सभी को दु:ख है। कल और परसों वक्ताओं ने इस पर दु:ख प्रकट किया है। हम तो यही मानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति क्षणिक होगी, क्योंकि हम जो भी विधान यहां बनायें उसकी सफलता के लिए उनका सहयोग नितान्त आवश्यक है। समस्याओं के समाधान के लिए हमें वास्तविकता की ओर दृष्टि रखनी होगी। इन समस्याओं को ही लीजिए—हमारी क्षुधा, पीड़ा, गरीबी, बीमारी और अपर्याप्त पोषण—ये सब के लिए समान हैं। इन मनोवैज्ञानिक बुराइयों को लीजिए—प्रतिष्ठाभावना का अभाव, मानसिक गुलामी, सद्बुद्धि का बिलकुल नष्ट हो जाना, पराधीनता की शृंखला—ये हिन्दू और मुसलमान, राजा और रंक सब को समान रूप से कष्टप्रद हैं। हो सकता है दासता की यह शृंखला सोने की हो, पर है तो शृंखला ही, जो हमें बांधे है। देशी रजवाड़ों को भी यह समझना होगा कि वे इस देश में पराधीन हैं, गुलाम हैं। *(हर्षध्वनि)* यदि उनमें आत्मसम्मान की किंचित् मात्र भी भावना है और वे अपनी स्थिति का विश्लेषण करें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि उनकी स्वतंत्रता कितनी सीमाबद्ध है।

और फिर जाति चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, है तो इसी एक देश की। जमीन और आसमान ने मिलकर उन्हें एक दूसरे का बना दिया है। यदि वे इस सत्य को अस्वीकार करने की चेष्टा करेंगे तो उनका रहन-सहन, उनकी आकृति, उनकी विचार-पद्धति, उनकी व्यवहार-पद्धति ये सब उनकी इस कुचेष्टा को व्यर्थ कर देंगी। *(प्रशंसासूचक ध्वनि)* हमारी राष्ट्रीयता पृथक् है, ऐसा सोचना हमारे लिए असम्भव है। हमारी वंश परम्परा-पूर्व पुरुषों की परम्परा–प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है। जो भी विधान बने उसमें यह बात तो होनी ही चाहिए कि सभी नागरिक यह अनुभव करें कि उनके आधारभूत अधिकार—शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक और आर्थिक—उन्हें प्राप्त होंगे; उनको सांस्कृतिक स्वतंत्रता रहेगी;

[सर एस. राधाकृष्णन्]

किसी को दबाया न जायेगा; वह विधान सही-सही मानी में गणतांत्रिक होगा, जिसकी छत्रछाया में हम राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता एव समानता प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति को इस गौरव का ज्ञान होना चाहिए कि वह इस महान राष्ट्र का नागरिक है।

इसके अलावा जाति-सादृश्य, भाव-सादृश्य या पूर्वजों की यादगार पर राष्ट्रीयता नहीं निर्भर करती; यह तो निर्भर करती है उस जीवन-पद्धति पर, जिसे हम चिरकाल से बरतते चले आ रहे हैं। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की भूमि की निजी वस्तु है। यह जीवन-पद्धति तो इस देश की निजी वस्तु है उसी तरह, जिस तरह गंगा का जल या हिमालय का बर्फ इसमें हैं। हमारी सभ्यता की तह में, सिन्धु नदी के मैदान में इसकी समुत्पत्ति काल से आज पर्यन्त एक ही संस्कृति है, जो हम—हिन्दू और मुसलमान—दोनों में ही व्याप्त है; इस दीर्घकाल में हम लोगों ने बुद्धिवाद तथा परोपकार का आदर्श सामने रखा है।

मुझे स्मरण होता है कि पहली मई सन् 1890 को किस तरह फ्रांस का परम प्रसिद्ध लेखक अनातोले फ्रांस, पेरिस के प्रख्यात म्युजियम गुमेट में गया और वहां एशियाई देवताओं की प्रशांत मधुर प्रतिमाओं के बीच बैठ ध्यान मग्न हो जीवन के उद्देश्य पर, उसकी वास्तविकता पर और उस सार का महात्म्य पर विचार करने लगा, जिसे जनता और सरकारें आज तलाश रही हैं। उसकी दृष्टि भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ी। चिर-युवा भगवान बुद्ध संन्यासी वेश में पद्मासन पर समासीन हो, दो अंगुलियां उठाये मीठी झिड़की से मानवता को समझा रहे थे कि वह ज्ञान एवं परोपकार, बुद्धि एवं प्रेम, प्राण और करुणा की वृद्धि करे। अनातोले के जी में आया कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे झुककर प्रार्थना करे, जैसे भगवान से की जाती है। अगर आप में ज्ञान है, करुणा है, तो आप विश्व की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे। उनके महान शिष्य अशोक ने अपने राज्य को भिन्न-भिन्न धर्म और जाति के लोगों से बसा हुआ पाया, तो उसने यह आदेश दिया, समवाय एव साधु। ''संयोग ही सर्वश्रेष्ठ है,'' अर्थात् एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है।

भारत एक स्वर-लहरी के समान है, एक आरकेष्ट्रा के समान है, जिसमें भिन्न-भिन्न वाद्य-यंत्र, भिन्न-भिन्न स्वर, अपनी-अपनी मधुर ध्वनि और मिठास के

साथ एक ही चीज को अदा करते हैं। इसी तरह का सामंजस्य या ऐक्य देश अरसे से चाहता है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं, इसे किसी तरह जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की। पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान जो यहां शरण लेने आए, उनसे इसने यह कभी नहीं कहा कि वे इसका धर्म मान लें या हिन्दुओं में मिल जायें। ''जिओ और दूसरे को जीने दो'' यही हमेशा इस देश की भावना रही है। यदि हम सच्चाई से इस भावना पर स्थिर हैं, यदि हम उस आदर्श पर दृढ़ हैं, जो पांच-छ हजार वर्षों से हमारे संस्कृति में व्याप्त है, तो हमें रंच मात्र भी सन्देह नहीं है कि हम समुपस्थित संकट पर उसी तरह विजय पायेंगे, जिस तरह अपने अतीत-इतिहास के संकटों पर पाये थे।

आत्महत्या सबसे बड़ा पाप हैं आत्मा का हनन करना, आत्म प्रवंचना करना, क्षुद्र भौतिक सुख के लिए अपनी आध्यात्मिक सम्पत्ति दे देना, आत्मा का हनन कर शरीर की रक्षा करना यह महान पातक है। यदि हम उन महान आदर्शों पर स्थिर न रह सके जिन पर यह देश हमेशा दृढ़ रहा है, उन आदर्शों पर जो विदेशी आक्रमणों के निरन्तर आघात पर भी जीवित रहे, जिनकी ओर से आज का असावध ान संसार मुंह फेर चुका है, यदि हम आज दृढ़ कर सके तो वह ज्वाला, जिससे हम विदेशी शासन पर विजय पा सके हैं, हमारे स्वतंत्र और संगठित भारत के निर्माणात्मक प्रयासों को प्रबलतर बनायेगी।

यह केवल संयोग की ही बात नहीं है कि हमारे अस्थायी और स्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दोनों ही बिहार के हैं। दोनों ही 'बिहार' की भावना से—अजेय सौजन्य-से परिपूरित हैं। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं:

मृदुना दारुणंम हन्ति

मृदुना हन्ति अदारुणम्,

नासाध्यं मृदुना किंचित्

तस्मात्तीक्ष्णातरं हि मृदु।

अर्थात्, मृदुता या सुजनता; कठोरतम और कोमलतम दोनों ही पर विजय प्राप्त करती है। सौजन्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अत: सौजन्य ही तेज से तेज अस्त्र है।

[सर एस. राधाकृष्णन]

मृदुता और सौजन्य ऐसे अमोघ अस्त्र हैं, जिससे भयंकर से भयंकर शत्रु भी पराजित हो जायेगा। हम इसके प्रति सच्चे नहीं रहे। हमने अपने ही लाखों बन्धुओं को ठगा और उनके साथ अन्याय किया। हमारे अतीत के अपराधों के प्रायश्चित का आज समय आया है। यह न्याय और परोपकार की बात नहीं हैं, यह तो हमारे विशुद्ध प्रायश्चित की बात है। मैं तो इसे इसी दृष्टि से देखता हूं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पाकर हम ऐसा व्यक्ति पा गये हैं जो सौजन्य की स्वयं प्रतिमा है। *(हर्षध्वनि)* इनमें असीम धैर्य है, असीम साहस है। इन्होंने घोर कष्ट सहे हैं। यह राष्ट्रीय महासभा का 60वां वर्ष है और आज हम विधान-परिषद् का प्रारम्भ कर रहे हैं। यह केवल संयोग की ही बात नहीं है। कृतज्ञतापूर्वक हमें उन महान विभूतियों को याद करना है, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए आज के स्वर्णिम दिन के लिए प्रयास किया है और कष्ट सहे हैं। हजारों मर गये; हजारों ने कारावास, निर्यातन और यातनायें सहीं। उनकी असीम यातनाओं के बल पर ही भारतीय राष्ट्रीय महासभा रूपी यह विशाल अट्टालिका निर्मित हुई है। *(प्रशंसा-ध्वनि)* हमें उन सभी त्यागियों को याद रखना है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सदा ही देश के, कांग्रेस के कष्ट झेलने वाले सेवक रहे हैं। देश की भावना के आप मूर्तिमान प्रतीक हैं। हमारी तो यही आशा है कि बन्धुत्व और ऐक्य की वह भावना, जो हमारी संस्कृति में भगवान शिव से लेकर महात्मा गांधी और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद तक चली आई है, हमारे प्रयत्नों को प्रेरणा प्रदान करेगी। *(प्रशंसा-ध्वनि)*

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कौन सभापति है?

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मैं सभापति हूं।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को जो सर्वसम्मति से इस परिषद् के स्थायी सभापति चुने गये हैं, मैं भी अपनी क्षुद्र श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूं। मेरे मित्र सर एस. राधाकृष्णन अंग्रेजी भाषा के एक श्रेष्ठ भारतीय वक्ता हैं। उनके लालित्यपूर्ण प्रवाह के बाद मैं कह सकता हूं कि मेरा भाषण आपको नीरस ही लगेगा।

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन उस असीम विश्वास का प्रतीक है जो विधान-परिषद् ही क्या समस्त देश इनमें रखता है। सभापति चुन कर वस्तुत: हम उनका उतना सम्मान नहीं कर रहे हैं, जितना वह हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारा कर रहे हैं। *(हर्षध्वनि)* इसलिए वस्तुत: हमें अपना अभिनन्दन करना है कि उन्होंने विधान-परिषद् के स्थायी सभापति का आसन स्वीकार किया।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी एक दु:सह दायित्व स्वीकार कर रहे हैं। उनका जीवन समर्पण देश सेवा के लिए आत्म-समर्पण का जीवन रहा है। अनुपम त्याग और तपस्या से इनका जीवन पवित्र हो चुका है। मेरे लिए यह अनावश्यक है कि मैं उनके महान पाण्डित्य, गम्भीर विद्वत्ता तथा मनुष्य और स्थिति के विस्तृत ज्ञान पर प्रकाश डालूं। इन गुणों ने ही उन्हें इस महान कार्य के योग्य बनाया है और इसके निर्वाह में उन्हें जिन कठिनाइयों, जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनके समाधान के लिए उन्हें इन गुणों का ही सहारा लेना होगा। गत कई दिनों से ही मैं उनके सम्पर्क में आया हूं और उनसे मेरा साक्षात हुआ है। अब मुझे दुख होता है कि और पहले से तथा अधिक घनिष्टतापूर्वक उन्हें जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं इनके सम्बन्ध में सुन चुका था, पढ़ चुका था; पर गत दिनों के अनंतर जब से साक्षात हुआ है और इन्हें जानने का अवसर मिला है, मैंने यह अनुभव किया है कि अपनी तीव्र बुद्धि और गम्भीर ज्ञान के कारण ही वह देशवासियों का आदर-सम्मान पाते हैं और पाते रहेंगे ही। इनकी सर्वोपरि विशेषता जिसके कारण ये समस्त देशवासियों के बिना सम्प्रदाय, वर्ग भेद के, स्नेह और सम्मान के भाजन हैं और सदा रहेंगे, वह हैं इनके महान मानव गुण—इनका स्वाभाविक सौजन्य, समस्या को समझने की इनकी पद्धति, जो वाद-विवाद में आवेश की ओर प्रावहित होने वाले व्यक्तियों को शांत होने के लिए बाध्य कर देती है और इनके मधुर वचन जो क्रोध को फटकने नहीं देते—ये इतनी बहुमूल्य निधि हैं, जो इनके उस दायित्व को सफल बनाने में बड़ी सहायक होंगी जिसे इन्होंने स्वीकार किया है।

इनके सभापति निर्वाचित हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि विधान-परिषद् ने अपने भाग्य-निर्णायक जीवन का श्री गणेश किया है। यह सभा अपना सारा

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

काम समाप्त करे, इसके पहले निश्चय ही इसके सामने ऐसी कठिनाइयां और जटिल स्थितियां आयेंगी, जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे अतुलगुण-सम्पन्न व्यक्ति की क्षमता को भी क्लान्त कर देंगी। नि:संदेह, हमें पूर्ण विश्वास है कि वे सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। अवश्य ही वे सभा के गौरव और प्रतिष्ठा को स्थिर रखेंगे, सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। पर इनका सब से कठिन काम होगा, उन सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों को परास्त करना, जो इस सभा की सत्ता को कमजोर बनाने के लिए किये जायेंगे। यह अवसर नहीं है कि मैं विस्तारपूर्वक इस बात पर प्रकाश डालूं कि यह सभा उस कार्य के लिए वस्तुत: सर्वसत्ता सम्पन्न है, जिसे इसने पूरा करने का भार लिया है। यह तथ्य कि इसके सदस्यों को वर्तमान भारत सरकार की मशीनरी ने समवेत किया है, इस सभा की सत्ता को लघु नहीं कर सकता। *(हर्षध्वनि)* इस सभा का काम है—जिसे मंत्रिमंडल ने अपने बयान में सुन्दर शब्दों में तो नहीं दिया है—सम्पूर्ण भारत के लिए, जिसमें संघ (यूनियन) ही नहीं बल्कि इकाइयां भी शामिल हैं, विधान बनाना। और यदि यह सभा और इसके अन्य सेक्शन फैसला करें तो गुटबंदी (grouping) हो सकती है।

मंत्रिमंडल के वक्तव्य को मैं इस सभा की रचना विषयक योजना का आधारभूत कानून समझता हूं। इस योजना या संगठन को केवल इस बात से सत्ता नहीं प्राप्त होती है कि इसे सम्राट की सरकार के तीन मंत्रियों ने बनाया है, वरन् इसे सत्ता इसलिए प्राप्त है कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। इस सभा के अधिकारों पर जो भी पाबन्दियां वक्तव्य में हैं, ये स्वकीय हैं जिन्हें हमने स्वयं अपने ऊपर ले लिया है। योजना ने तथा बाद में उसके निर्माताओं की व्याख्याओं ने यह साफ कर दिया है कि इस सभा को विधान में रद्दोबदल करने, योजना की दी हुई व्यवस्था को घटाने या बढ़ाने और यहां तक कि योजना के बुनियादी मामलों में परिवर्तन करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस सभा कार्य संचालन किसी बाहरी शक्ति पर, चाहे वह शासन सम्बन्धी हो, या न्याय सम्बन्धी, स्थिर नहीं है।

सिर्फ एक स्थल पर ही आवश्यक है कि कोई निर्णय करने के पहले सभा के प्रमुख सम्प्रदायों के बहुमत के अनुरोध पर सभापति मामले पर संघ न्यायालय की राय मांगें। उससे यह साफ है कि उस सभा की कार्य-पद्धति पर जो भी

वैधानिक प्रश्न उठेगा, उसका निर्णय स्वयं सभापति करेंगे और वह भी सभा द्वारा प्राप्त आदेशों के आधार पर करेंगे। अन्य मसले फैसला या राय के लिए बाहरी सत्ता के सामने तभी पेश किए जा सकते हैं, जब इस सभा का ऐसा आदेश हो और उसका फैसला स्वीकार करना भी इस सभा के लिए लाजिमी नहीं है, जब तक उसने इस बात को स्वीकार न कर लिया हो। अत: सम्राट की सरकार के हाल के वक्तव्य की यह विचारधारा कि 'कोई भी पक्ष' (यही उनके शब्द हैं) इसके लिए स्वतंत्र है कि वह व्याख्या संबंधी प्रश्न पर बाहरी सत्ता से फैसला मांगे और यह सभा उस फैसले को स्वीकार करे, कभी भी कार्यान्वित नहीं की जा सकती, जब तक यह सभा एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा अधिकार न दे दे। *(हर्षध्वनि)* इस वक्तव्य में दिया हुआ सुझाव, यदि बिना इस सभा के स्वीकारात्मक प्रस्ताव के ही कार्यान्वित किया गया, तो इससे इस सभा की सत्ता पर आघात पहुंचेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ऐसे प्रयास को यथाशक्ति रोकेंगे। *(हर्षध्वनि)*

भाषण समाप्त करने के पहले मैं इस सभा के सर्वसत्ता सम्पन्न होने के प्रश्न के एक पहलू की चर्चा करूंगा। इस सभा के सामने सिर्फ विधान बनाने का ही काम नहीं है, बल्कि इसे यह भी तय करना है कि विधान कार्यान्वित कैसे किया जाये। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि उन लोगों से अधिकार लेना है, जिनके हाथ में आज है। अधिकार या सत्ता किस तरह हस्तान्तरित की जाये इसका निर्णय भी यह सभा ही करेगी। मेरी राय में सम्राट की सरकार के इस दावे से कि सत्ता हस्तान्तरित करने की पद्धति का फैसला वह करेगी, सभा की सत्ता को कम नहीं करता। सत्ता हस्तान्तरित करना इन्होंने मंजूर कर लिया है। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

महोदय, आपको इस सभा का सभापति पाकर हमें अभिमान है और हम आपकी पूर्ण सफलता की कामना करते हैं। *(तुमुल हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): इस सभा के दो बड़े प्रमुख सदस्य महान् दार्शनिक और अध्यापक सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् और परम प्रसिद्ध शासक सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को बधाई देते हुए सभा के समक्ष अपना भाषण दिया है और प्रासंगिक रूप से कतिपय उन प्रश्नों पर भी अपना मत व्यक्त किया है जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्मुख उपस्थित होंगे।

[सभापति]

अब मैं आने वाले वक्ताओं से कहूंगा कि वे संक्षेप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्बन्ध में बोलें, *(हंसी)* और विधान विषयक बातों को छोड़ दें।

अब में श्री एफ. एन्थॉनी को आमंत्रित करूंगा कि वे सभा के समक्ष बोलें।

*__श्री एफ. आर. एन्थॉनी__ (बंगाल : जनरल): अस्थायी सभापति महोदय, चंद मिनट पहले मुझसे यह पूछा गया कि क्या डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बधाई देने में, उनका अभिनन्दन करने में मैं भी शरीक होऊंगा। मैंने हार्दिक प्रसन्नता से यह आमंत्रण स्वीकार किया था।

महोदय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, पर मैं उन्हें जानता हूं और मेरे लिये यह अनावश्यक है कि मैं उनके गुणों और बहुविदित तथा पाण्डित्य-पूर्ण कारनामों की व्याख्या करूं। जिस पद के लिये वह सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, वह न केवल महान और अपूर्व ही है वरन् साथ ही दु:सह भी है। आपका यह सतत कर्तव्य होगा, आपकी यह निरंतर चेष्टा होगी कि देश के भिन्न-भिन्न हितों पर आपकी समदृष्टि रहे। इन विभिन्न हितों ने ही इस देश को विशालता प्रदान की है। आज हमें अपने नेताओं में सर्वाधिक जिन गुणों की आवश्यकता है वे हैं सहिष्णुता, दूरदर्शिता और उदार दृष्टि। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ भी सुना है, उससे मुझे विश्वास है कि आप उन नेताओं में हैं, जिनमें ये गुण प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आज प्रत्येक भारतीय चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो उसकी स्वाभाविक और तीव्र प्रवृति है कि वह अपनी मातृभूमि की महत्ता-वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। *(प्रशंसासूचक ध्वनि)* मुझे इस बात का भी विश्वास है कि भाषा, सम्प्रदाय तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी जितने भी भेद हों—और हमारे भारत जैसे विशाल देश में ये तो अवश्य ही रहेंगे—उदारता तथा व्यापक दृष्टि के गुणों से सुसम्पन्न नेता इन समस्त विभिन्न सम्प्रदायों को मिलाने में, उनकी एक सम्मिलित तीव्र धारा प्रवाहित करने में अवश्य सफल होंगे और यह विशाल धारा अपने पथ पर निर्बाध्य आगे बहती हुई हमारे देश को उसके गन्तव्य-स्थान, उसके अधिकार पूर्ण स्थान पर पहुंचा कर उसे संसार का अग्रणी बना देगी। अन्त में मुझे इस बात का भी विश्वास है कि मैं सभा की ही राय व्यक्त कर रहा हूं,

जब मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद न केवल मर्यादापूर्वक ही बल्कि श्रेष्ठतापूर्वक अपने प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करेंगे। *(हर्षध्वनि)*

***सरदार उज्जल सिंह** (पंजाब : सिख): सभापति महोदय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सर्वसम्मति से परिषद् का सभापति चुने जाने पर सभा एक स्वर से प्रशंसा गान कर रही है और मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं भी इसमें अपना सुर मिला रहा हूं। वस्तुत: मेरा विश्वास है कि इस अपूर्व और ऐतिहासिक सभा के सभापति के लिए इससे अधिक उपयुक्त और सुन्दर चुनाव हो नहीं सकता। अपने अतुल त्याग और सेवा, अनुपम पाण्डित्य और योग्यता, सौजन्य और सर्वोपरि निष्कलंक चरित्र के कारण आप न केवल बिहार के ही वरन् समस्त-भारत के आराध्य बन गये हैं। मुझे निश्चय है कि सभा को इस बात पर सन्तोषबोध होगा कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापति रहते हुये इस सभा की क्षमता पर सिवा उन नियंत्रणों को, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है और कोई नियंत्रण या पाबन्दी न लगाने दी जायेगी। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सच्चाई, चरित्र और विनम्रता दोष से परे है। ऐसा व्यक्ति सभा के प्रत्येक सदस्य के विश्वास का अधिकारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अवश्य सभा का विश्वास प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं कि एक दल है जो आज सभा में उपस्थित नहीं है, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस दल के लोग भी जो डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के राजनीतिक विरोधी कहे जा सकते हैं, सभा के कार्य संचालन में उनकी निष्पक्षता और न्याय पर भरोसा कर सकते हैं। सभापति जी, मुझे आशा है और पूरा भरोसा है कि उनके योग्य-पथ प्रदर्शन और प्रेरणा में यह सभा न केवल विधान बनाने में ही सफल होगी, वरन् स्वतंत्र, प्रजातंत्रीय राज्य स्थापित करने में भी सफल होगी। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह उन्हें उन दु:सह कर्तव्यों और कठोर दायित्वों के सम्पादन की शक्ति दे, जो खाद्यमंत्री तथा इस ऐतिहासिक सभा के सभापति के नाते उन पर लागू हैं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं दरभंगा के महाराजाधिराज लेफ्टिनेंट कर्नल सर कामेश्वर सिंह से बोलने का अनुरोध करूंगा।

***माननीय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, वस्तुत: हम सबों के लिए आज अभिमान का दिन है।

[माननीय महाराजाधिराज दरभंगा नरेश सर कामेश्वर सिंह]

भारत के अधिकारी प्रतिनिधियों ने देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उस गौरवशालिनी परिषद् की सत्ता का संरक्षक चुना है। ऐसा करके उन्होंने न केवल उनकी महत्ता का ही आदर किया है, वरन् हमारे प्रान्त को भी सम्मानित किया है जिसके वे सर्वोत्कृष्ट रत्न हैं। उनकी उत्कृष्टता आज स्वीकृत हुई है, इसका हमें अपार हर्ष है। उनका चरित्र, योग्यता, विद्वत्ता, सौजन्य, त्याग, सेवाभाव और सर्वोपरि मातृभूमि के लिए उनका आत्मोत्सर्ग—ये सब गुण अवश्य ही लोगों को उनकी ओर आकृष्ट करेंगे। उन्हें उनका भी सम्मान और आदर प्राप्त है जो उनकी राजनीति के अनुयायी नहीं हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं उस संत पुरुष की तरह, जो घर और बाहर दोनों जगह समाहृत है। मैं समझता हूं कि उनका कार्य बहुत गुरु है। उन्हें देश को दासता से हटा स्वाधीनता की ओर ले जाना है। सही रास्ते पर चलने में और पथ की असंख्य बाधाओं को पार करने में उन्हें हमको सहायता देनी होगी। जब भी हमारे अधिकारों पर आघात किया जायेगा, उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी और अपनी दृढ़ता, न्याय तथा निष्पक्षता में लोगों का विश्वास पैदा करना होगा। मैं उनके सौजन्य, कर्तव्य-परायणता, उदार दृष्टि से सुपरिचित हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने महान पद की प्रतिष्ठा का जिस पर देश ने सर्वसम्मति से उन्हें बिठाया है और जो देशवासियों का सर्वोच्च उपहार है—निर्वाह सन्तोषपूर्वक करेंगे। परमात्मा उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन दे, जिससे वे अपने दु:सह कर्तव्य का पालन कर सकें और अपने परिश्रम का फलोपभोग भी कर सकें। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनके साफल्य की कामना करता हूं। मुझे आशा है, उन्हें सभा के सभी सदस्यों का सच्चा सहयोग मिलेगा, जो उनके तत्वावधान में शान्तिमय उपायों से स्वराज-प्राप्ति के लिय यहां समवेत हुए हैं।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौज़ा।

***डॉ. जोसफ आल्बन डीसूजा** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक परिषद् के स्थायी सभापति निर्वाचित होने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अभिनन्दन-गान में बड़ी प्रसन्नता से मैं सम्मिलित होता हूं। गत दो दिन तक अस्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा ने अपनी तेज समझ, वाक् चातुर्य और सर्वोपरि

अपनी रसिकता से परिषद् का कार्य संचालन खूब खूबी से किया। विधान-परिषद् रूपी पोत को आपने कठिन तरंगों से पार कर किनारे पहुंचा दिया है। पोत को विधान-रूपी समुद्र के तरंगों में लाकर उसे स्थायी सभापति के हवाले कर दिया है। इस समय यह कहना कठिन है कि इन उठती हुई तंरगों का अन्तिम स्वरूप क्या होगा? परन्तु इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है कि स्थायी सभापति के सामने एक बड़ा ही दायित्वपूर्ण कार्य है। इस पुरानी और सच्ची कहावत में कि ''हर अंधकार में प्रकाश छिपा रहता है'' मुझे पूरा विश्वास है और सदा बना रहेगा। इस विधान-परिषद् पर काली घटायें छाई हुई हैं, परन्तु इसमें भी रजत-रेखा अवश्य छिपी हैं और इसी बल पर भारत के आसन्न और सुदर सुन्दर भविष्य का मुझे पूरा विश्वास है।

डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने अभी यह आदेश दिया था कि प्रथम दो वक्ताओं के बाद जो वक्ता आयें वे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अभिनंदन तक ही अपने को सीमित रखें और वैधानिक या ऐतिहासिक प्रश्नों पर न जायें। पर मैं उनसे इस की अनुमति चाहता हूं कि मैं एक वैधानिक प्रश्न का लघु उल्लेख करूं।

इस विधान-परिषद् की तथा इसके विधान निर्माण सम्बन्धी कार्य की सूचना आज से सौ वर्ष पूर्व हमें मिल चुकी थी। हम यह तो नहीं कहते कि इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, पर इसकी सूचना अवश्य हमें मिली थी। आज सौ वर्ष से कुछ अधिक हुआ, तब महामना बर्क ने भारतीय साम्राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए ट्रस्टीशिप या अमानतदारी के सिद्धान्त को लागू किया। उस समय उन्होंने यह घोषित किया था कि बालक भारत ज्यों ही वयस्क होगा, हमारी अमानतदारी समाप्त हो जायेगी।

अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत राजनीतिक रूप में अभी बालिग नहीं हुआ है? क्या अभी भी वह नाबालिग है? जब मैं इस महती परिषद् की पहली पंक्ति पर दृष्टि डालता हूं, तो मुझे ऐसी बड़ी-बड़ी विभूतियां दिखाई देती हैं, जो चर्चिल, रूजवेल्ट या स्टालिन का न केवल पार्ट ही अदा कर सकती हैं; बल्कि उनसे अच्छा अदा कर सकती हैं। यह तो हुआ भारत के चरम श्रेणी के नागरिकों के सम्बन्ध में। निम्न से निम्न श्रेणी के नागरिकों की—देहात के रहने वालों की—आज क्या अवस्था है? यदि हमारे नेता आज देहात में उस रैयत से मिलें जो कुछ दिनों पहले घोर अज्ञान में थी, जिसे अपने अधिकारों और आवश्यकताओं का भी ज्ञान न था और अब उससे स्वतंत्र भारत की चर्चा करें तो वह तुरंत

[डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौज़ा]

उनसे कह उठेगी "यदि आप स्वयं हमारे लिए आजादी नहीं प्राप्त कर सकते तो हम खुद उसे पाने की कोशिश करेंगे" वह जानती है कि यह उसका पावना है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।

मेरी समझ में यह विधान-परिषद् भारत के बालिग होने का एक महोत्सव समारोह है और इसलिए हिन्दू, मुसलमान, सिख, क्रिस्तान, पारसी, हरिजन, सबको यथा शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सम्मिलित रूप से काम शुरू कर देना चाहिए।

इस काम में मुझे विश्वास है कि हमारे स्थायी सभापति हमें सहायता देंगे और हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे। मध्यकालीन सरकार में आपने थोड़े ही दिनों से कार्य भार सम्भाला है, पर इन थोड़े दिनों में ही खाद्यस्थिति को सुन्दरता से काबू में लाकर आपने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। उनके अल्पकालीन कार्यों से हमें इस बात का परिचय मिल गया है कि आप बड़ी लगन और योग्यता से इस परिषद् का कार्य-संचालन करेंगे। आप सबकी ओर से मेरी यह कामना है कि हमारे स्थायी सभापति को स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त हो, ताकि वह इस परिषद् के सभापतित्व का गुरु भार वहन करने में समर्थ हों।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई** (मद्रास : जनरल): स्थायी सभापति महोदय, मैं इसे अपना परम गौरव समझता हूं कि इस महती सभा के सम्मुख खड़ा हो मैं सर्वसत्ता सम्पन्न इस सभा के सर्वसम्मत सभापति चुने जाने पर आपका अभिनन्दन कर रहा हूं। 6 करोड़ अछूतों की ओर से, 6 करोड़ जमीन खोदने वालों और लकड़ी काटने वालों की ओर से, जो देश की राजनैतिक एवं आर्थिक सीढ़ी के निचले पाये पर हैं, मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। सन् 1890 में हमारे प्रान्त के अपने एक श्रद्धेय नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के नाम एक खुली चिट्ठी भेजी, जिसमें अछूतों की असहाय अवस्था का चित्रण था, पर 1932 में महात्मा गांधी को यह भार दिया गया कि वे इसकी रूप-रेखा निश्चित करें कि अछूतों को किस तरह सहायता दी जाये। इसी स्मरणीय अवसर पर मैं आपके सम्पर्क में आया और यह जान पाया कि अछूतों के प्रति आपको कितनी सहानुभूति है। उसी समय से मैं यह जान पाया हूं कि आपने हरिजन सम्प्रदाय की कितनी बड़ी सेवा भी की है और वस्तुत: इस परिषद् का प्रत्येक हरिजन सदस्य आपकी इन

अमूल्य सेवाओं से परिचित है। इनकी ओर से मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं कि आपके सभापतित्व में यहां सबको समानता मिलेगी और इस विशाल देश के लिए जो भी विधान बनेगा, उसमें हरिजनों को उचित स्थान प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि आप अपने महत् पद पर मर्यादापूर्वक आसीन रहेंगे और हरिजनों के साथ न्याय करेंगे, ताकि उनको और सम्प्रदायों के समान स्थान प्राप्त हो सके। आदरणीय महोदय, 6 करोड़ अछूत हिन्दू समाज की रीढ़ हैं, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में जो विधान बनेगा, उसमें आप यह चेष्टा करेंगे कि हरिजनों की अयोग्यताओं या कमियों की समुचित व्यवस्था हो, जिससे वे इस देश में औरों के समान अधिकार का उपभोग कर सकें।

श्री खान अब्दुल गफ़्फार खां साहबः जनाब सदर साहब, बहनो और भाइयो, मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस एसेम्बली के बहस-मुबाहिसे में कुछ हिस्सा लूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस ख्याल का आदमी हूं कि बहुत तकरीरों और तारीफों को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन चंद भाइयों ने मुझे मजबूर किया कि इस मौके पर मुझे भी कुछ जरूर कहना चाहिए। अब मैं यहां इस गर्ज के लिये खड़ा हुआ हूं कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद को जो सभा की तरफ से इतनी बड़ी इज्जत दी गई है, उसके लिये मैं आपकी तरफ से और सूबा सरहद की तरफ से इनको मुबारकवाद दूं।

मैं राजेन्द्र प्रसाद को खूब जानता हूं और यह कह सकता हूं कि जो लोग जेलखानों में और मुसीबतों और तकलीफों की जगहों में इकट्ठे रहे हों, उनको मौका मिलता है कि एक दूसरे को पहचानें। चुनाचे मुझे यह फक्र है कि मैं बाबू राजेन्द्र प्रसाद के साथ जेल में काफी मुद्दत तक रहा हूं। मैं इनको खूब जानता हूं, मैं इनकी आदतों से वाकिफ हूं। मैं यह कहता हूं कि सबसे बड़ी तारीफ जो मैं उनकी कर सकता हूं और जिसकी हर एक हिन्दुस्तानी को जरूरत है, वह यह है कि इनके दिल में भेदभाव नहीं है। बदकिस्मती से हिन्दुस्तानियों के दिलों में भेदभाव और खराबियां हैं। आप जानते हैं कि एक खाना हिन्दू के लिए है और दूसरा मुसलमान के लिए। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद का दिल सबके लिए एक है। मैं यह बात महसूस करता हूं और मुझे इस बात का दुख भी है कि मेरे मुस्लिम लीग वाले भाई इस सभा में नहीं हैं, मैं यह भी देखता हूं कि हिन्दुस्तान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वह हमारे सूबा सरहद के लोगों से और खास कर मुझ से नाराज से हैं वह कहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ नहीं हैं। हमेशा जब मैं रेल में सफर करता हूं, तो

[श्री खान अब्दुल गफ्फार खां साहब]

ऐसी बात मुझे बहुत से भाई कहते हैं, लेकिन हमेशा मैं उनको यही जवाब देता हूं कि मैं हमेशा मुसलमानों के साथ हूं और उनसे जुदा नहीं हूं। जब वह कहते हैं कि तुम लीग के साथ नहीं हो तो मैं कहता हूं कि लीग के साथ होना कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि यह तो सियासी जमाअत है और हर एक आदमी अपना ख्याल रखता है और रख सकता है। मैं यह कहता हूं कि हर आदमी को यह आजादी होनी चाहिए और उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। हर आदमी को यह हक हासिल है कि जिस चीज को वह ईमानदारी या दियानतदारी से कौम और मुल्क के लिये बेहतर समझे वही करे। इस वक्त यह कोई नहीं पूछ सकता कि मैं कांग्रेस के साथ क्यों हूं। मैं मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग तालीम में आपसे बहुत पीछे हैं और यह भी मानता हूं कि सूबा सरहद के लोग दौलत में भी आपसे बहुत पीछे हैं। हमारा छोटा-सा सूबा है, आपके बड़े-बड़े सूबे हैं, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि सूबा सरहद के लोग हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों से अगर आगे नहीं हैं तो पीछे भी नहीं हैं। जब हम हिन्दुस्तान की उस वक्त की तवारीख पढ़ते हैं जब कि अंग्रेज नहीं आये थे और फिर अब जब कभी हिन्दुस्तान के सूबों में, उसके मुखतलिफ हिस्सों में फिरने का मौका मिलता है—शहरों में नहीं देहात में क्योंकि मैं देहाती आदमी हूं—तो मैं देखता हूं, इस खुश हिन्दुस्तान के बच्चों और देहातियों में कितनी गरीबी है। सबसे अफसोस की बात यह है कि मुल्क की तरक्की और बहबूदी का जो भी काम हमारे दिल में आता है और हमारी ख्वाइश होती है कि उसे पूरा करें, तो हम देखते हैं कि उसमें बड़ी रुकावटें डाली जाती हैं। हमारा मुल्क और कौम तबाह और बर्बाद हो रहा है, पर इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इस बेबसी ने सूबा सरहद के लोगों को मजबूर कर दिया है और हम बिल्कुल तंग आ गये हैं। हमारे दिमागों में और दिलों में यह ख्याल पैदा हो गया है कि जब तक इस बदकिस्मत मुल्क को आजाद नहीं कर लेते, इसकी तबाही और बर्बादी दूर नहीं होगी। मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम इसलिए कांग्रेस के साथ हैं कि हमारा यकीन है कि कांग्रेस इस मुल्क को आजाद कराना चाहती है और हम समझते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमाअत है जो इस देश की गरीबी को दूर कर सकती है। हम कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि हम लोग गुलामी से तंग आ गये हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर तालीम में हम लोग पीछे हैं तो इस अहिंसात्मक युद्ध में जो सन् 1942 में शुरू हुआ था, सिर्फ एक सूबा सरहद ही था जिसने अहिंसात्मक उपायों से काम किया था और युद्ध किया था।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं कुर्ग के प्रतिनिधि मि. पुनाका से कहूंगा कि वे संक्षेप में अपना भाषण दें।

***श्री सी.एम. पुनाका** (कुर्ग): सभापति महोदय, मैं इसे अपना सम्मान और सौभाग्य समझता हूं कि पूर्व वक्ताओं की अभिव्यक्ति को दुहराने के लिए मैं भी यहां खड़ा हूं। स्थायी सभापति महोदय, मैं कुर्ग से आया हूं और कुर्ग निवासियों की ओर से आपका सादर अभिनन्दन करता हूं। राष्ट्रपति की हैसियत से आपने हमारे प्रान्त का दौरा किया था और हमें अपनी बहुमूल्य सलाह दी थी, जिससे आजादी के आन्दोलन में हमें बड़ी सहायता मिली थी। आदरणीय महोदय, मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता। संक्षेप में हम आपको अपना सादर अभिनन्दन समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके अधिनायकत्व में इस सभा को पूरी सफलता मिलेगी। *(हर्षध्वनि)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): श्री एच.वी. कामठ कृपया सभा के समक्ष अपना भाषण दें।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति महोदय, स्थायी सभापति के निर्वाचन पर इस पुनीत परिषद् के बहुसंख्यक सदस्यों ने अभिनंदन गायन किया है और यदि आपकी अनुमति है, तो मैं भी इसमें सम्मिलित होता हूं। यह परिषद् भारत में अपने किस्म की पहली परिषद् है। इस पुनीत और प्रसन्नता के अवसर पर जब हमने देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी सभापति के गौरवमंडित आसन पर सर्वसम्मति से बैठाया है, हमारे लिए यह स्मरण रखना अच्छा है कि हम इस स्थिति में क्यों कर पहुंचे हैं। हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, भारतीय जाति की सम्मिलित इच्छाशक्ति और परिश्रम से, महात्मा गांधी द्वारा परिचालित भारतीय राष्ट्रीय महासभा के कठोर तप और वीरोचित संग्राम से और साथ ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में परिचालित आजाद हिन्द फौज की बहादुराना लड़ाई से। यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के हृदय और मस्तिष्क की खूबियों का वर्णन करूं। भारत की आत्मा उनमें स्वयं सन्निहित है—वह आत्मा जिसने हमारे ऋषियों और महर्षियों को परब्रह्ममयविश्व के प्राचीन परन्तु चिर नवीन सिद्धान्त की शिक्षा देने की प्रेरणा दी—वही आत्मा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद में सन्निहित है। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

[श्री एच.वी. कामत]

की वह कविता याद आ जाती है, जिसका भाव है ''भगवन मुझे वह शक्ति दो कि सेवा द्वारा अपने प्रेम को सार्थक रख सकूं, मुझमें वह बल दो कि मैं अपनी समस्त शक्ति को श्रद्धा और प्रेम से आपकी इच्छा के सामने समर्पित कर सकूं''। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का सादर अभिनन्दन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सर्व शक्तिशाली परम दयालु परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को शक्ति और स्वास्थ्य दे, उत्साह और साहस प्रदान करे, जिससे परिषद् रूपी छोटी नौका को वह खेकर सुख और शान्ति, स्वातंत्र्य और सम्मिलन के तट पर लगा दें। मित्रों, मैंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। हां बैठने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि गीता का निम्नलिखित संदेश सदा हमें ध्यान में रखना चाहिए।

''उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्त वरान्निबोधत।''

जागो, उठो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। जय हिन्द।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब श्री सोमनाथ लाहिरी सभा के समक्ष अपना भाषण देंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिसका प्रतिनिधित्व करने का मुझे गौरव है, मैं सर्वसम्मति से परिषद् का स्थायी सभापति चुने जाने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन करता हूं।

श्रीमान् डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी, जब आप राष्ट्रीय महासभा के सभापति थे, तब हमारी पार्टी ने आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता देखी। दूसरे दल के दृष्टिकोण को जानने की तीव्र अभिलाषा भी हमने आप में देखी। महोदय, हमें आशा है कि परिषद् के सभापति पद पर रहकर आप अपने इन गुणों पर सदा अमल करेंगे और हमें भी औरों की तरह अपना मत व्यक्त करने की पूरी सुविधा देंगे। जनाब, एक जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वह यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अभी भी हम पर सत्ता रखता है। इस परिषद् के किसी भी सदस्य का रूप, राजनैतिक विचार कुछ भी क्यों न हो, हमें पक्का विश्वास है कि स्वतंत्र होने की एक तीव्र आकांक्षा सब में जोर मार रही है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बंधनों से सद्यः और सम्पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाने की जबर्दस्त भावना सब में वर्तमान है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने गत दो शताब्दियों से हमारा रक्त शोषण किया है और आज भी

अपनी सेना से, अपने वाइसराय से, अपनी नौकरशाही से, अपनी आर्थिक जंजीरों से, तथा अपने मित्र-देशी रियासतों के शासकों की मदद से हमको दबाये बैठा है। जनाब, बहुत से लोग आपसे यह आशा करेंगे कि सभापति पद पर आसीन होकर आप सब दलों के प्रति निष्पक्ष रहें। पर आप देशभक्त हैं, तपे-तपाये देशभक्त हैं और उन मामलों में जहां कि हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है—अपने ही एक वर्ग के विरुद्ध नहीं, सेक्शन और कमेटी के शब्दजाल के झगड़ों से नहीं, वरन् ब्रिटिश वायसराय को, ब्रिटिश सेना को यहां से हट जाने का आदेश देकर बल्कि हट जाने के लिए उन्हें बाध्य करके—ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है, हम आपसे निष्पक्ष रहने की आशा नहीं करेंगे। हमें तो इसका विश्वास है कि हम अपनी सत्ता की घोषणा यहां और अभी ही कर सकते हैं। यह पुनीत परिषद् अभी ही इसकी यह घोषणा करके कि हम अब आजाद हैं, हम अब ब्रिटिश हुकूमत की, ब्रिटिश वायसराय और उनके शब्दजाल की सत्ता नहीं स्वीकार करते, संग्राम का श्रीगणेश कर सकते हैं और जनता का आवाहन कर सकते हैं। मेरी तो अभिलाषा है कि हम इस परिषद् में ही इस बात की घोषणा कर दें कि सत्ता हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अब हम मंत्रिमंडल की योजना, अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद जनित भ्रम के चक्कर में न आयेंगे। मैं जानता हूं कि भ्रम मुश्किल से पिंड छोड़ता है। मुझे विश्वास है कि इन भ्रमों को दूर करने में मंत्रिमंडल की पैशाचिक योजना-वह योजना जिसने हमें आज संसार में हास्यास्पद बना दिया है—के विरुद्ध भारतीय जनता को पुनः दृढ़ भाव से युद्ध संलग्न करने में आपकी पूर्ण सहायता प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल की योजना से उत्पन्न भ्रातृ-युद्ध तथा मृत्यु की काली छाया के बीच आज हम यहां समवेत हुए हैं और।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मिस्टर लाहिरी, क्षमा कीजियेगा मैं टोक रहा हूं। आप डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्बन्ध में कुछ फरमा सकते हैं।

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ मैं यह जानता हूं। इसीलिए तो मैंने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा की है और आशा है अपना विचार व्यक्त करने के लिए, अपना दृष्टिकोण सामने रखने के लिए हमें भी उनसे वही उदारता प्राप्त होगी, जो दूसरों को होती है। हम यह इसलिए कहते हैं कि हमारा यही अनुभव रहा है कि हम जब भी अपना विचार व्यक्त करते हैं, हमसे संक्षिप्त होने को कहा जाता है। वस्तुतः यहां भी बोलने के पहले ही मुझे दो बार कहा गया था कि संक्षेप में अपना

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

वक्तव्य समाप्त करूं। अस्तु, मैं इसकी परवाह नहीं करता। इस परिषद् के सभापति के नाते मैं जिस बात की उम्मीद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से करूंगा, वह यह है कि वे हमारे देशवासियों के भ्रम को दूर करने में, हमारे दृष्टिकोण को पूर्णतः प्रकट करने में तथा मंत्रिमंडल की योजना को ठुकरा कर संघर्ष के लिए सबको सम्मिलित होने में सहायता देंगे।

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्यो, आप इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि मैं गलतियों से परे नहीं हूं। अब मैं श्री जयपाल सिंह से कहूंगा कि वे चंद मिनटों में अपना मंतव्य पूर्ण करें। वे छोटा नागपुर के आदि-निवासियों के प्रतिनिधि हैं।

*__श्री जयपाल सिंह__ (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने नागपुर के आदि-निवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का अभिनन्दन करने को मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं और विशेषतः आदि-निवासियों की ओर से। जहां तक मैं समझता हूं हम केवल पांच सदस्य ही यहां हैं। पर हमारी संख्या कई लाख है और वस्तुतः भारतवर्ष हमारा है। 'क्विट इंडिया' (भारत छोड़ो) कुछ दिनों से प्रचलित हुआ है। मेरी तो यह दृढ़ आशा है कि यहां के आदि-निवासियों के पुनः स्थिर होने और पूर्वावस्था में आने का यही समय है। अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, फिर बाद में आये हुए लोग यहां से कूच करें और तब यहां के मूल निवासी यहां रह जायेंगे। सचमुच हमें बड़ी प्रसन्नता है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को हमने इस परिषद् का स्थायी सभापति पाया है। चूंकि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद उस प्रान्त के हैं जिसके दक्षिणी भाग में आदि-निवासियों का एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी आबादी है जैसी भारत भर में और कहीं नहीं है। हमें विश्वास है कि हम अपने मामलों में उनसे पूर्ण सहानुभूति पायेंगे। उनकी योग्यता के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वह सर्व विदित है। हम यही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से जहां हमें सहानुभूति मिलेगी, वहीं यह सभा भी उनके साथ वैसा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी। *(हर्षध्वनि)*

*__सभापति__ (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं भारत-कोकिला, बुलबुले हिन्द से अनुरोध करूंगा कि वे सभा के समक्ष अपना भाषण दें, पर गद्य में नहीं पद्य में।

(श्रीमती सरोजिनी नायडू तुमुल करतलध्वनि के बीच रंगमंच पर आईं)

***श्रीमती सरोजिनी नायडू** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय आपको मुझे सम्बोधित करने का तरीका वैधानिक नहीं है। *(हंसी)*

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): आर्डर, आर्डर, सभापति पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। *(जोर की हंसी)*

***श्रीमती सरोजिनी नायडू:** इस अवसर पर मुझे प्रसिद्ध काश्मीरी कवि की ये पंक्तियां याद आ रही हैं:

''बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक।

रंगीन तबियतों को रंगे सखुन मुबारक''

मेरे महान नेता और साथी, आज हम लोग डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा में दी हुई इन्द्रधनुष के समान सुन्दर बहुरंगी वक्तृताओं के प्रवाह में बह रहे हैं। *(हर्षध्वनि)* मैं नहीं समझती कि कवित्त-कल्पना भी इन्द्रधनुष की सुमनोहर आभा में और कोई सुन्दरता जोड़ सकती है। इसलिए मैं तो स्वयं राजेन्द्र बाबू के आदर्श का अनुकरण करती हुई विनम्र और अल्पभाषी होकर किसी कुलाचार एवं गृहस्थी सम्बन्धी प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखूंगी जैसा कि एक महिला को चाहिए। *(हंसी)* हम सभी अपने महान दार्शनिक सर राधाकृष्णन् के वक्तृत्व-कला के प्रवाह में बह गये और मालूम होता है कि वे भी दृश्यस्थल से तिरोहित हो चले हैं।

***श्री सर राधाकृष्णन्:** न, न, मैं यहां वर्तमान हूं। *(और हंसी)*

***श्रीमती सरोजिनी नायडू:** आपने अपनी वक्तृता से हम पर ज्ञान-वृष्टि की है। भिन्न-भिन्न प्रांत, मत और सम्प्रदाय के अन्य सभी वक्ताओं ने और हमारे सद्य: पूर्व वक्ता ने भी जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद हम सबको भारत छोड़ने का आदेश देकर इस देश पर आदिवासियों का दावा पेश कर रहे हैं, सबने बारी-बारी से अपने मत व्यक्त किये हैं, पर राजेन्द्र बाबू के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं। प्रथम जब मुझसे कहा गया कि मैं राजेन्द्र बाबू के सम्बन्ध में कुछ

[श्रीमती सरोजिनी नायडू]

कहूं, तो मैंने जवाब दिया था कि मेरे लिए यह तभी सम्भव है जब मेरे पास सोने की कलम और शहद की स्याही हो, क्योंकि संसार भर की स्याही भी काफी नहीं है, जिससे राजेन्द्र बाबू के गुणों का वर्णन किया जा सके या उनकी गुणावली का अभिनन्दन किया जा सके। हमारे एक पूर्व वक्ता ने ठीक ही कहा था—यद्यपि मैं उनके कथन के एक भाग से ही सहमत हूं—कि परिषद् के अस्थायी और स्थायी सभापति दोनों ही की जन्म भूमि बिहार है और दोनों ने ही बिहारोत्पन्न भगवान् बुद्ध के कतिपय गुणों को अपना लिया है। मैंने कहा कि उक्त वक्ता की एक बात से मैं सहमत हूं दूसरी से नहीं। जिस बात से मैं सहमत हूं वह यह है कि राजेन्द्र प्रसाद जी आध्यात्मिक रूप से करुणा, ज्ञान, त्याग, और प्रेम के अवतार भगवान् बुद्ध के वंशज हैं। कई वर्षों तक उनके घनिष्ठ संपर्क में रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। वह हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं—बहुत छोटे, वह मुझसे पूरे पांच साल छोटे हैं। यह बात मुझे उनके जन्म-दिवस पर मालूम हुई—इसलिए मैं इस स्थिति में हूं कि उन्हें आशीर्वाद दूं और उनका अभिनन्दन भी करूं। प्रत्येक वक्ता ने इस सभा में विश्वास के साथ यह कहा है कि राजेन्द्र बाबू सभा के संरक्षक रहेंगे, इसके जनक स्वरूप रहेंगे पर मेरी कल्पना में वह संरक्षक एक कठोर खड्गधारी न होकर एक सुमनोहर पुष्पधारी देवदूत के समान होगा, जो मानव हृदय पर विजय पाता है। यह इसलिए कि राजेन्द्र बाबू में स्वाभाविक माधुर्य है जो बल का काम करता है, उनमें अनुभवजन्य सहज ज्ञान है, शुद्ध दृष्टि है, रचनात्मक कल्पना शक्ति और विश्वास है, जो गुण उन्हें स्वयं भगवान् बुद्ध के चरणों के सन्निकट पहुंचा देते हैं इस सभा-भवन में कुछ जगहें खाली दिखाई दे रही हैं और इन मुस्लिम बन्धुओं की अनुपस्थिति से मुझे हार्दिक क्लेश है। मैं उस दिन की ओर देख रही हूं जब वे बन्धु भी चिर परिचित मित्र मि. मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यहां उपस्थित होंगे। यदि इसके लिए प्रोत्साहन आवश्यक है, जादू की छड़ी जरूरी है तो मैं समझती हूं कि राजेन्द्र बाबू का सहज सौजन्य, उनकी बुद्धि और उनका निर्माणात्मक विश्वास इसका काम करेंगे। मुझे आशा है, और मैं विश्वास करती हूं कि यह आशा ठीक है कि मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर, जो आज इतने विरोधी हैं, शीघ्र ही इस विधान-परिषद् के कट्टर समर्थक बन जायेंगे और उनके द्वारा इनके लाखों अनुयायियों को भी यह बोध हो जायेगा कि उनके हित भी उसी तरह सुरक्षित रहेंगे जैसे और अधिक सुविधा प्राप्त वर्गों के। मुझे आशा है कि आदिवासी भी, जो अपने को इस देश

का मौलिक स्वामी समझते हैं। यह जान जायेंगे कि इस परिषद् में जाति और धर्म का, प्राचीन और नवीन का कोई भेदभाव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस देश का छोटे से छोटा अल्पसंख्यक सम्प्रदाय भी, उसे चाहे जिस रूप में यहां प्रतिनिधित्व मिला हो, यह अनुभव करेगा कि उनके हितों की रखवाली वाला एक ऐसा सतर्क और स्नेहपरायण संरक्षक है, जो कभी भी ऐसा न होने देगा कि सुविधा प्राप्त सम्प्रदाय उनके जन्मजात अधिकारों को समानता और सम अवसर के अधिकारों को रत्तीभर भी दबा सकें। मुझे आशा है कि देशी नरेश भी, जिन में बहुतों को मैं अपना मित्र मानती हूं, जो आज चिन्ता, अस्थिरता अथवा भय में पड़े हैं, यह समझ जायेंगे कि भारत का विधान ऐसा विधान होगा, जो प्रत्येक भारतीय को चाहे राजा हो या रंक सबको स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदान करेगा। मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसे समझें, सभी इसका विश्वास करें और ऐसी समझ और ऐसा विश्वास उत्पन्न कराने का सर्वोत्तम माध्यम हैं राजेन्द्र बाबू की संरक्षकता और उनका तत्वावधान। मुझे बोलने के लिए कहा गया है पर कितनी देर तक? मैं समझती हूं कि मुझे निश्चय ही इस पुरानी कहावत का खंडन करना चाहिए कि "औरत अन्त में बोलती है और बहुत ज्यादा बोलती है।" मैं अन्त में तो बोल रही हूं पर इसलिए नहीं कि मैं औरत हूं बल्कि इसलिए कि आज मैं भारतीय राष्ट्रीय महासभा की मेजबान (यजमान) हूं और महासभा ने प्रसन्नतापूर्वक इन अतिथियों को जो सभा के सदस्य नहीं हैं, विधान बनाने में हमारा साथ देने के लिए आमंत्रित किया है और यह विधान भारतीय स्वतंत्रता का अमर विधान होगा।

मित्रो, मैं राजेन्द्र प्रसाद की प्रशंसा नहीं करती और न उनकी सिफारिश ही करती हूं। मैं तो यह जोर देकर कहती हूं कि "वे आज भारतीय भाग्य के, उसके लक्ष्य के प्रतीक हैं। वह हमें विधान बनाने में सहायता देंगे और ऐसा विधान बनाने में जो हमारी मातृ-भूमि को आज भी श्रृंखला में बद्ध भारत-भूमि को उसका उचित स्थान दिलायेगा और उसके हाथ में शान्ति, स्नेह और स्वातंत्र्य का प्रदीप दे उसे संसार का पथ-प्रदर्शक बनायेगा।"

बर्फानी छतों और समुद्री दीवारों के चिर प्राचीन अपने भवन में खड़ी होकर हमारी भारत-भूमि मानव इतिहास में फिर एक बार ज्ञान और प्रेरणा का दीपक जलाकर संसार के स्वातंत्र्य पथ को आलोकित करेगी। इस तरह पुनः उसे अपनी संतति का गौरव और संतति को अपनी माता का गौरव प्राप्त होगा।

***सभापति** (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्यो, अन्तिम वक्ता ने यह कह कर कि बहैसियत औरत के अन्त में बोलने का अधिकार उन्हें है, मेरा बोलना

[सभापति]

ही रोक दिया, पर आप में से बहुतेरे जो कानूनदां हैं, यह जानते हैं कि आखिरी बात आखिर आखिरी बात है।

मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोके रखूंगा। अगर मैं चाहूं तो कल सुबह तक आपको रोके रख सकता हूं, क्योंकि इस महती सभा में जो लोग अभी यहां मौजूद हैं, उनमें मैं ही एक नाम का ऐसा व्यक्ति हूं, जिसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को गत 44 वर्षों से घनिष्ठ रूप से जानने की सबसे ज्यादा सुविधा प्राप्त है। मैं उन्हें उस समय से जानता हूं जब उन्होंने सन् 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की, जिसका विस्तार उन दिनों आसाम से पंजाब और सीमाप्रांत तक था, मैट्रीकुलेशन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुझे याद है कि उन्होंने जब मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाया था तो मैंने "हिन्दुस्तान रिव्यू" में जिसका तब मैं संचालक था और आज भी हूं इस आशय का एक नोट लिखा था कि राजेन्द्र प्रसाद सरीखे प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। मैंने कहा था कि हम लोग इस बात की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे एक दिन भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सभापति बनेंगे और सभापति का भाषण पढ़ते समय जैसा कि गत वर्ष लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सर नारायण चन्द्रावरकर के साथ हुआ इन्हें भी वायसराय से पत्र मिलेगा, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट की जजी देने की बात लिखी होगी। इनके सम्बन्ध में उस समय मैंने यह भविष्यवाणी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय महासभा के एकाधिबार सभापति तो हुए पर हाईकोर्ट का जज न होकर इन्होंने मुझे अवश्य ही बहुत निराश किया है। भला मैं क्यों इतना चिंतित था कि वे हाईकोर्ट के जज बनें? यह इसलिए कि उस पद पर पहुंच कर ये अपनी स्वतंत्र न्याय-बुद्धि और तीव्र आलोचना से ब्रिटिश नौकरशाही के प्रबंध विभाग को ठीक कर देते। परन्तु यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हाईकोर्ट के जज नहीं हुए तो भारतीय विधान-परिषद् के स्थायी सभापति तो निर्वाचित हुए। आज मुझे इस बात का गौरव है और मेरे जीवन का यह महत्तम गौरव है कि मैं उन्हें विधान-परिषद् का प्रथम भारतीय सभापति कह कर सभापति के आसन पर आसीन करता हूं। (जिसको आयोग्यतापूर्वक कई दिनों तक मैं सम्भाले रहा)। *(हर्षध्वनि)* अब मैं सभापति का आसन खाली करता हूं और इस महती सभा की ओर से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से अनुरोध करूंगा कि वे आकर इसे सुशोभित करें। वे सर्वथा इसके योग्य हैं।

(इन्कलाब जिन्दाबाद, राजेन्द्र बाबू जिन्दाबाद की ध्वनि)

(इसके बाद अस्थायी सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने सभापति का आसन खाली किया और हर्षध्वनि के बीच माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सभापति का आसन ग्रहण किया)।

आचार्य जे.बी. कृपलानी (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, अंग्रेजी में इतनी वक्तृताएं हुई हैं कि यह जरूरी है कि मैं जो कुछ बोलू वह हिन्दी में ही बोलूं। मैंने हिन्दुस्तानी ही में डॉ. सिनहा को इस सभा के अस्थायी सभापति होने की दावत दी थी और यह ठीक होगा कि आपकी तरफ से मैं डॉ. सिनहा को मुबारकवाद दूं जिन्होंने इस खूबी से अपने काम को पूरा किया है। हम लोग नहीं समझते थे कि सचमुच आप हम सब लोगों से उम्र में बड़े हैं। मैं यह कहूंगा कि मैं डॉ. सिनहा साहब से उम्र में बहुत कम हूं, लेकिन फिर भी मुझको अपने केशों पर अभिमान है। मैं देखता हूं उनके केश मुझ से ज्यादा काले हैं और जिस बुलंद आवाज से आपने हम लोगों को अपनी जगह पर बिठाया और आर्डर, आर्डर कहा, इससे तो कभी नहीं मालूम पड़ता कि आप हम लोगों से उम्र में भी बड़े हैं। और फिर आप उस जोश से जिसको जवानी का जोश समझना चाहिए, कभी-कभी हम लोगों के संशोधन को भी खत्म कर देते थे। एक संशोधन पर आपने कहा ''मुझे आशा है आप विवेक से काम लेंगे।'' यदि हम लोग इसके बाद कुछ कहते तो हमारी विवेकबुद्धि पर उन्हें संदेह होता और इसीलिए हमें चुप होकर बैठना पड़ा। आप इस तरह अपने काम को खूबी से अंजाम देते रहे और इसके लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस रसिकता के साथ आपने यह काम निबाहा है उसी रसिकता से आप हम लोगों के साथ आकर बैठेंगे और इस काम में हम लोगों का साथ देंगे।

सभापति (मा. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद): बहनो और भाइयो, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ करेंगे और बुरा न मानेंगे, अगर मैं यह कहूं कि इस वक्त इस भार से मैं अपने को दबा हुआ महसूस कर रहा हूं, जो आपने मुझे इस ऊंचे पद पर चुन करके मेरे कन्धों पर डाला है। आपने मुझे इस पद पर चुनकर एक इतनी बड़ी इज्जत दी है जो हिन्दुस्तान के किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ी इज्जत हो सकती है। अगर आप माफ करें तो मैं यह भी कहूंगा कि इस देश में जहां जाति-पांति के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आपने हमको चुनकर अपनी

[सभापति]

जाति से एक तरह बाहर कर दिया है और अपनी जात-पांत में बैठने से मुझे वंचित करके एक अलग दूसरी जगह, दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने मुझे अपने से अलग हटा दिया है, बल्कि शायद आप में से हर एक यह भी उम्मीद रखेगा कि इस सभा के कार्यों में मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे यह बात जाहिर हो कि मैं किसी एक दल का आदमी हूं या किसी एक फिरके का आदमी हूं। आप यह आशा रखेंगे कि यहां जो कुछ मैं करूं वह आप में से हर एक के खिदमतगार की हैसियत से करूं, हर एक के सेवक के रूप में करूं। मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं इस पद को जो आपने मुझे दिया है, ऐसे तरीके से निबाहूं कि आज जिस तरह आप में से बहुतेरे भाइयों ने और मेरी बड़ी बहन ने मुझे मुबारकबाद दिया है। इससे भी और ज्यादा खुशी आप उस दिन जाहिर करें जिस दिन मुझे यहां से हटना पड़े। मैं जानता हूं कि मेरे रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं बहुत मुश्किलें हैं इस विधान-परिषद् का काम बहुत मुश्किल है। इसके सामने तरह-तरह के सवाल दरपेश होंगे। ऐसी-ऐसी बातें आयेंगी जिनके बारे में फैसला करना किसी के लिये आसान नहीं होगा, मेरे लिये तो हरगिज आसान न होगा। मगर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमें इस काम में हमेशा आपकी मदद मिलती रहेगी। आपने जिस उदारता और फैय्याजी के साथ मुझे चुनकर यहां बिठाया है, उसी उदारता और फैय्याजी के साथ मेरी मदद करते रहेंगे।

मेरा विधान-परिषद् का यह जल्सा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम यह मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें, और-और विधान-परिषदों के सामने, जहां-जहां वह हुई हैं, रही हैं। वहां भी आपस में मतभेद रहे हैं और इन मतभेदों को जोरों के साथ विधान-परिषद् के सामने पेश भी किया गया है। हम यह भी जानते हैं कि बहुत-सी विधान-परिषदें लड़ाई-झगड़ा और खरेजी के बीच हुई हैं और उनकी बहुत-सी कार्रवाइयां भी झगड़े और फसाद के बीच हुई हैं। मगर बावजूद इन दिक्कतों के इन परिषदों ने अपना काम पूरा किया और उस जमाने में जो इसके सदस्य हुआ करते थे उन्होंने हिम्मत, सद्भावना, फैय्याजी और रवादारी से एक-दूसरे के विचारों को सामने रखते हुए आपस में मिलकर इस तरह के विधान तैयार किये हैं, जिन्हें उन देशों के सभी लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है। आज बहुत दिनों के बीत जाने के बाद भी उन देशों के लोग इन विधानों को अपने लिए एक बड़ी

कीमती चीज मानते हैं। कोई कारण नहीं कि हमारी यह विधान-परिषद् भी बावजूद इन कठिनाइयों के जो हमारे सामने हैं, अपने काम को उसी खूबी के साथ, उसी सफलता के साथ अंजाम न दे। चाहिए हममें सच्चाई, चाहिए हममें एक-दूसरे के ख्याल के लिए अपने दिल में इज्जत और हुरमत। चाहिए हमको वह ताकत कि हम दूसरे की बातों को सिर्फ समझ ही न सकें, बल्कि जहां तक हो सके उनके दिलों में घुसकर उनको खुद अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और इस तरह से काम कर सकें कि जिसमें कोई यह न समझे उसकी उपेक्षा की गयी या उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ऐसा हो, अगर हममें स्वयं ऐसी शक्ति आ जाये तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बावजूद इन कठिनाइयों के और सब मुश्किलों के हम अपने काम में पूरी तरह से कामयाब होकर रहेंगे।

मैं यह जानता हूं कि इस परिषद् की पैदाइश तरह-तरह के प्रतिबंधों के साथ हुई है। बहुत से प्रतिबंध तो ऐसे हैं कि मुमकिन है उन्हें अपने कार्यवाही के सिलसिले में हमें याद भी रखना पड़े। मगर साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि इस विधान-परिषद् को पूरा अधिकार, मुकम्मिल अख्तियार इस बात का है कि वह अपनी कार्रवाई जिस तरीके से चाहे करे। इसके अन्दर वह जो कुछ करना चाहे करे। किसी भी बाहरी ताकत को अख्तियार नहीं है कि इसकी कार्रवाई में वह कुछ भी हस्तक्षेप या दख्लन्दाजी कर सके। इतना ही नहीं, मैं यह भी मानता हूं कि जो पाबन्दियां इसको जन्म के साथ मिली हैं उनको तोड़ देने और उनको खत्म कर देने का अख्तियार भी इस एसेम्बली को है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इन बंधनों से बाहर निकलकर एक ऐसा विधान, एक ऐसा कायदा अपने देश के लिए तैयार करें, जिससे इस देश के हर एक स्त्री-पुरुष को यह मालूम हो जाये कि चाहे वह किसी भी मजहब का क्यों न हो, किसी भी प्रान्त का क्यों न हो, किसी भी विचार का क्यों न हो, उसके सभी अधिकार सदा सब तरह से सुरक्षित हैं अगर हमारी एसेम्बली में इस तरह का प्रयत्न किया गया और उसमें हमें सफलता मिली, तो मैं यह भी मानता हूं कि संसार के इतिहास में यह एक इतना बड़ा काम होगा, जिसके मुकाबिले की दूसरी मिसालें कम मिल सकती हैं।

यह भी याद रखने की चीज है और हम जो यहां आज बैठे हुए हैं, इस बात को एक लमहे के लिए भी नहीं भूल सकते हैं कि आज इस जल्से के

[सभापति]

अन्दर बहुत-सी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और चूंकि मुस्लिम लीग के हमारे भाई इस जल्से में आज शामिल नहीं हैं, हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमको हर कदम पर यह सोचना होगा कि अगर वह यहां हाजिर होते तो वे क्या कहते, क्या सोचते और क्या करते। इन सब बातों पर ध्यान रखकर हमें सारी कार्रवाई को चलाना होगा। साथ ही हम यह भी उम्मीद रखेंगे कि वे जल्दी ही आकर इन कुर्सियों पर बैठेंगे और मुल्क को आजाद करने में तथा आजादी का कायदा तैयार करने में अपनी जगह लेंगे और सबके साथ मिलकर इसे आगे बढ़ायेंगे। पर अगर हमारी बदकिस्मती से यह जगह खाली रहे तो हमारा यह फर्ज होगा, हमारा यह काम होगा कि हम ऐसा विधान तैयार करें, जिसमें किसी को किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे।

स्वराज्य हासिल करने की हमारी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और आज यह एसेम्बली, मैं समझता हूं कि तीन शक्तियों के कारण से पैदा हुई है। पहली चीज है, हमारे देश के लोगों की जानें जो कुर्बान हुई हैं। आज तक हमारे कितने ही स्त्रियों और पुरुषों ने अपनी जान देकर, अपने ऊपर हर तरह की मुसीबत और तकलीफ उठाकर, हर तरह का त्याग और तपस्या करके यह हालत पैदा की है और फिर इस एसेम्बली के पैदा करने में ब्रिटिश जाति का इतिहास, उनका अपना स्वार्थ और उनकी फैय्याजी सबने मिलकर मदद की है। उसके अलावा आदमियत रखने वाली दुनिया की कार्रवाइयां, दुनिया का वातावरण और दुनिया की उठती हुई शक्तियां, इन्होंने भी इस विधान-परिषद् को पैदा करने में कम हिस्सा नहीं लिया है। ये तीनों शक्तियां हमारा काम होते-होते अपना काम भी करती रहेंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ एक तरफ खींचे और कुछ दूसरी तरफ खींचे। मगर मेरा विश्वास है कि अन्त में हम सफल होकर रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें दूरदर्शिता दे, ताकि हम एक-दूसरे के दिल को शुद्ध करें और मिल करके हिन्दुस्तान को आजाद कर सकें।

जिन भाइयो और बहनों ने मुझे मुबारिकवाद दिया है उनसे मैं क्या कहूं? मैं शर्म से नीचे गड़ा जाता था और महसूस करता था कि चन्द मिनटों के लिए अगर मैं यहां नहीं रहता तो बेहतर होता। खासकर मैं डॉ. सिनहा का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूं कि उस वक्त तक उन्होंने अपनी सदारत जारी रखी और

मुझ पर यह भार नहीं डाला कि मैं भाइयों से कहूं कि मेरी तारीफ करें। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आइन्दा की कार्रवाई में जो कुछ शक्ति ईश्वर ने मुझे दी है और जो कुछ थोड़ी बुद्धि मुझे मिली है और जो कुछ संसार का थोड़ा-बहुत तजुर्बा मुझे हासिल हुआ है, वह सब आपकी सेवा में अर्पित रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी ओर से जो कुछ मदद हमें दे सकते हैं, देते रहेंगे।

*मित्रों, उन लोगों के लाभ के लिए जिन्होंने मेरी हिन्दी वक्तृता न समझी हो, मैं चन्द शब्द अंग्रेजी में भी बोल देना चाहता हूं। माननीय सदस्यो, आप इसे मेरी, अशिष्टता न समझें यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि इस अवसर पर आपने जो महान सम्मान मुझे दिया है, उससे प्रसन्न होने की अपेक्षा मैं अपने को इस दायित्व-भार से दबा हुआ अनुभव करता हूं, जो आपने मेरे कन्धों पर डाला है। मैं मानता हूं कि इस महती सभा ने मुझे सबसे बड़ा सम्मान दिया है, जो यह किसी भी भारतीय को दे सकती है। मैं इस सम्मान को बहुमूल्य समझता हूं और इसके लिए आपका आभारी हूं। यह बात मैं केवल शिष्टाचार के नाते नहीं कह रहा हूं।

आपके आदेश से मैं यह भार ग्रहण कर रहा हूं और इसके निर्वाह में जो-जो कठिनाइयां आयेंगी उन्हें मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि विधान-परिषद् के कार्य-संचालन में तरह-तरह की कठिनाइयां आयेंगी, पर मुझे इस बात का भी विश्वास है कि अपना फर्ज अदा करने में मुझे आपका पूरा सहयोग मिलेगा और आप उसी उदारता से काम लेंगे, जिससे आपने मुझे यह महान सम्मान दिया है। बड़ी कठिन स्थिति में हमारी विधान-परिषद् समवेत हो रही है। इस अभागे देश में आज कई जगह लड़ाई-झगड़े के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। परन्तु दूसरे देशों ने जब विधान-परिषदों का निर्माण किया और उन्हें विधान बनाने को कहा, तो उन्हें भी इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बात से हमें आश्वासन मिलना चाहिए कि इन कठिनाइयों के बावजूद भी, उन मतभेदों के बावजूद भी जो उग्र रूप धारण किये और कभी-कभी लड़ाई-झगड़ों में बदल गये, परिषदों को विधान बनाने में कामयाबी हासिल हुई और उन विधानों को अंत में वहां की जनता ने स्वीकार किया और समय पाकर वे विधान उन देशों के निवासियों के लिए कीमती बसारस साबित हुए।

कोई कारण नहीं कि हम भी उसी तरह सफल न हों। जरूरत है केवल हममें

[सभापति]

सच्चाई की, दृढ़ता की और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा की। हममें यह भावना जरूरी है कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ यथासम्भव समानता का, सौजन्य का व्यवहार करेंगे। यदि हममें ऐसी इच्छाशक्ति, ऐसी भावना हो तो कोई कारण नहीं कि हम मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय न पायें। मैं जानता हूं कि इस विधान-परिषद् पर प्रारम्भ से ही कई प्रतिबंध लगा दिये गये हैं अपनी कार्रवाई में और किसी फैसले पर पहुंचने में हमें उन प्रतिबंधों को न भूलना होगा और न उनकी उपेक्षा ही करनी होगी। पर साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि उन प्रतिबंधों के बावजूद भी यह परिषद् स्वतंत्र, सत्ता सम्पन्न संस्था है; इसे अपना शासन-विधान बनाने की पूरी आजादी है और कोई भी बाहरी शक्ति इसके काम में न हस्तक्षेप ही कर सकती है और न इसके निर्णय को पलट सकती है। वस्तुतः इस परिषद् को इस बात का अधिकार है कि वह उन प्रतिबंधों को हटा दे जो इस पर प्रारम्भ से ही लगा दिये गये हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई और बहन जो स्वतंत्र भारत का शासन-विधान बनाने के लिये यहां समवेत हुये हैं, वे इन प्रतिबंधों को हटाने में समर्थ होंगे और दुनिया के सामने एक ऐसा आदर्श विधान पेश कर सकेंगे, जो इन विशाल देश के सभी वर्गों को, सभी सम्प्रदायों को और सभी मतों के मानने वालों की आकांक्षा पूर्ण कर सकेगा; जिससे सभी नागरिकों को हर तरह की आजादी—काम करने की, विचार व्यक्त करने की, इच्छानुसार और मतानुसरण पूजा करने की आजादी और उन्नति प्राप्त करने के अवसर मिल सकें।

मुझे आशा है और विश्वास है कि और परिषदों की तरह यह परिषद् भी समय पाकर शक्तिसम्पन्न बनेगी। जब ऐसे संगठन काम में लगते हैं, तो उन्हें गति मिल जाती है और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, शक्ति संचय करते जाते हैं, जिससे राह में आने वाली समस्त दुर्दमनीय बाधाओं पर भी उन्हें विजय मिलती है। परमात्मा से प्रार्थना है कि यह परिषद् भी अपनी गति के साथ-साथ अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जाये।

मुझे दुख है कि आज सभा में बहुत-सी कुर्सियां खाली दिखाई पड़ रही हैं। आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग के बन्धु भी शीघ्र ही यहां अपना स्थान ग्रहण कर देशवासियों के लिए विधान बनाने के काम में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेंगे और

विधान निर्माण करेंगे, जो ऐसा संसार के अनुभव के आधार पर, हमारे अनुभवों के आधार पर, हमारी अवस्था के आधार पर हर नागरिक को हर तरह का वांछनीय आश्वासन दे सके, जो हर नागरिक को सन्तोष प्रदान करने की गारंटी करे और जिसमें किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे। मेरी यह भी आशा है कि आप सब इस महान लक्ष्य की प्राप्ति की पूरी चेष्टा करेंगे।

हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, स्वतंत्रता। किसी ने ठीक कहा है ''आजाद रहने की आजादी सबसे बड़ी चीज है।'' आइए हम सब इस बात की प्रार्थना करें कि इस विधान-परिषद् का श्रम सार्थक हो और इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो ऐसी स्वतंत्रता जिसका हमें अभिमान हो सके।

कार्य संचालन के लिए नियम-निर्मातृ-समिति का निर्वाचन

***सभापतिः** इससे आज का हमारा काम समाप्त हुआ, पर मैं सदस्यों से कहूंगा कि वे थोड़ी देर और ठहरने का कष्ट करें। आपको याद होगा कि कल हमने एक नियम-निर्मातृ-समिति बनाना तय किया था और इसके सदस्यों की नामजदगी के लिए 12 बजे तक का वक्त तय किया था। हमें 15 सदस्य चुनने हैं। मैं देखता हूं कि केवल 15 सदस्य ही नामजद किये गये हैं इससे अब बैलट द्वारा चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं निम्नलिखित 15 सदस्यों को, जिनके नाम प्रस्तावित हुये हैं, निर्वाचित घोषित करता हूं:

1. माननीय श्री जगजीवन राम
2. श्री शरतचंद्र बोस
3. श्री एफ.आर. एन्थॉनी
4. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
5. श्री बख्शी सर टेकचंद
6. माननीय श्री रफीअहमद किदवई
7. श्रीमती जी. दुर्गाबाई
8. डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौजा
9. माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर
10. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन
11. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई
12. डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया

[सभापति]

13. श्री के.एम. मुंशी
14. माननीय श्री मेहरचंद खन्ना
15. सरदार हरनाम सिंह

ये लोग नियम-निर्मातृ-समिति में नियमानुसार निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

एक काम और हैं। पहले दिन डॉ. सिनहा ने सदस्यों की सुविधा और समय बचाने के ख्याल से सदस्यों के साथ हाथ मिलाने की रस्म को बन्द कर दिया था। आपके सभा स्थान छोड़ने के पहले मैं प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इनमें बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें अरसे से जानने का मुझे सौभाग्य है। बहुतेरे ऐसे हैं जिनके साथ मेरा घनिष्ठ सम्पर्क तो नहीं हैं, पर उनको मैं पहचानता हूं, कुछ के नाम भी याद हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता और आज उनका परिचय पाना चाहता हूं। यदि आपको कष्ट न हो तो यह भी काम पूरा कर लिया जाये।

इसके बाद सभा बरखास्त हो जायेगी और कल प्रात: 11 बजे तक स्थगित रहेगी।

(तब सभापति ने सभा भवन में घूमकर सभी उपस्थित सदस्यों से हाथ मिलाया)

इसके बाद सभा मंगलवार ता. 12 दिसम्बर सन् 1946 ई. के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

Con. 3. 1.4.46
1000

अंक 1
संख्या 4

बृहस्पतिवार,
12 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित विधान-परिषद के लक्ष्यमूलक प्रस्ताव पर विवाद स्थगित 1

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, 12 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-*परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: 11 बजे डॉ. राजेन्द्र प्रसा*द के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

***सभापति:** जिन सदस्यों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर न किये हों, वह इस समय हस्ताक्षर कर सकते हैं। *(कोई आगे नहीं आया)*

मालूम होता है कि ऐसा कोई सदस्य नहीं रह गया है जिसने हस्ताक्षर न किया हो। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव। मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका ख्याल है कि इस आवश्यक प्रसताव पर विचार करने का उन्हें काफी समय नहीं मिला है। इसमें शक नहीं कि प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य यह समझे कि उसे इस पर पूरी तरह से विचार करने का समय नहीं मिला। यदि सभा की राय हो, तो कल तक के लिये इस पर वाद-विवाद मैं स्थगित कर दूं।

***कई सदस्य:** हां।

***सभापति:** और फिर इस सम्बन्ध में एक और बात है जिस पर मैं सभा की राय चाहूंगा। नियम-निर्मातृ-समिति के सदस्यों को बैठकर नियम बनाने हैं जिन्हें वे हमारे सामने पेश करेंगे। विधान-परिषद् की साधारण बैठक के अलावा भी उन्हें समय मिलना चाहिये। यदि आप सहमत हों तो सभा स्थगित होने के बाद उक्त समिति की बैठक प्रारम्भ हो जाये और इस तरह यथासम्भव अधिक काम हम कर सकें। पर यदि समिति अपना काम समाप्त न कर पाये तो उसे कल पुन: बैठना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि सभा अपनी बैठक प्रात: 11 बजे प्रारम्भ करना चाहेगी या दोपहर बाद। मेरी तो राय है कि सभा की एक ही बैठक हो चाहे प्रात: या दोपहर को, ताकि नियम-निर्मातृ-समिति दिन के एक भाग में अपनी बैठक कर सके। यदि सभा चाहती है कि उसकी बैठक प्रात:काल हो तो हम लोग सवेरे समवेत हों।

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***कुछ सदस्यः** हम लोग प्रातःकालीन बैठक चाहते हैं।

***कुछ सदस्यः** दोपहर में बैठक हो।

***सभापतिः** इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचना, मुझे डर है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं सदस्यों को कष्ट दूंगा कि वे हाथ उठा कर अपनी राय जाहिर करें। जो सवेरे की बैठक चाहते हैं वे हाथ उठायें।

(प्रातःकालीन बैठक के पक्ष में अधिकतर सदस्यों ने हाथ उठाये।)

जान पड़ता है बहुसंख्यक सदस्य सवेरे की बैठक चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हमारी बैठक कल प्रातः 11 बजे होगी और यदि जरूरी हुआ तो नियम-निर्मातृ-समिति की बैठक दोपहर बाद होगी। यदि सदस्यों को प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने हैं तो वे कृपया दिन में अपना संशोधन मंत्री को दे दें। हम कल इस पर बहस शुरू करेंगे। मंत्री इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि प्राप्त संशोधनों को वे यथासम्भव सभी सदस्यों को पहुंचा दें।

***एक सदस्यः** क्या हम शनिवार को बैठ रहे हैं?

***सभापतिः** मेरा ख्याल है, हम लोग शनिवार को समवेत होंगे। यह मेरा विचार है पर यह प्रश्न सभा के अधीन है। मैं समझता हूं कि हम लोग शनिवार को भी बैठेंगे।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं समझता हूं कि शनिवार को हमारी बैठक न होनी चाहिए। एक दिन का हमें अवकाश लेना चाहिए, ताकि उपस्थित समस्याओं पर हम शांतिपूर्वक विचार कर सकें।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मेरे ख्याल में हर रविवार को अवकाश रहना चाहिए और पं. हृदयनाथ कुंजरू को शांतिपूर्वक विचार करने के लिए यह काफी है।

***सभापतिः** इस पर हम कल विचार करेंगे। जहां तक इस सभा का प्रश्न है, हमें इसे कल प्रातः 11 बजे तक स्थगित कर देना चाहिये, पर मैं चाहूंगा कि नियम-निर्मातृ-समिति के सदस्य आधे घंटा बाद बैठें। इसी बीच में हम यह तय कर लेंगे कि वे किस-किस कमरे में बैठेंगे।

सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

***डॉ. सर हरीसिंह गौड़** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मेरी समझ में यह बहुत लाभप्रद होगा, यदि प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव उपस्थित कर अपना विचार व्यक्त कर दें, ताकि सदस्यों को उसका पूरा तात्पर्य मिल जाये और तदनुसार वे उस पर संशोधन पेश कर सकें, जिन पर कल या परसों विचार किया जा सके।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): सभा तो स्थगित कर दी गयी है।

***सभापतिः** सर हरीसिंह गौड़ का सुझाव है कि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव उपस्थित कर भाषण से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दें, ताकि सदस्यों को वह मालूम हो जाये और प्रस्ताव पर कल बहस की जा सके। मैंने स्वयं पहले ऐसा ही सोचा था, पर बाद में मैंने समझा कि सदस्य कल सारी बातों पर विचार करना चाहते हैं।

***कुछ सदस्यः** कल।

***सभापतिः** इस पर कुछ मतभेद मालूम पड़ता है और मैं इस पर मत लेना नहीं चाहता। विशेषतः इसलिये कि मैं सभा को स्थगित घोषित कर चुका हूं। अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित है।

इसके बाद सभा शुक्रवार 13 दिसम्बर, सन् 1946 ई. के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अंक 1

संख्या 5

शुक्रवार,
13 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव..1

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, 13 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: 11 बजे प्रारम्भ हुई। चेयरमैन (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) ने सभापति का आसन ग्रहण किया था।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव

***सभापति:** पं. जवाहरलाल नेहरू अब वह प्रस्ताव पेश करेंगे जो उनके नाम से है।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (यू.पी. : जनरल): साहेब सदर, कई दिनों से यह कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली (Constituent Assembly) अपनी कार्यवाही कर रही है। अभी तक कुछ जाब्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते की कार्यवाही बाकी है। हम अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि आइन्दा उस साफ जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। यह जरूरी काम था लेकिन मुनासिब है कि कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किधर जाना चाहते हैं, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा। वह तो आप बहुत गौर करके इस इमारत की एक-एक ईंट और पत्थर लगायेंगे। लेकिन जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ-कुछ नक्शा दिमाग में मौजूद होता है और ईंट-पत्थर जमा किये जाते हैं। हमारे दिमागों में एक जमाने से आजाद हिन्दुस्तान के तरह-तरह के नक्शे रहे हैं। लेकिन अब जब कि हम इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली का काम शुरू कर रहे हैं तो मुझे यह जरूरी मालूम होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको मंजूर करेंगे कि इस नक्शे को हम जरा ज्यादा जाब्ते से अपने सामने, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखें। चुनांचे जो रिजोल्यूशन (Resolution) मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वह इस तरह के एक मक्सद को साफ करने का, कुछ थोड़ा-सा नक्शा बतलाने का कि किधर हम देखते हैं, और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है।

आप जानते हैं कि यह जो कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली है, बिलकुल उस किस्म की नहीं है जैसा कि हममें से बहुत से लोग चाहते थे। खास हालत में यह पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शरायत भी इसमें उन्होंने लगाई हैं। हमने बहुत गौर के बाद उस बयान को, जो कि इस कान्स्टीट्यूएंट

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

असेम्बली की बुनियाद-सा है, मंजूर किया है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी कि जहां तक मुमकिन हो हम उसे उन हदों में चलायें, लेकिन इसके साथ आप याद रखें कि आखिर इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के पीछे क्या ताकत है और किस चीज ने इसको बनाया है।

ऐसी चीजें हुकूमतों के बयानों से नहीं बनती हैं। हुकूमत के जो बयान होते हैं, वे किसी ताकत की और किसी मजबूरी की तरजुमानी करते हैं और अगर हम यहां मिले हैं तो हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं। जो बात हम करें, उसी दरजें तक कर सकते हैं, जितनी कि उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत और मंजूरी हो—कुल हिन्दुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनांचे हमारी निगाह कर वक्त हिन्दुस्तान के उन करोड़ों आदमियों की तरफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जजबात हों उनका तर्जुमा हम इस विधान में करें। हमको अफसोस है कि इस असेम्बली के अक्सर मेम्बरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं हैं। इससे हमारी एक मानी में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो औरों को तकलीफ पहुंचाये, या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वे जल्द शरीक हो जायेंगे और वे भी इस आईन के बनाने में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिर यह आईन उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी ताकत उसके पीछे हो। हम चाहते हैं कि इससे हिन्दुस्तान के सभी लोग सहमत हों और हमारी कोशिश यह रही है और रहेगी कि ऐसी चीज हम बनायें जो कसरत से हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो। उसके साथ यह भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चन्द लोगों के या किसी गिरोह के रोकने से वह रुक नहीं सकता। अगरचे यह असेम्बली, बावजूद इसके कि चन्द मेम्बर इसमें शरीक नहीं हैं, बैठी है, ताहम यह अपना काम जारी रखेगी और कोशिश करेगी कि बहर सूरत इस काम को जारी रखे।

यह जो रिजोल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक घोषणा है, एक ऐलान है जो रिजोल्यूशन की शक्ल में है। काफी गौर और फिक्र से यह बनाया गया है। इसके अल्फाज पर गौर किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें कोई ऐसी बात न हो जो खिलाफ समझी जाये और बहुत ज्यादा बहस तलब हो। यह तो जाहिर है कि एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोशिश यही हुई है कि उसमें बहस-मुबाहिसे की बातें कम-से-कम हों। इसमें बुनियादी बातें हों, उसूल की बातें हों, जो कि एक मुल्क आमतौर से पसंद करता है और मंजूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस रिजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अव्वलन इस ब्रिटिश केबिनेट के बयान की हद से बाहर हो, दोयम यह कि कोई भी हिन्दुस्तानी, चाहे वह किसी गिरोह में हो, उसको नामंजूर करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे इख्तलाफ हैं लेकिन इन

बुनियादी उसूलों में, जो इनमें लिखे हैं, इक्के-दुक्के आदमियों के अलावा कोई इखतलाफ मैं नहीं जानता। इस रिजोल्यूशन का क्या बुनियादी उसूल है। वह यह कि हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क हो–एक सोवरन रिपब्लिक (Sovereign Republic) हो। रिपब्लिक लफ्ज का जिक्र हमने अभी तक जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आजाद हिन्दुस्तान में और हो क्या सकता है। सिवाय रिपब्लिक के कोई रास्ता नहीं है। इसकी एक ही शक्ल है कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक हो।

हिन्दुस्तान की जो रियासतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त खास तौर से रियासतों के नुमाइन्दे इसमें शरीक नहीं हैं। यह भी तजवीज हुई है और शायद एक तरमीम की शक्ल में पेश भी हो कि चूंकि बाज लोग यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह रिजोल्यूशन मुलतबी कर दिया जाये। मेरा ख्याल यह है कि यह तरमीम मुनासिब नहीं है। चूंकि पहली बात जो हमें करनी है और जो हमारे सामने है—दुनिया के सामने है—वह अगर हम न करेंगे तो हम बिलकुल एक बेजान चीज हो जायेंगे और मुल्क हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखेगा। लेकिन रियासतों का जो जिक्र किया गया है, उसके मुताल्लिक हमारा इरादा है और हम चाहते हैं और उसको समझना भी लाजिमी बात है कि हिन्दुस्तान का जो यूनियन बने उसमें हिन्दुस्तान के सब हिस्से खुशी से आयें। कैसे आयें, किस ढंग से आयें, उनके क्या अख्तियारात हों—ये तो उन सबों की खुशी पर है। प्रस्ताव में कोई भी तफसील नही है, सिर्फ बुनियादी बातें हैं। उसमें कुछ खुद-मुख्तार हिस्से हैं, उसकी कोई भी तफसील रिजोल्यूशन में नहीं है। लेकिन उसकी जो मौजूदा शक्ल है, उससे रियासतों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं आती है। यह गौर करने की बात है कि वह किस ढंग से आयेगे। रियासतों में अन्दरूनी हुकूमत कैसी हो इस बारे में मेरी अपनी एक राय है, लेकिन मैं उसको आपके सामने नहीं रखूंगा। सिवाय इसके कि जाहिर है कि किसी रियासत में वह काम नहीं हो सकता जो हमारे बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो या जो और हिन्दुस्तान के हिस्सों के मुकाबले में आजादी कम करे। वहां किस शक्ल की हुकूमत हो, जैसे कि आजकल की तरह राजा-महाराजा या नवाब (हैं या नहीं)। इस रिजोल्यूशन को इस बात से मतलब नहीं है। यह वहां के लोगों से ताल्लुक रखता है। यह बहुत मुमकिन है कि राजाओं को अगर लोग चाहें तो रखें, क्योंकि इन बातों से उन्हीं का ताल्लुक है, फैसला वही लोग करेंगे। हमारी रिपब्लिक सारे हिन्दुस्तान के यूनियन की है और उसके अन्दर अलग किसी हिस्से में वहां के लोग अगर चाहें तो अपना अन्दरूनी इन्तजाम दूसरा करें।

इस रिजोल्यूशन में जो लिखा हुआ है मैं नहीं चाहता कि आप उसमें कमी या बेशी करें। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली में कोई ऐसी बात न हो जो मुनासिब नहीं हो और किसी वक्त में खासतौर से वे, जिनका इन सवालों से ताल्लुक है और यहां मौजूद नहीं है, यह कहें कि इस असेम्बली में बेकायदा बातें हुई हैं। जहां तक इस रिजोल्यूशन का ताल्लुक है मैं

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

चाहता हूं कि आपकी खिदमत में उसे पेश कर दूं। एक तफसीली चीज की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से कि हमें हिंदुस्तान को किस तरह पर ले जाना चाहिए। आप उसके अलफाजों पर गौर करें और मैं समझता हूं कि आप उसे मंजूर करेंगे। लेकिन असल चीज यह है कि इस रिजोल्यूशन का क्या जज्बा है। कानून बगैरा लफ्जों से बनते हैं लेकिन यह उससे ज्यादा जरूरी चीज मालूम होती है। अगर आप उसके लफ्जों में एक कानूनदां की तरह जायेंगे तो आप एक बेजान चीज पैदा कर सकते हैं। हम इस वक्त एक दरवाजे पर हैं, एक जमाना खत्म हो रहा है और एक नया जमाना शुरू होने वाला है। इस मौके पर हमें एक जानदार पैगाम हिन्दुस्तान को देना है और हिन्दुस्तान के बाहर भेजना है। उसके बाद हम अपने विधान और आईन को लफ्जों का ऐसा जामा पहनायेंगे जैसा मुनासिब समझेंगे। लेकिन इस वक्त एक पैगाम भेजना है और यह दिखाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए इस रिजोल्यूशन से, इस घोषणा से और इस ऐलान से हमें यह दिखाना है कि इससे क्या शक्ल और तस्वीर पैदा हो सकती है। यह इन्सानी दिमाग में जान पैदा करने वाली चीज है, कानूनी चीज नहीं है। लेकिन कानून भी जरूरी चीज है, जरूरी मामलों में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साहेबान इस रिजोल्यूशन को मंजूर करेंगे और जिस शक्ल में चाहें मंजूर करेंगे। रिजोल्यूशन आपके सामने आया है और यह खास हैसियत रखता है। एक तरह से यह एक इकरारनामा-सा है, अपने साथी—अपने लाखों करोड़ों भाई-बहनों के साथ जो इस मुल्क में रहते हैं। अगर हम इसे मंजूर करते हैं तो यह एक तरह की प्रतिज्ञा या इकरार होगा कि हम इसको पूरा करेंगे। इस शक्ल में मैं इसको आपके सामने पेश करता हूं। आपके पास हिन्दुस्तानी में इस रिजोल्यूशन की नकलें मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। चुनांचे मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं अंग्रेजी में उसको पढ़कर सुनाये देता हूं और कुछ और भी उसकी निस्बत अंग्रेजी जबान में कहूंगा।

भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र

(1) ''यह विधान-परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाये।

(2) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।

(3) और जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा (चौहद्दी) चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे

जायेंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(4) जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता (अधिकार) जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(6) जिमसें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण-विधि रहेगी; और

(7) जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

(8) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।''

विधान-परिषद् की पहली बैठक का आज पांचवां दिन है। अब तक हम, कार्य-संचालन के लिए नियमादि बनाने का काम कर रहे थे और यह जरूरी भी था। अब हमारा कार्य-क्षेत्र साफ है। हमें अब आधार तैयार करना है और यह काम कुछ दिनों से कर रहे हैं। अभी हमें बहुत-कुछ करना बाकी है। इसके पहले कि हम उस परिषद् के असली काम यानी जाति की आकांक्षाओं को, उसके चिर-स्वप्नों को लिखित रूप देने का महान् काम प्रारम्भ करें, हमें कार्य-संचालन के लिए नियम पास करने हैं और समितियां बनानी हैं। परन्तु इस अवसर पर भी निश्चय ही यह बहुत वांछनीय है कि हम खुद को, उन लोगों को जिनकी

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

निगाहें परिषद् की ओर हैं, इस देश की करोड़ों जनता को, जो हमारी ओर देख रही है तथा सारी दुनिया को यह आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। प्रस्ताव होते हुए भी यह प्रस्ताव से बहुत कुछ ज्यादा हैं। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हम सबों के लिए तो, हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है! मैं चाहता हूं कि सभा इस प्रस्ताव पर कानूनी शब्द-जाल की संकुचित भावना से विचार न करे बल्कि उसके मूल में जो भावना है उसे मद्देनजर रखकर उस पर विचार करे। अक्सर शब्दों में जादू का-सा चमत्कार होता है; पर कभी-कभी यह शब्दों का जादू भी मानव-भावना को, जाति की जबरदस्त लालसा को पूर्णरूपेण व्यक्त नहीं कर पाता। अत: मैं यह नहीं कह सकता कि प्रस्तुत प्रस्ताव उस लालसा को व्यक्त करता है जो आज भारतीय जनता के दिल और दिमाग में है। यह प्रस्ताव संसार को टूटे-फूटे शब्दों में यह बतलाना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा कर रखी थी, हमारा स्वप्न क्या था? और निकट भविष्य में हम लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हैं। इसी भावना से, मैं यह प्रस्ताव सभा के सामने रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सभा भी इसी भावना से उस प्रस्ताव को ग्रहण करेगी और अन्त में स्वीकार करेगी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने और सभा के सामने विनम्रतापूर्वक यह सुझाव रखना चाहता हूं कि जब प्रस्ताव को मंजूर करने का समय आवे तो हम सिर्फ रस्म के रूप में हाथ उठाकर ही उसे न स्वीकार करें बल्कि भक्ति भाव से खड़े होकर उसे स्वीकार करें और इसे अपना नवीन व्रत समझें।

सभा को मालूम है कि यहां बहत से लोग अनुपस्थित हैं और बहुत से सदस्य, जिन्हें इसमें शामिल होने का हक है, यहां नहीं आये हैं। हमें इस बात का दु:ख है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों और भिन्न-भिन्न दलों से ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों को, हम अपने साथ सम्मिलित करें। हमने एक महान् काम उठा लिया है और इसमें हम सब लोगों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह इसलिए कि भारत का भविष्य, जिसकी कल्पना हमने की है, किसी खास दल, सम्प्रदाय या प्रान्त के लिए ही सीमित न होगा बल्कि वह तो भारत की चालीस करोड़ जनता के लिए होगा। हमें इन कुछ बेंचों को खाली देखकर और कुछ साथियों को, जो यहां उपस्थित हो सकते थे, अनुपस्थित पाकर बड़ा दु:ख होता है। मुझे आशा है और मैं समझता हूं कि वे आयेंगे और यह सभा पीछे चलकर उन सबके सहयोग का लाभ प्राप्त करेगी। पर इस बीच में हम सब पर एक दायित्व है कि हम अपने अनुपस्थित मित्रों का ध्यान रखें और हमेशा यह स्मरण रखें कि हम यहां किसी खास दल के लिए काम करने नहीं आये हैं। हमें सारे हिन्दुस्तान का, यहां के चालीस करोड़ नर-नारियों का सदा ख्याल रखना है। हम सब फिलहाल अपनी-अपनी सीमाओं में दल विशेष के हैं, चाहे

इस दल के या उस दल के, और शायद अपने-अपने दलों के साथ काम करना भी जारी रखेंगे। फिर भी ऐसा मौका आता है कि हमको दल-भावना से ऊपर उठ जाना पड़ता है और सारी जाति या देश का—यहां तक कि कभी-कभी उस समूचे संसार का, ख्याल रखना पड़ता है, जिसका यह देश भी एक महत्त्वपूर्ण भाग है। जब मैं इस विधान-परिषद् के काम का ख्याल करता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब समय आ गया है कि जहां तक हमसे बन पड़े हम व्यक्तिगत भावना और दलबन्दी के झगड़ों से ऊपर उठकर अधिक-से-अधिक व्यापक, सहिष्णु और प्रभावकारी ढंग से उस महती समस्या पर विचार करें जो आज हमारे सामने है ताकि हम जो भी विधान बनावें वह समस्त भारत के योग्य हो; सारा संसार स्वीकार करे कि हमने सचमुच महान् कार्य का सम्पादन उसी योग्यता से किया, जिससे हमें करना चाहिए था।

एक और भी व्यक्ति यहां आज अनुपस्थित है जो अवश्य ही हममें से बहुतों के दिल में मौजूद है। हमारा इशारा उस व्यक्ति की ओर है, जो सारे देश का नेता है जो समस्त राष्ट्र का जनक है, *(हर्षध्वनि)* जो इस सभा का निर्माता रहा है, जो हमारे कितने ही अतीत-कार्यों का कर्त्ता रहा है और हमारी भविष्य की बहुतेरी कार्रवाइयों का कर्त्ता-धर्त्ता रहेगा। आज वह यहां उपस्थित नहीं है। वह अपने महान् आदर्शों की पूर्ति के लिए भारत के एक सुदूर कोने में निरंतर कार्यरत हैं। परन्तु मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि उसकी आत्मा इस भवन में वर्तमान है और इस महान् कार्य के सम्पादन में हमें सतत आशीर्वाद दे रही है।

सभापति महोदय, यहां बोलते हुये मैं चतुर्दिक व्याप्त स्मृतियों और समस्याओं के बोझ से अपने को बोझिल अनुभव करता हूं। हम लोग एक युग को समाप्त कर सम्भवत: बहुत शीघ्र ही एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। मेरा ध्यान आज भारत के महान् अतीत की ओर, उसके पांच हजार वर्ष के इतिहास की ओर जाता है उसके इतिहास के प्रारंभ से—जो मानव इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है-आज तक का सारा इतिहास हमारी आंखों के सामने है। वह समस्त अतीत आज हमारे चतुर्दिक है और हमें आनंद और जीवन प्रदान कर रहा है पर साथ-ही-साथ उससे, यह सोचकर मुझे कुछ वेदना भी होती है कि क्या हम उस अतीत के योग्य हैं।

शक्तिशाली अतीत और अधिकतर शक्तिशाली भविष्य के बीच स्थित वर्तमान की तलवार के धार पर खड़े होकर जब मैं भविष्य की सोचता हूं, उस भविष्य की, जो मुझे विश्वास है कि अतीत से भी महत्तर है, तो अपने महान् कार्यभार से अभिभूत हो जाता हूं और भयभीत हो जाता हूं। भारतीय इतिहास के अद्भुत अवसर पर हम यहां समवेत हुए हैं। इस परिवर्तन क्षण में प्राचीन युग से एक नवीन युग में प्रविष्ट होने के इस परिवर्तन काल में मुझे कुछ विस्मय-सा मालूम होता है, वैसा ही विस्मय जैसा रात से दिन होने में मालूम पड़ा है, हो सकता है दिन मेघाच्छन्न हो; पर है तो आखिर दिन; इसलिए बादल फटने पर दिन अवश्य निकलेगा। इन सब बातों के कारण मुझे इस सभा के सम्मुख बोलने और अपने सारे विचार रखने में कुछ कठिनाई मालूम होती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

इन पांच हजार वर्षों के लम्बे सिलसिले में बड़ी-बड़ी विभूतियां, जो आईं और चली गईं, आज मेरी आंखों के सामने हैं। उन मित्रों की मूर्तियां भी मानों आज मेरे सन्मुख हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए निरंतर प्रयास किया है। आज हम समाप्त-प्राय: युग के छोर पर खड़े हैं और नवीन युग में प्रवेश पाने के लिए परिश्रम और प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभा वर्तमान अवसर की गंभीरता समझेगी और उसी गंभीरता से इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जिसे सभा के सन्मुख उपस्थित करने का मुझे गौरव है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन सभा के सामने आ रहे हैं। इनमें से बहुतों को मैंने नहीं देखा है। सभा के किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह इसके सामने कोई भी संशोधन रखे और सभा को अधिकार है कि वह उसे मंजूर करे या नामंजूर। पर मैं स-सम्मान आपको यह सुझाव दूंगा कि यह अवसर ऐसा नहीं है कि हम छोटी-छोटी बातों में कानूनी और रस्मी ढंग अपनायें; जब कि हमें बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है, बड़े-बड़े कामों को अन्जाम देना है और महत्त्वपूर्ण मसले तय करने हैं। अत: मैं आशा करूंगा कि सभा गंभीरता से ही इस महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस करेगी और शाब्दिक झगड़े में ही अपने को न भुला देगी।

मुझे विभिन्न विधान-परिषदों का भी ख्याल आता है जो पहले बैठ चुकी हैं। अमेरिकन राष्ट्र के निर्माताओं ने विधान-परिषद् में समवेत होकर राष्ट्र-निर्माण के लिए एक विधान तैयार किया था, जो आज डेढ़ सौ बरस की परीक्षा में पक्का साबित हुआ है। इस विधान-निर्माण में क्या-क्या बातें हुई, उन सबकी मैं कल्पना कर रहा हूं। इस विधान के फलस्वरूप जो महान् राष्ट्र उत्पन्न हुआ उसको मैं सोच रहा हूं; मेरी कल्पना उस जबर्दस्त क्रांति की ओर जा रही है जो आज से 150 वर्ष पहले हुई थी। मैं कल्पना कर रहा हूं उस विधान-परिषद् की, जो आनन्ददायक उस पेरिस नगर में समवेत हुई थी, जिसने आजादी की कितनी ही लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं सोच रहा हूं उन कठिनाइयों को जो इस विधान-परिषद् को मिलीं, मैं सोच रहा हूं उन बाधाओं को जिन्हें सम्राट तथा अधिकारियों ने उस परिषद् की राह में रोड़े डाले। इस सभा को स्मरण होगा कि जब इसके मार्ग में रोड़े अटकाए गए, यहां तक कि उसे समवेत होने के लिए स्थान देने से भी इंकार किया गया तो परिषद् ने टेनिस कोर्ट में अपनी बैठक की और वहां ही उसने शपथ ग्रहण की; जो 'दी ओथ आव् टेनिस कोर्ट' के नाम से मशहूर है। सम्राट और अधिकारियों की; समस्त बाधाओं के बावजूद वे समवेत होकर तब तक अपना काम करते रहे जब तक कि उन्होंने अपने काम को पूरा न कर लिया, जिसे पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। मुझे विश्वास है कि हम लोग भी उसी गम्भीरता और पवित्र भावना से यहां समवेत हुए हैं और हम भी चाहे इस भवन में हो या अन्यत्र, मैदान में, बाजार में, कहीं भी समवेत होकर—तब तक अपना काम करते जायेंगे जब तक कि उसे पूरा न कर लें।

इसके बाद हमारी याद जाती है निकट भूत की उस महती क्रांति की ओर जो रूस में हुई थी और जिसके, फलस्वरूप एक नये ढंग के राज्य—रूस यूनियन आव् सोवियत् रिपब्लिक—जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ जो आज विश्व के कामों में प्रमुख भाग ले रहा है। यह महान् शक्तिशाली राष्ट्र हम भारतवासियों के लिए न सिर्फ एक महान् शक्तिशाली राष्ट्र ही है वरन् पड़ौसी भी है।

इस तरह हम आज इन बड़े-बड़े उदाहरणों को स्मरण करते हैं और उनकी सफलताओं से लाभ उठाने की एवं उनकी असफलताओं से बचने की कोशिश करते हैं। शायद हम असफलताओं से बच न सकें क्योंकि कुछ-न-कुछ असफलता तो मानव-प्रयास में सन्निहित रहती ही है। फिर भी हमें निश्चय है कि हम तमाम बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ेंगे और अपनी चिर-संचित आकांक्षाओं और स्वप्नों को प्राप्त करेंगे। इस प्रस्ताव में, जो सभा जानती है कि बड़ी सावधानी से बनाया गया है, हमने अत्यधिक या अत्यल्प कथन को दूर ही रखा है। इस तरह के प्रस्ताव का बनाना बड़ा कठिन है। यदि आप उसमें बहुत कम बात व्यक्त करते हैं तो वह केवल एक कोरा प्रस्ताव ही रह जाता है और दूसरे यदि आप उसमें अधिक कुछ कहते हैं तो यह विधान बनाने वाले सदस्यों के कार्य में कुछ हस्तक्षेप-सा होता है। यह प्रस्ताव उस विधान का मार्ग नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं और हमें इसी दृष्टि से इसे देखना चाहिए। सभा को विधान बनाने की पूरी स्वतंत्रता है और दूसरे लोगों को भी, जब वे सभा में आ जायें तो विधान बनाने की पूरी आजादी है। अत: यह प्रस्ताव दोनों सीमाओं के बीच की राह है और केवल कुछ बुनियादी उसूलों को निर्धारित करता है जिन पर, मुझे पक्का विश्वास है, किसी दल या व्यक्ति को विवाद नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि हमारा यह दृढ़ और पवित्र निश्चय है कि हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कायम करेंगे। यह ध्रुव निश्चय है कि भारत सर्वाधिकारपूर्ण स्वतन्त्र, प्रजातंत्र होकर ही रहेगा। मैं राजतन्त्र की बहस में न जाऊंगा। अवश्य ही हम भारत में शून्य से (बिना किसी आधार के) राजतन्त्र नहीं स्थापित कर सकते। जब भारत को हम सर्वाधिकारपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो किसी बाहरी शक्ति को हम राजा न मानेंगे और न किसी स्थानीय राजतंत्र की ही तलाश करेंगे। यह तो निश्चय ही प्रजातंत्रीय (Republic) होगा। कुछ मित्रों ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि मैंने प्रस्ताव में लोकतंत्रीय (Democratic) शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें बताया कि रिपब्लिक राज्य डेमोक्रेटिक न हो ऐसा समझा जा सकता है, पर हमारा सारा अतीत इस बात का गवाह है कि हम लोकतंत्रीय संस्था (Democratic Institution) ही की स्थापना चाहते हैं। स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लोकतन्त्रीय व्यवस्था की स्थापना ही है और उससे कम हम कुछ नहीं चाहते। उस लोकतन्त्र का क्या रूप हो, यह बात दूसरी है। वर्तमान युग के लोकतन्त्र ने यूरोप की और अन्य स्थानों की लोकतन्त्रीय शासन-पद्धति ने संसार की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया है। इसमें संदेह है कि ये लोकतंत्र, यदि सही माने में इन्हें लोकतंत्र रहना है तो, अपना

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

वर्तमान स्वरूप अधिक दिनों तक रख सकेंगे। मुझे आशा है कि हम लोग किसी विशेष तथाकथित लोकतन्त्रीय देश की पद्धति की नकल न करेंगे। हो सकता है कि हम लोग वर्तमान लोकतंत्र को और भी अच्छा बनायें। जो भी हो, हम जो भी शासन-पद्धति यहां स्थापित करें व हमारी जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल और सबको ग्राह्य होनी चाहिए। हम लोकतंत्र चाहते हैं। यह काम इस सभा का है कि वह निश्चय करे उस लोकतंत्र को, पूर्णत: लोकतंत्र को, वह क्या स्वरूप देगी। सभा देखेगी कि हमने इस प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक शब्द नहीं रखा है क्योंकि हमने समझा कि रिपब्लिक शब्द के अन्दर वह सन्निहित है और हम अनावश्यक अतिरिक्त शब्द रखना नहीं चाहते हैं। पर हमने प्रस्ताव में डेमोक्रेटिक (लोकतंत्रीय) शब्द से बहुत कुछ अधिक रख दिया है। इस प्रस्ताव में हमने लोकतंत्र का सार सन्निहित कर दिया है बल्कि मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र का ही सार नहीं वरन् इसमें हमने (Economic Democracy) आर्थिक लोकतंत्र का सार भी सन्निहित कर दिया है। कुछ लोग इस बिना पर इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं कि इसमें समाजवादी राष्ट्र (Socialist State) नहीं अपनाया है। सज्जनो, मैं समाजवाद का समर्थक हूं और मुझे आशा है कि सारा हिन्दुस्तान समाजवाद का समर्थन करेगा और वह समाजवादी शासन विधान बनायेगा और सारी दुनिया को भी इसी दिशा में चलना होगा। उस समाजवाद का स्वरूप क्या हो यह भी आपका दूसरा विचारणीय विषय है। पर असली बात यह है कि यदि मैं अपनी इच्छानुसार इस प्रस्ताव में यह रखता कि हम समाजवादी राष्ट्र चाहते हैं तो शायद इसमें कुछ ऐसी बातें आ जातीं जो बहुतों को ग्राह्य होती और कुछ को अग्राह्य। हम यह नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों को लेकर यह प्रस्ताव विवादात्मक हो जाये। इसलिए प्रस्ताव में हमने पारिभाषिक शब्द नहीं रखे हैं बल्कि हम क्या चाहते हैं इसका निचोड़ रख दिया है। यह आवश्यक है और मैं समझता हूं इसमें कोई विवाद नहीं उठ सकता। कुछ लोगों ने मुझे कुहा है कि इस प्रस्ताव में रिपब्लिक (प्रजातन्त्र) का रखा जाना देशी नरेशों को कुछ नाराज कर सकता है। सम्भव है इससे वे नाराज हों मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और सभा जानती है कि मैं वैयक्तिक रूप से राजतन्त्रीय पद्धति में, वह चाहे कहीं भी हो, विश्वास नहीं करता। संसार से राजतंत्र आज तेजी से मिटता जा रहा है। फिर भी यह मेरे विश्वास की बात नहीं है। देशी राज्यों के सम्बन्ध में हम लोगों के विचार बहुत दिनों से यही रहे हैं कि सर्वप्रथम इन राज्यों की प्रजा को आने वाली आजादी में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। यह बात तो मेरी कल्पना में ही नहीं आती कि देशी रियासतों की प्रजा और भारत के अन्य भागों की प्रजा की स्वतंत्रता का भिन्न-भिन्न मापदंड हो। संघ में देशी रियासतें किस तरह सम्मिलित होंगी इस बात को तो यह सभा ही रियासतों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके तय करेगी और मुझे आशा है कि सभा, रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मसलों को रियासतों के सच्चे प्रतिनिधियों से ही बातचीत कर तय करेगी। हां, मैं जानता हूं कि उन मसलों को तय करने में जिनका

देशी राज्यों के शासकों से सम्बन्ध है, हम शासकों के साथ या उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करने के लिए पूरी तरह रजामन्द हैं। पर अन्त में जब हम भारत का विधान बनायेंगे तो जिस तरह भारत के अन्य भागों के जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क रखकर उसका निर्माण करेंगे उसी तरह देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों से भी सम्पर्क रखकर हम विधान को अन्तिम रूप देंगे। *(हर्षध्वनि)* जो भी हो, हम या तो नियम निर्धारित कर देंगे या खुद आपसी रजामन्दी से तय कर लेंगे कि देशी रियासतों और अन्य भागों के लिए स्वतंत्रता का स्तर समान होगा। मैं खुद तो यह चाहूंगा और इसकी सम्भावना भी है कि सारे देश में शासन-व्यवस्था या हुकूमत की मशीनरी एक समान हो। पर यह बात ऐसी है जिसका फैसला रियासतों के परामर्श और सहयोग से करना होगा। मैं नहीं चाहता और मेरा ख्याल है यह सभा भी नहीं चाहेगी कि देशी राज्यों पर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ लादा जाये। अगर किसी रियासत की प्रजा कोई खास तरह की शासन-प्रणाली चाहती है, चाहे वह राजतन्त्रात्मक ही क्यों न हो, उन्हें वैसी प्रणाली रखने का अधिकार है। इस सभा को मालूम होगा कि ब्रिटिश कामनवेल्थ में भी आज आयरलैंड एक रिपब्लिक (प्रजातंत्र) है और फिर भी कई तरह से यह ब्रिटिश कामनवेल्थ का एक सदस्य भी है। इसलिए यह बात तो समझ में आ सकती है। मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या, क्योंकि उसका निश्चय करना कुछ इस सभा का और कुछ दूसरों का काम है। इसकी असम्भावना या इसमें कोई असामंजस्य नहीं है कि रियासतों में किसी खास तरह की शासन-प्रणाली हो; बशर्ते कि वहां पूरी स्वतंत्रता और दायित्वपूर्ण शासन (Responsible Government) हो और वह प्रजा के आधीन हो। यदि किसी रियासत की प्रजा राजतंत्र के प्रधान यानी राजा, महाराजा और नवाब को पसंद करती है तो, मैं चाहूं या न चाहूं, निश्चय ही मैं इसमें कतई दखल देना नहीं पसन्द करता। अत: मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है यह, आगे जो कुछ करना चाहेगी या जो बातचीत चलायेगी इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं डालता। सिर्फ एक ही माने में यह प्रस्ताव हम पर कुछ सीमा या पाबन्दी (यदि आप इसे पाबन्दी समझें) डाल देता है। वह यह कि इस घोषणा में जो बुनियादी उसूल है हम उन पर ही चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये बुनियादी सिद्धांत, सही माने में, विवादात्मक हैं ही नहीं। हिन्दुस्तान में कोई भी इनका विरोध नहीं करता और न किसी को इनका विरोध करना ही चाहिए पर यदि कोई विरोध करता है तो हम उनका मुकाबला करेंगे और अपनी-अपनी जगह पर डटे रहेंगे। *(हर्ष-ध्वनि)*

सभापति महोदय, हम भारत के लिए विधान बनाने बैठे हैं। स्पष्ट है कि हमारे इस काम का बाकी दुनिया पर जोरदार प्रभाव पड़ेगा। यह इसलिए नहीं कि इससे संसार-क्षेत्र में एक नये शक्तिशाली राष्ट्र का अभ्युदय होता है बल्कि इस कारण से कि भारत ऐसा देश है; जो न सिर्फ अपनी आबादी या क्षेत्रफल के विस्तार से वरन् अपने प्रचुर साधनों और उसके उपयोग की क्षमता से विस्तृत संसार के

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

कामों में शीघ्र ही जबरदस्त हाथ बंटा सकता है। आज भी जब हम आजादी के किनारे खड़े हैं, भारत ने संसार के मामलों में जबरदस्त हाथ बंटाना शुरू कर दिया है। इसलिए विधान-निर्माताओं के लिए यह उचित है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पहलू को हमेशा ध्यान में रखें।

हम संसार के साथ दोस्ताना बर्ताव चाहते हैं। हम सब देशों से मित्रता चाहते हैं। अतीत के झगड़ों के एक लम्बे इतिहास के बावजूद इंग्लैंड को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। सभा को मालूम है कि मैं हाल ही में विलायत गया था। मैं कुछ कारणों से, जिन्हें यह सभा अच्छी तरह जानती है वहां नहीं जाना चाहता था। पर ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध के कारण मैं वहां गया। वहां मुझे सभी जगह सौजन्य मिला। फिर भी भारतीय इतिहास के इस भावनापूर्ण मनोवैज्ञानिक अवसर पर जब हम दुनिया से और अपने अतीत सम्पर्क एवं संघर्ष के कारण ग्रेट-ब्रिटेन से तो खासतौर पर सहयोग, मैत्री, तथा खुशी के सम्वाद पाने के भूखे थे; दुर्भाग्य से हम खुशी का सम्वाद तो दूर रहा, बहुत कुछ निराशा का सम्वाद लेकर लौटे। मुझे उम्मीद है कि ये नई कठिनाइयां जो ब्रिटिश मन्त्रिमंडल और वहां के अन्य अधिकारियों के हाल के वक्तव्यों से उत्पन्न हुई है वे हमारी राह न रोकेंगी। और हम, यहां उपस्थित और अनुपस्थित सब के सहयोग से आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। मुझे इस बात से सख्त सदमा पहुंचा है, सख्त चोट पहुंची है कि ऐन मौके पर जब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गईं। हम पर नई-नई पाबन्दियां जिनका पहले कहीं जिक्र भी न था, लगायी गई और नये तरीके सुझाये गए। मैं किसी व्यक्ति की सद्भावना पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता पर मैं अवश्य ही यह कह देना चाहता हूं कि इसका कानूनी पहलू चाहे कुछ भी क्यों न हों, पर जब हमें ऐसे राष्ट्र से काम पड़ता है जो आजादी के लिए मतवाला हो तो ऐसे भी अवसर उपस्थित होते हैं कि कानून लचर हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां हममें से बहुतों ने गत वर्षों से एक या अधिक पीढ़ियों से भारत की आजादी की लड़ाई में अक्सर हिस्सा लिया है। हम आफतों के बीच से गुजरे हैं। हम इसके आदी हैं और यदि जरूरत आ गई तो हम पुन: विपत्तियों से खेलेंगे *(हर्षध्वनि)*। फिर भी इन तमाम संघर्षों के दौरे में हम हमेशा ही ऐसे अवसर की बात सोचते रहे हैं जब हम संघर्ष और विध्वंस नहीं बल्कि निर्माण के काम में लग जायें। और उस समय जब हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि स्वतंत्र भारत में रचनात्मक काम करने का समय आ रहा है जिसकी बड़ी खुशी से बाट जोह रहे थे कि नई बाधायें हमारे रास्तें में डाली गईं। चाहे जो भी शक्ति इसके पीछे हो, इससे यही जाहिर होता है कि चतुर, बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों में भी अपनी मर्यादा और पद के अनुकूल कल्पनामूलक साहस का अभाव होता है। यदि आपको किसी राष्ट्र से काम पड़ता है तो अपनी कल्पना, भावना और साथ-ही-साथ बुद्धि की दौड़

से ही आप उसको ठीक-ठीक समझ सकते हैं। अतीत से ही यह दुखद परम्परा चली आती है कि भारतीय समस्याओं को समझने में शासकों में कल्पना-शक्ति का सर्वथा अभाव रहा है। इन लोगों ने अक्सर हमारी समस्याओं में अनावश्यक हाथ डाला या हमें राय दी और यह न समझा कि वर्तमान भारत न किसी की सलाह चाहता है और न अपनी मर्जी के खिलाफ किसी का समाधान ही अपने ऊपर लादना चाहता है। भारत को प्रभावित करने का एक मात्र रास्ता है मैत्री, सहयोग और सद्भावना का बर्ताव। जबर्दस्ती उस पर कुछ भी लादने या मध्यस्थ बनने की थोड़ी भी चेष्टा पर हम आक्रोश करते हैं और करेंगे *(हर्षध्वनि)*। गत कई महीनों में, बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी हमने ईमानदारी से सहयोग का वातावरण पैदा करने की हरचन्द कोशिश की। हमारी यह कोशिश जारी रहेगी पर मुझे भय है कि अगर दूसरी ओर से इसका काफी जवाब न मिला तो सहयोग का वातावरण नष्ट या दुर्बल हो जायेगा। हमने महान् काम का बीड़ा उठाया है, हमें विश्वास है कि हम उसे पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे। हमें यह भी विश्वास है कि यदि इस कार्य में प्रयत्नशील रहे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। जहां हमें अपने ही देशवासियों से निबटना है हम सद्भावना से उस काम में लगे रहेंगे यद्यपि हम समझते हैं कि हमारे कुछ देशवासी गलत रास्ता पकड़ते हैं। जो भी हो आज नहीं तो कल या परसों हमें इस देश में मिलकर ही काम करना है और हमारा आपसी सहयोग अवश्यम्भावी है। अत: हमें इस समय ऐसे किसी भी काम से बचना होगा जिससे हमारे भविष्य के मार्ग में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई नई बाधा उपस्थित हो जाये। इसलिए जहां तक हमारे देशवासियों का सम्बन्ध है उनका अधिक-से-अधिक सहयोग पाने के लिए हमें यथाशक्ति चेष्टा करनी है। परन्तु सहयोग का यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन मौलिक सिद्धान्तों का ही त्याग कर बैठें जिनके लिए हम यह सब कुछ कर रहे हैं और करना चाहिए। सहयोग का यह मतलब नहीं है कि हम उन सिद्धांतों को ही कुर्बान कर दें जिनके लिए हम जीते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने अभी कहा है हम इंग्लैंड का भी सहयोग चाहते रहे और इस समय भी चाहते हैं जब वातावरण आपसी संदेह से भरा हुआ है। हम समझते हैं कि यदि उन्होंने सहयोग देने से इन्कार किया तो अवश्य ही इससे भारत को क्षति पहुंचेगी, पर इंग्लैंड को उससे भी ज्यादा क्षति पहुंचेगी और संसार को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा। युद्ध से हम अभी फुरसत पाये हैं और लोगों में व्यापक रूप से आगामी युद्ध की मन्द-मन्द चर्चा चलने लगी है। ऐसे समय में नवीन प्राणपूर्ण और निर्भय भारत का पुनर्जन्म होने जा रहा है। विश्व की इस उथल-पुथल से भारत के पुनर्जन्म का यह शायद उपयुक्त अवसर है। पर ऐसे समय में हम लोगों की दृष्टि जिन पर भारत का विधान बनाने का जबर्दस्त भार है, खूब साफ दूरदर्शिनी होना चाहिए। हमें वर्तमान की महती आशाओं और भविष्य की उससे भी महत्तर आशाओं पर सोच विचार करना है और इस दल या उस दल के क्षुद्र लाभ की तलाशी में ही अपने को नहीं खो देना है। विधान-परिषद् में बैठ कर आज हम विश्व के रंग-मंच पर अभिनय कर रहे हैं और सारे संसार

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

की निगाह, हमारे सम्पूर्ण अतीत की दृष्टि, हमारी ओर है। हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हमारा अतीत देख रहा है और भविष्य भी देख रहा है यद्यपि अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। मैं इस प्रस्ताव को इसी दृष्टि से देखता हूं और मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह अपने महान् अतीत को, वर्तमान के जबर्दस्त उथल-पुथल को और उदित होने वाले महत्तर भविष्य को दृष्टि में रखकर उस पर विचार करे। सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

सभापतिः श्री पुरुषोत्तमदास टंडन इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (यू.पी. : जनरल): सभापति महोदय, पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का पूरी तौर से मैं समर्थन करता हूं। विधान-परिषद् की आज की बैठक एक ऐतिहासिक अवसर है। शताब्दियों के बाद हमारे देश में ऐसी सभा समवेत हुई है। यह सभा हमें अपने वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है जब हम स्वतंत्र थे और बड़ी प्रतिनिधि सभायें बैठती थीं जहां बड़े-बड़े विद्वान देश के महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया करते थे। यह हमें अशोककालीन बड़ी-बड़ी सभाओं की याद दिलाती है। उन दिनों का एक धुंधला चित्र आज हमारी आंखों के सामने है। यह सभा हमें अमेरिका, फ्रांस और रूस प्रभृति अन्य देशों की परिषद्ों की याद दिलाती है। अन्य स्वतंत्र देशों के विधान-निर्माण के लिए जो परिषदें बैठी थीं उनके साथ-साथ हमारी यह परिषद् भी सबको सदा याद रहेगी। हम जहां एक ऐसा शासन-विधान बनाने बैठे हैं जिससे संसार को यह साफ मालूम हो जाये कि भारत का यह पक्का इरादा है कि वह संसार के साथ मिलकर बाइज्जत रहेगा उससे अलग नहीं। भारत तमाम मुल्कों को सहयोग देगा और उनकी मुसीबतों में उन्हें हरचन्द मदद देगा, वह उन सब प्रयत्नों में साथ देगा जिससे संसार का भला हो। हमें विश्वास है कि हम आज यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा और उसकी गणना भी उन ऐतिहासिक घटनाओं में होगी जिनसे संसार की समुन्नति में सहायता मिली है।

गत डेढ़ सौ वर्षों से हिन्दुस्तान ब्रिटेन के आधीन रहा है। हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते जिनके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ से ही लगातार आवाज उठाई है। इन डेढ़ सौ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान को जो भी चोटें दी गई हैं, हम यहां उनका जिक्र नहीं करेंगे। उन चोटों ने हमें न केवल अपनी आजादी से ही वंचित किया बल्कि हममें एक आपसी भेदभाव पैदा कर दिया। आज हम उन सब बातों का जिक्र न करेंगे। पर हम अपने नेताओं के त्याग और संघर्ष को नहीं भूल सकते। प्रारम्भ में हमारे नेताओं ने महज प्रस्ताव पास कर और उन्हें सव्याख्या सरकार के पास भेजकर आजादी की मांग की। हुकूमत ने खुल्लम-खुल्ला हमारे साथ ज्यादती की और सब जगह अंग्रेजों का पक्ष लिया। हमने शासकों से हर तरह अपील की कि हमारे साथ न्याय का बर्ताव हो। हमारे नेताओं ने उनके

ऊंचे आदर्शों की और-महामना बर्क और मिल के बताये आदर्शों की ओर हुकूमत का ध्यान खींचा। हमारे नेता ब्रिटिश आदर्शों से प्रभावित थे और उन्हें पूरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें आजादी देगा। वह जमाना अब गुजर गया। अनुभवों ने सिखाया कि आजादी अपील या प्रार्थना से नहीं मिल सकती, उसे पाने के लिए हमें अब बहादुराना कदम उठाना लाजिमी है। हमारे इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उसके बाद नये-नये आंदोलन चलाये गए और ब्रिटेन के साथ खुली बगावत की गई। 1905-06 के आंदोलन ने देश को उन्नति की सीढ़ी पर कुछ और आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारे वीर बंगाली नेताओं और युवकों ने ऐसे-ऐसे बहादुराना काम किये जो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे। हम आगे और राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गांधी राजनीति के मैदान में पहुंचे और उन्होंने हमारे युद्ध का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने हमें एक नया सबक सिखाया और हमने एक नये सिलसिले से लड़ाई शुरू की। ब्रिटिश कानूनों की न सिर्फ अवहेलना ही की गई बल्कि सरेआम वह तोड़े जाने लगे और हमने जरा भी परवाह न की कि इसका क्या कठोर परिणाम भुगतना होगा। हमारे हजारों देशवासियों ने कानून तोड़े और जेल गये। उन वीरों की तस्वीरें जिन्होंने संग्राम में जीवन बलिदान किया या वर्षों जेलों में सड़ते रहे, आज हमारी आंखों के सामने हैं दरअसल अभी हाल का आंदोलन—सन् 1942 का आंदोलन—ही इस सभा का जन्मदाता है। ब्रिटेन द्वारा इस परिषद् के बुलाये जाने में इस आंदोलन का जबर्दस्त हाथ है। हमारी आगे की तरक्की के लिए इसने एक नई राह निकाल दी। ब्रिटिश हुकूमत अब भारत में टिक नहीं सकती। इस वास्तविकता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखें खुल गईं और संसार चकित हो गया। दूसरे देशों ने खुलकर तो हमारा साथ नहीं दिया पर हमें यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि हमने अपनी ताकत का इजहार तो किया ही जो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने में खास चीज है। पर साथ-ही-साथ उन बड़ी ताकतों ने भी जो आज दुनिया को एक करने में लगी हैं हमें सहायता दी है। संसार ने यह समझ लिया है कि दुनिया के एक सुदूर कोने में भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका व्यापक असर खुद अत्याचारी के देश पर और उसके पड़ौसी देशों पर पड़ता है। गत दो महायुद्धों ने यह बात प्रमाणित कर दी है। आज संसार के बड़े-बड़े नेता उपाय ढूंढ़ने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय महायुद्ध की बर्बादी से कैसे बचाया जाये। वे संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जहां न और युद्ध होंगे, न इंसान का खून बहाया जायेगा, जहां अमीर और गरीब का भेदभाव न रह जायेगा, जहां हर एक को भोजन और अन्न मिलेगा, जहां हर आदमी को हक हासिल होगा कि वह अपने आदर्शों के अनुसार जीवन यापन करें। जहां प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने का अधिकार होगा, जहां आदर्श उच्च और उच्चतर होंगे, जहां निवासियों के बीच एक आत्मिक सम्बन्ध होगा।

बुद्धिमान लोग ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे संसार उस दलदल से बाहर निकल सके जिसमें वह आज फंस गया है, जिससे सारे मुल्कों

[माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]

को बराबर हक हासिल हो सके। जमाना तेजी से बदल रहा है और दुनिया की ताकतें इन नये विचारों को अमली रूप देने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही हैं। हम लोग भी जब इसी दुनिया में रहते हैं, उनसे बच नहीं सकते। इन नई शक्तियों का हम भी हृदय से स्वागत करते हैं। ये ही शक्तियां हमारी बड़ी-बड़ी आशाओं का हमेशा आधार रही हैं। भारत के बारे में यह खासतौर से कहा जा सकता है कि उसके निवासियों ने ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का ऊंचा आदर्श सदा अपनाया है और संसार को एक देश समझा है। हमारे देश के महापुरुषों ने संसार के मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं माना। बहुत से विदेशी हमारे देश में आये और हमने खुशी से उन्हें अपने गले लगाया। हमने यह नीति कभी भी अख्तियार नहीं की जिसे कुछ मुल्कों ने आज भारतवासियों के विरुद्ध अपना रखा हैं हमारा इतिहास बतलाता है कि हमने बाहरी देशों से आये हुए आदमियों का सदा स्वगात किया, जो भी सहायता जरूरी थी, हमने उन्हें दी और यहां बसने में उनकी हर तरह मदद की। इंग्लैंड के निवासी ही यहां पहले कैसे आये? उन्हें यहां पनाह दी गई। भारत में झगड़े और लड़ाइयां भी हुईं पर इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा मानव-अधिकारों की रक्षा की। भाई-भाई के बीच के भेद पैदा करना हम उचित नहीं समझते और न उनके राजनैतिक अधिकारों में ही भेदभाव रखते हैं। इसमें शक नहीं कि हममें कमजोरियां थी और आज भी हैं। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

हमारा अतीत इतिहास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जहां हम समानता के आदर्शों को न सिर्फ अपने देशवासियों के सामने बल्कि दुनिया के सामने रख सकें। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा ख्याल अपने अतीत इतिहास की ओर, गुजरी हुई घटनाओं की ओर जाता है, हमारे संघर्ष और बलिदान की ओर जाता है उस सहायता की ओर जाता है जो हमें दूसरे देशों से मिली है और जिसने आज हमें यहां समवेत किया है। इन सबसे हमें बल प्राप्त करना चाहिए। हम एक ऐसा विधान बनाने के लिए यहां समवेत हुए हैं जिससे देश को सुख-शान्ति मिल सके। अपनी मातृभूमि के प्रत्येक निवासी को समानता देना ही हमारा लक्ष्य है।

जो प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया है उसकी तह में समानता का ही सिद्धांत है। देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को स्वायत्त-शासन या शासन में खुद-मुख्तारी मिली हुई है। और हिन्दुस्तान समूचे को सर्वोपरि राजसत्ता या पूरे अख्तियार रखता है। उन विषयों में जिनमें हम एकता चाहते हैं, हम सब सम्मिलित रहेंगे। प्रस्ताव में सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत एक आजाद मुल्क माना गया है। हमारा देश सम्मिलित रूप से एक है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगों को पूरी आजादी हासिल है कि वे अपने लिए जैसी हुकूमत चाहें रखें। देश का मौजूदा प्रान्तों में विभाजन बदल सकता है। हम सब सम्प्रदायों के साथ न्याय करेंगे और उनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पूरी आजादी देंगे।

प्रस्ताव पर इस आशय का एक संशोधन पेश किया गया है कि प्रस्ताव तब तक मुल्तबी रखा जाये, जब तक कि मुस्लिम लीग विधान-परिषद् में सम्मिलित नहीं होती। हमें यह लक्ष्य न भूलना चाहिए कि हर एक काम के लिए समय हुआ करता है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते हैं तो फिर कब यह हमारे सामने आयेगा? हम इस बारे में निश्चित नहीं है कि मुस्लिम लीग कब विधान-परिषद् में शामिल होगी। हम आज यहां जब एकत्र हुए हैं तो क्या बिना कुछ किये-धरे ही यहां से उठ जायें? क्या हमें कम-से-कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिए आज एक लक्ष्य नहीं निश्चित कर देना चाहिए? महज एक निधि-निर्माण कमेटी ही बनाकर उठ जायें? हमारे बन्धु हमें यह राय देते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार अभी आगे के लिए स्थगित कर दें। अगर वे यही चाहते थे कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में हम यहां कुछ न करें तो आखिर यहां आये किस लिए हैं?

हम अवश्य चाहते हैं कि मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे। पर क्या हम आज उनके वर्तमान अभिलाषाओं और उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ भी हाथ बंटा सकते हैं? हम भरसक कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य को किसी तरह नुकसान न पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया हैं हममें से बहुत ऐसे हैं जो इस बात के खिलाफ हैं कि प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायें। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद मुल्क की भलाई के लिए हिन्दु-मुस्लिम तनातनी के कारण प्रान्तों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने का विरोध करूंगा। बंगाल तथा और प्रान्तों में क्या हुआ? जो हुआ है, उसे हम भली-भांति जानते हैं अवशिष्ट अधिकार और राजनैतिक अधिकार (Political Rights) जिनसे देश की उन्नति और एकता में मदद मिल सकती है, केन्द्रीय या संघ सरकार के साथ ही होने चाहिए। पर यह प्रस्ताव अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को दे देता है, ताकि मुस्लिम लीग यह न कहे कि उनकी गैरहाज़िरी में हमने मनमाने ढंग से काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा प्रकाशित स्टेट पेपर ने भी जो इस परिषद् का आधार है अवशिष्ट अधिकारों (Residuary Powers) को प्रान्तों को देने की बात कही है। हमने इस व्यवस्था को इस आशा से मंजूर कर लिया कि इससे मुस्लिम लीग हमारे साथ मिल-जुल कर काम कर सकेगी। मुस्लिम लीग हमें सहयोग दे, इस बात के लिए जहां तक साध्य था हम आगे बढ़े। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिए हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गए। क्योंकि मुस्लिम लीग का लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से बिलकुल प्रतिकूल है। और इससे हमारे भविष्य में काफी कठिनाइयां पैदा होंगी। लीग की सहयोग-प्राप्ति के लिए हमने अपने आदर्शों के प्रतिकूल भी बहुत-सी बातें मंजूर कर ली हैं अब हमें यह बन्द कर देना चाहिए और मुस्लिम लीग के साथ समझौते के लिए अपने बुनियादी उसूलों को नहीं भूल जाना चाहिए। मैं प्रस्ताव को स्थगित रखने के विरुद्ध हूं और मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव के महत्त्व को सभा समझती है। दूसरे देशों की विधान-परिषदों ने अपने लक्ष्यों को सामने रखकर

[माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]

ही अपना काम शुरू किया था। यदि आप प्रस्ताव को स्थगित रखते हैं तो दुनिया क्या सोचेगी? जब वे प्रस्ताव को जानेंगे तो समझेंगे कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है, ब्रिटेन के खिलाफ सन् 1942 की ''भारत छोड़ो'' की लड़ाई अब हम जीतने जा रहे हैं यह प्रस्ताव स्वतंत्रता-प्राप्ति के मार्ग में बड़ा सहायक होगा। इसका मुल्तवी रखना मैं समझता हूं बुद्धिमानी का काम न होगा।

प्रस्ताव पर और दूसरे संशोधन भी हैं। प्रस्ताव में यह बात साफतौर पर कही गयी है कि समस्त सत्ता जनता के हाथ में होगी। कुछ लोगों का सुझाव है कि ''जनता'' की जगह ''काम करने वाली जनता'' रख दिया जाये। मैं इसके खिलाफ हूं। जनता शब्द से मतलब है, तमाम निवासियों का। मैं खुद किसानों का एक सेवक हूं। उनके साथ काम करना ही मेरे लिये एक बड़ा गौरव है। जनता शब्द काफी बोधगम्य है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। अत: मेरी राय में उसके आगे कोई विशेषण न रखा जाना चाहिए। ऐसे भी संशोधन लाये गये हैं। जिनमें अनिवार्य शिक्षा का बात कही गई है। यह सब साधारण बातें हैं, जमाना बदल चुका है और प्रांतीय सरकारों ने ऐसी बातों के लिए कानून बना लिए हैं। इस समय बड़ी-बड़ी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखना चाहिए। ये सब संशोधन बहुत जरूरी नहीं हैं और इन्हें उपस्थित न करना चाहिए।

जैसा मैं कह चुका हूं, बहुत-सी विपत्तियां झेलने के बाद हमें विधान बनाने का यह अवसर मिला है। सन् 1935 में हमें कुछ रियायतें मिली थीं पर हमने अपनी लड़ाई सन् 1942 तक जारी रखी। इन संघर्षों के फलस्वरूप आज हम यहां विधान बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे प्रयासों का क्या फल होगा हम नहीं जानते। हमारे पथ में अभी भी बहुतेरी बाधायें हैं लंदन से हमारे मित्र अभी भी राय भेजा करते हैं। किसी उसूल पर बोलते हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हमें परामर्श देते हैं कि हमें यह व्यवस्था (Formula) मंजूर कर लेनी चाहिए कि बहुमत को अपना विधान बनाना चाहिए और अल्पमत को हक है कि वह बहुमत द्वारा लगायी रुकावटों के लिए विशेष संरक्षण मांगे। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यद्यपि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हमें मदद देने की बात कहते हैं पर उनका असली अभिप्राय है हमारी राह में रुकावटें डालना। ब्रिटेन के साथ हमारे लम्बे सम्बन्धों का इतिहास बतलाता है कि हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव की सृष्टि अंग्रेजों ने की।

हिन्दू-मुस्लिम मनमुटाव की समस्या जिसका राग अंग्रेज अलापते हैं, वह तो उन्हीं की पैदा की हुई चीज है। उनके हिन्दुस्तान में पधारने के पहले यहां इस मनमुटाव का नामोनिशां भी न था। दोनों की सभ्यता एक थी और दोनों ही मित्रवत रहते थे। क्या कलेजे पर हाथ रखकर अंग्रेज कह सकते हैं कि वर्तमान भारतीय परिस्थिति को उन्होंने नहीं पैदा किया है? और उन्होंने उसे बढ़ावा नहीं दिया है? जो लोग ब्रिटेन के बहकावे में आकर आज हमारा विरोध कर रहे हैं, वे हमारे

ही भाई हैं। अवश्य ही हम उनका सहयोग चाहते हैं। परन्तु उनको अपने साथ लेने के लिए हम उन बुनियादी उसूलों को ही कुर्बान नहीं कर सकते जिन्हें आज तक हम अपनाये रहे और जिनसे राष्ट्र का निर्माण होता है। सर स्टेफोर्ड हमें गृहयुद्ध से सावधान करते हैं और सीख देते हैं कि गृहयुद्ध बचाने के लिए हमें आपस में मिल जाना चाहिए। कोई भी देशभक्त यह न चाहेगा कि गृहयुद्ध हो और भाई-भाई का खून बहे। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को मिलाने की सदा कोशिश की है। हमारे नेता साम्प्रदायिक झगड़ों में कभी नहीं पड़े। कांग्रेस ही एक मात्र ऐसा राजनैतिक संगठन है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध सभी संगठित हो सकते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव कांग्रेस नहीं मानती। यह कहना कि अमुक-अमुक प्रांत या वर्ग धर्म की बिना पर देश से अलग कर दिए जायें, धर्म की बात नहीं है बल्कि यह तो कोरी राजनीति है, ऐसी राजनीति देश की एकता को नष्ट कर देती है। हम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अन्य ब्रिटिश नेताओं से पूछते हैं: यदि आज से 100 वर्ष पहले या 25 ही वर्ष पहले आपके देश के भिन्न-भिन्न वर्गों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो आज आप कैसी हुकूमत रखते? हम अमेरिका से भी पूछते हैं यदि आपके मुल्क में भिन्न-भिन्न ईसाई सम्प्रदायों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिया गया होता तो क्या आपके यहां उसी किस्म की गवर्नमेंट होती जो आज है? क्या फिर आपके मुल्क में निरन्तर गृहयुद्ध न हुआ होता? हमारे देश में गृहयुद्ध की सम्भावना तो ब्रिटिश हुकूमत ने पैदा की है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पुरानी चाल चल रही है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के वक्त में इसी मनोवृत्ति का आभास मिलता है। उनके द्वारा दिया हुआ भाष्य भी इसी बात पर जोर देता है कि भारतीय-संघ के भिन्न-भिन्न वर्गों को पूरा हक है कि वे अपने लिए जैसा विधान चाहें, बनावें। जैसा वे पहले कहते थे, आज भी कहते हैं कि प्रांतों को अधिकार है कि वह चाहे तो किसी ग्रुप में शामिल रहें या उससे बाहर हो जाये। पर साथ ही अपने वक्तव्य में वे एक ऐसी शर्त भी रख देते हैं जो, इस सम्भावना को—प्रांत अपने अधिकारों को काम में लावें—पहले से ही खारिज कर देती है। आप एक प्रांत को यह तो कहते हैं कि उसे हक है कि चाहे तो किसी वर्ग में शामिल हो या नहीं। पर साथ ही यह भी कहते हैं कि ग्रुप के सभी लोग विधान बनाने के लिए सम्मिलित होंगे। पश्चिमोत्तर सूबा प्रांत को पंजाब के साथ बंधना होगा और सिंध, बलूचिस्तान और आसाम को बंगाल के साथ बंधना होगा। इन प्रांतों का विधान ग्रुप बी और ग्रुप सी बनायेंगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान वाला गुट पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के लिए विधान बनायेगा और बंगाल आसाम के लिए। क्या यह ईमानदारी की बात है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रांत को हक है कि वह ग्रुप में रहे या अलग हो जाये। पर आप विधान ऐसा बना देते हैं जो प्रांत के गुट से बाहर निकल जाने की सम्भावना को ही खारिज कर देता है। मंत्रिमंडल के वक्तव्य में यह साफतौर पर कहा गया था कि गुट में शामिल होना प्रांतों की मर्जी पर है। वक्तव्य के अन्त में गुटों से

[माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन]

बाहर निकलने की स्वतंत्रता दे दी गई। वक्तव्य के प्रथम भाग का अर्थ यह है कि गुटबंदी के समय प्रांत को आजादी है वह उसमें शामिल हो या नहीं। हमने तो यही अर्थ समझा और इसीलिए कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया। पर अब यह कहा जाता है कि गुट बनते समय भी प्रांत को यह आजादी नहीं है कि वह गुट में शामिल न हो और न उसे यही अधिकार है कि वह अपना विधान खुद बनाये। विधान तो समूचे गुट के प्रतिनिधि मिल कर बनायेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हिन्दुस्तान का विभाजन मंजूर कर लें और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत और आसाम को उन लोगों के हवाले कर दें जो खुल्लमखुल्ला यह कहते हैं कि वे भारत को दो भागों में विभक्त करने पर तुले हैं। गृहयुद्ध यदि अनिवार्य ही हो गया है तो हो पर गृहयुद्ध की धमकी से हम गलत काम करने पर लाचार नहीं किये जा सकते। बहुत सम्भव है कि भारत के एक कोने में गृहयुद्ध हो और हमें अंग्रेजों से भी लड़ना हो। वे हमें गृहयुद्ध की धमकी देते हैं। पर असल बात यह है कि वे हमारे बीच में गृहयुद्ध का बीज बो रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें ताकि वे हम पर हुकूमत कर सकें। मुझे यह सब कहने में दुख होता है। ब्रिटिश जनता के लिए मेरे मन में बड़ी इज्जत है। वे राजनैतिक मैदान में बहुत उन्नति कर चुके हैं और बुद्धिमान एवं स्वातंत्र्य प्रिय हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे मन में उनके लिए लेशमात्र भी घृणा नहीं है। मुझे इस बात पर बड़ी प्रसन्नता थी कि इंग्लैंड में एक नया जमाना आया है, वहां की हुकूमत मजदूर दल के हाथ में आ गई हैं और यह दल पुरानी नीति बदल देगा। गत सौ वर्षों से ब्रिटिश हुकूमत की नीति दूसरे मुल्कों के साथ स्वार्थ और चातुरी की रही है। और अपने अंदरूनी मामलों में वे बड़े उदार हैं और एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं अपने देशवासियों के लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों को दबाना या खसोटना वे बुद्धिमत्ता की बात समझते हैं टोरियों और कट्टरवादियों की हार और नई हुकूमत के आ जाने से यह आशा थी कि ब्रिटेन की नीति बिलकुल बदल जायेगी और उनकी वैदेशिक नीति सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर स्थगित होगी। पर मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि उनके हाल के कुछ वक्तव्यों का यही लक्ष्य रहा है कि भारतवासियों में मनमुटाव पैदा हो।

मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल की योजना को मंजूर करके ही विधान-परिषद् में सम्मिलित हुई हैं पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् समवेत होने के बाद अपना बिलकुल भिन्न मार्ग पकड़ सकती है। राजा लुइस के आमंत्रण पर फ्रांस में परिषद् समवेत हुई। जब उन्होंने देखा कि वे जो करना चाहते हैं, नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र कार्यवाही प्रारम्भ की। अपनी आर्थिक मांग स्वीकार कराने के लिए राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था पर उनका इरादा समझ कर उसने परिषद् को भंग करना चाहा पर परिषद् ने विघटित होने से इनकार कर दिया। हमारी परिषद् ब्रिटिश हुकूमत के आमंत्रण पर समवेत हुई है पर हम आजाद हैं कि अपनी इच्छानुसार कार्य संचालन करें।

हममें से कुछ इसके खिलाफ थे कि कांग्रेस परिषद् में शामिल हो। वे ब्रिटिश कूटनीति से डरते थे पर कांग्रेस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मेरी विनम्र राय भी यही थी कि हमें इसमें शरीक होना चाहिए। मुझे अपने साथियों की शक्ति और दृढ़ता में विश्वास था। यह अवसर खोने लायक नहीं था। यदि ब्रिटेन की अड़ंगेबाजी के कारण हम कामयाब न हुए तो कम-से-कम दुनिया को तो हम यह बता सकेंगे कि हम कैसा विधान चाहते हैं। हमारे सभापति ने अपने भाषण में बहुत-सी अच्छी बातें कही हैं। उनके मुख से यह सुनकर कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के हम पाबन्द न होंगे, हमारा हौसला बढ़ गया है।

इस सभा में ब्रिटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते कि भारत वर्गों में विभक्त कर दिया जाये और प्रान्तों का विधान बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया जाये जो भारत को विभक्त करने पर तुले हुए हैं। मैं यह सब कहना नहीं चाहता पर यह कह देना मुझे अपना फर्ज मालूम पड़ता है कि मुस्लिम लीग की ओर से दावे पेश करने में ब्रिटिश हुकूमत अपनी सच्चाई की कमी जाहिर करती है।

किसी ने यह ठीक कहा है कि लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोर्चा है। पंडित नेहरू ने अभी उस दिन कांग्रेस में कहा था कि दर्मियानी गवर्नमेंट में शामिल होने वाले लीग-सदस्य सम्राट की पार्टी की तरह आचरण कर रहे हैं। तथ्य यह है कि लीग को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से धोखा दिया जा रहा है। वे हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई हैं और उनके साथ समझौता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज ब्रिटिश हुकूमत लीग को मोर्चा बनाकर उसके पीछे से हम पर तीर चला रही है। हम ब्रिटिश वार को खूब समझते हैं और हमें अपनी हिफाजत करनी है। जो विधान हम बनायेंगे, उसमें यह कोशिश करेंगे कि हम उन तीरों से बच सकें। ऐसा करने में यदि हमें ब्रिटिश हुकूमत और उसके हिमायतियों से लड़ना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें पक्का विश्वास है कि हम सब बाधाओं पर विजय पायेंगे। यह हमारे लिए परीक्षा-काल है। ज्यों-ज्यों सफलता सन्निकट आती जाती है तरह-तरह की कठिनाइयां पैदा होती जाती हैं। जब योगी योग के ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तो प्रेतात्मायें उसे और परेशान करती हैं। वे उसे धमकाती हैं और धोखा देने की कोशिश करती हैं। हम सफलता के निकट पहुंच गये हैं और भिन्न-भिन्न दुष्प्रवृत्तियां हमें अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए आज सर उठा रही हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके जाल में न पड़ें और न उनसे भयभीत हों।

विधान बनाने में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि समुन्नति की चाहे जो योजना बनावे, हम भारत को विभक्त करने का प्रस्ताव कभी स्वीकार न करेंगे। भारत एक रहना चाहिये। इस तरह अपनी प्राचीन सभ्यता की रक्षा करते हुये हम आगे बढ़ सकते हैं और विश्व में शांति स्थापना में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे।

*__सभापतिः__ प्रस्ताव पेश हो चुका है और इसका समर्थन भी हो गया है। बहुत से संशोधनों की सूचना हमें मिली है। मैं समझता हूं चालीस से भी ज्यादा संशोधन मेरे पास आ चुके हैं और संशोधनों के लिए समय देना मैं आवश्यक नहीं समझता। आये हुये बहुसंख्यक संशोधनों को देखते हुए मैं समझता हूं कि संशोधनों के इच्छुक सदस्यों का दृष्टिकोण आ चुका है।

11 बज चुके हैं। और मेरी समझ में हम लोग उठ सकते हैं। उठने के पेश्तर मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि कल से सम्भव है कि वक्ताओं पर समय की पाबन्दी लगाने का अप्रिय काम मुझे करना पड़े। पहला दिन होने के कारण आज हस्तक्षेप करना मैंने ठीक नहीं समझा और वक्ताओं को पूरा समय दिया।

कल शनिवार है और मैं नहीं चाहता कि कल सभा बैठे। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने यह नियम बना दिया कि शनिवार को बैठक ही न होगी। कल तो हम इसलिए समवेत न होंगे कि रूल्स कमेटी (नियम-निर्धारिणी-समिति) में भाग ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस समिति का काम शीघ्र समाप्त हो जाये। अतः इस समिति के सदस्यों को पूरा समय देने के लिये ही कल सभा न बैठ सकेगी। हम सोमवार को दोपहर के तीन बजे बैठेंगे। प्रातः नहीं। सभा सोमवार को तीन बजे तक स्थगित होती है।

तदनन्तर सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, सन् 1946 ई. को तीन बजे तक स्थगित की गई।

अंक 1
संख्या 6

सोमवार,
16 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 1

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 16 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में सोमवार, 16 दिसम्बर, सन् 1946 ई. दोपहर 3 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव

***सभापतिः** जो प्रस्ताव 13 दिसम्बर को उपस्थित किया गया था उस पर हम अब आगे बहस शुरू करते हैं प्राप्त संशोधनों की संख्या लम्बी है पर मैं समझता हूं कि उनमें सभी पेश नहीं किये जायेंगे। अब मैं डॉ. जयकर से कहूंगा कि वे अपना संशोधन पेश करें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय और मित्रों, अपना संशोधन पेश करने से पहले मैं चन्द शब्द उस सुन्दर वक्तृता की प्रशंसा में कहना चाहता हूं जो प्रस्ताव उपस्थित करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने दी है। उसकी स्पष्टता, विनयशीलता और उसका गाम्भीर्य सभी प्रभावोत्पादक थे। वक्तृता सुनते समय मेरा ध्यान अतीत के उन दिनों की ओर गया जब यहां से कुछ ही गज की दूरी पर उनके प्रसिद्ध पिता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हम कानूनी युद्ध का संचालन करते थे। इस महती परिषद् की तुलना में वह वाग्युद्ध आज बड़ा अवास्तविक और छोटा मालूम पड़ता है। मैं सदा ही पं. मोतीलाल नेहरू को बड़ा भाग्यशाली समझता था। उनकी दोनों संतानें उनके देहावसान के बाद यशस्वी निकलीं। एक तो पं. जवाहरलाल नेहरू जो इस महती सभा के पथ-प्रदर्शक एवं प्राण हैं दूसरी उनकी गौरवशालिनी पुत्री जिन्होंने न्यूयार्क में सम्मिलित राष्ट्रसंघ की बैठक में महती विजय प्राप्त की है और जिसके स्वागत की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पेश्तर इसके कि मैं अपना संशोधन पढ़कर सुनाऊं मैं एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं जो मेरे संशोधन के सम्बन्ध में पैदा हो गई है। मेरे कई प्रसिद्ध और स्नेही मित्रों ने मिलकर मुझे गम्भीरतापूर्वक यह समझाया है कि मुझे अपना

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

संशोधन नहीं पेश करना चाहिए। मैं यह संशोधन क्यों पेश करना चाहता हूं उसको लेकर जो भी गलतफहमियां पैदा हुई हैं उन्हें मैं दूर कर देना चाहता हूं। यह कहा गया है कि संशोधन से इस परिषद् में फूट पड़ जायेगी जो वर्तमान समय में बहुत बुरी बात होगी। जब आप मेरी वक्तृता सुनेंगे तो आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि यह संशोधन फूट पैदा करने की गरज से नहीं पेश किया जा रहा है। और न उससे इस तरह की फूट पैदा ही होगी जैसा कि हमारे मित्र समझते हैं। कुछ लोगों ने यह कहा है कि मैं जानबूझकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। यदि इस सभा के श्रम को सफलीभूत करने के लिए यह आवश्यक हो, तो इसमें मैं कोई क्षति नहीं देखता। एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं मि. चर्चिल का समर्थन कर रहा हूं। उस विश्व-विख्यात चर्चिल का जिसकी कलई खोलने की कोशिश मैंने राउन्ड टेबुल कांफ्रेंस में अपनी जिरह से की थी। इसकी किंचित मात्र सम्भावना नहीं है कि मैं मि. चर्चिल का किसी तरह से समर्थन करूं। कुछ लोगों ने यह कहकर कि मैं जीवन भर हिंदू हितों का हामी रहा हूं पर अब मुसलमानों का समर्थन करना और उन्हें संतोष देना चाहता हूं, मेरी भावना को उत्तेजित किया है। उत्तर में मैंने कहा कि इन दोनों में मुझे कोई परस्पर विरोध नहीं दिखाई देता है। हिंदू हितों का मैं समर्थक हूं, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं दूसरे सम्प्रदाय के उन हितों पर कुठाराघात करूं जिन्हें मैं जायज समझता हूं। संशोधन उपस्थित करने में मेरा वास्तविक उद्देश्य है इस परिषद् को नाकाम होने से बचाना। मुझे इस बात का डर है कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं वह शीघ्र ही व्यर्थ हो जायेगा। मैं इस बात के लिए चिंतित हूं कि हमारी राह में आने वाली दो-एक कठिनाइयों की उपेक्षा से कहीं इस परिषद् का काम असफल और प्रभावशून्य न हो जाये। एक मित्र ने कहा है कि आप कांग्रेस टिकट पर चुने गए हैं। मैं इस उदारता को स्वीकार करता हूं और जब यह आमंत्रण मुझे मिला तो मैंने व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद भी उसे स्वीकार किया। पर उसकी कृतज्ञता के लिए यदि मुझे अपनी सेवायें सदा लोकप्रिय ही बनानी पड़ें तो मुझे डर है कि मेरे लिए यह सम्भव न हो सकेगा। अवश्य आपको मेरी सेवाओं पर अधिकार है पर यह लाजिमी नहीं है कि वह सदा लोकप्रिय ही हों। अवश्य मैं आपको अपना सहयोग और सेवा देने के लिए यहां आया हूं पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि

वे सदा आपकी इच्छानुसार ही होंगी। हो सकता है कि कभी-कभी मेरी सेवायें दुखद जान पड़ें अर्थात् अपनी त्रुटियों और राह की कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं।

सभापति महोदय, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तो केवल शुद्ध कानूनी बात है और संक्षेप में उस पर अपना मत व्यक्त करके मैं इसे आप पर और वैधानिक सलाहकार पर छोड़ दूंगा। मैं सलाहकार महोदय को आज 10 वर्षों से जानता हूं। वे विधान के ज्ञाता हैं, स्वतंत्र बुद्धि के आदमी हैं और उनका व्यवहार सदा सच्चा होता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह हमारे लिए बड़ी सुविधा की बात है कि सर बी.एन. राव सरीखे योग्य विधान-वेत्ता की हमें मदद मिल रही है और मुझे इसमें रंच-मात्र भी संदेह नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूं, उस पर वे पूरा ध्यान देंगे। मैं एक वैधानिक आपत्ति (प्वाइंट ऑफ आर्डर) की तरह यह बात नहीं उठा रहा हूं बल्कि राह की कानूनी कठिनाइयों को बताने के लिए यह कह रहा हूं। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि जो भी समय हमारे पास है उसमें आप इस पर अच्छी तरह गौर करेंगे और जैसा उचित समझें, फैसला देंगे। जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि विधान-परिषद् की प्रारम्भिक बैठक में इस स्थल पर विधान के बुनियादी प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा सकता। पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी मंजूर किया है कि यह प्रस्ताव विधान की बुनियादी बातों को स्पष्ट करने के अभिप्राय से ही रखा गया हैं प्रस्ताव बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह आगामी विधान की बुनियादी बातों को तय करता है। अगर आप इसकी छानबीन करें तो एक बार पढ़ने से ही आपको यह मालूम हो जायेगा कि बहुत-सी बातें जिनका प्रस्ताव में उल्लेख है विधान के सिद्धांतों से सम्बन्ध रखती हैं। उदारहण के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक गणतंत्र की—एक संघ की—चर्चा की गई है। इसमें वर्तमान सीमाओं की तथा प्रांतीय अधिकारियों के अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें अवशिष्ट अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के हकों का—बुनियादी हकों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि सत्ता जनता से प्राप्त है। साफ है कि ये सारी बातें विधान की बुनियादी बातें हैं। मेरा कहना है कि कैबिनेट मिशन के 16 मई के वक्तव्य में इस प्रारम्भिक बैठक की जो अधिकार सीमा निर्धारित की गई है उसके मुताबिक यह बैठक कानूनन विधान सम्बन्धी सिद्धांतों की रूप-रेखा भी निश्चित नहीं कर सकती। जब हम सेक्शनों में बैठते हैं और प्रांतीय विधान बन जाते हैं तभी इसका प्रसंग आ सकता है।

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

उस समय तक हमारे दो अन्य साथी मुस्लिम लीग और देशी रियासतें भी शामिल हो जायेंगी, इसकी आशा है। फिलहाल इस प्रारम्भिक बैठक में हमारा कार्य साफ-साफ शब्दों में सीमित रखा गया है। मैं वक्तव्य के इन शब्दों को अभी पढ़कर सुना देता हूं। इसमें विधान की बुनियादी बातों को रखने की या स्वीकार करने की बात शामिल नहीं है। इसके लिए तो हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। सभापति महोदय, निःसंदेह जैसा आपने फरमाया है और ठीक फरमाया है, यह सभा सर्वसत्ता-सम्पन्न है। पर कैबिनेट मिशन के वक्तव्य से ही इस सभा की उत्पत्ति है और उस वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही हमारी सत्ता है। बिना पारस्परिक समझौते के हम इन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते और चूंकि अन्य दो दल अनुपस्थित हैं, समझौते की बात नहीं सोची जा सकती, इसलिए हम उन सीमाओं के अन्दर रहने के लिए बाध्य हैं। हां, अगर कुछ लोगों का यह ख्याल हो कि इन सीमाओं की बिलकुल उपेक्षा की जाये और कैबिनेट मिशन के वक्तव्य द्वारा निर्धारित सीमाओं की अवहेलना कर परिषद् द्वारा राजनैतिक सत्ता प्राप्त की जाये और इस तरह देश में क्रांति उत्पन्न की जाये तो यह बात इस योजना से बाहर है। और हमें इस संबंध में कुछ नहीं करना है। पर चूंकि कांग्रेस ने उक्त वक्तव्य को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया है, यह उससे निर्धारित सीमाओं को मानने के लिए बाध्य है। यदि आप अनुमति दें तो मैं चन्द मिनटों में वक्तव्य के आवश्यक हिस्सों को पढ़ कर.......।

***श्री किरणशंकर राय** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आया जयकर साहब नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं या संशोधन पेश कर रहें हैं? यदि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति उठा रहे हैं तो हमारा ख्याल है कि पहले उस आपत्ति का फैसला हो जाये तब वे अपना संशोधन पेश करें।

***सभापतिः** मेरी समझ में डॉ. जयकर ने कहा है कि वे नियम सम्बन्धी आपत्ति नहीं पेश कर रहे हैं बल्कि यह बतला रहे हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं। मैं समझता हूं वह इसी दिशा में चल रहे हैं; जैसा मैं समझता हूं वे विधान-सम्बन्धी आपत्ति पर नहीं बोल रहे हैं।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया** (मद्रास : जनरल): सभापति जी, क्या वे प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का कोई प्रस्ताव पेश कर रहे हैं? मैं तो यही समझता हूं।

***सभापतिः** मैं नहीं समझता कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का वह प्रस्ताव कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि प्रस्ताव पर विचार हो। पर इस प्रस्ताव पर अभी यहां विचार करना ठीक है या नहीं, इस बात पर वे अपना मत व्यक्त कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमें वे बता रहे हैं कि प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः** सभापति महोदय, मैं ससम्मान यह बताना चाहता हूं कि वे नहीं चाहते कि हम इस विषय पर विचार करना जारी रखें। यह बात तो उनके संशोधन के शब्दों से साफ है। जनाब, मैं उनके शब्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति जी, एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। धारा सभा के नियमानुसार संशोधन पेश करने वाले सदस्य को अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले संशोधन उपस्थित करना होता है। मैं सुझाव दूंगा कि डॉ. जयकर से कहा जाये कि भाषण प्रारम्भ करने से पहले वे अपना संशोधन उपस्थित करें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** बहुत अच्छा, मैं संशोधन पढ़े देता हूं। मैं तो चंद मिनटों में अपनी बात कहकर आपका समय बचाना चाहता था। संशोधन यह है:

> ''यह सभा अपना दृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी वह एक स्वतंत्र, गणतांत्रिक सत्ता-सम्पन्न राज्य का विधान होगा। परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है, ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि, यदि चाहें, इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।''

संक्षेप में मेरे संशोधन का यह अभिप्राय है कि इस प्रस्ताव पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखा जाये—उस वक्त के लिए स्थगित रखा जाये जब संघ विधान बने जिस समय आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें दोनों ही मौजूद होंगी। मैं इस बात को नियम सम्बन्धी आपत्ति बोल कर नहीं उठा रहा हूं। बल्कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व हमें जिस कठिनाई को दूर करना है, उसे मद्देनजर रख कर मैं यह बात उठा रहा हूं और इस प्रश्न पर आगे विचार

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

स्थगित रखने के लिए यह एक तर्क है। इस प्रारम्भिक बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर करने में परिषद् के मार्ग में जो कानूनी कठिनाइयां हैं उन्हें मैं बता रहा हूं। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रारम्भिक बैठक में काम को अंजाम देने का हमारा अधिकार सीमित है। साफ-साफ शब्दों में हमारे अधिकारों को सीमित रखा गया है। और जब हमने इन सीमाओं को—इन पाबन्दियों को मंजूर कर लिया है तो उस सभा को यह अधिकार नहीं है कि वह इस समय विधान सम्बन्धी कोई सिद्धान्त यहां पास करे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मंत्रिमंडल के वक्तव्य के चंद पैरों की ओर आकृष्ट करूंगा। मैं धारा 19 को प्रारम्भ में लेता हूं। उपधारा (1) उन तरीकों का जिक्र करती है जिनके मुताबिक भिन्न-भिन्न संगठनों के प्रतिनिधि चुने जायेंगे। उसके बाद सेक्शन ए, बी और सी का जिक्र आता है। और उसके बाद चीफ कमिश्नर वाले प्रान्तों के सम्बन्ध में एक नोट है। मैं इसे छोड़ देता हूं। फिर उपधारा (2) आती है जिसमें रियासतों की बाबत कहा गया है। और फिर उपधारा (3) है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह चुने हुए प्रतिनिधि—यानी हिन्दू, मुसलमान और देशी रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी—निगोशिएटिंग कमेटी का प्रसंग मैं अभी यहीं छोड़ देता हूं—यथाशीघ्र नई दिल्ली में समवेत होंगे—हम लोग अब समवेत हो चुके हैं। इसके बाद प्रारम्भिक बैठक की बात कही गई है। और इसी प्रारम्भिक बैठक में हम आज शामिल हैं। इस बात में तो कोई विवाद ही नहीं उठ सकता कि यह प्रारम्भिक बैठक है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान 20 नवम्बर के आमंत्रण पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे वायसराय ने इस बैठक में शामिल होने के लिए आपके पास भेजा था। उसमें इसे पहली बैठक कहा गया है। इसलिए यही प्रारम्भिक बैठक है, जिसका उल्लेख उपधारा (4) में किया गया है। अब आइये, हम यह देखें यह प्रारम्भिक बैठक क्या करने का हक रखती है:

''एक प्रारम्भिक बैठक होगी जिसमें (1) कार्यक्रम की सूची निश्चित की जायेगी। (2) सभापति तथा अन्य पदाधिकारी चुने जायेंगे। (3) नागरिकों के, अल्प-संख्यकों के, कबीले वालों तथा पृथक् क्षेत्रों (Excluded areas) के बाशिन्दों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर की जायेगी। (नीचे पैराग्राफ 20 देखिए।) मैं समझता हूं शीघ्र ही ऐसा किया जायेगा। इसको

छोड़ कर विधान के सिद्धांतों को या उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में यहां एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

*श्री के. सन्तानम** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, एक वैधानिक आपत्ति है। यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य भी इस सभा के अधिकार के बाहर है, जिस तरह पं. जवाहरलाल नेहरू का मूल प्रस्ताव।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** दूर से सुनने में कठिनाई होती है इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा अगर मेरा भाषण समाप्त हो जाने पर सदस्य मंच पर आकर अपनी आपत्तियां प्रकट करें। उस समय उनकी बात सुनना ज्यादा आसान होगा और इस बीच में कुछ होगा नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बजाय इसके कि सदस्य अभी मेरे भाषण में हस्तक्षेप करें, यह ज्यादा अच्छा होगा कि मेरी वक्तृता पर उन्हें जो भी आपत्ति हो उसे मेरा भाषण समाप्त होने पर यहां मंच पर आकर व्यक्त करें। और मैं, यदि मुझे मौका दिया गया तो उनका जवाब दूंगा। मेरा कथन यह है, चाहे वह गलत हो या सही कि प्रारम्भिक बैठक के अधिकार इन्हीं बातों तक सीमित है।

***सभापति:** शान्ति, शान्ति (आर्डर आर्डर)। श्री सन्तानम आपकी क्या आपत्ति है?

***श्री के. सन्तानम:** मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि यदि माननीय सदस्य का तर्क सही है तो उनके संशोधन का प्रथम वाक्य इस सभा के अधिकार के बाहर है।

***सभापति:** डॉ. जयकर की ओर मुड़ कर—श्री सन्तानम का कहना है कि आपके संशोधन का पहला वाक्य आपके ही तर्क के अनुसार नियम से बाहर है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यदि आपकी यह राय है तो वह हटा दिया जा सकता है। मैं इसके लिए राजी हूं, इस विचार के खिलाफ बहस करने में मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। यदि जरूरत हो तो मैं इस हिस्से को हटा देने के लिए और बाकी को रखने के लिए तैयार हूं। मेरे मतलब के लिए इतना काफी है।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि यह तो प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने की एक तजबीज है।

***सभापति:** वस्तुत: इससे एक कठिनाई पैदा हो जाती है कि मंत्रि प्रतिनिधि

[सभापति]

मंडल के वक्तव्य के अनुसार आपके संशोधन का पहला हिस्सा इसे एक संशोधन बताता है...... यदि आपका तर्क सही है और यह हटा दिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि आपका संशोधन सभा स्थगित करने का एक प्रस्ताव बन जाता है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** अगर एक क्षण के लिए यही मान लिया जाये कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं तो क्या मैं इसे फिलहाल पेश नहीं कर सकता? यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिस पर औचित्य या श्रेष्ठता के ख्याल से और अन्य संशोधनों से पहले विचार करना चाहिए। इसलिए माना कि आप इसे स्थगित रखने का प्रस्ताव मानते हैं फिर भी इस पर अभी विचार करने के लिए मैं जोर दे सकता हूं।

***सभापतिः** इस मामले में मैं सभा के सदस्यों की सहायता चाहता हूं। कठिनाई यह है कि यदि कानूनी दृष्टि से डॉ. जयकर का तर्क सही है तो पं. जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव नियम के बाहर है। यह प्रश्न उसी समय उठाना चाहिए था, जब प्रस्ताव पेश हुआ था परंतु इस समय मैं नहीं समझता कि यह आपत्ति उठाई जा सकती है। इसलिए हम लोग प्रस्ताव और संशोधन दोनों को ही नियमानुकूल मानते हैं और उस पर विचार जारी रखते हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** तब क्या कानूनी प्रश्न बोल कर मैं इस पर जोर दे सकता हूं?

***सभापतिः** मैं समझता हूं कि यह कानूनी सवाल उठेगा ही नहीं। गुण के आधार पर आप इसे पेश करें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** सभापतिजी, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि इस समय विधान की बुनियादी बातों पर न तो विचार किया जा सकता है और न उन्हें मंजूर किया जा सकता है। मैं चंद और धारायें पढ़कर सुना देता हूं। वाक्यांश (5) कहता है:

> ''ये सेक्शन अपने अन्तर्गत प्रान्तों के लिए प्रान्तीय विधान बनाने का काम शुरू करेंगे।''

मैं समझता हूं कि ये सेक्शन आगामी मार्च या अप्रैल में बैठेंगे। मैं और अप्रासंगिक भागों को नहीं पढ़ता हूं। इसके बाद वाक्यांश (6) आता है। जिसमें यह बताया गया है कि विधान-सम्बन्धी प्रश्नों को क्या तय किया जा सकता है।

> ''सेक्शनों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान बनाने के लिए पुनः एकत्र होंगे।''

उस समय विधान की बुनियादी बातों को तय किया जा सकता है क्योंकि उस समय रियासतें, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस सभी मौजूद रहेंगे। यह इसलिए कि योजना के अनुसार यह आवश्यक है कि उक्त तीनों संगठनों को विधान-सम्बन्धी प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। वह समय अभी नहीं आया है। इसलिए मेरी अर्ज यह है कि इस प्रश्न पर न तो इस समय विचार ही किया जा सकता है और न अन्तिम फैसला किया जा सकता है। मैंने तो आपको इस कठिनाई से बचने का रास्ता सुझाया है और अगर आप पसंद करें तो इसे मंजूर कर सकते हैं।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): धारा 4 में कोई रुकावट या मनाही नहीं है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यहां यह बात स्वयं सूचित है। आप वाक्यांश (4) और (6) को पढ़िए। उसका साफ-साफ मतलब यह है कि प्रारम्भिक बैठक में केवल चन्द बातों पर ही विचार किया जायेगा और विधान तय करने की बात तब आयेगी, जब हम धारा 6 पर आते हैं। अन्यथा वाक्यांश 6 बिलकुल अनावश्यक और पूर्व के वाक्यांशों से प्रतिकूल है। इसलिए इन दोनों वाक्यांशों को मिलाकर पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि वाक्यांश 4 में साफ-साफ शब्दों में बताया गया है कि इस वक्त क्या किया जा सकता है। संघ-विधान-सम्बन्धी सारी बातें चाहे विस्तृत रूप से उन पर विचार कर उन्हें तय किया जाये या बुनियादी बातों की महज एक रूपरेखा तैयार की जाये, तभी तय की जा सकती है, जब वाक्यांश 6 का समय आवे।

अब मैं वाक्यांश 7 पर आता हूं। जिसमें इस प्रश्न पर और प्रकाश डाला गया है। उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठे तो इस वाक्यांश में बताई हुई व्यवस्था के अनुसार उस पर विचार किया जायेगा। यहां कोई दल नहीं है जो बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठायेगा। इसलिए अगर आप वाक्यांश 7 को पुनः पढ़ें तो मालूम होगा कि वह बात उसमें साफतौर पर दी गई है जो मैंने बताई है, कानूनी पहलू पर मेरा यही कहना है।

कानूनी प्रश्न के अतिरिक्त कतिपय और व्यावहारिक आवश्यकता की बातों पर भी मैं जोर दूंगा कि भला क्यों हमें यह प्रश्न बाद में विचार करने के लिए अभी स्थगित रखना चाहिए। इस कठिनाई से निकलने के लिए मैं यह सुझाव पेश कर रहा हूं कि चूंकि इस प्रस्ताव पर अब तक काफी वाद-विवाद हो चुका और

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

जनमत जानने का भी मौका मिल चुका। यह सभा इस पर अभी वोट न लेकर बाद में इस पर विचार करे जब वाक्यांश 6 में उल्लिखित समय आये ताकि उस पर पुन: विचार करते समय दोनों दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहें और कार्यवाही में हिस्सा ले सकें। कठिनाइयों से निकलने का मैं यह रास्ता बता रहा हूं।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति जी, एक वैधानिक आपत्ति की बात कहता हूं, डॉ. जयकर का संशोधन कहता है:

''यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के—देशी रियासतें और मुस्लिम लीग के—प्रतिनिधि यदि चाहे इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।'' उन्होंने पैरा 19 के वाक्यांश (2) का उदाहरण दिया है। यह वाक्यांश कहता है–''अभिप्राय यह है कि रियासतों को अंतिम विधान-परिषद् में उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा.......।''

वह मौका अभी नहीं आया है इसलिए यह आपत्ति कि देशी रियासतों का यहां प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हो पाया है, आधारहीन है। पुन: यदि आप आगे.....।

***सभापतिः** यह तो वैधानिक आपत्ति नहीं है बल्कि जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध यह केवल एक तर्क है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** अब मैं अपनी बात कह सकता हूं, सभापति जी?

***सभापतिः** हां।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वह यह है। यह विधान-परिषद् अपनी आज की सूरत में मुकम्मिल नहीं है। दो संगठन यहां अनुपस्थिति हैं। देशी रियासतें अनुपस्थित हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि वे इस समय यहां शरीक हो नहीं सकती। यह है असली स्थिति। रियासतों ने अपनी निगोशिएटिंग कमेटी बना ली है पर हमने अपनी यह कमेटी अभी तक नहीं बनाई है। जब हम उसे बना लेंगे तो दोनों कमेटियां बैठेंगी। योजना के अनुसार उस समय रियासतें शरीक होंगी। पर जहां तक मुस्लिम लीग की बात है यह स्थिति नहीं है। उन दोनों में जबर्दस्त अन्तर है। मुस्लिम लीग को अभी हाल में तीन-चार जरूरी रियायतें मिली हैं। ये रियायतें उन्होंने अपने श्रेष्ठतर कौशल से

पायी हैं या और किसी तरह से इस पर कुछ यहां बोलना मेरा काम नहीं है। उन्होंने तीन-चार जरूरी बातें अपने हक में मनवा ली हैं।

दो बातें ऐसी हैं जिन पर भाष्य या स्पष्टीकरण जरूरी है। एक तो वोटिंग यानी मत देने की बात और दूसरे सेक्शनों में शामिल होने की बात। मैं समझता हूं, यह प्रश्न फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया जायेगा। फेडरल कोर्ट के एक भूतपूर्व जज तथा प्रिवी कौंसिल की न्याय सम्बन्धी बड़ी अदालत के एक वर्तमान सदस्य की हैसियत से, इस मसले को फेडरल कोर्ट में भेजने अथवा इसके औचित्य के सम्बन्ध में मैं और कुछ कहना ठीक नहीं समझता। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि इस काम के लिए योग्यतम वैधानिक कानूनवेत्ता मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की सेवाएं आपको प्राप्त हैं। इस प्रश्न को फेडरल कोर्ट में भेजने के सम्बन्ध में मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। पर यह बात तो साफ है कि गुटबंदी और वोटिंग के प्रश्न पर स्पष्टीकरण पाने के लिए आप फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आखिरी बात को लेकर जिस पर लीग को रियायत मिल चुकी है आप फेडरल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाल के वक्तव्य में सम्राट की सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि अगर विधान-निर्माण में जाति का एक बड़ा भाग शामिल नहीं होता है तो सरकार विधान को किसी देश के अनिच्छुक वर्ग पर जबर्दस्ती नहीं लादेगी। यह व्यवस्था मुस्लिम लीग के पक्ष में है और आप इसे फेडरल कोर्ट के सामने नहीं ले जा सकते। इसमें किसी भाष्य या टीका का प्रश्न ही नहीं उठता। 16 मई के वक्तव्य के अलावा मुस्लिम लीग को यह नई रियायत दी गई है। यह रियायत प्रधानमंत्री मिस्टर एटली के हाउस ऑफ कामन्स में दिये हुए 15 मार्च सन् 1946 के वक्तव्य के प्रतिकूल है। जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण अवश्य मिलेगा, पर बहुमत की प्रगति में वे बाधा नहीं डाल पायेंगे। मार्च सन् 1946 में यह बात कही थी ब्रिटेन के सर्वोच्च जिम्मेदार व्यक्ति ने यानी वहां के प्रधानमंत्री ने। आज यह बात खत्म हो गई। वस्तुत: इससे अब स्थिति में जबरदस्त अन्तर आ गया है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, क्या माननीय सदस्य सम्राट की सरकार द्वारा निर्धारित नीति की व्याख्या कर रहे हैं? ये सारी तथाकथित रियायतें जिनका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, ह्वाइट पेपर या योजना में नहीं हैं। ये तो लीग को ऊपर से दी जा रही हैं। हमने इन्हें नहीं

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

मंजूर किया है और यह सभा 16 मई के वक्तव्य में और किसी परिवर्तन या वृद्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है। *(हर्षध्वनि)*

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** मैं तो केवल आपकी कठिनाइयों को बता रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मूल-योजना में कोई बढ़ाव मंजूर करें। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग को क्या-क्या नई रियायतें मिली हैं, जिनसे आपके मार्ग में बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। और इसके लिए क्यों आपको तब तक इस पर विचार बंद रखना चाहिए जब तक कि लीग परिषद् में शामिल न हो जाये। इस सम्बन्ध में मेरा कथन बिलकुल प्रासंगिक है। यदि माननीय सरदार पटेल यह समझते हैं कि कांग्रेस ऐसे बढ़ाव को कभी मंजूर न करेगी तो वे लोग शौक से ऐसा कर सकते हैं।

जनाब इसका मतलब क्या है? यदि यहां विधान-निर्माण में मुस्लिम सरीखा सम्प्रदाय शामिल नहीं होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? सर स्टेफोर्ड जिसने ''देश के अनिच्छुक भाग'' उसकी भी स्वयं व्याख्या कर दी है, उनका कहना है कि इन शब्दों का मतलब है, भारत के उस भाग से जहां मुसलमानों का बाहुल्य है। यदि मुस्लिम सम्प्रदाय की अनुपस्थिति में आप विधान बनायेंगे तो वह हिंदुस्तान के उन भागों पर जहां के लोग उसे नहीं मंजूर करते हैं, जबर्दस्ती नहीं लागू किया जायेगा। ये शब्द हैं ''देश के अनिच्छुक भाग''। मैं नहीं जानता कि इस व्यवस्था से कोई दूसरा सम्प्रदाय भी लाभान्वित हो सकता है। यह ऐसा मसला है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो सकता है। पर इतना निश्चित है और हाउस ऑफ कामन्स के बहस-मुबाहसे में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने साफ-साफ शब्दों में यह कहा था कि ऐसा विधान, जिसके निर्माण में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं है, देश के उन भागों पर जबर्दस्ती नहीं लादा जायेगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। इन शब्दों का ध्यान दीजिये, ''उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।'' अर्थात् वे अनुपस्थित हैं।

मूल-योजना में इस बढ़ाव पर इंग्लैंड में एक विशेष विचारधारा के व्यक्तियों ने हर्ष प्रकट किया है और इसका स्वागत किया है। मि. चर्चिल ने कहा है कि हमारी लम्बी यात्रा में यह एक महत्त्वपूर्ण मंजिल है। यह महत्त्वपूर्ण मंजिल है या खतरनाक मंजिल है इससे हमें कोई वास्ता नहीं। असलियत यह है कि फिलहाल मुसलमानों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है।

इसलिए स्थिति यह है कि यदि वे आपकी कार्रवाई में न शामिल होना ही पसंद करें, चाहे किसी कारण से, तो आपके प्रयास को वे व्यर्थ और असफल कर सकते हैं। आपकी सारी कोशिशें उन्हें मजबूर करने में असफल होंगी। उनकी अनुपस्थिति में आप चाहे जैसा भी विधान बनायें वह सेक्शन ए के समान इच्छुक भाग पर ही लागू होगा। बी और सी सेक्शनों पर भी यह लागू होगा इसमें मुझे बहुत संदेह है। परिणाम यह होगा कि समस्त भारत के लिए विधान बनाने के हेतु यहां अभी आप चाहे जो कुछ भी करें—जैसा इस प्रस्ताव का अभिप्राय है; मुस्लिम लीग की गैर-हाजिरी में यदि आप इसे पास करते हैं तो आपका प्रयास उनको किसी तरह बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल उठता है समय और श्रम बचाने के विचार से, क्या यह उचित न होगा कि इन वैधानिक प्रश्नों पर विचार आगे के लिए स्थगित रख दिया जाये? इससे कम-से-कम आपकी मेहनत तो बच जायेगी।

इस प्रस्ताव में सुझाये हुए विधान पर अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि इसमें ऐसी बातें हैं जिनसे रियासतों और मुसलमानों का बहुत सम्बन्ध है। आप यहां गणतंत्र की चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर मुसलमान न शामिल होंगे तो हम कितनी देर उनका इंतजार करेंगे? हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? वे यहां आ सकते थे पर अपनी मर्जी से नहीं आये हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यह तो कोई वैधानिक आपत्ति की बात नहीं है।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी:** यह जानकारी डॉ. जयकर से मिलनी चाहिए।

***सभापति:** यह एक तर्क है जिसे माननीय सदस्य अपनी बारी आने पर पेश कर सकते हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** यदि माननीय सदस्य ने हस्तक्षेप न किया होता और कुछ देर प्रतीक्षा करते तो मैं उनके इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता।

हां, सभापति जी, परिणाम यह होगा कि यहां अनुपस्थित रहकर ही मुस्लिम लीग आपके समस्त प्रयास को व्यर्थ कर सकती हैं इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल न हुई तो हो सकता है रियासतें भी

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

शामिल न हों। उन्होंने एकाधिक बार इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हाउस आफ कामन्स में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि देशी रियासतें ऐसी विधान-परिषद् से कोई बातचीत नहीं चलायेंगी, जिसमें केवल एक दल के ही लोग हैं। अतः यह बात स्पष्ट है कि यदि मुस्लिम लीग यहां अनुपस्थित रहना ही पसन्द करे और हम उसे अपने काम में ऐसा करने के लिए उत्तेजित करें तो हो सकता है कि रियासतें भी न शामिल हों।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंत** (संयुक्तप्रांत : जनरल): माननीय सदस्य ने यह बात कैसे कही कि हाउस ऑफ कामन्स में यह साफ तौर पर कहा गया है कि यदि मुस्लिम लीग शामिल न होगी तो रियासतें भी विधान-परिषद् में शामिल नहीं होंगी?

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** हां मैंने यह कहा है।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंतः** हाउस ऑफ कामन्स में कही हुई बात का आप जो अर्थ लगाते हैं उससे मेरा मतभेद है।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** मैं जो अर्थ समझता हूं, आपके सामने रखता हूं। माननीय सदस्य को स्वतंत्रता है कि वह अपना अर्थ सभा के सामने रखे।

***माननीय पं. गोविन्दवल्लभ पंतः** डॉ. जयकर को अधिकार नहीं है कि वे रियासतों के विचार को यहां व्यक्त करें जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि या उनकी निगोशिएटिंग कमेटी स्थिति को स्पष्ट न कर दे।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** मैं रियासतों का विचार यहां नहीं व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि हाउस ऑफ कामन्स में क्या कहा गया था। यदि मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है तो हो सकता है कि रियासतें भी शामिल न हों। अनुमानतः रियासतें ऐसी विधान-परिषद् से बातचीत करना न पसंद करेंगी जिसमें एक दल के ही लोग हों। यदि ऐसा हुआ तो क्या नतीजा होगा? *(बाधा)*

***सभापतिः** मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि हम लोग डॉ. जयकर को आगे बोलने दें।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** क्या आप मुझे 20 मिनट तक अपनी बात न कहने देंगे? मैं समझता हूं कि मेरे भाषण में छिद्र निकालने के लिए आपके पास पूरा एक सप्ताह पड़ा है।

***माननीय पं. गोविंदवल्लभ पंत:** आपके भाषण में दोष निकालने से भी अधिक आवश्यक काम हमारे पास करने के लिए हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर:** अगर मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है तो बहुत सम्भव है रियासतें भी न शामिल हों। इसका क्या नतीजा होगा? शायद आप सेक्शन ए के लिए एक विधान बनायेंगे। संभवत: ए सेक्शन के प्रान्तों के केन्द्रीय संघ के लिए भी आप एक विधान बनायेंगे। इन प्रान्तों के लिए एक केन्द्रीय संघ बनाना शायद आप चाहें। पर यह निश्चित है कि आप सेक्शन बी के लिए विधान बनाने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। परिणाम यह होगा कि सेक्शन बी और सी के विधान बनाने के वास्ते एक दूसरी विधान-परिषद् बिठानी होगी जैसा मिस्टर जिन्ना चाहते हैं। ''अनिच्छुक भाग को विधान मंजूर करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा।'' इस व्यवस्था से उन सेक्शनों के अल्प-संख्यक समुदाय अर्थात् पंजाब के हिंदू और सिख तथा बंगाल और आसाम के हिंदू लाभ उठा पायेंगे या नहीं, इसे मैं नहीं जानता। इस सम्बन्ध में मैं कोई राय नहीं जाहिर कर सकता। हो सकता है ये लोग इस व्यवस्था से लाभ उठावें और कहें कि चूंकि इस विधान के निर्माण में हमारा हाथ नहीं था, हम इसे मंजूर नहीं करते। यह सम्भव है, पर यह बात तो निश्चित है कि समस्त भारत के लिए विधान बनाने का हमारा प्रयत्न असफल हो जायेगा। सम्भवत: इसका परिणाम यह होगा हिंदुओं के लिए एक विधान होगा और मुसलमानों के लिए अलग एक। और अगर ऐसा हुआ तो रियासतों के लिए एक अलग विधान होगा और इस हालत में बजाय संगठित हिंदुस्तान के हमें मजबूर होकर हिंदुस्तान कटे-छटे पाकिस्तान और राजस्थान तीनों के लिए अलग-अलग विधान रखने होंगे। आपका केन्द्रीय संघ समाप्त हो जायेगा। इसकी स्थापना न हो पायेगी। फिलहाल आपको कम-से-कम यह लाभ तो है कि सेक्शन बी और सी में किसी किस्म का पाकिस्तान स्थापित हो भी गया तो आपके पास एक केन्द्रीय संघ तो होगा, गो कि हो सकता है कि वह दुर्बल हो। इसलिए वर्तमान समय में यही जरूरी है कि मुस्लिम लीग को यहां बुलाने के लिए हम हर तरह प्रयास करें और यह नहीं कि हम उनका यहां आना और कठिन बना दें। यह केवल इसलिए कि हमारा काम सफल हो सके। प्रस्तुत प्रस्ताव को पेश करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने जो भाव व्यक्त किये हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वस्तुत: उन्होंने कहा है कि हम लोग मुस्लिम लीग का सहयोग चाहते हैं। हमको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, यद्यपि भूतकाल

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

में उनकी ओर से हमें इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिला है। मैं नहीं समझता कि मेरा तर्क और अच्छे शब्दों में रखा जा सकता है। यह साफ है कि विधान बनाने का कोई काम आप कम-से-कम आगामी अप्रैल तक नहीं कर सकते। इसलिए इसमें क्या नुकसान है अगर आप इस प्रस्ताव पर विचार कुछ हफ्तों के लिए स्थगित रख दें? हां अगर आपको यह बात मालूम है कि मुस्लिम लीग ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर अपनी यह मंशा जाहिर कर दी है कि वह इस परिषद् में शामिल न होगी तो बात दूसरी है। वे चन्द हफ्तों में अपना इरादा जरूर जाहिर करेंगे।

मैंने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का वक्तव्य देखा है जो उन्होंने हाउस ऑफ कामन्स में वाद-विवाद के सिलसिले में दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यह तय है कि यदि कांग्रेस ने 6 दिसम्बर के वक्तव्य को मंजूर किया तो मिस्टर जिन्ना हिन्दुस्तान वापिस जाने पर इस सवाल पर फैसला देने के लिए मुस्लिम लीग की बैठक बुलायेंगे। यह वक्तव्य हाउस ऑफ कामन्स के सामने दिया गया था। जब आपको यह बात मालूम हो जाये कि मुस्लिम लीग ने बाजाब्ता प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया है कि वह परिषद् में न शामिल होगी तो आप विचार करें कि क्या किया जाये। उस हालत में एक बाधा तो दूर हो चुकी होगी। पर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग आयेगी ही नहीं। यह व्यावहारिक तजवीज नहीं है। आज सवेरे मेरे एक मित्र आये और मुझसे बोले ''डॉ. जयकर, कल तक तो मैं आपके प्रस्ताव के बिलकुल पक्ष में था पर अब मि. जिन्ना की लन्दन वाली प्रेस कान्फ्रेंस ने बड़ा अन्तर ला दिया है।'' मैंने पूछा, उससे क्या फर्क पड़ गया? वे बोले मि. जिन्ना ने कहा कि वे अब विधान-परिषद् में शामिल न होंगे। मैं नहीं समझता कि मि. जिन्ना ने ऐसा बयान दिया है और अगर उन्होंने दिया भी है तो मैं उसे मुस्लिम लीग का आखिरी तयशुदा और बाजाब्ता फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या नुकसान है अगर हम तब तक के लिए इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रख दें? कम-से-कम 20 जनवरी तक यानी आज से करीब चार हफ्तों तक आप कोई अहम काम करने नहीं जा रहे हैं। कम-से-कम तब तक के लिए तो मुस्लिम लीग के लिए आपको रास्ता साफ रख देना चाहिए कि वे यहां आकर हमारी कार्रवाई में हिस्सा लें। मेरे तर्क का

एक जवाब यह हो सकता है ''हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिस पर मुस्लिम लीग को कोई जायज ऐतराज हो सके।'' यह तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। सवाल यह नहीं है कि हम ऐसा काम करें, जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति न हो। सवाल है उन्हें इस बात का अधिकार और मौका देने का कि वे इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श में उपस्थित हों। इसी बात के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर यह भी कहा जाता है कि इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात है जो योजना के प्रतिकूल हो। यह भी मेरी दलील का जवाब नहीं है। मेरा उद्देश्य विधान-परिषद् के प्रयास को असफल होने से बचाना है। आप प्रतीक्षा कीजिये, धीरे-धीरे बढ़िए, कुछ हफ्तों तक रुक जाने से कोई बड़ा फर्क न आ जायेगा। प्रस्ताव को इस अधिवेशन में पास करने के बजाय अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक स्थगित रखते हैं तो इससे बड़ा नुकसान न हो जायेगा। यह सच है कि आप जनवरी के अन्त तक बैठक तो स्थगित करने जा रहे हैं पर मेरे संशोधन के अनुसार आप तब तक के लिए प्रस्ताव स्थगित न रखेंगे, यह अजीब बात है। आप कुछ और इंतजार क्यों नहीं करते जिससे मुस्लिम लीग का यहां आना कम कठिन हो जाये? मुझ से कहा गया है कि आखिर इसमें शिकायत की क्या बात है? मुस्लिम लीग प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी शामिल हो सकती है। मेरा जवाब यह है कि उन्हें इस बात का हक है कि वे कार्रवाई में शरीक हों और अपना सहयोग दें। याद रखिए कि मुस्लिम लीग के नेता मि. जिन्ना लन्दन की कान्फ्रेंस में अपनी शिकायत जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि परिषद् में जाने पर हमें बतौर उपहार के उसके तय किये-कराये फैसले मिलें। क्या अभी भी आप उन्हें इस बात की शिकायत और उचित शिकायत का मौका देंगे—कि परिषद् ने यह जानते हुए भी कि हम शरीक हो सकते हैं, हमारी गैर-हाजिरी में बड़े-बड़े जरूरी प्रश्नों को—विधान सम्बन्धी बुनियादी सिद्धांतों को तय कर लिया है? क्या इससे आप मुस्लिम लीग का यहां आना और मुश्किल नहीं बना रहे हैं? जिस बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि जब आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जैसा मेरा संशोधन चाहता है तो फिर मेरे संशोधन को मान लेने में ही क्या नुकसान है? मैं कहता हूं धीरे-धीरे बढ़िये। इसमें क्या नुकसान है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम चलेंगे तो धीरे-धीरे पर आपके संशोधन को मान कर नहीं यानी मुस्लिम लीग को यहां

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

आने देने के लिए हम धीरे-धीरे नहीं चलेंगे। यह तो अशोभनीय है। सुन्दर है और सौजन्यपूर्ण तो यह होगा कि आप कहें हम इस पर विचार स्थगित रखते हैं। क्योंकि हम लीग को मौका देना चाहते हैं कि वह भी शामिल हो ताकि उसकी मौजूदगी में हम इस प्रस्ताव पर परस्पर विचार कर निर्णय करें। सभापति जी, जैसा पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा है स्थिति यह है, कि इस समय जिन कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना बड़ी जरूरी है। मैंने सारी कठिनाइयां बता दी हैं। और इस संकट पर भी प्रकाश डाला है कि सभा का प्रयत्न व्यर्थ न हो जाये। इस सम्भावना को देखते हुए मैं हरचंद अपील करूंगा कि पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर–उनकी वाणी पर अमल किया जाये। हम मुस्लिम बन्धुओं का सहयोग चाहते हैं, उनका सहयोग पाने के लिए ही हम प्रस्ताव स्थगित कर अपने पथ से हटते हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का हम दावा करते हैं। वह महिमामय महापुरुष आज दुखित होकर यहां से बहुत-बहुत दूर एकाकी, दुर्बलगात, परिमित भोजन और परिमित निद्रा का कठोर व्रत ले सद्भावना और सहयेाग द्वारा मुसलमानों को अपनाने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। उस महापुरुष के आदर्श का हम यहां अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? सभापति जी, यदि अनुमति हो तो मैं कहूंगा कि मुझे इस बात की बड़ी ही प्रसन्नता है कि इस महती सभा के कार्य संचालक के लिए आप जैसा सभापति यहां मौजूद है। इन कतिपय वर्षों में जो कुछ भी मैं आपको जान पाया हूं, आपकी सद्भावना सम्बन्धी असीम क्षमता, आपका सौजन्य, आपकी सहिष्णु भावना, और विरोधी दृष्टिकोण को जानने की आपकी असीम योग्यता, आपके इन सब गुणों को देखते हुए मैं इसे बड़ा ही महत्त्वपूर्ण समझता हूं कि इस समय आप सभापति के आसन पर आसीन हैं और मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि सद्भावना का वातावरण तैयार हो सके और इस दिशा में आपका प्रयास आपके सहज आकर्षणशील स्वभाव के कारण अधिक सफल हो सकता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखें ताकि हमें मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो सके। परन्तु यह कहा जाता है कि जब मुसलमान आ जायेंगे तो हम प्रस्ताव बदल देंगे। सोच-समझ कर पास किये हुए प्रस्ताव को बदलना न बुद्धिमानी है और न आसान ही है। मेरी दलील का सार यह है कि मुस्लिम लीग को मौका दिया जाये कि वह परिषद् की कार्रवाई में हिस्सा ले, हमारे साथ बैठे और यहां भाषण दे। पर प्रस्ताव पास हो जाने के बाद नहीं बल्कि उसके

पास होने के पहले और पास होते समय। वास्तविक सहयोग यही है और यह नहीं कि आप के सब कुछ कर लेने के बाद जब वे आना चाहें तो आप उनसे कहें कि आइये और जो कुछ हमने कर लिया है उसे स्वीकार कीजिए।

मुझे डर है कि मेरे इस विचार से आप में से बहुतेरे सज्जन असहमत होंगे। मुझे चेतावनी दी गई थी ''आप अपने को बहुत अप्रिय बना रहे हैं।'' मैंने अपने मित्र को जवाब दिया ''बाल्यकाल से मुझे अप्रियता ही पारितोषिक स्वरूप मिली है।'' मैं बहुत अप्रियता के बीच गुजरा हूं। जब मैंने स्वराज्य पार्टी स्थापित करने में मदद दी तो बदनाम हुआ। जब जवाबी सहयोग पार्टी (Responsive Co-operation Party) चलाई तब मैं अप्रिय बना। जब गोलमेज कान्फ्रेंस में शामिल होने लंदन गया तब अप्रिय बना। मैं उस समय अप्रिय बना जब सन् 1935 के कानून को पास कराने में मैंने हाथ बटाया, उस कानून को, जिसे मेरी राय में आपने विवेकहीनता से ठुकरा दिया था। अब उसी ठुकराये हुए कानून से आप चार महत्त्वपूर्ण चीजें ले रहे हैं। वह चार चीजें ये हैं, संघ, कमजोर केन्द्र, स्वायत्तशासन प्राप्त प्रान्त और प्रान्तों में अवशिष्ट अधिकार। क्या मैं यह कहूं कि समय के साथ-साथ मेरी अप्रियतायें भी बढ़ गई हैं? इसलिए अब इस उम्र में और उतने अनुभवों के बाद मुझे अप्रियता का कोई डर नहीं है। मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता आप पकड़ रहे हैं वह गलत है, गैर कानूनी है, असामयिक है, विनाशकारी है, संकटपूर्ण है; यह आपको मुसीबत में डाल देगा। आपने मुझे अपने टिकट पर चुना है मैं बाध्य हूं कि आपसे साफ-साफ कह दूं कि आगे संकट है, असफलता का संकट है, कलह का संकट है, जबर्दस्त मतभेद का डर है। आपका फर्ज है कि आप इससे बचें। सभापति जी, बस, मुझे जो कुछ भी कहना था कह दिया।

***सभापतिः** सर हरिसिंह गौड़ ने एक संशोधन की सूचना दी है। यह नियम के खिलाफ मालूम होता है। पर ऐसा घोषित करने के पहले मैं सर हरिसिंह गौड़ से कहूंगा कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि संशोधन क्योंकर प्रासंगिक है। यह यों है:

''उक्त प्रस्ताव में इन शब्दों की जगह कि यह सभा इस प्रश्न पर और विचार आगे के लिए स्थगित रखती है ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि यदि

[सभापति]

चाहें तो इस सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।'' ये शब्द रखे जायें:

''सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिए यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाये और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए आगामी पांच वर्षों तक समानता का दर्जा सुरक्षित रखा जाये और यह भी सुरक्षा-मूलक व्यवस्था रखी जाये कि किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित न समझा जायेगा अगर उसे दूसरे सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट न मिले।''

ऐसा मालूम पड़ सकता है कि यह संशोधन, मूल प्रस्ताव अथवा डॉ. जयकर के संशोधन में जो कुछ कहा गया है उससे बहुत अधिक है। अत: मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम के प्रतिकूल है। पर फिलहाल मैं अपना फैसला नहीं दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे बतायें कि यह कैसे नियमानुसार है?

***डॉ. सर हरिसिंह गौड़** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह बताने के लिए यहां बुलाया गया हूं कि मेरा संशोधन, जिसे डॉ. जयकर के संशोधन पर मैंने उपस्थित किया है, कैसे नियमानुकूल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर डॉ. जयकर का संशोधन नियमानुकूल है तो उस पर मेरा जो संशोधन है वह भी नियमानुकूल है। यह तो मान लेना होगा कि मैंने अपने संशोधन के नियमानुकूल होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा है। मैं यह अनुभव कर रहा था कि अगर डॉ. जयकर सारे मसले को टाल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं तो उनका संशोधन शायद संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन का मतलब है ठीक करना। इसलिए डॉ. जयकर के संशोधन का मतलब है कि माननीय पं. नेहरू का मूल प्रस्ताव उनके सुझाये हुए संशोधन के आधार पर मंजूर किया जाये। यह तो संशोधन हो सकता है परन्तु यदि आपका यह मतलब है कि मूल प्रस्ताव एकदम लुप्त ही कर दिया जाये और इस पर बीच में बहस न हो तो मैं नहीं समझता कि डॉ. जयकर आखिर किस बात का संशोधन चाहते हैं? बेहतर होगा कि वह पहले अपना ही संशोधन दुरुस्त कर लें। मैं समझता हूं कि उनका संशोधन विचारा जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने संशोधन की सूचना दी है। परन्तु सभापति जी, आप आगे यह भी देखेंगे कि डॉ. जयकर के तथा अपने संशोधन

की नियमानुकूलता के सम्बन्ध में कुछ बात मन में रखकर ही मैंने मूल प्रस्ताव पर एक दूसरे संशोधन की भी सूचना दी है जिसमें मेरे वर्तमान संशोधन की मुख्य-मुख्य बातें आ जाती हैं। संक्षेप में मुझे यह कहना है। यदि डॉ. जयकर का प्रस्तुत संशोधन नियमानुकूल है और उस पर विचार किया जायेगा तो उसे संशोधित करने का मुझे अधिकार है। अन्यथा, यदि वह संशोधन नियम के प्रतिकूल ठहराया जाता है तो मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता। इस हालत में मैं अपना दूसरा संशोधन पेश करूंगा जिसकी सूचना मैं दे चुका हूं।

***सभापतिः** समय आने पर हम आपके दूसरे संशोधन पर विचार करेंगे। डॉ. हरिसिंह गौड़ के संशोधन के साथ प्रस्ताव यों होगाः

> ''यह सभा अपना यह दृढ़ और गम्भीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो विधान यह बनायेगी वह एक स्वतंत्र गणतांत्रिक सत्ता सम्पन्न राज्य का विधान होगा। परन्तु ऐसा विधान बनाने में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और उग्र बनाने के उद्देश्य से सभा की यह राय है कि अन्य स्थानों में पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए मुस्लिम लीग की मांग आत्मघाती है। इसकी राय में मुसलमानों और अन्य सम्प्रदायों के लिये यह हितकर होगा कि संयुक्त निर्वाचक समूह बनाया जाये और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए आगामी पांच वर्षो तक एक निश्चित संख्या की सीटें सुरक्षित रखी जायें और यह भी सुरक्षा-मूलक व्यवस्था की जाये कि किसी सम्प्रदाय का कोई सदस्य नियमानुसार निर्वाचित न समझा जायेगा अगर उसे अन्य सम्प्रदाय का एक निश्चित प्रतिशत वोट न मिले।''

डॉ. हरिसिंह गौड़ प्रस्ताव के दो भागों को ठीक-ठीक नहीं जोड़ पाये हैं और यह नियम के प्रतिकूल है।

अब मैं उन सदस्यों से जिन्होंने संशोधन की सूचना दी है यह कहना चाहता हूं कि अपने संशोधन बारी-बारी से पेश करें यदि वे नियमानुकूल हैं। मूल प्रस्ताव और संशोधन सब पर साथ विचार किया जा सकता है। मेरी समझ में इससे समय की बचत होगी।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः** माननीय डॉ. जयकर का संशोधन मूल प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का एक तरह से प्रस्ताव-सा है। इसलिए अन्य संशोध नों के पहले, जो मूल प्रस्ताव से वस्तुतः स्वतंत्र है, डॉ. जयकर के संशोधन पर ही विचार और फैसला करना चाहिए।

***दीवान चमनलाल** (पंजाब : जनरल): डॉ. जयकर का संशोधन भी स्वतंत्र और पृथक् ही है। यह विधि विहित नहीं है। इसमें गणतंत्र को हटा कर प्रजातंत्र की बात कही गई है और यद्यपि यह कहता है कि और विचार करना स्थगित रखा जाये फिर भी यह विधि विहित संशोधन नहीं माना जा सकता।

***सभापतिः** हम लोगों ने इसे एक संशेधन माना है। दूसरा संशोधन है श्री सोमनाथ लाहिरी का, जिसकी सूचना आ चुकी है। इस संशोधन के संबंध में भी मेरा मत यही है कि यह नियमानुकूल नहीं है। मैं श्री लाहिरी से कहूंगा कि वे बतावें कि यह नियमानुकूल कैसे है?

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): मेरा संशोधन मूल प्रस्ताव पर है। मूल प्रस्ताव विधान-परिषद् का यह लक्ष्य निश्चित करता है कि विधान-परिषद् भारत को स्वतंत्र सर्वसत्तासम्पन्न गणतांत्रिक राज्य घोषित करेगी। मेरा संशोधन केवल इस कारण से ही संशोधन माना जा सकता है कि यह भी मूल प्रस्ताव के विषय से ही सम्बन्ध रखता है और उसके मुख्य विचारों के प्रतिकूल नहीं है।

***सभापतिः** आपके संशोधन के सम्बन्ध में आपत्ति यह है कि यह कुछ कार्यवाही करने की बात कहता है जो मूल प्रस्ताव में नहीं है। उदाहरण के लिए यह कहता है कि यहां, और अभी ही भारतीय गणतंत्र की घोषणा कर दी जाये। यह मध्यकालीन सरकार से कहता है कि वह एक खास तरीके से काम करे और इसी तरह की बहुत-सी बातें इसमें हैं। यह एक प्रस्ताव है जो अभी और यहां ही कुछ काम शुरू करने का आदेश देता है और इसी माने में इसे नियम के बाहर बताया गया है।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मैं समझता हूं कि अगर प्रस्ताव के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई सुझाई जाये तो निश्चय ही वह संशोधन के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं कि आपने डॉ. जयकर के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग से सम्बन्ध रखने वाली और बहुत-सी दूसरी बातें भी शामिल करने के लिए इजाजत दे दी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल प्रस्ताव में नहीं है। चूंकि डॉ. जयकर समझते हैं कि मुस्लिम लीग और दूसरों को यहां शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सभा को स्थगित रखने तक की कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने अपना संशोधन मंजूर करने का सुझाव दिया

और आपने उसे नियमानुकूल माना है। जिस तरह सभा स्थगित रखना भी कार्यवाही ही है उसी तरह दूसरा सुझाव भी निश्चय ही नियमानुकूल है। सभापति महोदय, अगर आज्ञा हो तो एक प्रसंग की याद दिलाऊं। सन् 1939 में जब आप राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष थे, युद्ध की घोषणा होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने एक प्रस्ताव पेश हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें अंग्रेजों से कहा गया था कि वे युद्ध का उद्देश्य घोषित करें और जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थीं जिनके आधार पर भारत युद्ध में सहयोग देने के लिए रजामंद था। मुझे याद है कि मैंने इस आशय का संशोधन रखा था कि देश को संघर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाये। आपने सभापति के आसन से कहा था कि ''संशोधन नियमानुकूल है।'' यद्यपि पं. जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि संशोधन का अभिप्राय मूल प्रस्ताव के आशय से प्रतिकूल था।

*****एक सदस्य:** क्या यह तहरीर में आ चुका है?

*****सभापति:** मुझे डर है कि उक्त विवरण नजीर नहीं माना जा सकता। *(हंसी)*

*****श्री सोमनाथ लाहिरी:** यह तो मेरा निवेदन है। यदि इतने पर भी आप समझते हैं कि मेरा संशोधन नियम के बाहर ठहराया जाना चाहिये, तो मूल प्रस्ताव पर ही मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि मैं अपना विचार व्यक्त कर सकूं।

*****सभापति:** मेरी समझ में संशोधन नियम के बाहर है। मूल प्रस्ताव पर बोलने का मौका आपको बाद में दूंगा।

मुझे सूचना मिली है कि प्राप्त संशोधनों में से बहुतेरे वापस ले लिये गये हैं। मैं उन्हीं सदस्यों को संशोधन उपस्थित करने के लिये कहूंगा, अवश्य ही यदि वे ऐसा चाहते हैं जिन्होंने अपने संशोधन वापस लेने की इच्छा नहीं प्रकट की है। अब क्रम से दूसरा संशोधन जो वापस नहीं लिया गया है वह है श्री रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का। यदि उनकी इच्छा हो तो कृपया आगे आकर अपना संशोधन पेश करे।

*****रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं:

प्रस्ताव के प्रथम और दूसरे पैरों की जगह यह रखा जाये:

''यह विधान-परिषद् कम-से-कम समय में भारत को एक स्वतंत्र सर्वसत्तासम्पन्न

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

प्रजातंत्र बनाने के दृढ़ और गंभीर निश्चय की घोषणा करती है जिसमें प्रारंभ में ये भाग शामिल रहेंगे:

(क) वह भाग जो आज ब्रिटिश भारत कहलाता है और यथाशीघ्र वे भी........

(ख) वह भाग, जिसको लेकर आज रियासतें बनी हैं,

(ग) अन्य दूसरे भाग जो आज ब्रिटिश इंडिया और रियासतों के बाहर हैं,

(घ) दूसरे ऐसे भाग जो स्वेच्छा से स्वतंत्र सर्वसत्तासम्पन्न भारतीय प्रजातंत्र में सम्मिलित होना चाहते हैं,

और यह भी निश्चय करती है कि भावी शासन चलाने के लिए एक विधान प्रस्तुत और लागू किया जाये।''

सभापति महोदय, यह बात नहीं है कि संशोधन उपस्थित करने में मुझे कुछ संशय या लज्जा का बोध न होता हो। माननीय प्रस्तावक महोदय की महत्त्वपूर्ण और शानदार वक्तृता के बाद मैंने बहुत देर तक सोच-विचार कर संशोधन रखना ही तय किया। खास करके इसलिए कि मेरी समझ में संशोधन बजाय बाधक होने के प्रस्तावक के उद्देश्यों को सहायता पहुंचाता है। मुझे डर है कि शायद कुछ स्वार्थी लोग हम लोगों को—परिषद् के सदस्यों को–विच्छिन्न करने की कोशिश करें परन्तु चाहे जो हो, यह मेरी दृढ़ इच्छा है और मैं जानता हूं कि यहां समवेत सभी सदस्यों की यह इच्छा है कि परिषद् अपना काम जारी रखे। माननीय डॉ. जयकर ने अपने भाषण में कई कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उनमें एक कठिनाई यह भी बताई गयी थी कि हमें मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करना है। विधान-सम्बन्धी कानून की जानकारी में मैं उनके आगे कुछ नहीं हूं। पर मैंने विधान-परिषद् के सभापति को भाषण के सिलसिले में यह कहते हुए सुना कि यद्यपि परिषद् पर पाबंदियां लगाई गई हैं, इसे उन पाबंदियों को उल्लंघन करने का स्वाभाविक अधिकार है। इसी आधार पर मैंने अपना संशोधन रखा है। अब मैं यह बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में क्या अंतर है क्योंकि यह समझाना निहायत जरूरी है। प्रस्ताव में मैंने चन्द परिवर्तन क्यों किये हैं। पहला परिवर्तन यह है कि 'घोषित करने' की जगह 'बनाने' शब्द मैंने रखा है। इस परिवर्तन का कारण मैं पीछे समझाऊंगा। इस समय मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि मूल प्रस्ताव और संशोधन में क्या अंतर है। और

फिर सम्मिलित संघ (यूनियन) को बिलकुल बाद दे दिया है और ''कम-से-कम समय में'' इतना बढ़ा दिया है। मैंने संशोधन में यह भी कहा है, विधान न सिर्फ बनाया जाये बल्कि लागू किया जाये। मूल प्रस्ताव और मेरे संशोधन में अंतर की यही चन्द खास बातें हैं। मैंने प्रस्ताव को बड़े ध्यान से पढ़ा है। और एक बार माननीय प्रस्तावक महोदय के सम्मुख कुछ हद तक अपना मत व्यक्त करने का मौका भी मुझे मिला था। प्रस्तावक महोदय ने स्वीकार किया था कि प्रस्ताव की रचना कहीं-कहीं कुछ पुराने ढंग पर है। शायद कानून बनाने में और विधान बनाने में उन पारिभाषिक शब्दों का कानून प्रयोग आवश्यक है जिन्हें आज से सौ वर्ष पहले अमेरिकन विधान के निर्माताओं ने या अन्य देशों के विधान-निर्माताओं ने प्रयुक्त किया था। परन्तु मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए यह अधिक उपयोगी और सहायक होगा कि हम अपना विधान संक्षेप में और साफ-साफ शब्दों में बनायें जिनके अर्थ स्पष्ट हों और जिन्हें सभी समझें। इसमें कोई लाभ नहीं कि विधान बनाने में प्राचीन शब्दों का प्रयोग केवल इस बिना पर करें कि पुराने विधानों में उनका प्रयोग किया गया है। अब मैं प्रस्तावित परिवर्तनों का कारण बताने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ में वस्तुत: जो सभा चाहती है वह उसका अभिप्राय ''घोषित करने'' इस शब्द में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि आज से पहले दूसरे मौकों पर भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी है। अब हमारा फर्ज यह है कि हम राज्य को वस्तुत: स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र बना दें और इसीलिए मेंने ''घोषित करने'' की जगह ''बनाने'' रखा है। सभापति जी, मैंने ''संघ'' शब्द को बाद दे दिया है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसे संघ की जरूरत नहीं है। उसे तो दैव से ही एक महान ''संघ'' प्राप्त हुआ है। और इसको दुहराने से, पुन: प्रयुक्त करने से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि भारतीय संघ अभी बनना बाकी है। यह अलग बात है कि हम अपने बनाये विधान को फिलहाल हिंदुस्तान के केवल एक भाग पर ही लागू कर सकें। पर हम इसे यथाशीघ्र दूसरे भागों में भी चालू करने की फिक्र में हैं। इसलिए अगर यह मेरे ही बस की बात होती तो मैं तो केवल हिंदुस्तान ही शब्द रहने देता, ''संघ'' शब्द को न रखता। दूसरे देशों के विधान में जहां भी ''संघ'' का प्रयोग किया गया है वहां इस शब्द के प्रयोग की खासी वजह थी। फिर जैसा मैंने बताया है संशोधन में मैंने 'विधान बनाने और उसे लागू करने' इन शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने इस सभा में अपना

संशोधन पेश करने के पहले यह बात किसी से सुनी थी कि विधान-परिषद् को अधिकार है कि वह अपने बनाये विधान को लागू करे। मैंने 16 मई की घोषणा भी ध्यान से पढ़ी है। घोषणा किसी भी रूप में यह नहीं कहती है कि परिषद्

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

के बनाये विधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक है। उसमें ये दो जरूरी शर्तें दी हुई हैं। एक तो यह कि भारत और इंग्लैंड के बीच संधि होगी और दूसरी यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इसलिए मैं तो यह मानता हूं कि हम लोगों को न सिर्फ विधान बनाने का बल्कि उसे लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसीलिए मैंने ''विधान बनाने'' की जगह ''विधान बनाने और उसे लागू करने'' शब्दों का प्रयोग किया है।

दूसरा परिवर्तन जो मैंने संशोधन में रखा है वह यह है कि मैंने विधान को सम्पूर्ण भारत में लागू कर देने के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न समय निर्धारित करने की कोशिश की है। मैं बता दूं कि मूल प्रस्ताव में भी कुछ ऐसे प्रदेशों की बात सोची गई है जो शायद 'संघ' में देर से शामिल हों। सभापति जी, उदाहरण के लिए मैं दो प्रदेशों का हवाला दूंगा जिनका जिक्र मूल प्रस्ताव में यों है ''वे प्रदेश जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से बाहर हैं और अन्य ऐसे प्रदेश जो संघ में शामिल होना चाहते हों।'' उक्त दोनों भाग 'संघ' में इसी वक्त शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए मूल-प्रस्ताव में संघ की मुकम्मिल स्थापना के लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न मंजिलें सोची गई हैं। मैंने भी अपने संशोधन में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमारा प्रजातंत्र प्रारंभ में उन्हीं प्रदेशों को लेकर बनेगा जो आज ब्रिटिश भारत के नाम से मशहूर हैं और फिर यथाशीघ्र उन भागों को भी शामिल कर लेगा जो देशी रियासतों के नाम से परिचित हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, संशोधन पेश करने में मेरा मतलब यही है कि पहला प्रस्ताव हम इस तरह बनायें कि हमें उसे फिर कभी न बदलना पड़े। यह प्रस्ताव विधान-परिषद् के काम का प्रारम्भ—श्रीगणेश है—और यह कोई नहीं चाहेगा कि बाद में परिस्थिति में परिवर्तन होने से प्रस्ताव में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाये। ब्रिटिश-भारत के बहुसंख्यक सम्प्रदायों ने भूतकाल में अपने प्रदेश के लिए स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र स्वीकार किया है। वहां के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय इसमें कुछ कठिनाइयां बता सकते हैं। इन कठिनाइयों पर हमें ध्यान देना होगा और उन्हें हल करना होगा। इसलिए प्रस्ताव में मैंने वक्त या मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं जिसके

जरिये हम स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र की मुकम्मिल स्थापना कर लेंगे। परन्तु यदि हम उन लोगों का सहयोग न भी पा सके, जिनका सहयोग हम पाना चाहते हैं, बल्कि जिनके सहयोग के लिए हम बहुत चिन्तित हैं, तो भी हम आजादी की ओर बढ़ते जायेंगे। हमारे कदम न रोके जायेंगे और हमें इसके लिए इंतजार न करना पड़ेगा कि सभी प्रदेश राजी हो जायें, तब विधान लागू किया जाये। सभापति महोदय, इन्हीं बातों ने मुझे यह संशोधन रखने के लिए प्रेरित किया है। मुझे खेद है कि माननीय प्रस्तावक महोदय आज अनुपस्थित हैं। वस्तुत: मेरी यह इच्छा थी कि जो बातें मेरे दिमाग में हैं उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूं और उनसे अनुरोध करूं कि वे इस पर विचार करें कि क्या मेरे संशोधन को या उसके उन भागों को, जो उनके बतायें ख्यालों के खिलाफ न हों, स्वीकार करना उनके लिए सम्भव न होगा।

***सभापति:** दूसरा संशोधन है श्रीगोविन्द मालवीय का जिसकी सूचना आ चुकी है। यह संशोधन बजाब्ता वापस नहीं लिया गया है। श्रीगोविन्द मालवीय उपस्थित नहीं हैं पर उन्होंने मुझ से कहा है कि वे उसे नहीं रखना चाहते। अत: मेरी राय में यह प्रस्ताव वापस ले लिया जा चुका है।

अब, रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय का एक दूसरा संशोधन है।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** सभापति जी, दूसरा संशोधन जिसकी सूचना मेरी ओर से आयी है वह यह है कि प्रस्ताव के पैरा 4 में ये शब्द बाद दे दिये जाये:

> ''सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र भारत को, इसके अंतर्गत भागों को, तथा इसके शासन के सब अंगों को''

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): क्या कोई सदस्य एक ही प्रस्ताव पर एक से ज्यादा मर्तबा बोल सकता है? जब उनके दो या तीन संशोधन हों तो वे सब एक साथ पेश करें और एक वक्तृता दें।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** प्रस्ताव के कई पैराग्राफों के अनुसार संशोधन रखे गये हैं।

***सभापति:** श्री सहाय का एक और भी संशोधन है। दोनों को एक साथ ही पेश कर सकते हैं।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** सभापति जी, दूसरा संशोधन यह है:

> ''प्रस्ताव के पैरा 5 में 'कानून की दृष्टि में सबका दर्जा बराबर होगा, सबको समान अवसर मिलेगा" की जगह यह रखा जाये–

[रायबहादुर श्यामनंदन सहाय]

''कानूनन सबको बराबर दर्जा, समान अवसर और सुरक्षा मिलेगी'' मैं इस संशोधन को पेश नहीं करूंगा।

''सर्वसत्ता सम्पन्न भारत को, इसके अंतर्गत भागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को'' इसे प्रस्ताव के चौथे पैरा से हटाने का संशोधन तो मैं केवल इसलिए रखना चाहता हूं कि परिषद् के सुचारु रूप से काम करने में कोई रुकावट न आये और इसलिए भी कि परिषद् के अन्य सदस्यों के शामिल होने के पहले हम कुछ ऐसा न कर बैठें जिससे उन्हें आरंभ में ही भय हो।

चौथा पैरा यह कहता है:

> ''जिसमें सर्वसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र भारत को, इसके अंतर्गत भूभागों को तथा इसके शासन के सब अंगों को सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।''

इसके अंतर्गत भूभागों में देशी रियासतों के प्रदेश भी हैं। मैं समझता हूं इस सभा के बहुत से सदस्यों का ध्यान बीकानेर की रियासत की धारा सभा में—या जो भी नाम हो—हाल ही में दिये हुए वहां के प्रधानमंत्री के वक्तव्य की ओर जरूर गया होगा। वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि जहां तक रियासतों का प्रश्न है, हमारा यह मत है कि अधिकार जनता से नहीं प्राप्त हैं बल्कि राज्य से। मैं यह कहता हूं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मतभेद हो सकता है और ऐसे प्रस्ताव को पास करना उचित नहीं है जिसके आशय से विधान परिषद् के एक आवश्यक अंग को परिषद् से अलग रहने के लिए वास्तविक शिकायत की गुंजाइश मिल सके।

मेरे संशोधन पर प्रस्ताव का स्वरूप यह हो जाता है:

'जिसमें सारी शक्ति और सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।'

इसमें अंतर्गत भूभागों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि उनकी कल्पना के प्रजातंत्र में राजतंत्रीय पद्धति वाले राजाओं और रियासतों की गुंजाइश रहेगी। इस हालत में ऐसा प्रस्ताव पास करना ठीक न होगा जो यह कहता हो कि प्रजातंत्र के अंतर्गत भूभागों को सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे। सभा के सदस्यों ने शायद वह वक्तव्य देखा होगा जो कल रात को ब्रॉडकास्ट किया गया था और जिसमें भिन्न-भिन्न रियासतों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति की है और यह शिकायत की है कि इसके सम्बन्ध में पहले उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। इन सब बातों को

मद्देनजर रख कर और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की इस जबरदस्त इच्छा को मद्देनजर रख कर कि सभा का काम सुचारु रूप से चले, मेरी समझ में हमें न तो ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिये और न ऐसा वक्तव्य ही देना चाहिये जिससे वास्तविक मतभेद का समुचित कारण पैदा हो।

संशोधन नं. 30 को मैं नहीं पेश करूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ शाब्दिक परिवर्तन है। मेरी ओर से एक और संशोधन की सूचना दी गयी है। वह है संशोधन नं. 43, मैं उसे भी नहीं पेश करूंगा।

***सभापति:** दूसरा संशोधन नं. 25 सर उदयचन्द महताब का है।

***सर उदयचन्द महताब महाराजाधिराज बर्दमान** (बंगाल : जनरल): मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***सभापति:** मैं देखता हूं कि अन्य सभी संशोधन जिनकी सूचनायें आयी थी वापस ले लिये गये हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भूल नहीं और अगर कोई संशोधन रह गया तो सदस्य मुझे बता सकते हैं। एक संशोधन है जिसकी सूचना डॉ. हरिसिंह गौड़ ने दी है पर दुर्भाग्य से उसकी सूचना आज सवेरे मिली है। संशोधनों की सूचना के लिए मैंने अवधि निर्धारित कर दी थी और चूंकि डॉक्टर हरिसिंह गौड़ ने अवधि बीतने पर सूचना दी है, मैं उन्हें संशोधन पेश करने की इजाजत देने में असमर्थ हूं।

अब प्रस्ताव और सारे संशोधन पेश हो चुके हैं अब सभा इन पर विचार करेगी।

मैं सदस्यों से कहूंगा वे कम समय में ही अपनी बात कहें क्योंकि इस पर हमें दो दिन लग चुके हैं और यद्यपि मैं किसी सदस्य के भाषण सम्बन्धी अधिकार को कम करना नहीं चाहता पर सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात पर ध्यान रखें। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सज्जनों के नाम की सूची मेरे पास है पर मैं इसे मुकम्मिल नहीं मानता। इसके अतिरिक्त भी सदस्य हो सकते हैं जो बोलना चाहते हों। पर मैं इस सूची के अनुसार चलूंगा और यदि अतिरिक्त सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो बीच-बीच में उन्हें भी मौका दूंगा। सूची में पहला नाम है, श्री श्रीकृष्ण सिन्हा का। सभा के समक्ष अब वे अपनी बात कहें।

***माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा** (बिहार : जनरल): आदरणीय सभापति महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी राय में वस्तुत: यह दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का पवित्र प्रस्ताव भी आलोचना से न बच पाया और इस पर अनेक संशोधन पेश किये गये हैं। मैं

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

इसे पवित्र इसलिए कहता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव में स्वतंत्र होने की हमारी भावना और प्रेरणा व्यक्त की गई है, जिसने आज कई वर्षों से हमें आंदोलित कर रखा है।

सभापति महोदय, अगर ध्यान से उस पर विचार किया जाये तो इसमें भावी भारत की एक पूरी तस्वीर दिखाई देगी। भावी भारत एक प्रजातंत्र होगा जिसके अंतर्गत प्रदेशों को खुद मुख्तारी हासिल रहेगी। इस भारतीय प्रजातंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। प्रस्ताव की ये तीन प्रधान विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण मैं इसे पवित्र मानता हूं। मैं अपनी बात संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं सभा को यह याद दिलाये बिना नहीं रह सकता कि हम लोग यहां उस अधिकार के बिना पर समवेत हुए हैं जो मनुष्यों के लिए बहुमूल्य है और जिसे मनुष्य जाति ने कठोर कष्ट और त्याग के बाद प्राप्त किया है। हर समाज में जीवन को चलाने के लिए एक-न-एक राजनैतिक संगठन की शासन पद्धति की जरूरत होती है। यदि हम संसार के राज्यों की क्रमागत उन्नति का इतिहास देखें तो मालूम होगा कि जीवन-सम्बन्धी विचारधारा में परिवर्तन होने के साथ-साथ शासन पद्धति में भी परिवर्तन न होता आया है। मुझे सभा के एक सदस्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वस्तुत: इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि समाज में राजनैतिक सत्ता अधिकार कहां स्थित है। स्वयं यह सभा जनता की सत्ता पर समवेत हुई है। अवश्य ही अभी कुछ ही दिन पहले संसार इस बात पर विश्वास नहीं रखता था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को सुख और स्वतंत्रता का समान अधिकार है। समाज में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं था और समाज का संगठन वर्ग-भेद के आधार पर था। समाज में व्यक्ति का स्थान उसके वर्ग से निश्चित होता था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं था। गरीबी एक रोग नहीं समझी जाती थी, जिससे समाज को बचाना हो। अठारहवी शताब्दी में फ्रांस के कुछ बड़े-बड़े विचारकों की यह राय थी कि सम्पत्ति के समुचित उत्पादन के लिए समाज में गरीबी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे समाज में भला इस सिद्धांत के लिये कहां स्थान है कि सत्ता जनता के हाथ में है। तब सत्ता राजाओं में सन्निहित थी और उन्हें शासन का विशेषाधिकार प्राप्त

था। जनता सिर्फ इसलिए थी कि वह राजा द्वारा लगाये करों को चुकाये और उसके द्वारा बनाये कानूनों को सिर-आंखों पर रखे। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जीवन और समाज सम्बन्धी विचारों में भी परिवर्तन आता गया। मनुष्य विश्वास करने लगे कि हर व्यक्ति को सुख स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है। जीवन-सम्बन्धी विचारधारा में यह परिवर्तन आ जाने से यह आवश्यक हो गया कि राजकीय शासन पद्धति में परिवर्तन किया जाये। पर जिनके हाथ में सत्ता थी वे इसे छोड़ने के लिए और शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये तैयार न थे। इस तरह से इन दो आदर्शों के बीच, (एक तो जिससे जनता प्रभावित थी और दूसरे वह जिससे सत्ताप्राप्त वर्ग प्रभावित था।) एक घनघोर संघर्ष छिड़ गया। 18वीं शताब्दी के अन्त में, अन्ध महासागर की दोनों तटवर्त्ती भूमियों पर भयानक क्रांतियां हुईं और इस सिद्धांत की विजय हुई कि सत्ता जनता के हाथ में है। इसके बाद भी बहुतेरे ऐसे शासक आये जो इस सिद्धांत को न मानते थे और इस तरह एक और सशस्त्र क्रांति हुई। जिसमें भयंकर रक्तपात हुआ और तब कहीं इस सिद्धान्त को सबने स्वीकार किया। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिये ही हम कई वर्षो से इस देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते आ रहे हैं। इसी के लिए सन् 1921 में सारा देश इस कोने से उस कोने तक मुह्यमान हो उठा और लाखों आदमी महात्मा गांधी द्वारा परिचालित सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े। जनता के इस बुनियादी अधिकार की स्थापना के लिये ही सैकड़ों फांसी पर झूल गये, हजारों गोलियों के शिकार हुए और लाखों जेल गये। जनता और भारत सरकार के राजनैतिक आदर्शों में, विचारधारा में जबरदस्त अंतर था और इसके फलस्वरूप इन दोनों के बीच सदा संघर्ष रहा है। इसलिए सभापति जी, हम लोग इस परिषद् में इस बिना पर नहीं समवेत हुए हैं कि आज सरकार ने अपनी उदारता के आवेश में यह उचित समझ लिया है कि अब हमें अधिकार दे दिये जायें। मैं इस स्थिति में रहा हूं कि इस सम्बन्ध में अपनी राय कायम कर सकूं कि आया शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरित करने की जो बात कही जा रही है उसमें सच्चाई भी है या नहीं। जो लोग इंडिया एक्ट के राजनैतिक आदर्शों के अनुसार आज भी भारत पर शासन करने का स्वप्न देख रहे हैं उनको हमने बाध्य कर दिया है कि वह अपना यह विचार त्याग दें और इसीलिए आज यहां हम समवेत हो पाये हैं। विद्रोह की जो क्रांतिमयी भावना सन् 1942 में देश भर में फैल गई उसने हमें कामयाब बनाया और उसी

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

का नतीजा है कि हम आज यहां समवेत हुए हैं। इस महती परिषद् में समवेत होने पर हमारा फर्ज होना चाहिये कि हम भावी भारत की रूपरेखा तैयार करें और उसे देश के सामने रखें। माननीय डॉ. जयकर ने अपनी ओजमयी वक्तृता में उन कठिनाइयों पर पूरा प्रकाश डाला है जो हमारे मुस्लिम लीगी बन्धुओं की गैरहाजिरी से पेश होगी। मैं नहीं समझता कि इन कठिनाइयों पर प्रकाश पाने के लिए माननीय डॉ. जयकर सरीखे महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्ति के भाषण की कोई जरूरत थी।

कठिनाइयां क्या हैं, इसे हम सभी जानते हैं। यदि हमने उनका भाषण ठीक-ठीक समझा है तो मेरे ख्याल में उन्होंने हमें निराशा की कोई बात नहीं कही है। वस्तुत: उन्होंने यह राय दी है यदि हमारे लीगी मित्र कुछ समय तक न आये तो फिर हमें अपने काम में अग्रसर हो जाना चाहिये।

हमारे नेता पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके लिए चिन्तित हैं कि हमारे मुस्लिम लीगी मित्र इस परिषद् में शामिल हों जिसका उन्हें हक है। हम सब इसके लिए फिक्रमंद हैं कि वे यहां आवें। पर मैं यह नहीं समझ पाता कि आखिर यह प्रस्ताव उनके भविष्य में यहां आने में कैसे रुकावट डालता है। अगर हमने मुस्लिम लीग की राजनैतिक विचारधारा को ठीक-ठीक समझा है, अगर हमने मंत्रि प्रतिनिधि मंडल की घोषणा को ठीक-ठीक समझा है तो इस बात जिसमें हम सभी सहमत हैं और वह यह है कि भावी भारत संयुक्त हो और यदि जनता चाहे तो वह ब्रिटिश कामनवेल्थ से बाहर भी रह सकता है। समय-समय पर मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा दिये हुए वक्तव्यों से हम दरअसल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुस्लिम लीग भी स्वतंत्र भारत की हामी है। इसलिए जैसा कि हम सभी चाहते हैं और मुस्लिम लीग चाहती है, भावी भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। उस स्वतंत्र भारत में सारी शक्ति, सारे अधिकार यहां बसने वाली जनता के हाथ में होंगे। इसी सिद्धांत के लिए हम सब इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे अब जब परिषद् समवेत हुई है और हम अपनी घोषणा प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो पहली चीज जो इस घोषणा में होनी चाहिये वह यह है कि जाति को, जो स्वतंत्र होने का फैसला कर चुकी है, आजादी का बुनियादी हक हासिल है। इसलिए प्रस्ताव के उस पहलू पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, जो संघ हम भारत में बनाने जा रहे हैं, वह भारत के सभी प्रदेशों का संघ होगा। अवश्य ही इसका यह मतलब हुआ कि भावी भारत संयुक्त होगा, सम्मिलित होगा। मैं फिर कहूंगा कि इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है उससे यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस प्रस्ताव में कोई ऐसी चीज न हो जिससे आगे चल कर मुस्लिम लीगी मित्रों के शामिल होने में कोई रुकावट पेश हो। मैं जानता हूं सभापतिजी, इस सभा में ऐसे सदस्य भी हैं और मैं मंजूर करता हूं कि मैं भी उन्हीं में से हूं जिनका यह विश्वास है कि भारत में एक राष्ट्र का—भारतीय राष्ट्र का—प्रादुर्भाव हो चुका है जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से सराबोर है। ऐसे लोग इस बात के लिए चिन्तित हैं कि भारत में एकात्मक शासन पद्धति मूलक (Unitary Govt.) गणतंत्र हो। संसार में उत्पादन सम्बन्धी आर्थिक शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका पूरा-पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ कर—मौजूदा राष्ट्रीयता के सीमित दायरे को फांद कर—शासन संचालन के लिए कई प्रदेशों को मिलाकर और भी बड़े-बड़े संघ या खण्ड बनायें। बहुत से लोग अब इस तथ्य को, इस आवश्यकता को समझ गये हैं और यही कारण है कि बहुत से भारतीय यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में केन्द्रीय गणतंत्र होना चाहिए। परन्तु इसके बावजूद भी अगर हम इस प्रस्ताव द्वारा भारत में लोकतंत्रीय पर विकेंद्रित गणतंत्र चाहते हैं तो यह केवल इसलिए कि इस प्रस्ताव के रचयिता ने प्रस्ताव बनाने में मुस्लिम लीगी मित्रों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा है। एक जमाना था जब संसार की तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार बड़े-बड़े राज्य बन सके थे जिनके निवासियों में भाषा और धर्म का सामंजस्य या एकरूपता थी। इसमें शक नहीं कि राष्ट्र-राज्य (National State) जिसके निवासियों में सांस्कृतिक ऐक्य या एकरूपता हो, एक बड़ी जबरदस्त चीज है, जीवन से ओतप्रोत राज्य है परन्तु दुर्भाग्य से जब राष्ट्र-राज्यों के मिट जाने का ही खतरा पैदा हो गया हो या ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाये तो हमें उन राष्ट्र-राज्यों की पेचीदी विरासत से निबटना पड़ता है और वह विरासत है कि छोटे-छोटे प्रदेश जिनकी आबादी कहीं कुछ लाख और कहीं कुछ हजार ही है, अपने अलग राजनैतिक अस्तित्व के लिए हो-हल्ला मचाते हैं। संसार में इससे मुसीबत पैदा हो गई है। आज समूचा

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

पूर्वी यूरोप युद्ध का संक्रामक रोग पैदा करने वाला स्थान बन गया है क्योंकि उस हिस्से में इतनी छोटी-छोटी जातियां इस कदर सम्मिलित रूप से बस गई हैं कि उनको छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त करना बड़ा मुश्किल है और फिर भी वे अपने पृथक् राजनैतिक अस्तित्व के लिए शोरगुल मचा रही हैं।

यह प्रस्ताव इस भावना को भी व्यक्त करता है कि भारत को संसार के राष्ट्रों में समुचित स्थान मिलना चाहिए। प्रत्येक भारतीय की यह उत्कट पर उचित अभिलाषा है कि एक दिन भारत समस्त एशिया का नेतृत्व करे। हम भारत में एक विकेन्द्रित गणतंत्र की सफलतापूर्वक स्थापना करके (जिसमें भिन्न-भिन्न भाषा और धर्म के गुट आपस में सम्मिलित होकर इस विशाल प्रजातंत्र में रह सकें) इसका नेतृत्व करने का काम प्रारंभ कर सकते हैं। आशा की जाती है कि शीघ्र ही पाश्चात्य साम्राज्यवाद की लहर एशिया से उठ जायेगी और इसके खत्म होते ही एशियावासियों को अपने-अपने राज्य-निर्माण की समस्या हल करनी होगी। राष्ट्रीयता या राष्ट्र-राज्य का प्रश्न उन प्रदेशों में भी अवश्य ही जोर शोर से उठेगा। फिलस्तीन में, अरब में और एशिया के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के द्वीपों में यह समस्या आज पेश है। यदि हमको इन्हें ठीक-ठीक नेतृत्व देना है जिससे ये एशियायी प्रदेश बाल्कन राष्ट्रों की तरह पश्चिमी साम्राज्यवाद की रणभूमि न बन सकें तो यह आवश्यक है कि हम भारत में एक ऐसे राज्य की स्थापना कर एक आदर्श पेश करें जो समस्त भारत का हो और जिसमें सांस्कृतिक अल्प-संख्यकों की हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था हो। इस देश के व्यक्ति और वर्ग के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षामूलक व्यवस्था करके यह प्रस्ताव इसी दिशा में प्रयास कर रहा है।

सभापति महोदय, प्रस्ताव की इन विशेषताओं के कारण ही मैंने कहा है कि यह प्रस्ताव पवित्र है और उन घोषणाओं के समकक्ष है जिनका ऐलान अतीत में जातियों ने दासता का बंधन तोड़कर ऐसे मौकों पर किया था। यह न केवल पवित्र ही है वरन् दुःसाध्य भी है क्योंकि इसके मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं, जिन पर अभी डॉ. जयकर ने प्रकाश डाला है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के रुख के कारण भी इसमें कठिनाइयां हैं मैंने अभी आपको बताया है कि बतौर शासक के मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं बोध कर पाता कि अंग्रेजों ने भारतीयों

को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया है। अभी उस दिन आपने चर्चिल का भाषण पढ़ा है। उस महान् साम्राज्यवादी की ओर से हमें एक भी उत्साहवर्धक शब्द नहीं मिला है। भारतीय इतिहास के ऐसे समय में भी जब देश का विधान बनाने के लिए इतने लोग समवेत हुए हैं तो बजाय इसके कि आशा और उत्साह की बात कहें वह अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर कीचड़ उछाला है, पं. जवाहरलाल पर छींटा मारा है। मध्यकालीन सरकार में पं. जवाहरलाल नेहरू के आ जाने के बाद से मिस्टर चर्चिल को बिहार में निर्दोष मनुष्यों की नृशंस हत्या ही दिखाई दे रही है। सात समुद्र पार बसने वाले मिस्टर चर्चिल को मैं कहूंगा कि जनाब, आपको किसी स्वार्थी ने यह झूठी खबर दी है और आप जानबूझ कर इस झूठ का प्रचार कर रहे हैं बिहार सरकार ने इस उपद्रव को दबाने के लिए बल-प्रयोग करने में एक क्षण भी आनाकानी नहीं की और प्रांत के लाखों मुसलमानों की रक्षा के लिए उसने तुरन्त अपनी सारी शक्ति लगा दी। बिहार सरकार को इस बात का अभिमान है। जब तक सन् 1935 के एक्ट के अनुसार उसका काम चल रहा है। वह भारत सरकार का आदेश लेने के लिए तैयार नहीं हैं पं. जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं और इस नाते वह बिहार पधारे थे। उनसे हम सबों को प्रेरणा प्राप्त होती है, उत्साह मिलता है। मैं मिस्टर चर्चिल को बता दूं कि चन्द दिनों के तूफानी दौरे में उन्होंने बिहार की जनता को अपना इरादा बता दिया। मैंने इस देश के सर्वोच्च अधिकारी को यह बात कही थी कि वह खुद भी बिहार में इतने अल्प समय में शांति नहीं स्थापित कर पाते जितने में कि हम लोगों ने की। वहां शीघ्र शांति स्थापित होने का कारण न हो बिहार-सरकार की गोलियां हैं और न भारत सरकार के सैनिक ही हैं जो बिहार सरकार को मदद के लिए भेजे गये थे। शीघ्र शांति स्थापित करने का एकमात्र श्रेय है पं. नेहरू के व्यक्तित्व को, बाबू राजेन्द्र प्रसाद सरीखे साधु पुरुष की मौजूदगी को और महात्माजी की आमरण अनशन की धमकी को। मिस्टर चर्चिल ने इस झूठ का प्रचार कर बड़ी शैतानी का काम किया है। मैंने आपका बहुत समय लिया हैं पर मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि प्रस्ताव पास करने के पहले आप उन कठिनाइयों को भी सोच लें जो आगे पेश हो सकती हैं। एक कानूनदां की हैसियत से मैंने ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा नहीं पढ़ी है। मैं जीवन भर सिपाही रहा हूं और सिपाही की दृष्टि से मैं इसे देखता हूं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों

[माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा]

के वक्तव्य से हमें कुछ भी मदद नहीं मिलती। डॉ. जयकर द्वारा बताई कठिनाइयों की वजह से तो नहीं पर उन लोगों की पैदा की हुई मुश्किलों की वजह से मुमकिन है कि इस विधान-परिषद् को भी एक दिन वही रास्ता अख्तियार करना पड़े जिसे सन् 1799 में फ्रांसीसी विधान परिषद् को, तत्कालीन राजा और राजनीतिज्ञों के रुख के कारण अपनाना पड़ा था। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं इस परिषद् के सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रस्ताव के हक में अपना वोट देने का फैसला करें इसके पहले उन मुश्किलों पर खूब गौर कर लें जिनका कि उन्हें अपने इरादे को पूरा करने में सामना करना पड़ेगा। अगर हम यह प्रस्ताव पास करते हैं तो हमें इस बात का पक्का संकल्प कर लेना होगा कि हम भारत के मौजूदा राजनैतिक ढांचे को, जो सन् 1935 के एक्ट पर मायावी वैधानिक जाल खड़ा है, चकनाचूर कर देंगे और उस तरह का प्रजातंत्र कायम करेंगे जिसकी कल्पना इस प्रस्ताव में आ गई है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आयें।

***सभापतिः** पांच बज चुके हैं। मैं जानना चहता हूं कि क्या सदस्य साढ़े पांच तक बैठना पसन्द करेंगे?

***बहुत से सदस्यः** हां, साढ़े पांच बजे तक।

***सभापतिः** इस प्रकार पर सभा एकमत नहीं मालूम पड़ती।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** सबकी राय है कि पांच बजे तक बैठा जाये।

***सभापतिः** जो लोग साढ़े पांच बजे तक बैठने के पक्ष में हैं कृपया हाथ उठावें। जो साढ़े पांच बजे तक बैठने के खिलाफ हैं अब हाथ उठावें।

पांच वालों का बहुमत है। अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके बाद सभा मंगलवार 17 दिसम्बर सन् 1946 ई.
प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित हुई।

अंक 1

संख्या 7

मंगलवार

17 दिसम्बर

सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव.. 1

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 17 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अपना परिचय-पत्र पेश कर रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये।

***सभापतिः** श्रीमती पंडित अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत बड़ी सफलता पाकर स्वदेश लौटी हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। *(हर्ष-ध्वनि)* मुझे विश्वास है कि मेरे साथ समूची सभा उनका हृदय से स्वागत करती है जैसा कि तुमुल हर्ष-ध्वनि से स्पष्ट है। *(प्रशंसा-सूचक ध्वनि)* ऐसा भी कोई सदस्य है जो रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहता हो?

(कोई नहीं)

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस—*(गत संख्या से आगे)*

***सभापतिः** अब हम प्रस्ताव और संशोधनों पर बहस-मुबाहिसा जारी करते हैं। मेरे पास उन सदस्यों की एक बड़ी सूची है जो बोलना चाहते हैं और उसमें 50 से ज्यादा नाम हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इन 50 वक्ताओं को बोलने का मौका मैं कैसे दे सकूंगा। इनके अलावा और लोग भी शायद बोलना चाहते हों। इसलिए मैं खुद वक्ताओं को चुन लूंगा। हो सकता है कि इससे बाज हल्कों में कुछ असंतोष हो, पर मेरी समझ में इसके सिवा और चारा नहीं है। मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सके वे संक्षेप में बोलें, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं और हमें यह प्रस्ताव पास करके आगे का काम करना है। हमारी बैठक रोज दो घंटा होती है और अगर हर वक्ता 15 मिनट ले तो 50 वक्ताओं के लिए 6 दिन चाहिएं और हमारी बैठक सुबह-शाम दोनों वक्त हो तो तीन दिन लगेंगे। मैं नहीं समझता कि हम लोग इस प्रस्ताव पर इतना समय दे सकेंगे। इसलिए मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे जहाँ तक हो सके संक्षेप में ही अपनी बात खत्म कर दें। मैं वक्त की पाबंदी नहीं लगाऊंगा। 10 मिनट का समय हर वक्ता के लिए काफी समझा जा सकता है। अब मैं श्री मसानी से कहूंगा कि वे सभा के सामने अपनी बात कहें।

***श्री एम.आर. मसानी** बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, प्रस्ताव पर कुछ भी बोलने से पहले मैं यह साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव पर किसी सम्प्रदाय का सदस्य होने के नाते नहीं बोल रहा हूं आज (हमारा

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री एम.आर. मसानी]

देश दुर्भाग्य से सम्प्रदायों में बँटा है) बल्कि केवल एक भारतीय की हैसियत से इस पर बोल रहा हूं। *(हर्ष-ध्वनि)* यद्यपि मैं भारत के एक बड़े छोटे अल्प-संख्यक सम्प्रदाय का सदस्य हूं पर फिर भी मैं एक भारतीय की हैसियत से ही बोलूंगा। भारत में आने वाली अन्य जातियों की तरह हमारी जाति को भी यहां वही स्वागत, वही आतिथ्य और वही सुरक्षा मिली जिसका जिक्र अभी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने किया था। मुझे आशा है कि भारत के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय यहां के बहुसंख्यक सम्प्रदाय के साथ एक जाति या राष्ट्र के रूप में समुन्नत होने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे। इस प्राचीन देश में जो-जो भी नई जातियां आईं इसमें घुल-मिल गईं और यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही। पर गत कुछ शताब्दियों से जात-पात की कट्टरता के कारण तथा पृथक्-पृथक् समाज बन जाने से इस प्रक्रिया में बाधा पड़ गई है। इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्र या जाति की कल्पना में किसी ऐसे अल्पमत की गुंजाइश नहीं है जो सदा अल्पमत ही बना रहे। या तो राष्ट्र अल्पसंख्यकों को अपने में जज्ब कर लेगा या फिर काल-क्रम से यह खुद ही मिट जायेगा। इसलिए प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसका स्वागत करते हुये मैं यह कहूंगा कि कानूनी व्यवस्था तो ठीक है पर ऐसी कोई भी व्यवस्था अल्पसंख्यकों को जबरदस्त बहुमत या जनता के दबाव से नहीं बचा सकती जब तक कि दोनों ओर से एक-दूसरे से नजदीक आने की और मिल-जुल कर एक सुसंगठित सजातीय राष्ट्र बनने की कोशिश न हो। अमेरिका ने इस बात का उदाहरण हमारे सामने रखा हैं वहां भिन्न-भिन्न जाति, फिरके के लोगों ने आपस में मिल-जुलकर, सिवा एक अपवाद के, एक राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लिया है।

इस सभा का शायद ही कोई सदस्य ऐसा हो जो उस वक्तृता से प्रभावित न हुआ हो और गौरवबोध न किया हो जिसके साथ माननीय प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने भविष्य को खूब गौर से देखा और यह जानने की कोशिश की कि भारतवासियों के भविष्य का क्या स्वरूप होगा। उन्होने यह अपील की है कि हम इस प्रस्ताव को एक बुनियादी चीज समझें और उसके शब्दों पर कानूनी झगड़े या बहस से बचें। इस अपील के जवाब में, सभापति जी, जो चन्द मिनट का समय आपने मुझे दिया है उसके अन्दर मैं सभा का ध्यान प्रस्ताव के उस पहलू की और खींचूंगा जिसे मैं प्रस्ताव का सामाजिक और टिकाऊ पहलू कह सकता हूं और इस बात पर विचार करूंगा इसे समझने की कोशिश करूंगा, कि प्रस्ताव में इस देश के निवासियों के लिए किस तरह के समाज, राज्य या जीवन-पद्धति की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि हमारा जो फिलहाल झगड़ा है उसे अलग रख दें तो देश की साधारण जनता का अधिक से अधिक ध्यान प्रस्ताव के इस पहलू पर ही जायेगा।

प्रस्ताव के इस भाग को मैं एक उस प्रजातंत्रीय समाजवादी की दृष्टि से देखता हूं जो यह महसूस करता है कि अब प्रजातंत्र न केवल राजनैतिक दायरे तक ही

सीमित रहना चाहिए वरन् इसका प्रसार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी होना चाहिए अन्यथा समाजवाद व्यर्थ है। बावजूद इस बात के कि इस प्रस्ताव में प्रजातंत्र और समाजवाद का उल्लेख नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं। शायद ये शब्द इसमें जानबूझ कर नहीं रखे गए हैं क्योंकि प्रजातंत्र समाजवाद आदि शब्दों से ढेर-के ढेर गुनाह ढके जा सकते हैं जैसा कि अभी मेरठ-कांग्रेस के मौके पर हमारे एक नेता ने अपने सभापति के भाषण में कहा था कि शब्दजाल से प्राय: सत्य पर परदा पड़ जाया करता है। हम जानते हैं कि फ्रांसीसी राज्य-क्रांति की उत्पत्ति बन्धुता के नाम पर हुई थी पर फ्रांसीसी क्रांति के अवसान काल में एक हंसोड छिद्रान्वेषी में कहा था—

> ''जब मैंने देखा कि बन्धुत्व के नाम पर लोग क्या अनर्थ कर रहे हैं तो मैंने यह सोचा अगर मेरे अपना भाई होता तो मैं उसे भतीजा कहने लगता।''

मुझे डर है कि अन्य क्रांतियों के सम्बन्ध में भी यही तथ्य है।

सभापति जी, मैं एक समाजवादी की हैसियत से इस प्रस्ताव के इस भाग का स्वागत करता हूं क्योंकि आर्थिक प्रजातंत्र का सार इस प्रस्ताव में सन्निहित है, यद्यपि इसका दिखावटी लेबुल इस पर नहीं लगा हुआ है जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने ठीक ही कहा है। यह प्रस्ताव मेरे ख्याल में, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को नामंजूर करता है। प्रस्ताव के 5वें पैरे में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के सम्बन्ध में जो बात कही गई है उनका इसके सिवा कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं समझता कि सभा का कोई भी उपस्थित सदस्य यह मानता होगा कि हमारा वर्तमान सामाजिक संगठन न्याय के आधार पर हुआ है। मैं समझता हूं कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि अगर आज हमारी मौजूदा राष्ट्रीय आय बराबर-बराबर तीन भागों में बांटी जाये तो एक तिहाई यहां की 5 प्रतिशत आबादी को मिलती है, दूसरी तिहाई 33 प्रतिशत को और बाकी तिहाई शेष 62 प्रतिशत आबादी पायेगी। अवश्य ही यह कोई सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं है। इसलिए जैसा कि मैं समझता हूं यह प्रस्ताव देश की वर्तमान भयंकर असमानता को कभी नहीं बरदाश्त करेगा। यह इस बात को कभी न बरदाश्त करेगा कि मेहनत तो करे कोई और उसका लाभ ले दूसरा ही व्यक्ति। अवश्य ही इस प्रस्ताव का यह मतलब है कि सर्वसाधारण के लाभ के लिए जो भी श्रम किया जायेगा, उसके फल में श्रम करने वाले व्यक्ति को उचित हिस्सा मिलेगा। इस प्रस्ताव का यह भी मतलब है कि विधान के अंतर्गत इस देश के निवासियों को सामाजिक सुरक्षा पाने का हक होगा। अर्थात् वह काम करेगा और समाज को उसका प्रतिपालन करना होगा। प्रस्ताव में यह व्यवस्था भी है कि सबको समान अवसर प्राप्त हो सके। अवसर की समानता से यह बात स्वयं सिद्ध है कि सबको शिक्षा की और प्रतिभा-विकास की समान सुविधा प्राप्त होगी। आज हमारे विशाल जन-समूह के अन्दर ढेर-की-ढेर प्रतिभा दबी हुई पड़ी है जिसे विकास पाने और मुल्क की तरक्की में हाथ बंटाने का मौका नहीं मिलता है। अवसर की समानता का यही मतलब है कि देश के प्रत्येक

[श्री एम.आर. मसानी]

बालक-बालिका को अपने-अपने विशेष गुणों को विकसित करने का समान अवसर दिया जायेगा जिससे वह सार्वजनिक हित के कामों में हाथ बंटा सके।

प्रस्ताव का यह समाजवादी पहलू है। इस प्रस्ताव में समाजवाद की व्यवस्था नहीं रखी गई है। इस तरह की व्यवस्था करना भी भूल होगी क्योंकि इस सभा को इस बात का आदेश नहीं प्राप्त है कि वह देश में बड़े-बड़े आर्थिक परिवर्तन लाये, ऐसे व्यापक परिवर्तन तो कोई नियमानुमोदित पार्लियामेंट ही अस्तित्व में आने पर जनमत के आदेश से कर सकती है। विधान-परिषद् होने के नाते यह सभा केवल इतना ही कर सकती है कि एक विधान बना दे जिसमें ऐसे व्यापक परिवर्तनों की व्यवस्था हो जिनकी मुल्क में जरूरत है। सभापति जी, मैं यह मानता हूं कि कट्टर से कट्टर समाजवादी को भी संतुष्ट करने की यथा सम्भव व्यवस्था इसमें की गई है।

जैसा मैं कह चुका हूं, मैं इस प्रस्ताव को एक प्रजातंत्रीय समाजवादी की दृष्टि से देखता हूं और यदि इसमें समाजवाद का तत्व है तो फिर इसमें प्रजातंत्र का भी सार है। मैं नहीं समझता कि यहां 'रिपब्लिक गणतंत्र शब्द' का समावेश काफी है। जैसा कि पं. जवाहरलाल जी ने खुद कहा है, यह तो मुमकिन है कि राजा-विहीन लोकतंत्र में (Republic) में वास्तविक लोकतंत्र (Democracy) न हो। अगर हम वर्तमान संसार पर दृष्टि दौड़ायें तो मालूम होगा कि ऐसे कितने ही प्रदेश हैं जहां राजा-विहीन लोकतंत्र होने पर भी वास्तविक लोकतंत्र का अभाव है। इसलिए इतना कहने के बाद भी कि हमारा राज्य रिपब्लिक होगा हमें इस बात को साफ कर देना चाहिए जैसा कि पैरा 4 और 5 में किया गया है कि हमारी दृष्टि में प्रजातंत्र का यह अर्थ नहीं है कि पुलिस का शासन हो और लोगों को बिना मुकदमा चलाये ही खुफिया पुलिस गिरफ्तार कर ले या जेल दे दे। प्रजातंत्र का मतलब यह नहीं है कि राज्य ही सब कुछ हो और प्रजा मानो महज राज्य का आदेश मानने के लिए ही हो, और एक दल का शासन चले और विरोधी दलों को कुचल दिया जाये और उन्हें अपना मन्तव्य प्रकट करने का समान अवसर न दिया जाये इसका मतलब ऐसे राज्य या समाज से नहीं है, जहां व्यक्ति की कोई हैसियत न हो और वह राज्य की बड़ी मशीनरी का महज एक छोटा आज्ञा-वाहक पुरजा ही समझा जाये। पं. जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया है कि यह प्रस्ताव प्रजातंत्र के आधार पर बनाया गया है और हमारा सम्पूर्ण अतीत इस बात का साक्षी है कि हम प्रजातंत्र चाहते हैं और कुछ नहीं। परन्तु हमारा अतीत ही हमारे प्रजातंत्रीय विश्वास का साक्षी नहीं है हमारा वर्तमान भी इसी को व्यक्त करता है।

हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह बहुमुखी है पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय राज्य के हम सभी हामी हैं। यह बात बताने के लिए कि हमारे देश में व्यापक अन्तर वाली विचारधाराओं के लोग आज किस तरह इस बात पर एकमत हैं कि अधिकार और शक्ति साधारण जनता में बांट दिये जाये, राजनैतिक और आर्थिक

अधिकार इतने विस्तृत पैमाने पर बांट दिये जायें कि कोई व्यक्ति या वर्ग दूसरों का शोषण न कर सके उन पर हावी न हो सके, मैं सर्वप्रथम उस व्यक्ति का कथन उद्‌धृत करूंगा जो हमारे बीच मौजूद नहीं है और जिसको प्रस्तावक महोदय ने राष्ट्र का जनक कह कर उल्लेख किया था। मैं महात्मा गांधी की बात कहता हूं। *(हर्ष-ध्वनि)* ये है गांधीजी के शब्द जिन्हें श्री लुइस फिशर ने अपनी किताब 'ए वीक विद् गांधी' (गांधी के साथ एक सपतह) में उद्‌धृत किये हैं:

> ''इस समय समस्त क्षमता नई दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई में ही केंद्रित है और मैं चाहता हूं कि यह क्षमता हिंदुस्तान के सात लाख ग्रामों में बांट दी जाये''। ''ऐसा होने पर इन सात लाख ग्रामों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। लोग जबरदस्ती बाध्य किये जाने पर ही सहयोग नहीं देंगे जैसा कि नाजी-व्यवस्था में है। इस स्वेच्छापूर्वक सहयोग से वास्तविक स्वतंत्रता और एक नवीन व्यवस्था का जन्म होगा जो रूस की वर्तमान व्यवस्था से भी ऊंची होगी" ''कुछ लोग कहते हैं कि रूस में दमन है पर यह दमन राष्ट्र के बहुत गरीब और नीचे पड़े हुए वर्ग की भलाई के लिए ही किया जाता है। मुझे इसमें कोई भलाई दिखाई नहीं देती।''

एक दूसरी ही श्रेणी के विचारक के विचारों में भी यही ध्वनि मिलती है। भारतीय समाजवादी दल के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने अभी हाल में समाजवाद के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे चन्द वाक्य मैं यहां उद्‌धृत करता हूं। मुझे अफसोस है कि वे हमारे काम में अभी तक यहां शामिल नहीं हुए हैं। पर उनका कथन मैं उद्‌धृत करता हूं जो आप देखेंगे कि महात्माजी के विचारों की प्रतिध्वनि स्वरूप है। आप कहते हैं:

> ''समाजवादी व्यवस्था वाले राज्यों के दुर्बल होने का तो कोई अंदेशा ही नहीं है बल्कि उससे सदा यह भय बना रहता है, जैसा आज रूस में है, कि वह सही सत्ता हस्तगत करके प्रजापीड़क बन जायेगा और नागरिकों की जीवन व्यवस्था अपने हाथ में रख लेगा। इस तरह वहां राज्य ही सर्वेसर्वा हो जाता है जैसा कि आज रूस में हम देखते हैं। यदि कल-कारखानों के स्वामित्व और उनकी संचालन व्यवस्था को व्यक्तियों के हाथ से ले ली जाये और गांवों को प्रजातंत्र में परिवर्तित कर दिया जाये तो राज्य के सर्वेसर्वा बनने का डर बहुत कुछ जाता रहता है।''

इस तरह मेरी कल्पना के अनुसार समाजवादी भारत एक आर्थिक एवं राजनैतिक प्रजातंत्र होगा। उस प्रजातंत्र में मनुष्य न तो पूंजी का गुलाम होगा और न दल या राज्य का ही। वह पूर्ण स्वतंत्र होगा।

आज यह दलील पेश करने का रिवाज-सा चल गया है कि तब तक कोई आवश्यक सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन नहीं किये जा सकते जब तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को समाप्त न कर दिया जाये और सर्वशक्तिशाली राज्य अपने कार्यक्रम को जोर देकर पूरा न करे। यह प्रस्ताव, यदि मैं इसे सही-सही

[श्री एम.आर. मसानी]

समझता हूं तो इस मत का खंडन करता है। प्रस्ताव में बड़े व्यापक सामाजिक परिवर्तनों की कल्पना की गयी है अर्थात् सही-सही माने में सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात प्रस्ताव में कही गयी है। खूबी यह है कि राजनैतिक प्रजातंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिये ही ये सब आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। उन निराशावादियों को या हर काम में पराजय की मनोवृत्ति रखने वाले सज्जनों को, जो यह कहते हैं कि ऐसा करना असंभव है, यह प्रस्ताव कहता है कि यह किया जा सकता है और हम इसे करने के लिये कमर कस चुके हैं। वर्तमान समय की प्रधान समस्या यह है कि आया जनता राज्य के आधीन है या राज्य जनता के आधीन। जहां राज्य जनता के आधीन है वहां राज्य सिर्फ एक साधन है। वहां राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उतनी ही दूर तक अपने हाथ में ले सकता है जहां तक जनमत चाहता है और जहां जनता ही राज्य के आधीन है वहां प्रजा राज्यरूपी विशाल मशीनरी का सिर्फ मनुष्यरूपी पुर्जा है जिसको एक शक्तिशाली डिक्टेटर या राजनैतिक दल अपने इशारे पर नचाया करता है। सभापति जी, मेरा तो विश्वास है कि प्रस्तुत प्रस्ताव ऐसा विधान बनाने का आदेश देता है जिसमें जनता के हाथ में अधिकार होंगे और जहां व्यक्ति की ओर ध्यान दिया जायेगा और व्यक्ति विकास ही जहां समाज का लक्ष्य होगा। अपने इस विश्वास के कारण ही मैं प्रस्ताव के इस भाग का समर्थन करता हूं; क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता का, सुख तलाश करने का पूरा अधिकार है जैसा कि अमेरिकन विधान के निर्माताओं ने अपने नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध में कहा है। *(हर्ष-ध्वनि)*

श्री एफ.आर. एन्थॉनी (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। पंडित नेहरू के प्रस्ताव और डॉ. जयकर के संशोधन पर मैंने खूब सोच-विचार किया है। प्रस्ताव के गाम्भीर्य की, उसके निश्चय-मूलक स्वरूप की मैं प्रशंसा करता हूं पर संशोधन का समर्थन मैं केवल कानूनी दलीलों की बिना पर नहीं करने जा रहा हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि प्रस्ताव का पहला हिस्सा हमारे इस पक्के इरादे का ऐलान करता है कि हम भारत को स्वतंत्र, खुद मुख्तार प्रजातंत्र बनायेंगे। मैं जानता हूं कि कांग्रेस दल इस बात को अपना धर्म समझता है। यह प्रस्ताव उन महान् लक्ष्यों और आदर्शों को जाहिर करता है जिनके लिये कांग्रेस ने इतने दिनों तक कठिन संघर्ष किया है। इसलिये कोई भी सदस्य इस बात का साहस नहीं कर सकता है और न करना चाहिये कि वह कांग्रेस से कहे कि इस परम उपयुक्त अवसर पर वह अपनी चिरकालीन प्रतिज्ञा को न दुहराये। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो प्रत्येक भारतीय के दिल में घर कर चुकी है। मैं जानता हूं

कि हम लोगों के सामने अनेक उदाहरण हैं कि हमारी तरह अन्य विधान-परिषदों ने भी समवेत होने पर सबसे पहले अपने लक्ष्य की ही घोषणा की थी। हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम भारत को स्वतंत्र सत्तासम्पन्न प्रजातंत्र घोषित करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें ठीक ही कहा है कि हम लोकतंत्र (Republic) शब्द में अनावश्यक भय न देखें। यह तो सिर्फ इस बात को स्पष्ट करने के लिये रखा गया है कि हमारा विधान ऐसा हो जहां राजा-विहीन लोकतंत्र हो, न कि राजतांत्रिक लोकतन्त्र। साथ ही साथ पं. नेहरू ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रस्ताव में खुदमुख्तार प्रदेशों (इकाइयों) पर यह पाबंदी नहीं है कि वे संघ में शामिल होकर अपने लिये राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं रख सकते हैं। ये खुद मुख्तार प्रदेश संघ में शामिल होकर अपने शासन के लिये राजतंत्रीय या जैसी व्यवस्था चाहें रख सकते हैं। डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन मैंने इसी कारण से किया है कि मेरा विश्वास है कि इससे ये दोनों ही बातें पूरी होती हैं। संशोधन कांग्रेस प्रतिज्ञा का समर्थन करता है। यह हमारे इस इरादे को भी पुष्ट करता है कि हम स्वतंत्र भारतीय प्रजातंत्र के लिये विधान बनायेंगे। हो सकता है कि प्रस्ताव और संशोधन के शब्द एक से न हों। यदि प्रस्ताव के ही शब्द संशोधन में रखे गये होते तो ज्यादा अच्छा होता पर मैं समझता हूं कि वैधानिक दृष्टि से जहां तक अर्थ या भाव का सम्बन्ध है दोनों की वाक्य रचना समान है। डॉ. जयकर के संशोधन से हमारी यह एक दूसरी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है कि हम प्रारंभ में ही उस बात की घोषणा कर देते हैं कि स्वतंत्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातंत्र का विधान हम किन लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर बनायेंगे। मैं समझता हूं कि डॉ. जयकर के संशोधन का अभिप्राय यही है कि इस प्रस्ताव के बाकी हिस्सों की घोषणा हम अभी स्थगित रखें। अर्थात् प्रस्ताव के उस भाग की घोषणा अभी न करें जिसमें देशी रियासतों का तथा प्रान्तों और संघ के अधिकारों और कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि संशोधन का यह आशय है कि हम एक ऐसी घोषणा, चाहे वह कितनी ही न्याय संगत क्यों न हो, न करें जिससे हम पर यह अभियोग ख्वाह वह बिल्कुल बेबुनियाद ही क्यों न हो, लगाया जा सके कि हमने उन तफसीली बातों को पहले से ही तय कर दिया जिन पर इस सभा में पूरी तरह से वाद-विवाद होना चाहिए था और सभी लोगों का मत लिया जाना चाहिये था। सभापति जी, यही बात है कि मैं डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन आवश्यक समझता हूं। राजनीतिज्ञता की भावना से यह उपस्थित किया गया है। यह इसलिये उपस्थित किया गया है कि हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे दोनों प्रमुख दलों में अधिक-से-अधिक सद्भावना और मतैक्य हो, हम सभी चाहते हैं कि हमारे देशवासी आदान-प्रदान की भावना से परस्पर शक्तिसम्पन्न बनें और बनायें तथा आपस में प्रेम से रहें। इसलिये यह संशोधन मंजूर किया जाना चाहिये।

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): आदरणीय सभापति महोदय अपने देश के बहुरंगी इतिहास में हमने अक्सर भिन्न-भिन्न दलों की ओर से अपने देश के लिये स्वतंत्र सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य की मांग के प्रस्ताव पास किये हैं। पर आज का प्रस्ताव एक खास और गंभीर महत्त्व रखता है। अपने इतिहास में ब्रिटिश हकूमत में आने के बाद आज पहला मौका है, जब हम अपना विधान बनाने के लिये एकत्र हुये हैं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वस्तुत: जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने हमें याद दिलाया है, यह एक पवित्र कर्त्तव्य है, जिसे पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया है और अपनी योग्यतानुसार यथाशक्ति इसे पूरा करने का हम इरादा रखते हैं। सभापति जी, डॉ. जयकर के संशोधन से कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं, जिनका बुनियादी महत्त्व हैं मुझे दु:ख है कि मैं इस संशोधन का समर्थन करने में असमर्थ हूं। इस संशोधन का यह अर्थ होता है कि हम इस आशय का कोई भी प्रस्ताव तब तक पास ही नहीं कर सकते, जब तक कि सेक्शनों की बैठक न हो जाये और वे अपनी सिफारिश न पेश कर दें। डॉ. जयकर यह चाहते हैं कि हम इस प्रस्ताव को तब तक न स्वीकार करें, जब तक कि देशी रियासतें और मुस्लिम लीग दोनों विधान-परिषद् में शामिल न हो सकें। जहां तक रियासतों की बात है वे चाहने पर भी परिषद् में तब तक शामिल नहीं हो सकतीं, जब तक कि सेक्शन बैठकर प्रान्तीय विधान न बना लें। इसका मतलब यह हुआ कि रियासतों के शामिल होने में कितने महीने लगेंगे कोई नहीं बता सकता। जहां तक मुस्लिम लीग का सवाल है, अवश्य ही प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का दु:ख है कि वह इस प्रारंभिक बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ है। पर इस बात की ही क्या गारंटी है कि अगर हम इस प्रस्ताव को आगामी 20 जनवरी तक स्थगित कर देते हैं जैसा कि डॉ. जयकर का सुझाव है, तो मुस्लिम लीग आयेगी और अधिवेशन में शरीक होगी।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर हमें एक-दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करना होगा। सोचना यह है कि क्या इस प्रस्ताव में कोई ऐसी भी बात है, जो मंत्रिमंडल की 16 मई वाली योजना के विपरीत है। यदि प्रस्ताव में ऐसी बात है, जो उक्त योजना से सामंजस्य नहीं रखती तो निश्चय ही हम समय से पहले ही बहुत सी बातों का निर्णय कर लेते हैं और ऐसी बातों पर विचार करते हैं, जिन पर यह कहा जा सकता है कि हमें अभी विचार करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यह योजना मुझे तो एक तिलस्म-सी जान पड़ती है। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से इस पर विचार करके आप इसका भिन्न-भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। समूचे प्रस्ताव को ज्यों-का-त्यों रखकर देखिये कि यह क्या घोषणा करता है। यह कुछ ऐसी बुनियादी बातों का ऐलान करता है, जो योजना के अंतर्गत है। मैं जानता हूं कि अगर हम विस्तार में जायेंगे तो मुझे कम-से-कम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करनी होगी, जिस पर हम भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। वह है अवशिष्ट अधिकारों का प्रश्न। पर इस बात को भी, इस प्रश्न को भी मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की योजना ने विधान के अंतर्गत रखा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राष्ट्रीय

महासभा ने भी अपनी राय जाहिर कर दी है। इस प्रश्न पर मैं समझता हूं, मुस्लिम लीग भी अपना विचार व्यक्त कर चुकी है। हममें से कुछ लोग लीग के विचार से मतभेद रखते हैं और भारत की भलाई के ख्याल से एक मजबूत केंद्रीय सरकार पर जोर देते हैं। बाद में उपयुक्त मौके पर हम लोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे। पं. जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावक की हैसियत से इस बात का खुलासा कर दिया है कि यहां अभी हम भारत के लिये विधान नहीं बना रहे हैं। यहां इस प्रारंभिक अवस्था में हम केवल एक प्रस्ताव मंजूर कर रहे हैं, जिसमें भारत के भावी शासन विधान की रूपरेखा दी हुई है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि जब विधान-निर्माण का समय आयेगा और विधान विषयक प्रस्ताव उपस्थित होगा तो हमें अधिकार है कि हम सभा के सामने अपना संशोधन उपस्थित करें। सभा संशोधन के गुण-दोष के अनुसार उस पर अवश्य विचार करेगी। इस प्रस्ताव के पास हो जाने से सभा के सदस्यों पर ऐसी कोई कानूनी पाबंदी नहीं लगती है कि बाद में जब सभा विधान-निर्माण करेगी तो वे कोई संशोधन नहीं पेश कर सकते। आप दो बातों को देखिये एक तो यह कि कहीं यह प्रस्ताव मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की योजना की मुख्य-मुख्य बातों के प्रतिकूल तो नहीं जाता है। दूसरे यह कि प्रस्तुत प्रस्ताव भावी विधान के विस्तार पर किसी तरह विधान-परिषद् को वचनबद्ध तो नहीं करता है। यदि ये दोनों बातें नहीं हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इस प्रस्ताव को इस समय मंजूर करने में क्यों कोई रुकावट डाली जाये।

प्रस्ताव एक निजी महत्त्व रखता है। आखिर हम यहां अपनी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं आये हैं, बल्कि इस विशाल देश के निवासियों के प्रतिनिधि की हैसियत से हम यहां समवेत हुए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्वीकृति के बल पर हम यहां नहीं समवेत हुए हैं, बल्कि हम यहां समवेत हुए हैं भारतीय जनता की स्वीकृति के बल पर। *(हर्ष-ध्वनि)* और यदि यही सत्य है तो हमें न केवल नियमादि निर्माण के सम्बन्ध में यहां बोलना है, बल्कि जनता को हमें कुछ ठोस बातें बतानी होंगी कि हम भला सन् 1946 की 9वीं दिसम्बर को यहां क्यों समवेत हुए हैं। अगर वस्तुस्थिति वही है, जैसा डॉ. जयकर बता रहे हैं तो फिर विधान-परिषद् को बुलाना ही नहीं था और सच तो यह है कि डॉ. जयकर को भी सभा में न आना था। उनको चाहिए था कि गवर्नर जनरल को सूचित कर देते, ''मुझे खेद है कि आपका आमंत्रण नहीं स्वीकार कर सकता। मैं यह महसूस करता हूं कि विधान-परिषद् को बुलाकर आप भूल कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें उसमें नहीं शामिल हो रही हैं।'' पर यहां आकर इस तरह की आपत्ति उठाना तो मुस्लिम लीग के फंदे में पड़ना है और ब्रिटेन के प्रतिक्रियावादियों का हाथ मजबूत करना है। मैं जानता हूं डॉ. जयकर कभी भी ऐसा काम न करेंगे। मैं डॉ. जयकर के दृढ़विश्वास की प्रशंसा करता हूं। वस्तुत: जब हम समझते हों कि अमुक काम किया जाना चाहिये तो हममें इस बात की क्षमता होनी चाहिये कि आगे बढ़कर हम अपना विचार व्यक्त करें। पर मैं सम्मान-

[डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

पूर्वक डॉ. जयकर को बताना चाहता हूं कि उनके इस भोली सूरत वाले संशोधन में बड़ा खतरा है। मुझे आशा है कि डॉ. जयकर समय आने पर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

इस प्रश्न के एक दूसरे पहलू पर भी मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। प्रस्ताव तो पास होगा पर इसे आप कार्यान्वित कैसे करेंगे। हमें सोचना होगा कि हमारे सामने क्या कठिनाइयां हैं जो इस प्रस्ताव को अमली रूप देने से हमें रोक सकती हैं। अवश्य ही एक कठिनाई तो यह है कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में इस परिषद् का क्या स्थान होगा? कल डॉ. जयकर ने इसकी तुलना एक भोज से की थी। उन्होंने कहा था "फर्ज कीजिये दावत में कुछ लोग आमंत्रित किये जाते हैं। कुछ मेहमान आते हैं और कुछ नहीं। इस हालत में वह दावत होगी कैसे?" पर आप यह बताना तो भूल ही गये कि फिर आये हुये मेहमानों की क्या गति होगी? कल्पना कीजिये कि डॉ. जयकर मेजबान हैं और आप 6 मेहमानों को दावत देते हैं। पांच मेहमान तो आते हैं पर एक अनुपस्थित रहता है। इस हालत में क्या डॉ. जयकर उन पांच मेहमानों को भूखा रखेंगे और यह कहकर घर से बाहर कर देंगे कि "चलिये एक मेहमान नहीं आये और अब आपको भोजन नहीं दिया जायेगा।" निश्चय ही वह ऐसा नहीं करेंगे। यहां भी लोग आये हैं उनकी स्वतंत्रता की भूख तृप्त करनी होगी। मिस्टर चर्चिल का कहना है कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में यह विधान-परिषद् उस शादी की तरह है जिसमें दुलहिन ही नदारद हो। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतें परिषद् में कब शामिल होंगी। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि इस विधान-परिषद् की ऐसी कितनी दुलहिनें होंगी। जो भी हो, अगर मिस्टर चर्चिल का यही दृष्टिकोण है तो उन्हें एक यार का पार्ट तो न अदा करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि मिस्टर जिन्ना से कहते कि "हिन्दुस्तान वापस जाइये और विधान-परिषद् में उपस्थित होकर अपना विचार भारतीय जनता के सामने रखिये।" किसी ने भी यह बात नहीं कही है कि मुस्लिम लीग को नहीं शामिल होना चाहिये। दरअसल हम तो यह चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आवे ताकि हमारा और एक दूसरे का विचार विनिमय हो। अगर हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मतभेद हैं तो हम यह नहीं चाहते कि सिर्फ बहुमत के बिना पर हम काम करते चले जायें। वह तो और कोई उपाय न रह जाने पर करना होगा। यह निश्चय है कि हर तरह की कोशिश की जानी चाहिये और जरूर की जायेगी कि भारत के भावी शासन विधान के सम्बन्ध में हम लोग किसी समझौते पर पहुंच जायें। पर मुस्लिम लीग को यहां आने से रोका क्यों जाता है? मेरा तो यह अभियोग है कि ब्रिटेन का रुख ही ऐसा है कि उससे बढ़ावा पाकर मुस्लिम लीग यहां नहीं आ रही है। मुस्लिम लीग को इस विश्वास के लिये बढ़ावा मिलता है कि अगर वह विधान-परिषद् में नहीं शामिल होती है तो वह विधान-परिषद् के फैसले को रद्द करने में कामयाब हो सकती है। यह विशेषाधिकार किसी-न

किसी रूप में फिर मुस्लिम लीग के हाथ आ गया है और यही खतरा है जो इस महती परिषद् की भावी कार्यवाही पर छाया हुआ है। सभापति जी, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि न तो समय है और न यह अवसर है कि ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधिमंडल के वक्तव्य की विभिन्न बातों पर मैं बहस करूं। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यद्यपि फिलहाल विधान-परिषद् का निर्माण ब्रिटेन ने किया है पर एक बार अस्तित्व में आ जाने पर इसे इस बात का पूरा अधिकार है कि अगर वह चाहे तो भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये तथा जाति, धर्म और सम्प्रदाय को भूलकर समूची जनता की भलाई के लिये जो भी आवश्यक और उचित समझती हो, करे। *(हर्षध्वनि)*

हमने यह बात कही है या यों कहिये कि राष्ट्रीय महासभा ने यह बात कही है, क्योंकि जिन राजनैतिक दलों से कैबिनेट मिशन की बातचीत चली थी उनमें कांग्रेस ही प्रधान दल था, कि कैबिनेट मिशन की 16 मई वाली योजना पर हम कायम हैं। मुझे कल बड़ी ही प्रसन्नता हुई जब माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने डॉ. जयकर को टोकते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने 16 मई सन् 1946 के वक्तव्य के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार किया है। *(हर्षध्वनि)* माननीय सरदार पटेल के इस ऐलान को मैं एक महत्त्वपूर्ण और बुनियादी बात मानता हूं। हमें यह बात स्पष्ट कर देनी है कि हम यहां किसलिये समवेत हुये हैं। मेरी राय में हम लोगों का रुख यह होना चाहिये कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की 16 मई वाली योजना को व्यावहारिक रूप देने का हम एक मौका देंगे। सच्चाई और ईमानदारी से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उक्त योजना के आधार पर अन्य दलों के साथ किसी समझौते पर पहुंच जायें। पर 16 मई सन् 1946 वाली योजना पर बाद में जो भी भाष्य दिये गये हैं हम उन्हें नहीं मानते और अगर कोई भी दल इस योजना से पीछे हटता है और अलग हो जाता है हम अपना काम प्रारंभ कर देंगे और इच्छानुसार विधान तैयार करेंगे।

16 मई सन् 1946 के वक्तव्य के एक वाक्यांश के सम्बन्ध में अर्थात् गुटबन्दी के प्रश्न पर काफी मतभेद चला आ रहा है। मंत्रिमंडल से बातचीत करने में कांग्रेस बहैसियत एक प्रधान दल के रूप में शामिल थी। इसलिये यह फैसला कांग्रेस को करना होगा कि वह क्या भाष्य स्वीकार करती है। अगर सम्राट की सरकार का भाष्य अस्वीकृत होता है और कांग्रेस यह समझती है कि ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल के वक्तव्य के गुटबन्दी वाले अंश पर उसका अपना भाष्य सही है तो अवश्य ही एक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त इस प्रश्न पर भी हमें विचार करना होगा। वस्तुत: जहां तक इस परिषद् की कार्यवाही की बात है, इस प्रश्न पर निर्णय करने में हम जितना ही विलम्ब करेंगे उतना अवास्तविकता का वातावरण उत्पन्न होता जायेगा। इस प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिये कि सम्राट की सरकार का भाष्य ही मंजूर होता है चाहे फैडरल कोर्ट में जाने पर या अन्यथा, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग फिर आवे या न आवे इस पर हमें कोई बहस नहीं।

[डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

अगर वह आती है तो बहुत खुशी का बात है परन्तु अगर नहीं भी आती है तो वह भारतीय स्वतंत्रता को रोक नहीं सकती। इस हालत में हमारा यह दावा है कि हम विधान-परिषद् में अपना काम जारी रखेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यदि कोई संकट आया, जिसकी सम्भावना मुझे दिखाई दे रही है तो फिर हमारी आजादी वैधानिक उपायों से न प्राप्त होगी। गत कुछ दिनों के अंदर जो घटनायें घटी हैं उनको देखते हुए जान पड़ता है कि हमारा काम आसानी से न पूरा होगा। परन्तु एक बात पर मैं जरूर जोर दूंगा कि चाहे जो कुछ किया जाये वह विधान-परिषद् की मार्फत ही किया जाये और किसी के नहीं। हमें तो काम करना है और हम अपनी जिम्मेदारी पर काम करेंगे और एक ऐसा विधान तैयार करेंगे जिसे हम संसार के सामने पेश कर सकें और सबको इस बात पर संतोष दे सकें कि हमने समस्त भारतीय जनता के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार किया है।

आखिर दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न पर क्या हुआ? आज हमारे बीच में माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित बैठी हैं जो एक बड़ी शानदार जीत हासिल कर स्वदेश लौटी हैं। इस प्रश्न पर भी श्रीमती पंडित को सम्राट की सरकार से, हमारे स्वयंभू ट्रस्टी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। वस्तुत: जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है उसने हमारे खिलाफ वोट दिया। फिर भी श्रीमती विजयलक्ष्मी की विजय हुई। संसार की अदालत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की जीत हुई। विधान-परिषद् के सम्बन्ध में भी यही बात हो सकती है यदि साहसपूर्वक एक ऐसा विधान बनायें जो न्यायसंगत हो, जिसमें सबको समान रूप से सुविधा प्राप्त होती हो तो आवश्यकता पड़ने पर हम इस विधान-परिषद् को स्वतंत्र सत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातंत्र की पहली पार्लियामेंट घोषित कर देंगे। *(हर्षध्वनि)* उस हालत में अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम कर सकेंगे और उसके फैसलों को इस देश पर लागू कर सकेंगे। अभी कुछ मिनट पहले मैंने कहा है कि हम ब्रिटिश जनता या पार्लियामेंट की स्वीकृति के बल पर यहां समवेत नहीं हुए हैं। हम तो यहां समवेत हुए हैं भारतीय जनता की इच्छा के बल पर और इसलिए हमें अपनी अपील तो देशवासियों से ही करनी है।

जब हम अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तो उससे ऐसा आभास मिलता है मानो केवल एक मुसलमान ही यहां अल्पसंख्यक हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यहां और भी बहुत से सम्प्रदाय अल्पसंख्यक हैं। मैं बंगाल के दुर्दशाग्रस्त प्रान्त से आया हूं और इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के कम-से-कम चार प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्या में हैं। अगर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये। आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिये जो भी सुरक्षा-मूलक व्यवस्था करें उसका लाभ हर प्रान्त के अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिये।

अभी कल रात को लार्ड साइमन ने यह आश्चर्यप्रद घोषणा की है कि दिल्ली में समवेत होने वाली विधान-परिषद् में तो केवल सवर्ण हिन्दू ही हैं। गत कई दिनों के अंदर विलायत से इतने झूठे वक्तव्य निकले हैं कि उनकी संख्या बतानी मुश्किल है। आखिर इस सभा में किसके प्रतिनिधि उपस्थित हैं? हिन्दुओं के प्रतिनिधि हैं और कुछ मुसलमानों के भी हैं। मुस्लिम प्रधान प्रान्त सीमा प्रान्त के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं। ये वहां की उस हुकूमत के प्रतिनिधि की हैसियत से आये हैं जो मुस्लिम लीग के बावजूद भी सीमाप्रांत में शासन चला रही हैं यहां आसाम के भी प्रतिनिधि हैं जिसे मिस्टर जिन्ना अपने काल्पनिक पाकिस्तान का एक भाग मानते हैं इस प्रान्त के भी बहुत से प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। इस सभा में हरिजन भी उपस्थित हैं। इस परिषद् के सभी हरिजन प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। डॉ. अम्बेडकर भी यहां मौजूद हैं। *(हर्षध्वनि)* हो सकता है वे हम से सभी बातों में सहमत न हों पर जब हम उन स्वार्थों और हितों पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनको भी (डॉ. अम्बेडकर को) अपने पक्ष में कर लेंगे। खूब *(हर्षध्वनि)* अन्य हरिजन प्रतिनिधि भी यहां मौजूदा हैं। सिखों के सब प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इण्डियनों के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं। तो फिर लार्ड साइमन क्यों यह झूठ *(एक आवाज आईपारसी भी यहां मौजूद हैं)* हां और फिर पारसी सम्प्रदाय के भी प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। फिर भला लार्ड साइमन ने यह झूठ.....*(एक आवाज आई ''द्रविड़ प्रतिनिधि भी हैं'')*। आदिवासियों के प्रतिनिधि हमारे मित्र श्री जयपाल सिंह भी यहां मौजूद हैं। यथार्थ में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि यों को छोड़ कर अन्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। मुस्लिम लीग मुसलमानों के केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और मैं मानता हूं कि मुस्लिम सम्प्रदाय का वह एक बहुत बड़ा वर्ग है। पर यह कहना तो सरासर झूठ है कि विधान- परिषद् में केवल सवर्ण हिन्दू ही शामिल हैं मानों सवर्ण हिन्दू इसीलिये पैदा ही हुये हैं कि दूसरों को सतायें और केवल ऐसा ही काम करें जो हिन्दुस्तान के हितों पर आघात पहुंचायें। सभा के सामने एक साहब ने सुझाव दिया है कि इस देश का कोई वर्ग अगर यहां अनुपस्थित रहना पसन्द करता है तो भारत को दास ही बना रहना चाहिये *('एक आवाज नहीं')* यह जवाब तो उनको दिया जाना चाहिये जो गैरहाजिर हैं, यह जवाब उनको मिलना चाहिये जो इन गैरहाजिरों को उभाड़ते हैं। सभापति जी, मैं तो कहूंगा कि हम लोग अंग्रेजों से यह आखिरी बार कह दें ''हम आपसे दोस्ताना ताल्लुक रखना चाहते हैं। इस देश में आपने व्यापारियों की तरह पदार्पण किया, एक याचक या प्रार्थी की हैसियत से आप महान् मुगल सम्राट के सामने आये। इस देश की अपार सम्पत्ति से आपने अपना वैभव बढ़ाना चाहा। भाग्य ने आपका साथ दिया। इस देश में आपने अपनी हुकूमत कायम की पर यहां के निवासियों के स्वेच्छापूर्ण सहयोग से नहीं वरन् धोखेबाजी से, जालसाजी से और जबरदस्ती करके और इतिहास इस बात का

[डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी]

गवाह है। आपने यहां पृथक् निर्वाचन की पद्धति चलाई, भारतीय राजनीति में आपने धर्म को घुसेड़ा। यह सब काम भारतीयों ने नहीं किया बल्कि आपने किया और इसलिये किया कि इस मुल्क में अपनी हुकूमत स्थायी बना दें। आपने उस देश में विशेष हितों की सृष्टि की और ये विशेष हित आज इतने अमिट हो बैठे हैं कि हम देशवासियों की हर चन्द कोशिश पर नहीं मिट पाते हैं। इन सब बातों के बावजूद भी अगर सचमुच आप यह चाहते है कि भारत और आपके बीच भविष्य में मित्रता बनी रहे तो हम आपकी मैत्री के लिये तैयार हैं। पर हमारे घरेलू मामलों में 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' न बनिये। हर देश में घरेलू समस्यायें हैं और भारत में भी यह समस्या है पर इसका निपटारा यहां के निवासी ही कर सकते हैं।" सभापति जी, हम अभी विधान नहीं बना रहे हैं बल्कि केवल इस बात की रूपरेखा निश्चित कर रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है। मुझे विश्वास है कि सभा इन संकुचित पारिभाषिक झगड़ों अथवा वैधानिक बारीकियों पर माथापच्ची न करेगी। बावजूद तमाम बाधाओं और कठिनाइयों के हम अपना काम करते जायेंगे और एक संयुक्त दृढ़ महान् भारत का निर्माण करेंगे। वह महान् भारत इस देश की 40 करोड़ जनता का होगा, किसी दल विशेष, सम्प्रदाय विशेष या व्यक्ति विशेष का हर्गिज न होगा। इस भारत में सबाके समान अवसर, समान आजादी मिलेगी और सबको दर्जा समान होगा ताकि प्रत्येक नागरिक स्त्री हो या पुरुष अपनी योग्यता का पूर्ण विकास कर सके और निर्भय हो देश की सेवा कर सके।

सभापतिः अब डॉ. अम्बेडकर बोलेंगे।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, आपके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अवश्य ही यह स्वीकार करूंगा कि आपका आमंत्रण पाकर मैं आश्चर्यित हो गया। सूची में बीस-बाईस सदस्यों का नाम मुझ से ऊपर है और इसलिए मैं समझता था कि अगर बोलने का मौका मिले भी तो कल मिलेगा। मैं पसन्द भी यही करता कि कल बोलने का मौका मिलता क्योंकि आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूं। मैं चाहता था कि इस अवसर पर एक विस्तृत वक्तव्य दूं और उसके लिए मैं तैयारी कर लेना चाहता था। इसके अलावा आपने वक्ताओं के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित कर दिया है। इन सब असुविधाओं के बीच मैं नहीं समझ पाता कि प्रस्तुतः प्रस्ताव पर समुचित रूप से किस तरह बोल पाऊंगा। अस्तु, जहां तक हो सकेगा.... संक्षेप में इस पर अपना मत व्यक्त करूंगा।

सभापति जी, कल से जो बहस हो रही है उसे मद्देनजर रखते हुये इस प्रस्ताव के दो हिस्से किये जा सकते हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहीं है और दूसरा विवादास्पद है। प्रस्ताव के उस भाग पर जिसमें 5वां और 7वां

पैरा है कोई विवाद नहीं है। इन पैरों में देश के भावी विधान के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्ताव को पेश किया है पं. जवाहरलाल नेहरू ने जो एक समाजवादी की इस हैसियत से मशहूर है; परन्तु मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा कि मुझे इससे बड़ी से बड़ी निराशा हुई, यद्यपि यह विवाद-मूलक नहीं है।

मैं तो यह आशा करता था कि वह उससे कहीं आगे जायेंगे जितना कि वह प्रस्ताव के इस मार्ग में गये हैं। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह पसन्द करता कि यह भाग प्रस्ताव में शामिल ही न किया जाता। प्रस्ताव को पढ़ने से वह घोषणा याद आ जाती है जिसे फ्रांस की विधान-परिषद् ने मानव अधिकार घोषणा के नाम से घोषित किया था। मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना बिलकुल दुरुस्त है कि आज 450 वर्ष बीत जाने पर भी उक्त घोषणा और उसमें दिये हुए सिद्धान्त लोगों के दिमाग में बस गये हैं। मैं तो कहूंगा कि यह दुनिया के सभ्य मुल्कों के नई रोशनी वाले आदमियों के ही दिमाग में ही नहीं घर कर गये हैं बल्कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में भी, जो विचार और सामाजिक जीवन में इतना कट्टर और पुरातनवादी है शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो इनकी उपयोगिता न मंजूर करता हो। इन बातों को दुहराना, जैसा कि प्रस्ताव में किया गया है, केवल पाण्डित्य-प्रदर्शन करना है। यह सिद्धान्त हमारी विचारधारा या दृष्टिकोण में व्याप्त है।

अत: यह घोषित करना कि ये हमारे सिद्धांत के अंग हैं नितान्त अनावश्यक है। इस प्रस्ताव में और भी कई त्रुटियां हैं। मैं देखता हूं कि प्रस्ताव के इस भाग में यद्यपि अधिकारों की चर्चा की गई है पर उनकी सुरक्षा का कोई उपचार नहीं दिया गया है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अधिकारों का कोई महत्त्व नहीं यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था न हो ताकि अधिकारों पर जब कुठाराघात हो तो लोग उनका बचाव कर सकें। ऐसे उपचारों का इस प्रस्ताव में बिलकुल अभाव है। इस सामान्य सिद्धान्त का भी इसमें उल्लेख नहीं कि किसी नागरिक के जीवन और सम्पत्ति का तब तक अपहरण नहीं किया जायेगा जब तक कि कानून खूब जांच-पड़ताल कर इसकी आज्ञा न दे दे। प्रस्ताव में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को भी कानून और सदाचार के आधीन रख दिया गया है, निश्चय ही कानून और सदाचार क्या है इस बात का निर्णय जमाने का शासन-प्रबंध (Executive) करेगा, किसी प्रबंध का एक फैसला हो सकता है और दूसरे का दूसरा। हम निश्चय रूप से यह नहीं जानते कि इन मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी अगर ये शासन प्रबन्ध की मर्जी पर छोड़ दिये जाते हैं। प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, न्याय की व्यवस्था भी रखी गयी है। यदि प्रस्ताव में कोई वास्तविकता है, इसमें कोई सच्चाई है और इसकी सच्चाई पर मुझे जरा भी शक नहीं है क्योंकि उसे उपस्थित किया है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए थी जिससे राज्य के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

न्याय प्रदान कर सकता। और इसी विचार से मैं इस बात की आशा करता कि प्रस्ताव साफ-साफ शब्दों में कहता, कि ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान किया जा सके। देश में उद्योग-धंधों का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक देश की अर्थ-नीति समाजवादी नहीं होती किसी भी भावी हुकूमत के लिए यह कैसे सम्भव होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान कर सके। अत: यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे इन सिद्धान्तों के सन्निहित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी प्रस्ताव मेरे लिए निराशाप्रद ही है। अस्तु इतना कह देने के बाद इस विषय को मैं यहीं समाप्त कर देता हूं।

अब मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से पर आता हूं, जिसमें प्रथम चार पैरा शामिल हैं। सभा के वाद-विवाद को देखकर मैंने कहा था कि यह प्रसंग विवादास्पद हो गया है। सारा विवाद 'रिपब्लिक' शब्द पर केन्द्रित है। पैराग्राफ चार के इस वाक्य पर ''सारी शक्ति, सारे अधिकार जनता से प्राप्त होंगे,'' सारा विवाद है, अत: डॉक्टर जयकर ने कल जो यह बात कही कि मुस्लिम लीग की गैरहाजिरी में यह उचित न होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर विचार करे, उसी पर सारा विवाद है। आगे चलकर इस देश में क्या विकास होगा और उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचा क्या होगा इस बात को लेकर मेरे मन में जरा भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि आज हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टियों से विभक्त है। आज हमारा देश कई लड़ाकू दलों में बंट गया है। और मैं तो यहां तक मंजूर करूंगा कि ऐसे ही एक लड़ाकू दल के नेताओं में शायद मैं भी एक हूं। परन्तु सभापति महोदय, इन सब बातों के बावजूद भी मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि समय और परिस्थिति अनुकूल होने पर दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को एक होने से रोक नहीं सकती। *(हर्ष-ध्वनि)* जाति और धर्म की भिन्नता के बावजूद भी हम किसी न किसी रूप में एक होंगे, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। *(हर्ष-ध्वनि)* यह कहने में मुझे रंच-मात्र भी संकोच नहीं है कि यद्यपि मुस्लिम लीग आज भारत के विभाजन के लिये भयानक आंदोलन कर रही है पर एक-न-एक दिन स्वयं मुसलमानों में बुद्धि आयेगी और वे समझने लगेंगे कि उनके लिए भी संयुक्त भारत ही अधिक कल्याणकर है। *(तुमुल-ध्वनि)*

इसलिए जहां तक हमारे लक्ष्य का सम्बन्ध है, हममें से किसी को भी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कोई संदेह न होना चाहिए। हमारी कठिनाई यह नहीं है कि हमारा भविष्य क्या होगा? हमारी कठिनाई तो यह है कि अपनी आज की इस विशाल, पर बेमेल आबादी को किस तरह इस बात पर आमादा करें कि वह मिल-जुलकर एक फैसला करें और ऐसा पथ ग्रहण करें कि हम सब एक हो जायें। हमारी कठिनाई इति को लेकर नहीं अथ को लेकर है। हमारा लक्ष्य

क्या है, यह तो साफ है। पर परेशानी यह है कि काम शुरू कैसे करें। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो समझता हूं कि सभी को रजामंद करने के लिए, हमारे देश के प्रत्येक वर्ग को इस बात पर आमादा करने के लिए कि हम सब एक राह पर चलें, बहुमत वाले दल की यह बड़ी से बड़ी राजनीतिज्ञता होगी कि वह उन लोगों की बद्धमूल और गलत धारणा को दूर करने के लिए कुछ रियायतें दे दें जो आज हमारे साथ चलने में दुविधा बोध कर रहे हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं यह अलाप कर रहा हूं। हम ऐसे नारे लगाने बन्द कर दें जिनसे लोगों को भय होता हो। अपने विरोधियों की बद्धमूल धारणा को, पक्षपातपूर्ण ध ारणा को दूर करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें दें, ताकि वह स्वेच्छा से हमारे साथ उस पथ पर चलें जिस पर कुछ दूर चलने के बाद हम अपनी एकता की मंजिल पर पहुँच जायेंगे। अगर मैं यहां डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं तो केवल इसी उद्देश्य से कि हम सभी यह समझें कि यह कानूनी प्रश्न नहीं है। हम सही हैं या गलत, जो रास्ता हम ग्रहण कर रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों से संगत हैं या नहीं, वह 16 मई या 6 दिसम्बर के वक्तव्य के अनुकूल है या नहीं, इन सब बातों को छोड़ दीजिये। हमारी समस्या इतनी गहन है कि कानूनी अधिकारों से उसका समाधान न होगा। यह कानूनी समस्या है ही नहीं। हमें कानूनी ख्याल को छोड़कर कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे लोग जो नहीं शामिल हैं, शामिल हो जायें। हम उनका यहां आना संभव बनायें, यही मेरी प्रार्थना है।

बहस-मुबाहिसे के दौरान में दो ऐसे प्रश्न उठाये गये थे जो मुझे इतने खटके कि मैंने उन्हें कागज पर नोट कर लिया है। एक प्रश्न मेरा ख्याल है, कि मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री ने उठाया था जिन्होंने कल सभा में वक्तृता दी थी। आपने कहा था भला यह प्रस्ताव मुस्लिम-लीग को विधान-परिषद् में सम्मिलित होने से कैसे रोक सकता है? आज मेरे मित्र डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि क्या यह प्रस्ताव मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की योजना के विपरीत है? मैं समझता हूं कि ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इनका उत्तर और स्पष्ट उत्तर आवश्यक है। यह प्रस्ताव चाहे खूब सोच-समझ कर शान्त चित्त से प्रस्तुत किया गया हो या केवल संयोगवशात बन गया हो, पर मैं तो यही मानता हूं कि इसका यह परिणाम होगा कि मुस्लिम लीग बाहर ही रह जायेगी, भले ही यह प्रस्ताव इस परिणाम के अभिप्राय से न बनाया गया हो। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान प्रस्ताव के पैरा 3 की ओर आकृष्ट करूंगा जो मेरी समझ में बहुत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है। इस पैरा में भारत के भावी विधान की तस्वीर है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का क्या अभिप्राय है। पर मैं मानता हूं कि पास हो जाने पर विधान-परिषद् के लिए यह प्रस्ताव एक तरह से आदेश-मूलक हो जायेगा कि वह इसके पैरा 3 के अनुसार ही विधान बनाये। पैरा 3 क्या कहता है? यह कहता है कि इस देश में दो भिन्न-भिन्न राज्य पद्धतियां होंगी एक तो उन खुद मुख्तार प्रान्तों, रियासतों या अन्य प्रदेशों के लिए जो भारतीय संघ में शामिल होना

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

चाहते हैं। इन खुद मुख्तार प्रदेशों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इन्हें अवशिष्ट अधिकार भी प्राप्त रहेंगे। उन खुद मुख्तार प्रदेशों के ऊपर एक संघ सरकार होगी जिसके अधिकार में कुछ विषय होंगे, जिन पर कानून बनाने का, शासन चलाने का संघ सरकार को ही अधिकार होगा। प्रस्ताव के इस हिस्से में गुटबन्दी का कहीं जिक्र नहीं है। यह गुट संघ सरकार और घटकों के बीच एक मध्यवर्ती संगठन है। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए या कांग्रेस के वर्धा वाले प्रस्ताव को भी देखते हुए मैं स्वीकार करता हूं कि स्वयं मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रस्ताव में गुटबन्दी की कल्पना का कहीं जिक्र भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रान्तों की गुटबंदी के विचार को नहीं पसन्द करता। *(हर्ष-ध्वनि)* मैं एक दृढ़ और संयुक्त-केन्द्र चाहता हूं उससे भी ज्यादा मजबूत केन्द्र जो सन् 1935 के एक्ट के मुताबिक बना है। *(हर्ष-ध्वनि)* पर सभापति महोदय, इन इच्छाओं का, रायों का स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने का। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस स्वयं दृढ़ केन्द्र को विघटित करने पर राजी हो गई, ऐसे दृढ़ केन्द्र को विघटित करने पर जो 150 वर्षों के लंबे शासन के बाद बना था और जो, मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए एक प्रशंसा, सम्मान और कल्याण की चीज थी। पर जब हमने उस स्थिति को त्याग दिया है, जब हमने स्वयं स्वीकार कर किया है कि हम मजबूत केन्द्र नहीं चाहते, जब हमने मंजूर कर लिया है कि संघ सरकार और प्रान्तों के बीच उपसंघ की-सी एक मध्यवर्ती राज्य पद्धति होनी चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा 3 में गुटबन्दी का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? मैं जानता हूं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सम्राट की सरकार तीनों ही योजना की गुटबन्दी सम्बन्धी धारा के अर्थ पर मतभेद रखते हैं। परन्तु मैं तो हमेशा से यही समझता हूं कि कांग्रेस ने यह मंजूर कर लिया है कि यदि भिन्न-भिन्न गुटों के प्रान्त अपना उपसंघ बनाने पर राजी हों तो कांग्रेस को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई मुझे बता दे कि मेरा ऐसा समझना गलत है तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूंगा। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस दल की विचारधारा समझने में मैं सही हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रस्तावक और उनके दल ने जिस बिनां पर प्रान्तों की गुटबन्दी या उनके उपसंघ बनाने की कल्पना को स्वीकार किया था उसका उस प्रस्ताव में आखिर प्रस्तावक ने हवाला क्यों नहीं दिया है? इस प्रस्ताव में मध्यवर्ती संघ का जिक्र दूर ही क्यों रखा गया है? मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार के प्रधानमंत्री ने और डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जो सभा से प्रश्न किया है कि भला यह प्रस्ताव 16 मई के वक्तव्य के विपरीत कैसे है और यह लीग को विधाान-परिषद् में आने से कैसे रोकता है, उसके उत्तर में मैं कहूंगा कि आपके इस प्रस्ताव के तीसरे पैरे से मुस्लिम लीग अवश्य लाभ उठायेगी और अपनी अनुपस्थिति का औचित्य दिखायेगी। सभापति जी, कल मेरे मित्र डॉ. जयकर ने इस प्रश्न पर बहस मुल्तवी

रखने के लिए अपने पक्ष का प्रतिपादन कुछ कानूनी ढंग पर किया उनकी दलील का यह आधार था कि आयां हमें इस प्रस्ताव को पास करने का अधिकार भी है। उन्होंने मंत्रिप्रतिनिधिमंडल के वक्तव्य का कुछ भाग पढ़कर सुनाया जो इस परिषद् की कार्य-विधि से सम्बन्ध रखता है। उनका मन्तव्य यह था कि इस प्रस्ताव पर तुरन्त निर्णय करने की जो पद्धति परिषद् अपना रही है वह योजना में दी हुई पद्धति के प्रतिकूल है। मैं इस बात को दूसरी तरह से सभा के सामने रखना चाहता हूं। मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपको यह प्रस्ताव जल्दीबाजी में पास कर देने का हक है या नहीं। हो सकता है कि आपको यह अधिकार हो। पर जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह यह है कि क्या इस प्रस्ताव को पास करना आपके लिए बुद्धिमानी और नीतिज्ञता की बात होगी? अधिकार एक बात है और बुद्धिमत्ता दूसरी। मैं चाहता हूं कि सभा इस बात पर दूसरे ही दृष्टिकोण से विचार करे। वह इस दृष्टिकोण से इस पर विचार न करे कि उसे इस प्रस्ताव को पास करने का हक है या नहीं। वरन् इस ख्याल से कि क्या इसे अभी पास करना बुद्धि-संगत होगा, नीतिज्ञता की बात होगी? मेरा कहना है कि ऐसा करना बुद्धिमत्ता और नीतिज्ञता से विपरीत है। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़े को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करना चाहिए। यह मामला इतना संगीन है, इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से ही नहीं किया जा सकता। यहां राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहां नेताओं, दलों तथा सम्प्रदायों की शान का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। वहां तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं केवल इस बिनां पर ही डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि इससे विधान-परिषद् सुसंगठित रूप से अपना काम करेगी और कार्यारम्भ के पहले मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया को जान लेगी, बल्कि इसलिए भी कि हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अगर हम जल्दीबाजी से काम लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या फैसला होगा। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के दिमाग में, जिसका इस सभा में प्रबल बहुमत है, क्या नक्शा है। मुझमें यह दैवी शक्ति नहीं है कि इस बात को जान जाऊं कि वे क्या सोच रहे हैं? उनकी युक्ति और युद्ध-कौशल क्या है इसे मैं नहीं जानता। परन्तु इस उपस्थित मसले पर बहैसियत एक बाहरी आदमी के जब मैं अपना दिमाग लगाता हूं तो मुझे तीन ही रास्ते दिखाई देते हैं, जिनसे हम अपने भविष्य का निर्णय कर सकें। एक रास्ता तो यह है कि एक दल दूसरे दल की इच्छा के सामने आत्म-समर्पण कर दे। दूसरा रास्ता यह है कि हम आपस में विचार-विनिमय कर समझौता कर लें और तीसरा रास्ता है कि खुलकर लड़ाई की जाये। सभापति जी, परिषद् के कुछ सदस्यों की ओर से मैं यह भी सुनता आ रहा हूं कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं अवश्य यह स्वीकार करूंगा। मैं इस कल्पना से ही कांप उठता हूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि युद्ध द्वारा वह देश की राजनैतिक समस्या हल कर लेगा। मुझे नहीं मालूम कि देश के कितने लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग इस विचार का समर्थन करते हैं और मेरी समझ में बहुत से लोग तो इसलिए समर्थन करते हैं कि उनका विश्वास है कि उनका यह युद्ध अंग्रेजों के साथ होगा। अगर यह युद्ध जो लोगों के दिमाग में है, परिमित दायरे में होता और

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित रहता तो मुझे इस कौशल पर, इस युक्ति पर कोई आपत्ति न होती। परंतु क्या आप समझते हैं कि यह युद्ध सिर्फ अंग्रेजों के ही विरुद्ध होगा? मुझे यह कहने में रंचमात्र भी दुविधा नहीं है और सभा के सामने मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर देश में युद्ध हुआ और उसका सम्बन्ध हमारी आज की समस्या से रहा तो फिर यह युद्ध अंग्रेजों के साथ न होगा, यह होगा मुसलमानों के साथ। बल्कि यह उससे भी बुरा होगा और यह युद्ध होगा मुसलमानों और अंग्रेजों की सम्मिलित शक्ति के साथ। मैं नहीं समझ पाता कि यह सम्भावित युद्ध किस तरह उससे भिन्न होगा, जिसकी विभीषिका की कल्पना मैंने की है। महामना ब्रूक की उस प्रसिद्ध वक्तृता का एक अंश मैं सभा को पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका से मेल-मिलाप करने के सम्बन्ध में दी थी। मेरा विश्वास है कि शायद सभा के उद्देश्य पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि अंग्रेज अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशों को जीत कर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने आधीन रखने की कोशिश कर रहे थे। उन उपनिवेशों को जीतने का विचार परित्याग करने के सम्बन्ध में ब्रूक ने यों कहा था:

> "सभापति महोदय, प्रथम तो मुझे यह कहने की अनुमति दें कि केवल बल प्रयोग कभी स्थायी नहीं होता। उससे कुछ देर के लिए किसी को दबाया जा सकता है पर उससे पुन: दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती। उस जाति पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जिसे हमेशा ही जीतने की जरूरत पड़े।"
>
> "मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल-प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। बल प्रयोग से सदा आतंक ही नहीं पैदा होता। अगर हम सदा शस्त्र ही उठाये रहें तो फिर यह विजय कैसी? बलप्रयोग में अगर आप असफल होते हैं तो फिर कोई साधन आपके पास नहीं रह जाता। अगर आप मीठे तरीके से सुलह करने में असफल होते हैं तो बल प्रयोग का साधन आपके हाथ में रहता है पर बलप्रयोग में अगर आप हारे तो फिर समझौते की कोई और गुंजाइश नहीं रहती। दया दिखाने से अधिकार और शक्ति तो कभी-कभी प्राप्त हो जाते हैं पर बल प्रयोग में पराजित होने पर आप अधिकार की भीख नहीं मांग सकते।"
>
> "बल प्रयोग के विरुद्ध मेरी और आपत्ति यह है कि इसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में आप अपने लक्ष्य को ही क्षीण और दुर्बल बना देते हैं। बल प्रयोग में विजयी होने पर आपको क्या मिलता है? जो भी आप पाते हैं, वह युद्ध के सिलसिले में प्राय: मूल्यहीन, जर्जरित और बर्बाद हो चुका रहता है। निश्चय ही आप से पाने के लिए युद्ध नहीं करते हैं।"

यह मेरी गम्भीर चेतावनी है और इसकी उपेक्षा करना खतरनाक होगा। अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल-प्रयोग द्वारा, युद्ध द्वारा, क्योंकि बल-प्रयोग

ही युद्ध है.....हिंदू-मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाये ताकि मुसलमानों को दबाकर उनसे वह विधान मनवा लिया जाये जो उनकी रजामंदी से नहीं बना है, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जायेगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त न हो जायेगा। मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। पुन: एक बार वर्क के कथन का हवाला देकर मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूं। वर्क ने कहीं पर कहा है कि ''शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है।'' आइये, हम अपने आचरण से यह प्रमाणित कर दें कि अगर इस परिषद् ने सर्वोच्च सत्ता जबर्दस्ती अन्यायपूर्वक ले ली है तो वह उस सत्ता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगी। यही एक मात्र रास्ता है जिसके जरिये हम देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर हम एकता पा सकें। इस बात के सम्बन्ध में हम लोगों को कोई सन्देह न होना चाहिए।

सरदार उज्जवल सिंह (पंजाब : सिख): सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिसे पं. जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी योग्यता और वाक्पटुता के साथ उपस्थित किया था। यह प्रस्ताव उन लक्ष्यों को हमारे सामने रखता है। निश्चय ही भारतीय इतिहास में यह अवसर बड़ा ही पवित्र और अद्वितीय है कि इस देश के चुने हुए व्यक्ति एक स्वतंत्रता पत्र तैयार करने के लिए और देश-शासन की योजना बनाने के लिए समवेत हुए हैं। इसलिए पेश्तर इसके कि हम अपना काम शुरू करें, यह आवश्यक है कि इस देश की करोड़ों मूक जनता को और बाहरी दुनिया को, जिसकी निगाह आज हम पर है, हम आशा और प्रसन्नता का संदेश देवें। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत प्रस्ताव से देश के दलित और मूक जनसमूह को, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आज मुद्दत से संग्राम करता आ रहा है, इस बात की एक नवीन आशा प्राप्त होगी कि उसका चिरवांछित स्वप्न शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है। और बातों की तरह स्वतंत्रता-संग्राम में वही होता है, जैसा इतिहास में होता आया है। यह हमारा ही देश नहीं है, जिसे आजादी के लिये इतना लंबा और कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। स्वतंत्रता की देवी हर व्यक्ति से अपना समुचित बलिदान लेगी। हां यह बात जरूर है कि संग्राम हिंसात्मक होता है और सभी जगह संग्राम में हिंसा हुई, पर हमारा संग्राम अहिंसात्मक रहा है। इस नवीन संग्राम-शैली के लिए तथा और बहुत-सी बातों के लिए जिनका यह देश हामी है और जिन्हें निकट भविष्य में पाने की आशा रखता है, हम कृतज्ञ हैं। महात्मा गांधी के, उस अपूर्व कुशल कारीगर के जिसे पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्र का जनक बताया है।

यह विधान-परिषद् हमारे स्वतंत्रता-संग्राम की चरम सीमा या आखिरी मंजिल है। यह प्रस्ताव देश की करोड़ों जनता की दबी हुई भावना को व्यक्त करता है।

[सरदार उज्जवल सिंह]

प्रस्ताव के तीन भाग किये जा सकते हैं। पहले भाग में स्वतंत्रता सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातंत्र के घोषित किये जाने की बात है। दूसरे भाग में खुद-मुख्तार या स्वायत्त शासन प्राप्त प्रदेशों घटकों की, जिनमें देशी रियासतें भी शामिल हैं, चर्चा की गई है। जो संघ में रहेंगे और जिन्हें अवशिष्ट अधिकार प्राप्त रहेंगे तीसरे भाग में कहा गया है कि सबको सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, सबको समान न्याय प्राप्त होगा और अल्पसंख्यकों को, दलित जातियों को तथा कबायली क्षेत्रों को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होंगे। हो सकता है कि प्रस्ताव की वाक्य-रचना को लेकर अथवा कहीं-कहीं इसके बहुत संक्षिप्त होने पर कुछ मतभेद हो; पर कुल मिलाकर प्रस्ताव भारतीय जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है।

सभापति महोदय, माननीय मित्र डॉ. जयकर के लिए मेरे दिल में बड़ी श्रद्धा है। आपने यह आपत्ति की है कि प्रस्ताव पर सभा में इस समय विचार न किया जाये, यह आपत्ति इस बिनां पर की गयी है कि योजना के अनुसार हम इस प्रारम्भिक अधिवेशन में केवल उन्हीं बातों पर विचार कर सकते हैं, जिनका उल्लेख मंत्रिप्रतिनिधिमंडल के 19वें पैरे में आया है। और बातों पर नहीं। आपने यह भी सुझाव दिया है कि अच्छा होगा कि सभा इस प्रस्ताव पर 20 जनवरी को विचार करे जब बड़े दिनों के लिए स्थगित रहने के पश्चात् सभा पुन: बैठे। मेरे माननीय मित्र शायद यह जानते होंगे कि बाकी काम को पूरा करने के लिए 20 जनवरी को जो बैठक होगी वह भी प्रारम्भिक बैठक ही रहेगी। और इस हालत में उनकी यह आपत्ति कि इस प्रस्ताव पर इस प्रारंभिक बैठक में विचार स्थगित रखा जाये, उस दिन 20 जनवरी की बैठक में भी लागू रहेगा जैसे आज है। *(खूब खूब)*

आपका दूसरा सुझाव यह है कि इस प्रस्ताव पर विचार कुछ हफ्तों के लिए हम लोग स्थगित कर दें, ताकि मुस्लिम लीग और रियासतों को इस मामले में अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिल सके। औरों की तरह मुझे भी मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति पर खेद है और मैं भी लीग के सहयोग को कीमती समझता हूं और उसे पाना चाहता हूं। पर वे मित्र अनुपस्थित हैं, इसमें इस सभा का कोई दोष नहीं है। वे कब आयेंगे, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस हालत में यह उचित नहीं है कि सभा समवेत होने के बाद बिना किसी जानकारी के वे लोग कब आयेंगे, अनिश्चित काल तक इंतजार करती रहे। जहां तक रियासतों के शामिल होने की बात है, योजना पढ़ने से मेरे मित्र को स्पष्ट हो जायेगा कि रियासतें अन्त में परिषद् में आयेंगी। जब प्रान्तीय विधान तैयार कर लेने पर संघ का विधान बनाने के लिए हम सब बैठेंगे। फिर क्या हम उस तरह के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को तब तक के लिए स्थगित रख दें, जब कि विधान-निर्माण का बहुत कुछ हमारा काम समाप्त हो चुका होगा? इस प्रस्ताव पर तो कार्यारम्भ में ही विचार कर हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

प्रस्ताव पर दूसरी आपत्ति है डॉ. अम्बेडकर की कि इसमें गुटबन्दी (Grouping) शब्द का जिक्र नहीं आया है। डॉ. अम्बेडकर को मालूम होना चाहिए कि गुटबंदी अनिवार्य नहीं है। यह ऐच्छिक है और मैं तो कहूंगा कि प्राय: हम सभी इसके खिलाफ हैं। योजना में भी यह सेक्शनों या प्रान्तों की इच्छा पर छोड़ा गया है। इस तरह के प्रस्ताव में प्रस्तावक कोई ऐसी बात नहीं रख सकते थे जिस पर सेक्शन या प्रान्त कोई अन्यथा निर्णय करें।

देशी रियासतों को प्रस्ताव में रिपब्लिकन या लोकतंत्र शब्द के रखने पर आपत्ति हो सकती है। रियासतें राजतंत्रीय शासन-पद्धति की आदी हो गई हैं। और उनको इस प्रश्न पर हो सकता है कि कुछ आशंका हो। परन्तु पं. जवाहरलाल नेहरू के भाषण को देखते हुए उनकी यह आशंका असंगत है। भारतीय प्रजातंत्र में रियासतों के लोग अगर पसंद करें तो अपने प्रदेश में राजतंत्रीय पद्धति रख सकते हैं।

सभापति जी, मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद् के परिश्रम के फलस्वरूप जो योजना तैयार होगी, वह ऐसी होगी जो भारत के सभी सम्प्रदायों को, सभी वर्गों को मान्य होगी और देश की विचित्र स्थिति और उसकी योग्यता के अनुकूल होगी।

प्रस्ताव के दूसरे भाग में संघ और घटकों (प्रदेशों) वे बारे में विचार किया गया है और अवशिष्ट अधिकार घटकों को दिये गये हैं। हममें से कुछ लोगों को घटकों को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने पर एतराज हो सकता है। पर यह व्यवस्था मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की योजना के बिलकुल अनुरूप है और योजना के 15वें पैराग्राफ का आवश्यक अंग है। हममें से बहुतों के लिए यह एक कड़वा घूंट है पर इसे तो निगलना ही पड़ेगा।

प्रस्ताव का तीसरा भाग अल्पसंख्यकों को और पिछड़ी हुई जातियों को यह आश्वासन देता है कि उनके स्वार्थ पर्याप्त रूप से संरक्षित रहेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सम्प्रदाय यह समझता है कि सिक्खों को और अन्य अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण दिये जायें वे न केवल पर्याप्त ही हों, बल्कि संतोषपूर्ण हों। सभापति जी, आपकी अनुमति हो तो मैं सभा को उस आश्वासन से अवगत करा दूं जो कि दिसम्बर 1929 में राष्ट्रीय महासभा के लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रस्ताव द्वारा सिखों को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव का वह प्रासंगिक भाग जो सिखों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में था, यों है:

> "भारत के किसी भावी विधान में इस समस्या का (साम्प्रदायिक समस्या का) कोई भी ऐसा समाधान कांग्रेस को मान्य न होगा जिससे मुसलमानों को, सिखों को तथा अन्य अल्पसंख्यकों को पूरा संतोष न प्राप्त होता हो।"

जब से यह प्रस्ताव पास हुआ है सिखों ने देश की आजादी को लक्ष्य बना लिया है। और कांग्रेस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा

[सरदार उज्जवल सिंह]

मोर्चा लिया है। दुर्भाग्य से ब्रिटिश मिशन ने यहां आकर जो योजना पेश की यानी 16 मई का जो वक्तव्य दिया, उसमें यह मंजूर करके भी कि सिख भी भारत के तीन प्रमुख सम्प्रदायों में शामिल हैं वह सिखों को संरक्षण न दे सके। मुसलमानों के सम्बन्ध में तो मिशन ने यह कहा कि एकात्मक भारत में जहां हिंदुओं को प्राधान्य होगा, मुसलमानों की संस्कृति और उनके सामाजिक और राजनैतिक जीवन के लुप्त हो जाने की, हिंदुओं में जज्ब हो जाने की वास्तविक आशंका है। परन्तु मिशन यह न समझ सका कि मुस्लिम बहुमत के अन्दर यही संकट सिखों पर पंजाब में है जो उनका पवित्र तीर्थ और जन्म स्थान है। यह तो कैबिनेट मिशन का बहुत बड़ा अन्याय था कि सेक्शन बी में पंजाब में उन्होंने सिखों को वही संरक्षण नहीं दिये जो उन्होंने सिंध में मुसलमानों को दिये। अभी उस दिन पार्लियामेंट में बोलते हुए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था कि पंजाब में और सेक्शन बी में वे सिखों को वे अधिकार नहीं दे सकते जो उन्होंने मुसलमानों को सिन्ध में दिये हैं क्योंकि इस हालत में और अल्पसंख्यकों को भी इसी तरह के अधिकार देने होंगे। क्या मैं कैबिनेट मिशन से पूछ सकता हूं कि केन्द्र में मुसलमानों को ये अधिकार देते समय क्या उन्होंने अन्य अल्पसंख्यकों का भी ख्याल किया था? सिखों को यद्यपि उन्होंने भारत का एक प्रमुख सम्प्रदाय माना पर उनका ख्याल नहीं किया। पर मैं समझता हूं कि केन्द्र में संरक्षण पाने का जो हक मुसलमानों का है, उससे भी ज्यादा मजबूत हक सिखों का है, पंजाब में संरक्षण पाने का। मैं यह भी समझता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर सेक्शन बी में और पंजाब में सिखों को कोई संरक्षण मिला तो इससे वहां के अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। चूंकि मिशन ने सिखों के लिए संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की। सारे सिख सम्प्रदाय में असंतोष और क्षोभ की एक लहर फैल गई और उनका क्षोभ चरम सीमा तक पहुंच गया। अपने पवित्र तीर्थ स्थान अमृतसर में एक विशेष सभा में सिखों ने यह प्रस्ताव पास किया कि सिख विधान-परिषद् का बायकाट कर दें, उन्होंने विधान-परिषद् का बायकाट किया परन्तु कांग्रेस ने मिशन की योजना को स्वीकार किया और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने सिखों से अपील की कि वे भी उसे मंजूर कर लें। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई की बैठक में सरदार पटेल ने सिख हितों की बहुत वकालत की। हम सब उनके आभारी हैं। गत 18 जुलाई को हाउस ऑफ लाड्र्स में बहस के दौरान में बोलते हुए भारत-मंत्री ने इन शब्दों में सिखों की ओर महत्त्वपूर्ण संकेत किया था।

फिर भी यह आवश्यक है कि इनके हकों का पूरा ख्याल किया जाये। उन पर विचार किया जाये। क्योंकि उनका सम्प्रदाय एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय है। पर जनगणना या आबादी के आधार पर उनके रियायती अधिकार खत्म हो जाते हैं। हमें आशा है कि 16 मई के वक्तव्य के पैरा 20 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए जो 'एडवाइजरी कमेटी बनायी जायेगी, उसमें सिखों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा और इस तरह इस स्थिति का बहुत कुछ प्रतिकार हो जायेगा।'

आपने यह भी कहा:

> "इसके अलावा हमने दोनों प्रमुख दलों से जो इस मामले में हर तरह सुझाव ग्रहण करने के लिए तैयार थे, यह कहा है कि पंजाब में या पच्छिमोत्तर गुट में सिखों की स्थिति दृढ़ बनाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।"

यह आश्वासन यद्यपि कई बातों में संतोषजनक था फिर भी इतना संतोषपूर्ण नहीं था कि सिख विधान-परिषद् के प्रति अपना रुख बदल दें। उसके बाद कांग्रेस की कार्यसमिति ने 9 अगस्त को एक प्रस्ताव पास कर सिखों से अपील की कि वे अपनी स्थिति पर पुन: विचार करें। प्रस्ताव में कहा गया था कि:

> "कार्यसमिति जानती है कि सिखों के साथ अन्याय हुआ है और इसने इस बात की ओर कैबिनेट मिशन का ध्यान आकृष्ट किया है, फिर भी हमारी यह दृढ़ राय है कि सिख अपने हितों को तथा देश की स्वतंत्रता को परिषद् में शामिल होकर जितना लाभ पहुंचा सकते हैं, उतना परिषद् से बाहर रह कर नहीं। इसलिए समिति सिखों से अपील करती है कि वे अपने फैसले पर फिर विचार करें और विधान-परिषद् में सम्मिलित होने की सम्मति व्यक्त करें। कार्यसमिति सिखों को विश्वास दिलाती है कि उनकी जायज शिकायतों को दूर कराने में तथा उन्हें पर्याप्त संरक्षण दिलाने में वह उनको प्रत्येक सम्भव सहयोग देगी।"

सिखों ने 14 अगस्त को सारी स्थिति पर विचार किया। कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव उनके लिए बहुत वजन रखता था और इसी प्रस्ताव के कारण पंथिक बोर्ड ने अपनी विशेष बैठक में यह फैसला किया कि परिषद् में सम्मिलित होने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह हटा लिया जाये। पंथिक बोर्ड ने एक प्रस्ताव द्वारा तय किया कि सिखों के लिए उसी तरह के संरक्षण प्राप्त करने के लिए जैसा कि मुसलमानों को सिंध में प्राप्त हैं, परिषद् में शामिल होकर एक बार परीक्षा ली जाये। पंथिक बोर्ड के इस आदेश के अनुसार सिख यहां आये हैं। मुझे कांग्रेस नेताओं पर बड़ा विश्वास है और हृदय से आशा करता हूं कि सिखों को जो आश्वासन दिये गये थे वे बिना विलम्ब पूरे किये जायेंगे। क्योंकि उनको कार्यान्वित करने का समय अब आ गया है।

मुझे खेद है कि मैंने सिखों की स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन कर सभा का समय लिया। पर सिखों के मामले से सभा को अवगत करा देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता था। फिर भी मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि पंजाब और पच्छिमोत्तर गुट में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सिख जो संरक्षण मांगते हैं, वे भारतीय प्रजातंत्र के अन्दर हैं बाहर नहीं। वे इस बात के लिए चिन्तित हैं कि सभी सम्प्रदाय शांतिपूर्वक आपस में मिल-जुलकर रहें। पंजाब और पच्छिमोत्तर गुट में अपने मुसलमान भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहने के लिए हम तैयार हैं, यहां तक कि मुसलमानों को अपना बड़ा भाई मानकर रहने के लिए तैयार हैं।

[सरदार उज्जवल सिंह]

पर अपने से ऊंची और शासक जाति मान कर या एक पृथक् जाति मानकर हरगिज नहीं। इसलिए सिख इस महान् और प्राचीन देश के विभाजन के लिए तैयार नहीं हैं। वे पाकिस्तान की स्थापना का अथवा और सारे उद्देश्यों का घोर विरोध करेंगे।

सभापति जी, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि सिखों के दिल में स्वतंत्रता की एक तीव्र लालसा है। भारतीय इतिहास में किसी भी अकेले सम्प्रदाय ने इतना कठोर और दीर्घकालीन संग्राम नहीं किया है, जितना कि सिखों ने इस देश से विदेशी लुटेरों को मार भगाने के लिए किया है। आधुनिक युग में स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कुर्बानियां किसी से कम नहीं हैं। आजादी की लड़ाई में अथक परिश्रम और उत्साह से वे कांग्रेस के साथ सदा मोर्चे पर डटे रहेंगे। *(हर्ष-ध्वनि)* परन्तु वे चाहते हैं कि उनका पृथक् अस्तित्व और स्थिति कायम रहे और मजबूत रहे ताकि देश-सेवा में अपना पूरा हिस्सा बंटा सकें।

मैं समझता हूं कि वह काम बहुत ही गहन है, अति विशाल है, जिसे पूरा करने का भार इस महती परिषद् ने लिया है। हमारे मार्ग में बाधाएं और कठिनाइयां हैं पर मेरा यह पक्का विश्वास है कि हम सारी बाधाओं को पार कर जायेंगे, सारी कठिनाइयों पर विजय पायेंगे। अगर हम खूब सावधानी से सोच-विचार कर चलें और जरूरत आने पर दृढ़ता से मुकाबला करें; इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। *(हर्ष-ध्वनि)*

सेठ गोविन्ददास (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): सभापति महोदय, इतने अंग्रेजी भाषणों के बाद, चाहे असेम्बली और कौंसिल ऑफ स्टेट में मैं भले ही अंग्रेजी में बोलता हूं क्योंकि नियम के अनुसार वहां ऐसा करना पड़ता है, इस विधान-परिषद् में मैं राष्ट्रीय भाषा में ही बोलना पसंद करूंगा। मैं प्रस्ताव का समर्थन करने और जो उस पर संशोधन पेश हुआ है, उसका विरोध करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। परन्तु प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी मैं माननीय डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी सुन्दर वक्तृता के लिए बधाई देना चाहता हूं। डॉ. जयकर का भाषण सुनकर कल मैं दंग रह गया। उनका और मेरा सम्बन्ध स्वराज्य पार्टी के दिनों से है। मैं उनके सुधार को समझ सकता था। मुस्लिम लीग के भाइयों के लिए यदि वे चाहते थे कि प्रस्ताव पर अभी वोट न लिया जाये और इस पर बहस मुल्तवी रखी जाये, उसे भी मै समझ सकता था। लेकिन जो दलीलें उन्होंने अपने भाषण में दीं वह मेरी समझ में नहीं आईं। जहां तक उनके भाषण का कानूनी पहलू है उसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वह तो वकीलों का काम है लेकिन उनके इस कथन पर कि यदि हम इस प्रस्ताव को पास कर देंगे तो हमारा काम ही खत्म हो जायेगा और जो बात हम चाहते हैं, नहीं

प्राप्त कर सकेंगे, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और सन् 1920 से पहले के वे दिन याद आ गये जब हमारे कौमी दल के भाइयों को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, और उन्हें हर चीज में हर मौके पर एक निराशा और नाउम्मेदी दीख पड़ती थी। हम जब यहां कुछ करने बैठे हैं, तो यह सोचकर नहीं बैठे हैं कि हम जो कुछ करेंगे, उसका कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला है। हम देखेंगे कि उसका नतीजा निकलता है, हम उसका नतीजा निकालेंगे। हम क्या-क्या करने वाले हैं, कितनी दूर तक जाने वाले हैं, इस सम्बन्ध में आज कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

आज तो इतना ही कहना काफी है कि हम देखेंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका ठीक और जल्द से नतीजा निकलता है।

डॉ. जयकर साहब ने युद्ध की बात कही है। जहां तक कांग्रेसवादियों का सम्बन्ध है, सत्याग्रह सिद्धान्त मानने वालों का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि वे सदा शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं। लेकिन वह सच्ची शान्ति चाहते हैं। महात्मा जी की जो दुनिया को सबसे बड़ी देन है, वह सत्याग्रह की देन है। सत्याग्रही शांति चाहते हुए भी जब देखते हैं कि सच्ची शान्ति की स्थापना बिना युद्ध के नहीं हो सकती, उस समय युद्ध करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि हम युद्ध नहीं चाहते बल्कि शान्ति चाहते हैं, न तो हम मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं और न ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन यदि ब्रिटिश हुकूमत मुसलमानों को शिखंडी बनाकर हमसे लड़ाना चाहती है तो हम भीष्म पितामह को तरह इसलिए शस्त्र नहीं रख देंगे कि हमारे सामने शिखंडी खड़ा किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई आवें और हमारा साथ दें, परन्तु हमारे यह सब चाहने पर भी हमारे धैर्य रखने पर और शान्ति चाहने पर भी यदि वे नहीं आना चाहते हैं तो हम इसके लिए काम नहीं रोकेंगे।

डॉ. जयकर साहब ने हमें यह नहीं कहा कि 20 जनवरी तक यदि हम इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दें तो हमारे लीगी भाई आ जायेंगे। यदि हमको यहां पर यह कहा जाता, यह आश्वासन दिया जाता कि अगर हम इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दें तो हमारे मुसलमान भाई यहां आने को तैयार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पं. जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति होते जो यह कहते कि यदि हमारे मुसलमान भाई यहां आने को तैयार हैं तो इस प्रस्ताव को मुल्तवी कर दिया जाये। जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, पंडितजी ने बहुत ही ठीक कहा था कि यह प्रस्ताव नहीं है एक प्रतिज्ञा है, और जब हम किसी प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। विधान-परिषद् का यह प्रस्ताव एक प्रतिज्ञा-पत्र है और जब हम उसे पास करें तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पास करना चाहिए। इस प्रस्ताव

[सेठ गोविन्ददास]

में रिपब्लिक की बात कही गयी है। वह रिपब्लिक लोकतंत्रीय होगा या समाजतंत्रीय होगा। इस सम्बन्ध में अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इस समय इस वाद-विवाद में पड़ना निरर्थक है। दुनिया को जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है वह चीज आपसे आप होकर रहती है। हमारे देश की जो दशा है, उसे देखते हुए हमारा रिपब्लिक लोकतंत्रीय और समाजतंत्रीय दोनों ही होना चाहिए। समाजवाद से जो लोग घबड़ाते हैं, समाजवाद का नाम सुन कर कांपने लगते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जिनके पास कुछ नहीं है वही दुखी नहीं है, बल्कि जिनके पास सब कुछ है, वे उनसे ज्यादा दुखी हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, वह यदि इसलिए दुखी हैं कि उनको सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा है; तो जिनके पास सब कुछ है, वे इसलिए दुखी हैं कि वे नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं ऐसी बातें करते हैं, जो नैतिकता की दृष्टि से कभी भी उचित नहीं कही जा सकती। वह लोग जिनके पास सब कुछ है यदि नैतिकता से हटकर उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, उसको कायम रखने की कोशिश करते हैं तो मैं कहूंगा कि उनको सच्चा सुख कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए आज भले ही मैं उस फिरके से आया हूं जिसके पास सब कुछ हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि देश और संसार का जो कुछ नक्शा देख रहा हूं उसमें जो लोग रहते हैं चाहे वे अमीर हों या गरीब, उनको सच्चा सुख अगर किसी रास्ते से मिल सकता है तो वह स्वराज्यवाद के रास्ते से ही मिल सकता है। दूसरे किसी रास्ते से नहीं। इसलिए हमारा जो रिपब्लिक होगा। वह लोकतंत्रीय और समाजतंत्रीय दोनों ही होगा। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और जहां तक एंग्लो-मुस्लिम पैक्ट को रोकने का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज और मुस्लिम लीग के भाई मिलकर भी हमारे इस प्रस्ताव को नहीं रोक सकेंगे। हमारा इतना बड़ा देश है; इसकी इतनी बड़ी आबादी है कि यदि इंग्लैंड वाले चाहें भी तो हमारे देश की आजादी, उन्नति और स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते। जहां तक हमारे मुस्लिम लीग के भाइयों का सम्बन्ध है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं और बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, वह यह है कि अंग्रेज तो विदेशी हैं। वह यदि इस देश की आजादी में बाधक भी हों तो इतिहास में वह दोषी नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश की आवोहवा में पले हुए हैं और इस देश का अन्न खाते हैं और पानी पीते हैं, वह यदि इस देश की आजादी रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी भावी संतानें भी उनके सर पर काला टीका लगाये बिना न छोड़ेंगी। इसलिए जहां तक अंग्रेजों का सम्बन्ध है हमने कह दिया कि वह हमारी आजादी नहीं रोक सकते, लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग के भाइयों का सम्बन्ध है मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर

इस देश को परतंत्र रखने की कोशिश की तो भावी इतिहास और आने वाली पीढ़ियां उन्हें दोष देंगी।

यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इधर गत दिनों के वक्तव्यों के अनुसार इस बात की कोशिश की कि विधान-परिषद् के फैसले के बिनां पर नवीन भारतीय शासन-विधान न पायें तो मैं उनको बताये देता हूं कि इस दशा में उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे। उन्होंने हमेशा ही हिंदुस्तान को और दूसरे अधीनस्थ देशों को इस बात से रोका है कि वे अपनी समस्याएं न हल कर पायें, उन्हें हमेशा अपने आधीन रखने की कोशिश की है; यदि इस देश के साथ आप भी यही रवैया रखेंगे तो शायद कभी भी वह वक्त न आये कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शासन-विधान पेश करें और भारत और इंग्लैंड की संधि पर हस्ताक्षर हों। मैं कांग्रेस की ओर से यह बात नहीं कह रहा हूं। मुझे तो भविष्य दिखाई दे रहा हूं। यदि अंग्रेजों ने विधान-परिषद् द्वारा निर्मित विधान न माना तो यहां पर एक ऐसी समानान्तर गवर्नमेंट की स्थापना होगी जो समूचे इंगलिस्तान से लड़ेगी। सात समुद्र पार से आये हुए लोग कभी भी हमारी अहिंसात्मक लड़ाई को नहीं जीत सकेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसके पहले कि मेरे पास चिट पहुंचे मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं फिर कहता हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव को प्रस्ताव नहीं प्रतिज्ञा समझ कर पास करें और इस तरह आगे बढ़ें, जिस तरह एक स्वतंत्र देश आगे बढ़ता है।

सभापति: 1 बज चुका है। अब सभा कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है। दोपहर को नियम-निर्माण समिति (Rules Committee) की बैठक है, इसलिए हम लोग उस समय समवेत नहीं हो सकते।

इसके बाद सभा बुधवार ता. 18 दिसम्बर सन् 1946 ई. को प्रात: 11 बजे के लिए स्थगित हुई।

Con. 3. 1.8.46
1000

अंक 1
संख्या 8

बुधवार
18 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

कार्यक्रम 1

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 5

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 18 दिसम्बर सन् 1946 ई.

कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: 11 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की बैठक हुई।

कार्यक्रम

***सभापतिः** मुझे श्री मोहनलाल सक्सेना से एक नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूं कि रूल्स कमेटी ने अपने काम में कितनी उन्नति की है। मैं समझता हूं कि यदि वह वक्तव्य मैं आज दूं तो मेम्बरों को उससे अपना आगे का कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता मिलेगी। हम उन मसविदों पर बहस करते रहे हैं जो पहले से तैयार हो चुके थे और हमने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है और आखिरी मसविदे को इस सभा में पेश करने के पहले रूल्स कमेटी को उस पर विचार करना होगा। मुझे आशा है कि हम लोग शुक्रवार तक इस काम को पूरा कर लेंगे और मैं मेम्बरों को रूल्स कमेटी के पास किये हुए नियमों को उनके अन्तिम रूप में शनिवार को दे सकूंगा ताकि अगले सोमवार को हम इस सभा में उन पर विचार कर सकें। सोमवार को 23 तारीख है और उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां हैं। मैं नहीं समझता कि हम एक दिन में नियमों को पूरा कर देंगे। उन्हें पूरा करने में कम-से-कम दो दिन या तीन दिन लगेंगे। अगर मेम्बर सहमत हों तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि हम लोग ता. 24 और 25 को क्रिसमस की छुट्टियां मनायें और उसके बाद असेम्बली की बैठक बराबर होती रहेगी। इसलिये ता. 26 और 27 को हम नियमों के बारे में बहस करेंगे और उसे ता. 27 तक खत्म कर देंगे, और यदि नियमों के बारे में कोई दूसरी बातें पैदा हो जायें तो उन पर बाद को विचार हो सकता है। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रारंभिक अधिवेशन को बिना नियमों को बनाये हुए और बिना कुछ कमेटियों को बनाये हुए, जिनको बनाना इस अधिवेशन का उद्देश्य है, खत्म नहीं करना चाहिये। इस समय यह कार्यक्रम मैं आपके सामने रखता हूं। किन्तु सब कुछ सभा की इच्छा पर निर्भर है। चूंकि हमारे पास बहुत कम समय है। मेरे विचार में क्रिसमस के सारे हफ्ते में कुछ भी काम न करना हमारे लिये उचित न होगा। मैं चाहता हूं कि इस साल ता. 24 और 25 को हमें छुट्टी लेनी चाहिये।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): हम चाहते हैं कि क्रिसमस के हफ्ते भर हम छुट्टी लें और उस समय के लिये यहां से वापस चले जायें और अगले साल के शुरू में फिर सम्मिलित हों।

***सभापतिः** यदि हम सिर्फ दो दिन की छुट्टियां ले, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि मेम्बर अपने घरों को जा सकेंगे।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, जब यह अधिवेशन शुरू हुआ था, तो हम में से बहुत से लोगों का यह विचार था कि यह क्रिसमस से पहले खत्म हो जायेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई काम निश्चित किये थे, जिनको पूरा करने में क्रिसमस का सारा हफ्ता लग जायेगा। मैं छुट्टियों के लिये बिलकुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं भी छुट्टियां बिलकुल नहीं लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन यदि यह अधिवेशन 23 दिसम्बर से आगे किया जाये तो चूंकि पहले से कुछ महत्त्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लिया है, इसलिये हम में से बहुत से लोगों के लिये उसमें उपस्थित रहना सम्भव न हो सकेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसके पूर्व कि आप यह निश्चय करें कि नियमों को पास करने और उन कमेटियों को बनाने के लिये जिनका हवाला आपने दिया है, कब विधान-परिषद् की बैठक हो, आप इन बातों पर कृपा करके विचार करेंगे।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, श्रीमान् ने अभी कहा कि 23 दिसम्बर को हमारे सामने नियम पेश किये जायेंगे और उन पर 26 तारीख को विचार होगा, लेकिन संशोधनों को पेश करने के लिये कुछ वक्त जरूरी है। मुझे मालूम नहीं है कि यहां क्या प्रथा है, किन्तु अन्य धारा सभाओं में कम से कम चार या पांच दिन का समय दिया जाता है। इस तरह 26 तारीख को नियमों पर विचार करना असंभव है और इस दशा में मैं समझता हूं कि यह उचित है कि हम लोग 2 जनवरी को सम्मिलित हों।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): सभापति महोदय, क्रिसमस की छुट्टियों का ईसाइयों के लिये बहुत महत्त्व है और आमतौर से हमें 24, 25, 26 और 27 तारीखों को छुट्टियां मिला करती हैं और यदि विधान-परिषद् की बैठक दूसरी और तीसरी जनवरी को हो तो हमें बहुत खुशी

होगी। उसके बाद हम जब तक चाहें अधिवेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस साल 25 तारीख के बाद यानी क्रिसमस की छुट्टियों में अधिवेशन करें, तो उससे हमारे कई कामों में जिनको हमने क्रिसमस की छुट्टियों के लिये रख छोड़ा है, गड़बड़ पैदा हो जायेगी। श्रीमान्, मुझे इस सभा के सम्मुख इतना ही कहना है।

*श्री डी.पी. खेतान** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, आपके बताये हुये कार्यक्रम से विधान-परिषद् के मेम्बर जिस ढंग से सहमत नहीं हुए हैं उस पर मुझे आश्चर्य हुआ है। विधान-परिषद् के काम को हमें अन्य कामों की अपेक्षा तरजीह देनी चाहिये और जितनी जल्दी हो सके हमें काम खत्म कर देना चाहिये। हमें बिना जाब्ते के नियमों को पास किये हुए, जिनका कि बहुत महत्त्व है, अधिवेशन को खत्म न करना चाहिये। इसलिये श्रीमान्, आपके द्वारा मैं विधान-परिषद् के सभी मेम्बरों से अपील करता हूं कि वे अपने सब अन्य कामों को अलग रख दें और हमारे सामने जो महत्त्वपूर्ण काम है उसे तरजीह दें।

*श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि जाब्ते की कमेटी के काम में सहूलियत पैदा करने के लिये इस सभा की कल बैठक न हो लेकिन परसों दोपहर के बाद बैठक हो, ताकि कमेटी की पूरी रिपोर्ट हमको मिल सके और शनिवार से हम नियमों पर विचार कर सकें और यदि हो सके तो सोमवार को हम इस काम को खत्म कर दें।

*श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मेरी राय में रिपोर्ट के अध्ययन के लिये और संशोधनों को पेश करने के लिये इस सभा को कुछ दिन मिलने चाहियें। अपनी पार्टी की बैठकों में भी हमें इन पर विचार करना होगा। इसमें भी दो तीन दिन लग जायेंगे। इस काम को दो या तीन दिन में खत्म करना सम्भव नहीं होगा जैसा कि श्री मोहन लाल सक्सेना का विचार है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि हम 21 और 23 तारीख को कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के बाद जनवरी की दूसरी और तीसरी तारीख को सम्मिलित हों।

*सभापति:** जनवरी के पहले सप्ताह में कुछ अन्य सार्वजनिक कार्य हैं, जिनके बारे में बहुत पहले घोषणा हो चुकी है। इसी कारण से मैं साल खत्म करने के पहले असेम्बली का काम पूरा करने के लिये चिंतित था। उदाहरणार्थ अगले साल

[सभापति]

दूसरी जनवरी से साइंस कांग्रेस शुरू हाने वाली है। सारे संसार के प्रमुख वैज्ञानिक उसमें आ रहे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग लेना है। अन्य मेम्बरों को भी उसमें दिलचस्पी हो सकती है। इसी तरह दूसरे कार्यों की भी तिथि निश्चित है। इसलिये मुझे इसकी चिंता थी कि उन सार्वजनिक कार्यों में, जिनके बारे में पहले घोषणा हो चुकी है, कोई बाधा न डाली जाये और अपना काम जहां तक हो सके इस साल के अन्दर ही खत्म कर लिया जाये। नि:संदेह यह असेम्बली के मेम्बरों की इच्छा पर निर्भर है। यदि वे 23 तारीख के आगे अधिवेशन न करना चाहें तो हमें उस पर भी विचार करना होगा और अगले साल के लिये काम छोड़ना होगा। हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उन्हें मैंने आपको बता दिया है। जनवरी में एक कठिनाई और होगी। कुछ प्रांतीय असेम्बलियों की बैठकें होंगी।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): प्रांतीय असेम्बलियों के काम की यहां के काम के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (मुंबई : जनरल): श्रीमान्, एक ऐसी सभा में जिसमें लगभग 300 महत्त्वपूर्ण मेम्बर हैं, सभी की सुविधा के अनुसार काम करना कठिन है। सभी प्रांतों में बजट अधिवेशन शुरू होने वाले हैं। केन्द्रीय असेम्बली का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है। सभी लोगों की सुविधा के अनुसार काम करना सम्भव नहीं है। यह राय ठीक ही दी गई है। विधान-परिषद् के काम को तरजीह दी जानी चाहिये। जब तक कि हम नियमों को पास न कर दें, हम विधान-परिषद् के काम को कुछ भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बैठक खत्म करने के पहले हमें नियमों को समाप्त कर देना चाहिये और तब हम सभा को स्थागित कर सकते हैं। यह सम्भव है कि इस महीने में या जनवरी के पहले हफ्ते तक भी प्रारंभिक अधिवेशन समाप्त न हो, इसलिये तीसरी और चौथी जनवरी को बैठक करने का जो सुझाव दिया गया है, उस पर अमल नहीं हो सकता। चाहे हमको जितनी भी असुविधा हो, हमें नियमों को खत्म ही कर देना चाहिये, इसलिये जैसी कि सभापति महोदय की राय है, यदि नियम 23 तारीख को तैयार हो जायें, तो हमें 24 और 25 तारीखों को छुट्टी नहीं लेनी होगी, या 26 और 27 तारीख को आकर नियमों को समाप्त करना होगा। इसके बाद हम सभा स्थगित करने की तारीख तय कर सकते हैं। जब तक कि कार्यक्रम निश्चित न हो, हम अपने

काम को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमें अस्थायी रूप से कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहिये और उसके बाद दूसरी बातों पर विचार करना चाहिये।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मैं यह राय देना चाहता हूं कि नियम जैसे-जैसे तैयार होते जायें, असेम्बली में पेश किये जायें। हम सभी नियमों के पूरे होने तक क्यों रुकें? हम उन पर कल से या आज शाम से विचार कर सकते हैं मुझे आश्चर्य है कि कमेटी ने एक हिस्से का भी मसविदा तैयार नहीं किया है। हम एक-एक हिस्से पर विचार कर सकते हैं और उन्हें पास कर सकते हैं। जब वे पूरे हो जायेंगे तो हम भी अपना काम खत्म कर चुकेंगे।

***सभापतिः** मेरी राय में नियमों के एक-एक हिस्से पर विचार करना संभव नहीं है। हमें सभी नियमों पर एक साथ विचार करना होगा।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** श्रीमान्, मेरी राय में हमें इसे दृष्टि में रखना चाहिये कि बहुत से मेम्बर क्रिसमस के सप्ताह के लिये कार्य निश्चित कर चुके हैं। अब हमसे यह कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि हमें ये कार्य निश्चित नहीं करने चाहिये थे। मामूली तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि क्रिसमस के सप्ताह में हमारे पास बहुत काम नहीं रहेगा। निःसंदेह यदि बैठक खत्म होने के पहले नियम पेश किये जायें, तो मेम्बर अपना कुछ समय उनको देंगे। उन्हें उन पर विचार करने के लिये कुछ समय देना चाहिये। जैसा कि बताया गया है, शायद पार्टियों को भी अपनी बैठकों में उन पर विचार करना है। श्रीमान्, मेरी राय में हमें क्रिसमस के सप्ताह में नियमों के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये। मेम्बरों को उन पर विचार करने, उनको समझने और संशोधन पेश करने के लिये काफी समय देना चाहिये। हम लोग जनवरी के पहले सप्ताह में कभी भी सम्मिलित हो सकते हैं।

***सभापतिः** अब हमने विभिन्न वक्ताओं के भाषण व उनके विचार सुन लिये हैं इन बातों पर विचार करने के बाद हम कल किसी निर्णय पर पहुँच जायेंगे। फिलहाल हम अपना काम शुरू करेंगे। हम अब प्रस्ताव और संशोधनों पर विचार करेंगे।

लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव—(गत संख्या से आगे)

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये श्रीमान् ने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

देता हूं। मैं पंडित नेहरू द्वारा पेश किये हुए प्रस्ताव का पूरे बल से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव में वे सभी सिद्धांत निहित हैं, जो इस सभा में पेश होने वाले इस प्रकार के प्रस्ताव में होने चाहिये। सबसे पहले इसमें उस उद्देश्य को बताया गया है, जो हिन्दुस्तान में सभी के दिमाग में है, यानी किसी निश्चित तिथि को हिन्दुस्तान की आजादी की घोषणा कर देना। इस सभा में हमने यह निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे और अपने मस्तिष्क में हमने दृढ़ निश्चय किया है कि हम हिन्दुस्तान की आजादी हासिल करेंगे। हिन्दुस्तान में हर एक शख्स की यही इच्छा है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रकार के उद्देश्य के विरुद्ध हो। इसके अलावा इसमें इसकी भी घोषणा है कि वह एक ऐसे गणतंत्र या लोकतंत्र शासन का विधान होगा जिसमें लोग स्वयं लोगों के लिये शासन करेंगे। नि:संदेह हिंदुस्तान के सभी लोगों की यही इच्छा है। यह सच है कि हिंदुस्तान में कुछ राजतंत्र हैं, किन्तु हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि ये सब राजतंत्र कम से कम पूर्णतया वैधानिक राजतंत्र हो जायेंगे, जैसे कि इंग्लैंड का राजतंत्र है और मेरा विश्वास है कि देशी रियासतों के लोग भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके यहां भी लोकतंत्रशासन स्थापित हो जायेगा। इसलिये इस प्रस्ताव में जो घोषणाएं हैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन क्षेत्रों का उल्लेख है जो भारतीय संघ में शामिल किये जायेंगे और यह काफी विस्तृत है। इसके अलावा तीसरे पैराग्राफ में स्वतंत्र प्रदेशों का उल्लेख है—वे स्वतंत्र प्रदेश जो वर्तमान सीमाओं के अंदर स्वतंत्र हैं या उन सीमाओं के अंदर स्वतंत्र होंगी जो बाद को निश्चित की जायेंगी। इन प्रदेशों या क्षेत्रों के अपने अवशिष्ट अधिकार होंगे और वे, उन अधिकारों के अलावा जो केन्द्रीय सरकार के हों, सभी शासन सम्बन्धी अधिकारों को प्रयोग में लायेंगे। यह हमारी इच्छा है और यही इस देश के सभी लोगों की इच्छा है। हमारा यह उद्देश्य है कि हर एक प्रांत स्वतंत्र होगा। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात हुई कि मंत्रिमंडल की घोषणा में सेक्शनों का विचार प्रकट किया गया और श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने हाल में जो व्याख्या की है उसके अनुसार किसी सेक्शन में हर प्रांत को अन्य प्रांतों के बहुसंख्यक मेम्बरों के बहुमत का सामना करना पड़ेगा। मैं विशेषतया सेक्शन 'सी' के बारे में कह रहा हूं जिसका सम्बन्ध आसाम से है। आसाम गैर-मुस्लिम प्रांत है। विधान-परिषद्

में आसाम के 7 गैर-मुसलमान प्रतिनिधि हैं और 3 मुसलमान प्रतिनिधि हैं। मुझे खेद है कि मेरे मुसलमान मित्र इस असेम्बली में मौजूद नहीं हैं। मेरी इच्छा थी कि वे यहां होते। श्रीमान्, बंगाल के 27 गैर-मुसलमान और 33 मुसलमान प्रतिनिधि हैं। अगर हमको एक ही सेक्शन में सम्मिलित किया जाये, तो 36 मुसलमान और 34 गैर-मुसलमान प्रतिनिधि होंगे और यदि उस भाग में बहुमत से वोट लिया जाये— सीधी तौर पर बहुमत से वोट, जैसी कि श्रीमान्, सम्राट की सरकार की व्याख्या है—तो इसका अर्थ है कि हमारा विधान, हमारे आसाम का विधान, बंगाल के लोगों के बहुमत से बनेगा, यानी मुस्लिम लीग द्वारा बनेगा। श्रीमान्, हम नहीं समझते कि इससे भी अधिक अन्याय हो सकता है। *(हर्षध्वनि)* यह एक ऐसा विषय है, जिस पर इस विधान-परिषद् के सभी मेम्बरों को विचार करना चाहिए। जब मंत्रिमंडल ने अपनी घोषणा की तो हम आसाम निवासियों ने समझा कि आगे चलकर इस तरह की व्याख्या भी की जा सकती है। लेकिन हमने इस पर विश्वास किया कि मंत्रिमंडल इतनी अनुचित बात नहीं करेगा कि आसाम को, जो एक गैर-मुस्लिम प्रांत है, एक मुस्लिम प्रांत के आधीन रख दे और यह कि हमारे विधान को हमारे सेक्शन के मेम्बरों के बहुमत से बनाने दे। हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने विचार किया कि आसाम के लोगों को इस स्थिति में रखना उनके प्रति अन्याय होगा। जून सन्, 1946 ई. में हमने शिलांग में एक सार्वजनिक सभा की। मैं उस सभा का सभापति था, हम लोग मंत्रिमंडल की घोषणा पर बहस कर रहे थे और उस सभा में मैंने यह कहा था:

> ''मंत्रिमंडल की घोषणा के पैराग्राफ 15 (5) से मैं यह समझता हूं कि मंत्रिमंडल ने जिस समूह का सुझाव किया है, उसको बनाने या न बनाने की हर एक प्रांत को स्वतंत्रता होगी। दूसरे यह कि स्वतंत्र प्रांतों का यह समूह इसलिये बनाया जायेगा कि वह यह तय करे कि कौन से ऐसे पारस्परिक विषय हैं, जो समूह को सौंपे जायें। तीसरे यह कि यदि कोई प्रांत ऐसे विषयों को सौंपने के लिये सहमत नहीं होता है, जिनका उसके लिये बहुत महत्त्व है, तो कोई ऐसा समूह-विधान नहीं होगा, जिसकी सिफारिश घोषणा के पैराग्राफ 19 (5) में की गई है। चौथे यह कि यदि समूह में बहस के दौरान में किसी प्रांत के लिये इस प्रश्न को हल करना असंभव हो जाये, तो उसका हल उससे दूसरे प्रांत के मेम्बरों के बहुमत से बलपूर्वक स्वीकार नहीं कराया जायेगा। पांचवें यह कि पूरा प्रश्न विधान-परिषद् के सामने रखा जायेगा और उसको उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार होगा।''

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

मंत्रिमंडल की घोषणा का हमने यह आशय समझा और श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि उस समय कांग्रेस का भी यही दृष्टिकोण था। सरदार वल्लभभाई पटेल ने हाल में यह घोषित किया है कि कांग्रेस ने इस समय तक श्रीमान्, सम्राट की सरकार की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है और उसे देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमान्, हमारा अब भी वही मत है। मुझे यह दिखाई देता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अब वह विचार नहीं है जो उसका उस समय था जब कि वह हिन्दुस्तान में था। जब वे लोग हिन्दुस्तान में थे तो उस समय उनको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और उन पर यहां के लोगों के मत का प्रभाव पड़ा था। इंग्लैंड वापिस जाने पर उनके सामने दूसरी परिस्थितियां हैं और वे कंजरवेटिव पार्टी से प्रभावित हुये हैं। मि. जिन्ना ने भी उनके दिमागों पर जोर डाला है। उन्होंने अपना विचार बिलकुल बदल दिया है, मुझे तो यही दिखाई देता है। मैं लार्ड पैथिक लारेंस से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रिमंडल के मस्तिष्क में, जब यह हिन्दुस्तान में था, वास्तव में यही विचार था। उनकी घोषणाओं में और उनके लेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था कि सेक्शनों में सीधे-सीधे बहुमत का वोट निर्णयकारी होगा। एक गैर-मुस्लिम प्रांत को बलपूर्वक एक मुस्लिम प्रांत के आधीन लाने का सिद्धांत बिलकुल गलत है। मि. जिन्ना ने श्रीमान्, सम्राट की सरकार को इसके लिये मजबूर कर दिया है कि वह हमारे प्रांत के प्रति यह अन्याय करे और श्रीमान्, हम समझते हैं कि इस आदरणीय सभा की हमारे साथ सहानुभूति होगी और हमें इसकी सहायता प्राप्त होगी ताकि हमारा प्रांत उस दयनीय दशा को प्राप्त न हो। मैं चाहता हूं कि मि. जिन्ना और लीग के मेम्बर यहां उपस्थित हों और मेरी इच्छा है कि वे हिन्दुस्तान का विधान बनाने में हाथ बंटायें। मैं उनसे व दूसरे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वे न्याय करेंगे। मैं उनसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता कि वे सज्जनों का व्यवहार करें और न्याय करें। हर कोई जानता है कि हमको बलपूर्वक उस स्थिति में रखना अन्याय है जो कि श्रीमान् सम्राट की सरकार की हाल की व्याख्या से हमारे सामने उपस्थित है। हमारा प्रांत एक स्वाधीन प्रांत है और वह एक गैर-मुस्लिम प्रांत है। हमको एक ऐसे सेक्शन में जाने के लिये क्यों मजबूर किया जा रहा है जो आसाम को बहुमत से हरा सकता है और कृत्रिम बहुसंख्यकों की इच्छानुसार विधान बना सकता है। श्रीमान्, यह कहा जा सकता है कि इससे तुरंत ही ब्रिटिश सरकार और इस विधान-परिषद् के बीच कलह उठ खड़ा होगा। यह जरूरी नहीं है। किसी महाशय ने कहा था कि मई 16 की घोषणा की परिधि के बाहर जाना और दूसरी व्याख्या करना

क्रांतिकारी होगा। इस विधान-परिषद् को इस तरह का रुख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम लोग मैत्री का रुख दिखा सकते हैं। हम ब्रिटिश सरकार से कहेंगे ''आपने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच समझौता करने के लिये जो प्रयत्न किये उनके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है और आपने बहुत अच्छी सिफारिशें भी की हैं लेकिन जब कभी हम यह समझें कि आपकी किसी सिफारिश को अक्षरश: प्रयोग में लाना अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण है तो जिम्मेदार लोग होते हुए हमें इसकी स्वतंत्रता होगी कि हम उसकी परिधि के बाहर चले जायें। हम एक ऐसा विधान बनायेंगे जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के प्रति न्याय होगा और किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं की जायेगी। यदि मुस्लिम लीग के मेम्बर सहयेाग करेंगे तो हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे। जब हम विधान बना चुकेंगे तो सारे हिन्दुस्तान को यह देखने का अवसर मिलेगा कि इस विधान-परिषद् ने किस तरह का विधान बनाया है। हम आपसे, ब्रिटिश सज्जनों से, प्रार्थना करते हैं कि आप पार्लियामेंट में ऐसे भाषण न दें जिनसे यह प्रकट हो कि हिन्दुस्तान में क्रांतिकारी कार्यवाही हो रही है। कृपा करके जब तक हम अपना काम खत्म न कर लें हमारे साथ सहयोग कीजिये और तब उस पर अपना निर्णय दीजिये।'' तभी ब्रिटिश सरकार को यह देखने का अवसर मिलेगा कि उस असेम्बली ने किस तरह का विधान बनाया है। तभी वे कह सकते हैं और इससे पहले नहीं कह सकते हैं कि इस विधान-परिषद् ने किसी जाति या मुसलमानों के प्रति न्याय किया है या अन्याय। हमें अवश्य ही इसकी आशा है कि मुस्लिम जाति के लोग यहां आयेंगे और हिन्दुस्तान का विधान बनाने में योग देंगे। सबसे अधिक मुझे इसकी इच्छा है कि वे लोग यहां आयें। मुस्लिम लीग के कुछ मेम्बर मेरे बड़े मित्र हैं और मैं चाहता हूं कि वे लोग यहां आयें और इस असेम्बली के साथ सहयोग करें।

अब मैं इस प्रस्ताव के दूसरे हिस्से पर आता हूं, यानी पैराग्राफ 5 पर, और उस पर विचार प्रकट करने के पहले मैं एक दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा यह विचार है कि स्वाधीन प्रांतों में से हर एक प्रांत में ऐसे प्रदेश होंगे जो स्वशासित और प्रांत से सम्बद्ध होंगे। आसाम जैसे प्रांत के लिये नि:संदेह यह आवश्यक होगा।

अब पैराग्राफ 5 के बारे में मुझे यह कहना है कि इस पैराग्राफ में न्याय और स्वतंत्रता के सम्बन्ध में आदेश है। सबको यह आश्वासन दिया जाता है कि

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

उनके प्रति सामाजिक न्याय होगा और आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी न्याय होगा। राजनैतिक न्याय का अर्थ निःसंदेह यह होगा कि हर एक जाति का धारा सभाओं में और इस देश के शासन-प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व होगा। इसलिये किसी जाति को इसका भय न होना चाहिये कि यह विधान-परिषद् उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी।

इसके अलावा इसमें विचार, भाषा, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस देश में कुछ दलों ने यह प्रचार किया है कि जब हिन्दुस्तान में स्वशासन हो जायेगा तो कुछ धर्मों के लोगों को अपने धर्मों को फैलाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। यह वास्तव में झूठा प्रचार है। इस प्रस्ताव द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। हिन्दुस्तान के विधान में इस सम्बन्ध में आदेश होंगे कि सभी धर्मों के अनुयाइयों को स्वतंत्रता है और उन्हें अपने धर्मों को जिस प्रकार भी वे चाहें फैलाने की स्वतंत्रता है। मुझे यह देखकर विशेष रूप से प्रसन्नता हुई है कि इस पैराग्राफ में कानून और सार्वजनिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मिलने-जुलने और काम करने की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। यह आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा करे और यह भी आवश्यक है कि सदाचार को ऊंचा उठाया जाये। सदाचार से राष्ट्र ऊंचा उठता है, लेकिन पाप किसी भी जनसमाज के लिये निन्दनीय है।

इस प्रस्ताव की अन्य बातों पर भी मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। हमारे सामने कई कठिनाइयां और रुकावटें हैं। हिन्दुस्तान इस तरह की कठिनाइयों से अछूता नहीं रह सकता है। कैनेडा, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमरीका भी जब अपने विधान बना रहे थे तो उन्हें भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन देशों के कुछ भागों ने शुरू में विधान बनाने में भाग नहीं लिया; यद्यपि वे बाद को सम्मिलित हो गये। यहां हिन्दुस्तान में भी वही बात हो सकती है। हमें विधान-निर्माण का काम करते रहना होगा और फिर जब वह दुनिया के सामने और इस देश के सामने रखा जायेगा तभी इसका अवसर होगा कि ब्रिटिश सरकार कहे कि यह विधान उनकी घोषणा के अनुसार नहीं बनाया गया है। इसके पहले उन्हें पहले से इसका निर्णय करने का प्रयास न करना चाहिये कि यह विधान-परिषद् क्या करेगी और ऐसा करके हमारे काम में बाधा न डालनी चाहिये।

***सभापतिः** माननीय मेम्बर ने अपने समय से अधिक समय ले लिया है।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय:** मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं जो मुझे वाइकाउंट साइमन के उस भाषण से सूझी है जो उन्होंने लार्ड्स सभा में दिया था। वाइकाउंट साइमन का कहना है कि यदि यह विधान-परिषद् हिन्दुस्तान के लिये विधान बनाने का काम करती रहे तो यह हिन्दुस्तान के लिये 'हिन्दूराज' की धमकी होगी। इन शब्दों को आज एक अखबार में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं पश्चिमी देशों में था—इंग्लैंड और अमरीका में—तो मैंने यह देखा कि उन देशों में कुछ लोगों का यह विचार था कि हिन्दू एक ऐसा मनुष्य है, जो वर्ग-व्यवस्था से जकड़ा हुआ है और जो गाय की पूजा करता है। यदि वाइकाउंट साइमन हिंदूराज की ओर इसी विचार से संकेत करते हैं, यानी इस विचार से कि हिन्दुस्तान के लोग वर्ण-व्यवस्था बनाये रखने के लिये और गाय की पूजा करने के लिये मजबूर किये जायेंगे, तो उनका विचार बिलकुल गलत है। यदि जो लोग यहां सम्मिलित हुए हैं वे—चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान; ईसाई हों या किसी दूसरे धर्म के अनुयायी—एक ऐसा विधान बनायें, जो लोकतंत्रात्मक हो, जिसमें हर एक के प्रति न्याय हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह विधान 'हिन्दू राज' का विधान क्यों कहा जाये। और यदि 'हिन्दू' शब्द से हिन्दुस्तान के रहने वाले लोग समझे जायें तो निश्चय ही हमारा विधान हिन्दुस्तान के लोगों के लिये होना चाहिये। यही वास्तव में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग एक विधान बनायें। लेकिन अगर हिन्दुस्तान के कुछ लोग इस समय विधान-निर्माण के कार्य में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं तो वे बाद को उसमें सम्मिलित हो जायेंगे और मैं समझता हूं कि एक ऐसा समय आयेगा, जब वे सब विधान बनाने के काम में हाथ बंटायेंगे और हिन्दुस्तान को एक मुल्क बनायेंगे—एक संयुक्त देश जिसका कि शासन एक ही प्रजातंत्रात्मक सरकार करेगी। मुझे विश्वास है कि ईश्वर से प्रार्थना करने से ये सब रुकावटें दूर हो जायेंगी। हमें महात्मा गांधी—अपने बापू जी—का अनुकरण करना चाहिये और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि हमारे रास्ते से ये सब रुकावटें दूर हो जायें और यह कि हम एक ऐसा विधान बनाने का काम कर सकें जो हमारे सारे देश के लिये कल्याणकारी हो।

श्री आर.के. सिधवा: सभापति महोदय, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का विधान बनाने की जो मांग की थी, वह अब पूरी हो गई है। हम यहां हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये सम्मिलित हुए हैं और हमें विश्वास है कि चाहे मुस्लिम

[श्री आर.के. सिधवा]

लीग के हमारे मित्र, जिनका हम स्वागत करते हैं और जिनके बारे में इतने वक्ता कह चुके हैं कि उन्हें खेद है कि वे उपस्थित नहीं हैं, आयें या न आयें और चाहे अंग्रेजों ने पिछले चार या पांच दिनों के बीच कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा में कितनी ही धमकियां दी हों, हम अपना काम करते रहेंगे और एक विधान बनायेंगे और कोई मजाल नहीं कि वे उसे प्रयोग में न लायें। यदि अवसर आने पर वे उसे प्रयोग में लाना उचित न समझें तो हम जानते हैं कि उसे किस प्रकार प्रयोग में लायेंगे। श्रीमान्, यदि हिन्दुस्तान से गरीबी दूर करनी है और इस देश के लोगों को सुखी बनाना है तो हमारे विधान की इमारत समाजवादी सिद्धांतों की बुनियाद पर खड़ी की जानी चाहिये और मुझे विश्वास है कि जब यह विधान पूरा हो जायेगा तो इसका इस देश में व बाहर स्वागत होगा। कई बार अल्पसंख्यकों के सवाल के बारे में बड़ा बखेड़ा उठाया गया हैं श्रीमान् इस विधान को बनाने में हर प्रकार की न्यायोचित सुरक्षा और सभी के हितों पर विचार किया जायेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न को इतनी प्रधानता क्यों दी गई है। इस प्रस्ताव में भी पैराग्राफ 3 में आप देखेंगे कि बिना किसी के कहे हुए हमने किस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। पैराग्राफ 4 अवशिष्ट अधिकारों के सम्बन्ध में है, जिसको हमने स्वीकार कर लिया है और वह इसलिये नहीं कि ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ऐसा चाहता है। श्रीमान्, जैसा कि आपको ज्ञात है कई वर्षों से कांग्रेस इस विषय पर विचार कर रही थी और मुस्लिम लीग के लोगों के भय को दूर करने के लिये अगस्त सन् 1942 ई. में हमने यह निर्णय किया था कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार होने चाहिये। हम लोगों में से बहुत से लोगों को आज तक भी यह पसंद नहीं है कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार हों। हम लोग एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार चाहते हैं। यदि इस सभा का या देश का स्वतंत्र रूप से इस बारे में मत लिया जाये कि प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायें या नहीं तो वे विरोध में ही अपना मत प्रकट करेंगे। किन्तु केवल इसलिये कि हम मुस्लिम लीग के काल्पनिक या वास्तविक भय को दूर करना चाहते हैं और हम उनके विचारों का आदर करते हैं, हमने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार दिये जायेंगे। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये कौन आगे बढ़ा? कांग्रेस और बहुसंख्यक जाति ही ने कहा कि प्रांतों के अवशिष्ट अधिकार होंगे। चाहे लीग के लोग यहां हैं, या नहीं हैं, कांग्रेसियों की हैसियत से हम अपने निश्चय से

नहीं डिगेंगे। हम पीछे हटना नहीं चाहते चाहे मुस्लिम लीग यह प्रतिज्ञा करते समय मौजूद रहना पसन्द न करे। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हम अपने निश्चय के अनुसार कार्य करेंगे। यह केवल एक उदाहरण है, जिसे मैं अंग्रेजों के सामने रखना चाहता हूं ताकि उनकी समझ में आ जाये कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये कितने सचेष्ट हैं। किन्तु यदि आप अनुचित मांग करें तो बहुसंख्यक जाति के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह अल्पसंख्यक जाति हो जाये। प्रांतों की सरहदें ठीक करने का हवाला इस पैराग्राफ में ही है। मेरी यह पक्की धारणा है कि वर्तमान प्रांतों की सरहदें ठीक की जानी चाहिये। आजकल के प्रांत बिना सोच-विचार के और जिस बेमेल ढंग से बनाये गये हैं उसमें तुरंत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सिंध प्रांत का निवासी होने के नाते मैं जानता हूं कि दस वर्ष पहले जब हमें बंबई प्रांत से अलग किया गया था, तो हमें भारत सरकार का 22 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना था। सात वर्ष में हमने वह ऋण चुकाया। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि अलग होने से हमें क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान, मगर मैं यह कहूंगा कि यह पैराग्राफ मुसलमानों की भावनाओं का आदर करते हुए बहुत सोच समझ कर लिखा गया है; ताकि सेक्शनों में बैठने के पहले वर्तमान प्रांतों पर विचार हो सके। यदि हम स्वतंत्र होते तो मैं इस संशोधन को पेश करता कि प्रांतों की सरहदें तुरंत ही ठीक की जायें और सरहद ठीक करने को एक समिति तुरंत ही नियुक्त की जाये और उसके बाद विधान बनाया जाये। परंतु इस सम्बन्ध में भी हम अपने इस वादे को पूरा करना चाहते हैं कि मई 16 को घोषणा के अंतर्गत हम सेक्शनों में बैठेंगे। मैं इन बातों की ओर इसलिये संकेत कर रहा हूं कि संसार यह जान जाये कि उस बाधा की ओर ध्यान न देते हुए जो प्रतिदिन कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा की सलाहों और आज्ञाओं से होती है व उन दुष्टतापूर्ण भाषणों से होती है जिन्हें अंग्रेज आज दे रहे हैं, हम अपने न्यायोचित कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं हम इस तरह के प्रचार को सहन नहीं कर सकते जिसने झूठ-मूठ अल्पसंख्यकों का सवाल और सांप्रदायिक कलह का भय खड़ा किया है। जब प्रतिनिधिमंडल आया तो उसका रुख दूसरा था, क्योंकि राजनैतिक बलवे हो रहे थे। सेना, सामुद्रिक सेना और हवाई सेना ने उनके आने के पहले विद्रोह किया था। वह एक राजनैतिक बलवा था। श्रीमान्, हिन्दुस्तान की ऊंची नौकरियों के लोग अब यह समझने लगे हैं कि उनके दिन ढल चुके हैं। वे साम्प्रदायिक कलह से खूब फायदा उठा रहे हैं। चूंकि

[श्री आर.के. सिधवा]

साम्प्रदायिक तनातनी है, इसलिये ब्रिटिश मंत्रिमंडल उन बातों पर अमल नहीं करना चाहता जो उसने यहां रह कर कही थी। ब्रिटिश सरकार ने हमसे कहा है कि यदि हम वाक्यखंड 15 की उनकी व्याख्या के अनुसार विधान न बनायेंगे तो अल्पसंख्यक जाति उसको स्वीकार करने के लिये मजबूर नहीं की जायेगी। मैं एक अल्पसंख्यक जाति का सदस्य हूं, मेरी जाति बहुत ही अल्पसंख्यक है और तुलनात्मक दृष्टि से उसका कुछ भी महत्त्व नहीं है। लेकिन उस जाति को, चाहे वह सिर्फ एक लाख पारसियों की है, सारा संसार जानता है। जैसा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने कहा, पूर्वकाल में इस देश में जो कोई भी आया उसका स्वागत किया गया। 1300 वर्ष पूर्व, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब हम ईरान से निकाल दिये गये और तीन महीने तक समुद्र में भ्रमण करते रहे, तो सिवाय गुजरात में संजान के जधवा राना के हमें और किसी ने शरण नहीं दी। हम सब उनके कृतज्ञ हैं। जब से हम यहां रहे हैं, हमें हिन्दू जाति से कोई शिकायत नहीं रही है। पारसियों ने राजनीति और सामाजिक व औद्योगिक कार्यों में प्रमुख भाग लिया है। भारतीय कांग्रेस की जिन लोगों ने नींव डाली, उनमें एक महान पुरुष दादाभाई नौरोजी भी थे। *(हर्षध्वनि)* सन् 1909 ई. में कलकत्ता में सभापति के पद से भाषण देते हुए उन्होंने ''स्वराज'' का शब्द गढ़ा था। जहाज बनाने और कपड़े के धंधों में पारसी अगुआ रहे हैं। उन्हीं लोगों न पहले-पहल स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया और अस्पताल इत्यादि जैसी खैराती संस्थाएं खोलीं जिनमें जात-पात का कुछ भी भेद नहीं रखा। हाल में केवल 37 वर्ष पहले टाटा परिवार ने लोहे और फौलाद का धंधा ऐसे पैमाने में चलाया कि इस समय संसार में उसका दूसरा स्थान है। मैं यह सब कुछ अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये नहीं कह रहा हूं; मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूं कि बहुसंख्यक जाति ने हमको कभी नहीं भुलाया और हम भी अपना योग देने में पीछे नहीं रहे। अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये अंग्रेजों ने हम पर जोर डाला। हमने इससे इन्कार कर दिया। साधारण निर्वाचन-समूह में हमारी जाति के हित सुरक्षित हैं। मुझे एक मिसाल मालूम है जिससे यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार 30 वर्ष पूर्व अलग-अलग निर्वाचन-समूह बनाने के लिये जोर डाला गया और यह शरारत इसलिये की गई कि इस देश में ब्रिटिश राज बना रहे। सिंध में हमारे यहां म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में साधारण प्रतिनिधित्व था। साम्प्रदायिक

प्रतिनिधित्व नहीं था। उस समय के सिंध के कमिश्नर ने कुछ मुसलमानों को चुपचाप गवर्नमेंट हाउस बुलाया और उनसे कहा, ''आप हमें अलग निर्वाचन-समूहों के लिये एक प्रार्थनापत्र दीजिये और इसकी सिफारिश मैं बम्बई के गवर्नर से कर दूंगा। इस तरह का प्रतिनिधित्व मंजूर कर दिया गया और तब से हमारी सिंध की म्युनिसिपैलिटी में अलग-अलग निर्वाचन-समूह हैं। इस प्रकार हमने अपनी आंखों देखा है कि किस तरह अंग्रेजों ने एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा करने की दृष्टता की है। पारसियों से कई बार अपने लिये अलग निर्वाचन-समूह की मांग करने के लिये कहा गया। हमने इन्कार कर दिया और कहा, ''हम अपनी बहुसंख्यक जाति के साथ पूर्णतया सुरक्षित हैं''। इस असेम्बली में ही बहुसंख्यक जाति की भलमंसाहत को देखिये। हम सब लोग उनकी वोटों से चुने गये हैं क्या मैं यह कह सकता हूं कि जो लोग हमारे इच्छित उद्देश्य के विपरीत रहे हैं वे भी बहुसंख्यक जाति द्वारा निर्वाचित किये गये हैं। हम किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, भले ही उसने हमारे विचारों का, हमारी मांग का, विरोध किया हो। मेरा मतलब ऐंग्लो-इंडियनों से है। लेकिन हमने उनको भी निर्वाचित किया है। इस उदारता की हर एक को प्रशंसा करनी चाहिये। यदि अंग्रेजों का उद्देश्य पहले की तरह शरारत करना नहीं है तो वे किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? लेकिन मैं ब्रिटिश सरकार से कहना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब कि उन्हें उस दुष्टतापूर्ण प्रचार से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती जो वे जानबूझ कर विधान-परिषद् के काम में बाधा डालने के लिये कर रहे हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे, चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और चाहे जितनी रुकावटें व अड़ंगे आये दिन और खास तौर से इस समय लगाये जायें, हम अपना काम करते रहेंगे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या भारत-मंत्री ने मि. जिन्ना से यह नहीं कहा कि ''आपके कहने पर उस खास वाक्यखंड की व्याख्या कर दी गई है और आपको पाकिस्तान का प्रचार खत्म कर देना चाहिए''। मंत्रिमंडल ने बहस की और जांच की और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान न तो व्यावहारिक है और न उसको स्थापित करना ठीक ही है। इसलिए यह सवाल हमेशा के लिये दफना दिया गया है। इसके बावजूद क्या आपने मि. जिन्ना से एक शब्द भी इस आशय का कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में खतरनाक और जहरीला प्रचार करने के लिये भाषण नहीं देने चाहिए। मि. जिन्ना आये दिन संवाददाताओं के

[श्री आर.के. सिधवा]

सम्मेलनों में या अपने बयानों में पाकिस्तान ही की कहानी दुहराते जाते हैं। इसलिये, बावजूद इसके कि ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने मई 16 के बयान में अपना फैसला सुना दिया है; हमें यह मालूम नहीं है कि मि. जिन्ना क्या चाहते हैं?

जब तक कि ब्रिटिश सरकार अपना वादा ही पूरा न करना चाहे, उसे मि. जिन्ना से कहना चाहिए कि वे अपना प्रचार खत्म करें, जिसके जहर से लोगों के दिमाग दूषित हो जाते हैं और इस देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। उनसे ऐसा कहने के बदले उसने अल्पसंख्यक जाति को सलाह देने की धृष्टता की है। हमारी समझ में नहीं आता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं और उनके दिमागों में क्या नाच रहा है। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग को लंदन इसीलिये बुलाया कि हम लोग यहां 9 दिसम्बर को सम्मिलित नहीं हो सकें? लेकिन धन्य हैं हमारे नेता! वे 9 दिसम्बर को विधान-परिषद् की पहली बैठक करने के अपने निश्चय पर डटे रहे, बावजूद इसके कि उसके पहले हफ्ते में पं. जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड जाना पड़ा। यद्यपि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वे 9 दिसम्बर को वापस चले आयेंगे और विधान-परिषद् के उद्घाटन-उत्सव में सम्मिलित होंगे। हमारा कई तरह से विरोध किया गया है। वे हमारे काम को रोकना चाहते हैं, यह पार्लियामेंट में दिये भाषणों से स्पष्ट हो जाता है। एक दिन पहले हमसे कहा गया— ''आप फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को पेश कर सकते हैं और तुरंत ही इस पर उसका फैसला सुन सकते हैं''। दूसरे दिन भारतमंत्री कहते हैं—''आप फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को रख सकते हैं, परन्तु यह जरूरी नहीं है कि उसका फैसला हमें मान्य हो''। क्या इस असेम्बली में हम लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं हुये हैं? हम अपना काम करते रहेंगे। चाहे जो भी कठिनाई हो, हम उसका सामना करेंगे और पहले की तरह हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने एक बात तो अभी कर दी है; वह यह कि बहुसंख्यक जाति को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने दिया है। हमने पहले भी ऐसा किया है और उसे फिर करेंगे, ताकि हममें एकता पैदा हो और हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकें। हम यह कर सकते हैं।

मगर मैं पूछता हूं कि मुस्लिम लीग क्यों शरीक नहीं हो रही है? वे चाहते हैं कि अंग्रेज हम से यह कहें कि अगर हम यहां सम्मिलित होकर विधान बना भी लें, तो वे उसे प्रयोग में नहीं लायेंगे। उन्हें ऐसा कहने दीजिये। हम एक विधान

बनायेंगे और उसे लोगों के सामने रख देंगे ताकि वे उस पर अपना फैसला दे सकें। इस संसार में कई निष्पक्ष देश भी हैं जिनकी निष्पक्ष विचारधारा है और वे हमारे कार्य को ठीक तौर से और सच्चे ढंग से जांचेंगे और न्याय करेंगे। सिर्फ कमल रोग का रोगी सब कुछ पीला और गलत देखता है। दक्षिणी अफ्रीका के झगड़े में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधियों ने हमारे न्याययुक्त पक्ष का समर्थन किया, यद्यपि अंग्रेज हमारे विरोधी थे। हमने जिस काम का बीड़ा उठाया है, वह न्याययुक्त है और हम अपना काम करते रहेंगे और एक ऐसा विधान बनायेंगे जिस पर हम गर्व कर सकेंगे। *(हर्षध्वनि)*

*__श्री विश्वनाथ दास__ (उड़ीसा): श्रीमान्, उड़ीसा के प्रतिनिधियों की तरफ से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रस्ताव को पेश किया है वह चार भागों में विभाजित है। पहले भाग में उस लक्ष्य का उल्लेख है जिसके लिए हम लड़ते रहे हैं; दूसरे भाग में स्वतंत्र भारतीय रिपब्लिक के जल, थल और आकाश में अधिकार-क्षेत्र का उल्लेख हैं; तीसरे भाग में यह घोषणा की गई है कि हमारी जो शक्ति है और हमारे जो अधिकार हैं वह हमें लोगों से प्राप्त हैं चौथा भाग एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग है, जिसमें कबाइली और दूसरे क्षेत्रों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है।

श्रीमान्, किसी भी विधान में इस तरह की आरम्भिक बातें आवश्यक हैं। इसलिए यह ठीक नहीं होगा और अनुचित भी होगा कि हम आरंभ में ही इस प्रश्न को हल न करें। इस प्रस्ताव का कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि माननीय डॉ. एम.आर. जयकर ने जो संशोधन पेश किया है, उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस प्रस्ताव पर एक महीने बाद विचार हो। माननीय मेम्बर यह स्वीकार करते हैं कि वे प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक महीने के लिये बहस स्थगित करने से क्या फर्क पड़ेगा।

श्रीमान्, मेरे मित्र डॉ. अम्बेडकर ने बहस में एक अच्छा सुझाव पेश किया है। उन्होंने कहा है कि उनको प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफों से कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि पैराग्राफ 3 में 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है। श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे उनसे एक अपील करनी है। यह कोई ऐसी गम्भीर बात नहीं है कि 'समूहबन्दी' का शब्द छूट गया है क्योंकि प्रस्ताव में 'समूहबन्दी' के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि समूहबंदी का प्रश्न एक खुला

[श्री विश्वनाथ दास]

प्रश्न है। मैं यहां अपने मित्र डॉ. अम्बेडकर को मंत्रिमंडल की योजना के पैराग्राफ 19 (5) का हवाला देता हूं जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सेक्शन ही तय करेंगे कि कोई समूह-विधान बनाया जाये कि नहीं। श्रीमान्, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रस्ताव पेश किया था। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव की आलोचना की और उनकी आलोचना पैराग्राफ 14 (2) में दी हुई है। इस योजना के आधीन यदि प्रांत किसी ऐसी आर्थिक व शासनप्रबंध-सम्बन्धी व्यवस्था में भाग लेना चाहते हैं जो बड़े पैमाने में की जाये, तो वे अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त स्वेच्छा से कुछ विषय केन्द्र को सौंप देंगे। कांग्रेस की कार्यकारिणी के तर्क का उल्लेख करते हुए मंत्रिमंडल ने अपनी आलोचना की है। उनका कहना है कि केन्द्र में कोई ऐसी प्रबन्धकारिणी या धारा सभा बनाना बड़ा कठिन होगा, जिसमें कुछ ऐसे मंत्री हों, जिनके जिम्मे अनिवार्य विषय हों और जो सारे हिन्दुस्तान के प्रति उत्तरदायी हों और कुछ ऐसे मंत्री हों जिनके जिम्मे स्वेच्छा से सौंपे हुए विषय हों और जो प्रांतों के प्रति उत्तरदायी हों। श्रीमान्, यह आपत्ति करके मंत्रिमंडल ने कार्यकारिणी के सुझाव को अलग रख दिया है। छोटे प्रांतों का यदि केन्द्र पथप्रदर्शन न करे तो उनके लिए उन्नति करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव ही हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं 'बी' और 'सी' सेक्शनों का हवाला नहीं दे रहा हूं। मैं सेक्शन 'ए' का हवाला दे रहा हूं जिससे उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रांत, मद्रास और दूसरे प्रान्तों का सम्बन्ध है। श्रीमान्, कांग्रेस ने जब यह स्वीकार किया कि हिन्दुस्तान का विभाजन भाषाओं के आधार पर किया जाये, तो इसका यह अर्थ है कि बहुत से छोटे-छोटे प्रांत बन जायेंगे। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और दूसरे ऐसे छोटे प्रांतों को अपने यहां आर्थिक व शासन प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं को बनाने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। इस दशा में यह हो सकता है कि ये प्रांत सभी सम्बन्धित अधिकारों को केन्द्र को सौंप देंगे। इसके बाद किसी भी ऐतराज के लिये गुंजाइश नहीं रह जाती। बाद को सेक्शनों में इस तरह के कई सवाल पैदा हो सकते हैं। यदि दरवाजा खुला हुआ है, तो वह ऐसे ही प्रस्तावों के लिये खुला हुआ है, जो बाद को पेश किये जा सकते हैं। इन दशाओं में मेरा विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर को इस व्याख्या से संतोष हो जायेगा और वे 'समूह' शब्द के छूट जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे।

माननीय प्रस्तावक ने जिस प्रस्ताव को पेश किया है, उसमें सभी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। कोई बात छिपाकर नहीं रखी गई है। सभी बातों का जिक्र कर दिया गया है ताकि रियासतों और प्रांतों को एक ही नजर में सब कुछ देख लेने की सहूलियत हो। श्रीमान्, रियासती कमेटी के सेक्रेटरी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने इस प्रस्ताव पर आपत्ति की है। उन्होंने दो बातों को लेकर आपत्ति की है। पहली बात यह है कि उनको ''स्वतंत्र सार्वभौम-सत्ता-सपन्न रिपब्लिक'' से आपत्ति है और दूसरी यह है कि उन्हें इस विषय में भी आपत्ति है कि शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि देशी रियासतों में शक्ति लोगों से प्राप्त होती है।

श्रीमान्, मंत्रिमंडल के बयान के पैराग्राफ 14 में यह दिया हुआ है कि ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर सर्वोच्च सत्ता का भी अन्त हो जायेगा। इंग्लैंड का कानून यह स्वीकार करता है कि शक्ति लोगों से प्राप्त होती है। पार्लियामेंट को शक्ति ब्रिटेन के लोगों से प्राप्त होती है और वही पार्लियामेंट सर्वोच्च अधिकारों को प्रयोग में लाती है। इस दशा में मेरी समझ में नहीं आता कि रियासतों के शासकों और उनके प्रतिनिधियों को इन शब्दों से क्यों आपत्ति है। श्रीमान्, ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर यह सोचने का कोई कारण नहीं रह जाता कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक के अलावा कोई दूसरे किस्म की सरकार स्थापित होगी।

यह जरूरी नहीं है कि रिपब्लिक में रियासतों का कोई भी स्थान नहीं होगा। इस प्रकार का भय निराधार है। मंत्रिमंडल के बयान में बताया गया है कि यह बातें आपस में बातचीत करके तय की जा सकती हैं। उन्होंने अपनी सम्बन्ध स्थापित करने वाली कमेटी स्थापित की है और हम अपनी कमेटी स्थापित करेंगे। इस प्रकार सब बातें आपस में मिलकर तय कर लेने के लिये छोड़ दी गई हैं।

प्रस्ताव के बारे में ये बातें कहने के बाद अब मैं उन कुछ बयानों पर आता हूं जो कामन्स-सभा में दिये गये हैं श्रीमान्, आप जानते हैं कि कंजरवेटिव पार्टी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिन्दुस्तान पर बहस करने के लिये मजबूर कर दिया। उस पार्टी के नेता ने और उसके दूसरे प्रमुख मेम्बरों ने उस बहस में भाग लिया; यद्यपि लेबर और लिबरल पार्टियों के मेम्बरों ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, यदि इस समय यह बहस की जाये।

[श्री विश्वनाथ दास]

श्रीमान् कंजरवेटिव पार्टी के प्रमुख मेम्बरों ने कहा है कि विधान-परिषद् सवर्ण हिन्दुओं की सभा है। मुझे प्रसन्नता है कि हिन्दुस्तान की अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधियों ने इस अनुचित सुझाव का जवाब दे दिया है और मुझे आशा है कि अल्पसंख्यकों के दूसरे प्रतिनिधि भी इस सुझाव का जवाब देकर इसे दफना देंगे, क्योंकि वह इंग्लैंड व विदेश में प्रचारार्थ ही पेश किया गया है। श्रीमान्, इस महान असेम्बली में केवल बहुसंख्यक हिन्दुओं के प्रांतों के हिन्दुओं के ही प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि उन अल्पसंख्यक हिन्दुओं के भी प्रतिनिधि हैं जो ऐसे प्रांतों में रहते हैं, जहां मुसलमानों का बहुमत है। यहां परिगणित जातियों, ईसाइयों, सिक्खों, पारसियों, ऐंग्लो-इंडियनों और कबाइली और अंशत: प्रथक् क्षेत्रों के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे बीच में महान मुस्लिम जाति के भी प्रतिनिधि हैं, सिवाय इसके कि यहां मुस्लिम लीग के नेता नहीं हैं। इस दशा में यह बहुत ही अनुचित है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह महान असेम्बली, जिसमें कि महान भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, सवर्ण हिन्दुओं की सभा कही जाये और विशेषत: यह कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वैदेशिक प्रचार का मंच बनाया जाये। पार्लियामेंट के भाषणों में अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा देश है, जहां अल्पसंख्यक नहीं हैं? इंग्लैंड में भी अल्पसंख्यक हैं क्या वेल्श लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं? स्काट भी अल्पसंख्यक हैं। वेल्श लोगों की जाति और भाषा अंग्रेजों से बिल्कुल भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनकी भाषा और जाति भिन्न है। सोवियत रूस में भी यही हाल है। इस दशा में यह अनुचित है कि इंग्लैंड की कंजरवेटिव पार्टी के नेता इस देश और इस विधान-परिषद् के विरुद्ध प्रचार करें। यह स्पष्ट हो गया है कि मि. जिन्ना और मि. चर्चिल के बीच अजीब दोस्ती पैदा हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि मि. जिन्ना ऐसे राजनीतिज्ञ कंजरवेटिवों और विशेषतया मि. चर्चिल के जाल में फंस गये हैं। सब कोई यह जानते हैं और इतिहास भी यह बतलाता है कि कंजरवेटिव पार्टी ने किस तरह परतंत्र देशों में खास-खास लोगों व संस्थाओं से काम निकाला है। इस सूरत मे मि. जिन्ना आसानी से यह समझ सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह उनसे व मुस्लिम लीग से काम निकाल रहे हैं यह हमें भी देखना है कि कौन किसको किस हद तक काम में लाता है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर मि. जिन्ना की समझ में सब कुछ आ जायेगा और कंजरवेटिवों को ही मुंह की खानी पड़ेगी।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** सभापति महोदय, इस सभा में दिये हुए कुछ भाषणों से मालूम होता है कि कुछ वक्ताओं ने यह समझा है कि जो संशोधन इस सभा में पेश किया गया है, वह विरोध की भावना से किया गया है मेरा विचार है कि उसका उद्देश्य इस सभा के काम में बाधा डालना नहीं है, बल्कि उसमें सहूलियत पैदा करना है। उसका उद्देश्य यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जाये, जिससे हम जल्दी ही और आसानी से उस महान लक्ष्य को समझ सकें जिसे हमने अपने सामने रखा है। मैं समझता हूं कि मेरा यह कहना गलत न होगा कि इस सभा के हर भाग में ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉ. जयकर के संशोधन से सहानुभूति है। किसी भी पक्षपात रहित आदमी को यही बात विश्वास दिलाने के लिये काफी है कि इस संशोधन का उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे रास्ते में रोड़े अटकाये जायें, किन्तु ऐसा रास्ता दिखाना है जो निश्चय ही सफलता की ओर ले जाये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि अखबारों की यह खबर ठीक है कि असेम्बली की अगली बैठक जनवरी के आखिर तक होगी, तो इससे यह प्रकट होता है कि यह सभा समझती है कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ काल के लिये स्थगित किया जाना चाहिये। ऐसा करने से उन सबों को जिनके हितों पर इन निर्णयों का असर पड़ता है, यह आश्वासन मिलता है कि इन नतीजों पर पहुंचने के पहले उन्हें भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। मैं उन सबको जिन्होंने यह तय किया है, बधाई देता हूं। यह हमने समझदारी का काम किया है कि हमने हिन्दुस्तान के लोगों के हर वर्ग को यह महसूस करा दिया है कि हम किसी पार्टी या जाति को अपना मत मानने के लिये मजबूर नहीं कराना चाहते और यह कि हम आपस में वाद-विवाद करके ही ऐसे निर्णय करेंगे, जिनका उद्देश्य हिन्दुस्तान को स्वतंत्र बनाना और अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना होगा। इस संशोधन का भी वही उद्देश्य है, जो कि उस निर्णय को करने वालों का है, जिसका हवाला मैंने दिया है। यह केवल उस सूझ के लिये तर्क रखता है, जिसका जिक्र सर राधाकृष्णन ने अपने ओजस्वी भाषण में किया और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता की यह विलक्षणता थी।

श्रीमान्, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कल हम लोगों से यह सवाल किया था कि यदि इस संशोधन में प्रकट किये हुए विचारों को यह सभा स्वीकार कर ले, तो क्या बहुत काल तक भी यह सभा कुछ काम कर पायेगी? मिसाल के तौर पर

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

मैं पूछता कि जब तक कि रियासतों के प्रतिनिधि संघ-विधान बनाने में हिस्सा न लें, तो क्या यह सभा कुछ कर सकेगी? मैं नहीं समझता कि इस आपत्ति में कुछ बल है। यदि इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो यह स्पष्ट है कि वह बहुत कुछ संघ की विधान-परिषद् द्वारा ही प्राप्त हो सकता है जो कि संघ के लिये विधान बनायेगी।

यह प्रस्ताव सेक्शन-कमेटियों को रास्ता दिखा सकता है। लेकिन उनकी बैठकें भी अप्रैल या मई से पहले मुश्किल से हो सकेंगी। जो भी सूरत हो, संघ की विधान-परिषद् ही वह मुख्य संस्था है, जिसका मार्ग प्रदर्शन इस प्रस्ताव के आदेशों से होगा और उसकी बैठक सेक्शन-कमेटियों का काम खत्म होने पर ही होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने से इस सभा के काम में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। चूंकि उसका मुख्य उद्देश्य संघ की विधान-परिषद् को विचार-विनिमय में रास्ता दिखाना है। इसलिये यदि थोड़े समय के लिये उस पर बहस न की जाये तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन वर्गों को जिनके हितों पर प्रभाव पड़ता है, अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल जायेगा। रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों ने इस असेम्बली द्वारा इस प्रस्ताव को तुरन्त ही स्वीकार किये जाने पर आपत्ति है। उनके विचार ठीक हों या गलत, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इसकी ओर ध्यान देना चाहिये कि यदि इस प्रस्ताव को तुरंत पास कर दिया जाये, तो हमारा यह फैसला सिर्फ एक तरफ का फैसला होगा। इस प्रस्ताव के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये इस सभा के पास बाद को काफी वक्त होगा। इस तरह का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस प्रस्ताव को स्थगित करने से उसका सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मेरा अपना यह विचार है कि कुछ देर करने से हमें इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये अधिक बल प्राप्त हो जायेगा।

श्रीमान्, एक और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे कल डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने हमारे सामने रखा था। उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या हमें यह स्थिति स्वीकार है कि जब तक मुस्लिम लीग इस असेम्बली के काम में हाथ बंटाने के लिये राजी न हो जाये, यहां कुछ भी काम न किया जायेगा? मैं समझता हूं कि जो संशोधन पेश किया गया है, उसका विरोध मुख्यत: उसी भावना से किया गया

है, जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने प्रकट किया है वह यह है कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने से इस सभा का काम रुक जायेगा। डॉ. मुकर्जी ने जोरदार शब्दों में डॉ. जयकर से पूछा कि यदि वे इस तरह के विचारों के हैं, तो उन्होंने इस समय विधान-परिषद् में भाग लेना स्वीकार ही क्यों किया? श्रीमान्, मेरा विचार है कि उन लोगों की राय मानना जो कि यह चाहते थे कि इस असेम्बली का उद्घाटन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाये, बड़ी नासमझी का काम होता। मेरी राय में वायसराय को इसके लिये मजबूर करके कि इस असेम्बली की बैठक पूर्वनिश्चित तिथि के अनुसार हो, हमने एक बड़ी मंजिल तय कर ली है। यदि असेम्बली का उद्घाटन न होता, तो उसका भविष्य अधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर रहता। लेकिन अब वह वायसराय या ब्रिटिश सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। यह अब इस सभा पर, श्रीमान्, आप पर निर्भर है कि इस सभा की बैठक कब हो और यहां का काम किस प्रकार समाप्त किया जाये। जहां तक श्रीमान्, इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि मुसलमानों की अनुपस्थिति में यह असेम्बली कुछ कर सकती है या नहीं, मैं इस विषय पर संक्षेप में बोलूंगा। कई एक वक्ताओं का यह मत है कि यदि इस प्रस्ताव पर जो बहस हो, उसमें हिस्सा लेने के बारे में हम मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का अधिकार मान लें, तो हम उनके हाथ में इस असेम्बली का काम रोकने के लिये पूरी ताकत दे देंगे। मेरी राय में इससे यह प्रकट होता है कि वर्तमान स्थिति गलत तरीके से समझी गई है। कामन्स सभा और लाड्र्स सभा में ब्रिटिश सरकार के वक्ताओं ने जो भाषण दिये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि प्रांतीय विधानों और समूहों को बनाने में जो तरीका काम में लाया जाये उसके सम्बन्ध में समझौता होना चाहिये। केवल 16 मई के बयान के पैराग्राफ 19 की जो व्याख्या की गई है वही विचारणीय है। मेरे विचार में यह मामला तुरंत ही फेडरल कोर्ट के सामने रखा जायेगा; इसलिये मैं आशा करता हूं कि विधान-परिषद् के आने के लिये मुस्लिम लीग के लिये तुरंत ही रास्ता खुल जायेगा। लेकिन यदि लीग इसी कारण से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से भी इस असेम्बली में नहीं आ रही है और यदि सेक्शन-कमेटियों में जो तरीका काम में लाया जायेगा उसके बारे में समझौता होने के बाद भी लीग के प्रतिनिधि यहां नहीं आते हैं, तो मेरी राय में उनको यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि इस असेम्बली की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाये।

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

मंत्रिमंडल ने 6 दिसम्बर को जो बयान दिया, उसके आखिरी पैराग्राफ से बहुत भ्रम पैदा हो गया हैं आजकल जैसी राजनैतिक स्थिति है उसमें वे लोग जिनके हित में यह है कि इस असेम्बली का काम ठीक ढंग से न चले, इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सब बातों को देखते हुए मेरी राय में जो भाषण कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा में दिये गये हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता है कि लेबर गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है। यदि मुसलमान किसी ऐसी शर्त पर अड़ते हैं कि जिसका जिक्र 16 मई के बयान में नहीं है, तो जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल न कहा है, हमें इस पर सहमत नहीं होना चाहिये। हमें यह स्थिति स्वीकार नहीं है कि किसी पार्टी की हठधर्मी से हमारा काम असफल हो। हम उसकी सभी उचित मांगों पर विचार करने के लिये तैयार हैं; लेकिन हम किसी भी सूरत में इस पर राजी नहीं हो सकते कि वह इस असेम्बली के भाग्य का निर्णय करे। यदि दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो हम ब्रिटिश सरकार को मि. एटली के इस वायदे की याद दिलाने के लिये तैयाार हैं कि अल्पसंख्यकों को देश की उन्नति रोकने का अधिकार नहीं होगा। भारत-मंत्री ने भी इस वादे को दुहराया है। इसलिये हमें इसका भय न होना चाहिये कि 16 मई के बयान के पैराग्राफ 19 की व्याख्या के सम्बन्ध में समझौता होने के बाद भी यदि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस असेम्बली में नहीं आते, तो उन्हें अपनी हठधर्मी से इस असेम्बली का काम रोकने दिया जायेगा। श्रीमान्, इन कारणों से जो संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं लेकिन मेरे समर्थन से यह न समझा जाये कि मैं 16 मई के बयान के उस वाक्यखंड से सहमत हूं जिसमें समूहबन्दी का उल्लेख है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों किसी प्रांत को किसी समूह में जाने के लिये मजबूर किया जाये। मेरी राय में विशेषत: आसाम को इसके लिये मजबूर करना कि वह बंगाल के साथ मिलकर एक ही सरकार बनाये, चाहे वह किसी भी काम के लिये हो, किसी प्रकार भी ठीक नहीं कहा जा सकता। नोआखाली में जो कुछ हुआ और उसके फलस्वरूप बिहार में हाल में जो शोचनीय घटनाएं घटित हुईं, उनको देखते हुये आसाम के लोगों को और भी अधिक भय हो गया है और यह स्वाभाविक ही है। लेकिन समूहबन्दी, जैसा कि मंत्रिमंडल उस दिन से ही कहता रहा जबकि उन्होंने अपना बयान निकाला, उनकी योजना का आवश्यक अंग है। वे कहते हैं कि इस बारे में समझौता हुए बिना इस असेम्बली को वह नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो अन्यथा इस प्रकार की सभा को होता, हमारी दृष्टि में यह संतोषजनक स्थिति नहीं है, लेकिन बाद को जब सेक्शन-कमेटियों

की रिपोर्ट हमारे सामने आ जायेंगी, तो हम उन प्रांतों के विषय में विचार कर सकेंगे, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी समूह के मेम्बर होने के लिये मजबूर किये जायें। श्रीमान्, मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार का इस बात पर अड़ना कि ऐसे प्रांत भी समूहों में जाने के लिये मजबूर किये जायें, जो उनमें नहीं जाना चाहते हैं, बिलकुल अनुचित है। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सेक्शन-कमेटियां और बाद में संघ की विधान-परिषद् जिस रूप में विधान को हमारे सामने रखेगी, उस पर विचार करने के लिये हमारे पास काफी समय होगा।

इस समय श्रीमान्, हमें सिर्फ इस प्रश्न पर विचार करना है कि आया इस प्रस्ताव पर तुरन्त ही बहस शुरू कर दी जाये, या उसे स्थगित करने से कोई हानि तो नहीं होगी। मैंने यह बताया है कि यदि हम इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न की बहस में सम्मिलित होने के लिये मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये रुक जायें, तो उससे कुछ भी हानि नहीं होगी। यदि हम इस प्रस्ताव को पास भी कर दें, तो बाद में इन प्रतिनिधियों के यह कहने पर कि इस प्रस्ताव के पास करने से जिन बुनियादी प्रश्नों का असेम्बली ने समर्थन कर दिया है, उन पर फिर विचार होना चाहिए। क्या हममें उनसे यह कहने के लिये नैतिक बल होगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते? श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिये हमारा हृदय समर्थ न होगा।

श्रीमान्, मैं एक ही शब्द और कहूंगा। हिन्दुस्तान में और इंग्लैंड में दोनों जगह हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। अब भी लार्ड लिनलिथगो जैसे लोग मौजूद हैं, जिनका विचार है कि ब्रिटिश अधिकार का हिन्दुस्तान में फिर प्रयोग किया जा सकता है। उनको एक भ्रम हो गया है, जो बहुत खतरनाक है। यदि इंग्लैंड का पथ-प्रदर्शन ऐसे लोग करें, तो वहां ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी जैसी कि पिछले 25 वर्षों में कभी भी पैदा नहीं हुई थी। कुछ समय तक वह भले ही हिन्दुस्तान को बलपूर्वक दबाये रहें, लेकिन वह यहां एक दिन के लिये भी शासन नहीं कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि लेबर गवर्नमेंट इसको समझती है और वह इसके लिये तैयार नहीं है कि वह मि. चर्चिल और लार्ड लिनलिथगो ऐसे लोगों की और लार्ड साइमन ऐसे लोगों की भी सलाह माने, जो वास्तव में कंजर्वेटिव हैं लेकिन उन्होंने लिबरलों का वेश रख लिया है। फिर भी श्रीमान्,

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

हमारे सामने जो आंतरिक और बाह्य कठिनाइयां हैं और जिनको हमें दूर करना है, उन्हें देखते हुए हमें समझ-बूझकर इस तरह काम करना चाहिये कि इस सभा का नैतिक मान बढ़े। इस देश में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड में भी हमारे बहुत से मित्र हैं। हमें इस तरह काम शुरू करना चाहिये जिससे उनका बल बढ़े। हमें यह सोचना नहीं चाहिये कि 16 मई के बयान की शर्तों के आधीन हमें क्या करने का अधिकार है। हमें यह सोचना चाहिये कि इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिये जो हमारे हित में हों। हम यह सोच सकते हैं कि हमें पं. जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पास करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि अपने अधिकारों को प्रयोग में लाने से असंतोष और अशांति ही बढ़े, जिसका अंत करना हमारा उद्देश्य है, तो उनको प्रयोग में लाने से क्या फायदा? इसलिये श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि हम इस तरह काम करेंगे कि हिन्दुस्तान, सभी वर्गों के लोगों की सम्मति से और यदि दुर्भाग्य से यह सम्भव न हो, तो उन सब लोगों की सम्मति से जो यह स्वीकार करते हैं कि इस देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अधिकार है, तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, जिसको हमने अपने सामने रखा है—यानी स्वतंत्रता और एकता की ओर। *(हर्षध्वनि)*

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आगे बढ़ा हूं और कहूंगा कि मैं इसलिए आगे बढ़ा हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत से इसका अनुरोध करूं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद इन्हीं बैठकों में खत्म हो जाना चाहिए। *(हर्षध्वनि)* श्रीमान्, मैं डॉ. जयकर और पं. कुंजरू का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने इस संशोधन पर कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित न हो जायें, इस बहस को स्थगित कर देना चाहिये। जो कुछ कहा है, उस पर मैंने बड़ी सावधानी से विचार किया है। इस बहस के स्थगित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मेरी एक ही शिकायत है। श्रीमान्, मेरी राय में इसमें कल्पना का अभाव है। मैं यह अपने मित्रों का अनादर करने के लिये नहीं कह रहा हूं। इसमें कल्पना का अभाव है यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसमें इसकी उपेक्षा है कि हमने इस समय एक महान कार्य का बीड़ा उठाया है और यह आवश्यक है कि हम अपने देश को और संसार को यह समझा दें कि हम वास्तव में कुछ काम कर दिखाना चाहते हैं।

अब श्रीमान्, मुख्य प्रस्ताव को देखिये, यह उन उद्देश्यों की ओर संकेत करता है, जिनको विधान बनाते समय हमें अपने सामने रखना है। क्या इस तरह का प्रस्ताव तब तक स्थगित कर दिया जाये जब तक कि हम असेम्बली का काम लगभग पूरा ही न कर लें? मेरे विचार में श्रीमान्, बहस स्थगित करने के प्रस्ताव का यही पूरा-पूरा जवाब है। इस संशोधन के प्रस्तावक व समर्थकों ने मुख्य प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने के लिये कारण बतायें हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रस्ताव में कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिससे वे सहमत नहीं हैं। श्रीमान्, मैं उनसे अपील करता हूं कि यदि उनका इस प्रस्ताव पर विश्वास है, तो उनको इसे इस सभा का असली काम शुरू होने के पहले इन्हीं बैठकों में पास कर देना चाहिये और उसे उस समय के लिये स्थगित न करना चाहिये जब कि हम सब कुछ काम खत्म कर चुकेंगे। मैं जानता हूं कि डॉ. जयकर ने अपने भाषण के अंत में यह सुझाव पेश किया कि इस प्रस्ताव पर बहस लगभग एक महीने के लिये स्थगित कर दी जाये, क्योंकि उनका विचार है कि उस समय तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हमारे साथ सम्मिलित हो जायेंगे। लेकिन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के बारे में हमें क्या कहना है? ऐसी रियासतों के प्रतिनिधि शुरू में इस असेम्बली में नहीं आये हैं। यद्यपि इसका दोष इस असेम्बली पर नहीं है और मैं समझता हूं कि उन्हें यहां आने का हक है। लेकिन यहां का कार्यक्रम इस तरह रखा गया है कि वे विधान-परिषद् की आखिरी बैठकों में ही आ सकते हैं। क्या हम उनके लिये रुके रहें? वास्तव में इस सभा के बाहर इस प्रस्ताव पर जिन लोगों ने सबसे अधिक आपत्ति की है, वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि ही हैं।

अब जहां तक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, क्या इस प्रस्ताव पर विचार करके हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं? हम इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उस पर उनको सिर्फ यह एतराज है कि समूहबन्दी के वाक्यखंड की उन्होंने दूसरी व्याख्या की है। लेकिन हम इस समय समूहबन्दी पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो यह बतलाता है कि हमारे कार्य का उद्देश्य क्या है? इस विषय के बारे में उनको यह हक है कि वे इस बहस में शरीक हों। यहां आने में और अपनी जगहों में बैठने में और अपना महत्त्वपूर्ण काम करने के पहले शुरू की बातों पर हमारे साथ बहस करने में उनको क्या आपत्ति है? जब यह असेम्बली अपनी पहली बैठक खत्म करके सेक्शनों में विभाजित होने का प्रस्ताव करेगी उसी समय वे अपनी मुख्य आपत्ति

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

इस सभा के सामने रख सकते हैं और श्रीमान्, जैसा कि मैं एक क्षण में बताऊँगा, वे उस समय चाहे जो सवाल भी उठाना चाहें उन्हें उठा सकते हैं। *(वाह-वाह)*

अब श्रीमान्, इस महीने की 6 तारीख को श्रीमान् सम्राट की सरकार ने जो बयान दिया है, उससे समूहबन्दी का प्रश्न एक नये स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन मैं उनके बयान के औचित्य पर विचार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जब वाद-विवाद इस हद तक पहुंच गया है, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्रीमान्, सम्रट की सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारियों ने इस तरह का बयान दिया है। वह बयान चाहे जैसा भी हो, मैं उसके औचित्य पर विचार नहीं करना चाहता। अब हमें यह देखना है कि उस बयान से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने कहा है कि मंत्रिमंडल की योजना की उनकी व्याख्या और मुस्लिम लीग की व्याख्या में अंतर नहीं है। लेकिन उनका कहना है—''चूंकि आप इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि यह मामला फेडरल कोर्ट के सामने रखा जाये या चूंकि आप कहते हैं कि विधान-परिषद् उसे फेडरल कोर्ट के सामने रखेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं''। इसके अलावा लार्ड पेथिक लारेंस ने कल जो बयान दिया, उसमें उन्होंने इस विषय को सीमित कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ''यदि फेडरल कोर्ट से भी अपील करें तो भी श्रीमान्, सम्राट की सरकार अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हटेगी''। अब श्रीमान्, स्थिति क्या है? अगर हम फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले का रखते हैं और वह अपना फैसला कांग्रेस के पक्ष में देती है, तो मुस्लिम लीग ने निश्चित रूप से यह कह दिया है कि वह उसे मान्य नहीं होगा। श्रीमान्, सम्राट की सरकार कहती है कि इस सम्बन्ध में उनकी जो धारणा है उसे वे बिल्कुल भी बदलने के लिए तैयार नहीं हैं निःसंदेह मेरी राय में, श्रीमान् सम्राट की सरकार के अधिकार में यह नहीं है कि वह फेडरल कोर्ट के निर्णय को माने या न माने। यह बात उनके हाथ में बिलकुल भी नहीं है। विधान-परिषद् यदि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने रखे, तो ऐसा करने के पहले यह उसी के अधिकार में है कि वह कहे कि फेडरल कोर्ट का निर्णय उसको मान्य होगा। तब क्या होगा? यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि फेडरल कोर्ट की राय वही होती है जो कि श्रीमान्, सम्राट की सरकार का मत है, तो उन लोगों की स्थिति क्या होगी जिनका उससे भिन्न मत है? उन्होंने अलग-अलग प्रांतों को और जातियों को जो वचन दिये हैं, उनको देखते हुए वे सिर्फ यही कर सकते हैं कि इस असेम्बली से कहें कि पैराग्राफ 19

को इस प्रकार संशोधित किया जाये कि उसमें उनका मत अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाये। जैसा लाड्‌र्स-सभा में भारतमंत्री ने कहा है कि सबसे अधिक कठिनाई यह तय करने में पड़ेगी कि सेक्शनों में किस तरह वोट ली जाये। यदि पैराग्राफ 19 (5) को उसी तरह रहने दिया जाये, तो इस पर अवश्य विवाद हो सकता है कि उस वाक्य-खंड के शब्दों में संशोधन न होने पर व्यक्तिगत रूप से वोट ली जाये और किसी प्रश्न का निर्णय सीधे-सीधे बहुमत से हो। यह नि:संदेह एक विवादग्रस्त विषय है। यदि हम चाहें कि प्रांतों के आधार पर वोट ली जाये, तो यह आवश्यक है कि हम उस वाक्यखंड में संशोधन करें और मेरे विचार में यह असेम्बली इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करके इस प्रकार का संशोधन कर सकती है। क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं? मेरी राय में श्रीमान्, सम्राट की सरकार ने 6 दिसम्बर के बयान में जो कुछ कहा है और पार्लियामेंट की सभाओं में उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है, और जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे देखते हुए समझदारी की बात यही है कि इस मामले को फेडरल कोर्ट के सामने न रखा जाये, बल्कि एक दूसरी राह ली जाये, जिसकी ओर मैंने इशारा किया है; यानी इस विधान-परिषद् में वाक्यखंड 19(5) में संशोधन करने के लिये इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया जाये कि सेक्शनों में जहां तक समूहबन्दी का सम्बन्ध है, वोट प्रांतों के आधार पर ली जाये।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** कृपा करके ऐसे प्रार्थना के प्रस्ताव हमारे सामने न रखिये।

***माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर:** जिस प्रस्ताव के बारे में मैंने राय दी है, वह इस असेम्बली में पेश किया जायेगा और हम उस पर निर्णय करेंगे। यह सम्भव है और इस पर मेरे विचार में विवाद हो सकता है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि यहां आयें और यह कहें कि इस संशोधन से एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न उठ खड़ा होता है। श्रीमान्, यदि आप यह निर्णय करें कि वह एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न है, या फेडरल कोर्ट की राय लेने के बाद आप यह तय करें कि इससे एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक प्रश्न पैदा हो जाता है, तो मुस्लिम लीग को यह कहने की स्वतंत्रता होगी कि दो मुख्य जातियों के बहुमत के बिना आप यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि हम ऐसा क्यों नहीं करें? हम इस असेम्बली की एक स्थगित बैठक में यानी जनवरी तक इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और इस असेम्बली के सभी मेम्बरों को—उनको

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

भी जिन्होंने अपने परिचय-पत्र नहीं दिये हैं और रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये हैं—यानी मुस्लिम लीग के मेम्बरों को उचित रूप से सूचित करेंगे कि हम इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करेंगे और उस पर विचार करेंगे। इससे उनको इसके लिये पर्याप्त संकेत मिल जायेगा कि वे इस असेम्बली में अपनी जगहों पर आयें और यदि वे दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अनुचित समझें तो उसका विरोध करके उसको रद्द कर दें। मेरा यह सुझाव है और यह उन लोगों के लिये है जिन्होंने इस सम्बन्ध में निर्णय करना है। फेडरल कोर्ट के सामने इस मामले को ले जाना बिलकुल बेकार है और जहां तक मैं समझता हूं इससे हमारी कोई भी कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

अब जहां तक इस प्रस्ताव पर बहस स्थगित करने का सम्बन्ध है, मैं उस कानूनी पहलू से इस पर विचार नहीं करना चाहता, जिसका जिक्र मेरे माननीय मित्र डॉ. जयकर ने अपने भाषण में किया है। मैं उन दूसरी आलोचनाओं पर अपना मत प्रकट करूंगा, जो इस सभा में की गई हैं इसके पहले मैं राय देना चाहता हूं कि 16 मई के बयान की व्याख्या पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम किसी प्रांतीय कानून के आधीन या प्रांतीय धारा-सभाओं के मेम्बरों की हैसियत से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं; या पार्लियामेंट के किसी कानून के आधीन केन्द्रीय धारा सभा के मेम्बरों की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। हम एक विधान-परिषद् में काम कर रहे हैं और यदि उस पत्र में जिसके आधीन हम यहां एकत्रित हुए हैं, कुछ बातें नहीं कही गई हैं, तो उनके सम्बन्ध में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमने जिस कार्य का बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने के लिये हमें पूरे अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। *(वाह वाह)* इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बयान के विशेष वाक्य-खंडों को आंख गड़ाकर नहीं देखना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये—"इस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और उस वाक्यखंड में यह नहीं कहा गया है और इसलिए जो बातें इन वाक्यखंडों में नहीं कही गई हैं, उन्हें हम नहीं कर सकते।" मेरे विचार में जो कुछ भी नहीं कहा गया है और हमारा काम पूरा करने के लिये जरूरी है, उसे तय करना हमारे अधिकार में है।

इस प्रस्ताव पर विचार करने के विरोध में जो दूसरी कानूनी बातें उठाई गई

हैं, उनको मैं उन लोगों के लिये छोड़ देता हूं, जिनको इस विषय में अधिक अधिकार है। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा समय रह गया है, उसमें मैं उन आपत्तियों पर बोलना चाहता हूं, जो रियासतों के बारे में की गई हैं। नरेन्द्र मंडल की तरफ से सिर्फ तीन मुख्य आपत्तियां लोगों के सामने रखी गई हैं। पहली यह है कि चूंकि रियासतों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में प्रस्ताव पर विचार होगा और वह पास किया जायेगा, इसलिये वह आपत्तिजनक है। श्रीमान्, इस पर मैं अपना मत प्रकट कर चुका हूं। दूसरी आपत्ति यह है कि ''स्वतंत्र सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न रिपब्लिक'' शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं इस विषय में बोल कर आपका समय नहीं लेना चाहता। क्योंकि इस पर दूसरे वक्ता बोल चुके हैं। वाक्यखंड (4) के विरुद्ध जो तीसरी आपत्ति की गई है, उस पर मैं कुछ अधिक विस्तार से बोलना चाहता हूं। इस वाक्यखंड में कहा गया है:

> ''जिसमें सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत, उसके भूभागों और सरकारी साधनों को सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होंगे।''

एक प्रतिष्ठित भारतीय ने, जिन्हें मेरे विचार में देशी रियासतों के नरेशों, कम से कम कुछ रियासतों के नरेशों की तरफ से बोलने का अधिकार है, अपने एक बयान में इस पर आपत्ति की है। वे कहते हैं:

> ''इस प्रकार का सिद्धांत मान्य हो या न हो, लेकिन भारतीय भारत में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह मान्य है। विशेषत: जब हम इसका स्मरण करते हैं कि इंग्लैंड में भी, जहां तक कानून के सिद्धांत का सम्बन्ध है, वहां भी यह सिद्धांत निश्चित रूप से प्रयोग में नहीं आता।''

कानून के सिद्धांत की दृष्टि से मैं इस सिद्धांत को कसौटी पर नहीं रखना चाहता। मैं केवल उसके वैधानिक पहलुओं पर विचार करूंगा। इंग्लैंड में यह निश्चय ही अविवाद है कि यद्यपि परम्परा से जो सम्राट होता है, वही सारे राज्य का अध्यक्ष होता है और कानून की दृष्टि से सारी शक्ति उसी से प्राप्त होती है, मगर वास्तविक शक्ति और अधिकार लोगों से ही प्राप्त होते हैं।

अब देशी रियासतों में क्या स्थिति हैं? मैं केवल दो ऐसे दस्तावेजों से उद्धरण, दूंगा, जिनको दो प्रमुख रियासतों में स्थापित की हुई कमेटियों ने प्रामाणिक बताया

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

है। पहला एक ऐसे दस्तावेज से है जो लगभग 25 वर्ष पहले मैसूर में प्रकाशित किया गया था। वहां की सुधार की रिपोर्ट में यह कहा गया है:

"ऐसे विधान में किसी राज्य के अध्यक्ष को, चाहे वह परम्परा से राजपद पर आरूढ़ हुआ हो या लोगों द्वारा सभापति निर्वाचित किया गया हो, लोगों की सार्वभौम-सत्ता का प्रतिनिधित्व करने के नाते दो अधिकार प्राप्त हैं; यानी कानून के क्षेत्र में उसे समर्थन करने का अधिकार है, जिसमें कानून को रोक लेने का अधिकार भी शामिल है और शासन-प्रबन्ध के क्षेत्र में सरकार के संचालकों यानी मंत्रिमंडल को पदारूढ़ करने या पदच्युत करने का अधिकार है। ये दोनों अधिकार किसी उत्तरदायी सरकार के आधीन सीमित राजतंत्र के वैधानिक अध्यक्ष के अधिकारों की तुलना में अधिक ही नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं।"

अब मैं हैदराबाद की एक सुधार कमेटी की रिपोर्ट से उद्धरण देता हूं:

"इंग्लैंड का विधान वहां के दीर्घकालीन इतिहास की देन है और वहां के राजा और पार्लियामेंट के बीच कई शताब्दियों तक घोर संघर्ष चलने पर उसका निर्माण हुआ है। वहां दो दलों की प्रणाली, जिसको वहां के लोगों की समझौते की भावना और उनकी सार्वभौम-सत्ता की भावना ने बनाये रखा है, घर कर गई है। लेकिन देशी रियासतों की विलक्षणता यह है कि राज्य का अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से लोगों का प्रत्यक्षतया प्रतिनिधित्व करता है और इसलिये उनसे उसका सम्बन्ध चुने हुए अस्थायी प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक, प्राकृतिक और स्थायी होता है। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ही नहीं होता, बल्कि लोगों की सार्वभौम-सत्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये ऐसे विधान में राज्य के अध्यक्ष को किसी कानून का समर्थन करने या उसे रोक लेने का ही अधिकार प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे अपनी प्रबंधकारिणी को बनाने या उसे खत्म करने या लोगों की

आवश्यकता के अनुसार सरकार के संचालन में रद्दोबदल करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त होता है।''

देशी रियासतों में सार्वभौम-सत्ता कहां स्थित है? इस सम्बन्ध में ये दो विचार-धाराएं एक समान हैं परम्परा से जो राजा होता है, उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसे लोगों की सार्वभौम-सत्ता प्राप्त है। व्यवहार में यह देखा गया है कि वह कई सूरतों में सार्वभौम-सत्ता के अधिकारों को प्रयोग में लाने में लोगों के हितों की उपेक्षा करता है।

मंत्रिमंडल ने कहा था कि जब विधान-परिषद् अपना काम समाप्त कर लेगी और हिन्दुस्तान के लिये एक विधान बन जायेगा तो श्रीमान्, सम्राट की सरकार पार्लियामेंट से यह सिफारिश करेगी कि हिन्दुस्तान के लोगों को सर्वोच्च अधिकार सौंपने के लिये जो कार्यवाही भी जरूरी हो, की जाये। वर्तमान दशा में भी ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों का एक ही केन्द्र है, जिसको ऐसे विषय दिये गये हैं, जो चाहे एक सत्ता हो या संघसत्ता, केन्द्र के ही विषय होंगे। मोटे तौर पर भारत की सार्वभौम-सत्ता-सम्बन्धी अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट सन् 1935 ई. के आदेशों के आधीन श्रीमान् सम्राट को प्राप्त हैं। ये अधिकार ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं, यद्यपि इनकी सीमा और इनको प्रयोग में लाने का तरीका दोनों जगह भिन्न-भिन्न है। इसलिये इस देश में ब्रिटेन को जो सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं, उनको सौंपने का सम्बन्ध सारे भारत से है। इसलिये जब मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान के लोगों को अधिकार सौंपने की बात कही, तो उनके ध्यान में देशी रियासतों के लोग भी होंगे। *(वाह वाह)* इसलिये मंत्रिमंडल के इस वक्तव्य से कि अंग्रेजी सत्ता के हटने पर रियासतें स्वतंत्र हो जायेंगी। यह समझना चाहिए कि देशी रियासतों में श्रीमान् सम्राट को जो सार्वभौम अधिकार प्राप्त हैं, वे उन रियासतों के लोगों को सौंप दिये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि रियासतों की संधियों और सर्वोच्च अधिकारों के मेमोरेंडम, 20 मई सन् 1946 ई. के पैराग्राफ 5 में, जिसमें सर्वोच्च अधिकारों को खत्म करने का उल्लेख है, सब जगह सिर्फ देशी रियासतों के बारे में कहा गया है और केवल शासकों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन रियासतों के शासकों का इस समय तक यही दावा रहा है कि रियासतों में उनके सार्वभौम

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

अधिकार है, सिवाय इसके कि वे ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता द्वारा सीमित कर दिये गये हैं। राजनैतिक दृष्टि से उनको ये सीमाएं स्वीकार ही करनी पड़ीं। ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता का अर्थ है, एक-सत्ता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि कुछ मामलों में ब्रिटिश सम्राट के सर्वोच्च और अंतिम अधिकार होंगे। यह दावा करते समय रियासतों के शासकों ने बराबर इसकी उपेक्षा की है कि वहां के लोगों के भी सर्वोच्च अधिकार हैं। जिस परिधि में उन्होंने अपने सर्वोच्च अधिकार माने हैं, उसमें उनका दावा है कि उनके कानून बनाने व विधान बनाने के भी अधिकार हैं और यदि कुछ रियासतों के लोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा कुछ वैधानिक अधिकारों को प्रयोग में लाते हैं, तो वे उनको उनके शासकों ने उपहार के रूप में दिये हैं।

अब रियासतों के शासकों और वहां के लोगों के बीच के ये सम्बन्ध उस विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं, जो एक ऐसी विधान-परिषद् के विधान-निर्माण में निहित है जो कि लोगों के प्रतिनिधियों की सभा है और वह भी चूंकि यह समझा गया है कि लोगों को ही विधान बनाने का अधिकार है। जब श्रीमान् सम्राट भारतीयों को अधिकार सौंपेंगे, तो रियासतों के लोग तथाकथित ब्रिटिश भारत के लोगों के साथ उन अधिकारों को प्रयोग में ला सकेंगे, जो अखिल भारतीय संघ-सरकार के कर्त्तव्यों के बारे में होंगे। प्रांतों के जो कर्त्तव्य होंगे, उनके सम्बन्ध में सर्वोच्च अधिकार प्रांतों के प्रतिनिधियों के और समूहों में यदि कोई लोग हों तो उन लोगों के होंगे जिनको कि प्रांतों ने अपने कर्त्तव्य सौंपे हो; यह काफी स्पष्ट है।

जिस प्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है, उसके अनुसार केन्द्र को जो अधिकार नहीं सौंपे गये हैं, उनके सम्बन्ध में देशी रियासतों का वही स्थान होगा, जो प्रांतीय अधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतों का होगा; यानी वह इस पर जोर देता है कि सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र भारत के भूभाग होने के नाते देशी रियासतों को सारी शक्ति और अधिकार अपने यहां के लोगों से प्राप्त हैं। जैसे कि प्रांतों में यह शक्ति और अधिकार प्रांतों के लोगों से प्राप्त हैं यदि देशी रियासतों में संघ के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के लोगों को दिये जायें और रियासतों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अधिकार वहां के शासकों को दिये जायें तो यह बहुत

ही अनियमित कार्यवाही होगी। विधान-परिषद् जब हिन्दुस्तान के लिये एक संघ-विधान बनायेगी, तो यह आवश्यक होगा कि जिन रियासतों के लिखित विधान हैं, उन्हें दुहराया जाये और यही प्रान्तों के विधानों के सम्बन्ध में करना होगा और जिन रियासतों के लिखित विधान नहीं हैं, उनके लिए नये विधान बनाने होंगे। यह सम्भव है कि इस काम को इस समय स्थगित कर दिया जाये और संघ-विधान में इसके लिये आदेश रख दिये जायें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी।

यदि विधान-परिषद् के रियासतों के प्रतिनिधि इससे सहमत हों, तो संघ-विधान में इसका आश्वासन दिया जा सकता है कि रियासतों की प्रादेशिक सीमायें वही रहेंगी, जो इस समय हैं; मगर शर्त यह है कि बाद को नियत तरीके से और रियासतों और दूसरे सम्बन्धित क्षेत्रों की सम्मति से उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन न किया जाये। किसी रियासत के विधान में, जिसे कि वहां के लोग अपने शासक से मिलकर बनायेंगे, रियासत के अध्यक्ष के सम्बन्ध में यह आदेश रखा जा सकता है कि वह उसी वंश का होगा, जिसे इस समय रियासत में राज्याधिकार है, और उसे परम्परागत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और संघ-विधान में यह आदेश रखा जा सकता है कि यदि किसी रियासत के विधान में इस तरह का आदेश हो, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। यद्यपि यह शर्त रखना जरूरी होगा कि किसी रियासत के लिखित विधान के दुहराने में या उसके लिए एक नया विधान बनाने में उसका उत्तराधिकार प्राप्त अध्यक्ष वैधानिक नरेश होगा, या निकट भविष्य में हो जायेगा, और वह एक ऐसी प्रबन्धकारिणी की अध्यक्षता करेगा, जो कि धारासभा के प्रति उत्तरदायी होगी और उस धारासभा के मेम्बर प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चुने जायेंगे।

अब श्रीमान्, प्रस्ताव के वाक्यखंड 4 के आदेशों पर जोर देने के लिये मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा। कुछ रियासतों के लिखित विधानों में लगभग सभी में यह व्यवस्था है कि रियासत के सभी भूभागों की सरकार के अधिकार शासक के अधिकार हैं और वही उनका उन आदेशों के आधीन प्रयोग कर सकता है, जो शासक की आज्ञा से ही विधान में रखे गये हैं। शासकों के असीम सार्वभौम अधिकारों पर जोर डालने के लिये इन विधानों में यह आदेश भी है कि बिना विधान एक्ट या किसी दूसरे एक्ट के आशय के विपरीत जाते हुए कानून, प्रबन्ध

[माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

और न्याय सम्बन्धी सब अधिकार शासक के हैं और हमेशा से रहे हैं और इस एक्ट के किसी आदेश से शासक के अपनी सत्ता से कानून बनाने, घोषणा करने, आज्ञा देने और नियम बनाने के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ऐसा समझा जायेगा। रियासतों के विधानों में इस तरह के आदेश सर्वसत्ता सम्पन्न एकतंत्र के भग्नावशेष हैं और यह आवश्यक है कि उनको निकाल दिया जाये, और उनकी जगह इस आशय का आदेश रखा जाये कि सरकार के सब अधिकारों के सम्बन्ध में, चाहे वे कानून और प्रबन्ध के बारे में हों या न्याय के बारे में, यह समझा जायेगा कि वे लोगों से प्राप्त हैं और यह कि वे रियासत के ऐसे संचालकों द्वारा, जिनमें परम्परागत शासक भी सम्मिलित हैं, प्रयोग में लाए जायेंगे, जिनका लिखित विधान में उल्लेख होगा और वे उसी सीमा तक प्रयोग में लाए जायेंगे, जहां तक कि उस विधान में इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि मैं अपना समय खत्म कर चुका हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता; लेकिन मुझे आशा है कि मैं यह दिखा सका हूं कि इस प्रस्ताव के वाक्यखंड 4 में रियासतों को शामिल करना कितना आवश्यक है। यह सच है कि जब तक इस असेम्बली में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि न आयें, वे वास्तव में यहां के काम में हाथ नहीं बंटा सकते और अपनी रियासतों के लिए व भारतीय संघ के लिए भी विधान बनाने में मदद नहीं दे सकते।

***सभापतिः** सवा बज चुका है। यह सभा अब कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित रहेगी।

इसके बाद असेम्बली की बैठक बृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर, सन् 1946 ई. के ग्यारह बजे सुबह तक के लिए स्थगित हुई।

अंक 1
संख्या 9

बृहस्पतिवार
19 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. कार्यक्रम 1

2. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 5

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, ता. 19 दिसम्बर सन् 1946 ई.

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के 11 बजे भारतीय विधान-परिषद् की बैठक हुई।

कार्यक्रम

***सभापति:** कल मैंने सदस्यों से यह कहा था कि आज प्रात:काल परिषद् के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कुछ निश्चय दे सकूंगा। मैं इस विषय पर विचार करता रहा हूं और कुछ सदस्य मुझसे इस सम्बन्ध में मिले भी हैं। जिस कार्य को हमें करना है वह यह है। हमारे सामने यह प्रस्ताव है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। हमें नियम भी स्वीकृत करने हैं। विवादास्पद विषयों की व्याख्या के लिये फेडरल कोर्ट का एक और प्रश्न है, जिस पर परिषद् को अपना मत प्रगट करना है। अन्त में हमें कुछ समितियों का चुनाव करना है, जो नियम के अंतर्गत होंगी। इस प्रकार ये चार बातें हैं, जिनको इस अधिवेशन में घर जाने से पहले हमें पूरा करना है।

नियमों पर लगभग विचार किया जा चुका है और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मैं नियम-कमेटी के सामने उन नियमों को कल प्रात:काल रखने का प्रस्ताव करता हूं और यदि नियम-कमेटी से स्वीकृत होते हैं, तो वे परसों अर्थात् शनिवार को इस परिषद् में उपस्थित किये जायेंगे। यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो फेडरल कोर्ट से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के विषय को हम शनिवार को ले सकते हैं और इसके पश्चात् नियमों को। मेरा विचार है कि यह कार्य लगभग दो दिन लेगा, जो नियमों से आमंत्रित संशोधनों की संख्या पर निर्भर है। इसके पश्चात् हम एक दिन कमेटियां नियुक्त करने के लिये दें। इस प्रकार यदि हम शनिवार, रविवार और सोमवार को कार्य करें और यदि सदस्यों में आत्मनियंत्रण की भावना हो और यथासम्भव कम बोलें और कम समय लें तो सम्भव है कि हम इस कार्य को समाप्त कर सकें। यदि हम सोमवार तक समाप्त न कर सके तो हमें बड़े दिन के पश्चात् कार्य करना होगा अर्थात् इस माह की 25 तारीख के पश्चात् कुछ दिन लेने होंगे। 24, 25 और 26 तारीखों की सार्वजनिक छुट्टियां हैं और हम इन तीन दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार हम फिर 27 और 28 को तर्क कर सकते हैं 29 तारीख का रविवार है और 30 तारीख को गुरु गोविन्द सिंहजी के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में सिखों की छुट्टी है। अत: यदि

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[सभापति]

रविवार को बैठने और शनिवार और सोमवार को अधिक परिश्रम करने को सदस्य तत्पर नहीं हैं, तो बड़े दिन के पूर्व इस कार्य को समाप्त करने की सम्भावना नहीं है। और मैं दूसरे माह के लिए जो कि दूसरे वर्ष में है, इस कार्य को ले जाना नहीं चाहता। मैं इसी माह में इस कार्य को समाप्त करना चाहता हूं। मैं इसलिये यह सुझाव रखता हूं कि हम इस कार्यक्रम का पालन करें। हम नियमों पर शनिवार को दोपहर बाद तर्क आरम्भ करें और यदि ईसाई सदस्यों को कोई आपत्ति न हो तो हम रविवार को भी बैठें, तब हम सोमवार को समस्त कार्य समाप्त कर सकेंगे। यदि आप 25 तारीख के पश्चात् नहीं बैठना चाहते हैं, तो किसी सीमा तक यह कार्य शीघ्रता से करना होगा; अन्यथा हमें 25 तारीख के पश्चात् तब तक बैठना होगा, जब तक कि कार्य समाप्त न हो। इस विषय में यह कठिनाई है जिसको मैंने सदस्यों के सामने उपस्थित किया है और मैं यह जानना चाहूंगा कि वे किसे पसन्द करते हैं। मैं स्वयं यदि सम्भव हो सके, तो सोमवार तक इस कार्य को समाप्त करना चाहूंगा।

***अनेक माननीय सदस्यः** यही उत्तम है।

***सभापतिः** हम यह आशा करें कि सोमवार को हम कार्य समाप्त कर देंगे। सबसे पहले बड़े दिनों के सप्ताह में कार्य करना ईसाइयों के लिये कठिन होगा। मैं आशा करता हूं कि हम शनिवार, रविवार और सोमवार को बैठ सकेंगे और कार्य समाप्त कर सकेंगे, अन्यथा हमें बड़े दिन के सप्ताह में कार्य करना होगा।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): यह बिलकुल असम्भव है। मैं स्वयं जब तक सदस्य बैठें, बैठने को तैयार हूं, परन्तु 26 तारीख के बाद नहीं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (यू.पी. : जनरल): मैं आप लोगों की सूचना के लिये, जिसमें कि परिषद् का हित है, यह बतलाना चाहता हूं कि युनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली की कमेटियां और जनरल असेम्बली दोनों कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये रविवार को भी बैठीं।

***सभापतिः** आज हम केवल एक बजे तक बैठेंगे, जिससे कि नियम-कमेटी को कार्य करने का पूर्ण अवसर मिले और कल हम बिलकुल ही नहीं बैठेंगे। फिर हम शनिवार को प्रातःकाल बैठेंगे। मैं आशा करता हूं कि शुक्रवार के सायंकाल तक सदस्यों को नियम पहुंचाने में मैं समर्थ हो सकूंगा, अन्यथा शनिवार को प्रातःकाल तो वे अवश्य ही मिल जायेंगे और प्रातःकाल के अधिवेशन में हम फेडरल कोर्ट के प्रश्न को ले लेंगे और दोपहर बाद आप नियमों पर तर्क कर सकते हैं। यह कार्यक्रम अब निश्चित हुआ।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी:** मुझे भय है कि ईसाई सदस्यों को इस विषय में बहुत दु:ख होगा। हम समस्त रविवार को कार्य करने के लिये तत्पर हैं और हम सोमवार को तो कार्य करेंगे ही। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि हम लोग 27 और 28 को बड़े दिन और नए साल के बीच के दिनों में न बैठें। ईसाई सदस्यों को इस समय उपस्थित होना नितान्त असम्भव है। वर्ष में केवल यही समय है जब कि वे अपने परिवार के साथ रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं, जो अत्यन्त आवश्यक है। हम समस्त रात्रि और रविवार को कार्य करने के लिये तत्पर हैं। मैं आपसे निवदेन करूंगा कि 27 तारीख और 1 तारीख के बीच के दिनों में फिर अधिवेशन न हो।

***सभापतिः** मैं आशा करता हूं कि हम सोमवार के सायंकाल तक कार्य समाप्त कर सकेंगे।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी:** हमें रात्रि में अधिवेशन करना चाहिए।

***सभापतिः** यदि आवश्यक हुआ, तो हम करेंगे।

***श्री किरणशंकर राय** (बंगाल : जनरल): मेरा विचार है कि सदस्यों को नियमावली तर्क करने के दो या तीन दिन पूर्व मिल जानी चाहिये, जिससे कि वे नियमों पर विचार कर सकें। जबकि कमेटी ने नियम बनाने में इतना समय लिया है, तो इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक उन नियमों पर विचार करना वास्तव में अनुचित होगा। यह बड़ी सुखद कल्पना होगी कि जब हम इस प्रस्ताव को तीन या चार दिन में पास न कर सके, तो नियमों को दो या तीन दिन में पास कर सकें। मेरा विचार है कि नियमों को पास करने में कम से कम एक सप्ताह लग जायेगा। मैं इसलिये यह सुझाव पेश करता हूं कि आप नियमों पर विचार करने के लिये काफी समय दें। यह विचार लाभदायक नहीं है कि हम नियमों को दो दिन में समाप्त कर देंगे।

***सभापतिः** यह विचार समस्त कार्यक्रम को उथल-पुथल करता है।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): क्या मुझे यह निवेदन करने की आज्ञा है कि नियमों को बनाना वकीलों के लिए किसी सीमा तक पारिभाषिक विषय है और 15 व्यक्तियों ने, जिनको नियम बनाने का काफी अनुभव है और जिनके साथ कुशल मंत्री-कार्यालय हैं, नियम बनाये हैं। क्या हम यत्र तत्र शब्दों को लेकर झगड़ा और तर्क करेंगे? मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप एक समय निश्चित करें और कह दें कि सोमवार के पांच बजे तक उन सदस्यों को जिनके कि संशोधन महत्त्वपूर्ण हैं, उपस्थित करने और राय लेने की आज्ञा दी जायेगी और पांच बजे कार्य-नियंत्रण का नियम लागू कर दिया जाये और सात बजे तक सब नियम पास किये जायें और फिर हम दूसरे कार्य को ले लें। दूसरा विकल्प समस्त

[माननीय श्री बी.जी. खेर]

रात्रि बैठने का है। मैं यह सुझाव रखूंगा कि हम रात्रि के 11 बजे तक नियमों को समाप्त करने के लिये प्रतिदिन बैठें। मैं एक और महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करता हूं, जो केवल ईसाइयों के ही पक्ष में नहीं, वरन् ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कि बहुत दूर से इस अधिवेशन में उपस्थित होने आये हैं और यह विचार कर कि कार्य 23 तारीख को समाप्त हो जायेगा और उनको बड़े दिनों के सप्ताह में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने अन्य कार्यक्रमों को निश्चित कर चुके हैं। मैं नाम नहीं बतलाना चाहता। हम सबके पास समान महत्त्व के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके लिये एक दीर्घ काल के पश्चात् भारतवर्ष में आकर बड़े दिनों के सप्ताह में यहां बैठना जब कि वे अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे, दुष्कर है। हम देर तक रात्रि अथवा दिन में बैठ सकते हैं और सोमवार को तीसरे पहर तक कार्य समाप्त कर सकते हैं।

***सभापतिः** यह सभा की सामान्य भावना प्रतीत होती है।

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): मेरा विचार है कि हम बड़े दिनों के सप्ताह में न बैठें। हमारे पास इस सप्ताह के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि सप्ताह ही नहीं बल्कि महीनों पूर्व निश्चित किये जा चुके हैं और यह उचित नहीं है कि हमें अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिये विवश किया जाये। यदि हम अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा हमें जनवरी में कुछ दिन लेने चाहिये। नियमों को पास करना इतना सरल विषय नहीं होगा। नियमों को सदस्यों की सूचना के लिये उनके पास भेजना चाहिये। सदस्य नियमों के अध्ययन के लिये यथोचित समय चाहेंगे और संशोधन भी पेश करेंगे। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि वह समय काफी है अथवा नहीं, जिसमें कि सदस्यगण अपने संशोधन पेश कर सकें और उन पर तर्क कर सकें। यदि हम सोमवार और मंगलवार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें जनवरी में किसी समय मिलना चाहिये।

***सभापतिः** नियमों पर विचार और दूसरे कार्यक्रम को सोमवार तक समाप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। यदि हम इस कार्य में असफल रहे तब यह विचार करेंगे कि फिर कब बैठें।

नियम-कमेटी में 15 सदस्य हैं जो कि भिन्न-भिन्न दल और मत के प्रतिनिधि हैं। वे समय ले रहे हैं क्योंकि वे ऐसे निश्चय तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो सबके लिये मान्य हो। यही कारण है कि नियम-कमेटी इतना अधिक समय ले रही है। नियम बनाने का कार्य उन मनुष्यों के हाथ में है, जो कि उस कार्य

के विशेषज्ञ हैं और मेरा विचार है कि श्री किरणशंकर राय जिस कठिनाई का अनुमान कर रहे हैं, वह उपस्थित न होगी। यदि कोई तर्क सिद्धांत के प्रश्न पर उपस्थित होता है, तो मैं वाद-विवाद के लिये समय दूंगा; और सदस्यों से यह आशा करूंगा कि केवल शब्दों पर सुझाव उपस्थित करने के विषय को वे कमेटी पर छोड़ दे, जिसने कि इस पर बहुत समय व्यतीत किया है।

अब हम प्रस्ताव पर अग्रसर होंगे। श्री सोमनाथ लाहिरी!

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव—*जारी*

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): श्रीमान् सभापति जी, माननीय डॉक्टर जयकर ने, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नियमों की व्याख्या करने में वृद्ध हो गये हैं, मंत्रि प्रतिनिधिमंडल योजना की सीमा की व्याख्या सम्भवत: ठीक की हो। लेकिन हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिये। डॉ. जयकर राजाओं की प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि वे आवें और हमारी भावी स्वतंत्रता का रूप बिगाड़ दें। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उन नरेशों को, एकतंत्रीय राजाओं को नहीं चाहते हैं कि ये आयें और हमारे भविष्य का रूप बिगाड़ें। हां, जहां तक मुस्लिम लीग का प्रश्न है, वह बिलकुल दूसरे आधार पर है। लेकिन मुझे मुस्लिम लीग के यहां न होने पर खेद नहीं है। मुझे केवल इस बात का खेद है कि कांग्रेस ब्रिटिश योजना से बाहर नहीं जा सकी और ब्रिटिश योजना को अपने स्वार्थ-साधन के लिये अकेला नहीं छोड़ दिया। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये और अपने देश के लिये वास्तविक स्वतंत्र विधान बनाने के लिय मुस्लिम लीग से समझौता अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप यह विचार करते हैं कि मुस्लिम लीग की प्रतीक्षा करने से या कांग्रेस के यहां होने से और मुस्लिम लीग के बाहर रहने से आप ठीक विधान बनाने में समर्थ हो सकेंगे, तो मुझे भय है कि आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने यह योजना बनाई है। अन्त:कालीन सरकार का उदाहरण आपके समक्ष है। लीग और कांग्रेस दोनों वहां हैं, परन्तु इससे देश में झगड़े और परस्पर मारकाट की समस्या हल नहीं हो पाई है। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी। उसने चाहा कि पार्टियां एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ें और ब्रिटिश एक पार्टी को दूसरी पार्टी के विरुद्ध सहायता दे, जिसके फलस्वरूप इन लड़ाइयों में ब्रिटिश राज्य और भी अधिक शक्ति से जम जाये।

अंत:कालीन सरकार देश के लिए न तो स्वतंत्रता ला सकी और न शांति। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई विधान-परिषद् में कांग्रेस अथवा लीग न हो, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही हों और जिस प्रकार ब्रिटिश चाहती है उसी प्रकार ब्रिटिश योजना को कार्यान्वित किया जाये, तो वही बातें उत्पन्न

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

होंगी, अर्थात् वही झगड़े जो कि आज देश में हैं, परिषद् में भी और उग्र रूप धारण करेंगे। बस यही और कुछ नहीं। इसीलिये, श्रीमान् जी, मुझे लीग के यहां न होने पर दु:ख नहीं है, बल्कि मुझे केवल यही खेद है कि कांग्रेस इस योजना को अपना स्वार्थ-साधन करने के लिये छोड़ कर इससे बाहर क्यों नहीं हुई? श्रीमान्जी, मैं पं. जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता की प्रवृत्ति के सुन्दर भाव प्रकट करने के लिए बधाई देता हूं, जब कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश का कोई आरोपण स्वीकार न किया जायेगा। आरोपण पर क्रोध प्रकट किया जायेगा और विरोध किया जायेगा और उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई, तो हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीमान् जी, यह विचार बहुत सुन्दर हैं, साहसपूर्ण शब्द हैं, सुन्दर शब्द हैं। परन्तु प्रश्न है कि कब और किस प्रकार आप उस चुनौती को प्रयोग में ला रहे हैं। श्रीमान् जी, आरोपण ठीक इस समय है। ब्रिटिश योजना ने केवल भविष्य के लिये विधान ही नहीं बनाया है—बशर्ते कि आप कोई विधान बना सकें—जिसमें मुझे शंका है, यदि आप कुछ बना भी सके, तो वह केवल ब्रिटिश से संतोषजनक संधि पर निर्भर ही न होगा, बल्कि वह यह सुझाता है कि जरा-जरा से मतभेद के लिये हम फेडरल कोर्ट को दौड़ें या इंग्लैंड में उपस्थिति हों या एटली या अन्य किसी के पास जायें। यह केवल सत्य ही नहीं है कि यह विधान-परिषद्, चाहे जो कुछ भी योजना हम बनायें हम ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश सेना की छत्र-छाया और उनके आर्थिक और माली पंजे में हैं, बल्कि इसका आशय है कि अन्तिम शासन-शक्ति अब भी ब्रिटिश के हाथ में है और शासन-शक्ति के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, जिसका आशय है कि भविष्य अभी पूर्ण रूप से आपके अधिकार में नहीं है। यही नहीं बल्कि एटली और अन्य व्यक्तियों के अभी हाल के वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे पूर्णरूप से विभाजन करने की धमकी भी देंगे। श्रीमान् जी, इसका आशय है कि इस देश में स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अभी कुछ दिन पूर्व बताया था कि हमें केवल आपस में लड़ाई झगड़े करने की स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता हमें मिली है, एक और स्वतंत्रता जिसकी मुझे सूचना मिली है आज के आज्ञा-पत्र पर है, जिसके द्वारा पंडित नेहरू अब माननीय पंडित नेहरू हैं और मैं विचार करता हूं कि पंडित नेहरू को इस सम्मान के त्यागने तक की स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिये मैं कहता हूं कि आपके यह विचार करने से कुछ लाभ नहीं है कि ब्रिटिश योजना की सीमाओं से, एक भाग जिसका अन्त:कालीन सरकार है और दूसरा भाग उसका विधान बनाने की विधि है, आप

स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजों की धृष्टता—जैसाकि आपने अभी देखा है और जिसके लिये परिषद् के कई सदस्यों ने अपने भाव प्रकट किये हैं—यह धृष्टता इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है, यह तो देश भक्तों को देखना है। धृष्टता बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें विदित है कि देश के बड़े-बड़े दल, कांग्रेस और लीग यह विचार करते चले आ रहे हैं कि अपने दलों के अधिकार—मेरे दल के अधिकार दूसरे दल के विरुद्ध–प्राप्त करने में मैं अंग्रेजों की मदद पा सकूंगा। वे आपको लड़ते-झगड़ते रहने देना चाहते हैं, केवल इसी फल के लिये कि आपस के झगड़े हों—जैसा कि आज सारे देश में हुआ है और जैसा कि प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है—अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी शक्ति क्षीण होती है और स्वतंत्रता का अंश मात्र भी हमारे हाथ नहीं लगता। भाई होने के विपरीत हम एक-दूसरे को मारते हैं, मानों हम दुश्मन हैं। मिस्टर अलेक्जेंडर 1946 ई. के इसी मास में लोक सभा House of Commons में यह कहने का साहस करते हैं कि वायसराय की विशेष सत्ताओं के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया है और जो कुछ सत्ता प्राप्य है, वह उसकी सहायता के लिये है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस योजना पर कार्य कर कुछ प्राप्त करने का विषय नहीं है, बल्कि अभी, यहीं, स्वतंत्रता की घोषणा की जाये और अन्त:कालीन सरकार और भारतीय जनता को यह आदेश दिया जाये कि वह पारस्परिक झगड़ों को बन्द करें और अपने बैरियों का विरोध करें, जिसके हाथों में अब भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही का अंकुश है— और उस ब्रिटिश साम्राज्यशाही से युद्ध करने को संगठित हों और फिर जब कि स्वतंत्र हो जायें अपने अधिकारों को निश्चित करें। वास्तव में, श्रीमान् जी, हमने अपने देश की स्वतंत्रता के दीर्घकालीन इतिहास से यह प्राप्त किया है कि चाहे हमारे आपसी मतभेद बहुत बड़े चढ़े हों, पर जब हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं, तो लड़ाइयों के ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, जो व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ रहा है उसके मार्ग में कोई रुकावटें नहीं डाली जाती। यह एक मार्ग वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की कठिन परिस्थिति से बचने का है। सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव के उपस्थित करने वाले से भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टर जयकर—एक कुशल तार्किक और निर्दयी तार्किक तो वे हैं ही—ने आपके सामने केवल विकल्प उपस्थित किये हैं, जबकि उन्होंने आपके सामने कहा है कि या तो हमें योजना की सीमा में कार्य करना है, या आगे बढ़कर सत्ता अपनाना है, क्रांतिकारी सत्ता अपनाना है। ये विकल्प है और एक वृद्ध, कुशल वैधानिक, उदार व्यक्ति जैसे कि वे हैं, उन्होंने उसे ठीक ही समझा है और क्रांति से डर, जो कि आप लोगों में से भी कुछ को हो, उन्होंने आपको वैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए निवेदन किया है और कहा— ''मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी क्रांति से सत्ता ग्रहण करना नहीं चाहती।'' भारतीय

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

जनता के सामने आज यही विकल्प है और आज विधान-निर्मात्री-परिषद् के सामने भी यही कि या तो आप ब्रिटिश योजना का अनुसरण करने का प्रयत्न करें, एक दल के अधिकारों को दूसरे दल के विरुद्ध रखें और प्रतिदिन पारस्परिक युद्ध के दलदल में फंसें, जिसके फलस्वरूप कि अन्त में ब्रिटिश आप पर उतना ही शक्तिशाली हो सके, जितना कि पहले था और या आप अग्रसर होकर क्रांति से सत्ता ग्रहण करें। मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले ब्रिटिश को, ब्रिटिश वायसराय को, ब्रिटिश सेना इत्यादि को बाहर खदेड़ने के लिये—जो कि अपनी बन्दूकें अब भी हमारे सरों पर ताने हुये हैं—आगे बढ़ें।

*__श्री राजकृष्ण बोस__ (उड़ीसा : जनरल): हमें यह जानने का अधिकार है कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थक है या विरोधक? मुझे भय है कि जो कुछ भी वे इस समय कह रहे हैं असंगत है।

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ यह तो सभापति के निश्चय करने की बात है। मैं आशा करता हूं कि मैं उस राजनैतिक दल का, जो भारत में तीसरा बड़ा दल है, प्रतिनिधि हूं। *(पीछे की बैंचों से हंसी)* सभापति जी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बिना बाधा बोलने देंगे। हमारे दल को सात लाख वोट मिले हैं.... *(बाधा)* गत जनरल चुनाव में। यह सत्य है कि वह एक बड़ा दल नहीं है, पर वास्तव में वह तीसरा बड़ा दल तो है। *(फिर हंसी)*

*__सभापति:__ मैं आशा करता हूं कि हाउस वक्ता को बोलने देगा। *(श्री लहिरी से)* लेकिन मैं आपको समय-सीमा की याद दिलाऊंगा और इस बात की भी कि आप उपस्थित विषय की सीमा में रहें।

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ हां, श्रीमान् जी, मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि श्रीमान् जी मुझे वहीं सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर या अन्य दलों के नेताओं को दी गई हैं। *(पिछली बैंचों से हंसी)*

*__सभापति:__ यह सत्य है कि मैंने उनके साथ कुछ नर्माई से व्यवहार किया, लेकिन हाउस की उनके सुनने में रुचि थी, अब हाउस की वैसी वृत्ति प्रतीत नहीं होती। मुझे हाउस की वृत्ति का अनुसरण करना है।

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ चाहे हाउस जो कुछ मैं कहता हूं, उसे पसन्द करे या नहीं, यह आप पर निर्भर है कि मुझे—एक स्वतंत्र विचारणीय विषय के प्रतिनिधि की हैसियत से—अपने पूर्ण विचार प्रगट करने दें।

*__सभापति:__ आप कहते चलिये।

*__श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी__ (यू.पी. : जनरल): श्रीमान् जी, हमें यह विदित होना चाहिये कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, या संशोधन का?

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** और अधिक बाधायें हैं.......

***सभापतिः** सदस्यगण अपना-अपना अनुमान लगा लें कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन या विरोध कर रहा है, अथवा कुछ नहीं।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** मैं इसे बिलकुल स्पष्ट कर दूंगा। आप जान जायेंगे जब कि मेरे वक्तव्य को सुन लेंगे। श्रीमान् जी, मूल प्रस्ताव के तीसरे पैरा का विचार करने पर मैं समझता हूं कि आप अखंड भारत चाहते हैं। यह इसी इच्छा के कारण है कि आपने स्वायत्तसत्ता (autonomy) और शेष सत्ता (Residuary) के अधिकार तीसरे पैरा में दे दिये हैं, परन्तु भाषा इत्यादि के आधार पर प्रादेशिक इकाइयां बनाने का अधिकार नहीं दिया। मैं भी भारतवर्ष की एकता का उतना ही इच्छुक हूं, जितने कि आप हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या आप उस एकता को बलपूर्वक या दबाव द्वारा ला सकते हैं? मैं बंगाल का हूं। बंगाल की ओर देखिये। बंगाल में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग किसानों का है और उसका एक बड़ा भाग मुसलमानों का, जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही और ऊंची जाति के हिन्दुओं के दासत्व के दो पाटों में पीसा जाता है। अब स्वतंत्रता की कल्पना में बंगाल के किसान और बंगाली मुसलमान अगर यह चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उच्चवर्णीय हिन्दू उनसे अपना स्वार्थ साधन न कर सकें, उनकी भूमि—बंगाली भाषा बोलने वाला प्रदेश–स्वतंत्र और सर्वसत्ता सम्पन्न हो। भारत के किसी भाग के अधिकार में न हो, तो क्या आप उनकी इस स्वतंत्रता को अस्वीकार कर देंगे? आप नहीं कर सकते। और यदि मुस्लिम लीग—मुस्लिम लीग के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी भाग—बंगाली मुसलमानों को स्वतंत्रता की भावना से विमुख कर धार्मिक विभाजन की भावना उत्पन्न करने में या आसामी भाषा-भाषी प्रदेश की मांग करने में सफल होता है, तो मैं यह कहूंगा कि इसका उत्तरदायित्व कांग्रेस के नेतृत्व पर है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जातीय भाषा के आधार पर जातीयता को पृथक् होने के अधिकार को स्पष्टतया स्वीकार कभी नहीं किया है और प्रधान कांग्रेस की जो कुछ भी स्वीकृति निर्धारित निर्णय (Ruling) में थी कि भारतीय संघ में कोई प्रान्त उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा—आपने इस प्रस्ताव में उसको भी अंतिम विदा दे दी। आपने कहा है कि कोई भी प्रदेश भारत से बाहर नहीं रह सकता, चाहे उसकी बाहर रहने की कितनी ही तीव्र अभिलाषा क्यों न हो। अधिक से अधिक वह स्वायत्त शासन और अवशिष्ट सत्ता की आशा कर सकता है। श्रीमान् जी, यह वह मार्ग नहीं है, जिसके द्वारा बंगाल के मुसलमानों को अपनाने की आशा कर सकेंगे। यह वह मार्ग नहीं है, जिससे आप अन्य जातियों

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

को जो कि समयानुसार आपके विरोध में खड़ी होंगी, अपनाने की आशा कर सकेंगे।

इस प्रकार आप एक विधान उन पर लादकर भारत की एकता प्राप्त नहीं कर सकते और यदि आप आधुनिक विधान की ओर दृष्टिपात करें, तो आप देखेंगे कि यूगोस्लाविया, चैकोस्लाविया इत्यादि देशों ने आत्म-निर्णय (self-determination) के अधिकार को पृथक् होने के अधिकार के साथ स्वीकार किया है। उदाहरणस्वरूप यूगोस्लाविया के नये विधान की प्रथम धारा और सर्बस (Serbs) क्रोट्स (Croates) स्लोवेनीज (Slovanis) मोन्टेनोग्रिंस (Montenegrins) इत्यादि को आत्म-नियंत्रण और पूर्ण पृथक् होने के अधिकार देती हैं। यही कारण है कि आज यूरोप में यद्यपि यूगोस्लाविया एक छोटा देश है, फिर भी वह सुसंगठित है और तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर है।

मैंने कुछ कांग्रेसियों को यह कहते हुए सुना है कि ''इस आत्म-निर्णय और पृथक्त्व होने के अधिकार को हम दे देंगे, परन्तु बाद में जब कि मुस्लिम लीग उसके लिए विवश करें।'' श्रीमान्जी, क्या यह सौदा करने का दबाव पड़ने पर सौदागर के यहां जाकर जनता के अधिकारों से झगड़ना एक निकृष्ट राजनैतिक अवसरवाद नहीं होगा? क्या यह श्रेयस्कर न होगा कि आप केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के लिए—मुस्लिम जनता के लिए—यह स्पष्ट शब्दों में कह दें कि वे अपने-आप विचार और विश्वास रखें और उन्हें भारतीय संघ (Indian Union) में निर्भय आने की गारंटी दी जाये।

दूसरा विषय जिसका मैं जिक्र करूंगा, वह मूल प्रस्ताव के 4, 5 और 6 पैरा हैं। श्रीमान्जी, यहां आपने कुछ मौलिक सिद्धान्त बनाये हैं, जिनके ऊपर कि भारतीय जनता के अधिकार और समानता निर्भर है। ठीक है; शुभ अभिप्राय है। कोई भी इसके शुभ अभिप्राय से इन्कार नहीं करता। परंतु बहुधा शुभ अभिप्राय नरक के मार्ग का अनुसरण कराते हैं। और यहां अभिप्राय से सब कुछ आशय हो सकता है और कुछ भी नहीं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि भूत और भविष्य को दृष्टि में रखते हुए आप किस प्रकार उन सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं। आपने कहा है कि राजनियम के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। आपने कहा है कि सम्पूर्ण कानूनी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिये जायेंगे। इसके साथ-ही-साथ इतिहास आपको बताता है कि इस देश में लोकप्रिय मंत्रिमंडल हैं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल हैं और फिर भी आप बम्बई में देखते हैं कि मनुष्यों को देश निकाला होता है, स्त्रियों को भी न्यायालय में उपस्थित किये बिना ही गुंडों के सदृश देश निकाला होता है। साथ-ही-साथ आप यू.पी. में देखते हैं कि एक राज-नियम बनाया जा

रहा है, जिसके द्वारा बिना मुकदमा (trial) किये हवालात (Detention) हो सकती है। साथ-ही-साथ बंगाल में आप देखते हैं कि जातीयता के नाम पर कानून बनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक समाचार-पत्र और व्यक्ति की स्वाधीनता का अपहरण करता है। और अब श्रीमान्‌जी, जनता अपने विगत अनुभव के प्रकाश में आपके प्रस्ताव को देखेगी और यदि इन बातों को, जैसा कि आप वास्तव में चाहते हैं, वैसा ही रूप देना है, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसके प्रति आपको और भी अधिक स्पष्ट होना चाहिए और साफ कह देना चाहिए। इसी प्रकार दलित वर्ग के प्रति आपने कहा है कि पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा। यह अच्छा है, परंतु कौन यह निश्चय करने को है और कब यह निश्चय किया जायेगा कि संरक्षण पर्याप्त हैं अथवा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक पृथक्‌त्व की, जो कि आज देश में प्रचलित है, निन्दा करता है, परंतु आपने अपने इस प्रस्ताव में जनता के लिए और जनता की अभिलाषा के लिए क्या राजनैतिक व्यवस्था की है?

*__एक माननीय सदस्य:__ आप क्या सुझाव पेश करते हैं?

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ मैं किसी भी भविष्य में होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव पेश करता हूं, जिससे कि प्रत्येक दल को, चाहे वह साम्प्रदायिक हो अथवा राजनैतिक अपना प्रतिनिधित्व वोटों की कुल संख्या के आधार पर प्राप्त करने का विश्वास होगा और तब दलों को, मुस्लिम लीग और (शिड्यूल कास्ट फैडरेशन) दलित-जाति संघ जैसे साम्प्रदायिक दलों को अपना-अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का विश्वास हो जाने पर कोई भी शिकायत नहीं हो सकेगी। इसके साथ-साथ यह राजनैतिक दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार हम शनैः शनैः उस धार्मिक पृथक्‌त्व का, जो कि देश में उत्पन्न हो चुका है नाश कर देंगे और उचित राजनीति में, राजनैतिक विभाग और राजनैतिक संघर्षों के आधार पर प्रगति होगी। परन्तु आपने इस विषय को स्पष्ट नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि जब आप विधान का मौलिक निर्माण करेंगे तब आप इसको स्पष्ट करेंगे। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि जनता आपका निर्णय आपके अतीत को देखकर करेगी—आपके उस निकटकालीन अतीत से—जिसके लिए मुझे खेद है कि कांग्रेस के अच्छे कार्यक्रम और घोर संघर्ष के होते हुए भी अपने सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। मुझे आशा है कि जब आप भारतवर्ष का भावी विधान बना रहे होंगे, इन बातों का प्रतिकार हो जायेगा।

*__श्री एच.वी. कामत__ (सी.पी. और बरार : जनरल): श्रीमान्‌जी, मैं निवेदन करता हूं कि श्रीयुत लहिरीजी को, जब कि वे अपने संशोधन पर बोल रहे थे, आपने नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया था। अब क्या वे वैसा ही करने में नियमानुकूल हैं?

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मुझे अपने तर्क को सिद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। खैर, मैं लगभग समाप्त कर चुका हूं और एक या दो मिनट और लूंगा। इस प्रस्ताव की व्यापकता और अच्छी बातें, जो इसमें हैं इसके अतिरिक्त मैं यह पसन्द करता कि आप यहां अभी हमारी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। प्रत्येक भारतीय पहले परिच्छेद को स्वीकार करेगा कि भारत को एक स्वतंत्र सर्वशक्तिसम्पन्न राज्य होना चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त आपका प्रस्ताव राजनैतिक दृष्टिकोण से एक दबाव (Pressure) डालने वाला प्रस्ताव है। यह ब्रिटिश से कहता है–"देखो, यदि आप यह विचार करते हैं कि हम जो कुछ भी आदेश करेंगे उसको सुनेंगे, तो आप भीषण भूल करते हैं। हम अपना खुद का विधान भारत पर लागू करने को हैं।" ठीक, यदि आप चाहते हैं, तो इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनायें, परन्तु प्रस्ताव का दूसरा भाग मुस्लिम लीग के विरुद्ध है। "देखिये यदि आप यह सोचते हैं कि विभाजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप त्रुटि करते हैं। हम अखंड भारत के लिए एक विधान लागू करना चाहते हैं और उसमें विभाजन के लिए स्थान नहीं है।" यह मुस्लिम लीग के विरुद्ध दबाव है। "मैं यह नहीं ख्याल करता हूं कि दूसरा दबाव पहले दबाव को बढ़ाने में आपकी मदद करता है।" जितना अधिक दबाव हम अपने भाइयों के विरुद्ध डालते हैं, उतना ही अधिक हम मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हैं और उतना ही अधिक जो कुछ हम चाहते हैं, उसे देने के लिए ब्रिटिश अस्वीकार करते हैं। आप अपना दबाव ब्रिटिश के विरुद्ध जितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइये, परन्तु इस दबाव को अपने भाइयों के विरुद्ध न बढ़ाइये। श्रीमान्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समय के जादू की बाबत कहा है। हां जादू, लेकिन यह ब्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है, जो कि देशभक्तों को गहरी नींद में सुला देता है। यह ब्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है कि जिसके खूनी पंजे से अगणित शहीदों के खून की बूंदें टपक रही हैं और फिर भी वह देशभक्तों के हृदय में यह विचार उत्पन्न करने में समर्थ है कि उसके जादू के षड्यंत्र (Plan) को कार्यान्वित करने से ही वह (देशभक्त) दूसरे दल के विरुद्ध अपने अधिकार प्राप्त कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक कांग्रेस देशभक्त इसे स्मरण रखेगा और इस संघर्ष में जादूगरनी के षड्यंत्र के विरुद्ध और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध न कि मुसलमानों के विरुद्ध, संघर्ष करने में अग्रसर होगा।

***श्रीमती हंसा मेहता** (बम्बई : जनरल): पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतनी योग्यता से उपस्थित किये गये इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं अपना गौरव समझती हूं। डॉ. जयकर द्वारा उपस्थित किये हुए वाद-हेतु (Issue) का उल्लेख

करना मैं नहीं चाहती हूं और छः हजार मील की दूरी पर वक्ताओं द्वारा किए हुए वक्तव्यों पर, जिनका आशय उत्पात से है, या जो वास्तविक दशा से बिलकुल अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं इस प्रस्ताव के भाग पर एक नई टिप्पणी उपस्थित करना चाहती हूं—वह मौलिक अधिकार जो कि जनता के एक भाग यानी स्त्रियों पर अपना प्रभाव डालता है।

यह अनेक स्त्रियों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करेगा कि स्वतंत्र भारत का आशय केवल स्थिति की समानता से ही नहीं, वरन् अवसर की समानता से भी होगा। यह सत्य है कि कुछ थोड़ी-सी स्त्रियां अतीत काल में और आज भी उच्च स्थिति का आनन्द उपभोग कर रही हैं और हमारी सहेली श्रीमती सरोजनी नायडू के सदृश उस उच्च मान को प्राप्त हुई हैं, जो कि शायद ही किसी पुरुष को मिल सकता हो। परन्तु ऐसी स्त्रियां बहुत कम और यत्र-तत्र हैं। यह केवल सांकेतिक उदाहरण ही हो सकता है, क्योंकि इन स्त्रियों से देश की स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिलता।

इस देश की सामान्य स्त्री शताब्दियों से उस पुरुष-समाज के राजनियम, व्यवहार और रीति-रिवाज द्वारा लादी हुई असमानताओं से पीड़ित है जो कि सभ्यता के उच्च शिखर से, जिसका कि हम सबको गौरव था, पतित हो गया है, जिसकी प्रशंसा में डॉक्टर सर राधाकृष्णन सदैव कहते रहे हैं। आज ऐसी हजारों स्त्रियां हैं, जिनको साधारण मानवी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनको परदे के अन्दर घर की चहारदीवारी में बन्द रखा जाता है। वे स्वतंत्रतापूर्वक घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं। भारतीय स्त्री-जाति की दशा इस शोचनीय अवस्था तक गिराई जा चुकी है कि इन परिस्थितियों में जो भी उनका शोषण करना चाहते हैं, उनकी वह सरल आखेट बन जाती हैं। स्त्रियों का पतन कर पुरुष ने अपना ही पतन किया है। स्त्री की उन्नति करने में पुरुष केवल अपनी ही उन्नति नहीं करता, वरन् समस्त जाति की उन्नति करता है। इस हाउस में महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। यह मेरी कृतघ्नता होगी, यदि मैं जो कुछ भी महात्मा गांधी ने उन (स्त्रियों) के लिए किया, उस कृतज्ञता के अतुल ऋण को स्वीकार न करूं, जो कि भारत की देवियों के नाम अंकित है। ये सब होने पर भी हमने कभी विशेष अधिकार नहीं मांगे हैं। स्त्रियों के संघ ने, जिसके सदस्य होने का मुझे गौरव है, कभी भी संरक्षित स्थान (Reserved Seats) अपना आनुपातिक भाग (Quota) या पृथक् निर्वाचन (Separate electorate) की मांग नहीं की है। जो कुछ भी हमने मांगा है, वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय है। हमने केवल उस समानता की मांग की है, जो कि पारस्परिक सम्मान और समझौते का आधार हो सकती है और जिसके बिना पुरुष और स्त्री में वास्तविक सहयोग

[श्रीमती हंसा मेहता]

संभव नहीं है। इस देश की आधी जनसंख्या स्त्रियों की है, इस कारण बिना उसके सहयोग के पुरुष अधिक अग्रसर नहीं हो सकता। यह प्राचीन भूमि आधुनिक जगत् में बिना स्त्रियों के सहयोग के अपना उचित और आदरणीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकती। इस कारण मैं इस प्रस्ताव का, उस विशाल प्रतिज्ञा के लिए जो इसके अंतर्गत है, स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस प्रस्ताव में जिन उद्देश्यों का समावेश है, वे पत्र पर अंकित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जायेगा। *(करतल ध्वनि)*

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): श्रीमान् सभापति जी, श्रीयुत डॉ. अम्बेडकर ने पिछली बार दलित वर्गों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस कारण भारतवर्ष की परिगणित जातियों की ओर से विधान-परिषद् के सदस्यों के सन्मुख बोलने के इस अवसर को मैं अपना गौरव समझता हूं। मैं यहां पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के समर्थन के लिए उपस्थित होता हूं। समस्त प्रस्ताव का विश्लेषण करने और उस पर पूर्ण रूप से विचार करने पर मुझे यह विदित होता है कि भारत की जनता के हृदय में स्वतंत्रता की आशाओं को प्रसारित करने वाला यह सबसे उत्तम अधिकार-पत्र है। मेरे कुछ मित्रों ने, जो कि मुझसे पूर्व बोल चुके हैं, इसमें कुछ त्रुटियां बतलाई हैं। तो भी जिस रूप में प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है, वह कई समस्याओं को जो कि विधान बनाने के पूर्व हल होनी चाहिए, सुलझाने में सहायक होगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे मार्ग में अनेकों रुकावटें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें उन्हें पार करना है। यदि हम संसार के प्रजातंत्र राष्ट्रों के पूर्व इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो हमें विदित होगा कि प्रत्येक विधान-परिषद् को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कभी-कभी गति-अवरोध का भी। परन्तु फिर वे अंत में सफल हुई।

यह खेद की बात है कि हमारे मुसलमान मित्रों ने अपने आपको इस से बाहर रखा है और वे इस परिषद् के विमर्श में भाग नहीं ले रहे हैं। जब हम यह जानते हैं कि हम हिंदू और मुसलमानों को अपने इसी देश में रहना है, तो हमें शांतिपूर्वक किसी-न-किसी तरह अपने मतभेदों को भी दूर करना होगा। यह आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अभी या कुछ समय पश्चात् परिषद् में अपने उचित स्थानों को ग्रहण कर विचार-विमर्श में भाग लेंगे और सर्वमान्य विधान बनाने में सहायक होंगे।

श्रीमान्जी, विधान-परिषद् के इस महान भवन में हम दलित-वर्गीय संख्या में बहुत कम हैं। परन्तु देश में हमारी जनसंख्या छः करोड़ है। इसमें संशय नहीं कि हम

हिंदू जाति के अंग हैं, परन्तु हमारी सामाजिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हमें यह अनुभव करना पड़ता है कि हमें पर्याप्त संरक्षणों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें अल्पसंख्यकों में माना जाये। जिस तरह एक जाति धार्मिक और कौमी आधार पर अल्पसंख्यक होती है, उस प्रकार नहीं, वरन् वह अल्पसंख्यक जिसका कि भिन्न राजनैतिक अस्तित्व हो। यह बताना अनावश्यक है कि हमारा भिन्न राजनैतिक अस्तित्व है। मेरा विचार है कि जो दलितवर्ग की उन्नति में स्वयं रुचि रखता है, वह यह स्वीकार करेगा कि राजनैतिक उन्नति के लिए इस वर्ग को समुचित संरक्षण की आवश्यकता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने स्वयं वचन और कर्म से स्वीकार किया है। पूना-संधि महात्मा गांधी की उपज है, और हरिजन-पत्र में उनके लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि दलित-वर्ग के हितों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

16 मई का मंत्रि प्रतिनिधिमंडल का विवरण (Statement) दलित-वर्ग के बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन दिल्ली में विवरण के छप जाने के बाद ब्रिटिश मंत्रियों ने जो प्रेस कान्फ्रेंस की, वह यह स्पष्ट बतलाती है कि दलित-वर्ग को अल्पसंख्यक मानना चाहिए। इसके पश्चात् लोक सभा (House of Commons) और सरदार सभा (House of Lords) के वाद-विवाद में भी दलित-वर्ग को अल्पसंख्यकों के समान संरक्षण देने के महत्त्व पर जोर दिया गया।

श्रीमान्जी, अल्पसंख्यकों की समस्या एक बड़ी पेचीदा समस्या है, विशेष कर भारत जैसे देश में जहां अनेकों सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न प्रकार के हित लिए हुए रहते हैं। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में और उनके लिए संतोषजनक समाधान खोजने में मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद् को बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि यह हो चुका, तो हाउस को अन्त में विधान बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम दलित-वर्ग के सदस्यों को यह आशा है कि विधान-परिषद् हमारे साथ न्याय करेगी। समस्त प्रान्तों और देशी रियासतों में दलित-वर्ग हैं, वे देशी रियासतों, प्रान्तों और केन्द्र के व्यवस्थापक मंडलों (Lagislatures) में जनसंख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वे किसी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का अधिक प्रतिनिधित्व किसी जाति को दिया जाये तो वे भी अनुपात में उसकी मांग करते हैं।

प्रस्ताव का चौथा पैरा बतलाता है:

> ''सर्व शक्तिसम्पन्न स्वतंत्र भारत, उसके वैधानिक अंग और शासन के अंग को सब शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।''

मैं विचार करता हूं कि यह प्रस्ताव का सबसे अच्छा भाग है। यह भारत की सर्व-साधारण जनता के हृदय में वास्तविक शक्ति का संचार करेगा। अन्य प्रजातंत्र देशों की जनता के समान भारत की जनता में इतनी अधिक राजनैतिक जागृति

[श्री पी.आर. ठाकुर]

न हो सके, परन्तु यही भावना कि राज्य को सर्वसत्ता जनता से प्राप्त होगी, दलित-वर्ग में शीघ्र ही राजनैतिक जागृति उत्पन्न करेगी।

प्रस्ताव का सातवां पैरा बतलाता है:

''जिसके द्वारा प्रजातंत्र राष्ट्र की अखंडता का निर्वाह किया जायेगा।''

यह भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हम दलित-वर्गीय इस देश के आदि निवासी हैं। सवर्ण हिंदू और मुसलमानों के सदृश हम विजयी बन कर भारत में बाहर से आने का दावा नहीं करते हैं। सत्य तो यह है कि भारतवर्ष हमारा है और हम यह नहीं सह सकते कि हमारा यह प्राचीन देश केवल मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं में बांटा जाये।

मैं बंगाल का हूं, आपमें से अनेकों ने वहां के गृह-उत्पातों (Civil Disturbance) के सम्बन्ध में सुना होगा। दलित-वर्ग को सबसे अधिक हानि हुई। हम मुस्लिम लीग के, अपने प्यारे बंगाल को हमसे छीनने और पाकिस्तान में मिला देने के, किसी भी दावे को अस्वीकार करते हैं। हम समूह बनाने के विचार का भी विरोध करते हैं हम भारतवर्ष की अखंडता का निर्वाह करने के लिए घोर संग्राम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग समझदारी से काम लेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता दलित-वर्ग के एक भाग पर अपनी इच्छा के नेता थोपकर उससे सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा विचार है कि वे अपनी पाकिस्तान की झक को दृढ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु सौभाग्य से दलित-वर्ग का वह भाग बहुत छोटा है। मैं आशा करता हूं कि यह विधान-परिषद् ध्यान रखेगी कि बिना दलित वर्गों की स्वीकृति प्राप्त किये बंगाल के सम्बन्ध में कुछ भी न किया जाये। वे बहुल संख्या में हैं।

अंत में मैं अपने हर्ष को प्रकट किये बिना नहीं रह सकता हूं कि भारतवर्ष शीघ्र ही स्वतंत्र होगा। वह समय आ गया है। संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। कुछ मेरे मित्रों ने, विशेष कर डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व देश में गृह-युद्ध होगा। दलित-वर्ग उसका सहर्ष मुकाबला करेगा, वास्तव में वे उसके लिये तैयार हैं।

इन थोड़े से शब्दों के द्वारा मैं माननीय पंडित जवाहरलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***सभापतिः** इसके पश्चात् सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर को बोलने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्योंकि वे खड़े होकर बोलने योग्य नहीं हैं, मैं उनको बैठकर बोलने की आज्ञा देता हूं। मुझे आशा है कि हाउस को इसमें कोई आपत्ति न होगी।

***माननीय सदस्यगण:** कोई आपत्ति नहीं।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल)**:** श्रीमान् जी, हमारे नेता माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य प्रस्ताव पर प्रभावशाली वक्तव्य के पश्चात् और माननीय जयकर के संशोधन पर अन्य वक्ताओं के प्रभावयुक्त वक्तव्यों के पश्चात् मैं यथा शक्ति संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करूंगा।

अपने संशोधन के पक्ष में मेरे मित्र माननीय डॉक्टर जयकर ने अनेक विषय उठाये, जो कि सब-के-सब मुझे भय है कि परस्पर एक-दूसरे से संगत नहीं हैं। उनका पहला विषय था कि इस अधिवेशन में, विधान-परिषद् का केवल यही कर्त्तव्य था कि वह कार्यक्रम का निश्चय करती और तुरन्त ही ए, बी और सी भागों में विभाजित हो जाती, क्योंकि मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा में कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करन का विचार न था। दूसरा उनका यह संशय था कि क्या इस परिषद् को यह अधिकार होगा और किसी हालत में वह उचित और अनुमति-योग्य होगा कि मुस्लिम लीग के विधान-परिषद् में आने के निश्चय के पूर्व कोई प्रस्ताव पास करे। अन्त में उन्होंने यह विषय उठाया कि रियासतों के प्रतिनिधियों के आने से पूर्व परिषद् को यह उचित नहीं कि वह प्रस्ताव स्वीकार करे।

मैं यह कहने का साहस करता हूं कि एक भी विषय में पुष्टता नहीं है। पहले विषय के सम्बन्ध में मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा किसी कानून के रूप में नहीं है, जिसका आशय विधान-परिषद् को भारत के लिए विधान बनाने के मार्ग का अनुसरण करने के प्रत्येक विवरण को सामने रखने का हो। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल का स्वयं की भाषा में, उनका उद्देश्य केवल उस व्यवस्था से है, जिससे कि भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही निश्चित हो सके। यह अविचारणीय है कि बिना आदेश-मूलक लक्ष्य के जिसे कि परिषद् को अपने सामने निश्चय करना है, कोई भी विधान बनाया जा सकता है या इस सम्बन्ध में किसी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। वास्तव में आदेशमूलक लक्ष्य बनाने में किसी प्रकार भी यह परिषद् मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के मुख्य सिद्धान्तों का विरोध अथवा प्रतिवाद नहीं करती है। किसी भी विधान-परिषद् या सम्मेलन (Convention) की कार्यवाही की, जिसने कि इस प्रकार के लक्ष्य को कार्यवाही के आरंभ होने पर न बनाया हो, आप व्यर्थ खोज कर सकते हैं। इसलिये मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के "कार्य-प्रणाली" शब्दों का ठीक अर्थ क्या है, इस विषय को और अधिक विस्तृत करने का प्रस्ताव मैं नहीं रखता हूं।

अब प्रस्ताव के गुणों पर आइये। प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर कि मुसलमान या रियासतें यदि सम्मिलित होने का निश्चय करती हैं, तो अपवाद कर सकें। वास्तव में इन दोनों दलों में से कोई भी इस परिषद् में स्थान प्राप्त

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

नहीं कर सकेंगी, जब तक कि वे स्वतंत्र भारत के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करतीं। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा कई पैरों में बताती है कि विधान-परिषद् ''स्वतंत्र भारत का विधान बनने का कार्य-भार ग्रहण करती है।'' वे घोषणा के 24वें पैरे में अपील करते हैं कि ''भारतीय जनता के नेतागणों को अब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है'' और वे कहते हैं कि ''वे विश्वास करते हैं कि प्रस्ताव भारत की जनता को कम-से-कम समय में स्वतंत्रता प्राप्त करा सकेंगे।'' मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा अनेकों प्रकार से घोषित करती है कि ''नवीन स्वतंत्र भारत की इच्छा पर है कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य रहे अथवा नहीं'' और सदैव वे यही आशा प्रकट करते हैं कि ''भारत ब्रिटिश जनता के निकट और मैत्रीपूर्ण सम्पर्क में रहे।'' जनतंत्र भारत को, जैसे कि आयरलैंड है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य होने में कोई भी बाधा नहीं है। वास्तव में यह साधारण ज्ञान है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सत्ता के कारण वर्ष-प्रतिवर्ष और दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। मुस्लिम लीग ने कई मौकों पर यह स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्रता की वह उतनी ही पक्षपातिनी है, जितनी कि कांग्रेस। इस हाउस में हमें अव्यक्त भावों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है कि मुस्लिम-भारत इस उद्देश्य से जो कुछ कहता है, वह आशय नहीं रखता। केवल पाकिस्तान के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग ने वाद-हेतु उपस्थिति किया था। इस पर मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा एक भारतीय संघ (यूनियन) को निश्चित रूप में स्वीकार करती है। यदि मुस्लिम लीग एक भारतीय संघ को स्वीकार करती है, तो मुस्लिम लीग के सदस्य विधान-परिषद् में कोई स्थान पा सकते हैं या पा सकेंगे। न ऐसा आश्वासन है और न कोई संकेत है कि इस प्रस्ताव को अगले माह के किसी अन्य दिवस के लिए स्थगित करने से मुस्लिम लीग परिषद् की कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का निश्चय करेगी। इसलिए यह तर्क कि मुस्लिम लीग वर्तमान विधान-परिषद् से बाहर है और भविष्य में उसके आने की सम्भावना है, हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव के औचित्य को अपुष्ट नहीं करता है।

अब रियासतों पर आइये। यहां फिर देशी रियासतें या रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में केवल तभी स्थान पा सकते हैं, जब कि वे स्वतंत्र भारत के सिद्धान्त और मत को स्वीकार करें और स्वतंत्र भारत के विधान बनाने के कार्य को स्वीकार करें, अन्यथा उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनको स्वतंत्र भारत के वैधानिक अंग बनने या न बनने में से किसी एक को अपनाना होगा। यदि वे सम्मिलित होते हैं तो केवल इसी आधार पर सम्मिलित हो सकते हैं कि वे भी स्वतंत्र भारत के विधान बनाने के आदर्श और उद्देश्यों को उतना ही स्वीकार करते हैं, जितना कि हम ब्रिटिश भारत में। मैं यह अनुभव करता हूं कि रियासतों

के परिषद् की कार्यवाही में सम्मिलित होने में, केवल देर से आने में अनौचित्य हो, इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इस स्थिति में इस परिषद् को अपने लक्ष्य को एक ऐसे प्रस्ताव का रूप, जो परिषद् के मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के परे अन्य किसी बात की स्वीकृति नहीं कराता है, देने में यह कोई अड़चन नहीं हो सकती है। क्या इस परिषद् ने कार्य आरम्भ कर दिया है या नहीं? अथवा जब तक कि रियासतें सम्मिलित न हों क्या इस परिषद् की कार्यवाही स्थगित समझी जाये? हमने अपना सभापति चुन लिया है, हम कार्यक्रम के नियम बनाने के लिए अग्रसर है और हमने स्वतंत्र भारत का विधान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया हैं यह कैसे कहा जा सकता है कि इस विधान-परिषद् ने कार्य आरम्भ नहीं किया है। क्या इस तर्क में कोई सार है कि जब तक कोई दूसरा दल इस परिषद् में सम्मिलित न हो अथवा न हो सके, इस परिषद् को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिये? जैसा कि पंडित नेहरू ने दृढ़ता से बताया है कि स्वतंत्र भारत राजतंत्र नहीं हो सकता। हिन्दू, मुसलमान या सिख कोई भी हो संघ (Union) का मुख्य प्रबन्धक पैतृक उत्तराधिकार से पदाधिकारी नहीं हो सकता। वह केवल प्रजातंत्र विधान का एक आवश्यक पूर्ण अंग हो सकता है।

प्रस्ताव के चौथे परिच्छेद में जो निम्नलिखित है—इस हाउस के बाहर रियासतों की ओर से कुछ केन्द्रों में जो आपत्ति उठाई गई है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है।

> ''सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत, उसके वैधानिक भाग और राज्य के अंग को समस्त शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त होगी।''

क्या यह सुझाव उपस्थित किया है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत के सम्बन्ध में प्रान्तीय भागों की सत्तायें जनता से प्राप्त होंगी और जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, उनके पैतृक उत्तराधिकारी शासकों से? सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत का विधान भारत की जनता की इच्छाओं का साकार चित्र है—उस भारत का जो कि अखंड रूप में प्राणाभूत-स्वत्व के समान विचारा गया है—और स्वयं प्रादेशिक इकाइयों के सम्बन्ध में भी शासकों के अधिकार अन्त में सम्बन्धित जनता की इच्छाओं पर ही निर्भर हो सकते हैं। रियासतों की राज्य-व्यवस्था, चाहे वह एकतंत्रीय हो अथवा सर्वतंत्रीय, अपना अधिकार सम्बधित जनमत से ही प्राप्त करते हैं। राजाओं का दैवी अधिकार आधुनिक संसार के किसी भाग में आजकल न्याययुक्त अथवा राजनैतिक मत नहीं है। मैं यह विश्वास नहीं करता हूं कि इस प्रकार के मध्ययुग या प्राचीन मतानुसार पैतृक अधिकार प्राप्त किये हुये शासकों के अधिकारों का निर्वाह करना सम्भव होगा। इस सम्बन्ध में मंत्रिप्रतिनिधि मंडल यथेष्ट रूप में सचेत हैं और अपनी घोषणा

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

में सर्व स्थलों में भारतीयों का ही उल्लेख किया है, जिसका आशय है ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों स्थान के भारतीयों से। भारत का भावी विधान निश्चित करने में वर्तमान ब्रिटिश भारत और वर्तमान रियासतों के भारतीयों में कोई अन्तर नहीं रखा है। मुझे केवल मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के 1, 3, 14 और 24 परिच्छेदों का हवाला देने की आवश्यकता है।

एक और साधारण प्रश्न है, जो कि आलोचना का विषय बन गया है—डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा उपस्थित—प्रस्ताव में दलबन्दी पर खामोशी। मुझे यह कहने में हर्ष है कि डॉक्टर साहब ने वाद-विवाद में अखंड भारत का पक्ष ग्रहण कर अत्यन्त लाभदायक विचार उपस्थित किये हैं। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा का गम्भीर विवेचन इस धारणा की ओर संकेत करता है कि दलों (Groups) का बनाना वैधानिक ढांचे का आवश्यक अंग नहीं है। वास्तविक रूप में, मुख्य सिफारिशें हैं कि कुछ विषयों से सम्बन्ध रखने के लिये एक भारतीय संघ हो, संघ के विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय और शेषाधिकार प्रांत और रियासतों के अन्तर्गत हों, मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की योजनाओं के अनुसार रियासतें मिलकर प्रांत की स्थिति ग्रहण करें। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल के विचारानुसार प्रांतों को स्वयं दल (Groups) बनाने में बाधा उपस्थित करने के लिये इस प्रस्ताव में कोई बात नहीं है। ''कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक'' निर्बलता की व्यवस्था में कुछ टिप्पणियां हैं। ''कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक'' कथन का आशय यद्यपि इस देश और परिषद् से किसी विशेष प्रकार की राज्य-शासन-विधि को किसी विशिष्ट निर्देशानुसार स्वीकृत कराने का नहीं, परन्तु आधुनिक प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य के मौलिक उद्देश्यों को दृढ़ करने का है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि बनाया हुआ विधान उन्नति के आवश्यक तत्व और उन्नतिशील समाज के लिये आवश्यक व्यवस्था रखेगा। कदाचित् हमें यह स्मरण रखना है कि जिस प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं, वह इस परिषद् के मुख्य उद्देश्य को दृढ़ करने वाला है न कि व्यवस्था की भूमिका।

प्रस्ताव के विभिन्न भागों की पूर्ण परीक्षा की ओर अग्रसर हुए बिना ही जो कुछ मुख्य बात है, वह यह है कि इस अधिवेशन में हम इस स्थिति पर पहुंचने चाहिये कि हम अपनी जनता और सभ्य संसार के सामने अपने लक्ष्य के प्रयत्न की घोषणा कर सकें। लोकल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विधान के ढंग का विधान बनाने के लिए यह परिषद् नहीं है, या देश के यत्र-तत्र भागों के वर्तमान विधान में परिवर्तन करने के लिए यह परिषद् नहीं है। बल्कि यह परिषद् स्वतंत्र भारत का विधान सम्पूर्ण जनता की, इस विशाल ऐतिहासिक देश की, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय या मत से निरपेक्ष हो अनेकों शताब्दियों से अवनति को प्राप्त हुई, उस

प्राचीन सभ्यता की भलाई के लिए और स्वतंत्रता के लिए हुलसित जन-समाज की उमड़ती हुई आकांक्षाओं के लिए साकार चित्र बनाने के लिए है। किसी तर्क से अधिक हाउस के समक्ष प्रस्ताव को सुदूरपूर्वीय बंगाल के गांव से, भारत के राजनैतिक भाग्य-विधाता महात्मा गांधी का आश्रय और आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, मैं विश्वास करता हूं कि बिना किसी मतभेद के समस्त हाउस खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा और मेरे आदरणीय मित्र महामान्य डॉक्टर जयकर अपने संशोधन को वापस लेने का अपना मार्ग निकालेंगे। यदि उनकी इस सुझाई हुई विधि के विरुद्ध अन्त:करण से प्रेरित अधिक शक्तिशाली आपत्ति न हो। *(करतल ध्वनि)*

*__श्री जयपाल सिंह__ (बिहार : जनरल): श्रीमान्, सभापति जी, मैं उन लाखों अपरिचित फिर भी बहुत प्रमुख स्वतंत्रता के अप्रमाणित योद्धाओं, भारत के आदिवासियों जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार की पिछड़ी हुई जाति, असभ्य जाति, जरायन पेशा कौम, और जो कुछ भी हो, नामों से परिचित की गई है की ओर से बोलने खड़ा होता हूं। श्रीमान्जी, मुझे जंगली होने का गौरव है, यही नाम है जिससे कि हम अपने देश में पुकारे जाते हैं। जिस प्रकार का जीवनयापन हम जंगलों में कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस प्रस्ताव का पक्ष लेने का क्या अर्थ है। तीन करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से *(करतल ध्वनि)* मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, केवल इसीलिए नहीं कि यह प्रस्ताव भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता ने प्रस्तुत किया है, बल्कि मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि यह वह प्रस्ताव है, जो कि देश के प्रत्येक हृदय के हुलसित भावों को विदित करता है। मुझे इस प्रस्ताव की शब्द-योजना पर कोई आपत्ति नहीं है। एक जंगली और आदिवासी होने के नाते से इस प्रस्ताव की कानूनी उलझनों को समझने की मुझसे आशा नहीं की जाती है। लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि और मेरी जनता की सामान्य बुद्धि मुझे यह बतलाती है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इस स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिये और मिलकर संघर्ष करना चाहिये। श्रीमान्जी यदि कोई दल है जिसके कि साथ भद्दा बर्ताव किया गया है, तो वह मेरा ही दल है। गत 6000 वर्षों से उसकी अवहेलना की गई है और उनके साथ अनादरपूर्वक व्यवहार किया गया है। ''सिन्ध की तराई की सभ्यता'' का इतिहास—जिसका एक बच्चा मैं भी हूं—यह स्पष्ट बतलाता है कि वे नवागन्तुक थे—आपमें से बहुत से यहां अनिमंत्रित आगन्तुक हैं, जहां तक मेरा सम्बन्ध है—जिन्होंने मेरी जनता को सिन्ध की तराई से जंगलों में खदेड़ा। यह प्रस्ताव आदिवासियों को जनतंत्र शासन व्यवस्था सिखलाने के लिए नहीं है। आप जंगली कौमों को जनतंत्र शासन व्यवस्था नहीं सिखा सकते हैं, आपको जनतंत्रात्मक प्रयोग उनसे सीखने होंगे। पृथ्वी पर वे सर्वोच्च कोटि के जनतंत्रात्मक व्यक्ति हैं। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया है, मेरी जनता जो कुछ

[श्री जयपाल सिंह]

चाहती है। वह पर्याप्त संरक्षण नहीं है। उन्हें मंत्रियों से रक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसी कि आज की स्थिति है—हम किसी विशेष रक्षा की मांग नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि अन्य भारतीय व्यक्ति के समान हमसे भी व्यवहार किया जाये। हिन्दुस्तान की समस्या है। पाकिस्तान की समस्या है। आदिवासियों की समस्या है। यदि हम सब विभिन्न परस्पर विद्रोही दिशाओं में चिल्लायें, विभिन्न प्रकार से विचार करें, तो उसका फल कब्रिस्तान होगा। मेरा समाज का समस्त इतिहास भारत में बाहर से आये हुये व्यक्तियों द्वारा निरन्तर स्वत्व-हरण और शोषण का इतिहास है, जो विद्रोह और अव्यवस्था से अंकित है और फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को स्वीकार करता हूं। मैं आप सबके शब्दों में विश्वास करता हूं कि अब हम भारत में नया परिच्छेद आरम्भ करने को हैं—यह वह स्वतंत्र भारत का नया परिच्छेद है, जिसमें कि अवसर भी समानता होगी और किसी की अवहेलना न होगी—मेरे समाज में जाति का प्रश्न नहीं है। हम सब समान हैं। क्या तीन करोड़ से अधिक व्यक्तियों का पूर्णतया विस्मरण कर मंत्रिप्रतिनिधि मंडल ने हमारे साथ लापरवाही का बर्ताव नहीं किया है? क्या यह केवल राजनीति का कोरा दिखावा है कि आज हमारे 6 सदस्य इस विधान-परिषद् में हैं। यह किस प्रकार? हमारे उचित प्रतिनिधित्व के लिए भारतवर्षीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? क्या नियमों में ऐसा विधान लागू होगा, जिसके द्वारा आदिवासियों की और भी अधिक संख्या में आने की सम्भावना हो? श्रीमान् जी, आदिवासियों से मेरा आशय केवल पुरुषों से ही नहीं स्त्रियों से भी है। विधान-परिषद् में बहुत से पुरुष हैं। हम अधिक स्त्रियां चाहते हैं—श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के सदृश स्त्रियां, जिसने कि इस जाति विशिष्टता का संहार कर अमेरिका में विजय पा ही ली। मेरा समाज 6000 वर्षों से केवल आपकी जाति-विशिष्टता, हिन्दुओं की और प्रत्येक अन्य व्यक्ति की जाति-विशिष्टता से यंत्रणा उठाता चला आ रहा है। श्रीमान् जी, एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) है। मेरा समाज आदिवासियों का भारतीय भी है। वे सलाहकार कमेटी के चुनाव में जो कुछ होने वाला है, उसके लिए विशेष चिन्तित हैं। जब कि पहले मुझे स्मारक पत्र की प्रति जैसी कि मंत्रिप्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रथम प्रेषित की गई थी, दी गई थी, 20वें सेक्शन की भाषा निम्न प्रकार की थी:

> ''सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्पसंख्यकों,...... कबाइलियों और पृथक् किये क्षेत्रों के अधिकारों के आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी। (ध्यान रखिये पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी)।''

अब जब कि आज्ञा पत्र 6821 में मैं उसकी प्रतिलिपि पढ़ता हूं, तो वही 20वां परिच्छेद भिन्न तथा इस प्रकार है:

> ''सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्पसंख्यकों कबाइलियों और पृथक् किये क्षेत्रों के अधिकारों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी।''

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): गलत छपा। मूल ग्रंथ में ''आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी'' है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** क्या ऐसा है?

***सरदार हरनाम सिंह:** मुझे पूर्ण विश्वास है।

***श्री जयपाल सिंह:** इस विषय में मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं। मेरे विचार से हमको धोखा देने के लिए यह शाब्दिक जाल है। आदिवासियों को उचित व्यवहार देने के आश्वासन के अनेकों वक्तत्व और प्रस्ताव पढ़े हैं। यदि इतिहास मुझे कुछ भी सिखाता है, तो मुझे इस प्रस्ताव पर अविश्वास प्रकट करना चाहिये, पर मैं ऐसा नहीं करता। अब हम नवीन पथ पर हैं। अब हमें केवल परस्पर विश्वास करना सीखना है। मैं अपने अन्य मित्रों से जो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हैं, निवेदन करता हूं कि वे सम्मिलित हों, वे हम पर विश्वास करें और हम इसके एवज में उन पर विश्वास करना सीखें। मुझे दु:ख है कि हाउस में दलों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक वार्तालाप हुआ है। श्रीमान् जी, मैं अपने समाज को अल्पसंख्यकों में नहीं समझता। आज सुबह इसी भवन में हमने यह भी सुना है कि दलित-वर्ग भी अपने आपको आदिवासियों—इस देश के मूल निवासियों—में समझता है। यदि आप बाह्य जातियों को और अन्य व्यक्तियों को, जो कि सामाजिक दृष्टि से मानव-समाज के अंतर्गत नहीं हैं, इस प्रकार बढ़ाते चले जायेंगे, तो हम अल्पसंख्यकों में नहीं हैं। किसी प्रकार भी हमारे चिरकालीन अधिकार हैं, जिनको अस्वीकार करने का कोई साहस नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया है कि इस प्रस्ताव का प्रेषक ही नहीं, वरन् प्रत्येक व्यक्ति जो यहां है, हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार करेगा।

थोथे शब्दों की घोषणा करने से नहीं, वरन् यह न्यायोचित व्यवहार के कारण ही होगा कि हम ऐसा विधान, जिसका आशय वास्तविक स्वतंत्रता से होगा, बना सकें। मैंने देश के विभिन्न भागों में दिये गये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों को सुना है। चुनाव के समय में आसाम के दौरे में जो कुछ उन्होंने कहा, उससे मैं विशेष कर अधिक प्रभावित हुआ। जब मैं रामगढ़ में था, मैंने उन्हें आने और साठ हजार आदिवासियों को, जो कि रांची में केवल 30 मील की दूरी पर एकत्रित थे, व्याख्यान देने के लिये निमंत्रित किया। दुर्भाग्यवश वे कार्यरत रहे और न आ सके। बड़े सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं अब श्रीमान् जी, यदि मुझे आज्ञा हो तो उन शब्दों को उद्धृत करूं, जो कि मौलाना अबुलकलाम आजाद ने रामगढ़ में कहे:

[श्री जयपाल सिंह]

> ''कांग्रेस अपनी शर्तों को स्वीकार कराना नहीं चाहती है। वह अल्पसंख्यकों को स्वयं अपने संरक्षण-सूत्र बनाने के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करती है। जहां तक कि उनकी समस्या के निर्णय का सम्बन्ध है, वह बहुसंख्यकों के शब्द पर निर्भर नहीं है।''

श्रीमान् जी, आदिवासियों की अनेकों समस्याओं का हल मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट है और इस विषय को किसी भावी तिथि में स्पष्ट किया जायेगा—यहां मैं केवल उस न्यायोचित हल की जिसमें मेरा विश्वास है, रूप-रेखा दे सकता हूं और वह है प्रान्तों की सीमाओं का साहसपूर्वक पुनरंकन। मेरे क्षेत्र की स्थिति को स्वयं आपने भली प्रकार कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में जबकि आप स्वागत समिति के प्रधान थे, उपस्थित किया था। क्या मैं हर्षातिरेक के शब्दों को, जो आपने वहां कहे थे, पढ़ूं?

> ''बिहार का यह भाग जहां यह विशाल जनसमूह एकत्रित हो रहा है, अपनी स्वयं विशेषता रखता है। सौंदर्य में यह अनुपम है। इसका इतिहास भी अनोखा है। इन भागों में अधिकतर वे लोग बसते हैं, जो कि भारतवर्ष के मूल निवासी माने जाते हैं। अन्य व्यक्तियों की सभ्यता से इनकी सभ्यता कई बातों में भिन्न है। प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता बहुत पुरानी है। आदिवासी आर्यों से भिन्न वंश के हैं—और इनके वंश के मनुष्य भारत के दक्षिण पूर्व के कई टापुओं में सुदूर तक फैले हुये हैं–इनकी प्राचीन सभ्यता इन भागों में पर्याप्त सीमा तक सुरक्षित रही है। सम्भवत: अन्य स्थानों से अधिक।''

श्रीमान् जी, मैं कहता हूं कि आप मेरे समाज को प्रजातंत्र शासन-विधि नहीं सिखा सकते हैं। मैं इसको दुबारा कहूं कि यह केवल आर्यों के दलों के पदार्पण से ही है कि प्रजातंत्र शासन-विधि के चिह्न अवसान को प्राप्त हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी हाल की प्रकाशित पुस्तक में इस स्थिति को बड़े सुन्दर ढंग से रखा है और मेरा विचार है कि मैं उसे उद्धृत करूं। अपनी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी (Discovery of India) में वे सिन्ध की तराई की सभ्यता और तद्गामी शताब्दियों का उल्लेख करते हुये कहते हैं:

> ''अनेकों कबाइली प्रजातंत्र शासन थे, उनमें से कुछ बड़े-बड़े क्षेत्रों को घेरे हुये थे।"

श्रीमान् जी, अब भी फिर अनेकों कबाइली प्रजातंत्र होंगे वे प्रजातंत्र जो कि भारत की स्वतंत्रता के युद्ध में सबसे आगे रहेंगे। मैं हृदय से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वे सदस्य जो कि अभी सम्मिलित नहीं हुये हैं, अपने देशवासियों में वैसा ही विश्वास करेंगे। आओ, हम साथ-साथ बैठकर,

साथ-साथ काम कर, साथ ही साथ लड़ें। तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। *(करतल ध्वनि)*

*__सभापतिः__ मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। 16 मई 1946 ई. की घोषणा की पुनः प्रकाशित प्रति को उसी रूप में स्वीकार किया गया था। जिस रूप में कि वह पार्लियामेंट के हाउसों में उपस्थित की गई थी।

*__श्री जयपाल सिंहः__ जो प्रति मुझे दी गई है, उस पर बिहार के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं।

*__सभापतिः__ मैं नहीं जानता कि परिवर्तन किसने किया है। इस पुस्तक में वैसी ही घोषणा है, जैसे कि आज्ञापत्र में पार्लियामेंट को उपस्थित की गई थी।

*__डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी__ (बंगाल : जनरल): क्या मैं यह जान सकता हूं कि सही शब्द क्या है? "उपयुक्त" या "पूर्ण"?

*__सभापतिः__ "उपयुक्त" शब्द है जो मुझे छपा हुआ मिलता है।

*__डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जीः__ जो पुस्तकें हमें दी गई हैं; उनमें पूर्ण का प्रयोग किया गया है।

*__सभापतिः__ कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। मुझे यह मालूम करना है कि यह किस प्रकार हुआ? यह ठीक वैसा ही है जैसा कि पार्लियामेंट को उपस्थित किया गया था।

*__डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जीः__ पुस्तक जो हमें मिली है, श्रीमान् जी..........।

*__सभापतिः__ मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। मैं समझता हूं कि घोषणा जैसी कि इस पुस्तक में छपी है, ठीक वैसी ही पार्लियामेंट में उपस्थित की गई थी।

*__श्री जयपाल सिंहः__ पार्लियामेंट में पेश होने से पूर्व 'पूर्ण' शब्द था।

*__श्री देवीप्रसाद खेतान__ (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, सभापतिजी, व्यापारिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस प्रस्ताव को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। इस दृष्टिकोण के आधार पर मैं हृदय से पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय डॉक्टर जयकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमें यह स्मरण कराके कि वे संघ शासन सम्बन्धी न्यायालय (Federal Court) के न्यायाधीश रहे और प्रिवी कौंसिल के वर्तमान सदस्य हैं डॉक्टर जयकर ने हमारे सामने अपना मत रखा है, जिसका समर्थन सम्भवतः न तो घोषणा और न वर्तमान परिस्थिति से ही होता है। मेरे विनम्र विचार से जो कुछ मंत्रिप्रतिनिधि मंडल ने किया, वह जनता की स्वतंत्रता प्राप्त करने की अभिलाषा को मान्य करना, विधान-परिषद् के विचार-विमर्श कर कुछ जंजीरें कसना और शेष कार्य को देश

[श्री देवीप्रसाद खेतान]

के प्रतिनिधियों की बुद्धि और चातुर्य पर छोड़ना था। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा में अनेकों रिक्त स्थान हैं, जिनकी पूर्ति करने का और अपने विधान को इस प्रकार का रूप देने का जो कि हमारी समझ से जनता की अभिलाषाओं की पूर्ति करे और हमें एक अच्छा विधान प्राप्त कराये, ये अधिकार हैं सम्भवतया डॉक्टर जयकर विचार करते हैं कि इस स्थिति में हम केवल प्रधान चुनने और सामान्य कार्य प्रणाली बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। श्रीमान् जी, मैं समझता हूं कि वे सामान्य कार्यप्रणाली की व्याख्या बहुत संकीर्णता से कर रहे हैं जब तक कि हम उन सामान्य लक्ष्यों को, जो हमें प्राप्त करने हैं, बनाने के लिए तत्पर नहीं होते, जब तक कि हम इस देश का विधान बनाने के लिए कुछ समितियां, जो कि आवश्यक हैं, बनाने के लिए उद्यत नहीं होते और जब तक कि हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या करने के लिए समिति नियुक्त करने को तैयार नहीं होते, मैं नहीं जानता कि देश का विधान बनाने के लिए अग्रसर होना हमारे लिए किस प्रकार संभव है। डॉक्टर जयकर के तर्कानुसार इस प्रथम अधिवेशन में हम केन्द्रीय विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझ पाता कि बिना ऐसा किये हम किस प्रकार अग्रसर हो सकेंगे? यदि इस समय हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या नहीं कर पाते, तो प्रांतों और दलों के लिए अपना विधान बनाना संभव नहीं होगा। वे उन सत्ताओं को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, जो कि अंत में केन्द्रीय सरकार से ले लेनी हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि लक्ष्यों के बनाने के अतिरिक्त हमें यह विदित कर लेना चाहिये कि केन्द्रीय विषयों से क्या आशय है और उनको प्रबन्ध के लिये कितना धन आवश्यक है? इसी प्रकार हमें अन्य सिद्धांत बनाने चाहिये। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करना, उनके हितों का किस प्रकार संरक्षण करना तथा अन्य कार्यों को करना जो कि इष्ट हैं और मेरे विचार से विधान बनाने के लिए किस प्रकार प्रयत्न करना है। वे (डॉक्टर जयकर) डरते हैं कि यदि हम अब लक्ष्य रखते हैं, तो मिस्टर जिन्ना और उनका दल विधान-परिषद् में शायद शामिल न हो। मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक उनके इस विचार से मतभेद प्रकट करता हूं। हम अनेकों बार मिस्टर जिन्ना से मिले। क्या हम कभी उनके हृदय को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये सच्चाई से और हमसे ईमानदारी से मिलने के लिये पिघला सके? यहां तक कि जब अन्तःकालीन सरकार बनी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अन्तःकालीन सरकार में सम्मिलित होने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके विरोध में कहा कि वे वाइसराय का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस अनेकों

बार किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये उनसे मिली, तो उन्होंने अपने मित्र मिस्टर चर्चिल से निवेदन किया कि वे उसे कुछ कांग्रेस और उनके मध्य मिथ्या-भ्रमों के स्पष्टीकरण के लिये इंग्लैंड बुलायें—मैं उन्हें मिथ्या भ्रम कहता हूं—अब भी जब कि हम विधान-परिषद् के कार्य में अपने देश का भाग्य-निर्माण करने अग्रसर हो रहे हैं, वे अपना समय कैरो में एक रोग फैलाने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसे मैं हिन्दू-फोबिया (Hindu Phobia) कहूंगा, कि हिन्दू राज मध्य-पूर्व तक प्रसारित होगा। उनके लिये न मुझे खेद है और न आश्चर्य कि वे कैरो में प्रचार-कार्य करने में संलग्न हैं। यदि वे यह सोचते हैं कि हिन्दू अपना राज्य मध्य-पूर्व तक बढ़ाने में यथेष्ट शक्तिशाली हैं, तब तो उनके लिये अपने देश वापस होना और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विधान शांति-पूर्वक और उन्नति-सहित समस्त अल्पसंख्यकों के हितों का उचित ध्यान रखते हुये, बनाने के लिये हम में सम्मिलित होना अधिक उपयुक्त है। श्रीमान् जी, मैं आशा करता हूं कि हम लोग उस रोग से जिसे मैं जिन्ना फोबिया (Jinnah Phobia) कहूं पीड़ित नहीं होंगे और सदैव मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग से भयभीत होकर अपने आपको पूर्णतया असहाय नहीं बनायेंगे तथा अपने अत्यावश्यक विधान के बनाने में देर नहीं करेंगे। हमें साहस का संग्रह करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि जो विधान बने, वह सबके हितों का संरक्षण करने में न्याययुक्त हो, जिससे कि देश की आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता जितना शीघ्र संभव हो, प्राप्त हो सके। यदि हम व्यर्थ देर करते चले गये, तो मैं नहीं समझता कि आगे क्या-क्या कष्ट उत्पन्न हों भविष्य में कष्ट निवारणार्थ मैं इस हाउस के सामने निवेदन करूंगा कि वह साहस धारण करे और विधान बनाने में अग्रसर हो, जिससे कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके, हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। श्रीमान् जी, मैं आशा करता हूं कि हम व्यर्थ समय नहीं गवांयेंगे, बल्कि अपने कार्य में अग्रसर होंगे और इसलिये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। *(करतल ध्वनि)*

***श्री डम्बर सिंह गुरंग** (बंगाल : जनरल): श्रीमान् सभापतिजी, मैं समझता हूं कि यहां आज भारतवर्ष के स्थाई निवासी 30 लाख गोरखों का केवल मैं प्रतिनिधि हूं। वे तीस लाख हैं—सिखों की आबादी के लगभग, फिर भी इस हाउस में मैं अकेला ही प्रतिनिधि हूं। मुझे यह परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि ये गुरखे कौन हैं उन्होंने अपने प्रशंसनीय युद्ध कौशल से समस्त संसार को स्वयं अपना यथेष्ट परिचय दे दिया है। विगत पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के समय में यह पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका है कि संसार में उनकी जाति एक महान योद्धा जाति है।

यह उन बहादुर गुरखों की ओर से है कि मैं अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ (All India Gurkha League) के प्रधान के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित

[श्री डम्बर सिंह गुरंग]

प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। यह उपयुक्त समय है जब कि हमें ऐसे शक्तिशाली कदम को उठाना चाहिए। यदि 'हम देखें और प्रतीक्षा करें' वाली नीति को धारण करें जिसका कि डॉक्टर जयकर ने पक्ष लिया है और डॉक्टर अम्बेडकर ने समर्थन किया है, तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पायेंगे। यदि हम इस नीति का अवलम्बन करते तो अन्त:कालीन सरकार जो आज कार्य कर रही है, बन ही नहीं सकती थी। सौभाग्य से ये डॉक्टर औषधोपचार के डॉक्टर नहीं हैं। अन्यथा ऑपरेशन में देर कर ये रोगी को मार डालते। *(हंसी)* हमने काफी समय तक प्रतीक्षा की और अब हमको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह केवल अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन होगा।

श्रीमान् जी, यह बहुधा कहा गया है कि गोरखे स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक रहे हैं। यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह सच हो, पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि विशेषतया सेना विभाग (Military Dept.) में कर्त्तव्य की भारी प्रमुखता और अनुशासन अत्यन्त आवश्यक अंग है, जिसकी अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र राज्य नहीं कर सकता। अब स्वतंत्र भारत में आप हमसे वही करने के लिए कहेंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार हमसे कहती थी और यदि कोई विधान द्वारा स्थापित सरकार में गड़बड़ करने वाला हुआ तो आप उनकी (गुरखों) उस अनुशासन के रखने के लिए प्रशंसा करेंगे।

श्रीमान् जी, गुरखों की समस्या बिल्कुल भिन्न है। वे समस्त भारत में फैले हुए हैं। केवल दार्जिलिंग के जिले और आसाम प्रांत में ही ये लोग किसी सीमा तक घनी आबादी में हैं। इन दोनों क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या लगभग 14 लाख है और शेष समस्त भारत में फैले हुए हैं। शिक्षा और अर्थ संबंधी क्षेत्रों में बहुत ही पिछड़े हुये हैं। यद्यपि हमसे भारत में घृणित-से-घृणित कार्य कराये गये, जिनके कारण भारतीयों द्वारा हम कसाई कहे गये। यद्यपि ब्रिटिश शासन को भारत या अन्य स्थानों में रक्षित रखने के लिये सैकड़ों और हजारों गुरखों के जीवनों को बलिदान किया गया, तो भी ब्रिटिश सरकार ने गुरखों की उन्नति के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। हमारी अत्यन्त दुखदाई उपेक्षा की गई। केवल युद्धकाल में वे गुरखाओं को स्मरण करते हैं। ब्रिटिश सरकार की सदैव हमें पिछड़ी हुई और अज्ञान अवस्था में रखने की नीति रही, जिससे कि हमारा बलिदान किसी समय और कहीं भी जहां वे चाहें कर सकें।

गुरखे शंका करते हैं कहीं कांग्रेस भी इसी नीति का अनुसरण न करे। इस शंका के लिए एक शक्तिशाली आधार है। विधान-परिषद् के सदस्यों का चुनाव

होने के पूर्व अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ ने (All India Gurkha League) कांग्रेस हाई कमान्ड से विधान-परिषद् में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने की प्रार्थना की, पर हमारे अधिकारों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई और तीस लाख गुरखाओं को एक सीट भी नहीं दी गई, जबकि एंग्लो-इंडियन को तीन सीटें दी गईं जिनकी आबादी भारत में केवल एक लाख बियालीस हजार है। मैं नहीं समझ सकता कि गुरखे इस प्रकार के और अधिक अन्याय को सहन करेंगे। मैं अभी-अभी नेपाल-नरेश की सेवा में अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ की ओर से एक शिष्टमंडल (डेलीगेशन) के नेतृत्व में गया था और मुझे आशा है कि नेपाल कभी गुरखों का ऐसा शोषण नहीं होने देगा। श्रीमान् जी, गुरखों की मांग है कि उनको अल्पसंख्यक जाति माना जाये और सलाहकार समिति (Advisory Committee) में जो कि बनने वाली है। उनके पर्याप्त प्रतिनिधि होना चाहिए। जब कि केवल 1 लाख 42 हजार एंग्लो-इंडियन की आबादी को अल्पसंख्यक जाति मान लिया गया है और हिन्दुओं में परिगणित जातियों की एक अलग ही जाति मान ली गई है, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि तीस लाख गुरखों की आबादी को क्यों इसी प्रकार न माना जाये। गुरखों को जिनकी कि पूरी जनसंख्या नेपाल सहित एक करोड़ पचास लाख है, स्वतंत्र भारत में बड़ा प्रमुख कार्य करना है। मैं नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

अन्त में श्रीमान् जी, मैं एक शब्द और कहूंगा। यदि मिस्टर जिन्ना अपने आपको भारतीय समझते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे भारतवर्ष में आयें और यहां आकर अपने मतभेदों को तय करें। क्योंकि यह हमारा घरेलू झगड़ा है। वे क्यों उन लोगों की सहायता खोजते हैं, जिन्होंने कि शताब्दियों तक हमें दासता में रखा है? मैं एक विदेशी के पाखंडपूर्ण दुलार से भाई की ठोकर को अधिक हितकर समझूंगा। यदि बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यकों के निमित्त कोई न्याय नहीं करता, तो हम संगठन करेंगे, विद्रोह करेंगे और भारतवर्ष में असह्य कठिनाई उत्पन्न कर देंगे। मुझे भय है कि भारत के प्राचीन इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। मैं एक विषय स्पष्ट कर दूं कि कोई भी अल्पसंख्यक (जाति) मिस्टर जिन्ना के मूर्खतापूर्ण पाकिस्तान के अडंगे के अधिकार का समर्थन नहीं करेगी। हम अखंड भारत के समर्थक हैं।

इस सबके विरुद्ध यदि मिस्टर जिन्ना ग्रहयुद्ध की धमकी देते चले आ रहे हैं, तो मैं देशवासियों से उस धमकी को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं और हमें लड़कर उसका निबटारा कर देना चाहिये। गुरखे उनके साथ लड़ेंगे, जो अखंड भारत चाहते हैं और उनका विरोध करेंगे जो भारत का विभाजन चाहते हैं।

*__डॉ. सर हरीसिंह गौड़__ (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान् जी, ज्यों ही कि मैंने माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, मेरे मस्तिष्क में तीन भिन्न बातें खटकने लगीं। प्रथम—पंडित जवाहरलाल नेहरू का भली प्रकार विचारा हुआ सुन्दर वाक्य-शैली-युक्त प्रस्ताव। द्वितीय—मेरे मित्र डॉक्टर जयकर का अवरोधक संशोधन के रूप में प्रस्ताव और तृतीय—मिस्टर जिन्ना के पाकिस्तान के विरोध में बारम्बार चीख और चौथी प्रसंगवश देशी रियासतों का उल्लेख।

श्रीमान् जी, आरम्भ में मैं प्रस्ताव की ओर संकेत करूं, यह बताया गया है कि विधान-परिषद् का यह प्राथमिक अधिवेशन है और प्रस्ताव के विषय में अग्रसर होने का हमको अधिकार नहीं। जिन व्यक्तियों के ऐसे विचार हैं, उनके प्रति उचित सम्मान-सहित मैं यह बतलाना चाहता हूं कि विधान-परिषद् सर्वशक्ति युक्त संस्था निरूपित की गई है। और यह निरूपण यथार्थ है। यदि यह भारत की सर्वशक्ति-सम्पन्न संस्था है, तो उसे इस प्रस्ताव को जो कि भावी भारत के सम्पूर्ण विधान के मौलिक सिद्धान्त को अंकित करता है, स्वीकार करने का अधिकार है। माननीय सदस्यों का ऐसा विचार प्रतीत होता है कि विधान-परिषद् भारत में आये हुये ब्रिटिश मंत्रिमंडल की उपज है और यह उस लेख की शर्तों के आधीन है, जो कि 16 मई के मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा से विख्यात है। मैं सम्मानपूर्वक यह बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् भारतीय जनता की ध्वनि है। (वाह वाह) और इस देश में आये ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की उपज नहीं और भारत की आवाज होने के नाते से यह भारतीय जनता के प्रति कर्त्तव्य पालन के लिए ऋणी है और जब वह आवाज शक्तिशाली तथा अटल और दृढ़ हुई, तब ब्रिटिश मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल ने भारत के दबाव से विवश होकर भारत को इस परिषद् के लिए अपना विधान बनाने के अधिकार को देना स्वीकार किया जिसे भारत अनेक वर्षों से मांग रहा था। इसलिए हम अपने मस्तिष्क से यह बात विदा न करें कि यद्यपि हम मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की इच्छाओं का उचित सम्मान करते है, फिर भी हम उन शर्तों में जो उन्होंने रखी हैं, बंधे नहीं हैं और हमारा, प्रथम कर्त्तव्य, हमारा प्रमुख कर्त्तव्य—अपने स्वामियों भारतीय जनता—के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना है। यदि इस बात को दृष्टि में रखा जाये, तो अन्य प्रश्न पीछे पड़ जायेंगे।

उन प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रसंग की शर्तें हैं (Terms of Reference) और श्री जयकर का परिणामभूत संशोधन। मैं यह निवेदन करता हूं कि विधान-परिषद् अपना मान और गौरव खो देगी, यदि वह हमारे मुस्लिम लीग के मित्रों से सहायता पाने के लिए पीछे-पीछे भागती फिरेगी। यदि भारतीय जनता के प्रति हमारा कर्त्तव्य

है, तो उस कर्त्तव्य का पालन करना पड़ेगा और करना चाहिये; चाहे मिस्टर जिन्ना या पंडित जवाहरलाल नेहरू या अन्य कोई व्यक्ति इस परिषद् में सम्मिलित हों, अथवा न हों। ये व्यक्तिगत घटनायें और प्रसंग हैं, लेकिन हमारी विधान-परिषद् को अपना कार्य करना चाहिये, चाहे और लोग आयें, चाहे जायें। (वाह-वाह) मान लीजिये मेसर्स जिन्ना एंड कम्पनी आरंभ में सम्मिलित हो गई—और अपने किसी कारणवश किसी बहुत अच्छे कारणवश मैं आपको विश्वास दिलाता हूं—वे परिषद् से बाहर प्रस्थान कर गये, तो क्या परिषद् को स्थगित करने का—उनके पीछे भागकर उनके आंचल को पकड़ कर उनसे कहने का—"कृपया भागिये नहीं, अन्दर आइये, यदि आप भागेंगे तो हम भी आपके साथ बाहर भाग जायेंगे" कोई आधार होगा? *(हंसी)* मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी विधान-परिषद् कम-से-कम आर्यावर्त्त की विधान-परिषद् स्वयं दीनता और अस्तित्व-हीनता की अवस्था में न गिरेगी।

समाचार-पत्रों के अनुसार मिस्टर जिन्ना आजकल पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम मत को प्रभावित करने के लिए कैरो में हैं। मैंने पहले मिस्टर जिन्ना को लिखा है और मैं एक बार फिर इस हाउस को स्मरण कराता हूं कि हम उनको (जिन्ना को) एक संदेश भेजें कि वे अपनी यात्रा को अन्य दसों पाकिस्तानों के भ्रमण के लिए और भी बढ़ा सकते हैं, जो हजारों बरसों से ईराक, ईरान, लीबिया और अन्य स्थलों में हैं और लागू किए गये हैं। उनको देखने और इन पाकिस्तानों की स्वयं कल्पना करने दीजिये और इसके पश्चात् वे अपने देश को वापिस लौटेंगे—एक दुखी पर अधिक समझदार व्यक्ति होकर पूर्णतया गर्व-हीन होकर—और यह विश्वास कर कि हमारे देशवासी भारत के मुसलमानों के हित के लिए पाकिस्तान लाभदायक नहीं है—यदि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजित किया जाता है, तो कितने घंटों तक वह पाकिस्तान स्वतंत्र रहेगा और चारों ओर की शक्तियों का ग्रास नहीं बनेगा, जैसा कि समस्त मुस्लिम-संसार में पाकिस्तान के साथ हुआ है?

श्रीमान् जी, इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं तुर्की का इतिहास पढ़ रहा था—मैंने देखा कि किस प्रकार कमाल पाशा अतातुर्क ने राजनीति को धर्म से मिलाने की अज्ञानता और निस्सारता का अनुभव किया। सबसे पहला कार्य जो उसने किया, वह पाकिस्तान का अंत करना और टर्की में प्रजातंत्र की स्थापना करना था और समस्त मुस्लिम देशों में ईरान से लेकर पेलेस्टाइन तक के राष्ट्रों के आकार-प्रकार में केवल टर्की ही सम्भवतया अकेला स्वतंत्र देश है। हमारे मित्र मुसलमानों को इस बात का अनुभव और स्मरण करने दीजिए, तब उन्हें पाकिस्तान को जिन्ना साहब का एक खतरनाक और आत्मघातक आंदोलन समझ कर इसे छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

[डॉ. सर हरीसिंह गौड़]

श्रीमान् जी, अब तक तो बहुसंख्यक जाति ही पाकिस्तान के इस आधार पर कि वे भारत की अखंडता के हामी हैं, दोष निकालती रहीं। हम किसी भावुक आधार पर भारत की अखंडता के हामी नहीं; हम भारत की अखंडता के हामी इसलिये हैं कि हमने बहुधा भारत के मुसलमानों की भलाई के लिए विशेष रूप के क्रियात्मक सुझाव पेश किये हैं। और मैं अपने मित्रों की ओर से एक बार फिर इन सुझावों को इस हाउस में पेश कराना चाहता हूं। संयुक्त जनमत होने दीजिए और मुसलमानों को अपनी सीटों की निर्धारित संख्या रखने दीजिये, लेकिन जनमत में यह आदेश रखिये कि एक जाति का कोई भी सदस्य चुना हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि वह दूसरी जाति की कुछ प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार हम जाति-चुनाव के स्थान में प्रादेशिक और प्रजातंत्रात्मक चुनाव प्रचलित करेंगे और जातिभेद और विषमता को कालान्तर में अदृश्य करना प्रारंभ करेंगे। यदि यह प्रस्ताव मुस्लिम-लीग को मान्य है, तो इसमें संदेह नहीं कि बहुसंख्यक जाति और कांग्रेस इस प्रस्ताव पर अनुकूल विचार करेगी, क्योंकि दोनों प्रजातंत्रात्मक हैं, साम्प्रदायिक नहीं और देश में प्रादेशिक चुनाव के सिद्धांत का प्रचलन फिर से होगा। मेरे मुसलमान मित्रों को रचनात्मक नीति रखनी चाहिए, भारत का विभाजन और पृथक् करने के लिए नहीं, वरन् भारत की भिन्न-भिन्न जाति, सम्प्रदाय और वर्ग में समानता का व्यवहार उत्पन्न करने के आशय से; जिससे कि अखंड स्वतंत्र भारत बनाया जा सके।

श्रीमान्, जी अमेरिका में अनेकों प्रकार और श्रेणी की 50 भिन्न-भिन्न जातियां हैं, पर जैसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध हुआ और विजय हुई, उन्होंने स्वतंत्रता का धर्म से सम्बन्ध स्थापित करना कभी नहीं सोचा और यही कारण है कि अमेरिका आज संसार की एक प्रभुत्वशालिनी जाति हो गई है और भारत—मैं आपको बता दूं—यदि अपनी आत्मरक्षा के लिए शक्तिशाली और अखंड रहता है, तो प्रभु तो नहीं वरन्, एशियाई प्रदेशों का प्रमुख सेवक बनेगा।

भारतीय जनता का एक और भाग—देशी रियासतें—अभी कोई निर्णय नहीं कर रही हैं, वे कहते हैं कि आप विधान-परिषद् को, जब तक हम न आयें, स्थगित रखिये। कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं निवेदन करता हूं कि देशी रियासतों की स्थिति बहुत सरल है और वह यह है कि वे कहती हैं कि उनकी क्राउन से संधियां हैं। मैं मानूंगा कि वे या अन्य सब-के-सब क्राउन से संधियां रखते हैं और ये संधियां सौ या डेढ़ सौ वर्ष पुरानी हैं। पर 150 वर्ष पूर्व इंग्लैंड का क्राउन क्या था? वह शासन करने वाली सरकार की, ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की ध्वनि थी, अतः जब वे क्राउन से हुई अपनी संधियों को उल्लेख करते हैं,

तो वे यही अभिप्राय रखते हैं कि उनकी संधियां इंग्लैंड की सरकार से हुई थीं, जो कि उस समय सत्ता धारण किये थीं। यह साधारण बात है, यदि मैं कहूं कि जब इंग्लैंड के क्राउन ने सौ या डेढ़ सौ वर्षों से पूर्व ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की सलाह को माना तो क्या इंग्लैंड का क्राउन आज भारतीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना त्रुटिपूर्ण समझेगा? क्या भारतीय राजा या नवाब यह शिकायत कर सकते हैं कि क्राउन को अपने सलाहकार चुनने का अधिकार अब नहीं है? इसलिए उनकी स्थिति व्यर्थ है। जब वे क्राउन से अपनी संधियों का उल्लेख करते हैं, तब वे कहते हैं कि क्राउन को सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, परन्तु वह भूल जाते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार को बड़े राज्य हिज एक्जाल्टेड हाइनेस हैदराबाद के निजाम से लेकर काठियावाड़ की सबसे छोटी रियासत तक के सब देशी राज्यों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। और जिसको कि रक्षा के अधिकार प्राप्त हैं, वस्तुत: सर्व अधिकार प्राप्त करता है। ब्रिटिश भारत का रक्षा-विभाग विधान-परिषद् को दे दिया गया है, विधान-परिषद् देशी शासकों की रक्षा की उत्तरदायी है, अत: इतने से ही सर्व-अधिकार इंग्लैंड के राजा या इंग्लैंड की पार्लियामेंट से अन्त:कालीन सरकार को प्राप्त हो गये।

तीसरा विषय जिसकी ओर मैं देशी शासकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मान लेने पर भी कि सार्वभौम सत्ता (इंग्लैंड के) राजा में नाम मात्र की ही है, हाउस ऑफ लार्ड्स की बहस में यह बताया गया था कि जब भारत में अधिकारों को हस्तान्तरित करने के पश्चात् वे सार्वभौम सत्तायें समाप्त हो जायेंगी और अन्त में या तो देशी रियासतें भारत की अन्त:कालीन सरकार से मैत्री करें और या उस स्वतंत्र भारत के आधीन और आश्रित होकर अकेली अलग रहें। इसलिए मैं अपने देशी रियासतों के मित्रों को सलाह देता हूं कि वे विधान-परिषद् से सम्मिलित होने के निमंत्रण पाने की व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वे सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। देशी रियासतों से संधियों के सम्बन्ध का विषय—यह फिर ऐसा प्रश्न है–जिस पर विधान-परिषद् को अन्तिम निर्णय करना होगा। मैं इसलिए विचार करता हूं कि पाकिस्तान और देशी रियासतों के प्रश्न से हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य में अग्रसर हों पर यह याद रखिये कि हम विधान-परिषद् को कांग्रेस के सर्वोच्च सत्ता (हाई कमांड) ने भी गलत समझा है कि मानो हम ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की उपज हैं। यह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन की उपज नहीं है। (वाह-वाह) इसकी सत्ता इस बात के आधार पर है कि देश की राजनैतिक जागृति इस सीमा तक उन्नत हो चुकी है कि ब्रिटिश सरकार को वैधानिक स्वतंत्रता या प्रतिरोधी स्वतंत्रता

[डॉ. सर हरीसिंह गौड़]

का सामना करना पड़ेगा। बल या प्रोत्साहन ही ब्रिटिश सरकार के लिए बचा है। पहले वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने अभी कुछ दिन हुए सरदार सभा (House of Lords) में बताया कि ब्रिटिश सरकार भारत पर उस समय तक अपना प्रभुत्व जमाये नहीं रह सकती, जब तक कि उसके पीछे ब्रिटिश सहायता का नैतिक अधिकार न हो। ग्रेट ब्रिटेन में इसके पक्ष में कोई नहीं है और निश्चित रूप से भारत से पक्ष प्राप्त करना समाप्त हो चुका। अत: यह राजनैतिक आवश्यकता का प्रश्न हो गया है और ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल और ब्रिटिश मजदूर दल ने अब भारत को स्वतंत्रता देने की ठान ली है। स्वतंत्रता मिलेगी—और जरूर मिलेगी। जब हम यहां भारत का भावी विधान बनाने के लिए बैठे हैं, तो हम इधर-उधर न देखें और इस ओर दृष्टिपात न करे कि मुस्लिम लीग क्या सोचेगी, या ब्रिटिश सरकार क्या विचारेगी और अपने संदेहों को संघ-शासन-सम्बन्धी न्यायालय (Federal Court) में भेजें।

फेडरल कोर्ट के सम्बन्ध के विषय पर हाउस के निश्चय की पूर्व कल्पना मैं नहीं करना चाहता, परन्तु मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस हाउस को इस बात का ध्यान न करते हुए कि विरोध का सामना करना है या आलोचना का, चाहे वे कहीं से भी आवें या उत्पन्न हों, अपना कार्य करने के लिए यथेष्ट रूपेण आत्म सम्मानित होना चाहिए। *(घोर करतल ध्वनि)*

***श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन** (मद्रास : जनरल): श्रीमान् जी, प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के पूर्व मुझे अपने क्रांतिकारी पिता महात्मा गांधी के प्रति विनम्र भक्ति-प्रसून अर्पण करने दीजिये। *(करतल-ध्वनि)* यह उनकी अन्तर्दृष्टि, उनके राजनैतिक आदर्शवाद और उनकी सामाजिक उत्कंठा है, जिसने हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराये। मैं निवेदन करती हूं कि विधान-परिषद् केवल विधान ही नहीं बनाती, वरन् जनता को जीवन का एक नया स्वरूप भी देती है। विधान बनाना सरल कार्य है, क्योंकि हमारे लिए अनुकरण करने को अनेकों नमूने हैं। परन्तु नवीन आधार पर जनता को नूतन बनाने के लिए कल्पना करने वाले (व्यक्ति) को संयोगात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र सर्वशक्ति-सम्पन्न भारत एक स्वतंत्र समाज की कल्पना करता है। हमारे प्राचीन शासन-विधान में निरंकुश शासन और जनतंत्र शासन में संघर्ष थे। प्रजातंत्रवाद की क्षीण ज्योति को सत्ता-लोलुप राज्य की शक्ति से बुझा दिया गया था। लिच्छवी जनतंत्र (The Lichavi Republic) हमारे पूर्वजों की जनतंत्रात्मक मेधा का सुन्दर प्रदर्शन था। उसमें प्रत्येक नागरिक राजा कहा जाता था। भारत के आने वाले प्रजातंत्र में अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।.......

समझौता समिति (निगोशियेटिंग कमेटी) के उन सदस्यों की घोषणा से जो कि

नरेन्द्र मंडल के प्रतिनिधि हैं, हम शासकों का दृष्टिकोण इस विषय में समझ सकते हैं। परन्तु अपनी जनता के लिए ऐतिहासिक संदेश देने वाले महाराजा भी हैं मेरा अभिप्राय कोचीन के महाराज से है—जो कि भारत में एक अत्युन्नत रियासत है और मुझे यह कहने का गौरव है कि मैं उसी रियासत की हूं। यह सन्देश का भाग है:

> ''मैं केवल वैधानिक नियम में विश्वास करता हूं और अपने समस्त जीवन में मैंने (मानव) जीवन और संस्थाओं के प्रति, जो कि एकतंत्र और व्यक्ति शासन के विरुद्ध है, परिश्रम से एक दृढ़ भाव को ग्रहण कर लिया है।''

इस सन्देश से यह स्पष्ट है कि अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं। भारतीय जनतंत्र में जाति और सम्प्रदाय-आश्रित कोई रुकावटें नहीं होंगी। भारतीय संघ के जनतंत्रात्मक राज्य में हरिजन सुरक्षित होंगे। मैं अनुमान करती हूं कि नीचे के वर्ग के लोग भारतीय जनतंत्र के शासक होंगे। मैं इसलिए विधान-परिषद् के हरिजन प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगी कि वे पृथक्वाद का राग न अलापें। पृथक्वाद के राग को अलापकर हम अपने आपको अपनी भावी संतानों के लिए हास्यास्पद न बनायें। साम्प्रदायिकता चाहे हरिजन, मुसलमान या सिख (किसी की हो) राष्ट्रीयता के विरुद्ध है। (वाह-वाह) जो कुछ हम चाहते हैं, वह सब प्रकार का संरक्षण नहीं है। वह नैतिक संरक्षण ही है, जो कि देश के नीचे वर्ग के लोगों को वास्तविक शरण देता है। मैं हरिजनों के भविष्य के लिए बिलकुल भयभीत नहीं हूं। वे संरक्षण जो हरिजनों की स्थिति में सुधार करते हैं, संरक्षण नहीं हैं।

कुछ दिन हुए हमने श्री चर्चिल का हरिजनों के विषय पर चिकना-चुपड़ा धारा-प्रवाहिक वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि भारत की परिगणित नामक जातियों के जीवन और कल्याण का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों की सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए क्या किया? क्या उन्होंने सिवाय चपरासी और खानसामा बनाने के कभी उनकी सामाजिक हीनताओं को दूर करने के लिए कोई विधान निर्माण किया? फिर भी श्री चर्चिल ने यह अभियोग लगाया कि हरिजन सवर्ण हिंदुओं की—अपने कष्टदायकों की—दया पर आश्रित थे। श्री चर्चिल इस देश के सात करोड़ हरिजनों को शरण लेने के लिए इंग्लैंड नहीं ले जा सकते हैं। वे केवल कुछ सम्प्रदायवादियों को शरण दे सकते हैं, जो कि इंग्लैंड जा सकें। श्री चर्चिल को समझाना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हरिजन भारतीय हैं और उनको भारत में भारतीयों के समान रहना है और वे भारत में भारतीयों के समान रहेंगे। हमने भी अभी सुना है कि परिगणित जातियां अल्पसंख्यकों में समझी गई हैं। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख 16 मई के राजपत्र (State Paper) में नहीं किया गया है। मैं सात करोड़ हरिजनों को

[श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन]

अल्पसंख्यक समझने के विचार को अस्वीकार करती हूं। न तो भारत के राजमंत्री लार्ड पैथिक लारेंस, न प्रधानमंत्री श्री एटली और न विरोधी दल के नेता श्री चर्चिल हरिजनों की दशा सुधारेंगे। जो कुछ हम चाहते हैं, वह हमारी सामाजिक अयोग्यताओं का उन्मूलन—शीघ्र ही उन्मूलन—करना है। केवल स्वतंत्र समाजवादी भारतीय जनतंत्र ही हरिजनों को स्वतंत्रता और स्थिति की समानता प्रदान कर सकता है। हमारी स्वतंत्रता केवल भारतीयों से प्राप्त हो सकती है न कि ब्रिटिश सरकार से।

मुझे डॉक्टर अम्बेडकर से इस देश की राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने की अपील करने दीजिये। हरिजन जाति के केवल वही नेता हैं और उनका राष्ट्रीय दल से असहयोग हरिजनों के लिए एक बड़ी दुर्घटना है, उनका राष्ट्रीय दल से सहयोग हरिजनों के लिए मोक्षदायक होगा। श्रीमान् जी *(डॉक्टर अम्बेडकर की ओर आदेश करते हुए)* यह आपके लिए देश के समक्ष अपनी सेवाएं अर्पण करने का एक अनमोल अवसर है।

हरिजन केवल समाजवादी जनतंत्र भारत में स्वतंत्र होंगे, आओ हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करें और इसे पूर्ण करने का कार्य करें; चाहे यह हमसे बड़े-से-बड़े त्याग की मांग करे।

माननीय डॉक्टर जयकर द्वारा रखे गऐ संशोधन के सम्बन्ध में मैं सोचती हूं कि जो इस संशोधन का समर्थन करते हैं, उनको व्हाइट हाल से प्रेरणा मिलती है न कि इस देश की जनता से। हाल में विभिन्न क्षेत्रों से विधान-परिषद् के स्थगित करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना। लार्ड वेवल ने इसका पक्ष-समर्थन किया, श्री जिन्ना ने इस पर जिद की। मुझे प्रतीत होता है कि डॉक्टर जयकर इस संशोधन को रखकर विधान-परिषद् की वास्तविकता पर प्रश्न कर रहे हैं और लोक सभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) में कुछ दिन हुए श्री चर्चिल द्वारा उपस्थित किए गए तर्क की पुष्टि कर रहे हैं।

डॉक्टर जयकर ने भी रियासत की जनता के लिए पवित्र सहानुभूति प्रकट की है। यदि रियासत शब्द से माननीय सदस्य का अभिप्राय रियासत के वास्तविक प्रतिनिधियों से है, तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकती हूं कि रियासतों की जनता कांग्रेस और विधान-परिषद् के साथ है। *(करतल ध्वनि)* और विधान-परिषद् द्वारा किया हुआ कोई भी निश्चय रियासतों की जनता को मान्य होगा।

मैं सोचती हूं कि मुझे कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा प्रकट किये विचारों का भी उल्लेख करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित ऐतिहासिक प्रस्ताव में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है और

अब वह दल जो कि विगत युद्ध को जन-युद्ध कहता था, कुछ समय के लिए विधान-परिषद् को इस प्रस्ताव पर विचार करने को स्थगित करने की शिक्षा देने यहां आया है। यदि मैं त्रुटि करती हूं, तो मुझे क्षमा किया जाये। इस प्रकार के कहे जाने वाले कम्युनिस्ट हरिजनों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उनका शोषण ही कर रहे हैं। वे हरिजनों के लिए पृथ्वी के टुकड़ों की प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रकार वे उन्हें (हरिजनों को) राष्ट्रीय सेना से दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे विचार से कम्युनिस्ट दल किसी बाह्य स्थान से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है और इसलिए यह हमारे लिए उचित नहीं है कि कम्युनिस्टों के विचारों को स्वीकार करें। हम अपनी उन्नति के लिए ऐसे दल पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और हमारी उन्नति राष्ट्रीय सेना में है, जिसके प्रतिनिधि परिषद् में हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि भावी स्वतंत्र भारत में हरिजनों को देश के प्रत्येक नागरिक के समान सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा।

***सभापतिः** एक बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। परिषद् परसों ग्यारह बजे तक के लिए अब स्थगित की जाती है।

परिषद् शनिवार, 21 दिसम्बर सन् 1946 ई. के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

Con. 3. 1.10.46
1000

अंक 1
संख्या 10

शनिवार
21 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 1

विधान-परिषद् की निगोशियेटिंग कमेटी के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत 1

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहस स्थगित रखने के बारे में सभापति का वक्तव्य 21

रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार 21

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, 21 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक ग्यारह बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

***सभापतिः** मैं आशा करता हूं कि एक दूसरी महिला मेम्बर का स्वागत करने में यह सभा मेरा साथ देगी। आप आज सुबह पहली बार इस सभा में पधारी हैं क्योंकि आप अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये बाहर गई हुई थीं। मैं राजकुमारी अमृतकौर से प्रार्थना करता हूं कि वे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें।

इसके बाद नीचे लिखे हुये मेम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

राजकुमारी अमृतकौर (मध्यप्रांत और बरार : जनरल)

सर पदमपद सिंघानिया (संयुक्त प्रांत : जनरल)

विधान-परिषद् की निगोशियेटिंग कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

''यह असेम्बली निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्बरों, यानी–

(1) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,

(2) माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू,

(3) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल,

(4) डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया,

(5) श्री शंकरराव देव, और

(6) माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री के.एम. मुंशी]

की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्र मंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वहः

(क) इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण निश्चित करे जो 93 से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रिमंडल के 16 मई सन् 1946 ई. के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिये सुरक्षित रखी गई हैं।

(ख) इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करे।

यह असेम्बली यह भी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद की तीन मेम्बरों से अधिक अतिरिक्त मेम्बर न रखे जायेंगे और वे इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वाचित किये जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित करें।''

*__श्री सोमनाथ लाहिरी__ (बंगाल : जनरल): मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में संशोधन पेश करने का क्या तरीका है। मैं समझता हूं कि संशोधनों को पेश करने के लिये हमें कम से कम कुछ घंटे अवश्य दिये जायेंगे।

*__सभापतिः__ क्या यह संशोधन प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध हैं है या उसमें बताये हुये नामों के बारे में?

*__श्री सोमनाथ लाहिरीः__ प्रस्ताव के विषय के सम्बन्ध में।

*__सभापतिः__ हम इस पर विचार करेंगे।

*__श्री श्रीप्रकाश__ (संयुक्तप्रांत : जनरल): सबसे अच्छा यह होगा कि यह तय किया जाये कि सवा बजे तक सब संशोधन पेश किये जायें और तब तक हम प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

*__सभापतिः__ मेरा विचार है कि प्रस्तावक और समर्थक एक घंटे से कुछ ही अधिक समय लेंगे और इतने समय में आप संशोधन पेश कर सकेंगे।

***श्री के.एम. मुंशी:** यह बहुत कुछ एक रस्मी प्रस्ताव है और वह केवल इस कारण से कि मंत्रिमंडल ने अपने बयान में और लार्ड पैथिक लारेंस ने अपने भाषण में कहा है कि इस प्रस्ताव में बताये हुये उद्देश्यों के संबंध में रियासतों से बातचीत करने के लिये इस असेम्बली को एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में श्रीमान् लार्ड पैथिक लारेंस ने हाल में जो कुछ बातें कहीं उन्हें मैं बताना चाहता हूं। लार्ड पैथिक लारेंस ने कहा है कि:

> ''यह तय करने के लिये कि विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधियों की जगहें किस तरह भरी जायें, देशी रियासतों की बनाई हुई कमेटी और विधान-परिषद् के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई हुई कमेटी को एक-दूसरे से सलाह लेनी चाहिये। रियासतों ने अपनी कमेटी बना ली है और जब असेम्बली के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी अपनी कमेटी बना लेंगे तो बातचीत शुरू हो सकती है।''

इस सभा को तुरन्त ही स्पष्ट हो जायेगा कि यह बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिये। इसीलिये यह प्रस्ताव आज इस सभा के सामने रखा गया है। इस समय इस कमेटी में सिर्फ छः मेम्बर रखे गये हैं इस कमेटी को बहुत से नाजुक मामले तय करने हैं। इसलिये यह जरूरी है कि यह जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी बनाई जाये। इसके अलावा जिन उद्देश्यों से यह कमेटी बनाई जा रही है उनका पूरी तौर से बयान में उल्लेख है। इसलिये मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये।

***डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा** (बिहार : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***एक माननीय सदस्य:** क्या इस असेम्बली को यह बताया जायेगा कि इस बातचीत का क्या नतीजा हुआ है?

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं माननीय मेम्बरों के सूचनार्थ यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मंत्रिमंडल के बयान का सम्बन्ध है, उसमें रियासतों की एक निगोशियेटिंग कमेटी की व्यवस्था है। विधान-परिषद् की निगोशियेटिंग कमेटी उससे मिलेगी और यह तय करेगी कि असेम्बली में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो।

[श्री के.एम. मुंशी]

जहां तक मैं समझता हूं मंत्रिमंडल के बयान का यही अर्थ है। लेकिन इस मामले को अवश्य ही इस सभा के सामने रखा जायेगा और मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इस सभा को इस पर अपना मत प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर के नाम के बाद इस सभा के एक हरिजन मेम्बर का नाम रख दिया जाये।

मैं इस बात पर जोर सिर्फ इसलिये दे रहा हूं कि यह आवश्यक है कि इस कमेटी में, जो यह तय करने जा रही है कि रियासतों के लिये इस असेम्बली में जो जगह सुरक्षित रखी गई हैं उनका वितरण किस प्रकार हो और रियासतों के प्रतिनिधि किस तरीके से चुने जायें, एक हरिजन मेम्बर भी रखा जाये। रियासतों में हरिजन हैं और सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से उनकी दशा प्रान्तों के हरिजनों से खराब है। इसलिये मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूं किस इस सभा का एक हरिजन मेम्बर कमेटी में रख दिया जाये।

***सभापतिः** क्या आप किसी का नाम तजबीज कर सकते हैं?

***श्री पी.आर. ठाकुरः** यह सभा ही तय करेगी कि कौन रखा जाये।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** श्रीमान्, मैं दो संशोधन पेश करता हूं। पहला संशोधन मैं उस बात को साफ करने के लिये पेश कर रहा हूं जिसे प्रस्तावक महोदय ने साफ नहीं किया था और वह यह है कि कमेटी जिन नतीजों पर पहुंचेगी वह समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखे जायेंगे कि नहीं। संशोधन यह है:

(1) प्रस्ताव के आखिरी पैराग्राफ के बिलकुल पहले ये शब्द जोड़ दिये जायें:

> ''आवश्यक बातचीत और सलाह मशविरे के बाद यह कमेटी विभिन्न रियासतों के बीच जगहें वितरित करने के सम्बन्ध में और रियासतों के प्रतिनिधि चुनने के तरीके के बारे में अपनी अंतिम सिफारिशें समर्थन के लिये असेम्बली के सामने रखेगी।''

(2) कमेटी के कामों की मद (ख) के अन्त में ये शब्द जोड़े जायें:

> ''लेकिन कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समझ कर बातचीत करनी चाहिये कि यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीधे-सीधे चुनाव के आधार पर।''

मैं ये दो संशोधन पेश करता हूं। इन संशोधनों का उद्देश्य, विशेषतया पहले संशोधन का उद्देश्य, रियासतों के प्रतिनिधियों के प्रश्न को हल करना है क्योंकि आप जानते हैं कि वह अभी हल नहीं हुआ है। मैं यह जानता हूं कि जिस कमेटी की आपने तजबीज की है, उसके अधिकांश मेम्बर और इस सभा के अधिकांश मेम्बर यह समझते हैं कि इस सभा में रियासतों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, न कि रियासतों के स्वेच्छाचारी शासकों का। दुर्भाग्यवश सरकारी बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसकी कई प्रकार व्याख्या की गई है जैसा कि पिछले दिन, मैं समझता हूं, सर एन. गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था। हमें यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम यह नहीं चाहते कि रियासतों के नरेश और शासक यह तय करें कि इस असेम्बली में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का हो, क्योंकि हमें भय है कि एक तो स्वेच्छाचारी शासक होने के कारण और दूसरे अंग्रेजी साम्राज्यशाही की कठपुतलियां होने से, जो कुछ भी थोड़ी-सी स्वतंत्रता की हम भारत के विधान में व्यवस्था करेंगे उसको भी वे कम करने का प्रयत्न करेंगे। यह रियासतों के जनसाधारण के प्रति न्याय नहीं होगा।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि इस समय बहुत-सी रियासतों में वहां के शासकों की तरफ से एक भयानक दमन चक्र चल रहा है। आपने देखा कि काश्मीर में किस प्रकार अधिकारियों ने श्रीमती अरुणा आसफअली की सभा में गड़बड़ पैदा कर दी और किस प्रकार सारी नेशनल कांफ्रेंस को दमन द्वारा असफल बनाने की चेष्टा की जा रही है; यद्यपि यह समझा जाता है कि वहां प्रजातंत्र के सिद्धांतों के आधार पर या जिस तरह भी आप कहिए चुनाव हो रहा है। हमने यह भी सुना है कि हैदराबाद में पिछले चंद महीनों में, हैदराबाद रियासत की सेना और पुलिस ने, 7000 लोगों, स्त्री-पुरुष और बच्चों की हत्या कर डाली। हम यह कभी नहीं चाहते कि ये शासक यहां आयें, हमसे बातचीत करें और हमारे देश

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

का विधान बनाने में भाग लें। इसी कारण से श्रीमान्, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कमेटी को यह स्पष्ट रूप से समझ कर बातचीत करनी चाहिए कि यह असेम्बली केवल यह स्वीकार करती है कि रियासतों के लोगों को ही इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और वह भी सीधे-सीधे चुनाव के आधार पर।

मुझे इसमें सन्देह नहीं कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना है वे रियासतों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसे आखिर रियासतों के लोगों को ही तय करना है। इसलिए जो मेम्बर चुने गये हैं उनका विश्वास करते हुए और आगे की घटनाओं को ध्यान में रख कर और इसको भी ध्यान में रखकर कि रियासतों के शासकों का क्या रुख होगा और यह कि वहां के लोगों की क्या मांगें होंगी, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि जिन निर्णयों पर पहुंचा जाये वे समर्थन के लिए इस असेम्बली के सामने रखे जायें।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं?

***सभापति:** प्रस्ताव पेश हो चुका है और संशोधन भी पेश हो चुके हैं। अब इन सभी बातों पर सभा बहस कर सकती है।

प्रस्ताव और संशोधनों पर अब बहस की जा सकती है। जो कोई भी मेम्बर इस पर बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ें।

***श्री के. संतानम्** (मद्रास : जनरल): मैं एक दूसरा संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं यह पेश करना चाहता हूं कि:

"इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह" शब्दों के बाद "नीचे दी हुई बातों के बारे में सिफारिश करे" शब्द जोड़ दिये जायें और (क) और (ख) में "निश्चित करें" शब्दों को निकाल दिया जाए।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस सभा की किसी भी कमेटी को किसी मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसका सम्बन्ध एक सिद्धान्त से है और इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कमेटी के मेम्बरों का विश्वास नहीं करता। जिन मेम्बरों के बारे में प्रस्ताव किया गया है उन पर मेरा पूरा विश्वास

है। लेकिन यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी कमेटी को अन्तिम अधिकार दिये जायें।

***सभापतिः** मेरे विचार में श्री लहिरी के संशोधन में आपके संशोधन का आशय आ गया है।

***श्री के. संतानम्ः** मैंने उसे आसान बना दिया है।

***सभापतिः** वह श्री लहिरी के संशोधन में आ गया है।

***श्री के. संतानम्ः** मेरा संशोधन पढ़ने में उससे अच्छा होगा। इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये कि इस सभा को अन्तिम निर्णय करने का अधिकार है और चाहे हम जो भी कमेटी बनायें या जो भी कार्यवाही करें उसमें इस सिद्धान्त के अनुसार काम होना चाहिये। निःसंदेह मेरे संशोधन में वे आधारभूत बातें आ जाती हैं जिनको श्री लहिरी ने पेश किया है, लेकिन यदि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये तो यह नियम पढ़ने में पहले से अच्छा लगेगा।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): सभापति महोदय, मैं उस संशोधन का विरोध करने के लिये उठा हूं जो मेरे मित्र श्री सोमनाथ लहिरी ने पेश किया है। संशोधन में जो भावना प्रकट की गई है उससे मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन श्री लहिरी एक बात भूल गये हैं। यह सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी है। यदि आप 16 मई के बयान के पैराग्राफ 19 के वाक्यखंड (2) को देखें तो उसमें कहा गया है कि:

> "विचार यह है कि अन्तिम विधान-परिषद् में रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और ब्रिटिश भारत में जिस आधार पर जनगणना की गई है उसको देखते हुये उनके प्रतिनिधि 93 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन वे किस तरीके से चुने जायें यह सलाह-मशविरे से तय होगा। शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व एक निगोशियेटिंग कमेटी करेगी।"

इसलिये चुनाव का तरीका सलाह-मशविरे से तय होना है और सभापति महोदय, यह स्पष्ट है कि एक सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी बनाई जाये। रियासतों ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है और हमें एक दूसरी सलाह-मशविरा करने वाली कमेटी बनानी ही है। यह मुमकिन नहीं है कि यह सारी सभा प्रतिनिधियों

[श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त]

की संख्या और उनके चुनने के तरीके को तय करने के लिये निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करे। इसलिये यह जरूरी है कि सलाह-मशविरा करने वाली एक कमेटी बनाई जाये और इस कमेटी में बहुत थोड़े मेम्बर हों। यदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये तो प्रस्ताव का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दो छोटी कमेटियों के बीच सलाह-मशविरा होना चाहिये जिनमें से एक हम बनायेंगे और दूसरी रियासतें बनायेंगी। इसलिये श्रीमान्, मेरे मित्र श्री लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं, यद्यपि उन्होंने जो भावना प्रकट की है उससे मुझे पूरी सहानुभूति है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र श्री के.एम. मुंशी द्वारा पेश किये हुये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री लहिरी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका विरोध करता हूं।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): मैं अपने मित्र श्री लहिरी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस ले लें। मैं समझता हूं कि जाब्ते और नियमों की कमेटी ने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट की एक नकल उनको मिली होगी। उसमें यह बताया जा चुका है कि कमेटियां जो काम भी करेंगी वह किसी न किसी समय इस सभा के सामने रखा जायेगा और सभा को इसकी स्वतंत्रता होगी कि वह उनकी सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे। ऐसी सूरत में श्री लहिरी की बात पूरी हो जाती है।

दलित जातियों के एक मेम्बर ने—मैं नहीं जानता की दलित जातियों और परिगणित जातियों में क्या अन्तर है—इसके लिये दलील पेश की है कि कमेटी में दलित जाति का एक मेम्बर होना चाहिये। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे उन नामों के विरोध में कुछ भी नहीं कहना है जिनका सुझाव इस प्रस्ताव को पेश करने वालों ने किया है। वे प्रतिष्ठित लोग हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियासतों में काम किया है और वे रियासतों से परिचित हैं। मगर श्रीमान्, मैं विनयपूर्वक कहूंगा कि मेरे विचार में उन्हें पूर्वी रियासतों का बहुत ज्ञान नहीं है। भारतीय रियासतों के प्रजा-मंडल का सम्बन्ध साधारणतया उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और मध्य भारत व पश्चिमी भारत के एक भाग से रहा है। उनको उड़ीसा की रियासतों की एजेंसी या बंगाल और उत्तर-पूर्व की एजेंसियों से शायद ही कभी कोई काम पड़ा हो। यदि मैं अपनी तूती थोड़ी बहुत खुद ही बजाऊं तो मैं आशा करता हूं कि यह सभा मुझे

क्षमा करेगी। जब से मैं ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका से वापस लौटा हूं, मैं आदिवासियों के बीच में और आदिवासियों के क्षेत्रों में बहुत घूमा हूं और पिछले 9 वर्षों में मैंने 1,14,000 मील का सफर किया है। इससे मैं यह जान सका हूं कि आदिवासियों की जरूरतें क्या हैं और इस सभा से उनके लिये क्या करने की आशा की जाती है। भारतीय भारत में, राजस्थान में, नरेन्द्रों के भारत की 9 करोड़ की आबादी में, 1 करोड़ 70 लाख आदिवासी हैं, 1 करोड़ 70 लाख कबीले हैं। श्रीमान्, इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुये, निगोशियेटिंग कमेटी में एक आदिवासी होना चाहिये। मेरी राय में वह कमेटी की सहायता कर सकेगा। मैं कमेटी के काम में बाधा नहीं डाल रहा हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आदिवासियों के अधिकारों के लिये लड़ने के लिये उसमें एक आदिवासी होना चाहिये। जब आप आदिवासियों के अधिकारों के लिये लड़ेंगे तो आपको एक आदिवासी की जरूरत होगी और वह निगोशियेटिंग कमेटी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगा। श्रीमान्, मैं यह राय देता हूं कि इस प्रस्ताव के निर्माताओं और प्रस्तावक को कमेटी में एक आदिवासी शामिल कर लेना चाहिये और उसके मेम्बरों की संख्या सात कर देनी चाहिये।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): सभापति महोदय, मैं दलित जातियों और आदिवासियों के हितों के लिये यहां किसी मेम्बर से कम चिन्तित नहीं हूं। लेकिन आदिवासियों या दलित जातियों या ईसाइयों का अन्य किसी जाति के प्रतिनिधि के लिये जोर देना इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ही गलत तरीके से समझना है। नरेन्द्र एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाने जा रहे हैं और यदि आप नरेन्द्र-मंडल के चांसलर के उस पत्र को देखें जो उन्होंने 19 जून सन् 1946 को वायसराय को लिखा, तो आप देखेंगे कि उसके पैराग्राफ 4 में वे लिखते हैं:

> "श्रीमान्, आपके नियंत्रण के फलस्वरूप स्टैंडिंग कमेटी ने यह तय किया है कि एक निगोश्यिटिंग कमेटी बनाई जाये जिसके मेम्बरों के नाम इस पत्र के साथ भेजी हुई सूची में दिये हुये हैं श्रीमान् की इच्छानुसार कमेटी ने इसके लिये भरसक प्रयत्न किया कि मेम्बरों की संख्या बहुत कम रखी जाये लेकिन उन्होंने यह अनुभव किया कि यह संख्या इससे कम न हो सकेगी। मैं बड़ा आभारी हूंगा यदि मुझे शीघ्र ही सूचित किया जाये कि

[माननीय बी.जी. खेर]

इस कमेटी की कब तक और कहां बैठक होगी और इसी तरह की उस दूसरी कमेटी में कौन लोग होंगे जिसे कि विधान-परिषद् के ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि बनायेंगे। इस सलाह-मशविरे का जो नतीजा होगा उसके सम्बन्ध में यह तजबीज है कि उस पर नरेन्द्रों की स्टैंडिंग कमेटी, मन्त्रियों की कमेटी और कांस्टीट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी विचार करेंगी और उनकी सिफारिशें नरेन्द्रों और रियासतों के प्रतिनिधियों के एक साधारण सम्मेलन के सामने रखी जायेंगी।''

अब अगर हम इस प्रस्ताव की शर्तों को देखें तो उसमें कहा गया है कि:

''यह कमेटी इसलिये बनाई जायेगी कि यह नरेन्द्र-मंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से केवल इसलिये बातचीत करेगी कि वह इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण निश्चित करें, जो 93 से अधिक नहीं होंगी, और इसलिये कि वह इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निश्चित करें।''

इस प्रकार श्रीमान्, अब हमें ब्रिटिश भारत की तरफ से ऐसे लोगों को चुनना है जिन्होंने आजतक ब्रिटिश भारत के ही नहीं बल्कि भारतीय भारत के लोगों के हितों के सम्बन्ध में भी दिलचस्पी दिखाई है। हमारे बीच पं. जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति हैं जो रियासतों के प्रजामंडल के सभापति रहे हैं और डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, शंकरराव देव ऐसे लोग भी हैं एक संशोधन पेश करने वाले मेम्बर ने कहा है कि रियासतों में दलित जातियां हैं इसलिए इस कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि यह बात है तो रियासतों में सिख, देशी ईसाई और एंग्लो-इंडियन भी रहते हैं यह कमेटी केवल यह तय करने के लिये बनाई गई है कि इस सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया जाये। इस सीमित उद्देश्य के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को उठाना ठीक नहीं। प्रस्ताव के शब्दों से यह स्पष्ट है कि हमारी कमेटी निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी और प्रस्तावक ने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उस बातचीत का जो नतीजा होगा उसे अन्तिम समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखा जायेगा। इसलिये मैं संशोधनों के पेश करने वालों से, जिनमें श्री संथानम् भी शामिल हैं, यह प्रार्थना करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। कमेटी का कार्य-क्षेत्र

सीमित है। मेरी राय में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व इत्यादि से मुख्य उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनकी आबादी इतनी कम है कि उनके एक समूह का एक ही प्रतिनिधि हो सकता हैं। हम जानते हैं कि लगभग 650 रियासतें हैं और यह आशा नहीं की जा सकती है कि उनके 650 प्रतिनिधि होंगे। इन सभी रियासतों के उचित प्रतिनिधित्व के लिये ही यह कमेटी बनाई गई है। यह ठीक नहीं है कि उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाये और मैं संशोधन पेश करने वालों से एक बार और अपील करता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापस ले लें। इस सभा के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि वह एकमत से पास हो जायेगा।

*__श्री के. संतानम्:__ यदि सभापति महोदय यह निर्णय करें कि इस कमेटी की तजबीजें समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखी जायेंगी तो मैं खुशी से अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

*__सभापतिः__ पं. जवाहरलाल नेहरू।

*__श्री सोमनाथ लाहिरीः__ श्रीमान्, यदि आप यह निर्णय करें कि कमेटी की तजबीजों का समर्थन आवश्यक है तो मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

*__सभापतिः__ मैं उचित समय में इस बारे में अपना निर्णय बताऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू।

*__माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू__ (यू.पी. : जनरल): सभापति महोदय, श्री मुंशी ने जिस प्रस्ताव को सभा के सामने रखा है वह एक बहुत ही सीमित प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि वह इस असेम्बली में रियासतों के प्रतिनिधित्व के तरीके को निश्चित करे। यह उन तमाम सवालों को हल करने के लिये नहीं पेश किया गया है जो रियासतों और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में एक से हैं। श्री लहिरी ने एक दो ऐसी रियासतें बताईं जहां राजनैतिक संघर्ष चल रहा है। स्पष्टतः इस कमेटी का रियासतों की अन्दरूनी बातों से कोई मतलब नहीं है। इस सम्बन्ध में, मुझे आशा है, हम तब विचार करेंगे जब रियासतों के प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं उनसे विचार-विनिमय कर सकते हैं और इन मामलों को तय कर सकते हैं। इसलिये इस समय हमें सिर्फ इस पर विचार करना है कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

अब श्रीमान्, दलित जातियों या आदिवासियों के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि हम एक सीमित विषय पर विचार कर रहे हैं। निःसंदेह दलित जातियों को अपने हितों की रक्षा करनी है। लेकिन यह सवाल इस कमेटी को तय नहीं करना है। यह कमेटी रियासतों के अलावा हिन्दुस्तान के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करती है और यह नरेशों के प्रतिनिधियों से मिलेगी। मैं इसे साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि इसे नरेशों की निगोशियेटिंग कमेटी से मिलना है। मेरे विचार में निगोशियेटिंग कमेटी में रियासतों के लोगों के प्रतिनिधि होने चाहियें थे और मेरी राय में अब भी यदि निगोशियेटिंग कमेटी सही बात करना चाहती है तो उसे कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल कर लेना चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस समय हम इस पर जोर नहीं दे सकते। जब तक इस मामले में बातचीत करने के लिये हम एक कमेटी न बनायें, रियासतों के प्रतिनिधियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि हम नरेन्द्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी से ही नहीं मिलेंगे, लेकिन रियासतों के दूसरे ऐसे प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे जो कि शायद उसमें शामिल नहीं किये गये हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम उनसे यह तय करने के लिये मिल रहे हैं कि किस तरीके से रियासतों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इस सूरत में, और रियासतें जैसी हैं उनको देखते हुये, आपकी समझ में आ जायेगा कि कुछ बड़ी रियासतों को छोड़कर कई ऐसी छोटी रियासतें हैं जिनका हम, उन्हें समूहों में रख के या किसी दूसरे तरीके से प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे क्योंकि यह संभव नहीं होगा कि हर एक रियासत का एक प्रतिनिधि हो। आप देखिये कि कितनी रियासतें हैं और हमें कितने प्रतिनिधि बुलाने हैं। हैदराबाद और काश्मीर जैसी रियासतों का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर होगा। कुछ बड़ी रियासतों के दो, तीन या चार प्रतिनिधि हो सकते हैं लेकिन अधिकतर रियासतों का सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा। उनमें से कई का एक प्रतिनिधि भी नहीं होगा। हमें उन्हें एक समूह में रखना होगा या कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। हमें इन प्रश्नों को हल करना है। इनके अलावा कोई दूसरा प्रश्न जिसका किसी वर्ग विशेष या रियासतों की अंदरूनी बातों से सम्बन्ध हो, इस कमेटी के सामने नहीं आयेगा। वे प्रश्न बाद को, जब रियासतों के प्रतिनिधि भी यहां रहेंगे, इस असेम्बली में पेश किये जायेंगे।

मैं निवेदन करता हूं कि इस कमेटी के सामने किसी विशेष समूह, सम्प्रदाय, प्रान्त या रियासत का प्रश्न नहीं आयेगा। यहां जो लोग उपस्थित हैं उनमें से हम इस कमेटी में उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिनको इस मामले की जानकारी है। लेकिन इस विशेष उद्देश्य के लिये आप समूहों के प्रतिनिधियों को रखने के बारे में विचार नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम ऐसा करें तो कोई वजह नहीं है कि जितने भी वर्ग यहां हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। यदि आप ट्रावनकोर की रियासत को लें तो आप देखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से वहां की बहुत बड़ी आबादी ईसाइयों, रोमन केथोलिकों, की है। ट्रावनकोर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण रियासत है और वहां के लोगों का अक्सर सरकारी अधिकारियों से कलह उठ खड़ा होता है। काश्मीर एक दूसरी महत्त्वपूर्ण रियासत है। इस प्रकार यदि आप इस छोटी-सी कमेटी में साम्प्रदायिक आधार पर लोगों के प्रतिनिधि रखना चाहेंगे तो आपको बड़ी कठिनाई पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि इसे एक छोटी कमेटी होनी चाहिये, क्योंकि यदि हम एक बड़ी कमेटी बनायें तो उसे नरेशों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी इसलिये इस कमेटी को अलग-अलग वर्गों के आधार पर नहीं बनाना चाहिये, जैसी कि कुछ लोगों की राय है।

श्री जयपाल सिंह ने जो बयान दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वह यह है कि रियासतों का प्रजामंडल उड़ीसा की रियासतों में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा है। रियासतों का प्रजामंडल बहुत से ऐसे काम नहीं कर पाया है जो उसे करने चाहिये थे क्योंकि उसे एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करना है। लेकिन वास्तव में उड़ीसा की रियासतों पर रियासतों के प्रजामंडल में अक्सर विचार हुआ है और रियासतों के प्रजामंडल की स्थायी समिति का एक मेम्बर उड़ीसा का ही है।

अब श्री संतानम् और दूसरे लोगों ने जो संशोधन पेश किये हैं उनका लक्ष्य यह है कि इस सभा को ही अंतिम अधिकार हो। लेकिन यदि सभापति महोदय इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें तो वे अपने संशोधन को वापस लेने के लिये तैयार हैं इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है कि ऐसे विषयों पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार इस सभा का ही होना चाहिये और यह कि इस कमेटी को एक बातचीत करने वाली कमेटी होना चाहिये और इसे बातचीत करने के बाद इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिये। यदि यह सभा इनके किसी कार्य से सहमत न हो तो उन्हें फिर उस सम्बन्ध में बातचीत करनी होगी।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

निःसंदेह ऐसे सभी मामलों में कुछ अधिकार दिया जाता है। उदाहरण के लिये आप जब अन्य देशों से बातचीत करने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजते हैं तो उन्हें बहुत कुछ अधिकार देते हैं। सभी देशों को उनकी राय मानने और न मानने का अधिकार है लेकिन आमतौर पर जब दो देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं और किसी मामले पर बहस करते हैं। और कोई बात तय कर लेते हैं तो जब तक कि किसी सिद्धान्त की हत्या न हो, उनके समझौते को मान लिया जाता है क्योंकि उससे दूसरे लोगों का भी सम्बन्ध होता है। यही बात इस बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन मैं यह राय देता हूं कि, यदि यह सम्भव हो, मेरे सामने प्रस्ताव नहीं है, यह सम्भव हो सकता है कि ये शब्द रखे जायें कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट इस सभा के सामने रखनी चाहिये।

***श्री अजीत प्रसाद जैन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? इस प्रस्ताव के अनुसार तीन समितियां बननी चाहियें। एक निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि यह सभा बनायेगी, एक दूसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसे कि नरेशों ने बनाया है और जिसके मेम्बरों के नाम घोषित हो चुके हैं और एक तीसरी निगोशियेटिंग कमेटी जिसमें कि रियासतों के दूसरे प्रतिनिधि होंगे। ये कमेटियां किस तरह अपना काम करेंगी और मतभेदों को मिटायेंगी? यदि नरेशों का एक रुख हो और रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों व अन्य लोगों का दूसरा रुख हो तो वे किस तरह अपना काम करेंगे?

***सभापतिः** मेरे विचार में मतभेदों को मिटाना निगोशियेटिंग कमेटियों का काम है और यह कमेटी व दूसरी कमेटी, जिसका हवाला आपने दिया है, मेरे विचार में इसको ध्यान में रख कर काम करेंगी।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): यदि मुझे अपने माननीय मित्र के सवाल का जवाब देने की इजाजत हो तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव का वास्तव में यही उद्देश्य है। अगर रियासतों के विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच मतभेद है तो श्रीमान्, हम जानते हैं कि इस असेम्बली में भी हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच और रियासतों के लोगों के बीच और ब्रिटिश भारत के लोगों के बीच मतभेद है। इस प्रस्ताव में एक ऐसी समिति बनाने की तजबीज है जिसमें हमारा विश्वास हो और वह रियासतों के उन प्रतिनिधियों से बातचीत

करेगी जो निगोशियेटिंग कमेटी के लिये निर्वाचित किये गये हों या चुने गये हों। वह छोटी-सी कमेटी बनाने की तजबीज इसीलिए की गई है कि इस सभा से यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह नरेशों और रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत करे। सभापति महोदय, जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो संशोधन पेश किये गये हैं उन सभी का विरोध करता हूं। विपक्षियों ने जो कोई भी बातें कहीं उनके जवाब मुझसे पहले बोलने वाले लोगों ने दे दिये हैं और मैं उन्हें दुहराने नहीं जा रहा हूं। मैं इस सभा का ध्यान सिर्फ एक खास बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस कमेटी से किन सीमाओं के अन्दर काम करने की उम्मीद की जा सकती है। यह बताते हुये मैं माननीय मेम्बरों का ध्यान मंत्रिमंडल की योजना के पैराग्राफ 19/2 के वास्तविक शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। आप कृपा करके इस पर विचार करें कि यह कमेटी उस निगोशियेटिंग कमेटी से बातचीत करेगी जिसे कि रियासतों ने बना लिया है या बनाने वाले हैं। योजना के शब्द ये हैं ''चुनने का तरीका सलाह-मशविरे से तय किया जायेगा''। यह बहुत सम्भव है कि ''चुनने'' शब्द की कई तरह से व्याख्या की जायेगी। रियासतों के प्रतिनिधि सम्भवत: हमारी व्याख्या से दूसरी ही व्यवस्था करें और यही अन्य लोग भी कर सकते हैं। इसलिये इस पर जोर देकर कि प्रतिनिधित्व का यही तरीका हो और दूसरा नहीं, कमेटी के हाथ बांध नहीं देना चाहिए। हमें इसे बातचीत करने वालों पर छोड़ देना चाहिये। इसलिये श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि श्री सोमनाथ लहिरी का संशोधन, जिसमें कमेटी को आदेश किया गया है कि उसे क्या करना चाहिये, अनियमित है क्योंकि वास्तव में वह सारे प्रस्ताव को ही खत्म कर देता है। यदि हम यह चाहें कि कोई कमेटी एक खास तरीके से काम करे तो वह बातचीत करने वाली कमेटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसे हमारे आदेशानुसार पहले से निश्चित किये हुये कार्यक्रम के अनुसार ही काम करना होगा। हमारे लिये यह उचित न होगा कि हम हिन्दुस्तान के लोगों के कई वर्गों को अपने विरुद्ध कर लें और यह जानते हुये भी कि इस सभा की यह भावना है कि रियासतों के लोगों के प्रतिनिधियों को ही हम से बातचीत करने का अधिकार है, हमें बड़ी सावधानी से इस दिशा में कदम उठाना होगा और इस कमेटी को भी बड़ी सावधानी से काम करना होगा। हमें इस समय इस सम्बन्ध में पहले से निर्णय नहीं करना चाहिये और न कोई

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

ऐसी बात करनी चाहिए जिससे नुकसान पहुंचे, और कमेटी को इसे तय करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के सभी लोगों और रियासतों के लोगों की भलाई के लिये उसे किस ढंग से काम करना चाहिए। यदि हम उनके निर्णयों पर टिप्पणी करना चाहेंगे तो, जैसा कि पंडितजी ने आश्वासन दिया है, इसके लिए बहुत समय मिलेगा और हम लोग इस सभा में अपना मत प्रकट कर सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव पास कर देना चाहिए और यह कि जो संशोधन पेश किये गये हैं, उन्हें वापिस ले लेना चाहिए।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई** (मद्रास : जनरल): श्री मुंशी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा हूं। जब दलित जातियों के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए संशोधन पेश किया गया तो मैंने देखा कि इस बारे में बहुत शोर मचाया गया। चाहे उसका अवसर हो या न हो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जाता है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि रियासतों में दलित जातियों की दशा यहां से कहीं गई बीती है। पिछले दिन जब मेरी कोचीन की बहिन हरिजनों की सामाजिक दशा पर बोल रही थीं तो उन्होंने रियासतों के लोगों की आर्थिक और राजनैतिक दुर्दशा का उल्लेख नहीं किया। मैं कोचीन रियासत के नायडियों का उदाहरण देता हूं। जिनको सिर्फ यह नहीं है कि छुआ नहीं जाता और उनके पास नहीं जाया जाता बल्कि उनको देखा भी नहीं जाता। यह जाति राजमार्गों से होकर नहीं जा सकती। इसलिए जो कमेटी रियासतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए बनाई गई है उससे मैं अनुरोध करता हूं कि उसे दलित जातियों के कुछ प्रतिनिधियों को या ऐसे लोगों को, जो परिगणित जातियों की असली जरूरतों को उन्हें बता सकें, शामिल करना चाहिए।

श्री दयालदास भगत (संयुक्तप्रांत : जनरल): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी भाषा नहीं जानता। मैं हिन्दी जानता हूं और मेरे कई प्रतिष्ठित मित्र भी केवल इसी भाषा को जानते हैं। इसलिए इस सभा की कार्यवाही की कोई उपयोगी बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन मित्रों को जो हिन्दी जानते हैं यह कहें कि वे हिन्दी में ही बोलें ताकि हमारे समझने में आसानी हो।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई:** यह प्रस्ताव यह तय करने के लिए पेश किया गया है कि कितनी जगहें दी जायेंगी और उन्हें किस तरह बांटा जायेगा। इसलिए मैं अपने मित्रों से विनयपूर्वक कहूंगा कि उन्हें चाहिए कि वे अछूत भाइयों के हितों की रक्षा के लिए उचित प्रबंध करें।

***दीवान चमनलाल** (पंजाब : जनरल): यद्यपि इस विषय को माननीय प्रस्तावक श्री के.एम. मुंशी ने बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है और सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मैं उपवाक्यखंड (ख) में एक संशोधन करना चाहता हूं यानी 'निश्चित' शब्द की जगह ''तय'' शब्द रखा जावे और उसके आखिर में यह शब्द जोड़े जायें ''और उसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी।''

चूंकि इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह किया गया है कि निगोशियेटिंग कमेटी के प्रयत्नों का जो फल होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायेगा या नहीं, इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

इसके अलावा श्रीमान्, प्रस्ताव के उपवाक्यखंड (क) में 'निश्चित' शब्द की जगह भी ''तय'' शब्द रखा जाये।

इस सम्बन्ध में मैं दूसरी बातें न कह के सिर्फ इस पर जोर दूंगा कि इसे अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है कि यह कमेटी जो कुछ बातचीत करेगी उसका ब्योरा इस सभा के सामने रखेगी और उसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करेगी ताकि यह सभा अच्छी तरह समझ सके कि इस सभा की बनाई हुई कमेटी और नरेंद्रमंडल की बनाई हुई कमेटी के बीच क्या बातचीत हुई। मेरे विचार में विधान-परिषद् के इस अधिकार को प्रस्ताव में स्पष्ट कर देना चाहिए।

***श्री के.एम. मुंशी:** सभापति महोदय, प्रस्ताव पेश करते समय मैंने यह काफी साफ तौर से बता दिया था कि बातचीत का जो भी नतीजा होगा उसे इस सभा के सामने रखा जायेगा और इस सम्बन्ध में यह भय होने का कोई कारण नहीं कि कमेटी कोई ऐसी बात तय करेगी जिसे कि सभा ठीक नहीं समझे। अब माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने एक संशोधन पेश किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कमेटी की रिपोर्ट इस सभा के सामने रखी जायेगी। मुझे इस संशोधन को स्वीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं है।

[श्री के.एम. मुंशी]

दूसरी बात यह कही गई है कि परिगणित जातियों का एक मेम्बर कमेटी में रखा जाये। माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का जवाब दे दिया है। यह कमेटी सभी वर्गों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह एक छोटी-सी कमेटी है और इसके सुपुर्द बहुत थोड़े से काम किये गए हैं और यह निश्चित उद्देश्य से बातचीत करेगी और कमेटी की रिपोर्ट सभा के सामने रखी जायेगी।

वहां *(पीछे की कुर्सियों में)* एक माननीय मेम्बर ने एक बात और कही। उन्होंने यह सवाल किया है कि ''निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी'' शब्दों को रखने की क्या जरूरत है। प्रस्ताव में इन शब्दों के रखने का विशेष कारण है।

> मंत्रिमंडल ने कहा है:-''विचार यह है कि अंतिम विधान-परिषद् में रियासतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और यह कि चूंकि ब्रिटिश भारत में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि रखे गये हैं उनके प्रतिनिधि 93 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन उनके चुनाव का तरीका सलाह-मशवरे से तय किया जायेगा। शुरू में एक निगोशियेटिंग कमेटी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेगी।''

इसलिए रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली निगोशियेटिंग कमेटी का यह काम है कि वह यह तय करे कि उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो। इस सभा को यह इत्तिला मिली है कि नरेन्द्र मंडल ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है। लेकिन इस सभा को और मुझे भी इस बारे में कोई इत्तिला नहीं है कि आया जिस कमेटी को नरेन्द्रमंडल ने बनाया है वह सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती है और आया सभी रियासतें इस पर सहमत हो गई हैं कि यह निगोशियेटिंग कमेटी उनका प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हमारी निगोशियेटिंग कमेटी को सिर्फ नरेंद्र मंडल की बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी से ही बातचीत न करनी होगी, लेकिन रियासतों से अलग-अलग भी बातचीत करनी होगी। यही कारण है कि प्रस्ताव में ये शब्द रखे गये हैं। इसलिए श्रीमान्, मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मेम्बर दीवान चमनलाल ने जो संशोधन पेश किया है उसे इस सभा को स्वीकार कर लेना चाहिए।

***एक माननीय सदस्यः** मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार प्रकट करता हूं।

नरेन्द्रमंडल ने एक निगोशियेटिंग कमेटी बनाई है। यदि रियासतों के दूसरे प्रतिनिधि भी होंगे तो क्या वे उन प्रतिनिधियों के अलावा होंगे जो कि निगोशियेटिंग कमेटी में होंगे? मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक इसका जवाब दें।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैंने स्थिति को काफी स्पष्ट कर दिया है। हम अपनी निगोशियेटिंग कमेटी को इस बारे में पूरी स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वह दूसरी निगोशियेटिंग कमेटी से और यदि वह उचित समझे तो रियासतों से अलग-अलग बातचीत करे। यदि वे कोई ऐसा निर्णय करना चाहें, जिसे वे उचित समझें, तो इस सम्बन्ध में उनके अधिकार को हम सीमित नहीं करना चाहते। इस बारे में प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है।

(श्री पी.आर. ठाकुर बोलने के लिए उठे)

***सभापतिः** प्रस्तावक जवाब दे चुके हैं।

(श्री पी.आर. ठाकुर मंच पर आ गये)

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान्, क्या प्रस्तावक के जवाब देने के बाद किसी मेम्बर को भाषण देने का अधिकार है?

***सभापतिः** श्री ठाकुर अपना संशोधन वापस ले रहे हैं।

***श्री पी.आर. ठाकुरः** माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को देखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं लेकिन मैं एक ही बात *(आवाजें...नहीं, नहीं)* कहना चाहता हूं। *(कई मेम्बर...नहीं, नहीं)* मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि 93 जगहों में से कम से कम पांच जगहें दलित जातियों को दी जायेंगी।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** श्रीमान्, जो संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, उसे देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

मैं चाहता हूं कि दीवान चमनलाल का पूरा संशोधन पढ़ दिया जावे ताकि हम उसे ठीक तौर से समझ सकें।

***सभापतिः** प्रस्ताव का उप-पैरा (ख) संशोधित होने पर इस प्रकार होगाः

''इस असेम्बली के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका कैसे तय किया जाये और इसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी।''

यह प्रस्ताव उस संशोधन के साथ जिसे कि प्रस्तावक श्री के.एम. मुंशी ने स्वीकार कर लिया है, इस तरह होगा—

''यह असेम्बली यह निश्चय करती है कि नीचे लिखे हुये मेम्बरों, यानी—

(1) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,

(2) माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू,

(3) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल,

(4) डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया,

(5) श्री शंकरराव देव, और

(6) माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर,

की एक कमेटी होगी जो नरेन्द्रमंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों से इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वहः

(क) इस असेम्बली की उन जगहों का वितरण तय करे जो 93 से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रिमंडल के 16 मई सन् 1946 ई. के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिये सुरक्षित रखी गई है।

(ख) इस असेम्बली के लिये रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका तय करे।

और इसके बाद विधान-परिषद् के सामने ऐसी बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी।

यह असेम्बली यह भी निश्चय करती है कि इस कमेटी में बाद की तीन मेम्बरों से अतिरिक्त मेम्बर न रखे जायेंगे और वे इस असेम्बली द्वारा ऐसे समय में और ऐसे तरीके से निर्वाचित किये जायेंगे जिनको कि सभापति निश्चित करें।''

अब मि. लहिरी के दूसरे संशोधन का क्या होगा?

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** यह देखते हुये कि हम बातचीत की रिपोर्ट पर विचार कर सकेंगे और यदि रियासतों के लोगों की आवश्यकताओं पर पूरी तौर से ध्यान न दिया गया हो तो उन पर उस समय जोर दे सकेंगे, मैं अपने दूसरे संशोधन को वापस लेता हूं।

***सभापतिः** अब सब संशोधनों पर विचार हो चुका है। प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने के बारे में सभापति का वक्तव्य

***सभापतिः** अब हमें जाब्ते के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करना है। इसके पहले मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं, जिसे मेरे विचार में मुझे आज इसके पहले ही देना चाहिये था लेकिन मैं भूल से ऐसा न कर सका। परसों सभा विसर्जित होने के पहले हम पं. जवाहरलाल नेहरू के पेश किये हुये प्रस्ताव पर बहस कर रहे थे और उस प्रस्ताव पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग उस पर बोलने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मेरे सामने अब भी करीब 50 नाम हैं। यह साफ है कि इस बहस को अब जारी रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे इस असेम्बली का दूसरा जरूरी काम रुक जायेगा। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव पर बहस रोक दी और अब मेरी यह तजबीज है कि उसकी जगह इन जरूरी बातों को रख दिया जाये। उसके बाद यदि हमारे पास समय होगा तो हम उस प्रस्ताव पर फिर बहस करने लगेंगे। यह हो सकता है कि क्रिसमस के लिये सभा विसर्जित करने के पहले हमें उस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए कुछ भी समय न मिले। इसलिए जब हम फिर मिलें तो इस पर आगे बहस करेंगे। इस बीच में जो लोग यहां नहीं हैं वे यहां आकर हमें फायदा पहुंचा सकते हैं और इस प्रस्ताव पर उनके विचारों को सुनकर भी हमें लाभ हो सकता है। इसलिए अगली बैठक तक इस पर और बहस स्थगित रखी जाती है।

रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार

***सभापतिः** श्री मुंशी रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर किस समय तक संशोधन स्वीकार किये जायेंगे?

***सभापतिः** आज शाम तक।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** कल सुबह 11 बजे तक।

***सभापतिः** जी हां, कल सुबह 11 बजे तक। लेकिन हम बहस को बंद नहीं करेंगे। हम उसे जारी रखेंगे। यदि कोई संशोधन पेश किया जायेगा तो हम उस बारे में दुबारा विचार करेंगे, लेकिन मैं बहस को बंद नहीं करूंगा। हम इस प्रस्ताव पर बहस करेंगे।

***श्री के.एम. मुंशीः** सभापति महोदय, मैं इस सभा के सामने रूल्स कमेटी की रिपोर्ट पेश करता हूं। इस रिपोर्ट की एक प्रति मेम्बरों के सामने रख दी गई है और इस समय मैं सभा का ध्यान केवल नियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण अंगों की ओर दिलाना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि उसे रूल्स कमेटी से सहानुभूति होनी चाहिए। रूल्स कमेटी पर काम का बड़ा भार रहा है। श्रीमान्, यह सभा इसे अच्छी तरह जानती है यह बहुत जरूरी है कि हम बैठक खत्म करने से पहले नियमों को स्वीकार कर लें और इस संगठन का काम शुरू कर दें ताकि विधान-परिषद् के संगठन का काम पूरा हो जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इस कमेटी के मेम्बरों ने नियमों के हर एक अंग पर बड़ी सावधानी से विचार किया है और हमें इस कार्य में अपने वैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ऐसे योग्य और प्रतिष्ठित कानून के विशेषज्ञ से सहायता मिली है। कमेटी ने उन्हें अच्छे से अच्छा रूप देने का यथासम्भव प्रयत्न किया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि सम्भव है कि बहुत से दोष रह गये हों और सभा इनमें कुछ असंगत बातों को पाये। मुझे विश्वास है कि इनमें विभिन्न मतों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सहानुभूति की दृष्टि से देखें। ये असेम्बली के नियम हैं। फिर सम्मिलित होने पर हम इनमें बदलाव कर सकते हैं या इनमें कुछ जोड़ सकते हैं यदि कुछ बातें रह गई हों और नई बातें रखने की राय हो तो हम उन्हें किसी समय भी शामिल कर सकते हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम नियमों को स्वीकार कर लें और एक या दो ऐसी कमेटियां बना लें जो विधान-परिषद् के संगठन को चलावें।

इन बातों को कह कर मैं अभी नियमों की कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को बताता हूं ताकि इस सभा के मेम्बर अच्छी तरह समझ लें कि इस संगठन का क्या रूप है।

श्रीमान्, मैं इस सभा का ध्यान नियम 2 वाक्यखंड (घ) की ओर दिलाना चाहता हूं। हमने नामों में इस हद तक बदलाव किया है कि हमारे स्थायी सभापति

अब अध्यक्ष कहे जायेंगे। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि कई सभापति होंगे जैसे कि सेक्शनों के सभापति, कमेटियों के सभापति, एडवाइजरी कमेटी के सभापति इत्यादि। यह जरूरी है कि स्थायी सभापति का कोई अलग ऐसा नाम हो जिसे दूसरे सभापति के नाम से आसानी से पहचाना जा सके। दूसरा कारण यह है कि हम एक स्वतंत्र सभा के रूप में काम कर रहे हैं, इस समय इस असेम्बली के काम के लिए भारत सरकार से कर्मचारियों का एक संगठन लिया गया है। लेकिन जैसे ही नियम पास हो जायेंगे हम एक अपना संगठन बनायेंगे और स्वभावत: अध्यक्ष उस संगठन के शासन-प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। इसलिए एक संगठन के प्रधान होते हुये उनका नाम सभापति होना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं नियम 27 के उप-पैराग्राफ 8 की ओर इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है:

> ''अध्यक्ष इस असेम्बली के अधिकारों का संरक्षक, इसका वक्ता और प्रतिनिधि और इसके शासन-प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होगा।''

इसी कारण से रूल्स कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि स्थायी सभापति का नाम अध्यक्ष हो।

अध्याय 2 मेम्बरों को पदासीन करने और जगहों के खाली होने के सम्बन्ध में है। यदि मैं यह कहूं कि यह बहुत कुछ एक रस्मी अध्याय है तो यह अनुचित न होगा।

अध्याय 3 इस असेम्बली की कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं। इसमें अधिकतर यह बताया गया है कि इस असेम्बली और उसकी कई शाखाओं में काम किस तरीके से किया जाये। यदि कोई महत्त्वपूर्ण आदेश है तो यह पृष्ठ 5 में है जिसमें नियम 7 दिया गया है उसमें कहा गया है:

> ''यह असेम्बली तब तक खत्म न की जायेगी जब तक कि इस असेम्बली के मेम्बरों की पूरी संख्या के दो तिहाई मेम्बर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमत न हों''

जैसा कि सभापति महोदय ने उद्‌घाटन के समय कहा था कि हमारी सभा सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न है और इसलिए यह बिलकुल हम पर निर्भर है कि हम इसे खत्म करें या न करें। यह इस नियम में स्पष्ट कर दिया गया है।

[श्री के.एम. मुंशी]

दूसरा महत्त्वपूर्ण नियम जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, नियम 15 है। नियम 15 असेम्बली के लिये ही नहीं बल्कि उसकी शाखाओं के लिए भी कोरम (उपस्थिति) निर्धारित करता है। जब किसी प्रान्तीय विधान को निश्चित किया जा रहा हो तो यह आवश्यक है कि उस प्रान्त के कम से कम 25 प्रतिनिधि मौजूद हों।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं इस सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं नियम 18 है, उसमें दिया हुआ है कि:

> ''असेम्बली की कार्यवाही हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) या अंग्रेजी में होगी। मगर सभापति किसी मेम्बर को जो इन भाषाओं में से किसी भाषा को जानता हो, इस असेम्बली में अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देंगे। सभापति जब कभी आवश्यक समझेंगे किसी मेम्बर ने जिस भाषा में भाषण दिया हो उससे दूसरी भाषा में उस भाषण का सारांश असेम्बली के सामने रखने का प्रबंध करेंगे और यह सारांश असेम्बली की कार्यवाही की रिपोर्ट में दर्ज किया जायेगा।''

कुछ मिनट पहले एक मेम्बर महोदय ने, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, यह शिकायत की थी कि यहां जो कुछ हो रहा है उसे वे नहीं समझ रहे हैं। यह नियम इस कठिनाई को दूर करने के लिये बनाया गया है। इस नियम के उपवाक्यखंड 2 में कहा गया है कि—

> ''असेम्बली के सरकारी कागजात हिन्दुस्तानी भाषा (हिन्दी और उर्दू) दोनों में और अंग्रेजी में रखे जायेंगे।''

इससे यह होगा कि हमारे सरकारी कागजात तीन भाषाओं में यानी हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में रखे जायेंगे।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात पृष्ठ 9 में नियम 23 और 23 ए में कही गई है। यह उस कार्यक्रम के अनुसार है जिसका उल्लेख मंत्रिमंडल के बयान में किया गया है।

''कार्यवाही के तरीके के सम्बन्ध में सभी मामलों में सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

मगर शर्त यह है कि यदि किसी प्रस्ताव से कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हो जो प्रमुख साम्प्रदायिक प्रश्न समझा जाये तो सभापति किसी प्रमुख जाति के प्रतिनिधियों के बहुमत से प्रार्थना करने पर अपना निर्णय देने के पहले फेडरल कोर्ट से सलाह लेंगे।''

यह बयान का एक हिस्सा है।

''मगर शर्त यह भी है कि कोई सेक्शन यूनियन असेम्बली के कर्त्तव्यों का अतिक्रमण नहीं करेगा और न बयान के पैराग्राफ 20 में बताई हुई एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर यूनियन असेम्बली जो निर्णय करे, उसमें कोई बदलाव करेगा।''

नियम 23 ए में एडवाइजरी कमेटी के कर्त्तव्यों का पूरा ब्योरा दिया हुआ है:

''बयान के पैराग्राफ 19 और 20 में बताई हुई एडवाइजरी कमेटी का ही यह कर्त्तव्य होगा कि यह प्रस्ताव पेश करे और उन पर विचार करे और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा और कबायली और पृथक् क्षेत्रों के शासन-प्रबंध के वाक्यखंडों के बारे में असेम्बली के सामने रिपोर्ट पेश करे और यह असेम्बली का ही कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी रिपोर्ट पर निर्णय करे और इस सवाल को तय करे कि विधान में इन अधिकारों को उचित स्थान पर रखा जाये।''

एडवाइजरी कमेटी का यह काम है कि सारे हिन्दुस्तान के खास-खास मामलों पर और प्रान्तों की कठिनाइयों पर भी विचार करे; इसलिए नियम 20 के अनुसार जब कभी यूनियन असेम्बली की बैठक हो, उसमें इन पर विचार होगा।

अध्याय 4 अध्यक्ष के विषय में है, और उसमें बताया गया है कि यदि यह जगह खाली हो या जब कभी खाली हो तो वह कैसे भरी जाये। जैसा कि यह सभा देखेगी यह प्रस्ताव बहुत कुछ रस्मी है।

अध्याय 5 उपाध्यक्षों के बारे में है और यह तजबीज की गई है कि 5 उपाध्यक्ष हों। दो उपाध्यक्ष इस सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और हर एक सेक्शन का अध्यक्ष, जब कि वह अपना अध्यक्ष निर्वाचित करे, अपने पद की हैसियत से असेम्बली का उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष मिलकर असेम्बली व उसकी विभिन्न शाखाओं के कामों में एकसानियत पैदा करेंगे।

[श्री के.एम. मुंशी]

अध्याय 6 विधान-परिषद् के दफ्तर के बारे में है। यह दो शाखाओं में विभाजित है—एडवाइजरी ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। एडवाइजरी ब्रांच के अध्यक्ष कांस्टिट्यूशनल एडवाइजर होंगे और पूरे समय काम करने वाले सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के अध्यक्ष होंगे।

अध्याय 7 कमेटियों के बारे में है और कमेटियों में सबसे प्रथम और सम्भवत: सबसे महत्त्वपूर्ण कमेटी स्टीयरिंग कमेटी है। माननीय मेम्बर देखेंगे कि नियम 39 में स्टीयरिंग कमेटी के कर्त्तव्यों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इस अध्याय के नियमानुसार बनाई हुई स्टीयरिंग कमेटी का काम यह है कि वह एक तरह के प्रस्ताव और संशोधनों को एक साथ रखे और यदि सम्भव हो तो एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों पर सम्बन्धित पार्टियों को सहमत कराये और यह कि असेम्बली और उसके दफ्तर के बीच, सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच और सभापति और असेम्बली के किसी भाग के बीच साधारणतया सम्बन्ध स्थापित करने वाली समिति का काम करे। इस प्रकार यह कमेटी एक केन्द्रीय शासन-संगठन हो जाता है जो कि असेम्बली की सभी शाखाओं के कार्य का एकीकरण करेगा।

इसके बाद स्टाफ को नियुक्त करने और फिनेन्स कमेटी बनाने का सवाल आता है। निर्वाचित और दूसरे मेम्बरों के परिचय-पत्रों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठे उनको हल करने के लिए क्रेडेंशियल कमेटी को भी नियुक्त करना है। दूसरी कमेटियों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

अध्याय 8 बजट के बारे में है।

अध्याय 9 वेतनों और भत्तों के बारे में है जिन्हें कि स्टाफ और फिनेंस कमेटी से स्वीकार कराना होता है।

इसके बाद अध्याय 10 में चुनावों के बारे में संदेह और झगड़ों का उल्लेख है। ये आदेश बहुत कुछ रस्मी हैं और साधारणतया ये उन कानूनों के आधार पर हैं जो हिन्दुस्तान के चुनाव के झगड़ों के बारे में हैं। एक ही बात रह गई है और वह नियम 55 में दे दी गई है। नियम 55 में कहा गया है कि–

> ''यदि ऐसी सिफारिश की गई हो तो सभापति प्रार्थनापत्र की जांच के लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे जिसमें एक या एक से अधिक लोग होंगे।''

अब जहां तक उन विषयों का सम्बन्ध है जिसके बारे में ट्रिब्यूनल निर्णय करेगा, वे नियमों में नहीं आ सकते। वह इस सभा के किसी मेम्बर की हैसियत के बारे में ही निर्णय करेगा और यह समझा जा रहा है कि यह एक आर्डिनेंस द्वारा ही सम्भव होगा क्योंकि वह कानून का एक हिस्सा हो जायेगा। वरना यह सम्भव है कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ा जाता है कि वे आवश्यक आर्डिनेंस को जारी करने के लिए उचित अधिकारी से कहें।

अध्याय 11 में कुछ ऐसे आदेशों का उल्लेख है जो सारे देश का मत लेने और प्रान्तीय विधान के बारे में हैं। यह सभा देख सकती है कि नियम 58 (1) उन आदेशों के बारे में है जिनके अनुसार कई प्रान्तों और रियासतों को, अपनी धारा सभाओं द्वारा, इस असेम्बली के उन प्रस्तावों पर जिनमें विधान के मुख्य अंगों का उल्लेख हो और, यदि असेम्बली तय करे तो, विधान के प्रारम्भिक मसविदे पर अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया गया है।

इसके अलावा वाक्यखंड 2 में सम्बन्धित प्रान्तों को अपने विधानों पर मत प्रकट करने के लिए इसी प्रकार का अवसर दिया गया है। उसमें कहा गया है:

> ''इसके पूर्व कि किसी प्रान्त का विधान अंतिम रूप से निर्धारित किया जाये उसको नियत समय के अन्दर सेक्शनों के प्रस्तावों और निर्णयों इत्यादि के बारे में अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा।''

इससे स्वभावत: सारे देश को उन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिल जाता है जिनके बारे में, इस असेम्बली में, सेक्शनों में या विधान के हिस्सों पर विचार करने वाली किसी दूसरी कमेटी में बहस हो।

नियम 59 में हमारे सभी चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू करने का उल्लेख है। नियम 61 नियमों में संशोधन के बारे में है और नियम 62 में इसकी व्यवस्था है कि इन नियमों के आदेश आवश्यक परिवर्तन के साथ, सेक्शनों और असेम्बली की कमेटियों पर लागू होंगे। सेक्शन ऐसी स्थायी आज्ञायें निर्धारित कर सकते हैं जो इन नियमों के विपरीत न हों।

इन नियमों को प्रयोग में लाने में यदि कोई कठिनाई आ पड़े तो उसे दूर करने के लिए नियम 63 में अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है। साधारणतया यह

[श्री के.एम. मुंशी]

नियमों का ढांचा है और मुझे आशा है कि सभा उनको स्वीकार कर लेगी। इसलिए अब मैं सभा के सामने नियमित रूप से कमेटी की रिपोर्ट रखता हूं और यह प्रस्ताव पेश करता हूं, ताकि वाद-विवाद और काम रस्मी न हो, इसलिए यह सभा सारे असेम्बली की एक कमेटी का रूप धारण कर ले और यह कि उसकी कार्यवाही गुप्त रूप से हो।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): मैं इसका समर्थन करती हूं।

(प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया)

***श्री बी. शिवाराव** (मद्रास : जनरल): महोदय, मैं इस सभा को एक राय देना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि कई मेम्बर मुझसे सहमत हैं।

यह रिपोर्ट हमको कल रात देर से या आज बड़े सवेरे मिली है और हम में से बहुत से लोगों को इसे पढ़ने के लिए काफी समय नहीं मिला। मेरी यह राय है आज दोपहर के बाद इस सभा की बैठक न हो जिससे हम में से वे लोग जिनकी इन नियमों में दिलचस्पी है, सम्मिलित हो सकें और अपने संशोधनों को विषयानुसार रखकर उनमें से मुख्य संशोधनों को छांट सकें ताकि उन पर कल सुबह इस सभा में बहस हो सके। यदि हम इस ढंग से काम करें तो ऐसे बहुत से संशोधनों पर जो आज पेश किये जायेंगे पहले ही विचार हो जायेगा और बहुत सम्भव है कि हम सब काम कल ही खत्म कर दें। इसलिए मैं यह राय देता हूं कि हम आज दोपहर के बाद बैठक न करें बल्कि कल सुबह ही सम्मिलित हों।

***सभापतिः** मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तब कल हम सिर्फ नियमों पर विचार करेंगे। परसों हमें कुछ उन कमेटियों को चुनना है जिनकी व्यवस्था इन नियमों में की गई है। यदि सभा का यह विचार है कि वह कल और परसों नियमों पर विचार करके उन्हें पास कर देगी तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता कि कोई व्यक्ति सभा की तरफ से इसका आश्वासन दे सकता है कि हम काम खत्म कर लेंगे।

***एक माननीय सदस्यः** हम कल सम्मिलित होंगे।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मुझे नियम आज

सुबह ही मिले। मैंने इनको पढ़ा और श्रीमान्, मैंने देखा कि अधिकतर नियम अविवाद हैं। हम इनमें कुछ और जोड़ नहीं सकते। सिवाय नियम 20, 23 और 23 ए के उन विवादग्रस्त भागों के जो बहुत कुछ विषय-सम्बन्धी संशोधनों के रूप में हैं। इसलिए काम रोकने का प्रस्ताव करके हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कल कभी नहीं आता, हमें आज ही काम शुरू करना चाहिए।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** श्रीमान्, माननीय सज्जन ने अभी कहा है कि नियमों में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम यही मालूम करने के लिए हमें उन्हें पढ़ना तो है ही।

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री शिवाराव ने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध करता हूं। आखिर काम रोकने का कोई अर्थ नहीं है। कल हम लोग सम्मिलित होंगे और पूर्ण व स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे। जैसा कि एक माननीय मेम्बर ने अभी कहा, नियमों को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। यह सम्भव है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों जिनको सुधारा जा सकता है। केवल सैद्धांतिक और विवादग्रस्त विषयों में अधिक समय लगेगा। पहले की तरह हम एक-एक नियम को लेकर विचार करेंगे और यदि कुछ विवाद न हो तो हम उन्हें आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरीके से हम नियमों पर कम-से-कम समय में विचार कर सकेंगे।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी एक-एक नियम को लेकर पढ़ेंगे और थोड़ी देर खड़े रहेंगे। यदि उसमें कुछ जोड़ने को न हो तो हम उसे फौरन ही स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे नियम को उठायेंगे। यदि कोई नियम विवादग्रस्त हो तो वह दूसरे दिन के लिए छोड़ा जा सकता है। इस बीच में हम इसका निर्णय कर सकते हैं कि आया कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं।

***सभापतिः** क्या मैं यह समझूं कि यह सभा यह चाहती है कि हम नियमों पर विचार करें?

***कई माननीय सदस्यः** जी हां।

***सभापतिः** जो लोग इसके विरोध में हों?

(कोई नहीं)

***सभापतिः** हम नियमों पर विचार करेंगे चूंकि 1 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है इसलिए हम ढाई बजे या तीन बजे काम शुरू करेंगे।

***कई माननीय सदस्यः** तीन बजे।

***श्री के.एम. मुंशीः** आधे घंटे में हम कुछ नियमों को समाप्त कर सकते हैं।

***सभापतिः** हम तीन बजे काम शुरू करेंगे और फिर गुप्त रूप से सभा करेंगे। सभा एक कमेटी का रूप धारण कर लेगी। तीन बजे उसकी बैठक होगी। इसके बाद तीन बजे तक दोपहर के भोजन के लिए असेम्बली स्थगित रही।

दोपहर के भोजन के बाद तीन बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में असेम्बली की फिर बैठक हुई।

(इसके बाद सभा की कार्यवाही गुप्त रूप से हुई।)

अंक 1
संख्या 9

23 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. कार्यक्रम 1
2. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 5

इसके बाद विधान-परिषद् का पूर्ण अधिवेशन 1 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, 23 दिसम्बर, 1946 को माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुआ।

रूल्स ऑफ प्रोसीजर की स्वीकृति

श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर (मद्रास : जनरल): श्रीमान्! मैं प्रस्ताव पेश * करता हूं....।

अध्यक्षः कमेटी की स्थिति अब समाप्त हो गई है। अब सभा का पूर्ण अधिवेशन हो रहा है। श्री मुंशी ने प्रस्ताव पेश किया है कि जिस रूप में कमेटी ने ये नियम पास किये हैं, उन्हें उसी रूप में पास किया जाये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं—

"हमने जो नियम पास किये हैं, उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी अब तक इस परिषद् की जो भी कार्रवाई हुई है, उसे वैध और नियमित माना जायेगा।"

हमने चुनाव के तरीके इत्यादि, अफसरों की नियुक्ति और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए नियम पास किये हैं और विस्तृत व्यवस्था की है। अब तक हमने जो कुछ भी किया है, चाहे ये नियम कुछ भी हों, हमने जो कुछ किया है, उसे वैध समझा जायेगा।

***अध्यक्षः** यह प्रश्न तो नियम पास किये जाने के बाद उठेगा।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा की कमेटी ने जिस रूप में नियम स्वीकार किये हैं, उन्हें अब परिषद् द्वारा अपने पूर्ण अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाये।

***डॉ. पी. सुब्बारायन** (मद्रास : जनरल): मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं नियमों पर वोट लेने के लिए इन्हें सभा के सम्मुख पेश करता हूं।

नियम, जिस रूप में सभा की कमेटी द्वारा स्वीकार किये गए थे, स्वीकार कर लिये गए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, मुझे यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाये कि जो नियम आज पास किये गए हैं उनके विपरीत कोई बात होते हुए भी इस परिषद् की अब तक की सब कार्रवाई वैध, उचित और लागू समझी जायेगी।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सभा ने जो भी चीजें पास की हैं, वे सब बहुमत द्वारा की गई हैं। नियम बहुमत द्वारा पास किये गए हैं, और केवल स्वीकृत होने पर ही उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए हमने इससे पूर्व जो कुछ भी किया है, उसे वैध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्षः** मेरा विचार है कि यह अनावश्यक है।

हमने नियम तो पास कर लिये हैं, परन्तु अभी इन नियमों के अन्तर्गत कुछ कमेटियों का निर्वाचन करना शेष रह गया है। कल मैंने घोषणा की थी कि आप लोग आज 1 बजे तक इन कमेटियों के लिए नाम पेश कर सकते हैं। हम 1 बजे से पहले ये नियम नहीं पास कर सके। इस समय 1 बजकर 35 मिनट

पुस्तक संख्या 1 खण्ड I से III -09 दिसम्बर,1946 से 02 मई,1947

खण्ड-II पुस्तक संख्या-1 दिनांक 20.01.1947 से 25.01.1947

भारतीय संविधान सभा

(भारतीय विधान परिषद)

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनर्मुद्रित

अंक 2-3
संख्या 1

सोमवार
20 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. परिचय-पत्रों को देना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 1
2. विधान-परिषद् के प्रतिनिधि-स्वरूप के बारे में पार्लियामेंट में लगाये गये अभियोगों पर अध्यक्ष का वक्तव्य 1
3. हिन्दुस्तान में प्रकाशित मंत्रिमंडल के 16 मई सन् 1946 ई. के बयान और मेम्बरों को दी हुई उसकी छपी हुई पुस्तिका-रूप में भिन्नता के बारे में अध्यक्ष का वक्तव्य 2
4. स्टीयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव 2
5. लक्ष्य सम्बंधी प्रस्ताव 4

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 20 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

परिचय-पत्रों को देना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

नीचे लिखे मैं मैम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये।

1. डॉ. एच.सी. मुखर्जी।

2. श्री बालकृष्ण शर्मा।

विधान-परिषद् के प्रतिनिधि-स्वरूप के बारे में पार्लियामेंट में लगाये हुए अभियोगों पर अध्यक्ष का वक्तव्य

***अध्यक्ष:** काम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों के बारे में दो वक्तव्य देना चाहता हूं। पिछली दिसम्बर को कामन्स-सभा और लार्ड्स-सभा में कुछ ऐसे बयान दिये गये जिनमें इस असेम्बली के पिछले अधिवेशन के प्रतिनिधि-स्वरूप को अपमानित किया गया। इस सम्बन्ध में जो लोग बोले उनमें मि. चर्चिल और वाइकाउंट साइमन उल्लेखनीय है। मि. चर्चिल ने कहा कि यह असेम्बली जिस रूप में पिछली बार सम्मिलित हुई थी, इसमें हिन्दुस्तान की केवल एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व हुआ था। वाइकाउंट साइमन ने इसे कुछ अधिक स्पष्ट कर दिया और कहा कि यह असेम्बली ''हिंदुओं की एक सभा है।'' वे आगे चलकर पूछते हैं कि ''क्या दिल्ली में होने वाली सवर्ण हिंदुओं की इस सभा को सरकार को अपने अर्थ में विधान-परिषद् समझना चाहिए?''

ये दोनों सज्जन उत्तरदायित्व के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं और हिंदुस्तान के मामलों से इनका बहुत काल तक निकट सम्बन्ध रहा है, चाहे वर्तमान राजनैतिक वाद-विवाद के सम्बन्ध में उनका जो भी मत हो, मुझे विश्वास है कि वे ऐसे बयान नहीं देना चाहेंगे जो वस्तुस्थिति के बिल्कुल विपरीत हों और जिनसे दुष्टतापूर्ण अनुमान निकाले जा सकते हों। इसी कारण मैं इस अवसर पर रस्मी तौर पर सच्ची हालत बता देना आवश्यक समझता हूं। प्रारिम्भक अधिवेशन में 296 मैम्बर भाग लेने वाले थे परन्तु उनमें से 210 मैम्बर आये। इन 210 मैम्बरों में से 155 हिन्दू थे जबकि उनकी कुल संख्या 160 थी; 30 परिगणित जातियों के मैम्बर थे जबकि उनकी कुल संख्या 33 थी; पांचों सिख मैम्बर थे; 6 देशी ईसाइयों के मैम्बर थे जबकि उनकी कुल संख्या 7 थी; पिछड़ी हुई जातियों के पांचों मैम्बर थे; एंग्लो इंडियनों के तीनों मैम्बर थे; पारसियों के तीनों मैम्बर थे; और मुसलमानों के 4 मैम्बर थे जबकि उनकी कुल संख्या 80 थी, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[अध्यक्ष]

की अनुपस्थिति निस्सन्देह उल्लेखनीय है। इसके लिए हम सबको खेद है। लेकिन जो आंकड़े मैंने दिए हैं, उनसे स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के अलावा हिन्दुस्तान की हर एक जाति के प्रतिनिधि, चाहे जिस पार्टी से उनका सम्बन्ध रहा हो, इस असेम्बली में आये और इसलिए इस असेम्बली को हिन्दुस्तान की "एक ही बड़ी जाति की प्रतिनिधि कहना" या "हिन्दुओं की एक सभा" या सवर्ण हिन्दुओं की सभा कहना, वस्तुस्थिति को बिल्कुल गलत तरीके से रखना है। (*हर्ष ध्वनि*)

हिन्दुस्तान में प्रकाशित मंत्रिमंडल के 16 मई, सन् 1946 ई. के बयान और मैम्बरों को दी हुई उसकी छपी हुई पुस्तिका-रूप में भिन्नता के बारे में अध्यक्ष का वक्तव्य।

***अध्यक्ष:** मैम्बरों को याद होगा कि पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर विधान-परिषद् में जो वाद-विवाद हो रहा था उसके सिलसिले में मि. जयपालसिंह ने यह बताया था कि मंत्रिमंडल का 16 मई, सन् 1946 ई. का बयान जैसा कि वह हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ और जैसा कि उसे असेम्बली के दफ्तर ने पुस्तिका के रूप में बांटा, उनमें भिन्नता है। जिस भिन्नता का हवाला दिया गया वह बयान के पैराग्राफ 20 में थी। उनकी यह शिकायत थी कि जो बयान हिन्दुस्तान में पहले प्रकाशित हुआ था, उसमें सम्बन्धित हितों का पूरा प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है और हमने दुबारा जिस रूप में उसे छापा उसमें सिर्फ उचित प्रतिनिधित्व लिखा हुआ है। इस बीच मैंने इस मामले की जांच करवाई।

भारत सरकार के प्रिन्सिपल इंफार्मेशन अफसर, जिन्होंने हिन्दुस्तान में बयान को शुरू में प्रकाशित किया, पूछने पर बताते हैं कि वह ठीक उस प्रति के अनुरूप छापा गया जो कि उन्हें मंत्रिमंडल के इंफार्मेशन अफसर से प्राप्त हुई। हमने जो पुस्तिका छापी है वह उस व्हाइट पेपर की ठीक नकल है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया। यह जान पड़ता है कि हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुए बयान में उसे पार्लियामेंट में पेश करने के पहले मंत्रिमंडल ने कुछ बदलाव कर दिये।

मि. जयपालसिंह ने जो भिन्नता बताई केवल वही नहीं है। कुछ अन्य भी है। लेकिन मुझे सन्तोष है कि जहां कहीं भी ये बदलाव किये गये हैं वहां वे अधिकतर केवल शाब्दिक हैं। लेकिन पैराग्राफ 20 में जो बदलाव किया गया है वह केवल शाब्दिक है या नहीं, यह अपने-अपने मत की बात है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि कोई खास बदलाव किया गया है।

स्टीयरिंग कमेटी के बारे में प्रस्ताव

***अध्यक्ष:** अब कार्यक्रम में दूसरा विषय श्री सत्यनारायण सिन्हा का प्रस्ताव है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): सभापति महोदय, मेरे नाम से जो प्रस्ताव है उसे मैं पेश करता हूं:-

यह निश्चय किया जाता है कि यह असेम्बली विधान-परिषद् के नियमों के नियम 40(1) में बताये हुये तरीके के अनुसार (अध्यक्ष के अलावा) उन ग्यारह मैम्बरों को चुनने का काम शुरू करती है जो स्टीयरिंग कमेटी के मैम्बर होंगे।

श्रीमान् आपकी आज्ञा से मैं इस सभा के सामने इस कमेटी के बारे में उन नियमों को पढ़ना चाहता हूं जो कि हमने पिछले अधिवेशन में पास किये थे।

यह असेम्बली समय-समय पर ऐसे तरीके से जिसे वह उचित समझे, ग्यारह मैम्बरों के अलावा आठ अतिरिक्त मैम्बरों को चुनेगी जिनमें से चार मैम्बरों की जगहें देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में से चुने जाने के लिए सुरक्षित रखी जायेंगी।

अध्यक्ष, पद की हैसियत से, स्टीयरिंग कमेटी के मैम्बर होंगे और पद की हैसियत से उसके सभापति भी होंगे। कमेटी अपने मैम्बरों में से किसी मैम्बर को उप-सभापति निर्वाचित करेगी जो सभापति की अनुपस्थिति में कमेटी के सभापति होंगे।

असेम्बली के सेक्रेटरी, पद की हैसियत से स्टीयरिंग कमेटी के सेक्रेटरी होंगे।

कमेटी में अकस्मात् जो जगहें खाली होंगी उन्हें खाली होने पर असेम्बली चुनाव द्वारा यथाशीघ्र ऐसे तरीके से भरेगी जिसे कि सभापति निश्चित करेंगे।

41(1) कमेटी:

(क) प्रतिदिन के काम को क्रमानुसार रखेगी,

(ख) एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों को एक साथ रखेगी और, यदि सम्भव हो तो, एक तरह के प्रस्तावों और संशोधनों पर सम्बन्धित पार्टियों को सहमत करायेगी,

(ग) असेम्बली और सेक्शनों के बीच, सेक्शनों के बीच, कमेटियों के बीच, और अध्यक्ष और असेम्बली के किसी भाग के बीच, सम्बन्ध स्थापित करने वाली साधारण समिति का काम करेगी, और

(घ) नियमों के आधीन या असेम्बली या अध्यक्ष द्वारा उसको सुपुर्द किये हुए किसी मामले को तय करेगी।

(2) स्टीयरिंग कमेटी के कार्य-संचालन के लिए अध्यक्ष स्थाई आज्ञायें जारी करेंगे।

यदि सभा मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे तो अध्यक्ष यह ऐलान करेंगे कि किस तारीख और किस समय तक नाम प्राप्त हो जाने चाहिएं और यदि चुनाव की आवश्यकता हो तो वह कब तक होगा।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** क्या कोई मैम्बर इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। चूंकि कोई सज्जन नहीं बोलना चाहते इसलिये मैं इस प्रस्ताव पर सभा का वोट लूंगा। प्रस्ताव यह है:

''यह निश्चय किया जाता है कि यह असेम्बली विधान-परिषद् के नियमों के नियम 40(1) में बताये हुये तरीके अनुसार (अध्यक्ष के अलावा) उन ग्यारह मैम्बरों को चुनने का काम शुरू करती है जो स्टीयरिंग कमेटी के मैम्बर होंगे।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** मुझे माननीय मैम्बरों को यह सूचित करना है कि आज पांच बजे तक नोटिस आफिस में स्टीयरिंग कमेटी के लिए नाम आ जाने चाहिएं। यदि आवश्यक होगा तो चुनाव अंडर-सेक्रेटरी के कमरे में (कमरा नं. 24, सतह की मंजिल, काउंसिल हाउस), 21 जनवरी को तीन और पांच बजे शाम के बीच होगा।

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव—(पिछली संख्या से आगे)

***अध्यक्षः** अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिछले अधिवेशन में पेश किये हुए प्रस्ताव पर बहस शुरू करेंगे।

***सर एस. राधाकृष्णन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े हर्ष से यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। संशोधनों की जो सूची पेश की गई है उसमें मैं देखता हूं कि तीन अलग-अलग सवाल उठाये गये हैं—यानी आया इस तरह की घोषणा आवश्यक है, आया इस घोषणा पर विचार करने के लिये यह उचित समय है, और आया इस प्रस्ताव में जिन लक्ष्यों की ओर संकेत किया गया है उनके बारे में सभी लोग सहमत हैं या उनको बदलने या संशोधित करने की आवश्यकता है।

मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार की घोषणा आवश्यक है। ऐसे लोग भी है जो बहमी हैं, जो हिचकिचाते रहते हैं, या जिन्हें इस विधान-परिषद् के कार्य से अत्यन्त दुराशा है। ऐसे लोग भी हैं जो दृढ़ता से कहते हैं कि मन्त्रिमंडल की योजना के अन्तर्गत देश में न तो वास्तविक एकता को स्थापित करना सम्भव होगा और न सच्ची स्वतंत्रता या आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करना। वे हमसे कहते हैं कि उन्होंने पिंजड़े के अन्दर गिलहरियों को घूमते हुये देखा है और यह कि मन्त्रिमंडल के बयान की चौहदी के अन्दर हमारे लिये यह सम्भव न होगा कि हम उन क्रांतिकारी परिवर्तनों को कर सकें जिनकी ओर देश बढ़ रहा है। वे इतिहास को सामने रखकर यह तर्क देते हैं कि हिंसात्मक कार्य द्वारा पहले से स्थापित संस्कारों का तख्ता उलट कर ही क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। अंग्रेजों ने राजसत्तात्मक एकतन्त्र को इसी तरह खत्म किया, संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने भी आरम्भ में सीधी चोट द्वारा ही स्वतन्त्रता प्राप्त की; फ्रांसीसी वोल्शेवी, फासिस्ट और नाजी क्रान्तियां भी इन्हीं तरीकों से की गईं। हमसे कहा जाता है कि हम शान्तिपूर्वक उपायों से, सलाह लेकर या विधान-परिषदों में बहस करके, क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमारा जवाब यह है कि हमारा लक्ष्य भी वही है जो आपका। हम भारतीय समाज में मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं। हम अपनी राजनैतिक व आर्थिक पराधीनता का अन्त करना चाहते हैं वे लोग जिनका आत्मबल बढ़ा चढ़ा होता, जिनकी दृष्टि संकुचित नहीं होती है, अवसर से लाभ उठाते हैं वे अपने लिये अवसर पैदा करते हैं। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है और इससे लाभ उठाकर हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे तरीकों को काम में लाकर, जो पहले इतिहास में कभी काम में नहीं लाये गये, हमारे लिये अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों को पूरा करना सम्भव है या नहीं। हम यही देखने के लिये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए आसानी से और तुरन्त ही दासत्व की अवस्था को त्याग कर स्वतंत्रता की अवस्था प्राप्त करना सम्भव है या नहीं। इस असेम्बली को यही आश्वासन देना है। हम उन सबसे, जो इस असेम्बली में नहीं आये हैं, यह कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा यह कभी भी नहीं है कि हम किसी वर्ग विशेष की सरकार स्थापित करें। हम यहां किसी जाति-विशेष या किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिये कोई मांग करने नहीं आये हैं। हम यहां सभी भारतीयों के लिये स्वराज्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम हर प्रकार के स्वेच्छाचारी शासन

को और निर्जीव परम्परा की हर एक टूटी-फूटी चीज को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। हम यहां ऐसी व्यवस्था करने के लिये सम्मिलित हुए हैं जिससे इस देश के जनसाधारण की, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय के ही मौलिक आवश्यकतायें वास्तव में पूरी हो सकें। यदि तुरही से संदेशजनक आवाज निकले तो लोग हमारा समर्थन करने नहीं आयेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारी तुरही की आवाज, हमारी शंखध्वनि, स्पष्ट हो जिससे लोगों के हृदय आल्हादित हों और बहमी व अलग रहने वाले लोगों को दुबारा यह आश्वासन मिले कि हम यहां इस संकल्प से आये हैं कि सारे भारतवर्ष को स्वाधीन बनायें और यह कि यहां किसी व्यक्ति को बिना किसी दोष के तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी वर्ग को अपनी सांस्कृतिक उन्नति के लिए कुंठित न किया जायेगा। इसलिये मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के लक्ष्य-सम्बन्धी घोषणा की आवश्यकता है और हमें उस समय के लिए रुके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि इस असेम्बली में आज दिन से अधिक प्रतिनिधि आ जायेंगे।

अब मैं अपने लक्ष्य के विषय में कहूंगा। हम यह निश्चय करते हैं कि हिन्दुस्तान स्वतंत्र सार्वभौम-सत्ता-सम्पन्न जन-तन्त्र होगा। स्वतंत्रता के प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। प्रधानमन्त्री एटली अपने पहले वक्तव्य में, जो उन्होंने 5 मार्च को दिया, कहते हैं:–

> ''मैं आशा करता हूं कि भारतीय ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का निश्चय करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने में उन्हें बहुत लाभ दिखाई देगा लेकिन यदि वह ऐसा निश्चय करें तो यह स्वतन्त्र इच्छा से होना चाहिये। ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ किसी बाहरी दबाव से नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि वह स्वतन्त्र होने का निश्चय करे तो हमारे मत में उसे इसका अधिकार है।''

मुस्लिम लीग और नरेश सब इस पर सहमत हैं। रियासतों की सन्धियों और सर्वोच्च-सत्ता के बारे में मन्त्रिमंडल ने नरेन्द्रमंडल के चांसलर को 12 मई, सन् 1946 ई. को जो स्मृति-पत्र दिया है उसमें कहा गया है—

> ''नरेन्द्रमंडल ने तब से इसका समर्थन किया है कि भारतीय रियासतों की भी आमतौर से सारे देश की तरह यही इच्छा है कि हिन्दुस्तान तुरन्त ही अपने पूर्ण विकसित स्वरूप को प्राप्त हो। सम्राट की सरकार ने भी अब यह घोषित कर दिया है कि यदि ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी सरकार या सरकारें स्वतन्त्रता की घोषणा करें तो उनके रास्ते में कोई अड़ंगा न लगाया जायेगा। इन घोषणाओं का यह असर हुआ है कि सभी लोग जो हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये चिन्तित हैं, चाहते हैं कि यह स्वाधीनता की स्थिति को प्राप्त हो, चाहे वह यह स्थिति ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्दर रहकर प्राप्त करें या उसके बाहर रह कर।''

कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरे संगठन और नरेश जो कोई भी हिन्दुस्तान के भविष्य के लिये चिन्तित हैं, यही चाहते हैं कि वह स्वतन्त्र हो, चाहे वह ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्दर रहे या बाहर।

महोदय, सम्राट की सरकार की स्वतन्त्रता की भेंट का उल्लेख करते हुए मि. चर्चिल ने 1 जुलाई, सन् 1946 ई. को कामन्स-सभा में कहा था—

[सर एस. राधाकृष्णन]

> ''लेकिन यह दूसरी बात है कि हम इस कार्यप्रणाली को छोटा कर दें और कहें लीजिए, स्वतन्त्रता अभी लीजिये''। यह सरकार देखेगी ही और वह भी जल्दी ही। उन्हें इसे नहीं भूलना चाहिए। सरकार जिन लोगों से बातचीत कर रही है उन्हें तुरन्त ही पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। यह होने ही वाला है।''

इस लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य मि. चर्चिल को निराश करना नहीं है। (वाह-वाह) यह उन्हें बताता है कि जिसकी आशा की जाती थी वह हो रहा है। आपने यह हमारी इच्छा पर छोड़ दिया कि हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहें या न रहें। हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में न रहने का निश्चय कर रहे हैं। क्या मैं इसका कारण बता सकता हूं? जहां तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है यह आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा या दक्षिणी अफ्रीका की तरह सिर्फ उपनिवेश नहीं है। इनका ग्रेट ब्रिटेन से जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। हिन्दुस्तान की जनसंख्या विशाल है और उसके विपुल प्राकृतिक साधन हैं उसकी एक महान् सांस्कृतिक परम्परा रही है और बहुत काल तक उसने स्वतन्त्र जीवन व्यतीत किया है। इसलिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हिन्दुस्तान दूसरे उपनिवेशों की तरह एक उपनिवेश है।

इसके अलावा हमें इस पर विचार करना है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ में जो कुछ हुआ उसका क्या अर्थ है। जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हमारी प्रतिष्ठित सहचरी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में दक्षिणी भारत के भारतीयों की सुरक्षा के लिए योग्यता से दलीलें पेश कीं तो ब्रिटेन ने कैसा रुख दिखाया। ग्रेट ब्रिटेन ने कैनेडा और आस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका का समर्थन किया। न्यूजीलैंड ने किसी तरफ वोट नहीं दी। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटेन और दूसरे उपनिवेशों के आदेशों में सामंजस्य है, लेकिन यह हिन्दुस्तान के लिए नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहने का कोई अर्थ नहीं है। हमें यह अनुभव नहीं होता कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के विभिन्न भागों में रहते हुए हमें समान अधिकार प्राप्त हैं। आपमें से कुछ सज्जनों ने यह भी सुना होगा कि मि. चर्चिल और लार्ड टेम्पलवुड ने एक यूरोपीय संघ के लिये हाल में काम शुरू किया है जिसका अध्यक्ष और संरक्षक ग्रेट ब्रिटेन होगा इससे भी मालूम होता है कि हवा का रुख क्या है।

फिर भी यदि हिन्दुस्तान ब्रिटिश कामनवेल्थ से अलग होने का भी निश्चय करे तो भी स्वेच्छा से सहयोग करने और व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक मामलों में एक दूसरे का हाथ बटाने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने इस संकट के समय जो रुख दिखाये वह उसी पर निर्भर है कि मैत्री, विश्वास और सामंजस्य की भावना से यह पारस्परिक सहयोग उत्तरोत्तर बढ़े या पारस्परिक विश्वास और कटुता से खत्म हो जायें। यह मालूम पड़ता है कि भारतीय रिपब्लिक से सम्बन्धित इस प्रस्ताव में मि. चर्चिल और उनके अनुयायी रुष्ट हो गये हैं। हमारे सभापति महोदय ने आज मि. चर्चिल के एक बयान का हवाला दिया है, मैं कुछ दूसरे बयानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

जब बर्मा के विषय में वाद-विवाद हुआ तो मि. चर्चिल ने कहा कि बर्मा उस

समय साम्राज्य में मिलाया गया था जब कि उसके पिता सेक्रेटरी थे और अब बर्मा को इसकी स्वतन्त्रता दे दी गई है कि वह साम्राज्य में रहे या न रहे। यह जान पड़ता है कि वे बर्मा और हिन्दुस्तान को अपनी पैत्रक सम्पत्ति के भाग समझते हैं चूंकि अब वे हाथ से निकले जा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत ही अफसोस हो रहा है।

हिन्दुस्तान के बारे में जब वाद-विवाद हो रहा था तो उन्होंने श्रीमान् सम्राट की सरकार से कहा कि उसे "मुसलमानों के प्रति, जिनकी संख्या 9 करोड़ है और हिन्दुस्तान के सैनिकों में जिनका बाहुल्य है।" और "4 से 6 करोड़ अछूतों के प्रति" अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिये। भारत से सम्बन्धित वाद-विवाद और अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत में सत्य का मान नहीं किया जाता। महान् कांग्रेस दल के प्रतिनिधियों के बारे में वे कहते हैं कि "वे परिश्रम से संगठित और बाहरी दबाव से बनाये हुए अल्पसंख्यकों के वक्ता हैं जिन्होंने बलपूर्वक या चालबाजी से शक्ति अपने हाथों में ले ली है और वे उस शक्ति का प्रयोग विशाल जनसाधारण के नाम पर करते हैं, हालांकि उनका जनसाधारण से कभी का सम्बन्ध टूट गया है और उन पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं है"।

यह वह दल है जिससे सदस्यों ने जीवन के कष्टों का बहादुरी से सामना किया है, देश के लिए जिन्हें कष्ट झेलने पड़े हैं जिनका देश-प्रेम और त्याग संसार में अद्वितीय है और जिनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो आज के दिन हिन्दुस्तान के एक सुदूर प्रदेश में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है और जिस वृद्ध पुरुष के कंधों पर राष्ट्र के शोक और सन्ताप का भार है। ऐसे दल का इस तरह उल्लेख करना, जैसे कि मि. चर्चिल ने किया है—मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं इसे क्या कहूं। *(अफसोस की आवाजें)* मि. चर्चिल के उद्गारों में कुछ भी गम्भीरता या विवेक नहीं है। उत्तेजनापूर्ण और असंगत बातें कहकर और हमारे साम्प्रदायिक भेदभाव का उपहास करके उन्होंने इस अवसर पर व अन्य अवसरों पर अपने भाषण को प्रभावपूर्ण बनाया है। मैं यहां सिर्फ यह कहूंगा कि इस तरह के भाषणों और वक्तव्यों से यह नहीं हो सकता कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। हां, इतना हो सकता है कि कुछ ढील-ढिलाव हो जाये और कष्ट अधिक काल तक झेलना पड़े। अंग्रेजों से सम्बन्ध टूट कर ही रहेगा और उसे टूटना ही चाहिये। इस सम्बन्ध के टूटने पर मैत्री और सद्भाव हो या दुःख और उत्पीड़न यह सब कुछ इस पर निर्भर है कि अंग्रेज इस महान प्रश्न को किस तरह सुलझाते हैं।

रिपब्लिक एक ऐसा शब्द है जिसने इस देश के रियासतों के प्रतिनिधियों को विचलित कर दिया है। इस मंच से हमने यह कहा है कि भारतीय रिपब्लिक का यह अर्थ नहीं है कि नरेशों का शासन खत्म हो जायेगा, नरेश रह सकते हैं। यदि नरेश अपने को वैधानिक और रियासतों के लोगों के प्रति उत्तरदायी बना लें तो वे रहेंगे। यदि सर्वोच्च-शक्ति ही जिसने इस देश को जीत का सार्वभौम सत्ता प्राप्त की है, लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार हस्तान्तरित कर रही है तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे लोग जो उस सर्वोच्च शक्ति के आधीन हैं वही करें जो कि अंग्रेज कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वे लोगों के प्रतिनिधियों को अधिकार हस्तान्तरित करें।

हम यह नहीं कह सकते कि इस देश की गणतंत्रात्मक परम्परा नहीं रही है। इतिहास बतलाता है कि बहुत प्राचीनकाल से यह प्रथा चली आई है, जब उत्तर

[सर एस. राधाकृष्णन]

भारत के कुछ व्यापारी दक्षिण गये तो दक्षिण के एक नरेश ने उनसे पूछा 'आपका राजा कौन है'? उन्होंने जवाब दिया, 'हम में से कुछ पर परिषद् शासन करती है, और कुछ पर राजा'।

'केचिद्देशो गणाधीना केचिद राजाधीना'

पाणिनी, मेगस्थनीज और कौटिल्य, प्राचीन भारत के रिपब्लिकों का उल्लेख करते हैं। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की रिपब्लिक के निवासी थे।

लोगों की सार्वभौम सत्ता के बारे में बहुत कछ कहा गया है। हमारी वह धारणा है कि सार्वभौम सत्ता का आधार अंतिम रूप से नैतिक सिद्धांत है, मनुष्य मात्र का अन्तःकरण है। लोग और राजा भी उसके आधीन हैं। धर्म राजाओं का भी राजा है।

'धर्म्मम् क्षात्रस्य क्षात्रम्'

वह लोगों और राजाओं दोनों का शासक है। हमने कानून की सार्वभौम सत्ता पर भी जोर दिया है। नरेश, जिनमें से बहुत से मेरे मित्र हैं, मंत्रिमंडल के वक्तव्य पर सहमत हैं और वे देश की भावी उन्नति में हाथ बंटाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि वे अपने लोगों की उभरती हुई आकांक्षाओं की ओर ध्यान देंगे और अपने को उत्तरदायी बनायेंगे। यदि वे ऐसा करें तो वे देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेंगे। हमारा नरेशों से कुछ द्वेष नहीं है। गणतंत्र या लोगों की सार्वभौम सत्ता पर जोर देने का यह अर्थ नहीं है कि हम नरेशों के शासन के विरुद्ध हैं। उसका सम्बन्ध देशी रियासतों की वर्तमान परिस्थिति या उनके प्राचीन इतिहास से नहीं है बल्कि यह रियासतों के लोगों की भविष्य की आकांक्षाओं की ओर संकेत करता है।

दूसरी बात जिसका उल्लेख इस प्रस्ताव में किया गया है वह भारतीय यूनियन के बारे में है। मंत्रिमंडल के बयान में हिन्दुस्तान के विभाजन के विरुद्ध निर्णय दिया गया है। भूगोल उसके विरुद्ध है। सैन्य संचालन में भी उससे रुकावट पड़ती है। इस समय जो धारा बह रही है वह बड़े-से-बड़े समूहों के अनुकूल है। देखिए अमरीका, कैनेडा और स्वीट्जरलैंड में क्या हुआ? मिश्र सूडान से मिल जाना चाहता है, दक्षिण आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड से मिल जाना चाहता है, फिलिस्तीन विभाजन का विरोध कर रहा है। आधुनिक जीवन का आधार राष्ट्रीयता है न कि धर्म। एलनवाई के मिश्र में चलाए हुए स्वतंत्रता के आन्दोलन, अरब में लारेन्स के साहसपूर्ण कार्य, कमालपाशा का तुर्की को बलपूर्वक पार्थिक रूप देना, इस ओर संकेत करते हैं कि धार्मिक राज्यों के दिन ढल गए हैं। आजकल राष्ट्रीयता का जमाना है। इस देश में हिंदू और मुसलमान एक हजार वर्ष से भी अधिक समय से साथ-साथ रहते आये हैं। वे एक ही देश के रहने वाले हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। उनकी जातीय परम्परा एक ही है। उन्हें एक ही प्रकार के भविष्य का निर्माण करना है। वे एक दूसरे में गुथे हुए हैं। हम अपने देश के किसी भी भाग को अल्सटर की तरह अलग नहीं कर सकते। हमारा अल्सटर सार्वभौम है। यदि हम दो राज्य भी स्थापित करें तो उनमें बहुत बड़े अल्पसंख्यक समूह होंगे और वे अल्संख्यक चाहे इन पर अत्याचार हो या न हो अपनी रक्षा के लिए अपनी सरहदों के उस पार से सहायता मांगेगे। इससे निरंतर कलह होगा और वह उस समय तक चलता रहेगा जब तक भारत एक संयुक्त राष्ट्र न हो जाये। हम यह अनुभव करते हैं कि सभी लोगों को संगठित करने के लिए एक

शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता है। लेकिन कुछ निर्देशों के कारण, चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, हमें एक ऐसे केन्द्र से सन्तोष कर लेना है जिसको केवल वे तीन विषय दिये गए हैं जिन्हें कि मंत्रिमंडल ने हमारे सामने रखा है इस प्रकार हम प्रान्तीय स्वशासन के सिद्धान्त को अपनाकर काम कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों के ही होंगे। बिहार और बंगाल में जो घटनायें घटित हुई हैं उनको देखते हुए केन्द्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। लेकिन चूंकि ये कठिनाइयां हैं, हमारी तजवीज यह है कि एक बहुराष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जाये जिसमें विभिन्न संस्कृतियों को अपने विकास का पर्याप्त अवसर मिले।

समूहबन्दी के कारण हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन समूह बन्दी दो आवश्यक बातों पर निर्भर है, जोकि मंत्रिमंडल की योजना के ही अंग हैं, यानी यूनियन का केन्द्र और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त प्रान्त। इन समूहों में भी बड़े-बड़े अल्पसंख्यक समूह होंगे। जो लोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दे रहे हैं उन्हें ऐसे दूसरे लोगों को भी ये अधिकार देने होंगे जो समूहों में सम्मिलित हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 19 जुलाई, सन् 1946 ई. को जो वक्तव्य दिया उसमें कहा:—

> ''यह भ्रम प्रकट किया गया है कि यह सम्भव है कि नये प्रान्तीय विधान इस प्रकार बनाये जायेंगे कि बाद को प्रान्तों के लिए सम्बन्ध विच्छेद करना असम्भव हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव होगा। लेकिन यदि ऐसी कोई बात की जाये तो यह स्पष्टत: इस योजना के आधारभूत आशय के ही विपरीत होगा।''

सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह कहा है कि यदि निर्वाचक-समूहों को इस प्रकार बनाने का प्रयत्न किया गया कि प्रान्तों के लिए स्वेच्छा से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाये तो यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के शब्दों में इस योजना के आधारभूत आशय के विपरीत होगा। आखिर हमने साथ रहना है और यह बिल्कुल असम्भव है कि कोई विधान, जिसके अनुसार लोगों पर शासन होगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध लागू किया जाये।

इस प्रस्ताव में मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख है, हम एक सामाजिक व आर्थिक क्रांति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पार्थिक स्थिति को समुन्नत बनाने के अतिरिक्त हमें मनुष्य के अन्त:करण की स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी है। जब तक कि स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न न की जाये केवल स्वतंत्रता की दशाओं को पैदा करने से कोई लाभ न होगा। मनुष्य के मस्तिष्क को अपना विकास करने और पूर्णावस्था प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य की उन्नति उसके मस्तिष्क की क्रीड़ा से ही होती है। वह कभी सृजन करता है तो कभी विनाश और उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। हमें मनुष्य के अन्त:करण की स्वतंत्रता की सुरक्षा करनी है जिससे उसमें राज्य हस्तक्षेप न कर सके। आर्थिक दशाओं के सुधार के लिए आवश्यक है कि राज्य-व्यवस्था करें लेकिन इससे मनुष्य के अन्त:करण की हत्या न होनी चाहिए।

हम आज एक महान् ऐतिहासिक नाटक के पात्रों के रूप में काम कर रहे हैं। चूंकि हम उसके अन्दर काम कर रहे हैं इसलिए हमें उसकी वृहद रूप-रेखा का ज्ञान नहीं हो सकता। जो घोषणा आज हम कर रहे हैं वह वास्तव में अपने

[सर एस. राधाकृष्णन]

लोगों से एक प्रतिज्ञा और सभ्य संसार से एक संधि है।

मि. चर्चिल ने मि. ऐलेक्जेंडर से यह सवाल पूछा कि क्या यह असेम्बली प्रमाणिक रूप से काम कर रही है? मि. एलेक्जेंडर ने कहा कि:

> ''मैं यह फिर कहता हूं कि विधान-परिषद् के लिए चुनाव की जो योजना थी, उसका कार्य समाप्त हो चुका है। यदि मुस्लिम लीग ने उसमें जाना स्वीकार नहीं किया तो आप एक नियमानुसार निर्वाचन असेम्बली को अपना कार्य करने से कैसे रोक सकते हैं?''

मि. ऐलेक्जेंडर ने यह कहा। समूह बन्दी की व्याख्या के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हुईं। बहुत कुछ इच्छा न होते हुए भी कांग्रेस ने श्रीमान्, सम्राट की सरकार की व्याख्या स्वीकार कर ली है। जो दो खंड रह जाते हैं उनसे अल्पसंख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो जाती है और शक्ति हस्तान्तरित होने पर जो प्रश्न उठेंगे उनको हल करने के लिए उनका महत्व वही होगा जो एक संधि का होता। विधान-परिषद् न्यायोचित रूप से काम कर रही है। सरकारी योजना का हर एक भाग पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है, और यदि हम अल्पसंख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे—ऐसी सुरक्षा जिससे चाहे अंग्रेजों को या हमारे देशवासियों को संतोष हो या न हो परन्तु जिससे सभ्य संसार के अन्तःकरण को संतोष होगा तो, यद्यपि अंग्रेजों को ही उसे प्रयोग में लाने का अधिकार होगा, उन्हें कम से कम इस विधान को कानून का रूप देना ही होगा। यह आवश्यक है कि वे ऐसा करें, यदि इन शर्तों के पूरा होने पर भी हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को स्थगित करने के लिए कोई बहाना ढूंढा जाये तो यह इतिहास में सबसे कठोर विश्वासघात का उदाहरण होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि अंग्रेज यह तर्क दें कि विधान-परिषद् ने मंत्रिमंडल की योजना के आधार पर काम शुरू किया है और उसने 16 मई की मंत्रिमंडल की योजना के हर एक खंड को स्वीकार कर लिया है और सभी अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर दी है और इसलिए उन्हें इस विधान को प्रयोग में लाना चाहिए, तो यह इतिहास की एक सफलता होगी और इससे दो महान राष्ट्रों के बीच सहयोग और उनमें सद्भावना होगी। मि. एटली ने प्रधानमंत्री की हैसियत से 15 मार्च को जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा:—

> ''एशिया ऐसे विशाल देश में, युद्ध द्वारा विध्वस्त एशिया में, एक ऐसा देश जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों को प्रयोग में लाने की चेष्टा करता रहा है। हमेशा ही मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि राजनैतिक भारत एशिया का ज्योति हो सकता है। एशिया का ही नहीं वरन् संसार की ज्योति हो सकता है और उसके विभ्रान्त मस्तिष्क में एक आन्तरिक कल्पना जागृत कर सकता है और उसकी विचलित बुद्धि को उन्नति का मार्ग दिखा सकता है।''

ये दो उपाय हैं, विधान-परिषद् को स्वीकार कीजिये उसके नियमों को स्वीकार कीजिये, देखिए कि अल्पसंख्यकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की गई है या नहीं। यदि की गई है तो उन्हें कानून का रूप दीजिये। इससे आपको सहयोग मिलेगा।

यदि सभी शर्तों के पूरा होने पर आप यह दिखाने की कोशिश करें कि कुछ बातें रह गई हैं तो यह समझा जायेगा कि अंग्रेज सारी सरकारी योजना की भावना के प्रतिकूल जा रहे हैं और संसार की वर्तमान परिस्थिति में इसका इतना भयंकर परिणाम होगा कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता।

*__श्री एन.वी. गाडगिल__ (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, माननीय पं. जवाहर लाल नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहस में बताया गया था कि यह विधान-परिषद् इस प्रकार के प्रस्ताव पास करने की क्षमता नहीं रखती। इस सम्बन्ध में मैं आदरपूर्वक सभा का ध्यान मंत्रिमंडल के वक्तव्य के पहले पैरे की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री मि. एटली के भाषण का उद्धरण किया गया है। वह कहते हैं:—

''मेरे साथी इस इरादे से भारत जा रहे हैं कि वे उस देश को शीघ्रातिशीघ्र पूरी आजादी दिलाने की कोशिश करें। यह निश्चय करें कि भारत के वर्तमान शासन के स्थान में कौन से ढंग का शासन स्थापित हो सकता है; किन्तु इच्छा यही है कि भारत को शीघ्र ही इस काम में मदद दें जिससे वह इसका निश्चय करने के लिए उचित व्यवस्था कर सके।

यह तो स्पष्ट है महाशय, कि यह असेम्बली न के शासन का स्वरूप विकसित करने के लिए है बल्कि उसके विवरण को भी तैयार कर देने के लिए है। मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि हम यहां विधान का मसविदा बनाने या तर्क वितर्क करने के लिए नहीं हैं। वास्तव में हम यहां कार्यकारिणी के रूप में इकट्ठे हुए हैं और विधान-परिषद् की यह सभा स्वतंत्रता के संघर्ष की एक मंजिल हैं शायद यह अन्तिम से पहले का या अन्तिम संघर्ष होगा। जिसके साथ इस स्वातंत्र्य-युद्ध का अन्त होगा जो गत 75 वर्ष या उससे अधिक से पीढ़ी दर-पीढ़ी चल रहा है। हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने हमें संघर्ष की परम्परा सौंपी है; पर मुझे आशा है कि जब हमारी वर्तमान पीढ़ी समाप्त हो जायेगी, तो वह बाद में आने वाली पीड़ी को संघर्ष की परम्परा नहीं सौंपेगी; वह ऐसे रचनात्मक प्रयत्न की परम्परा छोड़ जायेगी जिसके द्वारा भारत के भावी समाज का निर्माण होगा।

महोदय, उद्देश्य की परिभाषा बताने की आवश्यकता स्पष्ट है। भूतकाल में जिन लोगों ने इस संघर्ष में योग दिया है वे इने-गिने प्रोफेसर और प्रिवी कौंसिलर नहीं थे, बल्कि वे ऐसे लोग थे जो दरिद्रता में पसीने बहाते रहे हैं और अज्ञान में दबे रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि वे इतने दिनों से किस ध्येय के लिए लड़ते रहे हैं और अन्तत: यदि हमारा बनाया विधान ब्रिटिश सरकार को स्वीकार न हुआ तो उन्हें किसके लिए लड़ना होगा अब इस प्रस्ताव में मैं देखता हूं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिसके प्रति कोई भी व्यक्ति या दल जो स्वतंत्रता चाहता है, आपत्ति कर सकता है। पहली बात तो यह है कि हमारे ध्येय की परिभाषा की गई है, स्वतंत्र सर्वोच्च प्रजातंत्र। जहां तक मैं जानता हूं कि मुस्लिम लीग ने गत छ: वर्षों में जितने प्रस्ताव पास किए हैं उनमें उसने अपना ध्येय गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता ही प्रकट किया है। वास्तव में आज जो इस्लामी मुल्क इस्लामी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है वह तुर्की भी प्रजातंत्र राज्य है। इसलिये मुस्लिम लीग को हमारे इस ध्येय में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतएव हमें देखना चाहिए

[श्री एन.वी. गाडगिल]

कि इस प्रस्ताव में क्या गुण हैं, और यदि यह बताया जा सके कि कोई बात आपत्तिजनक है, तो उसको तब समन्वित किया जा सकता है जब आपत्ति करने वाले यहां होंगे। पर जहां तक मैं देख पाता हूं मुझे कोई शब्दावली, कोई प्रस्ताव खंड ऐसा नहीं दीखता जिस पर आपत्ति की जा सकती हो।

इस प्रस्ताव के विभिन्न उप-पैराग्राफो—को लेने पर हम एक मुख्य बात सब जगह व्यवस्थित पाते हैं और वह है राष्ट्र की एकता या संयुक्तता। साथ ही सब प्रान्तों के विकास और वृद्धि की गुंजाइश है और कोई ऐसी बात नहीं रखी गई है जिससे किसी प्रान्त को अपने ध्येय तक पहुंचने में रुकावट हो और सभी का ध्येय सामान्य और पारस्परिक बाध्यता के अनुरूप होगा। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इससे वह क्षेत्र प्राप्त हो जाता है जिसमें ऊँची राजनीति, ऊंची विद्वता, अच्छे व्यापार और बड़े उद्योग शिल्प के लिए ज्यादा गुंजाइश है। अगर इस प्रकार का संयुक्त राज्य होता है तो राजनैतिक सुरक्षा बढ़ जाती है और आर्थिक दृष्टि से उसमें संयुक्त राज्य में क्रय-विक्रय की शक्ति भी अधिक बढ़ जाती है। चाहे जिस दृष्टि से देखिए ऐसे राष्ट्र की जिसके सभी भौगोलिक खंड सम्मिलित हों और जिसका भारत नाम हो, सभी प्रान्तों के लिए आवश्यकता है और प्रत्येक वैधानिक राष्ट्र के लिए भी जो ऐसा संयुक्त राज्य में सन्निहित होगा इसकी आवश्यकता होगी। इसमें सम्मिलित होकर वे प्रान्त कुछ खोयेंगे नहीं और मेरी तुच्छ सम्मति में तो उन्हें बहुत कुछ लाभ ही होगा।

महोदय, इस प्रस्ताव में मौलिक अधिकार भी रखे गये हैं और जन साधारण इसके लिए इच्छुक हैं। यह अधिकार उन्हें मिलने-जुलने, भाषण करने तथा वे सभी प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के विधान में है। कुछ आपत्तियां इस बात पर की गई थीं कि बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं हैं। पर यह साफ बात है कि सभी बातें इस तरह के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं पर यदि मौलिक अधिकारों के बारे में रखे गये अंशों को ध्यानपूर्वक देखा जाये तो उसमें आर्थिक न्याय की व्यवस्था है जो तभी हो सकता है जब देश का उत्पादन समाज के हाथ में आ जाये। व्यक्तिगत उद्योग-धंधे भी रह सकते हैं, पर उनका क्षेत्र सीमित होगा। यदि आर्थिक न्याय प्राप्त करना है तो वह तभी प्राप्त हो सकता है जब उत्पादन के साधन राष्ट्र के हाथों में आ जायें। इसलिये अगर आज सब बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं तो मुझे निश्चय है कि जब यह सिद्धान्त विधान के अंगों में सम्मिलित कर लिये जायेंगे तो सब बातें पूर्णत: स्पष्ट हो जायेंगी।

महोदय, यह एक प्रकार का भवन है—सारा प्रस्ताव इस सभा-भवन के समान ही संयुक्त है। इसका गुम्बद मेहराबों पर टिका हुआ है। इसी प्रकार प्रस्तावित स्वतंत्रता भी अनेक सिद्धान्तों की मेहराबों पर आधारित है जो प्रस्ताव में सम्मिलित हैं और जिन्होंने सारे ढांचे को सन्तुलन के रूप में शक्ति दे रखी है। जैसा कि मैंने कहा है यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्व का है और यद्यपि यह मौलिक रूप में उस विधान का अंग नहीं बन सकता, जो अन्त में निर्मित होगा, पर यह एक प्रकार की आध्यात्मिक भूमिका है जो प्रत्येक धारा में, प्रत्येक खंड में और हर सूची में प्रस्तुत मिलेगा और जैसा कि मैं कह चुका हूं यह आवश्यक है। यह एक प्रकार की

संचालित शक्ति होगी जिसे वही प्राप्त कर सकेंगे जो विधान को विस्तृत रूप में निर्मित्त करने वाले होंगे। वास्तव में यह एक नींव है। लोगों को मालूम हो जायेगा कि उन्हें क्या मिलने वाला है। यह ऐसा विधान होगा जो उन नागरिकों में वफादारी की भावना जाग्रत करेगा, जिन पर वह लागू किया जाने वाला है। क्योंकि जब तक कोई विधान नागरिकों को अपने प्राण देकर भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरणा नहीं प्रदान करता तब तक वह उनकी वफादारी नहीं प्राप्त कर सकता।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है यह असेम्बली ऐसी नहीं है जहां हम केवल विधान का मसविदा मात्र बनाने के लिए इकट्ठे हुए हों; यह तो एक प्रकार की कार्यकारिणी है। हम यहां इसलिए हैं कि जनता ने संघर्ष चलाया है और हमें विधान तैयार करना है। अगर वह विधान तैयार कर लिया जाता है और उसकी स्वीकृति नहीं मिलती तो जनता पूछेगी कि उसका अनुमोदन क्या हुआ? उनके लिए मेरा यह नम्र जवाब है कि अनुमोदन दो प्रकार के हैं—एक नैतिक और दूसरा भौतिक। यदि हमारा विधान न्याययुक्त और देश के सभी हितों के लिए उपयुक्त है तो सबसे बड़ा अनुमोदन तो यही होगा, और दूसरा अनुमोदन है जनता की यह दृढ़ इच्छा कि वह जिस प्रकार की भी सरकार प्राप्त करने का निश्चय करती है वह मिल जाती है। और यदि वह किसी शक्ति द्वारा नहीं दी जाती, तो वह दृढ़ता की भावना केवल बौद्धिक नहीं रह जायेगी; बल्कि वह ठोस रूप में काम करेगी, यद्यपि उसका निश्चित स्वरूप आज नहीं बताया जा सकता। मेरा निवेदन है कि ज्यों-ज्यों विधान-निर्माण का काम खंडश: आगे बढ़ेगा और एक-एक धारा और अंग पर विचार होगा, तो लोगों को स्वयं मालूम हो जायेगा कि क्या हो रहा है और मेरा तो विश्वास है महोदय कि क्रान्ति के लिए आवश्यक मनोवृत्ति वर्द्धित होकर उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि हम विधान के खंड-खंड को लेकर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे, इस देश में ब्रिटिश शक्ति सूखती जायेगी और जब तक हम अपनी सूची के अन्त तक पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है ब्रिटिश राज्य लुप्त हो चुका है। तब केवल ब्रिटिश शक्ति की विधि-विहित विदाई ही बाकी रह जायेगी, क्योंकि हम क्या स्पष्ट नहीं देख रहे हैं कि जिन्होंने भारत पर दमन, नृशंसता पूर्ण दमन और असामान्य कानूनों और आर्डिनेन्सों से राज्य किया था, उनके दिन लद गये हैं वे चित्र कहां गये? वह सब उड़ गये। यह बात अब दीवार पर की गयी लिखावट की तरह साफ और स्पष्ट दीख रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बतलाया गया है कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बहुत आतुर हैं। वास्तव में बहुत दिनों पहले ही मेकाले लिख गया था कि ब्रिटेन के लिए वह गौरवपूर्ण दिन होगा जब हिन्दुस्तानी अंग्रेजों से यह कह देंगे कि अब तुम हमारा देश खाली कर दो। हम तो उन्हें कितने दिनों से जाने के लिए कह रहे हैं। पर जो कुछ लार्ड मेकाले ने कहा या उसके सिवा जो साम्राज्य क्लाइव और हेस्टिंग्स के कपट और जाल से बना था और जो लगातार झूठे वादों पर कायम रहा और अब भी कूटनीतिक घोषणाओं के अनुसार जारी रखा जा रहा है और प्रवाहपूर्ण एवं लचीली सफाइयों के आधार पर टिकाया जा रहा है; वह अब समाप्त होना ही चाहिए। इस प्रकार की सफाई अब इस साम्राज्य को एक दिन भी अधिक नहीं टिकने दे सकती। अब तो उस जनता के हक में सब शक्तियां सौंप दी जानी चाहिए जिसने विदेशी-शासन में इतने लंबे समय तक घोर कष्ट सहन किये हैं अब वह दिन आना ही चाहिए जब उन्हें अपना

[श्री एन.वी. गाडगिल]

सब कुछ प्राप्त हो जाये। यदि सत्ता सौंपने की क्रिया शान्तिपूर्वक होती है तो अच्छा ही है, पर यदि शान्ति के साथ न हुई और यदि संघर्ष अनिवार्य हो गया, और इतिहास का तकाजा है कि ऐसा संघर्ष होना ही चाहिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, पर अगर हमें लड़ना ही पड़ा तो हमारे पास आदमी भी हैं, साधन भी हैं और मस्तिष्क भी। पर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अंग्रेज जायेंगे—पूरे तौर से अपना सब कुछ लेकर जायेंगे। उनके स्टाक और शेयर्स दुकान और कारखाने सब जायेंगे, वह कुछ भी पीछे न छोड़ सकेंगे—कोई शुभेच्छा या सुस्मृति भी नहीं। उनका व्यापार और झंडा दोनों इस देश से गायब हो जायेगा। अब यह उन पर निर्भर है कि वे इस बात का निश्चय करें कि वे अपने इस महान् आदर्श के अनुसार चलेंगे जो लार्ड मेकाले कह गये थे, या वे अब भी चिपके रहकर अपनी वह अन्तिम दुर्दशा देखना चाहते हैं जिसका वर्णन मैंने अभी किया है।

अध्यक्ष महोदय, अब हम उस स्थिति को पहुँच गये हैं जब यह आवश्यक हो गया है कि हम स्पष्ट रूप में कह दें कि हम क्या चाहते हैं। हमें कहा गया है कि अन्य प्रश्न—जैसे अल्पसंख्यकों आदि के भी तो हैं—जिनका सुलझाना मुश्किल है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह समस्या तो विदेशी शक्ति की सृष्टि है। प्रयाग के संगम के बाद कोई गंगा और यमुना के जल को साथ बहने से नहीं रोक सका। (*हर्ष ध्वनि*) क्योंकि वहां तीन नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती (बुद्धिमानी) मिल जाती हैं और फिर उसके बाद गंगा-यमुना के पानी को पृथक रूप में पहचाना नहीं जा सकता। समय आ गया है जब दोनों सम्प्रदायों को अक्ल आयेगी और परिणाम यह होगा कि वह एक ऊंची एकता स्थापित करेंगे, एक ऊंचा संयोग कायम करेंगे जिसमें सभी को जीवन और व्यक्तित्व को उच्चतम श्रेणी पर पहुंचाने का अवसर मिलेगा। कहा जाता है कि हम जो कुछ चाहते हैं वह निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला नहीं है। संघर्ष चाहे छोटा हो या बड़ा—थोड़े समय का हो या लम्बा, यद्यपि हम उसका आह्वान नहीं करना चाहते—पर अगर वह आया तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो प्रतिनिधि यहां एकत्रित हुए हैं उन पर जो कार्य-भार डाला गया है, वह महान् और ऐतिहासिक है। मुझे सन्देह नहीं है कि वे इस अवसर का सदुपयोग करेंगे और इस प्राचीन देश को स्वतन्त्रता के ध्येय तक पहुँचायेंगे। ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें मनुष्य की कद्र उसकी सम्पत्ति से नहीं, उसके गुणों से होगी, जिसमें मनुष्य का चरित्र ही उसकी कसौटी होगा, रुपये-पैसे नहीं; जिसमें गर्व को तिलांजलि दी जा चुकी होगी और ईर्ष्या जिह्वा से न निकल सकेगी; जिसमें पुरुष और स्त्री अपना मस्तष्क ऊंचा करके चलेंगे; जहां सब सुखी होंगे क्योंकि सभी समान होंगे, जिसमें धर्म युद्ध-क्षेत्र नहीं होंगे, क्योंकि सभी कर्तव्य की देवी के उपासक होंगे, जिसमें जाति का अभिमान भी नहीं होगा और जाति की हीनता-जनित लज्जा भी, क्योंकि सभी एक जाति के अर्थात् कार्यकर्ताओं की जाति के होंगे, जहां सिद्धान्त मनुष्य को मनुष्य से पृथक् न करेंगे क्योंकि उनका सिद्धांत तो सबकी सेवा करना होगा, जहां स्वतंत्रता और सम्पन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि किसी को शक्ति या समृद्धि का एकाधिकार नहीं प्राप्त होगा। सभी सुखी होंगे क्योंकि सभी समान होंगे। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक स्वप्न है, पर उद्देश्य और ध्येय-पूर्ण जीवन के लिए स्वप्न

आवश्यक है। यह न हुआ तो मनुष्य का जीवन कौवे के समान हो जायेगा—

'काकोपि जीवित चिराय:
बालिमथा भुंकते।'

अर्थात् टुकड़ों पर तो कौआ भी बहुत दिन जीवित रहता है।

हम इस तरह का जीवन नहीं चाहते। निस्सन्देह यह एक स्वप्न है। पर मैं अन्त में यही कहूंगा कि जब तक हम ऐसे स्वप्न न देखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो जाति स्वप्न नहीं देखती वह नष्ट हो जाती है। (*हर्ष ध्वनि*)

माननीया विजयलक्ष्मी पंडित: (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, सन् 1937 ई. प्रांतीय स्वायत शासन के समारम्भ के बाद मुझे अपने प्रांत में पहला प्रस्ताव पेश करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने के लिए विधान-परिषद् की स्थापना की मांग की गई थी। आज दस वर्ष बाद वह विधान-परिषद् यहां सम्मिलित हो रही है। यह स्वतंत्रता के मार्ग में एक ऐतिहासिक स्तम्भ है। फिर भी स्वतंत्रता एक पहुंचने में अभी कुछ कसर रह ही गयी है। साम्राज्यवाद बड़ी कठिनाई से मरता है, यद्यपि वह जानता है कि अब उसके दिन ढल गये हैं, फिर भी वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। बर्मा, इंडोनेशिया और इंडोचीन में जो कुछ हो रहा है, वह हमारे सामने है—लोग स्वतंत्र होने के लिए जी-जान से जुट पड़े हैं फिर भी साम्राज्यवाद का पाया ऐसा मजबूत है कि वे उसे आसानी से उखाड़ सकने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। हर देश में प्रतिक्रियावादी जमा हो रहे हैं और वह अपनी रक्षा के बहाने साम्राज्यवादी शक्ति से चिपट कर उसकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र-संघ के जन्म के समय सेनफ्रांसिस्को का दु:खद दृश्य देखा है। जो एशियाई राष्ट्र वहां एकत्रित हुए उन पर साम्राज्यवादियों का प्रभाव था, इसलिए वे स्वतन्त्र रूप में कुछ नहीं बोल सकते थे—केवल अपने देश की साम्राज्य शक्ति से सुर में सुर मिला रहे थे। उसका परिणाम यह देख लिया गया कि यद्यपि घोषणा-पत्र के शब्द वीरतापूर्ण थे, पर उसे क्रियात्मक रूप देने की नौबत नहीं आयी, क्योंकि उसके पीछे काफी ताकत नहीं थी। एशिया के लोग चुप रहे और उन्होंने उस घोषणा-पत्र के शब्दों को क्रियात्मक रूप देने का हठ नहीं किया। आज भी एशिया संयुक्त राष्ट्र परिषद् में यूरोप की अपेक्षा बहुत कम प्रतिनिधि भेज सका है और शायद इतिहास में यह पहला ही अवसर है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद् के गत अधिवेशन में स्वयं स्वतन्त्र न होकर भी एक देश अपनी आवाज उठा सका और सारे संसार की स्वतन्त्रता और पद्दलित एवं गुलाम प्रजाजन के उद्धार के लिए बोल सका (*हर्ष ध्वनि*)। संयुक्त राष्ट्र परिषद् ने इसे स्वीकार इसलिए किया कि भारत ने इस समय भी संसार का नेतृत्व करने की शक्ति दिखा दी है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र भारत एशिया का ही नहीं—सारे संसार का नेतृत्व करेगा।

और जब हम अपने देश का शासन-विधान बनाने के लिए अपनी इस असेम्बली में एकत्रित हो रहे हैं, तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हमारा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए है जो हमारी ओर देख रहा है।

हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा गया है वह पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर जोर देता है और प्रत्येक वैध दल को भी पूर्ण स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है। इसलिए

[माननीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित]

उसमें अल्पसंख्यकों के भय करने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि कुछ अल्पसंख्यकों को विशेष हित-रक्षा की आवश्यकता है, पर उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वे एक पूरे राष्ट्र के अंग हैं और यदि बड़ी वस्तु को नुकसान पहुँचता है तो उसके अंग—अल्पसंख्यकों के हितों—की रक्षा का सवाल ही नहीं उठ सकता। स्वतन्त्र भारत में अल्पसंख्यकों को बाहरी शक्ति का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा और वे ऐसी मदद ढूंढेंगे तो उन्हें कोई 'धोखेबाज' कहे बिना नहीं रहेगा। इधर कई वर्षों से हम अधिकार की बातें बहुत कर रहे हैं और कर्तव्य की कम। किसी भी समस्या का इस तरह का समाधान करना एक दुर्भाग्य की बात होती है। हमारे सामने जो प्रस्ताव है वह ऐसी समस्याओं से सम्बन्ध रखता है जो हम सभी के लिए बुनियादी है और हम किसी विशेष अल्पसंख्यक जाति की रक्षा उसी हद तक कर सकते हैं जिस हद तक कि वे समस्याएं हल हों। प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि स्वतन्त्र भारत में व्यक्ति और समूह को पूरी सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता होगी और हम अपने जीवन के नमूने के द्वारा अन्य राष्ट्रों के सामने आदर्श रख सकेंगे। ऐसी दशा में हमारे अपने जीवन का नमूना दुरुस्त होना चाहिए और वह सारे देश के सहयोग और उसकी शक्ति के द्वारा निश्चित होना चाहिए।

सभी एशियाई देशों में युगों से भारत ही प्रजातन्त्र के पक्ष में रहा है। हमारे सारे बहुरंगी इतिहास में यही होता आया है कि लोकमत की विजय के लिए हमने सदा संघर्ष किया है। इधर हाल के वर्षों में बहुत बड़े संकट में पड़कर और व्यक्तिगत त्याग द्वारा इस देश के लोग प्रजातंत्र के सिद्धांत पर डटे रहे हैं और आज हम दुनिया को यह दिखाने की स्थिति में हैं कि हम अपने आदर्श को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है वह विषय और शब्दों में काफी स्पष्ट है; फिर भी मैं दो बातों पर जोर दूंगी।

हमारे सामने दो पहलू है—सक्रिय और निष्क्रिय। पहलू का संबंध देश से साम्राज्यवादी प्रभुत्व का नाश करने से है जिससे हम सभी सहमत हैं। पर सवाल का सक्रिय पहलू ही अधिक महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार हमें अपने देश में समाज सत्तावादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना है जिससे भारत अपने ध्येय को प्राप्त कर संसार को स्थायी शान्ति का मार्ग दिखा सके। हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस अवसर पर हम अपनी शक्ति ऐसी बातचीत और कामों में नहीं गंवा सकते जिससे हमारे ध्येय की पूर्ति में बाधा पड़ती हो। न हमें अविवेकपूर्ण ऐसे भय ही होना चाहिए। हमें जो चुनौती दी गई है उसे ही स्वीकार करना चाहिए और इस चित्र के सक्रिय पहलू को प्राप्त करने के लिए साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

युद्ध की समाप्ति ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं जो स्वयं तो कठिन हैं हीं लेकिन समष्टि के सामने व्यक्ति की मांगों को रखने से वे और भी पेचीदा हो गई हैं बहुत से राष्ट्र अब तक पराधीन होने के कारण न तो इसके समर्थन में ही आवाज उठा सकते हैं न विरोध में ही। किन्तु वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत अब भी बहुत कुछ कर सकता है और संसार में शान्ति और सुरक्षा कायम रखने में भी अपना योग दे सकता है स्वतंत्र भारत उन्नति की शक्तियों के लिए एक ताकत बन जायेगा। संयुक्त संसार निर्माण करने के इस युग में हम पृथक राष्ट्रों की बात नहीं कर सकते। हमें एक दुनिया बनाने के

लिए काम करना है—वह दुनिया जिसमें हिन्दुस्तान एक योग्य हिस्सेदार होगा भारत को नेतृत्व करने का अधिकार है। क्योंकि उसकी परम्परा ही ऐसी है और उसका वर्तमान भी ऐसा है कि अपनी समस्याओं की पेचीदगियों के होते हुए भी वह खड़ा है और उसने अपने आदर्शों की कद्र की है और उन्हें खो नहीं दिया है। भविष्य के लिए हमारी एक देन यह है कि राजनीतिक और सामाजिक असन्तोष का हमने अन्त किया है और उसके लिए हमें अपने देश में स्वतन्त्रता स्थापित कर उन सबके सहायक बनना दुनिया को आजाद कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक एशिया अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक संसार एक होकर नहीं चल सकता। जो संसार समूहों में विभाजित है वह सुरक्षित नहीं रह सकता एक विख्यात अमेरिकन ने कहा है—''कोई भी राष्ट्र आधा गुलाम और आधा स्वतन्त्र नहीं रह सकता। यही बात दुनिया के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, क्योंकि आजादी का विभाजन नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपने को आजाद कर ले तभी वह औरों को भी आजाद कर सकता है। और इस समय हमारे सामने जो प्रस्ताव है उसमें हम इस ध्येय की पूर्ति का प्रयत्न पाते हैं। इसके द्वारा हम उस प्रतिज्ञा को फिर करते हैं जो हमने कर रखी है। मैं सभा के सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि वे इस प्रस्ताव को पास करें और यह दिखा दें कि उनका प्राचीन देश अच्छी तरह जानता है कि उसको चुनौती दी गई है और वह अपने भूतकालीन आदर्शों और परम्पराओं का पालन कर सकता है।

***प्रोफेसर एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय तथा मित्रों, मुझे इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असीम प्रसन्नता हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे इससे पूर्ण सन्तोष है, फिर भी जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह हमारे सामने भविष्य के लिये बड़ा ही प्रभावपूर्ण, विस्तृत और उदार विचार रखता है जिसकी ओर हमारे लोगों की दृष्टि है। लेकिन यह शर्त है कि एक बार हमारा नया विधान अस्तित्व में आ जाये। पर यह केवल उदार विचार मात्र नहीं है, क्योंकि वह केवल ऊंचे आदर्श और श्रेष्ठ विचार ही हमारे लोगों के सामने रखकर संतोष नहीं कर लेता। यह (प्रस्ताव) इस बात की जरूरत पर भी विचार करता है कि हमारी जनता को इसमें लिखित अधिकारों के उपभोग का आश्वासन दिया जाये, और इस रूप में यह प्रस्ताव, इस प्रकार के उन अन्य प्रस्तावों से कहीं आगे बढ़ जाता है जो संसार के विधानों में इसी प्रकार के विचारों को लेकर रखे गये थे।

एक और बात में भी यह प्रस्ताव और सभी प्रस्तावों से बहुत आगे बढ़ गया है। जब कि अन्य देशों के विधानों में जनता को विशेष रूप से यह आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन्हें उनके आदर्श और ध्येय की प्राप्ति के लिए स्वातंत्र्य प्रदान किया जायेगा। इस प्रस्ताव में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि हमारी जनता को जब कभी आवश्यक प्रतीत हुआ—कानून और नैतिक मापदंड की अनुकूलता की दशा में—कार्य स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि समय-समय पर इस देश तथा अन्य देशों में भी सरकार जनता के इस अधिकार को नहीं मान सकती थी कि वह चाहे तो किसी खास कानून आर्डिनेंस और अपनी सरकार की मनमानी आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह कर सकते है। सरकारें तो प्रजा को धमकी देकर कहा करती थीं कि उन्हें स्थापित कानून के विरुद्ध जाने का कोई अधि कार नहीं है। किन्तु महोदय, जब अन्य देशों के राजनीतिक तत्वज्ञानी संतुष्ट थे तो हैरोल्ड लॉस्की जैसे तत्वज्ञानी जनता को सावधान कर रहे थे कि वह अपने अधिकारों

[प्रोफेसर एन.जी. रंगा]

की रक्षा के लिये तैयार रहें, कर्तव्य के लिए प्रस्तुत रहें और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहें। ऐसे समय पर केवल भारत में ही ऐसा अवसर मिला है—जिसका श्रेय महात्मा गांधी के नेतृत्व को है और सत्याग्रह का वह अस्त्र हमें मिला जिसे सामूहिक रूप में भी काम लेकर संगठित या असंगठित जनता अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर सकती है और व्यक्तिगत रूप में भी उसका प्रयोग कर सकती है। हमने बार-बार अपने अधिकारों को दुहराने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिये जोर देकर कानून या कानून के समूहों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमने उस रूप में संसार को दिखा दिया है कि केवल इसी तरह हम नागरिक और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों से गलतियां हो सकती हैं और उनकी गलतियों के विरुद्ध कोई रक्षा का उपाय होना चाहिए। यह उपाय सत्याग्रह के ही रूप में मिलेगा, इसलिए मैं ऊपर कहे गए कारण से भी प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

इस देश में अनेक लोग यह शिकायत करते सुने हैं कि अमुक दल तो इस असेम्बली में आया ही नहीं और फलां-फलां पार्टी तो इस असेम्बली के दायरे और उसके कार्य से दूर ही हैं, इसलिये हमें ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने का अधिकार नहीं है। जिस असेम्बली में किसी परिवार की जायदाद बढ़ाने की बात चल रही हो क्या उसमें कुनवे के सभी लोगों का हाजिर होना जरूरी है? क्या किसी परिवार का कोई ऐसा भी सदस्य है जो अपने परिवार की साम्पत्तिक और नैतिक अभिवृद्धि का विरोधी हो और उस परिवार के अधिकार को ही न चाहता हो? और यह प्रस्ताव तो बस इसी प्रकार का है। हम यहां इसलिये एकत्रित हुए हैं कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति दल और सारे देश की शक्ति और कर्तव्य कैसे बढ़ाये जा सकते हैं। इस मौके पर अगर हम में से कुछ लोग इस सभा में नहीं आ सके हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि अनेक निजी कारणों से कोई पार्टी अभी दूर है, पर उससे हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए। हमें अपनी परम्परा, अपने अधिकार और अपने देश की शक्ति बढ़ाने से नहीं रुकना चाहिए।

महोदय, साथ ही मैंने कहा कि यह काफी नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ शब्द और कहना चाहूंगा। यह तो बहुत अच्छा है कि हम अपने-अपने गांव वापस जाकर लोगों और दोस्तों से कहें कि हमने ऐसा प्रस्ताव पास कर लिया है और भविष्य में उनके सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे और अब उन्हें कोई डर नहीं रहा है। पर क्या इतना ही काफी होगा कि लोगों को काम काज की सुविधा और मौलिक अधिकार मिल जाये? अगर उन्हें कह दिया जाये कि वे अपने सभा समितियों के जलसे कर सकेंगे और उन्हें सब तरह के नागरिक अधिकार मिल जायेंगे तो क्या वे खुश हो जायेंगे? क्या यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में स्थिति ही ऐसी उत्पन्न कर दी जाये कि वह इन अधिकारों का आनन्द उठा सकें जो हम उनके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? वह एक तथ्य है और दु:खद तथ्य है महाशय, कि हमारे करोड़ों देश-भाई उन अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं जो हम उनके लिए यहां तैयार कर रहे हैं और जो सुविधाएं उनके लिये खुली की जा रही हैं उनसे फायदा नहीं उठा रहे हैं। वे शिक्षित नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से वे पिछड़े हुए हैं उन्हें दबा दिया गया है। उन पर अत्याचार हुआ है। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए और पद्दलित हैं। इन लोगों के लिए अब बहुत सी बातें करनी होंगी और कुछ समय तक करनी होंगी तब जाकर वे इन अधिकारों

का उपभोग करने योग्य बन पायेंगे। उनको सहारा देने की जरूरत है। उनके लिए सीढ़ी की जरूरत है जिसके द्वारा वह उस मंच तक पहुंच सकें जहां से वह इन अधिकारों का मूल्य समझ सकें इनकी कद्र कर सकें और इन अधिकारों का जो हम उनके सामने रख रहे हैं आनन्द भोग सकें।

महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत-कुछ कहा सुना जा रहा है। वास्तव में अल्पसंख्यक कौन हैं? तथाकथित पाकिस्तान प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यक नहीं हैं; और न सिख ही। यही नहीं हिन्दुस्तान में मुस्लिम भी अल्पसंख्यक नहीं हैं। असली अल्पसंख्यक इस देश का जनसमूह है। वह लोग ऐसे दबा दिये गये हैं, उन्हें ऐसा पददलित कर दिया गया है कि वह साधारण नागरिक अधिकार की सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते। स्थिति क्या है? आप आदिवासियों के क्षेत्रों को जाइए। कानून के मुताबिक उनकी परम्परा के और उनके फिर्के के कानून के अनुसार उन्हें जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, फिर भी व्यापारी वहां जाते हैं और उस नामधारी स्वतंत्र बाजार में उनकी जमीन छीन लेने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह यद्यपि कानून इस जमीन छीनने के विरुद्ध जाता है, फिर भी व्यापारी आदिवासियों को अनेक तरह के दस्तावेज लिखाकर सच्चा गुलाम और परम्परागत क्रीत दास बना लेते हैं। हमें साधारण गांव वालों के पास जाना चाहिए। महाजन वहीं अपने रुपये सहित पहुंचता है और गांव वालों को अपने वश में कर लेता है। वहां जमादार या मालगुजार भी तो हैं और कितने ही और ऐसे लोग हैं जो इन गरीब गांव वालों का शोषण करते हैं। इनमें आरम्भिक शिक्षा का भी प्रचार नहीं है। असली अल्पसंख्यक तो यह हैं जिनको रक्षा की जरूरत है और उसके आश्वासन की भी। उनकी आवश्यक रक्षा करने के लिए हमें इस प्रस्ताव से आगे और भी कुछ करना होगा।

पर यह बिल्कुल सम्भव है कि हम सभी बातों को एक ऐसे प्रस्ताव में नहीं शामिल कर सकते। हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय पर विचार करना है और इसी हिसाब से विधान बनाना है। और यह विधान बनाने में हमें देखना होगा कि मौलिक अधिकारों के एक घोषणा-पत्र की व्यवस्था की जाती है। हम उस पर सहमत हैं; पर इतना ही काफी नहीं होगा। कई अन्य देशों में भी मौलिक अधिकारों के घोषणा-पत्र तैयार हुए थे। पर इन मौलिक अधिकारों की उपेक्षा उनकी ही सरकारों ने की थी। इसलिए हमें अपने विधान में कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिनके द्वारा हमारी जनता राष्ट्र के शासन और उसके आश्रितों के विरुद्ध कानून की सहायता की मांग समय-समय पर कर सके और इस प्रकार देख सके कि यह मौलिक अधिकार उपभोग में लाये जाते हैं उदाहरण के लिए फ्रांस में समानता, भ्रातृता और स्वतंत्रता का आदर्श था और उन्होंने यह नियम बनाया कि जब पार्लियामेंट की बैठक हो रही हो तो उसके किसी सदस्य को जेल में नहीं भेजा जा सकता। फिर भी उस अधिकार का निषेध कर दिया गया। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के कई डिपुटी जेल भेज दिये गये और उनके विरुद्ध कोई संरक्षण काम में नहीं लाया गया। अमेरिका में कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर भी आप देखिए उस देश में नीग्रो कितने पद्दलित हैं। हमें अपने देश में इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को, मजदूरों-किसानों को, सर्व साधारण को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह राष्ट्र से न्यायालय जाने के और देश की सर्वोच्च

[प्रो. एन.जी. रंगा]

अदालत तक जाने के लिए खर्च मांग सकें और रक्षा की मांग कर सकें। आप जानते हैं गरीब लोग अदालत नहीं जा सकते और जब उन्हें राज्य के विरुद्ध लड़ना हो तो उनके लिये यह सोचना भी असम्भव है। जिस तरह आप फौजदारी के मामलों में गरीबों के लिये वकीलों का प्रबन्ध करते हैं, उसी प्रकार अगर आप बुनियादी अधिकारों को सामान्य जनता द्वारा काम में लाये जाने की व्यवस्था कर सकें तो कुछ सुरक्षा सम्भव है।

जनसमूह ही वास्तव में अल्पसंख्यक है, फिर भी वह इस तरह की सुरक्षाओं की मांग नहीं करता और जब वह इसके लिये मांग भी करते हैं तो वे यह नहीं कहते कि बिना इसके वैधानिक प्रगति हो ही नहीं सकती। उन्हें देश की और हमारी राष्ट्रीय प्रगति की अधिक चिन्ता है और वह हमें आगे बढ़ाते हैं। वह हमारे साथ रहते हैं। मैं नामधारी धार्मिक अल्पसंख्यकों से कहता हूं कि वह उन लोगों से पाठ सीखें। हम किसके प्रतिनिधि समझे जाते हैं? अपने देश की सामान्य जनता को फिर भी हममें से अधिकांश ऐसे हैं जो जनता सर्वसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। हम उनके हैं; उनके लिये खड़े भी होना चाहते हैं; पर जनता विधान-परिषद् में नहीं आ सकती। इसमें समय लग सकता है; तब तक हम उनके विश्वासपात्र रहें उनके लिये लड़ें और हम उनके पक्ष में बोलने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जब हम लोग यह कर रहे हैं हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त सारी दुनियां को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं इसलिये वह यहां आने की आशा नहीं रखते। और न हमें ही उनके आने की आशा है। उनसे इस स्थान में ही कह देना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम लीग ने असहयोग का—कुछ न करने का—पथ ग्रहण कर रखा तो वह न केवल मुस्लिम जनता के लिए दुःखद होगा वरन् सारी जनता के लिए दुःख की बात होगी। कांग्रेस ने उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए जो कुछ किया है उससे अधिक और क्या कर सकती है? हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त हमारे पास आने समझदारी की बातचीत करने और समझने-समझाने के बदले ब्रिटिश लोगों—अंग्रेजों के पास गये हैं। उन्हें एक-एक करके इतनी रियायतें दी जा चुकी हैं। इन हर रियायत ने इस देश के ध्येय स्वतन्त्रता—स्वराज्य के कुंज—पर काले परदे डाले हैं; इसके अलावा उन्होंने इस देश के लोगों में कटु भावना भरने के लिए बहुत से काम किये हैं। इन विविध संरक्षणों और अधिकारों को स्वीकार किया है और वे सब रियायतें भी स्वीकार की हैं जो वे ब्रिटेन से पाते रहे हैं। यह सब इसी इरादे से किया गया कि हम उनसे अपील करें कि वह यहां आ जायें और देश के लिए विधान बनाने में हमारा हाथ बटायें। अगर वे न आयें तो क्या हम जहां के तहां रुके रहेंगे? कदापि नहीं। उन्हें मालूम होना चाहिए—साथ ही औरों को भी जो उनको सहारा दे रहे हैं, कि कांग्रेस इस प्रकार आंतकित नहीं की जा सकती। हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। हमारे विधानवादियों ने हमें बार-बार सलाह दी कि "भगवान् के लिए कानून के विरुद्ध न जाओ, इससे स्वराज्य नहीं मिलेगा, ब्रिटेन के साथ बातचीत चलाओ और उसी के साथ काम करो।" फिर भी हमने सत्याग्रह की शरण ली जिससे हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। हमने प्रगति की इससे कौन इन्कार कर सकता है? यदि हम सीधा संघर्ष न करते तो क्या हम इस असेम्बली में होते? क्या मुस्लिम लीग इस तरह की बाधाएं उस अवस्था में डाल सकती थी जैसी अब डाल रही है? हमारे

इन वर्षों के संघर्ष और बलिदान का ही तो यह परिणाम है। हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं कि अब ब्रिटिश सरकार हमारी प्रगति नहीं रोक सकती। ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस बात की कोशिश में है कि उसे कुछ साथी ऐसे मिल जायें जो हमारे मार्ग में बाधा डालें—चाहे वह एक दिन या कुछ मिनट के लिए ही क्यों न हो। पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सफलता नहीं मिलेगी। और क्या, हमारी जनता शीघ्र ही उस स्थिति में पहुँच जायेगी जब वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उसके इस देश के साथियों सहित अलग करके आगे बढ़ने में मदद देगी। स्वयं मुस्लिम लीग की स्थिति क्या है? एक समय था, जब मि. जिन्ना कहते थे कि स्वतन्त्रता तो एक मृगतृष्णा मात्र है और भारत के लिए आजादी का दावा करना मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने 'सीधे संघर्ष' को हास्यास्पद बताया और अब वह खुद ही आजादी का दावा करते हैं और उन्होंने घोषणा की है कि अब वह हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के पक्ष में हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग के मंच से कहा है कि वह "भारत छोड़ो" के पक्ष में हैं यद्यपि उन्होंने इस नारे को "देश को हममें बांट दो और फिर छोड़ो" के रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने हमारा ही अनुसरण किया है। वह आज दो विधान-परिषद् चाहते हैं जबकि कुछ ही समय पहले वह विधान-परिषद् की बात सोचने के लिए भी तैयार नहीं थे। इससे क्या प्रकट होता है? मैं कहता हूं कि अगर हम आगे बढ़ें तो मि. जिन्ना को भी बाध्य होकर आगे बढ़ना पड़ेगा जिसका सीधा कारण यह है कि साधारण जनता चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान चाहे जिस साम्प्रदाय की भी हो, अपने राजनीतिक नेताओं को इसके लिये प्रोत्साहित कर रही है कि वह आगे बढ़ें और उसी ढंग से जिस प्रकार हिन्दुस्तान आगे बढ़ सकता है। इसलिये मैं मुस्लिम लीग वालों से अनुरोध करता हूं कि इस सभा में आ जायें और हमारे साथ सहयोग करें बशर्ते कि वे अपने नवाबों और अपने जागीरदारों के स्वार्थों के समर्थन के लिये न आयें।

अभी कुछ ही दिनों पहले मि. जिन्ना दावा करते थे कि वह भी उतने ही प्रजातंत्रवादी हैं जितनी कि कांग्रेस। अगर वह प्रजातंत्रवादी हैं तो इस बात पर विचार करें कि किस सम्प्रदाय में गरीबों की संख्या अधिक है। हिन्दुओं का बहुत-सा प्रतिशतक गरीब नहीं हैं, पर मुसलमानों में अमीर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सारे देश में मुस्लिम जनता सबसे गरीब है। उन्हें स्वतंत्र भारत की सब से ज्याादा जरूरत है, क्योंकि उसके बिना कबीलों, हरिजन, मुस्लिम मजदूर या किसानों का उद्धार नहीं हो सकता। मि. जिन्ना और उसके साथी जितना ही मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, गुलामी की यंत्रणा उतनी ही बढ़ती जा रही है उनका निजी समूह (मुस्लिमगण) कोई भी प्रगति करने से वंचित है।

अन्त में, मैं इस सभा से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आवश्यक विधान का निर्माण समुचित रूप में किया जाये जिससे जनता को इस प्रस्ताव में वर्णित अनेक अधिकारों के उपभोग का अवसर मिले। इस प्रकार के विधान के बिना यह प्रस्ताव व्यर्थ हो जायेगा। यह एक प्रकार की पवित्र आशा ही बनी रह जायेगी और कुछ नहीं। यह सच है कि जब यह हमारी पाठ्य-पुस्तकों में सम्मिलित हो जायेगा और हमारे बालक-बालिकाएं उसे अपने पाठ में पढ़ेंगे तो उससे शिक्षा का बहुत बड़ा काम हो जायेगा। पर इतना ही काफी नहीं होगा। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था फिर भी जनता के सामान्य अधिकारों को सरकार ने निरर्थक बना दिया, इसलिये हमें विधान में आवश्यक व्यवस्था सम्मिलित कर लेनी चाहिए जिससे जन-समूह

[प्रो. एन.जी. रंगा]

की हित-रक्षा हो और उन्हें आश्वासन प्राप्त हो जाये कि वह अवसर भी उन्हें प्राप्त हो सकेंगे यदि वे इन अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे।

***डॉ. पी.के. सेन** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। मेरे पहले बहुत से वक्ता इस बैठक में बोल चुके हैं और इसके पहले की बैठक में भी। बहुत से पहलुओं पर पूरी तौर पर वाद-विवाद हो चुका है। मैं इन्हीं पहलुओं पर और वही बातें फिर दुहराना नहीं चाहता। पर मेरा ख्याल है कि यह प्रस्ताव अपनी सभी शाखाओं के साथ उसके पहले पास कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है जब कि हम स्वतंत्र भारत का विधान तैयार करने बैठे। यह भी आवश्यक है कि इस प्रस्ताव द्वारा जैसा कि इसमें रखा गया है— भारत को 'स्वतंत्र सर्वसत्तापूर्ण प्रजातंत्र' घोषित कर दें।

जैसा कि आज के सर्वप्रथम वक्ता ने कहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सन्दिग्ध, अनिश्चित और उपहासकर्ता हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम संसार में यह घोषित कर दें कि हम अपने कर्तव्य पालन पर दृढ़ हैं और स्वतंत्र सर्वसत्ता पूर्ण प्रजातन्त्र जिसमें अन्तिम सत्ता प्रजाजन के हाथ में होगी और सभी शक्तियां और अधिकार प्रजा से ही प्राप्त होंगे। आज इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि सभी दलों के लोग इससे सहमत हैं। चाहे हम अपने दोस्त मुस्लिम लीगियों की बात करें या कांग्रेस की अथवा विभिन्न तथा आर्थिक अल्पसंख्यकों की, अछूतों की जो ऐसा शब्द है जिससे मुझे घृणा है अथवा दबे और पद्दलित लोगों की, वास्तव में सभी हमारे भाई हैं जिन्हें तालिकाबद्ध जातियों में रखा गया है। इनमें किसी भी श्रेणी के राजनीतिक विचार को लीजिए क्या उसमें तनिक भी सन्देह है कि सब का ध्येय स्वाधीनता है? ब्रिटिश सरकार ने भी, जो अब अधिकार सौंपने को तैयार हो गयी है, निश्चित रूप में घोषित किया है कि हमारा ध्येय स्वतंत्रता या आजादी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये तो अनिवार्य है कि हम अपना प्रस्ताव इसी रूप में निर्मित करें।

मुझे इनमें से कुछ शब्द याद हैं जिनके साथ माननीय प्रस्तावक ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है। वह मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा है—"यह हमारा निश्चय है, प्रतिज्ञा है और समर्पण है....." हां, यह समर्पण है। हम अभी अपने काम का प्रारम्भ ही कर रहे हैं अभी हमने ड्योढ़ी भी पार नहीं की है। हम लोग ड्योढ़ी में जमा हुये यात्री हैं और अब मन्दिर का प्रवेश-द्वार पार करने ही वाले हैं। यही वह समय है जब हमें समर्पण और आत्मार्पण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इस काम को पूरा करना चाहिए जिसका बीड़ा हमने उठाया है। हम पर भारी जिम्मेदारी है और यह उचित है कि ऐसे अवसर पर काम वास्तविक रूप में आरम्भ करने के पहले हमें एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम योग्य प्रतिनिधियों को शोभा देने योग्य रूप में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और स्वतंत्र सर्वसत्तापूर्ण प्रजातंत्र के लिए विधान तैयार करेंगे।

इसका एक और पहलू है जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है और वह मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैंने जो बात कही है वह प्रस्ताव के सिद्धांत के सम्बन्ध में है तो यह यथार्थ के सम्बन्ध में है। हमें केवल अपना ही विचार

नहीं करना है, उनका भी करना है जो यहां अब तक नहीं हैं। हम देश के पीछे कुछ 'अदृश्य लोग' भी हैं, हमारे मुस्लिम लीगी दोस्त और देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी अभी निश्चित होने वाले हैं। यदि वे भी यहां आ जायें और यह सभा भी पूर्णत: नियुक्त हो जाये और सब जगहें भर जायें, तो भी वह 40 करोड़ जनता जिसके हम प्रतिनिधि हैं—यहां नहीं होगी। इसीलिए मैं यह बात दुहराता हूं कि जो काम हमारे सामने है उसे करने में हमें सदा सचेत रहना होगा कि इन दृश्य लोगों द्वारा ही असेम्बली पूर्णत: नहीं बन जाती, हमारे पीछे 'अदृश्य लोग' भी हैं यह समझने पर ही हम ऐसा विधान बना सकेंगे जो इस विशाल राष्ट्र को सच्ची स्वतंत्रता, मानव-जीवन का सच्चा अधिकार—उसे भौतिक अधिकार कहिए या अल्पसंख्यकों के अधिकार अथवा जो भी नाम दीजिए प्रदान करेगा। जब हम यह समझ कर कि हम स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र के लिये शासन-विधान तैयार कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ायेंगे तो हम स्पष्ट देखेंगे कि अभी किन समस्याओं को हमें सुलझाना है। सभी कामों में हम सदा महात्मा गांधी की आत्मा की उपस्थिति अनुभव करेंगे वह क्षीण पर प्रकाशमान स्वरूप जो अपने कंधे पर संकीर्णमना लोगों के शोक और पीड़ा का मनुष्य-मनुष्य और सम्प्रदाय-सम्प्रदाय के बीच फैले हुए ईर्ष्या, द्वेष, सन्देह और अविश्वास का बोझ ढो रहे हैं, परन्तु फिर भी जो अपना हृदय उस आशा से भरे हुए हैं जो हमारे भाग्य के निर्माता भगवान् में अटल श्रद्धा से उत्पन्न होती है इसमें सन्देह नहीं है कि इस विधान-परिषद् में परमात्मा का हाथ दिखाई देता है जो इस देश और सारे जगत के भाग्य का निर्माण कर रहा है। उस सचेतन आशा और विश्वास की प्रेरणा से मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से और हमारे हार्दिक समर्थन के साथ पास होगा।

***श्री एस. नागथा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं अस्थायी सरकार के माननीय उपाध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने में बड़े आनन्द का अनुभव कर रहा हूं। यह प्रस्ताव सभी सम्प्रदायों और श्रेणियों को बहुत व्यापक अवसर प्रदान करता है। महोदय, मेरे कुछ दोस्तों ने पहले इस बात पर खेद प्रकट किया है कि कुछ लोग यहां उपस्थित नहीं हुए हैं मेरा ख्याल है कि जो हाजिर नहीं हुए हैं उनके लिए हमें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में वे यहां आने के अधिकारी भी नहीं हैं; क्योंकि वे हिन्दुस्तानी नहीं हैं। वे हिन्दुस्तानी कम और अधिक हैं; वे फारसी ज्यादा और हिन्दुस्तानी कम हैं—तुर्क अधिक हैं हिन्दुस्तानी कम। इसलिए वे विदेशों की ओर देखते हैं और इस देश की आजादी की ओर नहीं। यदि वे सचमुच इस देश की आजादी से दिलचस्पी रखते तो आज यहां उपस्थित होते और इस महान सभा में भाग लेकर देश को आजाद करने में सहायक होते। मैं समझता हूं कि हमारे जो दोस्त उन गैरहाजिरों के लिए दु:खी हैं वह चाहें तो बाहर जा सकते हैं। हम हरिजन और आदिवासी इस भूमि के आदिम और सच्चे पुत्र हैं और हमें इसका शासन-विधान बनाने का पूरा हक है। तथाकथित सवर्ण हिन्दू भी सच्चे हिन्दुस्तानी नहीं हैं और चाहें तो वे भी चले जा सकते हैं। *(बाधा)* महोदय, आज हम अंग्रेजों को यह देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। किस लिए? क्या वह मनुष्य नहीं हैं? क्या वह इस देश में रहने का अधिकार नहीं रखते? हम उनसे इसलिए इस देश को छोड़कर चले जाने को कहते हैं कि वह विदेशी हैं। इसी तरह हम आर्यों को, जो प्रवासी हैं, देश छोड़ने के लिए कह सकते हैं। हमें अधिकार है कि हम मुसलमानों से, जो उस देश पर हमले करके घुसे थे, कह दें कि इस देश से निकल जाओ।

[श्री एस. नागथा]

इसमें सिर्फ एक बात विचारणीय है। इस देश के सवर्ण हिन्दुओं के जाने के लिए और कोई जगह नहीं है केवल यही विचार उनके पक्ष में है। अब हम सब हिन्दुस्तानी हैं। हम सबको यही सोचना चाहिए। भाईचारे से हम अपने बीच ऐक्य स्थापित करें। और शीघ्रातिशीघ्र अपने देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करें। हममें से कोई भी किसी अन्य या तीसरे का गुलाम नहीं होना चाहता। सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। महोदय, यह प्रस्ताव सबको समान अवसर प्रदान करता है। यह 'समान अवसर' शब्द केवल कानूनी किताब में ही नहीं पड़े रहने चाहिएं। उन्हें कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि वह देश का शासक है। उसे समझा दिया जाना चाहिए कि वही देश का सच्चा शासक है।

महोदय, मुझे इस भूमि के अभागे सच्चे निवासियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं कहना है। जब से हम आर्यों द्वारा पराजित हुए हम उनके गुलाम बने हुए हैं। हमने कष्ट उठाये हैं; पर अब और दुःख भोगने को तैयार नहीं हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों समझ ली हैं हम जानते हैं कि हम अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं।

महोदय, बहुत से दोस्तों ने अल्पसंख्यकों के बारे में अनेक बातें कही हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि हम धार्मिक अल्पसंख्यक या जातीय अल्पसंख्यक हैं मैं दावा करता हूं कि हम राजनीतिक अल्पसंख्यक है। हम अल्पसंख्यक इसलिये हैं कि अब तक हमें स्वीकार नहीं किया गया था और हमें इस देश के शासन में समुचित भाग नहीं दिया गया था। पर यह बात हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आपको मालूम है कि हमारी स्थिति कैसी रही है? यह प्रस्ताव हमें इसका अवसर देता है कि हम समानता का अधिकार प्राप्त करें और इस देश के शासन में समुचित भाग लें।

महोदय, हमारी संख्या देश की सारी जनसंख्या का पांचवां भाग है। किसी प्रजातंत्र देश के लिए यह असम्भव है कि वह पंचमांश प्रजा की उपेक्षा करे, मेरे जो दोस्त उस सभास्थल के बाहर हैं या इस महान असेम्बली में भाग नहीं ले रहे हैं, वह इस बात को समझ सकते हैं। उनको सुविधा देने के लिए कांग्रेस बहुत दूर तक गई। हम वक्तव्य को स्वीकार करके भी हम वह सभी दे रहे हैं जो वे मांग रहे थे। हमारा यह ध्येय नहीं होना चाहिए कि चूंकि अमुक दल रो रहा है इसलिए हमें उदार बन जाना चाहिए और वे जो कुछ चाहें उन्हें देते जाना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि आप किसी विशेष सम्प्रदाय को सान्त्वना देने में ही लगे रहे हैं। आपने इतनी सहिष्णुता दिखाई है, इतनी उदारता प्रदर्शित की है और अपने हित की प्रवाह न करते हुए भी देते चले गये हैं। मेरा अब आपसे यही अनुरोध है कि अब सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर आप किसी अल्पसंख्यक जाति को अधिक जगहें देते हैं, तो उससे अन्य अल्पसंख्यकों को भी मांगने की गुंजाइश और अवसर जाता है। इस तरह मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई भी बहुमत सभी अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट कर सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दृढ़ संकल्प हों, शक्तिशाली हों और सब सम्प्रदायों के प्रति न्याय करें। चूंकि एक दल मांगता ही जाता है इसलिये आपको देते ही नहीं जाना चाहिए। यहां कहा गया है—मुझे खुशी है कि पंडित जी ने कृपा करके यह स्वीकार

कर लिया है कि प्रस्ताव में यह शामिल किया जायेगा कि अल्पसंख्यकों—पिछड़े हुए लोगों आदिवासियों और कबीलों एवं दलित वर्गों—की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इससे सभी सम्प्रदायों को समान अवसर प्राप्त हो जाता है और जाति और धर्म की कोई बात बाधक नहीं होती। मैं नहीं समझता कि एक खास दल ही ऐसी मांगें क्यों करता रहता है जो उचित और न्याय्य नहीं है? केवल मांगने के कारण ही आप देते चले जाते हैं। इससे तो अल्पसंख्यकों को अधिकाधिक मांगते जाने का अवसर मिलता है। इस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है वह स्पष्ट है और इसकी शब्दावली सावधानी के साथ रखी गयी है, मेरा तो एक मात्र अनुरोध अब यही होगा कि इसमें प्रत्येक शब्द और उसके अभिप्राय को कार्य रूप में परिणत किया जाये। केवल पास कर देने से प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता। उसे सौ फीसदी कार्य रूप में 'परिणत' करना चाहिए। तभी प्रस्ताव का मूल्य है। "दर्जे और अवसर की समानता" (Equality of status and of opportunity) शब्द कहे तो गए हैं। पर मैं कहूंगा कि समान अवसर का तो यह मतलब है कि कभी न कभी हरिजन को भी भारत के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हो। इस तरह का अवसर यहां होना चाहिए। समान अवसर को कार्यरूप में परिणत करना चाहिए। मैं एक और बात असेम्बली के सामने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पेश करना चाहता हूं। जनता इस महान एसेम्बली की ओर देख रही है और इसके द्वारा जब 40 करोड़ निवासियों के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो महोदय, मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव का प्रत्येक शब्द; प्रत्येक अक्षर पूर्णत: कार्यरूप में परिणित किया जायेगा।

***श्री जगतनारायण लाल** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह एक सुअवसर है कि मुझसे इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया है। यह तो उचित ही हुआ कि इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पं. जवाहरलाल नेहरू ने उपस्थित किया; क्योंकि पंडित जी ने ही सन् 1926 ई. में मद्रास-कांग्रेस के अवसर पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कराया था। उन्हीं के राष्ट्रपतित्व में सन् 1929 ई. कांग्रेस ने भारत की स्वाधीनता को अपना सिद्धान्त बनाया था। और सन् 1934 ई. पंडित जी ने ही कहा था कि "राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से यदि यह स्वीकार किया गया और यह स्वीकार किया जाना ही चाहिए कि भारत की जनता ही भारत के भाग्य का फैसला कर सकती है और इसलिये उसे अपना विधान बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो यह काम विस्तृत मताधिकार द्वारा निर्वाचित विधान-परिषद् ही कर सकती है। जो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं उनके लिए और कोई मार्ग नहीं है।" इसलिए विधान-परिषद् में इस स्मरणीय अवसर पर इस देश की ओर से पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये इस प्रस्ताव का विशेष महत्व है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव हममें से प्रत्येक सदस्य के लिए और सारे देश के लिए एक प्रतिज्ञा—एक गम्भीर निश्चय है। जब से इस असेम्बली की बैठक आरंभ हुई है, उसके पहले से ही हम ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति में एक परिवर्तन देख रहे हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि हम सदी में और इससे पहले कितने ही शासन विधान असेम्बलियों द्वारा बनाये गये है। यह तो ब्रिटिश सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि वह इस असेम्बली को किस रूप में देखना चाहती है और वह कैसा विधान इससे स्वीकार कराना चाहती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान हमारे सामने है जो सन् 1774-75 ई.

[श्री जगतनारायण लाल]

में स्वातंत्र्य-युद्ध के बाद बनाया गया था। वह हमारे शब्दों में हिंसात्मक क्रांति थी। उस स्वातंत्र्य युद्ध के बाद जो विधान बना था वह भी उन विधानों में एक था। बाद में 19वीं सदी में अनेक विधान समझौते के द्वारा बने। सन् 1867 ई. में कनाडा का उपनिवेश एक संघ बना। शान्तिपूर्ण समझौते के बाद उसका विधान बना और उसका विकास हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर सन् 1900 ई. में आस्ट्रेलियन उपनिवेश का सृजन एक शान्तिपूर्ण समझौते से बनाये हुए विधान द्वारा हुआ। साउथ अफ्रीका के यूनियन का भी एक उदाहरण हमारे सामने है। सन् 1909 ई. में वह भी उपनिवेश बन गया और उसका निर्माण भी शान्तिपूर्वक निर्मित विधान के अनुसार हुआ। उसके बाद ताजा उदाहरण सन् 1921 ई. में आयरलैंड का है। उसे ब्रिटेन के साथ समझौता करने को कहा गया था। यह स्थिति छापामार युद्ध और लम्बे सिनफीन आन्दोलन के बाद उत्पन्न हुई थी और वह भी जब ब्रिटिश सरकार अपने अथक परिश्रम से थक गयी अलस्टर को अस्तित्व में ला दिया। आयरलैंड का मामला सब से बाद का है और उसे ब्रिटिश सरकार को उसके वर्तमान मंत्रिमंडल को याद रखना चाहिये। आयरिश लोगों के मस्तिष्क में अभी तक उस पीड़ा की याद ताजी है और सदा ताजी रहेगी और उसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग ब्रिटेन से बिछुड़ गये और अभी तक उनका संयोग नहीं हो सका है। अगर भारतीय विधान परिषद् में बैठते हैं और विधान बनाना चाहते हैं तो मैं फिर दुहराता हूं कि यह ब्रिटिश सरकार के फैसले की बात है कि वह विधान आयरलैंड के विधान के ढंग का होगा या अमेरिका के ढंग का अथवा उसका निर्माण शान्तिपूर्ण ढंग से होगा। लक्षणों से तो यही मालूम होता है कि ब्रिटिश सरकार ने अभी अलस्टर का ढंग नहीं छोड़ा है जिसे वह आयरलैंड में और अन्य कई देशों में परीक्षा करके देख चुके हैं। यदि वे उस ढंग का अनुसरण करने के लिए हठ करते हैं तो परिणाम भी आयरलैंड के ही ढंग का होगा। इसलिये मैं दुहराता हूं और ब्रिटिश सरकार को सावधान करता हूं कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वह अपने लुभाने और कूटनीति के सभी उपायों से हम विधान परिषद् के कार्य को सफल करे और इसे अपने प्रयत्नों और हमारे सहयोग से सम्पन्न बनाये।

महाशय, मैं अब इतने विलम्ब के बाद कुछ अधिक न कहना चाहूंगा। मैं फिर दुहराना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव को एक ऐसी प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय मानता हूं कि जिसके द्वारा स्वतंत्र भारत की सृष्टि होगी। इस निश्चय के पीछे दृढ़ता है। यह दृढ़ता हमारी इच्छा और हमारा निश्चय है और हमें यह दृढ़ता और इच्छा-बल सारे राष्ट्र से प्राप्त हुआ है जिसने हमें यहां भेजा है। मुझे आशा है कि जब समय आयेगा तो हम इस विधान-परिषद् को स्वतंत्र भारत का ऐसा विधान तैयार करते देखेंगे जो शान्ति के साथ अस्तित्व में आयेगा और यदि शान्ति से अस्तित्व में न आया तो यह ब्रिटिश सरकार के पसन्द किये हुए किसी अन्य ढंग से या आवश्यकतानुसार हमारे पसन्द किये हुए ढंग से अस्तित्व में आयेगा। महोदय, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और आशा करता हूं कि अन्त में जो प्रस्ताव डॉ. जयकर ने पेश किया था वह अब निरुपयोगी होने के कारण समय आने पर वापस ले लिया जायेगा।

श्री अलगूराय शास्त्री (संयुक्तप्रान्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आया हूं जो हमारे देश के प्यारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उपस्थित किया था। आज कोई हिन्दुस्तानी ऐसा अभागा नहीं है जो आज इस सभा और भवन में बैठकर हिन्दुस्तान का भावी विधान न बनाना चाहता हो। किसी भारतीय के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि वह आज अपने देश का स्वाधीन विधान बनाने के लिए यहां आया है? इस प्रस्ताव में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, जिन भावों का इसमें समावेश है वह ऐसे हैं कि जिनका समर्थन करने के लिए प्रत्येक हृदय लालायित है। यह प्रस्ताव ऐसा उच्चतम है और अपने अन्दर ऐसे भाव रखता है जिसकी कामना भारतीय सदियों से कर रहे हैं। एक दिन था जब कि यह हमारा राष्ट्र एक महान् राष्ट्र था और एक महान् स्वतन्त्र देश था। सदियां गुजर गईं, पराधीनता की बेड़ियां उसको जकड़े हुए हैं और उनकी टूटने की आकांक्षा को लेकर इस देश के युवक, इस देश की नारियां और इस देश के बूढ़े सब सतत् प्रयत्न कर रहे हैं। आज वह दिन आया है जब हम इस जगह पर एकत्रित हुए हैं कि अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र घोषित करेंगे जो इस प्रस्ताव के पहले भाग में था। आज देश के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती है कि आज हम केवल यह घोषित करें कि हम अपने राष्ट्र को स्वतंत्र घोषित करेंगे। आज हम स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं कर रहे हैं बल्कि आज हम केवल व्यावहारिक दृष्टि से इतना कह रहे हैं कि हम इसे स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित करेंगे। यह मुसम्मम इरादा है। इसलिए इस प्रस्ताव को अपनाया है और इसका स्वागत करते हैं।

इस प्रस्ताव में यह बातें कही गई हैं कि हम जिस स्वतन्त्र राष्ट्र की घोषणा करते हैं उसमें वह सारे भाग भी सम्मिलित होंगे जो आज ब्रिटिश इंडिया के नाम से दुर्भाग्य की वजह से कहे जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया "इंडिया" नहीं हैं। ब्रिटिश इंडिया, "इंडिया भारत" नहीं है। जिस भाग पर, भारत के जिस भू-भाग पर आज अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजों की हुकूमत का दौरदौरा है वह सारी भूमि स्वतन्त्र भाग राष्ट्र का न होगा। यही नहीं ब्रिटिश सत्ता के अन्दर जो भी भाग हैं और जो उनके अन्तर्गत हैं वह भी इस स्वतंत्र राष्ट्र में सम्मिलित किये जायेंगे, यह हमारी कामना है और यह इस प्रस्ताव की घोषणा है। यही नहीं, ऐसे भी अंग इस देश के अन्दर हैं जिनके ऊपर दूसरी सत्ता का अधिकार है। जैसे पांडुचेरी, गोवा, डैमन और डयू है। ये अंग जिन पर दूसरी सत्ता शासन कर रही है वह सब भारत के अंग हैं हमारी कामना है वे सभी अंग स्वतन्त्र राष्ट्र में सम्मिलित हो जायेंगे। इस प्रस्ताव की कल्पना क्या है, हम स्वतन्त्र राष्ट्र चाहते हैं और यही घोषित करना चाहते हैं और हम इन शब्दों का स्वागत करते हैं। पूर्वकाल से लेकर आज तक मनुष्य जीवन के ऊंचे आदर्श रहे हैं। मनुष्य भाई-भाई की तरह रहते हुए आये हैं। ऋग्वेद के 8वें चरण में इस बात की कल्पना तो प्राचीन काल से की गई है कि मनुष्य में न कोई छोटा था और न कोई बड़ा था। जिस तरह से मां अपने पुत्र को मानती है उसी तरह से राजा भी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, यह कल्पना भी ऋग्वेद के 8वें चरण में मिलती है। जो समानता और आदर्श हमको पहले से सिखाई गई है वही इस प्रस्ताव पर दोहराई गई है उसको देखकर हमको प्रसन्नता हुई। इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए यहां पर आकर खड़ा हुआ हूं।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

हमने देखा कि हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना इस प्रस्ताव से कर रहे हैं जिस राष्ट्र में अन्न, वस्त्र की कमी न होगी, समान रूप में चीजें प्राप्त होंगी। इसमें हमको ऐसे आदर्श की ध्वनि मिलती है जिसमें कहा गया है "to each according to his needs and from each according to his capacity"। ऐसी समानता का आदर्श इसमें उपस्थित है। भागवत के अन्दर जो शब्द राष्ट्र की समानता के लिए है वह इस प्रस्ताव में मिलते हैं। प्रजा की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना राष्ट्र का परम धर्म है राजा के व्यवहार में प्रजा के लिए समानता होगी वह हमको इस आदर्श तक ले जाती हैं। उसमें ऊंच-नीच का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है और न रखा गया है। वर्ग के एक दूसरे के इस भेद को हम मिटाना चाहते हैं। मनुष्य का व्यवहार दूसरों के साथ एक आदर्श के रूप में होना चाहिये यह हम चाहते हैं।

इस प्रस्ताव की यह घोषणा है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। इसके आगे इस बात की भी कल्पना करते हैं कि हम जिस राष्ट्र की स्थापना करने जा रहे हैं, जो स्वतन्त्र राष्ट्र हमारा होगा वह स्वतन्त्र राष्ट्र इसलिए नहीं होगा कि वह अपनी सत्ता से एक पृथक् राष्ट्र बना लेगा। और उसको दुनिया की भलाई और बुराई से कोई मतलब न होगा। बल्कि इसमें कहा गया है कि यह महान राष्ट्र अपने प्राचीन उसूल लेकर स्वतंत्र होगा और अपनी उन्नति की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। हमारा राष्ट्र, हमारी सारी शक्तियां सारे विश्व के लिए होंगी और हम सारे संसार के साथ और मानवजाति की उन्नति के एक मात्र आधार पर, एक समुदाय के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करेंगे और इससे संसार की सेवा करने के लिए जीवन का उपयोग करेंगे।

इस प्रस्ताव के पीछे महान् आदर्श है, जो हमारे सामने रखा है। एक चीज जो सबसे बड़े महत्व की इस प्रस्ताव में है कि हम जिस राष्ट्र को बनाने जा रहे हैं उस राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो अपहरण किया गया है, उस अपहरण से उसको निकाल कर स्वतंत्र बनायेंगे। वह जो स्वतंत्रता हमने हासिल की है उस स्वतंत्रता को हम बनाये रखने के लिये उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रस्ताव में पुरातन धर्म के ऋग्वेद के प्राचीन आदर्श अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुये हैं यहां हमको 'देवाहितम् यदायुः' की बात जो कही गयी है वह इसमें सफाई के साथ कही गयी है। कोई भी राष्ट्र जिसकी स्वतंत्रता हासिल कर ली गयी हो, लेकिन वह अपनी सहन शक्ति से यदि कमजोर है तो वह जीवित नहीं रह सकता, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। वही राष्ट्र अविचल है। ध्रुव है, निश्चल है, जिस राष्ट्र को प्रजा चाहती है 'इन्द्रस्त्वाभिरक्षतु'।

प्रजा जिसकी कामना करे ऐसा राष्ट्र और जब हम social, economic और आर्थिक equality लोगों को देने जा रहे हैं, तो यकीनन वह प्रजावर्ग का राष्ट्र होगा। हमने इसमें कल्पना की है कि state power, सारे राष्ट्र की पूरी शासनशक्ति जनता के हाथ में हो। तभी हमने प्रजा के राज्य की कल्पना की है। हमने प्रजातन्त्र की कल्पना की है कि जिसमें राजा प्रजा का भेद मिट जाता है। वह राष्ट्र होता है, जिसके बारे में प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा है किः—

"वही राष्ट्र आदर्श राष्ट्र होगा जिस राष्ट्र में शासक और शासित के जो दयनीय भेद हैं वह न हों, जहां पर शासक द्वारा अत्याचार, शोषण न हो और जहां पर प्रजा सतायी न जाती हो और जेलों में सड़ायी न जाती हो। प्रजा उस

राष्ट्र की कल्पना करेगी, उस राष्ट्र को चाहेगी जिसमें कि ऋग्वेद को महान् आदर्श पूरे होते होंगे। उसी राष्ट्र की कल्पना इस प्रस्ताव के द्वारा की गयी है। इसलिए हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। यह प्रस्ताव आज हमको ऐसी जगह ले आकर खड़ा कर देता है कि जहां से संसार इस बात को देखेगा कि हम जिस स्वाधीनता की कल्पना करते हैं, वह स्वाधीनता अपने स्वार्थ के लिए नहीं है उस स्वाधीनता में प्रजावर्ग के ऊपर जबरदस्ती शासन न होगा। यह तमाम चीजें महान् वैदिक आदर्शों की इसमें हम देखते हैं। वहां हम हजरत उमर से लेकर और यहां पर बहादुरशाह की हकूमत तक के मुस्लिम शासन काल में जिस बात की कल्पना रही है कि प्रजा का रक्षण प्रजा पालन के महान् आदर्श भी इसमें विद्यमान हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिन्ध पर कब्जा किया और उस पर अपना अधिकार जमाया तो हजरत उमर को उसने खत लिखा कि अपने अधीनस्थ सिन्धवासियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाये, वह राष्ट्र के इतिहास का बड़ा महत्वशाली document है और बड़ी भारी निधि है। इसमें हमें हजरत उमर का वह फतवा मिलता है जिसमें यह दर्ज है कि जो लोग तुम्हारे अधीन हो गये हैं, उनके साथ पुत्र की तरह व्यवहार करो, उनके पूजा घरों की रक्षा करो, उनके धन, जन और माल की रक्षा करो और उसी आदर्श को लेकर हुमायूं ने अकबर को निधि दी और बराबर वह चलती रही। अकबर के आईने अकबरी में प्रजा के साथ राजा का जो सम्बन्ध बतलाया गया है, उसमें किसी भी जगह नहीं है कि हम प्रजा को सतायें, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करें। पहले के शासक इन आदर्शों के कायल थे और आज हम उनको पूरा करने के लिये आये हैं, आज वह सब हमको पूरा करना है और यह प्रस्ताव उसकी तरफ हमें ले जाता है। आज हम इस भवन में बैठकर जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो यहां हमारे मद्रास के लोगों को हमारी बातें समझने में आसानी होती है और अखबारों में publicity भी आसानी से हो जाती है। आज मैंने सोचा कि मैं हिन्दी में बोलूं। मेरे कानों में आज कब्रों में पढ़े हुए बहादुरशाह के बच्चे कहते हैं कि "तुम किस जबान में बोलते हो? हम भी समझें। हमारे सदियों के अरमानों को हम भी सुनें।"

जायसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वर्णन है कि पृथ्वीराज और संयोगिता दोनों की राखें हमारी बातें सुनने के लिए लालायित हैं और सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने आये हैं। आपकी क्या आकांक्षायें हैं, आदर्श हैं, यही वह सुनना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि टूटी-फूटी अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूं मगर मुझे लंदन वालों को नहीं सुनाना है, अपनी भारतीय जनता को सुनाना है। कब्रों में पड़ी हुई कितनी ही डायनोस्टियों और साम्राज्य दिल्ली के चारों तरफ पुराने मकबरों में वह कब्रें पूछती हैं, दफनाई हुई हड्डियां पूछती हैं कि तुम यहां क्या करने आये हो? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि हम तुम्हारे उन्हीं आदर्शों को लेकर जिनके कारण बहादुरशाह के बच्चों का खून हुआ हमारे सन् 1857 का बलवा हुआ और जिन आदर्शों को लेकर सदियों से हमारी जनता के बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतों ने अपने जीवन बलिदान किये, आज हम उन्हीं प्राचीन आदर्शों को लेकर हजारहा मुश्किलात होते हुए भी आगे बड़े हैं और बढ़ते रहेंगे। हम अपने इस पुनीत निश्चय में दृढ़ हैं और अटल हैं और कोई भी शक्ति

[श्री अलगूराय शास्त्री]

हमें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। कोई चीज हमको झुका नहीं सकती, यह हमारा निश्चय है। हमारे सोये हुए बुजुर्गों की रूहें हमें पुकार-पुकार कर कहती हैं कि उन्हें उनकी भाषा में सुनाया जाये आज उनकी यह आकांक्षायें हैं, कामनायें हैं।

इसलिए मैंने हिन्दी भाषा में आपके साथ यह निवेदन करने की चेष्टा की। यह प्रस्ताव सर्वथा सब रूप से मानने के लायक है। जयकर साहब ने इस प्रस्ताव के postpone करने की बात की थी। जहां तक रवादारी का ताल्लुक है, हमने इसकी वार्ता, और डॉ. अम्बेडकर ने जो plea ली थी उसके आधार पर यह postpone किया गया था, लेकिन अडंगा लगाने की नीति से कोई आदमी अगर हमें रोकना चाहे, तो हम कदापि नहीं सुन सकते। Fight of freedom once begun... हम अपना कदम आगे बढ़ायेंगे और इस रवादारी में पड़कर हम उस काम को छोड़ने वाले नहीं है। श्री श्यामा का संशोधन यह जो काश्मीरी सिल्क का प्रस्ताव है, उसमें वह एक टाट का पेबन्द है। वह भी reject हो जाना चाहिए और जयकर साहिब का जो संशोधन है वह भी reject हो जाना चाहिये और यह अधिकृत रूप और मौलिक रूप में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाना चाहिये।

अध्यक्षः अब बैठक कल सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् सभा की बैठक मंगलवार 21 जनवरी 1947 को सुबह 11.00 बजे तक स्थगित हो गयी।

अंक 2

संख्या 2

मंगलवार
21 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव 1

2. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 2

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 21 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

स्टीयरिंग-कमेटी का चुनाव

***अध्यक्षः** माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि स्टीयरिंग-कमेटी में चुने जाने के लिए निम्नलिखित तेरह सदस्यों के नाम नियमित रूप से तजवीज हुए हैं:

1. माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद।
2. माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल।
3. सरदार उज्ज्वल सिंह।
4. श्रीमती जी. दुर्गाबाई।
5. श्री एस.एच. प्रेटर।
6. श्री किरणशंकर राय।
7. श्री सत्यनारायण सिन्हा।
8. श्री अनन्तशयनम् आयंगर।
9. श्री एस.एन. माने।
10. श्री के.एम. मुन्शी।
11. श्री दीवान चमनलाल।
12. श्री सोमनाथ लाहिरी।
13. श्री लक्ष्मीनारायण साहू।

केवल ग्यारह सदस्य चुने जाने हैं और यदि कोई नाम वापस न लिये गये, तो सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार इकहरे हस्तांतरात्मक मत द्वारा, आज ही शाम के 3 और 5 बजे के बीच अंडर-सेक्रेटरी के कमरे (कमरा नम्बर 24, सतह की मंजिल, कौंसिल हाउस) में मेम्बरों का चुनाव होगा।

दूसरा कार्य, पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव है। वे मुझे यहां नहीं दिखायी पड़ते। इसलिए हम बहस जारी रखेंगे और यह प्रस्ताव बाद में पेश होगा।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री राजकुमार चक्रवर्ती** (बंगाल : जनरल): क्या मैं पूछ सकता हूं कि स्टीयरिंग-कमेटी की सदस्यता के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के लिए कब-तक का समय है?

***अध्यक्ष:** आज शाम के 3 बजे चुनाव के आरम्भ होने से पहले, किसी भी समय अब हम प्रस्ताव पर बहस जारी करते हैं। श्री माधव मेनन।

लक्ष्य-संबंधी प्रस्ताव—(गत संख्या से आगे)

***श्री के. माधव मेनन** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय! पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव के लिए किसी के बहुत समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बहुत कम विरोध हुआ है। यह बहुत आवश्यक है कि अब हम इस प्रस्ताव को अविलम्ब स्वीकार कर लें। जैसा कि सर अल्लादी ने अपने भाषण में कहा है, किसी भी विधान-परिषद् की कार्यवाही में आप यह खोज निकालने में समर्थ न होंगे कि उस परिषद् का अन्य कार्य आरम्भ होने से पहले, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश अथवा स्वीकार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में हम काफी प्रतीक्षा कर चुके हैं और मेरे विचार में अब और देर करके हम अपने कर्त्तव्य से च्युत होने के ही भागी होंगे। हमें अनुभव करना चाहिये कि सारा देश आशा-भरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहा है—यह जानने के लिए—कि हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। एक-मात्र आपत्ति यदि मैं उसे आपत्ति कह सकूँ, डाक्टर जयकर द्वारा पेश किया गया संशोधन है। सिद्धांत: डॉ. जयकर के संशोधन और मूल प्रस्ताव में अधिक अन्तर नहीं है, सिवा इसके कि डॉ. जयकर चाहते हैं कि हम लोग प्रतीक्षा करें ताकि उन लोगों को, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, प्रस्ताव के विचार में भाग लेने का अवसर मिल सके। डॉ. जयकर का कहना है कि इस समय हमारे हिस्सेदारों में से दो अनुपस्थित है, जिनमें से एक की अनुपस्थिति का कारण हमें मालूम नहीं हैं और दूसरे का यहां उपस्थित होना ही असम्भव है। उचित ही है कि हमें इन लोगों की प्रतीक्षा करनी चाहिये। डॉ. जयकर ने कहा था कि 20 जनवरी तक, जब कि हमारा दूसरा अधिवेशन होने को है, हम इन लोगों की प्रतीक्षा क्यों न कर लें। श्रीमान्, उनकी इच्छानुसार अब हम यह प्रतीक्षा कर चुके। आशा है कि डॉ. जयकर को यह आपत्ति करने का अवसर अब न रहेगा कि हम लोगों ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

डॉ. जयकर की यह आपत्ति कि मंत्रि प्रतिनिधिमंडल के 16 मई के वक्तव्य की शर्तों के अनुसार आरम्भिक बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करना हमारे लिए वर्जित है, स्वयं उनके ही प्रस्ताव के विरुद्ध है, जिसमें बताया गया है कि इस परिषद् के उद्देश्य व लक्ष्य क्या होने चाहियें। डॉ. जयकर ने कहा है कि उक्त प्रस्ताव में विधान के मूल तत्वों का उल्लेख न होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि हम लोगों ने उसमें विधान की मूल बातों का उल्लेख किया है; हमने तो उसमें यही बताया है कि हमारे उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं। डॉ. जयकर ने कहा (और उनके ऐसा कहने पर मुझे आश्चर्य भी हुआ) कि यदि मुस्लिम लीग सम्मिलित न होगी, तो देशी राज्य भी शामिल न होंगे। साथ ही, डॉ. जयकर ने बताया अथवा यों कहिये कि चित्र खींचा, कि यदि मुस्लिम लीग के शामिल होने से पहले हम लोगों ने यहां यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो देश में एक हिन्दुस्तान, एक पाकिस्तान और एक राजस्थान बनकर ही रहेगा। मुझे अनुभव हुआ कि जिस समय वे तीन 'स्थानों'—हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा राजस्थान—के प्रादुर्भाव का चित्र खींच रहे थे, उस समय मानों वे कल्पना लोक में निर्बाध विचरण कर रहे हों। मुझे निश्चय है कि ऐसा संयोग न होगा और ऐसे संयोग के विचार से हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करने से डरना भी न चाहिये। यदि इस आधार पर कि अन्य लोग यहां उपस्थित नहीं हैं, हमने और विलम्ब किया, तो निश्चय ही इस प्रकार हम लोगों की जिद को ही बढ़ावा देंगे, मैं चाहता हूं कि हम ऐसा न करें, बल्कि प्रस्ताव का कार्य आगे बढ़ायें और बिना अधिक विलम्ब किये उसे स्वीकार कर लें।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): अध्यक्ष महोदय! पिछले अधिवेशन में हममें से कुछ लोगों का संकोचवश यह मत था कि यह प्रस्ताव बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाये, ताकि अनुपस्थित लोग भी उसके विचार में भाग ले सकें। इसका यह मतलब नहीं कि मैं स्वयं प्रस्ताव के पक्ष में पूर्णतया नहीं था। एक कांग्रेसजन तथा एक भारतीय होने के नाते, मैं पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव में प्रतिपादित सिद्धान्तों से पूर्णत: सहमत हूं। इसका यह अर्थ नहीं कि उक्त सिद्धान्तों का पहले कभी प्रतिपादन नहीं हुआ। किन्तु हम चाहते थे कि अपने विधान-निर्माण कार्य के आरम्भ में ही, हमारे लक्ष्य एवं उद्देश्यों का स्पष्टीकरण इस सभा में कर दिया जाये, और उसमें सभी सभासद सम्मिलित हों। फिर भी

[श्री बी. दास]

मुझे दुःख है कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि, जिनमें से कुछेक सार्वजनिक जीवन में हमारे साथी रहे हैं, अनुपस्थित हैं। उस समय मूर्खतावश हम में से कुछ लोगों ने सोचा था कि वे अब आ जायेंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं अधिकारों की घोषणा करेंगे और इस प्रकार आने वाली स्वतन्त्रता के प्रभात के आनन्द में रजामंदी से अपना हस्सा लेंगे। पर यह सब नहीं होने का। समझ में नहीं आता कि मुस्लिम लीग के ये सदस्य जो पिछले बीस-तीस वर्षो से हमारे मित्र, प्रगाढ़ मित्र, प्रगाढ़ साथी तथा प्रगाढ़ सहयोगी रहे हैं, वर्तमान अवस्था में किस प्रकार पृथक् रह सकते हैं।

मैं नहीं समझ सकता कि वे क्या चाहते हैं। कहा जाता है कि वे दो राष्ट्र चाहते हैं, वे पाकिस्तान चाहते हैं अभी उस दिन महात्मा गांधी ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी सूबे अथवा एक पाकिस्तान देश ले लेने दो, जिससे कि हम जान सकेंगे कि मुस्लिम राष्ट्र का सर्वोच्च आदर्श क्या है, जिससे कि वे दिखा सकें कि पाकिस्तान का देश हिन्दुस्तान से या पंथिस्तान से, जिसकी कि मांग सिख करते हैं, एक अधिक सुशासित देश है। हमारे मुस्लिम मित्रों को किस बात का डर है और उनकी अनुपस्थिति के कारण क्या हैं? महाशय, सम्बन्धित पार्टियां तीन हैं—ब्रिटिश, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ब्रिटिश सरकार हमारे मार्ग का रोड़ा है। 6 दिसम्बर के वक्तव्य द्वारा, सम्राट् की सरकार ने अपने 16 मई के वक्तव्य का फिर जो स्पष्टीकरण किया है उससे भी यही प्रकट होता है कि अंग्रेज स्वाधीनता प्राप्ति में भारत की सहायता नहीं कर रहे हैं। किन्तु वह कौन-सी बात है, जो हमारे मुस्लिम मित्रों को रोक रही है? महाशय, भारतीय व्यवस्थापिका सभा का काम संभालने के मेरे आरम्भिक काल में, 'कायदे आजम' मेरे राजनैतिक गुरु रहे हैं एक मित्र के नाते मैं उनकी अब भी प्रशंसा करता हूं। किन्तु मुस्लिम लीग के नेता के रूप में मैं उन्हें नहीं समझ सका। मैं नहीं समझता कि वे क्या चाहते हैं, मुस्लिम लीग कार्य-समिति के अनेक सदस्य मेरे मित्र हैं और यहां उपस्थित अनेक लोगों के मित्र हैं। मैं नहीं समझ पाता कि अब्दुल मतीन चौधरी या नवाब इस्माईल खां या राजा गजनफर अलीखां या हुसैन इमाम तथा अन्य लोग हिन्दुस्तान में अथवा यूनियन में हिन्दुओं के साथ किस प्रकार भाई-भाई की तरह नहीं रह सकते। दुर्भाग्यवश,

मुझे यह जानकर खेद होता है कि मुस्लिम लीग के अधिकांश नेता तथाकथित हिन्दुस्तान में ही रहते हैं। अभी तक मैंने बंगाल या पंजाब के पाकिस्तानी सूबों का ऐसा कोई मुस्लिम लीगी नहीं पाया, जो इस देश अथवा संसार के पथ-प्रदर्शन के लिए किन्हीं महान् राजनैतिक सिद्धान्तों का प्रवर्त्तक हो या जिसने इन सिद्धान्तों की व्याख्या की हो। मेरा काम यहां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतान्तर बताने का नहीं है। मेरा काम इस मंच से मुस्लिम लीग से यह आग्रह करने का है कि वे लोग जो बाहर हमारे मित्र हैं, इस सभा में भी तुरन्त हमारे मित्र बनें। यदि पाकिस्तान के विषय में उनके विचार हमसे भिन्न हैं, तो उन्हें अपने विचार हमें बताने चाहियें। उन्हें, हमको बताना चाहिये कि आया वे एक स्वाधीन (जनतन्त्रात्मक) पाकिस्तान चाहते हैं, या वे औपनिवेशिक-पाकिस्तान चाहते हैं? वे क्या चाहते हैं, मैं मुस्लिम लीग के अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हमारे साथ अपने अति प्राचीन सम्पर्क पर, पड़ोसियों की पुरानी भावनाओं पर विचार करें और शीघ्र ही इस सभा की कार्यवाही में शामिल हो जायें, ताकि हम सब भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराने में, जिसे हम हृदय से चाहते हैं, एक-साथ मिलकर कार्य कर सकें।

मुख्य प्रस्ताव पर, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि उसमें उल्लिखित प्रत्येक बात से मैं सहमत हूं। इन वर्षों में, इन्हीं बातों का हम स्वप्न देखते रहे हैं। मि. जिन्ना तथा अपने मुस्लिम लीगी मित्रों से एक बार फिर मैं यही आग्रह करता हूं कि वे यहां आयें और हमें बतायें कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, वे हिन्दुओं को भी बतायें कि हिंदू क्या गलती कर रहे हैं, और मि. जिन्ना को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाने नहीं देते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*__श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त__ (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय! हमारे माननीय नेता पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये इस स्मरणीय प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर आपने कृपा करके प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

श्रीमान्, इस प्रस्ताव का पूरे हृदय से समर्थन करने में मुझे हर्ष है। इससे पहले अनेक अन्य वक्ता भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव के उपस्थित तथा स्वीकार किये जाने की आवश्यकता, उपयोगिता तथा

[श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त]

औचित्य पर अपने विचार प्रकट किये हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से, उन्होंने इस प्रस्ताव पर बहस की हैं और उन्हीं तर्कों को फिर दोहरा कर मैं इस सभा का मूल्यवान् समय नहीं लेना चाहता। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं, आपकी अनुमति से, केवल कुछ बातें ही कहना चाहता हूं।

सर्वत्र ही यह स्वीकार किया जा चुका है कि जो विधान-परिषद् एक स्वतंत्र भारत का विधान निर्मित करने जा रही है, वह इस देश के जन-समुदाय के अथक कष्ट-सहन तथा भारी त्याग का ही परिणाम है। अतएव, जो भी विधान तैयार किया जाये, वह ऐसा होना चाहिये कि उसके द्वारा जल-कल्याण की वृद्धि और समस्त देश का लाभ हो सके।

विधान के निर्माता, जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अत्यन्त उत्तरदायी व्यक्ति हैं और अपने दायित्वपूर्ण कर्त्तव्य का पालन करते हुए वे सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता के साथ ऐसा विधान निर्मित करेंगे, जो सभी सम्बन्धित लोगों के लिए अधिक-से-अधिक हितकर हो।

उन सदस्यों की नेक-नीयती, ईमानदारी और सच्चाई पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिये, जिन्होंने हमारे देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति और देश में शांति एवं सम्पन्नता की वृद्धि करने वाला विधान प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है।

विधान निर्मित करने में जिन सिद्धान्तों का अनुसरण होगा और विधान में किन बातों की व्यवस्था रहेगी—यह सब उपस्थित प्रस्ताव में बताया जा चुका है।

सौभाग्यवश प्रस्ताव में कहा गया है और यह उचित ही है कि जो भी विधान तैयार किया जायेगा, उसके अन्तर्गत भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय का, पद, अवसर आदि की समानता का आश्वासन दिया जायेगा और वह उन्हें प्राप्त होगा। इससे प्रकट है कि सब लोगों को उन्नति के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जो भी विधान तैयार होगा, उसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए तथा कबायली इलाकों और दलित तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। अल्पसंख्यकों तथा उन अन्य लोगों को, जिनके संरक्षण का इस प्रकार आश्वासन दिया गया है, यदि कुछ सन्देह हो तो इसे दूर करने के लिए यह काफी होना चाहिये।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में, विधान-परिषद् में तथाकथित अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण भी शंका उत्पन्न की जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सविनय निवेदन है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त विधान का निर्माण, उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की केवल पर्याप्तता पर नहीं, बल्कि अंततोगत्वा विधान-निर्माण का निर्देशन करने एवं उस पर नियंत्रण रखने वाले जनसमूह के सद्भाव पर अवलम्बित होता है। अतएव, मेरे तुच्छ विचार से, महत्व की चीज जनसमूह की सद्भावना है, न कि विधान-निर्मात्री संस्था में किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रतिनिधित्व का परिमाण।

अतएव, किसी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का यह आपत्ति करना कि उसके प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त नहीं, ठीक नहीं है; क्योंकि यदि वह सम्प्रदाय अन्य सम्प्रदायों की, जिन पर किसी विशेष मामले का निर्णय बहुत हद तक निर्भर होगा, सहानुभूति से वंचित हो जाता है, तो उसके प्रतिनिधियों की संख्या थोड़ी अधिक हो या कम, उससे कोई लाभ न होगा।

विधान-निर्माताओं की सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करके, परिगणित जातियों, आदिवासियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लोइंडियनों तथा पारसियों के अल्पसंख्यक सम्प्रदायों ने, विधान-परिषद् में, उनका प्रतिनिधित्व कम एवं अपर्याप्त होने पर भी, विधान-निर्माण कार्य में सहयोग देने का निश्चय किया है और यह उचित ही है। विधान-निर्माण में जन-समूह की आकांक्षाएं तथा उसका बल ही अब पथ-निर्देशक होगा।

विधान-निर्माण के कार्य में मुस्लिम लीग भी विधान-परिषद् में सम्मिलित होती यदि वह इस धारणा के वशीभूत न होती कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना से ही उसका सर्वाधिक हित-साधन होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग को छोड़कर, देश में और कोई भी देश के विभाजन के पक्ष में नहीं है। आशा है कि भविष्य में, जनता का प्रत्येक वर्ग संयुक्तभारत की आवश्यकता अनुभव करेगा।

श्रीमान्, अब माननीय डॉक्टर जयकर द्वारा पेश किये गये संशोधन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है और यह आशा करनी चाहिए कि संशोधन के प्रस्तावक महोदय उसे वापस ले सकेंगे।

श्रीमान्, हमारा यह महान् देश, जिसे दुर्भाग्यवश विदेशी आधिपत्य में रहना पड़ा

[श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त]

है और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हर सम्भव प्रकार से जिसका शोषण किया है, शीघ्र ही स्वाधीन होने तथा हर प्रकार के शोषण से मुक्त होने का अवसर लाभ करेगा।

आदिवासी जन, जो अन्य लोगों के साथ-साथ ब्रिटेन-वासियों तथा उनके एजेंटों द्वारा अधिक से अधिक शोषित हुए हैं, अब यह विचार करके प्रसन्न हैं कि भविष्य में वे इस शोषण से त्राण पायेंगे और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का सुअवसर उन्हें प्राप्त होगा।

श्रीमान्, चूंकि बहुत अधिक माननीय सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं अतएव मैं सभा का बहुमूल्य समय अधिक नहीं लेना चाहता। इन्हीं कुछ शब्दों से मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह सर्व-सम्मति से स्वीकार किया जायेगा।

स्टीयरिंग कमेटी का चुनाव

***अध्यक्षः** सभा में बोलने के लिए दूसरे वक्ता का नाम पुकारने से पहले, मुझे घोषणा करनी है कि श्रीयुत् सोमनाथ लाहिरी तथा श्री लक्ष्मीनारायण साहू ने अपने नाम वापस ले लिये हैं। (*हर्ष-ध्वनि*) अतएव यह घोषित किया जाता है कि यह निम्नलिखित सदस्य, 'स्टीयरिंग कमेटी' के लिए निर्वाचित हो गये हैं—

1. माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद।
2. माननीय सरदार वल्लभ भाई जे. पटेल।
3. सरदार उज्ज्वल सिंह।
4. श्रीमती जी. दुर्गाबाई।
5. श्री एस.एच. प्रेटर।
6. श्री किरणशंकर राय।
7. श्री सत्यनारायण सिन्हा।
8. श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर।
9. श्री एस.एन. माने।
10. श्री के.एम. मुंशी।
11. दीवान चमनलाल।

यह घोषित किया जाता है कि ये लोग निर्वाचित हो गये हैं। अब तीसरे पहर मतगणना न होगी।

लक्ष्य-संबंधी प्रस्ताव—(गत भाषणों से आगे)

***रेवरेंड जेरोम डीसूज़ा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू का यह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जिस भावना से ओत-प्रोत है, उसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। श्रीमान्, हमारी जनता के सभी वर्ग नि:संकोच भाव से स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली व्यापक रूप से प्रयोग में आये, किन्तु श्रीमान्, मैं नहीं जानता कि वे लोग जो इस पर अपना मौखिक विश्वास प्रकट करते हैं, उसका तात्पर्य भी पूरी तरह समझते हैं या नहीं और व्यावहारिक जीवन में हर प्रकार से, उसका पालन करने को तैयार हैं या नहीं।

श्रीमान्, इस प्रस्ताव के किसी अंश के प्रति चाहे जो भी आपत्तियां की गयी हों, किन्तु मैं समझता हूं कि इसमें जनता के लिए संचालित जनता द्वारा जनता की सरकार की लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के हर प्रकार स्वीकार्य सिद्धांत पर बड़ी सावधानी से पर्याप्त विचार किया गया है। प्रस्ताव जिस भावना से अनुप्रेरित है, यदि उसी भावना का प्रयोग इस सभा द्वारा निर्मित होने वाले विधान का विवरण निश्चित करने में होता रहा और यदि प्रान्तों तथा केन्द्र का दैनिक शासनप्रबन्ध भी इसी भावना से किया गया तो मेरा विचार है कि हमारी जनता में किसी वर्ग के लिए आपत्ति का कोई कारण न रह जायेगा और साथ ही संतोष की भावना का उदय होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा है कि प्रस्ताव के उद्देश्यात्मक अथवा सैद्धांतिक अंश में जो मत व्यक्त किया गया है, उसे सभी स्वीकार करते हैं, जिससे आभासित होता है कि प्रस्ताव का उक्त अंश राजनैतिक एवं पत्रकार जगत में एक साधारण बात है। महाशय, मुझे निश्चय नहीं है कि यह बात संसार के किसी भी भाग के लिए बिलकुल सच मानी जा सकती है और यदि स्थूल रूप में वह सच भी मान ली जाये, तो भी हमें मानना पड़ेगा कि विशेष अवसरों पर हमें इन साधारणत: स्वीकार्य तथ्यों को दोहराने और गम्भीरतापूर्वक एवम् जोरदार शब्दों में उन्हें घोषित करने की आवश्यकता होती है। महान् यूरोपीय राजनीतिज्ञ टैलीरेण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि एक बार जब किसी भाव के विषय में यह आपत्ति की गई कि उक्त भाव तो "बिना कहे ही मान्य है" तो इसके उत्तर में टैलीरेण्ड ने कहा "एक बार उसे और दोहरा देने से, उसका प्रभाव और बढ़ जायेगा"।

[रेवरेंड जेरोम डीसूजा]

मैं समझता हूं श्रीमान् कि इस गम्भीर अवसर पर लोकतन्त्र में हमारे विश्वास की यह घोषणा एक गम्भीर, सार्वजनिक एवं अखंडनीय ढंग से की जा रही है। इस दृष्टि से मेरा विश्वास है कि हमारी जनता का प्रत्येक वर्ग, जिस सावधानी से नपी-तुली तथा सुव्यवस्थित विधि से उक्त विश्वास व्यक्त किये गये हैं, उसका स्वागत करेगा। नि:संदेह इन सबके स्पष्टीकरण एवं विस्तार की आवश्यकता होगी। श्रीमान्, मुझे इस सभा का ध्यान उस दोहरे खतरे की ओर भी आकृष्ट करने की अनुमति दीजिये, जिसके प्रति मेरे विचार से, तैयार रहना आवश्यक है। एक ओर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के उन सिद्धान्तों को प्रयोग में लाने में, जिनके विषय में इस भूमिकात्मक घोषणा में समुचित व्यवस्था है, रजामंदी और समझा-बुझाकर कार्य करने के बजाय, उसे बल द्वारा अथवा केन्द्रीय राज्य के अधिकार व शक्ति द्वारा अधिक सम्पन्न करने की इच्छा रोकना कठिन होगा, मैं कहता हूं कि देश-प्रेम और शीघ्रता से देश की उन्नति व सुधार के विचार से ही ऐसी इच्छा को रोक सकना कठिन होगा। यह ऐसी बलवती इच्छा है, कि अनेक महान् पुरुष तथा अपने देश के प्रेमी उसके शिकार हो चुके हैं। किन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का इस प्रकार का दमन रोकने के लिए जिस ढंग से व्यवस्था की जायेगी, मुझे आशा और विश्वास है, उसी के द्वारा हमारा महान् देश, सहमति तथा एक-मति के उक्त सिद्धांतों के पालन का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और राज्य को इतना शक्तिशाली नहीं बनायेगा कि जैसा कि पिछले किसी वक्ता ने कहा है, मनुष्य का व्यक्तित्व यंत्रवत् हो जाये। श्रीमान्, यह एक खतरा है।

दूसरा खतरा भी वास्तविक है। यह वह खतरा है, जिसका सम्बन्ध अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के सदस्यों से है। खतरा इस बात का न होगा कि ईर्ष्या अथवा विरोध अथवा औचित्याभाव की किसी भ्रमात्मक धारणा द्वारा अल्पसंख्यकों के किन्हीं विशेषाधिकारों अथवा आवश्यक संरक्षणों का अतिक्रमण होगा। मैं नहीं समझता कि भारत के महान् बहुसंख्यक सम्प्रदाय अथवा उनके अतिसम्मानित प्रतिनिधियों में से कोई भी, इस प्रकार उक्त विशेषाधिकारों तथा संरक्षणों के अनुचित अतिक्रमण के दोषी होंगे। पर विशुद्ध किन्तु गलत देश-प्रेम और सादृश्य एवं सामंजस्य की इच्छा से—जो न तो संभव है और न शायद जिसकी आवश्यकता ही है—वे ऐसी व्यवस्था

को स्वीकृति देने की कोशिश करें, जो अल्पसंख्यकों तथा विशेष समुदायों को गहरी ठेस पहुंचाये और दुखी कर दे।

इस परिषद् के पिछले अधिवेशन में एक वक्ता ने, कुछ ऐसी बातों के साथ, जो इस सभा के सभी लोगों को स्वीकार्य थीं, एक ऐसी बात कही—अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में कुछ ऐसा विचार व्यक्त किया—जिसके विषय में मैं सविनय यही निवेदन कर सकता हूं कि संभवत: उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। उक्त वक्ता ने कहा था कि 'कोई भी राष्ट्र, कोई भी महान् जन समुदाय, अपने अंतर्गत स्थायी अल्पसंख्यक जातियों के रहते हुए खुशहाल और जीवित नहीं रह सकता और किसी-न-किसी प्रकार हमें उनको अपने में ही 'जज्ब कर लेना' होगा। उक्त वक्ता ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण भी दिया और कहा कि वहां पर अल्पसंख्यकों को 'जज्ब कर लेने' की यह प्रतिक्रिया शुरू भी हो चुकी है। श्रीमान्, जिस भाव से यह बात कही गई, उसे भी मैं समझता हूं। भाव यह था कि कुछ-न-कुछ सामंजस्य रहना चाहिए और समान हितों तथा अधिकारों को समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए तथा राज्य एवं राष्ट्र को इन्हीं समान हितों एवं अधिकारों की स्वीकृति के आधार पर संघटित किया जाना चाहिये। यह अत्यावश्यक है किन्तु, श्रीमान्, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा अन्य किसी रूप में 'जज्ब कर लेने' की बात ऐसी है, जिससे हमें अपनी रक्षा करना आवश्यक है। मुझे निश्चय है कि बहुसंख्यक सम्प्रदायों की यह इच्छा नहीं है और न इस गंभीर विचारपूर्ण सभा का ही ऐसा मत है कि किसी भी अल्पसंख्यक जाति पर वे इस प्रकार की कोई भी चीज लागू करें, जिसके फलस्वरूप वह—अल्पसंख्यक जाति—इस प्रकार 'जज्ब' हो जाये। श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि स्वीट्जरलैंड जैसे देश के उदाहरण को हम ध्यान में रखें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी उनकी एक भाषा तथा एक ही सर्व-स्वीकृत विधान होने के बावजूद, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी मातृभूमि की संस्कृति उन्नत करने की अनुमति प्राप्त है, चाहे उनकी यह मातृभूमि जर्मनी हो अथवा इटली या फ्रांस। कनाडा के विशाल कामनवेल्थ में, आज भी जनता के दो वृहत् समुदाय हैं, जिनमें एक तो स्काटिश तथा आंग्ल लोगों का समुदाय है और दूसरा प्राचीन फ्रांसीसी समुदाय है। किंतु ये दोनों ही समुदाय वहां पूर्ण सद्भाव से रहते हैं, अपनी-अपनी मातृभूमियों के रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और स्वयं अपने साहित्य की उन्नति करते हैं। कनाडा की

[रेवरेंड जेरोम डीसूजा]

कामनवेल्थ के एक जन-समुदाय के लिए अन्य जन-समुदायों से सहयोग करना और उस देश के यश एवं सफलता के लिए, जो एक ही राष्ट्र माना जाता है, कार्य करना नितांत सरल हो गया है। स्वीट्जरलैंड में तीन ऐसे समुदाय हैं, जिनकी भाषाएं और धर्म भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु वे एक राज्य-संघ के रूप में संघटित हैं, और यह राज्य-संघ ईर्ष्यालु लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना भली-भांति जानता है और शताब्दियों से उसने निश्चित रूप से अपनी रक्षा की है। श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि इस देश की शक्ति उसके विभिन्न सम्प्रदायों के सदस्यों की शक्ति पर आधारित होगी। और ये सदस्य तब तक अपनी पूरी शक्ति न प्राप्त कर सकेंगे, जब तक कि वे अपने विश्वासों एवं आदर्शों के अनुसार स्वयं आचरण नहीं करते। जिस सांस्कृतिक स्वराज्य के पक्ष में मैं बोल रहा हूं और राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिकूल न होने की दशा में जिसका वचन भी दिया जा चुका है, वह कुछ अर्थों में राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध दीखते हुए भी, उसके अनुकूल ही है। इसमें संदेह नहीं, इन सांस्कृतिक विचित्रताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के भी ढंग हैं। किन्तु मुझे निश्चय है कि विभिन्न धार्मिक विश्वास रखते हुए भी, हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, आदि सारे सम्प्रदायों के लोगों के लिए इस महान् देश से समान रूप में प्राप्त विरासत को स्वीकार करना और ऐसी समानता और सहमति प्राप्त करना सम्भव है जिसके कि आधार पर ही राष्ट्रीय एकता कायम की जा सकती है। श्रीमान्, स्वयं अपने अर्थात् ईसाई सम्प्रदाय के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि ऐसे भी अवसर आये हैं जब हमारे देशवासियों ने इस सम्प्रदाय और धर्म को अनुचित रीति से एक ऐसी संस्कृति से सम्बद्ध माना है जो भारतीय नहीं थी और उसे भूल से यूरोपियन तौर-तरीके का अनुयायी समझा। किन्तु इस महान् सभा को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है और हमेशा ऐसा रहा भी नहीं है और अनेक बार हमारे सम्प्रदाय के अनुयायियों ने चाहे वे किसी दूसरे देश से आये हों अथवा यही के हों, इस देश की सर्वोत्तम परम्पराओं के सर्वथा अनुकूल आचरण किया है। श्रीमान्, इस अधिवेशन की कार्रवाई शुरू होने के दिन बनारस विश्वविद्यालय के सम्मानित वाइस-चांसलर डॉक्टर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस देश में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज जेजूइट टामस

स्टीवेंस का उल्लेख किया था और कहा था कि उनके बाद भारत में अनेक अंग्रेज व्यापारी तथा विजेता पधारे, और अब हम उस ''आक्रमण'' का अन्त देख रहे हैं। श्रीमान्, मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं और मुझे निश्चय है कि सर एस. राधाकृष्णन भी जानते हैं, कि उक्त अंग्रेज व्यापारियों तथा विजेताओं का उस 'जेजूइट' से, जो इन लोगों से पहले आया था, कोई सम्बन्ध नहीं था। इसके विपरीत, वह तो एक ऐसे समय में भारत आया था, जब स्वयं अपने देश में उसे सत्कार प्राप्त नहीं था और उत्पीड़न की धमकी देकर उसे वहां से निर्वासित कर दिया गया था। उस समय इस महान् देश ने उसे आतिथ्य प्रदान किया और उसने इस देश को अपना देश बना लिया, यहां की भाषा सीखी और एक ऐसी पुस्तक की रचना की, जिसके सम्बन्ध में मराठी विद्वानों का कहना है कि वह एक प्राचीन ग्रन्थ है, टामस स्टीवेंस का ''पुराण'' है। श्रीमान्, यही वह भावना है, जिससे प्रेरित होकर उक्त धर्म के अनुयायी यहां आना चाहते हैं और इसी भावना से हम, इस देश को समृद्धिशाली व ऐश्वर्यवान बनाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं।

मुझे इस सभा का समय अधिक न लेना चाहिए, किन्तु एक अन्य विषय के बारे में, जिसके सम्बन्ध में काफी कहा जा चुका है, मैं भी कुछ कहे बिना नहीं रह सकता। पर मुझे आशा है कि इस विषय में मैं कुछ ऐसी बात कह सकूंगा, जो नवीन होगी। जन-सत्ता के विषय में, और जन-सत्ता के सिद्धात के साथ राजतंत्र सिद्धांत का मेल न बैठने की संभावना के विषय में तथा उससे उत्पन्न हो सकने वाली कठिनाइयों और खतरों के विषय में, बहुत-सी बातें कही गई हैं श्रीमान्, जन-सत्ता का यह सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। यह 19वीं शताब्दी का सिद्धान्त नहीं है। यूरोप की राजनैतिक विचारधारा का इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी में ही वहां इस सिद्धान्त को लेकर एक संघर्ष उस समय उत्पन्न हुआ था, जब वहां के कुछ राजाओं ने 'शासन के ईश्वरीय अधिकार' का दावा किया था। और इस सभा को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इन राजाओं के विरुद्ध दकियानूसी विचारकों तक ने अर्थात् उन विचारकों तक ने जो राजतन्त्रवादी थे, जनता की सत्ता का ही समर्थन किया था। सेंट राबर्ट बाइलर माइन तथा स्वारेज ने इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के विरुद्ध इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, यद्यपि इन लोगों

[रेवरेंड जेरोम डीसूजा]

ने उसकी व्याख्या रूसों से भिन्न रूप में की थी। अपने उत्तरकाल में रूसो इस विचार के प्रवर्त्तक बने थे कि राज्य की शक्ति जनता से, जन-समुदाय के सर्वाधिकारों को संगृहीत एवं एकत्र करके प्राप्त होती है और यह समझ लिया जाता है कि जनता ने स्वयं अपने इन अधिकारों का समर्पण कर दिया है। किन्तु श्रीमान्, राज्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के समर्पण से जनित कोई अवांछनीय, पृथक् उत्पत्ति नहीं है। वह तो उस मनुष्य की प्रकृति का प्राकृतिक परिणाम है, जिसे अपने को एक आवश्यक केन्द्रीय अधिकार के साथ, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन में पूर्ण बनाना होता है। जैसा कि सर एस. राधाकृष्णन कह चुके हैं, यह अधिकार नैतिक विधान से प्राप्त होता है और यही वह आधार है, जिस पर व्यक्तियों के तथा राज्य के अधिकार कायम किये जाते हैं। श्रीमान्, कुछ लोग, इस सर्वांतिम अधिकार को, उस सर्व शक्तिमान् ईश्वर से उत्पन्न बताना पसन्द करेंगे, जो इस विश्व का और समस्त नैतिक विधान का निर्माता है। श्रीमान्, इस बात पर खेद प्रकट किये बिना मैं नहीं रह सकता कि हमारी इस महत्त्वपूर्ण घोषणा में सर्व शक्तिमान् ईश्वर के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मैं उन कारणों को भी समझता हूं, जिनके वश, इस प्रस्ताव में माननीय निर्माता तथा प्रस्तावक ने, उसमें ऐसी कोई चीज शामिल करना पसंद नहीं किया, जो एक धार्मिक शक्ति के रूप में हो। किन्तु श्रीमान्, अपना भाषण समाप्त करने से पहले आप मुझे इतना कहने की अनुमति तो देंगे ही कि यदि किसी भी प्रकार से, इस महत्त्वपूर्ण भूमिकात्मक घोषणा में सर्वशक्तिमान् ईश्वर का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया होता, तो यह बात हर प्रकार हमारे इस विशाल देश की धारणा, विश्वास, भावना तथा उसकी प्राचीन सभ्यता के सर्वथा अनुकूल ही होती। श्रीमान्, यद्यपि यहां इसका उल्लेख नहीं किया गया है, किन्तु मेरी यह धारणा है कि अन्ततोगत्वा 'राज्य' को सर्वशक्तिमान् ईश्वर से ही वह सत्ता एवं समर्थन प्राप्त होता है, जिससे उसमें एक प्रकार की पवित्रता-सी आ जाती है। इससे मेरा मतलब किसी ऐसे सिद्धान्त के पक्ष में बोलने का नहीं है, जिससे 'राज्य' को ईश्वरीय माना जाता है। किन्तु मेरा मतलब यह अवश्य है कि 'राज्य' के प्रजाजनों को, जब वे उस 'राज्य' को स्वीकार कर लें और उसके नागरिक हो जायें, उसका आज्ञा-पालन हृदय से करना चाहिये

और ऐसा समझना चाहिये कि अपने देश की सरकार की शासन-सत्ता स्वीकार करना उनका कर्त्तव्य है। श्रीमान्, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास है कि अनेक परिवर्तनों से पूर्ण 'इतिहास' का अभिनव आविर्भाव, आज भी किसी दैवी शक्ति का ही विधान है। यद्यपि ईश्वर के पवित्र नाम का उल्लेख यहां नहीं है, किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि यहां पर हम सब उसकी ही सुरक्षा में और उसके ही ऐश्वर्य से एकत्र हुए हैं और क्योंकि वह ही मनुष्यों के हृदयों को स्पंदित करता है, हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस गम्भीर एवं भूमिकात्मक घोषणा के साथ हमने जो विचार-विमर्श आरम्भ किया है, वह उसी परमात्मा की कृपा से यथोचित रूप से समाप्त होगा और जिस भूमि के लिए हम यह परिश्रम उठा रहे हैं, वह एक बार फिर नवीन शक्ति, नवीन समृद्धि एवं नवीन सुखसम्पन्नता के साथ उन्नति करेगी।

***श्री एच.जे. खांडेकर** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान का आज हम विधान बनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर मुझे इस बात की खुशी है कि जिस देश का हम विधान बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान की जनता अपना खुद विधान बनाना चाहती थी, वह विधान बनाने का मौका आज हमारे सामने आया है। हिन्दुस्तान का जब विधान बनने जा रहा है, उसे हम लोगों को अपनी देशी भाषा में ही, अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही बनाना चाहिए। यह भी हिंदुस्तानियों का एक फर्ज हो जाता है और इसी फर्ज को लेकर मैं अपना भाषण हिन्दुस्तानी में कर रहा हूं। मैं उस जाति में से आता हूं जो जाति इस हिंदुस्तान में कई हजार सालों से पिछड़ी और दबी हुई है। मैं एक हरिजन हूं और ऐसे हरिजनों की आवाज, और नौ करोड़ हरिजनों की आवाज, जो हिन्दुस्तान में हैं, उनकी आवाज आपके सामने रखूंगा। हरिजन समाज इस प्रस्ताव को बहुत आनन्द के साथ स्वीकार कर रहा है। इसका खास कारण यह है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदुस्तान के अन्दर उन सबका संरक्षण इस प्रस्ताव में बतलाया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ और डॉ. जयकर के अमेन्डमेंट पर भाषण करते हुए मेरे मित्र डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा कि हिंदुस्तान की सेन्ट्रल गवर्नमेंट 'स्ट्रांग' चाहिए और हिंदुस्तान अखंड चाहिए। डॉ. अम्बेडकर के इस भाषण पर मुझे बड़ी खुशी

[श्री एच.जे. खांडेकर]

हुई कि इंग्लैंड जाने के बाद जब इंग्लैंड में वह खुश न हो सके और उनको संतोष न हो सका, तो उसके बाद डॉ. अम्बेडकर साहब ने यह बयान किया, और मुझे उम्मीद है कि इस बयान पर वह कायम रहेंगे। परमात्मा अगर उन्हें और थोड़ी सद्बुद्धि दे दें तो मुझे यह भी उम्मीद है कि वह सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमान्ड छोड़ देंगे और साथ-साथ जो आज तक वह कहते हैं कि 'मैं हिन्दू नहीं हूं' उसको भी छोड़ देंगे। मगर परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और मुझे उम्मीद है कि परमात्मा उन्हें जरूर बुद्धि देगा।

हरिजनों की दशा अगर मैं बयान करना चाहूं, आप लोगों के सामने, तो आपके हृदय पिघल जायेंगे। हरिजनों के ऊपर आज तक अनंत अत्याचार और जुल्म हुए हैं और हो रहे हैं। मगर हमने बड़े धैर्य के साथ उन जुल्मों को सह लिया और यहां तक कि हमने कभी भी अपने धैर्य को छोड़ने की नहीं सोची। हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और हिंदू रहते हुए ही हम अपने हक सम्पादन करेंगे, हम यह कभी नहीं कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं। हम जरूर हिंदू हैं और हिंदू रहते हुए और हिंदुओं के साथ लड़कर अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। हमें मालूम है नोआखाली के अन्दर और ईस्ट बंगाल के अन्दर जो अत्याचार हुए हैं, उन अत्याचारों में 90 फीसदी हरिजनों पर जुल्म हुए। उनके मकान जलाए गए, उनके बाल-बच्चे तबाह कर दिए गए, उनकी स्त्रियों पर, लड़कों पर अत्याचार किए गए। और इतना ही नहीं, कई हजार हरिजनों को धर्मान्तर करना पड़ा। यह सारी बातें होते हुए भी आज हम यह कभी नहीं सहन कर सकते कि किसी कौम को अगर उसकी संख्या के अनुसार ज्यादा अधिकार मिलें, याने वेटेज मिले, तो हरिजन भी अपनी संख्या के अनुसार वेटेज लेने के लिए लड़ेंगे। आज जो पिछड़ी हुई जाति है, तबाह जाति है, उसका क्या हुआ? पूना पैक्ट की आपको याद दिलाता हूं, मैं अपने प्रान्त की मिसाल आपके सामने रखता हूं। जहां सी.पी. के अन्दर हमारी तादाद 25 फीसदी है और संख्या के अनुसार हमें उस जगह 28 सीटें मिलनी चाहिए थीं, मगर वहां पूना पैक्ट को देखते हुए हमें सिर्फ 20 जगहें मिली हैं। हमारी 8 जगहें कहां गईं। हमारे प्रान्त में 4 फीसदी मुसलमान भाई हैं। संख्या के अनुसार उन्हें वहां सिर्फ छः जगह मिलनी चाहिए थीं। मगर दुख की बात है कि हरिजनों की 8 जगहें छीनकर मुसलमान भाइयों को दी गईं। और उन्हें

छः की जगह 14 जगहें मिलीं, इस तरह का अन्याय अब हरिजन नहीं सहन कर सकते। उनकी संख्या के अनुसार उन्हें अधिकार मिलने चाहिएं। आपके सेंशस में भले ही उनकी तादाद 4 या पांच करोड़ हो मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पोपुलेशन कभी मुसलमानों से कम नहीं है। हम नौ करोड़ हैं और उसी के अनुसार हिस्सा हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी जाति कोशिश करेगी।

इस रेजोल्यूशन में एक बात की कमी है। और अगर प्रस्तावक महोदय उसको कबूल करें तो आज भी उसे बदल सकते हैं। इस प्रस्ताव में हर एक माइनोरिटी के अधिकार को सेफगार्ड करने की बात लिखी है। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान के अन्दर एक करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें जन्म लेते ही बिना किसी जुल्म के जरायमपेशा बना दिया जाता है और ऐसे करीबन कई लाख लोग हैं हिंदुस्तान के अन्दर जिनकी औरतों, आदमी और बच्चों को इस कानून के मातहत जरायमपेशा बना दिया गया। उन लोगों के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन पर जुल्म लगाया हुआ है। चाहे वह चोर हों या न हों, लेकिन जिस दिन से वह जन्मते हैं, उस दिन से उन्हें चोर बना दिया जाता है। इस प्रस्ताव में इस कानून के हटाने के लिए जरूर कुछ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावक महोदय इस बात को महसूस करेंगे और अपने प्रस्ताव में इस कौम को सेफगार्ड करने के लिए जरूर कुछ जगहें रखेंगे।

जो ग्रुपिंग हुई है, और कांग्रेस ने उस ग्रुपिंग को मान लेने का प्रस्ताव पास किया है। हालांकि मैं कांग्रेसमैन हूं लेकिन मुझे इस प्रस्ताव से डर मालूम होता है और वह यह कि बी और सी ग्रुप के अन्दर जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेज के लोग हैं उनका क्या होगा; इस पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, तबसे सोच रहा हूं जबसे कांग्रेस ने इसे मंजूर किया है।

चाहे इंडायरेक्टली आज बंगाल में पाकिस्तान न हो, फिर भी हरिजन के ऊपर ईस्ट बंगाल में क्या जुल्म हुए। यह जो लोग वहां से देखकर आए हैं उन लोगों को खुद आश्चर्य मालूम हुआ। यहां जो हम अखबार पढ़ते हैं उससे मालूम होता है कि 90 फीसदी हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ। अगर ग्रुपिंग मानने के बाद अप्रत्यक्ष पाकिस्तान हो गया तो मैं समझता हूं कि एक भी अछूत जहां-जहां इस प्रकार का पाकिस्तान हो गया, जिन्दा नहीं रह सकता। जहां-जहां पाकिस्तान कायम

[श्री एच.जे. खांडेकर]

करने का स्वप्न है वहां-वहां हरिजनों को जबरदस्ती धर्मान्तर करना ही होगा या तो मरना होगा। वह गरीब हैं और किसी भी प्रकार से उन पर अत्याचार हो सकता है और लोग आज भी कर रहे हैं। हर कौम आज अपनी पोलिटिकल डिमांड्स के लिए अपनी ताकत बढ़ा रही है। ऐसा कोई दिन आ जायेगा इस ग्रुपिंग से कि हमारी ताकत घट जायेगी और बंगाल की दूसरी जातियों की संख्या बढ़ जायेगी। और उनकी ताकत बढ़ने से एक भी हरिजन इन प्रान्तों में नहीं दिखलाई देगा। इसलिए इस पर विचार करते समय इन प्रान्तों में जहां हरिजनों की यह हालत है वहां उन्हें विशेष अधिकार देना होगा, और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भय को देखते हुए यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और प्रान्तीय गवर्नमेंट में संख्या के अनुसार सीटें न दी गईं तो जो डर आज हमें बंगाल के बारे में है, जो मैंने खुद देखा है, हमारी कौम ने महसूस किया है कि वह डर कायम रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें पूरी सीटें दी जायें तो यह डर खत्म हो जावे। मैं इस प्रस्ताव का खूब हृदय से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो पिछड़ी कौम के हैं, हजारों सालों से जो हमें अधिकार-वंचित किया गया है, उनको प्राप्त कराने का सारे सदस्य प्रयत्न करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक मैंने देखा कि जहां-जहां हरिजनों की सीटें देने का सवाल आया वहां-वहां एक-एक दो-दो जगहें दी जाती हैं। लोकल बाडीज में कई प्रांतों में यह बात हो रही है। कई बार डिमांड किया कि हमारी संख्या के अनुसार जगह दी जायें। लेकिन कानून बनाये गये हैं कि हरिजन चुन कर न आयें तो एक ही सिलेक्ट किया जाये और सिलेक्ट न हो सकें तो एक ही नौमिनेट किया जाये। जहां हरिजनों की संख्या आधे से भी ज्यादा होती है वहां भी सिर्फ एक आदमी सिलेक्ट किया जाता है या एक ही आदमी नौमिनेट किया जाता है। इससे मालूम होता है कि आज भी हमारी ओर जनता का ध्यान आकर्षित नहीं है। इसलिए यह प्रयत्न करना चाहिए और जब-जब यह मौका आए, तो हमारी संख्या के अनुसार हमें हर जगह प्रतिनिधित्व दिया जाये। तभी हम समझेंगे कि हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप एक-एक दो-दो में खुश करना चाहते हैं तो वह बात अब नहीं चलेगी। हरिजन समाज अब जागृत हो गया है और उसके अधिकार क्या हैं वह समझ गया और वह सारे प्राप्त करने के लिए हरचन्द कोशिश और अपनी

ताकत लगा देंगे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे अधिकारों को पूरी-पूरी तरह से ख्याल में रखेंगे और हमें इस स्थिति में न रखेंगे जिसमें हम अब तक रहे। इस आशा को लेकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आर.वी. धुलेकर (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को श्रीमान पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने उपस्थित किया है और जिसका अनुमोदन हो चुका है और जिसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के व्याख्यान यहां पर हो चुके हैं, जिस प्रस्ताव के अंगों पर अनेक प्रकार की आपत्तियां प्रकट की गई हैं, उनके सम्बन्ध में विचार करते हुए मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

महात्मा गांधी ने मानव जीवन-तत्त्वों को दो शब्दों में रख दिया है, सत्य और अहिंसा। जो न्याय है, जो उचित है, जो धारण करने योग्य है अर्थात् धर्म है, वही सत्य है। जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, दूसरों के धन, वित्त और स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करता; जो दूसरों के जीवन की, सामाजिक जीवन की रक्षा करता है वही सत्य है, वही अहिंसा है।

ये ही तत्त्व वेदों और उपनिषदों के सार हैं। ये ही समस्त धर्मों मत-मतान्तरों और शास्त्रों के सार हैं। ये ही कांग्रेस के ध्येय हैं और इन पर ही यह प्रस्ताव खड़ा है। भारतवर्ष की भावनाओं का, उसकी आकांक्षाओं का, उसकी सदिच्छाओं का, उसके उद्देश्यों का, यह प्रस्ताव मूर्त्तिमान व्यक्त स्वरूप है। जो देश इस समय अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत परतन्त्रता में जकड़ा हुआ है वह स्वतन्त्र होकर क्या करना चाहता है और संसार में कैसे रहना चाहता है, यह प्रस्ताव उस स्वरूप का घोतक है। सारांश इस प्रस्ताव का इस प्रकार है:

''इस विधान परिषद् ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भारत को पूर्णरूपेण एक शक्ति-सम्पन्न प्रजातन्त्र स्वशासित-राष्ट्र घोषित करे और इसी लक्ष्य को सामने रखकर भविष्य के लिए विधान बनाये।

''भारतवर्ष की सीमाओं के भीतर जितने प्रान्त अथवा प्रदेश हैं चाहे वे अंग्रेजी राज्य में हों, चाहे वे देशी नरेशों के आधीन हों, चाहे वे अन्य विदेशी शक्तियों के आधीन हों, सभी प्रदेश स्वेच्छापूर्वक एक भारतीय संघ का निर्माण करेंगे।

''ऐसे प्रदेशों अथवा प्रान्तों को चाहे जिनकी सीमायें वर्तमान हों अथवा विधान द्वारा बदली जायें, आन्तरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और जो अधिकार भारतीय

[श्री आर.वी. धुलेकर]

संघ को स्वयं प्राप्त होने चाहिएं अथवा विधान द्वारा प्रान्तों तथा प्रदेशों ने दे दिये हों, ऐसे अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार प्रान्तों और प्रदेशों को स्वयं प्राप्त होंगे। इन मौलिक अधिकारों की हम मौलिक शेषाधिकार अथवा अंग्रेजी भाषा में रेजिड्यूएरी पावर्स कहते हैं।

''सर्वशक्ति-सम्पन्न स्वतन्त्र भारत तथा उसके घटक-अंगों और शासन-सूत्रों की शासन-शक्ति का मूलाधार भारतीय जन-समूह है।

''ऐसे राष्ट्रों में समस्त भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा सामाजिक स्थान की और उन्नति के अवसर की समानता तथा विचार, धर्म, मत, उद्योग, व्यवहार और कार्यशैली सभी की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, जो नियमबद्ध और नीति युक्त होगी।

''इन समस्त मौलिक तत्त्वों के संयोग से भारतीय प्रजातन्त्र राष्ट्र की भूमि अर्थात् हमारा हिंदुस्तान तथा उसके समस्त अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे। भूमि, समुद्र तथा वायुमंडल के समस्त अधिकार जो न्यायपूर्वक और सभ्य राष्ट्रों के नियमों द्वारा भारत को प्राप्त होने चाहिए सदा के लिए अक्षुण्ण और सुरक्षित रखे जायेंगे।

''इन्हीं मौलिक तत्त्वों और सिद्धान्तों द्वारा, जिन पर हमारी विधान-परिषद् भारतीय प्रजातन्त्र रूपी भवन की नींव रख रही है, यह प्राचीन राष्ट्र भूमंडल पर अपना अधिकारयुक्त आदरणीय स्थान प्राप्त करेगा और समस्त जगत में शान्ति तथा मानव जाति को सुख प्राप्त कराने के कार्य में पूर्ण और स्वेच्छा-युक्त योग देगा।''

***श्री देशबन्धु गुप्त** (दिल्ली)**:** श्रीमान्, एक व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को हस्तलिपि से कुछ पढ़ने का अधिकार प्राप्त है।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि वे पढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सी बातें लिख रखी हैं। (*हंसी*)

श्री आर.वी. धुलेकरः मैं बराबर ऐसे बोल सकता हूं जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं।

प्रेसीडेंट महोदय, कोई भी विचारवान मनुष्य इस प्रस्ताव के किसी भी अंग पर आपत्ति नहीं उठा सकता। समस्त भारतीयों को उनके स्वत्वों की रक्षा का वचन दिया गया है। अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष अधिकारों का वचन दिया गया है। पिछड़ी हुई और पददलित जातियों पर जो अभी तक देशवासियों ने और विदेशियों

ने अन्याय किया है उसको पूर्णरूप से हटाने तथा उनके लिए उन्नति के अवसरों को प्राप्त करा देने का वचन प्रस्ताव ने दिया है।

देशी राज्यों के लिए भी यह कह दिया गया है कि वे भी आन्तरिक प्रबन्ध में स्वतन्त्र रहेंगे और सब प्रकार के न्यायोचित अधिकार उनके सुरक्षित रहेंगे। हां, उनका वर्तमान अन्यायपूर्ण एकतंत्री शासन न चलेगा। क्योंकि एकतन्त्री अन्याय और प्रजा का हित दोनों परस्पर विरोधी हैं। मेरा विश्वास है कि कोई भी देशी नरेश अपनी प्रजा के मौलिक अधिकार अब आगे दबाये रखने का न तो दावा ही पेश करेगा और न साहस ही करेगा। न तो वहां की जनता इस प्रकार का अनुत्तरदायी शासन चलने देगी और न यह विधान-परिषद् भी किसी प्रकार की सहायता ऐसे अनुचित कार्य में कर सकती है।

एक और आपत्ति उठाई गई है; ऐसे प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है? और यदि ऐसी आवश्यकता हो भी तो जब तक देशी राज्यों के प्रतिनिधि नहीं आये हैं तब तक ऐसा प्रस्ताव न उपस्थित करना चाहिए। कारण कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को इस पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता है। देशी राज्यों की अनुपस्थिति की आपत्ति बिल्कुल निराधार है। यह स्पष्ट है कि कैबिनेट मिशन के 16 मई सन् 1946 के बयान की धारा 19(2) के अनुसार प्रारम्भिक काल में देशी राज्यों के प्रतिनिधि आ ही नहीं सकते। परस्पर बातचीत व समझौता करने के लिए प्रारम्भ में देशी राज्य की (शिष्ट-समिति) निगोशिएटिंग कमेटी से ही हमें बात करनी होगी। इस विधान-परिषद् का बहुत-सा काम हो जाने के पश्चात् अन्तिम अवस्था में पहुंच कर कहीं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का कार्य विधान-परिषद् में प्रारम्भ होता है। तब तक अपने उद्देश्यों को देशी राज्यों की जानकारी के लिए तथा उनकी प्रजा की जानकारी के लिए तथा अन्य सम्बन्धित मनुष्यों तथा समूह की जानकारी के लिए प्रकट न करना बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसा न करने से अनेक प्रकार के कुविचार और शंकाएं उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। हमारे सिद्धांत हमारे मूलाधार रूपी तत्त्व जगत् के सामने इस प्रस्ताव द्वारा रख दिए गए हैं। हर व्यक्ति इसे समझे, तौल ले, फिर हमारा साथ दे।

एक यह भी आपत्ति उठायी गई है कि मुस्लिम लीग के सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह प्रस्ताव अभी न लाया जावे। प्रथम यह आपत्ति निरर्थक है।

[श्री आर.वी. धुलेकर]

जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के बयान के आधार पर चुनाव में भाग लिया और नियमों को मानकर चुनाव भी कर लिया तो उनके प्रतिनिधियों का सम्मिलित न होना अनुचित है। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों ही द्वारा प्रतिनिधियों के चुने जाने का अधिकार उन्हें दिया गया। ऐसी दशा में उनकी अनुपस्थिति का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। विधान-परिषद् के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी सदस्य को उपस्थित होने पर बाध्य करे। यदि वह नहीं आता है तो वह अपने अधिकारों से स्वयं वंचित रहता है। अन्य सदस्यों का कोई अपराध नहीं है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को भी हानि पहुंचाता है।

द्वितीय यह कि 6 दिसम्बर सन् 1946 ई. के ब्रिटिश मन्त्रिमंडल में बयान के बाद तो रही-सही आपत्ति भी नहीं रह गयी। कांग्रेस ने उक्त 6 दिसम्बर वाले बयान को प्रस्ताव द्वारा मान लिया और मुस्लिम लीग को अवसर दिया कि वह अपने प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए आज्ञा दे। विधान-परिषद् की प्रारम्भिक बैठक वर्तमान प्रस्ताव सहित लगभग एक मास के लिए स्थगित भी कर दी गयी। हमें दुःख है कि राष्ट्रीय महासभा ने जो सद्भावना तथा मित्रता का हाथ बढ़ाया उसका आदर मुस्लिम लीग ने नहीं किया। हो सकता है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने अपना हाथ भी बढ़ाने का निश्चय कर लिया हो और अंतिम निर्णय करने के लिए उसे काफी समय न मिला हो। हम सब भी विश्वास करते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शीघ्र ही विधान-परिषद् में अपना योग्य स्थान लेंगे और अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र, शक्तिमान और सुसम्पन्न बनाने में सहायता करेंगे।

भारतीय स्वयं विभाजित हैं, वे एक नहीं हो सकते। ऐसी निरर्थक कालिमा लगाने का अवसर शत्रुओं को काफी दिया जा चुका है। अब भी समय है कि हम उसे धो डालें। मुस्लिम लीगी भाइयों से यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है।

इसी सिलसिले में एक बड़ा ही कुत्सित अन्यायपूर्ण आक्षेप किन्हीं स्वार्थी अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। उनमें ऐसे प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्ति भी हैं जैसे, लार्ड साइमन और मि. चर्चिल। वे कहते हैं कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में विधान-परिषद् एक ''दुमकट जीव'' (ट्रंकेटेड बाडी) है। ऐसी सभा के निर्णयों

का क्या मूल्य हो सकता है। इसका बनाया हुआ विधान ब्रिटिश सरकार कदापि न मानेगी और न कार्यान्वित ही करेगी। इस प्रकार के आक्षेप में निम्नतर और क्षुद्र कौन-सा आक्षेप हो सकता है! सभ्यता के परे तो है ही, बुद्धिमत्ता तथा राजनीति के तत्त्वों के भी विरुद्ध है। इसी श्रेणी के राजनैतिक मूर्ख पंडितों ने बुद्धि और शक्ति से कमाये हुए बड़े-बड़े साम्राज्य और स्वतन्त्र देश रसातल को पहुँचा दिए। हमारे देखते-देखते रूसी जारशाही और हिटलर, मुसोलिनी और मेकाडो की तानाशाही डूब गयी। ब्रिटिश साम्राज्यशाही का बेड़ा भी धीरे-धीरे अन्याय रूपी समुद्र में अब आन्दोलन रूपी ज्वारभाटे के थपेड़ों से नीचे बैठता जाता है। साम्राज्य तो डूबने से बच नहीं सकता। जर्मनी, जापान और इटली के इतिहास से कुछ सीखकर इंग्लैंड के राजनैतिक कर्णधार मि. एटली आदि यदि इंग्लैंड देश को, इंग्लैंड की जनता को, बचा लें तो बहुत अच्छा। सलाह देना हमारा काम है, आगे सुनने वाला सुने या न सुने।

मानवी इतिहास स्वयं लेखक है। उसकी लेखनी बिनचूक लिखती रहती है। निठुर सत्य भी लिखती है। बड़े और छोटे का मुंह नहीं देखती। महाभारत के लेखक व्यास ने अपनी निठुर लेखनी द्वारा जीवन में केवल एक बार असत्य बोलने के लिए, वह भी मिश्रित ''नरो वा कुंजरो वा'' के लिये सत्यवादी युधिष्ठिर को सदैव के लिए मिथ्यावादियों की पंक्ति में रखकर नर्क का भोग करा दिया।

ब्रिटेन के सामने इस समय भारत के साथ 40 करोड़ मनुष्यों के साथ न्याय बरतने का अवसर है। संधि हाथ से न जाने देना उसके हाथ में है, नहीं तो, 'का पछिताये होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत'।

प्रस्ताव के उस अंग को ध्यान में रखकर जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और पिछड़ी हुई तथा पद-दलित जातियों के लिए विशेष सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, मैं दो-चार शब्द उनके प्रतिनिधियों से कहता हूं।

सुरक्षाधिकार, सेफगार्ड्स, का प्रश्न तभी उठता है जब अन्याय का भय हो। यदि ऐसा भय न हो तो कोई भी मनुष्य विशेष अधिकार नहीं चाहता। इतिहास के पन्ने उलटिये। आप स्पष्ट पायेंगे कि कुछ असमानतायें ऐसी हैं जो समाज ने स्वयं स्वार्थवश अथवा मूर्खतावश उत्पन्न कर दी हैं जैसे, अस्पृश्यता। समाज के किसी बड़े अंग को अछूत बना देना और उसके मानवाधिकार छीन लेना कदापि क्षम्य नहीं है। उन अधिकारों को मानकर लौटा देने से ही अपराध की भरपायी

[श्री आर.वी. धुलेकर]

हो सकती है अन्यथा नहीं। हम ऐसा करने पर कटिबद्ध हैं। किन्तु जिस बिन्दु की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे समाज ने जो असमानतायें, नीच ऊंच की मर्यादायें बनायीं उसके लिए तो हम अपराधी हैं किन्तु विदेशियों ने यहां आकर अपनी राजसत्ता को कायम करने तथा उसे दृढ़ बनाने के लिए जिन असमानताओं को बढ़ा दिया है, उनके द्वारा परस्पर द्वेष और दुर्भावनाओं को उत्पन्न किया, नयी-नयी गुत्थियां बना दीं, किसी समस्या को मिटाने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उन्हें और गहरा बना दिया। ब्राह्मण-अब्राह्मण को, छूत-अछूत को, हिन्दू-मुसलमान को, हिन्दू-सिख को, आदिवासी-नवीनवासी को, कहां तक कहूं; स्त्री जाति और पुरुष जाति को, भाई-भाई को अंग्रेजों ने अपनी दुरंगी कहूं कि नौरंगी, कुटिल चालों से अलग-अलग कर दिया। क्या उनका भी अपराध हम अपने सर पर ही थोपना चाहते हैं? अपराधों का भार ही लेना हो तो मैं अकेला इस भार को अपने सर पर रख लूं। किन्तु उस भार को सर पर रखकर उसी व्यवस्था को अथवा सुरक्षा के विशेष अधिकारों (स्पेशल सेफगाड्र्स) को अब भी आगे कायम रखना और चलाना अनुचित है। मैं कहना चहता हूं और जरा मोटे शब्दों में कहना चाहता हूं कि कृपा कर जागिए। जिस सुरक्षा के विशेष अधिकारों (स्पेशल सेफगाड्र्स) की आड़ में अंग्रेज बहेलिया शिकार खेलता था, जिन विशेषाधिकारों की सुगंध सुंघाकर अंग्रेज ने आपको महानिद्रा के वश में कर लिया था उसी सुगंधि युक्त विष को अब न सूंघिये। यह विधान आप स्वयं बना रहे हैं। अब भेदाभेद मिटा दिया जायेगा। न कोई बहकाने वाला है और न किसी को बहकाने की आवश्यकता है। विशेषाधिकारों से असमानता नहीं मिट सकती। गड्ढों और टीलों को सुरक्षित रखकर समतल कैसे बनाया जा सकता है? आइये, हम सब मिलकर निर्भय होकर असमानता हटायें, सबको समानाधिकार प्राप्त करायें। ध्यान रखिए, केवल प्रतिनिधियों की न्यूनाधिक संख्या से सुरक्षा (सेफ्टी) नहीं मिल सकती। संख्या की खींचातानी तो खाई खोदती है, भरती नहीं।

सन् 1916 ई. में राष्ट्रीय महासभा ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन मान लिया और विशेष प्रतिनिधि संख्या भी दी। 30 वर्ष में उसने हिन्दू मुसलमानों को गृहयुद्ध (सिविल वार) तथा देश के बंटवारे (पारटीशन) तक पहुंचा दिया। भाई

को भाई के खून का प्यासा बना दिया। जो चाल लार्ड मिंटो ने सन् 1906 में चली थी वह काम कर गयी।

कुछ सज्जन कहते हैं कि विधान-परिषद् स्वतंत्र और शक्ति-सम्पन्न सभा नहीं है। वह तो अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया हुआ जंतु (क्रीचर) है। इसका जीवन ही निरर्थक है। फिर इसके द्वारा निर्मित्त विधान का क्या मूल्य है?

ऐसे सज्जनों को मैं बुद्धिहीन तो कह नहीं सकता। ऐसी धृष्टता मैं न करूंगा। किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि भारतीय इतिहास से वे अनभिज्ञ अवश्य हैं। अधिक दूर न जाकर संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त समझता हूं कि 1000 वर्ष पूर्व, जब कि किन्हीं कारणों से भारतीय समाज विश्रृंखल हो गया था और विदेशियों के आक्रमण को न सहकर उसके आधीन हो गया था, उसी समय से स्वाधीन होने की अग्नि निरन्तर भारतीयों के हृदय में जलती आ रही है। कभी बुझी नहीं। एक ओर उस अग्नि का स्वरूप साधु-संतों की परम्परा में प्रगट होता रहा है। स्वामी रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरुनानक, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि प्रभृति इस परम्परा के प्रतिनिधि हैं। दूसरी ओर शिवाजी, गुरू गोविंदसिंह, राणा प्रताप, झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, पं. मोतीलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस प्रभृति इस अग्नि के राजनैतिक स्वरूप में प्रगट हुए। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां तो संत भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा अन्य जिन-जिन विदेशी शासकों ने अपने को भारतीय मानने का जितने-जितने अंश में प्रयत्न किया उसी-उसी मात्रा में देशवासियों ने उन्हें अपनाया। अंग्रेजी शासन काल का भी यही इतिहास है। कोई भी दिन आज तक ऐसा नहीं मिल सकता जिस दिन कोई भी भारतीय अंग्रेजों के जेल में इस स्वतन्त्रता की चाह के कारण यातनाएं न सह रहा हो। स्वतन्त्रता का युद्ध इन 200 वर्षों में जारी रहा है। कांग्रेस के 60 वर्ष का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। खुदीराम बोस, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, तथा अन्य सहस्रों वीरों ने अपना बलिदान चढ़ा दिया है। लाखों कांग्रेस-जनों ने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया है। बलिदानों के कारण इंग्लैंड धीरे-धीरे अपनी शक्ति मजबूर होकर छोड़ता जाता है। सन् 1899, 1909, 1919 और सन् 1934 के कानून सिद्ध करते हैं कि शनैःशनैः भारतवासी इंग्लैंड के हाथ से शक्ति छीनने जाते हैं सन् 1940-42 के राष्ट्रीय आन्दोलन ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति

[श्री आर.वी. धुलेकर]

ने, जो महायुद्ध से पैदा हो गयी, इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि वह भारत को अब छोड़ दे। यह विधान-परिषद् इंग्लैंड के हाथों में से छीनी हुई शक्ति है। यह न तो दान है और न भेंट है। इंग्लैंड के हाथ इतने सबल नहीं है कि वह इसे वापिस ले सके। हमारा बनाया हुआ विधान इंग्लैंड को मानना पड़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। अमेरिका में युनाइटेड नेशन्स की सभा में जो अभी हाल में भारत की जीत हुई है, वह सिद्ध करती है कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का घरेलू मामला (फैमिली कंसर्न) नहीं है। भारत स्वयं बलवान और स्वतंत्र राष्ट्र के पद को प्राप्त कर चुका है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने जो कार्य इस सम्बन्ध में किया है। उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। भारत का माथा उन्होंने ऊंचा किया है और उनकी अमरकीर्ति भारत के इतिहास में सदैव सुवर्ण अक्षरों में चमकती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरा वक्तव्य समाप्ति पर है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। दो बातें कह कर समाप्त कर दूंगा।

पहली बात तो यह है कि समस्त भारतवासियों को और विशेष कर मुसलमान, सिख, दलित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को निर्भय हो जाना चाहिए। प्रात:स्मरणीय महात्मा गांधी, पूज्य खान अब्दुलगफ्फारखां, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभभाई पटेल सरीखे नेताओं के हाथों में सबके अधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रस्ताव द्वारा यह विधान-परिषद् घोषणा करती है और वचन देती है कि सबके साथ समान न्याययुक्त व्यवहार होगा, किसी पर कोई अन्याय न होगा।

ऐसी घोषणा की आवश्यकता अन्य राष्ट्रों को भी प्रतीत हुई। आइरिश रिपब्लिक की 21 जनवरी सन् 1919 ई. की घोषणा को सदस्य देखें।

विधान-परिषद् के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि हम हिन्दुस्तानी स्वतन्त्र होने के लिए हिमालय पर्वत की नाईं दृढ़, ऊंचे और शक्ति-सम्पन्न हैं। इंग्लैंड भी मेरे इन शब्दों को याद रखे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***डॉ. एच.सी. मुखर्जी** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे अपने सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, मैंने हमेशा ''छोटे बालकों से मिलना चाहिए उनकी बात न सुनी जानी चाहिए'' अंग्रेजी की कहावत के सिद्धान्त के अनुसार व्यवहार करने

का प्रयत्न किया है। इस विशेष अवसर पर मैं पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कहने के लिए विवश हूं, क्योंकि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इस प्रस्ताव को हिन्दुस्तान के महान दलों का ही नहीं बल्कि छोटे अल्पसंख्यक समुदायों और लघु धार्मिक व सामाजिक समूहों का भी, जिनमें से एक का सदस्य मैं स्वयं हूं, समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि मैं भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भी कुछ कहा जा सकता है, वह मुझ से पहले बोलने वाले लोग विस्तार से कह चुके हैं। मेरी अपनी दिलचस्पी प्रस्ताव के पांचवें और छठे पैरों में है। मेरा आकर्षण इन्हीं बातों की ओर है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अभी तक हमें कांग्रेस से जो नेतृत्व मिला है वह कांग्रेस के पास तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि वह इन पैरों में बताये सिद्धान्तों पर चलती रहेगी।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, मुझे अभी उनमें दिलचस्पी नहीं है। अभी तो मुझे यह देखकर दु:ख होता है कि हमारे बीच हिन्दुस्तान में कठिनाई पैदा हुई। यहां मैं विभिन्न सम्प्रदायों का नाम नहीं लूंगा, किंतु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अल्पसंख्यक समुदाय चाहे छोटे हों या बड़े—उनकी कठिनाइयां नागरिक व राजनैतिक अधिकारों के उपभोग के सम्बन्ध में है। ये अधिकार मौलिक हैं और उन्हें हरेक सामाजिक व धार्मिक समुदाय पर लागू किया जा सकता है। जहां तक धार्मिक अधिकारों का सम्बन्ध है, हमें उपासना की स्वाधीनता प्राप्त है। आजकल हरेक मजहब लड़ाकू है। वे दिन लद चुके जब ईसाई मिशनरी, मुस्लिम मौलवी या सिख गुरु बिना किसी भय के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय पर हमले करते थे। आज प्रत्येक सम्प्रदाय लड़ाकू है और उसे दूसरों का धर्म-परिवर्तन करके उन्हें अपने में मिलाने की आजादी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हम लोग—यहां मेरा मतलब ईसाइयों से है—इस सम्बन्ध में अपने प्रचार करने के अधिकारों के विषय में सन्देह क्यों करें।

कांग्रेस राष्ट्रीयता की अग्रदूत रही है और जब तक वह देश की उन्नति का नेतृत्व करती रहेगी तब तक मैं उस पर कोई शक या शुबहा नहीं करूंगा। वह शेष भारत का ही नहीं बल्कि छोटे-से-छोटे सम्प्रदाय का, जिसमें मेरा अपना सम्प्रदाय भी शामिल है, समर्थन प्राप्त करेगी।

*__श्री प्रमथरंजन ठाकुर__ (बंगाल : जनरल): इस प्रस्ताव पर हम कब तक बहस करते रहेंगे?

*__अध्यक्ष:__ मैं नहीं जानता। (*हंसी*)

*__श्री बालकृष्ण शर्मा__ (संयुक्तप्रांत : जनरल): क्या कोई सदस्य अब बहस समाप्त करने का प्रस्ताव कर सकता है?

*__अध्यक्ष:__ अवश्य, कोई भी सदस्य बहस समाप्त करने का प्रस्ताव कर सकता है।

*__श्री एच.वी. पातस्कर__ (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव पर विभिन्न स्वार्थों व विचारधाराओं के अनेक व्यक्ति मत प्रकट कर चुके हैं। मैं तो इसके सिर्फ कुछ ही पहलुओं पर और वह भी थोड़े से शब्दों में विचार प्रकट करूंगा।

पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस अवसर पर इस प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि हमारा कार्य इतना महान् और पेचीदा है कि अभी इस प्रस्ताव को पास करना आवश्यक हो गया है। श्रीमान्, आइये देखें कि हमें क्या करना है। हमारे कंधों पर भारत की लगभग 40 करोड़ जनता के लिए, जो सारे संसार की जनसंख्या की पांचवां भाग भी है, विधान बनाने की महान् जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, यह 40 करोड़ जनता धार्मिक दृष्टि से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख व अन्य सम्प्रदायों व उप-सम्प्रदायों में बंटी हुई है। भारत की लगभग तिहाई भूमि में रियासतें हैं। ये रियासतें आधुनिक समय के प्रतिकूल हैं और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगभग 516 है। उनकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल विभिन्न और एक दूसरे के विपरीत है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उनमें से कुछ की वार्षिक आय 100 रुपये से भी कम है। जहां तक शासन का सम्बन्ध है, इनमें से कुछ में स्वेच्छाचारितापूर्ण व वैयक्तिक शासन भी है। अन्य रियासतों में हमें वैध शासन का प्रयत्न दिखाई देता है। इसके अलावा, ये 40 करोड़ मनुष्य उन्नति की विभिन्न अवस्थाओं को पहुंचे हुए हैं, जैसा कि पिछड़ी हुई जातियों व कबीलों के प्रदेशों के लोगों द्वारा उपस्थित किये गये दावों से स्पष्ट है। आर्थिक दृष्टि से भी हमारी अवस्थायें विभिन्न हैं। जहां हममें एक तरफ कुछ करोड़पति हैं, वहां दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो

भूखों मरने के निकट पहुंचे चुके हैं या भूखों मर रहे हैं। शासन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि विदेशियों की कृपा से हमें ऐसे प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें विषमताओं की कमी नहीं है, और इससे अनेक नयी समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। ऐसे महान् राष्ट्र के लिए, जिसके अंग्रेजों के आने से पूर्व के काल में विदेशी आक्रमणों द्वारा किन्तु मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा खंड और उप-खंड हो चुके हैं, हमें विधान तैयार करना है और ऐसा विधान तैयार करना है जो इनमें से बहुतों के उपयुक्त हो और उनको मान्य हो, या जो इनमें से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की तुष्टि कर सके।

यह स्वाभाविक है कि जब हम ऐसे विशाल जनसमूह के लिए विधान तैयार करने के कार्य का श्रीगणेश करते हैं तो वे खंड-उपखंड और भाग-उपभाग और भी बढ़ जाते हैं। वास्तव में इस भाग अथवा उस भाग या उपभाग के स्वार्थों की रक्षा के लिए जो भी कुछ मिल सके, प्राप्त करने के लिए छीना-झपटी मची हुई है। इनमें से कितने ही स्वार्थ तो परस्पर विरोधी हैं, जैसाकि हम परिषद् में प्रकट किये गये विचारों से भी जान चुके हैं। हम जानते ही हैं कि भारत अज्ञानता और निर्धनता का देश है और देश की ऐसी हालत में तथाकथित राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ लोगों का धार्मिक उन्माद से अनुचित लाभ उठाना बिल्कुल आसान है। संसार में ऐसा कोई भी अच्छा व आधुनिक विधान नहीं है, जो किसी एक धर्म पर आधारित हो। प्रत्येक धर्म का आधारभूत सिद्धांत, प्रादेशिक सीमाओं का विचार किये बिना, संसार की सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना है। हम ''ईश्वर'' को चाहे जिस नाम से पुकारें, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि मानव-समाज में भ्रातृत्व की भावना का प्रचार हो। धर्म का आरंभ मनुष्य जाति को ऊंचे स्तर तक उठाने के लिए होता है, किन्तु इसी धर्म को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध जघन्य-से-जघन्य पाप करने और मनुष्य को गिराकर पशु बना देने के लिए किया जा रहा है।

इस प्रकार हमारे सामने एक व्यापक व पेचीदी समस्या है। हमारे सामने मुसलमानों और हिन्दुओं के विरोध, हिन्दुओं और हिन्दुओं के विरोध की समस्या है। ईसाइयों, एंग्लो-इंडियनों, दलित जातियों, और पिछड़ी हुई जातियों की समस्या है। हमें स्त्रियों के अधिकारों की भी समस्या को हल करना है।

प्रत्येक समुदाय व वर्ग अपने अधिकारों का ही ध्यान रखता है और अपने

[श्री एच.वी. पातस्कर]

लिए एक अधिकार-पत्र पाने का दावा करता है। श्रीमान्, मुझे भय है कि विभिन्न समुदायों के लिए अधिकार प्राप्त करने की इस छीना-झपटी में कहीं साधारण व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा न हो जाये—और आज सब से अधिक आवश्यकता साधारण व्यक्ति के अधिकार-पत्र की है। जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि सारे संसार को यह बता देना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जिस किसी को भी हमारे इरादों के बारे में भ्रम होगा वह इस प्रस्ताव द्वारा दूर हो जायेगा और नेताओं के वक्तव्यों या प्रति-वक्तव्यों से जो काम नहीं हो सका है वह इस एक प्रस्ताव द्वारा हो जायेगा। लोगों को इस व्यापक प्रस्ताव से विश्वास हो जाना चाहिए कि हम जो विधान बनाने जा रहे हैं उसमें प्रत्येक भारतीय नर-नारी के हित की—जाति, धर्म, सम्प्रदाय आर्थिक व सामाजिक पद का, भेदभाव किये बिना—रक्षा हो सकेगी। जिन लोगों ने परिषद् से बाहर रहने का फैसला किया है, यदि उनकी इससे तुष्टि नहीं हुई तो वह किसी भी प्रकार न हो सकेगी। हम प्रत्येक समुदाय के प्रति न्यायपूर्ण व उचित व्यवहार करने की चेष्टा करेंगे। परन्तु साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि धमकियों से अथवा दवाब में आकर कहीं कोई गलत कार्य न कर बैठें। इस प्रकार अपने लक्ष्य का स्पष्टीकरण करके अपना कार्य करते हुए हम स्वाधीनता की ओर निर्भयतापूर्वक बढ़ेंगे और हमारे पथ में जो कठिनाइयां उपस्थित की जायेंगी उनका सामना करेंगे। हम अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और संसार में जो हलचल मची हुई है उसे दूर करने में स्वतंत्र भारत महत्त्वपूर्ण भाग ले सकेगा। श्रीमान्, इन शब्दों द्वारा मैं माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री एस.एच. प्रेटर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, इस प्रस्ताव पर प्रारंभिक वाद-विवाद में मेरे सम्प्रदाय के एक प्रतिनिधि ने विचार स्थगित रखने के डॉ. जयकर के संशोधन का समर्थन किया था। अब हम अनुभव करते हैं कि विचार स्थगित करना नियम विरुद्ध और अनुचित होगा, (वाह वाह) और परिषद् को इस प्रस्ताव को तुरन्त ही स्वीकार कर देना चाहिए।

प्रस्ताव में इस परिषद् का उद्देश्य निहित है अर्थात् यह कि शासन की ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जाये और उसकी स्थापना की जाये, जिससे भारत को एक

स्वतंत्र सार्वभौम-सत्तासम्पन्न राज्य का पद प्राप्त हो। यह प्रस्ताव स्वीकार करके परिषद् इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला कदम उठायेगी और घोषित करेगी कि भारत को घरेलू मामलों में पूर्ण नियंत्रण और अधिकार प्रदान करने की तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने की हमारी इच्छा है।

यह स्वाधीनता-प्राप्ति इस बात पर निर्भर रहेगी कि हम अपनी स्वशासन की समस्या को हल कर पाते हैं या नहीं। प्रस्ताव में इस हल का आधार भी बताया गया है। यह प्रस्ताव वस्तुत: एक समझौता है। इसकी मुख्य बातें मंत्री प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों के अंतर्गत आती हैं, जिनमें कांग्रेस और लीग के दावों के मध्य का रास्ता निकाला गया है। सम्भव है कि ये प्रस्ताव इस दल या उस दल के लिए अरुचिकर हों; परन्तु वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि लोग उस सत्य को स्वीकार करें, जो उन्हें सबसे अधिक अरुचिकर है और अपने आदर्शों का सबके हित के लिए बलिदान करें। दो सत्य ऐसे हैं, जिन्हें अवश्य मान लेना चाहिए और यह दोनों ही सत्य इस प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिये गए हैं। इनमें पहला सत्य तो यह है कि जो भी विधान बने उसका आधार प्रान्तीय स्वायत्त शासन होना चाहिए और दूसरा यह कि आंतरिक विषयों में सभी स्वतन्त्र प्रान्तों तथा रियासतों के एक संघ की स्थापना होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के इतिहास ने हमें सबक सिखाया है कि मौर्य सम्राटों के समय से अंग्रेजों के शासनकाल तक भारत ऐसे पृथक् राज्यों, राजतंत्रों और प्रान्तों का देश रहा है जिनमें सदा से पृथक् राष्ट्रीय विशेषताएँ और पृथक् राष्ट्रीय संस्कृतियां विद्यमान रही हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रादेशिक-प्रेम की भावनाएं भी बढ़ती रही हैं। आज भारत का जो राष्ट्रीय विकास हम देख रहे हैं वह साम्प्रदायिक मतभेदों के कारण नहीं बल्कि इस प्रादेशिक-प्रेम ही का परिणाम है। ब्रिटिश राज्य और शासन के प्रारम्भिक काल में केन्द्रीकरण की नीति का अवलम्बन किया गया था, किन्तु विकेन्द्रीकरण की अजेय शक्तियों के आगे केन्द्रीकरण-नीति को हार माननी पड़ी और केन्द्र से अधिकाधिक शक्ति प्रान्तों को मिलती गई और प्रान्तीय शासनों की स्वतंत्रता दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही गई। प्रान्तीय स्वायत्त शासन हमारे ऊपर कहीं बाहर से नहीं लादा गया, बल्कि उसका विकास देश की नैसर्गिक आवश्यकताओं के कारण हुआ—एक ऐसे देश की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप, जिसमें कितनी ही रियासतें और प्रान्त थे और जिसमें कितनी ही जातियों के लोग रहते थे, जिनकी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति केवल स्वायत्त शासन

[श्री एस.एच. प्रेटर]

से ही हो सकती थी। इस प्रस्ताव में प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा अवशिष्ट अधिकार जो प्रान्तों को दिये गए हैं, इससे इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। परन्तु यदि इतिहास ने हमें यह सिखाया है कि केवल प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधार पर नये विधान का निर्माण हो सकता है तो साथ ही उसने यह भी प्रामाणित कर दिया है कि इन सभी प्रान्तों का एक संघ और एक ऐसा राज्य भी बनना आवश्यक है, जिसमें एक ही केन्द्रीय सरकार रहे। विभिन्न प्रान्तों के मध्य संतुलन रखने वाली केन्द्रीय सत्ता का जब भी अभाव रहा है तब ही संघर्ष और विग्रह रहा है और देश के लिए इसका दुष्परिणाम दिखाई दिया है। इस प्रस्ताव में जैसे संघ की कल्पना की गई है केवल वैसे संघ द्वारा ही हम इस देश की जनता के लिए शान्ति और समृद्धि की आशा कर सकते हैं। केवल ऐसे संघ द्वारा ही हम राष्ट्र की अखंडता कायम रखते हुए विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते हैं। केवल ऐसे संघ द्वारा ही भारत संगठित होकर विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सकता है। इस संघ के विरुद्ध चाहे जो भी शक्तियां क्यों न हों, किन्तु उसकी स्थापना होगी अवश्य, क्योंकि उसका आधार वास्तविकता और सत्य है। वह मनुष्य की गहरी आवश्यकताओं पर आधारित होगा। परन्तु यदि हमारे संघ को सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के मस्तिष्कों और हृदयों का वास्तविक संघ बनना है तो उसकी नींव में संदेह अथवा इस या उस दल का लाभ न होकर सहानुभूति, समझदारी और समझौते की वह भावना होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञता का सार निहित है।

इस तरह मैं अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर पहुंच जाता हूं प्रस्ताव में देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार पर जोर दिया गया है। उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्णरूप से रक्षा पर भी जोर दिया गया है। इस प्रश्न का सम्बन्ध सिर्फ लघु अल्पसंख्यक समुदायों से ही नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध जनता के मुख्य भागों—हिन्दुओं और मुसलमानों से भी है, जो देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों की स्थिति में होंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यकों की रक्षा विधान की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या बन जाती है, क्योंकि यदि हम एकता को अपना लक्ष्य मानते हैं तो यह एकता केवल उसी हालत में प्राप्त हो सकती है, जबकि प्रान्तों अथवा प्रान्तों के समूहों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक

व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की यथोचित व्यवस्था की जाये। अतः यह समस्या इस परिषद् की सद्भावना, सहानुभूति तथा समझदारी पर निर्भर रहेगी। हमारी सभा सार्वभौम-सत्ता सम्पन्न है, किन्तु हमें अपना कार्य साधारण व्यवस्थापकों की भांति न करना चाहिए, जो किसी भावना से अनुप्राणित नहीं होते और जिन्हें सिर्फ बहुमत का ही ध्यान रहता है। हमें अपना कार्य समझौते की बातें करने वालों की तरह करना चाहिए, जो प्रत्येक निर्णय करते समय उन लोगों की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, जिन पर उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी परम्परा स्थापित कर लेने पर हमारा काम आसानी से होगा। इस परिषद् में हमें देश के विभिन्न समुदायों के बीच समझौता करने के साधन प्राप्त हैं। आइये, हम सब मिलकर प्रयत्न करें और इन सामूहिक प्रयत्नों द्वारा समझौते की भावना से प्रेरित होकर सर्वसाधारण का कल्याण करें। *(हर्ष-ध्वनि)*

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है कि माननीय डॉ. जयकर अपने संशोधन के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं। यह वक्तव्य वे अब दे सकते हैं।

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकर** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, आपने मुझे जो कुछ मिनट अपने संशोधन के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए दिये हैं इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। यह वक्तव्य मुझे उस संशोधन के सम्बन्ध में देना है, जो मैंने इस बहस की आरम्भिक अवस्था में पेश किया था। इस सभा को स्मरण होगा कि यह संशोधन कुछ खास बातों के कारण पेश किया गया था, जिनमें पहली बात मुस्लिम लीग व रियासतों को कार्यवाही में सुगमता से सम्मिलित होने का अवसर देना था। जहां तक मुस्लिम-लीग का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि सभा ने मेरे संशोधन में उपस्थित किये गये सुझाव को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया था। परिषद् ने अपनी कार्रवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब परिषद् और भी आगे बढ़ चुकी है और उसने सम्राट की सरकार का 6 दिसम्बर वाला वक्तव्य भी स्वीकार कर लिया है। परिषद् ने यह सब किया, किन्तु मुस्लिम लीग अभी तक नहीं आई। लीग आना चाहती भी है या नहीं—इसे कोई नहीं जानता। लीग ने 29 जनवरी तक अपने इरादों पर प्रकाश न डालने का निश्चय किया है, यद्यपि लीग भली भांति जानती थी कि उसकी बैठक से 9 दिन पहले—यानी इस महीने की 20 तारीख को इस परिषद् की बैठक हो

[माननीय डॉ. एम.आर. जयकर]

रही है। अपने भाषण के बीच में मैंने समझौते के रूप में एक सुझाव उपस्थित किया था कि यदि परिषद् मंत्री प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य के 19वें पैरे की छठी उप-धारा के अनुसार सेक्शनों की बैठकें होने और उनके विधान बनने तक ठहरने को तैयार न हो, क्योंकि ऐसा बहुत देर बाद होगा—तो परिषद् को कम-से-कम अपने अगले अधिवेशन यानी 20 जनवरी तक तो अवश्य ही ठहरना चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग को विचार करके निश्चय करने का समय मिल जायेगा। चूंकि सुझाव मैंने किया था और परिषद् ने उसे स्वीकार कर लिया था इसलिए सम्मान का तकाजा है कि मैं अपने संशोधन को और आगे न बढ़ाऊं। (*हर्ष ध्वनि*) साथ ही मैं यह भी नहीं प्रकट करना चाहता कि जिन इरादों से प्रेरित होकर मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया था उनसे मैं मुंह मोड़ रहा हूं, किन्तु मैंने जो सुझाव दिया था, उसे परिषद् ने मानकर अपना वचन पूरा कर दिया है। इसलिए मैं अपने संशोधन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। परन्तु ऐसा करते समय मैं सभा के आगे कुछ विचार रखना चाहता हूं। यदि उन विचारों को परिषद् पसन्द करे तो परिषद् को जो भी उचित जान पड़े वह स्वयं निश्चय कर सकती है। ये विचार कुछ थोड़े से हैं और मैं आपसे कुछ मिनट तक धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या माननीय सदस्य कोई नया प्रस्ताव कर रहे हैं?

***माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः** श्रीमान्, मैं कोई नया प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यही सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं कि परिषद् के सामने जो प्रस्ताव उपस्थित है उसके सम्बन्ध में कोई निश्चय करते समय परिषद् को कुछ विचारों...।

***माननीय पं. गोविन्द वल्लभ पंत** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, क्या मैं कह सकता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं, डॉ. जयकर ने अपना संशोधन वापस ले लिया है। संशोधन वापस लेने के बाद उनके लिए नया भाषण देना अनुचित ही नहीं नियम-विरुद्ध भी होगा। पिछले अधिवेशन में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उस समय उन्हें अपने विचार पूरी तरह प्रकट करने का अवसर मिला था। अब संशोधन वापस लेने के बाद... *(कृपया माइक्रोफोन पर चले जाइये)*... मैं कह रहा था कि डॉ. जयकर अपना संशोधन वापस ले चुके हैं। किसी व्यक्ति को जो भाषण दे चुका हो यदि वह चाहे तो अपना संशोधन वापस लेने का अवसर

दिया जा सकता है। अपना संशोधन वापस लेने के बाद उन्हें नया संशोधन इस अवस्था में पेश करके परिस्थिति को और न उलझा देना चाहिए। वे अपने विचार संशोधन के संक्षिप्त रूप में उपस्थित करें या नहीं—इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता। यदि वे इस अवस्था में एक नया सुझाव उपस्थित करके परिषद् को कष्टप्रद परिस्थिति में डाल देते हैं तो यह कठिनाई उसे संशोधन का नाम न देने से दूर नहीं हो जाती। वह संशोधन फिर भी रहता है। अब इसका समय नहीं है। इसलिए विचार प्रकट करने के रूप में भी कोई नया प्रस्ताव उपस्थित करने की आजादी उन्हें नहीं मिल सकती। उन्हें जो विशेष अवसर मिला था उसकी अवधि अब बीत चुकी है। अब उनसे अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया जा सकता है। (एक आवाज : क्या कोई नया प्रस्ताव उपस्थित किया जा रहा है?)

*__अध्यक्षः__ अब कोई नया प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। मैंने तो डॉ. जयकर को संशोधन वापस लेते हुए अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण का ही अवसर दिया था।

*__माननीय डॉ. एम.आर. जयकरः__ अपना संशोधन वापस लेते हुए और इसका कारण बताते हुए मुझे इस सभा के आगे उसके विचारार्थ कुछ बातें रखने का भी अधिकार है।

*__डॉ. पी.एस. देशमुख__ (मध्यप्रान्त व बरार : जनरल): मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य पूरा करने का अवसर दिया जाये (वाह, वाह)। सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने संशोधन वापस लेने का अपना निश्चय प्रकट कर दिया है, उन्हें वक्तव्य देने से नहीं रोका जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें वक्तव्य देने का ही अवसर दिया था। वे कोई नया संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दिया जाये। मान लीजिये कि अपने भाषण के अन्त तक वे संशोधन वापस लेने का उल्लेख न करते तो जिन माननीय सदस्य ने उनका भाषण आगे होने देने पर आपत्ति की है, क्या उनकी आपत्ति नियमानुसार होती? इसलिए सिर्फ इस वजह से कि डॉ. जयकर संशोधन वापस लेने के वाक्य का प्रयोग कर चुके हैं, उनके अपना भाषण समाप्त करने और जो कुछ वे कहना चाहते हैं वह कहने देने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। ऐसा करने की उन्हें आजादी होनी चाहिए और हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त व बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, पिछले भाषणकर्त्ता से इस सम्बन्ध में मेरा मतभेद है। डॉ. जयकर निश्चित रूप से कह चुके हैं कि वे दो सुझाव उपस्थित करना चाहते हैं। अब, श्रीमान्, यदि आप उन्हें वे सुझाव उपस्थित करने देते हैं तो आपको अन्य सदस्यों को अवश्य ही उन सुझावों पर उनके औचित्य या अनौचित्य पर—कुछ कहने का अवसर देना पड़ेगा। इस प्रकार यह सभा एक कष्टप्रद स्थिति में पड़ जायेगी, जैसा कि माननीय पंतजी ठीक ही कह चुके हैं। डॉ. जयकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वे दो सुझाव उपस्थित करना चाहते हैं। वे सुझाव क्या हैं—मैं नहीं जानता। ये सुझाव अच्छे या बुरे जैसे भी हों परन्तु जब तक दूसरे सदस्यों को उनके सम्बन्ध में मत नहीं प्रकट करने दिया जाता तब तक उन्हें दर्ज नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय श्री पंत द्वारा उपस्थित किये गये सुझाव का मैं अनुमोदन करता हूं।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अब और बहस की आवश्यकता नहीं है। मैं स्थिति को समझता हूं। मेरा विचार है कि डॉ. जयकर को संशोधन के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अधिकार अब नहीं रह गया है।

अब मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रखूंगा कि वह संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है या नहीं।

परिषद् की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***श्री सी.एम. पुनाका** (कुर्ग): अध्यक्ष महोदय, माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। ऐसा करते समय मैं सभा का ध्यान उस बहस की ओर आकर्षित करता हूं, जो इस सम्बन्ध में परिषद् के बाहर हो चुकी है। इस बात पर आपत्ति की गयी है कि परिषद् को इस प्रकार का प्रस्ताव पास करने का कोई अधिकार है? मेरे ख्याल में अपना कार्य आरम्भ करने से पूर्व हमारे लिए एक ऐसा प्रस्ताव पास करना आवश्यक ही है, जिसमें बताया गया हो कि हम यहां किस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। इस विचार से यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में हमारा कार्य सरकारी वक्तव्य के विरुद्ध नहीं है। 16 मई, सन् 1946 ई. के वक्तव्य में जो कुछ कहा गया है, हम बहुत कुछ उसी का समर्थन कर रहे हैं। सरकारी वक्तव्य में निर्धारित सीमाओं का हमने किंचित् भी अतिक्रमण नहीं किया है।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं सभा का ध्यान भारत की जनता में निहित सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों की तरफ आकर्षित करता हूं। सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों—खासकर रियासतों में सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी अधिकारों के विषय में बाहर कुछ विवाद चल रहा है। ब्रिटिश भारत में सार्वभौम सत्ता जनता में निहित होने पर कोई आपत्ति नहीं करता और जब ऐसा है तो रियासतों में प्रजा की सार्वभौम सत्ता—सम्पन्नता के विरुद्ध क्या तर्क उठाया जा सकता है? श्रीमान्, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि ऐसी रियासतें हैं, जिनमें राजा जनता पर राज्य करते हैं और ऐसी भी रियासतें हैं जिनमें बिना राजा के ही राजकाज चलता है। परन्तु जनता के बिना राजा की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मानवीय कार्यों में जनता की सार्वभौम सत्ता-सम्पन्नता एक माना हुआ तथ्य है, जिसका पता हमें ऐसे प्रस्तावों द्वारा ही नहीं, वरन् इतिहास से भी लगता है, जिसने प्रमाणित कर दिया है कि जनता ही राज्य की स्वामिनी है और वही राजे-महाराजों को शासन के प्रधान का पद देती है।

श्रीमान्, अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसका दावा करने के बजाय कि एक अल्पसंख्यक समुदाय में लाखों या करोड़ों व्यक्ति हैं, मेरे विचार में हमें उन लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का ध्यान करना चाहिए, जिन्हें अभी जन्म लेना है। हम यहां सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के ही लिए विधान तैयार नहीं कर रहे हैं हम यहां बैठ कर भावी पीढ़ियों के लिए भी विधान बना रहे हैं और यह विधान वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ जो भावी पीढ़ियों के लिए बनाया जा रहा है इससे हमारे कर्त्तव्य की गहनता और भी बढ़ गयी है। इसलिए हमें अधिक विचारशील, अधिक जिम्मेदार और अपने इरादों के सम्बन्ध में अधिक सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा करते समय यह हमारे अधिकार और कार्य-सीमा के भीतर की बात है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हों उसे सामने रखें। सिर्फ एक-दूसरे को और अपनी करोड़ों जनता को ही नहीं बल्कि संसार को भी हमें अभी से बताना है कि हमारे सिद्धांत क्या हैं और हम किसलिए यहां एकत्र हुए हैं। इस प्रस्ताव में हमारे चिरकांक्षित उद्देश्य निहित हैं और इसीलिए श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी (संयुक्तप्रांत : जनरल): माननीय सभापति जी और साथियों, यह स्वाभाविक ही था कि जब हम अपने देश के लिए शासन-विधान बनाने जा रहे हैं उस समय हम इस बात पर सोच लें कि हमारा भावी शासन-विधान,

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]

स्वतन्त्र भारत का शासन-विधान, किन बुनियादी उसूलों पर तैयार किया जायेगा। इसलिए जो प्रस्ताव उन बुनियादी उसूलों पर हमारे सामने हमारे पूज्य नेता पं. जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस प्रस्ताव के कुछ विशेष अंग हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अन्य बातों के अतिरिक्त उक्त बुनियादी उसूल प्रस्ताव के 4, 5 और 6 पैराग्राफों में दिये हुए हैं। जहां तक इन सिद्धांतों का सम्बन्ध है, जो सिद्धांत इन पैराग्राफों में कहे गये हैं उनसे मैं पूर्णरूप से सहमत हूं। परन्तु उससे सहमत होते हुए भी मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह उसूल सिर्फ हमारे ही शासन-विधान के लिए बुनियादी उसूलों के तौर पर नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि दुनिया में शायद कोई भी शासन विधान ऐसा नहीं है जहां पर इसी तरह के बुनियादी उसूल माने न गये हों। लेकिन भिन्न-भिन्न देशों के शासन विधानों के अन्दर उन बुनियादी उसूलों के होते हुए भी या वहां के राजनीतिज्ञों द्वारा इस बात का ऐलान किये जाने के बावजूद भी कि इन उसूलों पर वहां का शासन-विधान चलेगा, हम देखते हैं कि उसूल व्यवहार रूप में माने नहीं जाते। आप अगर इंग्लैंड का शासन-विधान देखें अथवा फ्रांस, अमेरिका या डच का शासन-विधान देखें या वहां के राजनीतिज्ञों के, वहां के शासकों के ऐलानों को देखें, तो आपको मालूम होगा कि किसी न किसी शक्ल में यह सिद्धांत उनको भी मान्य है। लेकिन बावजूद इस बात के हम यह देखते हैं कि उन वसूलों पर वे साम्राज्य अमल नहीं करते और उन्हें कार्यरूप में नहीं बरतते। आप देख रहे हैं कि आज एशिया भर में, इंडोचायना में, जावा में, बर्मा और हिन्दुस्तान में वे यूरोपीय साम्राज्य जिनके शासन-विधान में वे उसूल मौजूद हैं फिर भी उन पर चलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को सोचें कि किस तरह से हम इन उसूलों पर चल सकते हैं और व्यावहारिक रूप में हम इन उसूलों को अमल में ला सकते हैं यह हमारे लिए बहुत आवश्यक बात है।

मैं आपका ध्यान, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, तीन पैराग्राफों की तरफ खास तौर से दिलाना चाहता हूं। चौथे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि हम एक ऐसे सर्वाधिकार पूर्ण स्वतन्त्र भारत (सौवरिन इंडिपेंडेंट इंडिया) का विधान (कांस्टीट्यूशन) बनायेंगे जिसमें सब शक्ति तथा अधिकार 'जनता से प्राप्त' (डिराइब्ड फ्राम दी पीपुल) हों।

जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है वह बहुत सही है, मुनासिब है और हर एक व्यक्ति इस उसूल का स्वागत करेगा। लेकिन जो राजनीति के विद्यार्थी

हैं वे जानते हैं कि इस उसूल का बहुत-सी जगहों में किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। अभी मेरे मित्र ने इंग्लैंड के शासन-विधान का जिक्र किया था और कहा था कि वहां पर किस तरह से इसका दुरुपयोग किया गया था। कई शताब्दियां गुजरीं जबकि इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्री हाब्स ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था कि प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति 'जनता से प्राप्त' होती है, लेकिन वहां के राजाओं ने इस सुन्दर सिद्धान्त का दुरुपयोग किया। राजाओं ने यह तो माना कि 'जनता से शक्ति आती है', लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दुनिया के सामने यह रखा कि जब एक मर्तबा जनता ने शासकों को यह शक्ति दे दी, तो फिर वह जनता के हाथ में नहीं रह गई और इसका दुष्परिणाम यह हुआ, जो हम राजाओं के दैवी अधिकार (डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स) की शक्ल में अपने इतिहास में देखते हैं। फलत: यह जरूरी है कि जहां हम यह कहते हैं कि सब शक्ति 'जनता से प्राप्त' (डिराइब्ड फ्राम दी पीपुल) है, वहां हमें यह भी कहना चाहिए कि यह शक्ति निरन्तर जनता के हाथ में रहेगी (शैल वेस्ट आन दी पीपुल)। इसलिए मैंने इस प्रस्ताव में यह संशोधन करने का प्रयत्न किया था कि 'शक्ति सदैव ही जनता के हाथ में रहेगी'। परन्तु अनेक कारणों से वह संशोधन इस प्रस्ताव में नहीं आ सका। अत: जब हम शासन-विधान बनाने बैठें, उस समय हमें इस बात को सोच लेना चाहिए और अपने विधान में इस सिद्धान्त का समावेश कर देना चाहिए।

जहां तक पांचवें और छठे पैराग्राफों का सम्बन्ध है, इनमें जो उसूल कहे गए हैं, वह बहुत ही सुन्दर और उचित हैं लेकिन तमाम देशों के शासन-विधानों में किसी न किसी शक्ल में यह उसूल मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। लिहाजा इन उसूलों को व्यावहारिक रूप में कैसे लाया जाये, इस पर हमें खास तौर से सोचना होगा और उस समय, जबकि हम शासन-विधान तैयार करना शुरू करेंगे, हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। यहां पर कहा गया है कि जो शासन-विधान बनेगा और उस शासन-विधान के अनुसार जो राज स्थापित होगा उसमें सबके साथ ''सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय'' होगा। ठीक है, यह बहुत अच्छा सिद्धान्त है, लेकिन आप जानते हैं कि जिसके हाथ में राज-शक्ति होती है, वह ''न्याय'' का अर्थ अपने ही अनुसार लगाता है। अगर कल हमारे देश में पूंजीवादियों के हाथ में राज्य-सत्ता आ जावे, तो वे आर्थिक और राजनैतिक न्याय का अर्थ अपने ही ढंग से लगावेंगे। लेकिन अगर वह शक्ति वास्तव में जनता

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]

के हाथ में आती है, तो उनके प्रतिनिधि उसका अर्थ बिल्कुल ठीक ढंग पर लगावेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शासन-विधान में कोई ऐसा संरक्षण (सेफगार्ड) रखें, जिसमें यह न हो कि जिन लोगों के हाथ में राज-शक्ति जाये, वह इन सिद्धान्तों के अर्थ मनमाने ढंग पर लगावें। इसका एक ही इलाज हो सकता है कि वह यह है कि जब हम शासन-विधान तैयार करने बैठें, उस समय हम पहले ही से यह निश्चित कर दें कि हमारा जो शासन-विधान बनेगा, और उस शासन-विधान के अन्तर्गत जो राज्य स्थापित होगा, वह समाजवादी आधार पर होगा। अगर हम पहले से ही यह निश्चित न कर देंगे तो इस बात का खतरा हो सकता है कि आगे चल कर शासक-वर्ग इन सब सिद्धान्तों का अर्थ अपने मनमाने ढंग से लगावे और जनता को उससे जितना लाभ होना चाहिए, उतना न हो।

आपके सामने मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब के मुताल्लिक बहुत कुछ कहा गया है और उनमें से बहुत-सी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आज आप शासन-विधान बनाते समय यह निश्चित कर दें कि आपका शासन-विधान समाजवादी आधार पर होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत-से मुसलमान भाई दिल से और खुशी से हमारे साथ चलने को तैयार हो जायेंगे। जितने भी अल्पमत हैं, चाहे वे मुसलमान हों या हमारे हरिजन भाई, वे सभी अपने दिमाग में इस बात का संदेह और भय रखते हैं कि जब शासन-विधान बन जायेगा तो नहीं मालूम कि किस तरह के शासक आयें और इन उसूलों के माने किस तरह से लगायें। लिहाजा अगर उनके भय और संदेह को दूर करना है तो हमें अभी से यह निश्चय कर देना चाहिए कि जो शासन-विधान हम बनायेंगे और उस विधान के अनुसार जिस तरीके की सरकार बनेगी वह समाजवादी आधार पर होगी; वह निश्चय ही पूंजीवाद के आधार पर नहीं होगी। यह हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मैंने एक तरमीम भी इस सिलसिले में की थी और यह सुझाव रखा था कि भारतवर्ष के पहले 'समाजवादी' (सोशलिस्ट) जोड़ दिया जाये। मैं फिर भी दरख्वास्त करूंगा कि यदि हम इस प्रस्ताव के सिद्धान्त को अमल में लाना चाहते हैं तो हमारे सामने एक यही उपाय है कि हम अपना शासन-विधान समाजवादी आधार पर बनायें। पं. जवाहरलालजी ने आरम्भ में भाषण देते हुए इन मेरी तरमीमों के बारे में कुछ बातें कही थीं, उन्होंने यह स्पष्ट सम्मति दी थी कि आगे चलकर

इस समाजवादी आधार पर ही अपना शासन-विधान बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह कहा कि इस समय हम यह नहीं चाहते कि इस पर किसी तरीके का मतभेद पैदा हो। लेकिन मैं फिर बहुत अदब के साथ कहूंगा कि इसमें मतभेद का सवाल नहीं है। यह तो एक उसूल का सवाल है और अगर हम वास्तव में देश की गरीब जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम यह चाहते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत यहां पर खत्म हो, बल्कि साथ ही साथ हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा ऐसा बने जिसमें गरीब लोगों को पूरे तौर से आगे बढ़ने का मौका मिले, तो यह जरूरी है कि हम जो शासन-विधान तैयार करें वह समाजवाद के आधार पर हो। मैं समझता हूं कि हमारे देश में अल्पमतों (माइनोरिटीज) की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वे मुसलमानों की हों, चाहे हरिजन भाइयों की हों या अन्य समूहों की हों, उनका बहुत कुछ हल इससे हो जायेगा। यह ठीक है कि हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समाजवाद के उसूलों को नहीं मानते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है वह समाजवाद के उसूलों को पहले ही मान चुकी है। उसने अपने चुनाव के घोषणा-पत्र में बहुत स्पष्ट कहा है कि हम सामन्तशाही के तरीके को खत्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी घोषित किया है कि हम बड़े-बड़े उद्योगों (इंडस्ट्रीज) का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस ने समाजवाद के प्रारम्भिक नियमों को पहले ही स्वीकार कर लिया है और जब उसने उसे स्वीकार कर लिया है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जो शासन-विधान यहां बैठकर बनावें वह उसी आधार पर हो, हो सकता है कि उस पर कुछ लोगों को एतराज हो, मगर मैं समझता हूं कि 100 में से 99 या 98 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उसमें किसी तरह का एतराज न होगा। जनता को तो पूरे तौर से तभी लाभ हो सकता है, जब हम इस सिद्धांत को अपना लें और इसी आधार पर शासन-विधान तैयार करें।

एक और बुनियादी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि जब हम इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं कि हमारे देश में स्वतंत्र सर्वाधिकारपूर्ण प्रजातंत्र (इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक) कायम हो। तो ऐसी सूरत में हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि हमारी यह विधान-परिषद् स्वयं सर्वाधिकारपूर्ण संस्था (सोवरिन बॉडी) है या नहीं है। अगर स्वयं हमें पूर्णाधिकार (सोवरिन राइट्स) प्राप्त नहीं हैं, तो हम कोई ऐसा शासन-विधान तैयार नहीं कर

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]

सकते जिसे पूरे अधिकार (सोवरिन राइट्स) प्राप्त हों। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधान-परिषद् स्वतंत्र पूर्णाधिकारपूर्ण प्रजातंत्र (इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक) घोषित (प्रोक्लेम) करना चाहती है और ऐसा करने का निश्चय करती है। ऐसी हालत में एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह भी ऐलान कर देना चाहिए कि हमें शासन-विधान सम्बन्धी पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

16 मई के स्टेट-पेपर के अनुसार आपके शासन सम्बन्धी अधिकारों में अनेक प्रकार की सीमायें रखी गई हैं। मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी सज्जन अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में एक बात कह देना चाहता हूं कि हम आज अगर इस कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में मिल रहे हैं तो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि उक्त स्टेट-पेपर ने हमारी इस संस्था का निर्माण किया है बल्कि हमारे देश ने जो त्याग और तपस्या पिछले 50-60 वर्षों से और खास तौर से पिछले 5 या 6 वर्षों से किया है उसी का यह परिणाम है कि यह कांस्टीट्यूएंट असेम्बली आपके सामने आई और अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात पर मजबूर हुए कि आपकी कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बनावें और आपको अधिकार देने की बात कहें। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर जो जमा हुए हैं वह इस स्टेट-पेपर के परिणामस्वरूप नहीं बल्कि उस आंदोलन के परिणामस्वरूप जो हमने पिछले 5 या 6 वर्षों के अंदर किया है। वह सन् 1942 ई. के आंदोलन का परिणाम है जब कांग्रेस ने क्विट-इंडिया (भारत छोड़ो) का प्रस्ताव देश के सामने पेश किया था। यह विधान-परिषद् आजाद हिंद फौज की बहादुराना कार्यवाहियों का परिणाम है जिसके कारनामे आज हमारे सामने हैं। यह हमारे पूज्य महान् क्रांतिकारी नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के कारनामों का परिणाम है जिन्होंने इस बात को दिखला दिया कि किस तरह से देश की आजादी के लिए संगठन किया जा सकता है और बड़ी-बड़ी शक्तियों से लड़ा जा सकता है। लिहाजा, यह कहना कि स्टेट-पेपर के जरिये से इस विधान-परिषद् का संगठन हुआ, बिल्कुल गलत है। हमारे राष्ट्र ने 5 या 6 वर्ष के अंदर इस देश के बाहर और भीतर जो कुछ भी किया उसी का आज यह परिणाम है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी शक्ति जनता से आई है, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अत: हमें इस समय इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि यह कांस्टीट्यूएंट

असेम्बली खुद एक सर्वाधिकारपूर्ण संस्था (सोवरिन बॉडी) है। उसको शक्ति जनता से प्राप्त हुई है, न कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से और कोई भी सीमा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अनुचित तरीके से हमारे ऊपर लगायेगी, उस सीमा को मानने के लिए हम कतई तैयार नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो उसूल इस प्रस्ताव में दिये गये हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए हम तमाम उन तरीकों को अख्तियार करेंगे जिन तरीकों से हम वाकई अपने देश में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर सकें। और यह स्पष्ट है कि यह हमारा स्वतंत्र राष्ट्र समाजवाद के आधार पर होगा ताकि हमारे देश की गरीब जनता को ठीक-ठीक लाभ हो सके।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, उन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

*__अध्यक्षः__ इस प्रस्ताव पर हम कई दिन तक बहस कर चुके हैं। जहां तक मैं निर्णय कर पाया हूं, सदस्यगण अब बहस समाप्त करने के पक्ष में हैं इसलिए मुझे आशा है कि कल सुबह हम बहस समाप्त करके इस प्रस्ताव को निबटा सकेंगे।

अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो जायेगी।

कल हम दूसरा प्रस्ताव उठायेंगे, जिसकी सूचना पं. जवाहरलाल नेहरू ने दी है और जिस पर आज विचार नहीं किया जा सका है।

*__श्री के. संतानम्__ (मद्रास : जनरल): क्या कल बजट पर भी विचार होगा?

*__अध्यक्षः__ कल हो सकता है। वह कार्य-सूची में है।

इसके बाद असेम्बली बुधवार, 22 जनवरी, सन् 1947 ई.
को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गयी।

अंक 2

संख्या 3

बुधवार
22 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव (बहस समाप्त) 1
2. भूटान और सिक्किम को निगोशिएटिंग कमेटी के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव 14
3. विधान-परिषद् के बजट के अनुमान 17

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार, 22 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में 11 बजे प्रारंभ हुई

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव बहस समाप्त

***अध्यक्ष:** आज के कार्यक्रम में तीन विषय हैं:

1. उस प्रस्ताव पर विचार जिस पर पिछले कुछ दिनों से बहस हो रही है,
2. भूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किया जाने वाला एक और प्रस्ताव, और
3. बजट।

मेरा विचार है कि पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किये गए लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर अब बहस को समाप्त करना अधिक अच्छा होगा। कल मुझे पता चला था कि सदस्य इस प्रस्ताव पर बहस समाप्त कर देना चाहते हैं और यदि सभा का ऐसा ही विचार है तो मैं पं. जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस बहस के जवाब में जो कुछ कहना है, उसे तुरन्त कहकर इस वाद-विवाद को समाप्त कर दें।

श्री एच.जी. खांडेकर (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): जो रेजोल्यूशन हाउस के सामने है उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे आता है। यह प्रसव भी हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए है इसलिए इसका फैसला जनवरी की 26 तारीख को ही होना चाहिए। हालांकि साथ ही साथ जनवरी की 26 तारीख को छुट्टी का दिन आता है फिर भी मैं प्रस्ताव करूंगा कि इतने महत्त्व का प्रस्ताव जो है उसे इंडिपेंडेंस डे को ही पास करना चाहिए। इसलिए 26 जनवरी को यह असेम्बली, चाहे चंद मिनटों के लिए ही हो, बुलाई जाये, यह मेरी प्रार्थना है।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं इस सभा की अनुमति से वे दोनों संशोधन जो मेरे नाम से हैं, वापस लेना चाहता हूं। (वाह, वाह)

***अध्यक्ष:** रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो संशोधन पेश किये थे। वे सभा की अनुमति से अब उन्हें वापस लेना चाहते हैं। क्या मैं यह समझ लूं कि सभा इस पर राजी है?

***माननीय सदस्य:** हां।

***अध्यक्ष:** ये दोनों संशोधन वापस लिए जाते हैं। अब हमारे सामने केवल मुख्य प्रस्ताव ही रह जाता है। और दूसरा कोई संशोधन नहीं है।

---

*इस संकेत का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[अध्यक्ष]

अभी-अभी श्री खांडेकर ने एक सुझाव पेश किया है कि हमें यह प्रस्ताव 26 जनवरी को पास करना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से उस दिन रविवार पड़ता है।

***श्री एच.जी. खांडेकर:** उस दिन परिषद् का अधिवेशन केवल कुछ मिनटों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है और उसे स्वाधीनता दिवस पर ही पास किया जाना चाहिए। 26 जनवरी को चूंकि रविवार है, इसलिए मैं अध्यक्ष-महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कुछ मिनट के लिए उस दिन सभा का अधिवेशन बुलाएं इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे पास किया जा सके।

अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो जाने के बाद हम इस सुझाव पर विचार करेंगे। मैं इस सभा की राय लूंगा कि क्या इसे आज पास किया जाये अथवा नहीं।

***माननीय सदस्य:** आज ही।

***अध्यक्ष:** तो फिर 20 जनवरी को ही 26 जनवरी समझ लिया जायेगा। पं. जवाहरलाल नेहरू!

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल): साहबे सदर, 6 हफ्ते हुये कि मैंने इस प्रस्ताव को यहां पेश किया था। उस वक्त मेरा ख्याल था कि दो तीन दिन के अन्दर उसका फैसला होगा और वह मंजूर हो जायेगा लेकिन बाद में इस मजलिस ने फैसला किया कि इसको हम मुल्तवी कर दें और लोगों को इस पर गौर करने का मौका दें। मुमकिन है कि मेरी तरह अक्सर साहिबान को भी यह फैसला नागवार गुजरा हो कि ऐसा अहम प्रस्ताव एक दफा उठाकर उसे मुल्तवी कर दिया जाये। लेकिन मुझे कोई शक नहीं रहा था कि जो फैसला मुल्तवी करने का किया गया था वह मुनासिब फैसला था। हमारे दिल में बेकरारी और बेताबी थी। महज इस रिजोल्यूशन के पास होने की नहीं (वह तो एक निशानी है) बल्कि इन बातों को हासिल करने के लिये जो उसमें लिखी हैं। उसके साथ यह भी इन्तिहा दर्जे की ख्वाहिश है कि इस काम में हम सब लोग मिलकर चलें और हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी मंजिल तक पहुंचें। इसलिये मुनासिब था कि वह मुल्तवी हो और गौर करने का काफी मौका महज इस हाउस को ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क को मिले। जो भी तरमीमें थीं और खास तौर से डॉक्टर जयकर की तरमीम का बहुत कुछ मतलब मुल्तवी करने का था। मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने उस तरमीम को वापिस ले लिया और दूसरी तरमीमें भी वापस ली गईं इसके लिये भी मैं मशकूर हूं। मालूम नहीं कि इस हाउस के कितने मेम्बर इस रिजोल्यूशन पर बोल चुके। शायद 30, 40 या इससे भी ज्यादा। करीब-करीब हरेक ने पूरी तौर पर इसकी ताईद की, किसी ने मुखालफत नहीं की। कहीं-कहीं बाज बातों की तरफ तवज्जह दिलाई गई। मेरा ख्याल है कि अगर हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों की राय ली जाये तो हम देखेंगे कि सब उसकी ताईद में हैं। शायद कोई किसी खास बात पर ज्यादा तवज्जह दिलाये या कम। इस नीयत से यह रिजोल्यूशन पेश हुआ था और बड़े गौर खोज के बाद अलफाज जोड़े गये थे ताकि कोई ऐसी बात पेश न हो जो ज्यादा बहस तलब हो, बल्कि

हमारे करोड़ों आदमियों के दिलों में जो आरजुयें हैं उनको लफजी जामा पहना कर पेश करें। इस पर खास कुछ मेरे कहने की क्या जरूरत है लेकिन आपकी इजाजत से दो एक बातों की ओर तवज्जह दिलाऊंगा। एक वजह इसको मुल्तवी करने की यह थी कि हम चाहते थे कि हमारे जो भाई यहां नहीं आये हैं उनको यहां आने का मौका मिले। इसे मुल्तवी करके एक महीने का मौका दिया गया था, लेकिन अफसोस है कि अब तब उन्होंने आने का फैसला नहीं किया लेकिन बहरसूरत जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम इस दरवाजे को खुला रखेंगे, आखिरी दम तक खुला रखेंगे और उनको, और हरेक को, जिनको यहां आने का हक है, पूरे तौर से आने का मौका देंगे। जाहिर है कि दरवाजा खुला है लेकिन हमारा काम नहीं रुक सकता। इसलिये जरूरी हो गया कि इस रिजोल्यूशन को पूरी मंजिल तक पहुंचायें। मुझे उम्मीद है कि अब भी जो साहिबान बाहर हैं वे आने का फैसला करेंगे। बाज लोगों की राय थी (हालांकि वे इस रिजोल्यूशन से मुत्तफिक हैं) कि हमारे बाज और काम भी मुल्तवी होते जायें ताकि किसी के आने में कोई रुकावट न पड़े। मुझे इस राय से किसी कदर हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी होते हुये भी मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई साहब इस राय को पेश कर सकते हैं। इन्तजार करने का सवाल है, रिजोल्यूशन को मुल्तवी करने का नहीं। 6 हफ्ते हमने इन्तजार किया लेकिन दरअसल 6 हफ्ते का सवाल नहीं है, बल्कि इन्तजार करते-करते उमरें गुजर गई हैं। कब तक हम और इन्तजार करें? बहुत लोग इन्तजार करते-करते गुजर भी गये। अक्सर लोगों का भी आखिरी जमाना आ रहा है। इन्तजार काफी हो चुका अब ज्यादा इन्तजार नहीं हो सकता। चुनाचे हमें इस असेम्बली के काम को चलाना है, तेजी से चलाना है और जल्द खत्म करना है क्योंकि आप याद रखिये कि असेम्बली का काम रिजोल्यूशन पास करना ही नही है। मैं तो यह कहूंगा कि कांस्टीट्यूशन बना देने से ही काम पूरा नहीं होगा। यह तो महज एक बुनियाद है। पहला काम इस असेम्बली का यह होगा कि इस कांस्टीट्यूशन के जरिये से हिन्दुस्तान में आजादी फैलायें, भूखों को रोटी दें और नंगों को कपड़ा दें और हिन्दुस्तान के रहने वालों को मौका मिले कि वह पूरी तौर पर तरक्की कर सकें। यह एक बड़ा काम है। आज कल आप हिन्दुस्तान की तरफ देखें। हम यहां बैठे हैं मगर कितने ही शहरों में परेशानी है, कितने ही शहरों में झगड़े हो रहे हैं। झगड़ों की बड़ी चर्चा होती है जिन्हें फिर कावाराना झगड़ा कहते हैं बदकिस्मती से हमें इनका कभी-कभी सामना करना पड़ता है लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हिन्दुस्तान में है वह गरीबों और भूखों का है, किस तरह से इनको हल किया जाये। जिधर आप देखें यही सवाल है। अगर इस सवाल का हम जल्द फैसला नहीं कर सकते तो आपका सारा कागजी विधान और आईन फिजूल हो जाता है। इसलिये इस नक्शे को सामने रख कर कौन इन्तजार कर सकता है और हमारे काम को मुल्तवी कर सकता है? एक तरफ से आवाज आई है कि वालियान रियासत को पूरे तौर से यह रिजोल्यूशन पसन्द नहीं है क्योंकि इसमें चन्द हिस्से ऐसे हैं, जिन्हें वे समझते हैं कि वे उनके अख्तियारात में दखल देते हैं। बहर सूरत वह यहां नहीं हैं। उनकी

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

गैरहाजरी में हम कैसे कोई फैसला करें? यह बात सही है कि वह यहां नहीं हैं लेकिन अगर हम उनका इन्तजार करेंगे तो इस नक्शे के मुताबिक इस कांस्टीट्यूएट असेम्बली के आखिर तक भी हम काम पूरा नहीं कर सकते। यह तो नामुमकिन बात है। हमारा बनाया हुआ नक्शा यह नहीं था कि वह आखिर में आयें। हमने तो उनसे पहले ही आने के लिए कहा था। वह आयें तो उनका स्वागत है। हम उनको नहीं रोकते हैं। कुछ रुकावट है तो उनकी ही तरफ से है। एक महीना गुजरा आपने उनके नुमाइन्दों से मशविरा करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। हम मशविरा करने के लिये तैयार हैं गो कि अब तक हमें मौका नहीं मिला। इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने वक्त नहीं मांगा। हम तो जल्द-से-जल्द इस काम को पूरा करना चाहते हैं। यह शिकायत उनकी है कि उसमें लिखा है ''आखिरी फैसले का अख्तियार आम लोगों को हासिल है'' (सोवरेनिटी बिलोंग्स टु दी पीपुल एंड रेस्टस विद दी पीपुल) उन्हें इस बात पर ऐतराज है। ऐतराज मैं समझ सकता हूं क्योंकि जो लोग एक जमाने से पुराने ख्याल के बन गये हैं और एक ऐसी फिजा में रहते हैं, जिसमें नये ख्याल दिमाग में नहीं आते तो कोई ताज्जुब नहीं है कि वह आसानी से इन ख्यालों को न छोड़ पायें। लेकिन आजकल के जमाने में कोई शख्स यह कहे कि कुल अख्तियार एक इंसान को हासिल हैं और हुकूमत करने का हक उसको खुदा का दिया हुआ है या किसी और ताकत का तो यह एक अजीब व गरीब बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई हिन्दुस्तान का आदमी चाहे वह रिआसती मुमालिक का हो या कहीं और का, कैसे इस बात को कहने की जुरअत कर सकता है। यह नामुनासिब बात है कि जो बात सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया में उठी थी और नामंजूर हुई वह अब पेश की जाये। चुनाचे मैं उनसे निहायत अदब से कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से वह अपनी हैसियत को कम करते हैं। और अपनी जगह को कमजोर करते हैं और दुनिया के सामने एक गलत बात कहते हैं। कम-से-कम यह असेम्बली अपनी बुनियाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अगर पहुंचायेगी तो सारे हमारे कांस्टीट्यूशन बनाने की बुनियाद गलत हो जायेगी।

आइन्दा हमारा ताल्लुक और मुल्कों से क्या होगा, जब हम एक आजाद मुल्क और रिपब्लिक होंगे? क्या ताल्लुक अंग्रेजों के मुल्क से होगा और क्या ताल्लुक दूसरे मुल्कों से होगा? यह सवाल उठ सकता है। हम रिजोल्यूशन के मानी हैं कि हम पूरे तौर से आजाद हों और किसी और गिरोह में शरीक न हों, सिवाय ऐसे गिरोह के जो दुनिया में बन रहा है और जिसमें दुनिया के और मुल्क शामिल हैं। वाकई बात यह है कि आज जमाना बिल्कुल बदल गया है, लफजों के मायने बदल रहे हैं। आजकल जो जरा भी गौर करता है वह यह समझ लेता है कि अगर कोई अन्देशा दूर हो सकता है, तो वह सिर्फ एक तरह से और वह यह कि दुनिया के मुल्क आपस में मिल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। बहुत बड़े-बड़े नुक्स यूनाइटिड नेशन्स ऑरगेनाइजेशन्स में हो रहे हैं। हजारों दिक्कतें हैं, हजारों शक हैं जो एक-दूसरे पर किये जा रहे हैं। हमने कहा है कि

हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिल-जुलकर इस काम में शरीक होंगे। हालांकि अंग्रेजों के मुल्क से और ब्रिटिश कामनवेल्थ के मुल्कों से शरीक होकर काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि हम अपनी पुरानी लड़ाई के किस्से को दिमाग से भुला दें और आजाद होने की पूरी तौर से कोशिश करें और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें। लेकिन इस दोस्ती से हमारी आजादी में जरा भी कमी न होगी। यह रिजोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक को दुनिया के सामने रखने के लिए है और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन यह रिजोल्यूशन एक दोस्ती और समझौते का है। हिन्दुस्तान के सब लोगों से चाहे वह किसी कौम और किसी मजहब के हों, और दुनिया के सब मुल्कों से और कौमों से जिसमें अंग्रेजों का मुल्क और ब्रिटिश कामनवेल्थ और दुनिया के और मुल्क भी शामिल हैं, यह रिजोल्यूशन सब से दोस्ती रखने का दावा करता है। यह आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे मंजूर करेंगे।

एक भाई ने याद दिलाया है कि चार दिन के बाद वह दिन जिसे हम आजादी का दिन कहते हैं आने वाला है और मुनासिब होता कि यह रिजोल्यूशन उस दिन पेश होता। शायद एक मानों में यह मुनासिब होता, लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते हैं तो उसको एक साइत के लिए भी टालना मुनासिब नहीं है। जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं करें, उसको एक घंटे के लिए भी मुल्तवी करना मुनासिब नहीं है।

यह रिजोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है एक नई शक्ल में है, एक नये जामे में है। लेकिन यह एक लम्बे सिलसिले के बाद आया है। इसके पीछे कितने रिजोल्यूशन हैं, कितनी प्रतिज्ञायें हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आजादी और 'क्विट इंडिया' यानी हिन्दुस्तान छोड़ो के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन रिजोल्यूशनों ने दुनिया में नाम हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किये थे, उनको पूरा करें। यह कैसे पूरा करें? यह सब आप साहिबान के हाथ में है। चुनाचे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिजोल्यूशन को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक इकरार समझ कर जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

मैं एक बात बाअदब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सामने बहुत से सवाल आयेंगे और आते हैं अलहदा-अलहदा गिरोहों के लोग और अलहदा-अलहदा फिरकों के लोग अपने-अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी होगी, लेकिन हमेशा इस सवाल को याद रखना है कि छोटी बातों में और छोटी-छोटी बहसों में हम न बहक जायें, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अगर हिन्दुस्तान आजाद होता है तो हम सब हिन्दुस्तानी आजाद होंगे और अगर हिन्दुस्तान आजाद नहीं होता है तो हम सब गुलाम रहेंगे। अगर हिन्दुस्तान जिन्दा है तो हम भी जिन्दा हैं और सब फिरके और गिरोह भी जिन्दा हैं या आजाद हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अंग्रेजी में भी अर्ज कर दूं।

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

*अध्यक्ष महोदय, आज 6 सप्ताह हुये कि इस महती सभा के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने अवसर की गम्भीरता और पवित्रता का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुये शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी प्रस्ताव ही नहीं रखा था। वरन् प्रस्ताव और उसके शब्द राष्ट्र की उस वेदना और आशाओं को व्यक्त करते थे जो आज फलवती होने जा रही है।

उस अवसर पर यहां खड़ा होकर मैंने अनुभव किया था कि अतीत हमारे चतुर्दिक व्याप्त है और भविष्य भी अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। हम वर्तमान रूपी तलवार की धार पर चल रहे हैं और चूंकि मैं न केवल सभा के सदस्यों के सामने बोल रहा था बल्कि हिन्दुस्तान की 40 करोड़ जनता के आगे अपनी बात कह रहा था, और चूंकि यह महसूस कर रहा था कि हम नये जमाने में कदम रखने जा रहे हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता था मानों हमारे पूर्वज हमारी कार्यवाही को देख रहे हैं और अगर हम ठीक दिशा में चल रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमें ऐसा भी मालूम पड़ता था मानों हमारा सम्पूर्ण भविष्य जिसके हम संरक्षक हैं, प्रत्यक्ष हमारी आंखों के आगे अपना स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है। भविष्य का संरक्षक बनना बड़े दायित्व का काम था और अपने गौरवशाली अतीत का उत्तराधिकारी बनना भी दायित्वपूर्ण था। महान् अतीत और अपनी कल्पना के महान् भविष्य के बीच स्थित वर्तमान के किनारे हम खड़े थे और मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अवसर की गम्भीरता का प्रभाव इस महती सभा पर भी अवश्य पड़ा था।

ऐसी अवस्था में मैंने यह प्रस्ताव सभा के सम्मुख रखा था और आशा की थी यह दो तीन दिनों में ही पास हो जायेगा और शीघ्र ही हम अपना अन्य काम प्रारम्भ कर देंगे। परन्तु एक लम्बे वाद-विवाद के बाद सभा ने उस पर और विचार आगे के लिये स्थगित रखना तय किया। मैं यह मंजूर करता हूं कि इससे मुझे थोड़ी निराशा भी हुई क्योंकि मैं इस बात के लिए अधीर हो रहा था कि हम लोग आगे बढ़ें। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि पथ में विलम्ब करके हम अपनी की हुई प्रतिज्ञा के प्रति झूठे बन रहे हैं। यह तो बहुत बुरा प्रारम्भ था कि हम लक्ष्य-सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव को स्थगित कर दें। क्या इसका यह मतलब है कि हमारा भविष्य का काम भी धीरे-धीरे होगा और जब तब स्थगित होता रहेगा? फिर भी मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि सभा ने अपनी बुद्धि से उस प्रस्ताव को स्थगित रखने का जो फैसला किया था वह दुरुस्त फैसला था क्योंकि हमने इन दो बातों पर सदा ध्यान दिया है। एक तो इस बात पर कि हमारा लक्ष्य तक पहुंचना नितान्त आवश्यक है और दूसरे इस बात पर कि हम यथा समय और अधिक से अधिक एकमत होकर अपने लक्ष्य पर पहुंचें। इसलिये मैं यह सादर कहता हूं कि यह ठीक ही हुआ कि सभा ने इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित रखने का फैसला किया और इस तरह उसने न सिर्फ संसार को ही प्रकट कर दिया कि

हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि जो लोग नहीं आये हैं वे भी शरीक हों बल्कि देश के सभी लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया कि हम, सबका सहयोग पाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। तब से आज 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और इस बीच में अगर वे आना चाहते तो उनको काफी मौका मिला। दुर्भाग्य से उन्होंने अब तक आने का फैसला नहीं किया है और अभी भी अनिश्चय की अवस्था में पड़े हैं। मुझे इसका खेद है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि वे भविष्य में जब आना चाहें आयें, हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह बात तो साफ-साफ समझ लेनी चाहिए और इसमें कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि भविष्य में हमारा काम रुकेगा नहीं, चाहे कोई आवे या न आवे। काफी इन्तजार किया जा चुका है। न केवल 6 हफ्ते बल्कि देश के बहुत से लोगों ने सालों तक इन्तजार किया है और देश ने तो कई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की है। आखिर हम कितना और इन्तजार करेंगे। और अगर हम लोग, हममें से कुछ लोग, जो सम्पन्न हैं इन्तजार कर भी सकते हैं तो भूखे और बिना अन्न मरने वाले भला कैसे इन्तजार कर सकते हैं? यह प्रस्ताव भूखों को भोजन तो नहीं देगा पर यह उन्हें बहुत-सी बातों का विश्वास दिलाता है। यह उन्हें आजादी का, भोजन का और सब लोगों को अवसर देने का विश्वास दिलाता है।

इसलिये जितना जल्दी हम इसे कार्यान्वित करने में लग जायें उतना ही अच्छा है। हमने 6 हफ्ते तक इन्तजार किया और इस बीच में देश ने इस पर सोचा है विचार किया है। दूसरे देशों ने और दूसरे लोगों ने भी जिनकी इसमें दिलचस्पी है इस पर सोच-विचार किया है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिये हम लोग यहां पुन: समवेत हो रहे हैं। हमने इस पर एक लम्बा वाद-विवाद किया है और अब इसे मंजूर करने वाले ही हैं मैं डॉ. जयकर और श्री सहाय का कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने अपने संशोधन वापस ले लिये। डॉ. जयकर के उद्देश्य की सिद्धि तो प्रस्ताव को स्थगित रखने से हो चुकी थी और ऐसा जान पड़ता है कि सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रस्ताव से पूर्णत: सहमत न हो। हां, यह हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा-बहुत शाब्दिक हेर-फेर चाहते हों या इसके किसी भाग पर कम या वेशी जोर देना चाहते हों, पर जहां तक समूचे प्रस्ताव का सम्बन्ध है इसे सभा की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इसमें जरा भी शक नहीं कि इसको देश का भी पूर्ण समर्थन मिल चुका है।

इसकी कुछ आलोचना भी हुई है और खासकर कुछ राजा-महाराजाओं की ओर से। उनकी पहली शिकायत तो यह है कि रियासती प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में यह प्रस्ताव न पास करना चाहिये था। अंशत: इस आलोचना से मैं सहमत हूं। मेरा मतलब यह है कि मुझे खुशी होती अगर प्रस्ताव पास होते समय सारी रियासतों के, समस्त भारत के, उसके हर हिस्सों के, वास्तविक प्रतिनिधि यहां मौजूद होते। परन्तु अगर वे यहां मौजूद नहीं हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है। यह दोष तो मूलत: उस योजना का है जिसके आधीन हम कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे सामने यही रास्ता है। चूंकि कुछ लोग यहां नहीं उपस्थित हो सकते, इसलिये क्या

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

हम अपना काम स्थगित रख देंगे? तब तो चूंकि रियासतों के प्रतिनिधि नहीं मौजूद हैं हम न केवल प्रस्ताव को बल्कि और भी बहुत काम स्थगित रख देंगे और यह एक भयानक बात होगी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है वे यहां जल्द से जल्द आ सकते हैं। यदि वे रियासतों के समुचित प्रतिनिधि भेजेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। गत 6 हफ्तों के अन्दर भी, हमने अपनी ओर से हर चन्द इस बात की कोशिश की कि हम रियासती कमेटी के सम्पर्क में आवें और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि उनके वास्तविक प्रतिनिधि परिषद् में आ सकें। इसमें देर हुई है यह हमारा दोष नहीं है। हमें खुद इस बात की फिक्र है कि सभी लोग परिषद् में शामिल हों चाहें वे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हों, रियासतों के प्रतिनिधि हों या और कोई हों। इस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा ताकि इस सभा को यथासम्भव देश का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसलिये हम इस प्रस्ताव को या और कामों को महज इस लिये स्थगित नहीं रख सकते कि कुछ लोग यहां मौजूद नहीं हैं।

एक दूसरी आपत्ति भी उठायी गई है। जनता के सर्वसत्ता-सम्पन्न होने की जो कल्पना प्रस्ताव में की गई है वह कुछ नरेशों को पसन्द नहीं है। यह आपत्ति आश्चर्यजनक है और मैं तो कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह नरेश हो या मन्त्री यदि सचमुच इस पर आपत्ति करता है तो भारतीय रियासतों की वर्तमान शासन, पद्धति की तीव्र निन्दा के लिये उसकी यह आपत्ति ही काफी है। किसी भी व्यक्ति चाहे उसका दर्जा कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह कहना कि ईश्वरदत्त विशेषाधिकार से मैं मुनष्य पर शासन करने आया हूं नितान्त जघन्य है। यह परिकल्पना असह्य है और उसे यह सभा कभी भी मंजूर न करेगी। अगर सभा के सामने यह बात पेश की गई तो यह भी इसका तीव्र विरोध करेगी। हमने राजाओं के दैवी अधिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना है। हमने इतिहासों में इसके सम्बन्ध में पढ़ा था और यह समझा था कि अब दैवी अधिकार की कल्पना समाप्त हो गई। वह आज मुद्दत हुई दफना दी गई। यदि आज हिन्दुस्तान में या और भी कहीं कोई व्यक्ति इस दैवी अधिकार की चर्चा करता है तो उसकी यह चर्चा भारत की वर्तमान अवस्था से बिल्कुल असंगत है। इसलिये मैं तो ऐसे व्यक्तियों को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव दूंगा कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, दोस्ताना सलूक चाहते हैं, तो उस बात को कहना तो दूर रहा आप उसकी ओर इशारा भी न कीजिये। इस प्रश्न पर कोई समझौता न होगा।

परन्तु, जैसा कि पहले इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने स्पष्ट कहा था, यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम लोग रियासतों के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। मैंने तो यहां तक कहा था कि हम रियासतों की राजतन्त्रीय-पद्धति में भी दखल न देंगे, यदि वहां की प्रजा इसे चाहती हो। मैंने ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत आयरिश प्रजातंत्र का उदाहरण भी दिया था। और यह कल्पना भी मुझे ग्राह्य है कि भारतीय प्रजातंत्र के अन्तर्गत राजतंत्र भी रह सकते हैं, यदि प्रजा उन्हें चाहती हो। इस बात को तय करना एकमात्र उनका काम है। यह प्रस्ताव और सम्भवत: वह विधान भी, जो हम बनायेंगे, इस मामले में कोई दखल न

देगा। हां यह बात अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में स्वतंत्रता का स्तर एक सा हो, क्योंकि यह बात मेरी कल्पना से भी परे है कि भारत के कुछ भागों को तो प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो और कुछ भागों को न प्राप्त हो। यह नहीं हो सकता। इससे झगड़े पैदा होंगे जैसा कि आज इस विशाल संसार में आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ मुल्क तो स्वतन्त्र हैं और कुछ पराधीन। इससे भी बड़ी मुसीबत यहां पैदा हो जायेगी अगर भारत के कुछ हिस्सों में तो आजादी हो और कुछ में न हो।

इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के शासन के लिये हम कोई खास पद्धति नहीं निर्धारित कर रहे हैं। हम इसमें इतना ही कहते हैं कि ये रियासतें जो खुद इतनी बड़ी हैं कि बतौर संघ के हों या कई मिलकर संघ बनावें स्वतन्त्र खुद मुख्तार प्रदेश होंगे। इनको सभी बातों में पूरी आजादी होगी, सिवा उन चन्द मामलों के जो केन्द्र के आधीन होंगे। केन्द्र में भी इनके प्रतिनिधि रहेंगे और वहां भी इन मामलों पर विचार करने में इनका सहयोग लिया जायेगा। इसलिए यह प्रस्ताव रियासतों या इनके संघों के अन्दरूनी हुकूमतों में कोई दखल नहीं देता है। ये खुदमुख्तार होंगे और जैसा मैंने कहा है अगर ये चाहेंगे तो बतौर अध्यक्ष के वैध या नियमानुमोदित राजतन्त्र रख सकते हैं इस बात के लिये वे आजाद हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भारत में और अन्य स्थानों में भी प्रजातन्त्र का हामी हूं। पर इस सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत विचार जो कुछ भी हों मैं उन्हें दूसरों पर नहीं लादना चाहता। मैं समझता हूं कि इस सभा की भी यह मर्जी नहीं है, वह उन मामलों में अपनी राय दूसरों पर लादे।

इसलिये इस प्रस्ताव पर जो आपत्ति एक रियासत के राजा ने की है, वह सिद्धान्त की दृष्टि से, सारी सत्ता जनता के हाथ में है उस सिद्धान्त के व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक परिणामों का ही विरोध करती है। इसके अलावा किसी को और कोई आपत्ति नहीं है, यह आपत्ति 1 मिनट भर भी नहीं टिक सकती। हम इस प्रस्ताव में यह दावा करते हैं कि हम लोग स्वतन्त्र सर्वसत्ता सम्पन्न भारतीय प्रजातन्त्र के लिये, अनिवार्यतः प्रजातन्त्र के लिये एक विधान तैयार करेंगे। प्रजातन्त्र के अलावा आखिर भारत में हम और क्या रख सकते हैं? चाहे देशी रियासतों में जैसी भी व्यवस्था रखी जाये, यह असम्भव और अनुचित है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत के प्रजातंत्र के अलावा अन्य कोई शासन-पद्धति होगी।

अब प्रश्न यह आता है कि वह प्रजातंत्र संसार के देशों से, इंग्लैंड से, ब्रिटिश कामनवेल्थ से कैसा सम्बन्ध रखेगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर हमने यह प्रतिज्ञा की है और बहुत दिनों तक की है कि हम ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करेंगे क्योंकि हमारा यह सम्बन्ध ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम दुनिया से अलग रहेंगे या उन देशों के विरुद्ध रहेंगे जिन्होंने हम पर प्रभुता की है। इस अवसर पर जब हम स्वतन्त्रता के दरवाजे पर पहुँच गये हैं हम यह नहीं चाहते कि किसी भी देश के प्रति हम में लेश-मात्र भी शत्रुता की भावना हो। हम सबके साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं। हम

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

ब्रिटिश जनता के साथ, ब्रिटिश कामनवेल्थ के सारे देशों के साथ दोस्ताना सलूक रखना चाहते हैं।

पर जिस बात पर मैं चाहता हूं कि यह सभा विचार करे वह यह है। जब ये शब्द् और ये लेबुल बड़ी तेजी से अपना मतलब बदलते जा रहे हैं और आज की दुनिया में पृथकत्व नहीं रह गया है तो आप भी दूसरों से अलग नहीं रह सकते। आपको सहयोग करना ही होगा, नहीं तो संघर्ष कीजिये। बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम शान्ति चाहते हैं। जहां तक हमारे बस की बात है हम किसी भी देश से लड़ना नहीं चाहते। और राष्ट्रों की तरह हमारा भी यही सम्भव और वास्तविक लक्ष्य है कि एक विश्व संगठन बनाने में हम सबको सहयोग दें। उस विश्व संगठन को आप चाहें एक दुनिया के नाम से पुकारिये या अन्य किसी नाम से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से उस विश्व-संगठन के निर्माण का प्रारम्भ हो चुका है। यह अभी बहुत कमजोर है, इसमें बहुत-सी खराबियां हैं, फिर भी इससे विश्व-संगठन का प्रारम्भ तो हो ही गया है और हिन्दुस्तान ने इस काम में सहयोग देने का वायदा कर लिया है। अब यदि हम इस विश्व संगठन की बात सोचते हैं—इसमें दूसरे देशों को अपना सहयोग देने की बात सोचते हैं। तो फिर यह सवाल कहां उठता है कि हम देशों के इस गुट या उस गुट के साथ हैं। सच बात तो यह है कि जितने ज्यादा गुट या गिरोह बनेंगे उतना ही यह विश्व-संगठन कमजोर होता जायेगा।

इसलिये उस विशाल संगठन को मजबूत बनाने के हेतु सभी देशों के लिये यह वांछनीय है कि वे अलग दल या गिरोह बनाने पर जोर न दें। मैं जानता हूं कि ऐसे अलग-अलग दल और गुट आज संसार में हैं और उनके अस्तित्व ही के कारण उनमें परस्पर शत्रुता है और युद्ध की भी चर्चा उनमें चल रही है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, शान्ति रहेगी या संघर्ष होगा। हम कगार के किनारे खड़े हैं और भिन्न-भिन्न शक्तियां हमें दो विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। कुछ शक्तियां हमें सहयोग की ओर, शान्ति की ओर खींच रही हैं और कुछ कगार के नीचे, युद्ध और पार्थक्य की ओर ठेल रही हैं। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि यह बता सकूं कि आगे क्या होगा पर इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग शान्ति चाहते हैं उन्हें अलग-अलग गुट बनाने का विरोध करना चाहिये। इन गुटों का आपस में विरोधी हो जाना लाजिमी है, स्वाभाविक है। इसलिये जहां तक इसकी वैदेशिक नीति की गति है, हिन्दुस्तान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह दलों और गुटों से बिल्कुल अलग रहना चाहता है और दुनिया के सारे देशों के साथ बराबरी के दर्जे पर सहयोग करना चाहता है। यह स्थिति है तो बड़ी मुश्किल की क्योंकि लोगों में जब एक दूसरे के प्रति शक भरा हुआ हो तो जो आदमी तटस्थ रहना चाहता है उस पर यह शक किया जाता है कि वह दूसरे दल के साथ हमदर्दी रखता है। यह बात हम हिन्दुस्तान में भी देख सकते हैं और संसार की राजनीति के व्यापक क्षेत्र में भी। अभी हाल में एक अमेरिकन राजनीतिज्ञ ने ऐसे शब्दों में हिन्दुस्तान की आलोचना की है जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका के राजनीतिज्ञों में जानकारी और समझ की बड़ी कमी है।

चूंकि हम अपनी स्वतन्त्र नीति बरतते है, इसलिए मुल्कों का एक गिरोह यह समझता है कि हम दूसरे गिरोह के साथ हैं और दूसरा गिरोह यह समझता है कि हम उसके विरोधी के साथ हैं। यह तो होगा ही। अगर हम भारत को स्वतन्त्र प्रजातन्त्र बनाना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कि हम दूसरे मुल्कों से जुदा हो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बहैसियत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के शान्ति और स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए हम सभी देशों को—ब्रिटेन को, ब्रिटिश कामनवेल्थ के राष्ट्रों को, अमेरिका को, रूस को तथा अन्य सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों को—अपना पूरा सहयोग देना चाहते हैं। परन्तु हमारे और इन देशों के बीच वास्तविक सहयोग तभी हो सकता है जब हम यह समझते हों कि हम स्वतन्त्र होकर सहयोग दे रहे हैं न कि यह कि सहयोग देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तब तक कोई भी सहयोग सम्भव नहीं है जब तक मजबूर किये जाने का रंच-मात्र भी आभास हमें मिलेगा।

इसलिए मैं इस सभा के सामने इस प्रस्ताव की तारीफ करता हूं और मैं तो कहूंगा कि न सिर्फ सभा के ही सामने बल्कि दुनिया के सामने उसकी तारीफ करता हूं, ताकि यह बात साफ हो जाये कि यह प्रस्ताव सबके प्रति सद्भावना जाहिर करने की एक कोशिश है और इसके पीछे कोई शत्रुता की भावना नहीं है। हमने गुजरे हुए जमाने में बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेली हैं, हमने काफी संघर्ष किया है और हो सकता है कि हमें फिर संघर्ष करना पड़े। पर महात्माजी के नेतृत्व में हमारी सदा यही कोशिश रही है कि दूसरों के साथ हमारा दोस्ती और सद्भावना का बर्ताव हो, यहां तक कि उनके साथ भी जो हमारे विरोधी हैं। हम नहीं जानते कि इसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और हममें भी कमजोरियां हैं। फिर भी महात्माजी के सन्देश की एक गहरी छाप इस देश के करोड़ों आदमियों के दिलों पर पड़ी है और उस हालत में हम जब भी गलती पर हों या कुराह पर हों, इसे भूल नहीं सकते। हममें से कुछ लोग साधारण आदमी हो सकते हैं और कुछ महान्, पर चाहे हम साधारण मुनष्य हों या महान्, फिलहाल हम एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ-न-कुछ महत्ता की छाया हम पर पड़ती ही है। आज इस सभा में हम सब एक महान् उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रस्ताव, जिसे मैंने पेश किया है, उस महान् उद्देश्य का कुछ-कुछ स्वप्न जाहिर करता है। हम इसे पास करेंगे और उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के जरिये हम वह विधान बना पायेंगे जिसकी रूप-रेखा इसमें दी हुई है। मुझे विश्वास है कि वह विधान हमें असली आजादी देगा जिसके लिए हम इतने दिनों से रट लगा रहे थे और फिर वह आजादी हमारी भूखी जनता को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देगी, उनकी उन्नति के लिए हर तरह के मौके देगी। मुझे यह भी विश्वास है कि इस विधान से दूसरे एशियाई मुल्कों को भी आजादी प्राप्त होगी। हम चाहे जितने भी अयोग्य हैं, हमें यह मान लेना चाहिए कि हम एक तरह से एशिया में आज स्वतन्त्रता-आन्दोलन के नेता बन गये हैं और हर काम में हमें अपने को उसी व्यापक दायरे में रखना चाहिए। जब किसी छोटी-मोटी बात से हममें मतभेद

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

पैदा हो जाये और इसकी वजह से हमारे सामने मुश्किलें और आपसी झगड़े दिखाई दें तो हम न सिर्फ प्रस्ताव को ही याद रखें, बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को भी याद रखें जो हमारे कंधों पर है। 40 करोड़ भारतीय जनता की आजादी की जिम्मेदारी को, एशिया के एक विशाल भाग के नेतृत्व की जिम्मेदारी को, तथा सारे संसार की विशाल जनसंख्या के एक तरह से पथ-प्रदर्शक होने के दायित्व को, याद रखें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को याद रखें तो सीट या ओहदे के लिए, इस दल या उस दल के चन्द छोटे-मोटे लाभों के लिए शायद हम कलह न करेंगे। एक बात जो हम सबों के दिमाग में साफ-साफ आ जानी चाहिए, वह यह है कि हिन्दुस्तान का कोई दल, कोई पार्टी, कोई धर्म या कोई सम्प्रदाय कभी भी सुखी और सम्पन्न न होगा अगर स्वयं हिन्दुस्तान सुखी और सम्पन्न नहीं है। अगर हिन्दुस्तान खत्म होता है तो हम सब खत्म हो जाते हैं, चाहे हमें एक सीट ज्यादा मिली या कम, चाहे हमें थोड़ी-विशेष सुविधा मिली या नहीं। अगर हिन्दुस्तान आनन्द में है, अगर वह एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र देश की तरह जीवित रहता है तो हमें भी आनन्द-ही-आनन्द है, चाहे हम किसी भी फिरके के हों, किसी भी धर्म के हों।

हम विधान बनायेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत अच्छा विधान होगा। पर इस सभा का कोई सदस्य ऐसा भी समझता है कि स्वतन्त्र भारत अपना प्रादुर्भाव होने पर कोई भी बन्धन, भले ही वह इस सभा का ही बनाया क्यों न हो, मंजूर करेगा। स्वतंत्र भारत में तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का तेज चारों तरफ चमकता दिखाई देगा। मैं यह नहीं जानता कि वह क्या करेगा और क्या नहीं करेगा; पर इतना जरूर जानता हूं कि वह अपने ऊपर कोई भी बंधन नहीं मंजूर करेगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें शायद आगामी दस या बीस वर्षों तक हाथ भी न लगाया जा सके, लेकिन अगर इसे हम आज नहीं कर लेते तो शायद पीछे हम न कर पायेंगे। मेरी समझ में यह बिल्कुल मिथ्या भ्रम है, गलत ख्याल है। सभा के सामने मैं यह बात नहीं रख रहा हूं कि अमुक काम किया जाये और अमुक नहीं किया जाये। पर मैं सभा से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह ऐसा समझे कि अब क्रान्तिकारी परिवर्तन शीघ्र ही होने वाले हैं। क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा अपने बन्धनों को तोड़ बैठती है तो वह एक अनोखे ढंग से काम करने लगती है और उसे अनोखे ढंग से काम करना ही चाहिए। हो सकता है कि जो विधान यह सभा बनाये, उससे स्वतन्त्र भारत को सन्तोष न हो। यह सभा आने वाली पीढ़ी को या उन लोगों को, जो इस काम में हमारे उत्तराधिकारी होंगे, बांध नहीं सकती। इसलिए हमें अपने काम के छोटे-मोटे ब्यौरों पर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। ये ब्यौरे कभी भी टिकाऊ न होंगे अगर उन्हें हमने झगड़ा करके तय पाया। उसी चीज के टिकाऊ होने की सम्भावना है जिसे हम सहयोग से एकमत होकर पावेंगे। संघर्ष करके, दबाव डालकर, धमकी देकर हम जो कुछ भी हासिल करेंगे वह स्थायी न होगा। वह तो केवल एक दुर्भावना का सिलसिला छोड़ जायेगा और इसलिए मैं सभा के सामने से इस

प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं। अब मैं प्रस्ताव के अन्तिम पैरे को पढ़ देता हूं। पर अध्यक्ष महोदय, इसे पढ़ने के पहले एक बात और मैं कह देना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान एक महान् देश है। प्रचुर साधनों के ख्याल से, जनशक्ति के विचार से, स्थायित्व की दृष्टि से हर तरह यह एक महान् देश है। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि आजाद हिन्दुस्तान विश्व-रंग-मंच पर हर काम में अपना जबरदस्त पार्ट अदा करेगा। भौतिक शक्ति के संकुचित क्षेत्र में भी वह पूरा हिस्सा लेगा और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वह जबरदस्त हिस्सा ले। आज संसार में भिन्न-भिन्न शक्तियों के बीच भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में संघर्ष चल रहा है एटम बम और इसकी भिन्न-भिन्न शक्तियों के बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे हैं। वस्तुत: आज संसार में दो प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक ओर तो रचना-मूलक मानव-प्रवृत्ति है और दूसरी ओर है विनाश-मूलक दानव-प्रवृत्ति-जिसका एटम बम एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि भारत भौतिक शक्ति के क्षेत्र में अपना जबरदस्त हिस्सा तो लेगा ही, पर वह हमेशा रचनात्मक मानव-प्रवृत्ति पर ही जोर देगा। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि इस संघर्ष में, जो आज दुनिया के सामने भूत बनकर खड़ा है अन्त में एटम बम पर, दानव-प्रवृत्ति पर, मानव-प्रवृत्ति की जीत होगी। ईश्वर करे यह प्रस्ताव फलीभूत हो और वह समय आये जब इस प्रस्ताव के अनुसार यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे और संसार की शान्ति और मानव-कल्याण की उन्नति के लिए अपना पूरा तथा हार्दिक सहयोग दे।

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आपके वोट देने का समय अब आ गया है। मैं आशा करता हूं कि इस अवसर की गंभीरता और इस प्रस्ताव में निहित प्रतिज्ञा और वचन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सदस्य इसके पक्ष में अपना वोट देते समय अपने स्थान पर खड़ा हो जायेगा।

मैं प्रस्ताव पढ़ता हूं:

(1) यह विधान-परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाये:

(2) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे स्वतन्त्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और

(3) जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बनाने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा वा रहेगा उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे वा रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय

[अध्यक्ष]

उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(4) जिसमें सर्वतन्त्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने वा काम करने की स्वतन्त्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(6) जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुये वा कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण विधि रहेगी; और

(7) जिसके द्वारा इस जनतन्त्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

(8) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने तब प्रस्ताव का हिन्दी रूपान्तर पढ़कर सुनाया।)

प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद भी मेरे पास है। दुर्भाग्य से मैं उसे पढ़ नहीं सकता। यदि कोई और सदस्य इसे मेरी ओर से पढ़ सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

(उसके बाद श्री मोहनलाल सक्सेना ने प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद पढ़ा।)

***अध्यक्ष:** मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें।

सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार किया।

भूटान और सिक्किम को नेगोशियेटिंग कमेटी के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

***अध्यक्ष:** अगला प्रस्ताव सिक्किम और भूटान के सम्बन्ध में है। पं. जवाहरलाल नेहरू इसे पेश करेंगे।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं—

"यह परिषद् निश्चय करती है कि 21 दिसम्बर, 1946 के अपने प्रस्ताव के अनुसार (नरेन्द्र मंडल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से कतिपय विशेष विषयों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने के लिए) जो कमेटी नियुक्त की गई थी, उसे अन्य बातों के अलावा भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए उन व्यक्तियों से विचार-विनिमय करने का, जिनसे बातचीत करना वह उचित समझेगी और इस परिषद् के सामने अपने कार्य की रिपोर्ट उपस्थित करने का भी अधिकार होगा।

श्रीमान्, क्या मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि इस प्रस्ताव की जो प्रति सदस्यों को दी गई है, उसकी अन्तिम पंक्ति को छोड़कर पहली पंक्ति में थोड़ा-सा परिवर्तन करके उसे इस प्रकार पढ़ा जाये—"भूटान और सिक्किम की विशेष समस्याओं का विचार करने के लिए और परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने का"...

सभा को स्मरण होगा कि गत दिसम्बर में हमने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके अनुसार नरेन्द्र-मंडल द्वारा नियुक्त नेगोशियेटिंग कमेटी तथा देशी रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों से निम्न विषयों पर विचार-विनिमय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, श्री शंकरराव देव, सर एन. गोपालस्वामी आयंगर और मैं भी शामिल था:

(अ) परिषद् में उन 93 स्थानों के वितरण के निर्धारण का प्रश्न, जो कैबिनेट मिशन के 16 मई वाले वक्तव्य के अन्तर्गत देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, और

(ब) उस प्रणाली का निर्धारण, जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में भेजे जायें और उसके बाद इस विचार-विनिमय के परिणाम की रिपोर्ट विधान-परिषद् के सामने उपस्थित की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया था कि बाद में अधिक-से-अधिक तीन और सदस्यों को इस कमेटी में लिया जा सकता है। इस कमेटी को दो विषयों पर विचार करना था, रियासतों के लिए सुरक्षित स्थानों का वितरण और उनका निर्धारण, और उस प्रणाली का निर्धारण जिसके द्वारा रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में भेजे जायें। एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि उन कतिपय क्षेत्रों के बारे में हमें क्या करना होगा जो भारतीय रियासतों में शामिल नहीं हैं। हमारे सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव में भूटान और सिक्किम का उल्लेख किया गया है।

एक प्रकार से भूटान भारत के संरक्षण में एक स्वतंत्र राज्य है। सिक्किम एक तरह से एक भारतीय रियासत है जो उससे भिन्न है। इसलिए भूटान को एक भारतीय रियासत की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि भारत के सम्बन्ध में भूटान की भावी स्थिति क्या होगी? इस प्रश्न का निर्णय हमें भूटान के प्रतिनिधि के परामर्श और सहयोग से करना है। इस विषय में किसी को मजबूर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। गत अधिवेशन में आपने जो कमेटी नियुक्त की

[मा. पं. जवाहरलाल नेहरू]

थी उसके विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आपको ऐसी किसी भी समस्या पर सोच-विचार करने का अधिकार नहीं है। ये विषय इस परिषद् में प्रतिनिधित्व के तरीके और स्थान के वितरण तक ही सीमित हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देशी नरेशों ने यह आपत्ति उठाई है कि हमने नेगोशियेटिंग कमेटी के विचारणीय विषय इतने सीमित क्यों रखे हैं? उन्हें सीमित रखने के प्रत्यक्ष कारण हैं—रियासतों के सम्बन्ध में बाद में उठने वाली सभी समस्याओं पर परिषद् में आने वाले उनके इन प्रतिनिधियों द्वारा ही सोच-विचार किया जायेगा और उनके प्रतिनिधियों के यहां आने से पूर्व मुख्य समस्याओं के बारे में हमारे लिए कोई अन्तिम निर्णय करना मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए हमने जानबूझकर अपनी नेगोशियेटिंग कमेटी का कार्य सीमित रखा। परन्तु उसके कार्य-क्षेत्र को सीमित करके हमने उसे अन्य ऐसी समस्याओं पर सोच-विचार करने से रोक दिया जो देशी रियासतों से भिन्न प्रदेशों के सम्बन्ध में उठ सकती हैं, विशेषकर भूटान और सिक्किम के सम्बन्ध में और इस प्रस्ताव द्वारा उसे भूटान और सिक्किम के प्रतिनिधियों से भेंट करने और किसी भी विशिष्ट समस्या पर विचार-विनिमय करने का अधिकार दिया गया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आवश्यकता पड़े तो इस विधान-परिषद् को स्वतंत्र राज्यों से भी इस प्रकार की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने का पूरा-पूरा अधिकार है। स्वतंत्र राज्यों के साथ अपने भावी सम्बन्धों के बारे में बातचीत करने का हमें निर्बाध रूप से अधिकार है। परन्तु इस समय मैं उस समस्या पर विचार नहीं कर रहा हूं। भूटान की चाहे जो भी स्थिति हो, यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमें उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की शक्ति और अधिकार है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम भूटान की वर्तमान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार भी कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह चाहे कुछ भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह भारतीय रियासतों से सर्वथा भिन्न होगी। हम अपनी कमेटी को केवल उनके प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय से और उसके बाद अपनी रिपोर्ट विधान-परिषद् के सम्मुख उपस्थित करने का ही अधिकार दे रहे हैं।

श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव को आपकी अनुमति से उपस्थित करता हूं।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पंत** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और उसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। यदि कोई सदस्य भाषण देना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं.... (कुछ देर रुककर)..... तो क्या मैं यह मान लूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता? मैं प्रस्ताव को वोट लेने के लिए उपस्थित करता हूं...

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** असेम्बली के बजट के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव हैं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, कल नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस परिषद् के एक बड़े भाग ने असेम्बली को स्थगित करने की जो प्रार्थना की है उसकी ओर क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं?

***अध्यक्ष:** श्री कामत जी, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है हमारे पास कल के लिए कोई कार्य तैयार नहीं है, इसलिए प्रत्येक दशा में कल की छुट्टी होगी। (*हर्ष ध्वनि*).....श्री गाडगिल!

विधान-परिषद् के बजट के अनुमान

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''यह निश्चय किया जाता है कि यह परिषद् सन् 1946-47 ई. तथा सन् 1947-48 की असेम्बली के लिए विधान-परिषद् के नियम 50 (1) के अनुसार फाइनेंस कमेटी और अधिकारियों द्वारा तैयार किये हुए आनुमानिक व्यय को, जिसे नत्थी की हुई सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।''

श्रीमान्, जैसा कि नियमों में रखा गया है....

***श्री के. संतानम्** (मद्रास : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर कमेटी में विचार करना चाहिए। यह उचित नहीं है कि हम दर्शकों की उपस्थिति में बजट पर वाद-विवाद करें। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें कमेटी का रूप धारण कर लेना चाहिए।

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): इस प्रस्ताव का सम्बन्ध जनता के धन से है। इस विषय पर जनता की उपस्थिति में वाद-विवाद करने से भयभीत होने का मुझे कोई कारण नहीं दीखता।

***अध्यक्ष:** इस प्रस्ताव को पेश होने दीजिये। तब हम इस पर विचार करेंगे कि आया इस पर विचार-विनिमय कमेटी में होगा।

***श्री के. संतानम्:** प्रस्ताव पेश हो चुका है। वह इस पर वक्तृता देने को हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह गुप्त रूप से हो। कोई बात छिपाने या भयभीत होने की नहीं है परन्तु हम बोलने की स्वतन्त्रता चाहते हैं।

***अध्यक्ष:** तब मैं इस सम्बन्ध में सभा की इच्छा जानना चाहता हूं। जो इस प्रस्ताव पर कमेटी में विचार करना चाहते हों वे कृपया 'हां' कहेंगे।

***माननीय बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): सम्पूर्ण सभा को कमेटी का रूप धारण करना चाहिये।

***अध्यक्षः** वे जो कमेटी के पक्ष में हैं, 'हां' कहें।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब हम कमेटी का रूप धारण करेंगे और चूंकि कमेटी की बैठकें गुप्त रूप से होती हैं, इसलिए मैं दर्शकों से चले जाने की प्रार्थना करता हूं।

(*तब गैलरियां खाली कर दी गई।*)

(*इसके बाद कार्यवाही गुप्त रूप से हुई।*)

अंक 2
संख्या 4

शुक्रवार
24 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	उपाध्यक्ष का चुनाव	1
2.	एडवाइजरी कमेटी का चुनाव	2
3.	बजट (अनुमान पत्र)	30

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, 24 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के 11 बजे अध्यक्ष माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में हुई।

***अध्यक्षः** अब हम कार्यवाही शुरू करेंगे। परसों जब कार्यवाही समाप्त हुई थी तब हम समिति के रूप में बजट (आय-व्यय लेखा) पर बहस कर रहे थे। कुछ ऐसे संशोधन हैं, जिनको हाउस के समक्ष रखना ही है। मैं सुझाव पेश करता हूं कि हम पहले उन प्रस्तावों को लें और उन्हें समाप्त करने के बाद अगर हमारे पास समय बचे तो फिर समिति के रूप में बैठकर बजट पर बहस करेंगे।

मुझे आशा है कि सदस्यों को मेरी बात स्वीकार है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल)**:** अध्यक्ष जी, जब हमने पिछली बैठक स्थगित की थी तो हम समिति के रूप में थे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम विधिवत् यह प्रस्ताव करें कि सभा अब असेम्बली के खुले पूर्ण अधिवेशन में बैठ रही है।

***अध्यक्षः** मुझे आशा है कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करती है।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** चूंकि सभा ने सुझाव स्वीकार कर लिया है इसलिए अब हम पूर्ण खुले अधिवेशन में बैठते हैं और प्रस्ताव लेते हैं।

अब मैं श्री सत्यनारायण सिनहा से कहता हूं कि वह अपने नाम का प्रस्ताव पेश करें।

उपाध्यक्ष का चुनाव

खुली कार्यवाहीः

***श्री सत्यनारायण सिन्हाः** श्रीमान्, अध्यक्षजी, मैं अपने नाम का नीचे लिखा प्रस्ताव पेश करता हूं:

> निश्चय हुआ कि यह असेम्बली विधान-परिषद् के नियम 12 उपनियम (1) के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव करने की कार्यवाही करे।

महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सभा के उपाध्यक्षों के बारे में कार्यवाही के वे नियम पढ़ूंगा जो गत बैठक में पास किये गए थे।

> असेम्बली के पांच उपाध्यक्ष होंगे। पांच उपाध्यक्षों में दो का चुनाव असेम्बली के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के निर्दिष्ट ढंग पर होगा।
>
> विभागों द्वारा निर्वाचित सभापति असेम्बली के पद की स्थिति से उपाध्यक्ष होंगे।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

अब नियम 16 के अनुसार असेम्बली के सभापतित्व के लिए यदि कोई उपाध्यक्ष न हो तो, असेम्बली को अधिकार है कि वह इस कार्य के लिए अपने किसी भी सदस्य को चुन ले। इसलिए अगर आप थोड़े समय के लिए अनुपस्थित भी हो जायेंगे तो ऐसे अवसरों पर असेम्बली अपने सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुनकर अपनी कार्यवाही जारी रखेगी। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम इस अधिवेशन के दौरान में एक उपाध्यक्ष चुन लें। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त** (संयुक्तप्रदेश : जनरल): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव पेश हुआ और समर्थन प्राप्त कर चुका है। मैं नहीं समझता कि उस पर किसी बहस की जरूरत है।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** आज 5 बजे शाम तक सेक्रेटरी से नामजदगी प्राप्त हो सकेगी। अगर चुनाव जरूरी हुआ तो वह कल दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच में सहायक मन्त्री (Under Secretary) के दफ्तर रूम नं. 24 में होगा, जो नीचे की मंजिल पर है।

एडवाइजरी कमेटी का चुनाव

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त:** श्रीमान् जी, मैं अपने नाम का प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा चाहता हूं जो इस प्रकार है:

''यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रिमंडल मिशन के 16 मई 1946 ई. की घोषणा के पैरा 20 के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था की एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) बना दी जाये:

1. (क) सलाहकार समिति में 68 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे और उसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जो असेम्बली के सदस्य नहीं हैं।

   (ख) (अ) आरम्भ में इसमें 52 सदस्य होंगे जिनका चुनाव असेम्बली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर एक परिवर्तनीय मत द्वारा होगा।

   (आ) असेम्बली अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित ढंग पर सात सदस्य तक चुन सकती है।

   (ग) अध्यक्ष किसी समय या कई अवसरों को मिलाकर कमेटी के लिए 9 सदस्यों तक को नामजद कर सकते हैं।

2. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) ऐसी उपसमितियों की नियुक्ति करेगी जो पश्चिमोत्तर प्रदेश के कबाइली क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी प्रदेश के कबाइली क्षेत्र के लिए शासन की योजना तैयार करेगी और उन क्षेत्रों के लिए भी जो कबायली क्षेत्र जबकि क्षेत्र पृथक् और विशेष रूप में पृथक् कहे जाते हैं। इन समितियों में से प्रत्येक उस समय के लिए किसी खास कबाइली क्षेत्र से जो विचाराधीन हैं अधिक से अधिक दो सदस्य चुन (coopt) कर सकेगी, जिससे उस क्षेत्र के बारे में उनसे विशेष सहायता प्राप्त हो सके।

3. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) समय-समय पर ऐसी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझेगी।
4. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) आखिरी रिपोर्ट यूनियन विधान-परिषद् को तीन मास के अन्दर भेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकेगी।
5. एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उनके खाली होते ही जहां तक जल्द हो सकेगा उन पर उसी ढंग से नियुक्ति कर दी जायेगी जिस प्रकार आरम्भ में हुई थी।
6. अध्यक्ष, कमेटी की कार्यवाही के ढंग के बारे में, स्थायी आज्ञा प्रदान कर सकते हैं।''

महोदय, यह प्रस्ताव न केवल 16 मई के वक्तव्य में व्याख्या की गई योजना के अनुसार है बल्कि इसने योजना की शब्दावली भी ग्रहण कर ली है। इस योजना के अनुसार एक समिति अल्पसंख्यकों के अधिकार, नागरिक अधिकार और कबीले वाले पृथक् और विशेष रूप में पृथक् क्षेत्रों सम्बन्धी सवालों को हल करेगी। यदि यह कार्य हम पर डाला जाता तो हम इन सभी विषयों की अलग-अलग समितियां नियुक्त करते और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश तथा उत्तरपूर्व सीमान्त के लिए दो समितियां वहां की समस्यायें सुलझाने के लिए नियुक्त कर देने, पर चूंकि योजना में एक ही समिति का विचार किया गया था, इसलिए हमने उस प्रस्ताव और पथ-प्रदर्शन के विरुद्ध जाना ठीक नहीं समझा। इसके फलस्वरूप कमेटी उससे बड़ी हो गई है जितनी बड़ी वह उस अवस्था में हो सकती थी जब कि प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समिति बनाई जाती। यह कमेटी एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) कही जायेगी और यह वाक्यांश 4 के पैराग्राफ 19 के अनुसार नियुक्त हो रही है, जो इस प्रकार है:

> ''एक आरम्भिक सभा की जायेगी जिसमें कार्यवाही की सामान्य व्यवस्था का निर्णय होगा। अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव होगा और नागरिकों के अधिकार अल्पसंख्यकों और कबाइली तथा पृथक् क्षेत्रों के अधिकारों के लिए एक सलाहकार समिति बनेगी।

इस प्रकार यहां जिस जाब्ते का निर्देश किया गया है, उसके अनुसार हम साधारण अवस्था में अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इस विषय को हाथ में लेने वाले थे। पर हमने गैरहाजिर सदस्यों का ख्याल रखते हुये ऐसा नहीं किया। हम मुस्लिम लीग के सदस्यों के आने के लिए सुविधायें पैदा करना चाहते थे और असेम्बली की कार्यवाही में उनका सहयोग चाहते थे। यह अफसोस की बात है कि अभी तक इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुये हैं। हमने न केवल इस विषय पर विचार करना ही स्थगित कर दिया जो इस वक्तव्य की योजना के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक था बल्कि कांग्रेस और भी आगे बढ़ी और उसने सम्राट्-सरकार तथा मुस्लिम लीग की उन व्याख्याओं को स्वीकार कर लिया जो उन्होंने वक्तव्य के कुछ विरोधाभासी वाक्यांशों के बारे में की थीं। यही नहीं, ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने 6 दिसम्बर की घोषणा के एक बड़े भाग को भी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने 5 जनवरी को स्पष्ट रूप में लीग के प्रान्तीय बंटवारे सम्बन्धी खंड को भी स्वीकार करके उसकी घोषणा कर दी है। इस असेम्बली की बैठक 20 तारीख को हुई थी। बीच में पन्द्रह दिन का समय था। हमने इस विषय का

[मा. पं. गोविन्द बल्लभ पन्त]

विचार स्थगित कर दिया था। मुस्लिम लीग ने न केवल इस सभा में सम्मिलित होने का कोई रस्मी प्रस्ताव नहीं पास किया, बल्कि मुस्लिम लीग के विचारों की जानकारी का दावा करने वालों ने जो बयान दिये उससे उसकी प्रतिकूलता ही दिखाई देती है। इस असेम्बली के अधिकारियों को, मन्त्री या और किसी को मुस्लिम लीग के किसी जिम्मेदारी प्रतिनिधि द्वारा यह इशारा भी नहीं मिला कि जिससे इस असेम्बली की बैठक स्थगित कर दी जाती या इसके आदेश-पत्र में और कार्यवाही सम्मिलित की जाती। ऐसी स्थिति में हम उस कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते जो हमारे लिये निर्धारित, निश्चित और व्यवस्थित है। जिस मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है उसके कारण अगर किसी को परेशानी और असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने पृथक् रहना ही पसन्द किया है। मै समझता हूं कि सभी जिम्मेदार और निरपेक्ष व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस तथा इस सभा के माननीय सदस्यों ने जितनी उनसे आशा की जाती थी मुस्लिम लीग के इस असेम्बली में विचार-विमर्श के लिये भाग लेने की सुविधा देने के लिए उससे कहीं अधिक प्रयत्न किये हैं। किन्तु वह अभी तक अपने मूल विरोधी रुख पर डटे हैं और जो महान् और पवित्र कार्य हमें आगे करने हैं उसमें हाथ बटाने के लिये वे असेम्बली की कार्यवही में भाग लेने को तैयार नहीं हैं।

मैं यह सब चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। खासकर समाचार-पत्रों में तथा एक स्थानीय पत्र में निकले हुये कुछ लेखों को दृष्टि में रखते हुये नरम शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के लिये, यह एक समझ में न आने वाली बात है कि इस विषय को और भी आगे के लिए स्थगित किया जा सकता है जो वास्तव में शुरू में ही किया जाना चाहिये था। इस सभा के माननीय सदस्यों ने अनुपस्थित सदस्यों के लिए जिस कोमल भाव से उत्कंठा प्रकट की है, उसकी न केवल कद्र ही नहीं की गई बल्कि उसका गलत अर्थ लगाया गया है। इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। इस देश के लाखों लोग इस असेम्बली की कार्यवाही की परीक्षा बड़ी सूक्ष्मता से कर रहे हैं और यह जानने को उत्सुक हैं कि हम अपने ध्येय की ओर कहां तक आगे बढ़े हैं। प्रतिदिन का विलम्ब उन्हें निराश कर रहा है और दूसरी ओर इस बात का प्रबल विरोधी प्रचार किया जा रहा है कि यह असेम्बली तो धुएं के रूप में ही समाप्त होगी इसके सभी प्रयत्न, कार्यवाही और महोद्योग व्यर्थ सिद्ध होंगे और इसका परिणाम कुछ न निकलेगा। ऐसी स्थिति में इस असेम्बली की सफलताओं में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिये कि इस सभा के माननीय सदस्यों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी का भार है। वे इस सभा की कार्यवाही अनिश्चित रूप में नहीं टाल सकते हैं और न वे मनोरथ को इतना टाल सकते हैं कि वह सर्वथा शांत हो जाये। इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

जैसा कि वे जानते हैं, हमें मौलिक अधिकारों के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकार और कबीले वाले तथा पिछड़ी हुई जातियों के क्षेत्रों के शासन के लिये व्यवस्था करना है। इस कमेटी के सामने जो काम है उसका ख्याल रखते हुए प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित कर दी गयी है। हमारा देश बहुत विशाल है और अब तो यहां 40 करोड़ से भी अधिक लोगों की बस्ती हो गयी है। ऐसी स्थिति में कोई इस तरह की कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी ही घटाना चाहे फिर भी वह एक निश्चित संख्या के नीचे नहीं जा सकती। हमने सभी हितों और

सभी प्रकार के लोगों का ख्याल रखा है और फिर भी संख्या इस प्रकार उचित रूप में निश्चित की है कि काम करने में कठिनाई न हो। इस कमेटी में 72 सदस्य रखे गये हैं जबकि शुरू में इसमें 68 सदस्यों की व्यवस्था सोची गयी थी। माननीय सदस्य जानते हैं कि नागरिक अधिकार पर हमें विधान बनाना है। इसके लिये हमें साधारण संस्था (General Body) के प्रतिनिधि चाहिए। मौलिक अधिकार से सभी का सम्बन्ध है और इसके बारे में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं उठ सकता। वास्तव में लार्ड सभा में भारत-मंत्री ने गत मास जो भाषण दिया था उसमें यह बात निश्चित रूप में कही गयी थी कि नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न समझने वाले सदस्य उसमें होंगे। फिर आपको उन सदस्यों का चुनाव करना है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समझते हों। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में कितने अल्पसंख्यक हैं। हमारी संस्कृति बहुत प्रकार की पूर्णताओं से संयुक्त है और सौभाग्य से हमारे पास ऐसे दल हैं जो एक-दूसरे की पूर्ति और सहायता करके एक पूर्ण वस्तु भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिये हमने इस प्रस्ताव में आरम्भिक कमेटी के लिये 52 सदस्यों की व्यवस्था रखी है, पर संशोधन के अनुसार जिसे श्री मुंशी पेश करेंगे, संख्या 52 नहीं 50 है। इन 50 में से केवल 12 साधारण विभाग के प्रतिनिधि होंगे। अन्य लोग अल्पसंख्यकों तथा कबीले वाले पृथक् क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा:—

बंगाल, पंजाब, सीमाप्रांत, बलूचिस्तान और सिंध के हिंदुओं को	7 प्रतिनिधि
संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत, मद्रास, बम्बई, आसाम और उड़ीसा इन सात प्रांतों के मुसलमानों को	7 प्रतिनिधि
दलित जाति या तालिकाबद्ध जातिवालों को	7 प्रतिनिधि
सिखों को	6 प्रतिनिधि
हिन्दुस्तानी ईसाइयों को	4 प्रतिनिधि
पारसियों को	3 प्रतिनिधि
एंग्लो इंडियनों को	3 प्रतिनिधि
कबीले वाले और पृथक् क्षेत्रों को	13 प्रतिनिधि

इनके अतिरिक्त 10 नामजदगियां अध्यक्ष जी करेंगे। प्रस्ताव में संख्या अधिक लिखी गयी है। अब जिन लोगों को नामजद किया जायेगा। इनकी संख्यायें, श्री मुंशी द्वारा पेश किये जाने वाले संशोधन के अनुसार, 5 तो कबीले वाले क्षेत्रों के लिये अलग कर दिये जायेंगे, 7 मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों के लिए और शेष 10 अध्यक्ष की व्यवस्था पर छोड़ दिये जायेंगे जिससे वह ऐसे लोगों को नामजद कर सकें जो कमेटी के कार्य में प्रवृत्त हो सकें और जिनके द्वारा ठोस और संतोषजनक फैसले पर पहुंचा जा सके। इस तरह कमेटी का निर्माण हो जायेगा। किसी भी हालत में जो कुछ भी संख्या होगी उससे अल्पसंख्यकों, पृथक् क्षेत्र वालों और कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों की आवाज कमेटी में अधिक होगी। वह अपना चाहा फैसला कर सकेंगे और कोई भी अन्य भाग बहुमत न प्राप्त कर सकेगा। इस तरह यह कमेटी अल्पसंख्यकों और पिछड़े हुए क्षेत्रों का पूर्ण-प्रतिनिधित्व करेगी और हमें आशा है कि ऐसे फैसले पर पहुंचेगी जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो जायेगी और अधिकार पूर्णतः सुरक्षित। इस प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफ

[मा. पं. गोविन्द बल्लभ पन्त]

(वाक्य-समूह) में पश्चिमोत्तर के कबीले वालों तथा उत्तरपूर्व की आदि निवासी जातियों के क्षेत्रों तथा पृथक् एवं विशेष रूप में पृथक् क्षेत्रों के शासन के लिये सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करने की व्यवस्था रखी गयी है। इस काम के लिए छोटी उपसमितियों की नियुक्ति आवश्यक होगी क्योंकि उनमें तो घटनास्थल पर अध्ययन करने वालों की ही जरूरत होगी और जब तक विशेषज्ञों द्वारा निकटतम रूप में सवालों पर विचार न होगा और विशेषज्ञों की राय तथा स्थानीय लोकमत को ज्ञात न कर लिया जायेगा तब तक विशेष क्षेत्रों के लिये सापेक्ष परिणाम प्राप्त न हो सकेंगे। कुछ सब-कमेटियों (उपसमितियों) की नियुक्ति के अतिरिक्त प्रस्ताव उन सब-कमेटियों को अधिकार भी देता है कि वह उस खास क्षेत्र के दो सदस्य और चुन (Coopt कर) ले जिसके प्रश्नों पर उस समय विचार हो रहा हो और यहां तक उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में इस प्रकार के सदस्यों द्वारा चुने गये (Coopted) सज्जनों की आवश्यकता हो।

खंड 4 उस समय की सीमा निर्धारित करता है जिसके अन्दर इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) की अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी जाये। यह काम तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिए। यदि माननीय सदस्य पैरा 20 को देखेंगे तो उन्हें ये शब्द मिलेंगे:

> नागरिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और कबीले वाले क्षेत्रों तथा पृथक् क्षेत्रों के बारे में जो एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) नियुक्त होगी उसमें तत्सम्बन्धी सभी हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और उनका काम होगा कि वे यूनियन कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (संयुक्त विधान-परिषद्) को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांशों (Clauses) कबीले वाले और पृथक् क्षेत्रों के शासन की योजनाओं की रिपोर्ट में और यह परामर्श दे कि वे अधिकार प्रान्तीय दलीय विभाजन या संयुक्त विधान में से किसमें सम्मिलित किये जायें।

इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) का काम तेजी से चलाने की आवश्यकता है, जिससे उसकी सिफारिश इस सभा को जहां तक हो सके जल्द मिल जाये और समय का दुरुपयोग न हो। इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) की कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रस्तुत प्रस्ताव जब तक सामने न आ जाये तब तक केन्द्रीय संयुक्त असेम्बली (Central Union Assembly) को इस रिपोर्ट पर विचार करना चाहिये जिससे प्रान्तीय या आवश्यकता हुई तो बंटवारे के विधान (Group Constitution) पर विचार करते समय वह उस कार्य को ठीक तौर पर आरम्भ कर सके। इसलिए वह वांछनीय है कि इस कमेटी (समिति) की रिपोर्ट शीघ्र पहुंचे और इसलिए यह व्यवस्था तैयार की गयी है।

मैंने तथ्यात्मक वर्णन और विश्लेषण देने का प्रयत्न किया है और कुछ हद तक विचाराधीन प्रस्ताव की व्यवस्था भी कर दी है। माननीय सदस्यों और अध्यक्ष की अनुमति से मैं कुछ सामान्य बातें भी कहना चाहता हूं। वैधानिक चर्चाओं में अल्पसंख्यक का प्रश्न सब जगह आगे आता है। इस चट्टान पर कितने ही विधान इससे टकराकर नष्ट हो चुके हैं अल्पसंख्यकों सम्बन्धी प्रश्नों के सन्तोषजनक हल पर स्वतन्त्र भारत का स्वास्थ्य, क्रियाशीलता और शक्ति निश्चित है और यह यहाँ हमारी बहस के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। अल्पसंख्यकों का सवाल बहुत बढ़ाया भी नहीं जा सकता। अब तक यह दंगों, पारस्परिक अविश्वास

और भारतीय राष्ट्र के विभिन्न अंगों में भिन्नता बढ़ाने के लिये काम में लाया जाता रहा है। साम्राज्यवाद का विकास ही ऐसे ही झगड़ों के आधार पर होता है, यह ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में ही दिलचस्पी लेती है। अब तक अल्पसंख्यकों को इस तरह उकसाया और प्रभावित किया जाता रहा है जिससे मिलाप और एकता में बाधा पड़ती रही है। पर अब यह जरूरी हो गया है कि एक नया अध्याय शुरू किया जाये और हम सब अपने उत्तरदायित्व को समझें। जब तक अल्पसंख्यकों को पूरा सन्तोष न हो जायेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम शान्ति भी अनवरत रूप से नहीं कायम कर सकते। इसलिये जो कुछ भी किया जा सके वह किया जाना चाहिये। वास्तव में यदि 16 मई का वक्तव्य न भी होता तो भी हम इस प्रकार की कमेटी (समिति) बनाने का प्रस्ताव करते। यदि माननीय सदस्य इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किये गये लक्ष्य मूलक (ओबजेक्टिव रेजोल्यूशन) प्रस्ताव को देखेंगे तो वे इन शब्द को खंड (5) और (6) में देखेंगे:

> जिसमें भारत में सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की, तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों के प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जावेंगे और जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिये पिछड़े हुये व कबायली प्रदेशों के लिये तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिये काफी संरक्षण विधि रहेगी।

इस प्रकार सभा ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव की बुनियादी बातों को पहले ही स्वीकार कर लिया है। इस बात से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। इन अधिकारों को साररूप में पहले ही से और स्वेच्छापूर्वक इस सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूं कि इस एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार-समिति) में ऐसे फैसले पर पहुंचने के लिये ऐसी प्रत्येक बात का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा जो अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट कर सके। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे और यदि वे नहीं अवगत हैं तो मैं यह बताकर उन्हें कोई गुप्त बात नहीं बता रहा हूं कि इस कमेटी की सारी शक्ति का निर्णय इस सभा में उपस्थित सभी अल्पसंख्यकों की इच्छा के अनुसार किया गया है। यह उनकी पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है। हमने सन्तोष और तृप्ति दिलाने के लिये सभी बातों की ओर कम विचार लगाया है। विधान-निर्माण का कार्य क्रियात्मक है और हमें काल्पनिक भूलभुलैयों में गुमराह नहीं हो जाना चाहिये हमें समस्याओं पर यथार्थवाद की दृष्टि से देखना चाहिये और हमें इस बात का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये कि हम जो भी फैसला करते हैं वह न्याय ही नहीं है बल्कि वे लोग भी उसे न्याययुक्त समझते हैं जिस पर यह लागू होना है। हम विश्वास करते हैं कि इस कमेटी में विभिन्न अल्पसंख्यकों की इच्छाओं का ध्यान रखा जायेगा और उसके लिये सन्तोषजनक होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं अल्पसंख्यकों को भी हाल के कुछ वर्षों की ऐतिहासिक घटनायें स्मरण दिलाना चाहूंगा। माननीय सदस्य इस बात की अभिज्ञता रखते होंगे कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद कई राज्य बनाये गये थे खासकर पूर्वीय यूरोप में और अल्पसंख्यकों की रक्षा के कानून भी इन राज्यों के विधानों में जोड़ दिये गये थे। ऐसे राज्यों में चेकोस्लावेकिया, आस्ट्रिया, बलगारिया, पोलैंड आदि के नाम

[मा. पं. गोविन्द बल्लभ पन्त]

लिये जा सकते हैं। उनके विधानों में न केवल ऐसे कानून का समावेश ही किया गया बल्कि संयुक्त और साथी कहे जाने वाले और उस समय बनाये गये नये राज्यों के समझौते के समय सन्धि में इनको गम्भीर प्रतिज्ञा के रूप में उल्लिखित किया गया। इन नव निर्मित राज्यों में, जो अल्पसंख्यक थे उन्हें, इन संयुक्त और साथी राष्ट्रों ने आश्वासन दिये। अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्र संघ ने घोषणायें प्रकाशित कराईं। पर उन सबका परिणाम क्या हुआ? इन राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर इतने नृशंस अत्याचार, भीषण दबाव और घोर जुल्म हुए जैसे जितने कि अन्य किन्हीं अल्पसंख्यकों पर न हुये होंगे और उन अल्पसंख्यक जातियों में से कुछ तो अपना अस्तित्व तक खो बैठी और न जाने कहां गायब हो गयीं। अल्पसंख्यकों को अपनी रक्षा के लिये बाहरी शक्ति की ओर नहीं देखना चाहिये। इससे उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। इतिहास से जो पाठ मिला है उसे भुला नहीं देना चाहिए। उनको यह पाठ अपने हृदय और मस्तिष्क में जमा लेना चाहिए कि उन्हें इन लोगों से ही रक्षा प्राप्त हो सकती है जिनके बीच ये रहते हैं तथा पारस्परिक शुभेच्छा, विश्वास, हार्दिक बन्धुत्व और शुभचिन्तन स्थापित करके ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के हितों की रक्षा हो सकती है। आशा है इतिहास का यह पाठ भुला नहीं दिया जायेगा।

मुझे अल्पसंख्यकों या मौलिक अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के विवरण का प्रयत्न यहां नहीं करना है। फिर मैं एक ऐसी दूषित मनोवृत्ति का हवाला दिये बिना नहीं रह सकता जो इस देश में कई वर्षो से जोर पकड़ रही है। व्यक्तिगत नागरिक जो राष्ट्र का मेरुदंड है, और सामाजिक जीवन का धुरी और केन्द्र है और जिसकी प्रसन्नता और सन्तोष समाज के सभी पुर्जों का ध्येय होना चहिये, वह इस विवेकहीन संस्था-सम्प्रदाय में खो गया है। हम यहां तक भूल गये हैं कि कोई नागरिक इस रूप में भी हो सकता है। हमारी ऐसी अप्रिय और हेय आदत हो गई है कि हम सदा साम्प्रदायिक रूप में सोचते हैं, नागरिक के रूप में नहीं (करतल ध्वनि) किन्तु आखिर नागरिकों से ही सम्प्रदाय बनता है और इस रूप में व्यक्ति ही सारे यन्त्र का भीतरी भाग है और वही सारी प्रवृति और उन्नति का साधन और उपाय है। पक्के शासक और राजनीतिज्ञ का लक्ष्य यही होना चाहिये कि उसके द्वारा व्यक्तिगत नागरिक को प्रसन्नता और सुख प्राप्त हो। इसलिये हमें यह याद रखना चाहिये कि नागरिक ही मुख्य चीज है। समाज के स्तूप का ऊर्ध्वभाग यह नागरिक ही है और वही उसकी बुनियाद भी है अत: उसका महत्त्व, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पवित्रता सदैव स्मरण रखना चाहिये। मौलिक अधिकारों का महत्त्व समझ सकेंगे, क्योंकि इन अधिकारों को ठीक तौर पर समझ लेने पर ही मनुष्य की उन्नति निर्भर करती है। चार स्वतंत्रताओं वाला अटलांटिक चार्टर, पेइन (Paine) और वेल्स के समय के मानवीय अधिकारों के चार्टर से गत वर्ष तक की इस घोषणा में मानव जाति के सुन्दर विकास का इतिहास सन्निहित है। आखिर हमें तो याद रखना है कि संसार की सभी मानवी प्रयत्नों का ध्येय और उद्देश्य एक ही है और वह है एक जगत-राज्य (World State) की स्थापना जिसमें सभी नागरिक व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे, कानून की दृष्टि में समान होंगे और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समुन्नति के लिये पूर्ण सुअवसर प्राप्त होगा। हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमें दलित जातियों की ओर विशेष ध्यान देना है, परिगणित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों का खास

ख्याल रखना है, हमें अपनी चूकों के लिये प्रायश्चित करना है। 'गलतियों' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। हमें उनको सामान्य स्तर पर लाने के लिये सभी शक्य प्रयत्न करने होंगे और यह हमारे और उनके दोनों के भले की बात है कि जो त्रुटि रह गयी है उसकी पूर्ति कर दी जाये। लड़ी की मजबूती की परीक्षा उसकी कमजोर से कमजोर कड़ी से की जाती है, इसलिये जब तक प्रत्येक कड़ी पूर्णत: पुनर्शक्ति नहीं प्राप्त कर लेती हमें स्वस्थ राजनैतिक समुदाय जन नहीं मिल सकते। मुझे आशा है कि यह सलाहकार-समिति (एडवाइजरी कमेटी) यह आदर्श अपने सामने रखेगी जिसके लिये मानवता ने काम किए हैं यह ऐसी शक्ति और ऐसे अधिकार गढ़ने का प्रयत्न करेगी जिससे यह असेम्बली न केवल एक विधान तैयार कर सकेगी बल्कि भारत की स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेगी। हम यहां केवल नियम निष्ठतापूर्ण काम करने नहीं आये हैं वरन् ऐसे सच्चे कार्य के लिये हैं जिसकी पूर्ति हमें करनी ही है। हमें आशा करनी चाहिए कि यह एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) एकता और बन्धुत्व लायेगी, शुभकांक्षा और सद्विश्वास उत्पन्न करेगी और वर्तमान राजनैतिक स्थिति में जो पारस्परिक संघर्ष प्रवेश कर गया है उसे दूर कर देगी तथा इस कमेटी की कार्यवाहियों के फलस्वरूप हम भारत की स्वतंत्रता का मैदान तैयार कर लेंगे जिसके लिये हम जीवित हैं, जिसके लिये कितने ही मर चुके हैं और जिसके लिये यह जीवन कायम रखने योग्य है। (*घोर करतल ध्वनि*)

***अध्यक्ष:** सरदार हरनामसिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): श्री अध्यक्षजी, 16 मई के वक्तव्य के अनुसार जो (सलाहकार-समिति) एडवाइजरी कमेटी बनानी है वह अनेक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण कमेटी है। हम सभी मानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समस्या ही उन्नति में वर्षों से बाधा डालती रही है और इसका सन्तोषजनक हल हो जाने पर देश समृद्धिशाली हो जायेगा। हमने लक्ष्य-मूलक प्रस्ताव में रखा है कि भारत के भावी विधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा की यथोचित व्यवस्था रखनी होगी। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सन् 1922 ई. से ही जब भारत के लिये विधान-परिषद् की मांग की गई थी, कितने ही प्रस्ताव पास किये गये हैं जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ऐसे विधान बनाने हैं जिनसे उन अल्पसंख्यकों को सन्तोष हो। इसलिए मैं प्रसन्न हूं कि इस सभा में स्थित कांग्रेस-दल ने इस संस्था का विधान विधान-परिषद् के सभी सदस्यों को सौंप दिया है। इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा प्रस्तावित साम्प्रदायिक समस्या का आखिरी हल क्या होगा, यह कोई अभी नहीं कह सकता पर यह तो सभी मानते हैं कि सारी साम्प्रदायिक रूपरेखा इस माइनोरिटी कमेटी (अल्पसंख्यक समिति) के सामने है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश जो इस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले हैं उसका वर्तमान तथ्यों से कुछ सम्बन्ध है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के वाक्यांश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शासन व्यवस्था सम्बन्धी और राजनैतिक वातावरण वाले हैं। इसके बाद भारत के सम्प्रदायों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ विधानों पर जोर डाला है कि वे ज्यों-के-त्यों रखे जायें जिससे उन्हें समुचित संरक्षण प्राप्त हो। एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) उसके अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगी या नहीं यह बात मैं अभी नहीं कह सकता। यह विधान हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि एंग्लो-इंडियनों को भारत सरकार की 242 धारा मिली हुई है। कुछ और सम्प्रदायों ने उसे अपने लिए प्राप्त विशेष अधिकारों (Weightage) पर जोर

[सरदार हरनाम सिंह]

दिया। कुछ ने पृथक् चुनाव जारी रखने की जिद दिखाई है। इन कुछ विधानों से गये वर्षों में कुछ खराबियां हुई होंगी, पर मुझे विश्वास है कि यह एडवाइजरी कमेटी अल्पसंख्यकों की रक्षा के सवाल पर सभी दृष्टियों से विचार करेगी और देश के व्यापक हित के लिए जो उपयोगी होगा और जो अल्पसंख्यकों के स्वार्थों के अनुकूल होगा वह इस एडवाइजरी कमेटी को रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।

श्रीमान् जी, इस एडवाजरी कमेटी और इसके कार्य को ठीक तौर पर समझने के लिए हमें उस लम्बे पत्र-व्यवहार को देख जाना पड़ेगा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मि. जिन्ना और लार्ड पेथिक लारेंस के बीच हुआ है। मौलाना आजाद ने जो पत्र लार्ड पैथिक लारेंस को लिखे हैं उनमें से एक पत्र में इस बात पर हठ किया गया है कि साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए सभी सम्बद्ध दलों की स्वीकृति आवश्यक है, और वास्तव में 12 मई सन् 1946 ई. को जब कांग्रेस ने समझौते के लिए जो आठ शर्तें आधारभूत रूप से में निश्चित की थी उनमें छठी शर्त यह थी कि जहां तक अल्पसंख्यक सम्प्रदायों का सम्बन्ध है कांग्रेस सम्बद्ध सम्प्रदायों से सलाह लेना आवश्यक समझती है जिससे समस्या का हल ठीक तौर से हो सके। इसलिए मुझे आशा है कि जब एडवाइजरी कमेटी अल्पसंख्यकों की रक्षा और मौलिक अधिकार के प्रस्ताव तैयार करने के लिए बैठती है तो इसमें सारी बातें इस तरह से आ जानी चाहिए कि वे बड़े और छोटी सभी हितों के अनुकूल हों जिससे छोटे-बड़े सभी सम्प्रदाय इस कमेटी की सिफारिशों पर संतोष प्रकट करें। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं पं. गोविन्द बल्लभ पन्त के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं देखता हूं कि आदेश-पत्र (Order papers) में कई संशोधनों की सूची दी गई है। मेरे ख्याल में सुविधा इस बात में होगी कि प्रत्येक वाक्यांश के साथ उसका संशोधन पेश हो। ऐसी दशा में वे सदस्य जो किसी वाक्यांश पर संशोधन पेश करना चाहें वे तब पेश करें जब मैं उस वाक्यांश का नाम लूं।

पहले खण्ड 1 (क) आता है, जिसके संशोधन की सूचना श्री मुन्शी ने दी है।

श्री डम्बरसिंह गुरंग (बंगाल : जनरल): श्रीमान् जी, किसी संशोधन के पेश करने के पूर्व एक सूचना सम्बन्धी आपत्ति है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि संशोधनों की सूचना देने के लिए कोई समय नियत किया है या नहीं? यह प्रस्ताव तो सदस्यों में अभी बांटा गया है। सदस्यों को कुछ समय तो मिलना चाहिए।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव कई दिन पहले बांटा गया था।

***श्री डम्बरसिंह गुरंग:** पर यह तो सदस्यों को अभी-अभी बांटा गया है। यह कई दिन पहले दल की सभा में भी बांटा गया होगा।

अध्यक्ष: नहीं, नहीं, पंडित पन्त ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह कई दिनों पहले बांटा गया था।

श्री डम्बरसिंह गुरंग: मेरा कहना यह है कि इस समय यहां मुस्लिम लीग नहीं है। यह दल की सभा में बांटा गया था।

***अध्यक्ष:** नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको गलतफहमी हो गई है। मैं उस

प्रस्ताव की बात कर रहा हूं जिसे पंडित पन्त ने पेश किया है, इस प्रस्ताव की सूचना सदस्यों को कई दिन पहले दी गई थी। कोई और भी संशोधन अभी तक पेश नहीं किया गया है।

श्री डम्बरसिंह गुरंगः पर यह प्रस्ताव तो सदस्यों को अभी दिया गया है।

अध्यक्षः यहां हाउस में? मुझे भय है कि आप किसी और प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यह तो कई दिनों पहले बांटा गया था। श्री मुंशी, आइये!

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के पैरा (वाक्य समूह) 1 के सब पैरा (उप-वाक्य समूह) (क) में 48 की संख्या 72 कर दी जाये जैसा कि पं. गोविन्द बल्लभ पंत पहले ही बता चुके हैं। प्रस्ताव के दूसरे भाग में जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार संख्या बढ़ानी आवश्यक है। इसलिए मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

अध्यक्षः क्या खंड 1 में और भी संशोधन है? और कोई नहीं। मैं श्री मुंशी के संशोधन पर मत (वोट) लेता हूं।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं रेवरेंड निकोल्स राय ने संशोधन की सूचना दी है।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): मैं संशोधन नहीं उपस्थित करूंगा।

***अध्यक्षः** तो फिर हम (ख) (अ) को लेते हैं। श्री संतानम ने संशोधन की सूचना दी है।

***श्री के. सन्तानम्:** मैं उपस्थित नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** फिर श्री मुंशी।

***श्री के.एम. मुंशीः** अध्यक्ष महोदय, मैं खंड (ख) (अ) में जो संशोधन करना चाहता हूं, वह इस प्रकार है:

> यह कि पैरा (वाक्य-समूह) 1 के सब-पैरा (उप-वाक्य) समूह (ख) (अ) में जहां 52 सदस्य शब्द आरम्भ होता है:
>
> '52 सदस्य, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एक परिवर्तनशील मत द्वारा चुने जायेंगे'
>
> उपरोक्त शब्दों के स्थान में ''निम्नलिखित सदस्य'' कर दिया जाये।

नाम संशोधन में दिए गये हैं। वाक्य का रूप इस प्रकार हो जायेगा।

''इसमें आरम्भ में नीचे लिखे सदस्य होंगे:

और इसके बाद नामों की सूची होगी। मैं नाम पढ़ दूंगा। सभा के सामने प्रस्तावक ने विभिन्न श्रेणी के सदस्यों का जिक्र पहले ही किया है और मैं उनके नाम श्रेणी-विभाजन की दृष्टि से ही पढ़ूंगा।

श्री जयरामदास दौलतराम	सिन्ध से।
श्री माननीय मेहरचन्द खन्ना	उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त से।
डॉ. गोपीचंद भार्गव	पंजाब से।

[श्री के.एम. मुन्शी]

श्री बख्शी सर टेकचन्द	पंजाब से।
डॉ. प्रफुल्लचन्द्र घोष	बंगाल से।
श्री सुरेन्द्रमोहन घोष	बंगाल से।
डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी	बंगाल से।

फिर तालिकाबद्ध जातियों के प्रतिनिधियों की सूची आती है:

सरदार पृथ्वीसिंह आजाद।

श्री धर्मप्रकाश।

श्री एच.जे. खांडेकर।

श्री माननीय जगजीवन राम।

श्री पी.आर. ठाकुर।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।

श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई।

अगले छः सदस्यों का दल सिखों का है:

सरदार जोगेन्द्र सिंह।

माननीय सरदार बलदेव सिंह।

सरदार प्रताप सिंह।

सरदार हरनाम सिंह

सरदार उज्ज्वल सिंह।

सरदार कर्त्तार सिंह।

अगले चार नाम हिन्दुस्तानी ईसाइयों के हैं:

डॉ. एच.सी. मुकर्जी।

डॉ. आलबन डीसूजा

श्री सालवे।

श्री रोचे विक्टोरिया।

अगले तीन नाम एंग्लो इंडियनों के हैं:

श्री एस.एस. प्रेटर।

श्री फ्रैंक रेजीनाल्ड एन्थॉनी।

श्री एम.बी.एच. कॉलिन्स।

अगले तीन नाम पारसियों के हैं:

सर होमी मोदी।

श्री एम.आर. मसानी।

श्री आर.के. सिधवा।

नम्बर 31, श्री रूपनाथ ब्रह्म आसाम की समतल भूमि की कबाइली जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नम्बर 32, खान अब्दुल गफ्फार खां पश्चिमोत्तर के कबीले वालों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र के दो और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे।

खान अब्दुस समदखां बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय।

नम्बर 35 में नाम गलत हिज्जों से लिखा हुआ है। यह श्री मायंग नोकचा होना चाहिए।

मुझे मालूम नहीं इस नाम का उच्चारण कैसे किया जाता है। यह पश्चिमोत्तर के कबीलों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके बाद तीन नाम और हैं जो पृथक् आंशिक पृथक् और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं।

श्री फूलभान शाह।

श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त।

श्री जयपालसिंह जो बिहार के पृथक् क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन और सदस्य अध्यक्ष नामजद करेंगे।

इसके पश्चात् बारह साधारण नाम आते हैं।

आचार्य जे.बी. कृपलानी।

माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल।

माननीय श्री राजगोपालाचार्य।

राजकुमारी अमृतकौर।

श्रीमती हंसा मेहता।

माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंत।

माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई।

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन।

सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर।

श्री के.टी. शाह।

श्री के.एम. मुन्शी।

मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं इसका समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या कोई और संशोधन नहीं है? श्री मुन्शी आपके नाम पर एक और संशोधन है।

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान् जी, वह इस समय उपयुक्त नहीं है।

***अध्यक्षः** और भी कई हैं क्या आप उन्हें भी पेश न करेंगे?

***श्री के.एम. मुंशीः** नहीं, श्रीमान् जी।

***अध्यक्षः** एक और संशोधन है जिसकी सूचना रेवरेण्ड निकोल्स राय ने दे रखी है।

***माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकोल्स रायः** महाशय, मैं एक दो नाम और बढ़ाना चाहता था पर अब देखता हूं कि उससे सभा में पास की गई संख्या में बाधा उपस्थित होगी, इसलिए मैं अब अपना संशोधन न पेश करूंगा।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव और संशोधन पेश किये जा चुके हैं, इस पर बहस होनी है।

***रायबहादुर श्यामानन्द सहाय** (बिहार : जनरल): महाशय, मैं संशोधन के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने जो नियम स्वीकार किये हैं नियम (46) (2) में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि:

"ऐसी सभी कमेटियों (समितियों) के सदस्य जब तक कि वह प्रस्ताव जिसके द्वारा कमेटी का निर्माण होता है इसके विपरीत व्यवस्था न दे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एक परिवर्तनीय वोट (मत) द्वारा चुने जायें।"

मेरा निवेदन है कि विधान बहुत ही हितकारक है जो इस सभा के सभी विभागों को सन्तोष प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इस प्रकार के विधान व्यवस्थित हाउस में मेरा ख्याल है कि प्रतिनिधित्व चुनने की यह समुचित प्रणाली काम में लायी जायेगी। मैं देखता हूं कि श्री मुन्शी के संशोधन में निश्चित नाम भी दिए हुये हैं और यदि और नाम प्रस्तावित हुए तो इन नामों पर भी मत लिए जाये, मेरा प्रश्न है कि चुनाव का ढंग क्या होगा? यह विषय विशेष महत्त्व का है और मैं इसकी ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करता हूं, क्योंकि यह भविष्य के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि और अधिक नाजुक मामलों का फैसला करने में यह सहायक सिद्ध नहीं होगा ऐसी दशा में मैं आपसे तथा श्री मुन्शी से अपील करता हूं कि मूल प्रस्ताव को स्वीकार हो जाने दें। और फिर नामों का प्रस्ताव रखकर उस पर उसी जाब्ते अर्थात् आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक परिवर्तनीय मतदान प्रणाली के ढंग पर मत ले लें। यह बड़े महत्त्व का विषय है और मैं न केवल आपका व्यक्तिगत ध्यान इधर आकर्षित करूंगा प्रत्युत इस सारी सभा और उसके अंगों का ध्यान इस ओर खीचूंगा। यह कार्यवाही निश्चित विधि से भिन्न है और अच्छी भी नहीं है। इस पर इस सभा को अमल नहीं करना चाहिये।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महाशय, अब चूंकि पं. गोविंद-बल्लभ पंत जी के प्रस्ताव में नामों की सूची सम्मिलित हो चुकी है अतः मुझे कुछ शब्द आदिवासियों के दृष्टिकोण से कहना है। मैं पंत जी के फुसलाने वाले इशारे पर अपनी कड़ी अप्रसन्नता प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा है कि कबाइली क्षेत्र और अल्पसंख्यक विदेशियों का मुंह ताकते हैं।

***माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंतः** मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, कृपया ऐसी बातें मुझसे न कहलवाइये जो मैंने कभी नहीं कहीं।

***श्री जयपाल सिंहः** हम अपने देशवासियों का मुंह ताकते हैं। हम अपने नेताओं की ओर देखते हैं कि वह हमारे साथ समुचित व्यवहार करें। हम विदेश नहीं गये हैं और न बातचीत चलाने लंदन गये हैं हम अपने अधिकारों की व्यवस्था के लिये मंत्रिमंडल मिशन के पास नहीं गये। हम केवल अपने देशवासियों की ओर देखते हैं कि वह हमसे समुचित और न्यायमुक्त व्यवहार करें। गत छः हजार वर्षों से हमारे साथ भद्दा व्यवहार किया जा रहा है।

***श्री किरणशंकर रायः** कितने वर्षों से?

***श्री जयपाल सिंह:** छह हजार वर्ष से, श्री किरणशंकर राय, उस समय से आप गैर-आदिवासी इस देश में आये हैं।

महाशय, प्रस्तावक तथा समर्थक ने यह प्रकट किया है कि इस (एडवाइजरी कमेटी) सलाहकार-समिति में तैयारी व विभाजन किस प्रकार किया गया है। आदिवासियों के लिए यह जीवन और मरण का सवाल है। मैं कांग्रेस के नेताओं को बधाई देता हूं और उन अल्पसंख्यकों को भी जो अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक जगहें पा गये हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। सिक्खों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और पारसियों को उनके लिए प्राप्य से अधिक जगहें दी गई हैं मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता, पर यह सच है कि उन्हें उनके प्राप्य से अधिक जगहें दी गई हैं, जबकि हमारे लोगों की जो इस देश के असली और प्राचीन निवासी हैं स्थिति भिन्न ही है। फिर भी मैं असंतोष नहीं प्रकट करता। मेरे उद्देश्य के लिये तो केवल पंडित जी को रखना काफी है, पर वे सदस्य नहीं है। मैं इस देश के सभी आदिवासियों और कबीले वालों का हित पं. जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दूंगा, और फिर मुझे उपस्थित रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम संख्या पर नहीं निर्भर करते। उस मत (वोट) की संख्या पर नहीं निर्भर करते जो यहां एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) में दिये जायेंगे। हम तो मौन रहते आये हैं। मैं कोई शिष्टमण्डल (डेपुटेशन) लेकर सरदार पटेल या अध्यक्ष जी, आपके पास नहीं गया, कि हमारे यह अधिकार, यह दावे और यह प्राप्त हैं मैं इसे इस हाउस और एडवाइजरी कमेटी की सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं, कि वह छः हजार वर्ष के कष्टों को अब दूर कर देंगे। दूसरी जगह जब एक बार मैंने कहा था कि हमारे भारतीय राष्ट्र के एक खास दल को विशेष सुविधा प्रतिनिधि (Weightage) मिल गई है तो उस दल ने नाराजगी जाहिर की थी। मैं आप से कहता हूं कि मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि सिक्खों को एडवाइजरी कमेटी में या और कहीं 60 जगहें मिलती हैं तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। मैं कांग्रेस को इस कथन पर धन्यवाद देता हूं कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता जैसा कि पं. गोविंद बल्लभ पन्त ने कहा है। पर जहां तक आदिवासियों और कबीले वालों का सम्बन्ध है क्या उसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है? क्या यह ईमानदारी से कहा जा सकता है कि आप ने किसी भी रूप में उनकी स्थिति को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है? मैं और जगहें प्राप्त करने के लिए वकालत नहीं कर रहा हूं मैंने कोई संशोधन भी नहीं भेजा है और न कोई संशोधन पेश ही कर रहा हूं, पर मैं इस सभा और देश का ध्यान यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो अपनी इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां हमारी परीक्षा हो रही है, अब तक हम बड़ी आसानी से कह दिया करते थे कि ब्रिटेन ने, केवल ब्रिटेन ने ही तुम्हें आंशिक पृथक् क्षेत्र और पृथक् क्षेत्र में रख कर चिड़ियाघर में डाल रखा है। क्या आप कोई पृथक् व्यवहार कर रहे हैं? मैं यह सवाल करता हूं, मैं एडवाइजरी कमेटी से पूछता हूं कि मेरा नाम उसमें है, पर मेरा नाम है, इसलिए मैं कहता हूं कि उसमें किसी, आदिवासी या कबीले वाली स्त्री का भी नाम नहीं है, उसे क्यों छोड़ दिया गया? एडवाइजरी कमेटी में कोई आदिवासी या फिरके वाली स्त्री का नाम नहीं है। जो लोग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार थे उन्हें यह बात सूझी ही नहीं। मैं नहीं कहता कि स्त्री का

[श्री जयपाल सिंह]

नाम चुना जाये पर यह महत्त्व की बात है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार मैं यह भी कहता हूं कि तेरह या जितनी भी संख्या निश्चित की गई है, वह मुझे स्वीकार है। मैं और कुछ नहीं कहता, पर मैं उस अज्ञान को प्रकट कर देना चाहता हूं जो इस संख्या के सुझाव से प्रकट है या आदिवासी या कबीले वाले क्षेत्रों के सदस्यों की नामजदगी से प्रकट है। सारे देश के कबीले वालों का आदिवासियों का स्वभाव देखिये, मुझे उस गड़बड़ी से कोई झगड़ा नहीं है जो हर दसवें वर्ष मनुष्य-गणना के समय जनसंख्या की गिनती करते समय की जाती है, उसके अनुसार सबसे बाद की प्राप्त आदिवासियों और कबीले वालों की संख्या 254 लाख है। मैं इसे मंजूर करता हूं, इसमें हम देखते हैं कि आदिवासियों में सबसे अधिक संख्या मुन्डा बोलने वालों की है। अगर आप उनकी 1941 ई. की संख्या जोड़कर देखें तो वह 43 लाख पहुंचेगी। उसके बाद गौंडों की संख्या आती है। हमें एक गौंड प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुझे इसकी खुशी है। इसके बाद भीलों का नम्बर आता है, जो 23 लाख हैं। इस कमेटी में कोई भील नहीं है। इस प्रकार औरांव 11 लाख हैं इस कमेटी में एक भी औरांव नहीं है। अध्यक्ष जी अभी समय कीमती है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहीं अन्यत्र कहा है कि जितने दिन जाते हैं प्रतिदिन 10000 रुपया खर्च होता है, मैं समझता हूं कि ढाई करोड़ आदिवासियों और कबीले वालों की जिन्दगी 10000 रुपया प्रति दिन से ज्यादा कीमती है। यह एक ऐसा अवसर है जब आप आज्ञा दें तो मुझे अपनी बात कहनी ही चाहिए, मैं देखता हूं कि किसी न किसी कारण से मौलिक अधिकार समिति, (फंडामैंटल राइट्स कमेटी) में कोई भी आदिवासी या कबीले वाले सदस्य नहीं हैं।

*__माननीय पं. गोविंद बल्लभ पन्तः__ कोई अलग कमेटी नहीं है। केवल एक कमेटी है।

*__श्री जयपाल सिंहः__ अपने भाषण में आपने विचार प्रकट किया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विचार करने वाली कमेटी में कुछ सदस्य रखे जा रहे हैं।

__माननीय पं. गोविंद बल्लभ पन्तः__ नहीं, वह तो एडवाइजरी कमेटी पर निर्भर करता है, वह जैसी भी सब कमेटियां चाहें बना सकती हैं।

*__श्री जयपाल सिंहः__ बहुत अच्छा, मैं मानता हूं जैसा कि मैं कहता हूं सभी आदिवासी या कबीले वाले दलों के सदस्य सम्मिलित करने का उपाय नहीं है। 1941 ई. में जो मनुष्य गणना की गई थी उसके अनुसार 177 आदिवासी जातियां या कबीले वाले थे। यह प्रकट है कि 177 सदस्यों का लिया जाना असम्भव है, पर जितनी भी संख्या निर्धारित की है, मुझे स्वीकार है। अध्यक्ष महाशय, पर मैं अपने लोगों के प्रति कर्त्तव्यबद्ध हूं कि मैं इस हाउस को बताऊं कि यह आदिवासी या कबीले वाले प्रश्न पर विचार जैसा कि पं. जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र सर्वोच्च प्रजातंत्रीय प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, गहनता और भावुकता के साथ करना होगा। सभा की परीक्षा हो रही है, हमें देखना है कि क्या होता है?

*__माननीय पं. गोविंद बल्लभ पन्तः__ सब ठीक ही होगा।

*__अध्यक्षः__ आदेश पत्र में संशोधन उपस्थित करने के बारे में कुछ गलतफहमी

हो गई थी? मैं इस ख्याल में था कि और संशोधन नहीं हैं। अब मैं देखता हूं कि अभी कई और संशोधन बाकी हैं। अब बाकी संशोधन पेश होने चाहिये।

***श्री के.एम. मुन्शीः** (क) में या (ख) में?

***अध्यक्षः** पूरे प्रस्ताव में जितने भी संशोधन हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** मेरे नाम में जो और संशोधन हैं वह इस प्रकार है—

''पैरा (वाक्य समूह) एक का सब पैरा (ख) (अ) (उपवाक्य समूह) हटा दिया जाये।'' और जब पैराग्राफ इस प्रकार है (''असेम्बली उस ढंग से जिस तरह अध्यक्ष उचित समझें सात सदस्य तक चुन सकती है'')

जैसा कि हाउस देखेगा बाद में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की संख्या 7 बढ़ा दी गई है। जिसका मतलब यह है कि संख्या 9 से बढ़कर 12 तक पहुंच गई है। इसलिए अब मैं वह संशोधन भी पेश करूंगा जो मेरे नाम पर है और जो प्रस्ताव के पहले पैरा के सब पैरा (उपवाक्य समूह) (ग) से सम्बद्ध है।

प्रस्ताव के पहले पैरा (वाक्य समूह) के सब (उपवाक्य समूह) (ख) में संख्या 22 के स्थान में संख्या 9 रख दी जाये और शब्द ''जिनमें 7 मुसलमान होंगे जो मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत, उड़ीसा और आसाम के प्रतिनिधि होंगे'' बढ़ा दिये जायें। उद्देश्य यह है कि हिन्दू बहुमत वाले प्रांतों से अल्पसंख्यकों के सदस्य इस कमेटी के लिए निर्वाचित होंगे। यही मूल विचार था, पर चूंकि यह प्रारम्भिक बैठक इस समय स्थगित होने जा रही है, अगर मुस्लिम लीग इसमें आ गई तो फिर केवल सात सदस्य चुनने के लिए आरम्भिक सभा बुलाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। यदि आरंभिक सभा अप्रैल या अन्य किसी तारीख के लिए स्थगित हो जाती है और मुस्लिम लीग इस बीच आ जाती है, तो सात हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्तों से सात मुस्लिम सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जा सकते हैं और इस कमेटी में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वे सभी इस हाउस द्वारा स्वीकार कर लिए जायें, इसलिए मैं सभी संशोधनों को एक साथ पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या कोई और भी संशोधन है? पैरा 2 (कोई नहीं) पैराग्राफ 3! (कोई नहीं)

मैं समझता हूं कि सर एन. गोपाल स्वामी आयंगर को कोई संशोधन पेश करना है।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्री अध्यक्ष जी, जाब्ते के 48वें नियम के अनुसार जिस प्रस्ताव द्वारा किसी कमेटी का निर्माण होगा, वही यह भी व्यक्त करेगा कि कितने सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) कमेटी के कार्य संचालन के लिए अनिवार्य होगी। जो प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनमें ऐसा नहीं किया गया है। यह आज्ञामूलक व्यवस्था है और इस चूक की पूर्ति के लिए मैं आपसे नियम 26 के अनुसार स्वीकृति मांगता हूं कि मुझे यह नया संशोधन पेश करने की स्वीकृति दी जाये जिसकी सूचना मैंने पहले से नहीं दे रखी है। संशोधन इस प्रकार है–

"प्रस्ताव के पैरा (वाक्य समूह) 3 के बाद नीचे लिखा वाक्य पैरा 3 (क) के समय कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई रखा जायेगा।''

[माननीय सर एन. गोपाल स्वामी आयंगर]

***श्री के.एम. मुंशीः** मुझे पैराग्राफ 4 में संशोधन पेश करना है। पैराग्राफ 4 इस प्रकार है—

> ''एडवाइजरी कमेटी संयुक्त वैधानिक असेम्बली को तीन मास के अन्दर अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगी और बीच में वह समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है।''

इसमें मेरे संशोधन द्वारा इस परिवर्तन की मांग की गयी है—

पैराग्राफ 4 में 'तीन मास' और 'और' के बीच में ये शब्द रख दिये जायें 'प्रस्ताव की तारीख से'। और फिर 'समय' शब्द के पश्चात् पूर्ण विराम के स्थान में अर्धविराम रखा जाये और आगे निम्न शब्द बढ़ा दिये जायें, पर मौलिक अधिकारों पर एक अस्थायी रिपोर्ट इस तारीख से छः सप्ताह के अन्दर और अल्पसंख्यकों पर एक अस्थायी रिपोर्ट इस तारीख से दस सप्ताह के अन्दर भेजेगी।

कमेटी और उसकी कमेटियां (उपसमितियां) के सदस्यों का कोरम इस रूप में बढ़ा दिया जाये।

श्रीमान्, जी वाक्यांश 4 संशोधन के बाद इस प्रकार हो जायेगा।

> एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) यूनियन कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (संयुक्त वैधानिक असेम्बली) को इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर अन्तिम रिपोर्ट भेजेगी और वह इस तारीख से छः सप्ताह के अन्दर मौलिक अधि कार (Fundamental Rights) और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर दस सप्ताह के अन्दर ऐसी अस्थायी रिपोर्ट देगी।

श्रीमान्, जी मेरा अगला संशोधन पैरा 5 में है। यह इस प्रकार है (प्रस्ताव) के पांचवें पैरा में ''उसी ढंग से'' शब्दों से लेकर पैरा के अन्त तक के शब्दों के स्थान में ''अध्यक्ष की नामजदगी द्वारा'' शब्द रख दिये जायें।)

पांचवे पैराग्राफ का मूल रूप इस प्रकार है:

> एडवाइजरी कमेटी में जो जगहें इत्तफाकिया खाली होंगी उनकी पूर्ति जहां तक शीघ्र सम्भव होगा, उसी ढंग से की जायेगी जिस ढंग से मूल रूप में की गयी थी।

इस संशोधन का उद्देश्य है आकस्मिक बात हो जाने की अवस्था में उसके लिए व्यवस्था रखना जब असेम्बली की यह आरम्भिक बैठक स्थगित होगी, तो कमेटी काम करेगी। अगर बीच में कोई जगह खाली हुई तो उसे विधान-परिषद् की अगली बैठक तक भरना असम्भव हो जायेगा। इसीलिये यह अधिकार अध्यक्ष को दिया जाना चाहिये जिससे जगह खाली होते ही वह उस पर सदस्य की नियुक्ति कर सकें। श्रीमान् जी, यही संशोधन मुझे पेश करने हैं।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): श्री अध्यक्ष जी, मैं इस बहस में पड़ने की इच्छा नहीं रखता, पर दुर्भाग्यवश पहले वक्ता ने यह कहा है कि एंग्लो इंडियनों को भी अधिक प्रतिनिधित्व मिल गया है, जिससे मुझे खड़ा होना पड़ा है। यद्यपि मैं साम्प्रदायिक नेता हूं, फिर भी मैंने साम्प्रदायिकता के खरगोश को खदेड़ने में सदा अनिच्छा ही प्रकट की है और भद्दे साम्प्रदायिक श्वान-युद्ध

में पड़ने की तो और भी अनिच्छा रखता हूं। पर मैं समझता हूं कि सभा के कुछ सदस्यों को स्टेट पेपर के बारे में और उसके निर्माता के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गलतफहमी हो गई है। महाशय, अगर यह अनुभव किया जाये कि अल्पसंख्यकों के लिए एडवाइजरी कमेटी की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। पर जब तक आप ने अल्पसंख्यकों के लिए कमेटी बना रखी है, और जब अल्पसंख्यक जातियां अपने अधिकारों के लिए हठ कर रही है फिर चाहे वह सच्चे हों या तथाकथित, तब तो अन्य अल्पसंख्यक जातियों खास कर अपेक्षाकृत छोटी, अपनी रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व मांगती ही रहेंगी। मैं श्री जयपालसिंह के कथन से सहमत हूं कि अधिकांश अल्पसंख्यक अपने हित-रक्षा पं. नेहरू जैसे नेता के साथ में सौंपने को तैयार है। मैं पहला आदमी होऊंगा और कह दूंगा कि यह ''अपनी रक्षा उनके हाथों में सौंप दो''। पर दुर्भाग्यवश इन मामलों का फैसला ऐसे ऊंचे दर्जे पर नहीं हो रहा है। इस देश में सभी उस उच्चता के व्यक्ति नहीं है। दुर्भाग्यवश आज कल साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति पहले से अधिक दृढ़ और दावेदार बन गई है और मैं चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता की यह अभिवृद्धि कुछ कम हो जाये।

श्रीमान् जी, हम विशेष राजाज्ञा पत्र (State Paper) पर विचार कर रहे हैं। हम मंत्रिमण्डल मिशन के वक्तव्य के 20वें पैरा पर विचार कर रहे हैं। पैरा 20 का विशेष विवरण सर स्टेफर्ड क्रिप्स की सरकारी व्यवस्था में प्रकट है। सर स्टेफर्ड या मंत्रिमण्डल मिशन हमारे संस्था सम्बन्धी अनुपात से कोई वास्ता नहीं रखते। यह संस्था का अनुपात इसी देश की प्रिय पुकार है। सर स्टेफर्ड ने विशेष रूप में कहा था कि एडवाइजरी कमेटी की स्थापना इसलिए हुई है कि अल्पसंख्यक का नहीं, छोटे अल्पसंख्यक (Small Minorities) को एक अवसर मिले कि वह अल्पसंख्यकों सम्बन्धी विधान पर प्रभाव डाल सकें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मंत्रिमण्डल का यह इरादा है कि हिन्दुस्तानी ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और आदिवासी और कबीले वाले क्षेत्रों के निवासियों को खास प्रतिनिधित्व दिया जाये, और यद्यपि हमने मेल और बन्धुत्व के वातावरण के लिए यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया है पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जगहों के बांटने में शायद मंत्रिमण्डल के इरादे को ध्यान में नहीं रखा गया। खास कर मेरे सम्प्रदाय के बारे में तो यही बात है। यदि सभा को यह धोखा हुआ हो कि मेरे सम्प्रदाय को अधिक जगहें मिली हैं तो मैं उसके इस भ्रम का निवारण कर देना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल मिशन का यह स्पष्ट इरादा था कि छोटे अल्पसंख्यकों अर्थात्, हिन्दुस्तानी ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और कबीले वाले या आदिवासियों को इस एडवाइजरी कमेटी द्वारा अपने निर्णय का प्रभाव डालने का अवसर मिलना चाहिए। और किसी छोटी अल्पसंख्यक जाति का जिक्र नहीं किया गया। यह सवाल कि अन्य अल्पसंख्यकों को बढ़ा कर उसके इरादे की पूर्ति की गयी या नहीं, मैं अभी इस पर जोर नहीं देता। पर मंत्रिमण्डल मिशन के दिमाग में उस समय अवश्य ही कोई ऐसी बात थी जब उन्होंने यह व्यवस्था बनाई थी। उनके सामने विभिन्न अल्पसंख्यकों के मामले थे। उन्होंने यह बात समझ ली कि अमुक अल्पसंख्यक यद्यपि संख्या में कम हैं पर उनके हितों की रक्षा का सवाल बड़ा है और उन्हें सामान्य राजनीतिक ढांचे में उनके हितों की रक्षा करनी है और उनका मुख्य ध्येय इस एडवाइजरी कमेटी की स्थापना करने में यह था कि अल्पसंख्यकों,

[श्री एफ.आर. एन्थॉनी]

खासकर इन तीनों अल्पसंख्यकों को ऐसा अवसर मिले कि वह अपने फैसले को प्रभावित कर सकें।

श्री डम्बरसिंह गुरंगः श्रीमान् जी, श्रीयुत मुन्शी ने एडवाइजरी कमेटी की जो सूची पेश की है उसमें मैं किसी गोरखा का नाम नहीं देख रहा हूं मैं 16 मई के मंत्रिमण्डल मिशन के 20वें वाक्यांश का हवाला नहीं देना चाहता पर मैं हाउस का ध्यान उस ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं जो कुछ ही दिन पहले सभा के उद्देश्य के प्रस्तावों को पेश करते हुए पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रस्ताव के पैराग्राफ 6 में कहा गया है—

> ''जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुओं तथा आदिवासी एवं कबीले वालों तथा दलितों को पर्याप्त सुविधाएं दी जायेंगी।''

एडवाइजरी कमेटी का काम विधान-परिषद् को वह सलाह देना है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुओं और कबीले वालों तथा आदिवासियों की हित-रक्षा का विधान बन जाये। यह मानी हुई बात है कि इस कमेटी में इन सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि होने चाहिये। अब अगर एडवाइजरी कमेटी में गोरखा नहीं है तो उनकी ओर से कौन बोलेगा और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कौन करेगा? इसमें सन्देह नहीं कि गोरखा एक विशिष्ट अल्पसंख्यक दल है और कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वह भारत की बहुत पिछड़ी हुई जाति है। गोरखाओं को अगर इस रूप में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है तो उन्हें इस रूप में प्राप्त करने का अधिकार है कि वह पृथक् क्षेत्रों और आंशिक पृथक् क्षेत्रों के निवासी हैं क्योंकि दार्जिलिंग जिले में तीन लाख से अधिक गोरखे रहते हैं, वह एक आंशिक पृथक् क्षेत्र (partially excluded area) है। इसके अतिरिक्त कबीले वालों में भी उनकी गिनती हो सकती है क्योंकि बंगाल की सन् 1941 ई. की मर्दमशुमारी में गोरखों को कबीले वालों में गिना गया है। अगर गोरखों को ऐसी कमेटी में भी जगह न मिली जहां दलित और पिछड़े हुए लोगों की हित रक्षा का सवाल है तो मैं एक गोरखा के रूप में विधान-परिषद् का सदस्य होने में लाभ नहीं देखता। अभी उस दिन राष्ट्रपति कृपलानी ने मुझसे कहा था कि गोरखा तो अपनी तलवार से लड़ेंगे। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। गोरखों ने भारत के शासकों के लिए लड़ाई लड़ी है, पर अब गोरखों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का फैसला किया है पर साथ ही मैं हाउस से अपील कर देना चाहता हूं कि उनके मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से भी वह बहुत पिछड़े हुए हैं और चूंकि एडवाइजरी कमेटी ही एक ऐसी कमेटी है जहां यह सब बातें पेश की जा सकती हैं और उन पर बहस की जा सकती है। मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर विचार करे।

*__श्री के.एम. मुंशीः__ महाशय, क्या मैं प्रस्तावकर्ता के रूप में इसका जवाब दे सकता हूं?

*__अध्यक्षः__ (श्री के सन्तानम् से) क्या आप बोलना चाहते हैं?

*__श्री के. सन्तानम्ः__ श्रीमान् जी, मैं इस प्रस्ताव पर दो बातें कहना चाहता हूं। मुझे भय है कि एडवाइजरी कमेटी को अपना स्वरूप बहुत व्यापक और अनुचित

हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि सारी असेम्बली या उसके अंगों के कार्यक्षेत्र में अनुचित प्रवेश कर ले। उदाहरण के लिये अगर यह ऐसे मामलों में जाती है कि संयुक्त निर्वाचन बनाम पृथक् निर्वाचन पर विचार करने लगे या प्रतिनिधित्व का परिमाण निश्चय करने में अपनी शक्ति खपा दे तो कमेटी का काम बहुत कठिन हो जायेगा। मैं इस विषय को विस्तृत नहीं करना चाहता। और मैं कमेटी के कार्य को कठिन नहीं बनाना चाहता, केवल मैं उनके विचार पर छोड़ता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमें रिपोर्ट के बारे में किस प्रकार काम करना है। साधारणत: रिपोर्ट सभा के सामने पेश की जाती है पर अगर हम इस असेम्बली के बैठने तक रिपोर्ट पेश करने की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें इसके विचार के लिये 10/15 दिन ठहरना पड़ेगा। इसका मतलब होगा हाउस के समय का दुरुपयोग। इसलिए मेरी राय है कि कमेटी से प्राप्त करते ही आप रिपोर्ट बांटने की आशा हाउस से ले लें, जिससे हम जब फिर मिलें तो हम सब तैयार होकर आयें और हाउस का समय व्यर्थ न जाये। अन्यथा शिकायत के लिए वैध आधार मिल जायेगा। क्योंकि एक दो या तीन दिन की सूचना काफी नहीं है। हमें कम से कम एक पखवारे पहले सूचना मिलनी चाहिए। अगर आप हाउस के पास रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके बाद पन्द्रह दिन और रुकते हैं तो कितना खर्च, कितनी परेशानी और कठिनाई होगी, आप जानते ही हैं। इसलिए मैं यह दो सुझाव आप के विचार के लिए पेश करता हूं।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति हैं। श्री मुंशी ने जो संशोधन रखा है वह कोई ऐसा ढंग नहीं बताता जिससे इस कमेटी के बाद के चुनाव किये जा सकें, क्योंकि मूल आदेश कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक परिवर्तनीय वोट द्वारा होगा, श्री मुंशी के संशोधन से गिर गया। इस कारण यदि सुझाव के लिये आये हुए श्री मुंशी के नामों के अतिरिक्त एक-दो और नाम आ जाते हैं तो चुनाव का ढंग क्या होगा? श्री मुंशी का संशोधन तो जाब्ते के नियमों के अन्तर्गत कार्य को उलट देगा। मुझे आशा है आप ऐसा न होने देंगे। मैं इसीलिए आपका यह निर्णय जानना चाहता हूं कि संशोधनयुक्त प्रस्ताव में सुझाये गये नामों के अतिरिक्त एक दो नाम और आ गये तो चुनाव किस ढंग से होगा?

***श्री के.एम. मुंशी:** वैधानिक आपत्ति के बारे में मुझे यह कहना है कि नियम 46 यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हाउस चुनाव का ढंग बदल सकता है। नियम इस प्रकार है:

> ''जब तक कि कमेटी का निर्माण करने वाला विधान इसके विपरीत व्यवस्था न देता हो, ऐसी सब कमेटियों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एक परिवर्तनीय मत द्वारा चुने जायेंगे।''

इसलिये महाशय, यह देखा जा सकता है कि इसमें वैधानिक आपत्ति की कोई बात है ही नहीं।

***रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय:** मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नियम 46 (2) में जिस जाब्ते की रूपरेखा बतायी गयी है, उसकी पूर्ति हो जाती यदि

[रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय]

श्री सन्तानम् अपना वह संशोधन पेश कर देते जिससे मूल प्रस्ताव के शब्दों को बदल कर वे "साधारण वितरणीय मत द्वारा" शब्द रखना चाहते थे। चूंकि श्री सन्तानम् ने अपना वह संशोधन पेश नहीं किया, इसलिये कोई जाब्ता नहीं रखा गया। इसलिए नियम 46 (2) लागू नहीं होता।

***अध्यक्षः** मेरे ख्याल में नियम 46 का वाक्यांश इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि मुंशी ने जो संशोधन पेश किया है वह विधि विहित है।

***श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात डालना चाहती हूं कि मुस्लिम प्रांतों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये सात सदस्यों का विधान है। मैं देखती हूं कि हिन्दुओं में किसी भी हरिजन का नाम सम्मिलित नहीं है। हम हरिजन अपने को हिन्दू जाति का ही अंग समझते हैं और हमें मुस्लिम प्रान्तों में हिन्दू प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार है। हमें बंगाल, सिन्ध या पंजाब में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। किसी ने अभी कहा है कि सूची में तो हरिजनों के सात सदस्य पहले ही से है। पर इसका तो यह मतलब नहीं हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में हम हरिजन हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसलिये मैं केवल हाउस के ध्यान में यह बात लाना चाहती थी कि वह इस ख्याल में न रहे कि यहां हरिजन केवल भारत के हरिजनों का ही प्रतिनिधित्व करने आये हैं। हम दावा करते हैं कि हम हिन्दुओं के अंग हैं। सवर्ण हिन्दुओं का यह कर्त्तव्य है कि उन्होंने जो वायदे किये हैं उनके अनुसार एक हरिजन को हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त में भेजें। पर किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैं सूची में अपना नाम लिखाने आई हूं मुझे ऐसी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उन प्रान्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहती, पर ऐसे हरिजन हैं जो मुस्लिम बहुमत प्रधानप्रांतों से आए हैं और जो अपने प्रान्तों में हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रत्येक अधिकार रखते हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि हाउस इस बात का विचार करे कि मेरी राय उन मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है जो आगे आने वाले हैं।

***श्री लक्ष्मी नारायण साहु** (उड़ीसा : जनरल): महाशय, मैं हाउस को यह सूचित करने के लिए उठा हूं कि श्री मुंशी के सुझाव में उड़ीसा की उपेक्षा की गयी है। हमें सदा का अनुभव है कि चूंकि हम सीधे सादे लोग हैं इसलिए हमारी उपेक्षा की जाती है। अब तो उड़ीसा का दावा इतना बड़ा है कि मेरी समझ में हाउस उसके नाम सम्मिलित करने से इन्कार न करेगा। पहली बात तो यह है कि उड़ीसा का दो-तिहाई भाग आंशिक पृथक् (partially excluded) और पृथक् (excluded) क्षेत्र है और फिर भी यद्यपि श्री मुंशी द्वारा रखी गई सूची में 13 नाम ऐसे क्षेत्रों में रखे गए हैं, पर उड़ीसा का कोई नाम नहीं है। इसके अतिरिक्त हाउस के विचार के लिए और भी एक बात है। श्री मुंशी की सूची के अनुसार उड़ीसा में कोई हिन्दू नहीं है, और फिर भी प्रतिनिधित्व एक मुसलमान को दिया जायेगा। सचमुच अनुचित है। वहां का बहुमत बिना प्रतिनिधित्व का है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हाउस इस बात की ओर विशेष ध्यान देगा। मुझे माननीय पं. गोविंदबल्लभ पंत के प्रस्ताव पर बोलना चाहिए। पर चूंकि आपने यह कहा है कि श्री मुंशी का प्रस्ताव विधिविहित है और मैं उसका विरोध भी नहीं करता हूं फिर भी रायबहादुर श्यामानन्दन सहायजी की तरह मैं यह अनुभ्व करता हूं कि इस महत्त्वपूर्ण मामले में हमें एक परिवर्तनीय

मत की प्रणाली काम में लानी चाहिए। इससे यह सवाल सबके लिए सन्तोषजनक रूप में हल हो जायेगा।

*__श्री जयरामदास दौलतराम__ (सिन्ध : जनरल): मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के महत्त्व को देखते हुए और जिस प्रकार के नाजुक मामले में इसका उपयोग करना है उसका ख्याल रखते हुए यहां ऐसी बहस नहीं होनी चाहिये जिससे इसका कार्यक्षेत्र सीमित हो जाये। इस कमेटी में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के प्रतिनिधि हैं और देश के सभी भागों से आये हैं और मेरे ख्याल में उन्हें 16 मई के वक्तव्य में और अन्यत्र जो कुछ कहा गया है, बहस करने और फैसले पर पहुंचने का मौका मिलना चाहिये कि अल्पसंख्यकों की रक्षा वाले खंड कहां तक पर्याप्त व्यवस्था देते हैं। चूंकि यह मामला ऐसा है कि उस पर लम्बी बहस से और अधिक वाद-विवाद बढ़ेगा इसलिये मैं अधिक कुछ न कहूंगा और आशा करूंगा कि एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) इस बात पर अल्पसंख्यक और सर्वसामान्य दोनों ही दृष्टियों से विचार करेगी और सारे देश की राष्ट्रीय भावनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों की मांगों की पूर्ति करने का प्रयत्न करेगी।

*__श्री एस. नागप्पा__ (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष जी, मैं इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इन 50 सदस्यों में कुछ सम्प्रदायों को विशेष रूप में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। यदि यह सभी सम्प्रदायों के लिए समान है, इसमें सात हिन्दू, सात मुसलमान, सात परिगणित जातियां हैं, तो मैं यह नहीं समझता कि किस आधार पर इन संस्थाओं का निर्णय किया गया है। उदाहरण के लिए यदि आप कहें कि सात ऐसे प्रांत हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्या में है और वहां के हिन्दुओं की रक्षा करनी है और फिर चूंकि सात हिन्दू प्रांत ऐसे हैं जहां हिंदुओं का बहुमत है इसलिए सात मुसलमानों को अपने हितों की रक्षा के लिए कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तो यह बात अच्छी है। पर हरिजनों का क्या होगा? वह प्राय: सभी प्रान्तों में अल्पसंख्यक हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इन प्रान्तों की जनसंख्या देखें तो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों के सभी हिन्दू हरिजनों के बराबर नहीं हैं और यही बात हिन्दू प्रमुख प्रान्तों में भी है। और अब पारसी नई अल्पसंख्यक जाति के रूप में लाये गये हैं। अब तक यह जाति अपने को अल्पसंख्यकों में नहीं लिखाती थी। सहसा इस अल्पसंख्यक एडवाइजरी कमेटी में इस जाति को अल्पसंख्यक जाति के रूप से श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। मैं नहीं समझता महोदय, कि यह पारसी जाति किस प्रकार की सुरक्षा चाहती है। वह समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुकी है तथा आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति में ऊंची है। फिर वह कौन से खास संरक्षण हैं जो इस पारसी जाति को अपेक्षित हैं। यही बात एंग्लो इंडियनों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। उनकी संख्या बहुत कम है, पर उन्हें प्रतिनिधित्व बहुत दे दिया गया है। इससे तो दलित वर्ग को 7 के बदले 11 जगहें दे देनी चाहिए थीं। अब अगर कुछ न किया जा सके तो मैं सभी चुने गये सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे खास सम्प्रदाय के हित के लिए वहां लड़ने का विचार छोड़ दें। वे एकता का भाव अपनायें और ऐसा करें जिससे सभी सम्प्रदायों को लाभ पहुंचे, सभी में एकता और समृद्धि का प्रसाद हो। इस उद्देश्य से उन्हें यह देखना चाहिए कि खासतौर पर ऐसी जातियां जिन्हें अपनी संख्या के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी हितरक्षा

[श्री एस. नागप्पा]

अवश्य हो। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इस विधान-निर्माण के उद्देश्यों का प्रस्ताव पास किया है। हमें उसके अभिप्राय के अनुसार चलते हुए यह देखना चाहिए कि सभी जातियों को समुचित स्थान प्राप्त हो, यद्यपि उदाहरण के लिए 50 में केवल 7 ही हरिजन यहां हैं। यह वर्तमान सदस्यों की संख्या का लगभग सातवां भाग है। वह अपने हित के लिए लड़ सकते हैं। फिर भी वह अल्पसंख्यक ही हैं। सम्भव है उनकी आवाज सुनी न जाये। इसलिए मैं उन सभी सदस्यों से जो चुने गये हैं प्रार्थना करता हूं कि वह बहुसंख्यक होते हुए भी हरिजनों को ठीक तौर पर समझें और यदि उनकी मांग उचित है तो उसे पूरी करें। सारी नहीं तो उनकी कम से कम मांग तो अवश्य पूरी करें। इस विश्वास के साथ मैं निर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी जातियों के साथ जो युगों से कष्ट उठा रही हैं, पूरा न्याय हो और उन्हें वह सब कुछ दिया जाये जिसके वे अधिकारी हैं।

*__माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकोल्स राय:__ महाशय इस सूची में 50 सदस्य हैं। मैं इसमें दो नाम और बढ़ाना चाहता था, पर श्री मुंशी से बातचीत करने के बाद मैंने इस संख्या में फेरफार न करने का निश्चय किया। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम में अल्पसंख्यक अनेक है। वहां के कबायली क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। प्रत्येक क्षेत्र का रहन-सहन और संस्कृति अलग-अलग है। ऐसी कमेटी में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पर मैं पैराग्राफ 2 में देखता हूं कि एडवाइजरी कमेटी जो सब कमेटियां नियुक्त करेगी कुछ और सदस्य चुन (Coopt) सकेंगी। इससे सम्भवत: हमारी समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं उसे पढ़ सुनाता हूं:

> ''एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) ऐसी सब कमेटियां (उपसमितियां) नियुक्त करेगी जो पश्चिमोत्तर पूर्वोत्तर की फिरकेवाली जातियों के क्षेत्रों एवं आंशिक पृथक् क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। इस तरह की सभी सब कमेटियां अभी अपने खास फिरके वाले क्षेत्र से दो सदस्य से अधिक नहीं चुन (coopt) सकती। यह सदस्य उन्हें उस क्षेत्र के काम में सहायता पहुंचायेंगे।''

इसमें सन्देह नहीं कि इससे आदिवासी और फिर्केवाले क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा जिससे वे एडवाइजरी कमेटी पर अपनी इच्छायें प्रकट कर सकेंगे। इस दृष्टि से सभा के सम्मुख पेश किया गया। प्रस्ताव बिल्कुल सन्तोषजनक है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बहुत पसन्द करता यदि कोई और हिन्दुस्तानी ईसाई इस सूची में जोड़ा गया होता। मैं देखता हूं कि उड़ीसा को बिल्कुल ही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

*__एक माननीय सदस्य:__ आन्ध्र के बारे में आप क्या कहते हैं?

*__माननीय रेवरेन्ड जे.जे.एम. निकोल्स राय:__ मैं चाहता हूं कि उड़ीसा से एक ईसाई को प्रतिनिधित्व मिले। अध्यक्ष महोदय, वहां के ईसाई समाज के प्रतिनिधित्व के बारे में विचार कर सकते हैं चार हिन्दुस्तानी ईसाई सदस्यों को इस सूची में स्थान मिला हुआ है। मैं केवल एक की वृद्धि चाहता हूं। इस अनुरोध के साथ में विश्वास करता

हूं कि प्रस्ताव सभा को मान्य है और पूर्णत: संतोषजनक है। जिन कुछ अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन्हें अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से और सब कमेटियों द्वारा चुने (Coopt) जाने से प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

*__श्री बी. दास__ (उड़ीसा : जनरल): महाशय, आज सुबह यहां का जो वातावरण है और तीन-चार दिन से नई दिल्ली का जो वातावरण हो रहा है। वह मुझे 1930-31 के वातावरण की याद दिलाता है। अपने भूतकालीन अनुभवों के आधार पर मैं यह सोचता हूं कि अल्पसंख्यकों को पहले से ज्यादा स्थान मिले हुए हैं। इस तरह की शिकायतें तो सदा ही रहेंगी। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अल्पसंख्यक केवल न्याय, समानता और सद्व्यवहार ही नहीं चाहते बल्कि तीसरे दल के दबाव से संरक्षण और अधिक स्थान की मांग करते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या द्वारा हमारी मुख्य समस्या को—भारत की स्वतंत्रता को—ढक नहीं दिया जाना चाहिए।

पूर्व वक्ताओं ने एक बात पर विशेष जोर दिया था कि बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों को एडवाइजरी कमेटी में अपने बहुसंख्यक सम्प्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं उनके साथ हूं और मैं उड़ीसा के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय के लिये ऐसे प्रतिनिधित्व की मांग करता हूं। उड़ीसा को इस बहस में अवश्य सम्मिलित किया जाये जिससे वह उस अनुचित बोझ का हिसाब लगा सके जो उसे अपनी अल्पसंख्यक जातियों के कारण उठाना पड़ेगा।

बहुत सम्भव है कि आगे चलकर एडवाइजरी कमेटी में अड़चन उपस्थित हो जाये। मैं उससे फैसले का अनुमान नहीं करता और न मैं उस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य ही हूं। पर अल्पसंख्यक अखिल भारतीय आधार पर अधिकाधिक संरक्षण, आर्थिक सुविधायें, प्रतिनिधित्व तथा ज्यादा जगहें मांगते जायेंगे। अखिल भारतीय आधार पर मांगें तथा उन पर फैसले गरीब उड़ीसा प्रान्त के लिए बड़े संकटप्रद सिद्ध हो सकते हैं। अगर अल्पसंख्यकों पर सिर्फ की जाने वाली कोई कम से कम रकम मुकर्रर कर दी गई। फिर भी कुछ कम से कम रकम तो परिगणित जातियों और आदिवासियों एवं फिरकेवालों पर खर्च करना ही होगा। जिन दिनों बिहार उड़ीसा से अलग नहीं हुआ था उन दिनों का बिहार का कम से कम खर्च उड़ीसा का आज अधिक से अधिक खर्च बन गया है। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति की वार्षिक आमदनी लगभग ढाई रुपये है जबकि अन्य प्रान्तों की 20 रुपये है। मैं यह कह कर कोई वकालत नहीं कर रहा हूं कि एडवाइजरी कमेटी में उड़ीसा का एक हिन्दू प्रतिनिधि भी रखा जाना चाहिये।

मैं कल्पना करता हूं कि स्वतन्त्र भारत में अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) प्रान्तों को मिलेंगे। क्या मेरे यहां के साथी यह बात समझ रहे हैं कि संरक्षण और अधिक प्रतिनिधित्व की पुकार से छोटे प्रान्तों की कितनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। और गरीब प्रान्तों पर कितनी भीषण कठिनाइयां—शासन सम्बन्धी और आर्थिक लागू हो जायेंगी। इससे शासन भंग हो जाने की आशंका हो सकती है।

एडवाइजरी कमेटी इतनी विस्तृत जरूर होनी चाहिए जिससे वह हिन्दू बहुमत के प्रान्तों को हिन्दू प्रतिनिधियों को ले सके। ताकि वह उन प्रांतों की आय-व्यय और अर्थ सम्बन्धी व्यवस्था को समझ सके। हमें एडवाइजरी कमेटी के ऐसे लोगों के किसी भी निर्णय का प्रबल विरोध करना होगा जो उड़ीसा की माली, आर्थिक अवस्था

[श्री बी. दास]

को समझते तक नहीं। हम कोई भी संरक्षण, आर्थिक अथवा अन्य स्वीकार नहीं करेंगे और न अनुचित बोझ या कठिनाई ही सहन कर सकेंगे।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** मेरा प्रस्ताव है कि अब बहस बन्द की जाये।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं महाशय?

***अध्यक्ष:** बहस बन्द करने का प्रस्ताव (Closure) रखा जा चुका है। प्रस्ताव है कि बहस बन्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** पन्त जी, यह प्रस्ताव आपका था। क्या आप संशोधन स्वीकार करते हैं?

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त:** महोदय, मैं श्री मुंशी द्वारा पेश किये गये संशोधनों को स्वीकार करता हूं। कुल मिलाकर मेरे प्रस्ताव का आशातीत स्वागत हुआ। यह एक नाजुक सवाल है, खासकर जब व्यक्तियों की नामजदगी का प्रश्न सामने आ जाता है। ऐसी समस्याओं के अनेक ऐसे परेशानी भरे रूप हमारे सामने आ जाते हैं जिन पर आसानी से काबू नहीं किया जा सकता और जिन्हें बिल्कुल अवैयक्तिक रूप में सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिये यदि श्री जयपालसिंह की अपेक्षा भी अधिक प्रबल विरोध और कटु आलोचना करने वाले वक्ता होते तो मुझे आश्चर्य न होता। मैंने देखा कि वह अनर्गल भाषण कर रहे हैं, और मुझे ऐसा जान पड़ा कि उनके भाषण की उग्रता उनके भावहीनता का पूरक थी। मैंने आदिवासियों या फिरकेवालों के विरुद्ध कोई सुझाव भी नहीं किया था। मेरा विश्वास है कि इन आदिवासियों और फिरकेवालों की ओर हमने उतना ध्यान नहीं दिया और न अपने हाथों उनकी उतनी क्रियात्मक सेवा ही कर सके जिसके कि वे अधिकारी थे। मैं समझता हूं कि हमारा उनके प्रति एक कर्त्तव्य है और हमें उनको आगे बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। मेरे और उनके (श्री जयपालसिंह) के बीच यह मामला नहीं है। जब मैंने यह सुझाव रखा था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों का मुंह ताकना बुद्धिमानी नहीं है, तो मेरा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल अथवा वर्ग की ओर नहीं था।

मैं इस प्रश्न पर बतौर चेतावनी के चन्द शब्द कहना चाहता हूं जो बड़े महत्त्व के हैं और जो प्राय: बड़े उद्वेगजनक होते हैं। केवल उसी के कारण मैंने हाल के वर्षों की पोलैंड, बलगेरिया, चेकोस्लोवाकिया, आस्ट्रिया और पूर्वीय यूरोप के अन्य राजों की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया था क्योंकि ऐसे समय जब हम विधान बनाने जा रहे हैं इन अनुभवों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह सुझाया गया था कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतानुसार होना चाहिये था। वस्तुत: इसी सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुआ था। जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण के शुरू में कहा था यह सदस्य अपने सम्प्रदायों या दलों और साथियों द्वारा चुने गये हैं, हम इस सारी असेम्बली की स्वीकृति की मुहर इसलिये चाहते थे कि एडवाइजरी कमेटी बड़ी ही महान समस्याओं पर विचार करेगी और हम कमेटी के प्रत्येक सदस्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देना चाहते थे जो इस सभा की स्वीकृति द्वारा कमेटी के सदस्यों में अवश्य ही पैदा हो सकता है। इस प्रकार

इस कमेटी के लिए ठोस नैतिक नींव निर्मित करने के लिए यह उपाय किया गया था, पर जैसा कि पहले कह चुका हूं कमेटी के सदस्यों के चुनाव सर्वसम्मत थे। इस सभा के भी सब सदस्य केवल कुछ अनुपस्थितों को छोड़कर इन नामों से सहमत थे और यह नाम पूरी सभा (General Body) के सामने रखने के पहले, हर दल के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए थे, मैं नहीं समझता कि इससे अधिक सन्तोषजनक ढंग काम में लाया जा सकता था। यह तो एडवाइजरी कमेटी की कार्यवाही के लिए शुभ चिह्न हैं कि इसके सदस्य न केवल अपने दलों द्वारा बल्कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य और सभी सदस्यों द्वारा चुने गए हैं। इससे उन्हें वह स्थिति प्राप्त हो गई है जो उनके लिए श्रद्धा और कद्रदानी का कारण बनेगी। महोदय, कुछ प्रांतों के कई नाम छूट जाने का जिक्र किया गया हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि और भी कई सदस्य इस कमेटी में जोड़े जा सकते थे। यहां हम बौद्धिक और जनहित भावना का यथेष्ट प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, और जिन-जिन को कमेटी में लिया जा सकता था उनसे कमेटी का हित ही हो सकता था, पर इस प्रकार के मामलों में क्रियात्मक सीमाएं हुआ करती हैं और आपको यह देखना होगा कि कहीं बहुत से अच्छे लोगों के आधिक्य से ही ढांचा न टूट जाये। गुण और श्रेष्ठता की भी मर्यादा होती है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिये कि मनुष्य की क्रियाशीलता ही नष्ट हो जाये, वह ऐसी होनी चाहिये जिससे दोष सहन किये जा सकें। नहीं तो यदि आप स्वर्ग-निर्माण करने या प्लेटों का प्रजातन्त्र लाने के इच्छुक हैं तो आप कभी क्रियात्मक रूप में कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिये स्थिति की कठोर यथार्थता के कारण बाध्य हो हमें वह संख्या 70 के लगभग रखनी पड़ी है और गम्भीर कार्यवाही के लिए तो यह संख्या भी अधिक है। हमने यहां संख्या कम कर दी है। इसका कारण यह नहीं है कि जो कुछ कहा गया है हम उसकी कद्र नहीं करते या हम इस सभा के माननीय सदस्यों की सहायता नहीं चाहते; बल्कि इसका कारण यह है कि कमेटी इससे अधिक बोझ सहन न कर सकेगी। इसके कारण किसी भी क्षेत्र में कोई अविश्वास या सन्देह नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसी कमेटियों में साधारणत: मतगणना द्वारा फैसले नहीं किये जाया करते। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी का दृष्टिकोण समझता है। हर व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने साथियों के विचारों को समझेंगे, यही आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिये। इस प्रकार की कमेटी का निश्चय बहुमत के वोट द्वारा नहीं, सर्वसम्मत रूप में होना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर विवाद कर सकते है कि जो सदस्य संख्यायें निश्चित की गई हैं वह प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के अनुपातानुसार पूर्ण नहीं हैं। ऐसे मामलों में लाखों करोड़ों जनता और उसके स्वार्थ के बारे में हम गज की माप काम में नहीं ला सकते और दो परिगणित जाति वालों के घटा देने या एक एंग्लो इंडियन के घटा देने से क्या कोई खास फर्क पड़ता है? मैं ऐसा नहीं समझता। डॉ. अम्बेडकर या श्री एन्थोनी जैसे योग्य एक ही सदस्य उतना कर सकते है जितने आधे दर्जन या इससे भी अधिक मिल कर नहीं कर सकते। संख्या की अपेक्षा चरित्रबल का अधिक महत्त्व है जिससे सदस्यों को प्रेरणा मिलती है। इस तरह के मामलों में इन बातों का ख्याल रखना चाहिये। मुझे आशा है कि जब यह कमेटी काम शुरू करेगी तो अफसोस करने का कोई मौका न होगा और सब मिलकर इस कमेटी को उस समय बधाई देंगे जब यह अपना कार्य समाप्त करेगी।

***अध्यक्षः** पंडित पंत जी, आपने सर एन. गोपाल स्वामी आयंगर के संशोधन पर कुछ नहीं कहा।

***माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्तः** मैं वह संशोधन स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और उसके बाद संशोधन उपस्थित किये जाकर प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं इसलिए अब संशोधित प्रस्ताव पढ़ा जायेगा, जो इस प्रकार है—

''यह असेम्बली निश्चय करती है कि मन्त्रि-मण्डल-मिशन के 16 मई सन् 1946 के पैराग्राफ 20 के अनुसार एक एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) निम्नलिखित ढंग से निर्मित की जाये।''

1. (क) एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में 72 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होंगे और इसमें वह सदस्य भी लिए जा सकते हैं जो इस असेम्बली के सदस्य नहीं हैं।

(ख) आरम्भ में इसमें नीचे लिखे सदस्य होंगे—

1. श्री जयराम दास दौलतराम।
2. माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना।
3. डॉ. गोचीचन्द भार्गव।
4. बख्शी सर टेकचन्द।
5. डॉ. प्रफुल्लचन्द्र घोष।
6. श्री सुरेन्द्र मोहन घोष।
7. डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी।
8. श्री पृथ्वीसिंह आजाद।
9. श्री धर्म प्रकाश।
10. श्री एच.जे. खांडेकर।
11. माननीय श्री जगजीवन राम।
12. श्री पी.आर. ठाकुर।
13. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
14. श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई।
15. सरदार जोगेन्द सिंह।
16. माननीय सरदार बलदेव सिंह।
17. सरदार प्रताप सिंह।
18. सरदार हरनाम सिंह।
19. सरदार उज्ज्वल सिंह।
20. ज्ञानी कर्त्तार सिंह।
21. डॉ. एच.सी. मुकर्जी।
22. डॉ. आल्बन डीसूजा।
23. श्री साल्वे।

24. श्री रोची विक्टोरिया।
25. श्री एस.एच. प्रेटर।
26. श्री फ्रैंक रेजिनान्ड एन्थॉनी।
27. श्री एम.बी.एच. कॉलिन्स
28. सर होमी मोदी।
29. श्री एम.आर. मसानी।
30. श्री आर.के. सिधवा।
31. श्री रूपनाथ ब्रह्म।
32. श्री खान अब्दुल गफ्फार खां।
33. खान अब्दुलसमद खां।
34. माननीय श्री रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय।
35. श्री मयंग मोकचा।
36. श्री फूलभान शाह।
37. श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त।
38. श्री जयपालसिंह।
39. आचार्य जे.बी. कृपलानी।
40. माननीय मौलाना अब्बुल कलाम आजाद।
41. माननीय सरदार जे. वल्लभभाई पटेल।
42. माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य।
43. राजकुमारी अमृतकौर।
44. श्रीमती हंसा मेहता।
45. माननीय पं. गोविन्द बल्लभ पन्त।
46. माननीय श्री गोपीनाथ बार्दोलोई।
47. माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन।
48. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
49. श्री के.टी. शाह।
50. श्री के.एम. मुंशी।

(ग) अध्यक्ष किसी भी समय या विभिन्न समयों पर कमेटी के 22 सदस्यों तक की नामजदगी कर सकते हैं, जिनमें 7 मुसलमान होंगे, जो मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा और आसाम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) सब-कमेटियों (उप-समितियों) की स्थापना करेगी, जो पश्चिमोत्तर के फिरकेवाले क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी आदिवासी और फिरके वाले क्षेत्रों और पृथक् एवं आंशिक पृथक् क्षेत्रों की शासन व्यवस्था की योजना बनायेगी। इस तरह की प्रत्येक कमेटी (उपसमिति) सदस्य तक उन क्षेत्रों से चुन

[अध्यक्ष]

(coopt) सकती है जिस पर उस समय वह उपसमिति विचार कर रही होगी और वह सदस्य सब-कमेटी को अपने क्षेत्रों के बारे में ज्ञातव्य बातों द्वारा सहायता करेंगे।

3. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार और भी सब-कमेटियां (उप-समितियां) नियुक्त कर सकती है।

3(क). कमेटी या उसकी किसी भी सब-कमेटी का कोरम सम्बन्धित कमेटी या सब-कमेटी की तात्कालिक सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा।

4. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) इस प्रस्ताव की तारीख से तीन मास के अन्दर अंतिम रिपोर्ट संयुक्त विधान-परिषद् के पास भेजेगी और समय-समय पर अस्थायी रिपोर्ट भी भेज सकती है। परन्तु बुनियादी अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी रिपोर्ट प्रस्ताव पास होने की तारीख से छ: सप्ताह के अन्दर भेजेगी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वह अपनी अस्थायी रिपोर्ट प्रस्ताव पास होने की तारीख से दस हफ्ते के अन्दर भेजेगी।

5. एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) में जो इत्तफाकिया जगहें खाली होंगी उन्हें जहां तक हो सकेगा खाली होने के बाद शीघ्र ही अध्यक्ष महोदय नामजदगी द्वारा भर देंगे।

6. अध्यक्ष कमेटी की कार्यवाही के ढंग के बारे में स्थायी आज्ञा दे सकते हैं।

अब में इस संशोधित प्रस्ताव पर मत लूंगा।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** दोपहर बाद तीन बजे हम फिर मिलेंगे और उस समय हम कमेटी में आय-व्यय के लेखे (बजट) पर विचार करेंगे। इसलिए दर्शकगण दोपहर बाद की बैठक में पधारने का कष्ट न करें।

इसके बाद भोजन के लिए असेम्बली तीन बजे तक स्थगित हुई।

विधान-परिषद् भोजन के बाद तीन बजे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी (समिति) के रूप में फिर समवेत हुई।

आय-व्यय के आनुमानिक बजट पर बहस समाप्त हुई।

फिर तीन बजकर 55 मिनट पर विधान-परिषद् का पूर्ण अधिवेशन हुआ।

विधान-परिषद् का आनुमानिक आय-व्यय (बजट)

***अध्यक्ष:** श्री गाडगिल इस प्रस्ताव को बाजाब्ता पेश करेंगे।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): मैं यह प्रस्ताव बाजाब्ता पेश करता हूं। वास्तव में खुले अधिवेशन में यह पेश किया गया था और विधिवत पेश होने के बाद सभा प्रस्ताव द्वारा कमेटी में बदल गई।

***एक माननीय सदस्य:** मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष: प्रस्ताव विधिवत पेश हो चुका है और उसका समर्थन भी हो चुका है। अब मैं इस पर मत लेता हूं। मैं एक बार प्रस्ताव फिर पढ़ दूंगा:

"निश्चय हुआ कि असेम्बली, असेम्बली के 1946-47 और 1947-48 का आनुमानिक खर्च के विवरण को, जैसा कि विधान-परिषद् के नियम 50 (1) के अनुसार स्टाफ और अर्थ-समिति (Financial Committee) ने तैयार की गई सम्बद्ध सूची में दिखाया गया है, स्वीकार करती है।

"निश्चय हुआ कि असेम्बली विधान-परिषद् के नियम 51(1) के अनुसार असेम्बली के सदस्यों का उप-वेतन (allowance) नियत करती है कि स्टाफ और अर्थ कमेटी द्वारा स्वीकृत सम्बद्ध सूची में दिखाया गया है।

मुझे सारा विवरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदस्यों को उसकी जानकारी है। मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं।........

बजट पास होता है।

बजट मंजूर किया गया।

***अध्यक्षः** इससे हमारा आज का काम समाप्त हुआ।

***श्री देशबन्धु गुप्त** (दिल्ली): क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं श्रीमान्? क्या इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया गया है कि विधान-परिषद् की नौकरी करने वालों पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे?

***अध्यक्षः** कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। हमारे सेवक सरकारी नौकर नहीं हैं।

***श्री देशबन्धु गुप्तः** इन पर सरकारी नौकरी के नियम लागू होंगे या नहीं?

***श्री अध्यक्षः** हम अपने नियम रख सकते हैं। हमारा सरकारी नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सरकारी नौकरी से उधार के रूप में लिये गये हैं वे अपनी राजभक्ति और वफादारी अपने ढंग की रख सकते हैं।

कल हम खुली बैठक में फिर मिलेंगे। कुछ प्रस्ताव लिये जायेंगे।

कल ग्यारह बजे तक के लिए बैठक स्थगित होती है।

इसके बाद असेम्बली शनिवार, 25 जनवरी सन् 1947 ई. के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अंक 2
संख्या 5

शनिवार
25 जनवरी
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्
के
वाद-विवाद
की
सरकारी रिपोर्ट
(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. उपाध्यक्ष का चुनाव 1
2. बिजिनेस कमेटी का चुनाव 1
3. यूनियन केन्द्र के सुपुर्द विषयों की कमेटी 2
4. सभा स्थगित करने का प्रस्ताव.. 13
5. उपाध्यक्ष को बधाइयां 17
6. अध्यक्ष के नाम श्री सोमनाथ लाहिरी का पत्र.. 19

भारतीय विधान-परिषद्

शनिवार, 25 जनवरी, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के ग्यारह बजे से माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपाध्यक्ष का चुनाव

***अध्यक्ष:** माननीय उपाध्यक्ष के पद के लिए डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी ही अकेले उम्मीदवार हैं जिनको वैध रूप से नामजद किया गया है। इसलिए मैं उन्हें नियमित रूप से निर्वाचित घोषित करता हूं।

अब डॉ. पट्टाभि सीतारमैया उस प्रस्ताव को पेश करेंगे जो उनके नाम में है।

बिजिनेस कमेटी का चुनाव

डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, जो तजबीज मेरे सुपुर्द की गई है, मैं आपके सामने पहले अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूँ:

> ''यह परिषद् निश्चय करती है कि निम्नलिखित सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाये:
>
> 1. माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर,
> 2. श्री के.एम. मुंशी,
> 3. श्री विश्वनाथदास।
>
> ''जो सम्पूर्ण भारत का विधान बनाने के लिए इस परिषद् की भावी कार्यवाहियों के क्रम, सिफारिश और परिषद् की बैठक का अगला अधिवेशन शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें।"

हिंदुस्तानी में इसका मतलब मैं बतलाऊंगा। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के द्वारा एक कमेटी, जिसमें तीन बुजुर्ग सदस्य होंगे, मुकर्रर की जाये। इनका काम यह होगा कि आयन्दा (भविष्य) के कार्यक्रम का सिलसिला निर्णय करके सिफारिश करें और अपना निवेदन आगामी बैठक शुरू होने से पहले ही पेश करें।

यह तजबीज देखने में तो छोटी-सी मालूम होती है मगर काफी अहम है।

हमने यहां तक एक मंजिल काट ली है। फर्ज कीजिये एक आदमी सफर पर निकलने वाला है और पहला हिस्सा आसानी से काट लेता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां पेश आयेंगी और कितनी-कितनी रुकावटें पेश आयेंगी, जिनकी आड़ में और रुकावटें डाली जायेंगी, इसलिए वह

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[डा. बी. पट्टाभि सीतारमैया]

क्या करता है? वह सफर को मुल्तवी करके और अहलकारों को आगे भेजकर जितनी कठिनाइयां पेश आ सकती हैं उनका अन्दाज करना चाहता है। हूबहू हम भी इस वक्त पर वही काम करना चाहते हैं और एक कमेटी मुकर्रर करके उसके द्वारा यह मालूम करना चाहते हैं कि आयन्दा हमें अपना कार्यक्रम किस रीति से चलाना चाहिए। किन सिलसिलों में हम को काम करने की जरूरत है, इस कमेटी को मुकर्रर करने का यही मकसद है। आपको याद होगा कि कल एक मुशावर्ती कमेटी मुकर्रर की गई है और आज उसके बाद एक और कमेटी मुकर्रर की जायेगी। इसकी मदद से हमें मालूम होगा कि आयन्दा मर्कजी हुकूमत का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। इन बातों के साथ मैं इस तजबीज को आपके सामने पेश करता हूं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

*__श्री बी. गोपाल रेड्डी:__ मैं इसकी ताईद करता हूं।

*__अध्यक्ष:__ क्या कोई इस पर बोलना चाहता है?

*__डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:__ श्रीमान्, इस सम्बन्ध में एक छोटा-सा संशोधन है।

*__अध्यक्ष:__ श्री सत्यनारायण सिनहा ने एक संशोधन की सूचना दी है।

*__श्री सत्यनारायण सिन्हा__ (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव के अन्त में नीचे लिखा पैरा जोड़ दिया जाये:

''परिषद् आगे निश्चय करती है कि इस कमेटी की बैठक के लिए कम-से-कम दो सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।''

*__अध्यक्ष:__ डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, क्या आप यह संशोधन मंजूर करते हैं?

*__डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:__ मैं संशोधन मंजूर करता हूं।

*__अध्यक्ष:__ तो मैं संशोधित प्रस्ताव पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

यूनियन केन्द्र के सुपुर्द विषयों की कमेटी

*__माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य__ (मद्रास : जनरल): मैं अपने नाम से भेजे प्रस्ताव को पेश करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है:

चूंकि मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल के 16 मई वाले वक्तव्य के पैरा 15 (1) में जो विषय यूनियन केन्द्र के सुपुर्द किये गये हैं, वह खुलासा और आम तौर पर चार मोटी-मोटी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, और चूंकि संघ-विधान और अन्य विधानों के निर्माण के लिए तथा इसलिए कि संघ-विधान और अन्य विधानों की—जिनका जिक्र वक्तव्य के पैराग्राफ 19 खंड (5) में आया है—धाराओं में कोई पुनरावृति या परस्पर विरोध न हो और इन सब विधानों में एकरूपता लायी जा

सके उन विषयों की सीमा समझ लेना आवश्यक है, और चूंकि वक्तव्य के पैराग्राफ 19 के खंड (5) में उल्लिखित विधानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उन बातों की सूची तैयार कर लेना आवश्यक है जो यूनियन के सुपुर्द विषयों के अन्तर्गत है और उनसे परस्पर सम्बन्धित है।

यह परिषद् निश्चय करती है—

(अ) कि, उक्त विषयों की जांच करने तथा 15 अप्रैल, 1947 तक इस परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी बनायी जाये जिसके एकाकी हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने गये शुरू के बारह सदस्य हों, तथा

(ब) कि, अध्यक्ष इस कमेटी में दस और व्यक्ति बढ़ा सकते हैं और इन सब अतिरिक्त सदस्यों या इनमें से किसी सदस्य का चुनाव उनके किसी भी समय और किसी भी तरीके से अध्यक्ष निश्चयानुसार कर सकते हैं।

श्रीमान्, मैं इस विषय पर पहले ही विचार करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर तीन संशोधन पेश होने वाले हैं। यह संशोधन सहायक विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। श्री मुन्शी और श्री सत्यनारायण सिनहा उनको समय आने पर पेश करेंगे और मैं उन्हें स्वीकार करने का इरादा रखता हूं। इसलिए संशोधनों के स्वीकार होने पर मूल-प्रस्ताव जैसा बन जायेगा, उसे मैं अभी उसी शक्ल में पढ़ूंगा, ताकि सारे मामले को समझने में सहूलियत हो। प्रस्ताव का पहला अंश, अर्थात् भूमिका पहले की तरह ज्यों-की-त्यों बनी रहती है, किंतु उसका परिवर्तित अंश बदलकर इस प्रकार हो जाता है:

''यह परिषद् निश्चय करती है—

(अ) कि एक कमेटी जिसके निम्न सदस्य हों:

1—माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू.......

***श्री सी.ई. गिब्बन** (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल): श्रीमान्जी, मुझे यहां पर वैधानिक आपत्ति है। जब तक इस प्रकार के संशोधन सरकारी तौर से पेश नहीं हो जाते तथा प्रस्तावक उन्हें मंजूर नहीं कर लेता तब तक उनको मूल-प्रस्ताव में कैसे मिलाया जा सकता है?

***अध्यक्ष:** उन्होंने संशोधन का कोई अंश नहीं मिलाया है। वह उसे केवल पढ़ रहे हैं।

***श्री सी.ई. गिब्बन:** संशोधन पेश होने से पहले वह उसे मंजूर कर रहे हैं।

***अध्यक्ष:** उनका कहना है कि वह उसे स्वीकार करने का इरादा करते हैं।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य:** मैंने प्रस्ताव को उसी रूप में पढ़ दिया है जैसा वह पत्र पर दर्ज है तथा जो संशोधन प्रसारित किये गये हैं मैंने उनका

[माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य]

जिक्र किया है। मेरा ख्याल है कि यदि मैंने सदस्यों को पहले से ही बता दिया कि मैं उन संशोधनों को स्वीकार करने का इरादा रखता हूं तो उससे बहुत समय बच जायेगा। मैं उसे (प्रस्ताव को) पढ़ रहा हूं ताकि सारा विषय साफ-साफ समझा जा सके यदि आज्ञा हो तो मैं उसे आगे पढ़ूं।

***अध्यक्षः** पढ़िये।

***माननीय श्री सी. राजगोलापाचार्यः** परिवर्तित अंश इस प्रकार हैः

''यह परिषद् निश्चय करती है—

(क) कि एक कमेटी बनायी जाये जिसके शुरू में निम्नांकित सदस्य होंः

1. माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू।
2. श्री शरतचन्द्र बोस।
3. डॉ. पट्टाभि सीतारमैया।
4. माननीय पं. गोविन्दबल्लभ पंत।
5. श्री जयरामदास दौलतराम।
6. श्री विश्वनाथदास।
7. माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर।
8. बख्शी सर टेकचन्द।
9. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
10. श्री डी.पी. खेतान।
11. श्री एम.आर. मसानी।
12. श्री के.एम. मुंशी।

यह कमेटी उक्त विषयों की जांच करके 15 अप्रैल, 1947 तक परिषद् के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे।

(ख) अध्यक्ष इस कमेटी में दस व्यक्ति और बढ़ा सकते हैं तथा इन सब अतिरिक्त सदस्यों या उनमें से किसी का चुनाव ऐसे समय और ऐसे तरीके से किया जा सकता है जैसा कि अध्यक्ष तय करें।

(ग) कमेटी का कोरम फिलहाल कमेटी के सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा, तथा कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्दी, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी कर दी जायेंगी।''

श्रीमान्, इस प्रस्ताव का उद्देश्य विधान बनाने में इस परिषद् की मदद करना है ताकि भविष्य में, जब परिषद् के विभिन्न विभाग आपस में सम्पर्क रखकर या न रखकर अपना-अपना विधान बनाने लगें तो उनकी विभिन्न कार्यवाहियों में

पुनरावृत्ति या परस्पर विरोध की गुंजाइश न रह जाये। इसलिए मुझे उन संभावनाओं को स्पष्ट करने की आज्ञा दी जाये जिनसे हम बचना चाहते हैं।

श्रीमान्, इस परिषद् के सुपुर्द बड़ा गंभीर कार्य किया गया है, इतना कठिन है कि इससे पहले दुनिया की किसी विधान-परिषद् को शायद ही करना पड़ा हो। जिन मतभेदों को तय करना है, वे अगणित हैं, जिस जनसंख्या को संतुष्ट करना है वह बहुत बड़ी है और जो समस्याएं इस परिषद् के सामने हैं वह इतनी जटिल हैं जितनी इससे पहले शायद ही किसी विधान-परिषद् के सामने उपस्थित हुई हों। ब्रिटिश सरकार की घोषणा ने सारी बातें काफी साफ कर दी हैं, लेकिन फिर भी हम जितनी चाहते हैं, वे उतनी साफ नहीं हुई हैं। यदि हम ब्रिटिश सरकार की घोषणा को, जिस पर इस परिषद् का कार्यक्रम निर्भर है, परीक्षा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें किसी विषय को स्पष्टतया तय नहीं किया गया।

नं. 1—यह तय किया गया है कि हमें संयुक्त भारत के लिए विधान बनाना है।

नं. 2—हमें ऐसा विधान बनाना है कि जहां केन्द्र को रक्षा, यातायात तथा विदेशी मामलों के अधिकार दिये गये हैं तथा उनके साथ ही उक्त विभागों के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करने के भी अधिकार प्राप्त हैं।

और तीसरी बात यह है कि एक दूसरा सिद्धांत नियत किया गया है कि अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers) अर्थात् वे समस्त अधिकार, जो केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं, प्रांतों के हाथ में रहने चाहिए। इसके बाद चौथी बात यह है—एक सहायक बात और तय की गयी है कि प्रांत जिन गुटों में शामिल हों और वे उनको, जो अपने अधिकार देने के लिए राजी हो जायें, वह अधिकार उन गुटों के मिल जायेंगे। यूनियन के विषयों के अलावा दूसरे सभी विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों के पास रहने चाहिएं। यूनियन के विषयों तथा अधिकारों के अतिरिक्त शेष सभी विषय तथा अधिकार रजवाड़ों के पास बने रहेंगे। यह घोषणा के वाक्यांश 15 के (3) तथा (4) उपवाक्यांश हैं। आगे यह निर्धारित किया गया है कि विधान पर दस वर्ष बाद पुनर्विचार हो सकेगा तथा इस पुनर्विचार के सिलसिले में प्रारम्भिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रांतों को ही दिया गया है—ये सिद्धांत वाक्यांश 15 में दिये हुए हैं।

लेकिन हमें इस पर कुछ और गौर से विचार करना चाहिए। उपवाक्यांश (1) में दिया है:

> "उक्त विषयों के लिए जितने धन की जरूरत हो उसे इकट्ठा करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार यूनियन को होने चाहिएं।"

दरअसल, अधिकारों का मतलब उन कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा जो धन मुहैया करने के लिए जरूरी होते हैं तथा, ऐसा होने पर उनके अन्तर्गत धन वसूल करने और संभवत: जहां-कहीं इस सिलसिले में आवश्यकता पड़े, उचित अदालती कार्रवाई जारी करने का अधिकार अपने आप आ जाता है। अब यदि हमारे अधिकारों का मतलब इस प्रकार के अधिकारों से नहीं है तो ऐसे अधिकार

[माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य]

किस काम के! किंतु इस आशय की पूर्ति के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फिर यदि हम धारा 19 पर विचार करते हैं, जो धारा 15 में लिखे गये सिद्धान्तों को अमल में लाने की कार्य विधि बताती है तो उसमें हमें एक विचित्र त्रुटि दिखाई देती है। वाक्यांश 19 के उपवाक्यांश (5) में बताया गया है कि विभाग (Sections) प्रांतीय विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे और फिर वे यह भी तय करेंगे कि गुट-विधान बनाया जाये या नहीं; और यदि गुट-विधान बनाया जाये तो कौन-कौन से प्रांतीय विषय गुट के सुपुर्द किये जायें। फिर विभागों (सेक्शनों) तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि यूनियन का विधान बनाने के लिए एकत्रित होंगे। लेकिन इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि गुट-विधान कब और कैसे तय किया जायेगा। सेक्शन इसका फैसला करेंगे कि गुट-विधान बनेगा या नहीं, और वे यह भी तय करेंगे कि कौन-कौन से प्रांतीय विषय गुटों के सुपुर्द किये जायें। इन दो बातों के अलावा स्वयं गुट-विधान को निश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके बाद यदि हम अल्पसंख्यकों की कमेटी की व्यवस्थाओं की परीक्षा करें तो वहां हम यही देखते हैं। एडवाइजरी कमेटी मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों के बचाव के वाक्यांशों तथा कबायली और पृथक् क्षेत्रों की शासन योजना पर यूनियन विधान-परिषद् के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी; और उस इस बारे में भी सलाह देगी कि यह अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन में से किस के विधान में शामिल किये जायें। अब हम तर्क द्वारा इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब एडवाइजरी कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनियन-परिषद् के पास भेजती है तो यूनियन-परिषद् को यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि उक्त अधिकार प्रांत, गुट अथवा यूनियन किसके विधान में शामिल किये जायें। यदि प्रांत या गुट का विधान पहले ही निश्चित हो जाये और बाद में यूनियन-परिषद् की बैठक में यह फैसला हो कि उक्त अधिकार प्रांत या गुट विधान में शामिल किये जायें, तो फिर किस कार्य-विधि का अनुसरण किया जायेगा? इसलिए, यदि हम मंत्री-मिशन की घोषणाओं के मन्तव्यों अथवा इस परिषद् के प्रस्तावों पर अमल करने से पहले हमें आपस में पर्याप्त सम्पर्क रखना होगा। जो कार्यक्रम वाक्यांश 19 में निर्धारित किया गया है, यदि हम अक्षरश: उसकी व्याख्या करते हैं और यह मान लेते हैं कि जिस-जिस बैठक में, जो कुछ करने के लिए कहा है उसे हम अभी यहां कर लें तथा और कुछ न करें तो हम मन्त्री-मिशन की घोषणा के स्पष्ट इरादों को पूरा कर दिखाने के लिए अन्त में भारी मुश्किलों में पड़ जायेंगे। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह आवश्यक हो गया है—हमें यह आवश्यक जान पड़ता है कि यह प्रस्ताव एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए पेश किया जाये जो उक्त विषयों पर आवश्यक विचार करेगी और प्रारम्भिक अधिवेशन समाप्त होने से पहले इस सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी, ताकि हम अपना भावी कार्यक्रम तैयार कर सकें।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस परिषद् को बड़े गम्भीर विषयों पर विचार

करना है और हमें बहुत कुछ सोच-विचार करना पड़ेगा। हमारा इस ख्याल से काम नहीं चल सकता कि हम यहां पर केवल पहले से तयशुदा फैसलों, विचारों तथा कार्यक्रमों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने आए हैं इस विधान-परिषद् में हमें काफी सारगर्भित तथा स्वतंत्र सोच-विचार करना है, इसलिए जो काम हमारे सामने हैं उनको दृष्टि में रखते हुए हमें एक सिलेक्ट कमेटी की सहायता की आवश्यकता है जो हमारे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करके हमें सलाह दे सके। इस उद्देश्य से ही इस कमेटी के बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस कमेटी का ध्येय मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के महत्त्वपूर्ण इरादों तथा इस प्रकार के अन्य किसी इरादे को नष्ट करने का नहीं है। यह कमेटी हमें हमारी कठिनाइयों तथा उनका हल ढूंढ निकालने में मदद देगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि यह न केवल सभ्यता या सौजन्य का ही तकाजा है बल्कि राजनीतिज्ञता का भी तकाजा है कि जब हम किसी मामले पर सोच-विचार करें तो उनका ख्याल रखें जो गैरहाजिर हैं, जो अपने से गैर हैं।

यही कारण है कि प्रत्येक प्रस्ताव पेश करते समय माननीय सदस्यों ने उन लोगों के उद्देश्यों तथा इरादों का भी पूरा ध्यान रखा है जो अभी तक परिषद् में उपस्थित नहीं हैं। हम देखते हैं कि गलतफहमी पैदा होने की अनेक सम्भावनाएं हैं। हम उन कठिनाइयों को पहले से ही जानने तथा उनकी संभावनाओं को यथाशक्ति दूर करने की कोशिश करते हैं अतः इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अनुपस्थित हैं वह मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कमेटी के उद्देश्य को समझने में भूल न करें। मुस्लिम लीग की नीति अपने लिए एक पृथक् सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य प्राप्त करना है। किन्तु इस विधान-परिषद् ने अपना काम मन्त्री-मिशन के वक्तव्य के आधार पर करना शुरू किया हैं और यदि सम्राट की सरकार की घोषणा में कोई चीज साफ शब्दों में कही गयी है तो वह यह है कि भारत में केवल एक सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा। यह बात असंदिग्ध रूप से साफ कर दी गयी है कि भारत को दो सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्यों में बांटने की बात सोची नहीं जा सकती। इससे जो कुछ हम कर रहे हैं उनमें से बहुत सी बातों का अपने आप स्पष्टीकरण हो जाता है और हमारे बीच जिन गलतफहमियों की सम्भावना है उनमें से बहुत सी दूर हो जाती हैं मैं इस प्रकार भी कह सकता हूं कि लीग ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार किया है। यदि उन्होंने अपनी मांगों को वहां तक ही सीमित रखा होता जहां तक अपनी नीति के अनुसार न्यायतः वे मांग सकते थे, तो शायद लीग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती और वह वर्तमान कठिनाइयों में न पड़ती। लीजिए अब मैं बिल्कुल साफ-साफ कहता हूं। मुस्लिम लीग के लिए सब से बड़ी कठिनाई यह है कि अब उसे परिषद् में शामिल होना पड़ेगा और इस तरह उसे निर्भ्रांतरूप से खुले तौर पर भारत में केवल एक सर्वसत्ता सम्पन्न राज्य स्वीकार करना पड़ेगा। यही कारण है कि उसे परिषद् में शामिल होना भारी पड़ रहा है और इसके लिए बारंबार टालमटोल की जा रही

[माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य]

है। यही कारण है। कि बड़े-बड़े दल अपने विचार-विनिमय के लिए जो तारीखें नियत करते हैं, लीग हमेशा अपनी बैठकों की तारीखें उनके बाद ही मुकर्रर करती है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि परिषद् की पिछली बैठक के स्थगित होने के बाद भी लीग अभी तक अपना फैसला करने तथा हमारे साथ शामिल होने में असमर्थ है। हमें दूसरे पक्ष की भी कठिनाइयां समझनी चाहिए। यदि लीग अब परिषद् में आती है तो वह अपनी 'अलग रहने की नीति' छोड़कर तथा यह अच्छी तरह समझ-बूझ कर आती है कि भारत केवल एक सर्वसत्ता-सम्पन्न राज्य होगा। यह काम यकायक करना उसके लिए कठिन है। हमें इन कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए और उनकी इस देर का गलत मतलब न लगाना चाहिए। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीगी सदस्यों को इस समय इस परिषद् में आने तथा हमारे साथ मिलकर काम करने में जो अड़चनें हैं उन्हें हम भलीभांति समझकर यथा सम्भव शीघ्रता से अपना काम प्रारम्भ कर दें। उन्हें इस विषय पर सोचने दीजिए। हमें उनको शामिल होने के लिए काफी समय देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जब तक वह अपना कोई फैसला नहीं करते तब तक हम अपना काम ही बन्द कर दें, सोच-विचार करना छोड़ दें तथा हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रहें। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा काम अनिश्चित् काल तक टलता रहेगा। इसलिए श्रीमान्, मुझे इस प्रस्ताव की सिफारिश करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमें प्रस्तावित बारह सदस्यों की उक्त कमेटी बना देनी चाहिए, ताकि वह सब कठिनाइयों को सोच सकें और हमें सलाह दे सकें जिससे हम भारत के लिए एक ऐसा विधान बना सकें जिससे उन लोगों के लिए कोई अड़चन पैदा न हो, जिन्हें उस पर अमल करना पड़ेगा। यह विधान केन्द्र के लिए एक स्थायी और दृढ़ विधान होगा और इसमें प्रांतों के लिए भी स्थायी और दृढ़ विधान होंगे जिन पर, केन्द्र के आधीन और एक राज्य के अन्तर्गत जिसकी परिकल्पना की जा रही है—अमल किया जायेगा।

इसलिए, श्रीमान् मैं निवेदन करता हूं कि सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस पर दो संशोधन आए हैं। उनमें एक संशोधन का उद्देश्य यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाने वाले सदस्यों के स्थान में 12 सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाये जिनके नाम इस भवन को निश्चित रूप से बता दिए जायें। दूसरे का उद्देश्य कोरम निश्चित करना और समय-समय पर खाली होने वाले स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था करना है। मैं इन संशोधनों के साथ प्रस्ताव सामने रखता हूं।

***अध्यक्षः** श्रीयुत् मुंशी अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

***श्री सत्यनारायण सिन्हाः** क्या मुझे वह प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दी जा सकती है?

***अध्यक्षः** हां।

*श्री **सत्यनारायण सिन्हा:** श्रीमान्, मैं उन संशोधनों को आपकी आज्ञानुसार पेश करता हूं जो श्री मुंशी के नाम से आये हैं:

> ''कि प्रस्ताव के (अ) अंश में, उन शब्दों के स्थान में जिनका प्रारम्भ 'बाहर सदस्यों' तथा अंत 'एकमात्र परिवर्तनीय वोट' के साथ होता है, निम्न अंश रख दिया जाये:
>
> 'नीचे लिखे सदस्य—
>
> 1. माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू।
> 2. श्री शरतचन्द्र बोस।
> 3. डॉ. पट्टाभि सीतारमैया।
> 4. माननीय पं. गोविन्दबल्लभ पंत।
> 5. श्री जयरामदास दौलताराम।
> 6. श्री विश्वनाथदास।
> 7. माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर।
> 8. बख्शी सर टेकचन्द।
> 9. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
> 10. श्री डी.पी. खेतान।
> 11. श्री एम.आर. मसानी।
> 12. श्री के.एम. मुंशी।' ''

यदि श्रीमान्, आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं दूसरा संशोधन भी पेश कर दूं।

***श्री सी.ई. गिब्बन:** श्रीमान् मुझे एक और कानूनी उज्र है। जब श्री मुंशी जिन्होंने इन संशोधनों की सूचना दी है, सभा-भवन में मौजूद नहीं तो क्या उनकी गैर-हाजिरी में उन्हें और कोई पेश कर सकता है?

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि यदि अध्यक्ष की अनुमति मिल जाये तो उन्हें कोई भी पेश कर सकता है।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** दूसरा संशोधन, जो श्री मुंशी के नाम से आया है और जिसे मैं पेश कर रहा हूं, वह इस प्रकार है:

> ''कि (अ) अंश के अंत में लिखा 'और' शब्द निकाल दिया जाये और तथा (ब) अंश के अन्त का 'पूर्णविराम' 'कामा' में बदल दिया जाये और नीचे लिखा अंश उसमें जोड़ दिया जाये:
>
> ''तथा (स) कि कमेटी की इत्तफाकिया खाली जगहें, खाली होने के बाद जहां तक हो सके जल्द, असेम्बली के सदस्यों में से ही अध्यक्ष द्वारा नामजदगी से पूरी कर दी जायेंगी।''
>
> इस प्रस्ताव का तीसरा संशोधन मेरे नाम से आया है और मैं उसे पेश करता हूं। ''(अ) अंश के अन्त का 'और' शब्द निकाल दिया जाये तथा

[श्री सत्यनारायण सिन्हा]

(ब) अंश के अन्त का 'पूर्णविराम' 'कामा' में बदल दिया जाये और नीचे लिखे अंश को उसमें नए पैराग्राफ की तरह जोड़ दिया जाये:

''(स) कि कमेटी के सम्पूर्ण सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति फिलहाल कमेटी के कोरम के लिए अनिवार्य होगी।''

*__श्री पी.आर. ठाकुर__ (बंगाल : जनरल): यह एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है, और यह मुकर्रर की जाने वाली कमेटी उन विषयों पर विचार करेगी जो केन्द्र के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। मेरे मित्र माननीय श्री राजगोपालाचार्य ने देश भर में अमन-चैन कायम रखने तथा अकालों की रोकथाम करने के बारे में कुछ नहीं कहा। यह दोनों चीजें आवश्यक हैं और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि हम बंगाली इनके कड़वे फल अच्छी तरह चख चुके हैं—अभी हाल में हमें बंगाल में साम्प्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा और अकाल भी पड़ चुका है। हमने स्थानीय सरकार से मदद मांगी, लेकिन वह मदद देने में असमर्थ थी, और हम केन्द्र से कोई अपील न कर सके। दूसरी बात यह है कि जब अन्तरिम सरकार बनी तो वायसराय महोदय ने कहा कि यह सरकार प्रांतीय सरकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि केन्द्र साम्प्रदायिक दंगा तथा अकाल का शिकार होने वाले प्रांतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता तो वहां की जनता पर क्या बीतेगी, उसका ख्याल हमें करना होगा। मैं आशा करता हूं कि यह कमेटी इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ताकि देश भर में अमन-चैन बनाए रखने और अकाल की रोकथाम करने के बारे में कार्रवाई की जा सके। दूसरी बात, जो मैं इस परिषद् के जरिए कांग्रेस हाईकमान्ड के सामने लाना चाहता हूं, यह है कि न मालूम क्यों लोगों के दिल में यह ख्याल हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान्ड जनता के प्रति हमदर्दी नहीं रखता। वह बंगाल की कीमत पर आजादी हासिल करना चाहता है। मैं आशा करता हूं कि यह कमेटी इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, ताकि भविष्य में बंगाल न तो साम्प्रदायिक दंगों से पीड़ित हो सके और न अकाल से ही।

*__श्री जयपाल सिंह__ (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी ही आकर्षक सूची है और मुझे इसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि श्री सत्यनारायण सिनहा द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हैं। लेकिन अब जबकि श्री राजगोपालाचार्य का कहना है कि (ब) के अन्तर्गत अध्यक्ष कमेटी में दस व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं तो मैं यहां कुछ कहने की आवश्यकता महसूस करता हूं। इसका अर्थ यह है कि श्री राजगोपालाचार्य ने हमारे अनुप स्थित मित्रों के लिए जगह छोड़ दी है। यदि उन्होंने यह बता दिया होता कि पहले प्रस्तावित बारह नामों के बाद, अध्यक्ष अब जिन सदस्यों को नामजद करेंगे वह अमुक-अमुक दलों या गुटों में से होने चाहिएं तो मुझे कुछ कहने की

जरूरत न थी। सूची देखने में प्रतीत होता है कि यह योजना एकता के लिए नहीं, वरन् समानता (Uniformity) के लिए है। मिसाल के तौर पर, मैंने इस सूची में डॉ. जयकर, डॉ. अम्बेडकर तथा डॉ. देशमुख—जैसे व्यक्तियों के नाम देखना पसन्द किया होता।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य:** अध्यक्ष महोदय, क्या आप वक्ता से माइक्रोफोन के पास आकर बोलने की प्रार्थना करेंगे? मैं उनकी आवाज सुनने में असमर्थ हूं।

***श्री जयपाल सिंह:** जब मैं कल चीखकर बोला तो पं. गोविन्दबल्लभ पंत ने समझा कि मैं बहुत उग्र हो रहा था और मैंने अपने मन में सोचा कि आज सवेरे मैं धीरे-धीरे बोलूंगा। लेकिन, अब मैं श्री राजगोपालाचार्य के फायदे के लिए, चाहे पं. गोविन्दबल्लभ पंत कुछ भी महसूस क्यों न करें, चिल्ला कर बोलूंगा। मैं श्री राजगोपालाचार्य की सुविधा के लिए अपनी आवाज तेज करूंगा।

***अध्यक्ष:** माइक्रोफोन (ध्वनि विस्तारक यन्त्र) के सामने आकर चिल्लाने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी बोलने की।

***श्री जयपाल सिंह:** यदि चारों ओर माइक्रोफोन लगे होते तो मुझे उस माइक्रोफोन के पास आने की आवश्यकता न होती, तब तो यहां से ही चारों ओर सदस्यों पर निगाह डालने से काम चल जाता। मेरा निवेदन है कि जब श्री राजगोपालाचार्य ने यह कहा कि भविष्य में अध्यक्ष द्वारा नामजद होने वाले दस सदस्यों के स्थान हमारे अनुपस्थित मित्रों के लिए सुरक्षित हैं, तो मैंने सोचा कि उन विभागों, गुटों तथा दलों को, जिनका यहां बताए गए बारह व्यक्यिों के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, शामिल करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी। मैं जानता हूं कि जहां तक हमारे वर्ग का सम्बन्ध है, इस सभा का रुख आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा उनके प्रति अतीत काल में रहा है कि उन्हें जीवन की अच्छी चीजों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाये।

यह बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है। यह मेरी अपनी धारणा है, चाहे वह ठीक भले ही न हो। हो सकता है कि कम महत्त्वपूर्ण कमेटियां हमारे साथ ईमानदारी का बर्ताव करें। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी समझ में इसका कोई कारण नहीं आता कि यहां भी कबीले वालों को कोई प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया जा सकता था। जब मैं यह कहता हूं कि इस कमेटी में मैंने डॉ. जयकर, डॉ. अम्बेडकर तथा डॉ. देशमुख सरीखे धुरन्धर पंडितों को देखना पसन्द किया होता तो मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा, वरन् अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। जिन बारह सदस्यों के नाम ऊपर बताये गये हैं, मेरी समझ में उन्हीं की भांति यह भी उच्च कोटि की सेवा कर सकते हैं मैं संशोधन पेश नहीं करता, किन्तु मैं यह कहने के लिए लाचार हूं कि जब मैंने देखा कि इस कमेटी की सदस्यता से कबायली क्षेत्रों को एकदम दूर रखा गया है और इसके साथ ही हमारे उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूं, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): मेरी मंशा इस प्रस्ताव पर भाषण देने की नहीं है। किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी कमेटी नहीं है जिसमें साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व आवश्यक—परम आवश्यक—हो। जैसाकि प्रस्ताव में बताया गया है, यह कमेटी सिर्फ यूनियन-विषयों की सीमा को जानने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी का उद्देश्य यूनियन-विषयों की व्यापकता स्थिर करना नहीं है। इसलिए मैं सभा से निवेदन करता हूं कि उसका कोई सदस्य साम्प्रदायिक अथवा कबायली प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह न करे। इस कमेटी में इस सभा के सर्वोत्तम व्यक्तियों को शामिल होना चाहिये जो यूनियन-विषयों के क्षेत्र और सीमा के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश करें। जब यह रिपोर्ट सभा के सामने आयेगी तब हम जो कुछ चाहेंगे वह सुझाव पेश कर सकेंगे।

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि डॉ. अम्बेडकर का नाम इस सूची में शामिल कर लिया जाये और जिन सदस्यों के नाम सुझाये गये हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि उनमें से कोई एक सदस्य अपना नाम वापस ले ले।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य:** श्रीमान्, मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस पर अन्य दृष्टिकोण से विचार न करके केवल उस दृष्टिकोण से ही विचार करे जो श्री हरनामसिंह ने सामने रखा है। फिर भी, यदि आप इन नामों को एक बार फिर पढ़ें तो आप इनमें उन व्यक्तियों को पायेंगे जिनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है, जिनका समय कठिन समस्याओं का सामना करने और कठिन गुत्थियों को सुलझाने में बीता है तथा कानून बनाने की कला में जिन्हें कम या बेशी विशेषज्ञ कहा जा सकता है। अंश (ब) के मुताबिक, इस कमेटी में अध्यक्ष दस व्यक्तियों को और बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष को यह अधिकार व्यर्थ ही नहीं दिया गया है। उन्हें यह अधिकार त्रुटियां दूर करने के लिए दिया गया है। जब मुस्लिम लीगी सदस्य, जो इस समय अनुपस्थित हैं, शामिल हो जायेंगे तो अध्यक्ष इस स्थिति पर विचार करेंगे। तब हम जान सकेंगे कि असली बात क्या है? दरअसल, इस प्रस्ताव का इरादा यह नहीं कि अध्यक्ष नामजदगी के इस अधिकार का मनमाने ढंग से उपयोग करें। जब मुस्लिम लीगी सदस्य शामिल होंगे तो वह उनके विचारों को मालूम करेंगे और वह उनसे अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने को कहेंगे। इस प्रकार लीगी प्रतिनिधि भी आ जायेंगे।

एक दूसरा पक्ष और अनुपस्थित है—वह है रियासतें। अध्यक्ष यह स्वयं विचार करेंगे कि इस विशेष काम के लिए रजवाड़ों का सबसे ठीक प्रतिनिधित्व कौन कर सकेंगे और वह उनको भी शामिल कर लेंगे। फिर भी जगह बची तो मुझे इसमें शक नहीं कि अध्यक्ष इस भवन के अन्य विख्यात कानून-विशारदों को भी

शामिल करने से न चूकेंगे जिनमें कुछ के नाम अभी यहां पर बताये गये हैं। तब, यह कमेटी एक मजबूत कमेटी बन जायेगी। इसी भरोसे पर मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह मौजूदा संशोधनों के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

***अध्यक्ष:** अब मैं यह प्रस्ताव वोट के लिए रखता हूं। क्या प्रस्ताव को फिर पढ़ने की आवश्यकता है? (माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।)

***एक माननीय सदस्य:** प्रो. रंगा का संशोधन क्या हुआ?

***अध्यक्ष:** श्री रंगा ने संशोधन थोड़े ही पेश किया है। उन्होंने तो केवल एक सुझाव दिया है। अब मैं संशोधित प्रस्ताव को वोट के लिए रखता हूं।

संशोधित प्रस्ताव मंजूर हो गया।

***अध्यक्ष:** मेरे पास 'आर्डर पेपर' पर श्रीमती जी. दुर्गाबाई तथा श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर का एक प्रस्ताव है। मैं समझता हूं, उनका इरादा इसे पेश करने का नहीं।

सभा स्थगित करने का प्रस्ताव

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): मैं निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं जो मेरे नाम से आया है:

> ''परिषद् की यह प्रारम्भिक बैठक अप्रैल की उस तारीख तक स्थगित होती है जिसे आगे चल कर स्वयं अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे।''

श्रीमान्, मैं बता सकता हूं कि प्रारम्भिक अधिवेशन की अगली बैठक में हम आम कार्यक्रम तथा यूनियन कमेटी की रिपोर्ट और अन्य किन्हीं विषयों पर, जो परिषद् के सामने आ सकते हो, विचार करेंगे।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, हमें यहां एक वैधानिक आपत्ति है। मैं नहीं समझता कि जैसा अभी कहा गया है उस तरह तारीख को अनिश्चित कैसे छोड़ा जा सकता है; क्योंकि नियम 21 के पहले खण्ड में लिखा है कि अध्यक्ष अधिवेशन स्थगित न करेंगे......।

***अध्यक्ष:** मेहरबानी करके माइक्रोफोन पर आ जाइये।

***श्री मोहनलाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री सेठ गोविन्दास: अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव की क्या जरूरत है। यह अध्यक्ष जी के हाथ में है कि वह इस परिषद् का अधिवेशन कब बुलायें। पहले भी जब अधिवेशन मुल्तवी हुआ था तब क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया था? इसलिए मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। आज यह अधिवेशन मुल्तवी हो रहा है। अब आपको अधिकार है कि जब चाहें उसको बुला लें।

***अध्यक्ष:** 21वें नियम के मुताबिक परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकर्रर कर दिया करेंगे, किंतु इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष कभी एक बार में तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अलावा अध्यक्ष अधिवेशन को अगले चालू दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि इस नियम के अन्तर्गत, यदि अधिवेशन को तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की अनुमति लेना आवश्यक है।

***श्री के. संतानम्:** मेरा कहना यह है कि अधिवेशन परिषद् की अनुमति से एक निश्चित तारीख तक के लिए स्थगित होना चाहिए, अन्यथा अध्यक्ष को 30 दिन की ढिलाई मिल जाती है जबकि उन्हें इस बारे में केवल तीन दिन की गुंजाइश दी गयी है। मैं प्रस्ताव के गुणदोष के विचार से उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। नियम-निर्मातृ-समिति ने नियमों को बड़ा कठिन बना दिया है और उसे देखते हुए मेरी समझ में यह ठीक न होगा अगर हम नियमों का सही अर्थ नहीं लगाते।

***अध्यक्ष:** 21वें नियम के मुताबिक परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको समय-समय पर अध्यक्ष मुकर्रर करें किन्तु इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष कभी एक बार तीन दिन से अधिक समय के लिए अधिवेशन को स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो उसके लिए परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी। इस नियम में यह नहीं बताया गया कि अधिवेशन एक निश्चय तारीख के लिए स्थगित होना चाहिए। इसमें जो कुछ बताया गया है वह इतना ही है कि यदि अधिवेशन तीन दिन से अधिक समय के लिए स्थगित करना है तो सभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी।

***एक माननीय सदस्य:** 68वां नियम आपको पर्याप्त अधिकार देता है।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि 21वां नियम ही काफी है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त तथा मद्रास : जनरल): यद्यपि मैं सिद्धांततः इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता फिर भी मैं चाहता हूं कि इसे अधिक स्पष्ट और साफ होना चाहिए। जब हमारी पिछली बैठक दिसम्बर में हुई थी तो हमने आशा की थी कि प्रारम्भिक अधिवेशन उस महीने में खत्म हो जायेगा..... [माननीय सदस्य] (नहीं, नहीं)। तब हमारी बैठक जनवरी के लिए स्थगित हो गयी। अब हम फिर अप्रैल तक के लिए टाल रहे हैं। इसका मतलब यह कि प्रारम्भिक अधिवेशन छः महीने से भी ऊपर चला जायेगा। उन माननीय सदस्यों को, जो आज अनुपस्थित हैं, यह साफ-साफ बता देना चाहिए कि परिषद् निश्चय करती है कि भविष्य में उसका अधिवेशन स्थगित न किया जायेगा। हम प्रारम्भिक अधिवेशन में उन सदस्यों का सहयोग पाने के लिए उत्सुक थे। हम उन लोगों का, जो आज अनुपस्थित हैं, सहयोग पाने की इच्छा रखते हैं और हम चाहते है कि वह विधान बनाने में हमारा हाथ बटाएं। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि कुछ लोग

अनुपस्थित हैं, हम प्रारम्भिक अधिवेशन को बारम्बार स्थगित नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि यह विचार इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये कि बैठक इतने अधिक दिनों के लिए स्थगित न की जायेगी कि उसकी तारीख अप्रैल के बाद जाकर पड़े और इस प्रारम्भिक अधिवेशन को फिर भविष्य में और स्थगित न किया जायेगा।

***अध्यक्ष:** क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं?

***श्री एच.वी. कामत:** यदि आप चाहें तो मैं संशोधन पेश करूंगा।

***अध्यक्ष:** मुझे इस बारे में कोई चाह नहीं।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं इसे पेश करूंगा।

***माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन विचारों पर फिर दृष्टि डालें जो इस सिलसिले में आपने पहले प्रकट किये हैं। मैं समझता हूं कि श्री संतानम् का कथन बिल्कुल दुरुस्त है। 21वें नियम का परिवर्ती अंश यह है:

> ''कि परिषद् की बैठक उन तारीखों को होगी जिनको अध्यक्ष परिषद् के कार्य-स्थिति का ध्यान रखते हुए, समय-समय पर मुकर्रर करेंगे.........।''

अगला वाक्य नियम के उक्त अंश में केवल शर्त रख देता है कि केवल सीमा निर्धारित करता है। अर्थात्—

> ''शर्त यह कि सभापति अधिवेशन को तीन-दिन से अधिक समय के लिए स्थगित न करेंगे, और यदि वह ऐसा करना चाहेंगे तो असेम्बली की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।''

श्रीमान्, यदि मैं भूल नहीं करता तो यह शर्तिया फिकरा अध्यक्ष को तारीख न निश्चित करने का अधिकार नहीं देता। इसका अर्थ केवल यह है कि यदि अध्यक्ष कोई तारीख नियत करते हैं और वह अधिवेशन स्थगित होने के तीन दिन के बाद जाकर कभी पड़ती है, तो उसके लिए परिषद् की मंजूरी लेने की जरूरत है। लेकिन मेरी समझ से तारीख मुकर्रर करना लाजिमी है। सभी मुमकिन कानूनी और दूसरी उलझनों से बचने के लिए, मेरा सुझाव है कि उक्त शर्तिया फिकरे के अनुसार हम अप्रैल में कोई तारीख मुकर्रर कर दें।

***अध्यक्ष:** इस विषय पर कानूनी आपत्ति प्रकट की जा चुकी है और मैं उस पर अपनी रूलिंग दे चुका हूं। मैं नहीं समझता हूं कि जब हमारी बैठक स्थगित होने जा रही हो तो उस समय अगली बैठक के लिए मुझे तारीख निश्चित ही कर देनी चाहिए। मैं तारीख बाद में भी निश्चित कर सकता हूं। यह सुझाव अभी हाल में पेश भी किया जा चुका है।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः** बैठक तीन दिन से अधिक समय तक स्थगित करने के लिए सभा की मंजूरी मिलने पर, अध्यक्ष को समय-समय पर अधिकार होगा कि वह तीन दिन के बाद की कोई भी तारीख मुकर्रर करे।

***श्री एच.वी. कामतः** आपकी अनुमति से, श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'मुकर्रर करें' शब्दों के बाद एक कामा लगा दिया जाये और उसके आगे निम्न शब्द जोड़ दिए जायें:

"और इस परिषद् की प्रारम्भिक बैठक को और आगे स्थगित न किया जायेगा।"

श्री सेठ गोविन्ददासः सभापति जी, मिस्टर कामत ने जो सुधार पेश किया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। बात यह है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज हम यह समझते हैं कि अप्रैल से आगे हमें इस प्राथमिक अधिवेशन को मुलतवी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय यदि हमें इस बात की जरूरत मालूम हुई कि हमें इसको बढ़ाना चाहिये तो हम इस प्रस्ताव से बंध जावेंगे और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे यह अनुचित बात है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो सत्यनारायणसिंह जी का प्रस्ताव है उसे हमें पास करना चाहिए। न हमें कोई तारीख मुकर्रर करना चाहिये कि हम अप्रैल में कब मिलेंगे और न यही स्वीकार करना चाहिये कि आगे हम इसे मुल्तवी न करेंगे। इसलिये मैं इस संशोधन का जो मि. कामत ने रखा है, विरोध करता हूं।

***अध्यक्षः** क्या और कोई बोलना चाहता है?

***माननीय सदस्यः** नहीं।

***अध्यक्षः** श्री सत्यनारायण सिनहा, क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

***श्री सत्यनारायण सिनहाः** जब यह प्रस्ताव तैयार किया गया तो हमने इस प्रश्न के हरेक पहलू पर विचार किया और हमने इस बारे में कोई जिक्र न करने का फैसला किया कि प्रारम्भिक अधिवेशन की भविष्य में और बैठक बुलाने का कोई मौका आयेगा या नहीं। मैं कामत जी से अपील करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें। मैं नहीं समझता कि उनके अपने इस संशोधन पर आग्रह करने से कोई मतलब हल हो सकेगा।

***श्री एच.वी. कामतः** स्थिति, जैसी है।

***माननीय सदस्यः** ऑर्डर, ऑर्डर.........।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं संशोधन वापस लेने जा रहा हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

उपाध्यक्ष को बधाइयां

***अध्यक्ष:** इसके बाद हमारा काम समाप्त हो जाता है। कुछ मित्रों का सुझाव है कि सदस्यों को मौका दिया जाये कि वे डॉ. मुखर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दें। किसी व्यक्ति द्वारा बधाई दी जाने से पहले ही मैं उन्हें अपनी ओर से सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। क्या कोई बोलना चाहता है?

***श्री रेवरेंड जेरोम डीसूजा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस परिषद् के उपाध्यक्ष चुनने के लिए, मुझे डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी को दिली मुबारकबाद देने में बहुत खुशी है। मुझे विश्वास है कि मैं इस मुबारकबाद के जरिए इस गौरवशालिनी सभा की भावनाओं को भी जाहिर कर रहा हूं। डॉ. मुकर्जी वह व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश की प्रत्येक जाति व वर्ग आदर की दृष्टि से देखता है। उन्होंने बंगाल में एक शिक्षा-विशारद की हैसियत से प्रशंसनीय काम किए हैं उनका सम्बन्ध एक ईसाई संस्था से है जिसने अन्य ईसाई संस्थाओं के साथ मिल-जुलकर काम किया है। उनकी विचारशीलता, उनकी देश भक्ति, उनके विनम्र और आकर्षक स्वभाव से सब परिचित हैं और श्रीमान्, मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें किसी मौके पर इस सभा की कार्यवाही का संचालन करना पड़ा तो वह उसे उस ढंग से पूरा करेंगे जिसे मैं अगर शानदार न कहूं तो यही कहूंगा कि वह आपके ढंग से मिलता-जुलता होगा जिसकी आपने मिसाल पेश की है। मैं इस विषय पर सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक बार फिर डॉ. मुकर्जी को हार्दिक बधाई देते हुए, इस काम में उनकी सफलता के लिए शुभ कामनाएं प्रकट करता हूं।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, विधान-परिषद् के उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए, मैं डॉ. मुकर्जी को हार्दिक बधाई देता हूं। डॉ. मुकर्जी इस पद के लिए पूर्णतया योग्य हैं। उनके चुनाव से साबित हो जाता है कि अल्पसंख्यक जातियों को बहुसंख्यक जातियों से किसी प्रकार की आशंका न होनी चाहिए। उनको चुनकर, अल्पसंख्यक जातियों के अलावा बंगाल को भी सम्मान प्रदान किया गया है। मुझे मालूम है कि अखिल भारतीय ईसाई संघ के अध्यक्ष होने के कारण, उन्हें साम्प्रदायिकता के दलदल में खींचने के लिए अनेक बार कोशिशें की जा चुकी हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक इन प्रयासों का सदा विरोध किया। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि वह इस परम्परा को निभाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में सफलता प्राप्त करेंगे। हम उन्हें अपना सहयोग देने में कोई कसर न उठा रखेंगे। मैं उनकी मार्ग प्रशस्ति की कामना करता हूं।

श्री एच.जे. खांडेकर: सभापति जी, मैं डॉक्टर मुकर्जी को बधाई देता हूं।

मैं यहां उस जाति से आता हूं जिसे आज हरिजन कहते हैं। इस देश के अन्दर यह जाति नौ करोड़ के करीब है और उनकी ओर से मैं डॉक्टर साहब

[श्री एच.जे. खांडेकर]

को बधाई देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि असेम्बली का काम वह बहुत ठीक तरह से करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।

***डॉ. जोजेफ आलबन डीसूज़ा** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, अपने मित्र रेवरेंड जेरोम डी'सोजा के प्रत्येक शब्द का मैं समर्थन करता हूं। जो उन्होंने डॉ. मुकर्जी के उपाध्यक्ष चुने जाने के सम्बन्ध में कहे हैं। डॉ. मुकर्जी उन पांच अध्यक्षों के बीच पहले उपाध्यक्ष हैं जो निकट भविष्य में इस महती परिषद् के लिए नियुक्त होने वाले हैं। श्रीमान्, यदि मैं इस समय डॉ. मुकर्जी का सम्बन्ध खासकर उस सम्प्रदाय से व्यक्त करूं जिस सम्प्रदाय—इस महान् राष्ट्र के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय, का मैं स्वयं हूं तो इसके लिए मुझे क्षमा किया जाये। श्रीमान् मैं समझता हूं और अनुभव करता हूं कि डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी की नियुक्ति द्वारा वास्तव में भारत के भारतीय ईसाई सम्प्रदाय को सम्मानित किया गया है।

श्रीमान्, क्या इस अवसर पर मैं भारतीय ईसाइयों को एडवाइजरी कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख कर सकता हूं? हमें इस कमेटी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और मैं डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी से आशा करता हूं कि वह एडवाइजरी कमेटी के इस विभाग को अपनी पूर्ण योग्यता द्वारा हर मुमकिन मदद देंगे ताकि वह भारतीय ईसाई जाति के मामलों को पूर्ण संतोषजनक रीति से निबटा सकें। जैसा कि फादर जेरोम आपको पहले ही बता चुके हैं, डॉ. मुकर्जी ने, दरअसल, बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं। बंगाल प्रांत में, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिज्ञता के मामलों तथा अन्य सभी दिशाओं में, वह भारत के उस भाग के जगमगाते हुए सितारे हैं।

श्रीमान्, यह बिल्कुल संभव है कि वह भी किसी दिन उन्हें इस सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करनी पड़े और यदि कभी ऐसा मौका आता है तो, जैसा कि फादर जेरोम ने कहा है, मुझे विश्वास है कि श्रीमान्, वह अपना काम उतनी ही अच्छी तरह पूरा कर दिखायेंगे जितनी अच्छी तरह करने का श्रेय प्राप्त है। मैं डॉक्टर एच.सी. मुकर्जी को बधाई देता हूं और मैं एक बार फिर कहता हूं कि उनको बधाई देने के बहाने मैं भारतीय ईसाई जाति को उस सम्मान के लिए बधाई दे रहा हूं जो उसे प्रदान किया गया है। आपको अनेक धन्यवाद।

***डॉ. एच.सी. मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, देवियो और सज्जनों। मैं यकीन करता हूं कि आप मुझे यहां आप-बीती सुनाने के लिए पहले से ही क्षमा करेंगे। मैं आपके सामने वह कहानी बयान करने जा रहा हूं कि मैं ईसाई साम्प्रदायिकता के दलदल से निकलकर कैसे राष्ट्रवादी ईसाई बना। यह मेरे जीवन की केवल एक आकस्मिक घटना थी जिसने मुझे राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक जिद की बात थी। कुछ लोगों ने मुझे चुनाव में खड़े होने के लिए उकसाया, किन्तु जब वक्त आया तो वह

साथ छोड़कर लम्बी तान गये। पर मैंने यह दिखा देने का पक्का इरादा कर लिया कि यद्यपि मैं अभी तक सोलहों आने एक अध्यापक ही रहा हूं, फिर भी एक अध्यापक के लिए यह संभव है कि वह रुपया ऐंठने वाले किसी भी मतदाता से बेहतर आदमी हो सकता है। मैं जिन महाशय के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा था वह दैवयोग से मुझसे अधिक अनुभवी व्यक्ति थे और वह मेरी अपेक्षा अपनी जाति की अधिक काल से सेवा करते आ रहे थे। यह भी कुछ दिनों की हवा थी कि राष्ट्रीय भावनाओं की अपेक्षा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना अधिक उपयोगी साबित होता था। मैं अत्यन्त लज्जापूर्वक स्वीकार करता हूं कि तब मैंने भी जो कुछ जी में आया वह किया। मेरे प्रतिद्वन्द्वी ने साम्प्रदायिकता के नाम पर अपील की। मैंने इस आधार पर उससे भी अधिक जोरदार अपील की। इस प्रकार मैंने राजनीति में पदार्पण किया। किंतु जब सदस्यों ने मुझसे भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय कौंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से, गरीब ईसाइयों के पास जाकर उनकी हालत देखने की प्रार्थना की तो मुझे उस समय मालूम हुआ कि भारतीय गरीब ईसाइयों की हालत भी भारतीय गरीब हिन्दुओं तथा मुसलमानों से किसी कदर बेहतर नहीं। बस, उसी समय मैं साम्प्रदायिकता की कीचड़ से बाहर निकला और राष्ट्रवादी बन गया। यदि आज आपने मुझे उपाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित कर सम्मानित किया है तो, विश्वास रखिये कि जब तक मैं उस पर रहूंगा मैं सम्प्रदायवादी की भांति कभी आचरण न करूंगा, वरन् मैं अपने देश की गरीब जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा। मैं वकील नहीं, मैं नीतिज्ञ भी नहीं। मैंने अपने जीवन के बयालीस वर्ष अध्यापक अथवा विद्यार्थी बनकर बिताये हैं। मैं नहीं जानता कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरी करने के काबिल भी हूं या नहीं; लेकिन मैं एक बात अवश्य जानता हूं कि मैं उसे ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करूंगा, और इस प्रकार मैं इस सभा की शान बढ़ाने और अपनी उस जाति के लिए नेकनामी कमाने की आशा करता हूं जिसके पक्ष में कम-से-कम फिलहाल एक बात तो कही ही जा सकती है कि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश की प्रगति में कभी भी कोई रोड़ा नहीं अटकाया।

(*जोरदार हर्षध्वनि*)

अध्यक्ष के नाम श्री सोमनाथ लाहिरी का पत्र

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, काम खत्म होने से पहले मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर आकृष्ट करूं कि हममें से कइयों को उस पत्र की कापियां मिली हैं जो माननीय मित्र, श्री सोमनाथ लाहिरी ने आपके नाम भेजा है। श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि हमें यहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की उस राजनीति के बारे में कुछ भी कहना अभीष्ट नहीं जिस पर हममें से अनेक लोगों के विचार भिन्न-भिन्न हैं।

***सरदार हरनाम सिंहः** श्रीमान्, यहां पर यह कानूनी आपत्ति पैदा होती है कि श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा पेश किया गया वह प्रस्ताव पास हो चुका है जिसके

[सरदार हरनाम सिंह]

अनुसार यह बैठक अप्रैल की किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। इस सूरत में अब कोई काम नहीं किया जा सकता।

***अध्यक्षः** मैंने श्री कामत को इस सभा के सामने उस एक तथ्य को पेश करने की अनुमति दे दी है जिसे उसके सामने लाने की आवश्यकता है। कुछ दिन हुए, मुझे श्री सोमनाथ लाहिरी से एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और विधान-परिषद् की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले कागजात तथा भाषणों के लिए तैयार किये गये नोट उठा ले गयी। उन्होंने यहां पर अपने अधिकार का प्रश्न उठाते हुए लिखा है कि क्या पुलिस की यह कार्यवाही न्यायपूर्ण है और क्या मैं उनके बचाव के लिए कुछ कर सकता हूं? यही वह घटना है जिसे कामत जी बताना चाहते हैं। इसलिए मैंने उन्हें सारा दास्तान कह सुनाने की अनुमति दे दी है। मामला यह है कि जब मुझे यह पत्र मिला तो मैंने उसे कानूनी सलाहकार के पास भेज दिया, क्योंकि उस पर विचार करने के साथ कानूनी सवाल पैदा हो जाता है। मुझे यह पत्र आज सवेरे ही मिला है। इसलिए मैं अभी यह निश्चय नहीं कर सका कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा क्या कार्यवाही आवश्यक है। जब मैं इस मामले का अध्ययन कर लूंगा तो मैं उस पर विचार करूंगा, और यदि किसी कार्यवाही की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वह करूंगा; और यदि वह मेरे वश की न होगी तो मैं सारे मामले को वहीं छोड़ दूंगा।

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): क्या मैं, श्रीमान्, आपको यहां याद दिला सकता हूं कि आप सिर्फ इस परिषद् के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि अंतरिम सरकार के सदस्य भी हैं?

***अध्यक्षः** इस सभा-भवन में, मैं और कुछ नहीं हूं।

अब यह सभा अप्रैल के महीने की उस तारीख तक स्थगित की जाती है जिसे मैं बाद में मुकर्रर कर सकता हूं।

इसके बाद, परिषद् अप्रैल के महीने की उस तारीख तक के लिये स्थगित की गयी जिसे आगे चलकर माननीय अध्यक्ष मुकर्रर कर सकेंगे।

पुस्तक संख्या 1 खण्ड I से III -09 दिसम्बर,1946 से 02 मई,1947

खण्ड-III पुस्तक संख्या-1 दिनांक 28.04.1947 से 02.05.1947

भारतीय संविधान सभा

(भारतीय विधान परिषद)

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनर्मुद्रित

Con. 3, 3-1-47
1000

अंक 3
संख्या 1

सोमवार
28 अप्रैल
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

	पृष्ठ
परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर	1
अध्यक्ष का भाषण	2
कुर्ग से सद्भावना का सन्देश	12
रियासती कमेटी की रिपोर्ट	12
स्टीयरिंग कमेटी के अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन	24
यूनियन के नियमों की कमेटी की रिपोर्ट	27
परिशिष्ट (क)	33
परिशिष्ट (ख)	55

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 28 अप्रैल सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की प्रारंभिक बैठक का तीसरा अधिवेशन, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 अप्रैल सन् 1947 ई. को सोमवार के दिन ग्यारह बजे कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में आरम्भ हुआ।

परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित मेम्बरों ने अपने परिचय-पत्र दिये और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

1. सर ब्रजेन्द्र लाल मित्तर (बड़ौदा)
2. श्री गोपालदास अम्बाईदास देसाई (बड़ौदा)
3. श्री पी. गोविन्द मेनन (कोचीन)
4. सर टी. विजयराघवाचार्य (उदयपुर)
5. सर वी.टी. कृष्णमाचार्य (जयपुर)
6. पं. हीरालाल शास्त्री (जयपुर)
7. श्री सी.एस. वेंकटाचार (जोधपुर)
8. श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर)
9. सरदार के.एम. पनिक्कर (बीकानेर)
10. राजा लाल शिव बहादुर सिंह (रीवां)
11. श्री लाल यधेन्द्र सिह (रीवां)
12. सरदार जयदेव सिंह (पटियाला)
13. सरदार ज्ञान सिह रारेवाला (पटियाला)
14. माननीय डॉ. कैलाशनाथ काटजू (संयुक्तप्रांत : जनरल)
15. प्रोफेसर के.टी. शाह (बिहार : जनरल)
16. श्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रांत : जनरल)
17. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (बंगाल : जनरल)
18. श्री पी.एम. वेलायुदापानी (मद्रास : जनरल)

अध्यक्ष का भाषण

***अध्यक्ष:** असेम्बली के पिछले अधिवेशन के तीन महीने बाद हम आज सम्मिलित हो रहे हैं। इसी बीच कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका थोड़ा हवाला आपको दे देना में आवश्यक समझता हूं। इसके पहले मुझे इस सभा को अपने तीन मेम्बरों के निधन का शोकप्रद सम्वाद सुनाना है:

1. यू.पी. के राजा महेश्वर दयाल सेठ,
2. बंगाल के सर अज़ीजुल हक, और
3. बड़ौदा के श्री के.एल. मजूमदार।

अंत में बताये हुए सज्जन की मृत्यु से हमको बड़ा सदमा पहुंचा है क्योंकि वह बड़ी दु:खद परिस्थिति में हुई। मुझे मालूम हुआ है कि वे असेम्बली के इस अधिवेशन में भाग लेने के लिये आ रहे थे और जिस रेल के डिब्बे में वे सफर कर रहे थे उसमें आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस सभा की अनुमति से मैं उनके शोकसंतप्त परिवारों के लोगों के साथ इस विपत्ति के समय सहानुभूति प्रकट करता हूं।

इस सभा की अनुमति से मैं इस अधिवेशन में भाग लेने वाले रियासतों के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि इस परिषद् ने जिस महान् कार्य का बीड़ा उठाया है उसमें सहायता देने के लिये अन्य रियासतों के प्रतिनिधि भी तुरंत ही यहां आ जायेंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस महान् कार्य को हमने अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिये इस देश की सभी सन्तानों की सहायता की आवश्यकता है और आशा है कि वे सहायता करेंगे, चाहे वे रियासतों के निवासी हों या ब्रिटिश भारत के और चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति के हों, इस देश का भविष्य बहुत कुछ उस विधान पर निर्भर है जिसे हम बनाने जा रहे हैं और इस देश के ही नहीं बल्कि संसार के सभी लोग बड़ी दिलचस्पी से हमारे प्रयत्नों को देख रहे हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में वे चिंता से मुक्त नहीं हैं, चाहे हम किसी वर्ग या जाति के हों और हिन्दुस्तान के किसी भाग के भी निवासी हों, इसकी जिम्मेदारी हम पर है कि हम इस कार्य को सफल बनाने में योग दें।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

हमें अपने पड़ोस के देश बर्मा से, जो कुछ समय पहले इसी देश का एक भाग था, यह समाचार मिला है कि वहां भी एक विधान-परिषद् का निर्वाचन हो गया है और उसके भी वही उद्देश्य हैं जो हमारे हैं। क्या मुझे इजाजत है कि मैं उस प्रतिष्ठित संगठन को इस सभा की ओर से बधाई दूं और अपनी सद्भावना प्रकट करूं और यह बताऊं कि हमें इसमें बड़ी दिलचस्पी है कि उसने जो काम उठाया है वह पूरा हो और बर्मा के निवासी अपने देश को स्वतंत्र बनायें।

पिछली बार जब हम सम्मिलित हुए थे तब से अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की है कि उनका यह इरादा है कि जून सन् 1948 ई. तक शक्ति हस्तान्तरित कर दी जाये। इससे अपने काम को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता आ पड़ी है और हमें ऐसी कार्य-निपुणता से काम करना चाहिये कि हम जल्दी से जल्दी अपना विधान बना सकें। ब्रिटिश सरकार ने शक्ति हस्तान्तरित करने के लिये पहले से तैयारी करने की प्रतिज्ञा की है और जब तक वह यह काम करे हमें भी नियत तिथि के पहले ही अपना विधान तैयार कर लेना चाहिये ताकि हम अपने बनाये हुए विधान के अनुसार जिम्मेदारी ले सकें। इसलिये मुझे आशा है कि यह परिषद् शीघ्रातिशीघ्र अपना काम करेगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस परिषद् को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प से काम करें तो हम उन्हें दूर कर सकेंगे।

आपको स्मरण होगा कि इस असेम्बली ने बहुत सी सब-कमेटियां बनाई थी। मैं समझता हूं कि इन कमेटियों की रिपोर्टें इस सभा के सामने उचित समय में रखी जायेंगी। मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि इस परिषद् को उन सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिये, जिनके आधार पर हम विधान बनायेंगे, कमेटियों को बनाने का काम शुरू करना चाहिये और जब ये सिद्धांत स्वीकार कर लिये जायें तो कोई सुयोग्य समिति विधान का मसविदा तैयार करे और अन्त में इस प्रकार तैयार किये हुये विधान के मसविदे पर इस परिषद् में विस्तार से विचार हो। मैं परिषद् को यह राय देता हूं कि सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले सब-कमेटी से यह कहा जाये कि उसे अपनी रिपोर्ट इस परिषद् के विचारार्थ समय पर, यानी जून या जुलाई तक, दे देनी चाहिये और जब यह परिषद् उस पर विचार कर ले तो उसका मसविदा तैयार हो सकता है और सितम्बर में परिषद् की बैठक हो सकती है ताकि वह अक्टूबर तक अन्तिम रूप से विधान बना ले। जैसा कि बिजिनेस कमेटी समझती है, और मैं भी समझता हूं, मोटे तौर से कार्यक्रम यह है। यह आवश्यक है कि विधान को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाये ताकि उसके बाद इसके लिये समय मिले कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित समय के अन्दर शक्ति

[अध्यक्ष]

हस्तान्तरित करने का कार्य पूरा हो सके। मैंने यह राय आजमाइश की तौर पर दी है क्योंकि नई-नई बातें पैदा हो रही हैं और निश्चित रूप से कोई भी नहीं कह सकता कि अपना काम पूरा करने के लिये इस विधान-परिषद् को क्या करना होगा? हम अपने लक्ष्य की परिभाषा दे चुके हैं और जो विधान बनेगा वह स्वभावत: उसी के अनुरूप होगा।

चाहे जिस प्रकार का भी विधान बनाया जाये, और चाहे वह पूरे अखंड भारत के लिये हो या केवल उसके भागों के लिये, हमें यह अवश्य देखना है कि उसकी अधिकार-सीमा में जो कोई लोग भी आयें उनको उससे संतोष हो। यद्यपि हमने मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल का 16 मई का वक्तव्य स्वीकार किया है, जिसके अनुसार इस देश के विभिन्न प्रांतों और रियासतों का एक यूनियन होगा, मगर यह हो सकता है कि इस यूनियन में सभी प्रांत शामिल न हों। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ तो हमें सिर्फ एक भाग का विधान बनाकर ही संतोष कर लेना होगा। उस दशा में हम इस पर जोर दे सकते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिये, कि देश के सभी भागों में एक ही सिद्धांत प्रयोग में लाया जायेगा और यदि किसी भाग के लोग राजी न हों तो उनके यहां कोई भी विधान बलपूर्वक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। इसका अर्थ यह होगा कि हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि कुछ प्रांतों का भी विभाजन करना होगा। इसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और यह सम्भव है कि परिषद् को इस विभाजन के आधार पर विधान बनाना पड़े। यह कार्य बहुत बड़ा है पर इससे हमें न डरना चाहिये और यदि नई बातें पैदा हो जायें तो उनके कारण अपने लक्ष्य से विचलित न होना चाहिये।

हमें अपने पर और अपने देश पर, जिसने हमें यहां भेजा है, विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिये। मैं समझता हूं कि कुछ सदस्य बोलना चाहेंगे। मैं सर बी.एल. मित्तर से प्रार्थना करता हूं कि वे शुरू करें।

***सर ब्रजेन्द्रलाल मित्तर** (बड़ौदा): श्रीमान्, आपने उन रियासतों के प्रतिनिधियों का जो आज यहां आये हैं जिस तरह से हार्दिक स्वागत किया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी यह इच्छा थी कि रियासतों के अधिक प्रतिनिधि यहां आते, लेकिन मुझे आशा है कि अगले अधिवेशन में रियासतों की कोई भी जगह खाली न रह जायेगी। श्रीमान्, अपने एक सदस्य की शोकप्रद मृत्यु से, जबकि वे इस विधान-परिषद् में भाग लेने के लिये आ रहे थे, बड़ौदा के प्रतिनिधि-मंडल को बहुत नुकसान पहुंचा है।

श्रीमान् यह परिषद् स्वतंत्र भारत का विधान बना रही है। हम रियासतों के रहने वाले भारतवर्ष के प्रधान अंग हैं और ब्रिटिश भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी उसमें हमारा भी भाग होगा। इसलिये विधान बनाने की जिम्मेदारी में भी हम अपना भाग लेना चाहते हैं। (वाह वाह)

हम यहां भारतीय होने के नाते उपस्थित हैं न कि किसी की इजाजत से। हमारा दावा है कि हम भी इस सम्मिलित कार्य में पर्याप्त योग दे सकते हैं। डेढ़ सौ वर्ष के एकात्मक ब्रिटिश राज्य से ब्रिटिश भारत में बहुत कुछ समानता पैदा हो गई है लेकिन रियासतों में अब भी बड़ी विभिन्नता है। कुछ रियासतें उतनी ही उन्नत हैं जितना कि ब्रिटिश भारत और वहां लोग शासन-प्रबन्ध में भाग लेते हैं। कुछ में सर्वाधिकार सम्पन्न राजतंत्र है, कुछ में सामन्तवाद की और कुछ में बड़ी प्राचीन शासन प्रणाली है: इन सबको भारतीय विधान में स्थान देना है, क्योंकि हिन्दुस्तान की 40 करोड़ की आबादी में हमारी 9 करोड़ 30 लाख की आबादी भी शामिल है। इस परिषद् के प्रारंभिक प्रस्ताव में जो मुख्य चित्र अंकित किया गया है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, लेकिन हम उसमें अनेकता लाना चाहते हैं ताकि हम भी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें स्थान पा सकें।

हम अनेकता में एकता चाहते हैं। मैं अपने ब्रिटिश भारत के सहयोगियों से अपील करता हूं कि वह हमारे साथ कुछ धैर्य से काम करें। हम उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें नियमित रूप से चलना है और यह भी देखना है कि इससे हमारी प्रगति में बाधा न पहुंचे। हम आपसे इसमें सहमत हैं कि भारतीय यूनियन का केन्द्र शक्तिशाली हो ताकि हिन्दुस्तान संसार के राष्ट्रों के बीच में अपना सिर ऊंचा कर सके। अकेले अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने में हमारा विश्वास नहीं है क्योंकि इससे केवल यूनियन की शक्ति क्षीण ही होगी। हम यूनियन की शक्ति क्षीण करके अपने लिये विशेषाधिकार प्राप्त करने की भावना से नहीं बल्कि सहयोग की भावना से आपके साथ सच्चे दिल से काम करेंगे। हम विभिन्न प्रदेशों की शक्ति और विशेषता के अनुसार विधान बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि उन्नति प्राकृतिक और स्वास्थ्यप्रद हो।

श्रीमान्, मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

सरदार के.एम. पनिक्कर (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, सर ब्रजेन्द्रलाल मित्तर के ओजस्वी भाषण के बाद मैं भी उन रियासतों के प्रतिनिधियों की ओर से जो इस परिषद् में सम्मिलित हुए हैं और आज यहां उपस्थित हुए हैं, आपने हमारा

[सरदार के.एम. पनिक्कर]

जो स्वागत किया है उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में हम इसी दिन की राह देख रहे थे। हमारा स्वप्न सच्चा हो गया है क्योंकि हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के प्रतिनिधियों की कोई ऐसी सभा जो सारे हिन्दुस्तान की ओर से मत प्रकट कर सकती हो, सम्मिलित हुई हो और उसने विचार-विमर्श किया हो। पहले कई अवसरों पर हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों के सम्मेलन होते रहे हैं और रियासतों में हम लोग भी अक्सर सम्मिलित होते रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि हिन्दुस्तान के सभी भागों के प्रतिनिधि अपने भविष्य का फैसला करने के लिये सम्मिलित हुए हों। इसलिये मेरे विचार में भारतीय रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों का इस सभा में भाग लेने का लाक्षणिक अर्थ है और इसका महत्त्व इससे कहीं अधिक है कि वास्तव में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं या इससे कि जो मेम्बर उपस्थित हुए हैं उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है। यह वास्तव में भविष्य में होने वाली एकता का प्रतीक है और रियासतों और भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों के सहयोग से आज जो काम शुरू होगा उससे हमें वास्तव में आशा है कि एक भारतीय यूनियन की स्थापना होगी।

और बातों को कहने के पहले मुझे निगोशियेटिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि उसी के परिश्रम के फलस्वरूप हम लोग यहां आये हैं और आज यहां बैठे हुए हैं। निस्सन्देह उस कमेटी के काम की रिपोर्ट चंद मिनट में आपके सामने रखी जायेगी। यह मेरे जिम्मे नहीं है कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ कहूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे यह कहना ही चाहिये कि यदि आपके प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के प्रश्न पर समझदारी, साहस और दूरदर्शिता से विचार नहीं करते तो हममें से उन लोगों के लिये, जो आरंभ से ही इस कार्य में यथाशक्ति योग देना चाहते थे, यह सम्भव नहीं होता कि हम यहां उपस्थित होते। इसलिये उन लोगों की तरफ से जो यहां उपस्थिति हैं, मैं निगोशियेटिंग कमेटी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने यह कर दिखाया। यह सच है कि हम कुछ ही रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हममें से सभी लोग जो रियासतों के 9 करोड़ 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज यहां नहीं आये हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम कोई ऐसे अल्पसंख्यक नहीं हैं जिनका कुछ भी महत्त्व न हो। हम लोग जो आज यहां आये हैं भारतीय रियासतों के 9 करोड़ 30 लाख लोगों में से 2 करोड़ से कम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और जिन्होंने आमतौर पर या रस्मी तौर पर विधान-परिषद् में भाग लेने के इरादे का ऐलान किया है वे एक या डेढ़ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार यदि हम

इस पर विचार करें तो वास्तव में विधान-परिषद् में भारतीय रियासतों के लोगों की एक काफी बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व हुआ है।

मैं एक बात इस समय ही यहां कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हम किसी के दबाव से या किसी के जोर डालने से यहां नहीं आये हैं। रियासतों के सम्बन्ध में किसी अवसर पर भी दबाव या जोर नहीं डाला गया। हम स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं और यह शुरू से ही स्पष्ट किया गया है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर हो, यह घोषित करे कि हम यहां दबाव से या अनुचित प्रभाव से आये हैं तो मेरे विचार में उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। ऐसे बहुमूल्य सज्जनों से जो हमें यथाकथित दबाव के कारण रुक जाने की राय देते हैं, मुझे स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि उनके आक्षेप से हमारी बुद्धिमत्ता की मानहानि होती है। क्या हिन्दुस्तान के मामलों में हमारी देशभक्ति किसी से कम है? क्या हम हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में किसी से कम चिंतित हैं कि हम पर ऐसे कार्य में भाग लेने के लिये दबाव डाला जाये, जिसमें भाग लेना हम अपना अधिकार और अपना कर्त्तव्य समझते हैं? इसलिये मैं इस समय इसे यहां दृढ़ता से कह देना चाहता हूं कि हम पर किसी प्रकार का जोर नहीं डाला गया है और यह कि ऐसा कहना न समझदारी की ही बात होगी और न इससे कुछ मतलब ही हासिल होगा कि किसी एक भाग पर दूसरे भाग ने जोर डाला है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं और वह वाद-विवाद या इस प्रकार के किसी दूसरे उद्देश्य के लिये नहीं। हम पक्षपात से यहां नहीं आये हैं। हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता को संगठित रूप से प्राप्त करने के महान् कार्य में अपना योग देने के लिये हमें यहां आने का अधिकार है। हमारा विचार है कि हमें इसका उतना ही अधिकार है जितना यहां किसी अन्य सज्जन को। वास्तव में कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिये। यह निस्सन्देह एक विचित्र सिद्धांत है क्योंकि हम दूसरों के सम्बन्ध में जो कुछ हो उसी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। क्या अपने सम्बन्ध में भी जो कुछ हो उसकी भी हम उदासीन दर्शकों की तरह प्रतीक्षा करें? इस दशा में हम समझते हैं कि संगठित रूप से हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा उतना ही कर्त्तव्य है जितना दूसरों का, इस दृष्टि से प्रतीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं चाहते और न हम किसी को आभारी करना चाहते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि यह आदरणीय सभा हमारे प्रश्नों पर सहानुभूति और मैत्री की दृष्टि से विचार करे और यह समझे कि ये प्रश्न हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े भाग से सम्बन्ध रखते हैं। अपनी ओर

[सरदार के.एम. पनिक्कर]

से हम विनयपूर्वक इसका वचन देते हैं कि हम हिन्दुस्तान और यूनियन की हितोन्नति के लिये काम करेंगे और हममें से सभी की यह इच्छा है कि यह यूनियन स्थापित हो। श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री पी. गोविन्द मेनन** (कोचीन): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस ऐतिहासिक परिषद् के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया है। पिछले चंद महीनों में इस सम्बन्ध में बहस, वाद-विवाद और परस्पर बातचीत हुई कि भारतीय रियासतों को इस परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिये या नहीं और यदि भेजने चाहिये तो कब और उनको किस प्रकार चुना जाये। यह सब कुछ न होता और यह प्रश्न बहुत सीधे ढंग से हल हो जाता, यदि इस पर ठीक दृष्टि से विचार किया जाता यानी यदि इस पर भारतीय रियासतों के लोगों की दृष्टि से विचार किया जाता।

उनको इस समबन्ध में कभी भी सन्देह नहीं हुआ। भारतीय रियासतों के दस करोड़ लोगों ने कभी भी यह नहीं समझा और न वे अब समझते हैं कि उनका कोई ऐसा समूह है जो तथाकथित ब्रिटिश भारत में रहने वाले अपने तीस करोड़ भाइयों और बहिनों से भिन्न है। पिछले 27 वर्षों से महात्मा गांधी और दूसरे बड़े-बड़े नेताओं के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता के लिये संग्राम करता रहा है। उस संग्राम में भारतीय रियासतों के लोगों ने भी यथेष्ट योग दिया। रियासतों के लोगों ने कभी यह नहीं समझा और न उनका यह दृष्टिकोण ही रहा कि उनके भाग्य का फैसला किसी दूसरी जगह होगा।

अब 25 वर्ष के संग्राम के उपरान्त जब हमारा राष्ट्र अपने भविष्य के लिये विधान बनाने के लिये सभा करता है, तो हम समझते हैं कि यह हमारा कर्त्तव्य है और हमारा अधिकार भी है कि हम उसके विचार-विमर्श में भाग लें। श्रीमान्, विधान-परिषद् में भाग लेने के सम्बन्ध में रियासतों के लोग एकमत हैं।

लोगों की ओर से कोई एतराज या सवाल नहीं किये जाते और न वे सन्देह ही प्रकट करते हैं। जब कभी ऐसी बातें पैदा होती हैं तो इसके उत्तरदायी दीवान, मंत्री और नरेश होते हैं जो ईश्वरदत्त स्वत्व के सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। श्रीमान्, मुझे आशा है कि असेम्बली के दूसरे अधिवेशन के पहले ही सभी रियासत इसका दृढ़ निश्चय कर लेंगी कि वे हमारे साथ सहयोग करेंगी और इस सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगी।

इस परिषद् में भाग लेने के सम्बन्ध में और दूसरे मामलों के बारे में भी मेरी कोचीन रियासत का रुख शुरू से ही स्पष्ट रहा है। दूसरी सभी रियासतों के लोगों की तरह कोचीन के लोग भी इस विधान-परिषद् में शुरू से ही भाग लेना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि उनके एक या एक से अधिक प्रतिनिधि चुन लिये जायें। कोचीन के लिये यह सौभाग्य की बात थी कि उनके महाराजा का भी यही मत था।

इस परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नों पर सक्रिय रूप से विचार होने के पहले ही कोचीन के महाराजा ने 28 जुलाई सन् 1946 ई. को लेजिस्लेटिव कौंसिल को एक सन्देश देते हुए कहा:

> ''अब केवल एक और बात पर विचार करना है और वह विधान-परिषद् और उसमें कोचीन के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हैं अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस परिषद् में कोचीन कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के तरीके के सम्बन्ध में सभी सन्देहों को दूर करने के लिए मैं खुशी से यह ऐलान करता हूं कि गम्भीरता से विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय किया है कि लोगों को इसकी इजाजत है कि वे अपने प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों को चुनें, यह चुनाव कौंसिल करेगी।''

उपरोक्त वक्तव्य ऐसे समय में दिया गया था जब कि रियासतों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार नहीं होने लगा था। उस समय किसी रियासत ने भी यह नहीं कहा था कि वह अलग अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये रखेगी और भारतीय विधान-परिषद् से उसका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। अभी हाल ही में इस प्रकार के वक्तव्य दिये गये। यद्यपि इस प्रकार के आकर्षक सिद्धांत उसके सामने रखे गये, कोचीन अपने मार्ग से नहीं डिगा। उसकी प्रतिक्रिया उसके महाराजा के शब्दों में ही सबसे अच्छी तरह व्यक्त की जा सकती है। त्रिचूड़ में 'एक्य कराला सम्मेलन' का उद्‌घाटन करते हुए उन्होंने परसों कहा:

> ''अब मैं भारत के अन्य भागों से कोचीन के सम्बन्ध के प्रश्न पर आता हूं। संयुक्त कराला की स्थापना के उपायों पर विचार करने के लिये इस सम्मेलन की सभा हो रही है। त्रावण कोर की सरकार ने कहा है कि वह इस विचार से सहमत नहीं है और उसने यह घोषित किया है कि जून सन् 1948 ई. के बाद वह एक स्वतंत्र सरकार हो जायेगी; संधियों की शर्तों के अनुसार वह केन्द्रीय सरकार से अपने सम्बन्ध स्थापित करेगी। आप

[श्री पी. गोविन्द मेनन]

जानना चाहेंगे कि इस परिस्थिति में इस सम्बन्ध में कोचीन का रुख क्या है? मुझे यह घोषित करने में कुछ भी संकोच नहीं है कि कोचीन मातृभूमि का एक भाग रहेगा, वह तुरंत ही विधान-परिषद् में भाग लेगा। मेरे किसी शब्द या कार्य से ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेगा जबकि कोई भी कोचीन निवासी यह समझे कि वह भारतीय कहलाने के अधिकार से वंचित हो गया है।''

चूंकि श्रीमान्, हम भारतीय हैं और चूंकि हम इस महान् देश के भाग्य के भागी होना चाहते हैं इसलिये आपने इस ऐतिहासिक सभा के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिये हमारे पास कृपा करके जो निमंत्रण भेजा उसे हमने सहर्ष स्वीकार किया और उसके लिये हम कृतज्ञ हैं। श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*__सर टी. विजयराघवाचार्य__ (उदयपुर): श्रीमान्, मुझे इसका बड़ा हर्ष है कि मैं आज दिल्ली में उपस्थित हुआ हूं। पुरानी कहावत है कि दिल्ली दूर है। इस कहावत की सत्यता पर मुझे इस अवसर के पहले कभी इतना विश्वास नहीं हुआ था। इसके पहले मैंने दिल्ली को बहुत निकट पाया। लेकिन इस अवसर पर मैंने यह अनुभव किया कि वह बहुत दूर है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि मैं आज यहां उपस्थित हुआ और वह भी एक ऐतिहासिक अवसर पर। शिमले की दिसम्बर की ठंडी हवाओं की तरह और बलूचिस्तान की कठोर पहाड़ियों की तरह, जिनके ऊपर होकर हवाई जहाज आता है, उस भारतीय का भी हृदय होगा जिसकी दृष्टि पश्चिम की ओर लगी हुई है और जिसे इस परिषद् को देखकर रोमांच नहीं होता, जिसका कि हमेशा इतिहास में उल्लेख होगा। मेरी यह भावना है कि यद्यपि हम विभिन्न प्रांतों और रियासतों से आये हुए हैं, हम यहां भारतवर्ष के किसी विशेष भाग की ओर से नहीं हैं, हम सारे भारत के सदस्य हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि हम सब लोग यहां इसी भावना से काम करेंगे और यह कि हम कोई सीमित हितों या संकुचित साम्प्रदायिक हितों की रक्षा के लिये नहीं बल्कि सफल भारतीय राष्ट्र की हितोन्नति के लिये ही काम करेंगे। मैं यहां किसी प्रकार के स्थानीय प्रश्नों का उल्लेख नहीं करना चाहता। हमारे स्थानीय प्रश्नों को सम्बन्धित स्थानों में ही हल करना चाहिये। यहां हमें सारे भारत के प्रश्नों को हल करना है और मुझे आशा है कि हम सभी लोगों को एक साथ बैठकर इस तरह विचार करना चाहिये और इस तरह काम करना चाहिये ताकि हमारे पुत्र, पौत्र और आने वाले पीढ़ियां यह कहें कि सन् 1947 ई. में हमारे पुरखे दिल्ली में सम्मिलित हुए और उन्होंने ऐसा विधान बनाया जिसको समय जीर्ण नहीं कर सका है और इतिहास यह निर्णय दे कि ये लोग धन्य हैं जिन्होंने सच्चाई से

अपना काम किया और ऐसी सुन्दर नींव डाली कि उस पर भारत के भावी इतिहास का निर्माण होगा। हमें यहां संकुचित दृष्टि से विचार नहीं करना है। हम उदारता से विचार करेंगे और हमें इस तरह अपने कार्य का संचालन करना चाहिये कि भारत के भावी इतिहास में यह कहा जाये कि हमने अपना कार्य उचित ढंग से किया और यह कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन पुरुषों की तरह और भारत की सच्ची सन्तानों की तरह किया और न कि भारत के किसी विशेष भाग की सच्ची सन्तानों की तरह है।

अध्यक्ष महोदय, जिन कृपापूर्ण शब्दों में आपने हमारा स्वागत किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (जोधपुर): प्रेसीडेंट साहब, मैं देशी रियासतों की जनता की तरफ से जनता की भाषा में, जो स्वागत रियासतों के प्रतिनिधियों का आपने किया है, उसके लिये मैं आपको अनेक धन्यवाद देता हूं।

हम लोग जो रियासतों के रहने वाले हैं सन् 1933 ई. तक तो कुछ हैसियत रखते थे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल में ''इंडियन प्रिंसेज एंड देयर सबजेक्ट्स'' इस तरह के शब्द रखे हुए थे। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से हम लोग उठ गये। सन् 1935 ई. में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और उसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आये तो उसमें हमारा नाम नहीं था। मंत्रिमंडल का जो आयोजन था उसमें भी हमारा नाम नहीं रखा गया। हम ऐसी स्थिति में आ गये थे कि जब तक रियासतों के राजा और उनकी सरकारें हमको न अपनायें तब तक हम आपके साथ कन्धे-से-कन्धा भिड़ा कर नहीं बैठ सकते थे। यह खुशी की बात है कि आज हम यहां पर बैठकर इतिहास बना रहे हैं। हम ब्रिटिश प्राविंसेज के साथ और राजाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं जिस स्थिति में हम यहां हैं उस स्थिति में हमारी रियासतों की सरकार आगे नहीं आती, हम लोगों को साथ न लेती और जो 'निगोशिएटिंग कमेटीज़' हैं अगर वह हमको अपनाने की कोशिश नहीं करती, तो बहुत मुमकिन था कि हम लोग इससे बाहर ही रहते। लेकिन यह खुशी की बात है कि हम काफी तादाद में आपके साथ बैठे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आइन्दा जो आईन बनने वाला है उसको बनाने में हम आपको हर तरह से सहयोग देंगे, न कि सिर्फ अपने मतलब के लिये बल्कि सारे हिन्दुस्तान के मतलब के लिये। हम यह मानते हैं कि हम भी हिन्दुस्तान के हिस्से हैं, यद्यपि कुछ बाहर के लोगों ने हमारे बीच दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन इन गैर कुदरती दीवारों को जो हमारे बीच में खड़ी कर दी गई हैं, आज उन दीवारों की ईंटें उखड़ने लगी हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि थोड़े

[श्री जयनारायण व्यास]

अर्से के अन्दर हिन्दुस्तान बिल्कुल एक हो जायेगा। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

***राजा लाल शिव बहादुर** (रीवां): श्रीमान्, आपने हमारा जो हार्दिक स्वागत किया है उसके लिये अपने मित्रों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मध्य-भारत की एक बहुत बड़ी रियासत का प्रतिनिधि हूं। यदि रीवां की रियासत आगे नहीं बढ़ती तो मध्यभारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं होता। श्रीमान्, मुझे आशा है कि अल्पकाल में ही हमारी पड़ोस की और दूसरी रियासतों के मेरे मित्र भी इस ऐतिहासिक सभा में सम्मलित होने का निर्णय करेंगे। मातृभूमि की यथासम्भव सेवा करने में रीवां की रियासत पीछे नहीं रहेगी।

श्रीमान्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कुर्ग से सद्भावना का सन्देश

***अध्यक्ष:** कुर्ग की लेजिस्लेटिव कौंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया है और उसे कुर्ग के चीफ कमिश्नर ने मेरे पास भेजा है ताकि मैं उसे आपको सुना दूं। मैं उसे पढ़ता हूं:

> ''यह कौंसिल भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करती है और यह प्रार्थना करती है कि एकमत से भारत का विधान बनाने के लिये वे जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें उनको तुरंत ही सफलता प्राप्त हो और चीफ कमिश्नर से यह सिफारिश करती है कि विधान-परिषद् के अध्यक्ष, नई दिल्ली, को इस सदिच्छा का सम्वाद भेजा जाये।''

रियासती कमेटी की रिपोर्ट

***अध्यक्ष:** दूसरा विषय यह प्रस्ताव है जिसे पं. जवाहरलाल नेहरू पेश करेंगे।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं:

> ''विधान-परिषद् अपनी रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाये।"

परिषद् रियासतों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करती है जो चुने जा चुके

हैं और यह आशा प्रकट करती है कि जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि नहीं चुने हैं वे स्वीकृत प्रणाली के अनुसार ऐसा करने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगी।

मैं समझता हूं कि सभी मेम्बरों को उस रिपोर्ट की प्रतियां दे दी गई हैं। इसलिये उस रिपोर्ट को पढ़कर मैं इस सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। वह रिपोर्ट इस सभा की नियुक्त की हुई निगोशिएटिंग कमेटी की कार्यवाही का सारांश है, हमने उसे यथासम्भव स्पष्ट रूप में रखने का प्रयत्न किया है और उसमें बताया गया है कि क्या-क्या बातें हुईं और हमने क्या किया; ताकि इस सभा को मालूम हो जाये कि हमने कौन-सा कार्यक्रम स्वीकार किया और इन अवसरों पर हमने क्या कहा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सभा की ऐसी इच्छा हो और यदि मेम्बर हमारी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट देखना चाहें तो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें अक्षरश: सब कुछ दिया गया है और यह रिपोर्ट इस सभा के पुस्तकालय में जाकर देखी जा सकती है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि कभी कई तरह की अफवाहें फैल जाती हैं और लोगों को भ्रम हो जाता है और कभी लोग यह सोचने लगते हैं कि हम लोगों के सामने सब बातें नहीं रख रहे हैं। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं छिपाना है; और वास्तव में यह नामुमकिन है कि इस सभा से हम कुछ छिपायें और इसलिये उन अवसरों पर जब हम रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी से मिले, जो कुछ भी कहा गया उसकी अक्षरश: रिपोर्ट इस सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है ताकि अगर कोई मेम्बर चाहे तो उसे देख सके। वह बहुत बड़ी रिपोर्ट है और यह मुमकिन नहीं है कि उसे छपवाया और बंटवाया जाये और न यह साधारणतया उचित ही है कि ऐसी रिपोर्टों को आम छापेखानों में छपवाया जाये। लेकिन यह नहीं हो सकता कि इस सभा की कोई कमेटी इस सभा के मेम्बरों से कोई बात छिपाकर रखे। इसलिये, हालांकि वह रिपोर्ट प्रकाशन के लिये नहीं है, मैं मेम्बरों को यह बताना चाहता हूं कि वह इस सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है और उसे कोई भी मेम्बर देख सकते हैं।

इस सभा को याद होगा कि यह कमेटी एक खास काम के लिये बनाई गई थी, यानी इस असेम्बली की जगहों का वितरण तय करने के लिये, जो 93 से अधिक नही थीं और उस तरीके को तय करने के लिये जिसके अनुसार रियासतों के प्रतिनिधियों को इस असेम्बली के लिये चुनना था। हमको ये निश्चित आदेश दिये गये थे और हमने उन्हीं के अनुसार काम किया; लेकिन जब हम नरेन्द्र मंडल की नियुक्त की हुई निगोशिएटिंग कमेटी से मिले तो और सवाल भी उठाये गये। नरेशों के संगठनों के पास किये हुए कई प्रस्ताव हमारे सामने आये। हमने उनको

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

बताया कि यह हमारे अधिकार में नहीं है कि हम किसी दूसरे मामले को उठायें। हमें सिर्फ इन दो खास मामलों पर ही बातचीत करने का अधिकार है। वास्तव में हम कुछ आगे बढ़ गये। हमने यह कहा कि हमें इसमें सन्देह है कि विधान-परिषद् को भी अपने वर्तमान रूप में सभी तरह के मामलों को हाथ में लेने का अधिकार है या नहीं। लेकिन किसी भी सूरत में हमको अपने काम को आगे बढ़ाने और यदि कोई गलतफहमियां हों तो उनको दूर करने की इतनी चिंता थी कि हममें से कुछ लोगों ने उनसे आगे बातचीत की और उन्होंने जो सन्देह प्रकट किये उन्हें दूर कर दिया गया। कुछ सवालों का जवाब अवैध रूप से दे दिया गया या तो कहिये कि निजी तौर पर दे दिया गया, क्योंकि जिन बातों के लिये आपने हमें भेजा था उनके परे जाना हमारे अधिकार में नहीं था। आपको जो रिपोर्ट दी गई है उसमें आप देखेंगे कि इसका उल्लेख है, विशेषतया इसलिए कि उन्होंने उन बहसों में कुछ ही बातें उठाईं। मैं यह समझता हूं कि मुझ पर इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है। ऐसा हुआ कि उन सवालों के जवाब में मैंने जो कुछ कहा वही मैंने और अन्य मेम्बरों ने भी इस सभा में पहले कहा था, इसलिये उनसे उन बातों को कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे किसी ऐसी बात को कहने में बड़ी कठिनाई होती जिसे बाद को यह सभा स्वीकार नहीं करती या गलत समझ कर अस्वीकार कर देती। इस सम्बन्ध में हम सभी के अपने-अपने विचार हैं और एक अवसर पर, जब मैं लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में इस सभा में बोल रहा था तो मैंने रियासतों और नरेशों का भी जिक्र किया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि हालांकि व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में मेरे अपने विचार हैं, लेकिन इससे मुझे यह प्रकट करने में बाधा नहीं होती कि विधान-परिषद् का क्या मत है और उसके कार्य की परिधि क्या होगी। उस समय मैंने कहा था कि यद्यपि हम यह निर्णय कर रहे हैं कि सारे भारत के लिये एक पब्लिक हो लेकिन इससे किसी रियासत को जहां तक उसका अपना सम्बन्ध है अपने यहां राजतंत्र चलाने में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन यह शर्त अवश्य है कि स्वतंत्रता के मानचित्र में वह बेमेल न दिखाई दे और वहां जैसी कि मुझे आशा है, उसी तरह की उत्तरदायी सरकार और उतनी ही स्वतंत्रता हो जितनी कि भारतवर्ष के अन्य भागों में। इसलिये जब ये सवाल उठाये गये तो इनका जवाब देने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि वास्तव में इस सभा में उनका पहले उल्लेख हो चुका था।

वे सवाल क्या थे? पहला यह था और वह अनावश्यक प्रश्न था कि हमारी कार्य-सीमा क्या है? यानी हमने मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 16 मई सन् 1946 ई.

के बयान को किस हद तक स्वीकार किया है। हमने उसे स्वीकार किया है और उसी बयान के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। यहीं बात खत्म हो जाती है। मैं नहीं जानता कि आगे चलकर क्या-क्या बदलाव हों और इनका हमारे काम पर क्या असर पड़े, लेकिन हमने उस बयान को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है और हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं।

इसमें स्वभावतः दूसरा नतीजा निकलता है, यानी ऐसे विषय जो यूनियन के अधिकार-क्षेत्र में न हों वे प्रदेशों के अधिकार में होंगे। यानी रियासतों और प्रांतों के अधिकार में। मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के बयान में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हमने उनसे यही कहा और इसे साफ भी कर दिया। इस पर अब इस सभा में सावधानी से विचार करना है कि यूनियन के सुपुर्द कौन से विषय होंगे और कौन से विषय नहीं होंगे। लेकिन कोई भी विषय, जो यूनियन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वे स्वाभाविक रूप से प्रदेशों के विषय होंगे।

इसके अलावा यह कहा गया है कि विधान-परिषद् में शामिल होने या उस योजना को स्वीकार करने या न करने की उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, जैसा कि श्री पनिक्कर ने कहा है कि किसी रियासत या प्रांत या भारत के किसी अन्य भाग पर इस असेम्बली में सम्मिलित होने के लिये कोई जोर नहीं डाला गया और न डाला जा सकता है। किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हो सकती। सिवाय इसके कि घटनायें बलपूर्वक किस ओर ले जायें। यह निस्सन्देह एक जबरदस्ती है और इसका महत्त्व इतना बड़ा है कि हममें से कोई भी सज्जन इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इस तरह जबरदस्ती का कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि यदि हिन्दुस्तान के कुछ प्रदेश या भाग यहां आने का निश्चय करते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो इसके बदले में उनको कुछ अधिकार मिलते हैं और जो सम्मिलित नहीं होते उनको वे अधिकार नहीं मिलते क्योंकि वे उन जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब कोई प्रदेश, रियासत या देश का कोई दूसरा भाग यह निर्णय करता है तो इसका नतीजा अपने आप सामने आ जाता हैं यह हो सकता है कि दो प्रदेश या रियासत इसके फलस्वरूप एक दूसरे से दूर पड़ जायें, लेकिन यह घटनाचक्र का प्रतिफल ही होगा। वरना हर एक रियासत को इसकी स्वतंत्रता है कि वह यहां आये या न आये। अब यह मामला बहुत साफ कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में यदि कोई दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया तो वह रियासतों में राजतंत्र शासन पद्धति के बारे में था, जैसा मैंने इस सभा में पहले कहा था।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

आजकल की दुनिया में किसी राजा द्वारा शासन चलाने के तरीके के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह लोगों को पसन्द है, चाहे उससे पहले कितनी ही भलाई क्यों न हुई हो। यह पद्धति आगे चलकर खत्म हो जायेगी लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कब तक टिकी रहेगी। इस सम्बन्ध में मेरे मत का कुछ भी महत्त्व नहीं है, महत्त्व केवल इसका है कि इस सम्बन्ध में इस असेम्बली की क्या इच्छा है और वह क्या करना चाहती है? एक बार पहले हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम रियासतों के आंतरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इसका निर्णय रियासतों के लोगों को ही करना है कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। वास्तव में यह प्रश्न इस असेम्बली में उठता नहीं; यहां हम यूनियन से सम्बन्धित मामलों और मौलिक अधिकार आदि विषयों पर विचार कर रहे हैं; इसलिये रियासतों में राजतंत्र शासन-पद्धति का प्रश्न यहां नहीं उठाया गया और मैंने उन लोगों से कहा कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम उस प्रश्न को यहां नहीं उठाने जा रहे हैं।

अंत में इस असेम्बली के लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के उस अंग के बारे में जिसमें प्रादेशिक सीमाओं को बदलने का उल्लेख है, प्रश्न उठाया गया या यों कहिये कि गलतफहमी बतलाई गई। इस सभा को याद होगा कि इस अंग का सम्बन्ध रियासतों से नहीं था। आगे चलकर जो बातें पैदा होंगी उनको ठीक करने के लिये, जैसा कि करना ही होगा, यह आदेश रखा गया था। इसके अलावा यह आदेश इसलिये रखा गया था कि ऐसे प्रदेश बन जायें जो कि भारतीय यूनियन के प्रदेश हो सकें।

यह स्पष्ट है कि भारत के छोटे-छोटे प्रदेश या छोटे-छोटे भाग इसलिए नहीं बनाये जा सकते कि वे यूनियन में सम्मिलित हो सकें। उचित परिमाण के प्रदेशों को बनाने के लिये कुछ प्रबंध करना होगा। प्रांतों के विभाजन के सम्बन्ध में आज प्रश्न उठ रहे हैं और आगे चल कर भी ये प्रश्न उठेंगे। इस सम्बन्ध में बड़ी प्रबल भावनाएं हैं। हम आजकल, चाहे वह दूसरे कारणों से हों, पंजाब और बंगाल जैसे कुछ प्रांतों के विभाजन के बारे में बहस कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करना है, लेकिन इसका लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव से कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह निगोशिएटिंग कमेटी में तय हो गया है कि यदि प्रादेशिक सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो यह रजामन्दी से किया जाये।

अपनी निगोशिएटिंग कमेटी की तरफ से मैंने दूसरी कमेटियों को ये बयान दिये जिससे कई भ्रम दूर हो गए और हम दूसरी बातों पर विचार करने लगे।

दूसरी बातों में सबसे पहले इस सभा की जगहों के वितरण के प्रश्न को हल करना था। हमने यह तय किया कि इस मामले को दो सेक्रेटेरियटों यानी

विधान-परिषद् के सेक्रेटेरियट और नरेन्द्र मंडल के सेक्रेटेरियट के सुपुर्द कर दिया जाये, यह काम हमने उन्हें एक दिन डेढ़ बजे दे दिया। ये दोनों सेक्रेटेरियट उसी दिन तीन बजे सम्मिलित हुए और पांच बजे तक उन्होंने तय कर लिया कि कार्यक्रम कैसा होना चाहिये। यह एक ऐसी उल्लेखनीय बात है जिसे भुलाना उचित नहीं है। यह सच है कि जगहों के वितरण सम्बन्धी नियम कुछ हद तक मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना में दे दिये गये थे। दस लाख की आबादी के लिये एक जगह रखी गई है यानी सब मिल कर 93 जगहें होंगी। दुर्भाग्यवश वितरण के ये प्रश्न बड़े कठिन हैं और अक्सर इनसे बड़ा वाद-विवाद उठ खड़ा होता है। इन सब बातों के बावजूद ये दो कमेटियां सम्मिलित हुईं और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि विधान-परिषद् के सेक्रेटेरियट को रियासतों के प्रतिनिधियों ने इस तरह मदद की कि दो ही घंटे में प्रश्न सभी की सहमति से हल हो गया। इससे यह जाहिर होता है कि यदि हम तथाकथित कठिन प्रश्नों को सद्भाव से हल करने बैठें तो हम उन्हें हल कर सकते हैं और वह भी तुरंत ही। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि इन जगहों के वितरण-सम्बन्धी प्रश्न का जो हल निकाला गया वह सर्वोत्तम था। जब से समझौता हुआ है, रियासतों के एक स्थान में या दूसरे स्थान में समूह बनाने के सम्बन्ध में आपत्तियां और टिप्पणियां की गई हैं। अंत में हमने यह काम एक उप-समिति को दे दिया, जो कि हमारी निगोशिएटिंग कमेटी और रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी की एक संयुक्त समिति है, कि वह इस मामले पर विचार करे और यदि आवश्यक समझे तो छोटे-मोटे बदलाव करे। समूहबन्दी की इन कठिनाइयों के कारण कई रियासतों के प्रतिनिधि यहां नहीं आ सके हैं हालांकि यह सम्भव है कि यदि ये न होती तो वे यहां आ जाते। दूसरे शब्दों में सम्बन्धित रियासतें यहां के कार्य में सम्मिलित होना चाहती हैं और वे अपने प्रतिनिधि यहां भेजने के लिये बिल्कुल तैयार हैं लेकिन समूह ने अभी अपना काम शुरू नहीं किया है, इसलिये व्यक्तिगत रूप से वे यहां नहीं आ सकते। कल ही मुझे यह सूचना मिली कि एक महत्त्वपूर्ण रियासत यानी कच्छ रियासत इसके लिये बहुत उत्सुक और चिंतित है कि वह यहां के काम में हाथ बंटाये। लेकिन वह काठियावाड़ और दूसरी रियासतों के समूह का एक अंग है। चाहे यह ठीक हो या गलत लेकिन जब तक सारा समूह कुछ तय न करे, वह नहीं जानते कि अलग से कैसे सम्मिलित हों? इस मामले पर उप-समिति विचार करेगी। लेकिन मैं इस सभा को यह बतलाना चाहता हूं कि जैसे ही हम मुख्य विषय पर आये और हमने अस्पष्ट सिद्धांतों या एक समूह या दूसरे समूह के अधिकारों के बारे में बातें करना छोड़ा कि हमने तुरंत ही निर्णय कर लिया। यह हमारे भविष्य के काम के लिये शुभ-लक्षण है, चाहे उसका सम्बन्ध रियासतों के लोगों से हो या भारत के अन्य भागों से या भारत के किसी समूह से।

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

हम लोग जो यहां सम्मिलित हुए हैं, समझते हैं कि हम पर बड़ी जिम्मेदारी है। वह इस कारण नहीं कि हमने जिस काम का बीड़ा उठाया है वह बहुत कठिन है और न इस कारण कि हम यह समझते हैं कि हम एक विशाल जन-समूह के प्रतिनिधि हैं, बल्कि इसलिये कि हम भविष्य के लिये निर्माण कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह देख लेना चाहते हैं कि यह मजबूत बुनियाद पर हो, और विशेषतया इसलिये कि हम एक ऐसे अवसर पर सम्मिलित हो रहे हैं जबकि बहुत सी विनाशकारी शक्तियां भारतवर्ष में काम कर रही हैं। जो हमें कभी एक तरफ घसीट ले जाती हैं तो कभी दूसरी तरफ और जब दुर्भाग्यवश ये शक्तियां निर्बाध-रूप से काम करती रहती है तो वायुमंडल रोष और द्वेष से दूषित रहता है और इसका डर रहता है कि उसका असर कहीं हमारे दिमागों में भी न पड़ जाये। लेकिन आजकल की कठिनाइयों पर विचार करते समय हमें अपने भविष्य की कल्पना को भंग न करना चाहिये बल्कि उसे कार्यान्वित ही करना चाहिये। हमें इस खतरे से बचना चाहिये और वह इसलिये कि हम आज या कल के लिये निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत ही मजबूत इमारत तैयार कर रहे हैं या इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं यदि फिर यह चेतावनी दूं कि इस समय के रोष और द्वेष से हमें न भूलना चाहिये कि वास्तव में वे प्रश्न क्या है जिन्हें हमें अंत में हल करना है। हम आजकल की कठिनाइयों को नहीं भुला सकते क्योंकि उनसे हर समय हमारे काम में रुकावट होती है। हमें आजकल की समस्याओं को हल करना है और दुर्भाग्यवश यह हो सकता है कि इन वर्षों में जिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा है उनका असर हम पर रहे। परन्तु चाहे कुछ भी हो हमें आगे बढ़ना है। हमें तुरंत ही निर्णय करने हैं और वह भी अंतिम रूप से जिसका अर्थ यह है कि हमको उनके अनुसार काम करना है। हमें यथार्थवादी होना चाहिये और मैं कहूंगा कि यथार्थवाद और आदर्शवाद की भावना से ही हमारी निगोशिएटिंग कमेटी ने यह काम शुरू किया।

यह सभा यह जानती है कि रियासतों के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम से इस कमेटी के कुछ मेम्बरों का निकट सम्बन्ध रहा है। इस संग्राम से मेरा जितना ही अधिक सम्बन्ध रहा उतना ही अधिक मैंने अनुभव किया कि इसे सारे भारत के प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता। इसे बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह रियासतें भारतवर्ष के भाग हैं उसी तरह यह भी सारे भारत के प्रश्न का आवश्यक अंग है। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, चाहे मुझे इसकी कितनी ही चिंता क्यों न रही हो कि मैं व्यक्तिगत रूप से या किसी और तरह रियासतों के लोगों की उन्नति में अपना योग देने में अपनी पूरी शक्ति लगाऊं,

लेकिन जब मैं निगोशिएटिंग कमेटी से मिला तो मुझे अपने व्यक्तिगत विचारों को निम्न स्थान देना पड़ा, क्योंकि हर समय मुझे यह याद रखना था कि मैं इस विधान-परिषद् का प्रतिनिधि हूं और मुझे यह भी याद रखना था कि आखिर हम कोई सौदा तय करने नहीं आये हैं और न आपस में गरम बहस करने आये हैं, लेकिन यह कि हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है और वहां के लोगों को, भले ही इनका सन्देह न छूटे, विधान-परिषद् में ले जाना है ताकि वे उसमें जाकर वहां के वातावरण से प्रभावित हों। मेरे ध्यान में तो इस कार्य की पवित्रता थी और मेरे लिये नतीजों या व्यक्ति विशेष या समूहों या आश्वासनों के सम्बन्ध में बात करने का कोई महत्त्व नहीं था। हम एक दूसरे से क्या आश्वासन मांग सकते हैं? यह सभा भी किसी भारतीय को स्वतंत्रता के आश्वासन के अतिरिक्त और क्या आश्वासन दे सकती है? यह आश्वासन भी बाद को भारतीय अपनी समझदारी व अपनी शक्ति के अनुसार ही देंगे। यदि लोग शक्तिशाली न होंगे और उनमें इतनी समझदारी न होगी कि वे मिलकर ठीक रास्ते पर जा सकें तो आपने जिस भवन का निर्माण किया है, वह टूट-फूट कर गिर जायेगा। हम किसी को कोई भी आश्वासन नहीं दे सकते हैं।

इन वर्षों में स्वतंत्रता की खोज में हमें क्या आश्वासन दिया गया? हम उस दिन की राह देखते रहे हैं जब कि हमारे स्वप्न सत्य हों। शायद अब वे सत्य होने जा रहे हैं। चाहे उनकी शक्ल बिल्कुल वैसी न हो जैसी कि हम चाहते हैं लेकिन वे सत्य होके ही रहेंगे। इसी विश्वास से हमने इन वर्षों में काम किया है। हमें कोई आश्वासन नहीं दिये गये थे, हमें अपने बारे में या अपने भविष्य के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिये गये थे। वास्तव में जैसा कि घटनाओं का क्रम रहा उसे देखते हुए, हममें से अधिकतर लोगों को जो कुछ भी थोड़ा बहुत आश्वासन मिला वह यह था कि हमें आंसू बहाने होंगे और कष्ट झेलने होंगे और हमारे हिस्से में ऐसी बहुत सी बातें आईं। यह सम्भव है कि भविष्य में भी ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आयें। लेकिन हम उनका सामना करेंगे, यह सभा उनका सामना करेगी और भारत के लोग उनका सामना करेंगे इसलिये किसी को आश्वासन देने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन जहां तक मुमकिन है हम गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं। हम यह अवश्य चाहते हैं कि हर एक भारतीय यह समझे कि हम उसके साथ बराबरी का और भाई-भाई का व्यवहार करना चाहते हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि वह जान जाये कि भविष्य में सोने-चांदी या किसी दूसरी चीज के ताज का उतना महत्त्व नहीं होगा जितना एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्वतंत्रता के ताज का यह हो सकता है कि जल्दी ही ऐसा समय आये जबकि

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

किसी भी व्यक्ति के लिये चाहे वह राजा हो या अन्य कोई व्यक्ति, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात यह होगी कि वह स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है और उसका कोई दूसरा नाम या पदवी नहीं है। हम आश्वासन नहीं देते क्योंकि हम किसी को किसी बात का भी आश्वासन नहीं देते। लेकिन हमें आशा है और विश्वास है कि हम इस लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे। हम निमंत्रण देते हैं कि आइये, इस काम में हाथ बटाइये। जो लोग यहां आये हैं उनका हम स्वागत करते हैं और आगे चलकर जो लोग यहां आयेंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। जो लोग यहां नहीं आयेंगे उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसाकि मैंने पहले कहा है, आजकल की परिस्थिति को देखते हुए जो लोग यहां आयेंगे और जो लोग यहां नहीं आयेंगे, उनके बीच की खाई चौड़ी हो जायेगी। उनके रास्ते अलग-अलग हो जायेंगे और यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मुझे विश्वास है कि अलग होने पर भी ये रास्ते मिल जायेंगे और जल्दी ही मिल जायेंगे। लेकिन जो भी सूरत हो, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होगी। जो यहां आना चाहेंगे वे यहां आयेंगे और जो नहीं आना चाहेंगे वे नहीं आयेंगे। लेकिन इतना कहना ही पड़ेगा कि जब हम लोगों के यहां आने या न आने के बारे में कहें तो हमें याद रखना चाहिये जैसा कि श्री गोविन्द मेनन ने कहा है कि रियासतों के लोग इस असेम्बली में आना चाहते हैं। यह मैं कुछ विश्वास और इस मामले में कुछ अधिकार होने से कह रहा हूं यदि उनको यहां आने से रोका जाता है तो इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है। हमें यह समझना चाहिये कि उनके रास्ते में रोड़े अटका दिये गये हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आगे चलकर ये सवाल नहीं उठेंगे और एक-दो महीने में ही लगभग सभी रियासतों के प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे और इस विधान को अंतिम रूप देने में हम एक साथ मिलकर काम करेंगे।

मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि यह रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये। इस सम्बन्ध में भी कुछ बहस हुई है और यह देखा गया है कि लोग शब्दों, वाक्यों, आश्वासनों, इत्यादि जैसी बातों को बहुत महत्त्व देते हैं। क्या यह ठीक नहीं है कि मैंने इसे सभा के सामने रखा है? यदि यह ठीक नहीं है तो जो कुछ मैंने कहा उसे मुझे दुहराने की इजाजत दी जाये यदि यह भी ठीक नहीं है तो इन बैठकों की जो अक्षरश: रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें हमने जो कुछ भी कहा वह दर्ज है। हमें उसमें और कुछ नहीं जोड़ना है और हम उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, हम अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो तरीका हम अपनायें वह ठीक होना चाहिये। जब यह कमेटी बनाई गई तो आपने कहा था कि हम अपने काम की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हमने यह रिपोर्ट पेश की है। हमको कुछ काम करना ही था, हमने उसकी कोशिश की और उसको पूरा

किया। यदि इस सम्बन्ध में काम होने के पहले इस मामले को समर्थन के लिये इस सभा के सामने रखने की आज्ञा होती तो यह स्पष्ट है कि रियासतों के जो प्रतिनिधि आज यहां आये हैं, वे यहां न होते। वे दरवाजे पर या कहीं बाहर उस समय तक बैठे रहते जब तक कि यह सभा इसका समर्थन न कर लेती, यानी जब तक यहां कुछ हो न जाता तब तक ये लोग रुके रहते। हमने इस सभा के आदेशों को इस ढंग से नहीं समझा। हमने यह समझा कि हमें कोई सम्मानपूर्ण समझौता कर लेना है और उसके अनुसार काम करना है ताकि रियासतों के प्रतिनिधि यहां जल्दी से जल्दी आ सकें। हमें वास्तव में इसकी उत्सुकता थी कि वे उन कमेटियों में भाग लें जिन्हें कि इस असेम्बली ने बनाया है, यानी सलाहकार कमेटी, मौलिक अधिकारों की कमेटी, यूनियन के अधिकारों की कमेटी और दूसरी कमेटियां जिन्हें हमने बनाया है। क्या यह हमारा दोष नहीं है कि देर हुई है? जब निगोशियेटिंग कमेटियों की पहली बार सम्मिलित बैठक हुई तो उसी समय हमने रियासती कमेटी से प्रार्थना की कि उन्हें जल्दी ही सम्मिलित होना चाहिये और वास्तव में जल्दी से जल्दी विधान-परिषद् की इन कमेटियों में अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिये। हर एक मौके पर हमसे आश्वासन मांगे गये और इसमें देर हो गई। लेकिन आपकी आज्ञा को हमने इस तरह समझा कि हमें आगे बढ़ना है और हर कदम पर समर्थन के लिये नहीं रुकना है। हमने इसी तरह काम किया और मुझे इसकी खुशी है कि रियासतों के कुछ प्रतिनिधि आज यहां आये हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे चलकर अधिक आयेंगे। इसलिये जहां तक कमेटी के काम का सम्बन्ध है समर्थन का प्रश्न नहीं उठता। रिपोर्ट आपके सामने है। यदि आप हमारे किये हुए किसी भी काम से सहमत न हों तो आप इस सम्बन्ध में अपनी अस्वीकृति प्रकट कीजिये या हमें आदेश दीजिये।

मैंने यह प्रस्ताव आपकी स्वीकृति के लिये पेश किया है। मैं जगहों के वितरण और रियासतों के प्रतिनिधि चुनने के तरीके पर ब्यौरे से विचार नहीं करूंगा। हमने एक तरह का समझौता किया है। स्वभावतः मेरी और मेरे सहयोगियों की यही इच्छा थी कि रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के लोगों को ही चुनना चाहिये, बहुत कुछ इसलिये कि यही ठीक तरीका है और बहुत कुछ इसलिये कि इस सभा के चुने हुए अन्य सदस्यों से उनका सामंजस्य होता, लेकिन इसके विपरीत मैंने समझा कि यह उचित होगा कि यहां रियासतों की सरकारों का भी प्रतिनिधित्व हो ताकि चित्र में कुछ वास्तविकता आ जाये। आखिर सही बात तो यही होगी कि रियासतों की सरकार ही लोगों की प्रतिनिधि हो और तब वह उनका प्रतिनिधित्व यहां करे। लेकिन हमें वस्तुस्थिति से मुंह नहीं मोड़ना है। आमतौर पर रियासतों

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

की सरकारें प्रजातंत्र की दृष्टि से लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती; कुछ जगहों में वे उनका थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन हमने यह उचित समझा कि रियासतों की सरकारों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये यद्यपि हम यह चाहते थे कि लोगों के प्रतिनिधि की ही अधिक संख्या हो, आखिर में बहुत बहस के बाद यह तय हुआ कि प्रतिनिधियों में से कम से कम 50 फीसदी, जहां कहीं असेम्बलियां हों वहां के चुने हुए मेम्बरों द्वारा चुने जायें या किसी दूसरे तरीके से चुने जायें जो कि तय किया जाये, हमारे बीच इस संख्या के सम्बन्ध में समझौता हो गया यद्यपि हम चाहते हैं कि यह संख्या अधिक हो। कुछ रियासतों ने ऐसे काम किया है जैसे कि वे संख्या अधिक होने में करते। मैं निवेदन करता हूं कि हमने जो समझौता किया वह सभी सम्बन्धित लोगों के लिये एक सम्मानपूर्ण समझौता है और जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उससे सफलता होगी। मैं इस सभा से यह सिफारिश करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये।

*__अध्यक्ष:__ प्रस्ताव इस प्रकार है:

> ''विधान-परिषद् अपनी रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाये।
>
> परिषद् रियासतों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करती है, जो चुने जा चुके हैं और यह आशा प्रकट करती है जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि नहीं चुने हैं। वे स्वीकृत प्रणाली के अनुसार ऐसा करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगी।''

जो सदस्य इस प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, वे सब बोल सकते हैं।

(इस अवसर पर डॉ. कैलाश नाथ काटजू मंच पर पहुंच गए)

*__श्री सोमनाथ लाहिरी__ (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मुझे कुछ सूचना की आवश्यकता है, रियासतों के जितने प्रतिनिधि इस परिषद् में आए हैं उनमें से कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत हैं?

*__अध्यक्ष:__ सेक्रेटरी आपको यह सूचना देंगे। इस बीच डॉ. कैलाश नाथ काटजू कृपया अपना भाषण दें।

माननीय डॉ. कैलाश नाथ काटजू (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने चन्द मिनट के लिये यहां आकर इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके सामने कुछ कहने का साहस इसलिये किया है कि चूंकि मध्य भारत की एक रियासत और राजपूताना की कुछ रियासतों से मेरा घनिष्ट संपर्क रहा है, और अब मैं संयुक्तप्रांत में आकर बस गया हूं। इसलिये आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेरी उसमें गहरी दिलचस्पी है और नेगोशियेटिंग कमेटी ने जो महान् सफलता प्राप्त की है, उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं।

रियासतें कई किस्म की हैं और उनकी संख्या सैकड़ों में हैं। कुछ रियासतें तो इतनी प्राचीन हैं कि हमारी जाति के इतिहास का मूल स्रोत भी वही हैं। कुछ दूसरी रियासतें अपेक्षाकृत अभी नई हैं और उन्हें कायम हुए लगभग एक शताब्दी हुई होगी तथा परंपरा और नैतिक प्रभुत्व की दृष्टि से भी उन्हें कोई बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। मैं इस विषय पर बहुत विचार में नहीं जाना चाहता लेकिन निस्संदेह मैं यह कह सकता हूं कि न केवल स्वयं रियासतों की भलाई की दृष्टि से बल्कि देशी राज्यों की जनता के कल्याण की दृष्टि से भी उन्हें उस महान् भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिये जिसके सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल ने इतना ओजस्वी भाषण दिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय इतिहास की परंपरा हमें यही शिक्षा देती है कि इस महान् देश का संघ अनिवार्य और अवश्यंभावी है। जब मैं यह सुनता हूं कि कुछ रियासतें अथवा कुछ प्रांत या प्रादेशिक इकाइयां अपने आप को सर्वसत्तासंपन्न राज्य होने की घोषणा कर रही हैं अथवा शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेने का दावा करती हैं, तो मुझे यह सोच कर आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने कभी भारतीय इतिहास की नैसर्गिक प्रगति एवं उसके प्रवाह पर भी विचार किया है। मुझे तो तनिक भी संदेह नहीं कि अगले पचास वर्षों में, चाहे आज हम कुछ भी करें या कहें, घटना चक्र लोगों को इस बात के लिये विवश कर देगा कि वे भारत में एक संयुक्त और शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करें। इसलिये रियासतों की जनता के लिए, सभी रियासतों की जनता के लिये, और इन रियासतों के नरेशों के लिये इस महान् कार्य में योग देना श्रेयस्कर और लाभप्रद है। मेरे विचार में राजाओं के लिये अपनी तथाकथित शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय, अपनी जनता के प्रेम और विश्वास पर निर्भर रहना कहीं अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इसी में उनकी सुरक्षा, उनकी अखंडता और उनका अस्तित्व नहीं है। यदि वे उस पर निर्भर रहें तो वे बने रहे सकते हैं, अन्यथा इनमें से अधिकांश रियासतें लुप्त हो जायेंगी और इस पर न तो उनकी जनता को, न शेष भारत को ही कुछ अधिक खेद होगा। इन शब्दों

[माननीय डॉ. कैलाश नाथ काटजू]

में, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सभा से उसे स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं और मैं उस अपील में भी सम्मिलित होना चाहता हूं जो इस सभा के प्रत्येक वर्ग से की गई है। हम इस बात की कोशिश करें कि इस थोड़े से समय में ही सभी रियासतें इस परिषद् में सम्मिलित हो जायें।

***अध्यक्षः** श्री लाहिरी यह जानना चाहते हैं कि संशोधन कब पेश किये जायें? उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें इस प्रस्ताव की सूचना केवल कल रात ही मिली है। मेरा ख्याल है कि अब इसके लिये समय नहीं है कि वे संशोधन पेश करें।

अब मैं इस प्रस्ताव को सभा की राय जानने के लिए पेश करता हूं।

प्रश्न यह है:

''विधान-परिषद् अपनी रियासती कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने पर यह निश्चय करती है कि उसे दर्ज कर लिया जाये।

विधान-परिषद् रियासतों के उन प्रतिनिधियों का स्वागत करती है जो चुने जा चुके हैं और यह आशा प्रकट करती है कि जिन रियासतों में अभी तक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया है, वे स्वीकृत प्रणाली के अनुसार ऐसा करने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगी।''

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** मैं श्री लाहिरी द्वारा मांगी गई सूचना देना चाहता हूं। आज यहां रियासतों के सोलह प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जिन में से पांच मनोनीत और ग्यारह निर्वाचित हैं।

स्टीयरिंग कमेटी के अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मेरे लिये यह बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज मैं अपनी ओर से यह प्रस्ताव पेश कर रही हूं। प्रस्ताव उपस्थित करने से पूर्व मैं इस बात पर बहुत हर्ष प्रकट करना चाहती हूं कि आज इस अवसर पर हमारे मध्य कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। जिन रियासतों ने हमें सहयोग दिया है और हमारे काम में हाथ बंटाया है उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

आपकी अनुमति से श्रीमान्, मैं निम्न प्रस्ताव पेश करती हूं:

''यह परिषद् विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40 के उप-नियम (2) के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरण मत-पद्धति द्वारा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों में से स्टीयरिंग कमेटी के दो अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन का निश्चय करती है।''

श्रीमान्, विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन की निम्नलिखित कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है:

''असेम्बली समय-समय पर ऐसे तरीके से जिसे वह उचित समझे, 8 अतिरिक्त सदस्यों को चुनेगी जिनमें से चार सदस्यों की जगहें रियासतों के प्रतिनिधियों में से चुनाव द्वारा भरी जाने के लिए सुरक्षित रखी जायेंगी।''

नियम 40 के उप-नियम (1) में कहा गया है:

''असेम्बली जब तक रहे उस समय तक के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जायेगी जिसमें (अध्यक्ष के अतिरिक्त) ग्यारह सदस्य होंगे। जिन्हें असेम्बली आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा निर्वाचित करेगी।''

श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहती हूं कि इन नियमों के अनुसार प्रारंभ में 20 जनवरी को इस कमेटी के ग्यारह सदस्य चुने गए थे और वह इन्हीं सदस्यों को लेकर अपना काम करती रही है। उप-नियम (2) के अन्तर्गत समय-समय पर आठ और सदस्य चुने जाएंगे जिनमें से चार सदस्य रियासतों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित होंगे। फिलहाल यह वांछनीय समझा गया है कि उनमें से केवल दो को ही निर्वाचित किया जाये और शेष दो का निर्वाचन बाद में हो। हमें बहुत प्रसन्नता होती यदि इस अवसर पर चारों ही सदस्यों का निर्वाचन हो जाता। परन्तु इस समय हमने केवल दो सदस्यों का निर्वाचन ही वांछनीय समझा और शेष दो का निर्वाचन बाद की किसी तारीख के लिये स्थगित करना उचित समझा, जबकि हमारे सौभाग्य से इस परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। हमें बड़ी आशा थी कि हैदराबाद, ट्रावनकोर, मैसूर जैसी कुछ प्रमुख और अन्य रियासतों ने अब तक हमारे काम में शामिल होने और हमारे

[श्रीमती जी. दुर्गाबाई]

साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया होगा। परन्तु मुझे यह जान कर बड़ी निराशा हुई कि वे इस परिषद् में नहीं शामिल हो सकीं और उनका दृष्टिकोण हमसे मेल नहीं खाता और वे अब तक ''प्रतीक्षा'' करने की नीति पर चल रही हैं। मुझे आशा है कि वे भी बड़ौदा, बीकानेर, रीवां, ग्वालियर, कोचीन, उदयपुर, जोधपुर और कुछ अन्य रियासतों के अनुकरणीय उदाहरण को अपने सामने रखते हुए, जिनके प्रतिनिधि इस समय हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत शीघ्र ही अपने प्रतिनिधि यहां भेज देंगी और इस महान् देश के लिये विधान निर्माण के इस बड़े काम में हाथ बटाएंगी। मैं उन प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करती हूं जो इस कमेटी में निर्वाचित किये जायेंगे, ताकि वे उसके काम में भाग ले सकें और अपना परामर्श देकर हमारा पथप्रदर्शन कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करती हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव पेश किया जाता है।

> ''यह परिषद् विधान-परिषद् की नियमावली के नियम 40 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकाकी हस्तांतरण मत-पद्धति द्वारा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों में से स्टीयरिंग कमेटी के दो अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन का निश्चय करती है।''

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्रीमान्, नियम 40 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये चार स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, और वे निर्वाचित होंगे। अभी आपने हमें कृपा करके यह बताया है कि इस समय उनके केवल 16 प्रतिनिधि इस सभा में उपस्थित हैं और शेष 77 अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित सदस्यों के प्रति न्याय करने की दृष्टि से मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि आज केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाये और शेष तीन स्थानों के लिये निर्वाचन बाद में हों।

***अध्यक्षः** श्री कामत का संशोधन यह है कि दो स्थानों के बजाय आज सिर्फ एक ही स्थान के लिये निर्वाचन किया जाये।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** श्रीमान्, स्टीयरिंग कमेटी को दिन प्रतिदिन काम करना होता है और यदि आप उन लोगों के लिये ये स्थान खाली पड़े रहने दें जो आज यहां उपस्थित नहीं हैं, तो यह बात न तो स्वयं उनके लिये और

न इस सभा के अथवा स्टीयरिंग कमेटी के लिये ही अच्छी होगी। यद्यपि वास्तव में संचालन समिति के कार्य का सम्बन्ध बड़े-बड़े सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, फिर भी उसका काम बड़ा महत्त्वपूर्ण है और सभा के कार्य पर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार में उन लोगों के स्थान रिक्त रखना उचित नहीं है जो इस सभा में नहीं शामिल हो रहे हैं और न हमारे लिये प्रतीक्षा करते रहना ही मुनासिब है। निस्संदेह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे उनके हितों को क्षति पहुंच सके और इसलिये हम किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय को पुनः उठा सकते हैं। अब चूंकि हमारे लिये उन्हें इस समिति में सम्मिलित कर लेने का अवसर है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। सभा को बाद में किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता है। इस समय यह वांछनीय है कि जो लोग इस सभा के काम में भाग लेने के लिये आयें उन्हें ऐसा करने का पूरा-पूरा अवसर दिया जाये।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गए इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि बाद में इन स्थानों की संख्या बढ़ा दी जायेगी, मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं प्रस्ताव पर वोट लेने के लिये उसे उपस्थित करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** कल अपराह्न में दो बजे तक नामजदगी के पर्चे लिये जायेंगे और यदि चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो वह कमरा नं. 24 में शाम के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा।

यूनियन के विषयों की कमेटी की रिपोर्ट

***अध्यक्षः** विधान-परिषद् के 25 जनवरी, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव के अनुसार संघीय विषयों के शेष की जांच करने के लिये नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, क्या केवल रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है अथवा कोई प्रस्ताव पेश किया जा रहा है? प्रस्ताव का तो कोई नोटिस नहीं दिया गया।

*__अध्यक्ष:__ यदि माननीय सदस्य तनिक प्रतीक्षा करें तो उन्हें पता चल जायेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है।

*__माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर__ (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं तो केवल संघीय विषयों से सम्बन्ध रखने वाली कमेटी की रिपोर्ट उपस्थित करने का रस्मी और नीरस कार्य कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में आज इस सभा के सन्मुख प्रस्ताव पेश करने का कोई इरादा नहीं है। यह कमेटी गत 25 जनवरी को मंत्री प्रतिनिधिमंडल के 16 मई के वक्तव्य में निर्दिष्ट केन्द्रीय विषयों के क्षेत्र और उनकी सूची की जांच करने और इस प्रकार निर्दिष्ट विषयों में सम्मिलित किये गए और उनके साथ पारस्परिक रूप से सम्बद्ध विषयों की सूची तैयार करने के उद्देश्यों से नियुक्त की गई थी। कमेटी ने अपना कार्य बारह सदस्यों को लेकर शुरू किया और श्रीमान्, आपको दस और सदस्य मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि यदि मुस्लिम लीग विधान-परिषद् में आने का निर्णय कर ले तो कुछ स्थानों पर उसके प्रतिनिधि मनोनीत कर दिये जाये और शेष स्थान भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों को दे दिये जायें। जैसी कि इस समय स्थिति है, मुस्लिम लीग अभी तक विधान-परिषद् में नही शामिल हुई और जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व पं. जवाहरलाल ने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि रियासतों के लिये निर्धारित संख्या के अन्तर्गत उनके समस्त प्रतिनिधि मनोनीत करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया। परन्तु ऐसा करना संभव न हो सका परन्तु अपने विचार-विनिमय की बाद की स्थिति में हमें भारतीय रियासतों के दो प्रमुख प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त हो सका।

श्रीमान्, जैसा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तो सिर्फ एक नीरस कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं—मैं आज वह कार्य करने नहीं जा रहा था, जिसकी आशा मेरे माननीय मित्र श्री कामत मुझसे कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों के पास भेज दी गई हैं। अत: मेरे लिये उसे पढ़ना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार की विचार-विनिमय करने वाली परिषद् के सन्मुख केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय साधारणत: इस प्रकार की रिपोर्ट की विषय-सूची के सम्बन्ध में कोई भाषण नहीं दिया जाता। हां, इसके कुछ अपवाद अवश्य हैं जैसा कि श्री कामत ने उल्लेख किया था, अर्थात् जब रिपोर्ट पर विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव पेश किया जाये। आज इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया जा रहा है और न उन लोगों का ही ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने का इरादा है जिन्हें इस परिषद् के कार्य-संचालन का भार सौंपा गया है। उनका इरादा

इस अधिवेशन में सभा के सम्मुख इस तरह का कोई प्रस्ताव पेश करने का नहीं है। ऐसा फैसला करने के बहुत से कारण हैं। पहले तो, श्रीमान्, यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है, इसका विधान-निर्माण से गहरा सम्बन्ध है और ये नितान्त आवश्यक है कि इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण विषय से सम्बन्ध रखने वाली रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व इस सभा के सदस्य उसका सतर्कतापूर्वक और मननपूर्वक अध्ययन करें। दूसरे फिर हमें यह भी स्मरण रखना है कि कमेटी को मंत्रि-प्रति-निधिमंडल की योजना के अनुसार कार्य करना पड़ा है। उस योजना में कुछ बड़ी असाधारण बातें हैं, और ये असाधारण बातें उसमें वस्तुतः इसलिये रखी हैं कि यदि कभी मुस्लिम लीग विधान-परिषद् में शामिल होने का फैसला करे तो उसे संतुष्ट किया जा सके। सरकारी तौर पर अभी यह नहीं कहा गया है कि लीग के आने की संभावना नहीं रही है। अभी तक उनके आने की संभावना बनी हुई है। यद्यपि यह संभावना बहुत ही कम है। यदि यह संभावना पूरी हो गई तो यह न्यायसंगत ही नहीं बल्कि उचित भी हो गया कि संघ केन्द्र को दिये जाने वाले अधिकारों का विषयों जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर उस समय बहस होगी जबकि मुस्लिम लीग के समस्त प्रतिनिधि भी सभा में उपस्थित हों। इस परिषद् के जून- जुलाई के अधिवेशन से पूर्व यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जायेगा कि क्या मुस्लिम लीग उसमें शामिल होगी अथवा नहीं। और यही एक मुख्य कारण है कि हम इस अधिवेशन में इस विषय पर बहस नहीं कर रहे।

इसके बाद, श्रीमान्, भारतीय रियासतों का प्रश्न है—यद्यपि बहुत सी भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि आज इस परिषद् में सम्मिलित हो गए हैं, फिर भी अभी बड़ी संख्या में उनके प्रतिनिधि नहीं आये हैं। यह रियासतें अब तक अपने प्रतिनिधि इसलिये नहीं भेज रही है कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने और उन्हें यहां भेजने के लिये एक निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार काम करना है। और इसके लिये उन्हें समय चाहिये। इन कमेटी में जिस विषय का विवेचन किया गया है, भारतीय रियासतों का उससे गहरा सम्बन्ध है और यह सर्वथा वांछनीय है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने से पूर्व जहां तक संभव हो सके रियासतों के अधिक से अधिक प्रतिनिधि इस परिषद् में शामिल हो जायें। श्रीमान्, तीसरा प्रश्न उस राजनैतिक वार्तालाप का है जो इस समय चल रहा है। इस बातचीत का परिणाम और निर्णय अभी हमारे सामने नहीं आया। बहुत संभव है कि हमारे जून-जुलाई के अधिवेशन से पूर्व वह प्रकट हो जाये। यह निर्णय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होंगे और मेरा ख्याल है कि सभा मेरे इस विचार से सहमत होगी कि उनका इस परिषद् की उस कार्य सम्बन्धी योजना पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जिसका अनुसरण

[माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर]

उसे देश के लिए विधान-निर्माण करते समय करना होगा। और यदि यह निर्णय, जैसी कि आशंका है, आपको दो अथवा उससे अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों में विभक्त करने के सम्बन्ध में हुआ तो हो सकता है कि इस परिषद् के लिये मंत्रिमंडल की योजना पर कड़ाई के साथ अमल करना अनावश्यक हो जाये। इस समय मेरे लिए यह कहना अनावश्यक है कि परिषद् के लिये किन-किन दिशाओं में मंत्रिमंडल की योजना में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इन परिवर्तनों का स्वरूप इन्हीं राजनैतिक निर्णयों पर निर्भर होगा, लेकिन इन परिवर्तनों के अतिरिक्त केन्द्र को दिये जाने वाले विषयों की संख्या, उनका क्षेत्र और उनकी व्याख्या संघ और प्रदेशों के एक अधिकार-क्षेत्र की परिभाषा और कानून सम्बन्धी और शासन सम्बन्धी अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में संघ और विभिन्न प्रदेशों के बीच सम्बन्ध इत्यादि सभी विषय ऐसे हैं, जिनकी हमें नये सिरे से और पूर्णत: समीक्षा करनी होगी। जहां तक मैं कल्पना कर सकता हूं यह समीक्षा हमें संघ विषय कमेटी और वर्तमान अधिवेशन में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित दो कमेटियों—जिनमें से एक संघ विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने के सम्बन्ध में होगी और दूसरी आदर्श प्रांतीय विधान के सिद्धान्तों का निर्णय करने के सम्बन्ध में के पारस्परिक घनिष्ट सहयोग से करनी होगी। इन दोनों कमेटियों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में रहकर काम करना होगा और यह आवश्यक है कि इस प्रकार के सहयोग के आधार पर अपना काम प्रारंभ करने से पूर्व उनके सामने इन राजनैतिक निर्णयों को स्वरूप स्पष्ट हो जाना चाहिये और आशा है कि यह निर्णय उससे पहले ही हो जायेंगे।

श्रीमान्, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि संघीय विषयों से सम्बन्ध रखने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर अगले अधिवेशन तक के लिये बहस स्थगित कर देना बहुत आवश्यक है और इसी कारणवश मैं इस रिपोर्ट पर आज ही विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं पेश कर रहा हूं।

एक और विषय रह जाता है, जिस के बारे में मेरा विचार है कि इस कमेटी ने जो कुछ किया है, उसकी स्वीकृति के लिए इस सभा की अनुमति ले लेनी चाहिए इस कमेटी की नियुक्ति से सम्बन्ध रखने वाले मूल प्रस्ताव में उससे अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल से पहले पेश करने को कहा गया था। वास्तव में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को हस्ताक्षर किये। श्रीमान्, मुझे पूर्ण आशा है कि सभा दो दिन के इस विलम्ब को क्षमा कर देगी।

अब मैं एक और विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट को संघ विषय कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट नहीं समझाना चाहिए। मैंने आपके सामने वे कारण पहले से ही रख दिये हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुये इस कमेटी को अन्य कमेटियां के सहयोग से इस विषय पर फिर से सोच-विचार और समीक्षा करना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर, भारतीय रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे विषय हैं, जिन पर संभवत: अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन पर इस अर्से में शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना कि दिया जाना चाहिये था। इस सम्बन्ध में रियासतों के जो प्रतिनिधि अपने विचारों से हमें लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनका ख्याल है कि कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में अभी और अधिक जांच करने की आवश्यकता है और जब तक ऐसा नहीं होता उनके लिये अन्तिम रूप से कोई फैसला या वायदा करना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त कमेटी के कुछ सदस्यों का विचार है कि इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ और ऐसे मामले और सवाल हैं, जिनके बारे में अभी और अधिक सोच-विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा वह राजनैतिक निर्णय भी सन्निकट है जिसके अनुसार यदि आवश्यक हुआ तो हमें अपनी संपूर्ण रिपोर्ट ही नये सिरे से तैयार करनी होगी इसलिये श्रीमान्, मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो इस कमेटी को अपनी एक और रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जाये। इन शब्दों के साथ मैं केवल कमेटी की रिपोर्ट सभा के सन्मुख उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्ष:** रिपोर्ट उपस्थित कर दी गई है। मैं समझता हूं कि सभा इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में दो दिन की देरी को क्षमा कर देगी और यदि कमेटी आवश्यक समझे तो उसे एक और रिपोर्ट पेश करने की भी अनुमति देगी।

यह सर्वसम्मति से मान लिया गया।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जब दूसरी रिपोर्ट पेश की जायेगी तो क्या इस रिपोर्ट पर विचार करने की अनुमति दी जायेगी? सभा के सन्मुख इस समय जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसका हमने एक वाक्य तक नहीं पढ़ा है।

***अध्यक्ष:** हम रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को पहले देख लें, और फिर अगले अधिवेशन में हम उस पर बहस कर सकते हैं।

[अध्यक्ष]

कल सुबह हमारी बैठक 8-30 बजे शुरू होकर 12-30 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद वह स्थगित हो जायेगी। जो सदस्य मौलिक अधिकार कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई संशोधन पेश करना चाहते हों उन्हें उसकी सूचना आज शाम 5 बजे तक दे देनी चाहिए। रिपोर्ट पर कल सुबह विचार किया जायेगा। अब सभा कल सुबह 8-30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

इसके बाद असेम्बली मंगलवार 29 अप्रैल, सन् 1947 ई. को सुबह 8 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

परिशिष्ट (क)

भारतीय विधान-परिषद्

रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी के साथ बातचीत करने के लिये नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट।

विधान-परिषद् द्वारा 21 दिसम्बर सन् 1946 ई. को पास किये गए एक प्रस्ताव में यह कहा गया था कि निम्नलिखित सदस्यों, अर्थात्:

(1) माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू

(2) माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद

(3) माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल

(4) डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया

(5) श्री शंकरराव देव

(6) माननीय सर एन. गोपालस्वामी आयंगर

एक कमेटी होगी जो नरेन्द्रमंडल द्वारा बनाई हुई निगोशियेटिंग कमेटी और देशी रियासतों के दूसरे प्रतिनिधियों के साथ इस उद्देश्य से बातचीत करेगी कि वह:

(क) विधान-परिषद् की उन जगहों का वितरण तक करे जो 93 से अधिक नहीं होंगी और जो मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के 16 मई, सन् 1946 ई. के बयान के अनुसार देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं,

(ख) विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका तय करे।

और उसके बाद विधान-परिषद् के सामने बातचीत के नतीजे के बारे में एक रिपोर्ट रखेगी। 21 जनवरी, सन् 1947 ई. को पास किये गए एक और प्रस्ताव द्वारा हमें भूटान और सिक्किम की विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिये ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें हम उपयुक्त समझते हों, विचार विनिमय करने का अधिकार दिया गया और इस कार्य को रिपोर्ट परिषद् के सम्मुख पेश करने को कहा गया। इस रिपोर्ट में समझौते की केवल उसी बातचीत का उल्लेख किया गया है जो हमने 21 दिसम्बर के प्रस्ताव के अनुसार की थी।

(2) रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी के साथ हमारी संयुक्त बैठकों का पहला सिलसिला 8 और 9 फरवरी सन् 1947 से शुरू हुआ। बातचीत का मुख्य विषय यह रहा कि दोनों कमेटियों को किन-किन विषयों के सम्बन्ध में समझौते की बातचीत करनी चाहिए। रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक रियासतों ने विधान-परिषद् में सम्मिलित होने का कोई निर्णय नहीं किया और उनके लिये इस सम्बन्ध में तब तक कोई फैसला करना संभव नहीं है जब तक कि उन्हें उन बहुत से प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक आश्वासन न मिल जाए जो नरेशों के साधारण सम्मेलन (परिशिष्ट-क) द्वारा 29 जनवरी, सन् 1947 को पास किये गए प्रस्ताव में उठाये गए हैं दूसरी ओर हमने यह बताया कि उनमें से अधिकांश प्रश्नों पर केवल पूर्णतः निर्मित विधान-परिषद् द्वारा ही जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे विचार किया जा सकता है; यह स्पष्ट था कि वे किसी भी हालत में हमारी कमेटी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय नहीं थे। और स्वयं हमारा कार्यक्षेत्र भी केवल उन्हीं विषयों तक सीमित था जिनका उल्लेख विधान-परिषद् द्वारा 21 दिसम्बर, सन् 1946 को पास किये गए प्रस्ताव में किया गया था, लेकिन यद्यपि हम कमेटी के रूप में अपने निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र से बाहर जाने को तैयार नहीं थे, फिर भी हमने निजी रूप से नरेशों की कुछ कठिनाइयां और उनकी कुछ मिथ्या धारणाएं दूर करने के लिए उनके साथ मित्रतापूर्ण और अनियमित रूप से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई। इस बातचीत के दौरान में जो मुख्य बातें स्पष्ट रूप से सामने आईं, पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

''पहली चीज जिसे हमें साफ तौर पर समझ लेना चाहिये, यह है कि हमें मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य को पूर्णतः स्वीकार करते हुए अपना काम करना है। उस वक्तव्य के कानूनी पहलू के अलावा यह बात भी साफ जाहिर है कि यह योजना मुख्यतः ऐच्छिक है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा था, घटनाओं की बाध्यता के अतिरिक्त और कोई बाध्यता नहीं प्रतीत होती। निस्संदेह जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने इसे एक ऐच्छिक रूप में स्वीकार किया है, जिसमें जनता व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से या नरेशों अथवा और रूप में शामिल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होना चाहता तो हम उसे इसमें सम्मिलित होने के लिये विवश नहीं कर रहे हैं। यह विषय तो शुरू से लेकर आखिर तक बातचीत करने और समझौता करने का है।

''योजना की स्वीकृति के अलावा जो कि एक आधारभूत चीज है, अब मैं कुछ ऐसे विषयों को लेता हूं, जो कल उठाये गये थे। इनमें से एक विषय

राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के सम्बन्ध में था। यह प्रश्न न तो विधान-परिषद् में उठाया गया है, और जहां तक हमारा विचार है, न उक्त वक्तव्य में ही उसका उल्लेख है। हमारी ओर से विधान-परिषद् में और उसके बाहर भी यह बात बार-बार स्पष्ट कर दी गई है कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमें यह मंजूर है और हम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के कार्य में किसी प्रकार से भी बाधक नहीं बनना चाहते। यह चीज बिल्कुल साफ तौर पर कह दी गई है।

''हमने अपनी कल की बहस के दौरान में एक और सवाल प्रादेशिक सीमाओं के पुनर्विभाजन से सम्बन्ध रखने वाले आशंकाओं के सम्बन्ध में उठाया था। मैंने यह स्पष्ट करने का प्रश्न किया था कि विधान-परिषद् ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे तैयार करने वालों अथवा उसके प्रस्तावकों के मस्तिष्क में रियासतों के सम्बन्ध में किये जाने वाले कोई परिवर्तन नहीं थे। उसका रियासतों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो इस बात का संकेत मात्र था कि विधान में अथवा प्रदेशों या रियासतों इत्यादि के पुनर्संगठन की कार्यप्रणाली में ऐसी अवस्था रहेगी जिसके अन्तर्गत संभवत: कुछ परिवर्तन आवश्यक समझे जायें। उसका सम्बन्ध सीमा सम्बन्धी परिवर्तनों से बिल्कुल नहीं था। मैं आर्थिक कारणों और शासन प्रबन्ध की सुविधाओं इत्यादि की दृष्टि से प्रादेशिक सीमाओं में परिवर्तन करने की बात मानने को तैयार हूं, परन्तु साथ ही हम यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का सीमा सम्बन्धी कोई भी पुनर्विभाजन दोनों सम्बन्धित दलों की राय से ही होना चाहिये और उसे हमें किसी पर जबरदस्ती से नहीं लादना चाहिये। मैं यह बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि फिलहाल हम ऐसी कोई बात नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल उठे तो उसके लिये दोनों सम्बन्धित दलों की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

''जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है यह योजना ऐच्छिक है। विधान-परिषद् में सम्मिलित होने अथवा बाद में जब विधान-परिषद् कोई निर्णय करेगी तो उसे मानने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा।

''जिस प्रकार अन्य किसी को किसी भी अवस्था में अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता रहेगी उसी प्रकार रियासतों को भी अपना दृष्टिकोण उपस्थित करने की पूरी आजादी रहेगी। इसलिये यह कदापि न समझना चाहिये कि किसी पर कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध लादी जायेगी।

''रियासतों के विषयों और अधिकारों के सम्बन्ध में जो थोड़ा-बहुत भ्रम पैदा हो गया है उसके बारे में हम साफ-साफ कह देना चाहते हैं कि हम इस मामले

में भी मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तृता को स्वीकार करते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर और निश्चित रूप से कहा गया है कि ''उन विषयों के अलावा जो यूनियन को दिये गये हैं, शेष सभी विषय और अधिकार रियासतों के पास रहेंगे''। ''यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें यह मंजूर है। हम उसे पूर्णत: स्वीकार करते हैं साधारणत: कल की बातचीत के दौरान में यही विषय उठाए गए थे और संभवत: इसी आधार पर अब हम इन विषयों पर विचार कर सकते हैं।''

''आगे हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विधान-परिषद् यह मानने को तैयार नहीं है कि वह उन रियासतों के साथ बातचीत नहीं करेगी जिनके प्रतिनिधि नरेन्द्र-मंडल की निगोशियेटिंग कमेटी में शामिल नहीं हैं, और न वह यह मानने को तैयार है कि वह रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि उसमें जबरदस्ती की भावना पाई जायेगी और यह बात जैसी कि इस योजना की विधान-परिषद् ने समझा है, उसके प्रतिकूल है।''

(3) उपर्युक्त विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप दोनों कमेटियों में साधारण समझौता हो जाने के बाद रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी ने उन दो विषयों पर विचार-विनिमय करना प्रारंभ किया, जिनके सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये हमें विधान-परिषद् द्वारा आदेश दिया गया था। प्रारंभिक विचार-विनिमय के बाद यह निर्णय किया गया कि रियासतों के लिए सुरक्षित 93 स्थानों के वितरण का प्रश्न परिषद् और नरेन्द्रमंडल के सेक्रेटेरियटों को सौंप दिया जाये और उनकी सिफारिश दोनों कमेटियों की अपनी बैठक में पहली मार्च, सन् 1947 ई. को पेश की जाये।

(4) इस बीच बड़ौदा के दीवान ने विधान-परिषद् में बड़ौदा के प्रतिनिधित्व के बारे में हमसे सीधे बातचीत करने के लिये पूछा था। तदनुसार हमने 9 फरवरी को सर बी.एल. मित्तर से भेंट की। उनके विचार-विनिमय के दौरान में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया कि बड़ौदा रियासत—उसके राजा और जनता—दोनों ने ही विधान-परिषद् के कार्य में पूर्ण सहयोग देने का निर्णय किया है और वे अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए तुरन्त ही कार्रवाई करने को तैयार हैं ताकि वे यथाशीघ्र विधान-परिषद् के कार्य में भाग ले सकें। हमारे और बड़ौदा के दीवान के बीच यह समझौता हुआ कि रियासत की आबादी के अनुसार बड़ौदा रियासत विधान-परिषद् में अपने यहां से तीन प्रतिनिधि भेज सकती है और उनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकाकी हस्तांतरण मत पद्धति से धारासभा द्वारा किया जाना चाहिये और इस निर्वाचन में उनके केवल निर्वाचित और मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य की भाग लें।

(5) दोनों कमेटियों की अगली संयुक्त बैठक पहली मार्च सन् 1947 ई. को हुई। इस बैठक में हमने इस बात पर जोर दिया कि सम्राट की 20 फरवरी की घोषणा को ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम और भी अधिक शीघ्रता और तेजी के साथ करना चाहिये और यदि रियासतों के प्रतिनिधि विधान-परिषद् के अप्रैल के अधिवेशन में शामिल हो सकें तो उससे न केवल रियासतों को बल्कि विधान-परिषद् तथा ब्रिटिश-भारत के प्रतिनिधियों को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। हमने यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि 16 मई के घोषणा-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण इस दिशा में रियासतों के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित होती हो। हमने यह प्रस्ताव भी किया कि रियासतों के प्रतिनिधि तुरन्त ही उन कतिपय कमेटियों में काम कर सकें जो विधान-परिषद् द्वारा स्थापित की गई हैं, विशेष कर यूनियन पावर्स कमेटी और मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में एडवाइजरी कमेटी इत्यादि में तो उससे हम दोनों को ही लाभ पहुंचेगा। परन्तु रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी ने नरेशों की जनरल कांफ्रेंस के किसी आदेश के बिना इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए शीघ्र ही उस संस्था से सलाह-मशविरा करने का वायदा किया।

(6) इसके बाद हमने रियासतों के लिये निर्धारित 93 स्थानों के वितरण की प्रणाली पर विचार-विनिमय किया। कमेटियों ने दोनों सेक्रेटेरियटों (परिशिष्ट ख) द्वारा प्रस्तावित वितरण की स्वीकृति दी और उसमें ऐसे छोटे-मोटे संशोधन करने का भी अधिकार दिया जिन्हें दोनों सम्बन्धित दल आवश्यक समझें।

(7) इसके बाद हमने प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रणाली पर विचार किया। इस उद्देश्य के लिये नियुक्त की गई एक संयुक्त सब-कमेटी में उपस्थित किये गए विदित प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ। अन्त में इस सब-कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दोनों कमेटियों ने यह सुझाव मान लिया कि रियासतों के कुल प्रतिनिधियों में से कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधि रियासतों की धारासभाओं के निर्वाचित सदस्यों अथवा जहां ऐसी धारासभायें न हों, अन्य निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जायेंगे। रियासतें यथासंभव निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी।

उसके बाद से नरेशों की जनरल कांफ्रेंस ने अपनी 2 अप्रैल की बैठक में इस सुझाव का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में कांफ्रेंस द्वारा पास किये गये प्रस्ताव की एक प्रति परिशिष्ट (क) पत्र (3) के साथ जोड़ दी गई है।

हमने यह बताया कि जहां तक हैदराबाद और काश्मीर की रियासतों का सम्बन्ध है, वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले दो महत्त्वपूर्ण संगठनों द्वारा इन रियासतों की धारासभाओं के निर्वाचन का बहिष्कार कर दिया गया है। इसलिये उन धारासभाओं को जनता की प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। इन दोनों रियासतों के बारे में हमने प्रस्ताव किया कि विधान-परिषद् के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये कोई उचित तरीका निकाला जाये। नरेन्द्र मंडल के चांसलर ने कहा कि वे इसी सुझाव को सम्बन्धित रियासतों के पास पहुंचा देंगे।

(8) उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित संशोधनों और समय-समय पर उठने वाले अन्य विस्तृत मामलों पर विचार करने के लिये और यदि आवश्यक समझा जाए तो उनकी रिपोर्ट दोनों निगोशियेटिंग कमेटियों के सामने पेश करने के लिये निम्न सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई: (1) डॉ. पट्टाभि सीतारमैया, (2) सर एन. गोपालस्वामी आयंगर, (3) सर बी.टी. कृष्णामाचार्य, (4) सर सुलतान अहमद, (5) सर बी.एन. राव, (6) मीर मकबूल अहमद, और (7) श्री एच.वी.आर. आयंगर।

हमें सूचित किया गया है कि बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, रीवां, कोचीन और बीकानेर की रियासतों ने पहले ही इस समझौते के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर लिया है। इन प्रतिनिधियों को विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया है। पटियाला, उदयपुर, ग्वालियर और भावनगर की रियासतों ने भी विधान-परिषद् के कार्य में भाग लेने की घोषणा कर दी है।

जवाहरलाल नेहरू

ए.के. आजाद

वल्लभभाई पटेल

एन. गोपालस्वामी

शंकरराव देव

बी. पट्टाभि सीतारमैया

नई दिल्ली :

24 अप्रैल, सन् 1947 ई.

परिशिष्ट (क) से सम्बद्ध पत्र-संख्या (1)

29 जनवरी, सन् 1947 ई. को नरेशों की सभा में स्वीकृत प्रस्ताव

1. यह सभा स्वीकृत योजना के अनुसार भारत के लिये एक स्वीकृत विधान के निर्माण में और उसके प्रस्तावित भारतीय यूनियन स्थापना में यथासंभव पूर्ण सहयोग देने के लिये रियासतों की आकांक्षा को पुन: प्रकट करते हुए घोषणा करती है।

(अ) अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बुनियादी बातों को आधार मानकर रियासतों द्वारा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना स्वीकृत की गई है:

(1) स्वीकृत योजना के अनुसार रियासतें भारतीय यूनियन में केवल समझौते के आधार पर ही शामिल होंगी और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रत्येक रियासत स्वयं करेगी। जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, प्रस्तावित यूनियन में केवल उन रियासतों अथवा रियासतों के समूहों के प्रदेश शामिल होंगे जो उसमें सम्मिलित होने का फैसला करेंगी और यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जायेगी कि इस बीच वे जो वैधानिक विचार-विनिमय करेंगी उसका उनके अन्तिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह निर्णय विधान की पूर्ण रूपरेखा पर विचार करने के बाद ही किया जायेगा।

(2) उन सभी विषयों और अधिकारों को छोड़कर जिन्हें वह स्वयं यूनियन को दे देंगी शेष सभी विषय और अधिकार रियासतों के पास ही रहेंगे। अंतरिम-काल के बाद सर्वोच्च सत्ता सम्भव हो जायेगी और न तो वह नयी भारत सरकार को हस्तान्तर की जायेगी और न वह उसे उत्तराधिकार से प्राप्त होगी। रियासतों द्वारा सर्वोच्च सत्ता को दिये गए सब अधिकार पुन: उनके पास आ जायेंगे। इसलिये, प्रस्तावित भारतीय यूनियन के विषयों के सम्बन्ध में रियासतों के मामले में केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो उसके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं, अथवा जो उसे रियासतों द्वारा दिये गये हैं। प्रत्येक रियासत अपनी सार्वभौम सत्ता और अपने सब अधिकार और शक्तियां उस सीमा के अतिरिक्त जिस सीमा तक वे अधिकार और शक्तियां स्पष्ट और निश्चित रूप से उसके द्वारा यूनियन को दी गई हैं, अपने पास ही रखेगी। जब तक रियासतों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर लिया जाये तब तक उनके सम्बन्ध में यूनियन में किसी अधिकार के निहित होने अथवा स्वाभाविक रूप से उसे कोई अधिकार प्राप्त होने अथवा परिणामत: उसके पास कोई अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) यूनियन अथवा उसके किसी भी प्रवेश द्वारा किसी रियासत के विधान, उसकी प्रादेशिक अखंडता, और रियासतों के रिवाज, कानून और परंपरा के अनुसार उसके राजवंश के उत्तराधिकार के मामले में न तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जायेगा और न किसी रियासत की स्वतंत्र इच्छा और स्वीकृति के बिना उसकी वर्तमान सीमाओं में कोई परिवर्तन किया जायेगा।

(4) जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, विधान-परिषद् को केवल मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना के अनुसार यूनियन के विधान के सम्बन्ध में ही निर्णय करने का अधिकार है और उसे अलग-अलग रियासतों अथवा रियासतों के समूहों के विधानों अथवा आन्तरिक शासन व्यवस्था से सम्बद्ध प्रश्नों के बारे में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

(5) सम्राट की सरकार ने पार्लियामेंट में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि रियासतों की विधान-परिषद् में सम्मिलित होने और न होने का निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त रियासती संधियों और सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 12 मई, सन् 1946 ई. के स्मृति-पत्र में कहा गया है कि—"अन्तरिम काल के उपरान्त एक ओर भारतीय रियासतों और दूसरी ओर ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश भारत के बीच राजनैतिक प्रबन्ध समाप्त हो जायेंगे इस रिक्त स्थान की पूर्ति रियासतों को या तो ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार के साथ संघीय सम्बन्ध स्थापित करके करनी होगी अथवा उसके साथ विशिष्ट राजनैतिक प्रबन्ध करके"।

(ब) नरेन्द्रमंडल की स्थायी समिति द्वारा निर्वाचित और मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 16 मई, 1947 ई. के वक्तव्य के पैरा 27 के अनुसार श्रीमान् वाइसराय की प्रार्थना पर स्थापित की गई रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी ही एकमात्र ऐसी अधिकृत संस्था है जिसे मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना के अंतर्गत रियासतों की ओर से ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रारंभिक विचार-विनिमय करने का अधिकार है, जिनका सम्बन्ध नये भारतीय वैधानिक ढांचे के अंतर्गत उनकी स्थिति में है।

(स) यद्यपि विधान-परिषद् में रियासतों के लिये निर्धारित स्थानों को आपस में वितरण करने के प्रश्न पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में कोई फैसला करने का अधिकार स्वयम् रियासतों को ही है, फिर भी सम्बन्धित रियासतों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व रियासतों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन

की प्रणाली के बारे में रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी और ब्रिटिश भारत के लिये विधान-परिषद् की ऐसी ही कमेटी को एक-दूसरे से परामर्श कर लेना होगा।

2. यह सभा:—

(अ) मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना के प्रति रियासतों के रुख के सम्बन्ध में रियासती मंत्री समिति और वैधानिक सलाहकार समिति के परामर्श से नरेन्द्र-मंडल की स्थायी समिति द्वारा 10 जून सन् 1946 ई. को समाचार-पत्रों के नाम जारी किये गए वक्तव्य का समर्थन करती है, और

(ब) वह रियासती प्रतिनिधि-मंडल द्वारा 2 अप्रैल सन् 1946 ई. को मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के सम्मुख उपस्थित किये गये विचारों से सम्बन्ध रखने वाले उस सरकारी वक्तव्य का भी समर्थन करती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा स्वीकृत योजना के अनुसार भारत के लिये पूर्ण स्वायत्त शासन अथवा स्वाधीनता के लिये देश के जनसाधारण की आकांक्षा को रियासतों की भी आकांक्षा बताया गया है।

3. यह सभा निश्चय करती है कि इस प्रस्ताव के अनुसार और रियासतों की वैधानिक सलाहकार समिति के उन प्रस्ताव और आदेशों के अनुसार जिनका नरेशों की स्थायी समिति और रियासती मंत्रियों की समिति द्वारा समर्थन किया गया है, रियासतों की निगोशिएटिंग कमेटी को विधान-परिषद् की ब्रिटिश भारत की ऐसी ही कमेटी के साथ जिसकी रूपरेखा सम्राट की सरकार द्वारा बताई गई है और जिसके सम्बन्ध में उसने पार्लियामेंट में घोषणा की है—बातचीत करने का अधिकार दिया जाये जिससे कि वह (क) मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य के पैरा 19 (6) के अन्तर्गत विधान-परिषद् के आगामी अधिवेशन में रियासतों के शामिल होने की शर्तों के सम्बन्ध में, और (ख) अखिल भारतीय यूनियन में उनकी अंतिम स्थिति के सम्बन्ध में, समझौता कर सके, किन्तु शर्त यह है कि इस समझौते की स्वीकृति उपर्युक्त रियासती समितियों द्वारा और उसका समर्थन रियासतों द्वारा होना चाहिये।

परिशिष्ट (क) के साथ सम्बद्ध पत्र-संख्या (2)

रियासतों के लिये निर्धारित स्थानों के प्रस्तावित वितरण के सम्बन्ध में

नोट

---

(1) स्थानों के बंटवारे की योजना, जिसका प्रस्ताव इस सूची में किया गया है, विधान-परिषद् और नरेन्द्रमंडल के सेक्रेटेरियटों द्वारा तैयार की गई है और वह सम्बन्धित कमेटियों के विचार-विनिमय का आधार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

(2) ब्रिटिश भारत की भांति प्रत्येक रियासत को साधारण दस लाख की आबादी के पीछे एक स्थान दिया गया है। तीन-चौथाई या उससे अधिक संख्यांश को एक पूर्ण सरकार मान लिया गया है और उससे कम संख्यांश को छोड़ दिया गया है। रियासतों के समूहों के सम्बन्ध में आधे से अधिक संख्यांश को एक पूर्ण संख्या मान लिया गया है और उससे कम संख्यांश को छोड़ दिया गया है।

(3) यदि रियासतें चाहें तो वे अलग-अलग या सामूहिक रूप में अपने निर्धारित स्थानों को किसी अन्य रियासत अथवा समूह के साथ पारस्परिक समझौते द्वारा बांट सकती हैं अथवा एक दूसरे के साथ सम्मिलित कर सकती है, परन्तु शर्त यह होगी कि:

(क) रियासतों और समूहों अथवा समूहों के कुल स्थानों पर उसका कोई प्रभाव न पड़े, और

(ख) भौगोलिक निकटता, आर्थिक और जाति सम्बन्धी प्रश्नों तथा सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्धी समानता पर उचित रूप से ध्यान दिया जाये।

सूची (क)

एकाकी रियासतें

सन्, 1935 ई. के भारतीय कानून की प्रथम सूची के दूसरे भाग से सम्बद्ध स्थानतालिका में जैसा विभाजन किया गया है।	रियासत का नाम	जनसंख्या दस लाख में	विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या
1	2	3	4
1	हैदराबाद	16.33	16
2	मैसूर	7.32	7
3	काश्मीर	4.02	4
4	ग्वालियर	4.00	4
5	बड़ौदा	2.85	3
9	ट्रावनकोर	6.07	6
9	कोचीन	1.42	1
10	उदयपुर	1.92	2
10	जयपुर	3.04	3
10	जोधपुर	2.55	2
10	बीकानेर	1.29	1
10	अलवर	0.82	1
10	कोटा	0.77	1

1	2	3	4
11	इन्दौर	1.51	1
11	भोपाल	0.78	1
11	रीवां	1.82	2
13	कोल्हापुर	1.09	1
14	पटियाला	1.93	2
14	बहावलपुर	1.34	1
16	मयूर भंज	0.99	1
	20	61.86	60

सीमावर्ती समूह (ख)

विभाग	समूह की रियासतों के नाम	जनसंख्या दस लाख में		विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या
1	2	3		4
6	कलात	0.25	0.66	1
	लास बेला	0.07		
	खरन	0.03		
14	खैरपुर	0.31		
7	सिक्किम	0.12	0.76	1
15	कूच बिहार	0.64		

1	2	3	4	
15	त्रिपुरा	0.51		
15	मणिपुर	0.51	1.23	1
17	खासी रियासतें	0.21		
17	अम्ब	0.05		
17	चित्राला	0.10		
17	डीर	0.25	0.64	1
17	स्वात	0.26		
17	फुलेरा	0.01		
			3.32	4

आन्तरिक रियासतों के समूह (ग)

विभाग	समूह की रियासतों के नाम	जनसंख्या दस लाख में	विधान-परिषद् में स्थानों की संख्या
1	2	3	4
8	रामपुर बनारस	0.93	1
9	पडूकोटाई बंगनापले सांदुर	0.49	नीचे दिये गए विभाग 17 के अन्तर्गत अविशिष्ट समूह में सम्मिलित

1	2	3	4
10	भरतपुर		
	टोंक		
	धौलपुर		
	करौली		
(13 रियासतें)	बूंदी		
	सिरोही		
	डूंगरपुर	2.86	3
	बांसवाड़ा		
	प्रतापगढ़		
	झालावार		
	जैसलमेर		
	किशनगढ़		
11	शाहपुरा		
11	दत्तिया		
	ओरछा		
	धार		
	देवास (सीनियर)		
	देवास (जूनियर)		
	जावरा		
(26 रियासतें)	रतलाम		
	पन्ना		

1	2	3	4
12	समथर		
	अजयगढ़		
	बिजावर		
	चरखारी		
	छतरपुर		
	बावनी	3.11	3
	नागौद		
	मैहर		
	बरौंधा		
	बड़वानी		
	अलीराजपुर		
	झाबुआ		
	सैलाना		
	सीतामऊ		
	राजगढ़		
	नरसिंहगढ़		
	खिलचीपुर		
17	कुरवई		
12	कच्छ		
	ईदर		
	नावानगर		

1	2	3	4
	भावनगर		
	जूनागढ़		
	ध्रांगध्रा		
	गोंडल		
	पोरबन्दर		
(16 रियासतें)	मोर्वी	3.65	4
	राधनपुर		
	बांकानेर		
	पालीताना		
	ध्रोल		
	लिम्बडी		
	वधवान		
	राजकोट		
12-ए	जफराबाद		
	राजपीपला		
	पालनपुर		
	कैम्बे		
	धरमपुर		
	बलासीनौर		
	बरिया		
(15 रियासतें)	छोटा उदयपुर	1.69	2

1	2	3	4
	संत		
	लूनावाड़ा		
	वंसडा		
	साचिन		
	जवहार		
	दांता		
13	जंजीरा		
13	सांगली		
	सांवतवाडी		
	मुधौल		
	भोर		
	जामखंडी		
	मीराज (सीनियर)		
	मीराज (जूनियर)		
(14 रियासतें)	कुरुंदवाड (सीनियर)	1.56	2
	कुरुंदवाड (जूनियर)		
पडुकोटाई	अकालकोट		
बगगनापले			
और सांदुर	फल्टन		
	जाथ		
	औंध		
	रामदुर्ग		

1	2	3	4
14	कपूरथला		
	जींद		
	नाभा		
	मंडी		
	बिलासपुर		
	सुकेत		
	टिहरी-गढ़वाल		
(14 रियासतें)	सिरमौर	2.70	3
	चंबा		
	फरीदकोट		
	मलेरकोटला		
	लोहारू		
17	कलसिया		
	बशहर		
16	सोनापुर		
	पटना		
	कलाहंदी		
	कोएनझार		
	धेनकनाल		
	नयागढ़		
	ताचलेर		

1	2	3	4
	नीलगिरी		
	गंगपुर		
(25 रियासतें)	बमरा		
	सरायकेला		
	बौद		
	बोनाई	4.25	4
17	अथगढ़		
	पाललहरा		
	अथमलिक		
	हिंडोल		
	नरसिंगपुर		
	बारंबा		
	तिगिरिया		
	खांडपारा		
	रानपुर		
	दासपल्ला		
	रैराखोल		
	खरसबां		
16-ए	बस्तर		
	सरगूजा		

1	2	3	4
	रायगढ़		
	नन्दगांव		
	खैरागढ़		
	जशपुर		
(14 रियासतें)	कांकेर	28.1	3
	कोरिया		
	शरणगढ़		
17	चंगभाकर		
	छूईखादन		
	कावर्धा		
	सकती		
	उदयपुर		
17	शेष समस्त रियासतें		
	जिनमें विभाग 9 में	4.26	4
	उल्लिखित तीन रियासतें		
	भी शामिल हैं	27.82	29

परिशिष्ट (क) के साथ सम्बद्ध पत्र-संख्या 3

2 अप्रैल, सन् 1947 ई. को बम्बई में नरेशों की सभा में स्वीकृत प्रस्ताव

(1) यह कांफ्रेंस पुनः यह प्रकट करती है कि रियासतें देश की स्वतंत्रता को समर्थन करती हैं और उनकी यह इच्छा है कि वे एक स्वीकृत विधान के निर्माण में यथासंभव पूर्ण सहयोग दें और किसी स्वीकृत आधार पर सत्ता हस्तान्तरण करने के लिये जो भी प्रयत्न किये जायें उनमें पूर्ण सहयोग दें। यह कांफ्रेंस 29 जनवरी, सन् 1947 ई. को नरेशों की जनरल कांफ्रेंस और रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्ताव का भी पुनः समर्थन करती है।

(2) यह कांफ्रेंस विधान-परिषद् में रियासतों के लिये निर्धारित स्थानों के वितरण और रियासतों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली के सम्बन्ध में रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी और विधान-परिषद् द्वारा स्थापित की गई ऐसी ही कमेटी के बीच हुए साधारण समझौते का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त वह आधारभूत विषयों के सम्बन्ध में उनके उस विचार-विनिमय की भी पुष्टि करती है जो 8 और 9 फरवरी तथा 1 और 2 मार्च की उनकी बैठकों में विचार किया गया था, परन्तु शर्त यह है कि विधान-परिषद् द्वारा उनका समझौता स्वीकार कर लिया जाये।

(3) यह रियासतों द्वारा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना का पूर्ण रूप से पालन करने के उनके पिछले निर्णय का पुनः समर्थन करती है, जिसके अन्तर्गत उन रियासतों के प्रतिनिधि जो विधान-परिषद् में शामिल होना चाहते हों उस वक्त विधान-परिषद् में शामिल हो सकते हैं। जब कि मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की योजना के अनुसार यूनियन के विधान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये उसका अधिवेशन बुलाया जाये। लेकिन शर्त यह है कि रियासतों के प्रतिनिधियों के उसमें शामिल होने से पूर्व विधान-परिषद् आधारभूत बातों और अन्य ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख प्रस्ताव संख्या 2 में किया गया है, दोनों निगोशियेटिंग कमेटियों के साधारण समझौते को स्वीकार कर ले।

(4) इस कांफ्रेंस को यह जान कर प्रसन्नता हुई कि श्री एटली के 20 फरवरी, सन् 1947 ई. के वक्तव्य द्वारा मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल की इस घोषणा की पुनः पुष्टि हो जाती है कि अन्तरिम काल की समाप्ति पर सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सभी अधिकार जो रियासतों ने सर्वोच्च सत्ता को

दे दिये थे उन्हें पुनः वापस मिल जायेंगे और स्वतंत्र प्रदेशों के रूप में उन्हें अन्य सम्बन्धित लोगों के साथ अपने भावी सम्बन्धों के बारे में समझौता करने की आजादी होगी।

(5) यह कांफ्रेंस रियासतों के आन्तरिक सुधारों के सम्बन्ध में अपनी पिछली सिफारिशों का पुनः समर्थन करती है, और जहां कहीं अधिक आवश्यक हो, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता और महत्त्व पर पुनः जोर देती है।

(6) श्री एटली के 20 फरवरी, सन् 1947 ई. के वक्तव्य के कारण हमें अपना काम बड़ी तेजी के साथ करना है इसलिये यह कांफ्रेंस चांसलर और नरेन्द्र-मंडल की स्थायी समिति को रियासतों की निगोशियेटिंग कमेटी अथवा किन्हीं दूसरी ऐसी सब-कमेटियों के जरिये जो स्थायी समिति द्वारा नियुक्त की जायें, साधारणतः रियासतों से सम्बन्ध रखने वाले निम्न प्रश्नों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार देती है:—

(क) सम्राट के प्रतिनिधि के साथ सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों और प्रस्तावित सत्ता हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिनका प्रभाव रियासतों पर पड़ता हो-बातचीत करे और (ख) और रियासतों की संधियों और सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के 12 मई, सन् 1946 ई. के स्मृतिपत्र के पैरा 4 के अनुमति उल्लिखित विषयों के बारे में अंतःकालीन सरकार और अधिकृत ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करे, बशर्ते कि (1) यह बातचीत 29 जनवरी, सन् 1947 ई. को नरेशों की जनरल कांफ्रेंस द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के अनुसार हो और रियासतों की वैधानिक सलाहकार समिति के उन आदेशों और प्रस्तावों के अनुसार हो, जिसका समर्थन नरेशों की स्थायी समिति और रियासती मंत्रियों की समिति द्वारा किया गया है। (2) किन्तु शर्त यह है कि इस समझौते की स्वीकृति उपयुक्त रियासती समितियों द्वारा और उसका समर्थन रियासतों द्वारा होना चाहिये।

(7) यह कांफ्रेंस श्रीमान्, चांसलर महोदय से प्रार्थना करती है कि वे सम्राट के प्रतिनिधि से लिखा-पढ़ी करें ताकि सत्ता हस्तान्तरित करने से पूर्व रियासतों से अलग-अलग सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार द्वारा सन्तोषजनक निर्णय शीघ्र ही किया जा सके।

परिशिष्ट (ख)

भारतीय विधान-परिषद्

विधान-परिषद् की यूनियन पावर्स कमेटी की रिपोर्ट

यूनियन के अधिकारों की सीमा जांचने के लिये विधान-परिषद् के 25 जनवरी के प्रस्तावानुसार नियुक्त समिति के हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता परिषद् की सेवा में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करते हैं। सर वी.टी. कृष्णामाचार्य और सर बी.एल. मित्तर 10 अप्रैल, सन् 1947 ई. को समिति के लिये मनोनीत किये गये थे। हम शेष सदस्यों को उक्त सज्जनों के साथ मिलकर, सारी बातों पर पुनः विचार करने का मौका मिला है।

2. हमारे विचार में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के 16 मई के वक्तव्य में रक्षा, वैदेशिक मामले, तथा यातायात इन तीनों विषयों की जो सीमा दी गई है उसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं:

(क) ''रक्षा'' से बोध होता है यूनियन और उसके हर भाग की रक्षा जिसमें आमतौर पर बचाव की सारी तैयारी शामिल है तथा युद्ध के समय किये जाने वाले ऐसे सारे काम, जिनसे सफलतापूर्वक युद्ध-संचालन में और युद्धोपरान्त सेना-विघटन में सहूलियत मिलती हो, शामिल है। खासतौर पर ''रक्षा'' में ये बातें शामिल हैं:

(1) जल-सेना, स्थल-सेना और आकाश-सेना की भर्ती। शिक्षा, निर्वाह और नियंत्रण तथा यूनियन की रक्षा के लिये यूनियन और उसके प्रदेशों के कानूनों को प्रयोग में लाने के लिये उक्त सेनाओं को काम में लाना; देशी रियासतों में संघठित और नियुक्त सशस्त्र सेनाओं की संख्या और उनका संगठन और नियंत्रण।

(2) रक्षा-सम्बन्धी उद्योग-धंधे।

(3) जल-सेना, स्थल-सेना और आकाश-सेना से सम्बन्ध रखने वाले कल-कारखाने।

(4) फौजी छावनी वाले इलाके का स्थानीय स्वशासन, फौजी छावनी वाले इलाकों के अधिकारियों की स्थापना और उनके अधिकार तथा इन इलाकों में वासस्थान सम्बन्धी व्यवस्था और इन इलाकों की सीमाबन्दी।

(5) हथियार, बारूद वाले हथियार, गोलीबारूद और विस्फोटक पदार्थ।

(6) परमाणु शक्ति और ऐसे खनिज पदार्थ जो इसके उत्पादन के लिये आवश्यक हैं।

जिससे कि यूनियन सरकार अपनी रक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सके, हम इस बात की ओर सिफारिश करते हैं कि इसको वैसे ही अधिकार दिये जायें जैसे सन् 1935 ई. के इंडिया एक्ट की धारा 102 और 126 (अ) में है।

(ख) ''वैदेशिक मामले''—इससे उन सभी बातों का बोध होता है जिनसे यूनियन सरकार का किसी भी दूसरे देश से सम्बन्ध पड़ता हो। खासतौर पर इसमें ये बातें शामिल हैं:

(1) कूटनीति, दूतावास और व्यापार सम्बन्धी प्रतिनिधित्व।

(2) संयुक्त राष्ट्रसंघ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघों तथा अन्य संस्थाओं में शामिल होना और उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(4) युद्ध और शान्ति।

(5) दूसरे देशों के साथ सन्धि और समझौता करना तथा उनको कार्यान्वित करना।

(6) दूसरे देशों के साथ व्यवसाय-वाणिज्य।

(7) वैदेशिक ऋण।

(8) विदेशियों का देशीकरण।

(9) अपराधी भगोड़ों का आदान-प्रदान।

(10) पासपोर्ट और विजास् (विदेश यात्रा के लिए और विदेश के यात्रियों को प्रमाण-पत्र)।

(11) वैदेशिक अधिकार सीमा।

(12) सामुद्रिक अधिकार-क्षेत्र।

(13) राष्ट्रों के कानूनों के खिलाफ सामुद्रिक डकैती और सामुद्रिक अपराध तथा आकाश के अपराध।

(14) यूनियन में आने देना तथा यूनियन से बाहर प्रवास और निष्कासन।

(15) संक्रामक रोग के लिये क्वारेन्टिन (इलाज) की व्यवस्था।

(16) यूनियन सरकार द्वारा निर्धारित चुंगी सीमा के बाहर और भीतर से आयात और निर्यात।

(17) यूनियन की जल-सीमा के बाहर समुद्र में मछली पकड़ना, और मछली वाले स्थान।

(ग) ''यातायात' शब्द यद्यपि इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत सभी स्थानों का सम्पर्क आ जाता है पर यूनियन के तत्कालिक प्रयोजन के लिये हमारी राय में इसमें ये शामिल होने चाहिये:

(1) आकाश के मार्ग।

(2) स्थल-मार्ग और जल-मार्ग जिसे यूनियन ने अपना-स्थल और जलमार्ग घोषित कर दिया हो।

(3) जहां तक मशीन से चलने वाले जहाजों का सम्बन्ध है, देश के भीतरी जल-मार्गों में जिसे यूनियन ने अपना मार्ग घोषित कर दिया हो, जहाज चलाना और जहाजी तिजारत करना, ऐसे जल-मार्गों के यातायात सम्बन्धी नियम तथा इन जल-मार्गों से माल और मुसाफिरों को ले जाना।

(4) डाक और तार।

(क) मगर शर्त यह है कि यूनियन की स्थापना के दिन किसी प्रदेश को जो भी अधिकार प्राप्त रहेंगे वे तब तक उसके ही रहेंगे जब तक कि यूनियन और सम्बन्धी प्रदेश के बीच समझौते के जरिये ये परिवर्तित या रद्द न कर दिये जायें। पर नियंत्रण और व्यवस्था के लिये कानून बनाने का अधिकार यूनियन को ही होगा।

(ख) यूनियन के टेलीफोन, वायरलेस, ब्राडकास्टिंग और सम्वाद भेजने के ऐसे साधन, तथा यूनियन के सिवाय अन्य टेलीफोन, वायरलेस, ब्राडकास्टिंग और सम्वाद भेजने के ऐसे अन्य साधनों का नियन्त्रण और उनकी व्यवस्था।

(5) यूनियन की सारी रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से हल्की रेलों के सिवा सभी रेलों की व्यवस्था, अधिक से अधिक और कम से कम महसूल और किराया, स्टेशन और सर्विस टर्मिनल टैक्स और मुसाफिरों का एक रेलवे से दूसरी रेलवे में तबादला तथा माल और मुसाफिरों को स्थानान्तरित करने की दृष्टि से रेलवे के शासन-प्रबन्ध की जिम्मेदारी। सुरक्षा की दृष्टि से हल्की रेलों की व्यवस्था तथा माल मुसाफिरों को स्थानान्तरित करने की दृष्टि से इनके शासन प्रबन्ध की जिम्मेदारी।

(6) समुद्री जहाजरानी जिसमें ज्वारभाटा वाले जल में जहाजरानी भी शामिल है, तथा सामुद्रिक अधिकार क्षेत्र।

(7) बड़े-बड़े बन्दरगाह यानी इन बन्दरगाहों को घोषित करना और उनकी सीमाबन्दी करना, तथा इनके पोर्ट अधिकारियों की स्थापना और उनके अधिकार।

(8) हवाई जहाज और हवाई जहाजों का चलाना, हवाई अड्डों का प्रबन्ध तथा हवाई अड्डों और हवाई यातायात की व्यवस्था और इनका संगठन।

(9) रोशनी के मीनार यानी जल-मार्गों के प्रकाश-स्तम्भ जिसमें रोशनी देने वाले जहाज तथा जहाजों और हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिये प्रकाश संकेत और व्यवस्थायें भी शामिल हैं।

(10) समुद्र और आकाश के मार्ग से माल और मुसाफिरों को ले जाना।

(11) यूनियन की मौसम का हाल बताने वाली संस्थाएं।

(12) संक्रामक रोगों के लिये क्वारेन्टिन (इलाज) का प्रबन्ध।

(घ) मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य में आये हुए इस खंड में कि यूनियन के विषयों के लिये "आवश्यक धन जुटाने के लिये जरूरी अधिकार"—कर और ऋण द्वारा धन जुटाना भी आवश्यक रूप से सम्मिलित है। वर्तमान परिस्थिति में यूनियन की आय के लिये हम इन साधनों की सिफारिश करते हैं।

(1) आयात और निर्यात कर।

(2) आबकारी कर।

(3) कारपोरेशन टैक्स।

(4) कृषिजन्य आय को छोड़ कर अन्य आयों पर कर।

(5) व्यक्ति और कम्पनियों की कृषिजन्य सम्पति के सिवा अन्य जायदादों की पूंजीगत मूल्य पर कर तथा कम्पनियों की पूंजी पर कर।

(6) कृषि-भूमि के सिवा अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर।

(7) कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर।

(8) यूनियन के अधिकार की सूची में दिये हुए विषयों के सम्बन्ध में प्राप्त फीस, पर यूनियन अदालत के अलावा अन्य प्रदेशों की अदालतों की फीस इसमें नहीं शामिल होगी।

हम जानते हैं कि औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में रियासतों की प्रगति एक-सी नहीं है और ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की स्थिति बहुत सी बातों में असमान है। वर्तमान में उपरोक्त कुछ करों की व्यवस्था भारत सरकार तथा रियासतों के आपसी समझौते के अनुसार की जाती है। इसलिये हम समझते हैं कि शायद यह संभव न हो सकेगा कि समूची यूनियन में एकबारगी एक समान टैक्स लगाया जाये। हमारी सिफारिश है कि समूची यूनियन के टैक्सों की एकरूपता यूनियन की स्थापना के बाद एक तयशुदा मुद्दत के लिये, जो 15 वर्षों से ज्यादा की न हो, स्थगित रखी जाये और उपरोक्त करों को लगाने, वसूल करने तथा उन्हें भिन्न-भिन्न

प्रदेशों में विभाजित करने का काम यूनियन सरकार और प्रदेशों के बीच समझौते के अनुसार किया जायेगा। इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिये विधान में अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिये।

मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में निर्मित उपसमिति की अन्तर्देशीय चुंगी, कर-सम्बन्धी सिफारिशों के अलावा ये सिफारिशें ऊपर से हैं।

3. यूनियन के स्पष्ट व्यक्त अधिकारों के अतिरिक्त जो अन्य अन्तर्वर्तीय या परिणामजन्य अधिकार हैं उनकी संख्या स्थिर करना असम्भव है। हमारी समझ में कम से कम ये अधिकार इस श्रेणी में आते हैं—

(1) यूनियन के न्यायालय।

(2) यूनियन के कामों के लिये सम्पत्ति लेना।

(3) अनुसंधान सम्बन्धी काम के लिये पेश या विशेष कलाओं की शिक्षा के लिये अथवा विशेष अध्ययन की समुन्नति के लिये स्थापित यूनियन की एजेंसियां और संस्थायें।

(4) मर्दुमशुमारी।

(5) यूनियन अधिकारों की सूची में जो बातें दी गयी हैं उनके सम्बन्ध में कानून के खिलाफ अपराध।

(6) यूनियन के कामों के लिये अनुसंधान, पैमाइश और आंकड़ों का संकलन।

(7) यूनियन की नौकरियां।

(8) यूनियन कर्मचारियों के कल-कारखानों सम्बन्धी झगड़े।

(9) हिन्दुस्तान का रिजर्व बैंक।

(10) यूनियन की सम्पत्ति और उसकी आय।

(11) यूनियन का सरकारी कर्ज।

(12) यूनियन का सिक्का, सिक्के की ढलाई और कानूनी सिक्का।

(13) यूनियन इलाकों से सम्बन्ध रखने वाले सारे विषय।

(14) यूनियन के किसी भाग में उपस्थित यूनियन पर असर डालने वाली गम्भीर आकस्मिक आर्थिक स्थिति के निराकरण का अधिकार।

4—हमारी राय है कि नये विधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे प्रदेशों के सारे कानून सरकारी हुक्म और अदालती फैसलों के रिकार्ड यूनियन भर में माने जायें और एक प्रदेश का अदालती फैसला दूसरे प्रदेश में भी लागू किया जा सके। हम जानते हैं कि इस आशा की व्यवस्था मौलिक अधिकारों की सूची में की जा चुकी है।

5—उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त जो हमारी समझ में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य के अनुसार यूनियन अधिकारों की सीमा के अन्दर आते हैं, हमें आशा है कि निम्नलिखित विषय भी समझौते के जरिये यूनियन अधिकारों की सूची में शामिल कर लिये जायेंगे:

(1) बीमा।

(2) कम्पनी कानून।

(3) बैंक व्यवसाय।

(4) विनिमय-साध्य कागजात।

(5) पेटेन्ट्स (आविष्कार के उपयोग के एकाधिकार), ट्रेड मार्क्स, ट्रेड डिजाइन और मुद्रणाधिकार (कापी राइट)।

(6) योजनाकरण।

(7) प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक चिह्न।

(8) प्रमाणिक माप-तोल।

इस तरह की व्यवस्था व्यापार और व्यवसाय वाणिज्य के मामलों में यूनियन के सारे प्रदेशों में एकरूपता स्थापित कर देगी जैसा कि वस्तुतः बहुत से संघ विधानों में स्वीकार किया जा चुका है। हमने उपरोक्त सूची में प्लानिंग (योजनाकरण)

को भी शामिल कर लिया है। इसका कारण यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न विषयों के सम्बन्ध में प्रदेशों को अधिकार हो सकता है पर यह स्पष्ट रूप से उनके लिये हितकर होगा कि उनको मदद देने के लिये कोई एकीकरण का साधन हो।

6—हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि आस्ट्रेलियन-विधान कानून की धारा 51 के आर्टिकिल (35) के आधार पर व्यवस्था विधान में रखी जाये।

7—हम इस बात की भी सिफारिश करते हैं कि यूनियन और प्रदेशों के सहगामी विषयों की एक सूची आपसी समझौता से तैयार की जाये।

—जवाहरलाल नेहरू

—गोविन्दबल्लभ पन्त

—बी.एल. मित्तर

—जयरामदास दौलतराम

—एन. गोपालस्वामी आयंगर

—के.एम. मुंशी

—बी.टी. कृष्णामाचारी

—बी. पट्टाभि सीतारमैया

—विश्वनाथ दास

—ए. कृष्णास्वामी अय्यर

नई दिल्ली,
17 अप्रैल, सन् 1947 ई.

अंक 3

संख्या 2

मंगलवार
29 अप्रैल
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और मौलिक अधिकारों की अन्तर्कालीन रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव 1
2. परिशिष्ट 60

भारतीय विधान-परिषद्

मंगलवार, 29 अप्रैल, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक मंगलवार ता. 29 अप्रैल सन् 1947 को प्रात: साढ़े आठ बजे कौंसिल हाउस के कांस्टीट्यूशन हाल में माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल (बम्बई : जनरल): सभापतिजी, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''यह विधान-परिषद् अपने 24 जनवरी, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी के रिपोर्ट की पेशी की मुद्दत को उस तारीख या तारीखों को बढ़ाना मंजूर करती है जो इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष महोदय अपने विचार से निर्धारित करें।''

सभा को मालूम है कि जब यह प्रस्ताव पास हुआ था हमें कहा गया था कि हम मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अपनी अन्तर्कालीन रिपोर्ट क्रमश: छ: हफ्ते और दस हफ्ते के अन्दर, तथा अपनी अंतिम रिपोर्ट अपनी नियुक्ति से तीन महीने के अन्दर पेश कर दें। हमने भरसक यह कोशिश की कि निर्धारित समय के अन्दर अपना काम पूरा कर लें पर खेद है कि यह हमारे लिए सम्भव न हो सका। अपनी पहली बैठक में जो 27 फरवरी, सन् 1947 ई. को हुई थी हमने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि आपसे यह अनुरोध किया जाये कि आप हमारी उक्त रिपोर्ट की पेशी की मुद्दत को बढ़ा दें। हमने आशा कर रखी थी कि सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

हमें इस बात का पूर्ण बोध है कि हमें शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट पेश कर देना आवश्यक है। पर शायद यह सम्भव नहीं है कि निर्धारित समय सूची का कट्टरता से पालन किया जा सके। इसलिए यह हमारा अनुरोध है कि सभा से प्रस्ताव किया जाये कि वह इस अवधि को उस तारीख या तारीखों तक बढ़ा दे जो आप अपने विचार से तय करें।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> 'यह विधान-परिषद् अपने 24 जनवरी सन् 1947 के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी के रिपोर्ट की पेशी की मुद्दत को उस तारीख या तारीखों तक बढ़ाना मंजूर करती है जो इस उद्देश्य के लिए अध्यक्ष अपने विचार से निर्धारित करें।'

(यह प्रस्ताव मंजूर किया गया।)

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ अध्यक्ष जी, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं:

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

"यह विधान-परिषद् अपने 24 जनवरी, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी से मौलिक अधिकारों के विषय पर प्राप्त अन्तर्कालीन रिपोर्ट पर विचार करे।"

श्रीमान्, यह एक प्रारम्भिक या अन्तर्कालीन रिपोर्ट है क्योंकि जब कमेटी मौलिक अधिकारों को निर्धारित करने और उन्हें विधान में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करने बैठी तो पहले यह इस नतीजे पर पहुंची कि मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांट देना चाहिए—पहला हिस्सा न्याय और दूसरा हिस्सा गैर-न्याय, (justiciable and non-justiciable)। जब कमेटी पहले हिस्से पर ही विचार कर रही थी तब भी वह इसी नतीजे पर पहुंची कि हम लोग इस बात का आखिरी फैसला नहीं कर सकते कि कौन से मौलिक अधिकार विधान में सम्मिलित किये जायें, उन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए जो आज वर्तमान है और जो भिन्न-भिन्न कमेटियों की रिपोर्टों पर विचार करते समय और विधान बनाते समय उठ सकती है, यह सम्भव है कि इस तरह की सुझाव देने वाली बातें उठें कि मौलिक अधिकारों में और वृद्धि की जाये या छोटे-छोटे ऐसे परिवर्तन या सुझाव अपनाये जायें जो वांछनीय हो। यह तो सिर्फ रिपोर्ट का एक खाका है। विचारार्थ सभा के सामने मैं यह सुझाव भी रख देना चाहता हूं कि एडवाइजरी कमेटी द्वारा बनाये हुए क्लाजों पर विचार करते समय सभा के लिए जरूरी नहीं है कि वह सुझाये हुये अधिकारों के प्रत्येक क्लाज के शब्दों पर सख्ती से विचार न करे। हो सकता है कि जब आप इन क्लाजों का कानूनी मस्विदा तैयार करने बैठें तो इनमें कुछ परिवर्तन आवश्यक हों, इसलिए यह बेहतर होगा कि इनका मस्विदा बनाने का काम मस्विदा कमेटी पर छोड़ दिया जाये जो इनमें ऐसे परिवर्तन कर लेगी जो इनकी वाक्य रचना के अनुसार आवश्यक हों। जिस बात को आज करने के लिए मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि वह आमतौर पर उन सिद्धान्तों को स्वीकार करे जो उसके विचारार्थ उपस्थित किए हुए क्लाजों से सन्निहित हैं ताकि हमें उस समय ज्यादा वक्त न लगाना पड़े जबकि हम मस्विदे के उन कानूनी ब्यौरों पर विचार करने बैठें जिन्हें हमें अपनाना है; या छोटे-मोटे ऐसे परिवर्तन या सुझाव अपनाये जायें जो वांछनीय हो। यह तो रिपोर्ट का सिर्फ एक खाका है। विचारार्थ सभा के सामने मैं यह सुझाव भी रखना चाहता हूं कि उन क्लाजों पर विचार करते समय जिनकी कि एडवाइजरी कमेटी ने सिफारिश की है यह जरूरी नहीं है कि सुझाये हुए अधिकारों के प्रत्येक क्लाज के शब्दों पर सभा सख्ती से विचार करे। हो सकता है कि जब आप इन क्लाजों का कानूनी ढंग पर आखिरी मस्विदा तैयार करने बैठें तो उनमें कुछ परिवर्तन आवश्यक दिखाई दें, इसलिए यह बेहतर होगा कि इनका मस्विदा बनाने का काम एक मस्विदा कमेटी पर छोड़ दिया जाये जो उनमें ऐसे परिवर्तन कर लेगी जो उनकी वाक्य रचना के अनुसार जरूरी हों। जिस बात को आज करने के लिए मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि वह आम तौर पर उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर ले जो उसके

विचारार्थ उपस्थित किये हुए क्लाजों में सन्निहित हैं, ताकि हमें उस समय ज्यादा समय न लगाना पड़े जबकि हम मस्विदे के उन कानूनी ब्यौरों पर विचार करने बैठें जिन्हें हमें अपनाना है। अभी हमने न्याय अधिकारों पर विचार करने का सुझाव सभा को दिया है। दूसरे अध्याय पर हम स्वयं अभी विचार नहीं कर पाये हैं मौलिक अधिकारों की सब-कमेटी ने अपनी बैठक में इन मामलों पर प्राय: एक पखवाड़े तक विचार किया और अपना काफी समय और श्रम लगाया उसके बाद यह रिपोर्ट अल्पसंख्यकों की सब-कमेटी के पास भेज दी गयी। यह सब कमेटी ने भी अपनी बैठक में इसके भिन्न-भिन्न क्लाजों पर खूब सावधानी से विचार किया और उनमें कुछ परिवर्तन भी किये जो मंजूर किये गये। हमारी बैठक तीन दिनों तक हुई और हमने यह रिपोर्ट पुन: एडवाइजरी कमेटी के सामने विचारार्थ पेश की। एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी दो दिनों तक हुई और उसने अपनी दोनों बैठकों में सारी बातों पर पुन: विचार किया। इस तरह सभा देखती है कि यह महज एक अटकल पच्चू रिपोर्ट नहीं है वरन् इसके सभी पहलुओं पर पूरी तरह से गौर किया है। इस पर सुझाव पेश करना, इसमें कोई परिवर्तन या वृद्धि करना अथवा इस पर संशोधन रखना तो सम्भव है, पर सभा को सम्भवत: उतना समय नहीं मिलेगा जितना कि सब-कमेटी को मिला था मैं विनम्रतापूर्वक सभा से निवेदन करूंगा कि वह सावधानी से इसके भिन्न-भिन्न क्लाजों पर विचार करें और सभा के सामने जब संशोधन रखे जायेंगे तो पूरी तरह उनकी छान-बीन की जायेगी। मैं सुनता हूं कि लगभग 150 संशोधन आने वाले हैं और उनकी जांच-पड़ताल में कुछ समय लगेगा। शायद कार्यालय ने 25 या 30 संशोधनों पर अब तक छान-बीन की है और आज भी बैठक का सारा समय शायद उन्हीं पर विचार करने में लग जायेगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये और अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो हम अधिकारों के प्रत्येक क्लाज (खंड) पर विचार प्रारम्भ कर देंगे।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह पेश हुआ है:

> ''यह विधान-परिषद् अपने 24 जनवरी, सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी से मौलिक अधिकारों के विषय पर प्राप्त अन्तर्कालीन रिपोर्ट पर विचार करे।''

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू** (यू.पी. : जनरल): अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत रिपोर्ट उन मौलिक अधिकारों पर विचार करती है, जो न्याय है, अर्थात् जिनके सम्बन्ध में न्यायालय में निर्णय मांगा जा सकता है, पर अगर आप बारीकी से उस पर गौर करें तो देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र है, जो मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं की जा सकतीं और उसमें कुछ उन मौलिक अधिकारों पर विचार किया गया है जो न्याय नहीं है। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में न आने वाली एक बात का उदाहरण पेश करने के लिए अध्यक्षजी, मैं क्लाज 10 का हवाला दूंगा, जिसमें परस्पर प्रदेशों (इकाइयों) के बीच तथा नागरिकों के बीच व्यापार, व्यवसाय और समागम की पूर्ण स्वतंत्रता रखी गयी है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष जी, एक वैधानिक बात पूछनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आया पं. हृदयनाथ कुंजरू प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं या समर्थन। वह एक क्लाज विशेष पर आपत्ति कर रहे हैं, पर उनके लिए यह समय नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आया वह विचारार्थ पेश प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, या समर्थन?

***अध्यक्ष:** अगर माननीय सदस्य को आप उनका कथन पूरा करने दें तो आपको मालूम हो जायेगा कि वह समर्थन कर रहे हैं, या विरोध!

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** धारा सभाओं में बरते जाने वाले नियमों के अनुसार यही मौका है जबकि सरसरी तौर पर उस पर राय जाहिर की जा सकती है और मुझे उम्मीद है कि सारी रिपोर्ट पर अपनी सरसरी राय जाहिर करने में मैं नियम के भीतर हूं। यह बतलाना मेरे लिए जरूरी नहीं है कि आया मैं रिपोर्ट में हर हिस्से से सहमत हूं या यह कि मेरे विचार से कुल मिला कर रिपोर्ट नामंजूर कर दी जानी चाहिए। इस अवसर पर तो न्यायत: मुझसे यही कहा जा सकता है कि मैं रिपोर्ट पर अपनी राय जाहिर करूं और सभा से कहूं कि रिपोर्ट में आये हुए आवश्यक मसलों पर सावधानी से विचार करें।

अध्यक्ष जी, अपनी पहली बात का खुलासा करने के लिए मैंने रिपोर्ट के क्लाज 10 की ओर संकेत किया है, जिसमें अन्योदिक व्यापार की स्वतंत्रता से सम्बन्ध में विचार किया गया है। हो सकता है कि यह बहुत वांछनीय हो और शायद यहां उपस्थित हर सदस्य यही चाहेगा कि भारतीय संघ के अन्तर्गत सारे प्रदेशों के बीच व्यापार की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु मुझे संदेह है कि इस तरह का क्लाज मौलिक अधिकारों में शामिल किया जा सकता है। क्लाज 10 का सम्बन्ध ऐसी बात से है जो प्रांतीय अधिकारों पर सीधे कुठाराघात करता है। आप इस पर उस समय विचार कर सकते हैं, जब आप यूनियन और प्रांतों के अधिकारों को तय करने बैठें। मेरा तो कहना यह है कि आप ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न को अन्तर्प्रादेशिक व्यापार सम्बन्धी स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की बात कहकर उस कमेटी के हाथ से नहीं ले सकते जो यूनियन और प्रांतों के विधानों पर विचार करेगी।

और फिर अध्यक्ष जी, इस खण्ड के एक शर्तिया फिकरे में कहा गया है कि यह दफा किसी भी प्रदेश (इकाई) को दूसरे प्रदेशों से आये हुये माल पर वैसा ही कर या चुंगी लगाने से न रोकेगी जैसा, कि वे प्रदेश अपने पैदा होने वाले माल पर लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह बात मुझे समझा दी जाये कि अगर भिन्न-भिन्न प्रदेशों के बीच व्यापार-व्यवसाय की पूरी स्वतंत्रता रखनी है तो फिर किसी प्रदेश को यह इजाजत कैसे दी जायेगी कि वह............।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनीः** अध्यक्षजी, एक वैधानिक प्रश्न है। क्या हम सभी इस समय मौलिक अधिकार-सम्बन्धी नियमों पर अपनी-अपनी राय जाहिर कर सकते हैं?

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरूः** श्रीमान्, मिस्टर एन्थॉनी केन्द्रीय सभा के सदस्य हैं और वह इस बात को बखूबी जानते हैं कि किसी बिल पर सरसरी तौर पर राय जाहिर करने में कोई भी सदस्य अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिये कुछ क्लाजों की चर्चा कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि वह खड़े होकर मेरे कथन पर यह कहकर आपत्ति कर रहे हैं कि वे तफ्सील की बातें हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि केन्द्रीय सभा में कई मौकों पर उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, अपनी राय जाहिर की है जैसा मैं यहां अभी कर रहा हूं।

अध्यक्ष जी, इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं जो मैं पेश कर सकता हूं, पर मैं नहीं समझता कि अपनी बात का खुलासा करने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। यह दिखाने के लिए कि प्रस्तुत रिपोर्ट में कहां-कहां पर ऐसी बातें रखी गयी हैं जो मुश्किल से न्याय-अधिकारों में शामिल की जा सकती हैं। मैं दो-एक उदाहरण दूंगा, क्लाज (खंड) 8 में कुछ उन मौलिक अधिकारों पर विचार किया गया है जो बहुत प्रचलित है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र शान्तिपूर्वक कहीं समवेत होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, इन सभी अधिकारों पर कुछ-न-कुछ, पाबंदियां लगा दी गयी हैं जैसा कि हर देश में आवश्यक समझा जाता है। अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि इन पाबन्दियों के कारण ये अधिकार जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, गैर-न्याय (not-justiciable) बन जाते हैं आप भारतीय नागरिकों को साधारण अधिकार प्रदान कर सकते हैं। पर अगर इन पर वे प्रतिबंध लगा दिये जायेंगे जिनका जिक्र किया जा चुका है और मैं मानता हूं कि उन पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने ही होंगे तो फिर व्यावहारिक दृष्टि से ये अधिकार न्याय न रह जायेंगे। इस हालत में ये किसी नीति के पालन के लिए केवल सिद्धान्तमूलक आदेश ही रह जायेंगे इस मौके पर, जबकि श्रीयुत पटेल के कथनानुसार हम केवल उन्हीं अधिकारों पर विचार करेंगे जिनको व्यावहारिक रूप देने के लिए हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं तो उन मामलों पर विचार करने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। श्रीमान्, अपने दृष्टिकोण को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं वाक्यांश 8 के उपवाक्यांश (3) की ओर संकेत करता हूं जिसमें प्रत्येक नागरिक के उस अधिकार पर विचार किया गया है कि वह यूनियन के किसी भी हिस्से में रह, बस सकता है, सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। और किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे को अपना सकता है। इस अधिकार के सम्बन्ध में यह शर्त रख दी गयी है कि—

''कानून के जरिये ऐसे उचित नियंत्रणों की व्यवस्था की जायेगी जो जनता

[माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू]

के हित के तथा लिए अल्पमत-वर्ग और कबायली जातियों की रक्षा के लिए आवश्यक होंगे।

अब अध्यक्ष जी, यह साधारणतः वांछनीय है कि आवागमन की पूरी आजादी होनी चाहिए। पर मैं नहीं समझता कि हम बिना किसी शर्त या प्रतिबंध के इस अधिकार को मंजूर कर सकते हैं कि एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत में जाकर बस सकते हैं। सम्बन्धित प्रांत की हुकूमत को यह अधिकार मिलना चाहिए कि—

('हम सुनाई नहीं देता हूं, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है' की आवाज) श्रीमान्, मैं बिना माइक्रोफोन के सहारे अपनी आवाज सदस्यों तक पहुँचा सकता हूं। मैं वाक्यांश 8 के उपवाक्यांश (3) के सम्बन्ध में अभी बोल रहा था। यह वाक्यांश कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह यूनियन के किसी हिस्से में रह और बस सकता है। मेरा कहना है कि यूनियन में आने-जाने की स्वतंत्रता आवश्यक और वांछनीय है पर यूनियन के किसी हिस्से में रहने या बसने का प्रश्न विवाद से खाली नहीं कहा जा सकता।

*__अध्यक्षः__ ध्वनि-विस्तार-यंत्र काम कर रहा है।

*__माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरूः__ एतदर्थ श्रीमान् को धन्यवाद देता हूं पर मैं समझता हूं कि बिना यंत्र के भी मैं आवाज सदस्यों तक पहुँचा सकता हूं। मैं कह रहा था कि प्रान्तों को अवश्य यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने साधनों के विचार से इस बात का फैसला कर सकें कि उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए। यहां दिये हुए सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रांतीय सरकार से न्यायतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह अन्य प्रान्त के प्रवासियों की किसी असीम संख्या को अपने यहां आने दें। उदाहरणार्थ आप आसाम का ही प्रश्न लीजिए। क्या कोई भी आसाम की सरकार को मजबूर कर सकता है कि वह वर्तमान समय में किसी पड़ोसी प्रान्तों के असंख्य लोगों को अपने प्रान्त में आकर बसने दे? आसाम की सरकार के सामने एक असाधारण कठिन समस्या उपस्थित हो गयी है और वाक्यांश 8 (3) वहां की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में एक अद्‌भुत उपेक्षामूलक मनोवृत्ति का परिचय देता है। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह अधिकार केवल ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है जिनका खुलासा कर देना जरूरी है।

*__डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः__ मैं वक्ता महोदय को बाधा नहीं देना चाहता पर वाक्यांश 8 (3) के सम्बन्ध में विचार करते हुए वह उस वाक्यांश का बिल्कुल गलत स्वरूप सभा के सामने रख रहे हैं।

*__डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः__ बजाय इसके कि अपनी बात का खुलासा करने के लिए उदाहरण दें वह इसके गुण-दोष की बहस में पड़ गये हैं।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** श्रीमान्, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। डॉ. अम्बेडकर की आपत्ति के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आप भी मुझसे सहमत होंगे। समूचे क्लाज को मय उसके शक्तियां फिकरे के पढ़ देता हूं।

***अध्यक्ष:** सदस्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने को उसी बात तक सीमित रखें जिसका वह खुलासा करना चाहते हैं और प्रस्ताव के गुणों पर बहस न करें।

***माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू:** अपनी बात का खुलासा करने के लिए मैंने अब तक केवल दो उदाहरण दिये हैं और तीसरा अब दे रहा हूं। मैं प्रत्येक वाक्यांश पर नहीं विचार कर रहा हूं। डॉ. अम्बेडकर को सन्तुष्ट करने के लिए मैं वाक्यांश 8 (3) को पढ़कर सुना चुका हूं पर मैं इसे पुन: पढ़ देता हूं।

> ''कानून के जरिये ऐसे उचित नियंत्रणों की व्यवस्था की जायेगी जो जनता के हित के लिए तथा अल्पमत, वर्ग और कबायली जातियों की रक्षा के लिए आवश्यक होंगे।''

शायद डॉ. अम्बेडकर का कहना यह है कि इस क्लाज की वाक्य रचना ऐसी है कि इससे कोई भी प्रान्त इस बात का फैसला कर सकता है कि बाहर के आने वालों को वह अपनी सीमा में बसने दे या नहीं। अगर यही बात है तो इन शब्दों पर एक भाष्य की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर अगर यह नियम इतना व्यापक है। जितना कि डॉ. अम्बेडकर कहते हैं तो क्लाज 8(3) में दिये हुये अधिकार न्याय नहीं रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिये मैं काफी कह चुका हूं। इसलिये इस बात पर और अधिक कहने की जरूरत नहीं है पर बैठने के पहले मैं पुन: कह देना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के कई नियमों पर इस समय विचार करने में कोई विशेष लाभ नहीं है। मौलिक अधिकारों की सब-कमेटी को अभी मौलिक अधिकारों पर विचार करना है और मौलिक अधिकारों पर विचार करते समय इन नियमों पर भी विचार किया जा सकता है। परन्तु यदि सभा इस रिपोर्ट पर विचार करना चाहती है तो इसे इस बात की विशेष सावधानी रखनी होगी कि जो अधिकार इसमें आये हैं वे वस्तुत: न्याय हैं।

***श्री प्रमथ रंजन ठाकुर:** अध्यक्ष महोदय, यह तो केवल न्याय मौलिक अधिकारों की सूची है। मैं नहीं समझता कि अर्थ सम्बन्धी मौलिक अधिकार न्याय अधिकारों में क्यों न शामिल किये जायें। किसी देश का विधान बनाते समय आर्थिक अधिकारों पर गौर करना जरूरी है और उनको न्याय करार देना भी जरूरी है मैं नहीं समझता कि खानों तथा जरूरी और बुनियादी उद्योग-धंधों का राष्ट्रीयकरण क्यों न किया जाये। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की इस सूची पर तो अल्पसंख्यक उपसमिति की रिपोर्ट की रोशनी में ही विचार करना चाहिये था।

[श्री प्रमथ रंजन ठाकुर]

अल्पसंख्यकों की उप-समिति केवल दो ही दिन बैठी और वह उन संरक्षणों के तफसील में न जा सकी जो अल्प सम्प्रदायों के लिये जरूरी है। आप जानते हैं कि इस उप-समिति की रिपोर्ट का मौलिक अधिकार सूची से गहरा सम्बन्ध है।

दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह है क्लाज 6 में उल्लिखित अस्पृश्यता के सम्बन्ध में; उक्त क्लाज में कहा गया है:

> ''अस्पृश्यता चाहे किसी भी रूप में हो समाप्त की जाती है इसके बिना पर किसी भी असमर्थनता को लागू करना अपराध समझा जायेगा।''

मैं नहीं समझता कि बिना वर्ण व्यवस्था को उठाये आप अस्पृश्यता को कैसे उठा सकते हैं? अस्पृश्यता और कुछ नहीं है यह तो वर्ण व्यवस्था रूपी रोग का लक्षण है। वर्ण व्यवस्था के कारण ही इसका आज अस्तित्व है। मैं नहीं समझता कि इसके वर्तमान स्वरूप में इसे मौलिक अधिकारों की सूची में कैसे रहने दिया जा सकता है। जब तक कि वर्ण व्यवस्था को हम बिल्कुल खत्म नहीं कर देते, अस्पृश्यता की समस्या का समाधान ढूंढना एक व्यर्थ और बेतुकी बात है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे विश्वास है कि सभा मेरे सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

***अध्यक्ष:** तो मैं यह समझ लेता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहते।

***श्री प्रमथ रंजन ठाकुर:** मैं अपना संशोधन नहीं पेश करूंगा।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मैं पंडित कुंजरू के कथन से सहमत हूं क्योंकि यह बहुत ही कठिन है कि उसके लिए कोई सूक्ष्म भेद स्थित किया जा सके कि न्याय-अधिकार क्या है और गैर-न्याय क्या है? उदाहरणार्थ, जब हम यह नियम बनाते हैं कि लोगों को काम करने का हक होगा यानी बेकारी मुल्क में न रहने दी जायेगी तो यह है सामाजिक अधिकार। अगर इसे आप मौलिक अधिकारों का आवश्यक अंग नियत कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि यह न्याय ही होगा। उसी तरह भूमि के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रश्न को लीजिये। अगर आप कहते हैं कि भूमि जनता की सम्पत्ति और किसी की नहीं तो निस्सन्देह यह एक सामाजिक और मौलिक अधिकार है। परन्तु तथापि अगर इसे व्यावहारिक रूप देना है तो यह न्याय अधिकार भी है। इसलिये न्याय अधिकारों और सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के बीच कोई सूक्ष्म भेद निर्धारित करना स्वेच्छाचारिता होगी। अत: अगर सारी रिपोर्ट आ जाये तो उस पर विचार करने में हमें ज्यादा सहूलियत होगी क्योंकि उस हालत में हमें मालूम रहेगा कि उसमें क्या है? अन्यथा इस बात की आशंका है कि जब हम किसी भी बात को आवश्यक समझ कर उसे रखेंगे तो हमें यह कहा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार अभी नहीं, बाद में आयेंगे। इसलिये मैं पंडित कुंजरू के इस कथन का समर्थन करता हूं कि सभी बातों पर साथ

विचार किया जाये। मुझे इस जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं दिखाई देती कि इन कतिपय मौलिक अधिकारों को अभी मंजूर कर लिया जाये। कमेटी द्वारा पेश की हुई उस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कमेटी द्वारा इस रिपोर्ट के पेश किये जाने के पहले परिषद् के कांग्रेसी गिरोह की ओर से मुझे एक सरकुलर मिला था जिसमें कई अधिकारों को गिनाया गया था। उनमें बहुत सी अच्छी बातें थीं। बाद में जब हमें रिपोर्ट मिली तो हम देखते हैं कि इसमें से कई अच्छी-अच्छी बातें निकाल दी गयी हैं जो सरकुलर में थीं। मैं इस बात को और कड़ाई से पेश करना चाहता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि प्रस्तुत रिपोर्ट मानों कि पुलिस के दृष्टिकोण से तैयार की गयी है और उसी तरह की बहुत सी व्यवस्थायें इसमें रखी गयी हैं। यह क्यों? आप देखेंगे कि कम से कम अधिकार दिये गये हैं और वह भी बड़ी अनिच्छा के साथ और फिर ऊपर से इन तथाकथित अधिकारों के साथ-साथ पाबन्दियां लगा दी गई हैं। करीब-करीब सभी अधिकारों के साथ पाबन्दियां लगायी गयी हैं जिनसे ये अधिकार बेजान हो जाते हैं। क्योंकि सभी जगह यह कहा गया है कि गम्भीर परिस्थिति में अधिकार आकस्मिक संकट की स्थिति में ये अधिकार वापस ले लिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, गम्भीर संकट की स्थिति क्यों हो सकती है, इसे परमात्मा ही जाने। गम्भीर संकट क्या है, इसका फैसला तो तत्कालीन सरकार के शासनप्रबन्ध पर निर्भर करता है। अत: स्वाभाविक है कि अधिकारारूढ़ दल या यों कहिए कि शासन-प्रबन्ध जिस बात को न चाहता होगा वही आकस्मिक संकट समझा जायेगा और इस तरह ये यत्किंचित मौलिक अधिकार दिये गये हैं वे सभी दबा दिये जायेंगे। अत: हमारे लिए यह आवश्यक है कि समूची रिपोर्ट पर एक साथ विचार करें और यह देखें कि जनता को क्या मिल रहा है। बतौर उदाहरण के मैं दो एक बातों का उल्लेख कर देना चाहता हूं। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में हमारी धारणा क्या होनी चाहिए? दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर हमें कुछ जानकारी है। पर इसके अलावा अपने अनुभवों के आधार पर हमें कुछ जानकारी प्राप्त है। हम जानते हैं कि विदेशी स्वेच्छाचारी सरकार ने अतीत में हमें कतिपय अधिकारों से वंचित रखा था। हमने इन कठिनाइयों का सामना किया है। हम सभी अधिकारों को जिन्हें जनता चाहती है अधिकार सूची में शामिल करना चाहते हैं। एक अत्यन्त आवश्यक बात जिससे हमारे देशवासी कष्ट पाते आ रहे हैं वह है जमानत और अन्य तरीकों से प्रेस सम्बन्धी अधिकार का कम किया जाना। समाचार पत्रों को बिल्कुल कुचल दिया गया है। सभी देशभक्त भारतीय यहां तक कि कांग्रेसजन भी इसके जबर्दस्त खिलाफ हैं और इसलिए प्रत्येक भारतीय अपने दिल में यही चाहता है ताकि जनता स्वतंत्रता को महसूस करे और तदनुसार काम करे पर हम देखते क्या हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रेस सम्बन्धी स्वतंत्रता का इस तरह अपहरण न किया जाये। उपसमिति द्वारा पेश की हुई मौलिक अधिकारों की समूची सूची में हम प्रेस सम्बन्धी स्वतन्त्रता का कहीं उल्लेख भी नहीं पाते हैं। हां, एक स्थल पर केवल इतना कहा गया है कि विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी। श्रीमान्, यह चीज है हमारे अनुभवों के खिलाफ और इसकी रक्षा होनी चाहिए।

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

इसी तरह एक और चीज है जिसे हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। वह यह है कि ऐसी हुकूमत जो जनता की राय पर नहीं निर्भर करती और निरंकुशता-पूर्वक केवल बल प्रयोग से शासन चलाती है वह बिना मुकदमा चलाये बिना न्याय करे ही लोगों को जेलों में बन्द रखती है। इस चीज के खिलाफ भारतीयों में एक तीव्र विरोध भावना रही है और उसके खिलाफ हम कांग्रेस तथा अन्य मंचों से घोर आन्दोलन करते आये हैं। परन्तु इस समिति द्वारा तय किये हुये मौलिक अधिकारों में हम इस अधिकार को नहीं पाते हैं। यही कारण है कि मैं यह कहने पर मजबूर हुआ हूं कि ये मौलिक अधिकार एक पुलिस की दृष्टिकोण से तय किये गये हैं न कि एक स्वतंत्र और संग्रामरत राष्ट्र के दृष्टिकोण से! रिपोर्ट में जो भी अधिकार दिये हैं वे एक-न-एक शर्त लगा कर छीन लिये गये हैं। क्या सरदार पटेल उससे भी अधिक चाहते हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत एक विदेशी निरंकुश और जन विरोधी हुकूमत अपनी रक्षा के लिये चाहती है? निश्चय ही ऐसी बात नहीं है। सरदार पटेल को जनता के सभी वर्गों का प्रबल समर्थन प्राप्त है और इसलिये उन अधिकारों से कहीं कम अधिकार पाकर ही जो निरंकुश हुकूमत चाहती है वह देश पर शासन कर सकते हैं। परन्तु यहां हम यह देखते हैं कि शासन प्रबन्ध (Executive) का कोई भी वर्तमान अधिकार कम नहीं किया गया है बल्कि उल्टे कई अंशों में वे और बढ़ा दिये गये हैं। और अगर कुछ आये हुये संशोधन पास कर दिये जायें और खास करके अगर श्री राजगोपालाचार्य का संशोधन पास किया तो कई बातों में हालत आज से भी बदतर हो जायेगी। मैं एक उदाहरण रखता हूं। यहां सरदार पटेल के अनुसार राजद्रोहात्मक भाषण एक दंडनीय अपराध है। अगर भविष्य में कभी मैं यह कहूं अथवा समाजवादी पार्टी कहे कि अधिकारारूढ़ सरकार धृणित या निन्दनीय है तो सरदार पटेल यदि उस समय वह अधिकार में हों तो समाजवादी दल के लोगों को और मुझे भी जेल डाल देंगे यद्यपि जहां तक मैं जानता हूं इंग्लैंड में भी कोई भी भाषण चाहे वह कितना ही राजद्रोहात्मक क्यों न हो अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसके सिलसिले में कोई खुली कार्रवाई न की जाये। स्वतन्त्र देश के मौलिक अधिकारों का यही आधारभूत सिद्धान्त है पर यहां एक राजद्रोहात्मक वक्तृता भी अपराध समझी जायेगी। श्री राजगोपालाचार्य तो और आगे बढ़ना चाहते हैं। सरदार पटेल तो हमें दंड देंगे भाषण के देने पर, पर राजा जी तो भाषण देने के पहले ही हमें दंडित करना चाहते हैं। वह भाषण ही रोक देना चाहते हैं अगर अपनी प्रखर बुद्धि से आपने यह समझा कि वक्ता राजद्रोहपूर्ण भाषण देने जा रहा है तो वह उसे बोलने ही न देंगे।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** अध्यक्ष महोदय, हम संशोधनों की कल्पना उनके पेश होने से पहले ही नहीं कर सकते।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** और संशोधनों पर मैं विचार न करूंगा। अस्तु, इस

तरह हम देखते हैं कि इस विधान-परिषद् के कांग्रेसी गिरोह की ओर से प्रचारित सरकुलर के अनुसार साधारणतः कांग्रेस जनों में यही भावना है कि मौलिक और नागरिक अधिकार बढ़ाये जायें। उन अधिकारों के जरिये देश एक स्वतन्त्र तरीके पर काम कर सकेगा और राजनैतिक विरोध विकास पा सकेगा। आखिर मध्यम वर्ग वालों के राष्ट्रीय प्रजातन्त्र में इन अधिकारों की जिनको पाने का आप प्रयास कर रहे है क्या जरूरत है? इसका एक मौलिक उद्देश्य यह है कि विपक्षी दल को इस बात की पूरी आजादी मिले कि वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके अपने निष्कर्ष निकाल सके और जो कुछ कहना चाहे वह कह सके। अगर मैं विपक्षी दल का हूं या दूसरा कोई विपक्षी दल का है तो निश्चय ही यह कहना उसका काम है कि वर्तमान सरकार निंद्य है अन्यथा वह विपक्षी नहीं है। मेरा ऐसा कहने का अधिकार क्यों कम किया जायेगा और फिर ऐसी स्थिति में हम ऐसा क्यों समझेंगे कि राजनैतिक विरोध का स्तर समुन्नत होगा और गणतन्त्र विकास पायेगा। ऐसा नहीं हो सकता। इस हालत में गणतन्त्र को अधिकारारूढ़ दल या शासन प्रबन्ध की मर्जी और दया पर निर्भर करना पड़ेगा। गणतन्त्र का यह आधार नहीं है।

श्रीमान्, मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि वह संशोधनों पर उदारता से विचार करे और यथाशक्ति उन्हें अपनाने की चेष्टा करे ताकि हम वस्तुतः अच्छे गणतन्त्रीय मौलिक अधिकारों को पा सकें जिनसे हमारी जनता को स्वतन्त्रा की सच्ची अनुभूति प्राप्त हो सके और देश शक्तिशाली होता जाये। अन्यथा यदि हम मौलिक अधिकारों को निर्धारित कर दें और फिर उनको व्यर्थ बनाने के लिये हर क्लाज पर एक शर्त रख दें तो इससे लोकतन्त्रीय संसार की दृष्टि में हम स्वयं हास्यास्पद बन जायेंगे।

***श्री एस.के. सिधवा** (कराची): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं मिस्टर लाहिरी की वक्तृता के सम्बन्ध में विचार करूंगा। यह कह कर कि समिति ने कई मामलों में आर्थिक और मौलिक अधिकारों की बिल्कुल उपेक्षा की है, उन्होंने सभा को गलत-फहमी में डाल दिया है। अपना प्रस्ताव पेश करते हुये सरदार पटेल ने उस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यह रिपोर्ट केवल एक प्रारम्भिक या अन्तर्कालीन रिपोर्ट है। आर्थिक और राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव बाद में पेश किया जावेगा। श्रीयुत लाहिरी को मालूम होना चाहिये कि हम सब इस सम्बन्ध में असावधान नहीं है। नागरिकों के आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में हम उससे भी ज्यादा उत्सुक है, जितना कि वह समझते हैं; इसलिए यह कहना कि अधिकार इसी रिपोर्ट में पेश किये जाने चाहिए थे और ऐसा न करके हम दुनिया की निगाह में अपने आपको हास्यास्पद बना देंगे, सभा से अन्याय होगा।

अब मैं डॉ. कुंजरू के वक्तव्य पर आता हूं। उनको यह कहते सुन कर कि रिपोर्ट के कुल क्लाज मौलिक या न्याय अधिकारों में नहीं आते हैं, मुझे सचमुच बड़ा अफसोस हुआ। जिसने भी दूसरे देशों के भिन्न-भिन्न विधानों का अध्ययन किया है उसे मालूम होगा कि उनमें जनता के आर्थिक, व्यावसायिक और व्यापारिक

[श्री एस.के. सिधवा]

अधिकारों पर अध्याय के अध्याय रंग डाले गये हैं। डॉ. कुंजरू का यह कहना कि ये मौलिक या न्याय अधिकार नहीं हैं, सभा के प्रति अन्याय है। यह दिखाने के लिए कि व्यापारिक, व्यवसायिक और आर्थिक अधिकार मौलिक तथा न्याय अधिकार हैं, मैं कुछ विधानों के चंद पैराग्राफ पढ़कर सुनाये देता हूं। जर्मनी के आर्टिकल 139 का दूसरा हिस्सा कहता है:

> ''हर यूनियन की सम्पत्ति की ओर अन्य अधिकारों की जिनका सम्बन्ध किसी ऐसी सम्पत्ति से हो जो सार्वजनिक कामों के लिए या सामाजिक अथवा व्यापारिक कामों के लिए लगा दी गयी हो, सुरक्षा का वचन दिया जाता है।''

फिर आर्टिकल 151 में कहा गया है—

> ''रीख के कानूनों के मुताबिक व्यापार और व्यवसाय सम्बन्धी स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है।''

> ''तारीख वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टि में रखकर तथा समाज के आर्थिक हित के लिए कानून बनाकर आर्थिक संगठनों और संस्थाओं को बाध्य कर सकती है कि वे स्वशासन के सिद्धांत पर परस्पर मिलकर एक संयुक्त संगठन बनायें जिससे कि राष्ट्र के उत्पादनमूलक सारे साधनों का एक होकर काम करना निश्चित हो जाये और उसके प्रबन्ध में मजदूरों और कारखानेदारों को शामिल किया जा सके तथा उपज, कल कारखानों का तैयार माल वितरण, खपत, कीमत, आयात और निर्यात इत्यादि प्रश्न समाज के आर्थिक हितों को दृष्टि में रखकर तय किये जा सके।''

इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका का ही विधान लीजिये, उसकी धारा 136 कहती है:

> ''यूनियन के अन्दर 'स्वतंत्र व्यापार' का सिद्धांत बरता जायेगा और यूनियन के स्थापित होने के पहले नवीन उपनिवेशों में आयात निर्यात तथा आबकारी के जो कर थे वे वैसे ही बने रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कानून बनाकर दूसरी व्यवस्था न कर दे।''

क्लाज 10 और 8 में जिनका जिक्र डॉ. कुंजरू ने किया है, प्रदेशों और यूनियन के अंदर होने वाले व्यापारों की चर्चा है और मैं नहीं समझता कि ऐसा क्लाज क्यों न रखा जाये जो भिन्न-भिन्न प्रदेशों के बीच तथा यूनियन और प्रदेशों के बीच होने वाली तिजारत का बचाव कर सके। क्लाज 8 (3) कहता है:

> ''यूनियन के किसी भी हिस्से में रहने, बसने, सम्पत्ति लेने तथा कोई पेशा, व्यापार और काम करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है।''

यह न्याय और मौलिक अधिकार समझा जाता है। मगर रहने या बसने का अधिकार और क्या हो सकता है; इस हालत में मैं यह समझता हूं कि डॉ. कुंजरू

की आपत्ति लचर और अमान्य है। मैं श्री लाहिरी के इस कथन से बहुत अंशों में सहमत हूं कि यह रिपोर्ट पूर्ण नहीं है और हमें व्यापक पैमाने पर व्यक्तिगत और राजनैतिक अधिकार देने चाहिए। यह बात नहीं है कि हमने उस हिस्से की उपेक्षा की है। एजेंडा में कई संशोधन हैं। कुछ तो स्वयं मैंने पेश किये हैं और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ पेश किये हैं। सभा उन सभी पर विचार करेगी। मैं यह भी कह दूं कि कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया है कि पत्र-व्यवहार के गोपनीयता की गारंटी होनी चाहिए, और पत्रों तथा टेलीफोनों पर कोई रुकावट न डालनी चाहिए। परन्तु प्रधान समिति ने इस सुझाव को निकाल दिया है। इसलिए यह कहना अन्याय है कि मौलिक अधिकार समिति ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। हमने इस आशय के संशोधन रखे हैं और उन संशोधनों पर विचार करना सभा का काम है। श्री लाहिरी को ऐसा न कहना चाहिए था। उन्हें अपने को उपस्थित संशोधनों तक ही सीमित रखना चाहिए था। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा यही मन्तव्य है कि ये मौलिक अधिकार न्याय हैं। मैं समझता हूं कि डॉ. कुंजरू की आपत्ति में औचित्य नहीं है और श्री लाहिरी ने प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बचाने के लिए संशोधन रखने की फिक्र में यह अनावश्यक बात कह डाली कि इससे दुनिया की निगाह में हम अपने को उपहासास्पद बना देंगे। वस्तुतः उनका यह कथन अत्यधिक है।

***प्रो. एन.जी. रंगा:** मैं इस कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि इसने ऐसी बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर उसे सभा के सामने उपस्थित किया है। मेरी समझ में सभा के किसी सदस्य के लिए यह योग्य बात नहीं है कि वह ऐसी तर्कसंगत समिति की रिपोर्ट को एक बनावटी दस्तावेज कहे। पर वक्ता के राजनैतिक इतिहास एवं उनकी पार्टी के पूर्व वृतांत्त को देखते हुए हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि यह अयोग्य बात हमारे ही एक सदस्य के मुखारविंद से निकली है।

***अध्यक्ष:** कृपया कोई व्यक्तिगत आक्षेप न कीजिये।

***प्रो. एन.जी. रंगा:** इस सम्बन्ध में मैं काफी कह चुका हूं। हमसे यह कहा गया है कि यह रिपोर्ट एक पुलिस के दृष्टिकोण से बनाई गई है। मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिसमैन की चर्चा की गुंजाइश कहां है, सिवा इसके कि हमने अपने मौलिक अधिकारों को अमली रूप देने में उसे दूर रखने की कोशिश की है। सही-सही यही तो हमारा प्रधान लक्ष्य है, जिसको मद्देनजर रखकर मौलिक अधिकार सम्बन्धी यह घोषणा-पत्र तैयार किया गया है। इस देश में हमें पुलिसमैनों का ऐसा कटु अनुभव है कि इस दस्तावेज के बनाने वाले को ये क्लाज इस तरह से रखने पड़े हैं कि पुलिसमैन का कम से कम हस्तक्षेप संभव हो सके। यदि रिपोर्ट में ऐसी व्यवस्थायें हैं तो वह इस अभिप्राय से रखी गयी हैं कि वे लोग जो एक तरफ तो उदारवादिता में विश्वास रखते हैं और दूसरी ओर समष्टिवाद में (Communism) इन अधिकारों से लाभ उठाने और सर्वसत्ताग्राही (totalitarianism)

[प्रो. एन.जी. रंगा]

राज्य के लिए पथ प्रशस्त करने में समर्थ न हो सकें। गत दोनों महायुद्धों के अन्तरवर्ती काल में यूरोप के कई राज्यों में ऐसा हुआ, उन्होंने मौलिक अधिकारों से इतना लाभ उठाया कि सत्ता हस्तगत करके एक तरफ नाजीवाद और दूसरी तरफ समष्टिवाद का पथ प्रशस्त किया। ऐसे खतरे से हम अपने को बचाना चाहते हैं। ऐसे-ऐसे अनुभव के उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं और परिषद् जैसी किसी भी जिम्मेदार सभा का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि इस देश की गणतन्त्रीय लोक सभा संगठित या असंगठित दुष्टों के प्रयासों को हमारे लोकतंत्रीय राज्य को नष्ट कर इस देश में सर्वसत्ताग्राही राज्य स्थापित करने के प्रयासों को विफल कर सके।

यहां इस बात की चर्चा की गयी है कि इस रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं जिक्र नहीं आया है। परंतु अगर वे जरा सावधानी से देखते तो उन्हें मालूम हो जाता कि पहले क्लाज में ही इस स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी है। क्लाज 8 (ए) कहता है:

> ''भाषण की और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हर नागरिक को प्राप्त है।'' यहां विचार व्यक्त करने में प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है।

अब दूसरी बात की ओर आइये। हमसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में विपक्षी दल को काम करने का अधिकार कहां दिया गया है? एक और छोटी सी बात की ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए मुझे इतना ही कहना है कि खुद कांग्रेस एक ऐसा लोकतंत्रीय संगठन है, जहां यह संभव होता है कि राजाजी जैसे लोग एक आशय का संशोधन पेश करते हैं और हमारे जैसे लोग एक बिल्कुल भिन्न आशय का संशोधन पेश करते हैं। फिर भी हम उन संशोधनों को ग्रहण कर हम उन पर विचार करते हैं और उन पर ऐसा फैसला करते हैं जो प्रजातंत्र मूलक होता है और जिसे सभी दल मंजूर कर लेते हैं। हमें तो यह संभव बनाना है कि भिन्न-भिन्न दल इस देश में काम कर सकें। इस बात पर तो हम सभी एक राय हैं। यह बात हमारे लिए बाहर से आया हुआ कोई नया विचार नहीं है। सभा को और सम्बन्धित सदस्य को मैं जिस बात की याद दिलाना चाहता हूं वह यह है कि उस देश में, जिसे हम सब आदर्श स्वरूप समझते हैं, विपक्षी दल को काम करने की गुंजाइश कहां? क्या वहां विपक्षी दल के लिए कोई गुंजाइश है भी? वस्तुत: सोवियत रूस में लोगों को यह आजादी नहीं है कि वे अपना स्वतंत्र मजदूर-संघ संगठित कर सकें। हमें इस देश में यह अधिकार पहले ही से प्राप्त है और इस महान् पत्र में हम इन अधिकारों को संक्षेप में सन्निहित कर रहे हैं। आप प्रत्येक दृष्टिकोण से इस पर विचार कीजिये और आप देखेंगे कि इस दस्तावेज में इस देश में सर्वसाधारण को उससे भी ज्यादा प्रजातंत्रीय उदार, व्यापक और मौलिक अधिकारों को देने की बात कही गयी है, जो किसी भी देश में यहां तक कि सोवियत रूस में भी सर्वसाधारण को प्राप्त नहीं है।

मेरे माननीय मित्र डॉ. कुंजरू ने एक और बात कही है और वह यह है कि इन अधिकारों में से बहुतेरे न्याय नहीं हैं। मैं कानूनदां नहीं हूं और इसलिए

इस प्रश्न के कानूनी पहलू पर मैं नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि क्लाज 22-1 और 22-2 पर मुझे परम संतोष है। इन क्लाजों में साधारण नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि मैं इस भाग में, जिन मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गयी है उनमें से किसी भी अधिकार को अमली रूप दिलाने के लिए वह नियमानुसार सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त कर सकता है। यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण विशेष अधिकार है जो हमारे नागरिकों को दिया जा रहा है। एकमात्र और विशेषाधिकार, जो मैं नागरिकों को दिलाना चाहता था, वह यह है, जैसा मैं पहले एक मौके पर कह चुका हूं, कि उन नागरिकों को जो इतने गरीब हैं कि सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त नहीं कर सकते, उचित संरक्षण के साथ राज्य के खर्चे से दरख्वास्त दिलाने का हक मिलना चाहिए। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी डॉ. कुंजरू ने यह फरमाया है कि इन मौलिक अधिकारों का असली मतलब ही खत्म हुआ जा रहा है और मिस्टर लाहिरी भी उनसे सहमत हैं, दरअसल यह बड़ी ही मजेदार बात है कि उदारवादिता और समाष्टिवादिता इस तरह मिलकर एक हो गए हैं। हमें इस बात का अनुभव है कि जन सुरक्षा आर्डिनेंस (Public Safety Ordinance) इस देश में किस तरह अमल में लाया गया था। हम जानते हैं कि ये आर्डिनेंस बड़े ही मनमाने थे और इनके जरिये शासन प्रबन्ध (Executive) को असीम मनमाने और भयानक अधिकार दिये गए थे। क्या अब हमको उसी तरह यह कहा जायेगा कि हमें इन नियमों को रखने की कतई जरूरत नहीं है? अधिकार केवल सरकार को सौंप देने चाहिएं और इस या उस क्लाज के मातहत जो भी हुक्म जारी किये जायें उन पर किसी भी अदालत में कोई सवाल न उठाया जाये। ऐसा ही तो दिखाई देता है। हमें जेलों में रोका गया और हमें रोकने के लिए जो हुक्म जारी किया गया उस पर किसी अदालत में कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। पर इसके बावजूद भी ऐसे योग्य और सज्जन न्यायाधीश थे—कलकत्ता हाईकोर्ट और मध्यप्रान्त के माननीय न्यायाधीश—जिनमें निजी विवेक पर चलने का साहस था और जो इन आर्डिनेंसों और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के शब्दों के सही मतलब को समझ सके और तथाकथित विशेष न्यायालयों के फैसलों को रद्द कर बहुतों को फांसी के तख्ते से बचा पाये। इसी तरह जब यह दस्तावेज हमारे वैधानिक कानूनों का एक हिस्सा बन जायेगा तो ऐसा हो सकता है और होगा। यह दस्तावेज इतनी सावधानी से बनाया गया है कि इसके जरिये देश के सर्वसाधारण नागरिकों को मनमाने अधिकार नहीं दिए गए हैं बल्कि ऐसे ही अधिकार दिए गए हैं जिनका नागरिक व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर अपने संस्था संबंधी या संगठन सम्बन्धी अधिकारों के रूप से समुचित प्रयोग कर सकें। उनके जरिये नागरिकों को यथासंभव इतने अधिकार दिये गये हैं कि व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं को हर समय संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसीलिए यह नियम इन अधिकारों को व्यर्थ न बना पायेंगे। ये नियम इस अभिप्राय से रखे गये हैं कि ये हमारे प्रजातंत्र को गिरने, दूषित होने और तानाशाही में बदलने से बचा सकें। उन अधिकारों को इस अभिप्राय से रखा गया है कि यह हमारे नागरिकों

[प्रो. एन.जी. रंगा]

को—कानून मानकर चलने वाले और प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों की—उन लोगों से रक्षा हो सके जो विश्वास तो रखते हैं तानाशाही में, पर दिखावा करते हैं प्रजातंत्र की समुन्नति के लिए काम करने का, जिससे कि वे अपनी तानाशाही स्थापित कर सकें।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बंद की जाये।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर हम काफी बहस कर चुके हैं; अब इस पर राय ली जाये।

(प्रस्ताव मंजूर हुआ)

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** अध्यक्ष महोदय, जब मैंने उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अपना प्रस्ताव उपस्थित किया था, तो मैंने इस प्रश्न पर किसी लम्बी बहस की उम्मीद न की थी। मैंने सोचा था कि उन वाक्यांशों पर छानबीन करने की अगर जरूरत हुई और कुछ वाक्यांश आपत्तिजनक समझे गये तो उन्हें हटाने का तथा जरूरत के मुताबिक उनको और अच्छा बनाने का हमें काफी मौका मिलेगा। अब चूंकि वाद-विवाद हो चुका है; मैं सभा के सामने समिति की कार्यवाही की कुछ बातों को रख देना चाहता हूं जिससे सभा को यह मालूम हो जायेगा कि यह रिपोर्ट न तो अटकल पच्चू अथवा बनावटी या बेबनावटी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट खूब सोच समझकर तैयार की गयी है। समिति में दो विचारधाराओं के लोग थे और उसमें ऐसे प्रमुख कानूनी बेलाओं की एक खासी संख्या थी, जिन्होंने गम्भीर आलोचक की दृष्टि से रिपोर्ट के प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द की यहां तक कि विराम और अर्धविराम की भी पूरी छानबीन की। दोनों विचारधाराओं के सदस्यों ने दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया। एक विचारधारा के लोगों की यह राय थी कि यथासंभव अधिक से अधिक अधिकार रिपोर्ट में शामिल किये जायें, ऐसे अधिकार जिन पर अदालत के जरिये अमल कराया जा सके और जिनके आधार पर नागरिक बिना किसी कठिनाई के न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों को व्यवहारिक रूप दिला सकें। दूसरी विचारधारा के सदस्यों का यह मत था कि मौलिक अधिकारों को चन्द ऐसी ही बातों तक सीमित रखा जाये जो मौलिक समझी जाती हों। इन दोनों विचारधाराओं के प्रतिनिधियों में बहुत बहस हुई और अन्त में इन दोनों के बीच समझौते को एक रेखा निश्चित की गयी जो बहुत ही सुंदर समझी गयी थी। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चूंकि यह रिपोर्ट अन्तर्कालीन रिपोर्ट कही जा रही है इसलिए दूसरी रिपोर्ट बहुत बड़ी होगी या इसमें बहुत सी और आवश्यक बातों का सन्निवेश होगा। वस्तु-स्थिति को देखते हुए यह नहीं हो सकता कि मुख्य रिपोर्ट जो सभा के सामने पेश है उसमें कम महत्त्व की बातें हों। हर आवश्यक बात इस रिपोर्ट में शामिल कर दी गयी है। पर अभी एक और रिपोर्ट है जिस पर हमें अभी विचार

करना है, और वह है उन मौलिक अधिकारों पर जो गैर-न्याय हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें छूट गयी हों जो सभा की निगाह में आयें या जिन पर बाहर से कोई सुझाव आयें और उन पर विचार करना हो। और सम्भव है कमेटी उन पर विचार करे। परंतु मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट तीन कमेटियों से गुजर चुकी है। हां, यह सच है कि तीसरी विचारधारा के लोग कमेटियों में अनुपस्थित थे। इस विचारधारा के लोग यह चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत के लिए जिन मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो रही है उनमें न तो पुलिस होना चाहिए और न जेल; न तो प्रेस पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए और न पुलिस को लाठी और बंदूक के प्रयोग का ही हक होना चाहिए। भारत में सबको इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो चाहें करें, इस विचारधारा के लोग कमेटी में अनुपस्थित थे। पर अन्य दो विचारों के लोग जिन्होंने इस रिपोर्ट पर विचार किया, उन्होंने न सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया बल्कि संसार के प्राय: सभी देशों के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। संसार के सारे विधानों का अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे कि इस रिपोर्ट में हमें यथासम्भव उन सभी अधिकारों को शामिल करना चाहिए जो उचित समझे जा सकते हैं। इस बात पर इस सभा में मतभेद हो सकता है और सभा को अधिकार है कि वह प्रत्येक वाक्यांश पर गम्भीर आलोचना की दृष्टि से विचार करे और इसमें परिवर्तन, संशोधन या घटाव का सुझाव दें। पर जो बात मैंने सभा के सामने पेश की, वह यह है कि इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये। मैं समझता था कि किसी लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है और इसलिए मैंने सुझाया था कि जो कुछ भी विचार करने हैं या सुझाव रखने हैं उन्हें उस समय पेश किया जा सकता है जब वाक्यांशों पर विचार आरम्भ हो। जैसा कि मैंने सभा को बताया था करीब 150 संशोधन आये हैं और यद्यपि उसके लिए प्राय: 10 घंटे का ही समय दिया गया था। इस सभा में बड़े-बड़े अध्ययन परायण बड़े-बड़े दूरदर्शी और बहुश्रुत सदस्य हैं और इसलिए सभा को इस बात का श्रेय है कि इतने अल्पसमय में भी हमें 150 संशोधन प्राप्त हो सके हैं। मै समझता हूं कि अगर हम इसी तीव्र गति से चलते रहे तो हम आशातीत दीर्घकाल तक बहस करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि रिपोर्ट पर बहस की जाये और अगर मेरा यह सुझाव मंजूर होता है तो हम एक-एक करके प्रत्येक खण्ड पर विचार करेंगे।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है—

"यह विधान-परिषद् अपने 24 जनवरी सन् 1947 ई. के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी से प्राप्त मौलिक अधिकार विषयक रिपोर्ट पर विचार करे"

अब हम रिपोर्ट पर खण्ड व खण्ड विचार आरम्भ करते हैं।

खण्ड 1

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** खण्ड 1 एक व्याख्यामूलक खण्ड है।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

जब कि संदर्भ में अन्यथा न हो—

1. स्टेट शब्द के अंतर्गत यूनियन तथा इकाइयों की धारा सभायें और हुकूमतें, तथा संघ यूनियन की राजभूमि के अंदर वाले सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी शामिल हैं।
2. संघ का अर्थ है भारतीय संघ।
3. यूनियन के कानून इसके अंतर्गत यूनियन की धारा सभा द्वारा बनाया कानून तथा यूनियन और उसके किसी भाग में चालू वर्तमान भारतीय कानून भी शामिल हैं।

मैं नहीं समझता कि इस खण्ड के समर्थन के लिए किसी भाषण की जरूरत है। इसलिए रस्मी तौर पर मैं इसे सभा के सामने विचारार्थ पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** इस खण्ड पर कई संशोधनों की सूचनायें मुझे मिली हैं। पहला है श्री कामत का।

***श्री के.एम. मुंशीः** इस खण्ड पर कई जबानी संशोधनों की सूचना मैंने दी है। सूचना मैं आज सुबह ही दे आया हूं और अगर कृपा करके मुझे अवकाश दे....।

***कुछ सदस्यः** और जोर से बोलिए, जनाब!

***श्री के.एम. मुंशीः** इस खण्ड पर कई मौलिक संशोधनों की सूचना मैंने कार्यालय को दी है और ये संशोधन मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। अपने नियमों के अनुसार मैं उन्हें पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये संशोधन सारपूर्ण नहीं हैं इनमें चन्द शाब्दिक परिवर्तन ही सुझाये गये हैं। यदि कृपया आप अनुमति दें तो मैं उन्हें भी पेश कर दूं।

***अध्यक्षः** मुझे डर है कि इन संशोधनों को मैंने देखा नहीं है। पर अगर वे जबानी संशोधन ही हैं तो मैं समझता हूं कि इनके पेश किये जाने में सभा को कोई आपत्ति न होगी। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी सारपूर्ण संशोधन को बिना समुचित सूचना के मैं नहीं पेश होने दे सकता।

(श्रीयुत मुंशी को सम्बोधित करके) आपके संशोधनों को मैं थोड़ी देर बाद लूंगा क्योंकि शायद श्री कामत के या अन्य किसी के संशोधन के अन्दर ये आ जायें।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** इस खण्ड पर भी संशोधन आये हैं, क्या?

***अध्यक्षः** दो माननीय सदस्यों की ओर से मुझे संशोधनों की सूचनायें मिली हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** पेश्तर इसके कि श्री कामत अपना संशोधन पेश करें मैं

यह कहना चाहता हूं कि खण्ड 1 (1) पर मेरा केवल जबानी संशोधन है। अगर इसे पेश करने दिया जाता है तो इससे जो कुछ भी संदेह रह गया होगा, वह जाता रहेगा।

***अध्यक्षः** *(श्री मुंशी से)* आप अपना संशोधन रख सकते हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि वाक्यांश 1 के उपवाक्यांश 1 में ''states'' और ''includes'' शब्दों के बीच में ''for the purpose of this Annexure''रख दिये जायें, इस संशोधन का कारण स्पष्ट है। परिशिष्ट में भाषा की सुविधा के विचार से हमें 'स्टेट' शब्द रखना पड़ता है। यहां और केवल इस परिच्छेद में भाषा सम्बन्धी सुविधा के विचार से 'स्टेट' शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर इसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है तो इससे सम्भवतः यह धारणा पैदा हो सकती है कि विधान कानून (Constitution Act) में यह 'स्टेट' की व्याख्या है। इसलिए मेरा कथन है कि 'इस परिशिष्ट' (for the purpose of this Annexure) यानी इस परिशिष्ट की प्रारम्भिक रिपोर्ट के लिए मेरे ये शब्द रख दिये जायें।

***एक सदस्यः** उस हालत में इस खण्ड का स्वरूप क्या होगा?

***अध्यक्षः** तब वाक्यांश 1 का उपवाक्यांश (1) यों पढ़ा जायेगा—

> ''इस परिशिष्ट में 'स्टेट' शब्द के अन्तर्गत यूनियन की धारा सभायें और उसकी हुकूमतें भी शामिल हैं—इत्यादि इत्यादि''

(श्री मुंशी को सम्बोधित करके) दूसरे स्थानों पर परिशिष्ट (Annexure) की जगह भाग (part) का प्रयोग हुआ है।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

***अध्यक्षः** तब उपवाक्यांश (1) यों पढ़ा जायेगा—

> ''इस भाग में स्टेट शब्द में यूनियन की धारा सभायें और उसकी हुकूमतें भी शामिल हैं—इत्यादि।''

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः** मेरा कहना है कि श्रीयुत मुंशी के संशोधन को हम प्रथम वाक्य के प्रारम्भ में ही खूब खुशी के साथ रख सकते हैं, जिससे कि उस खण्ड की तीनों व्याख्यायें इसके अन्तर्गत आ जायें। हम यों रख सकते हैं—

> ''जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न हो और इस भाग में'' और फिर इसके बाद वाक्यांश में दी हुई शर्त रखें।

***अध्यक्षः** बजाय इसके कि हम स्टेट शब्द के बाद 'इस भाग में' इन शब्दों को रखें, हम उन्हें शुरू में रख दें। उस हालत में वाक्यांश यों पढ़ा जायेगा—

[अध्यक्ष]

'इस भाग में' जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो।

1. स्टेट शब्द के अन्तर्गत यूनियन तथा इकाइयों की धारा सभायें और हुकूमतें इकाइयों और यूनियन की राज्य भूमि के अन्दर वाले सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी भी शामिल हैं....इत्यादि।

***श्री के.एम. मुंशीः** मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां भी 'यूनियन' शब्द आया है उसका मतलब है भारतीय यूनियन से।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): संशोधन केवल स्टेट शब्द की व्याख्या के सम्बन्ध में है और किसी अन्य व्याख्या के सम्बन्ध में नहीं।

***अध्यक्षः** श्री मुंशी के संशोधन को मैंने जिस रूप में रखा है उसे प्रस्ताव-कर्त्ता ने मंजूर कर लिया है। क्या सभा इस संशोधन को स्वीकार करती है?

संशोधन मंजूर हुआ।

***श्री के.एम. मुंशीः** वाक्यांश 1 उपवाक्यांश (3) के सम्बन्ध में मेरा केवल एक शाब्दिक संशोधन है। उपवाक्यांश (3) कहता है—

'यूनियन कानून' के अन्तर्गत यूनियन की धारा सभा द्वारा बनाये कानून तथा यूनियन और उसके किसी भाग में चालू वर्तमान भारतीय कानून भी शामिल हैं।

यहां मैं 'as in force' का 'as' शब्द हटाना चाहता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***श्री के.एम. मुंशीः** बहुत से सदस्यों ने ऐसा समझा था कि यहां 'as' रखने से यह मतलब होगा कि ऐसे कानून जो चलन पा गये हों, अगर ऐसा मतलब नहीं होता है तो यह शब्द हटाया जा सकता है।

***श्री प्रमथ रंजन ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, यूनियन के कानून में यूनियन का बनाया हुआ हर कानून शामिल है। कभी-कभी यूनियन का शासन प्रबन्ध (Executive) ऐसी आज्ञा भी जारी कर सकता है जो कानून की तरह हों। मैं समझता हूं कि यूनियन के शासन प्रबन्ध के द्वारा जारी की हुई आज्ञायें भी इस वाक्यांश में जरूर शामिल होनी चाहिएं।

***अध्यक्षः** क्या आपने कोई संशोधन रखा था?

***श्री प्रमथ रंजन ठाकुरः** नहीं, यह संशोधन नहीं है।

***अध्यक्षः** श्री मुंशी का संशोधन यह है कि 'as' शब्द हटा दिया जाये और प्रस्तावकर्त्ता ने इसे मान लिया है। क्या मैं यह समझ लूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करती है?

यह संशोधन मंजूर हुआ।

***अध्यक्षः** अब मि. कामत अपना संशोधन पेश करेंगे।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, संशोधन भेजने के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्यायें इस खण्ड में दी गई हैं वे वर्णानुक्रम से रखी गयी हैं। और मुझे यह भी बताया गया है कि व्याख्या के सम्बन्ध में वर्णानुक्रम के सिलसिले को ही प्रधानता दी जाती है। इस हालत में मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता और इसे वापिस लेने की सभा से अनुमति चाहता हूं।

***अध्यक्षः** डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मि. मुंशी के संशोधन को देखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि मैं अपना संशोधन रखूं।

***अध्यक्षः** श्री चौधरी अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करने की अनुमति चाहता हूं कि खण्ड 1 में निम्नलिखित नयी व्याख्यायें रखी जायें।

4 'स्कूल' का अर्थ है कोई 'शिक्षा संस्था'।

मौलिक अधिकार सम्बन्धी इन वाक्यांशों में हम भिन्न-भिन्न स्थानों पर 'स्कूल' और 'शिक्षा संस्थायें' दोनों का ही प्रयोग पाते हैं। इससे यह धारणा होती है कि दोनों में कुछ अन्तर रखा जाये। मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया जाये कि स्कूल से हमारा मतलब है, शिक्षा-संस्थाओं से। मैं हवाला दे रहा हूं वाक्यांश 18 के उपवाक्यांश (2) का जहां यह कहा गया है:

> "किसी भी अल्पमत के लिए चाहे वह धर्म, जाति या भाषा के आधार पर बनी हो, राज्य की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के सम्बन्ध में कोई भेदभाव न बरता जायेगा और न धार्मिक शिक्षा ही उसके लिए अनिवार्य बनाई जायेगी।

उपवाक्यांश (3) (क) में यह कहा गया है:

> "सभी अल्पमतों को चाहे वे धर्म, जाति या भाषा के आधार पर बने हों, हर प्रदेश (इकाई) में इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि वे अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थायें स्थापित करें और उनका प्रबन्ध करें।"

यहां हमने शिक्षा संस्थाओं का प्रयोग किया है और उपवाक्यांश 3 (ख) में स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया है:

> "इन स्कूलों को जिनका प्रबन्ध धर्म, जाति या भाषा के आधार पर बने हुए अल्पमत के हाथ में हो, राजकीय सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा।"

[श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी]

इससे भ्रम पैदा होने की सम्भावना है और संशोधन उसी अभिप्राय से रखा गया है कि यह भ्रम न हो।

स्कूलों में भी हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, अध्यक्ष महोदय। कुछ आप सरीखे छात्र पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। और सभी परिस्थितियों को हस्तगत कर लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने स्कूल के जमाने की एक जुदा ही किस्म की याद है। बैंच पर खड़े होना, फर्श पर खड़े होना, फर्श पर घुटना टेककर बैठना, बैंच के नीचे घुटने के बल बैठना, इस तरह की कितनी ही बातें उन्हें याद हैं। वे नहीं चाहते कि उन चीजों की पुनरावृत्ति हो क्योंकि यहां खण्ड में सभी बातें साफ-साफ नहीं बताई गयी हैं। स्कूलों और सभी शिक्षा संस्थाओं पर ये लागू होने चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह बात यहां दर्ज कर दी जाये कि स्कूल का अर्थ है, शिक्षा संस्था से।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): वाक्यांश 18 (3) (ब) 'स्कूल' शब्द का प्रयोग वाक्यांश के अर्थ को संकुचित करने के लिए नहीं किया गया है बल्कि इसलिए किया गया है कि अन्य शिक्षा संस्थाओं से वह भिन्न है। यह बात साफ हो जाये। मेरा ख्याल है कि हम इस प्रश्न पर उस समय विचार कर सकते हैं जब हम खंड 18 पर पहुंचे। उपवाक्यांश (3) (ख) वस्तुतः प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में लागू करने के उद्देश्य से ही बनाया गया था।

***अध्यक्षः** तो मैं संशोधन पर मत लूं।

संशोधन यह हैः—उसका एक हिस्सा कि वाक्यांश 1 में निम्नलिखित व्याख्यायें जोड़ दी जायें:

'स्कूल का अर्थ है शिक्षा संस्थाओं से'

यह संशोधन नामंजूर हुआ।

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरीः** संशोधन का दूसरा हिस्सा अस्पृश्यता की व्याख्या करता है। यहां साफ तौर पर कहा जा सकता है किः

> "अस्पृश्यता का अर्थ है ऐसा कोई काम जो धर्म या जातिगत भेदभाव के आधार पर किया जाये जो उन जायज पेशों के भेदभाव के आधार पर किया जाये जिनका जिक्र खंड 4 में आया है।"

महोदय, मौलिक अधिकारों के सिलसिले में यह बात कही गयी है कि अस्पृश्यता किसी भी शक्ल में कानूनन दंडनीय अपराध माना जायेगा। इस स्थिति में, यह आवश्यक है कि अपराध की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। अपनी मौजूदा सूरत में 'अस्पृश्यता' शब्द बड़ा अस्पष्ट है। उसकी व्याख्या उसी तरह से की जानी चाहिए, जैसा मैंने बताया है या किसी और अच्छे ढंग पर, जैसा कि सभा तय करे।

श्री एस.सी. बनर्जी (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, 'अस्पृश्यता' शब्द की व्याख्या आवश्यक है, हम गत 25 वर्षों से इस शब्द का प्रयोग करने के

अभ्यस्त हो गये हैं फिर भी इस बात को लेकर बहुत बड़ा भ्रम है कि इसका अर्थ क्या है? कभी-कभी केवल एक ग्लास पानी ग्रहण कर लेना ही अस्पृश्यता मानी गयी है। कभी-कभी इसका प्रयोग हुआ है हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के सिलसिले में। कभी-कभी अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह के सिलसिले में इसका प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी ने जो इसके प्रधान व्याख्याकर्त्ता हैं, भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न अर्थ में इसका प्रयोग किया है। इसलिए, जब हम 'अस्पृश्यता' शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं तो; यह बात हमारे दिमाग में साफ तौर पर आ जानी चाहिए कि वस्तुतः इससे हमारा मतलब क्या है? इस शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? मेरी समझ में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव इन दोनों में हमें कोई अन्तर न समझना चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री ठाकुर ने कहा है—अस्पृश्यता तो केवल लक्षण स्वरूप है, मूल कारण तो जातिगत भेदभाव ही है। और जब तक आप मूल कारण को ही नष्ट नहीं करते—अर्थात् तब तक आप जातिगत भेदभाव को दूर नहीं करते, अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में अवश्य वर्तमान रहेगी। जब हम स्वतंत्र भारत का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें इस बात की आशा करनी ही चाहिए कि उस भारत में सभी लोग समान सामाजिक स्थिति का आनन्दोपयोग कर सकेंगे। यह दायित्व हम पर है कि हम इस बात को साफ कर दें कि भावी स्वतंत्र भारत में सामाजिक क्षेत्र में कोई भेदभाव न बर्ता जायेगा। दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि जाति भेद अवश्य ही उठा दिया जायेगा। हां, इस बारे में कठिनाई जरूर है कि हम इसे न्याय अधिकार दे सकते हैं या नहीं। मैंने एक मुद्दत तक इस पर विचार किया है। मैं वस्तुतः विश्वास करता हूं कि अस्पृश्यता शब्द की जगह कोई भेदभाव सूचक और शब्द रखना चाहिए, या 'अस्पृश्यता' शब्द की स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिए, ताकि इस संबंध में किसी को कोई संदेह न रह जाये कि इससे हमारा मतलब क्या है?

***श्री के.एम. मुंशीः** अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इस व्याख्या की वाक्य रचना ऐसी है कि इससे अगर यह स्वीकार कर ली गयी तो जन्म या जाति के आधार पर और यहां तक कि स्त्री पुरुष के आधार पर बरते गये भेदभाव को अस्पृश्यता माना जायेगा, यह व्याख्या क्या कहती है?

> "अस्पृश्यता का अर्थ है ऐसा कोई काम जो धर्म या जातिगत भेदभाव के आधार पर किया जाये या जो इन जायज पेशों के भेदभाव के आधार पर किया जाये जिनका जिक्र खण्ड 4 में आया है।"

अध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में तो अस्पृश्यता पर बिल्कुल विचार ही नहीं किया गया है। यह खण्ड तो नौकरी या अन्य बातों से सम्बन्धित भेदभाव पर विचार करता है। प्रस्तुत व्याख्या से तो यह भेदभाव भी शामिल किया जा सकता है, जो स्पृश्य और अस्पृश्य के हैं अथवा जो एक प्रान्त और दूसरे प्रान्तों के लोगों में हैं। 'अस्पृश्यता' शब्द का जिक्र खण्ड 6 में आया है। 'अस्पृश्यता' शब्द जान बूझ कर उल्टे कामा के अन्दर यह बताने के लिए रखा गया है कि यूनियन की धारा सभा 'अस्पृश्यता' शब्द की व्याख्या करते समय उसी अर्थ में इस पर विचार

[श्री के.एम. मुंशी]

कर सके। जिस अर्थ में स्वभावतः यह समझा जाता है। वर्तमान संशोधन से 'अस्पृश्यता' शब्द की व्याख्या की सीमा और विस्तृत हो जायेगी, श्रीमान् मैं इसका विरोध करता हूं,

श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, चाहे मिस्टर रोहिणी कुमार चौधरी की व्याख्या स्वीकार की जाये या नहीं; मुझे ऐसा मालूम होता है कि कोई-न-कोई व्याख्या यहां रखनी ही चाहिए। यहां यह कहा गया है कि अस्पृश्यता किसी भी रूप में हो, अपराध है। एक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को जो अपराधों पर विचार करेगा, इसकी व्याख्या देखनी ही होगी। एक मजिस्ट्रेट किसी चीज को अस्पृश्यता समझेगा तो दूसरा किसी भिन्न बात को अस्पृश्यता मान सकता है और इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे अपराधों के निर्णय के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट एकरूपता न रख पायेंगे। न्यायाधीश के लिए मामले का फैसला करना कठिन हो जायेगा। इसके अलावा अस्पृश्यता का भिन्न-भिन्न इलाकों में भिन्न-भिन्न अर्थ लिया जाता है। बंगाल में इसका एक अर्थ है तो दूसरे प्रान्त में इसका बिल्कुल दूसरा ही अर्थ हो सकता है। इसलिए जब तक इसकी व्याख्या नहीं हो जाती न्याय विभाग के लिए अस्पृश्यता के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर निर्णय देना मुश्किल हो जायेगा। श्री रोहिणी कुमार चौधरी के संशोधन को स्वीकार करें या न करें, कोई न कोई व्याख्या यहां होनी ही चाहिए। इस प्रश्न को मस्विदा-कमेटी (Drafting Committee) पर छोड़ देना चाहिए कि वह अस्पृश्यता शब्द के लिए कोई उपयुक्त व्याख्या रखे ताकि सभा के सामने विचारार्थ वह पेश किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं सभा का ध्यान खण्ड 24 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो कहता है—

> ''यूनियन की धारा-सभा इस भाग में दिये हुए उन नियमों को अमली रूप देने के लिए, जिनके लिए ऐसे कानून बनाने की जरूरत है, तथा उन कार्यों के विरुद्ध दंड निर्धारित करने के लिए जो इस भाग में अपराध घोषित किए गए हैं, पर अभी दंडनीय नहीं हैं, कानूनों का निर्माण करेगी।''

मैं समझता हूं कि यूनियन की धारा-सभा 'अस्पृश्यता' शब्द की व्याख्या कर देगी ताकि अदालतें समुचित दंड दे सकें।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरीः** मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।

***अध्यक्षः** सभा की राय लेने के लिए मैं उसके सामने खंडों को एक-एक करके नहीं रखना चाहता। हम प्रत्येक खंड पर विचार करेंगे। और फिर सभा किसी निर्णय पर पहुंचेगी। जब समूचा विधान तैयार हो जायेगा तो इन नियमों पर पुनर्विचार किया जायेगा। फिर जो कुछ हो चुका होगा और होगा उसको दृष्टि में रखकर

उपयुक्त परिवर्तन किये जायेंगे, ताकि दोनों हिस्सों में कोई असामंजस्य या परस्पर विरोध न रह जाये। इसलिए सभा को अभी शब्दों की बारीकी पर सावधान होने की जरूरत नहीं है।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः अब दुबारा बहस न होगी और न सारी बातों पर पुनर्विचार करने का हक होगा। हां, वाक्य-रचना को दृष्टि में रखकर भिन्न-भिन्न खंडों में केवल सामंजस्य या समरूपता जरूर स्थापित की जायेगी।

***अध्यक्षः** मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि दोबारा बहस हो या एक-एक करके क्लाजों पर फिर विचार किया जाये। जब सारा मस्विदा आ जायेगा तो हम देखेंगे कि हर खंड अपनी-अपनी जगह पर ठीक हो और उनमें परस्पर कोई वैपरीत्य न हो। मैं समझता हूं कि इस आशय से सभा एक-एक करके खंडों पर बाद में विचार कर सकती है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी पाना चाहता हूं मैं यह जानता हूं कि क्या ये नियम अधिकार-पत्र (Bill of Rights) की तरह किसी अलग पत्र में सन्निहित होकर सभा के सामने पेश होंगे? अगर यह बात है तो फिर अभी इन संशोधनों पर विचार करना आवश्यक है।

***अध्यक्षः** फिलहाल हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि हम अन्त में यही देखेंगे कि खण्डों में कोई वैपरीत्य या विरोध न रह जाये, यह नहीं कि हम सारे क्लाजों पर फिर से बहस करेंगे।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): तो अब आपको श्रीमान् यह कहना है कि खण्ड 1 स्वीकार किया जाये।

***अध्यक्षः** मैं बाजाब्ता राय नहीं दे रहा हूं क्योंकि उस हालत में इस पर बाद में पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी एक-एक करके इन खण्ड पर विचार कर रहा हूं।

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः अध्यक्ष महोदय, जब तक सभा इस बात को स्वीकार न कर ले, यहां सारी रिपोर्ट पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समूची रिपोर्ट पर विचार हो जाने के बाद यह स्वयं सिद्ध है कि इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। परन्तु अगर आप बिना मत लिए सारे रिपोर्ट पुनर्विचार के लिए छोड़ देते हैं तो फिर इस रिपोर्ट पर अभी विचार करने की तो कोई बात नहीं है।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बम्बई : जनरल): क्या वोट या राय का यह मतलब है कि यह आखिरी तौर पर मंजूर कर लिया गया और इसमें आगे किसी सुझाव की कोई गुंजायश नहीं है? यहां तक कि सिद्धांत के सम्बन्ध में भी कोई सुझाव नहीं रखा जा सकता।

***श्री के. सन्तानम्:** कुछ नियमों को बाद में बतलाया जा सकता है और आप सभा के किसी भी परिवर्तन के लिए कह सकते हैं, परन्तु इन क्लाजों को हम यहां स्वीकार कर लें।

***अध्यक्ष:** सभा को यह हक है कि अपने ही फैसले पर वह फिर से गौर करे और इस तरह आज हम जो भी फैसला करते हैं उस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं। पर मैं यह सुझाव दे रहा था कि बिना पुनर्विचार किये ही हम बाद में आवश्यक परिवर्तनों के द्वारा खण्डों के परस्पर वैपरीत्य को दूर कर सकते हैं, हर हालत में हम खण्ड 1 पर मत लेंगे।

सवाल यह है कि खण्ड 1 अपने संशोधित स्वरूप में स्वीकार किया जाये।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि क्लाज 2 स्वीकार कर लिया जाये। यह क्लाज इस रूप में है:

> ''यूनियन के प्रदेशों में जारी सारे मौजूदा कानून, नोटिफिकेशन (विज्ञप्तियां), रेग्युलेशन, आश्वासित प्रथाएं अथवा चलन, जो उन अधिकारों के प्रतिकूल होंगे जिनकी गारन्टी विधान के इस भाग में दी हुई हैं, इस प्रतिकूलता की हद तक रद्द माने जायेंगे और न यूनियन अथवा उसका कोई यूनिट ही ऐसा कोई कानून बनायेगा, जिससे ऐसा कोई अधिकार छिन जाये या कम हो जाये।''

यदि हम एक मूल अधिकार को कानूनी निर्णय के योग्य (न्याय-क्षम) रखते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह एक आवश्यक निष्कर्ष है। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान रिपोर्ट के 7वें पैरे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है:

> ''क्लाज 2 में दिया गया है कि यूनियन के प्रदेशों में जारी किये गये सारे मौजूदा कानून, नोटिफिकेशन (विज्ञप्तियां), रेग्युलेशन अथवा चलन, जो मूल अधिकारों के प्रतिकूल होंगे, इस प्रतिकूलता की सीमा तक रद्द माने जायेंगे। यद्यपि अपने सोच-विचार तथा कार्यवाही के दौरान में, हमने मौजूदा कानून की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा है, किन्तु समस्त मौजूदा कानूनों पर इस क्लाज से पड़ने वाले असर के सम्बन्ध में सविस्तार जांच करने के लिए हमें काफी समय नहीं मिला। हमारी सिफारिश है कि इस क्लाज को अन्तिम रूप से विधान में शामिल करने से पहले ऐसी जांच करा ली जाये।''

अतएव, इस क्लाज के सम्बन्ध में अभी यह जांच की जाने को है कि मौजूदा कानूनों पर उसका क्या असर पड़ेगा और विधान का अन्तिम मस्विदा तैयार हो

जाने तथा इस क्लाज के अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिये जाने से पहले ऐसा हो जाना चाहिये।

श्रीमान् मैं प्रस्ताव रखता हूं।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी सरदार पटेल के एक सुझाव के आधार पर कुछ संशोधित रूप में उसे रखूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्लाज 2 में ''और न यूनियन अथवा उसका कोई यूनिट ही ऐसा कोई कानून बनायेगा, जिससे ऐसा कोई अधिकार छिन जाये या कम हो जाये'' शब्दों की जगह, निम्नलिखित शब्द रखे जायें:

> ''और बिना विधान संशोधन किये, ऐसा कोई अधिकार न तो छीना जायेगा और न कम किया जायेगा।''

इसका सिर्फ यही कारण है कि यदि इस क्लाज को उसके वर्तमान रूप में ही रहने दिया गया, तो इन अधिकारों में से किसी अधिकार के असंतोष-जनक अथवा असुविधाजनक सिद्ध होने पर, हम, विधान में संशोधन करके भी उसमें कोई परिवर्तन न कर सकेंगे। कुछ विधानों के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि उस विधान के कुछ भाग भावी वैधानिक संशोधनों द्वारा परिवर्तित किये जा सकें और अन्य भाग न परिवर्तित किये जा सकें। इस प्रकार के संदेहों से बचने के लिए, मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव रखा है मुझे आशा है कि वह स्वीकार किया जायेगा।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान्, मैं यह संशेधन स्वीकार करता हूं।

***श्री प्रमथ रंजन ठाकुर:** श्रीमान्, शब्द इस प्रकार हैं—''और न यूनियन अथवा उसका कोई यूनिट ही'' आदि। पहले क्लाज में ''यूनियन'' की परिभाषा तो दी गई है, पर ''यूनिट'' की नहीं दी गई। ''यूनिट'' की परिभाषा भी दे दी जानी चाहिये।

***अध्यक्ष:** ''यूनिट'' शब्द, श्री संतानम् के संशोधन में नहीं आता; इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

***माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): श्रीमान्, हम समझते हैं कि प्रांतीय विधान भी होंगे और हर प्रांत अपना विधान स्वयं तैयार करेगा। यदि ऐसी बात है, तो एक प्रांत से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी कानून का संशोधन, यूनियन के बजाय प्रांतों के जिम्मे छोड़ दिया जाना चाहिये। प्रांतीय कानून में संशोधन करने का अधिकार, स्वराज्य-प्राप्त प्रांत को अवश्य मिलना चाहिये। यदि यह सच है, जैसा कि हम अब समझते हैं, कि यूनियन के जिम्मे रक्षा, वैदेशिक मामले तथा यातायात जैसे केवल कुछ ही विषय रहेंगे, तो हम नहीं चाहते कि कोई प्रांतीय अधिकार किसी मूल अधिकार द्वारा सीमित कर दिया जाये अथवा प्रांत का कोई भी अधिकार भारत की यूनियन द्वारा छीन लिया जाये। इसलिए मैं

[माननीय रेवरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय]

समझता हूं कि यह संशोधन खतरनाक सिद्ध होगा। मेरा सुझाव है कि पहले हम और सब मूल अधिकार निपटा लें और इस क्लाज 2 पर सबसे आखिर में विचार करें। मैं देखना चाहता हूं कि आया मूल अधिकारों में की कोई व्यवस्था, किसी स्वराज्य-प्राप्त प्रांत या रियासत के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करती।

*__श्री बी. दास__ (उड़ीसा : जनरल): मेरा रुख माननीय रेवरेंड निकोल्स राय के कथन के पक्ष में है और मैं श्री संतानम् का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। वह अधिकार, हम यूनियन की व्यवस्थापक धारा सभा को अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक धारा सभा को नहीं सौंप सकते। इसका अर्थ है कि श्री संतानम् के संशोधन से जिन मूल परिवर्तनों का तात्पर्य है, उन्हें करने का काम भावी विधान-परिषद् को सौंपा जाये। सभा से मेरा सुझाव है कि यह संशोधन स्वीकार करने से पहले, वह देख ले कि यह काम हम किसे सौंप रहे हैं और उसे प्रांतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वेच्छा से किये जाने के लिए छोड़ दे।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ प्रस्तावित संशोधन से सारे मूल अधिकार बाध्यतामूलक (आल्बिगेटरी) बन जायेंगे, क्योंकि यदि ये अधिकार कानूनी निर्णय के योग्य (न्याय-क्षम) व मूल समझे जाते हैं, तो इस क्लाज का पास किया जाना नितांत आवश्यक है। यदि ये कानूनी निर्णय के योग्य नहीं है तो वे बे-मेल हैं किन्तु यदि यह समझा जाता है कि वे क्लाज नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं। कानून द्वारा जिनका पालन कराया जा सकता है, तो यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य, प्रथा, रेग्युलेशन या विज्ञप्ति जो इस अधिकार को छीनती या कम करती है अवश्य रद्द होनी चाहिये। ऐसा न होने से तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। अतएव, श्रीमान्, मैं प्रस्ताव के स्थगित किये जाने का विरोध करता हूं वे शब्द, मैंने श्री संतानम् का संशोधन स्वीकार कर लिया है।

*__अध्यक्ष:__ प्रस्तावक ने श्री संतानम् का संशोधन स्वीकार कर लिया है। अब प्रश्न है कि:

> ''क्लाज 2 में, और न यूनियन अथवा उसका कोई यूनिट ही ऐसा कोई कानून बनायेगा, जिससे ऐसा कोई अधिकार छिन जाये या कम हो जाये'' शब्दों की जगह निम्नलिखित शब्द रखे जायें:
>
> ''और बिना विधान में संशोधन किए ऐसा कोई अधिकार न तो छीना जायेगा और न कम किया जायेगा।''

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया।

*__अध्यक्ष:__ प्रश्न है कि (अब मैं संशोधित क्लाज पढ़ता हूं)—

> ''यूनियन के प्रदेशों में जारी सारे मौजूदा कानून, विज्ञप्तियों, रेग्युलेशन, प्रथाएँ अथवा चलन, जो विधान के इस अंश के आधीन आश्वासित अधिकारों के प्रतिकूल होंगे,

इस प्रतिकूलता की सीमा तक रद्द माने जायेंगे, और सिवाय विधान के संशोधन द्वारा ऐसा कोई अधिकार न तो छीना जायेगा और न कम किया जायेगा।''

विधान में स्वयं उसके संशोधन के लिए नियम दिये रहेंगे और विधान के अनुसार में इस प्रकार के नियमों की जो व्यवस्था रहेगी 'विधान' का संशोधन उसी के अनुसार होगा और आवश्यकता हो तो यह क्लाज भी 'विधान' के अन्य किसी क्लाज संशोधन किये जाने के तरीके से, संशोधित किया जा सकता है।

प्रस्ताव, सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

क्लाज 3

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल: अब मैं क्लाज 3 को लेता हूं।

''यूनियन में जन्मा अथवा यूनियन के कानूनों के अनुसार तथा उसके नागरिकता प्राप्त तत्सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र के आधीन, प्रत्येक व्यक्ति, 'यूनियन' का नागरिक होगा।''

इसमें इतना और जोड़ दिया जाना चाहिये:

''यूनियन की नागरिकता से सम्बन्ध रखने वाली और व्यवस्था यूनियन के कानूनों द्वारा निर्मित की जा सकती है।''

कमेटी द्वारा पहले यह मूल रूप में पास किया जा चुका था, पर गलती से छपाई में यह निकल गया। श्री मुन्शी इसको पेश करेंगे।

***श्री के.एम. मुंशी:** सलाहकार कमेटी के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ये शब्द असल में उसमें मौजूद थे, पर मालूम होता है कि भूल से वे अन्तिम रिपोर्ट में नहीं शामिल किये गये। विचार यह है कि 'यूनियन' को न केवल नागरिकता के अधिकारों की प्राप्ति के सम्बन्ध में कानून बनाने होंगे; बल्कि हो सकता है कि नागरिकता के सम्बन्ध में और भी व्यवस्था करनी पड़े। अतएव इस क्लाज में उन शब्दों का होना आवश्यक है, नहीं तो सारा विचार ही अपूर्ण रह जायेगा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्लाज के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

''यूनियन की नागरिकता से सम्बन्ध रखने वाली और व्यवस्था, यूनियन के कानूनों द्वारा निर्मित की जा सकती है।''

***श्री प्रमथ रंजन ठाकुर:** क्लाज जिस रूप में है, वह अस्पष्ट है। वह इस प्रकार है—

''यूनियन में जन्मा अथवा यूनियन के कानूनों के अनुसार नागरिकता के अधिकार प्राप्त........''

मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति कानून के अनुसार किस प्रकार जन्म सकता है। यूनियन के बाद अर्धविराम (अंग्रेजी वाक्य में) होना चाहिये; आपको इसे अस्पष्ट न रखना चाहिये।

***श्री बी. दासः** यह क्लाज ही केवल एक महत्त्वपूर्ण मूल अधिकार है। राजनीतिक जिसका कि दावा एक नागरिक कर सकें कि राजनीतिक समता का अधिकार यूनियन में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति शब्दों के अन्तर्गत कोई भी अ-भारतीय, जर्मन अथवा जापानी, आ सकता है, जिसे 14वें से 21वें वर्ष तक भारतीय नागरिकता के अधिकार प्राप्त रहेंगे जब तक कि वह स्वयं घोषित नहीं करता कि वह भारतीय नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था भी रहनी चाहिये कि—

> ''यूनियन में जन्मा एक व्यक्ति उस राष्ट्रीयता की घोषणा कर सके जो वंश के कारण उसके लिए सुलभ हो।''

मालूम देता है कि मौलिक अधिकारों की कमेटी ने प्रश्न के इस पहलू पर विचार करने की परेशानी नही उठाई।

यूरोपियनों से उत्पन्न पुत्र तथा पुत्रियां राज्य की तथा निजी सर्विसों में काम तलाश करेंगी और बाद में वे विदेशी बन जा सकते हैं। लोरावर्टस् का जन्म भारत में हुआ था और फिर भी भारतीयों को दबाने के लिए वह एक बहुत कड़ा शासक सिद्ध हुआ। निस्संदेह, भारत में जन्मा एक ही ऐसा यूरोपियन पिमरे लाटी था, जो अन्त तक भारत का मित्र रहा। मैं अपने नेताओं से जहां तक कि वे उचित तरीके पर सोच रहे है सहमत हूं, अर्थात् मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वे अधिकारों की व्याख्या के लिए कानून बना करके और भी व्यवस्था करेंगे। मुझे प्रतीत होता है कि नागरिकता का वर्तमान मस्विदा बहुत ही गलत है क्योंकि वह किसी बहाने से विदेशियों को आर्थिक शोषण का मौका देता है। जैसा कि श्री सिधवा ने सुझाया है आपने राष्ट्रीयता की परिभाषा कहीं भी नहीं की है। हम अवश्य समझते हैं कि मौलिक अधिकारों की कमेटी को अत्यधिक तेजी के साथ काम करना पड़ा है और कुछ बातों पर विचार करने के लिए उन्हें समय ही नहीं मिला है, जिससे इन बातों पर कमेटी का ध्यान अब तक नहीं जा सका। मुझे अवश्य आशा है कि यह सभा मामले के इस पहलू पर भी विचार करेगी और विदेशियों अथवा विदेशियों से जन्में लोगों द्वारा भारतीय नागरिकों के किसी भी प्रकार के शोषण के लिए न राजी होगी। यहां शोषण सम्बन्धी इस त्रुटि पर हमें खेद होता है।

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान्, व्यक्तिगत रूप से मुझे बताना है कि यह मैंने गलत कहा है कि यह क्लाज गलती से छूट गया था। मैंने कार्य विवरण रजिस्टर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि सलाहकार कमेटी ने उसे छोड़ दिया था। मैं एक गलत धारणा में था।

***अध्यक्षः** श्री दास ने जो प्रश्न उठया हे, वह विचारणीय है और मैं चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय उस पर विचार करें। क्लाज की शब्दावली जैसा कि वह इस समय है, इस प्रकार है—

> ''यूनियन में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति यूनियन का नागरिक होगा।''

श्री दास का कहना है कि यह शब्दावली अत्यधिक व्यापक है और उसके अन्दर किसी भी विदेशी का बच्चा, जिसका जन्म इस देश में हुआ हो, आ सकता है, क्योंकि केवल अपने जन्म के कारण वह नागरिकता का अधिकार प्राप्त करेगा।

***श्री के.एम. मुंशीः** क्या मैं बता सकता हूं कि शब्दावली में, ''अधिकार-क्षेत्र के आधीन'' शब्द भी हैं। यह राजभक्ति का सिद्धांत है। परदेशियों, वाणिज्य-दूतों तथा राजदूतों से पैदा व्यक्ति शामिल न किये जायेंगे।

***अध्यक्षः** ''अधिकार-क्षेत्र के आधीन'' में राजभक्ति शामिल न होगी। इस संबंध में मुझे पूरा निश्चय नहीं है, किन्तु इस सभा के वकीलों को इस विषय में हमारी सहायता करनी है।

***श्री के.एम. मुंशीः** ''अधिकार-क्षेत्र के आधीन'' की व्याख्या कई अधिकारियों ने की है; उसका अर्थ है वे व्यक्ति, जो उन व्यक्तियों से पैदा हुए हैं, जो 'यूनियन' के प्रति राजभक्ति रखते हैं। यदि आवश्यक हो, तो मैं यह प्रश्न उठाने वाले माननीय सदस्य को संतुष्ट कर सकता हूं। ''अधिकार-क्षेत्र के आधीन'' शब्दावली अमेरिकन विधान से ली गयी है और निश्चित रूप से यही अर्थ व्यक्त करने के लिए निर्मित हुई है।

***अध्यक्षः** हमारे विधान को यथा सम्भव स्वतःपूर्ण होना चाहिये। हमें अन्य विधानों के क्लाजों की व्याख्या पर न अवलम्बित होना चाहिये, क्योंकि इससे काफी गड़बड़ पैदा हो सकती है।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, यह क्लाज अमेरिकन विधान से लिया गया है। नागरिकता के दो विचार हैं। यूरोपीय देशों में, नागरिकता जाति के आधार पर होती है; किसी निश्चित स्थान में किसी व्यक्ति के जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। आंग्ल-अमेरिकन प्रणाली में, एक व्यक्ति का जन्म किसी निश्चित स्थान में होने से उसे उसकी नागरिकता प्राप्त होती है। यदि आप कोई मित्र प्रणाली अपनाना चाहते हों, तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकन प्रणाली के अनुसार, यदि एक हिन्दू आज भी अमेरिका जाता है, तो वह एक अमेरिकन नागरिक हो जाता है। यद्यपि प्रश्न देशीकरण (नेचुरलाइजेशन) का है, तो इस देशीकरण के रास्ते में कठिनाइयां अवश्य हैं अपने मित्र श्री मुंशी का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ''अधिकार-क्षेत्र के आधीन'' वाक्यांश उस अभिप्राय से नहीं जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है, बल्कि भिन्न अभिप्राय से रखा गया है। फर्ज कीजिए कि इस देश में कोई वैदेशिक दूत (कौंसल) है और उसके बच्चा पैदा होता है; तो बच्चे को इस देश की नागरिकता न प्राप्त होगी, कारण, उक्त दूत अथवा उसका बच्चा, यूनियन के अधिकार-क्षेत्र के आधीन न होगा। ''अधिकार-क्षेत्र के आधीन'' शब्दों के यहां प्रयोग करने का यही कारण है, क्योंकि यहां पर किसी भी वैदिशिक-दूत के पैदा होने वाला व्यक्ति, स्वयं अपने देश में पैदा हुआ माना जाता है। जहां तक किसी भी राज-दूत, वाणिज्य-दूत अथवा इसी प्रकार पदस्थ किसी अन्य व्यक्ति का संबंध है, बच्चे को नागरिकता न प्राप्त होगी।

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

यही कारण है कि क्लाज में "अधिकार-क्षेत्र के आधीन" शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतएव, इस क्लाज का मुख्य आधारभूत सिद्धांत यह है कि यदि एक व्यक्ति यहां पैदा होता है, तो उसे नागरिकता अवश्य प्राप्त होनी चाहिये, चाहे वह परदेशी ही क्यों न हो। यही सिद्धांत इंग्लैंड में, अमेरिका में तथा आंग्ल-अमेरिकन न्याय-विज्ञान का अनुसरण करने वाले प्रत्येक देश में लागू है।

जहां तक यूरोपीय देशों का ताल्लुक है, वहां नागरिकता रक्त पर आश्रित है, जाति पर आश्रित है और इसलिए वह व्यक्ति चाहे जहां भी हो, यदि वह एक जाति के एक व्यक्ति का बेटा है, तो उसे नागरिकता जरूर प्राप्त होगी। यही सिद्धांत है। इसमें संदेह नहीं कि इस जन्म सम्बन्धी सिद्धांत के विषय में, उस अवस्था में कठिनाइयां पैदा होती है, जब लोग अपना देश छोड़ देते हैं और तब उनके बच्चे पैदा होते हैं। यही कारण है कि 'ब्रिटिश नैशनेलिटीज कानून' के अन्तर्गत, विदेश में ब्रिटिश नागरिकों के बच्चे पैदा होने के संबंध में भी व्यवस्था रखी गयी है और इस प्रकार के मामलों के लिए 'यूनियन' के कानूनों में भी समुचित व्यवस्था रखी जा सकती हैं क्लाज के पहले भाग से विधान, इस मूल सिद्धांत के पाबंद हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस 'यूनियन' में पैदा होता है, 'यूनियन' का नागरिक है। क्लाज का दूसरा भाग (नेचुरलाइजेशन) देशीकरण के सम्बन्ध में है और फिर दोनों ही भाग तत्संबंधी अधिकार-क्षेत्र के आधीन हैं। यूनियन के कानून द्वारा ऐसे मामलों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी, जिसमें यहां के राष्ट्रजन देश से बाहर गये हों और उनके बच्चे पैदा हों। ठीक स्थिति यही है। यह आंग्ल-अमेरिकन कानून का एक सिद्धांत मात्र है कि यदि कोई व्यक्ति अधिकार-क्षेत्र के भीतर पैदा होता है, तो उसे नागरिकता अवश्य प्राप्त होगी। यदि आप इससे पृथक् होना चाहते हैं, तो ऐसा करने से आप कठिनाई में भी पड़ सकते हैं। आप (यूरोप की) प्रणाली को पूर्णतया अपना सकते हैं—जर्मन, फ्रेंच या इटालियन राष्ट्रीयता प्रणाली को अपना सकते हैं। किन्तु हमने सोचा था कि आंग्ल-अमेरिकन प्रणाली का अनुसरण करना, हमारे लिए अधिक अच्छा होगा, क्योंकि इस प्रणाली से हम अवगत हैं।

***अध्यक्षः** मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। फर्ज कीजिये कि एक व्यक्ति जो जन्म से जापानी है, इस देश से होकर यात्रा कर रहा है और यात्रा में ही उसके बच्चा पैदा हो जाता है। तब क्या होगा?

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** क्लाज की भाषा के बावजूद, 'अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट' (सर्वोच्च न्यायालय) ने खुद इसी क्लाज के संबंध में निर्णय दिया है कि इस प्रकार का यात्री विधान की भाषा के अन्तर्गत न आयेगा।

***श्री अनंतशयनम् आयंगरः** क्यों नहीं?

दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः मेरा उत्तर यह है कि अमेरिका की 'सुप्रीम कोर्ट' ने इस क्लाज की व्याख्या करते हुए, यही निर्णय

दिया है। मैं समझता हूं यह एक उचित अपवाद है, जिसकी व्यवस्था की जा सकती है। कल मैंने इस प्रश्न पर विचार किया था यह समझते हुए कि यह बात जरूर उठेगी; क्योंकि रेलगाड़ी में एक महिला यात्री भी बच्चा जन्म सकती है। इस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, जो बच्चा पैदा होने के समय इस देश में केवल अल्पकाल के लिए उपस्थित हों, इस अपवाद की व्यवस्था करनी चाहिये कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता न प्राप्त होगी। पर तब 'अल्पकालीन उपस्थिति' का ठीक अर्थ क्या है? इसकी व्यवस्था करनी होगी और यह बहुत कठिन होगा। यह नियम मानकर कि नागरिकता का निश्चय जन्म से होगा, अमेरिका में, ऐसी परिस्थिति मे बहुत कठिनाई नहीं होती। यदि आप ऐसा नहीं चाहते, तो आपके लिए भी 'ब्रिटिश नैशनेलिटीज कानून' की ही तरह इस विषय में सविस्तार व्यवस्था रखना आवश्यक है; उक्त ब्रिटिश कानून में ऐसे मामलों पर लागू होने के लिए चार विशेष क्लाज रखे गये हैं। आप 'ब्रिटिश नैशनेलिटीज कानून' के सारे क्लाज ले सकते हैं, इस कानून में जो परिभाषा रखी है वह अधिक व्यापक है। किन्तु हमने सोचा था कि सारी बातों का ख्याल करते हुए अमेरिकन विधान की तरह सारी बातें थोड़े में रखना अधिक अच्छा होगा, और वे मूल-अधिकारों वाले अध्याय में ही शामिल की जा सकेंगी।

*__अध्यक्ष:__ यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न मालूम होता है और इसे हमें यथोचित रीति से निपटाना चाहिये। उस आदमी का क्या होगा, जो इस देश से होकर सिर्फ गुजर ही नहीं रहा है, बल्कि मान लीजिए इस देश में, व्यापार अथवा अन्य किसी कार्य के लिए, कुछ वर्षो के लिए रुक जाता है।

*__दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर:__ उसका बेटा एक नागरिक हो जायेगा, किन्तु राजनीतिक अधिकार नागरिक अधिकारों से भिन्न है। कानून का ऐसा कोई आम नियम नहीं है कि एक नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि नागरिकता सम्बन्धी अमेरिकन कानून के अनुसार, नागरिक केवल नागरिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। विधान को इस प्रकार निर्मित करने में कोई अड़चन नहीं है कि नागरिक को राजनीतिक तथा अन्य अधिकार न दिये जायें। नागरिकता में स्वत: ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है, जिससे उसे कोई न्यूनतम अधिकार प्राप्त होते हों। खास-खास मामलों में नागरिकता, निश्चित अधिकार प्रदान कर सकती है। यदि आप सोचते हैं कि वे क्लाज सब नागरिकों पर लागू न किये जायें, तो इस प्रकार का भेद कायम करना आपका कार्य है। अमेरिकन कानून के अनुसार, जिससे कि यह लिया गया है, साधारणत: नागरिकता का अधिकार स्वत: न्यूनतम अधिकारों का अर्थ व्यक्त नहीं करता। यद्यपि 'अठारहवां संशोधन' संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रत्येक राज्य पर लागू है, किन्तु यूनियन के विभिन्न राज्यों में नागरिक को राजनीतिक तथा इसी प्रकार के अन्य अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कुछ अधिकार हमने सब लोगों को दिये हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों का क्षेत्र अब तक काफी संकीर्ण रखा गया है और धर्म, सम्पत्ति की रक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, संगठन की सुरक्षा

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

और सार्वजनिक व्यवस्था आदि के मामलों में नागरिकता के सम्बन्ध में सम्भवत: कोई बड़ी कठिनाई पैदा नहीं हो सकती। किन्तु नागरिकता में राजनीतिक अधिकारों का विचार लाने से, कठिनाई उत्पन्न होने की आशंका है। वर्ना, हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि हमें यह सिद्धांत दूसरों से लेकर अपनाना है या उससे बिल्कुल पृथक् व्यवस्था रखनी है। खुद 'ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून' (ब्रिटिश नैशनेलिटी एक्ट) में ऐसी ही व्यवस्था मौजूद है। हमें यह भी सोचना है कि नागरिकता का विचार हमें 'ब्रिटिश नैशनेलिटी कानून' से अथवा अमेरिकन कानून से भिन्न रखना है अथवा जर्मन या इटालियन विचार के आधार पर उसे अपनाना है अथवा हमें नागरिकता का विचार स्वयं निश्चित करना है। यही वस्तु-स्थिति है।

***अध्यक्ष:** व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि हम किसी अन्य देश के उदाहरण का अनुसरण करें। हमें खुद अपनी नागरिकता निश्चित करनी चाहिये और सूत्र बना देना चाहिये कि इस नागरिकता का अर्थ क्या है?

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर:** यद्यपि मैं इसका बहुत समादर करता हूं, किन्तु मैं इस बात को एकदम नहीं भुला सकता कि नागरिकता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुरक्षा भी शामिल रहेगी। नागरिकता का प्रश्न निपटाते समय हमें स्मरण रखना है कि हम भेदभाव के विरुद्ध लड़ रहे हैं और यह लड़ाई दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य राज्यों के खिलाफ है। यह आपके विचार करने की बात है कि नागरिकता का हमारा विचार सार्वभौमिक अथवा जातिगत या वर्गगत होना चाहिये। यह एक राजनीतिक प्रश्न है, जिसके लिए मैं इतना योग्य नहीं हूं, जितने कि यहां के कुछ अन्य लोग, किन्तु जहां तक भी इसका सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि इस विषय का कानून क्या है और 'मौलिक अधिकारों की कमेटी' ने किन सिद्धांतों के आधार पर इस विषय में विचार किया है।

***श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर:** एक ऐसे जापानी का उदाहरण लीजिये, जो इस देश में आकर कुछ समय तक यहां ठहरता है और उसके एक बेटा पैदा होता है। क्या उसकी वह नागरिकता जाती रहेगी, जो उसने जापान की अपनी मां से प्राप्त की है अथवा वह नागरिकता बनी रहेगी और वह दोनों ही देशों का नागरिक बना रहेगा?

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर:** द्विराष्ट्रीयता की समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायवेत्ताओं के लिए एक अत्यधिक कठिन प्रश्न है। हम एक प्रकार की नागरिकता की ही व्यवस्था कर सकते हैं। राज्य-विहीनता या द्विराष्ट्रीयता की समस्या से उत्पन्न होने वाली सारी जटिलताओं को हटाने की कोशिश हम नहीं कर सकते। यूरोपियन तथा आंग्ल-सैक्सन प्रणालियों के परस्पर विरोधी होने के कारण अनेक अन्तर पड़ सकते हैं। व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में जो इन प्रणालियों के

विरोध की स्थिति में अपनी नागरिकता स्थिर करना चाहता हो, आप भले ही कुछ व्यवस्था कर सकें, किन्तु मौलिक अधिकार सम्बन्धी एक अध्याय में सम्भवत: आप उन सारी जटिलताओं के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते, जो द्विराष्ट्रीयता राज्य-विहीनता तथा अन्य ऐसी ही बातों की समस्या से उत्पन्न हों।

*__श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर:__ क्लाज 4 में कहा गया है:

> ''राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, वर्ण अथवा स्त्री-पुरुष होने के कारण कोई भेदभाव न रखेगा।''

इसलिए वह पूर्ण नागरिकता है और यह एक मूल अधिकार है। यह केवल विधान के संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है और किसी यूनिट अथवा यूनियन की व्यवस्थापक सभा का भी कोई कानून उसे नहीं बदल सकता। इसलिए आप राजनीतिक अधिकारों तथा नागरिकता के अधिकारों के बीच कोई भेद नहीं रख रहे हैं। क्या यह वांछनीय नहीं है कि हम इस परिभाषा को उसके वर्तमान रूप में अस्पष्ट ही न छोड़ दें।

*__दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर:__ भेदभाव विषयक क्लाज का सम्बन्ध नागरिक अधिकार से ही हो सकता है। यह प्रांतीय तथा यूनियन के विधानों का काम होगा कि वे किसी भी रूप में मताधिकार प्रदान करें। यदि आवश्यक हो, तो आप प्रांतीय और यूनियन के दोनों ही विधानों में इस पर मताधिकार सम्बन्धी शर्तें लगा सकते हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वास्तव में कमेटी के कुछ सदस्य यह कहने के लिए उत्सुक थे कि प्रत्येक अधिकार का मानवीय अधिकार होना जरूरी है? मुझे आशा है कि यह बता कर मैं कोई गुप्त बात नहीं प्रकट कर रहा हूं कि श्री मसानी ने यहां तक कह डाला था कि अधिकांश अधिकारों को इस देश के (समस्त) मानव प्राणियों पर लागू किया जाना चाहिए; वे ऐसी ही व्यवस्था के पक्ष में थे। वास्तव में इसमें कोई नयी बात नहीं है। अमेरिकन विधान के पहले दस संशोधन केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट भले ही उनका चाहे जो अर्थ लगाये, किन्तु अमेरिकन विधान के प्रथम दस संशोधन नागरिकों तक ही सीमित नहीं हैं। वे प्रत्येक मानव प्राणी के लिए आमतौर से लागू हैं। इसमें शक नहीं कि ''भेदभाव (डिस्क्रिमिनेशन)'' के शब्द से समझा गया है कि वह राजनीतिक अधिकार के लिए लागू नहीं है, बल्कि नागरिकों द्वारा साधारणत: व्यवहृत नागरिक (सिविल) अधिकार तक ही सीमित है। हम लोग कोई नयी बात नहीं करने जा रहे हैं।

*__श्री आर.वी. धुलेकर__ (संयुक्तप्रांत : जनरल): मेरी अर्ज है कि ऐसे बच्चे के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है, जो यूनियन के बाहर किन्तु यूनियन के नागरिकों से पैदा हुआ हो। मैं जानना चाहूंगा कि आया ऐसे बच्चे को भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त होगा या नहीं?

*__दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर:__ इसीलिए यह नियम रखा गया है कि यूनियन के कानून द्वारा इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर]

मैं एक और सुझाव भी देना चाहूंगा। यूनियन के विधान का मसविदा तैयार होने पर आप इस पर विचार कर सकते हैं। यदि आप यह विचार स्वीकार करते हैं कि सामान्यत: हमें आंग्ल-सक्सन अथवा अमेरिकन न्याय-विज्ञान का साधारण सिद्धांत, कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लेना है, तो फिलहाल वह विधान के कानून द्वारा जारी किया जा सकता है। आप लोगों के जो विचार प्रकट हुए हैं, विशेषकर उनके ख्याल से, हम सारी बात पर विधान की अन्य व्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे और यदि उसका इन व्यवस्थाओं से विरोध होगा, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। पर एक बात है; क्या हम वंश-सिद्धांत का विचार अपनाने जा रहे हैं। अर्थात् क्या हम यह सिद्धांत स्वीकार करने जा रहे हैं कि केवल वे ही लोग जो (नागरिक) माता-पिता से पैदा हैं—चाहे आप उन्हें भारतीय कहें या अन्य लोग—नागरिकता के अधिकारी हैं अथवा हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने जा रहे हैं कि नागरिकता का निपटारा जन्म (जन्म भूमि) से ही होता है, यद्यपि ऐसी दशा में भारतीयजनों के विदेश में पैदा होने वाले बच्चों के लिए हमें आवश्यक अपवाद-व्यवस्था भी शामिल करनी होगी। मैं यह कदापि नहीं सुझा रहा हूं कि आपको कड़ाई के साथ 'लेक्स सोली' के अर्थात् जन्म-भूमि के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। इस विषय में दो सिद्धांत हैं—'लेक्स सोली' और 'लेक्स सेंजुइनिस।' 'लेक्स सोली' का अर्थ है, जन्म-भूमि का कानून और 'लेक्स सेंजुइनिस' का अर्थ है, रक्त-संबंध के अनुसार। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में, ये दो विभिन्न सिद्धांत हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** जब मुख्य एडवाइजरी कमेटी में इस प्रश्न पर विचार किया गया था, तो यह क्लाज इस रूप में था।

> ''यूनियन में पैदा अथवा यूनियन में देशीयकृत (नेचुरलाइज्ड), प्रत्येक व्यक्ति, यूनियन का एक नागरिक होगा।''

इस पर मैंने वहां संशोधन का प्रस्ताव किया और कहा कि नागरिकता का क्लाज बहुत ही अस्पष्ट है तथा उसे और साफ किया जाना चाहिए, जैसा कि आपने भी ठीक ही बताया है। मैंने एक निश्चित अवधि की व्यवस्था रखी है। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति का भी इस देश में कम से कम 10 वर्ष तक देशीयकरण न हो जायेगा वह नागरिक न समझा जायेगा।

इस पर निम्नलिखित शब्द जोड़े गये—

> ''कानूनों के अनुसार और वहां के अधिकार-क्षेत्र के आधीन''

मुझे बताया गया कि इस रूप में मेरी बात आ जाती है, यद्यपि मैं संतुष्ट नहीं था। साधारण बुद्धि वाले मनुष्य की हैसियत से मैंने महसूस किया कि जो दृष्टि-बिन्दु मैंने रखा है, वह इस रूप में भी नहीं आ पाया। किन्तु तो भी कानूनी पंडितों की राय के आगे मैं लाचार था। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि नागरिक शब्द की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए और वह विधान में ही शामिल की जानी

चाहिए, न कि बाद में कानून बनाये जाने के समय के लिए छोड़ दी जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि उसकी स्पष्ट परिभाषा यहीं दी जाये और यह क्लाज स्थगित रखा जाये और इस पर कल विचार हो।

***श्री जगतनारायण लाल** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मेरा विश्वास है कि 'आयरिश फ्री स्टेट' के विधान में दी गयी नागरिकता की परिभाषा, इस संबंध में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उक्त विधान में यह परिभाषा इस प्रकार दी गयी है:

> ''इस विधान के चालू होने के समय आयरिश फ्री स्टेट के अधिकार के इलाके में निवास ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री-पुरुष के भेद बिना, जो आयरलैंड में जन्मा था या जिसके माता-पिता में से कोई भी आयरलैंड में जन्मा था या जो कम से कम 7 वर्ष तक आयरिश फ्री स्टेट के इलाके में साधारणत: निवासी रहा है, 'आयरिश फ्री स्टेट' का नागरिक है।''

मेरा ख्याल है कि यदि निवास के संबंध में ऐसी 7 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी जाये, तो उससे हमारी कठिनाई हल हो जायेगी।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** श्रीमान् मुझे मालूम होता है कि इस परिभाषा के शब्द, प्राय: शब्दश: अमेरिकन विधान से लिये गए हैं। अमेरिकन विधान में वह इस प्रकार है—

> 'संयुक्त-राज्य अमेरिका में जन्मे या देशीयकृत और वहां के अधिकार-क्षेत्र के अधीन सब व्यक्ति, संयुक्त-राज्य के तथा उस राज्य स्टेट के जिसमें वे रहते हैं, नागरिक हैं।'

किन्तु हमें बताया गया है कि 1868 वाली इस परिभाषा के अर्थ बाद के वर्षों में भिन्न-भिन्न लगाये गए हैं। अतएव, मेरा अनुरोध है कि यह विषय पुनर्विचार के लिए कल पर छोड़ दिया जाये। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण क्लाजों में से एक है। नागरिकता के प्रश्न पर सारे संसार में, उदाहरण के लिए येरूशलम में काफी झगड़े हुए हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर मतभेद की काफी गुंजाइश है। उदाहरणार्थ यदि एक जापानी बच्चा इस देश में पैदा होता है, तो क्या उसे इस देश का नागरिक या राष्ट्रजन सिर्फ इसलिए हो जाने देना चाहिए क्योंकि वह यहां जन्मा है? अथवा हम यह व्यवस्था करें कि यदि कोई आदमी इस देश में 10 या 15 साल रहता है, तो उसे इस देश का नागरिक होने का अधिकार मिलना चाहिये? मैं नहीं समझता कि इस देश की नागरिकता के मामले में हमें विदेशियों के बीच कोई भेद रखना चाहिए। मेरे विचार से मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं सोचा गया है, यह एक नई खोज है। यह ऐसे मामले हैं, जिन पर गहराई से विचार करने की जरूरत हैं अतएव मेरी तजवीज है। यह ऐसे मामले हैं, जिन पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। अतएव मेरी तजवीज है कि यह प्रश्न कल तक के लिए छोड़ दिया जाये। कल जब हम लोग साथ बैठेंगे, तो विचार कर लेंगे कि मौजूदा परिभाषा को किस रूप में संशोधित किया जाये।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** श्रीमान्, मैं इस सभा का ध्यान केवल ब्रिटिश नागरिक की परिभाषा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस परिभाषा से भी कठिनाइयां पैदा हुई हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए उन लोगों को पृथक् व्यवस्था रखनी पड़ी है। यह कोई इतना सरल कार्य नहीं है कि एक ही रात में या यों कहिये कि कल सेवेरे तक, आप एक राष्ट्रीयता कानून (नैशनेलिटी एक्ट) गढ़ कर तैयार कर लें। ब्रिटिश परिभाषा, जिसका मैंने जिक्र किया है, इस प्रकार है—

(1) निम्नलिखित व्यक्ति, प्रकृतजात ब्रिटिश-प्रजा-जन समझे जायेंगे—

(क) कोई भी व्यक्ति, जो सम्राट के राज्य (डोमिनियन) तथा भीतर जन्मा है और राज्य निष्ठा रखता है।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो सम्राट के राज्य (डोमिनियन) से बाहर जन्मा है, जिसके जन्म के समय उसका पिता एक ब्रिटिश प्रजा-जन था और जो नीचे लिखी कोई भी शर्त पूरी करता है, अर्थात् यदि,

(1) उसका पिता सम्राट की राज-भक्ति में पैदा हुआ था, या

(2) उसका पिता ऐसा व्यक्ति था, जिसे देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका था, या

(3) उसका पिता किसी इलाके के (राज्य) में मिलाने के कारण, एक ब्रिटिश प्रजा-जन हो चुका है।

(4) उसका पिता, उस व्यक्ति के जन्म के समय, ताज (क्राउन) की नौकरी में था, या

(5) उसके जन्म की रजिस्ट्री एक साल के भीतर या विशेष परिस्थितियों में आदि-आदि किसी ब्रिटिश वाणिज्य-दूतावास (कंस्युलेट) में हो चुकी थी,

(ग) कोई भी व्यक्ति जो एक ब्रिटिश जहाज पर पैदा हुआ है, चाहे वह जहाज विदेशी समुद्र सीमा में रहा हो अथवा नहीं।

इस कानून से भी विवाहित स्त्रियों के मामले में कठिनाई पड़ी है इसलिए, यदि कम से कम एक बात का निर्णय कर लिया जाये और यदि हम आम तौर पर सिद्धांत स्वीकार कर लें, तो अधिक अच्छा होगा। मेरे मित्र श्री अनंतशयनम् आयंगर मुझसे अधिक आशावान् हैं। मैं नहीं समझता था कि कल सवेरे तक इस कठिनाई का हल ढूंढ निकालना, हमारे लिए सम्भव होगा। फिलहाल हमें साधारण सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए इस पर बाद में विचार कर लिया जायेगा कि उसके साथ कौन सी शर्तें शामिल रहनी चाहिएं और उसमें किस संशोधन की आवश्यकता है। एक रात के भीतर कल दिन के 11 बजे से पहले हमें राष्ट्रीयता कानून गढ़ने की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** प्रस्तावक के विचारार्थ क्या मैं एक बात सुझा सकता हूं। चूंकि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है—और ऐसा विषय है जिसे मैं स्वयं बड़े महत्त्व

का समझता हूं—इसलिए, यदि इस प्रकार का एक संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, तो उससे हमारी बहुतेरी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। आप वाक्य को इस प्रकार शुरू करें:

> ''सिवा उन स्थितियों के जिनके विरुद्ध यूनियन के कानून में कोई व्यवस्था रखी गयी है, यूनियन में जन्मा या यूनियन के कानूनों के अनुसार उसकी अधिकार सीमा के अन्दर देशीकृत प्रत्येक व्यक्ति यूनियन का नागरिक समझा जायेगा।''

अमेरिकन विधान में क्या व्यवस्था है यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु मैं समझता हूं कि क्लाज का यह रूप इतना व्यापक है कि इस यूनियन में जन्मा हर व्यक्ति यूनियन का नागरिक हो सकेगा और एक नागरिक के अधिकार, क्लाज 9 में नियत ही कर दिये गए हैं।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ आधुनिक संसार में राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार हैं। एक है व्यापक राष्ट्रीयता का और दूसरा संकुचित राष्ट्रीयता का। दक्षिण अफ्रीका में हम वहां के जन्मे भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीयता का दावा करते हैं इसलिए इस सम्बन्ध में संकुचित दृष्टिकोण रखना उचित नहीं है।

*__अध्यक्ष:__ दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए वहां की राष्ट्रीयता का दावा हम केवल उनके वहां जन्मने के कारण नहीं बल्कि वहां बस जाने के कारण करते थे।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ जी, हां। यह विधान दस वर्ष के लिए है, जिसके बाद उसमें संशोधन किया जा सकेगा। हमने एक शर्त जोड़ दी है, जिससे हमारी सारी कठिनाई हल हो जाती है। मैं आपसे विचार करने को कहता हूं कि आखिर कितने विदेशी पुरुष तथा स्त्री भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए भारत में बच्चे पैदा करने आते हैं। यह अजीब ख्याल है कि इस अभिप्राय से आप हमारे विधान में जातीय (racial) मूलक शब्दावली रखने जा रहे हैं हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि नागरिकता के विषय में हम जो व्यवस्था रखेंगे, उसे सारी दुनिया जांचेगी। जो कुछ हम यहां कर रहे हैं, उस पर सारे संसार की दृष्टि है। यदि आप इस मामले को स्थगित करते और कानूनी विवाद पैदा करते हैं, तो ऐसा करने में हमें भारी खतरा उठाना होगा। इसके नियम प्रत्येक शब्द की टीका-टिप्पणी करके आप यह मामला कभी समाप्त न कर पायेंगे। यह एक सीधी-सादी समस्या है। कुछ विदेशी तो यहां सदा आते रहेंगे। यह आकस्मिक राष्ट्रीयता होगी। यदि जन्म के संयोग से कोई व्यक्ति यहां आ जाता और रुकता है, तो उस शर्त के आधीन जो हमने रखी है, द्विराष्ट्रीयता पर हम कानून-निर्माण द्वारा नियंत्रण रख सकते हैं। हमेशा हम उस पर नियंत्रण रख सकते हैं।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य** (मद्रास : जनरल): हमें स्मरण रखना चाहिए कि इस क्लाज का ठोस उद्देश्य भारत की एक संयुक्त-नागरिकता को जन्म देना है। संयोगवशात आए हुए विदेशियों की नागरिकता सम्बन्धी सम्भावनाओं से हमें शंकित न होना चाहिये।

***माननीय डॉ. कैलाशनाथ काटजू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने इस विषय की जो विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की है, उससे अधिक कुछ कहना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मेरा सुझाव है कि परिभाषा के वर्तमान स्वरूप में हम इस प्रकार की कोई चीज और जोड़ दें। वर्तमान कानून के अनुसार, आज ब्रिटिश भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर कहीं पैदा होता है, तो वह भारतीय प्रजा-जन हो जाता है, क्योंकि वह एक भारतीय प्रजा-जन का बेटा है। यह इस रूप में रखा जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कोई विवाद ही न पैदा हो। इसे, साथ की शर्त पर न छोड़ दिया जाना चाहिये। भारतीय यूनियन का प्रजा-जन जब कभी संसार के किसी भी भाग में जाता है, और यदि वहां उसके बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा भारतीय यूनियन का प्रजा-जन हो जाता है। मैं इसी को कानून समझता हूं। यदि कानून ऐसा नहीं है, तो यूनियन का कानून ऐसा होना अत्यावश्यक है। विदेशों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए अब हम अपने अनेक राजदूतों को बाहर भेज रहे हैं। यह बड़े शोक की बात होगी, यदि बाहर जाने वाले इन लोगों के वहां बच्चे पैदा होने पर हम इन बच्चों को भारतीय प्रजा-जन न मान सकें। परिभाषा में इसका जोड़ा जाना जरूरी है। द्विराष्ट्रीयता के संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसका कानून एकदम साफ है। 'आजाद हिन्द फौज' के कर्मचारियों के मुकदमों की सुनवाई के समय इस पर बहुत जोर दिया गया था। उस समय मालूम हुआ कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि यदि एक गैर-ब्रिटिश प्रजा-जन के भारत में बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को द्विराष्ट्रीयता प्राप्त हो सकती है—एक उस देश की जहां वह जन्मा है और दूसरी उस देश की जहां के कि उसके माता-पिता हैं। वयस्क (बालिग) हो जाने पर उसे अधिकार होता है कि वह एक राष्ट्रीयता को स्वीकार कर ले और दूसरी को त्याग दे। अपनी तरफ से तो मेरा कहना है कि भारत की भूमि पर जो भी पैदा हो, उसका भारतीय यूनियन के प्रजा-जन के तौर पर स्वागत होना चाहिये। यह एक स्पष्ट और समझ में आने वाली बात है। मेरा विचार है कि हमें इसे मान लेना चाहिये।

***श्री के.एम. मुंशी:** जैसा कि डॉक्टर काटजू ने सुझाया है, भारतीय माता-पिता से उत्पन्न प्रत्येक बच्चे को यूनियन की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिये। असल में यह क्लाज पहले जिस रूप में रखा जा रहा था, उसमें यह व्यवस्था थी कि बच्चों को नागरिकता प्राप्त होगी, यदि उनकी पैदायश के समय उनके माता-पिता भारतीय नागरिक हों। किन्तु ऐसा ख्याल किया गया कि यदि आप इस

क्लाज में विभिन्न बातें, शर्तें आदि रखना एक बार शुरू करते हैं, तो हमें यहीं और इसी समय राष्ट्रीयता का एक कानून तैयार करने में व्यस्त हो जाना पड़ेगा। इसीलिए, जिस संशोधन का प्रस्ताव मैंने किया था, वह शामिल कर लिया गया। वह संशोधन यही था कि इन विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए आवश्यक व्यवस्था यूनियन के कानून द्वारा कर ली जायेगी। आखिर हम लोग कोई राष्ट्रीयता सम्बन्धी कानून नहीं बना रहे हैं। हम केवल दो अनिवार्य शर्तें रख रहे हैं, जो यह है कि भारत में पैदा तथा यूनियन के कानून के अनुसार देशीयकृत व्यक्ति नागरिक होंगे। यह संसार जातिय नागरिकता और लोकतंत्रात्मक नागरिकता के विचारों के बीच बंटा हुआ है; इसलिए यह जताने के लिए कि हम लोकतंत्रात्मक सिद्धांत के पक्ष में हैं, 'भारत में पैदा' शब्द आवश्यक हो जाते हैं।

*माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, इन सारे ही विचार-बिन्दुओं की व्यवस्था इस क्लाज के अन्तर्गत आसानी से की जा सकती है—

> ''यूनियन की नागरिकता के सम्बन्ध में और व्यवस्था, यूनियन के कानून द्वारा की जा सकती है।''

विभिन्न दृष्टि-बिन्दुओं से सुझायी गयी सारी कठिनाइयां इसके द्वारा हल हो जाती है। यदि ऐसा आवश्यक हो, तो नागरिकता के सम्बन्ध में यूनियन कोई भी कानून बना सकती है। आखिर कितने लोग बाहर जा रहे हैं? केवल कुछ लोग। फर्ज कीजिये कि कुछ बच्चे (देश से) बाहर पैदा होते हैं, और यदि कोई आवश्यकता पड़ी तो, इस शर्त से ऐसी कठिनाइयों की पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है। विरोधी पक्ष की कठिनाइयों की भी व्यवस्था हो जाती है; अतएव हमारी साधारण प्रस्तावना अथवा इन मूल अधिकारों के अन्तर्गत नागरिकता का साधारण अधिकार ऐसे विस्तीर्ण आधार पर निश्चित होना चाहिये, कि जो भी कोई हमारे कानून पढ़े, वह केवल यही ख्याल कर सके कि हमने उसे निर्मित करने में व्युत्पन्न, आधुनिक, सु-संस्कृत मति से काम लिया है। नागरिकता संबंधी खोज अमेरिकन विधान के नमूने पर लिया गया है, जो न्यूनाधिक रूप में ब्रिटिश से मिलता-जुलता है। इसलिए हमें इसमें हस्तक्षेप न करना चाहिये। और हमें इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष के मध्यवर्तीकाल में इससे कोई भी कठिनाइयां नहीं उत्पन्न होने को हैं यदि 10 वर्ष तक विधान बरतने के अनुभव के बाद, हमें कोई कठिनाइयां मालूम पड़ें तो हम उसे आसानी से बदल सकते हैं। किन्तु मुझे कोई संदेह नहीं है कि इससे कोई जटिलता या कठिनाई नहीं उठने को है। यह एक सीधा-सा खण्ड है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधान के लिए सर्वथा योग्य होगा और हमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

*माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः श्रीमान्, मैं समझता हूं कि शब्द ''अधिक व्यवस्थाएं'' होना चाहिये अर्थात् 'व्यवस्था' शब्द बहुवचन में होना चाहिये।

***अध्यक्षः** सुविख्यात कानूनी पंडितों (वकीलों) की विद्वत्तापूर्ण वक्तृताएं सुनने के बाद भी मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे अभी विश्वास नहीं है कि यह क्लाज जिस रूप में इस समय है, वह ठीक रखा गया है। किन्तु तो भी सभा उसे मौजूदा रूप में ही स्वीकार करने को स्वतंत्र है।

***श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरीः** श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि इस क्लाज का विचार और स्थगित रखा जाये।

***अध्यक्षः** मुझे भय है कि ऐसा सम्भव नहीं है।

इन शब्दों से—

> ''यूनियन की नागरिकता के सम्बन्ध में अधिक व्यवस्थाएं, यूनियन के कानून द्वारा की जा सकती हैं।''

स्थिति न सुधरेगी, क्योंकि 'अधिक' का अर्थ है अतिरिक्त तथा संशोधन के जरिये अतएव क्लाज के प्रथम भाग में जो व्यवस्थाधिक्य है, वह इसके द्वारा किसी रूप में कम न होगा। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं अपना विचार प्रकट करने के सिवा इस सभा को प्रभावित करना नहीं चाहता और मैं इसे आपके मत पर छोड़ता हूं।

***कई माननीय सदस्यः** क्लाज अभी रोका रखा जाये।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः** श्रीमान्, क्या आप मुझे एक शब्द कहने की अनुमति देंगे? यहां कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में किसी सदस्य को इस क्लाज पर बोलने की अनुमति देना ठीक होगा। यह सुझाव आया कि इस क्लाज का विचार स्थगित कर दिया जाये और मालूम होता है कि यह सुझाव बहुत से सदस्यों ने दिया है।

प्रश्न है कि—

इस क्लाज का विचार स्थगित कर दिया जाये।

(सदस्यों से हाथ उठवाकर, उनके मत लिये गये)

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** इस सभा के उन सदस्यों से जो न्यायवेत्ता तथा कानून के पंडित हैं, विशेषकर प्रार्थना करूंगा कि वे इस क्लाज पर ध्यानपूर्वक विचार करें और हमारे सामने कोई ऐसी चीज रखें जो सबको स्वीकार्य हो। यदि इन लोगों का भी यही विश्वास है कि यह क्लाज अपने वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, तो मुझे सन्देह नहीं है कि सभा उनका यह मत, उसी सम्मान के साथ स्वीकार करेगी। जिसके कि वे अधिकारी हैं।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरः** श्रीमान्, हमारी कमेटी बड़ी है और नागरिकता के प्रश्न पर विचार-परामर्श करने के लिए बीस आदमियों

की संख्या की संख्या अव्यावहारिक है। साथ ही पूरे प्रश्न पर सोच-विचार हो भी चुका है, अतएव मेरा सुझाव है कि इस क्लाज पर विचार करने के लिए एक छोटी-सी कमेटी नियुक्त कर दी जाये।

*__श्री के.एम. मुंशीः__ यह अधिक अच्छा होगा। ये लोग एक साथ बैठकर सोच-विचार कर सकते हैं, क्योंकि यह विशुद्ध टेक्निकल विषय का सोच-विचार है।

*__अध्यक्षः__ यह विशुद्ध कानूनी विषय है और इसलिए इसका मस्विदा तैयार करने का काम मैं कानून के जानकार सदस्यों (वकीलों) पर छोड़ना चाहता हूं।

*__श्री के.एम. मुंशीः__ तीन कमेटियां इस प्रश्न के हर पहलू पर बड़ी बारीकी से विचार कर चुकी हैं। अब आप ही व्यक्तियों को नामजद कर सकते हैं, जो इस प्रश्न पर आपके साथ विचार-परामर्श करेंगे।

*__अध्यक्षः__ बात यह नहीं है कि केवल मैं ही इसके सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं हूं, बल्कि इस सभा के अधिकांश सदस्य इसके प्रति सन्देहशील है। इसलिए केवल मेरे साथ विचार-परामर्श करने से कोई लाभ नहीं है। यदि मैं सन्तुष्ट भी होऊं, पर सभा सन्तुष्ट न हो, तो इससे मामला तय नहीं हो सकता।

*__श्री आर.वी. धुलेकरः__ श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि सर बी.एल. मित्तर, डॉ. काटजू और श्री के.एम. मुंशी की एक छोटी-सी कमेटी, इस मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त कर दी जाये।

*__माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः__ मेरा ख्याल है कि मामला, अध्यक्ष महोदय और कमेटी के सभापति पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

*__अध्यक्षः__ यदि यह मुझ पर छोड़ा जाता है, तो मैं वकीलों से इस प्रश्न पर विचार करने को कहूंगा।

*__डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैयाः__ मेरा सुझाव है कि तीन वकीलों के अतिरिक्त एक सहज बुद्धि का व्यक्ति भी शामिल कर लिया जाये।

*__अध्यक्षः__ वकीलों को, मैं सहज बुद्धि के लोगों की श्रेणी से बाहर नहीं गिनता।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः__ श्रीमान्, मैं क्लाज 4 के विचार का प्रस्ताव करता हूं, जो नीचे लिखे अनुसार है:

> "4 (1) धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री-पुरुष विभेद के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी प्रकार का भेद-भाव न बरतेगा।
>
> (2) धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री-पुरुष विभेद आदि किसी भी कारण से इन बातों के सम्बन्ध में किसी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव न बरता जायेगा।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

(क) व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, जिनमें सार्वजनिक रेस्तरां तथा होटल भी शामिल हैं, प्रवेश।

(ख) सार्वजनिक धन से पूर्णतः अथवा अंशतः चलाये जाने वाले या साधारण जनता के व्यवहार के लिए प्रदत्त कुओं, तालाबों, सड़कों, तथा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग।

किन्तु शर्त यह है कि इस क्लाज की किसी भी बात से स्त्रियों और बच्चों के लिए पृथक् व्यवस्था कर सकने में कोई बाधा न पड़ेगी।

यह एक ऐसा क्लाज है जिसमें भेदभाव की व्यवस्था नहीं है और ऐसा खण्ड प्रायः हर विधान में मौजूद है और हमारे देश की विशेष स्थितियों के उपयुक्त बनाने के लिए उसमें यहां कुछ रद्दोबदल भी किया गया है। इस सम्बन्ध में अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं और कमेटी में भी इस प्रश्न पर काफी बहस-मुबाहसा हुआ था और मुझे निश्चय है कि इस सभा में भी होगा। एक शर्त भी लगा दी गयी है, जो जरूरी समझी गयी थी क्योंकि हमारे देश की वर्तमान स्थिति में एक गैर-विभेद-मूलक खण्ड में भी, स्त्री तथा बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

सन्देह दूर करने के लिए, कुछ संशोधनों की सूचना दी गयी है। उप-खण्ड 2—(क) में 'और सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान' जोड़ देने की तजवीज, बहस के दौरान में की गयी थी। उप-खण्ड 2—(ख) में 'सार्वजनिक धन' शब्दों की जगह 'राज्य-धन' शब्द रखे जाने का सुझाव किया गया। सार्वजनिक धन चंदे या निजी प्रबन्ध से भी प्राप्त किया जा सकता है; पर उप-खण्ड में राज्य-धन से अभिप्राय है। उप-खण्ड के लिए सुझाया गया है कि 'make no discrimination' भेदभाव न रखेगा की जगह, 'not discriminate' भेदभाव न करेगा शब्द रखे जाने चाहिए। मैं इन संशोधनों को बाजाब्ता आने पर मंजूर कर लूंगा।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** क्या सरदार पटेल स्वयं ये संशोधन रख रहे हैं?

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैंने कहा है कि उनके बाजाब्ता पेश किये जाने पर मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रांत : जनरल): माननीय प्रस्तावक से क्या मैं एक बात जान सकता हूं? क्या मैं जान सकता हूं कि उप-क्लाज 1 में जो कुछ पहले कहा जा चुका है, उसे उप-क्लाज 2 में दोहराने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? मेरा मतलब इन शब्दों से है—

> "धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री-पुरुष के भेद आदि किसी भी कारण निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में, किसी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव न होगा—......."

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** यह बहुत सीधी बात है। पहला उप-क्लाज राज्य के कर्त्तव्य के सम्बन्ध में है। दूसरा उप-क्लाज बहुत-सी ऐसी बातों के विषय में है, जिनका राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, उदाहरणार्थ सार्वजनिक रेस्तरां और होटल, जो राज्य द्वारा नहीं चलाये जाते। यह एक पूर्णतया भिन्न विचार है, और इसीलिए वह नितान्त आवश्यक है।

***श्री महावीर त्यागी:** इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। दूसरा उप-क्लाज होटलों और रेस्तराओं के लिए है। यह कहना कि रेस्तराओं तथा होटल यह या वह करेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों (सार्वजनिक रेस्तराओं तथा होटल आदि) में प्रवेश के सम्बन्ध में धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री-पुरुष के भेद आदि किसी कारण से किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव न रखा जायेगा, उन प्रतिष्ठानों को (राज्य में) शामिल करना है, जो राज्य में शामिल नहीं हैं। यह उनकी देखभाल की बात है। किन्तु यदि हमें उनके लिए भी कानून बनाना है, जो 'राज्य' में शामिल नहीं हैं, तो हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये। क्या हम यह (सब) एक क्लाज में नहीं रख सकते थे कि रेस्तराओं, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों आदि के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव न रखा जायेगा? क्लाज इस समय जिस रूप में है, उससे यह मतलब नहीं निकलता। या तो क्लाज की भाषा कुछ बदली हुई होनी चाहिए या फिर हो सकता है कि मैंने स्वयं इस क्लाज का सही मतलब ही नहीं समझा है।

***श्री आर.के. सिधवा:** 'होटल तथा सार्वजनिक रेस्तरां' शब्द विशेष कारणों तथा नियम उद्देश्य से रखे गये हैं। जनता उनका ही उपयोग करती है, आज भी उन्हें खोलने के लिए स्थानीय साधिकार संस्थाओं से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। यह बहुत आवश्यक है कि सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के इन स्थानों-होटलों और रेस्तराओं का निश्चित उल्लेख किया जाये, ताकि उनके मालिक यह न कह सकें कि वे उनमें अमुक को आने देंगे और अमुक को न आने देंगे। इन शब्दों का निश्चित और विशिष्ट मतलब है और वे पूर्णतया आवश्यक हैं; अतएव मेरा जोरदार सुझाव है कि ये शब्द रहने दिये जायें, जिनको सरदार पटेल ने प्रस्ताव में रखा है।

***श्री के.एम. मुंशी:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

(1) क्लाज 4 (1) में 'make no discrimination' की जगह 'not discriminate' शब्द रखे जायें।

यह केवल शब्द परिवर्तन का प्रश्न है।

(2) क्लाज 4 सब क्लाज 2 (क) में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें: सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान'

यह भी सन्देह प्रकट किया गया था कि आया सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान समझे जा सकते हैं या नहीं, उसे स्पष्ट करने के लिए कि सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, यह संशोधन पेश किया गया है।

[श्री के.एम. मुंशी]

(3) ''क्लाज 4 उप-क्लाज (2) में ''सार्वजनिक धन' की जगह 'राज्य-धन' शब्द रखे जायें।''

'सार्वजनिक धन' का मतलब कुछ और लगाया जा सकता है, ऐसा धन, निश्चित उद्देश्य के लिए चंदे से एकत्र किया गया रुपया भी हो सकता है। इस संशोधन से यह संदेह दूर हो जायेगा।

***अध्यक्षः** इस क्लाज के लिए अनेक अन्य संशोधनों की भी सूचना हमें प्राप्त हुई है।

***श्री पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): इस क्लाज के सम्बन्ध में बतौर राय के क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं? क्लाज का इतना लम्बा मस्विदा रखकर, हम भारत के पूर्ण विधान पर अस्पृश्यता की छाया डाल रहे हैं। सभा से मेरी अर्ज है कि इस क्लाज विशेष में, यदि हम केवल इतना ही कहें, कि—

> ''केवल धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री-पुरुष भेद के कारण, राज्य, किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति न देगा।''

—तो यह काफी होना चाहिये और इससे यूनियन सरकार को होटलों, रेस्तराओं, पार्कों, थियेटरों आदि के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करने का पर्याप्त अवसर भी रहेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि क्लाज से उसका दूसरा भाग, सारा-का-सारा निकाल दिया जाये। हमें यह न भूलना चाहिये कि हमें अपने को केवल उन्हीं अधिकारों तक सीमित रखना है, जो मूल अधिकार हैं और अवश्य रहने चाहियें। एक नागरिक को क्या-क्या विभिन्न अधिकार मिलने चाहियें, उनकी सूची देने का यह स्थान नहीं है। यहां हमें केवल अदालती निर्णय योग्य मूल अधिकारों से मतलब है। खण्डों के भीतर उन तमाम स्थानों की सूची भरना, जिनमें सब लोग प्रवेश पा सकेंगे, अनुचित होगा। अतएव, श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि यदि हम इस पूरे खण्ड की जगह केवल निम्नलिखित वाक्य रहने दें, तो इससे हमारा मतलब हल हो जायेगा। यह वाक्य हैं—

> ''केवल धर्म, नस्ल, जाति या स्त्री-पुरुष भेद के आधार पर, राज्य, किसी भी नागरिक के खिलाफ न तो स्वयं कोई भेदभाव रखेगा और न ऐसे भेदभाव की अनुमति ही देगा।''

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, किन्तु सिद्धान्त या राजनीतिक मत के कारण कोई भेदभाव न बरता जाना चाहिये। इन खण्डों का सारा विचार यह है कि धर्म, जाति आदि के कारण राज्य द्वारा अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा भेदभाव का व्यवहार न होना चाहिये। भारत की आज की अप्राकृतिक परिस्थिति में धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत तथा इसी प्रकार के अन्य विभेदों का बोलवाला है। किन्तु व्यवस्थित दशा आने पर, राजनीतिक मतांतरों का सर्वाग्र होना निश्चित है और राज्य अथवा सार्वजनिक संस्थाओं

में, राजनीतिक मतभेद के आधार पर राजनीतिक दलों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव रखने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती हैं आप देखेंगे कि संसार के प्रत्येक देश में, राजनीतिक मत या दल भेद के आधार पर बनने जाने वाले भेदभाव को दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं।

अतएव, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं—

'कि खण्ड 4 के सब खण्ड (1) में' ''grounds of'' शब्दों के बाद ''political creed'' जोड़ दिया जाये।

इसी प्रकार मेरा प्रस्ताव है कि—

> ''क्लाज 4 के उप-क्लाज (2) में, 'जाति' शब्द के बाद 'विश्वास' शब्द जोड़ दिया जाये।''

क्लाज 4 के इसी उप-क्लाज के लिए श्री कामत के संशोधन का भी मैं समर्थन करता हूं।

*__अध्यक्ष:__ क्या आपने दोनों संशोधनों का प्रस्ताव किया है?

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ श्रीमान्, मैंने दोनों ही संशोधनों का प्रस्ताव किया है।

*__श्री एच.वी. कामत:__ श्रीमान्, इस संशोधन का प्रस्ताव करते हुए, मैं धर्म (रिलीजन) और विश्वास (क्रीड) के बीच भेद रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि 'रिलीजन' (धर्म) शब्द इतना व्यापक नहीं है कि उसमें 'विश्वास' (क्रीड) भी आ जाये। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति रूढ़िवादी या नियमित अर्थों में कोई 'धर्म' स्वीकार न करते हुए भी, कुछ विश्वास (creed) रख सकता है। एक आदमी कह सकता है कि उसका कोई धर्म नहीं है, किन्तु तो भी वह कह सकता है कि वह एक तर्कवादी (रेशनलिस्ट) अथवा स्वतंत्र विचारक है। मैं समझता हूं कि यह एक विश्वास (क्रीड) की बात ही है, जिसे कोई भी व्यक्ति घोषित कर सकता है और फिर भी कह सकता है कि वह हिन्दू, मुस्लिम या सिख धर्म में नहीं है या यों कहिए कि किसी धर्म में नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस क्लाज में 'विश्वास' (क्रीड) शब्द रखा जाना चाहिए।

राजनीतिक विश्वास के संबंध में मेरे मित्र श्री लाहिरी के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं। मैं जरूर मानता हूं कि ऐसा समय आ सकता है जब हमें ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव रखना पड़े, जिनका राजनीतिक विश्वास हिंसा या ऐसे ही आपत्तिजनक उपायों द्वारा राज्य को उलट देने का हो। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हमें भेदभाव से काम लेना पड़ सकता है। पर मेरी अर्ज है कि 'क्रीड' शब्द का मतलब 'पोलिटिकल क्रीड' (राजनीतिक विश्वास-प्रणाली) शब्दों से भिन्न है। जहां तक 'रंग' (कलर) का संबंध है, शायद यह जाति या 'नस्ल' (race) शब्द के अन्तर्गत आ जाता है। किन्तु इसके संबंध में भी, मेरे अपने संदेह हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि 'नस्ल' (रेस) शब्द यहां रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि हम भारत में कई जातियों का होना स्वीकार करते हैं।

[श्री एच.वी. कामत]

यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। तो भी यहां उपस्थित वंश विद्या के विशेषज्ञों (ethnologist) का विचार है कि भारत में बहुत सी जातियां हैं और (race) शब्द का रहना जरूरी है, तो मैं उनकी ही बात मान लूंगा। किन्तु मेरा ख्याल है कि ऐसी दशा में, इस क्लाज में 'रंग' (कलर) शब्द होना चाहिए।

*__एक माननीय सदस्यः__ रंग से आपका क्या मतलब है?

*__श्री एच.वी. कामतः__ रंग से मतलब है आपकी चमड़ी का रंग। दो व्यक्ति एक ही वंश के हो सकते हैं पर उनके रंग भिन्न हो सकते हैं। अतएव इसे अधिक स्पष्ट रूप देने के लिए, मेरा प्रस्ताव है कि—

> "क्लाज 4 के उप-क्लाज (1-2) में 'जाति' शब्द के बाद, 'रंग', 'विश्वास' शब्द जोड़ दिये जाने चाहिएं।"

*__श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरीः__ श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं—

> "क्लाज (4) के उप-क्लाज (2) में 'स्त्री-पुरुष भेद' (सेक्स) शब्द के बाद ये शब्द जोड़ दिये जाने चाहिएं—'अथवा किसी राष्ट्रीय पहनावे के आधार पर'।"

प्रायः यह हंसी की सी बात पड़ती है। किन्तु आज भी, जब हम स्वाधीनता प्रांगण तक पहुंच चुके हैं, ऐसे होटल मौजूद हैं जो भारतीय वेशभूषा वाले व्यक्तियों का स्वागत नहीं करते। मैं हाल की एक घटना जानता हूं, जब मेरे प्रांत के चार भारतीय सज्जनों को एक होटल में रहने की अनुमति इसलिए नहीं दी गयी, चूंकि ये लोग भारतीय पोशाक में थे। मुझे इस बात का डर नहीं है कि भविष्य में भी कोई होटल-मालिक यह रोक लगायेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश आज कुछ ऐसे होटल हैं, जिनके मालिक या प्रबंधकर्त्ता यूरोपियन हैं, और इन होटलों में भारतीयों को भारतीय पोशाक में नहीं घुसने दिया जाता अथवा यह शर्त लगायी जाती है कि भारतीय पोशाक में वे भोजन के कमरों (डाइनिंग रूमों) में न दाखिल हों। भविष्य का डर मुझे इसलिए नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाधीन होने पर इस प्रकार के प्रतिबंध तथा रोकें गायब हो जायेंगी। किन्तु मुझे भय इस बात का है कि कहीं यूरोपियन विचारों के ऐसे लोगों के खिलाफ प्रतिशोध या बदले की भावना न जागृत हो जाये और यूरोपियन पोशाक में लोगों को होटलों में आने की अनुमति न मिले। मैं चाहता हूं कि सभा यह संशोधन स्वीकार करे।

*__श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः__ श्रीमान्, जो संशोधन मेरे नाम से आया है, मैं उसको नहीं रखना चाहता। (पूरकमेंटरी लिस्ट का संशोधन नम्बर 12, तारीख 28 अप्रैल 1947)।

श्री डी. गोविन्ददास (मद्रास : जनरल): *(तेलगू में बोले)* श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"खण्ड 4 के उप-खण्ड 2 (ख) में 'सड़कों' शब्द के बाद 'स्कूल, छात्रावास, होस्टल, मन्दिर या ईश आराधना के सार्वजनिक स्थान' शब्द जोड़ दिये जायें।"

***श्री वी.सी. केशवराव** (मद्रास : जनरल): मेरा प्रस्ताव है कि 'क्लाज 4 के उप-क्लाज 2 (ख) में 'सड़कों' शब्द के बाद 'स्कूल, मन्दिर, या ईश आराधना के सार्वजनिक स्थान' शब्द जोड़ दिए जायें।'

मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में यद्यपि कुछ स्कूलों में हरिजन-बालक प्रवेश पा सकते हैं, किन्तु उन्हें सवर्ण हिन्दू छात्रों के साथ नहीं बैठने दिया जाता। इन हरिजन बालकों से फर्श पर अथवा कुछ फासले पर बैठने को कहा जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं शिक्षा प्रत्येक नागरिक का जन्म-सिद्ध अधिकार है। मंदिरों के सम्बन्ध में मेरी अर्ज है कि अछूतों को ईश्वर की आराधना केवल कुछ फासले से करने दी जाती है न कि देवता के सामने। यद्यपि पिछली कई शताब्दियों से अछूत कहते आ रहे हैं कि वे हिन्दू हैं, फिर भी उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और ईश्वर की आराधना उनसे दूर से कराई जाती है तथा न कि मंदिर के भीतर। मैं समझता हूं कि मंदिरों में अछूतों को प्रवेश न करने देने का मुख्य कारण अस्पृश्यता ही है। मेरी प्रार्थना है कि इन बातों पर विचार किया जाये।

***अध्यक्ष:** श्री पी. कक्कण के नाम से एक और संशोधन है। किन्तु श्री गोविन्ददास तथा श्री केशवराव पहले जिन संशोधनों का प्रस्ताव कर चुके हैं, उनमें श्री पी. कक्करण का यह संशोधन आ जाता है और इसलिए इस संशोधन (संशोधन नम्बर 15) को पेश करने की जरूरत नहीं।

***श्री अजीत प्रसाद जैन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"क्लाज 4 सब-क्लाज (2) (ख) में 'सड़कों' शब्द के बाद 'शिक्षा-संस्थाओं, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों' शब्द जोड़ें जायें और 'resort' शब्द के बाद 'built' शब्द रखा जाये।"

जो वक्ता अभी मुझसे पहले बोल चुके हैं, उन्होंने शिक्षा-संस्थाओं का जिक्र किया है। मुझे उन तर्कों को दोहराने की जरूरत नहीं हैं जिन स्थानों के सम्बन्ध में कोई भेदभाव न होना चाहिए, उनमें मैंने अस्पताल और डिस्पेंसरियां भी शामिल कर ली हैं, किन्तु शर्त यह है कि इन स्थानों को राज्य-धन से सहायता मिलती हो। शिक्षा-संस्थाएं, अस्पताल तथा डिस्पेंसरियां नैतिक, मस्तिष्क तथा भौतिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी हैं और मेरा मत है कि राज्य के धन से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने वाली कोई भी सार्वजनिक संस्था किसी के धर्म, जाति, नस्ल या स्त्री-पुरुष भेद के बिना सब व्यक्तियों के लिए खुली रहनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं पैरा 18 (3) (ख) का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि:

[श्री अजीत प्रसाद जैन]

"स्कूलों को सरकारी सहायता प्रदान करते समय राज्य, अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों के विरुद्ध चाहे वे धर्म, सम्प्रदाय, अथवा भाषा पर आधारित हों, भेदभाव न रखेगी।"

जो संशोधन मैंने सुझाया है, उससे यह व्यवस्था बेकार हो जायेगी, क्योंकि मैं यह अनिवार्य कर देना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षा-संस्था, अस्पताल या डिस्पेंसरी, यदि वह राज्य से कोई सहायता या अन्य प्रकार की मदद प्राप्त करती है, तो वह सब व्यक्तियों के लिए खुली रहनी चाहिये। दूसरे मैं चाहता हूं कि 'Resort' शब्द के बाद 'built' दो शब्द और जोड़ दिये जायें। क्योंकि राज्य द्वारा दी जाने वाली मदद एक-मुश्त या संस्था के चलाने के लिए नियत-कालीन सहायता के रूप में दी जा सकती है। क्लाज के वर्तमान स्वरूप में वे संस्थाएं न आ सकेंगी, जिन्हें भवन-निर्माण आदि के लिए राज्य से एक-मुश्त रकम की सहायता दी जाये। इसीलिए मेरा दूसरा सुझाव यह है कि 'रिजार्ट' शब्द के बाद 'बिल्ट' और शब्द जोड़ दिये जायें, ताकि दोनों ही प्रकार की संस्थाएं, जो राज्य के धन से निर्मित हुई हैं या जो राज्य के धन से चलती हैं, इस क्लाज की व्यवस्था के अन्दर आ जायें।

*__श्री आर.आर. दिवाकर__ (बम्बई : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"क्लाज 4 के उप-क्लाज (2) (ख) में 'और' (एण्ड) शब्द की जगह एक अर्ध-विराम (कॉमा) रखा जाये और 'स्थान (रिजोर्ट) शब्द के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें—और स्कूल, कालेज तथा अन्य संस्थाएं।"

सभा की निगाह में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह एक समान अवसर का प्रश्न है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में सबको समान अवसर दिया जाना चाहिये, ताकि जाति, विश्वास और धर्म आदि के कारण लोगों को किसी संस्था में प्रवेश पाने से वंचित न रखा जा सकें। इस सिलसिले में इस बात की कुछ शंका की जा सकती है कि यदि यह संशोधन स्वीकृत हो गया तो कई ऐसे स्कूलों में जो किसी के नाम से चलते हैं अथवा किन्हीं वर्गों या सम्प्रदायों द्वारा चलाये जाते हैं, बाढ़ आ जायेगी और सभी लोग इन स्कूलों में प्रवेश पाने की मांग करने लगेंगे। किन्तु इस संबंध में मेरा कहना है कि 'आम जनता के व्यवहार के लिये प्रदत्त' शब्दों द्वारा ऐसी स्थिति के लिए काफी संरक्षण मौजूद है। जब तक कि ये संस्थाएं पूर्णत: अथवा अंशत: राज्य के धन से नहीं चलायी जातीं और आम जनता के व्यवहार के लिए नहीं प्रदान की जातीं, तब तक यह संशोधन स्वीकार करने से इस प्रकार का कोई खतरा नहीं उठता। अतएव सभा से मेरी प्रार्थना है कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> ''खण्ड 4 के उप-खण्ड (2) के अन्त में 'आम जनता' शब्दों के बाद इतना और जोड़ दिया जाये—'और (ग) सब प्रकार की सार्वजनिक सवारियों का व्यवहार'।''

मैं नहीं समझता कि इसके सम्बन्ध में मेरे कुछ कहने की आवश्यकता है।

> ''खण्ड 4 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाये:—
>
> ''सार्वजनिक उपस्थिति के स्थान'' में किसी मंदिर से लगा हुआ कोई सहन या मकान भी शामिल है, जहां आम जनता के आमोद-प्रमोद के लिए संगीत तथा नाट्य सम्बन्धी प्रदर्शन, सिनेमा के खेल या अन्य मनोविनोद होते हैं।''

ऐसे बहुतेरे मंदिर हैं, जिनमें ऐसे घर सम्बद्ध हैं, जो 'नट-मंदिर' कहलाते हैं। त्योहारों में तथा अन्य अवसरों पर भी इनमें नाट्य का प्रदर्शन होता और सिनेमा दिखाया जाता है। कभी-कभी इन प्रदर्शनों में वे लोग भाग लेते हैं, जिन्हें आप 'हरिजन' कहते हैं, किन्तु स्वयं हरिजनों को ही उन्हें देखने के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाता। लोगों के लिए यह परेशानी का एक बड़ा कारण है। इसलिए मंदिर से सम्बद्ध किसी स्थान में जब कभी भी कोई प्रदर्शन या खेल-तमाशा हो, तो जनता के सब सदस्यों को उसमें प्रवेश पाना चाहिये।

***अध्यक्ष:** आप एक नया खण्ड जुड़वाना चाहते हैं, या यह खण्ड 4 का संशोधन है?

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** यह गलत स्थान पर रखा गया है। इसे खण्ड 6 के साथ एक संशोधन के रूप में रहना चाहिये।

***अध्यक्ष:** आप इसे खण्ड 6 के साथ ले सकते हैं।

अब वे सारे संशोधन, जिनकी सूचना मिली थी, उपस्थित हो चुके हैं। अतएव अब प्रस्ताव पर तथा उसके संशोधनों पर बहस की जा सकती है।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, क्लाज 4 में ''स्कूल, आदि'' जोड़ने के सम्बन्ध में मेरी अर्ज है कि यह विषय तब तक के लिए छोड़ दिये जायें जब तक कि हम क्लाज 18 पर नहीं पहुंचते। वर्ना क्लाज 4 पर की बहस अन्य बातों पर चली जायेगी, जिनका कि इस विषय से सम्बन्ध नहीं है। यदि बहस के फलस्वरूप क्लाज 4 में कुछ संशोधन करना आवश्यक हुआ, तो वह बाद में किया जा सकता है। जहां तक शिक्षा-व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसकी बहस 18वें क्लाज के साथ अधिक उपयुक्त होगी।

'मंदिरों' से सम्बन्ध रखने वाले संशोधनों के विषय में मेरा यही कहना है कि उनका सम्बन्ध 'अस्पृश्यता' से है और उन्हें छठवें क्लाज के साथ लिया जाना चाहिये। यह चौथा क्लाज केवल इस विषय से ताल्लुक रखता है कि सार्वजनिक

[श्री के.एम. मुंशी]

व्यवहार के स्थानों के सम्बन्ध में नागरिकों के क्या अधिकार हैं।

इसलिए मेरी अर्ज है कि सदस्यों को अनुमति दे दी जाये कि वे 18वें तथा 6वें क्लाजों के साथ अपने इन संशोधनों का प्रश्न उठायें।

***श्री आर.आर. दिवाकर:** श्री मुंशी के सुझाव की दृष्टि से मैं स्कूलों से सम्बन्ध रखने वाले अपने संशोधन को अभी स्थगित रखता हूं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुंओं, तलाबों आदि के अलावा जल के अन्य भी साधन है जैसे नहरें। क्लाज 4 में यह भी आ जाने चाहियें। इसलिए मैं ''तालाबों'' शब्द के बाद ''और जल-सप्लाई के अन्य साधन'' शब्द जोड़ना आवश्यक समझता हूं। ऐसा न होने से त्रुटि रह जायेगी।

इसके बाद फिर चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता देने में भी धर्म आदि की बिना पर भेदभाव बरता जा सकता है। यह एक खतरनाक बात होगी। इसलिए श्रीमान्, यदि आप नोटिस नहीं दिये जाने की खामी पर अधिक आपत्ति न करें, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ''सार्वजनिक उपस्थिति के स्थान'' के बाद ''तथा चिकित्सा-संस्थाएं'' शब्द जोड़ दिये जायें। तब उसका रूप इस प्रकार हो जायेगा—

> ''सरकारी धन द्वारा पूर्णत: या अंशत: चलने वाले अथवा आम जनता के व्यवहार के लिए प्रदत्त कुओं, तालाबों, सड़कों तथा सार्वजनिक उपस्थिति के स्थानों चिकित्सा-संस्थाओं का उपयोग''।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, मैं एक बात स्पष्ट करवाना चाहता हूं। फर्ज कीजिये कि किसी एक छोटे गांव में कोई जन-हितकारी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में एक कुआं बनवाता है, किन्तु उसने इस कुएं को सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं दिया, यद्यपि गांव के कुछ व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सब लोगों को उसका इस्तेमाल करने दिया। इस प्रकार उसने एक सार्वजनिक स्थान तो बनाया किन्तु उसे आम जनता के व्यवहार के लिए प्रदत्त नहीं किया; ऐसी दशा में क्या होगा और उस समय की स्थिति क्या होगी? खण्ड का जो स्वरूप है, उसका शब्द-विन्यास ठीक नहीं है और यह सभा सम्भवत: चाहेगी कि यहां वाक्य रचना कुछ और अच्छी हो।

***अध्यक्ष:** मैं प्रस्तावक से प्रार्थना करूंगा कि वे अब अपना उत्तर दें।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** पहला संशोधन श्री सोमनाथ लाहिरी का है। वे चाहते हैं कि राजनीतिक विश्वास के आधार पर कोई भेदभाव न बरता जाये। मैं नहीं जानता कि किस भेदभाव की ओर उनका संकेत है। भेदभाव विरोधी यह खण्ड केवल धर्म, जाति, वर्ण और स्त्री-पुरुषगत भेदभाव तक ही सीमित है या तज्जन्य भेदभावों के विरुद्ध ही उसमें व्यवस्था रखी गई है। वह चाहते हैं कि राजनीतिक-विश्वास के आधार पर बरते जाने वाले भेदभाव को भी

यहां शामिल कर लिया जाये। मेरी समझ में राजनीतिक मत के कारण बरते जाने वाले भेदभाव की निषेधात्मक व्यवस्था का विचार बिल्कुल बेतुका है। राजनीतिक विश्वास तो किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ ऐसे भी राजनीतिक विश्वास हो सकते हैं जो न केवल भेदभाव के योग्य हों बल्कि हो सकता है कि बिल्कुल ही कुचल दिये जाने योग्य हों।

अतएव, मैं समझता हूं कि यह (संशोधन) यहां के लिए मौजूं नहीं हैं दूसरा संशोधन 'रंग' के सम्बन्ध में है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। स्वयं भारतीयों में भांति-भांति के 'रंग' हैं। क्या हमें उन सबके लिए व्यवस्था करनी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सब संशोधन कुछ भी आवश्यक हैं। स्कूलों और कालेजों से सम्बन्ध रखने वाले संशोधन की व्यवस्था उस समय की जा सकेगी, जब हम उस विषय से संबंध रखने वाले खण्ड पर विचार करेंगे।

मुझे हर्ष है कि सारी बातों को लेते हुए इस सभा का मत है कि इस खण्ड की शब्दावली ठीक रखी गयी है।

अब केवल श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी का एक संशोधन रह जाता है। मैं नहीं समझता कि वास्तव में यह जरूरी है। किसी भी प्रकार की पोशाक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं अपनी मौजूदा पोशाक में वाइसराय-भवन भी जाता हूं और साधारण से साधारण किसान के घर भी जाता हूं। पोशाक के कारण अब कोई रोक नहीं है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** कुछ होटलों और रेस्तराओं में, भारतीय राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए भारतीयों के प्रवेश पर रोक है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** सब विदेशी जा रहे हैं। आपको इस कारण डरने की आवश्यकता नहीं है। पोशाक जैसी बातें मूल अधिकारों में नहीं रखी जा सकती। यदि सारा संसार हमारे मूल अधिकारों के अन्दर ऐसी बातों की व्यवस्था देखेगा, तो स्वभावत: वह समझेगा कि हम यह भी नहीं जानते कि अपने राष्ट्रजनों के साथ कैसे व्यवहार करें और अपने साथियों के संग हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए। मैं अपने मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि पहनावे या पोशाक के कारण अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैं नहीं समझता कि मूल अधिकारों के साथ इन बातों की व्यवस्था करना उचित होगा।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** कुछ होटलों और रेस्तराओं में भारतीयों के प्रवेश पर उनकी पोशाक के कारण जो रोक है, उसके विषय में आप क्या कहते हैं?

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** यह सारा विचार गुलामी के ख्याल से पैदा हुआ है। गुलामी का ख्याल हमारे कुछ लोगों पर सवार रहा है। किन्तु अब गुलामी की छाया भी नहीं रह गयी है।

***अध्यक्ष:** श्री देशमुख ने सुझाया है कि यदि आप निम्नलिखित रूप में एक खंड रखें तो वह काफी होगा—

[अध्यक्ष]

> ''केवल धर्म, आदि......... के आधार पर राज्य न तो कोई भेदभाव रखेगा और न ऐसा भेदभाव रखने की अनुमति ही देगा।''

ख्याल यह है कि यदि आप खण्ड को इस रूप में रखते हैं, तो उसके अंदर सारी बातें आ जायेंगी और दूसरे उप-खण्ड की जरूरत न रह जायेगी। इस रूप में निजी संस्थाएं तथा सरकारी संस्थाएं, दोनों ही आ जाती हैं। हम एक व्यापक अर्थों वाला खंड रख सकते हैं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** यदि नियमित रूप में कोई संशोधन न हो तो मैं मौजूदा खण्ड को उसके वर्तमान रूप में ही रखना पसन्द करूंगा।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधनों को एक-एक करके सभा के सामने रखूंगा। पहला संशोधन श्री मुंशी का है, जो इस प्रकार है—

> '' 'स्टेट शैल मेक नो डिस्क्रिमिनेशन' (राज्य कोई भेदभाव न रखेगा) शब्दों की जगह, 'स्टेट शैल नाट डिस्क्रिमिनेट' (राज्य भेदभाव न करेगी) शब्द रखे जायें।''

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मुझे संशोधन स्वीकार है।

***अध्यक्षः** प्रश्न है कि उपयुक्त संशोधन सभा द्वारा स्वीकार किया जाये।

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** दूसरा संशोधन इस प्रकार है—

> ''खण्ड 4 के उपखण्ड (2) (क) में 'होटल' शब्द के बाद 'तथा सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान' शब्द जोड़ दिये जायें।''

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मुझे संशोधन स्वीकार है। 'होटल' शब्द से पहले का 'तथा' निकाल दिया जाना चाहिये और 'होटल' शब्द के बाद रखा जाना चाहिये।

***अध्यक्षः** संशोधन यह है।

> ''खण्ड 4 के उप-खण्ड (2) (क) में, 'होटल' शब्द के पहले का 'तथा' निकाल दें और 'होटल' शब्द के बाद ये शब्द जोड़ देवें—'तथा सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के स्थान।''

संशोधन सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** दूसरा संशोधन खंड 4 के उपखड (2) (ख) का है, जिसमें 'सार्वजनिक धन' शब्दों की जगह 'राज्य-धन' शब्द रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मुझे संशोधन स्वीकार है।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है कि—

''खंड 4 के उपखंड (2) (क) में 'सार्वजनिक धन' शब्दों की जगह पर 'राज्य-धन' शब्द रखें।''

संशोधन सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न है कि—

'खंड 4 के उपखंड (1) में 'grounds' शब्दों के बाद 'political creed' शब्द जोड़ दें।

सभा द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न है कि—

''खंड 4 के उपखंड (2) में 'जाति' शब्द के बाद 'विश्वास' शब्द रखे जायें।''

सभा द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

***श्री एच.वी. कामतः** अपने संशोधन नम्बर 10 के सम्बन्ध में मैं उसका यह अंश वापस ले लेना चाहता हूं, जो 'रंग' शब्द जोड़े जाने के विषय में है। किन्तु स-सम्मान मेरा कहना है कि मुझे अब भी संतोष नहीं हुआ है कि धर्म और 'विश्वास' (रिलिजन और क्रीड) एक ही हैं। इसलिए संशोधन का वह अंश जो 'विश्वास' (क्रीड) शब्द शामिल किये जाने के विषय में है, मैं अब भी विचारणार्थ रखना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** इसी प्रकार का एक संशोधन श्री लाहिरी के नाम से सभा के विचारणार्थ अभी-अभी पेश किया जा चुका है और सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया है।

प्रश्न है कि—

''खंड 4 के उप-खंड (2) में 'स्त्री-पुरुष विभेद' के बाद ये शब्द रखे जायें 'या किसी राष्ट्र द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक''।

प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न है कि—

''खंड 4 के उप-खंड (2) (ख) में 'सड़कों' शब्द के बाद स्कूल, छात्रावास (होस्टल), मंदिर या ईश-आराधना के स्थान' जोड़ दें।''

प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्षः** संशोधन नम्बर 14 में भी यही बात है, इसलिए वह भी अस्वीकृत है।

प्रश्न है कि—

''खंड 4 के उप-खंड (2) (ख) में 'सड़कों' शब्द के बाद 'शिक्षा-संस्थाओं, अस्पतालों या डिसपेंसरियों' शब्द जोड़ दिये जायें।''

प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

*__अध्यक्षः__ प्रश्न है कि—

"खंड 4 के उप-खंड (2) (ख) में 'resort' शब्द के बाद 'built' और शब्द जोड़ दें।"

प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

(श्री दिवाकर का सार्वजनिक सवारियों से सम्बन्धित संशोधन वापस ले लिया गया।)

*__अध्यक्षः__ 19 नम्बर का संशोधन वापस ले लिया गया। प्रश्न है कि—

खंड 4 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाये:

"सार्वजनिक उपस्थिति के स्थान (प्लेस ऑफ पब्लिक रिजार्ट) में किसी मन्दिर से सम्बन्ध कोई सहन या मकान भी शामिल हैं, जहां आम जनता के आमोद-प्रमोद के लिए संगीत तथा नाट्य सम्बन्धी प्रदर्शन, सिनेमा के खेल या अन्य मनो-विनोद होते हैं।"

प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

*__अध्यक्षः__ प्रश्न है कि—संशोधित रूप में खंड 4 स्वीकार किया जाये।

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः__ श्रीमान्, मेरी प्रार्थना है कि खण्ड 5 का विचार स्थगित रखा जाये, क्योंकि उस पर अभी और गौर करना जरूरी है और मुझे खण्ड 6 का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये। खण्ड 6 इस प्रकार है—

"6—अस्पृश्यता, किसी रूप में हो, खत्म की जाती है और उसके कारण लगाई जाने वाली कोई भी असमर्थता एक अपराध होगा।"

इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। यह अब एक सर्वमान्य बात है और मूल अधिकारों के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था रहनी चाहिये और हर किसी व्यक्ति को, जिसे इसके कारण कोई असमर्थता हो, अदालत में चारा-जोई करने और इंसाफ कराने का अधिकार मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि इस पर कोई संशोधन न होगा।

*__श्री एच.वी. कामतः__ श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 6 में 'अस्पृश्यता" शब्द के बाद 'प्रवेश-निषेध' (अनअप्रोचेबिलिटी) शब्द रखा जाये और 'any' शब्द के बाद 'and every' शब्द जोड़ दिये जायें।

इस संशोधन द्वारा मैं इस खण्ड को अधिक व्यापक बनाना चाहता हूं क्योंकि भारत के कुछ भागों में विशेषतः मालाबार के कुछ स्थानों में कुछ वर्ष पहले जैसा कि मैं खुद जानता हूं, अस्पृश्यता के अतिरिक्त 'प्रवेश-निषेध' की भी प्रथा कायम थी; किन्तु मैं नहीं जानता कि अब वहां क्या है? इसीलिए मैंने सोचा कि यदि आप इस खण्ड में 'प्रवेश-निषेध' (अनअप्रोचेबिलिटी) और शामिल कर लें तो उसका अर्थ अधिक व्यापक हो जायेगा। दूसरा छोटा-सा संशोधन जिसे मैं पेश

करना चाहता हूं, विशुद्धतः शाब्दिक है। इससे अर्थों में कोई अन्तर नहीं पड़ता, बल्कि केवल खण्ड के महत्त्व पर जोर पड़ता है।

***श्री एस. नागप्पाः** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 6 में, 'लगायी जाने वाली कोई असमर्थता' शब्दों की जगह पर 'व्यवहार में लायी जाने वाली कोई असमर्थता' शब्द रखे जायें। इसका कारण यह है कि असमर्थता 'लगाने' (इम्पोजीशन) से तात्पर्य निकलता है कि एक पक्ष, जो दूसरे पक्ष पर असमर्थता 'लगाता है', अपराधी—दोषी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि अस्पृश्यता किसी व्यक्ति द्वारा व्यवहृत हो तो यह अपराध मानी जाये। मैं नहीं समझता कि यह संशोधन किये बिना खण्ड की प्रस्तुत व्यवस्था किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है। अतएव सभा से मेरी प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार करके अस्पृश्यता का व्यवहार एक दंडनीय अपराध बनाया जाये।

***श्री पी. कुन्हीरमणः** श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 6 में 'अपराध' शब्द के बाद 'कानून द्वारा दंडनीय' शब्द जोड़ दिये जायें।

असली खण्ड में 'अपराध' की घोषणा तो कर दी गयी है, जिससे समझा जाये कि वह दंडनीय होगा; किन्तु मैं इस बात को अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है और मैं इसे स्वीकार किये जाने का अनुरोध करता हूं। साथ ही, यदि हम केवल इतना ही रखते हैं कि यह 'एक अपराध है' तो हो सकता है कि आगे चलकर इसका यह अर्थ निकाला जाये कि यह 'एक कानूनी अपराध' नहीं है। इसीलिए आवश्यकता है कि यह स्पष्ट कर दिया जाये।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव तथा उसके संशोधन अब विचारार्थ उपस्थित हैं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** पहला संशोधन श्री कामत का है। वे चाहते हैं कि खण्ड में 'प्रवेश-निषेध' (unapproachability) शब्द जोड़ दिया जाये। यदि मूल अधिकारों के अन्तर्गत 'अस्पृश्यता' एक अपराध मानी गयी, तो व्यवस्थापिका सभा का जो कानून निर्मित होगा, उसमें ये सब बातें यथोचित रूप में रख ली जायेंगी। निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था करना न तो मैं उचित समझता हूं और न बुद्धिमानी ही; इसलिए यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

दूसरा संशोधन श्री नागप्पा का है। इनका सुझाव है कि ''imposition of any disability'' की जगह ''observance of any disability'' शब्द रखें जायें। मैं नहीं समझता कि इनका मतलब क्या है? मैं एक आदमी को दूसरे पर कोई असमर्थता लगाते देख सकता हूं तो मैं अपराधी ठहरूंगा, क्योंकि मैंने देखा है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की चरम स्थितियों की व्यवस्था रखी जानी चाहिये? मुख्य बात अस्पृश्यता का निवारण है और यदि यह अस्पृश्यता गैर-कानूनी या अपराध घोषित कर दी जाती है, तो यह अलग है।

दूसरे संशोधन का प्रस्ताव श्री कुन्हीरमण ने किया था। इनका सुझाव है कि

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

'कानून द्वारा दंडनीय' शब्द जोड़ दिये जायें। हमने व्यवस्था की है कि अस्पृश्यता रखना अपराध होगा। शायद संशोधन के प्रस्तावक का ख्याल है कि अपराध क्षम्य भी हो सकता है और कभी-कभी उसके लिए पुरस्कार भी दिया जा सकता है। अपराध तो अपराध ही है, यह रखने की जरूरत नहीं है कि अपराध कानून द्वारा दण्डनीय होगा। श्रीमान्, मैं यह संशोधन भी नहीं स्वीकार करता।

इसके बाद, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि 'किसी रूप की' शब्दों की जगह 'सब रूपों की' शब्द रखे जायें। 'अस्पृश्यता किसी रूप की' कानूनी शब्दावली है और उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** माननीय सरदार पटेल ने जो बातें कहीं हैं, उनका ख्याल करते हुए मैं अपने संशोधन सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

(सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस ले लिये गये।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है कि—

''खण्ड 6 में 'imposition of any disability' शब्दों की जगह 'observance of any disability' शब्द रखे जायें।''

प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

***श्री पी. कुन्हीरमणः** श्रीमान्, प्रस्तावक महोदय ने जो बातें कही हैं, उनके ख्याल से मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्षः** प्रश्न है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाये।

प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** मुझे कई सदस्यों से यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि जिन खण्डों पर अभी विचार नहीं हुआ है, उन पर संशोधन पेश करने की सूचना (नोटिस) देने की अनुमति उन्हें प्रदान की जाये। इसका कारण वे यह बताते हैं कि कल उन्हें रिपोर्ट बड़ी देर से मिली थी, जिससे 5 बजे से पहले-पहले वे संशोधनों की सूचना नहीं दे सके। हमारे सामने पहले ही से संशोधनों के बहुत से प्रस्ताव हैं और मैं नहीं समझता कि आया यह सभा और संशोधन लेने के लिए समय बढ़ाना पसंद करेगी।

***श्री महावीर त्यागीः** इससे कोई फर्क न पड़ेगा, क्योंकि आपकी काम निपटाने की गति बड़ी तेज है।

***अध्यक्षः** यह मेरा निपटाना नहीं है, बल्कि सभा यह कार्य कर रही है।

यदि 5 बजे तक हमें संशोधन नहीं मिलते हैं, तो उसमें यह कठिनाई है। संशोधनों की क्रम-सूची तैयार करनी होती है, वे टाइप किये जाते हैं और फिर 'साइक्लोस्टाइल' होते हैं और शाम को कर्फ्यू आर्डर के कारण बहुत कम समय मिलता है। पिछले कई मौकों पर उन्हें रात को काफी देर तक काम करना पड़ा। यदि

सदस्य जन, इन संशोधनों की प्रतियां लेने का अपना अधिकार त्याग दें, तो शायद मैं उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लूं।

***रायबहादुर श्यामनंदन सहाय** (बिहारः जनरल): फिर ऐसे भी संशोधन होंगे, जो कार्यालय को कल 5 बजे प्राप्त हों।

***अध्यक्षः** जो पहले से प्राप्त हो चुके हैं, वे स्वीकार कर लिये जायेंगे और आज भी यदि संशोधनों की सूचना 2 बजे तक दे दी गयी तो वे भी शामिल कर लिए जायेंगे। किन्तु इसके बाद फिर बड़ी कठिनाई होगी। हर दशा में संशोधन कल सवेरे बैठक शुरू होने से पहले तक दिये जा सकते हैं।

समय की बात तो यह है कि आज साढ़े-आठ बजे हमारी बैठक शुरू हुई थी और तब से 4 घंटे तक हमने काम किया है। किन्तु मुझे बताया गया है कि कुछ सदस्यों को वह समय सुविधापूर्ण नहीं है और हमारे कार्यालय के कर्मचारियों के लिए तो यह और भी अधिक असुविधाजनक है, क्योंकि उनमें से बहुतेरे शहर के दूरवर्त्ती स्थानों में रहते हैं उन्हें सवेरे के 8 बजे से शाम को देर तक काम करना होता है। यदि सब को मंजूर हो, तो कल सवेरे की बैठक हम 9 बजे से रखें।

***कई माननीय सदस्यः** हां, हां।

***अध्यक्षः** सभा अब स्थगित होती है।

इसके बाद 'परिषद्' बुधवार, 30 अप्रैल 1947 के 9 बजे (दिन) के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट

भारतीय विधान-परिषद्

नं. सीए-24-काम-47	कौंसिल हाउस,

नई दिल्ली, 23 अप्रैल सन् 1947 ई.

प्रेषक:

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल,

सभापति—अल्पसंख्यक समुदाय, मौलिक अधिकारादि

सम्बन्धी सलाहकार कमेटी।

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

भारतीय विधान-परिषद्।

श्रीमान्,

'भारतीय विधान-परिषद्' द्वारा 24 जनवरी सन् 1947 को नियुक्त सलाहकार कमेटी के सदस्यों की ओर से, मुझे मौलिक अधिकारों के विषय में यह आन्तरिक रिपोर्ट उपस्थित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। अपने निष्कर्षों तक पहुंचने में, कमेटी ने न केवल मौलिक अधिकार उप-कमेटी की रिपोर्ट पर, वरन् अल्पसंख्यक उप-कमेटी द्वारा की गयी उसकी आलोचना पर भी ध्यान दिया है।

2. मौलिक अधिकार उप-समिति ने सिफारिश की थी कि मूल-अधिकारों की सूची दो भागों में तैयार की जानी चाहिये, जिन में से प्रथम भाग में वे अधिकार हों, जिन्हें उचित कानूनी कार्रवाई के जरिये कार्यान्वित कराया जा सके और दूसरे भाग में, सामाजिक नीति के वे निर्देशनात्मक सिद्धांत हों जो यद्यपि अदालत द्वारा कार्यान्वित न कराये जा सकें, किन्तु फिर भी, देश की शासनव्यवस्था के अन्तर्गत जो मौलिक समझे जायेंगे। इन बाद वाले मूल-अधिकारों के संबंध में, हम अपनी रिपोर्ट बाद में पेश करना चाहते हैं; प्रस्तुत रिपोर्ट में, हमने केवल न्याय्य (न्याय-क्षम) मौलिक अधिकारों का ही विषय लिया है।

3. विधान द्वारा इन अधिकारों को न्याय्य (न्याय-क्षम) घोषित किये जाने को हम बहुत महत्त्व देते हैं। कुछ मामलों में नागरिक के अधिकार की रक्षा-व्यवस्था अमेरिकन विधान तथा अभी हाल के कुछ लोकतंत्रात्मक विधानों में दी गयी एक विशेष व्यवस्था है। विधान-कानून के उस अंश में, जिसमें 'सुप्रीम कोर्ट' (सर्वोच्च न्यायालय) के अधिकारों एवं अधिकार-क्षेत्र का उल्लेख रहेगा, उन उपायों के साथ की व्याख्या के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी जिनके द्वारा इन मौलिक अधिकारों के कार्यान्वित कराया जा सके। परिशिष्ट के 22वें वाक्यांश में इन उपायों का उल्लेख साधारण शब्दों में किया गया है।

4, 16 मई, सन् 1946 के वक्तव्य के 20वें वाक्यांश द्वारा मौलिक अधिकारों के यूनियन के गुटों के (यदि गुट बनाए गए तो) तथा यूनिटों (घटकों या इकाइयों) के विधानों के बीच बांटने की संभावना व्यक्त की गयी है। हमारा मत है कि यूनियन के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कुछ भी मूल्य न रह जायेगा, यदि वे हर 'गुट' अथवा 'यूनिट' के लिए अलग-अलग निश्चित किये गये अथवा सर्वत्र एक-सदृश उनको कार्यान्वित न कराया जा सके। हमारी सिफारिश है कि इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिये गये अधिकार विधान में सम्मिलित कर लिये जायें, ताकि यूनियन अथवा यूनिटों के, सभी अधिकारी उनके पाबंद रहें।

5. वाक्यांश 10 में, समस्त यूनियन में नागरिकों के बीच व्यापार, वाणिज्य तथा आदान-प्रदान की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस वाक्यांश पर विचार करते समय, हमने यह बात भी ध्यान में रखी है कि कई देशी राज्य अपने राजस्व के एक बड़े भाग के लिए आन्तरिक जकात पर आश्रित हैं और हो सकता है कि विधान-कानून के अमल में आते ही, इन करों को तत्काल बंद करना उनके लिए आसान हो। अतएव, हम समझते हैं कि यूनियन के लिए उचित होगा कि इन देशी राज्यों के वर्तमान अधिकारों को दृष्टि में रखकर वह उनके साथ समझौते कर ले, ताकि विधान द्वारा निश्चित अधिकतम अवधि तक के लिए इन रियासतों को समय दिया जा सके, जिसके भीतर वे इस आन्तरिक जकात-करों को समाप्त कर दें और यूनियन में सर्वत्र पूर्ण, स्वतंत्र वाणिज्य-व्यापार की स्थापना हो जाये।

6. हर 'यूनिट' में यूनियन के सार्वजनिक कानूनों, कागज-पत्रों तथा अदालती कार्यवाहियों का हर इकाई में पूर्ण विश्वास तथा मान हो और एक 'यूनिट' के अदालती फैसलों तथा आज्ञाओं का पालन दूसरे 'यूनिटों' में पालन किया जाये, इसके संबंध में हमने विशेष व्यवस्था की है। हम इस व्यवस्था को बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हैं और हमारा ख्याल है कि मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत इस व्यवस्था का रखा जाना सर्वथा उचित है।

7. वाक्यांश 2 में कहा गया है कि यूनियन के प्रदेशों में जारी सारे मौजूदा कानून, रेग्युलेशन, विज्ञप्तियां, प्रथाएं तथा चलन जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल होंगे, अपनी इस प्रतिकूलता की सीमा तक रद्द समझे जायेंगे। यद्यपि अपने विचार-परामर्श तथा कार्यवाही के समय हमने मौजूदा कानून की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा है, किन्तु फिर भी, इस बात पर पूरी तरह से विचार कर सकने का समय हमें नहीं मिला कि मौजूदा सारे कानूनों पर, इस वाक्यांश का क्या असर पड़ेगा। अतएव, हमारी सिफारिश है कि इस वाक्यांश को अन्तिम रूप से विधान में सम्मिलित करने से पहले, इस प्रकार की जांच करा ली जाये।

8. मौलिक-अधिकार उप-समिति का मत था कि कानूनी अदालत द्वारा 'राज्य' के विरुद्ध प्रतिकार पा सकने का नागरिक का अधिकार, अनुचित बंधनों द्वारा किसी प्रकार जकड़ा न जाये। तो भी उप-कमेटी इस विषय में कोई उपयुक्त सूत्र निर्मित

नहीं कर सकी, क्योंकि इस मामले पर जितनी छान-बीन करना आवश्यक है उसके लिए उप-कमेटी के पास काफी समय नहीं था। हमारे विचार-परामर्श के समय यह भी सुझाया गया कि विधान में कुछ अतिरिक्त मौलिक अधिकार शामिल कर लिये जायें। हमें इन बातों पर विचार करने का समय नहीं मिला; यथासमय हम ऐसा करेंगे और इस विषय में जो भी सिफारिशें हमें करनी होंगी, हम उन्हें अपनी दूसरी रिपोर्ट में शामिल कर देंगे।

9. 'मौलिक अधिकार उप-समिति' तथा 'अल्पसंख्यक उप-समिति' इस बात पर एक-राय थीं, कि निम्नलिखित व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल की जानी चाहिये—

(1) ''हर नागरिक, जिसकी अवस्था 21 वर्ष से कम न हो, 'यूनियन' या उसके किसी 'यूनिट' (घटक) के व्यवस्थापक-मंडल के किसी भी निर्वाचन में अथवा जहां व्यवस्थापक मंडल दो धारा-सभाओं का हो वहां उसकी नियम धारा सभा के निर्वाचन में, मत देने का अधिकारी होगा—किन्तु दिमागी खराबी, दुराचरण या कानूनी अपराध के आधार पर लगायी गयी अयोग्यता-संबंधी शर्तों के आधीन तथा उचित निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर निवास संबंधी उन शर्तों के आधीन, जो कानून द्वारा या कानून के अनुसार लगायी गयी हों।

(2) कानून द्वारा स्वतंत्र तथा गुप्त मतदान और व्यवस्थापक-मंडल के नियतकालिक निर्वाचनों की भी व्यवस्था की जायेगी।

(3) यूनियन अथवा किसी भी यूनिट के सारे निर्वाचनों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण और चुनाव अदालतों (इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स) की नियुक्ति के अधिकार, यूनियन या उसके यूनिट के (जैसी भी स्थिति हो) 'निर्वाचन-कमीशन' को प्राप्त होंगे, जो सदैव यूनियन के कानून के अनुसार नियुक्त किया जायेगा।''

सिद्धांत रूप में इस वाक्यांश से सहमत होते हुए भी, हमारी सिफारिश है कि मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किये जाने के बजाय, वह विधान में किसी दूसरे स्थान में रखा जाये।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) वल्लभ भाई पटेल,

सभापति,

अल्पसंख्यक समुदाय. मौलिक अधिकारादि

संबंधी सलाहकार कमेटी

परिशिष्ट

न्याय्य मौलिक अधिकार

परिभाषाएं

1. जब तक संदर्भ में इसके विपरीत न हो—

(1) 'राज्य' शब्द में जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है, यूनियन और प्रदेशों की धारा-सभायें और सरकार और यूनियन की सीमा के अन्दर सब स्थानीय और दूसरे अधिकारी शामिल हैं।

(2) 'यूनियन' से तात्पर्य भारतीय यूनियन से है।

(3) 'यूनियन के कानून' में यूनियन की धारा-सभा का बनाया हुआ हर एक कानून और यूनियन के अन्दर या उसके किसी भाग में जो कोई भारतीय कानून इस समय प्रयोग में हो, शामिल है।

कानूनों का प्रयोग

2. सब ऐसे वर्तमान कानून, विज्ञप्तियां, नियम रीति या रिवाज जो कि यूनियन के प्रदेशों में प्रयोग में हों और उन अधिकारों के विपरीत हों जिनके बारे में विधान के इस भाग में आश्वासन दिया गया है, वे जिस सीमा तक उनके विपरीत हों, मंसूख समझे जायेंगे और बिना विधान में संशोधन दिये हुये ऐसे किसी अधिकार को न तो खत्म किया जायेगा और न उसे कम किया जायेगा।

नागरिकता

3. हर एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म यूनियन की सीमा के अन्दर हुआ हो और जो उसकी अधिकार सीमा में हो, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके मां बाप में से कोई भी उसके जन्म के समय यूनियन का नागरिक हो और हर एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून के अनुसार नागरिक बना लिया गया हो, यूनियन का नागरिक समझा जायेगा।

यूनियन की नागरिकता प्राप्त करने और उसको खत्म करने के बारे में अन्य व्यवस्था यूनियन के कानून द्वारा की जा सकेगी।

समता के अधिकार

4. (1) राज्य की ओर से किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, वर्ण, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जायेगा।

(2) किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, वर्ण या लिंग में से किसी आधार पर नीचे दी हुई बातों के संबंध में भेदभाव नहीं बरता जायेगा—

(क) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश के सम्बन्ध में जिनमें सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान शामिल हैं।

(ख) कुओं, तालाबों, सड़कों और दूसरे सार्वजनिक सम्मिलन के स्थानों के प्रयोग के सम्बन्ध में, जिनका सारा या कुछ खर्च सरकारी कोष से पूरा किया जाता हो या जो सार्वजनिक प्रयोग के लिये भेंट किये गये हों।

मगर शर्त यह है कि इस वाक्यखंड में दिये हुये किसी आदेश से औरतों और बच्चों के लिये अलग प्रबन्ध करने में बाधा नहीं होगी।

5. (क) सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में सब नागरिकों को समान अवसर मिलेगा:

(ख) कोई नागरिक, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्म-स्थान के आधारों पर या इनमें से किसी आधार पर सरकारी नौकरी के अयोग्य न समझा जायेगा।

यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने में राज्य को यहां दिये हुये किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।

यदि इस आशय का कोई कानून बनाना हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कामों के प्रबन्ध, शासन-प्रबन्ध, या देखभाल करने वाले दफ्तर का कर्मचारी या उस संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का मेम्बर उसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय का हो, तो उसमें यहां दिये हुये किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।

6. ''अस्पृश्यता'' को, चाहे वह किसी रूप में हो, खत्म किया जाता है और इस सम्बन्ध में किसी भी असमर्थता को लागू करना अपराध समझा जायेगा।

7. यूनियन द्वारा कोई भी पदवी नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार की दी हुई पदवी स्वीकार नहीं कर सकेगा।

राज्य के अधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय जगह पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार के सहमत हुये किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार, वेतन, पद या किसी प्रकार की पदवी स्वीकार नहीं करेगा।

स्वतंत्रता के अधिकार

8. नीचे दिये हुये अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन स्वतंत्रता होगी, सिवाय उस दशा के जबकि कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, जिसे यूनियन की या सम्बन्धित प्रदेश की सरकार ऐसी घोषित करें और जिससे यूनियन की या उस प्रदेश की, जैसी भी सूरत हो, सुरक्षा खतरे में पड़ जाये:

(क) हर एक नागरिक को भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार,

(ख) नागरिकों को बिना हथियारों के और शान्तिपूर्वक सम्मिलित होने का अधिकार,

(ग) नागरिकों को सम्मेलन या संघ बनाने का अधिकार,

(घ) हर एक नागरिक को यूनियन की सीमा के अन्दर स्वतंत्रता से इधर-उधर जाने का अधिकार,

(ङ) हर एक नागरिक को यूनियन के किसी भाग में रहने, वहां बसने और सम्पत्ति प्राप्त करने, उसे रखने या किसी प्रकार दे देने और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने या उसे करने का अधिकार,

यदि सार्वजनिक हित के लिये, जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और कबीलों के अधिकारों की रक्षा सम्मिलित है, कुछ पाबन्दियों को लगाना आवश्यक हो तो कानून द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी।

9. यूनियन की सीमा के अन्दर कोई व्यक्ति बिना जाब्ते की कानूनी कार्यवाही के, अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा और न किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

10. यूनियन के कानून के आदेशों के विपरीत न जाते हुये नागरिकों को परस्पर या व्यक्तिगत रूप से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार, व्यवस्था और व्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी।

मगर शर्त यह है कि इस धारा के किसी आदेश से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से अन्दर लाये हुये माल पर, उसी प्रदेश के से नियमों और वहीं की सी दशाओं में ऐसे कर और टैक्स लगाने में कोई बाधा नहीं होगी जो उस प्रदेश में पैदा होने वाले माल पर लगते हों।

मगर शर्त यह है कि व्यवसाय या महसूल के किसी नियम से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर तरजीह नहीं दी जायेगी।

मगर शर्त यह भी है कि कोई प्रदेश, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या जनस्वास्थ्य के हित में या किसी खतरे की हालत में, कानून बनाकर पाबन्दी लगा सकता है।

11. मनुष्यों का व्यापार और बेगार और इसी प्रकार दूसरी तरह बलपूर्वक काम लेने की आज्ञा नहीं है और इस निषेध का किसी प्रकार भी उल्लंघन किया जाना अपराध समझा जायेगा।

मगर शर्त यह है कि इस वाक्य-खंड के किसी आदेश से सरकार को सार्वजनिक कामों के लिये अनिवार्य रूप से सेवा कराने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने में जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा।

12. 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा किसी कारखाने, खान या किसी दूसरे खतरनाक काम पर नहीं लगाया जायेगा।

धर्म-सम्बन्धी अधिकार

13. सार्वजनिक शान्ति, सदाचार या जनस्वास्थ्य और इस भाग के दूसरे आदेशों के विपरीत न जाते हुये सभी लोगों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता होगी और किसी धर्म या अनुयायी होने, उसका आचरण करने और उसको फैलाने का समान रूप से अधिकार होगा।

व्याख्या 1 कृपाण धारण करना या उसे इधर-उधर ले जाना सिक्ख धर्म के आचरण के अन्तर्गत समझा जायेगा।

व्याख्या 2 उपरोक्त अधिकारों में कोई ऐसे आर्थिक, माली, राजनैतिक या दूसरे सांसारिक कार्य सम्मिलित नहीं हैं, जिनका संबंध धार्मिक आचरण से हो।

व्याख्या 3 इस वाक्य-खंड में जिस धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता दी गई है, उससे राज्य को सामाजिक हित और सुधार के लिये और हिंदुओं की ऐसी धार्मिक संस्थाओं को, जो सार्वजनिक हों, हिंदुओं के किसी वर्ण या सम्प्रदाय के लोगों के वास्ते खोल देने के लिए कानून बनाने में कोई बाधा नहीं होगी।

14. हर एक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध स्वयं करने और कानून के अधीन चल-अचल सम्पत्ति को रखने, उसे प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने और धार्मिक या खैराती कामों के लिये संस्थाओं को स्थापित करने या उनकी रक्षा करने का अधिकार होगा।

15. किसी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा जिसकी आय स्पष्ट रूप से किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के हित-साधन या उसकी रक्षा के लिये लगाई जाती हो।

16. किसी व्यक्ति को जो ऐसे स्कूल में पढ़ता हो, जो सार्वजनिक धन से चलाया जाता हो या सहायता पाता हो, उस स्कूल में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में या स्कूल में या उससे सम्बन्धित किसी स्थान में होने वाली धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिये मजबूर नहीं जा सकेगा।

17. बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से जो धर्म-परिवर्तन होगा उसे कानून स्वीकार नहीं करेगा।

सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार

18. (1) हर एक प्रदेश में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के सम्बन्ध में रक्षा की जायेगी और कोई ऐसे कानून या नियम नहीं बनाये जायेंगे जिनसे इस दिशा में अत्याचार या बाधा हो।

(2) किसी अल्पसंख्यक जाति के विरुद्ध, चाहे उसका आधार धर्म हो या जाति या भाषा, राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में दाखिले के सम्बन्ध में भेदभाव नहीं बरता जायेगा और न उनको बलपूर्वक कोई धार्मिक-शिक्षा दी जायेगी।

(3) (क) सब अल्पसंख्यक जातियों को, चाहे उनका आधार धर्म हो या जाति या भाषा, किसी प्रदेश में अपनी इच्छानुसार शिक्षा-संस्थायें स्थापित करने और उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी।

(ख) स्कूलों को राजकीय सहायता देने में राज्य ऐसे स्कूलों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा जो अल्पसंख्यक जातियों के प्रबंध में हों चाहे उनका आधार धर्म हो या जाति या भाषा।

विविध अधिकार

19. किसी व्यक्ति या कार्पोरेशन की कोई चल या अचल सम्पत्ति, जिसमें किसी व्यावसायिक या औद्योगिक कारोबार में उनका हिस्सा भी शामिल है, सार्वजनिक काम के लिये तब तक न ली जायेगी और न उस पर अधिकार किया जायेगा जब तक कि ली हुई या अधिकृत सम्पत्ति के लिये कानून में मुआवजा देने की व्यवस्था न हो और उसमें यह स्पष्ट न कर दिया गया हो कि मुआवजा किन सिद्धांतों के अनुसार और किस तरीके से तय किया जायेगा।

20. (1) किसी व्यक्ति को अपराध के लिये तब तक सजा न दी जायेगी जब तक कि उसने उस कानून का उल्लंघन न किया हो, जो उसके ऐसा काम करते समय जिसे अपराध ठहराया गया हो, प्रयोग में था और न उसे उस सजा से अधिक सजा दी जायेगी जो उसके अपराध करते समय कानून द्वारा दी जाती।

(2) किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जायेगा और न वह किसी फौजदारी के मुकद्दमें में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिये मजबूर किया जायेगा।

21. (1) यूनियन की सीमा के अन्दर सब जगह और उसके हर एक प्रदेश में यूनियन के सरकारी एक्टों, कागजात और अदालती कार्यवाही को ठीक समझा जायेगा और उसका विश्वास किया जायेगा और यह यूनियन कानून निर्धारित करेगा कि इन एक्टों, कागजात और कार्यवाहियों को किन दशाओं में और किन तरीकों से साबित किया जाये और यह कि इनका असर क्या होगा।

(2) किसी प्रदेश में दिये हुए दीवानी के अन्तिम फैसले, उन शर्तों के विपरीत न जाते हुये जो यूनियन के कानून द्वारा लगाई गई हों, यूनियन की सीमा के अन्दर सब जगह इजरा किये जायेंगे।

वैधानिक उपचारों का अधिकार

22. (1) इसका आश्वासन दिया जाता है कि इस भाग में जिन अधिकारों

की व्यवस्था की गई है उनको प्रयोग में लाने के लिये उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त करने का अधिकार होगा।

(2) दूसरी अदालतों को इस सम्बन्ध में जो अधिकार दिये गये हैं उनके विपरीत न जाते हुए सर्वोच्च अदालत को सशरीर उपस्थित होने की आज्ञा (Habeas Corpus), नीचे की अदालत को आज्ञा (Mandamus), निषेध की आज्ञा (Prohibition), अपना अधिकार साबित करने की आज्ञा (Quo Warranto), और नीचे की अदालत से मुकदमे हटाने की आज्ञा (Certiorari), के रूप में आदेश देने का अधिकार होगा जो कि इस अधिकार की समुचित रक्षा के लिये होगा जिसका कि विधान के इस भाग में आश्वासन दिया गया है।

(3) इन उपचारों को प्रयोग में लाने का अधिकार उस समय तक स्थगित न किया जायेगा जब तक कि विद्रोह या आक्रमण या दूसरी गम्भीर परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, और यूनियन या सम्बन्धित प्रदेश की सरकार के ऐसा घोषित किये जाने पर, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता न हो।

23. यूनियन की धारा-सभा को अधिकार होगा कि वह कानून बनाकर यह तय करे कि वह सशस्त्र सेनाओं या उन सेनाओं के लोगों के सम्बन्ध में, जिन पर सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है उन अधिकारों में से किसी अधिकार को किस सीमा तक कम कर दे या खत्म कर दे जिनके बारे में इस भाग में आश्वासन दिया गया है, ताकि अनुशासन सुरक्षित रहे और वे अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।

24. यूनियन की धारा-सभा इस भाग के उन आदेशों को प्रयोग में लाने के लिये, जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता है, और उन कामों के लिये सजा नियत करने के लिए, जो इस भाग में अपराध घोषित किये गये हैं और जिनके लिये सजा नहीं दी जा सकती है, कानून बनायेगी।

अंक 3

संख्या 3

बुधवार
30 अप्रैल
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. एडवाइजरी कमेटी का मौलिक अधिकार
सम्बन्धी अन्तर्कालीन रिपोर्ट पर विचार..1

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार ता. 30 अप्रैल, सन् 1947 ई.

माननीय डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: 9 बजे आरम्भ हुई।

***अध्यक्ष:** मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) विषयक अन्त:कालीन रिपोर्ट (Interim Report) पर विचार करने के लिए हम अब अग्रसर होंगे। हमने वाक्यांश 6 को स्वीकार कर लिया है, और वाक्यांश 5 को स्थगित कर दिया है। कार्य आरम्भ करने के पूर्व मैं निम्नलिखित घोषणा करना चाहता हूं।

'हाउस के 28 अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाहक समिति (Steering Committee) में रियासतों के प्रतिनिधियों में से सदस्यों की जगह भरने के लिए केवल दो नामजदगी के पर्चे—श्री पी. गोविन्द मैनन (कोचीन) और श्री सी.एस. बेन्कचाचर (जोधपुर) के मिले हैं। मैं इन दोनों सज्जनों को कार्यवाहक समिति का नियमानुकूल निर्वाचित सदस्य घोषित करता हूं।'

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल!

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** कल हम लोगों ने वाक्यांश 5 को स्थगित कर दिया था, क्योंकि हमें उस पर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। उस विषय पर हमने विचार कर लिया है और अब मैं वाक्यांश 5 को पेश करने का प्रस्ताव रखता हूं। हमने कुछ परिवर्तन किये हैं, यद्यपि वे परिवर्तन रस्मी हैं। कुछ भाग निकाल दिये गये हैं और इन परिवर्तनों के लिये रस्मी संशोधन पेश किये जायेंगे। वाक्यांश 5 अब इस प्रकार है—

''सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों को समान सुयोग मिलेगा।''

''और किसी व्यवसाय, व्यापार कारोबार या पेशे के चलाने'' ये शब्द किसी दूसरे वाक्यांश में लगा दिये गये हैं और वह बाद में आवेंगे। अभी हम इन शब्दों को छोड़ रहे हैं। श्रीयुत मुंशी तत्सम्बन्धी संशोधन पेश करेंगे। हम इस वाक्यांश का तीसरा उप-वाक्यांश इस प्रकार रखेंगे—

> ''केवल धर्म, कौम, जाति, वर्ग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिये अयोग्य नहीं समझा जायेगा।''

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

इस उप-वाक्यांश के परिवर्त्ती शब्दों के सम्बन्ध में हमने यह निश्चय किया है कि वे यहां अनावश्यक हैं और उनको अन्य किसी स्थान में दिया जायेगा। इसलिए यह भाग जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही रहता है, और उस भाग के सम्बन्ध में बाजाब्ता संशोधन पेश किया जायेगा। तत्पश्चात् वह आदेश है, जोकि इस वाक्यांश का उप-वाक्यांश (2) है। वह इस प्रकार है:

''यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने में राज्य को यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।''

अब अंतिम उपवाक्यांश यह रह जाता है:

''यदि इस आशय का कानून बनाना हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कामों के प्रबन्ध, शासन-प्रबन्ध या देखभाल करने वाले दफ्तर का कर्मचारी या उस संस्था की, प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य उसी विशेष ध र्म या सम्प्रदाय का हो, तो उसमें यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।''

यह पांचवां खण्ड है जैसा कि मैं पेश करता हूं। यदि कुछ संशोधन पेश होने वाले हैं तो बाद में हम उन पर बहस करेंगे। मैं इसे नियमानुसार पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** इस उपखण्ड पर अनेकों संशोधनों की सूचनायें मेरे पास आई हैं। कुछ हमको परसों प्राप्त हुईं और शेष कल मिलीं। लगभग दस या बारह संशोधन हैं और मैं एक-एक करके उनको लेने का प्रस्ताव रखता हूं। श्री मुंशी का संशोधन सब से पहले लिया जायेगा।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): मैं पेश करता हूं कि—

1. खण्ड 5 में पहले पैरे को (क) और तीसरे पैरे को (ख) अंकित किया जाये।
2. तीसरे पैरे को पहले पैरे के फौरन बाद में रखा जाये।
3. पहले पैरे से निम्नलिखित शब्द व्यवसाय, व्यापार ''और किसी कारोबार या पेशे के चलाने'' निकाल दिये जायें और तीसरे पैरे से ''या यूनियन में जायदाद प्राप्त करने, रखने या किसी प्रकार दे देने या किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने या करने का निषेध हटा दिया जाये।

इस संशोधन का आशय अधिकारों के दो शीर्षकों को भिन्न-भिन्न वाक्यांशों के अन्तर्गत क्रमबद्ध करना है। सभा यह जान कर खुश होगी कि खण्ड 5 केवल सरकारी नौकरियों से ही नहीं सम्बन्ध रखता है वरन् व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे से भी और जायदाद के प्राप्त करने, कब्जे में रखने और दे देने के अधिकार से भी सम्बन्ध रखता है। यही अधिकार फिर उपखण्ड (8) के अन्तर्गत है और उपखण्ड (8) के अन्त में सरकार को कानूनन कुछ परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता को सीमित करने की आज्ञा देने के आदेश रख दिये गये हैं। यह महसूस किया गया कि इन दोनों उपखण्डों में कुछ पुनरुक्ति है। और उचित और तर्कयुक्त विभाग करने के आशय से खण्ड 5 अब केवल सरकारी नौकरियों के लिए सीमित

है। व्यवसाय, व्यापार-कारोबार या पेशे की स्वतंत्रता, जायदाद के प्राप्त करने, कब्जा रखने और दे देने की स्वतंत्रता को खण्ड 8 (ई) के अन्तर्गत रखने के लिए हटा दिया गया है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप यह वाक्यांश केवल सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में लागू होगा और व्यवसाय, व्यापार इत्यादि और जायदाद सम्बन्धी बातें खण्ड 8(ई) के अन्तर्गत होंगी। श्रीमान् जी मैं यह पेश करता हूं।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): खण्ड 5 के (ग) पैरे में यह कहा गया है—

''केवल धर्म, वर्ण, जाति, स्त्री-पुरुष, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जायेगा या किसी भी नागरिक को यूनियन में जायदाद प्राप्त करने, उस पर कब्जा रखने और उसे किसी प्रकार दे देने और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने या उसे करने का निषेध नहीं होगा।''

भारत में आये हुये अनेकों अफगानी राजकुमारों से मुझे परिचय है। इन अफगानी राजकुमारों को अफगान के बादशाह ने दण्ड देकर राजबन्दी की हैसियत से भारत भेज दिया है। भारत में अब भी कुछ ऐसे कैदी हैं, परन्तु इनमें से कुछ राजकुमार भारत में नौकरी नहीं कर सकते हैं और न वे कोई कारोबार कर सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में मैं ऐसे कुछ अफगानी राजकुमारी से मिला हूं। उन्होंने कहा कि हम मुसीबत में हैं और पुरानी भारतीय सरकार में भी नौकरी नहीं पा सके हैं। क्योंकि अंग्रेज अफगान सरकार से मिल कर उन्हें किसी प्रकार भी स्वतंत्र नागरिक के समान आचरण करने की आज्ञा नहीं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में पैदा हुए अफगानी राजकुमारों को जिनमें से अधिकांश को अफगानिस्तान प्रवेश का निषेध है और भारत में रहना ही पड़ता है, भारतीय नागरिकों के समान सरकारी नौकरियों के प्राप्त करने का अधिकार होगा या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वाक्यांश के एक रचयिता ने इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों पर पहले से विचार कर लिया है या नहीं।

***कुछ माननीय सदस्यगण:** जो कुछ श्री दास ने कहा हम नहीं समझ सके हैं—उनको सुन न सके।

***अध्यक्ष:** श्री बी. दास, जो कुछ आपने कहा उसे सदस्यगण नहीं समझ पाये हैं। क्या आप कृपा कर ध्वनिवर्धक यन्त्र (माइक) के निकट आकर समझाइयेगा?

***श्री बी. दास:** जो कुछ मैं कह रहा था वह यह है। भारत में कुछ अफगानी राजकुमार हैं जिनको अफगान की सरकार ने देश निकाला दे दिया है और भारतीय ब्रिटिश सरकार के संधि या मेल से उनको कुछ प्रतिबन्धों के साथ भारत में रहना है। वे अफगान राजकुमारों के नाती बेटे हैं पर उन्हें ब्रिटिश भारत में कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। क्या उनको भारत में कोई नौकरी करने की आज्ञा है यदि वाक्यांश (3) में नागरिकता की वर्तमान व्याख्या को स्वीकार किया जाये और वे भारत के नागरिक हो जायें? अब तक इन मनुष्यों पर राजनैतिक प्रतिबन्ध हैं और वे ब्रिटिश भारत में कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं उनमें से दर्जनों से मिला हूं। मैं इस सम्बन्ध में नियम रचियता के अभिप्राय को जानना चाहूंगा।

***अध्यक्ष:** मैं उन संशोधनों को लूंगा जिनकी सूचना परसों आ गई थी।

श्री राजगोपालाचार्य एक संशोधन लाये हैं जो कि पैरों का फिर से क्रम बांधने का सुझाव रखता है।

माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य (मद्रास : जनरल): उस संशोधन को श्री मुंशी साहब ने मान लिया है।

(सम्पूरक सूची 1 के सं. 23 से 28 तक के संशोधन पेश नहीं किये गये।)

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मेरा संशोधन (यानी सम्पूरक सूची 1 का 29वां) राजनैतिक मत से संबंधित उसी आधार पर है जिस पर कि मेरा कल का संशोधन था, इसलिए मैं इस विषय पर और अधिक कहना नहीं चाहता।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 30।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्रीमान् जी कल मेरे प्रस्ताव पर जो कुछ हुआ उसके पश्चात् मैं उस संशोधन को दुहराना नहीं चाहता हूं।

(सम्पूरक सूची 1 संशोधन संख्या 31-33 तक पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** श्री महावीर त्यागी।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रांत : जनरल): जनाबे आला, मेरी तरमीम यह है कि खण्ड न. 5 में ''There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of public employment and in the exercise of carrying on of any occupation, trade, business or profession.'' (सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे के चलाने का सब नागरिकों को समान सुयोग मिलेगा) में नीचे लिखा हुआ Proviso 'आदेश' पहले पैरे के बाद बढ़ा दिया जाये।

Provided that a unit may frame rules whereunder in the matter of public employment it may give preference over others to such citizens as are bonafide or domiciled residents of its own territory'' (शर्ते कि प्रादेशिक इकाई नियम बनायें जिसके अनुसार सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में वह अपने प्रदेश के वास्तविक नागरिकों को अन्य नागरिकों की अपेक्षा अच्छा समझे)।

जनाबे वाला, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि इस वक्त जो अलग-अलग सूबों के सरकारी दफ्तरों में गवर्नमेंट के मुलाजिमान भर्ती किये जाते हैं उनमें इस बात का लिहाज रखा जाता है कि जहां तक हो वे लोग उसी सूबे के रहने वाले हों। मेरी राय में सच्चे माने में सेल्फ-गवर्नमेंट और निजी हुकूमत कायम करने के लिये यह चीज सबसे जरूरी है कि दुनिया के हर हिस्से में उसी हिस्से और सूबे के रहने वाले लोग वहां के गवर्नमेंट मुलाजिम और अफसर हों। अगर एक सूबे में दूसरे सूबे के लोगों को मुलाजिमत करने के लिये खुली छूट दी जाती है तो इसके माने यह होंगे कि वहां के लोग खुद-मुख्तार हुकूमत का लुत्फ नहीं ले सकेंगे। मेरी अस्ल मंशा यह है कि जहां तक हो सके एक खास सूबे में वहीं के रहने वाले लोग अफसर हों और वहीं के रहने वाले कर्मचारी राजपाठ के काम को चलावें। जिस सूबे में और जिस यूनिट में मुलाजिमीन की भर्ती हो, ज्यादातर उसी जगह के रहने वाले लोगों की औलाद उसमें भर्ती हो। जिस शक्ल में यह कानून रखा जा रहा है उसमें कोई लिहाज इस बात का नहीं रखा जायेगा कि उम्मीदवार कहां का रहने वाला है या वह कौन प्रान्त में पैदा हुआ है

सब ही जगह की आजादी रहेगी। इससे दिक्कत पैदा हो सकती है कि एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में जाकर मुलाजमत हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगेंगे। इससे स्वराज्य की आत्मनिर्भरता (Self-sufficiency) नष्ट हो जायेगी। हमारे संयुक्तप्रान्त में जब कभी पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन निकलता है तो उसमें इस बात की शर्त होती है कि यू.पी., रामपुर, बनारस और टेहरी स्टेट के लोग डोमीसाइल्ड रहने वाले हैं केवल वही लोग मुलाजमतों की दरख्वास्तें दे सकते हैं अगर यह शर्त रद्द कर दी जाये और पैदायश की जगह का कोई लिहाज नहीं रखा जाये तो यह खतरा हो सकता है कि सूबे के दूसरे हिस्सों के लोग भी आकर छोटी और बड़ी मुलाजमतों पर कब्जा करें, और कम्पीट करें। यह चीज स्वराज्य की जो असली स्प्रिट है उसके खिलाफ होगी। शायद है कि जैसा क्लाज सरदार पटेल ने पेश किया है उसमें ऐसी गुंजाइश हो सके कि प्रान्तीय सरकारें अपने यहां के रहने वालों को तरजीह दे सकें। यदि ऐसा है तो मैं अपनी तरमीम पेश नहीं करूंगा। पर सरदार पटेल से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने बयान से यह बात आज के रिकार्ड में ला दें कि ''पैदायश की जगह की वजह से सरकारी नौकरियां मिलने में कोई बाधा न पड़ेगी। इसके माने यह होगा कि प्रांतीय सरकारें अपने यहां के रहने वाले को दूसरे प्रान्तों के रहने वालों पर तरजीह न देगी।'' अगर इस एवान (हाउस) की कार्रवाई के रिकार्ड में सिर्फ यह चीज आ जाये कि डोमीसाइल को तरजीह देने का हक हरेक प्रान्त को रहेगा। और वह अपने सूबे में रहने वालों को दूसरे सूबे के वाशिंदों की बनिस्वत मुलाजिमत में तरजीह दे सकेगी, तो मुझे कोई तरमीम (एमेंडमेंट) मूव करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यह मुमकिन हो अगर प्रस्तावक महोदय, या इस कमेटी के कोई दूसरे साहब इस बात को तसलीम करें कि उनके प्रस्ताव से सूबों की आजादी कायम रहती है कि जहां तक हो सके वह अपने वाशिन्दों के जरिये से अपना राज-काज का काम चलाये, तो मुझे इस संशोधन की आवश्यकता कोई न होगी।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान् जी, ये (वक्ता) संशोधन का जिक्र कर रहे हैं।

***अध्यक्ष:** ये वाक्यांश 5 पर अपना संशोधन पेश कर रहे हैं, जो आज सुबह घुमाई गई सम्पूरक सूची में दूसरा संशोधन है।

(सम्पूरक सूची 2 का तीसरा संशोधन श्री मुंशी द्वारा)

***श्री के.एम. मुंशी:** यह उस संशोधन में मिला दिया गया है जो पेश हो चुका है।

(सम्पूरक सूची 2 का चौथा संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** रायबहादुर चौधरी सूरजमल।

रायबहादुर चौ. सूरजमल (पंजाब : जनरल): जनाब प्रेसीडेंट साहब, मैं आप की इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

कि वाक्यांश 5 में तीसरे पैरे के बाद में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें ''Provision may be made by the law to impose such reasonable restrictions

[रायबहादुर चौ. सूरजमल]

as may be necessary in the interest of the agriculture'' कृषि के हित के लिए ऐसे न्याययुक्त प्रतिबंध जो आवश्यक हो, लगाने की कानून द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी।

इस संशोधन के पेश करने से मेरा मतलब यह है हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है उसके अन्दर बहुत से छोटे-छोटे मालिक हैं जिनको हमारी भाषा में बिस्वेदार कहते हैं, या छोटे जमींदार कहते हैं, वह बहुत ज्यादा तादाद में हैं, खास तौर से पंजाब में इस प्रकार के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए अम्बाला और जालंधर डिवीजन में छोटे-छोटे जमींदार या बिस्वेदार बहुत पड़े हुए हैं। हमारे पंजाब के अन्दर इस तरह की रुकावटें इस समय मौजूद हैं और इस पैराग्राफ 5 के पढ़ने से मालूम होता है कि ये जो (Restriction) कानून के अन्दर भविष्य में शायद न रह सके। इसलिये इस संशोधन के पेश करने से मेरा मतलब यह है कि यूनिट (Unit) को इस प्रकार के अख्तियार दिये जायें जिससे काश्तकारां के फायदे के लिये और छोटे-छोटे जमींदारों और बिस्वेदारों को बड़े-बड़े जमींदारों पूंजीपतियों और मालदारों से जो खुद खेती नहीं करते हैं, उनको बचा सकें, मेरे ख्याल में इस किस्म की पाबन्दियां लगाना तमाम मुल्क के फायदे के लिये बहुत जरूरी है, मैं आशा करता हूं कि यूनिट को इस प्रकार के अख्तयारात दिये जायेंगे जिनसे वह इस प्रकार का बचाव अपने काश्तकारों का कर सकें।

दूसरी बात जो खास तौर से मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि छोटे-छोटे जमींदार या बिस्वेदार जो हमारे इलाके में रहते हैं वह खास मार्शल क्लास से संबंध रखते हैं और इस वक्त मुल्क की फौज में बहुत संख्या में भर्ती हैं, अगर उनके पास यह जमीनें न रहीं तो मेरा ख्याल है बल्कि बिल्कुल दुरुस्त है कि वह बिल्कुल किसान होकर रह जायेंगे, इनमें सेल्फ-रेस्पेक्ट का माद्दा मौजूद है वह बहादुरी से लड़ सकते है, और बहादुरी से जो नाम उन्होंने पैदा किया है वह नाम आयंदा पैदा नहीं कर सकेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप कितने ही समाचार पत्रों में बयानात निकालें और भाषण दें। इस समय जमाना जो है, वह तलवार का है जिसके हाथ में ताकत है, वही आदमी राज कर सकेगा। इसलिए जरूरी बात यह है कि इस किस्म के जो लोग फौज से सम्बन्ध रखते हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा बर्त्ताव करें और उनको कमजोर न करें, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। भविष्य में जो विधान बन रहा है उसको चलाने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की पाबन्दियां होनी चाहिए जिससे मालदार आदमी कमजोरों की जमीने न खरीद सकें, मेरी सरदार वल्लभभाई पटेल साहब से अर्ज है क्योंकि वे जमींदारों के हमदर्द हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस किस्म का ख्याल रखेंगे और जो कानून इस वक्त मौजूद है उससे बचाने के लिए व्यवस्था इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर करेंगे, एक बार जब किसान नष्ट हो जाते हैं तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होता, जैसा कि किसी अंग्रेजी शायर ने कहा है....... कि किसी किसान को एक दफा नष्ट करने के बाद फिर उनको बनाना बहुत कठिन होता है, इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन आपके सामने पेश करता हूं।

(सम्पूरक सूची 2 का छठा संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** आपका दूसरा संशोधन भी है?

रायबहादुर चौ. सूरजमलः जनाब वाला दूसरे संशोधन का मुद्दा भी यही है, क्योंकि मैं एक संशोधन ऐसा ही पेश कर चुका हूं इसलिए दूसरे संशोधन की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** आप उसको नहीं पेश करते है?

वाक्यांश और संशोधन सभा के समक्ष रख दिये गये हैं। अब उन पर वाद-विवाद हो सकता है। जो बोलना चाहते हैं बोलें।

सरदार पृथ्वीसिंह आजादः सभापति महोदय, रायबहादुर सूरजमल साहब ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब में एक ऐसा काला कानून है जिसका नाम लैंड ऐलीनेशन एक्ट है और इस संशोधन का मतलब इस कानून को कायम रखना है। हमारी जो दलित जातियां और दूसरी गैर कास्तकारी कौमें हैं उनके लिए यह कानून सख्त नुकसान पहुंचाने वाला है। इस कानून ने पंजाब में एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों को एक तरह से उन तबके के लोगों को जो कि अपने तईं जमींदार या किसान के लेविल लगा कर आगे आते हैं हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अगर चौधरी साहब का यह संशोधन मान लिया जाये तो इसका मतलब होगा कि वह जातियां जो सदियों से जमींदार के अत्याचार से दबाकर रखी हुई हैं जिन्हें जमींदारों ने लैंड ऐलीनेशन एक्ट के काले कानून के बल से हमेशा के लिए अपने पंजों में फंसाकर रखा वह सदियों तक न उठ सकेगी। इसलिए इस युग में जबकि हम ऐसा कानून बना रहे है कि तमाम के लिए सुविधा और समानता हो। हर एक को बराबर का अधिकार मिले। यह शोभा नहीं देता कि यह काला कानून इस युग में कायम रखा जाये। इसलिये मैं दलित जातियों की ओर से चौधरी साहब के संशोधन का जबर्दस्त शब्दों में विरोध करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि इस संशोधन को किसी भी राय में स्वीकार न किया जाये क्योंकि यह संशोधन पंजाब की दलित जातियों और पंजाब की अन्य गैर काश्तकार जातियों के संग अन्याय और अत्याचार होगा। अगर आपने इस दफा यह संशोधन मान लिया तो इसका मतलब यह होगा कि जिस अत्याचार को खत्म करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं उस अत्याचार को आप हमेशा के लिए कायम रखेंगे इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): श्रीमान् जी, लगभग सब संशोधन वापस ले लिए गये हैं और वाद-विवाद के लिए अधिक गुंजायश नहीं है। मैं एक या दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं जो कुछ सदस्यों ने रखे हैं।

श्री बी. दास को अफगान से निर्वासित कुछ अफगानी राजकुमारों के बाबत शंकायें हैं और वे यह जानना चाहते हैं कि वे (अफगानी राजकुमार) और उनकी सन्तानें सरकारी नौकरियां पाने के हकदार हैं या नहीं। मैं नही समझता हूं कि यह हमारे लिए कोई कठिनाई उपस्थित करेगा। यदि अफगान के राजकुमारों की सन्तानें यहां रहने का निर्णय करती हैं, तो यह सम्भव है कि उनको नागरिक अधिकार मिल जायेंगे यदि वे अपने देश से निर्वासित किए गये हैं। जो भी हो, यह खण्ड उन्हें नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था करता है, परन्तु यह किसी प्रांत को नौकरियों के सम्बन्ध में विधान द्वारा किसी प्रतिबन्ध के लगाने के अधिकार

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

से वंचित नहीं करता। यह केवल कहता है कि कोई भी नागरिक केवल कौम, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई शंका करने का कारण नहीं है। श्री त्यागी ने भी इसी प्रकार का प्रश्न उठाया है, यद्यपि वह दूसरे ढंग का है, कि प्रांत के निवासियों को तरजीह दी जाये और प्रांतों को विधान द्वारा अपने यहां के निवासियों को तरजीह देने का अवसर दिया जाये। यह प्रांत को विधान बनाने के अधिकार से वंचित नहीं रखता। यह नागरिक की अयोग्यता को केवल दूर करता है ऐसा होना चाहिए, और इसीलिए यह मौलिक अधिकारों में दिया गया है। इस कारण इस विषय में भी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री चौधरी सूरजमल ने एक प्रश्न उठाया है जिसमें उन्हें भय है कि जमींदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वे यह विचार रखते हैं कि पंजाब लैंड एलीनेशन एक्ट जो कि प्रचलित है, इन मनुष्यों को कुछ शरण देता है और वे उस शरण से वंचित हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं उनके सन्तोष के लिए केवल यह पेश कर सकता हूं कि श्री मुंशी ने इस वाक्यांश पर एक संशोधन उपस्थित किया है, जिसे स्वीकार करने का इरादा रखता हूं। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही बता दिया है इस खण्ड का वह भाग जिसका कि जायदाद के प्राप्त करने, रखने और उसे हाथ से निकाल देने से सम्बन्ध है। यहां से हटा दिया गया है और आगे आने वाले अन्य खण्ड 8 के अन्तर्गत ले जाया गया है। परन्तु उस खण्ड में भी यह अवस्था रखी गई है कि यह केवल मेरे विचार से जनता के हितों के आधार पर किया जा सकता है इसलिए उस खंड में यद्यपि सिद्धांत है, पर उसे सीमित रखना है, लेकिन हमें तो इस खंड से इस सिद्धांत को ही अलग करना है। दूसरे खंड में सिद्धांत-विचार किया गया है और क्योंकि सिद्धांत केवल जनता के हितों तक ही सीमित है। मैं सोचता हूं कि कोई कठिनाई नहीं है और उनकी कठिनाई भी दूर हो जाती है। इसलिए मेरा विचार है कि यह खंड 5 संशोधित रूप में सभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्री मुंशी के संशोधन को लेता हूं।

(अ) सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में सब नागरिकों को समान सुयोग मिलेगा।

(ब) कोई नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्म-स्थान के आधारों पर या इनमें से किसी आधार पर सरकारी नौकरी के अयोग्य न समझा जायेगा।

यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिए जगहें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने में राज्य को यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।

यदि इस आशय का कोई कानून बनाना हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कामों के प्रबन्ध, शासन-प्रबन्ध या देखभाल करने वाले दफ्तर का कर्मचारी या उस संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य उसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय का हो, तो उसमें यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार किया गया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** केवल एक संशोधन है जो कि पेश किया जा चुका है और वह संशोधन रायबहादुर चौधरी सूरजमल का है। उनका संशोधन जायदाद के रखने या किसी प्रकार दे देने इत्यादि से सम्बन्धित है। खण्ड का वह भाग हटा दिया गया है। इस कारण उनके संशोधन का प्रश्न नहीं उठता; अतः उस पर वोट नहीं लिए जायेंगे।

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7—समानता के अधिकार।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** श्रीमान् जी अब मैं खण्ड 7 को पेश करता हूं।

अभी उसका यह रूप है—"यूनियन द्वारा कोई भी वंशानुगामी उपाधि नहीं दी जायेगी।" हमने कमेटी में विस्तारपूर्वक इस पर वाद-विवाद किया है। और भिन्न-भिन्न कमेटियों में जिनमें इस विषय पर वाद-विवाद हुआ और उसको स्वीकार किया गया, इस पर मतभेद था। यह बहुत विवादास्पद विषय था। बहुत समय तक बहस करने के पश्चात् इस विषय को तय किया और हम इस (उपरोक्त) निश्चय पर पहुंचे। परन्तु "वंशानुगामी" शब्द विवाद का विषय रहा और यथेष्ठ विवाद के पश्चात् यह स्वीकार किया गया कि इस शब्द को भी हटा दिया जाये और इसके लिए बतौर रस्म के संशोधन रख दिया जायेगा। अतः शेष भाग इस प्रकार है—"यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी"। देश की सर्वसाधारण जनता की यही राय हैं। अन्यत्र, अनेकों स्वतंत्र देशों में भी उपाधि की प्रथा मिटती जा रही है। देश के सार्वजनिक जीवन को दूषित करने में उपाधि का बहुधा दुरुपयोग होता रहा है, इसलिए यह बेहतर है कि इसको मौलिक अधिकारों में रखा जाये। मैं नहीं जानता कि इस विषय पर कोई आपत्ति होगी या अधिक समय तक विवाद होगा। मैं खण्ड को पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** इस वाक्यांश पर कई संशोधन हैं उनमें से पांच या छह की सूचना परसों मिल गई थी और एक या दो की कल मिली है।

मेरे विचार से श्री मसानी जी का संशोधन बहुत विस्तृत है। मैं चाहूंगा कि वे उसे पेश करें।

***श्री एम.आर. मसानी** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन की सूचना मैंने दी है वह उस संशोधन पर है जिसकी सूचना श्री सन्तानम् ने दी है। वह इस प्रकार है—

> "संघ द्वारा किसी पद या पेशासूचक उपाधि के अतिरिक्त और कोई उपाधि नहीं दी जायेगी।"
>
> "यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार की दी हुई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।"
>
> "राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की सहमति के किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन या पद स्वीकार नहीं करेगा।"

पैरा 1 के वाक्य 1 में से "किसी पद या पेशासूचक उपाधि के अतिरिक्त"

[श्री एम.आर. मसानी]

शब्दों को निकाल दिया जाये, जिससे कि खण्ड ''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी'' पढ़ा जाये। तीसरे पैरे में ''या उपाधि'' वाक्यांश को आखिरी लाइन में जोड़ दिया जाये, जिससे वह इस प्रकार पढ़ा जा सके—

> ''राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की अनुमति के किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

मैंने सब की यही राय समझी। यदि सभा इस रूपान्तर की आज्ञा दे तो शायद यह संशोधन विवादास्पद न रहे।

*__अध्यक्षः__ श्री मसानी ने एक संशोधन की सूचना दी है, और अब वे उस संशोधन में से कुछ शब्द निकाल देने की अनुमति चाहते हैं जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है, जिससे कि उनका संशोधन इस प्रकार पढ़ा जाये—

> ''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार की दी हुई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''
>
> ''राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की सहमति के किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

*__श्री एम.आर. मसानीः__ सभा के समक्ष यह संशोधन रखते हुये मैं यह बताऊंगा कि वर्तमान खण्ड में दो उद्देश्यों से परिवर्तन किये गये है। पहला परिवर्तन यह कि शब्द ''वंशानुगामी'' हटा दिया जाये, एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। इसका मतलब यह होगा कि स्वतंत्र भारतीय सरकार किसी प्रकार की कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं करेगी, चाहे वे वंशानुगामी हो अथवा अन्य प्रकार की; अर्थात् ऐसी उपाधि पाने वाले के जीवन-काल के लिए ही हो। यूनियन के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह अपने कुछ नागरिकों को, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मसलन विज्ञान और कला आदि में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की हो, ऐसे किसी सम्मान से विभूषित करे जो उपाधि न हो। पर स्वतंत्र भारत में यह कल्पना असम्भव है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के उपहार स्वरूप कोई उपाधि अपने नाम के आगे या पीछे लगावे।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि सभा इस सिद्धांत का समर्थन करेगी, क्योंकि केवल पराधीन देशों में ही नहीं; वरन् स्वतंत्र कहे जाने वाले देशों में भी यह देखा गया है कि उपाधियां लेने वालों और देने वालों दोनों के लिये खतरनाक और दुराचरण का कारण बन जाती हैं। इसलिए देशभक्ति, आत्मसम्मान और सेवा-भावना पर विश्वास रखते हुये हम बिना किसी प्रकार की उपाधियों के अपना कार्य करें।

दूसरा परिवर्तन यूनियन के नागरिकों और उन व्यक्तियों में विभेद करने के लिये है। जो कि रियासतों में नौकरी कर रहे हैं भेद यूनियन के नागरिक इस संशोधित खण्ड के अनुसार किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र न होंगे जबकि रियासतों में कोई लाभप्रद या विश्वसनीय पद धारण करने वाले व्यक्ति विदेशी राज्यों से वेतन या उपहार स्वीकार कर सकेंगे। पर केवल तभी जबकि उनका राज्य इसके लिए आज्ञा दे दे। श्रीमान्, उससे कूटनीतिज्ञों और

अन्य व्यक्तियों और अपनी सरकार से आशा मिल जाने पर विदेशी सरकारों से सम्मान या प्रशंसासूचक चिह्न स्वीकार करने की अनुमति मिल जाती है।

मैं समझता हूं कि संशोधनों का अभिप्राय स्पष्ट कर दिया गया है। और आशा करता हूं कि मानव-समानता और प्रजातंत्रवाद के हित के लिए वह परिवर्तन स्वीकृत होगा जिसमें ''वंशानुगत'' शब्द अलग किया जाता है और इसके साथ ही साथ दूसरा परिवर्तन जिसको मैंने सूचित किया है।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान् जी, मेरे विचार में श्री मसानी द्वारा पेश किये गये संशोधन के अन्तर्गत मेरा संशोधन आ जाता है। मेरे संशोधन को पेश करने की अब कतई जरूरत नहीं है। मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): वाक्यांश में परिवर्तन करने की जैसी सूचना है उसे दृष्टि में रखते हुये मैं विचार करता हूं कि मेरे संशोधन पर जोर देने की कोई बात नहीं है। खण्ड में सुझाये हुये परिवर्तनों को देखते हुए मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन पर जोर देने की अब कोई बात नहीं है।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मेरा संशोधन श्री मसानी के संशोधन के अन्तर्गत आ गया है।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्री मसानी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को दृष्टि में रखते हुए मैं अपने संशोधन को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैंने कहा है कि विश्वविद्यालय सम्बन्धी डिग्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधियां यूनियन द्वारा नहीं दी जायेंगी। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय सम्बन्धी डिग्रियां उपाधियों के समान नहीं मानी जायेंगी। विश्वविद्यालय सम्बन्धी डिग्रियां विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं द्वारा दी जा सकेंगी। इसे देखते हुए श्रीमान्, मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

सेठ गोविन्ददास (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष जी, आगे की उपाधियों की निस्वत जो भी यहां पर प्रस्ताव रखा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास उपाधियां मौजूद हैं उनका क्या होगा, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। यह एक मानी हुई बात है कि अधिकांश लोग जो उपाधियों से विभूषित हैं उनको उपाधियां उस विदेशी सरकार की देन हैं जो लगभग 200 वर्ष तक इस देश पर राज्य करती रही है। दूसरे-दूसरे देशों का इतिहास यदि हम देखेंगे तो जान पड़ता है कि फ्रांस की क्रान्ति, रूस की क्रांन्ति के बाद वहां पर जितनी उपाधियां थीं, वे तमाम उन क्रान्तियों के बाद वापस ले ली गई। अब तक यह सरकार भी यह करती आई है यदि उसका कोई उपाधिकारी किसी भी राष्ट्रीय कार्य में भाग लेता था तो उनसे यह उपाधि वापिस ले लेती थी। मैं यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई सुधार पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सरदार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे गुलाम तमगों से लोगों का उद्धार नहीं करना चाहते?

मैं चाहता हूं कि जो उपाधि इन लोगों के पास हैं वह भी वापस ले ली जायें। इस समय के उपाधिकारी भी स्वतंत्र भारत में उसी प्रकार के व्यक्तियों की तरह रह सकेंगे जिस तरह और व्यक्ति रहेंगे।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (यू.पी. : जनरल): मैं इस उपधारा का विरोध करता हूं। इसमें जो यह कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में किसी प्रकार की पदवी या उपाधि कुछ प्रदान नहीं की जायेगी। मैं इसको अपने देश की परिपाटी के विपरीत और उसके साथ ही अपने देश की मनोवृत्ति के विपरीत समझता हूं।

हमने इस देश में समय-समय पर अपनी विभूतियों को अपनी ओर से अनेकानेक प्रकार से विभूषित करने का प्रयास किया है। किसी को ''आचार्य'' कहते हैं और अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपको हम ''देशरत्न'' के नाम से पुकारते हैं। हम महात्मा गांधीजी को ''महात्मा'' के नाम से पुकारते हैं। आज हमारे मस्तिष्क में, हमारी मनोभावना में और हमारी संस्कृति में जिस प्रकार अपने नेताओं को विभूषित करने की एक बात है, उसके विपरीत निर्णय करना मैं अनुचित समझता हूं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

मसानी महोदय और दूसरे मित्रों ने जो इसके विपरीत बात कही है उसके पीछे एक कारण है। वर्तमान की जनतंत्रात्मक, प्रजातन्त्रात्मक और डेमोक्रेटिक भावना से विवश होकर उन्होंने कहा कि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई उपाधि या पदवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि हमारे स्वतंत्र भारत में हमारे देश के कुछ आदमी ऐसा कार्य करते हैं कि हम उनका सम्मान करें तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने देशवासियों की ओर से ऐसे महापुरुषों को राष्ट्रीय उपाधियों से विभूषित क्यों न करें। स्वयं, रूस जैसे देश में जिसने सबसे पहले समाजवाद का प्रयोग किया, कुछ समय के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि यह देश अपने ''जनरल'' को, अपने सेनाध्यक्ष को और अपने देश के अच्छे कार्यकर्ताओं को उपाधियों से और तमगों से विभूषित करे। और इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को पास करने से पहले यह सभा गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर विचार करे और यह अनुभव करने कि यह प्रस्ताव हमारी मनोभावना हमारी..... और इसके साथ ही हमारी परिपाटी के विपरीत है इसलिए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

***श्री श्रीप्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, *(अध्यक्ष महोदय ने वक्ता को इस समय ध्वनिवर्धक यंत्र पर आने को कहा)* यदि सदस्यगण जो कुछ उनका कहना है केवल उसे ही नहीं वरन् किस प्रकार कहना है, यह केवल समझ लें तो इस हॉल का ध्वनि विस्तार पूर्ण है। *(करतल ध्वनि)* श्रीमान् जी, मेरे आदरणीय मित्र पंडित बालकृष्ण शर्मा पूर्णतया विषय से बहक गये हैं। (वाह वाह) वे कहते हैं कि उपाधियों का मिटाना हमारे देश के परम्परागत इतिहास के विरुद्ध है और हम ऐसी उपाधियों के शौकीन हैं। वे शायद यह भूल जाते हैं कि हम यह एक मौलिक अधिकार नहीं मान रहे हैं कि किसी व्यक्ति को गैर-सरकारी तौर पर उपाधि या सम्मान नहीं दिया जा सकेगा। हमारा एतराज तो यह है कि राज्य को उपाधि-प्रदान का अधिकार न होना चाहिये। (वाह वाह) आप समस्त जनता की मुक्ति देने वाले गांधीजी को महात्मा गांधी कह कर नैसर्गिक सम्मान करने से नहीं रोक सकते हैं। सरकार उस उपाधि को स्वीकार करने से इन्कार करती है, वह उस महान व्यक्ति को एक दीर्घ कालीन कारावास में रखती है, पर जनता उसको ''महात्मा गांधी'' कह कर पुकारती रहती है और सरकार को गालियां देती है जो उस महान व्यक्ति को कैद में रखती है।

इन दो उपाधियों में यह अन्तर है। नैसर्गिक उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस उपाधि से परेशान होता है वह जनता से कहता है कि उसे महात्मा, देशरत्न या अन्य ऐसे नामों से न पुकारा जाये, जबकि सरकारी उपाधि पाने वाला व्यक्ति, सरकार ने जिस नाम से पुकारे जाने का (अधिकार) गौरव उसे दिया है, उसी नाम से पुकारे जाने का बहुत इच्छुक रहता है। श्रीमान्, मैं तो गत अधिवेशन में स्तंभित हो गया था, जबकि आपने स्वयं अपने प्रांत के एक सदस्य को "रायबहादुर" शब्द से सम्बोधित किया। मैंने महसूस किया कि उस बिचारे के मां-बाप उसका नाम रखना भूल गये और उसे अनेकों वर्षों तक राज्य का मुंह ताकना पड़ेगा कि वह (राज्य) उसके नामकरण में सहायता दे और रायबहादुर नाम से सदा पुकारे जाने का उसे आश्वासन दे दे। एक उपाधि तो पाने वाले को परेशान करती है और दूसरी उपाधि उसे अहंकारी बना देती है और उसमें यह भावना भर देती है कि सचमुच वह उसके योग्य है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के नाम पर यह अनुरोध करना आवश्यक है कि राज्य की ओर से मिलने वाले इस उपाधि-भार से हमें मुक्त किया जाये और इस विशिष्टता प्राप्ति के लिए हम अधिकारियों की खुशामद करें, इस बला से भी हमारा पिंड छुड़ाया जाये।

श्रीमान्, मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वाक्यांश राज्य को भी, किसी नागरिक को उचित सम्मान प्रदान करने से नहीं रोकता है। हम उपाधि और सम्मान में भेद कर रहे हैं। उपाधि वह है जो किसी के नाम के साथ लगती है। मैं समझता हूं कि यह अंग्रेजों द्वारा चलाई हुई एक नवीन नीति है। अन्य सरकारें भी अच्छे कार्य के लिए अपने नागरिकों को सम्मानित करती हैं परन्तु वे नागरिक अपने नाम के पीछे ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वारा शासित प्रदेशों के व्यक्तियों के समान अपनी उपाधियों को अपने नाम के साथ अनिवार्य रूप से नहीं लगाते हैं, इस खंड का आशय केवल यही है। यदि किसी नागरिक ने कोई खास अच्छा काम किया है और राज्य उसे सम्मानित करना चाहता है, ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे राज्य उस नागरिक को सम्मानित कर सकता है। यदि जनता किसी नेता को सम्मानित करना चाहती है तो वह भी कर सकती है, लेकिन हम इस घातक दुराचार उत्पन्न करने वाली प्रथा को मिटाना चाहते हैं जो व्यक्तियों को विवश करती हैं कि किसी सम्मान विशेष की प्राप्ति के लिये अधिकारियों से अनुग्रह भिक्षा मांगते फिरें।

हम सब जानते हैं कि प्रति 6 माह पश्चात् लम्बी 2 सूचियां छापी जाती हैं या छापी जाती थीं जिनमें यह बताया जाता था कि अमुक व्यक्ति अमुक होने वाला है, और बहुत से उत्सुक व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक यह जानने के लिए उनका नाम उन सूचियों में है या नहीं, उनको ध्यानपूर्वक देखते थे। हम इस प्रथा को बन्द करना चाहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि सरकार ने चन्द बहुत ही योग्य व्यक्तियों का सम्मान तो किया वास्तव में जबकि महात्मा गांधी का नाम भी उस सूची में रखा गया तो एक प्रमुख पत्र में यह निश्चित रूप से निकला था कि महात्मा गांधी का आदरणीय नाम होने के कारण वह सम्मान सूची स्वयं सम्मानित हुई। उस सम्मान सूची को यश प्राप्त हुआ। बाद में महात्मा गांधी ने परेशान होकर उस उपाधि का परित्याग करना आवश्यक समझा पर महात्मा को उपाधि उनके महान् नाम के साथ अब भी लगी हुई है और उन्होंने उसका परित्याग नहीं किया है। मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा और हम सब उनको इसी प्रियनाम से पुकारते हैं

[श्री श्रीप्रकाश]

और पुकारते रहेंगे, और ऐसा करने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। सरकार द्वारा व्यक्ति पर लाई गई उपाधि और उस सम्मान में जिसे कि जनता नैसर्गिक रूप से अपने किसी महान् व्यक्ति को देती है क्या अन्तर है, यह हमें समझना होगा। श्रीमान् जी, मैं आशा करता हूं कि सभा के सभी हल्कों को अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि सरकार द्वारा उपाधियां प्रदान करने की प्रथा का मिटना अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह भी आशा करता हूं कि मि. मसानी द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा को पसन्द आयेगा और सर्वसम्मति से स्वीकृत होगा।

श्री आर.वी. धुलेकर: अध्यक्ष जी, मुझे दुख है कि मेरे मित्र श्री बालकृष्ण शर्मा ने भारतीय सभ्यता की परम्परा के विरुद्ध कुछ ऐसी लांछनयुक्त बातें कहीं हैं जिनकी कभी भी उनसे आशा नहीं की जा सकती थी। प्राचीन काल में यहां की राजसत्ता के अधिकारी साधुओं और संतों को अपने शासन के बाहर समझते रहे हैं और यदि हमारे पंडित जी ने प्राचीन ग्रंथ देखे होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान हुआ करते थे वह भी राजसत्ता के शासन की मर्यादा के बाहर हुआ करते थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कहना और विशेष कर ऐसे सज्जन द्वारा उचित नहीं है, और ऐसे समय में जबकि हमारा भारतवर्ष बेड़ियों से मुक्त होने जा रहा है, हम उस समय यह कहें कि हमारी गुलामी की जो मनोवृत्ति चली आई है, वह अब भी हम जारी रखेंगे और यह कहते हुए कि जगत के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं, हम अपने ही काल में किसी उपाधि से विभूषित हो जावें, ठीक नहीं हैं मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में साधुओं और सन्तों की वह परम्परा नही है कि परमात्मा को अपना पूज्य मान कर सच्चे हृदय से विनयपूर्वक अपना कार्य करते रहे हैं और अगर देखा जाये तो मैं समझता हूं कि सारे जगत में यदि कोई भी देश ऐसा है, जहां पर कि कभी कोई कार्य निजी स्वार्थ से नहीं किया जाता तो वह भारतवर्ष है। यहां तक कि परमात्मा के लिए भी भक्तगण ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करते जिसमें कोई उद्देश्य निहित हो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वही परम्परा हम भारतीय इस जगत में फैलाना चाहते हैं। हम सारे जगत को संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय सारे जगत के कल्याण के लिए कार्य करते है और उसका बदला नहीं चाहते। जैसा कि पंडितजी ने कहा है उससे तो यही विघ्न होगा कि हम भारतीय सार्वजनिक लाभ के लिए कोई काम करते हैं तो उसका बदला चाहते हैं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह बात जो उन्होंने कही, वह अच्छी नहीं कही और जो संशोधन भी मसानी ने रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं और सब सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ सहयोग करें।

*__श्री एच.वी. कामत:__ अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र सेठ गोविन्ददास का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह मेरी समझ में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य के सम्बन्ध में तो हम विचार कर रहे हैं पर हमने यह नहीं सोचा कि उन उपाधियों का हम क्या करें? जिन्हें इस साम्राज्यवादी सरकार ने—हमारे स्वातन्त्र्य आन्दोलन को दबाने वाली सरकार ने—उक्त व्यक्तियों को प्रदान किया है जिन्होंने हमारे आजादी के आन्दोलन को कुचलने में सरकार की मदद की है। मेरे विचारानुसार यह विषय अत्यावश्यक है। मुझे

भली प्रकार विदित है कि इस सभा में बहुत कम उपाधिधारी हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत निन्दा करने या उनके दोष निकालने का प्रयत्न नहीं करता हूं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज हम दो संसारों के बीच में खड़े हुए हैं, एक मर चुका है और दूसरा जन्म धारण करने के लिए संघर्ष कर रहा है और हम एक स्वतंत्र भारत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि प्राचीन जीर्ण संसार की कमी को पूरा करेगा। हमारा ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव शीघ्रता से सफल-समाप्ति पर आ रहा है और जबकि हम यह देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार अपने बोरिया-बिस्तर बांध कर जा रही है हम उत्सुक ही नहीं वरन् चिन्तित हैं कि विदेशी हुकूमत से हमारे जो सम्बन्ध और सम्पर्क है वह सब उनके साथ विदा हो जायें। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र सेठ गोविन्ददास का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सब उपाधियां जो कि विदेशी सरकार द्वारा विदेशी साम्राज्यवादी सरकार द्वारा दी गई हैं। स्वतंत्र भारतीय संघ (Union) की शुभ स्थापना पर वह सब समाप्त कर दी जायें।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): मैं बहस बन्द करने का प्रस्ताव रखता हूं।

***श्री श्रीप्रकाश:** यदि सेठ गोविन्ददास का संशोधन स्वीकार किया गया तो क्या जबलपुर में उनके महल का नाम भी बदल जायेगा। *(हँसी)*

***अध्यक्ष:** इसे हम बाद में तय करेंगे। *(हंसी)*

***श्री आर.के. सिधवा:** एक वैधानिक प्रश्न है श्रीमान्, मैं क्या यह जान सकता हूं कि आया हम इस खण्ड को पहले की उपाधियों पर भी लागू कर सकते हैं?

***अध्यक्ष:** यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इस समबन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान्, जी जिन व्यक्तियों के पास त्यागने के लिए उपाधियां नहीं हैं उन पर यह खण्ड लागू हो या न हो इस विवाद में मैं कोई कारण नहीं पाता हूं। मैं प्रस्ताव को जैसा कि कुछ संशोधनों को स्वीकार करने के बाद वह बनता है, पढूंगा। प्रस्ताव यह है:

> ''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई भी नागरिक किसी विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन के अनुमति पाए हुए किसी विदेशी सरकार से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

यह है प्रस्ताव का वर्तमान स्वरूप। अतीत की घटनाओं पर बहस करने के बजाय यदि सभा इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो यह स्वयं लागू हो जायेगा और हमें इसकी जरूरत न रह जायेगी कि हम बीती हुई घटनाओं की बहस में जायें या इस बात की कोशिश करें कि प्रस्ताव पहले पाई हुई उपाधियों पर भी लागू हो।

यह सब होते हुए भी बहुत सी उपाधियां विगत एक या दो वर्षों में वापस कर दी गईं और वे अपना महत्त्व खो चुकी हैं। जो विधान हम बना रहे हैं।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

वह भविष्य के लिए है न कि भूतकाल के लिए। लेकिन अब भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो वही पुरानी ढंग और मनोवृत्ति रखते हैं, क्योंकि अतीत से जो कुछ हुआ है उसके कारण वह सदा अतीत को ही सोचा करते हैं। इस विषय को बढ़ाना अनावश्यक है। सम्भव है कि इससे हम ऐसी मनोवृत्ति का परिचय देंगे जिस पर कुछ लोग आक्रोश करेंगे और कुछ लोग इसका यह भी अर्थ लगा सकते हैं कि यह मनोवृत्ति हमारी द्वेषपूर्ण भावना का एक चिह्न है। उन्होंने उपाधियों के लिए बहुत खर्च किया है और कठिन परिश्रम किया है। आप नहीं जानते हैं, और आपको कोई अनुभव नहीं है कि उपाधियां किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। इसलिए हम उन सब को एक ही कोटि में नहीं रख सकते हैं। उन्हें छोड़िये। हमें प्राचीन उपाधियों के प्रसंग को भूल जाना चाहिए। इस समय हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह यह है कि भविष्य पर विचार किया जाये। बनारस के एक माननीय सदस्य कहते हैं ''मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं''। उसी शहर के एक अन्य माननीय सदस्य कहते हैं ''मैं इसके पक्ष में हूं''। मैं इसे नहीं समझ सकता हूं। यह क्या है? जनसमुदाय को उपाधियां देने में या उनके द्वारा दी हुई उपाधियों को लेने में कौन रुकावट डालने जा रहा है? वे स्वास्तव में उपाधियां नहीं हैं। वे तो उन गुणों के प्रतीक हैं जिन्हें लोग उनमें पाते हैं। यदि महात्मा गांधी ''महात्मा'' पुकारे जाते हैं तो वह इसलिए नहीं कि जन-समुदाय उनको कोई उपाधि देना चाहता है, वरन् वह इस कारण है कि वे उनमें कुछ दैवी शक्ति देखते हैं, उनमें कुछ गुण पाते हैं जिनकी वे प्रशंसा और सम्मान करते हैं, अत: राज्य को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य क्या करेगा या राज्य को क्या करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम कानून बना रहे हैं या बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, न कि इसके लिए कि जन समुदाय क्या कर सकता है या उसे क्या करना चाहिए। जनता में ऐसे वर्ग भी हो सकते हैं जो उपाधियां देना चाहेंगे। उदाहरण के रूप में मुसलमानों को मि. जिन्ना को ''कायदे आजम'' की उपाधि देने में कौन-सा राज्य रोकेगा? यह निरर्थक विचार है। हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए। जनता जो कुछ उचित समझेगी, करेगी। लेकिन ये उपाधियां राज्य द्वारा दी जाती हैं। दल-सरकारें भी हो सकती हैं और दूसरी तरह की सरकारें भी हो सकती हैं। किसी प्रकार का प्रलोभन देने अथवा अपने दल को संगठित करने या अनुचित साधनों से शक्ति प्राप्त करने के हेतु मनुष्यों का चरित्र दूषित करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि संशोधित रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। मैं संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं पहले संशोधनों को पढ़ूंगा:

> ''यूनियन द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार के सहमत हुए किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

अब मैं संशोधन पर राय लेता हूं।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** यह अब संशोधित खण्ड हुआ। मैं संशोधित खण्ड पर राय लेता हूं।

संशोधित रूप में वाक्यांश स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 8 को लें।

खण्ड 8

स्वतंत्रता के अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैं खण्ड 8 को पेश करता हूं जो इस प्रकार है:

''8, नीचे दिये हुए अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन स्वतंत्रता होगी। सिवाय उस दशा के जबकि कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, जिसे यूनियन की सरकार या सम्बन्धित प्रदेश की सरकार ऐसा घोषित करे और जिससे यूनियन की या उस प्रदेश की, जैसी भी सूरत हो, सुरक्षा खतरे में पड़ जाये।

(अ) हर नागरिक को भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार।

रिपोर्ट में दी हुई आदेश-मूलक व्यवस्था को मैं नहीं पेश करना चाहता।

(ब) 'नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मिलित होने का अधिकार।''

यहां भी मैं आदेश को पेश करने का प्रस्ताव नहीं रखता हूं।

(स) ''नागरिकों को सम्मेलन या संघ बनाने के अधिकार।''

इस उपखण्ड सम्बन्धी आदेश को भी मैं नहीं पेश करता हूं।

(द) ''प्रत्येक नागरिक को समस्त यूनियन में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने का अधिकार।''

(इ) ''प्रत्येक नागरिक को यूनियन के किसी भाग में रहने, बसने, जायदाद प्राप्त करने और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने का अधिकार।''

इस वाक्यखण्ड के आदेश में एक छोटा-सा रस्मी संशोधन करना है जिसको मैं अभी पेश करता हूं। यह आदेश खण्ड 5 के आधार पर है, वह इस प्रकार है:

> ''यदि सार्वजनिक हित के लिये, जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और कबीलों के अधिकारों की रक्षा सम्मिलित है, कुछ 'न्याययुक्त' पाबन्दियों का लगाना आवश्यक हो तो कानून द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी।''

'न्याययुक्त' शब्द को एक संशोधन पर, जिसके पेश किये जाने की आशा है, वाद-विवाद करने के पश्चात् हो सकता है हटाना हो।

मुझे मालूम है कि इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं। जब वे पेश किये जायेंगे मैं अपना उत्तर दूंगा।

***अध्यक्षः** मैं श्री अजितप्रसाद जैन को आमन्त्रित करता हूं कि वे अपना संशोधन पेश करें।

श्री अजित प्रसाद जैन (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान् मैंने इस खण्ड पर एक संशोधन रखने की सूचना दी है, परन्तु मैं उसे पेश नहीं करता हूं। मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से यह स्पष्ट करने की प्रार्थना करूंगा कि गम्भीर परिस्थिति की घोषणा कानून द्वारा प्राप्त किये अधिकार के अधीन होनी चाहिए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन होगा जिसे गम्भीर परिस्थिति के घोषित करने का अधिकार होगा। मैं चाहता हूं कि व्यवस्थापक सभा को गम्भीर परिस्थिति के घोषित करने का अधिकार हो और किसी को न हो। यदि गम्भीर परिस्थिति के घोषित करने का अधिकार प्रबन्ध विभाग या कार्यकारिणी के हाथों में दे दिया गया तो सम्भव है कि अवसर पड़ने पर वे निष्ठुरता से कार्य कर जायें। इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन रखा था।

*__अध्यक्ष:__ आप अपना प्रस्ताव पेश करते हैं या नहीं?

*__श्री अजीत प्रसाद जैन:__ श्रीमान्, मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करता हूं।

*__रायबहादुर श्यामानंदन सहाय__ (बिहार : जनरल): संशोधनों पर विचार करने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। दरअसल हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और जो प्रस्ताव पेश किया गया था वह यह था कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये। खण्ड 8 को पेश करते हुए माननीय प्रस्तावक महोदय ने तीनों आदेशों को छोड़ देने का सुझाव रखा है और वास्तव में उनको स्वीकार करने का प्रस्ताव बिल्कुल ही नहीं रखा। मेरे विचार से ठीक बात यह है कि एक संशोधन के रूप में उनको हटाने का प्रस्ताव रखा जाये, केवल यह कह देना ही ठीक नहीं कि वे पेश नहीं किये जा रहे हैं। यह हमारी कार्यवाही का अंग है। माननीय प्रस्तावक के सुझाये हुये तरीके के अनुसार यदि हम आदेशों को निकाल दें तो कोई यह नहीं जान सकेगा कि क्यों और किस प्रकार वे निकाले गये। मैं इस बात की ओर प्रस्तावक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ सुझाई गई प्रणाली पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह मान लिया जाये कि मैंने रस्मी तौर पर आदेश अ, ब और स के हटाने का प्रस्ताव रख दिया है।

*__श्री सोमनाथ लाहिरी:__ अध्यक्ष महोदय खण्ड 8 के सारे उपखण्डों पर मेरे संशोधन हैं। अत: मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उन सब संशोधनों को एक साथ पेश करने की आज्ञा दी जाये। इस विचार को दृष्टि में रखते हुये कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने प्रथम तीन आदेशों को हटा दिया है, मेरे कुछ संशोधन व्यर्थ हो गये हैं।

''विप्लवकारी'' शब्द को 8 (ब) के आदेश में से हटाने का मेरा संशोधन अनावश्यक हो गया है, क्योंकि पूरा आदेश मूलक खण्ड हटाया जायेगा।

मेरा दूसरा संशोधन खण्ड 8 (ब) के स्थान में निम्न वाक्य रखने का है, ''नागरिकों को एकत्रित होने का अधिकार।'' इसमें भी केवल दो या तीन शब्दों के सिवा शेष सबों को हटाने का प्रस्ताव हो ही चुका है।

मेरा अन्तिम संशोधन इस प्रकार है:

> ''खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें और वर्तमान वाक्य खण्ड 9 की क्रम संख्या 14 कर दी जाये और आगामी खण्डों में अनुवर्त्ती परिवर्तन कर दिये जायें।

9. बिना मुकदमा चलाये (Trial) कोई भी व्यक्ति कारावास में नहीं रखा जायेगा।

10. (अ) प्रेस सम्बन्धी स्वतंत्रता की गारंटी दी जायेगी। यह गारंटी उन प्रतिबन्धों के आधीन होगी जो कानून द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित के लिये लगाई जा सके।

(ब) प्रेस पर सेंसर नहीं लगाया जायेगा और न उसे आर्थिक सहायता दी जायेगी। प्रेस चलाने या किसी पुस्तक अथवा अन्य छपे हुये विषय को प्रकाशित करने के लिये कोई जमानत नहीं ली जायेगी।

11. पत्र व्यवहार की गोपनीयता अबाध्य रहेगी और कानून द्वारा उन सूरतों में तोड़ी जा सकती है।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल : जनरल): माननीय सदस्य नये खंड पेश कर रहे हैं इस समय हम खंड 8 पर विचार कर रहे हैं। अच्छा यह होगा कि वे खंड 8 पर अपने संशोधन पेश करें न कि नये खंड उपस्थित करें।

*श्री सोमनाथ लाहिरी: ये सारे खंड जनता के स्वतंत्रता के अधिकार और ऐसे ही विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। मैं उनको अब या बाद में पेश कर सकता हूं। दोनों बातें एक ही हैं।

*श्री आर.के. सिधवा: मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति है। यदि मि. लाहिरी को अभी सब संशोधनों को पेश करने की आज्ञा होती है तो ऐसे अवसर पर अन्य सदस्यों को भी आज्ञा देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इन सब नये खंडों पर विचार तब तक स्थगित कर दिया जाये तब तक कि हम मुख्य कार्य को समाप्त न कर लें, अन्यथा यह हमारे साथ अन्याय होगा।

*श्री सोमनाथ लाहिरी: श्रीमान् जी, यदि आप मुझसे यह कहें कि अभी संशोधन पेश मत करो, तो जैसे ही यह (कार्य) समाप्त होगा आपको मुझे संशोधन पेश करने के लिए कहना पड़ेगा। उसका मतलब भी वही होगा।

*श्री के.एम. मुंशी: क्या मुझे एक वैधानिक आपत्ति पेश करने की आज्ञा है? खंड 8 पेश हो चुका है। सभा खंड 8 सम्बन्धी अनेकों संशोधनों पर विचार कर रही है। इस समय मि. लाहिरी इस खंड में कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में वे स्वतंत्र विषय हैं और इस कारण उनके स्वतंत्र विचार-विनिमय की आवश्यकता है। क्योंकि खंड 8 से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए उनको स्वतंत्र प्रस्ताव समझना चाहिये। सभा इस समय रिपोर्ट पर विचार कर रही है और रिपोर्ट के समाप्त होने के पश्चात् यदि कोई सम्बन्धित विषय और हो तो उस पर विचार कर सकती है। स्वयं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कई मौलिक अधिकार सभा के समक्ष उपस्थित नहीं किये गये हैं, सलाहकार-समिति उन पर विचार कर रही है। उचित कार्य-प्रणाली यह है कि ऐसे सब नये विषय विचारार्थ सलाहकार समिति के पास भेज दिये जायें। 16 मई की घोषणा के खंड 20 में यही बताया गया है।

*श्री सोमनाथ लाहिरी: मैं पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि मैंने ये संशोधन पेश कर दिये हैं, मुझे खंड 8 के समाप्त होने पर बुलाया ही जायेगा। जो खंड मैंने पेश किये हैं वे उसी विषय "स्वतंत्रता के अधिकार" से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए मेरा अभी बोलने के लिए आज्ञा मांगना वैधानिक है।

***श्री के. सन्तानम्:** इसमें से बहुतों के पास इसी प्रकार के संशोधन जोड़ने के लिए हैं। सभा की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि नये खंड, रिपोर्ट पर विचार होने के पश्चात् लिये जायें।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान् जी, यदि आप इस प्रकार का नियम निर्देश करें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

***अध्यक्ष:** हाउस के समक्ष दो विचारणीय विषय उपस्थित हैं। श्री लाहिरी के पास अनेकों नये प्रस्ताव हैं जो कि वास्तव में संशोधन नहीं हैं, बल्कि वे नये प्रस्ताव हैं जिनको वे मौलिक अधिकारों में बढ़वाना चाहते हैं। और भी सदस्य हैं जिनके पास मौलिक अधिकारों में लाने के लिए ऐसे प्रस्ताव हैं। प्रश्न यह है कि इनको स्वतंत्र प्रस्ताव के समान इस समय ले लिया जाये अथवा बाद में।

***श्री के.एम. मुंशी:** बाद में, श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** जो यह चाहते हैं कि मौलिक अधिकार सम्बन्धी वाद-विवाद के समाप्त होने पर इन नये खंडों को लिया जाये, वे 'हां' कहें—जो इसके विरुद्ध हैं वे 'ना' कहें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान् जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है जिस पर आपके निर्णय लेने की जरूरत है न कि मत लेने की।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान् जी, विरोध के रूप में मैं वोटिंग में भाग लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे विचार से यह वोट से तय करने का विषय नहीं है।

***अध्यक्ष:** अब अपने संशोधन पेश कीजिए।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** पूरक सूची 1 में मेरे संशोधनों की क्रम संख्या 48, 49 और 52 है।

संख्या 48-खण्ड 8 में 'Security of the Union' के स्थान में ''Defence of the Union'' शब्द रखे जायें।

संख्या 49—वाक्यांश 8 (अ) में (Seditious) ''विप्लवकारी'' शब्द हटा दिया जाये।

संख्या 52—समस्त खण्ड 8 (ब) के स्थान में निम्न वाक्य रखा जाये:

''नागरिकों को एकत्रित होने का अधिकार।''

मुझे हर्ष है कि प्रस्तावक महोदय ने इस खण्ड के कुछ आदेशों को हटाना स्वीकार कर लिया है। मुझे विशेष हर्ष है कि कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रो. रंगा की राय नहीं मानी जो यह सोचते हैं कि प्रजातंत्रवाद और स्वतंत्रता भारत के लिये हानिकर हैं क्योंकि उनके विचारानुसार प्रजातंत्रवाद और स्वतंत्रता ने जर्मनी में नाजियों की शक्ति बढ़ाने में सहायता की। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत इतिहास जानता है वह इस बात को जानता है कि नाजीवाद प्रजातंत्रवाद के आधिक्य का फल न था। नाजीवाद जर्मनी में अधिकारारूढ़ इसलिए हुआ कि वैमर विधान (Weimar Constitution) के अन्तर्गत जो अधिकार और स्वतंत्रता दी गई थी उनका हिटलर ने नाजी गिरोह की सहायता से विरोध किया और वहां की ''सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी''

नाजीवादियों की तलवार का मुकाबला तलवार से करने के लिए वहां के श्रमजीवी वर्ग का संगठन करने में असफल रही। यही मुख्य कारण है जिससे नाजीवाद अधिकारारूढ़ हुआ। यह नहीं कि वहां स्वतंत्रता की मात्रा अधिक थी।

मुझे बड़ी खुशी है कि वे आदेश जिनके लिए विरुद्ध मैंने लड़ाई लड़ी हटा लिये गये हैं यह लड़ाई शायद कुछ तीखी थी और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। परन्तु यह बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब यह है कि मेरे संशोध्रन नं. 49 और 52 आवश्यक नहीं हैं, केवल नं. 48 आवश्यक है।

खण्ड इस प्रकार है:

> ''नीचे दिये गये अधिकारों के प्रयोग की स्वतंत्रता होगी। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधीन होगी, या उस गंभीर परिस्थिति के आधीन होगी जिसको यूनियन या सम्बन्धित प्रदेश ऐसा घोषित कर दे कि जिससे यूनियन या सम्बन्धित प्रदेश में से किसी का भी बचाव खतरे में पड़ जाता है।''

मैं ''बचाव'' के स्थान में ''सुरक्षा'' रखना चाहता हूं। ''बचाव'' शब्द अस्पष्ट है और कुछ भी अर्थ रख सकता है। हमें अनुभव है कि भूतकाल में इस शब्द को अस्पष्टता से सरकार ने लाभ उठाया। यूनियन की सुरक्षा वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जिसकी रक्षा करनी चाहिए। और इसके लिए खास अधिकार की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्त्वपूर्ण संशोधन है। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मेरा संशोधन, जो कि कार्यक्रम (Agenda) के खण्ड (ग) के सम्बन्ध में इस प्रकार है। खण्ड (ग) इस प्रकार है:

''नागरिकों को संघ या सम्मेलन बनाने के अधिकार।''

मेरा संशोधन इस आशय का है, उपखंड के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायें और इस उपखंड का रूप यह हो।

''आर्थिक परिस्थितियों तथा श्रमजीवियों और कर्मचारियों की हैसियत की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से नागरिकों को सम्मेलन या संघ बनाने के अधिकार की गारन्टी होगी''। चूंकि यह नया वाक्यांश माना गया है, मैं इसे उपयुक्त समय में पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखता हूं।

चूंकि अब से आदेशों के हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव मेरे नाम से हैं, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये आदेश हटा दिये जायें। बात यह है कि जब हम प्रत्येक नागरिक को भाषण की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो यह भी वांछनीय है कि हम इन आदेशों से इस स्वतंत्रता में प्रतिबंध न लगायें। मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है क्योंकि खण्ड एक प्रकार से स्वयं व्याख्यापूर्ण है। हम प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार देने के लिये तत्पर हैं और ये आदेश उन अधिकारों को निष्फल बना देते हैं, इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इनको हटा दिया जाये।

''बचाव'' शब्द के स्थान में ''सुरक्षा'' शब्द को रखने के मि. लाहिरी के संशोधन के संबंध में मैं नहीं समझता कि देश में बिना बचाव के सुरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। बचाव राज्य और यूनियन में सारभूत है। इसलिए बचाव बहुत आवश्यक है और यह महसूस करता हूं कि मूल शब्द जैसे है वैसे ही रहें।

*__श्री महावीर त्यागी__ (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं अपने संशोधन को लेकर बड़े पशो-पेश में पड़ गया हूं खण्ड अ, ब और स के अन्त में दिये हुये तीन आदेशों को हटाने का संशोधन सभा के समक्ष है ही। यदि यह संशोधन स्वीकृत होता है तो मेरा संशोधन निरर्थक होगा। यदि सभा इसके विपरीत विचार करती है और उन आदेशों को रखती है तो मैं यह सुझाव पेश करूंगा कि ''धारा-सभा के भवन के निकट सभाओं पर नियंत्रण रखना या रोकना'' शब्दों को, जो कि उप-खंड ब के अन्त में हैं, हटा दिये जायें। श्रीमान्, किसी धारा-सभा के बिल्कुल निकट सभा करने का और धारा सभा के सदस्यों को जो कुछ उनके वोटर चाहते हैं उसका (इस प्रकार) आभास करा देने का जनता को विशेष अधिकार है—यह मैं विश्वास करता हूं। संक्षेप में यदि सभा उक्त खंडों को सम्पूर्ण रूप से न हटाने का निश्चय करती है तो मेरी यह सविनय प्रार्थना है कि मेरे संशोधन पर उस समय विचार किया जाये।

*__माननीय रेवेरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय__ (आसाम : जनरल): श्रीमान्, मेरे संशोधन के दो भाग हैं (1) खण्ड 8 के उपखंड ई के आदेश को प्रथम पंक्ति में से ''न्याययुक्त'' शब्द निकाल दिया जाये, और (2) और ''कबाइलियों'' शब्द के पश्चात् ''और कबाइली क्षेत्रों'' शब्दों को बढ़ा दिया जाये। मैं केवल पहले भाग को पेश करना चाहता हूं, दूसरे भाग को नहीं। अत: आदेश मेरे प्रस्तावानुसार इस प्रकार का होगा:

> (''यदि सार्वजनिक हित के लिये, जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और कबीलों की रक्षा सम्मिलित है; पाबन्दियों का लगाना आवश्यक हो तो कानून द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी।'')

'न्याययुक्त' शब्द बहुत गड़बड़ और कलह उत्पन्न करेगा। यदि कोई राज्य या प्रादेशिक इकाई ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जैसा कि खण्ड 2 के अंतर्गत है और कह सकता है कि वे प्रतिबन्ध न्याययुक्त नहीं है। इस कारण मेरा विचार है कि कानून द्वारा दलों और कबीलों को जो रक्षा दी जायेगी वह उचित वास्तविक रक्षा नहीं होगी। वर्तमान समय में कबाइली क्षेत्रों और आसाम के कुछ अंश में पृथक् किये हुये क्षेत्रों की जनता के मस्तिष्क में अनेकों भ्रम हैं कि उनका, भारत में मिल जाना उनको व्यावहारिक रूप में भारत के अन्य भागों के व्यक्तियों के शोषण के आधीन कर देगा, और मौजूदा रक्षा, जो कि उनको अपनी भूमि के लिये प्राप्त हैं, छीन ली जायेगी। अत: उनमें से बहुत से नये भारतीय विधान के अन्तर्गत आने से डरते हैं। जब हम, सलाहकार-कमेटी की उप-समिति के सदस्य, लुशाई पर्वतों (Lushai Hills) में गये, तो कुछ लुशाई लोगों ने विचार प्रकट किया कि उनके लिये आसाम प्रान्त से संबंधित होने से बर्मा से संबंधित होना बेहतर होगा। यद्यपि वे अब भी आसाम में हैं तो भी उनको भय है कि नये विधान में वे सब रक्षाएं जोकि उनको आज तक ब्रिटिश सरकार से मिली हैं, हटा न ली जायें। इस भ्रम के निवारण के लिये यह आवश्यक होगा कि अन्त:कालीन सरकार के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिनके अधिकार में ये कबाइली क्षेत्र हैं, अधिकार संबंधी प्रामाणिक घोषणा की जाये, कि जो रक्षाएं इस समय आसाम में कबीलों को अपनी भूमि के संबंध में प्राप्त हैं, वे हटाई नहीं जायेंगी। ऐसी किसी घोषणा के लिये, यदि वह इस सभा में या अन्यत्र कहीं भी की जाये, वास्तव में मैं धन्यवाद दूंगा।

मैं समझता हूं कि यह आदेश अल्पसंख्यकों और कबीलों की भूमि तथा अन्य हितों के संरक्षण के लिये जान कर यहां रखा गया है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में इस आदेश को गलत समझा जायेगा और इसकी गलत व्याख्या की जायेगी। विशेषकर मुख्य उपखंड द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुविधा दिये जाने के कारण। और इसलिये यह उनके मस्तिष्कों में उलझन उत्पन्न करेगा। इस कारण मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि अधिकार संबंधी एक ऐसी प्रामाणिक घोषणा पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाये। इससे उस उपसमिति को बड़ी मदद मिलेगी जो जांच के सिलसिले में इन कबाइली क्षेत्रों में जायेगी।

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहार : जनरल): अभी मैं पूरक सूची 2 में नम्बर 18 का अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष, कल हमारी बैठक समाप्त होने तथा संशोधन उपस्थित करने के लिए आपके द्वारा निर्धारित समय में अधिक अंतर न था। इसलिए यदि पूरक सूची 2 में 19 नम्बर का संशोधन भाषा की दृष्टि से वैसा उत्तम न हो, जैसा कि किसी कुशल मसविदा बनाने वाले को उसे रखना चाहिए था, तो इसके लिए मैं परिषद् से क्षमा मांगता हूं।

मेरे संशोधन का उद्देश्य हाउस को यह बताने से है कि पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् क्षेत्रों में जाने के लिए नियुक्त उप-समितियों ने अभी तक अपनी जांच का परिणाम बड़ी सलाहकार-समिति के आगे उपस्थित नहीं किया है। हमारे सामने उपस्थित धारा (क्लाज) में ऐसी व्यवस्था है, जो लाखों आदिवासी जनता के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इन दो उप-समितियों की, विशेष कर उत्तर-पूर्वी कबायली प्रदेशों से—या कहा जाये कि बंगाल-आसाम समूह से सम्बन्ध रखने वाली उप-समिति की सिफारिशों की जानकारी पर ही इस व्यवस्था को बहुत कुछ निर्भर रहना चाहिए। जब तक हम यह न जानें कि ये सिफारिशें क्या हैं तब तक हमें इस धारा तथा उसकी व्यवस्थाओं पर विचार करना अबुद्धिमत्तापूर्ण, अनुचित तथा समय से पहले की बात जान पड़ती है। श्रीमान् अध्यक्ष, इसलिए क्या मैं यह सुझाव उपस्थित कर सकता हूं, कि इस धारा पर विचार दोनों उप-समितियों की रिपोर्टें मिलने तक स्थगित रखा जाये। तब हमें ज्ञात हो सकेगा कि उनकी सिफारिशें क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी हाउस में पहले एक अवसर पर कह चुका हूं कि पृथ्वी आदिवासी-जीवन का आधार है। हम यहां एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जो केवल 34 पूर्ण रूप से पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् कहे जाने वाले प्रदेशों की जातियों के लिए ही नहीं बल्कि इन प्रदेशों से बाहर रहने वाले लाखों व्यक्तियों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। बंगाल का ही उदाहरण लीजिए। वहां लगभग 20 लाख आदिवासी ऐसे हैं, जो न पृथक् क्षेत्रों में आते हैं और न आंशिक रूप से पृथक् क्षेत्रों में ही। दोनों उप-समितियों को उनकी समस्या पर भी विचार करना पड़ेगा, यद्यपि परिभाषानुसार इनका सम्बन्ध केवल उन्हीं प्रदेशों से है, जिसे पृथक् प्रदेश या आंशिक रूप से पृथक् प्रदेश कहा जाता है। इस अंत:कालीन अवस्था में अपने संशोधन को आगे बढ़ाने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसे निश्चय पर पहुंच रहे हैं, जिसे चाहे अभी भले ही हम अंत:कालीन निश्चय ही कहें—मुझसे अभी कहा गया है कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे—परन्तु ऐसा करके हम केवल अपना काम

[श्री जयपाल सिंह]

बढ़ायेंगे। हम एक प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चय पर पहुंच कर अपना समय नष्ट कर रहे हैं, जो दोनों उपसमितियों की सिफारिशों पर निर्भर रहेगा। मैं विनीत भाव से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं। मुझे यह जानकर संतोष हुआ है कि प्रस्तावक को ''तर्क संगत'' (Reasonable) शब्द निकाल देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसे पढ़ने से आपको प्रकट होगा कि उसके दो भाग किये जा सकते हैं पहले तो मैं यहां या और कहीं ऐसा स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जिससे भारत की कबायली जातियों की 3 करोड़ जनता को (यह संख्या 1941 की जनगणना के अनुसार है और यह ठीक है या गलत यह प्रश्न यहां नही उठता) विश्वास हो जाये कि मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत जो संरक्षण उसे प्राप्त है, वह कायम रहेगा। धारा का वर्तमान स्वरूप कबायली जातियों के मन में गहरी आशंका उत्पन्न करती है। दोनों उप-समितियों को अभी पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् प्रदेशों में फिर से जाना पड़ेगा, उन्हें छोटा नागपुर भी जाना पड़ेगा। मैं आदिवासी दृष्टिकोण से इस बात पर जोर देना चाहता हूं, कि भूमि आदिवासियों के जीवन का आधार है। मेरा ख्याल है कि आसाम के प्रधानमंत्री मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि जब तक आदिवासियों को यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि उन्हें जो संरक्षण प्राप्त है उसमें इस धारा से कोई प्रभाव न पड़ेगा तब तक उन्हें तथा उप-समितियों को पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् प्रदेशों में जाना असम्भव हो जायेगा। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे चुके हैं। अभी काफी भ्रम फैल चुका है। मैं तो चाहता हूं कि उप-समितियों की रिपोर्टें मिलने तक इस धारा को स्थगित रखा जाये। उदाहरण के लिये कहा जा सकता है कि हम जहां भी कही गये हैं वहीं कहा गया है कि अभी कई वर्ष तक आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल न किये जाने की आवश्यकता है। यदि मैं इस संरक्षण के लिये लड़ता हूं तो अधिकांश सदस्य हंसेंगे। आज ही प्रातःकाल एक मित्र ने मुझसे बात करते समय कहा था—''क्या आप चाहते हैं कि सृष्टि के अंत तक आदिवासियों की भूमि की बेदखली न हो सके।'' आदिवासियों की महत्त्वपूर्ण मांगों का जैसा मजाक उड़ाया जाता है उसी का यह एक उदाहरण है। हम समानता की बातें करते रहे हैं। समानता की बात बड़ी भली जान पड़ती है, किन्तु जब आदिवासियों के भूमि पर अधिकार का प्रश्न उठता है तो मैं भेदभाव की मांग करता हूं। इसीलिये मैं अनुरोध करता हूं उन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने तक, जो आदिवासियों के सम्बन्ध में विचार करेंगी, इस धारा पर विचार स्थगित रखा जाये, क्योंकि वह ''......आदिवासियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चय न किया जाये—चाहे यह निश्चय कितना भी अस्थायी क्यों न हो। मैं प्रस्तावक सरदार वल्लभभाई पटेल से अनुरोध करता हूं कि इस धारा तथा इसकी व्याख्याओं पर विचार स्थगित रखा जाये। अभी मैं अपना संशोधन आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

***श्री खुर्शीद लाल** (संयुक्तप्रांत : जनरल): जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उसके कारण मैं अपना संशोधन (पूरक सूची 2—नम्बर 20) उपस्थित नहीं करता।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल):** अभी जो निश्चय हुआ है उसके कारण मैं अपना संशोधन (पूरक सूची 2—नम्बर 21) उपयुक्त समय पर उपस्थित करूंगा।

***श्री खुर्शीद लाल:** मैं अपना संशोधन बाद में उपस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता हूं। उसे धारा 8 के बाद स्वतंत्र धारा के रूप में रखा गया था। रिपोर्ट पर विचार होने के बाद उसे उपस्थित करने का अपना समस्त अधिकार मैं सुरक्षित रखना चाहता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, अध्यक्ष, अब चूंकि धारा 8 के अन्य नियम नहीं बनें हैं और सिर्फ उप-धारा (ई) का नियम बचा है। इसका उल्लेख करने से पूर्व मैं उप-धारा (ई) के सम्बन्ध में अपना संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

(1) धारा 8 (ई) में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें, प्राप्त करना (acquire) और सम्पत्ति (property) के मध्य ''रखना या बेच देना''।

(2) ''To'' और ''any occupation'' के मध्य ''exercise or carry on'' शब्दों को जोड़ दिया जाये। इन परिवर्तनों के साथ उप-धारा इस प्रकार पढ़ी जायेगी:

> ''प्रत्येक नागरिक को संघ के किसी भाग में रहने, बसने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने या बेचने और सम्पत्ति का हकदार होने और किसी भी रोजगार, व्यापार, कारबार या पेशा करने या चलाने का प्रत्येक अधिकार।''

अर्थात्, उनके सभी अंशों को जो धारा 5 में छोड़ दिए गए हैं, इस संशोधन द्वारा इस धारा में सम्मिलित कर लिया जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी है एक और भी संशोधन ''तर्कसंगत'' शब्द को निकालने के सम्बन्ध में उपस्थित किया जा चुका है। मेरा तीसरा संशोधन भी इसी आशय का है। अन्तिम उपधारा के सम्बन्ध में एक संशोधन का हवाला दिया गया है कि कबायलियों (Tribes) के स्थान पर ''कबायली प्रदेश'' (Tribal areas) शब्दों का उपयोग किया जाये। नियमों में कबायलियों (Tribes) शब्द का उपयोग इस कारण किया गया है कि ऐसी जातियां हो सकती हैं, जो कबायली प्रदेशों के बाहर हों और नियम का कबायली प्रदेश के भीतर आने वाली और बाहर रह जाने वाली दोनों ही प्रकार की जातियों पर लागू होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी आशंका की गुजाइश नहीं है। श्रीमान्, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि मेरे मित्र श्री जयपालसिंह ने जो संदेह प्रकट किए उनकी पूर्ति इस नियम से भली प्रकार हो जाती है। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि वर्तमान सभी नियमों को रद्द कर दिया जायेगा। इसके विपरीत धारा 2 के अनुसार संघ अथवा उसके किसी भाग में सभी वर्तमान नियम चालू रहेंगे, बशर्ते वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न पड़ते हों।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं, जिसमें ''तर्कसंगत'' शब्द को निकालने का सुझाव पेश किया गया है। सम्पूर्ण धारा पर नये सिरे से विचार करने के लिए मेरे मित्र श्री जयपालसिंह ने उस पर विचार स्थगित रखने का जो सुझाव उपस्थित किया है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। परन्तु उप-धारा के पहले अंश को बने रहने देने में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है—अर्थात् ''संघ के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रहने और बसने के अधिकार'' के सम्बन्ध में। परन्तु उपधारा के शेष अंश पर

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

विचार स्थगित रखा जाये। इस विषय में अपने मित्र श्री जयपालसिंह का समर्थन करते हुए मेरे सामने कुछ विशेष बातें हैं। श्रीमान्, मैं आपका और इस सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारत, और विशेषकर भारत की साधारण जनता को आशा है कि भारतीय विधान का सुझाव निश्चित रूप से समाजवाद की ओर रहे। यदि इस धारा को उसके वर्तमान रूप में ही विधान में रहने दिया जायेगा तो भारतीय जनता के इस सन्देह को हम और भी बढ़ा देंगे कि यह विधान-परिषद् अविभाज्य रूप से सत्ताधारियों के स्वार्थों से सम्बद्ध है और ऐसी अवस्था में भारतीय विधान में समाजवादी सिद्धांतों के समावेश की कोई आशा नहीं की जा सकती। श्रीमान्, यह नियम विचित्र है। मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, किन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि सम्पत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में हम अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में सभी जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनता का, जो मुख्यत: किसान और मजदूर हैं, सभी जगह अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा शोषण होता है। यह बुराई इस सीमा तक बढ़ गयी है कि अब बहुसंख्यक समुदाय संरक्षण के लिए चिल्लाने लगे हैं। हमारे सामने मौलिक अधिकारों का जो मसविदा है उसमें हम उन्हीं अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध हमें रक्षा की जरूरत है, जिनके विरुद्ध श्रमजीवी वर्ग तथा किसानों को रक्षा की आवश्यकता है। मेरा निवेदन सभा से केवल इतना ही है कि हमें इस विषय पर कुछ अधिक विचार करना चाहिए। सरदार वल्लभभाई पटेल कह चुके हैं कि इस सभा के आगे जो अन्त:कालीन रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, वह आकस्मिक नहीं थी। यह भी माना जा चुका है कि समिति को प्रत्येक सम्भव दृष्टिकोण पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। श्रीमान्, परिस्थिति के सम्बन्ध में यह कथन मिलने पर और सरदार पटेल द्वारा साथ के पत्र में लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिन पर अभी और विचार होना आवश्यक है। जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है, अनिश्चित सीमा तक सम्पत्ति प्राप्त करने के विरुद्ध मजदूरों को संरक्षण की जरूरत है, कृषकों को संरक्षण की आवश्यकता है यदि इस सम्बन्ध में प्रान्तों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया जाये तो कैसा हो। इस विषय में छान-बीन करने की आवश्यकता है। प्रान्त निश्चय ही इसका स्वागत करेंगे। मेरे मत से केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि एक तरफ आप केन्द्र में समाजवाद का प्रसार करेंगे नहीं और दूसरी तरफ भारत के भावी प्रान्तों को भी ऐसा करने से रोक देंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान्, कबायली लोगों के विशेष संरक्षण के सम्बन्ध में श्री जयपालसिंह के सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। ये लोग दलित तथा पिछड़े हुए हैं और इनकी रक्षा के लिए विशेष नियम होने जरूरी हैं। जैसा कि शायद प्रोफेसर शाह का मतलब है। यह समाजवादी रुख का प्रश्न नहीं है, किन्तु एक मध्यवर्गीय लोकतंत्र में भी कबायली जातियों की रक्षा के लिए नियम होने चाहिएं ताकि वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच सकें। इसीलिए मैं श्री जयपालसिंह के सुझाव का समर्थन करता हूं।

***श्री आर.के. चौधरी** (आसाम : जनरल): मेरे माननीय मित्र श्री जयपालसिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मेरे विचार में सभा वह संशोधन स्वीकार करके एक अविवेकपूर्ण कार्य करेगी।

श्री यदुवंश सहाय (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मुझे एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है, क्या यह सत्य नहीं है कि श्री जयपालसिंह ने अपना संशोधन आगे न बढ़ाकर सिर्फ कुछ आम बातें ही कही हैं?

***सभापतिः** मेरे पत्र में उन्होंने संशोधन उपस्थित किया है।

श्री आर.के. चौधरीः मैं इस सम्बन्ध में भी कहने जा रहा है। माननीय श्री निकोलसराय के संशोधन के बाद मुख्य प्रस्ताव का जो स्वरूप है, मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु जो यह सुझाव पेश किया गया है कि वर्तमान कानून द्वारा प्राप्त विशेष संरक्षण कायम रहना चाहिए—इसमें मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। एक विशेष रेगुलेशन चिनहिल रेगुलेशन है। इस परिषद् के बहुत ही कम सदस्यों को इस रेगुलेशन का पता होगा। इस चिनहिल रेगुलेशन के अनुसार किसी भी राजनीतिक अफसर को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह जिस भी व्यक्ति को अवांछनीय समझे बेदखल कर दे। इस रेगुलेशन को कुछ जगहों से हटा लिया गया है, किन्तु पहाड़ियों की कुछ जगहों में यह अभी तक जारी है। मेरी इच्छा तो केवल यही है कि नगरों व अन्य जगहों में लोगों को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त कर के उनकी स्वतंत्रता में जो कमी की गई है उसका समुचित प्रबन्ध किया जाये।

इन नियमों या प्रतिबन्धों का उद्देश्य कबायली जातियों की रक्षा करना न होकर मैदान में रहने वाले अपने भाइयों से उन्हें पृथक् कर देना है, ताकि अंग्रेज उनका और भी शोषण कर सकें।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं मानता हूं कि मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूं। इन संशोधनों की बौछार के बाद, जिनमें से कुछ उपस्थित किये गये हैं, कुछ नहीं किये गये हैं और कुछ वापिस लिये गये हैं, और कुछ वापस नहीं लिये गये हैं। मैं नहीं कह सकता कि हमारी स्थिति क्या है? इस विषय में अन्य सदस्यों के क्या विचार हैं, मैं नहीं कह सकता। किन्तु जो वाद-विवाद चल रहा है उससे मेरे मस्तिष्क में बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है। जहां तक अनुमान लगा सकता हूं, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। धारा के तीन नियमों को निकाल दिया गया है और कुछ हलके परिवर्तन कर दिये गये हैं जहां तक (ई) का सम्बन्ध है, यह नियम इस अंतर के साथ बना रहने दिया गया है कि ''तर्कसंगत'' शब्द हटा दिया जाये और साथ ही कुछ अन्य परिवर्तन भी करने को कहा गया है। बहुत सी ऐसी बातें भी कही गई हैं, जिनका धारा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने जो यह स्थिति समझी है, वह ठीक है या नहीं। मैं धारा का समर्थन इस अवस्था में कर रहा हूं कि पहले के तीन नियमों को निकाल दिया गया है और धारा (ई) के अंतिम नियम में से ''तर्कसंगत'' शब्द को निकाल कर उस नियम को बना रहने दिया गया है।

मुझे जान पड़ता है कि एक अन्य विषय में भी भ्रम फैला हुआ है। ऐसा जान पड़ता है, जैसे माननीय सदस्य भूले जा रहे हैं कि हम यहां मौलिक अधिकारों पर विचार कर रहे हैं। हम यहां किसी विशेष विषय पर कानून नहीं बना रहे

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

हैं। हमारा ध्यान कितनी ही बातों की तरह खींचा गया है—इनमें से बहुत सी अच्छी बातें हैं जो होनी चाहिएं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न होनी चाहिएं, किन्तु उनका विधान के मौलिक अधिकारों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। हम उन पर अलग से विचार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम उन्हें विधान का अंग भी बना सकते हैं या और भी अच्छा हो यदि उनके सम्बन्ध में अलग से कानून बनाया जा सके। यह भ्रम तथा दोहरापन फैला हुआ है और इसीलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई है। किसी मौलिक अधिकार पर हमें किसी तत्कालीन कठिनाई को ध्यान में रखकर विचार न करना चाहिए, बल्कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे हमें विधान का स्थायी अंग बनाना है। इसके अलावा अन्य बातों पर—चाहे वे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों—इस स्थायी या मौलिक दृष्टिकोण से विचार न करके अस्थायी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

श्री जयपालसिंह ने अपना संशोधन उपस्थित तो किया है, पर मेरा अनुमान है कि उसे आगे नहीं बढ़ाया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं, किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसका मौलिक अधिकार से क्या सम्बन्ध है? मैं इस विषय में पूर्णत: सहमत हूं कि कबायली जाति वालों तथा उनके प्रदेशों की रक्षा होनी चाहिए। (वाह, खूब) और वर्तमान कानूनों को—मैं नहीं जानता कि ये कानून क्या हैं—आगामी कानून-व्यवस्था में समय आने पर सम्मिलित कर लेना चाहिए। किन्त इसकी कल्पना मौलिक अधिकार के रूप में करना एक बिल्कुल गलत बात होगी। श्री निकोल्स राय मुझसे एक बार नहीं, बल्कि कई बार उस स्थिति में विचारों का स्पष्टीकरण करने को कह चुके हैं, जो यहां मेरी नहीं है। उन्होंने अन्त:कालीन सरकार तथा विदेश-विभाग (External Office Dept.) का भी हवाला दिया है। मुझे हाउस को यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहां अन्त:कालीन सरकार के सदस्य या विदेश-विभाग के मंत्री की हैसियत से नहीं हूं, मैं तो यहां संयुक्त प्रान्त के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहां मैं अपनी प्रतिनिधित्वपूर्ण स्थिति को भूलकर यह कहना चाहता हूं—और मुझे विश्वास है कि सभा मुझसे सहमत होगी, और सच तो यह है कि परिषद् उद्देश्य सम्बन्धी अपने पहले प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भी यह स्पष्ट कर चुकी है—कि कबायली जातियों की रक्षा करने का विशेष ध्यान रखा जाये—अपने उन अभागे भाइयों की रक्षा का, जिनका पिछड़े होने में अपना कोई दोष नहीं है, जो सामाजिक कुरीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंचे हैं—और सम्भव है हम स्वयं, या हमारे पुरखे या और कोई इस दोष के भागी हों। हम तो अपना यह इरादा स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिछड़ी हुई जातियों की उनके लुटेरे पड़ोसियों से रक्षा करने और उनकी उन्नति में अधिक-से-अधिक और उत्तम-से-उत्तम तरीके से सहायता पहुंचाने की हमारी इच्छा है। मैं श्री निकोल्स राय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी सरकार में रहकर या और किसी तरह यदि कभी भी इस विषय में मुझे कुछ करना हुआ तो यह सहायता मैं अवश्य करूंगा। फिर भी मेरा ख्याल है कि यह मेरी या अन्य किसी व्यक्ति की इच्छा का प्रश्न नहीं है। मेरा यह भी विचार है कि भारत में जो भी सरकार होगी उसकी यही नीति होगी, क्योंकि आज की राजनीति में इसे एक मान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किये जाने की सम्भावना है और मेरा ख्याल है कि कोई भी सरकार, चाहे वह इस प्रश्न में दिलचस्पी ले अथवा

नहीं, इस सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जा सकती। इसलिए, श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि कबायली जातियों के प्रदेशों में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को इस विषय में निश्चित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे इस विषय में सतर्क रहें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार या स्वतंत्रता के विषय में सतर्क नहीं रहता तो वह अधिकार या स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। परन्तु उनके सावधान रहने पर भी मैं उन्हें यही आश्वासन देता हूं कि सम्पूर्ण भारत की सहानुभूति उन्हीं के साथ है। *(हर्ष ध्वनि)*

***श्री के.एम. मुंशी:** भाषा को ठीक करने के विचार से मैं संशोधन का सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं। भूमिका में मुझे एक शब्द का प्रयोग गलत जान पड़ता है।

There shall be liberty for the exercise of the following rights subject to public order and morality or to the existance of grave emergency.

निम्न अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता रहेगी, बशर्ते कि सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध कार्य न हुआ हो या घोर संकट न उत्पन्न हुआ हो।

मैं यह मौखिक प्रस्ताव पेश करता हूं कि ''to the existence of grave emergency'' के स्थान पर ''except in grave emergency'' शब्दों का प्रयोग किया जाये, क्योंकि पहला शब्द-समूह उचित नहीं जान पड़ता।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान्, पहले पैराग्राफ में श्री मुंशी का मौखिक संशोधन मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि अंतिम नियम से ''तर्क संगत'' शब्द निकाल दिया जाये। अब धारा जैसी कि मैंने उपस्थित की थी वैसी ही है, केवल (अ), (ब), और (स) नियमों को निकाल दिया गया है और श्री मुंशी ने कुछ शब्द जोड़ने का सुझाव किया है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। श्री निकोलस राय ने कबायली जातियों के प्रदेशों के सम्बन्ध में कुछ कहा है। अभी श्री लाहिरी का ''सुरक्षा (सिक्योरिटी) सम्बन्धी संशोधन शेष है। श्री लाहिरी ने संशोधन उपस्थित किया है कि ''संघ के बचाव (सिक्योरिटी)'' के स्थान पर ''संघ की सुरक्षा'' (डिफेंस) शब्द रख दिये जायें। मैं इस संशोधन का जोरदार विरोध करता हूं। मि. लाहिरी की तीव्र बुद्धि है। श्री लाहिरी जानते ही हैं कि बाह्य रक्षा से आन्तरिक रक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। फिर भी वे बचाव (Security) के स्थान में सुरक्षा (Defence) रखते हैं जिससे बाह्य रक्षा तो हो जाये पर आन्तरिक रक्षा में गोल-माल रहे। बचाव (सिक्योरिटी) शब्द को जान-बूझकर चुना गया था। इसलिए उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

माननीय रेवरेंड निकोलस की दिलचस्पी अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा में है और श्री जयपालसिंह को कबायली जातियों के प्रदेशों के संबंध में आशंकाएं हैं। जहां तक ''ट्राइब'' शब्द का सम्बन्ध है, मेरा मत है कि यह शब्द ठीक नहीं है। इसी प्रकार ''कबायली प्रदेश की रक्षा'' शब्द भी ठीक नहीं है। इनसे प्रकट होता है कि हम कुछ प्रदेशों की रक्षा के लिये उत्सुक हैं। दूसरे शब्दों में यदि किसी बाहरी गड़बड़ की आशंका हुई या प्रदेश के अतिक्रमण की सम्भावना हुई तो ''कबायली प्रदेश की रक्षा'' का दूसरा ही अर्थ होगा।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

श्री जयपाल सिंह को आशंका है कि अभी जिन कानूनों द्वारा कबायली जातियों के लोगों को संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हटा दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आशंका क्यों है? हम वर्तमान कानूनों को रद्द करने या नये कानून बनाने की कार्रवाई थोड़े ही कर रहे हैं। इस धारा का सम्बन्ध तो मौलिक अधिकारों से है। इसके द्वारा वर्तमान कानूनों को रद्द तो नहीं किया जाता। वर्तमान कानून-व्यवस्था को कहीं स्पर्श नहीं किया गया है, सिवाय उन स्थलों के जहां विधान की रक्षा के मौलिक अधिकारों के वे विरुद्ध पड़ती हो। इसलिए आशंका की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। लोग कबायली जातियों की रक्षा के लिए जो कुछ कह रहे हैं क्या उसका उद्देश्य यही है कि ये जातियां सदा इसी अवस्था में बनी रहें? मेरे ख्याल में ऐसा करना उनके हित में नहीं होगा। मेरा तो विचार है कि हमें कबायली जातियों को श्री जयपालसिंह के स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि यह कि वे इसी रूप में बनी रहें, ताकि दस वर्ष बाद जबकि मौलिक अधिकारों पर पुन: विचार हो तो वे हमारे ही स्तर तक आ जायें और ''ट्राइब'' शब्द को ही हटा दिया जाये। ''ट्राइब'' (जातियों) के लिए पृथक् प्रबंध करना भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय नहीं है। ''ट्राइब'' का क्या अर्थ है? क्या ''ट्राइब्ज'' का जो कुछ अर्थ लगाया जाता है और क्या वास्तव में यही उनका मतलब है भी? इसका कुछ मतलब है और यह बना इसलिए कि पिछले 200 वर्ष से विदेशी शासक उन्हें अलग-अलग समूहों में कायम रखने का प्रयत्न करते रहे हैं ताकि उनके रीति-रिवाज आदि सभी कुछ भिन्न रहें, और जिससे कि विदेशियों को शासन में सुविधा रहे। शासक उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। यही कारण है कि आज हमारे मध्य अस्पृश्यता का अभिशाप है, कबायली जातियों का अभिशाप है, सत्ताधारियों के स्वार्थों का अभिशाप है और इसके अतिरिक्त और भी कितने ही अभिशाप हैं। हम इन सभी को मौलिक अधिकार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न इन अभिशापों को हटाने का होना चाहिए। दस वर्ष बाद जब हम स्थिति पर पुन: विचार करें तो हमें ऐसी अवस्था में होने की आशा करनी चाहिए कि ''ट्राइब्ज'' शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकें। जिन कानूनों से उन्हें संरक्षण मिलता रहा है वे सभी बने हुए हैं। परन्तु क्या इन कानूनों से उनकी रक्षा हो सकी है? हम इन जातियों को उनकी वर्तमान अवस्था में नहीं रहने देना चाहते। उनकी रक्षा वर्तमान कानूनों द्वारा नहीं होगी। उनकी रक्षा तो हमारे अपने कार्य और हमारी नेकनीयती से ही होगी। इसलिए मैं श्री जयपालसिंह से अनुरोध करता हूं कि वे कोई आशंका न करें। स्वाधीन भारत में उन्हें भय की वैसी आशंका न रहेगी, जैसी पिछले 200 वर्ष में रही है।

***श्री जयपाल सिंह:** एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। श्रीमान्, सभापति, मुझे कबाइली जातियों के सम्बन्ध में वैसी कोई आशंका नहीं है, जैसी कि चर्चा माननीय सरदार पटेल ने मेरे सम्बन्ध में उठाई है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैंने जो कुछ कहा है उसका मतलब उन्होंने अपने ढंग से अलग ही लगाया है यह सत्य हो सकता है कि कबाइली जातियों की अवस्था में आगे जाकर सुधार हो जाये। सम्भव है वे मेरे स्तर तक आ जायें। परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं लगाया जा सकता कि हम जिस नीति का अनुसरण करते रहे हैं उसे और भी रक्षापूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण न बनाया जाये। मैं जानता हूं कि दस वर्ष बाद हम उस पर फिर से विचार करेंगे।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधन रखूंगा। चूंकि प्रस्तावक ने अधिकांश संशोधनों को स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं समझता हूं कि सभा ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। *(आवाजें ''हां'')*

परिषद् ने 8 (अ), 8 (ब) और 8 (स) नियमों का निकाला जाना स्वीकार कर लिया।

परिषद् ने धारा 8 की पंक्ति 2 में ''to the existence of'' के स्थान पर ''except in'' शब्द रखने का संशोधन भी स्वीकार कर लिया।

अब मैं सभा के आगे श्री लाहिरी का संशोधन उपस्थित करता हूं इस संशोधन द्वारा धारा 8 के पहले पैरा में यूनियन के बचाव (Security of Union) के स्थान पर यूनियन की सुरक्षा (Defence of Union) शब्द रखने का सुझाव किया गया है।

संशोधित रूप में वह इस प्रकार होगा:

> ''निम्न अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता रहेगी बशर्ते कि सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध कार्य न हुआ हो या ऐसे घोर संकट की घोषणा सम्बन्धित संघ या इकाई (प्रान्त या रियासत) की सरकार द्वारा न की गयी हो, जिससे कि संघ या इकाई की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो गया हो।''

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं उप-धारा (ई) के संशोधन को लेता हूं। संशोधित रूप में वह इस प्रकार होगा:

> ''प्रत्येक नागरिक को संघ के किसी भाग में रहने और बसने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने या बेचने और सम्पत्ति का हकदार होने और किसी भी रोजगार, व्यापार कारबार या पेशा करने या चलाने का अधिकार।''

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं उप-धारा (ई) के नियम पर आता हूं। संशोधन रीजनेबल (तर्कसंगत) शब्द निकालने के संबंध में है।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं सम्पूर्ण खंड को उपस्थित करता हूं। मेरे विचार में धारा का फिर से पढ़ा जाना आवश्यक है।

धारा संशोधित रूप में पास हुई

धारा 9—स्वाधीनता के अधिकार

अध्यक्ष: अब हम धारा 9 पर आते हैं।

श्री के.एम. मुंशी: मेरा सुझाव है कि ''कानूनों का समान रूप से लागू करना'' (the equal treatment of the laws) शब्दों के स्थान पर ''कानून के प्रति सबकी समानता (equality before the law) शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** जहां तक नियम का सम्बन्ध है, उसे हटा देने के लिये एक संशोधन की सूचना मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधनों की भी सूचनाएं मिल चुकी हैं।

(सर्वश्री दिवाकर, मोहनलाल सक्सेना और महावीर त्यागी ने अपने संशोधन उपस्थित नहीं किये)

***अध्यक्षः** अब मैं उस संशोधन पर आता हूं, जिसमें नियम हटा देने का सुझाव है।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं संशोधन पेश करता हूं कि नियम हटा दिया जाये।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं धारा को संशोधित रूप में उपस्थित करता हूं।

धारा 9 संशोधित रूप में पास हो गया।

***अध्यक्षः** अब हम कार्यक्रम-निर्धारिणी समिति (Order of Business Committee) की रिपोर्ट पर विचार करेंगे। मौलिक अधिकार सम्बन्धी आगे आने वाली धाराओं पर बहस कल फिर आरम्भ होगी। अब श्री मुंशी प्रस्ताव उपस्थित करें।

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान् अध्यक्ष, मैं निम्न प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं—

> "निश्चय हुआ कि 25 जनवरी, 1947 के प्रस्ताव के अनुसार विधान-परिषद् का आगे आने वाला कार्यक्रम निर्धारित करने की सिफारिश करने के लिए जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट पर परिषद् विचार करे।"

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मुझे कुछ बातें कहनी हैं। रिपोर्ट सभा के सामने है और इतनी देर होने के कारण उसे पढ़कर मैं सभा को कष्ट नहीं देना चाहता। यह रिपोर्ट जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, एक अन्तःकालीन रिपोर्ट है हमसे कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित करना हमारे लिए असम्भव हो गया और अब हम अंतिम रिपोर्ट बाद में उपस्थित करने की अनुमति सभा से चाहते हैं इसका कारण सभी सदस्यों को स्मरण ही होगा। इस देश की राजनीतिक अवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इन परिवर्तनों का इस परिषद् के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इसी लिए कमेटी के लिए अपनी अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित करना असम्भव हो गया।

दो बातें, जैसा कि श्रीमान् आप तथा पंडित जी दोनों ही कह चुके हैं, पिछले कई सप्ताहों में हमारे सामने आ चुकी हैं। इनमें से पहली बार भारत के दो प्रान्तों बंगाल और पंजाब में बढ़ती हुई अरक्षा है, जिसके कारण इन अभागे प्रान्तों के विभाजन का प्रश्न हमारे सामने आ गया है, जैसाकि श्रीमान्, आप अपने प्रारम्भिक भाषण में कह चुके हैं इस कारण परिषद् के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं और यह भी एक वजह थी जिससे हम अपनी अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित न कर सके। दूसरी दुःखद बात यह है कि मुस्लिम लीग अभी तक विधान परिषद् में नहीं आ सकी है और गोकि लीग के साथ प्रत्येक प्रकार की रियासत की गयी है और उसके प्रत्येक विचार की कद्र की गयी है और जहां तक विदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने उसे आमन्त्रित किया है फिर भी लीग के रुख में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दीख रहा है। इसके कारण विधान परिषद् के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है।

विधान परिषद् तथा कांग्रेस दोनों ही बारम्बार कह चुकी हैं कि वे देश के अनिच्छुक भागों पर कोई विधान लादना नहीं चाहती और यदि कुछ अनिच्छुक प्रदेश सम्मिलित न होना चाहें तो यह वांछनीय नहीं है कि विधान परिषद् अनिश्चित काल तक उनकी परीक्षा करती रहे। अब कार्य के क्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं और इसीलिए अन्त तक के लिए कार्यक्रम बनाना असम्भव हो गया है। परन्तु साथ ही इसका यह मतलब भी नहीं है कि यह सभा जो विधान बनावेगी उसमें सम्पूर्ण भारत का विचार न करेगी। इसमें इस आधार पर विधान तैयार करने की आशा है कि कभी ऐसा समय आ सकता है जबकि बाहर रहने वाले अनिच्छुक प्रदेश भी या ऐसे प्रदेश भी जो बाहर रहना चाहते हैं भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायेंगे। हम जो विधान बनाने जा रहे हैं वह ऐसा होगा, जिसमें बाद में वे प्रदेश सम्मिलित हो सकेंगे तो सम्मिलित होने का निश्चय करेंगे। इन बातों के कारण कमेटी को अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए समय की आवश्यकता है।

कमेटी कार्यक्रम निर्धारित करते समय दूसरी जिस बात से प्रभावित हुई है वह सम्राट् की सरकार द्वारा पार्लियामेंट में दिया हुआ 20 फरवरी, 1947 का वक्तव्य है। इससे एक अवधि निर्धारित हुई है। इसलिए कमेटी ने निवेदन किया है कि विधान परिषद् को अपना निर्माण कार्य अधिक से अधिक 31 अक्तूबर तक समाप्त कर देना चाहिए। कार्य शीघ्रता से होने के लिए अवधि निश्चित करना आवश्यक है। यदि सभा इस रिपोर्ट को स्वीकार करेगी तो दो कमेटियां नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया जायेगा। ये कमेटियां जांच पड़ताल का कार्य साथ-साथ आरम्भ करेंगी। इनमें से एक संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों पर और दूसरी आदर्श प्रांतीय विधान के सिद्धांतों पर विचार करेगी। आशा की जाती है कि इन कमेटियों की तथा अन्य कमेटियों की रिपोर्टें कदाचित् उस कमेटी की रिपोर्ट को छोड़कर जो कबायली जातियों के सम्बन्ध में छानबीन करेगी—जून के तीसरे सप्ताह तक तैयार हो जायेगी। इस रिपोर्ट में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक कमेटी और सलाहकार कमेटी की ही नहीं, बल्कि इन दोनो कमेटियों की भी रिपोर्ट परिषद् के जून, जुलाई अधिवेशन में एक श्वेत पत्र के रूप में—यदि मुझे यह प्रसिद्ध शब्द उपयोग करने दिया जाये—उपस्थित कर दी जायें। तब संघ तथा प्रान्तों के विधान की मुख्य बातों के सम्बन्ध में निश्चय किये जा सकेंगे।

विधान परिषद् के नियमों के अनुसार हमें अपने प्रारम्भिक निश्चयों को पहले प्रान्तों में भेजना चाहिए ताकि प्रान्तीय धारा सभाएं विचार करके उस पर अपने मत प्रदान कर सकें। इसमें दो महीने लग जायेंगे और सम्भवत: जुलाई के मध्य तथा सितम्बर के मध्य के बीच का समय प्रान्तीय धारा सभाओं द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने में व्यतीत हो जायेगा। इसके उपरान्त प्रस्ताव किया गया है कि सितम्बर के मध्य या अन्त में परिषद् की बैठक पुन: हो और फिर हम 31 अक्तूबर तक अपने शेष कार्य को समाप्त करें। विधान की मुख्य बातों के सम्बन्ध में निश्चय होने के उपरान्त की अवधि में कानूनों के मसविदे तैयार होने का कार्य भी साथ ही साथ आरम्भ हो जाना चाहिये ताकि परिषद् के अक्टूबर वाले अधिवेशन में सभा के सामने विधान का सम्पूर्ण मसविदा विचार के लिए उपस्थित किया जा सके। यह कार्यक्रम की रूपरेखा है और मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी।

***अध्यक्षः** मेरे ख्याल में रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब और कुछ कहा जाना शेष नहीं है।

***श्री के.एम. मुंशीः** रिपोर्ट स्वीकार होनी चाहिए।

***अध्यक्षः** मैं रिपोर्ट को सभा का मत जानने के लिए उपस्थित करता हूं।

***श्री के. संतानम्ः** मत किस सम्बन्ध में दिया जाये? रिपोर्ट सिर्फ दर्ज होनी चाहिए।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः** यह एक दूसरी संस्था की रिपोर्ट हमारे सामने उपस्थित की गई है। हम इसे दर्ज करते हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यही था कि सभा रिपोर्ट पर विचार करे, क्योंकि हम सभा की अनुमति बाद में फिर रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए चाहते हैं। सभा इस सम्बन्ध में निश्चय अवश्य करे। इसीलिए, यदि आवश्यक हो, तो मैं बाकायदा सभा द्वारा रिपोर्ट स्वीकृत होने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

***श्री के. संतानम्ः** इसका मतलब यह हुआ कि हम सम्पूर्ण रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। माननीय सदस्य कमेटियों की नियुक्ति का प्रस्ताव कर सकते हैं, किन्तु रिपोर्ट तो दर्ज ही होनी चाहिए। हम कमेटियों के प्रस्ताव को तो स्वीकार करते हैं, किन्तु रिपोर्ट के, यद्यपि विषय के संबंध में दी हुई तारीखों या किसी खास पैराग्राफ से हम वचनबद्ध नहीं हो सकते।

***श्री एच.वी. कामतः** प्रस्ताव रिपोर्ट पर विचार के लिए है उसे स्वीकार करने के लिए नहीं है। इसमें केवल कहा गया है कि रिपोर्ट पर केवल विचार किया जाये—स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवाः** रिपोर्ट सिर्फ सभा की सूचना के लिए है। परन्तु यदि हम सभा द्वारा कोई निश्चय चाहते हैं, तो तारीख आदि के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह कहा ही गया है कि कार्य अक्टूबर के अंत तक समाप्त होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि तब तक कार्य समाप्त हो जाये, किन्तु हमें कितनी ही बातों का विचार करना है। नियमों के अनुसार विधान का मसविदा विभिन्न प्रांतों में जाना चाहिए और नहीं कहा जा सकता कि हम जो भी तारीखें निश्चित करेंगे उन तारीखों तक प्रांत अपना विचार-कार्य समाप्त कर देंगे। मैं भी चाहता हूं कि कार्य निर्धारित तारीखों तक समाप्त हो ले, किन्तु अनुभव से प्रकट हो चुका है कि निर्धारित तारीखों में बहुधा परिवर्तन करना पड़ता है। प्रत्येक अवसर पर तारीख बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना अनुचित जान पड़ता है। मैं सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि जो भी नियम हम बनायें उनका हमें स्वयं आदर करना चाहिए और निर्धारित तारीखों तक ही कार्य समाप्त करना चाहिए, किन्तु वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए हमारे लिए तारीख निश्चित करना ही उत्तम होगा।

***अध्यक्षः** इससे मैं यही अनुमान लगाता हूं कि रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। क्या यही सभा का मत है?

परिषद् ने सहमति प्रदान कर दी।

रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी।

***अध्यक्षः** रिपोर्ट में एक या दो ऐसी बातें हैं जो विचारणीय हैं। पहली बात

यह है कि कमेटी बाद में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करना चाहती है। मुझे आशा है कि परिषद् इस विषय में सहमत है।

दूसरी बात यह है कि कमेटी सिफारिश करती है कि दो पृथक् कमेटियां नियुक्त की जायें, जिनमें संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों के विषय में रिपोर्ट उपस्थित करेगी और दूसरी आदर्श प्रान्तीय विधान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करेगी।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया** (मद्रास : जनरल): यह सुझाव एक पृथक् प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने आवेगा।

***अध्यक्ष:** क्या यह अभी उपस्थित किया जाये?

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** यह एक अधिक पूर्ण (fuller) प्रस्ताव होगा क्योंकि कमेटी की सदस्य-संख्या का निर्देश करना होगा।

***अध्यक्ष:** क्या यह अभी उपस्थित किया जाये?

***श्री आर.के. सिधवा:** प्रस्ताव कल उपस्थित किया जा सकता है।

***एक माननीय सदस्य:** आप अभी प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** मैं सभी के निर्णय क अनुसार कार्य करने को तैयार हूं।

***कुछ माननीय सदस्य:** अभी उपस्थित कर दीजिए।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं:

"यह परिषद् निश्चय करती है कि कार्यक्रम निर्धारिणी कमेटी (Order of Business Committee) की रिपोर्ट में उल्लेखित सिफारिश के अनुसार सभापति निम्न कमेटियों को नामजद करें और उन्हें आदेश प्रदान करें कि ये कमेटियां अपनी रिपोर्टें अगले अधिवेशन से पूर्व उपस्थित कर दें:

(1) एक कमेटी संघ विधान के मुख्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए जिसमें 15 से अधिक सदस्य न रहें, और

(2) एक कमेटी आदर्श प्रान्तीय विधान तैयार करने के लिए जिसमें 25 से अधिक सदस्य न रहें।

इससे रिपोर्ट के पृष्ठ 2 में की हुई सिफारिश पूरी होती है।

अध्यक्ष: इस सभा के समक्ष प्रस्ताव यह है:–

"यह परिषद् निश्चय करती है कि कार्यक्रम निर्धारिणी कमेटी (Order of Business Committee) की रिपोर्ट में उल्लेखित सिफारिश के अनुसार सभापति निम्न कमेटियों को नामजद करें और उन्हें आदेश प्रदान करें कि ये कमेटियां अपनी रिपोर्टें अगले अधिवेशन से पूर्व उपस्थित कर दें:

(1) एक कमेटी संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए, जिसमें 15 से अधिक सदस्य न रहें, और

(2) एक कमेटी आदर्श प्रांतीय विधान तैयार करने के लिए, जिसमें 25 से अधिक सदस्य न रहें।"

***श्री सी.एम. पूनाचा** (कुर्ग): श्रीमान्, अध्यक्ष, संघ विधाान के मुख्य सिद्धांत निर्धारित करने तथा आदर्श प्रांतीय विधान तैयार करने के लिए जो दो कमेटियां नियुक्त की जा रही हैं। उनके विचारणीय विषयों के सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव उपस्थित करना है। श्रीमान्, भारत में चीफ कमिश्नरों के चार प्रांत हैं, जिनका शासन केन्द्र से होता है। संघ विधान के भावी सिद्धांत निर्धारित होते समय साथ ही इस बात का भी फैसला हो जायेगा कि भावी संघ सरकार की आधीनता में ये केन्द्रीय शासित प्रदेश रहेंगे या नहीं। 16 मई सन् 1946 के मन्त्रिमिशन के वक्तव्य में रक्षा, विदेश विषय और यातायात साधन ही संघ सरकार के लिए सुरक्षित रखे गये थे। मेरा ख्याल है कि इस आधार पर भावी संघ सरकार का सम्बन्ध प्रांतों की शासन सम्बन्धी विस्तार की बातों से बिल्कुल न रहेगा और प्रांतों में चीफ कमिश्नरों के प्रांत भी सम्मिलित हैं। यह स्थिति होने के कारण कमेटी हम संघ शासन के मुख्य सिद्धांत निर्धारित करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं उसे इस प्रश्न पर विचार करके इस सम्बन्ध में सिफारिश करनी होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि भावी संघ विधान के सिद्धांत निर्धारित करते समय हमें इस प्रश्न का भी निपटारा करना पड़ेगा।

अब मैं दूसरी कमेटी के कार्य के प्रश्न को लेता हूं, जो आदर्श प्रान्तीय विधान के मसविदा बनायेगी। मेरा मत है कि इस कमेटी के कार्य क्षेत्रों में चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के अस्तित्व तथा कार्यों का प्रश्न भी आ जाता है, क्योंकि प्रांतों का न्यूनतम प्रदेश, जनसंख्या, आय, न्याय-व्यवस्था, कर-निर्धारण, प्रतिनिधित्व, शासन तथा अन्य विषयों के सिद्धांत तय करते समय इन लघु शासन व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है—और मैं मान लेता हूं कि यहां उपस्थित सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं—कि इन दोनों ही कमेटियों के कार्य क्षेत्र में चीफ कमिश्नरों के प्रांतों का प्रश्न भी आ जायेगा। इसीलिये श्रीमान्, में सुझाव उपस्थित करता हूं कि तीन सदस्यों की—संघ विधान कमेटी में से एक और आदर्श प्रांतीय विधान कमेटी में से दो—एक सब-कमेटी नियुक्त की जाये, जो चीफ कमिश्नरों के प्रांतों में जाकर उनकी समस्या की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करे और उपर्युक्त दोनों कमेटियों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करे। ऐसा करने से सेक्शन की बैठकों में भी इन प्रश्नों पर शीघ्रता से विचार हो सकेगा। सेक्शन 'ए' मैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा और कुर्ग और सेक्शन 'बी' में बिलोचिस्तान चीफ कमिश्नरों के प्रांत हैं। इन छोटे प्रांतों की समस्याओं की विस्तार से छानबीन केवल उपयोगी ही न होगी बल्कि इससे सेक्शनों का कार्य भी तेजी से हो सकेगा।

श्रीमान्, जहां तक मेरी अपनी स्थिति का सम्बन्ध है, मैं तो विधान परिषद् के लिए निर्वाचित होते समय आश्वासन दे चुका हूं कि कुर्ग के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ निर्णय होने से पूर्व कुर्ग-वासियों से राय अवश्य ली जायेगी। इस प्रकार इन प्रान्तों में कमेटी के जाने से समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी हो सकेगा। साथ-ही-साथ वहां की जनता से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर भी मिल सकेगा।

श्रीमान्, इन शब्दों द्वारा मैं सुझाव उपस्थित करता हूं कि इन दोनों कमेटियों के विचारणीय विषयों के अन्तर्गत चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का प्रश्न भी सम्मिलित कर लिया जाये और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों कमेटियों की एक सब-कमेटी नियुक्त की जाये, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** श्रीमान्, इन दो कमेटियों की नियुक्ति के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं और मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन के प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं। इस समस्या पर समय आने पर विचार होगा। मैं नहीं जानता कि दल की कार्यवाही का उल्लेख करना कहां तक नियमानुकूल होगा, फिर भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दल की तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि इस विषय को इन दोनों कमेटियों के सुपुर्द कर दिया जायेगा। मेरे ख्याल में अब यह कहने का अवसर आ गया है कि ये दोनों कमेटियां अपने से सम्बन्ध रखने वाले इस विषय पर सिर्फ विचार ही न करेंगी बल्कि ये भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के पुन: विभाजन के प्रश्न पर भी विचार कर सकेंगी।

***अध्यक्ष:** (श्री मुंशी से) क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

***श्री के.एम. मुंशी:** इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्ष:** दो बातें उठाई गई हैं। पहली श्री पूनाचा ने उठाई है कि इन कमेटियों को चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के विधान पर विचार करना चाहिए और इन दोनों कमेटियों की एक सब-कमेटी होनी चाहिए जो चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों की समस्या पर विचार करे। दूसरा सुझाव डॉ. पट्टाभि सीतारमैया का है कि ये कमेटियां भाषाओं के आधार पर नये प्रान्तों के संगठन के प्रश्न पर भी विचार करें। मैं समझता हूं कि ये दोनों कमेटियां इन विषयों पर तथा अन्य विषयों पर भी, जैसे-जैसे वे उठते जायेंगे, विचार करेंगी और उचित समय पर अपनी सिफारिशें करेंगी। यह स्मरण रखने की बात है कि यहां सिर्फ प्रान्तों के लिए एक आदर्श विधान की और संघ के लिए एक विधान की आवश्यकता है। भाषाओं के आधार पर जितने प्रान्त बनेंगे उन पर समान रूप से प्रान्तों के आदर्श विधान को अमल में लाया जा सकेगा। परन्तु आदर्श विधान लागू करने के लिए यह आवश्यक न होगा कि प्रान्त भाषा के ही आधार पर संगठित किये गये हो। यह भी सम्भव है कि यह विषय संघ विधान के सिद्धान्त निर्धारित करने वाली दूसरी कमेटी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पड़े और सम्भवत: यह दूसरी कमेटी ही भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के बंटवारे का सुझाव उपस्थित करे। मैं समझता हूं कि यह कमेटी इन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी और चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का प्रश्न भी उसी के आगे उठाया जायेगा।

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिये कि ये दोनों ही कमेटियां इस परिणाम पर पहुंचे कि इस प्रश्न पर विचार ही न किया जाये और न कोई सुझाव ही उनके सम्बन्ध में उपस्थित किये जाये तो क्या यह सभा.........।

***अध्यक्ष:** नहीं यह नहीं। कमेटियां अपनी सिफारिशें करेंगी। यदि कमेटियों की सिफारिशों में कोई गलतियां या त्रुटियां हैं तो उनमें सुधार करने का परिषद् को सदा अधिकार रहता है।

अब यह प्रस्ताव सभा का मत जानने के लिए उपस्थित किया जाता है

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** मेरे ख्याल में अब हमें उठना चाहिए। हम कल प्रात:काल 9 बजे फिर एकत्र होंगे।

इसके उपरान्त परिषद् की बैठक बृहस्पतिवार, 1 मई, 1947 के दिन के 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

परिशिष्ट

भारतीय विधान-परिषद्

कार्य-व्यवस्था कमेटी (Order of Business Committee) की रिपोर्ट

विधान-परिषद् के और कार्यक्रम की व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए, परिषद् के 25 जनवरी सन् 1947 ई. के प्रस्ताव (for resolution) द्वारा नियुक्त कमेटी के, हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सदस्य, अपनी यह रिपोर्ट पेश करते हैं।

हमारी बैठक सन् 1947 ई. की 5वीं मार्च को और 21वीं, 23वीं तथा 27वीं अप्रैल को हुई। 23वीं अप्रैल की बैठक को छोड़कर, अन्य सारी बैठकों में पं. जवाहरलाल नेहरू विशेष आमंत्रण से उपस्थित थे।

20वीं फरवरी सन् 1947 को पार्लियामेंट में दिये गये, सम्राट् की सरकार के वक्तव्य से, परिषद् के कार्य तथा कार्यवाही में तात्कालिक शीघ्रता की आवश्यकता आ गई है और हमारे मत से यह अनिवार्य है कि यह वर्ष समाप्त होने से काफी पहले, विधान बन कर तैयार हो जाये। कार्यक्रम की व्यवस्था निर्धारित करने और समय सूची (टाइम टेबुल) प्रस्तुत करने का काम फिर भी किसी प्रकार सरल नहीं है। राजनीतिक स्थिति बड़ी तेजी के साथ बदलती जा रही है और जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका असर अनिवार्यत: परिषद् के काम पर पड़ रहा है। इसलिए इस समय हम इस स्थिति में नहीं हैं कि निकट भविष्य के सिवाय अन्य बातों के सम्बन्ध में अपनी आखिरी सिफारिश पेश कर सकें। हमारा अनुरोध है कि और रिपोर्ट बाद में पेश करने की हमें अनुमति दी जाये।

हम समझते हैं कि 28 अप्रैल को परिषद् की बैठक में उसके सामने निम्नलिखित कमेटियों की रिपोर्ट होंगी—

(1) विधान-परिषद् द्वारा 21.12.46 को नियुक्त
'देशी राज्य कमेटी' (States Committee)

(2) विधान-परिषद् द्वारा 25.1.47 को नियुक्त
'यूनियन शासनाधिकार कमेटी' (Union Powers Committee)

(3) विधान-परिषद् द्वारा 24.1.47 को केवल मौलिक अधिकारों के विषय में नियुक्त सलाहकार कमेटी (Advisory Committee)

हमारी सिफारिश है कि परिषद् द्वारा इन रिपोर्टों का कार्य समाप्त कर लेने के बाद, दो पृथक् कमेटियां नियुक्त की जायें, जिनमें से एक यूनियन-विधान के मुख्य सिद्धान्तों के विषय में अपनी रिपोर्ट दे और दूसरी, एक आदर्श प्रान्तीय-विधान के मुख्य सिद्धांतों की रिपोर्ट तैयार करे। हमारा ख्याल है कि दो कमेटियां रखने से, जिनमें बहुतेरे सदस्य शायद दोनों ही के मेम्बर होंगे और साथ-साथ काम करते हुए यूनियन तथा प्रांतीय विधानों के अंतर्सम्बन्धित सिद्धांतों पर विचार कर सकेंगे, अनेक लाभ होंगे। इन कमेटियों का कार्य यूनियन विधान-निर्मातृ सभा के अथवा

उसके 'भागों' (सेक्शनों) के कार्य में सुविधा प्रदान करने तथा शीघ्रता के साथ कार्य सम्पन्न करने के लिए एक तरह से खोजबीन करने का होगा। हमारी सिफारिश है कि ये कमेटियां नियुक्त हो जाने के बाद परिषद् की बैठक अध्यक्ष द्वारा उसकी इच्छानुसार निश्चित की जाने वाली किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी जाये। कार्यक्रम में इस नरमी का सुझाव हमने इसलिए किया है, ताकि परिषद् उन कठिनाइयों से बच जाये, जो उसकी बैठक की तारीख पहले से निश्चित कर दिये जाने पर उसे उठानी होंगी, और साथ ही हमारा यह भी अनुभव है कि कमेटियों का कार्य सदैव एक निश्चित समय के अनुसार नहीं पूरा हो पाता।

विधान-परिषद् को अपना कार्य इस वर्ष अक्तूबर महीने के अन्त तक समाप्त कर देना चाहिये। विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टों पर और तत्पश्चात् परिषद् के 'भागों' (सेक्शनों) में विभाजित किये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जून के अन्त या जुलाई के आरम्भ में उसकी बैठक बुलाना आवश्यक होगा। अन्तिम रूप से विधान का अन्तिम स्वरूप निश्चित करने के लिए 'परिषद्' की एक बैठक सितम्बर में की जानी चाहिए।

(ह) के.एम. मुंशी

नई दिल्ली,　　　　(ह.) एन. गोपालस्वामी

27 अप्रैल, सन् 1947 ई.　　　　(ह.) विश्वनाथ दास

अंक 3

संख्या 4

बृहस्पतिवार
1 मई
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. मौलिक अधिकारों पर वाद-विवाद 1

भारतीय विधान-परिषद

बृहस्पतिवार, 1 मई, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

मौलिक अधिकारों पर वाद-विवाद—*जारी*

***अध्यक्ष:** हम शेष खण्डों पर वाद-विवाद चलायेंगे।

खण्ड 10—स्वतंत्रता के अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): खण्ड 10 इस प्रकार है:—

> ''यूनियन के कानून के आदेशों के विपरीत न जाते हुए नागरिकों को परस्पर या व्यक्तिगत रूप से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और सम्पर्क की स्वतंत्रता होगी।''

> ''मगर शर्त यह भी है कि कोई प्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता या जन-स्वास्थ्य के हित में या किसी गम्भीर स्थिति की हालत में कानून बनाकर पाबन्दी लगा सकता है।''

पैराग्राफ 2 में से हमने 'युक्तियुक्त' (reasonable) शब्द निकाल दिया है।

> ''मगर शर्त यह है कि इस धारा के किसी आदेश से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से लाये हुए माल पर वही कर और टैक्स लगाने में कोई बाधा नहीं होगी जो उस प्रदेश में पैदा होने वाले माल पर लगते हों।''

यहां ''लगते हों'' के बाद हमने यह शब्द जोड़ने का निश्चय किया है—''और ऐसे नियम एवं शर्तो पर जो भेद-मूलक नहीं हों।''

> ''मगर शर्त यह भी है कि व्यवसाय या महसूल के किसी नियम से एक प्रदेश द्वारा किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर तरजीह नहीं दी जायेगी।''

इस प्रकार यह कुछ परिवर्तन सुझाये गये हैं और बहस को संक्षिप्त बनाने के लिए और सभा का समय बचाने को मैंने इन परिवर्तनों की चर्चा कर दी है जो कुछ बहस के बाद स्वीकृत हुए थे। मैं अब अपना प्रस्ताव रखता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 10 में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं—

> ''खण्ड 10 पैराग्राफ 2 में से 'युक्तियुक्त' (reasonable) शब्द निकाल दिया जाये।''

यहां 'युक्तियुक्त' शब्द कुछ अस्पष्टता ला देता है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है:

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री के.एम. मुंशी]

''खण्ड 10 के तीसरे पैराग्राफ में यथास्थान यह जोड़ दिया जाये—और ऐसे नियम और शर्त पर जो भेदभाव-मूलक न हों।''

इस व्यवस्था का यह अभिप्राय है कि एक इकाई (प्रान्त) ऐसी चुंगी या कर इस दृष्टि से तो लगा सकती है कि बाहर से मंगाया गया माल उस प्रदेश में बने माल से सस्ता न पड़े। यह न हुआ तो दूसरे प्रदेशों में बने माल से वह देश भर जायेगा। इसी दृष्टि से यह व्यवस्था जोड़ी गई है। इसलिए प्रान्तों को अधिकार होगा कि वह अन्य प्रान्तों से मंगाये गये मालों पर इस दृष्टि से कर लगा सकें कि वह उस प्रान्त के बने माल से सस्ते न पड़ें। पर ऐसा समझा गया कि यह अपूर्ण है। ऐसे भी नियम और शर्तें इस सम्बन्ध में बन सकती हैं जिनसे वहां के माल को तरजीह मिले इसलिए ऐसे नियम और शर्तों के अनुसार, ''जो भेदभाव-मूलक न हो'' शब्द जोड़े गये हैं जिससे ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि बाहर से मंगाये माल की कीमत जबर्दस्ती बढ़ानी पड़े। इसलिये सारी बात यह है कि कोई भी ऐसा नियम या शर्त नहीं होनी चाहिए जिससे उस इकाई या प्रान्त के बने माल को दूसरे प्रान्तों के माल पर तरजीह मिलती हो।

श्री के. सन्तानम् (मद्रास : जनरल): मैंने एक संशोधन की सूचना दी है जिसमें न्यूनाधिक रूप में वही बातें हैं जो श्रीयुत मुंशी अपने वर्तमान संशोधन में रख चुके हैं। पर मेरी राय में भी मुंशी का संशोधन खण्ड में ठीक नहीं बैठता, क्योंकि मेरे संशोधन में यह बात कही गई है कि जब कोई प्रदेश अपनी सीमा के अन्दर बनने वाले माल पर कर लगाने के अलावा और कोई प्रतिबंध लगाता है तो उसे यह क्षमता भी होनी चाहिए कि वह इस बात पर आग्रह कर सके कि बाहर से आने वाले माल भी उन्हीं प्रतिबंधों के आधीन होंगे। उदाहरण के लिए, पैक करने, लेबुल लगाने तथा प्रस्तुत सामान में क्या-क्या चीजें दी गई हैं इसे बताने आदि के सम्बन्ध में नियम और शर्तें हो सकती हैं और इन मामलों में बाहरी प्रदेश के माल को अपने प्रदेश के माल पर सुविधा न मिलनी चाहिए। मिस्टर मुंशी का संशोधन अपने वर्तमान स्वरूप में उन्हीं व्यवस्थाओं और शर्तों के अधीन होगा जो भेदभाव-मूलक न हो। पर संशोधन यह नहीं कहता कि सम्बन्धित प्रदेश को यह अधिकार होगा कि वह बाहरी प्रदेशों के माल पर यही व्यवस्थाएं लागू कर सकेगा इसलिए या तो उनका संशोधन इस खण्ड में ठीक-ठीक जुड़ा होना चाहिए या फिर मेरा संशोधन कि—खण्ड 10 के दूसरे आदेश-मूलक टुकड़े में ''वही कर और चुंगी'' की जगह ''वही व्यवस्था'' ''कर और चुंगी'' रख दिये जायें। मैं कोई भी ऐसा संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जिससे मेरी यह बात स्पष्ट होती हो कि एक इकाई (प्रदेश) दूसरे प्रदेशों के माल पर वही शर्तें और नियम लगा सकता है जो अपने यहां तैयार हुए माल पर लगा सकता है। इसीलिए मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

***प्रो. के.टी. शाह** (बम्बई : जनरल): मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***अध्यक्ष:** सो वास्तव में हमारे सामने दो संशोधन हैं—एक श्री मुंशी द्वारा प्रस्तावित, और दूसरा श्रीयुत सन्तानम् का।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** यह बात है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और वह है रिपोर्ट का 5वां पैराग्राफ, जो मैं भूल गया था। इस (पैराग्राफ) में वह व्यवस्था है जो रियासतों की विभिन्न अवस्थाओं पर लागू होगी और जिसके लिए नियम बनाने की जरूरत है। हमने रिपोर्ट के 5वें पैरे में कहा है—

> ''इसलिए हम समझते हैं कि (Union) संघ के लिए यह समुचित होगा कि वह ऐसी रियासतों के साथ उनके वर्तमान अधिकारों को देखते हुए उन्हें विधान के अनुसार निश्चित अधिक-से-अधिक समय देने के विचार से ऐसा समझौता कर लें जिसके अनुसार भीतरी चुंगी हटा दी जा सके और संघ के अन्दर पूर्णत: स्वतंत्र व्यापार की स्थापना हो जाये।''

रहा श्री सन्तानम् का संशोधन सो मेरा ख्याल है कि श्री मुंशी के संशोधन से जिसे मैं स्वीकार करना चाहता हूं उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, क्योंकि यह उसके विरुद्ध नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस पर और बहस की जरूरत है।

इसलिए मैं संशोधित खंड (Clause) सभा के सामने स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

तीसरे आदेश में कुछ लिखावट-सम्बन्धी भूल रह गई है। ''एक इकाई द्वारा'' (by a Unit) शब्द इसमें अनावश्यक हैं। इस प्रकार खंड निम्नलिखित हो जायेगा—

> ''मगर शर्त यह है कि व्यवसाय या महसूल के किसी नियम से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर तरजीह न दी जायेगी।''

***अध्यक्ष:** अब मैं उस खंड (Clause) पर मत लूंगा।

> ''यूनियन के कानून के आदेशों के विपरीत न जाते हुए नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से एक प्रदेश से दूसरे में व्यापार, व्यवसाय और परस्पर सम्पर्क की स्वतंत्रता होगी।''

इस पर कोई संशोधन नहीं है।

खंड स्वीकार किया गया।

पहला नियम

> ''मगर शर्त यह है कि कोई प्रदेश, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या जन-स्वास्थ्य के हित में या किसी गम्भीर स्थिति की हालत में कानून बनाकर समुचित पाबंदी लगा सकता है।''

[अध्यक्ष]

इसमें प्रस्तावित संशोधन है कि 'समुचित' शब्द हटा दिया जाये।

संशोधन स्वीकार किया गया।

दूसरा नियम

"मगर शर्त यह है कि इस धारा के किसी आदेश से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से लाये हुए माल पर वही कर और टैक्स लगाने में कोई बाधा नहीं होगी जो उस प्रदेश में पैदा होने वाले माल पर लगते हों।"

इसमें दो संशोधन हैं—एक श्री सन्तानम् का और दूसरा श्री मुंशी का।

मैं श्री सन्तानम् का संशोधन पहले रखता हूं। इस संशोधन के बाद नियम इस प्रकार पढ़ा जायेगा—

"मगर शर्त यह है कि इस धारा के किसी आदेश से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से लाये हुए माल पर वही कर, टैक्स और प्रतिबंध लगाने में कोई बाधा नहीं होगी जो उस प्रदेश में पैदा होने वाले माल पर लगते हों।"

पहले उन्होंने 'नियंत्रण' शब्द लिखा था, बाद में उसे बदलकर 'प्रतिबंध' कर दिया। उसका अन्तिम भाग इस प्रकार होगा—"वही कर, टैक्स और प्रतिबंध लगायें जो उस प्रदेश में पैदा होने वाले माल पर लगते हों।"

दूसरा संशोधन श्री मुंशी का है, जो इस प्रकार है—

"मगर शर्त यह है कि इस धारा के किसी आदेश से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से लाये हुए माल पर, उसी प्रदेश के-से नियमों और वहीं की-सी दशाओं में, वही कर, टैक्स लगाने में कोई बाधा न होगी जो उस प्रदेश में पैदा होने वाले माल पर लगते हों।"

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): मैं इसमें 'इसी प्रकार के' (Similar) शब्द और जोड़ना चाहता हूं नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता।

***अध्यक्ष:** *(श्री अनन्तशयनम् आयंगर से)* मुझे आपका संशोधन नहीं मिला है।

श्री सन्तानम् का संशोधन स्वीकार नहीं हुआ।

श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार हुआ।

***अध्यक्ष:** (तीसरा नियम) "मगर शर्त यह है कि व्यवसाय या महसूल के किसी नियम से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर तरजीह न दी जायेगी।"

यहां एक जबानी परिवर्तन सुझाया गया है। हमें कहा गया है कि "एक प्रदेश द्वारा" शब्द हटा दिया जाये, क्योंकि वह अनावश्यक है। नियम इस प्रकार पढ़ा जायेगा—

"मगर शर्त यह है कि व्यवसाय या महसूल के किसी नियम से किसी प्रदेश को दूसरे प्रदेश पर तरजीह न दी जायेगी।"

नियम संशोधन सहित सभा के सामने रखा गया।

नियम संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

अब मैं संशोधन सहित सारा खण्ड रखूंगा। श्री राजगोपालाचार्य का कहना है कि पहला नियम अन्त में आना चाहिए और उसका सिलसिला बदल देना चाहिए।

*माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य (मद्रास : जनरल): कारण यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित के लिए जो प्रतिबन्ध रखे जायेंगे वह प्रान्त-प्रान्त में अलग-अलग होंगे। अगर हम दूसरे नियम में यह कहते हैं कि कोई भेदभावमूलक प्रतिबंध नहीं होगा तो इसका यह मतलब होगा कि जब यह छूत की बीमारी फैली हो तो आपको सभी प्रदेशों में वही प्रतिबन्ध डालना पड़ेगा जो एक पर लगाया जायेगा। इससे इस तरह बचा जा सकता है कि आप उसमें एक खास और अन्तिम नियम और जोड़ दें और उसे पहला रखें।

*अध्यक्ष: मैं सारा खंड संशोधन-सहित नियमों के सिलसिले में अदल-बदल के साथ रखता हूं।

*श्री एल. कृष्णास्वामी भारती (मद्रास : जनरल): इसमें 'और' (Further) शब्द जरूर जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे ''और शर्त है कि'' पढ़ा जा सके।

*अध्यक्ष: संशोधन इस प्रकार है—

> ''पहले नियम में, जो अब परिवर्तित क्रम से तीसरा बन गया है, 'और' (Further) शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए।''

संशोधन स्वीकार किया गया।

*श्री के.एम. मुंशी: यह तो एक प्रबन्ध की बात है। मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता। कानून (Act) का मसविदा बनाते समय वह यहां रख दिया जायेगा।

*अध्यक्ष: खण्ड, संशोधन के साथ सभा के सम्मुख रखा जाता है।

खण्ड, संशोधन-सहित स्वीकार किया गया।

खण्ड 11—स्वतंत्रता के अधिकार

*माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल (बम्बई : जनरल): यह खण्ड बेगार के सम्बन्ध में है और इस प्रकार है—

''11 (क) मनुष्यों का व्यापार,

(ख) जबर्दस्ती काम कराना जिसमें बेगार लेना भी शामिल है और इच्छा-विरुद्ध गुलामी, जिसमें विधिवत् दण्ड प्राप्त लोगों का सजा भोगना शामिल नहीं होगा,

इस विधान द्वारा निषिद्ध करार दिये जाते हैं और इस निषेधाज्ञा के विरुद्ध आचरण अपराध समझा जायेगा।''

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

इसके बाद इसकी व्याख्या है—

> मगर शर्त यह है कि इस वाक्य-खण्ड के किसी आदेश से सरकार को सार्वजनिक कामों के लिये अनिवार्य रूप से काम लेने में कोई बाधा न होगी लेकिन ऐसा करने में जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा।

अब हमें इस आधार पर बहस करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसे संक्षिप्त रूप में तैयार करके और अधिक बोधगम्य रूप में रख देना चाहिए, और इसको पृथक् खण्ड न रखकर एक ही खण्ड के अन्तर्गत करके—'मनुष्यों का व्यापार' के नाम से रख देना चाहिए।

*__अध्यक्षः__ सुझाये गए संशोधन सदस्यों में बांटे नहीं गये हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि उसमें क्या-क्या परिवर्तन करने की राय दी गई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले आप खण्ड (Clause) को पेश कीजिए—उसके बाद संशोधन पेश किये जा सकेंगे।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः__ तो मैं यह खण्ड उपस्थित करता हूं।

*__अध्यक्षः__ इस खण्ड पर कई संशोधनों की सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं। श्री मुंशी का संशोधन सदस्यों में बांटा नहीं गया है। यह मुझे अभी दो ही मिनट पहले मिला है। फिर भी हमें काम के साथ आगे बढ़ना है। मैं और संशोधन पहले लेता हूं।

*__श्री एम.आर. मसानी__ (बम्बई : जनरल): यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि जब तक श्री मुंशी का संशोधन न पेश हो तब तक और संशोधन पेश किये जायें या नहीं। मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि सर्वसम्मत संशोधन पेश किया जाये।

*__अध्यक्षः__ मुझे मालूम नहीं है कि सर्वसम्मत संशोधन कौन-सा है।

*__श्री के.एम. मुंशीः__ अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूं वह इस प्रकार है—

'कि खण्ड 11 की जगह यह रखा जाये:

''मनुष्य की बिक्री का धन्धा और बेगार तथा इसी तरह जबर्दस्ती काम लेने की प्रथा निषिद्ध करार दी जाती है और इस निषेधाज्ञा के विरुद्ध आचरण अपराध होगा।

उद्देश्य यह है कि एक ही वाक्य में दोनों विषय आ जायें। व्याख्या निकाल दी गई क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका ध्येय यही है कि अगर किसी भी तरह की बेगार ली जाती हो या जबर्दस्ती काम लिया जाता तो वह बन्द कर दिया जाये। मनुष्यों की ब्रिक्री सम्बन्धी कारबार पर निषेधाज्ञा लगा दी जायेगी। पर

अन्य प्रकार के श्रम जैसे शिक्षा-प्रसार या जन-सेवा के श्रम-कार्य को कानून बनाकर वैध करार दिया जायेगा।

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): 'बेगार' शब्द इटैलिक (दूसरे अक्षरों) में देना चाहिए—

***अध्यक्ष:** खण्ड, यदि संशोधन स्वीकार किया गया तो इस प्रकार पढ़ा जायेगा—

"मनुष्य की बिक्री का धन्धा और 'बेगार' और इसी तरह जबर्दस्ती लिये जाने वाले कामों का निषेध होगा और इसके विरुद्ध कोई भी आचरण अपराध होगा।"

उपखण्ड (ख) की व्याख्या निकाल दी गई है, इसलिए यह संक्षिप्त और बोध-गम्य हो—

कई संशोधनों की सूचनाएं मुझे मिली हैं। मैं सदस्यों को एक-एक करके बुलाऊंगा जिससे वह अपने-अपने संशोधन पेश कर सकें।

***माननीय श्री जगजीवन राम** (बिहार : जनरल): इस संशोधन को देखते हुए मैं अपने संशोधन पर (पूरक सूची 2-संशोधन नं. 27) जोर नहीं देना चाहता।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल): यदि सभा श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार कर लेती है तो मुझे संशोधन पेश करने की जरूरत नहीं रहती जो अतिरिक्त सूची (Supplementary List) के 29वें नम्बर पर आता है। यदि वह स्वीकार नहीं हुआ, तो मैं अपना संशोधन बाद में पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखूंगा।

***श्री एम.आर. मसानी:** अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन (दूसरी अतिरिक्त सूची के 36वें नम्बर) पेश करने की सूचना दी थी जिससे सजग आपत्तिकर्त्ताओं, (Conscientious Objection) के अधिकारों की रक्षा हो सके क्योंकि यहां व्याख्या द्वारा राज्य को बहुत व्यापक अधिकार मिल गये हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि वह व्याख्या हटा दी गई है, इसलिये मैं अपने संशोधन पर अब जोर नहीं डालना चाहता।

अध्यक्ष: अब प्रस्ताव और संशोधन पर बहस हो सकती है।

***डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बंगाल : जनरल): मैं जो बात रखना चाहता हूं वह यह है कि यद्यपि मैं उपखण्ड (क) और (छ) का फिर से लिखे जाने में कोई आपत्ति नहीं करता जिससे वह एक सुदृढ़ रूप में चल सके, फिर भी मुझे कुछ सन्देह है कि यह व्याख्या हटा देना अधिकांश एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की इस इच्छा के अनुकूल है कि राज्य को अनिवार्य सेवा कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। श्री मुन्शी की राय है कि अगर इस खण्ड को पुनर्निर्मित

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

रूप में रखा जाता है और यदि व्याख्या हटा दी जाती है तो भी राज्य को अनिवार्य सैनिक-सेवा लेने का अधिकार होगा मुझे प्रस्तावित परिवर्तन—व्याख्या हटाने—के परिणाम पर सोचने का काफी समय नहीं मिला है। पर मुझे भय है कि व्याख्या के निकाल देने और खण्ड को, जिस स्वरूप में वह है उसी स्वरूप में रखने से बिल्कुल उल्टे और गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि 'बेगार' भी कुछ ऐसी ही चीज है जो राज्य द्वारा लगाई जाती है। जहां तक मुझे मालूम है बम्बई में कतिपय सार्वजनिक कामों के लिए सरकार 'बेगार' मांगती है और अगर राज्य को बेगार लेने से रोक दिया जाता है तो सम्भवत: कोई भी व्यक्ति यह तर्क पेश कर सकता है अनिवार्य सैनिक सेवा भी बेगार है। इसलिये मुझे इस बात से पूर्ण सन्तोष नहीं है कि व्याख्या निकाल देना इस समय कोई अच्छी बात है। इस विषय में मैं कोई विशेष परामर्श नहीं दे सकता; पर मैं समझता हूं कि मैं सभा का ध्यान उस सन्देह की ओर खींचूं जो मैं व्याख्या निकाल देने पर अपने मन में कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि उसका गम्भीर परिणाम हो सकता है और सैनिक और सामाजिक कामों के लिए अनिवार्य सेवा लेने का जो राज्य को अधिकार है इससे उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरी तो यह सलाह होगी कि हमें व्याख्या निकालनी नहीं चाहिए और इसे ज्यों-का-त्यों छोड़ देना चाहिए और इस पर तब विचार करना चाहिए जब प्रान्तीय और देशी राज्यों के विधान अपने-अपने रूप में पुन: बनाये जायें।

*__श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन__ (मद्रास : जनरल): श्रीयुत अध्यक्ष जी, मुझे खण्ड 11 का अनुमोदन करने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यह एक ऐसा खण्ड है जो ऐसे समाज पर, विशाल जन समूह पर, लागू होता है जो सदियों से अब तक मूक वेदना सहते आये हैं। महोदय, भारत के कुछ भागों में अब भी मनुष्य बेचने का रोजगार होता है और खण्ड का इस देश के उन गुलामों पर बड़ा असर पड़ेगा जो भारत की स्वतंत्रता के बाद अपनी आवाज उठा सकेंगे। इस खण्ड की बदौलत भारत के फासिस्ट सामाजिक ढांचे में आर्थिक क्रांति हो जायेगी। इस भूमि के गुलामों की सभी अभागे भाइयों का अक्षमताओं का मूल कारण है, इस उपेक्षित सम्प्रदाय के अभागे भाइयों की आर्थिक अवस्था। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस भूमि के कुछ अभागों को बिना कुछ पारिश्रमिक दैनिक गुजारे का भी साधन-प्राप्त किये काम करना पड़े और जो लोग खेतों में या अन्यत्र काम करते हैं उनको बिना एक पाई भी पाये घर को लौटना पड़े। उन्हें मजदूरी मांगने का भी अधिकार नहीं है, यद्यपि उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। अगर उन्हें काम करने को कहा जाये और वह काम पर न जायें तो उन्हें सजा दी जाती है। भारत के कुछ प्रान्तों में जैसे—संयुक्त प्रान्त में—अब भी यही बात देखी जाती है यद्यपि भारत के अन्य प्रान्तों में 'बेगार' की प्रथा नहीं है, पर इसी तरह की मिलती-जुलती बेगार और जबर्दस्तियां सारे देश में प्रचलित हैं। भारत का अधिकांश जन-समाज आर्थिक दृष्टि से और सब भांति शोषित हो रहा है। इस देश के सभी गुलाम उन सभी सुविधाओं

से वंचित हैं जिनसे जीवन सुखी होता है। प्रान्तों को स्वायत्त शासन मिलने के पहले ही यह रिवाज तोड़ दिया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में यद्यपि कुछ प्रांतों में कुछ नियम-उपनियम बने हैं फिर भी यह जारी है और जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं, वह अपने भाग्य का निर्णय करने के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकते। इसलिये यह खण्ड जब अस्तित्व में आयेगा—अमल में आयेगा—तो इससे बहुत से ऐसे लोगों को कष्ट से मुक्ति मिल जायेगी जो अभी आर्थिक शोषण के शिकार बने हुए हैं जब इस तरह के आर्थिक शोषण इस भूमि से उठ जाते हैं तो गुलाम भी ऊपर उठ जायेंगे और वह अपने अधिकार की मांग तथा प्रतिष्ठा और गौरव की रक्षा कर सकेंगे। उन्हें भी जीवन का आनन्द लेने का वैसा ही अधिकार मिलेगा जैसा ऊपर की श्रेणी और ऊंची जाति वालों को मिला हुआ है। मुझे इस खण्ड का समर्थन करते हुए बड़ी खुशी है।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): मैं खण्ड 11 में श्री मुंशी द्वारा पेश किये संशोधन का समर्थन करने में बहुत खुश हूं। मैं खण्ड के नये मसविदे को स्वीकार करता हूं। महोदय, मैंने जबर्दस्ती काम कराने की समस्या का अध्ययन काफी सन् 1929 से ही किया है। सन् 1929 ई. में जब जेनेवा में (Forced Labour Convention) हुई थी, तो मैं उसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। सन् 1930 में भारत ने (Forced Labour Convention) को स्वीकार किया था, पर देशी राज्यों ने—कुछ को छोड़—इसे स्वीकार नहीं किया। जिन देशी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं उनमें अधिक में यह (बेगार) प्रथा अब नहीं है। महोदय, मेरे प्रान्त में छोटे-छोटे देशी राज्यों ने जबर्दस्ती काम लेने की प्रथा का लाभ उठाया है। उन्हें भारत-सरकार से सड़कें बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जिसे वह अपने उपभोग में लाते हैं और बेगार द्वारा सड़कें बनवाते हैं तथा और मुल्की काम पूरा कराते हैं, इसलिए महोदय, मैं इसमें वह भय नहीं देखता जो मेरे दोस्त श्री अम्बेडकर को है। आकस्मिक राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए सभी को अनिवार्य रूप में काम करना चाहिये फिर चाहे वह युद्ध हो, अकाल हो, अथवा बाढ़। पर मैं इसमें कोई ऐसी खामी नहीं रहने देना चाहता जिससे देशी राजे प्रजा से जबर्दस्ती काम ले सकें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात से मुझे अभी सन्तोष नहीं हुआ है। मनुष्य बेचने के धन्धे में स्त्रियों को बेचने का पेशा सम्मिलित है या नहीं? हममें से कुछ ने इस विषय का अध्ययन दस वर्ष या इससे भी अधिक पहले से किया है। हर साल उड़ीसा और बंगाल से, जहां औरतें फालतू हैं हजारों स्त्रियां उड़ाई जाती हैं और वे भारत के दूसरे प्रान्तों को पहुंचा दी जाती हैं। यह काम बहुत से गुप्त दलालों और बदमाशों की टोलियां करती हैं जो ऐसी औरतों को बाहरी प्रान्तों में पहुंचाती हैं। ऐसी औरतें पीछे गृहस्थिन बनती हैं या शर्म की जिन्दगी बसर करती हैं, यह मैं नहीं जानता। हम यह तो जरूर जानते हैं कि ऐसी स्त्रियां पंजाब या

[श्री बी. दास]

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को पहुंचाई जाती हैं जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम है। श्रीमान्, बंगाल के भीषण दुर्भिक्ष के दिनों में हमें इसका दुःखद अनुभव हुआ था जब लाखों औरतों को उड़ाया गया था। यह स्त्रियां अन्य प्रान्तों में पहुंचाई गईं या विशाल ब्रिटिश सेना में पहुंचाई गईं जो उन दिनों भारत के पूर्वी भाग में थीं, यह समस्या तो समाज का काम करने वाले ही सुलझा सकते हैं। इस खण्ड में ''स्त्रियों को बेचने का पेशा'' शब्द भी खास तौर पर रख दिया जाता तो मैं बहुत प्रसन्न होता।

हममें से जो भारत के पूर्वी भाग के हैं उन्हें भय है कि बुनियादी अधिकारों में इस नियम के होते हुए भी बेपरवाह रुपये कमाने वाले इस पेशे को चलाते रहेंगे। इसलिए मैं सरदार पटेल से आश्वासन चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा स्त्रियों के बेचने का पेशा हमेशा के लिये बन्द हो जाये।

महोदय, मैं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी आश्वासन चाहता हूं कि वे पिछड़े हुए राज्यों के अपने साथियों को समझा-बुझा कर बेगार या जबर्दस्ती काम लेने की प्रथा उठवा दें, जो इन दिनों बहुत-सी छोटी रियासतों में लाभ का एक साधन बन गई है।

***डॉ. पी.के. सेन** (बिहार : जनरल): क्या मैं उन कठिनाइयों का जिक्र कर सकता हूं जो खण्ड में सुझाये हुए काट-छांट करने से पैदा होंगी? पहली बात तो यह है कि कोई भी इसमें सन्देह नहीं करता कि बेगार-प्रथा जरूर दूर हो जाये। पर मूल खण्ड में कई शर्त-मूलक व्याख्याएं हैं, जिन्हें निकाल दिया गया है। उदाहरणार्थ, कहा गया है कि—''अनिच्छापूर्ण गुलामी, सिवा इसके कि जो किसी जुर्म के कारण भोगनी पड़ रही हो और जिसके लिए बाकायदा कानूनी सजा मिल चुकी हो।'' यह बात सब अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों के सुधार के लिए बनी हुई जेलों में जहां पढ़ाई भी होती है और नवयुवकों के बोर्सटल-इन्स्टीट्यूटों जो जेल के परिष्कृत रूप हैं, वहां भी—जहां सरकार इन अपेक्षाकृत सुधरे और आदर्श जेलों में भी जेलों के नियमानुसार सरकार की अभिभावुकता में अर्द्ध-बन्दियों से भी उनके दण्डकाल में जेल-नियम के अनुसार मेहनत ली जाती है और यह वैध एवं उचित समझा जाता है। अगर हम खण्ड को इस रूप में रखते हैं कि बेगार या जबर्दस्ती काम लेना निषिद्ध करार दिया जायेगा और इसके विरुद्ध आचरण करने वाले को अपराधी या मुजरिम समझा जायेगा, तो बड़ी कठिनाइयां उपस्थित होंगी। मैं अपने दोस्त डॉ. अम्बेडकर की इस बात से सहमत हूं कि इन कठिनाइयों से बचने का उपाय है व्याख्या का कायम रखना, क्योंकि ''सार्वजनिक हित के लिए'' इसमें इस तरह के सभी मामले आ जायेंगे—क्योंकि जेल या कैदखानों में या अर्द्धसरकारी संस्थाओं में लोग राज्य की संरक्षकता में होते हैं। और वहां (जेलों आदि में) उनसे वहां के रहने वालों या सरकार की भलाई के लिए जबर्दस्ती काम लेना अवैध या गैरकानूनी भी नहीं है। यदि अब भी कोई सन्देह हो तो

हम ''उन अवस्थाओं में जब वे सरकारी गुलामी में हो'' या इसी तरह की और व्याख्या जोड़ दें। पर संशोधन जिस प्रकार रखा गया है—''अर्थात्, मनुष्य बेचने का पेशा और किसी तरह की बेगार—जबर्दस्ती काम लेना इस आज्ञा द्वारा निषिद्ध करार दी जाती है''.........।

***श्री के.एम. मुंशीः** साथ ही और भी ऐसे ही शब्द हैं—''इसी प्रकार भी तरीके'' (Similar other forms)।

***श्री पी.के. सेनः** 'Similar' शब्द अस्पष्ट है। मैं सचमुच यह समझ नहीं पा रहा हूं कि व्याख्या कायम रखने में क्या कठिनाई या आपत्ति है। व्याख्या बिल्कुल सीधी, स्पष्ट और अहानिप्रद है और यह केवल इतना ही कहती है कि अमुक सार्वजनिक कार्य के लिए जैसा कि सभी सभ्य देशों में प्रचलित है—नागरिकों से अनिवार्य सेवा ली जा सकती है—इसमें उनका भी हित है और राष्ट्र का भी। इसलिये मेरा निवेदन है कि व्याख्या या तो उसके वास्तविक रूप में या आवश्यक परिवर्तन के साथ स्वीकार की जाये नहीं तो सभी तरह की उलझनें पैदा हो सकती हैं।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर कि व्याख्या करना जरूरी है या नहीं, मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक पहले उपखण्ड का सवाल है, इसमें अनिवार्य सैनिक-भर्ती में अड़चन नहीं पड़ेगी। कमेटी (समिति) में श्री मसानी ने एक विशेष खण्ड इस आशय का जोड़ा था कि अनिवार्य सैनिक भर्ती नहीं होगी; पर वह निकाल दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गुलामी तथा गुलामी-विरोधी कानूनों की मौजूदगी में भी वहां के प्रधान न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि अनिवार्य सैनिक-भर्ती जारी करने में यह कानून कोई बाधा नहीं पहुंचाते। वहां के प्रधान न्यायाधीश ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी लेखकों का हवाला देते हुए बतलाया है कि राष्ट्र का अस्तित्व ही सैनिक-शक्ति पर निर्भर है और दासता या दासता-विरोधी या सेवा सम्बन्धी विधान का यह मतलब नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अनिवार्य सैनिक-भर्ती करने से रोका जा सकता है। इसलिए बेगार या जबर्दस्ती काम लेने के इस प्रकार के अन्य रूपों की व्याख्या अनिवार्य सैनिक भर्ती को सम्भवतः उससे अलग नहीं कर सकती। यह मेरा विचार है और मैं नहीं समझता कि भावी कानून बनाने वाले इस प्रकार के खण्ड के कारण अनिवार्य सैनिक भर्ती का कानून बनाने से रोके जा सकते हैं। खण्ड में जो 'इसी प्रकार के' (Similar) शब्द आया है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इससे अनिवार्य सैनिक भर्ती के कानून को दृष्टि में रखा गया है। इसलिए इन परिस्थितियों में भी कोई डर की बात नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं व्याख्या को कायम रखने का विरोधी हूं। कल कमेटी में बतलाया गया था कि व्याख्या कायम रखने पर गांवों और उनकी संस्थाओं में काम करते समय बड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं,

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

और उनके निकाल देने में कोई हर्ज भी नहीं है, इसीलिए कल कमेटी की बहस में इसे निकाल दिया गया था। मैं नहीं समझता कि वर्तमान बेगार-विधान के कारण संघ-सरकार अनिवार्य सैनिक-भर्ती के अधिकार को नाजायज करार दिये जाने का कोई खतरा है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** कमेटी की बैठक में मेरी भी वही राय थी जो सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर की थी। मैंने वर्तमान खण्ड बदलने की बात स्वीकार की थी; पर पुन: विचार करने पर मैं समझता हूं कि मूल खण्ड कायम रखा जा सकता है। मैं इसका कारण अभी बताता हूं जो इस प्रकार है। खण्ड में दो बातों का जिक्र है—एक तो मनुष्य को बेचने के पेशे का, और दूसरा बेगार रोकने का। दण्ड-विधान में इन दोनों को पहले ही से व्यवस्था प्राप्त है। भारतीय दण्ड विधान की 370वीं धारा मनुष्य की बिक्री का निषेध करती है और 374वीं धारा किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबर्दस्ती काम लेने को जुर्म करार देती है। पर उस जगह इसे ''गैर-कानूनी'' कहा गया है। ''गैर-कानूनी'' का मतलब यह है कि कोई भी व्यवस्थापक-सभा यह कानून पास कर सकती है कि खास उद्देश्यों के लिए परिश्रम जबर्दस्ती भी कराया जा सकता है, जैसे कोई शख्स जुर्म में सजा पाने पर सपरिश्रम कारावास दण्ड भोगने की स्थिति में करता है, अथवा बाढ़ आ जाने पर गांव वालों के हित के लिए उनको तालाबों तथा बांधों आदि की मरम्मत के लिए जबर्दस्ती काम पर लगाया जा सकता है। इसके अनुसार सैनिक-भर्ती भी अनिवार्य की जा सकती है। अब यह दो कानून, जो सामान्य विधान में पहले ही से भारतीय दण्ड विधान की 370 और 374वीं धाराओं के रूप में मौजूद हैं, और उन्हें अब ऊंचा उठा कर बुनियादी अधिकारों का रूप दिया जा रहा है तो हमें जरा सावधानी से काम लेना चाहिए। जब हम इसे बुनियादी अधिकारों का दर्जा दे रहे हैं, तो जब तक हम अन्य व्याख्याएं इसमें न जोड़ें और राज्य को इन दो बुनियादी अधिकारों को अपवाद-स्वरूप देने को न कहें तो इससे ऐसा प्रतीत हो सकता है—और अदालतें भी ऐसा अर्थ लगा सकती हैं कि साधारण कानूनों में से उन्हें निकालकर स्थायी विधान में बुनियादी अधिकार के रूप में रख देना राज्य को अधिकार से वंचित करना है—और इससे राज्य आकस्मिक आवश्यकताओं के समय भी—बेगार आदि के बारे में कानून बनाने का अधिकार खो देता है। यदि इस संशोधन को उपस्थित करने वाले श्री मुंशी के मस्तिष्क में यह बात हो कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य को अनिवार्य सैनिक-भर्ती से वंचित नहीं करना है, तो इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए। मैं व्याख्या कायम रखने या मूल प्रस्ताव को ज्यों-का-त्यों रहने देने में कोई आपत्ति नहीं देखता। संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने विचारों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। अन्यथा इसका यह अर्थ होगा कि हमने अनिवार्य सैनिक-भर्ती प्रांतीय व्यवस्थापक-सभाओं में तत्सम्बन्धी विधान-निर्माण या किसी खास प्रदेश द्वारा लोगों से जबर्दस्ती काम

कराने की बात पर विचार नहीं किया और उसके बारे में राज्य के अधिकार को सदा के लिए भंग कर दिया है। डॉ. अम्बेडकर के तर्क जोरदार हैं और मैं इस संशोधन के पक्ष में नहीं हूं। मूल खण्ड ज्यों-का-त्यों रहने दिया जा सकता है। हमें यह बात अपने मन में स्पष्ट रूप में बिठा लेनी चाहिए कि हमें अनिवार्य सैनिक-भर्ती की अभी इसी दम आवश्यकता है या नहीं। इसका निर्णय न्यायाधीशों के लिए न छोड़िए। पर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर न कहा है कि अमेरिकन न्यायालय ने इसका किस रूप में अर्थ लगाया है। अमेरिका में वह कानून बहुत पहले बना था, इसलिये समय-समय पर उसका अभिप्राय वर्द्धित करने के लिए व्याख्या करना जरूरी हो जाता है। हम जानते हैं कि केवल बारह सूचिका स्तम्भों का भाष्य बढ़ाते-बढ़ाते 150 जिल्दों 'जस्टीनियन कोड' बन गया। लोग तो समय-समय पर कानून में हेर-फेर करते रहने के पक्ष में नहीं हैं, पर कानून के पंडितों ने बहुत-सी चीजों को व्याख्या के रूप में गढ़ लिया और उससे नये कानून का विकास करते आये हैं। अब जब हम विधान-ग्रन्थ प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम भावी व्याख्या न्यायाधीशों के निर्णय पर क्यों छोड़े? मैं संशोधन का विरोध करता हूं और मूल खण्ड (clause) को ज्यों-का-त्यों रखने के पक्ष में हूं।

***डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** क्या मैं एक सुझाव पेश कर सकता हूं, हमने सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के तर्क सुन लिये हैं जिन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रधान न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार उनकी राय में व्याख्या न होने की अवस्था में भी, राष्ट्र को अनिवार्य सैनिक-भर्ती करने की स्वीकृति प्राप्त है। सौभाग्यवश मुझे भी वही प्रसंग पढ़ने का अवसर मिला जो मुझे निश्चय है, सर अल्लादी के मतिष्क में है। मैं समझता हूं कि अगर वे प्रधान न्यायालय के निर्णय में दिये गये युक्ति और तर्क को पूर्णत: देख लेंगे तो वे मुझसे सहमत होंगे कि प्रधान न्यायालय के निर्णय का खास बिन्दु यह था। वह इस अनुमान (Hypothesis) पर आगे बढ़ती है कि राजनीतिक संगठन में स्वतंत्र नागरिक का कर्त्तव्य सरकार को सहयोग देना होता है इसलिए अनिवार्य सैनिक-भर्ती का कानून नागरिकों से यह कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहता कि वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करें। मेरा निवेदन है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय—राष्ट्र के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा—की ऐसी बुनियाद बहुत ही संदिग्ध है।

मेरा कहना है कि हमें इस विषय में उस युक्ति और तर्क पर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए जो भारत के प्रधान न्यायालय ग्रहण कर सकता है या नहीं। इसलिए मेरी यह राय है कि जिस प्रकार नागरिकता-सम्बन्धी अन्य खण्ड के लिए आपने एक छोटी-सी कमेटी नियुक्त कर दी है कि वह उस विषय पर वाद-विवाद की स्थिति का अनुसन्धान करें, उसी तरह इस विषय के लिए भी एक कमेटी नियुक्त कर दें। व्याख्या रखी जानी चाहिए या नहीं, इस प्रश्न पर विचार करने

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

के लिए एक छोटी-सी कमेटी बना दी जाये जो इस सभा को रिपोर्ट दे। तब इस सभा के लिए इस मामले में फैसला करना आसान हो जायेगा।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि अगर डॉ. अम्बेडकर का सुझाया मार्ग स्वीकार्य है तो इस विषय पर आगे बहस चलाने की जरूरत नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल): अनिवार्य सैनिक-सेवा के सवाल पर बहस हो सकती है।

***अध्यक्ष:** हम यहां यह निश्चय नहीं करने जा रहे हैं कि हमें अनिवार्य सैनिक-भर्ती करनी है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या बुनियादी अधिकार के अन्तर्गत अनिवार्य सैनिक-भर्ती निषिद्ध है? मैं इसे ठीक समझता हूं कि यह मामला उसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये जिसे और खण्ड सौंपे गये हैं।

***एक माननीय सदस्य:** सारा खण्ड 11?

***अध्यक्ष:** हां पूरा खण्ड 11।

(खंड सौंपा गया।)

खण्ड 12—स्वतंत्रता के अधिकार

***अध्यक्ष:** खण्ड 12।†

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** मैं खंड 12 पेश करता हूं। खंड 12 में कहा गया है:

> ''चौदह वर्ष की कम अवस्था का कोई बच्चा किसी कारखाने, खान या अन्य किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जायेगा।''

ऐसा विचार किया जाता है कि इसकी व्याख्या निकाल दी जाये। विचार है; परन्तु मैं खण्ड को ज्यों-का-त्यों पेश करता हूं—व्याख्या निकालने के लिए अलग संशोधन पेश किया जा सकता है।

***श्री के.एम. मुंशी:** मेरा प्रस्ताव है कि व्याख्या निकाल दी जाये जो इस प्रकार है:

> ''इसमें शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम की वह क्रियाशीलताएं शामिल न होंगी जिनके द्वारा अनिवार्य श्रम करना पड़ता है।''

---

† ''चौदह वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा किसी कारखाने, खान या अन्य किसी खतरनाक काम में न लगाया जायेगा।''

व्याख्या—इस नियम में किसी आदेश से शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्राम या कार्रवाई पर, जिसमें अनिवार्य श्रम आवश्यक है, कोई बाधा न आयेगी।

इसका सम्बन्ध इस खंड से बिल्कुल नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह निकाल दिया जाये।

*__अध्यक्ष:__ संशोधन नं. 37—श्रीयुत कामत।

*__श्री एच.वी. कामत__ (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल): मुझे बतलाया गया है कि यह खंड 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, इसलिए गर्भिणी स्त्रियों और बुड्ढ़ों का यहां सवाल नहीं उठता। मैं अपना संशोधन उपस्थित करने का अधिकार बाद के लिए सुरक्षित रखूंगा। इस समय मैं संशोधन न पेश करूंगा।

*__श्री आर.के. सिधवा:__ रहा संशोधन नं. 43, यह सभी नये खंड हैं और जैसा कि कल इस सभा द्वारा निश्चय किया गया है, मैं उन्हें इन खंडों के बाद में लूंगा।

*__अध्यक्ष:__ संशोधन यह है। मैं श्री के.एम. मुंशी की व्याख्या निकाल देने का संशोधन सभा के सामने रखूंगा।

संशोधन स्वीकार किया गया।

खंड 12 संशोधन के साथ स्वीकार किया गया।

खण्ड 13—धर्म-सम्बन्धी अधिकार

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ मैं खण्ड 13 स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव करता हूं जो इस प्रकार है:

सार्वजनिक शान्ति, सदाचार या जन-स्वास्थ्य और इस भाग के दूसरे आदेशों के विपरीत न जाते हुए सभी लोगों को अन्त:करण की स्वतंत्रता होगी और किसी धर्म का अनुयायी होने, उसका आचरण करने और उसको फैलाने का समान रूप से अधिकार होगा।

व्याख्या 1.—कृपाण धारण करना या उसे इधर-उधर ले जाना, सिख धर्म के आचरण के अन्तर्गत समझा जायेगा।

व्याख्या 2.—उपरोक्त अधिकारों में से कोई ऐसे आर्थिक, माली, राजनैतिक या दूसरे सांसारिक कार्य सम्मिलित नहीं हैं, जिनका सम्बन्ध धार्मिक आचरण से हो।

व्याख्या 3.—इस वाक्य खण्ड में जिस धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता दी गई है, उससे राज्य को सामाजिक हित और सुधार के लिए संस्थाओं को कोई कानून बनाने में कोई बाधा नहीं होगी।

मैं देखता हूं कि इस आदेश-पत्र में अनेक संशोधन हैं। जब वे पेश किये जायेंगे तो मैं उन पर बोलूंगा और अगर कोई स्वीकार करने योग्य है तो उसे स्वीकार भी करूंगा।

*__श्री के.एम. मुंशी:__ महोदय, मैं इस आशय का संशोधन पेश करता हूं कि अन्तिम व्याख्या के बाद नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायें—

[श्री के.एम. मुंशी]

''और हिन्दुओं की ऐसी धार्मिक संस्थाओं को, जो सार्वजनिक हों हिन्दुओं के किसी वर्ण या सम्प्रदाय के लोगों के वास्ते खोल देने के लिए''

ऊपर की व्याख्या का मजमून लिखे जाने के बाद यह सोचा गया कि जिस धार्मिक क्रिया का जिक्र किया गया है, वह इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जिससे व्यवस्थापक सभा को सामाजिक प्रश्नों को लेकर कानून बनाने में बाधा का सामना करना पड़े। मन्दिरों को सभी श्रेणी के हिन्दुओं के लिए खोलने के बारे में जो प्रश्न उठता है कि क्या यह धार्मिक क्रिया मानी जा सकता है। खण्ड का निर्माण इस प्रकार का न हो, इसलिये यह निश्चय किया गया कि हिन्दुओं की धार्मिक संस्था खोलने की बात इस ढंग से अमल में नहीं लाई जायेगी, जिससे हिन्दुओं की धार्मिक क्रिया में बाधा पड़े।

***अध्यक्षः** अब मैं उन सदस्यों से, जिन्होंने इस खण्ड में संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी है, कहूंगा कि वह उन्हें पेश करें।

(कुछ देर बाद)

चूंकि मैं देखता हूं कि इस खण्ड पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस पर सभा का मत लेना चाहता हूं।

***श्री एच.जे. खाण्डेकर** (मध्यप्रान्त तथा बरार : जनरल): यदि यह खण्ड स्वीकार किया जाता है तो 'सार्वजनिक पूजा-स्थान' शब्द की परिभाषा करनी पड़ेगी। जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक लोगों के लिए यह जानना मुश्किल हो जायेगा कि सार्वजनिक पूजा का स्थान कौन-सा है। जहां सभी श्रेणी के लोगों को प्रवेश करने दिया जाता है, वहां भी दलित श्रेणी के लोग अन्दर नहीं जाने दिये जाते। जहां यह लिखित आदेश मौजूद है कि अमुक स्थान हरिजनों की पूजा के लिये खुला है, वहां भी पुजारी बाधा डालते हैं और कहते है। कि यह मन्दिर निजी है, इसलिये दलितों के लिए खुला नहीं है। इसलिए महोदय, यदि ''सार्वजनिक पूजा के स्थान'' की परिभाषा कर दी जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं राय देता हूं कि ''सार्वजनिक पूजा के स्थान'' की परिभाषा होनी चाहिए।

***अध्यक्षः** क्या मैं जान सकता हूं कि किस खण्ड में यह शब्द आये हैं?

***श्री एच.जे. खाण्डेकरः** व्याख्या 3 में।

***अध्यक्षः** मैं तो वहां यह शब्द नहीं पाता, वहां तो सार्वजनिक पूजा के स्थान का जिक्र भी नहीं है।

***श्री एच.जे. खाण्डेकरः** ''सार्वजनिक किस्म की धार्मिक संस्थाएं'' इसकी मैं व्याख्या चाहता हूं।

*अध्यक्षः श्री खाण्डेकर सार्वजनिक ढंग की 'धार्मिक संस्था' की व्याख्या जानना चाहते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि जिन धार्मिक संस्थाओं का हवाला दिया गया है, वह हैं क्या?

*श्री एल. कृष्णास्वामी भारतीः महाशय, खण्ड इस प्रकार पढ़ा जाता है— "........इस परिच्छेद के अन्य नियम" की जगह—".....इस भाग के अन्य नियम" होना चाहिए।

*माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः "परिच्छेद" की जगह "भाग" शब्द रख दिया गया है।

मैं श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार करता हूं और मैं सभा को यह विवादग्रस्त विषय पास करने की स्वीकृति देने के लिए बधाई देता हूं, जिस पर कमेटी के कई दिन लगे हैं और जो कई कमेटियों से गुजर चुका है। मतभेद हो सकता है; पर कुल मिलाकर हमने सभा के सभी भागों को सन्तुष्ट करने को कोशिश की है। मेरा प्रस्ताव है कि यह खण्ड संशोधन सहित पास किया जाये।

*अध्यक्षः मैं पहले व्याख्या नं. 3 के संशोधन पर मत लेता हूं, जो इस प्रकार है:

"यह कि 'और सार्वजनिक ढंग की धार्मिक संस्थाएं सभी श्रेणी या वर्ग के हिन्दुओं के लिए खोल दी जायें' शब्द व्याख्या 3 के बाद जोड़ दिये जायें।"

संशोधन स्वीकार किया गया।

*अध्यक्षः मैं अब इस खण्ड को संशोधन सहित सभा के सामने रखता हूं।

खण्ड संशोधन सहित स्वीकार किया गया।

अब हम खण्ड 14 लेते हैं।

खण्ड 14—धार्मिक अधिकार

*माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः अब मैं खण्ड 14 पेश करता हूं।

"हर धार्मिक सम्प्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबन्ध स्वयं करने और साधारण कानून के आधीन सम्पत्ति को रखने, उसे प्राप्त करने और उसका प्रबंध करने तथा धार्मिक और खैराती कामों के लिए संस्थाओं को स्थापित करने या उनकी रक्षा करने का अधिकार होगा।"

इसमें श्री मुंशी एक छोटा-सा संशोधन पेश करेंगे। मैं यह खंड सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

*श्री के.एम. मुंशीः मुझे यह संशोधन पेश करना है कि खण्ड 14 में सम्प्रदाय शब्द के बाद 'या उसका कोई भाग, जोड़ दिया जाये। ऐसा समझा गया है कि

[श्री के.एम. मुंशी]

केवल 'धार्मिक सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग किसी सम्प्रदाय के एक वर्ग को रक्षा से वंचित रख सकता है।

***श्री के. सन्तानम्:** 'साधारण कानून' का क्या अर्थ है?

***श्री के.एम. मुंशी:** विशेष कानून के अतिरिक्त देश का साधारण कानून भी है। जब 'कानून' शब्द का व्यवहार किया जाता है तो उसका अर्थ या तो प्रदेश (Unit) का कानून होता है या संघ (Union) का, जिसके भी अधिकार के अनुसार व्यवस्था की जा रही हो। अगर संघ सम्बन्धी विषय पर कानून है तो वह संघ का कानून होगा और अगर प्रदेश (Unit) सम्बन्धी विषय पर कानून है तो वह प्रदेश (Unit) का कानून होगा।

***अध्यक्ष:** 'साधारण कानून' का क्या यहां कोई विशेष महत्त्व है? कानून तो कानून ही है।

***श्री के.एम. मुंशी:** अभिप्राय यह था कि कोई भी विशिष्ट कानून इससे अलग नहीं रखा जायेगा। कुछ खास नियम विशेष प्रकार के लोगों के लिए ही बनते हैं। यदि सभा की इच्छा है कि केवल 'कानून' शब्द होना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

***कुछ माननीय सदस्य:** ''कानून के आधीन''।

***अध्यक्ष:** श्री सन्तानम्, आपका संशोधन पेश होना है। संशोधन नं. 63।

***श्री के. सन्तानम्:** नहीं महोदय, मैं उसे नहीं पेश कर रहा हूं।

***अध्यक्ष:** श्री राजगोपालाचार्य, आपका एक संशोधन है।

***माननीय श्री राजगोपालाचार्य:** नहीं महोदय, मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***अध्यक्ष:** तो अब खण्ड और संशोधन पर बहस हो सकती है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं 'साधारण' शब्द निकाले जाने का विरोध करता हूं जो खास और स्थानीय कानूनों से भिन्न है जिन्हें भारतीय दण्ड-विधान में ब्रिटिश भारत की विशिष्ट प्रजा या खास भाग के लिए ही लागू है। किसी भी विशेष कानून द्वारा किसी भी धार्मिक संस्था के सम्पत्ति रखने के अधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए। साधारण खण्ड एक्ट (General Clauses Act) में भी स्थानीय और विशेष कानूनों के बारे में यही परिभाषा मिलेगी। इसीलिए मैं 'साधारण' शब्द को रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि खण्ड के निर्माताओं ने इन शब्दों को शामिल करके ठीक ही किया था।

*__दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:__ साधारण खण्ड एक्ट और भारतीय दण्ड-विधान हमारे विधान की व्याख्या पर लागू नहीं होंगे। जब हमारा विधान अन्त में बने तो उसमें हमें व्याख्या-खण्ड रखना ही होगा।

*__श्री एच.वी. कामत:__ सर अल्लादी ने जो कुछ कहा है उसका एक शब्द भी मैं नहीं सुन सका।

*__अध्यक्ष:__ सर अल्लादी का विचार था कि साधारण खण्ड एक्ट (General Clauses Act) और दण्ड-विधान हमारे विधान पर लागू नहीं होंगे, इसलिये उनको कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए।

श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल : जनरल): यदि 'वर्तमान हिन्दुस्तानी कानून' शब्द वहां रहे तो साधारण खण्ड एक्ट लागू होगा।

*__अध्यक्ष:__ आप सर अल्लादी से मतभेद रखने को स्वतंत्र हैं।

श्री सी. राजगोपालाचार्य: शब्दों की व्याख्या किस तरह की जाये, इसके अतिरिक्त यह बहुत आवश्यक है कि हम धार्मिक संस्थाओं (Religious Denomination) को जो विशेष अधिकार दे रहे हैं वह उन सभी कानूनों की शर्त पर होना चाहिए जो काम में लाये जायेंगे और इसलिए केवल 'कानून' शब्द रहना चाहिए—उनका कोई खास अंश नहीं।

*__श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:__ हम यह सब कानून की पुस्तक में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विशिष्ट आपत्ति का यही अर्थ है।

*__अध्यक्ष:__ वास्तव में, इस पर काफी बहस हो चुकी है—और अगर कुछ और बाकी है तो फिर मसविदा बनाने वाली कमेटी उसे इसमें जोड़ देगी।

> अब मैं विभिन्न संशोधनों को रखूंगा। पहला संशोधन तो यह होगा कि "या उसका कोई भाग" शब्द "संस्था" और "करेगी" के बीच में रख दिया जाये। इस तरह वह खण्ड इस प्रकार पढ़ा जायेगा—"प्रत्येक धार्मिक संस्था या उसके किसी भाग को अपने मामलों की व्यवस्था करने का अधिकार होगा"......आदि।

संशोधन स्वीकार किया गया।

*__अध्यक्ष:__ दूसरा संशोधन यह है कि 'साधारण' शब्द हटा दिया जाये।

संशोधन स्वीकार हुआ।

*__अध्यक्ष:__ संशोधन के बाद खण्ड इस प्रकार पढ़ा जायेगा:

> "हर एक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी वर्ग को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध स्वयं करने और कानून के आधीन सम्पत्ति रखने, उसे प्राप्त करने

[अध्यक्ष]

और उसका प्रबंध करने तथा धार्मिक या खैराती कामों के लिए संस्थाओं को स्थापित करने व उनकी रक्षा करने का अधिकार होगा।''

मैं संशोधित खण्ड सभा के सामने रखता हूं।

मय संशोधन खण्ड 14 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15—धर्म-सम्बन्धी अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** पहले मैं—खण्ड 15

''किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा जिसकी आय स्पष्ट रूप से किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के हित-साधन या उसकी रक्षा के लिए लगाई जाती हो।''

मैं नहीं समझता कि इस खण्ड में कोई भी संशोधन है और मैं इसे स्वीकार किये जाने के लिए सभा के सम्मुख रखता हूं।

***अध्यक्षः** चूंकि इस खण्ड में कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं इसे सभा के सामने मत लेने के लिए रखता हूं।

खंड 15 स्वीकार किया गया।

खण्ड 16—धर्म-सम्बन्धी अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** खण्ड 16। यह खण्ड एडवाइजरी कमेटी (परामर्श-समिति) में पास हुआ था, पर मैं समझता हूं कि इसे फिर एडवाइजरी कमेटी को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं और ऐसा सुझाव पेश किया गया है कि इसे एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेज दिया जाये। सभा इस बात से सहमत है कि यह खंड एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेज दिया जाये।

***अध्यक्षः** तो आप इस बाकायदा पेश कीजिये।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैं बाकायदा पेश करता हूं—

''किसी व्यक्ति को, जो ऐसे स्कूल में पढ़ता हो जो सार्वजनिक धन से चलाया जाता हो या सहायता पाता हो, उस स्कूल में दी जाने वाली धार्मिक-शिक्षा में या स्कूल में या उससे सम्बन्धित किसी स्थान में होने वाली धार्मिक पूजा, में भाग लेने के लिए मजबूर किया जायेगा।''

***अध्यक्षः** सभा के मत से यह खण्ड एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेजा जाता है।

खण्ड 17—धर्म-संबंधी अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** ''बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से जो धर्म-परिवर्तन होगा उसे कानून नहीं स्वीकार करेगा।''

***श्री के.एम. मुंशीः** महाशय, मैं इसमें नीचे लिखा संशोधन पेश करना चाहता हूं—

> ''यह कि खण्ड 17 के बदले यह खण्ड रख दिया जाये—किसी भी व्यक्ति को धोखे या दबाव से या अनुचित प्रभाव डालकर, अथवा 18 वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग को, एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रविष्ट करने पर यह धर्म-परिवर्तन कानून से जायज नहीं माना जायेगा''।

मूल खण्ड से इसमें कुछ शब्द जोड़ दिये गये हैं—एक तो 'धोखे से' शब्द 'दबाव और अनुचित प्रभाव' के साथ जोड़ दिया गया है और दूसरा नाबालिग के बारे में जोड़ा गया है। वास्तव में यह प्रस्ताव किसी और कमेटी ने किसी-न-किसी रूप में रखा था और साधारणत: लोगों का ख्याल यही है कि यह खंड इस रूप में पास हो—किसी भी 18 वर्ष से कम-से-कम अवस्था के नाबालिग को एक धर्म से दूसरे में प्रविष्ट कराने पर इस धर्म-परिवर्तन को कानून से जायज नहीं माना जायेगा। कानून से जायज न माने जाने का परिणाम यह होगा कि यद्यपि एक व्यक्ति धोखे, दबाव या अनुचित दबाव अथवा नाबालिगी की अवस्था में धर्मान्तरित कर दिया गया है, फिर भी कानून की दृष्टि से उसका अपने पहले धर्म से ही सम्बन्ध, जारी रहेगा और उसके कानूनी अधिकार इस धर्मान्तर के होते हुए भी अक्षुण्ण रहेंगे। इस प्रस्ताव के पीछे विचार यह है कि प्राय:, अगर धर्मान्तर धोखे, अनुचित प्रभाव या नाबालिगी की अवस्था में हुआ है तो धर्मान्तरित व्यक्ति की कानूनी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, और उसके कुछ अधिकार तो चले ही जाते हैं। इसका असर यह होगा कि उसके अधिकार बिल्कुल वैसे ही कायम रहेंगे जैसे उस समय के पहले थे, जब उसे धोखे या दबाव या अनुचित प्रभाव द्वारा अथवा नाबालिगी की अवस्था में धर्मान्तरित किया गया था।

यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं पूरा खण्ड पढ़ दूंगा। पूरा खण्ड इस रूप में रखा गया है—

> ''किसी भी व्यक्ति को धोखे या दबाव से या अनुचित प्रभाव डालकर, अथवा 18 वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग को, एक धर्म से दूसरे में प्रविष्ट कराने पर उसे कानून से जायज नहीं माना जायेगा।''

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): क्या मैं आपसे इस बात की व्याख्या करने का अनुरोध कर सकता हूं कि ''अनुचित प्रभाव'' का क्या अर्थ है? क्या यह उस अर्थ में है जो कंट्राक्ट एक्ट में आया है या इसे सामान्य अर्थ में समझा जायेगा?

***श्री के.एम. मुंशीः** मेरे लिये यह कहना कठिन है; पर मुझे निश्चय है कि 'धोखा' तो सारे संसार में और कानूनी अधिकारों की सभी प्रणालियों में धोखा ही है। दबाव और अनुचित प्रभाव इन दोनों में भारत में या अन्यत्र कोई अन्तर नहीं है। थोड़ा छाया-अन्तर हो सकता है; पर स्वतंत्र भारत इसकी व्याख्या करेगा और उसका अर्थ जहां तक मैं समझ सकता हूं, ऑक्सफोर्ड के शब्द-कोश के अर्थ से जुदा न होगा।

***श्री फूलसिंह** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्री मुंशी ने जो संशोधन पेश किया है उसे देखते हुए मेरा संशोधन यहां ठीक न बैठेगा। पर मेरा सुझाव है कि दबाव डालकर धर्मान्तर करने को जुर्म करार दिया जाना चाहिए। मेरी राय है कि वह इसमें ऐसा संशोधन कर सकते हैं।

***माननीय श्री जगजीवन राम:** मैं अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। (द्वितीय अतिरिक्त सूची का नं. 72)

***अध्यक्ष:** द्वितीय अतिरिक्त सूची का संशोधन नं. 73।

***श्री आर.के. सिधवा:** यह एक नया खंड है। यह बाद में लिया जा सकता है।

***श्री एफ. आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन श्रीयुत मुंशी के संशोधन से खास सम्बन्ध रखता है। ''या 18 वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग को'' इस अंश की जगह मैं ये शब्द रखना चाहता हूं—''सिवा इस अवस्था के, जहां माता-पिता या उनमें जो भी जीवित हो वह पहले धर्मान्तरित हो और बच्चा अपने धर्म में रहना न पसन्द करता हो।'' लगभग इसी रूप में ''नाबालिग सब-कमेटी'' इसे स्वीकार किया था। हमने इस पर लम्बी बहस की थी और यह अनुभव किया था कि जिस रूप में मैं इसे पुन: रखना चाहता हूं वह इस विचारणीय विषय के लिए सर्वोत्तम होगा।

मैं इसे स्वीकार करता हूं कि धोखे या दबाव से अथवा अनुचित प्रभाव डालकर जो धर्मान्तर किया गया हो वह कानून से जायज नहीं माना जाना चाहिए। मेरी दिलचस्पी केवल इस सवाल से है और वह भी सिद्धान्त के ऊपर। मेरा सम्प्रदाय न प्रचार करता है, न धर्मान्तर और न हम धर्मान्तरित ही हैं। पर मैं इस बात को मानता हूं कि करोड़ों ईसाई अपने धर्म के प्रचार सम्बन्धी अधिकार के प्रश्न पर गहरी दिलचस्पी रखते हैं। मैं मुख्य पार्टी को बधाई देता हूं कि ऐसे विवादग्रस्त ढंग के प्रस्ताव में भी वह ''अपने धर्म के प्रचार और पालन का अधिकार'' कायम रख सके। यह करके एक हाथ से यह मुख्य बुनियादी अधिकार देकर—जो ईसाइयों के अधिकारों में सबसे अधिक बुनियादी है, दूसरे हाथ से कि 18 वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग का इस शर्त द्वारा उसे छीन मत लीजिए। या अगर आप इस खास आदेश को रखना चाहते हैं या यदि आप नाबालिग के धर्मान्तरकरण पर बिल्कुल रुकावट ही डालना चाहते हैं तो इससे धर्मान्तर करने पर ही प्रतिबन्ध लग जाता है। इससे तो आप धर्मान्तरित करने के अधिकार को ही छीने लेते हैं। क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा? कोई भी वयस्क बाप, चाहे जितना भी हृदय से चाहे ईसाई धर्म अकेले न ग्रहण कर सकेगा, क्योंकि इस आदेश द्वारा तो आप उस मां-बाप को उसके बच्चे से अलग कर देते हैं। इस आदेश के द्वारा आप कहेंगे कि यद्यपि मां-बाप ईसाई धर्म ग्रहण कर सकते हैं, पर उनके बच्चे अपने मां-बाप का धर्म और पालन-पोषण न प्राप्त कर सकेंगे। इससे तो आप पारिवारिक

जीवन की जड़ ही काट देंगे। मैं कहता हूं यह तो स्वाभाविक कानून और न्याय की सामान्य धारणा के भी विरुद्ध होगा। आपकी भावना धर्मान्तरकरण के विरुद्ध हो सकती है और धर्म-प्रचार के भी। पर जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो मेरा निवेदन है कि पारिवारिक जीवन पर कुठाराघात न कीजिए। यह अधिकार सारे संसार के देशों में स्वीकार किया गया है माता-पिताओं को अधिकार है कि वह अपने बच्चों को जिस धर्म में चाहें दीक्षित करें। आपको सुरक्षाएं प्राप्त हैं। आप यह नियम बना चुके हैं कि अनुचित प्रभाव डालकर, धोखे से या दबाव डालकर किया गया धर्मान्तर कानून द्वारा मान्य नहीं होगा। मैं और आगे हूं और संसार के अन्य देशों के विपरीत यह भी मानने को तैयार हूं कि बड़े होने पर उन बच्चों की इच्छा हो तो वह अपने पहले धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। शब्दावली इस प्रकार है—"और बच्चा पहले धर्म में रहना नहीं पसन्द करता"। अगर माता और पिता—दोनों ही धर्मान्तरित हो चुके हैं और वे अपने बच्चों का लालन-पालन ईसाई धर्मानुसार करना चाहते हैं, और वे बच्चे समझदार होने पर यह इच्छा प्रकट करें कि मां-बाप धर्मान्तर होते हुए भी वे ईसाई के रूप में अपना लालन-पालन नहीं चाहते, तो मेरे बताये प्रतिबंध के अनुसार उनका पालन-पोषण ईसाई धर्म में नहीं होगा।

"माता-पिता में जो जीवित हो" शब्द भी इसीलिए मैंने जोड़े हैं। अगर आप दोनों ही पर प्रतिबंधन लगा देंगे तो क्या होगा? मान लीजिए एक विधवा ईसाई धर्म ग्रहण करती है, और वह अपने बच्चों को ईसाई धर्म में पालन-पोषण करना चाहती है और वे बच्चे भी वैसा ही चाहते हैं, तो आप उनके मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। अगर आप "माता पिता में जो जीवित हो" शब्द नहीं रखना चाहते, अगर पिता विधुर होने की अवस्था में ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहता है और उसके बच्चे ईसाई के रूप में ही अपना पालन-पोषण चाहते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि चूंकि दोनों मां-बाप जीवित नहीं हैं इसलिये पिता उन बच्चों का अपने धर्म के अनुसार पालन-पोषण नहीं कर सकता। वह अपने-आप बच्चों से अलग हो जायेगा।

मैं समझता हूं कि इस सभा में कुछ वर्ग धर्मान्तरकरण के प्रश्न पर कैसी गहरी भावना रखते हैं पर मेरा कथन है कि जब आप यह धर्म-प्रचार का अधिकार स्वीकार कर चुके हैं तो स्वाभाविक कानून और न्याय की अनुरूपता का ख्याल रखते हुए पारिवारिक जीवन के सिद्धान्त को भी स्वीकार कीजिए।

***श्री पी.आर. ठाकुरः** महाशय, मैं दलित वर्ग का एक सदस्य हूं। बुनियादी अधिकार का यह विधान मेरे समाज की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मान्तरकरण के शिकार अधिकांशतः दलित वर्ग के लोग ही होते हैं। अन्य धर्मों के उपदेशक उनके पास जाकर उनके अज्ञान का अनुचित लाभ उठाते हैं, सभी तरह के प्रलोभन देकर उन्हें अन्ततः धर्मान्तरित कर लेते हैं। मैं श्री मुन्शी से यह जानना चाहता है कि क्या "धोखे" में यह सभी बातें

[श्री पी.आर. ठाकुर]

आ जाती हैं। अगर नहीं आतीं तो मैं श्री मुन्शी से कहूंगा कि इस खण्ड को फिर से लिखकर तैयार करें जिससे इस तरह के धोखों का प्रयोग दलित वर्ग पर न किया जा सके। मैं तो इसे अवश्य ही 'धोखा' कहूंगा।

***माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस रूप में खण्ड एडवाइजरी कमेटी से निकला है वही काफी है और उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। इस विधान द्वारा बारह या तेरह साल का नाबालिग अठारह वर्ष की अवस्था तक अपनी इच्छा काम में नहीं ला सकता। कानून में अवस्था की यह सीमा बिल्कुल ठीक हो सकती है। किन्तु यह सोचना कि अठारह वर्ष के युवक के विवेक नहीं होता इसलिए वह अपना विश्वास नहीं प्रकट कर सकता, गलत है। प्रश्न के इस पहलू पर भी पूर्ण रूप से विचार करना होगा; धर्मान्तरकरण का एक आत्मिक पहलू भी होता है। धर्मान्तर का अर्थ यही नहीं है कि एक आदमी अपना धर्म बदल लेता है या दूसरा फार्म ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई हिन्दू ईसाई हो जाता है। पर इस धर्मान्तरकरण का आत्मिक पहलू भी देखना चाहिए। उसमें मनुष्य की आत्मा का ईश्वर से जो सम्बन्ध हो जाता है वह भी देखना चाहिए। इस सभा को इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो सांसारिक लाभ के लिए भी धर्म-परिवर्तन करते हैं, पर ऐसे भी हैं जो आत्मशक्ति से प्रेरित होकर धर्म-परिवर्तन करते हैं जब कोई लड़का यह अनुभव करता है कि भगवान् उसे दूसरा धर्म स्वीकार करने का आदेश देता है तो उसके वैसा करने में कोई कानून बाधक नहीं बनना चाहिए। इन नवयुवकों की आत्मा को, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धर्म-परिवर्तन करते हैं, दूसरा धर्म ग्रहण करने से नहीं रोकना चाहिए और उन्हें अपने अधिकार का उपयोग अपनी कानूनी स्थिति बदलने और धर्म-परिवर्तन करने के लिए करने देना चाहिए। हम जानते हैं श्रीमान् ईसाई मजहब के इतिहास में ऐसे युवक हुए हैं और कई को तो मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं जो अपने विश्वास और श्रद्धा के कारण ईसाई हुए हैं और जो उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं मैं खुद पन्द्रह वर्ष की अवस्था में ईसाई बनाया गया था। उस समय मैंने भगवान् की आवाज को मुझे बुलाते सुना था। मैं उसके लिए संसार में सब कुछ छोड़ने को तैयार था। मैं मौत तक स्वीकार करने को तैयार था। जिस युवक के दिलों में परमात्मा की ऐसी पुकार पहुंचती है उसे कानून के द्वारा धर्म बदलने से क्यों रोका जाये और वह अपना दूसरा नाम क्यों रखे जबकि वह भगवान् के सामने यह अनुभव करता है कि उस पर परमात्मा ने वैसा करने के लिए प्रभाव डाला है और वह उसके लिए जान भी देने को तैयार है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने पर नाबालिग सम्बन्धी वह संशोधन बिल्कुल गलत है। विवेक की दृष्टि से यह कहना बिल्कुल गलत है कि बारह से अठारह वर्ष तक के लड़के लड़कियों को भगवान् के सामने अपने विवेक का उपयोग न करने दिया जाये। इससे उनकी आत्मा दब जायेगी। वह भगवान्

के सामने अपने धार्मिक विश्वास का उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए मैं इस संशोधन के वर्तमान रूप का विरोधी हूं। खंड को पहले की भांति ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाना चाहिए। धर्म-परिवर्तित माता-पिता के बच्चों के धर्मान्तरकरण के कानूनी तथा अन्य पहलू पर श्री एन्थॉनी विवाद कर चुके हैं। कुछ नाबालिगों को उनके निजी विश्वास का अनुसरण करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वह अपने विश्वास के अनुसार काम करे और उन्हें आत्मविश्वास के विरुद्ध काम करने को विवश न करें। अगर वे स्वयं अपनी पहली कानूनी स्थिति की परवाह नहीं करते तो उन्हें कानून क्यों नहीं इच्छानुसार चलने देता? उन्हें धर्म-परिवर्तन करने से क्यों रोका जाता है? उनकी आत्मा को क्यों दबाया जाता है? यह महत्त्वपूर्ण बात है, जिस पर इस सभा को विचार करना है। इस स्वतंत्रता को मैं युवकों का बुनियादी अधिकार समझता हूं। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो अच्छी आध्यात्मिक-शक्ति के विरुद्ध काम करता हो। भारत धर्मों का देश है, और यहां धार्मिक स्वतंत्रता है। यदि वह संशोधन इस सभा में पास हो जाता है तो उसका यह अर्थ होगा कि बुराई की शक्तियां को रोकने के ख्याल से हमने वास्तविक धार्मिक स्वतंत्रता भी खो दी जो इस देश के युवकों को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं तो इस सिद्धान्त के ही विरुद्ध हूं कि युवकों पर जोर डालकर उन्हें उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार आचरण करने से रोका जाये। मेरा सुझाव है महोदय, कि यदि श्री एन्थॉनी के संशोधन में 'या जब नाबालिग स्वयं धर्म बदलना चाहे तो उसे बचाया जाये' यह शब्द शामिल हैं तो मैं इस संशोधन का विरोध न करूंगा। मैं अनुचित प्रभाव, दबाव या धोखे द्वारा धर्म बदलने का विरोधी हूं। जब हम इन बुराइयों के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो हमें यह बात सावधानी के साथ देखनी चाहिए कि वह कानून युवक-युवतियों की विवेक-बुद्धि का विरोध तो नहीं करता, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो स्वतंत्रता की जरूरत है।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः सभापति जी, जो भाषण यहां हमारे ईसाई भाइयों की तरफ से हुए हैं, उन्हें सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। उनमें से कुछ ने इस बात की चर्चा की कि हम लोगों ने यहां इस सभा में यह स्वीकार कर लिया है कि हर एक को अपने धर्म को फैलाने का और दूसरे धर्म से अपने धर्म में लाने का अधिकार है। एक धर्म से दूसरे धर्म में लाना और इस तरह के काम के पीछे पड़ना हम कांग्रेस वालों को अनुचित लगता है और हम उसके पक्षपाती नहीं हैं। समझते हैं कि इस बात के पीछे पड़ना कि एक आदमी दूसरे धर्म में लाया जाये, व्यर्थ की बात है। लेकिन केवल कुछ लोगों के अनुरोध से, जिन्हें हम राष्ट्रीय कामों में अपने साथ रखना चाहते हैं, हमने यह बात स्वीकार कर ली। अब इसके बाद यह कहना कि उनको अधिकार है कि वह छोटे-छोटे बच्चों को दूसरे धर्म में लायें, यह चीज क्या है? क्या बात है? मुझे बहुत ताज्जुब होता है। जो 18 वर्ष के नीचे का बच्चा है उसको आप समझा-बुझा के उसका धर्म-परिवर्तन करा सकते हैं मगर वह कच्ची बुद्धि का बालक है और यह काम साधारण रीति से और कानूनी दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता है। अगर वह

[श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]

18 वर्ष का बालक एक अपनी 100 रुपये की कोठरी किसी के नाम लिख दे तो वह नाजायज है। लेकिन हमारे भाई आकर कहते हैं कि उसको इतनी बुद्धि है कि वह अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। यानी धर्म की कीमत 100 रुपये की कोठरी से भी कम है। उचित यह है कि बालक की जब समझ-बूझ पक्की हो जाये तब ही वह जाब्ते से धर्म-परिवर्तन कर सके।

हमारे एक भाई ने यह कहा कि हमने दाहिने हाथ से ईसाइयों को जो दिया है वह बांये से हम छीन रहे हैं। यदि हम उनको यह अधिकार नहीं देते कि जो बच्चे अपने माता-पिताओं के साथ हैं उनका धर्म-परिवर्तन वह माता-पिताओं के धर्म-परिवर्तन के साथ कर लें। हमने उनको दाहिने हाथ से जो चीज दी थी वह यह है कि वह ईमानदारी के साथ समझ-बूझ के सहारे और लोगों की भावनाएं बदलकर उन्हें अपने धर्म में ला सकें। coercion, fraud, undue influence ये तीनों शब्द आपने अपवाद के रूप में मंजूर किये। ये बड़ी उम्र के लोगों के लिये हैं। लेकिन छोटे बच्चों के लिये यह शब्द नहीं लगता उनको किसी धर्म से दूसरे धर्म में लाना हर दशा में Coercion या undue influence है। आप मेरा मतलब समझे। छोटे-छोटे बच्चे कैसे धर्म बदल सकते हैं। अभी उनको बुद्धि नहीं है। वह आपकी शास्त्रीय बात को नहीं समझते हैं। अगर यह धर्म परिवर्तन करते हैं तो वह किसी-न-किसी असर से करते हैं और यह असर उचित नहीं है। अगर कोई ईसाई किसी हिन्दू बालक को अपने साथ रखता है और उसके साथ दया का बर्ताव करता है तो यह सम्भव है कि वह हिन्दू बालक उसके साथ रहना पसंद करे। इसे हम नहीं रोक रहे हैं। धर्म परिवर्तन वह ठीक उम्र पाने पर ही कर सकता है। अगर माता-पिता धर्म परिवर्तन करते हैं तो क्यों आवश्यक है कि बच्चे का धर्म भी उन्हीं के साथ जाये। अगर माता-पिता का असर उसके ऊपर है तो जब बच्चा बड़ा होगा तब वह धर्म परिवर्तन कर सकता है। यह मेरा कहना है।

आपकी अनुमति से कुछ शब्द अंग्रेजी में भी कहना चाहता हूं, जिससे हमारे वह भाई जो मेरी हिन्दी वाणी ने न समझे हों वह भी समझ लें।

*महोदय, जिस तरीके पर हमारे कुछ ईसाई मित्रों ने नाबालिगों को धर्मान्तरित करने का दावा पेश किया है उससे मुझे आश्चर्य है। धर्मान्तरित करने का अधिकार हमने मान लिया है। साधारणत: हम कांग्रेसजन इसे उचित नहीं समझते—मैं स्पष्टता से कहता हूं—कि लोग दूसरे धर्मावलम्बियों को धर्म में लाने की कोशिश में सदा दौड़-धूप करते रहे। पर हम अपने ईसाई बन्धुओं को—उन बंधुओं को जो समझते हैं कि धर्मान्तरित रहने का अधिकार मिलना चाहिए—अपने साथ रखना चाहते हैं और इसीलिए उनके आग्रह पर धर्म-प्रचार का अधिकार यहां रखा गया है। वे लोग जानते हैं कि हम इसके विरुद्ध हैं फिर भी हमने इसे स्वीकार किया है।

***श्री सेसिल एडवर्ड गिब्बन** (मध्यप्रान्त-बरार : जनरल): यह गलत बात है।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** महाशय, मैं एक कांग्रेसी के रूप में बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कि अधिकांश कांग्रेसी धर्मान्तर करने का यह ढंग नहीं पसन्द करते। *(बाधा),* पर अपने ईसाई दोस्तों को अपने साथ रखने के लिए......।

***श्री सेसिल एडवर्ड गिब्बनः** मुझे इस पर व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति है, महाशय।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति इस पर नहीं हो सकती। मन्तव्य सम्बन्धी आपत्ति हो सकती है।

***श्री सेसिल एडवर्ड गिब्बनः** मैं नहीं समझता कि श्रीमान्, वक्ता महोदय सभी कांग्रेसियों की ओर से बोलने की क्षमता रखते हैं।

***कुछ माननीय सदस्यः** क्यों नहीं?

***अध्यक्षः** यह कोई व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति नहीं है।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रांत : जनरल): वक्ता महाशय को अधिकांश कांग्रेसियों की ओर से बोलने का पूरा अधिकार है। निश्चय ही वह इसके अधिकारी हैं।

***माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडनः** मैं अपने इन दोस्त की अपेक्षा कांग्रेसियों को ज्यादा जानता हूं। मैं उनकी भावनाओं को शायद अपने इन दोस्त से कहीं अधिक घनिष्टता के साथ जानता हूं। और मैं यह समझता हूं कि अधिकांश कांग्रेसी 'प्रचार' (Propagation) शब्द रखने के भी विरुद्ध हैं, पर अपने ईसाई दोस्तों के लिहाज से हमने यह शब्द रहने दिया है। पर अब हमसे कहना कि बच्चों को भी धर्मान्तरित होने दिया जाये, मेरे ख्याल में बहुत दूर जाना है, श्रीमान्। यह तो हो सकता है कि कई बच्चों वाले मां-बाप किसी और धर्म में दीक्षित कर लिये जायें, पर यह जरूरी नहीं है कि इनके सभी बच्चों के साथ, जो धर्म को कुछ भी नहीं समझते, धर्मान्तरित व्यक्ति के समान व्यवहार किया जाये। मेरा निवेदन है कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसके बारे में तो अभिभावकत्व का कानून ही सब कुछ देख लेगा। इन बच्चों की देख-रेख के लिये अन्य अभिभावक नियुक्त किये जा सकते हैं और जब वे बड़े हो जायें और अगर यह अनुभव करें कि ईसाई धर्म ऐसा है जो उनके मन को जंचता है तो वे उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह भी मेरे ईसाई दोस्तों के लिए बहुत है।

मैं समझता हूं कि कुछ कानूनी लोग कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। और इसमें कानूनी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं, पर अभिभावकत्व सम्बन्धी सामान्य कानून से इसका काम चल जायेगा। जब हम यह कहते हैं कि नाबालिगों का धर्मान्तर नहीं किया जा सकता तो इसका यह अर्थ होता है कि जब मां-बाप दूसरा धर्म ग्रहण करें और उनके कई ऐसे बच्चे हैं, जिनकी देख-रेख करनी है, तो

[माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन]

देश का कानून उनकी देख-रेख से वंचित न करेगा। अभिभावकत्व संबंधी कानून आप कभी काम में ला सकते हैं और आप चाहें तो इसके सम्बन्ध में मौजूद वर्तमान कानून में परिवर्तन भी कर सकते हैं जिससे ऐसे मामलों में नाबालिगों की देख-भाल की जा सके। इसलिए मैं श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार करने में कोई कानूनी कठिनाई नहीं देखता और उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

(श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त बोलने को खड़े हुए।)

*__श्री रामनाथ गोयनका__ (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

*__अध्यक्षः__ पर श्री दत्त आपसे पहले ही व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति करने को खड़े हुए हैं।

श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त (बंगाल : जनरल): यदि पूर्व वक्ता न बोलते तो मैं न उठता......।

*__अध्यक्षः__ मैं समझा, आप व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति कर रहे हैं।

*__श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः__ नहीं महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति नहीं उठा रहा हूं।

*__अध्यक्षः__ तो कृपया ठहरिए। हां, श्री गोयनका।

*__श्री रामनाथ गोयनकाः__ मेरी व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति यह है महाशय, कि हमारे पास किये हुए खण्ड 13 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अपनी आत्मिक स्वतंत्रता का समान अधिकार है। पर 'सभी व्यक्तियों' में वही आ सकते हैं जो समझदारी की अवस्था प्राप्त कर चुके हों। यह जरूरी नहीं कि वह समझदार होने के पहले अठारह वर्ष के हो ही चुके हैं। बारह, पन्द्रह, सोलह या सत्रह वर्ष की उम्र भी हो सकती है। अगर हम खण्ड 17 पास कर लें और अठारह की उम्र वैधानिक हो जाये, तो वह खण्ड 13 के अनुसार ही होगा। 13वें खण्ड में हम "सभी व्यक्तियों को" शब्द कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि वे अठारह वर्ष की उम्र के पहले भी विवेकशील बन सकते हैं। इसलिए यदि हम खण्ड 17 पास करते हैं और 18 वर्ष की अवस्था निर्धारित कर देते हैं, तो वह खण्ड 13 के साथ मेल नहीं खायेगा।

*__अध्यक्षः__ पर व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति क्या है?

(हंसी)

*__श्री रामनाथ गोयनकाः__ मेरी व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति यह है कि यह खण्ड 13 के प्रतिकूल होगा जिसे हम पास कर चुके हैं।

***अध्यक्षः** यह तो उसके गुण दोष के आधार की बात हुई। आप यह नहीं कहते हैं कि सभा इस नियम को विचारार्थ नहीं ले सकती। चूंकि यह एक पूर्ववर्ती नियम से बेमेल है।

***श्री रामनाथ गोयनकाः** मेरा कहना है कि यह संशोधन नियम के खिलाफ है।

***अध्यक्षः** कौन संशोधन?

***श्री रामनाथ गोयनकाः** श्रीयुत मुंशी द्वारा उपस्थित संशोधन। यह नियम के खिलाफ है। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि विवेक-बुद्धि की उम्र 18 वर्ष से पहले की होनी चाहिए।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्त : जनरल): पर मिस्टर मुंशी वह अवस्था पार कर चुके हैं।

***श्री रामनाथ गोयनकाः** यह प्रश्न श्री मुंशी के अठारह वर्ष से अधिक होने का नहीं है। *(हंसी)*

***अध्यक्षः** मैं यह समझता हूं कि श्री गोयनका ने जो व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति की है वह यह है कि हम खण्ड 13 के बारे में पहले ही निश्चय कर चुके हैं इसलिए सभा को श्री मुंशी के संशोधन पर विचार करने का अधिकार नहीं है; पर मेरा विश्वास है कि यह सभा अपने निश्चयों में सदा ही संशोधन कर सकती है।

***श्री रामनाथ गोयनकाः** अवश्य ही महाशय, पर जब तक खण्ड 13 अपने वर्तमान रूप में मौजूद है, यह संशोधन अव्यवस्थित होगा।

***श्री के.एम. मुंशीः** क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं, महोदय?

***अध्यक्षः** हां।

***श्री के.एम. मुंशीः** महाशय, मेरे ख्याल में मेरे मित्र श्री गोयनका को वाक्य-रचना के क्षेत्र में जाने का साहस नहीं करना चाहिए था। अगर आप खण्ड 13 को देखें तो आप देखेंगे कि वह इस प्रकार है—

> ''सार्वजनिक शान्ति, सदाचार या जन-स्वास्थ्य और इस भाग के दूसरे आदेशों के विपरीत न जाते हुए सभी लोगों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता होगी और किसी धर्म का अनुयायी होने का, उसका आचरण करने और उसको फैलाने का समान रूप से अधिकार होगा।''

यह नियम सामान्यतः इस विभाग के अन्य नियमों के आधीन है और अगर सभा यह खण्ड पास करती है तो वह स्वतंत्रता इस खास खण्ड की शर्त पर निर्भर है। यह आइने की तरह साफ है।

[श्री एन. अनन्तशयनम् आयंगर]

*__श्री एन. अनन्तशयनम् आयंगरः__ मैं श्री गोयनका की व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति का विरोध दूसरे रूप में करना चाहता हूं। इस व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति के प्रस्तावक का कहना है कि वह इसमें आपत्ति नहीं देखते कि विवेक की अवस्था आ जाने पर कोई धर्मान्तर करे। पर कहीं भी विवेक की अवस्था की परिभाषा नहीं दी गई है। इससे तो यह सभा यह कहने को स्वतंत्र है कि विवेक या समझदारी की अवस्था 18 की है। इसलिए वास्तव में व्यवस्था-सम्बन्धी कोई आपत्ति नहीं है, अथवा इस व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति में कोई आपत्ति की बात है ही नहीं।

*__अध्यक्षः__ मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधि-निहित है। अब हम प्रस्ताव और संशोधन दोनों पर बहस कर सकते हैं।

*__श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः__ अध्यक्ष महाशय, मैं समझता हूं कि यह सारा खंड 17, फंडामेंटल राइट्स कमेटी (बुनियादी अधिकार समिति) में नहीं जाना चाहिए। और मैं खुश होऊंगा यदि सारा ही खंड निकाल दिया जाये। मैं जानता हूं कि इसे बुनियादी अधिकारों के अन्तर्गत संख्याबद्ध करने के कारण क्या हैं। क्योंकि हम अब वर्तमान तैयारी (Setting) के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। पर चूंकि इसकी गिनती बुनियादी अधिकारों में की ही जायेगी इसलिए यह देखने की जरूरत है कि या तो श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये या श्री एन्थॉनी का। मिस्टर एन्थॉनी यह चाहते हैं कि बालिग होने पर अभीष्ट धर्म ग्रहण करने की मर्जी मिलनी चाहिए जैसा कि मुसलमानों को बालिग होने पर अपनी नाबालिगी की शादी रद्द करने का अधिकार है। वह धर्मान्तरित मां-बाप के बच्चों को भी वैसा ही अधिकार दिलाना चाहते हैं। बालिग होने पर वह बच्चा यह घोषित करने का अधिकारी होगा कि वह अपना पहला धर्म चाहता है या अपने धर्मान्तरित माता-पिताओं के धर्म में सम्मिलित होगा। मैं नहीं समझता हूं कि बड़े होने पर बच्चे को यह अधिकार क्यों नहीं दिये जाने चाहिए। बालिगी की अवस्था प्राप्त करने पर हिन्दू होने की हालत में वह कह सकता है कि वह हिन्दू-धर्मावलम्बी रहेगा या यदि उनके मां-बाप ईसाई हुए हैं तो वह ईसाई बनेगा। मेरे ख्याल से यह अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। यह कैसे दिया जाये, इसका निर्णय ड्राफ्टिंग कमेटी करे या फंडामेंटल राइट्स कमेटी के ऊपर छोड़ दिया जाये कि वह देखे कि यह खंड रहना चाहिए या नहीं और यदि रहना चाहिए तो किस रूप में।

बैठने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री टंडन का यह कथन सही नहीं है कि अधिकांश कांग्रेसी 'प्रचार' शब्द यहां नहीं रखना चाहते। इस विषय पर कल वाद-विवाद हो चुका है। इसलिए श्री टंडन का यह कथन ठीक नहीं है।

*__श्री लक्ष्मीनारायण साहूः__ अध्यक्ष जी, मैं बुनियादी अधिकार सम्बन्धी इस खंड का स्वागत करता हूं। पर मुझे आरम्भ में ही शंका हो रही है कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाये। मैं समझता हूं कि वह सन्देह बाद में स्पष्ट किया जा सकता

है। आज जो स्थिति है, मैं सभा से कहना चाहूंगा कि मिदनापुर जिले में जिसके आधे निवासी उड़िया बोलने वाले हैं—सन् 1891 ई. से सन् 1931 ई. तक भाषा का हनन किया गया है। मैं उसके सम्बन्ध में मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट दे सकता हूं। सन् 1891 ई. में उड़ियापुर जिले में छः लाल उड़िया-भाषी थे। दस वर्ष बाद सन् 1901 ई. में वह तीन लाख से भी कम हो गये। इस तरह छः से तीन लाख हुए और सन् 1911 ई. में.........।

*__अध्यक्षः__ श्री साहू, हम यहां भाषा के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम खंड 17 पर विचार कर रहे हैं जो धर्म के सम्बन्ध में है, खंड 18 पर नहीं।

*__श्री लक्ष्मीनारायण साहूः__ मुझे अफसोस है।

*__श्री रेवरेण्ड जेरोम डीसूजा__ (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि बहस ने ऐसा रूप धारण कर लिया है मानो यह अल्पसंख्यकों का ही प्रश्न हो, और उसके परिणामस्वरूप इसमें बहुत गर्मी आ गई है जिसका हममें से बहुतों को खेद है। महाशय, जब इस विषय पर कमेटी के समय बहस हुई थी तो यह अल्पसंख्यकों के प्रश्न से बिल्कुल पृथक् ढंग का था और सर अल्लादी जैसे ऊंचे श्रेणी के विद्वानों ने इस प्रश्न में सन्निहित कानूनी कठिनाइयां हमें समझाईं। जहां तक अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि खंड 13 पर जिस रूप में सभा ने विचार किया है उससे अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन मिला है कि हमें लड़ने-झगड़ने या कड़ा आश्वासन मांगने की आवश्यकता ही नहीं रही है। उस रुख का असर अल्पसंख्यकों पर भी इस प्रकार का पड़ना चाहिए कि उनका रुख भी विश्वास का हो जिससे वाद-विवाद और सुसम्बन्ध की प्रेरणा मिले। मैं श्री एन्थॉनी के इस कथन से सहमत हूं कि यह प्रश्न सिद्धांत के व्यापक स्वरूप और पारिवारिक अधिकार का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसी दृष्टिकोण से बोलता हूं। यह बालिगों के धर्मान्तरकरण का सवाल, न केवल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के परस्पर सम्बन्ध पर असर डालता है, बल्कि इसका अल्पसंख्यकों के परस्पर सम्बन्ध पर भी असर पड़ता है। इससे विभिन्न ईसाई दल के परस्पर सम्बन्ध पर भी जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय पर भी असर पड़ सकता है। पर सभी वर्गों में किसी एक मनुष्य का अपने परिवार पर प्रभाव अधिकांश रूप में बुनियादी अधिकार के रूप में होना चाहिए। इन बुनियादी अधिकारों में ऐसी कोई बात नहीं है जो परिवार की रक्षा प्रोत्साहन और सम्बल की स्पष्ट वृद्धि करती हो और वास्तव में मैं तो इसे इस समय आवश्यक भी नहीं समझता, क्योंकि वह न्याग्य अधिकार नहीं है। कुछ विधान ऐसे हैं जिनके द्वारा परिवार की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए राज्य की आकांक्षा स्पष्ट घोषित कर दी गई है। मैं समझता हूं कि बुनियादी अधिकारों के दूसरे भाग में जो अंश न्याय्य नहीं है, कुछ ऐसी घोषणाएं और स्वीकृतियां, पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध सुविधाओं और परम्परागत अधिकार के सम्बन्ध में रहनी चाहिए। शायद यह समझा जाये कि हमारे देश में इसकी आवश्यकता

[श्री रेवरेण्ड जेरोम डीसूजा]

इसलिए नहीं है कि हममें प्रबल पारिवारिक भावना स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। हममें न केवल व्यक्तिगत और इकाई के परिवार हैं प्रत्युत सम्मिलित परिवार-प्रथा भी मौजूद है। मेरा विश्वास है कि यह वाद-विवाद संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि से प्रभावित हुआ है। मेरा ख्याल है कि टंडन जी जब धर्मान्तरित व्यक्तियों के नाबालिग बच्चों के धर्मान्तर करने की बात पर बोल रहे थे तो उनके मन में संयुक्त परिवार प्रथा का चित्र था जिसमें लोग ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करने वाले मिल जाते हैं। पर हम यह कानून सभी तरह के लोगों के लिए बना रहे हैं—उन लोगों के लिए भी जो संयुक्त परिवार में नहीं—इकाई के परिवार में रहते हैं। हम उनके लिए कानून बना रहे हैं इसलिए इसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो अंतिम विश्लेषण में मां-बाप के अधिकार की रक्षा करें—दोनों मां-बाप की अथवा जो जीवित रहे उसकी खासकर, और जैसा कि श्री एन्थॉनी ने कहा है जिन माताओं की गोद में बच्चे हैं, उनकी। ऐसे बच्चों को उनके मां-बाप की गोद से ले लेना, जो पार्थिव एवं न्याय-सम्बन्धी सभी दृष्टियों से उनके साथ एक बन चुका है, एक ऐसा कानून बनाना है जो निश्चय ही परिवार के अधिकार और पवित्रता की धारणा को दुर्बल बना देता है। इस आधार पर तथा उन कानूनी गुत्थियों के कारण, जिनकी ओर ध्यान खींचा जा चुका है यानी शादी, गमी तथा इन नाबालिगों के विरासत के अधिकार आदि की कठिनाइयों का ख्याल रखते हुए, मैं श्री मुंशी के वर्तमान संशोधन का विरोध करता हूं। विवाह का सवाल ही ले लीजिए। शादी 18 साल के पहले भी हो सकती है। श्री मुंशी ने सावधानी के साथ स्पष्ट कर दिया है कि उनका संशोधन नाबालिग बच्चों का मां-बाप के साथ जाने से नहीं रोकता। पर जब उनकी शादी होगी तो किस कानून के अनुसार, किस धर्म की रस्म के अनुसार इनका विवाह सम्पन्न होगा? अगर वे अपने विवेक के अनुसार चलें और जिस धर्म—हिन्दू, इस्लाम और ईसाई—को उन्होंने ग्रहण किया है उसके अनुसार शादी कर लें तो सवाल यह आता है कि क्या वह विवाह जायज होगा। यह सब कानूनी और न्याय-सम्बन्धी कठिनाइयां तथा और भी बातें आयेंगी जिनके बारे में मैंने पहले इशारा किया है और जिसके कारण सभा भवन में कुछ गर्मी आ गई है। मैं श्री एन्थॉनी के प्रस्ताव (संशोधन) का समर्थन करते हुए अपने पूर्ववक्ता के सुझाव का अनुमोदन करता हूं और सभा से प्रार्थना करता हूं कि सारा खंड एडवाइजरी कमेटी को वापस भेज दिया जाये जिससे उसकी शब्दावली सावधानी से तौलकर ठीक कर दी जाये। जिस तरह हमने तीन-चार अन्य विवाद-ग्रस्त विषय इस सभा में वापस लाने का निश्चय कर चुके हैं उसी तरह यह भी वापस मंगाया जा सकता है। यही मेरा सुझाव है और मेरा अनुरोध है.........।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): आप इसे उस कमेटी के हवाले कर सकते हैं जो अध्यक्ष जी ने बनाई है।

*__श्री रेवरेण्ड जेरोम डीसूजा:__ मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं इस पर अधिक शान्त ढंग से बहस करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है कि इसे उस कमेटी के पास भेज दिया जाये जिसे सभापति जी ने नियुक्त किया है।

*__श्री आर.के. सिधवा:__ मैं इसे कमेटी के पास वापस नहीं भेजने देना चाहता।

*__अध्यक्ष:__ मेरे पास उन सदस्यों की सूची है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि जिस क्रम से मुझसे अनुरोध किये गये हैं उन्हें मैं ठीक तौर से देख सका हूं। इसलिए मैं पहले श्री अलगूराय शास्त्री को पुकारता हूं।

श्री अलगूराय शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं उस संशोधन का समर्थन करने के लिये आया हूं जो श्री मुंशी ने उपस्थित किया है। ऐसा करने में मैं समझता हूं कि हम उन नाबालिग बच्चों के साथ न्याय करेंगे जो आजकल अपने माता-पिताओं के प्रलोभन के कारण धर्म-परिवर्तन करने पर विवश हो जाते हैं। लोग आजकल इस तरह का व्यवहार करते हैं कि जमीन के साथ दरख्त भी चले जाते हैं। अगर कोई आदमी अपनी जमीन बेच दे तो उस जमीन में खड़े हुए पेड़ भी बिक जाते हैं। (Trees go with land) यह जो न्याय है वह इस न्याय की तरह से वह नाबालिग बच्चे, जो जानते ही नहीं कि धर्म किसे कहते हैं, Coercion क्या चीज है, धार्मिक व्यवहार क्या कहलाता है, वह मजबूर हो जाते हैं कि अपने माता-पिताओं के धर्म परिवर्तन के साथ उनका धर्म भी परिवर्तित हो जाये। इस कुप्रथा का बहुत बड़ा असर हमारी सारी आबादी पर है। हमको यह चाहिये कि जो हम फंडामेंटल राइट्स का विधान करने जा रहे हैं, उसको लिखने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं तो हम उन बच्चों के हकों की भी रक्षा करें और उनको धर्म-परिवर्तन करने से रोका जाये। बदलती हुई परिस्थिति से जैसी पहले कभी नहीं थी उससे ज्यादा यह आवश्यक हो गया है कि इस तरह का प्रोविजन हम इस विधान में बनायें कि इस तरह की बातें न हो सकें। वे बच्चे जब बड़े हों तो उनको इस बात का पछतावा होता है कि उनका धर्म-परिवर्तन गलत तरीके से हुआ है।

यूरोप के रहने वाले, यूरोप की गोरी जातियां जो सारी दुनिया पर हुकूमत करती हैं जहां कहीं गईं वह धर्म-प्रवर्तक बनकर गईं। डिगबी की 'Prosperous British India' पढ़ने से ज्ञात होता है कि Cross was followed by sword आगे-आगे धार्मिक मिशनरी गया और उसके पीछे डंडा, तलवार और बंदूक। और उस तरह से वह लोग कोहरसन करते थे। जबर्दस्ती दबाव डालकर धर्म फैलाते थे और साम्राज्य को विस्तार करते थे। साथ-ही-साथ वह आर्थिक और राजनैतिक दबाव भी उन पर डालते थे और अपनी हुकूमत की जड़ गहराई तक पहुंचाते थे।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

फंडामेंटल राइट्स में यह संशोधन चाहते हैं कि धर्म को बदल कर सचमुच अगर कोई अच्छा धर्म नजर आता है यानी अगर मैं समझता हूं कि सिक्खिज्म हिन्दूइज्म से अच्छा है तो मुझको समझ-बूझकर और दानिसमंदाना तरीके से धर्म-परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिये, और अधिकार है। लेकिन प्रलोभन में आकर नहीं। जब एक परिवार के थोड़े से आदमी दूसरे मजहब के आदमियों पर बंदूक, तलवार से हमला करते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए विवश होकर वे अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो यह धर्म-परिवर्तन नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि यह नाजायज और अनुचित दबाव के कारण हुआ है। इसी प्रकार इन हालतों को देखते हुए जिनमें सिर्फ प्रलोभन से धर्म-परिवर्तन किया जाता है, सच्चे अर्थों में धर्म-परिवर्तन नहीं है। मेरा इसमें जाती और 24 वर्ष का तजुर्बा है कि किस तरीके से माता-पिताओं को प्रलोभन देकर धर्म-परिवर्तन करने के लिये रजामन्द किया जाता है और उनके साथ-ही-साथ बच्चे भी चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक आदमी जमीन को अपने हाथ में उठा कर ले जाता है और असहाय पेड़ उसके साथ चले जा रहे हैं।

एक इलाका Excluded Area करके सुरक्षित कर दिया गया है, खास लोगों के काम करने के लिए जरायम पेशा वालों का इलाका बना दिया गया है। इसी किस्म के दूसरे रकबे मुकर्रर कर दिये गये हैं; कुछ ईसाई धर्मोपदेशकों के लिए। छत्तीसगढ़ के इलाके में और दूसरे ऐसे ही जंगली इलाकों में जहां ऐसी जातियां हैं जो पुराने धर्म को मानती हैं वहां हिंदू धर्मोपदेशक यह भी नहीं कर सकते कि अपना प्रचार कर सकें; 'पृथक् क्षेत्रों या अंशत: पृथक् क्षेत्रों का इलाका', जहां काम नहीं किया जा सकता। सरकार की यह दूषित नीति थी। हमको उससे नजात मिलनी चाहिए। ड्यूनट ने अपनी Census of India 1930 नामी मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में लिखा है कि आसाम में तीन सौ प्रतिशत ईसाई जनसंख्या Christian population बढ़ी और वह इसलिये कि हिंदू समाज में कुछ खराबियां थीं। उसी की वजह से धर्म-परिवर्तन कराने वाले लोग गड़बड़ी करते हैं और इन लोगों को मौका मिलता है कि धर्म-परिवर्तन करें। सुमैया कामत ने अपनी पुस्तक The Census of India 1911 की मर्दुमशुमारी में लिखा है कि एक धर्म के लोग दूसरों को मिटाने जा रहे हैं। उनमें जो खराबियां हैं, उनसे नाजायज फायदा उठाते हैं और हर तरह से प्रलोभन देकर, कुछ बड़े आदमियों को समझा-बुझाकर धर्म-परिवर्तन कर लेते हैं। यह जो सब काम हुए है, उन्हीं के कारण आज कटुता दिखलाई पड़ती है। ईसाइयों ने हिन्दुस्तान की पिछड़ी हुई जातियों की सेवा का जो काम किया है, उन्हें मैंने पढ़ा है। मैंने पिछड़ी हुई जातियों में उनका काम देखा है और श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है कि किस तरह से उन्होंने काम किया। अगर वह सेवा के भाव से काम करते तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन यदि Scavanger, भंगी, चर्मकार आदि इन पिछड़ी हुई जातियों का कोई झगड़ा किसी जमींदार या बड़े आदमी के साथ हो जाता है तो उस झगड़े में सुलह कराने के बजाय मैंने देखा है कि जमींदार के साथ उस झगड़े का नाजायज फायदा उठाया जाता है। उनके दिलों में रोग था

हमने उसको और बढ़ा दिया। बुरी नीति से काम लेकर धर्म-परिवर्तन कराने वाले लोग इन झगड़ों को बढ़ाते हैं, दबाते नहीं, समझते नहीं। इसी प्रकार दूसरे धर्म के लोग हमारे झगड़े प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आबादी और जनसंख्या बढ़ानी है और उसका नतीजा यह होता है कि गरीब चमार, भंगी और दूसरे दबे हुए लोगों में से मां बाप को धर्मान्तरित किया जाता है। उनके साथ उनके बच्चे भी धर्मान्तरित हो जाते हैं हम देखते हैं कि जमींदारों और ऊंची जाति के लोगों के साथ गरीब तथा पिछड़ी हुई जाति के लोगों के झगड़ों में धर्म-परिवर्तन कराने वाला कभी भी सुलह कराने की नीति से काम नहीं लेता "क्यों आपस में लड़ते हो?" वह उनसे कभी भी यह नहीं पूछता। संस्कृत में श्लोक है:

"मा भ्राता भ्रातरम द्विक्षन्
मा स्वसारं सुतस्वता
सम्यश्र: सर्वतो भूत्वा
वाचा वदत् भद्रया।"

चाहिए तो यह कि लोग अगर आपस मे लड़ते हों तो हम उनसे प्रेम से बातें करें कि तुम भाई-भाई हो, बहिन-बहिन हो, आपस में क्यों लड़ते हो, इस प्रकार उन्हें समझावें। पैगम्बरों ने, फरिश्तों ने, नेताओं ने, और रहनुमाओं ने यह बात कही है मगर आज यह नहीं होता है, आज हम मौका देखते हैं कि गुंजाइश हो तो चोर दरवाजे से घुसने के लिए तो हम जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहां किस चक्कर में हो, तुम्हारी उन्नति का रास्ता यह नहीं हैं। हर आदमी उसमें देख सकता है कि किस प्रकार से नाजायज फायदा उठाकर बहुसंख्या के लोगों को पागल करने की नीति अख्तियार की गई है। विदेशी हुकूमत (Foreign Bureaucracy) यहां काम करती रही है और इस तरह के स्वार्थी वर्ग कायम करती रही है, जिससे वह मजबूती के साथ यहां हुकूमत कायम रख सके। आज यदि हम इस बुनियाद को खत्म नहीं करते तो हम मौलिक अधिकार किसको देने जा रहे हैं? इन नाबालिग बच्चों को, जो गोद में बैठे हुए हैं, यदि उन्हें जमीन के ऊपर के दरख्त की तरह से कटते जाने देंगे तो हम अन्याय करेंगे। हम जानते हैं कि दबाव से धर्म-परिवर्तन को हम न रोक सकेंगे तो यह अन्याय होगा। मुझे अखत्यार है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं। कल मुझे मालूम हो कि ईश्वर एक मजाक है, इन्सानी दिमाग का एक फितूर है तो मैं नास्तिकवाद में जा सकता हूं। मैं जानता हूं कि हिन्दू धार्मिक विश्वास झूठे हैं तो मेरे पके हुए बाल, टूटे हुए दांत, यह उम्र और सोचने की ताकत सब ने मुझे मजबूर किया है कि मैं धर्म बदलूं। लेकिन मेरा नाबालिग बच्चा मेरी सुनाई हुई बातों को दुहराने लगे तो क्या उसको भी यह हक आप दे देंगे?

पूज्य टंडन जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा कि 100 रुपये की जायदाद एक नाबालिग लिख दे तो वह नाजायज है मगर एक नाबालिग बच्चा मां-बाप के साथ अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाये तो यह नाजायज नहीं?

[श्री अलगूराय शास्त्री]

कितनी बुरी बात है, और भोले-भाले बालकों पर बुरा असर डालती है। इसी प्रकार आबादी पर असर डालने की नीति से आपस का तास्सुब बढ़ता गया है, और विदेशी हुकूमत यहां पर आबादी घटा-बढ़ा कर उसके द्वारा हुकूमत कर सकी। इसीलिए विभिन्न जातियों की आबादी के अनुपात को बदला गया है। जान-बूझकर यह तमाम बातें मैं करता हूं, लेकिन मेरा कोई आक्षेप किसी पर नहीं है यह तो मर्दुमशुमारी या जनगणना का मायाजाल है। इस मायाजाल को लेकर हुकूमत के दिमाग पर एक चीज काम करती है। यह चाहती है कि इस तरह का अनुपात आबादी में से हर तरह का तनस्सुव हो ताकि ऐसे तनस्सुव आधार पर वह झगड़े पैदा करें और झगड़े पैदा करके आबादी या जनसंख्या के एक भाग को दसूरे भाग से लड़ाती रहे और इस लड़ाई के आधार पर अपना राज मजबूत करती रहे। इन सभी दूषित नीतियों को दूर करने के लिए श्री मुंशी का यह संशोधन है और इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती; इसलिए मैं इसकी ताईद करता हूं।

हम समझते हैं कि बहुमत का फर्ज होना चाहिए कि वह अल्पमत को दबावे नहीं। हम सब का आदर और मान करते हैं और पूरा मौका देते हैं कि अपने धर्म का आप प्रचार कीजिए और जो आदमी आपके ख्याल के हो जावें उन्हें अपने धर्म में खुशी से लीजिये, उन्हें आप अपने अन्दर लीजिये। लेकिन उन्हीं को लीजिये जिनका हजम करना मुनासिब हो, नामुनासिब तरीके से उन्हें अपने में हजम करके आप ठीक नहीं करेंगे। जो नाबालिग हैं आपने उन्हें गोद में लिया वह कुछ जानते नहीं हैं। उन्हें आप एक थोड़ा कपड़ा और एक रोटी के लिए और एक नन्हें-से खिलौने के लिए ललचा कर उनकी सारी जिन्दगी को पामाल कर रहे हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है कि उन्हें मौका नहीं मिला कि वे अपने को अपनी इच्छा के धर्म में रखते। हम रवादारी बरतने को तैयार हैं। मैं खुद धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हूं, मगर कोई आरगूमेंट करके विचारे तो मेरा मत बदले, लेकिन मैं अपने नाबालिग बच्चों को लेकर धर्म परिवर्तन करूं यह अधिकार मुझे नहीं होना चाहिए, कम-से-कम एक खास उम्र तक के बच्चों के लिए नाबालिग बच्चे कौन हैं, इस सम्बन्ध में लिखा है कि वे बच्चे जो 12 साल के नीचे हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** अंडरटीन में 19 वर्ष तक के लोग शामिल हैं।

***श्री अलगूराय शास्त्रीः** बहरहाल 19 हो जाये तो और ठीक है, लेकिन यह न हो तो कम-से-कम एक साल की छूट देकर तो नाबालिग की उम्र ठहराइये जो बालिग और नाबालिग की आयु की हद मुकर्रर है और वह मजहबी मामलों में क्यों नहीं रखी जाती? लोग कहते हैं कि क्या प्रोत्साहन या प्रलोभन होगा, लोगों को धर्म बदलने में जबकि उनके बच्चे छूट जावेंगे। मैंने सुना है कि जापान के घरों में एक आदमी एक Religion का पालन करता है और उसका लड़का दूसरे धर्म को मानता है। मजहब के माने क्या है? मां क्या अपने बच्चे को दूध पिलाती है इसलिए कि उसका मजहब बदल जाये। अगर मां का प्रेम सच्चा है तो वह

अपने बच्चे को दूध पिलायेगी। दूध के साथ क्या मजहब भी बदल दिया जाये? हम मां की गोद से बच्चे को छीनना नहीं चाहते लेकिन यह हक बच्चे को देना चाहते हैं कि मर्दुमशुमारी की किताबों में और सरकारी कागजों में वह अपने मजहब को Record करा सकें। तब तक वह बालिग हो जायेगा और तब जब वह स्वयं घोषित करेगा कि हम इस मजहब को मानते हैं, हम इसे संशोधन से इतना हक देते हैं कि मां-बाप के साथ की जरूरत उनके बच्चों को है। उन्होंने समझदारी से मजहब बदला है तो अपने बच्चों को पढ़ायें-लिखायें, परन्तु उन बच्चों का मजहब तब माना जाये जब वह बालिग होकर यह एलान करें कि हमारा मजहब क्या होना चाहिए क्या नहीं। यह इस संशोधन की मंशा है और मैं इसकी ताईद करता हूं और पुरजोर मुखालिफत करता हूं।

***श्री जगतनारायण लाल** (बिहार : जनरल): सभापति जी, मैंने यह आशा की थी कि खण्ड 13 के स्वीकार हो जाने पर किसी भी माइनोरिटी को इस हाउस में उज्रदारी या आबजेक्शन करने का मौका नहीं रहेगा। खण्ड 13 कहता है कि:

> ''All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion, subject to public order, morality or health and to the other provisions of this Chapter.''

यह 'फरदेस्ट लिमिट' तक गया है। संसार के 'माडर्न वर्ल्ड' के अच्छे-से-अच्छे जो कांस्टीट्यूशन्स हैं, उन कांस्टीट्यूशन्स को अगर उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी यह प्रोपेगेट करने का राइट मंजूर नहीं किया गया है। अगर Swiss Confederation के Article नम्बर 50 को आप देखें तो आप पायेंगे, ''the free exercise of religion is guaranteed within limits compatible with public order and morality''।

> (सार्वजनिक शांति और मौलिकता के आधीन प्रत्येक नागरिक को अन्त:करण की स्वतंत्रता होगी और किसी धर्म का अनुयायी होने, और उसका आचरण करने का अधिकार होगा।)

वहीं वह खत्म हो जाता है अगर Irish Free State के article 44 Sub-Clause (2) I को आप देखें तो वहां दिया गया है Freedom of conscience and the free profession and practice of religion are, subject to public order and morality, guaranteed to every citizen. (सार्वजनिक शांति और नैतिकता की समुचित सीमा के अन्दर धर्माचरण सम्बन्धी स्वतंत्रता का प्रत्येक नागरिक को अधिकार होगा) Union of the Soviet Socialist Republics का जो Constitution है, उसके अगर आर्टीकिल 124 को आप देखेंगें तो पता चलेगा कि ''In order to ensure to citizens freedom of conscience the church in the U.S.S.R. is separated from the

[श्री जगतनारायण लाल]

State, and the school from the church Freedom of religions worship and freedom of anti-religions propaganda is recognised for all citizens''.

(इस वास्ते कि नागरिकों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार हो, यूनियन ऑफ सोवियट सोशलिस्ट के सारे चर्च राज्य से तथा सारे स्कूल चर्च से पृथक् किये जाते हैं। धार्मिक उपासना की तथा धर्म विरोधी प्रचार की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को स्वीकार की जाती है)। अगर मैं वर्ल्ड के भिन्न-भिन्न विधानों के क्लाज जहां तक freedom of professing religion का सवाल है आपके सामने पेश करूं तो बहुत तूल हो जायेगा। मैं यह नहीं चाहता कि आपका और अधिक समय इस सम्बन्ध में बरबाद करूं। मेरा कहना यह है कि वह हाउस माइनोरिटीज के लिये जिस Tarthest limit तक जा सकता था वह गया है। यह जानते हुए कि इस मुल्क में चन्द माइनोरिटीज ऐसी हैं जिसका प्रचार सम्बन्धी अधिकार इस लिमिट तक पहुंच जाता है जिससे बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मेरे पहले जो साहब बोल गये हैं उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं भी हैं। मेरा कहना यह है कि इतना ही काफी होना चाहिए। जब श्रद्धेय टंडन जी ने यह कहा कि इस हाउस के बहुत से कांग्रेस मैन के विचारों को समझते हुए कहते हैं कि प्रचार सम्बन्धी अधिकार हम रखना नहीं चाहते थे तो उन्होंने सचमुच हममें से बहुतों के विचार को सामने रखा था। वास्तविक बात यह है कि अगर माइनोरिटीज को यह बात महसूस कराने का ख्याल हमें न होता कि वे जो राइट्स अभी तक बरतते आ रहे हैं और जहां तक हो उचित सीमा तक उनका आनन्दोपभोग करना चाहते हैं उसे हम कम करना नहीं चाहते तो हम यहां Right to propagate नहीं रखते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो माइनोरिटीज की ओर से जोर देते हैं, उनको यहीं तक सन्तुष्ट रहना चाहिए और इससे ज्यादा के लिए जोर देना जरूरत से ज्यादा होगा और वह मेजोरिटी की उदारता का नाजायज फायदा उठाना होगा और यह बहुत अफसोसनाक बात होगी और हमारे लिए उस हद तक जाना मुश्किल और नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि मिस्टर मुंशी ने जो संशोधन हाउस के सामने रखा है, वह धर्म-प्रचार का अधिकार दे देने के बाद बहुत जरूरी है। इसलिये सभा को उसे जरूर मंजूर करना चाहिये। बहुत से आरगूमेंट्स हाउस के सामने अभी तक पेश किये जा चुके हैं इसलिये मैं उन आरगूमेंट्स पर फिर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतने शब्दों के साथ मुंशी साहब के शब्दों का समर्थन करता हूं।

***डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अध्यक्ष जी, मुझे यह कहने में खेद हो रहा है कि श्री मुन्शी ने नाबालिग बच्चों के धर्मान्तरकरण के बारे में जो संशोधन रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह खंड 17 सम्भवतः इस सभा पर यह असर डालता है कि उस प्रश्न पर फंडामेंटल राइट्स कमेटी (बुनियादी अधिकार-समिति),

माइनोरिटी सब-कमेटी (अल्पसंख्यक उपसमिति) या एडवाइजरी कमेटी (परामर्श-समिति) ने विचार नहीं किया है। मैं सभा को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इस विषय पर बड़ी गम्भीरता के साथ और बहुत कुछ विचार किया गया था और इस सवाल के सभी पहलुओं पर ध्यान डाला गया था। सारे सवाल के सभी रूपों पर विचार करने के बाद और जो कठिनाइयां हमारे सामने पेश आईं थी उनको देखते हुए, एडवाइजरी कमेटी इस निर्णय पर पहुंची थी कि उन्हें इस खंड के उस वर्तमान स्वरूप पर ही दृढ़ रहना चाहिए जो श्री वल्लभभाई पटेल ने रिपोर्ट में भेजा है।

महाशय, मेरे मस्तिष्क में कठिनाई ऐसी स्पष्ट है कि मैं श्री मुन्शी से संशोधन वापस ले लेने का अनुरोध करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं देखता।

महोदय, बच्चों के बारे में तीन कल्पनाएं की जा सकती हैं। पहली तो उन बच्चों की, जिनके मां-बाप और अभिभावक हैं। कुछ अनाथ बच्चों की कल्पना दूसरी है और कानूनी अर्थ में जिनके कोई मां-बाप और अभिभावक नहीं हैं। मान लीजिए 18 वर्ष तक के बच्चों का धर्मान्तर न करने का यह खंड आपने पास कर लिया, पर उन बच्चों का क्या होगा जो अनाथ हैं? क्या उनका कोई धर्म नहीं होगा? क्या उन्हें धार्मिक शिक्षा ऐसे व्यक्तियों द्वारा नहीं दी जा सकेगी जो उन अनाथों पर दया दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं? मुझे ऐसा मालूम होता है कि अगर श्री मुन्शी द्वारा संशोधित यह खंड स्वीकार किया जाता है कि अठारह वर्ष से कम अवस्था के बच्चों का धर्मान्तर नहीं किया जा सकता, तो उसका परिणाम यह होता है कि जो बच्चे अनाथ होंगे, उनके कानूनी अभिभावक नहीं होंगे, उन्हें कोई धार्मिक शिक्षा न दी जा सकेगी। मुझे निश्चय है कि यह ऐसा परिणाम है जिसकी कल्पना करके सभी खुश होंगे। इसलिए मैं श्री मुन्शी के द्वारा प्रस्तावित संशोधित के प्रभाव-क्षेत्र से ऐसे इस श्रेणी के बालकों को अलग रखना होगा।

अब मैं अन्य खण्डों की ओर आता हूं, अर्थात् उन बच्चों के बारे में जिनके माता-पिता और अभिभावक हैं। यहां भी ऐसा मालूम होता है कि स्पष्टता के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ऐसे बच्चे मां-बाप और अभिभावक की जानकारी में धर्मान्तरित किये जाते हैं। दूसरा है उन बच्चों के बारे में जो धर्मान्तरित किये हुए मां-बापों के हैं।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नाबालिगों के कानूनी अभिभावकों के साथ रहने वाले धर्मान्तरित किये जाने पर निषेधाज्ञा लगनी चाहिए, पर उस अवस्था में जब वह धर्मान्तर बिना अभिभावकों की राय और जानकारी के किया गया हो। मेरे ख्याल में उस प्रकार का प्रस्ताव बिल्कुल वैध है। जो धर्म-प्रचारक नाबालिग को धर्मान्तरित करना चाहता है, जो ऐसे मां-बाप की या किसी भी कानूनी अभिभावकता में हैं जो अभिभावकता के अनुसार बच्चे के धार्मिक विश्वास पर नियंत्रण रखने का अधिकारी है, ऐसे अभिभावक या माता-पिता को सूचना देने से भी वंचित

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

नहीं करेगा और उसे यह भी न जतायेगा कि वह बच्चा धर्मान्तरित किया जा रहा है। यह ऐसी सीधी बात है जिस पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

पर अगर हम दूसरे मामले पर विचार करें अर्थात् मां-बाप के धर्मान्तरित किये जाने पर उनके बच्चों की ही धार्मिक स्थिति पर विचार करते हैं तब हमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर हम यह कहते हैं कि बालिग होने के कारण जो मां-बाप दूसरे धर्म में दीक्षित कर लिये जाते हैं और नाबालिगी 18 साल से कम होने के कारण उनके बच्चे अपने बाप के साथ दूसरे धर्म में नहीं लिये जा सकते, तो यहां प्रश्न यह उठता है कि जिनके मां-बाप धर्मान्तरित हो जायेंगे उनके नाबालिग बच्चों के लिए हम क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? मान लीजिए कोई मां-बाप ईसाई हो गये और उनके कुछ बच्चे हैं। एक बच्चा मर जाता है। मां-बाप तो ईसाई धर्म में दीक्षित होने के कारण उस धर्म के अनुसार ही उसकी अन्त्येष्ठि शव गाड़कर कर देते हैं। क्या मां-बापों का यह कार्य जुर्म समझा जायेगा? मान लीजिए किसी धर्मान्तर ग्रहण करने वाले के एक बच्चा— लड़की है। वह उसका विवाद ईसाई धर्म के रीति-रिवाज के अनुसार कर देता है। उस विवाह का परिणाम क्या होगा? यह शादी कानूनी होगी या गैर कानूनी?

अगर आप यह चाहते हैं कि बच्चों को धर्मान्तरित नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको अभिभावुकता के लिए कोई और कानून बनाना होगा जिससे धर्मान्तरित हुए मां-बाप अपना धार्मिक प्रभाव ऐसे बच्चों पर न डाल सकें। महोदय, मैं सभा से पूछ सकता हूं कि क्या यह मंजूर करना इसके लिए यह सम्भव है कि एक पांच वर्ष का बच्चा केवल इसलिए अपने मां-बाप से अलग किया जा सकता है कि उसके मां-बाप ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, जो वास्तव में उनका पहला धर्म नहीं है? मैं इन बातों का हवाला इसलिए देता हूं कि ये कठिनाइयां फंडामेन्टल राइट्स कमेटी (बुनियादी अधिकार समिति) के सामने आई थीं और माइनोरिटीज कमेटी (नाबालिग समिति) और एडवाइजरी कमेटी (परामर्श-समिति) के सामने भी, और हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि अठारह साल से कम अवस्था के बच्चों का धर्मान्तरकरण रोकने पर कितनी ही बुराइयां पैदा हो जायेंगी और वे तितर-बितर हो जायेंगे। इसीलिए हम इस सारे विधान को ही निकाल देना चाहते थे। *(हर्ष-ध्वनि)* हमने फंडामेंटल राइट्स (बुनियादी अधिकारों) के 17वें खंड में जो हवाला मात्र दे दिया है वह मेरे ख्याल से कानून के अमल में आ जाने पर इसे व्यवस्थित करने में कोई रुकावट नहीं डालता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह खंड कमेटी के पास फिर विचार करने के लिए भेज देने पर कोई सन्धिजनक परिणाम नहीं उत्पन्न होगा। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि जो लोग इस पर भिन्न मत रखते हैं वे इस पर और विचार करें, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि तीनों ही कमेटियां इस विषय पर अपना पूरा ध्यान दे चुकी हैं। मैं तो इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह खंड बिल्कुल निकाल

देना ही सर्वोत्तम होगा। मैं ऐसा विधान बनाने का विरोधी नहीं हूं कि जिन बच्चों के विधि-विहित अभिभावक हैं उन्हें बिना उनके सूचना दिए या जानकारी प्राप्त कराये धर्मान्तरित न किया जाये। इतना ही इस सम्बन्ध में काफी होगा।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** अध्यक्ष महोदय, यह मामला कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। इस विवाद में उत्तेजना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह बात देशभर में महशूर है कि धर्मान्तरकरण सामूहिक रूप में किया जाता है। यही नहीं, जबर्दस्ती, दबाव डालकर, दबाव और अनुचित प्रभाव द्वारा धर्मान्तर किये जाते हैं और हम इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि बच्चे भी धर्मान्तरित किये जाते हैं, मां-बाप के साथ भी और अनाथ होने की अवस्था में भी। अब हमें सभी कारणों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न उन सभी शक्तियों पर जिनके कारण यह धर्मान्तरित किये गए हैं; पर अगर तथ्य स्वीकार किया जायें, तो हमें इस देश में रहना है और राष्ट्र-निर्माण का रास्ता निकालना है। हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वाद-विवाद में गर्मी लाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में क्या करना सर्वोत्तम है, इस पर दृष्टिकोण का अन्तर हो सकता है—विभिन्न सम्प्रदायों में मतभेद होना अवश्यम्भावी है और जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा है इस प्रश्न पर तीन कमेटियों में विचार हो चुका है और फिर भी उसका कोई ऐसा उपाय नहीं निकल सका जो सर्व सम्मत कहा जा सके। हमें एक और प्रयत्न करना चाहिए और इस विवाद को जारी नहीं रखना चाहिए। इससे सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे एडवाइजरी कमेटी के हवाले कर देना चाहिए। हम इसे एक और मौका देंगे।

***अध्यक्ष:** क्या मैं यह समझूं कि सभा इस खंड को आगे विचार करने के लिए एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द करने की इच्छा रखती है?

(खंड एडवाइजरी कमेटी को वापस सौंपा गया।)

खण्ड 18—सांस्कृतिक शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** अब मैं खंड 18 पेश करता हूं—

"(1) हर इकाई के अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की दृष्टि से रक्षा की जायेगी और ऐसे कानून या व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जायेगा जिनसे इन बातों पर विरोधी असर या दबाव पड़े।

(2) कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वह धार्मिकता के आधार पर हो, या सम्प्रदाय अथवा भाषा की दृष्टि से, राष्ट्र की शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश पाने से वंचित नहीं रहेगा। न उन पर कोई धार्मिक-शिक्षा अनिवार्य रूप में लागू की जायेगी।

(3) (क) सभी अल्पसंख्यक, चाहे उनका आधार धर्म, सम्प्रदाय हो या भाषा, किसी भी इकाई में अपनी पसन्द की शिक्षा-संस्था स्थापित करने को स्वतंत्र होंगे।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

(ख) राज्य, शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देते समय, अल्पसंख्यकों की—धर्म, सम्प्रदाय या भाषा पर आधारभूत-शिक्षा-संस्थाओं के प्रति भेदभाव नहीं रखेगा।''

मैं यह प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

*श्री मोहनलाल सक्सेना (संयुक्तप्रांत : जनरल): महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव भी एडवाइजरी कमेटी को वापस सुपुर्द कर दिया जाये जिससे इस पर पुनर्विचार कर लिया जाये और कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि यह कहीं अच्छा होगा यदि यह सारा खंड एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाये।

*अध्यक्षः श्री मोहनलाल सक्सेना का प्रस्ताव है कि इस खंड को भी एडवाइजरी कमेटी के पास पुनर्विचारार्थ वापस भेज दिया जाये।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः अध्यक्ष महोदय, खंड 18 के उपखंड (1) में कहा गया है—

> ''हर इकाई के अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की दृष्टि से रक्षा की जायेगी और ऐसे कानून या व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जायेगा जिससे उसकी इन बातों पर विरोधी असर या दबाव पड़े।''

मैं अपनी बात की व्याख्या करना चाहता हूं। अगर किसी खास इकाई में..

*अध्यक्षः आप तो खंड के गुणों का विवेचन करने जा रहे हैं।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः मैं गुणों का विवेचन करने नहीं जा रहा हूं। मैं तो स्पष्टीकरण चाहता हूं।

*श्री के.एम. मुंशीः मुझे इसमें एक संशोधन पेश करना है।

*अध्यक्षः एक प्रस्ताव श्री मोहनलाल सक्सेना का है। वह चाहते हैं कि खंड कमेटी के पास वापस सुपुर्द कर दिया जाये, अगर वह स्वीकार कर लिया जाता है तो संशोधन पेश करने की जरूरत नहीं रहती।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः मैं नहीं जानता कि खंड कमेटी के पास वापस भेज देने पर भी मेरा स्पष्टीकरण पूरा होगा या नहीं। अगर आप मुझे बोलने की आज्ञा दें....।

*अध्यक्षः अगर सभा उस खंड को कमेटी के हवाले किये देती है तो इस पर वाद-विवाद से कोई विशेष लाभ न होगा।

*श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः यदि सभा यह निश्चय करती है कि यह संशोधन वापस कमेटी के हवाले कर दिया जायेगा, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं।

*श्री के.एम. मुंशीः यदि श्री मोहनलाल सक्सेना का सुझाव स्वीकार कर लिया

जाता है तो क्या संशोधन पेश करने की जरूरत रह जाती है? यदि वह स्वीकार किया जाता है तो कोई संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

***आचार्य जे.बी. कृपलानी** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): यदि बहस के बाद हम देखें कि इसमें गम्भीर कठिनाइयां हैं तो खंड को एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेजा जा सकता है। यदि गम्भीर कठिनाइयां नहीं हैं और सभा क्रियात्मक रूप में एकमत है तो हम इस पर आगे विचार कर सकते हैं।

***माननीय सदस्यः** यह ठीक है।

***अध्यक्षः** तो मैं समझता हूं कि सभा इस खंड पर बहस करना चाहती है। संशोधन पेश किये जायेंगे। श्री मोहनलाल सक्सेना का सुझाव हम बाद में ले सकते हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** मेरा प्रस्ताव है कि खंड 18 का उप-खंड (2) एडवाइजरी कमेटी को वापस सुपुर्द कर दिया जाये। बहुत-से सदस्यों का यह सामान्य मत था कि जो बहसें हुई हैं, उनके आधार पर उस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

***अध्यक्षः** और संशोधन की सूचना भी मुझे मिली है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने संशोधन पेश करें।

***श्री वी.सी. केशव राव** (मद्रास : जनरल): मैं अपना संशोधन नहीं पेश करूंगा। (अतिरिक्त सूची नं. 2 का नं. 76वां संशोधन)

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): इस संशोधन को देखते हुए कि उप-खंड (2) एडवाइजरी कमेटी को वापस सुपुर्द कर दिया जाये, मैं अपना संशोधन पेश करने का कोई उद्देश्य नहीं देखता और मैं इसे नहीं पेश करना चाहता।

***श्री के. सन्तानम्ः** मैं अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। (अतिरिक्त सूची 2 का संशोधन नं. 78)

***श्री फूलसिंहः** मैं अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। (अतिरिक्त सूची नं. 2 का संशोधन नं. 80)

श्री अलगूराय शास्त्रीः मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जीः** श्री मुंशी ने जो आश्वासन दिया है, उसे देखते हुए मैं सूची के नं. 82 का संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं।

***माननीय श्री जगजीवन रामः** मैं अपना संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं। (अतिरिक्त सूची नं. 2 का संशोधन नं. 83)

***श्री आर.के. सिधवाः** मेरा संशोधन अर्थात् नं. 84, एक नया ही खंड है। वह बाद में लिया जा सकता है।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्तः** संशोधन सं. 85 नये खंड रखना चाहता है। यह बाद में लिया जा सकता है।

***अध्यक्षः** जिन संशोधनों की सूचना मुझे मिली थी, वे समाप्त हो गये, वह पेश नहीं किये गये।

श्री मुंशी का संशोधन और खंड दोनों ही अब बहस के लिए खुल गये हैं। एक सुझाव यह है कि सारा खंड ही वापस सुपुर्द कर दिया जाये और संशोधन यह है कि केवल खंड नं. (2) वापस किया जाये।

***श्री महावीर त्यागीः** महाशय, मैं श्री मोहनलाल सक्सेना के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। उन्होंने सिर्फ प्रस्ताव किया है कि यह खंड वापस एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया जाये। मेरी समझ में इस खंड को हम हल्के रूप में ले रहे हैं। हो सकता है कि इस प्रकार के मामलों में—अर्थात् सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी मामलों की व्याख्या वहीं तक हो सकती है, जहां तक उनका व्यक्तिगत रूप है और अल्पसंख्यकों का सवाल भावी सरकार के लिए छोड़ देना अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि हम अपनी भावी सरकार का हाथ बहुत अधिक बांध दे रहे हैं। हमें उन्हें इतनी स्वतंत्रता तो दे देनी चाहिये कि वह आने वाले समय और परिस्थिति के अनुसार काम कर सकें।

महाशय, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा की सुविधाएं दिये जाने का सवाल ऐसा है, जिस पर मैं यही राय दूंगा कि भविष्य में ऐसे अवसर आ सकते हैं, जब संघ से सम्बद्ध सरकारों को अन्य इकाइयों से बातचीत करके यह जानने की जरूरत पड़ सकती हैं कि उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का क्या हो रहा है, जो संघ में सम्मिलित नहीं हुए हैं। पर मान लीजिए कि इन इकाइयों की सरकारें जो संघ सरकार से सम्बद्ध हैं इस खंड 18 के अनुसार अल्पसंख्यकों के प्रति किसी नीति से आबद्ध हैं, तो यहां के लोग यह जानने की जरूरत समझेंगे कि इन अल्पसंख्यकों का क्या हो रहा है जो संघ में शामिल होने से इन्कार कर चुके हैं और पाकिस्तान अथवा भारत के और किसी ऐसे हिस्से में हैं, जिन्होंने अपने को पृथक् रूप में संघटित किया है। मेरी राय है कि अल्पसंख्यकों का सवाल यहां आबद्ध न कर उस समय के लिए छोड़ दिया जाये, जब हम यह बात निश्चयपूर्वक जान सकें कि क्या सारा भारत एक इकाई बनने जा रहा है या दो भागों में विभाजित होने। यदि विभाजन होना है तो हमें यह जरूर जानना चाहिए कि अन्य इकाइयों में अल्पसंख्यकों पर क्या बीत रही है। इसलिए सवाल अभी-अभी सुलझा देना आसान नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब मैं यह कहता हूं कि जब तक हम देश का भावी अन्तिम रूप निश्चित रूप में न समझ लें, तब तक इस

सवाल को टाले रखना चाहिए, तो मेरे साथ सारी सभा मेरा समर्थन करेगी और ये इकाइयां अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करने जा रही हैं। इसलिए मैं श्री मोहनलाल सक्सेना के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि खंड को टाल दिया जाये।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त:** अध्यक्ष महाशय, खण्ड 18, उपखण्ड (1) कहता है:

"हर इकाई के अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की दृष्टि से रक्षा की जायेगी और ऐसे कानून या व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जायेगा जिससे उनकी इन बातों पर विरोधी असर या दबाव पड़े।"

मैं अपनी बात समझाऊंगा। मान लीजिये किसी इकाई में विभिन्न सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, अलग-अलग लिपियों का व्यवहार करते हैं, और वह इकाई यह कानून बनाने का प्रयत्न करती है कि लिपि अनेकों के बदले एक होनी चाहिए। मैं यह अनुभव करता हूं कि इकाई के लिए यह जरूरी हो सकता है कि एक लिपि जारी और घोषित करने का कानून बनाया जाये जिससे स्वयं इकाई को लाभ हो सके। अब अगर बुनियादी अधिकार का कानून उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देता, तो मेरे ख्याल में इकाई के हित में हानि पहुंचेगी। मैं यह नहीं कह सकता कि खण्ड की भाषा क्या हो जिसके अनुसार ऐसा कानून विघोषित किया जायेगा जिससे एक लिपि द्वारा इकाई के सभी लोगों का हित हो सके। मेरी राय में यह मामला भी फंडामेन्टल राइट्स सब-कमेटी (बुनियादी अधिकार उप-समिति) को दे देना चाहिए, क्योंकि यह बुनियादी चीज है। अल्पसंख्यकों को अधिकार होना चाहिए; पर साथ ही इकाई को भी ऐसा अधिकार होना चाहिए; कि वह ऐसा कानून घोषित कर सके कि सारे प्रान्त के लिए एक लिपि होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले पर फंडामेन्टल राइट्स सब-कमेटी (बुनियादी अधिकार उप समिति) द्वारा विचार किया जाना चाहिए या सरदार जी द्वारा।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान खण्ड 18 के उपखंड (2) की ओर खींचना चाहता हूं जो इस प्रकार है:

चाहे धार्मिक आधार पर परिगणित अल्पसंख्यक हों या साम्प्रदायिक अथवा भाषा-भेद के ऊपर; या उसके राज्य की शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं में प्रवेश पाने में कोई भेदभाव नहीं होगा न उस पर कोई धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लादी जायेगी। इस खण्ड में धार्मिक शिक्षा का हवाला दिया गया है। खण्ड 16, भी धार्मिक शिक्षायें अनिवार्य रूप से भाग लेने का हवाला है जो इस समादरणीय सभा द्वारा एडवाइजरी कमेटी को सौंपा जा चुका है जो उस पर विचार करेगी।

महाशय, मेरा निवेदन हैं कि इस खण्ड के अन्य उपखण्ड भी वैसे निरीह कठिनाईहीन नहीं हैं जैसे ऊपर से मालूम होते हैं।

उदाहरण के लिए उपखण्ड (1) को लीजिए जो लिपियों के बारे में हैं। कुछ

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

लोगों ने आसामी भाषा और लिपि सीखी है; पर हाल में उन पर रोमन लिपि लादी गयी है और अब उनमें से बहुत से हिन्दी-लिपि (देवनागरी) अपनाने को तैयार हैं। यदि उपखण्ड ज्यों का त्यों रहा तो वे इसे अपना न सकेंगे।

फिर उपखंड 3 (ख) को लीजिए, यदि यह ज्यों का त्यों रहता है तो वह समुचित सहायता के विभाजन में गम्भीर हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर मेरा ख्याल है कि उपखण्डों को इकट्ठे निबटाने के बदले यह अधिक बुद्धिमानी होगी कि पूरा खण्ड 18 एडवाइजरी कमेटी (परामर्श समिति) को सौंप दिया जाये।

***श्री राजकृष्ण बोस** (उड़ीसा : जनरल): मेरा सुझाव है कि सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित और श्री मुंशी द्वारा समर्थित खंड 18 इसी समय विचार के लिए ले लेना चाहिए और सभा को उस पर फैसला कर लेना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के खण्डों को एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द करने की बात जोर पकड़ गयी है और यहां कोई फैसला न करने का निश्चय-सा हो गया है। पर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यह खंड कमेटी से पास होने के पहले दो कमेटियों से पास हो चुके हैं, अर्थात् माइनोरिटीज राइट्स सब-कमेटी (नाबालिग अधिकार उप-समिति) और फंडामेन्टल राइट्स सब-कमेटी (बुनियादी अधिकार उप-समिति) द्वारा। जिस खंड 18 पर हम इस समय विचार कर रहे हैं वह इतना सीधा और हानि-रहित है कि वास्तव में इसे फिर एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेजने की जरूरत ही नहीं है। इससे तीन सब-कमेटियां (उप-समितियां) सम्बद्ध हैं— एक तो भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के सम्बन्ध में है और जिसमें कहा गया है कि ऐसे विधान नहीं बनाये जाने चाहिए जिससे इन पर दबाव या विरोधी प्रभाव पड़े। यदि हम श्री दत्त के कथनानुसार सारे भारत में एक लिपि बनाना चाहते हैं, तो इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और जो भी इकाई सामान्य लिपि सारी इकाइयों के लिए रखना चाहती है, उसे उपखंड के रखने पर कठिनाइयों का सामना करना होगा

मेरा विरोध इस बात पर है कि मैं उपखंड को ज्यों का त्यों रखे जाने के पक्ष में हूं क्योंकि अगर आज आप भाषाओं या लिपियों के नष्ट करने का सवाल उठाते हैं और ऐसे समय पर अब आप स्वतंत्र भारत का पहला ही विधान बना रहे हैं, तो इससे कितनी ही उलझनें, कठिनाइयां और गलतफहमियां हो सकती हैं और ऐसे समय पर जबकि हम कितनी ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, हमें नहीं कठिनाई को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें पहला उपखण्ड ज्यों का त्यों रखना चाहिए उसके बाद उपखंड 3 (क) इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> ''कोई भी अल्पसंख्यक जाति चाहे वह धर्म, सम्प्रदाय का आधार रखती हो या भाषा का, किसी भी इकाई में अपनी पसन्द की शिक्षा संस्था स्थापित और संचालित कर सकती है।''

महाशय, यह ऐसा अधिकार है जिसे कोई भी देश अपहृत नहीं कर सकता और न उसे करना ही चाहिए और सभी विधानों को अल्पसंख्यकों का यह अधिकार स्वीकार कर लेना चाहिए। यह एक ऐसी आसान बात है कि इसे फिर एडवाइजरी कमेटी के पास सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। उपखंड (3) (ख) इस प्रकार पढ़ा जाता है:

''राज्य स्कूलों को सहायता देते समय अल्पसंख्यकों द्वारा व्यवस्थित शिक्षा-संस्थाओं के प्रति कोई भेदभाव न करेगा चाहे वह (अल्पसंख्यक) धर्म के आधार पर बने हों या सम्प्रदाय अथवा भाषा के।''

यह सवाल भी बहुत सरल है। यदि कोई अल्पसंख्यक जाति अथवा स्कूल किसी इकाई या संघ के भाग में खोलना चाहती है, तो निश्चय ही आप उसे रोकने नहीं जा रहे हैं; न ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जिनसे वे इस साधारण अधिकार से वंचित हो जायें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का दावा एक स्वांग मात्र रह जायेगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि ऐसे आसान खंड अर्थात् खंड 18 अपने सभी उपखंडों के साथ एडवाइजरी कमेटी को वापस सुपुर्द क्यों किया जाये। अवश्य ही सदस्यों में से एक महाशय ने ऐसी आपत्ति खड़ी की है कि अल्पसंख्यकों सम्बन्धी मामलों का विचार तब तक के लिये टाल देना चाहिए जब तक कि हमें इसके बारे में पाकिस्तानियों के विचार न मालूम हो जायें और हम यह न देख लें कि वे अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को क्या-क्या अधिकार दे रहे हैं। महाशय, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि आज जो मुस्लिम लीगी की तरह भारत की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं और उसमें विलम्ब करने की चाले चलते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाने तक के लिए हमारे कार्य रुके रहें या उनके फैसले तक हम रुके रहें, तब तो हमें अनिश्चित काल तक रुके रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर वे इन बातों का फैसला करने में जून सन् 1948 ई. तक का समय गुजार दें, तो क्या हमें ऐसे साधारण और सीधी बात पर अपना निश्चय टालना चाहिए? मेरा ख्याल है कि यह तो हमारे लिए एक मूर्खता की बात है कि ऐसे मामलों में अपना फैसला टालते रहें। इसलिए सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित और श्री मुंशी द्वारा संशोधित खंड 18 सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इन संशोधनों से,—श्री मुंशी तथा श्री त्यागी दोनों ही के संशोधनों से—बहुत आश्चर्य में हूं। मेरी अर्ज है कि इन लोगों ने कोई कारण नहीं बताया है, कि यह 18वां खंड कमेटी के विचार के लिए क्यों वापस भेजा जाये। इस प्रस्ताव की पुष्टि का एकमात्र कारण, किसी के ख्याल में आ सकता है, यही है कि अल्पसंख्यकों

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

के अधिकार परस्पर सम्बन्धित (रिलेटिव) होने चाहिएं अर्थात् हिंदुस्तान के इलाके में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार हम देना चाहते हैं, उनका निश्चय करने से पहले, हमें रुककर देख लेना चाहिए कि 'पाकिस्तान असेम्बली (परिषद्)' द्वारा अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिये जाते हैं। श्रीमान्, सविनय अर्ज है कि मैं इस प्रकार के विचार का समर्थन नहीं कर सकता। अल्पसंख्यकों के अधिकार, पूर्ण अधिकार होने चाहिएं। वे इस प्रकार के किसी विचार के आधीन न रहने चाहिएं कि दूसरा पक्ष अपने अधिकार-क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के लिए क्या करने जा रहा है। यदि हमें मालूम हो कि दूसरे राज्य के इलाके के किन्हीं अल्पसंख्यकों का, जिनमें हमारी दिलचस्पी है, वही अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, जो हमने अपने इलाके में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये हैं, तो राज्य इस मामले की बात अपने दूत के द्वारा उठा सकता है और गलती दूर करा सकता है। किन्तु मेरा ख्याल है कि इसकी परवाह न करते हुए कि दूसरे क्या करते हैं, हमें वही करना चाहिए जो हमें अपनी समझ से उचित प्रतीत हो और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि खंड 18 में जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया हैं, वे ऐसे अधिकार हैं कि जिनको बिना किसी बात का ख्याल किए प्रत्येक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय पाने का दावा कर सकता है। इनमें हमने जो पहला अधिकार दिया है, वह उनका अपनी भाषा, अपनी लिपि अपनी संस्कृति के प्रयोग का अधिकार है। हमने स्पष्ट कह दिया है कि राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के मामले में, "धर्म, भाषा, आदि के आधार पर कोई भेदभाव न बरता जायेगा"। हमने कहा है कि "किसी अल्पसंख्यक समुदाय के अपने इच्छानुसार कोई भी शिक्षा-संस्था स्थापित करने का कोई रुकावट न होगी"। उसमें यह भी व्यवस्था शामिल है कि जब कभी भी, राज्य, अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों या अन्य शिक्षा-संस्थाओं को (आर्थिक) सहायता देने का निश्चय करेगा, तो ऐसी सहायता प्रदान करने में धर्म, सम्प्रदाय या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न रखा जायेगा। श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि 18वें खंड में उल्लिखित इन अधिकारों पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कुछ भी हो, इस क्लाज को कमेटी के विचार के लिए वापस भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसे कोई तर्क पेश नहीं किये हैं जिनसे यह समझा जाये कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को दिये जाने के लिए ये अधिकार अधिक हैं अथवा वे अल्पसंख्यकों को प्राप्त ही न होने चाहियें। अतएव मुझे यह बहुत ही खेदजनक प्रतीत होता है कि इन अधिकारों की व्यवस्था प्रस्तुत करने वाली तीन कमेटियों का परिश्रम यों ही बेकार चला जाये, केवल इसलिए कि कुछ कारणों से लोग इस मामले को कमेटी के विचारार्थ वापस करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र श्री मुंशी को, उपखंड (2) के वर्तमान स्वरूप पर आपत्ति है; किन्तु यदि इस उपखंड को कमेटी के विचारार्थ वापस भेजना आवश्यक हो, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी। यह उपखंड इसलिए कमेटी के विचारार्थ वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमने उसका विषय राज्य की शिक्षा-संस्थाओं तक के लिए ही सीमित रखा है और उन शिक्षा-संस्थाओं के लिए कुछ

नहीं कहा, जो राज्य से केवल आर्थिक सहायता प्राप्त करती हों। यदि इस बात को और स्पष्ट कराने की आवश्यकता है, तो यह विषय वापस भेजा जा सकता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि हम किन्हीं कारणों से उप-खंड (2) को कमेटी के विचारार्थ वापस करना चाहते हैं, तो वही कारण बताकर पूरा खंड ही (18वां) कमेटी को वापस भेज दिया जाये। इसलिए मेरी अर्ज है कि उपखंड (2) को छोड़कर, शेष-खंड अपने वर्तमान रूप में स्वीकार किया जाये और यदि आवश्यक हो, तो उपखंड (2) कमेटी के विचार के लिए वापस भेज दिया जाये।

*श्री लक्ष्मीनारायण साहू: महाशय, जब मैं कुछ समय पहले बोल रहा था तो मैंने कहा था कि मैं बुनियादी अधिकारों के खंड 18 का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पहला ही समय होगा जब अल्पसंख्यक इस बात से प्रसन्न होंगे कि उन्हें कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त हुए हैं। मैं इस सवाल पर बोल रहा था कि अल्पसंख्यक कहा किसको जायेगा जिसके बारे में मुझे अपने सन्देह हैं। पर मुझे आशा है कि आगे के वाद-विवाद में वह स्पष्ट हो जायेंगे। पर किस रूप में यह खंड है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि मिदनापुर जिले में उड़ियों की आबादी बहुत अधिक खंडित कर दी गई है—यहां तक कि आज हम मर्दुमशुमारी में वहां उड़ियों का नामोल्लेख तक नहीं पाते। सन् 1891 ई. में वहां उड़ियों की संख्या 6 लाख थी, सन् 1901 ई. में तीन लाख हुई और सन् 1911 ई. में वह दो लाख से भी कम हो गई। सन् 1921 ई. में वह घटकर 1 लाख 40 हजार हो गई और सन् 1931 ई. में तो वह 45,000 पर पहुंच गई।

उड़ीसा के दक्षिणी भाग में भी यही हुआ है। उत्कल यूनियन कान्फ्रेंस ने 40 वर्ष से भी अधिक समय से उड़ीसा को पृथक् प्रान्त बनाने का आन्दोलन किया था तो केवल इसलिए कि उसे अपने अल्पसंख्यक अधिकार मिल जायें, क्योंकि अल्पसंख्यक रूप में दूसरे प्रान्तों में सम्मिलित रहने में उनकी रक्षा नहीं थी; और जब उन्हें पृथक् प्रान्त मिला तो वे बड़े प्रसन्न हुए थे कि अब उन्हें कुछ निश्चित अधिकार मिल गये। अब प्रश्न भाषा का उठ खड़ा हुआ। उड़ीसा के छ: जिलों में केवल एक ही ऐसा है गंजाम जिसमें भाषा-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां हैं। सन् 1906 ई. का 'विजगापटम जिला गजेटियर' लिखता है:

> 'इस जिले की भाषा सचमुच एक आफत है। गंजाम में 1000 पीछे 940 मनुष्य पर में अपनी तेलगु भाषा बोलते हैं, 14 मनुष्य उड़िया बोल लेते हैं, 9 खोंद, गुदाबा और 5 हिन्दुस्तानी। पर इतनी ही संख्या (1000) के पीछे एजेन्सी में 461 व्यक्ति उड़िया, 204 खोंद, 180 तेलगु, 56 सवारा, पोरोजा, 23 गदाका, 11 कोया, 3 हिन्दुस्तानी, 3 गोंडी और 5 लवादी, बस्तरी, हिन्दी छत्तीसगढ़ी आदि।'

हमारे प्रान्त में भाषा-सम्बन्धी कठिनाई का अनुभव इसलिए किया गया कि कुछ निवासी आन्ध्र हैं और वह इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके बच्चों

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

को उन्हीं की मातृभाषा के माध्यम द्वारा कॉलेज तक की शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसका स्पष्ट निर्णय होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस प्रकार के खंड द्वारा यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और हमारी संस्कृति इन जगहों में अक्षुण्ण रहेगी जहां उड़िया अपने प्रान्त के बाहर रह जायेंगे, और इसी प्रकार इन अन्य लोगों की संस्कृति भी जो उड़ीसा में रह जायेंगे, ठीक तौर पर सुरक्षित रहेगी। पर मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त की भाषा क्या होगी और इन विभिन्न आदिम निवासियों की भाषा क्या होगी जो प्रान्त में बसते हैं। मैं कह चुका हूं कि आदिम वासी कितनी ही बोलियां बोलते हैं। कुछ आदिवासी कार्यकर्त्ताओं का दावा है कि इनकी भाषा का समादर होना चाहिए। उड़ीसा में अगर हम प्रत्येक भाषा का समादर करने लगें तो प्रान्तीय सरकार के लिए शासन चलाना बहुत कठिन हो जायेगा।

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त, जिन्हें इकाइयां ही सुलझा सकती हैं, मैं इस खंड 18 का स्वागत करता हूं जो हमारे सांस्कृतिक एवं शिक्षा-सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करता है।

***अध्यक्षः** हमारे पास दो संशोधन हैं, जिनमें एक श्री मोहनलाल सक्सेना का है।

***श्री मोहनलाल सक्सेनाः** महाशय मैं अपना संशोधन वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

(संशोधन सभा की आज्ञा से वापस ले लिया गया।)

***अध्यक्षः** अब श्री मुंशी का वह संशोधन है जिसके द्वारा उपखंड (2) को कमेटी को वापस सुपुर्द कर देने का प्रस्ताव किया गया है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधित खंड सभा के सम्मुख रखता हूं जिसमें उपखंड (2) और उपखंड (1) तथा उपखंड (3) (क) और (ख) भी सम्मिलित हैं।

संशोधित खंड स्वीकार हुआ।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि साढ़े बारह के करीब बज चुके हैं, इसलिए आज काम बन्द किया जाये और कल सुबह 9 बजे फिर बैठक हो।

तब असेम्बली (परिषद्) शुक्रवार 2 मई सन् 1947 ई. के सुबह 9 बजे के लिए स्थगित हुई।

अंक 3
संख्या 5

शुक्रवार
2 मई
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ
1. मौलिक अधिकारों पर वाद-विवाद 1

भारतीय विधान-परिषद्

शुक्रवार, 2 मई, सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में 9 बजे माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई।

***अध्यक्षः** मौलिक अधिकारों के अवशिष्ट खण्डों पर हम पुनः वाद-विवाद प्रारम्भ करेंगे। खण्ड 19।

मौलिक अधिकारों पर वाद-विवाद

खण्ड 19—विविध अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): मैं खण्ड 19 पेश करता हूं जो इस प्रकार है:—

> ''किसी व्यक्ति या कार्पोरेशन की कोई चल या अचल सम्पत्ति जिसमें किसी व्यावसायिक या औद्योगिक कारोबार में उनका हिस्सा भी शामिल है, सार्वजनिक काम के लिये तब तक न ली जायेगी और न उस पर अधिकार किया जायेगा जब तक कि ली हुई या अधिकृत सम्पत्ति के लिए कानून में मुआवजा देने की व्यवस्था न हो और उसमें यह स्पष्ट न कर दिया गया हो कि मुआवजा किन सिद्धान्तों के अनुसार और किस तरीके से तय किया जायेगा।''

मैं इस प्रस्ताव में कोई संशोधन पेश होने की आशा नहीं रखता; पर यदि कुछ हो तो उन पर समय आने पर विचार किया जायेगा।

(संशोधन नं. 86 और 87 पेश नहीं किये गये।)

***राजा जगन्नाथ बख्श सिंह** (संयुक्तप्रांत : जनरल): मैं संशोधन नं 88 नहीं पेश करूंगा, महाशय, आपके आदेश से मैं संशोधन नं 59 पेश करूंगा। मेरा प्रस्ताव है:—

> ''खण्ड 19 में 'मुआवजा' के पहले 'उचित' शब्द जोड़ दिया जाये।''

मैं मौलिक अधिकारों को निर्धारित करने के कठिन और पेचीदे कार्य में परिश्रम करने के लिए एडवाइजरी कमेटी को बधाई देता हूं। खण्ड 19 में कहा गया है कि:

> ''किसी व्यक्ति या कार्पोरेशन की कोई चल या अचल सम्पत्ति, जिसमें किसी व्यावसायिक या औद्योगिक कारोबार में उनका हिस्सा भी शामिल है, सार्वजनिक काम के लिये तब तक न ली जायेगी और न उस पर अधिकार किया जायेगा जब तक कि ली हुई या अधिकृत सम्पत्ति के लिए कानून में मुआवजा देने की व्यवस्था न हो।''

मुझे इस सम्बन्ध में सन्देह नहीं है कि एडवाइजरी कमेटी के मस्तिष्क में यह

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[राजा जगन्नाथ बख्श सिंह]

बात थी कि जब कभी कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति लेनी हो तो मुआवजे की अदायगी, और वह भी उचित मुआवजे की अदायगी, के बाद ही ऐसा करना चाहिए। पर मेरा ख्याल है कि 'उचित' शब्द उस वाक्य में जोड़े बिना खण्ड का मतलब कुछ अस्पष्ट ही रह जायेगा।

फिर मेरे कथन के समर्थन में अनेक उदाहरण मौजूद हैं। मेरा विश्वास है कि एडवाइजरी कमेटी की दृष्टि में मौलिक अधिकारों की रूप-रेखा निश्चित करते समय अमेरिकन विधान था। एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है:

> ''इन अधिकारों को न्याय्य बनाने के लिए जो विधान बनाये गये हैं उनको हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। कुछ मामलों में 'नागरिक की सुरक्षा का अधिकार' अमेरिकन विधान की विशेषता है और यह आधुनिकतम प्रजातंत्रीय विधान है।''

यदि आप सन् 1791 ई. के अमेरिकन विधान के पांचवें नियम को देखें तो उसकी अन्तिम दो पंक्तियां इस प्रकार पायेंगे:—

> ''.........न निजी सम्पत्ति बिना उचित मुआवजा अदा किये सार्वजनिक उपयोग में लायी जायेगी।।''

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकन विधान 'उचित' शब्द पर विशेष जोर देता है और इसे मुआवजे का विशेषण बना देता है। महाशय, इसके बाद यदि हम डांज़िग के विधान पर दृष्टिपात करें और उसकी तीसरी माला (सीरीज) पर नजर डालते हुए वैधानिक नजीरों के पृष्ठ 69 को पढ़ें, तो आप देखेंगे:

> ''सम्पत्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे, किसी की जायदाद कानून की व्यवस्था के अनुसार ही ली जा सकेगी और वह भी सारे समाज के हित के लिए और उसके बदले में उचित मुआवजे की रकम दी जायेगी। यदि मुआवजे की रकम के बारे में कोई झगड़ा हो जाये, तो न्यायालय का आश्रय लिया जा सकता है।''

इसके अतिरिक्त यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक और विधान उद्धृत करूं— अर्थात् आस्ट्रेलिया का। आप देखेंगे कि आस्ट्रेलियन उपनिवेश के विधान की धारा 51 में यह व्यवस्था सम्मिलित है:—

> ''किसी व्यक्ति या राज्य की सम्पत्ति की उचित शर्तों के अनुसार अभिप्राप्ति जिसके बारे में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है।''

मैं सभा का समय अन्य देशों के विधान बनाने में न लगाऊंगा; पर मैं यह कह सकता हूं कि सभा को बेलजियम, बलगारिया, डेन्मार्क, फिनलैंड, अलबानिया और युगोस्लाविया के विधानों में अधिकांश में 'मुआवजे' के पहले उसका विशेषण— 'उचित' लगा हुआ मिलेगा; कुछ विधानों में इससे मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां तक नजीरों का सम्बन्ध है मेरे प्रस्ताव को अनेक समर्थन प्राप्त हो सकते हैं मेरे ख्याल में सभा के सामने संशोधन

के समर्थन में सभी तर्कों को पेश करना अनावश्यक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभा के पास समय की कमी है। इसलिए इन शब्दों के साथ ही मैं अपना संशोध न सभा की स्वीकृति के लिए पेश करता हूं।

प्रो. के.टी. शाह (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने खंड 19 में एक संशोधन पेश करने की सूचना दे रखी है:—

''शर्त यह होगी कि व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति का अधिकार नदी, बहते पानी, समुद्र तटवर्ती जल, खानें और खनिज पदार्थ पर या जंगल जैसी प्राकृतिक सम्पत्ति पर नहीं होगा।''

पर चूंकि इससे कई पेचीदे सवाल उठते हैं इसलिये मैं इसे पेश न करके यह सलाह देता हूं कि यह एडवाइजरी कमेटी को वापस भेज दिया जाये।

***अध्यक्ष:** क्या यह संशोधन पेश करते हैं?

***प्रो. के.टी. शाह:** नहीं, महाशय।

***अध्यक्ष:** इस खंड में केवल एक संशोधन है। खंड और संशोधन दोनों ही वाद-विवाद के लिए पेश हैं।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के माननीय प्रस्तावक के इस खंड का समर्थन करने के लिए मैं उठा हूं। यह वह खंड जो जमीन जोतने वालो को कुछ आशा देता है। यह खंड देश के निवासियों से यह प्रतिज्ञा करता है कि संघ-सरकार या प्रदेशों की सरकारें सार्वजनिक हित के लिए भूमि तथा अन्य सम्पत्तियां, व्यक्तियों, कारपोरेशनों, औद्योगिक तथा व्यापारिक कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से प्राप्त करने जा रही हैं, और यह कि जब वे ऐसा करेंगी तो वह उनको मुआवजा भी अदा करेंगी। महाशय, यह मुआवजा किस तरह दिया जायेगा? इस मामले को सुलझाने में कठिनाइयां हैं। मैं चाहता हूं कि मुआवजा देने में हम न्याय करें। अब सवाल यह उठता है कि उचित मुआवजा क्या है? महाशय, मेरे विचार में जब हम किसी जमींदार की जमीन लें तो उसे उतना मुआवजा न दें जितना वह चाहता हो—हमें उतनी ही मुआवजे की रकम देनी चाहिए जितनी उसकी और उसके परिवार की एक या दो पीढ़ी तक के गुजर-बसर के लिए समुचित हो। कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा में जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति के लिए यह करना आवश्यक होगा। मेरा निवेदन हैं कि उचित मुआवजे के बारे में सरकार मेरी व्याख्या स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए अगर किसी गरीब आदमी की जमीन किसी खास मतलब के लिए ले ली जाती है तो उसे हर्जाना देते समय इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि वह उस खास अवस्था में पर्याप्त है। ऐसी अवस्था में सरकार उसे जमीन, का दाम या कुछ और भी दे दे। पर जब सरकार जमींदार से जमीन लेती हैं तो उसे ठीक बाजार भाव से हर्जाना देने की जरूरत नहीं है। आपको मुआवजे का निश्चय करते समय यह भी ध्यान में रखना

[श्री एस. नागप्पा]

पड़ेगा कि जमींदार ने यह जायदाद प्राप्त कैसे की है। श्रीमान्, यही मेरा विचार है।

महाशय, मेरा निवेदन है कि जब आप जमीन ले लेंगे तो आपको खेत जोतने वाले को भू-स्वामी बनाना पड़ेगा तभी हम किसानों को कुछ प्रोत्साहन दे सकेंगे और उन्हें पैदावार तथा देश के गुजारे के लिए राष्ट्रीय धन बढ़ाने में मदद दे सकेंगे। मुझे आशा है कि यह खण्ड उन प्रान्तों के मार्ग में बाधक सिद्ध न होगा जो जमीन का कानून बनाने में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, आन्ध्र देश के हमारे सम्माननीय नेता श्री टी. प्रकाशम्, मद्रास प्रान्त में जमींदारी प्रथा तोड़ने के लिए बहुत-कुछ कर चुके हैं और मद्रास सरकार इसके लिए कानून बनाने में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक बार जमींदारी नष्ट होने पर और सरकार द्वारा भू-सम्पत्ति ले ली जाने पर उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस सम्पत्ति का सदुपयोग करने का प्रयत्न करे। सरकार को चकबन्दी की व्यवस्था करनी होगी, और इस प्रणाली द्वारा अधिकाधिक पैदावार की जायेगी और खेत जोतने वाले को अपने परिश्रम का पूरा बदला मिलेगा। यह विशेष खण्ड देश के गरीब किसानों को यह आशाएं प्रदान करता है।

महाशय, जहां तक उद्योग-धन्धों का सम्बन्ध है, मैं मद्रास व्यवस्थापिका सभा में लगातार यह मांग करता आया हूं कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसका मतलब यह नहीं हआ कि हमें निजी संस्थाओं को उद्योग-धन्धों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। औद्योगिक दृष्टि से हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हमें शीघ्र आगे बढ़ना है तो हमें अपने उद्योग-धन्धों को सहायता देने और उन्हें जितनी जल्दी सम्भव हो राष्ट्रीयकरण योजना में लाने की जरूरत है। जब निजी उद्योग-धन्धों का पूरा विकास हो जायेगा और जब देश यह समझने लगेगा कि अमुक धन्धा जनहित के लिए सरकार द्वारा हस्तगत कर लिया जाना चाहिए, तो उसके बदले में उचित मुआवजे की रकम अवश्य दी जाये। ऐसे मामलों में यदि हम उन लोगों को इतना धन दें जिस पर वे निर्भर हो सकें, तो वह उचित मुआवजा ही होगा। इस सम्बन्ध में 'उचित' का भावार्थ मैं यही करता हूं।

महाशय, जमींदारी नष्ट करने और उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कानून बनाते समय हमें यह दो मुख्य बातें ध्यान में रखनी होंगी।

मैं एक बार फिर माननीय प्रस्तावक को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों को ध्यान में रखा, जो अपने परिश्रम के परिणाम का उचित भाग प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वभावत: यह आशा थी कि हम समाजीकरण की ओर कुछ प्रगति करेंगे, खासकर जब हमें

कुछ ही महीनों में स्वतंत्रता मिलने जा रही है। किन्तु इन मौलिक अधिकारों में समाजीकरण के बारे में कुछ भी नहीं रखा गया है। मुझे उस समय प्रसन्नता होती जब श्री के.टी. शाह का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता, क्योंकि उसमें समाजीकरण का तत्व था। मैं अनुभव करता हूं कि भारत जैसे देश में, जहां इतनी अधिक दरिद्रता है, जहां मजदूरों और किसानों की दशा ऐसी दयनीय है, समाजीकरण के अतिरिक्त और कोई चीज भावी सुधार की आशा नहीं दे सकती है। इसलिए अगर सभा प्रोफेसर शाह का संशोधन स्वीकार कर लेती तो मैं बहुत प्रसन्न होता। पर मैं जानता हूं कि इस समय हमारे सामने क्या कठिनाइयां हैं। हम जानते हैं कि यहां कितने हितों का प्रतिनिधित्व हुआ है। यहां हमें देशी राज्यों के मामले पर विचार करना है, एंग्लो-इंडियनों के, ईसाइयों के और कितने और भी लोगों के मामलों पर विचार करना है। वास्तव में हमारे लिए यह बड़े सन्तोष का विषय है कि हमें इतने हितों को सम्मिलित न करने का उपाय मिल गया है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में हम किसी संशोधन के लिए जोर नहीं दे सकते; पर मुझे अब भी आशा है कि निकट भविष्य में जब भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलेगी तो किसी-न-किसी तरह का समाजीकरण हमें प्राप्त हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं खण्ड को ज्यों-का-त्यों पास करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री अजित प्रसाद जैन** (संयुक्तप्रांत : जनरल): इस खण्ड पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने इस खण्ड को पूर्णत: निकाल देने का संशोधन पेश किया था; पर अब उसका पेश करना अनावश्यक हो गया है, क्योंकि मैं अपने विचार सामान्य वाद-विवाद में भी प्रकट कर सकता हूं। इस खण्ड में भारत-सरकार के सन् 1935 ई. के एक्ट की 299वीं धारा का उद्धरण दिया गया है और उसको कुछ अंश में परिवर्धित कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, सार्वजनिक उपभोग के लिए तब तक न ली जा सकेगी जब तक कानून उसके मुआवजे की अदायगी की व्यवस्था नहीं कर देता। हमें भारत-सरकार की 299वीं धारा को क्रियात्मक रूप में लाने का कुछ अनुभव है। सभा को मालूम होगा कि कई कांग्रेसी प्रान्तों में जमींदारी प्रथा नष्ट करने पर विचार हो रहा है। संयुक्तप्रांत में हमने न्याययुक्त मुआवजा देकर जमींदारी प्रथा तोड़ देने के लिए प्रस्ताव पास कर लिया है। उस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने अपनी उस घोषणा का अनुसरण किया है जो उसके पिछले चुनाव के समय की थी। पर मुआवजे की रकम का हिसाब कैसे लगाया जाये, इसके लिए हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। राज्य की आर्थिक क्षमता का भी सवाल था। यदि हम मुआवजे की रकम ऐसी दर पर निश्चित करते हैं जो सरकार अदा नहीं कर सकती, तब तो जमींदारी प्रथा का अस्तित्व जारी ही रहेगा। हमें यह भी देखना था कि जमींदारों ने भूतकाल में जमींदारी से कितना लाभ उठाया है। जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति का प्रश्न भी इस प्रसंग में आ गया, हमारे प्रान्त में कुछ, जमींदारियों तो प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध (सन् 1857 ई.) में अंग्रेजों की मदद और धोखेबाजी की सहायता

[श्री अजित प्रसाद जैन]

के लिए बनी थीं। हम जमींदारी के बाजार-भाव की भी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इन सभी तथ्यों पर सावधानी के साथ विचार करने के बाद अब हम जमींदारियों की क्षति-पूर्ति की रकम निर्धारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी और जमींदार मुआवजे के शब्द का अर्थ यह लगा रहे हैं कि उन्हें मुआवजे की पूरी रकम अर्थात् जमीन का बाजार-भाव दिया जाये। उनमें से कुछ ने धमकी दी है कि वह 'मुआवजे' शब्द की व्याख्या के लिए फैडरल कोर्ट में जायेंगे। हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि सरकार मुआवजे की पूरी रकम नहीं अदा कर सकती। तब तो हमारे सामने यह बात आ सकती है कि जमींदारी को ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया जाये। जमीन लेने का सवाल दो सूरतों में से कोई सूरत ग्रहण कर सकता है। एक तो एक निश्चित जायदाद का निश्चित उद्देश्य के लिए लिया जाना। ऐसी हालत में तो राज्य न केवल उस जायदाद की पूरी कीमत अदा करेगा, बल्कि कुछ और रकम अनिवार्य रूप में जमीन ले लेने के बदले भी देगा, क्योंकि (भूमि-प्राप्ति-विधान) 'लैंड एक्विजीशन एक्ट' के अनुसार ऐसा ही काम करना पड़ेगा। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां जायदाद एकाकी रूप में नहीं ली जा सकती। यह समाज के हित में, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिये ली जा सकती है। उदाहरण के लिए, सम्भव है कि हमें कारखानों, और राष्ट्रीयकरण के लिए उद्योग-धन्धों पर भी अधिकार करना पड़े। ऐसी दशा में सम्पत्ति समाज के उपयोग के लिए ली जायेगी—उसकी उन्नति और भलाई के निमित्त। इस तरह जायदाद जनता के अधिकांश भाग के हित के लिए ली जाती है और ऐसे मामलों में वह नियम नहीं लागू होगा जो एकाकी जमीन लेने की अवस्था में लागू होता। यह सम्भव है कि राज्य पूरे मुआवजे की रकम न दे सके, वास्तव में ऐसी अवस्थाओं में नाम-मात्र का मुआवजा दिया जा सकता है या बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जा सकता। यह खण्ड अगर वर्तमान रूप में स्वीकार कर लिया गया, तो बड़े पैमाने पर समाज-सुधार या आर्थिक-सुधार के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सकता है। यह उन सभी मामलों पर लागू होगा जहां जायदाद सामाजिक या आर्थिक विकास के लिए ली जा रही है। मेरा इरादा यह नहीं है कि राज्य को डाकू या ठग का काम करना चाहिए और उसे लोगों की जमीन मनमाने ढंग से छीन लेनी चाहिए। पर समाज-सुधार का रूप दूसरा ही होता है। इसीलिए बहुत-से संशोधन, जो पेश नहीं किये गए हैं, उनका उद्देश्य वही था जो मेरा है। मेरी राय में विधान में मौलिक अधिकार इसीलिए सम्मिलित किये गये हैं जिससे निर्बलों और असहायों की रक्षा हो। वर्तमान खण्ड का तो बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे थोड़े से सम्पत्तिशाली श्रेणी के अल्पसंख्यकों की रक्षा होगी और जन-साधारण को सामाजिक न्याय से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस खण्ड के बिल्कुल विरुद्ध हूं और मुझे आशा है कि माननीय प्रस्तावक इसको ध्यान में रखते हुए खण्ड को एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेज देंगे, जिससे आज हम जो विधान पास करें वह इस सामाजिक और आर्थिक सुधार के उन मार्गों में बाधक न सिद्ध हो जो इस देश में समृद्धि और सम्पन्नता

लाने के लए आवश्यक हैं इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपना दृष्टिकोण सभा के विचारार्थ पेश करता हूं।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, यह समझा जा सकता था कि देश की जो वर्तमान आर्थिक अवस्था है उसे देखते हुए जमीन किसी दूसरे ढंग से लेने के बारे में कोई व्यवस्था होगी। पर यह बड़े खेद की बात है कि वर्तमान समय में जबकि विभिन्न व्यवस्थापिका-सभाएं जागीरदारी और जमींदारी प्रथा को नष्ट कर देने का निश्चय कर चुकी हैं और केवल थोड़ा-सा मुआवजा देने या उसे भी न देने की बात सोची जा रही है, वहां इस खंड के द्वारा हमें उन सभी जायदादों के लिए मुआवजा देना होगा जो हम ले लेना चाहते हैं। स्वतन्त्र भारत में जहां हम जायदाद का कानून अधिक नरम और जनहित-साधक बनाना चाहते हैं, वहां हम देखते हैं कि हम इस खण्ड को पास करके उच्च श्रेणी के लोगों को सहायता दे रहे हैं।

महाशय, 'जायदाद' शब्द बहुत ही अस्पष्ट है। जायदाद में सार्वजनिक उपयोगी व्यापार—जैसे इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन आदि सार्वजनिक हित साधन के संगठन भी सम्मिलित हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि कई प्रांतों में सार्वजनिक उपयोग के प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है और मुझे निश्चय है कि बहुत थोड़े समय में प्राय: सभी सार्वजनिक उपयोग के प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण हो जायेगा। वास्तव में नौकरशाही शासन-प्रणाली के अन्तर्गत रेलवे का राष्ट्रीयकरण 'साख' की वह रकम देकर किया गया है जो सम्भवत: समझौते के द्वारा निर्धारित की गई थी। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने जिनके अन्तर्गत बिजली के कारबार चलते हैं उन कारबारों के साथ ऐसा समझौता किया है कि वे उनका व्यापार बिना मुआवजे की कोई रकम दिये भी ले सकते हैं। अगर आप यह खण्ड पास करें तो इसका यह अर्थ होगा कि यद्यपि समझौते में ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी हमें उन सार्वजनिक उपयोग के कारबारों को लेने पर उन्हें मुआवजा देना होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सार्वजनिक उपयोग के कारोबार, जो जनता के उपयोग और आम हित के लिए ही हैं, और जो सभी देशों में अन्तत: सार्वजनिक सम्पत्ति बन जाते हैं, उनमें लगी हुई पूंजी और मुआवजे की रकम अदा करके लिये जाने की बात क्या उचित है, जबकि मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है? महाशय, मैं अनुभव करता हूं कि जहां तक सार्वजनिक उपयोग के कारोबारों का सम्बन्ध है इस खण्ड में संशोधन होना चाहिए था किन्तु महाशय, मैं असमर्थ हूं क्योंकि मैं कोई संशोधन नहीं पेश कर सका। मैं यह चाहता था कि इस खण्ड में संशोधन होना चाहिए था या उसे ऐसी परिस्थितियों में, जिसका मैंने जिक्र किया है, एडवाइजरी कमेटी के पास वापस भेज देना चाहिए। यदि यह खण्ड भेजा नहीं जा रहा है, तो मुझे आशा है कि मेरी बात पर प्रस्तावक विचार करेंगे क्योंकि इससे जन-साधारण के प्रति अन्याय होगा। यद्यपि समझौते में हर्जाने का कोई खण्ड नहीं है फिर भी हम उसे देने की बाध्य होंगे और छोटे प्रान्तों

[श्री आर.के. सिधवा]

में किसी भी कारोबार को उसकी पूंजी और मुआवजा देकर ही लिया जा सकेगा।

***अध्यक्षः** क्या आपका यह मतलब है कि इस खण्ड से समझौते पर प्रभाव पड़ेगा?

***श्री आर.के. सिधवाः** हां महाशय, इस खण्ड के अनुसार कोई भी सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिये तब तक न ली जा सकेगी जब तक कि कानून उसके हर्जाने की अदायगी की व्यवस्था नहीं करता। महाशय, कानून तो इस खण्ड के अनुकूल ही बनेगा और समझौते में इसके बारे में कुछ न होने पर भी ऐसा हुआ तो मुआवजे की मांग की जायेगी।

***अध्यक्षः** समझौते में तो सम्पत्ति की प्राप्ति की व्यवस्था होगी।

***श्री आर.के. सिधवाः** यदि कानून यह व्यवस्था करता है कि हर्जाना अदा करना है और समझौते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तब तो हम बंध जायेंगे। मैं एक सामान्य समझ के आदमी के रूप में यह अनुभव करता हूं कि अगर कोई ऐसा समझौता है, जिसमें मुआवजे के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है और यदि आप मुआवजा देने के लिए एक्ट बना रहे हैं, तो हमसे मुआवजे का दावा किया जायेगा। कानून के विशेषज्ञ इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं, यदि वे ऐसा करें तो मैं उनके विचारों का स्वागत करूंगा। कोई भी सम्पत्ति या जायदाद का मालिक ऐसी अवस्था में उच्चतम न्यायालय की शरण-लेगा और इस खण्ड के अन्तर्गत अपनी मांग की पूर्ति करा सकेगा।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठीः सभापति जी, मैं आपके सामने उस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसे मेरे मित्र राजा जगन्नाथबख्श सिंह ने आपके सामने पेश किया है। राजा जगन्नाथबख्श सिंह ने अपने संशोधन में यह कहा है कि कम्पनसेशन (मुआवजा) शब्द के पहले जस्ट (ठीक) शब्द जोड़ दिया जाये। मैं इसकी बहुत जोर के साथ मुखालफत करना चाहता हूं। जहां तक इस क्लाज (धारा) का सम्बन्ध है इसके शब्द कुछ इस तरह के हैं जिससे मुझे यह अन्देशा है, और मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बहुत से मित्रों को भी यह अन्देशा है कि इसका नतीजा (खास तौर से कानूनी नतीजा) जिस प्रकार देश के हित के लिये होना चाहिये वैसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस क्लाज की भाषा तबदील कर दी जाये ताकि इसका नतीजा देश के हित के खिलाफ न हो, जैसा कि हमें अन्देशा है। मैं अब भी, जिन सज्जनों ने यह क्लाज तैयार किया है, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पर फिर से विचार करें और विचार करके कोई एक नया फार्मूला (नया मसविदा) हमारे सामने रखें। यह ठीक है और मैं आमतौर से इसे मानता हूं कि अगर हम किसी व्यक्ति की सम्पत्ति लेते हैं तो उसका मुआवजा देना जरूरी है। यह भी मैं मानता हूं कि बहुत हालतों में वह मुआवजा

उस सम्पत्ति की कीमत के मुकाबले में होना चाहिये। लेकिन जहां मैं यह मानता हूं तहां साथ ही साथ यह भी मानता हूं कि हमारे लिये यह भी जरूरी है कि हम देखें कि किसी व्यक्ति के पास जो सम्पत्ति है वह उसके पास किस तरह से आई है। अगर न्याय-संगत तरीके से, जस्ट तरीके से, उसके पास वह सम्पत्ति आई है तो उसको हमें मुआवजा कीमत के हिसाब से देना चाहिये। अगर न्यायसंगत तरीके से उसके पास वह सम्पत्ति नहीं आई है या अगर उसने सम्पत्ति से काफी लाभ उठा लिया है तो उसका पूरा मुआवजा देना या उसकी कीमत देना बिल्कुल गलत है। अगर हम आजकल के सामाजिक तरीके को तबदील करना चाहते हैं, अगर हम जमींदारी और पूंजीवाद के तरीके को वाकई तबदील करना चाहते हैं और साथ-ही-साथ यह भी कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे या तो सम्पत्ति राष्ट्र लेगा उसकी पूरी कीमत देगा, तो उसके अर्थ यही होते हैं कि हम सामाजिक तरीकों को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। अगर हमको यह सामाजिक तरीका खत्म करना है और अगर वाकई जिस तरीके से आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सन् 1942 के 8 अगस्त वाले प्रस्ताव में कहा है कि हमें ऐसा विधान बनाना है जिसमें वास्तविक शक्ति क्षेत्रों में और कारखानों में काम करने वालों के हाथ में हो, तो हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि इस क्लाज (धारा) पर हम फिर से विचार करें। अगर यह क्लाज ज्यों-का-त्यों रह जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे उन सिद्धान्तों और एलानों को पूरा करने में, जो हमने अक्सर देश के सामने पेश किये हैं, बेहद दिक्कत होगी। लिहाजा मैं फिर एक बार इस क्लाज (धारा) के बनाने वालों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर जरा विचार करें। अभी हमारे सामने कई प्रान्तों में जमींदारी के खत्म करने का सवाल पेश है। हमारे सामने यह भी सवाल है कि हम उनको कम्पनसेशन (मुआवजा) दें। हम लोगों के सामने तमाम दिक्कतें आ रही हैं। मैं खुद एक ऐसी कमेटी, यू.पी. की जमींदारी एबोलिशन कमेटी, का सदस्य हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमको कीमत के हिसाब से जमींदारी का कम्पेनसेशन (जमीन का मुआवजा) देना पड़ा तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए करीब-करीब असम्भव हो जायेगा कि हम जमींदारी को खत्म कर सकें; और अगर किसी तरीके से सम्भव भी हुआ तो इसका परिणाम यह होगा कि 20 या 25 साल तक किसान लोग उसी तरीके से भार के नीचे दबे रहेंगे, जिस प्रकार आज दबे हुए हैं। आखिर यह मुआवजा आयेगा कहां से? वह तो गरीबों के पास से ही आयेगा। ऐसी दशा में 20 य 25 साल से जो आर्थिक बोझ किसानों पर लदा हुआ है वह उसी तरीके से लदा रहेगा और कोई लाभ 20 या 25 साल तक किसानों को नहीं होगा। इसके अलावा जो बात राजा साहब ने कही है कि जस्ट कम्पेनसेशन (ठीक मुआवजा) दिया जाये, वह बात बेहद भद्दी-सी है। क्या राजा साहब इस बात के लिए तैयार हैं कि जो आमतौर से जमींदारों के हक या अधिकार (Title) हैं उनकी भी परीक्षा की जाये, और यह देखा जाये कि उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके टाइटिल जस्ट (अधिकार ठीक) हैं। अगर वह यह मानने के लिए तैयार हैं तो शायद इस बात पर गौर किया जा सकता है। देश की बहुत-सी ऐसी रियासतें

[श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी]

हैं और खासतौर से अवध में जहां के राजा साहब रहने वाले हैं, जो सन् 1857 ई. में इसलिए दी गई थीं कि उनके पाने वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के हित के खिलाफ कार्य किया। इन रियासतों के पाने वालों के पास पहले कोई रियासतें नहीं थीं और उन्हें अंग्रेजों ने गद्दारी के सिलसिले में यह रियासतें सन् 1857 के बाद दीं। राजा जगन्नाथबख्श सिंह साहब कहते हैं कि वे हिन्दुस्तान के साथ सन् 1857 ई. में आजादी की लड़ाई लड़े। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं यह जरूर चाहूंगा कि उनके साथ जो कुछ भी रिआयतें की जा सकती हैं वह की जायें। राजा साहब को मालूम है कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बहुत-से लोगों ने अपने देशवासियों के साथ द्रोह किया, गद्दारी की और इस सिलसिले में बड़े-बड़े इलाके पाये। ऐसे लोगों को कम्पेनसेशन (मुआवजा) मांगने का कोई हक नहीं है। उनमें ऐसे भी हैं जिन्हें कोई सरकारी मालगुजारी भी नहीं देनी पड़ती है और वह बराबर 90 साल से मुनाफा उठा रहे हैं। वे किसानों से लगान वसूल करते हैं लेकिन उन्हें सरकार को मालगुजारी की एक कौड़ी भी देनी नहीं पड़ी। अगर किसी ने जमींदारी की कीमत दी है तो 10 साल में उसने उसका पांच या छ: गुना वसूल कर लिया है। जमींदारी की जिन्होंने यह रियासतें देश के साथ विद्रोह करके एवज में पाई हैं वे आजकल जस्ट कम्पेनसेशन (ठीक मुआवजा) चाहते हैं। जब तक हम टाइटिल अर्थात् अधिकारों की परीक्षा न करें, उस वक्त तक जस्ट कम्पेनसेशन का कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर जस्ट (ठीक) शब्द न भी रखा जाये तो जैसा क्लाज है उसके भी अर्थ यह लिये जा सकते हैं कि साधारण तौर से हम उन लोगों को कम्पेनसेशन दें, जिनको कोई अधिकार उन रियासतों या जमींदारियों को पाने का नहीं था और जिन्होंने करीब-करीब 90 साल तक लाभ उठाया है, और उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनको मालगुजारी भी नहीं देनी पड़ी। ऐसे लोगों को किसी तरह का कम्पेनसेशन देना बिल्कुल गलत होगा। हां इस धारा में थोड़ी-सी 'सेविंग ग्रेस' (बचाव की सूरत) यह है कि राज्य उन सिद्धान्तों और तरीकों का भी निश्चय करेगा जिसके आधार पर मुआवजा देना चाहिए।

मेरी तो स्पष्ट राय है कि हम उनको कुछ मेनटेनेन्स अलाउन्स (गुजारे) के तौर पर थोड़े वर्षों के लिए दें ताकि वह नई और परिवर्तित आर्थिक व्यवस्था में अपना काम कर सकें और उसमें रह सकें। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। हम यह नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहेगा, कि बहुत से आदमी कल से मुहताज हो जायें, अर्थ-रहित हो जायें और कल के खाने के लिए उनके पास कुछ न रहे। इसीलिए अगर कम्पेनसेशन (मुआवजे) का किसी तरीके से समर्थन किया जा सकता है तो वह उसी आधार पर कि जमींदारों और पूंजीपतियों को कुछ दिनों के लिए मेनटेनेन्स अलाउन्स गुजारे के तौर पर मिलें ताकि वह अपने को नये आर्थिक ढांचे में कायम रख सकें और उन्हें कोई तकलीफ न हो। अगर हम चाहते हैं कि जमींदारी और पूंजीवाद के तरीके को खत्म करें तो मुनासिब है कि कम्पेनसेशन (मुआवजा) सिर्फ कुछ वर्षों के गुजारे के आधार पर ही दिया

जाये। लेकिन मुझे जो भय है, संदेह है, वह यह है कि शायद कानूनी तरीके से इस धारा का ऐसा अर्थ निकाला जाये जिसका नतीजा हो कि हमारी आर्थिक उन्नति आगे के लिए रुक जाये और जिस ओर कांग्रेस और हमारे देश की बड़ी-बड़ी संस्थायें जाना चाहती हैं उधर वह पूरी तौर से न जा सकें। लिहाजा मैं, राजा साहब ने जो संशोधन पेश किया है, उसकी मुखालफत करता हूं और साथ-ही-साथ मैं इस धारा के तैयार करने वाले और अपने सम्मानित मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर फिर से विचार कर लें। अगर इसको इसी तरीके से जल्दी में पास किया गया तो संभव है कि इसका परिणाम भयंकर हो। लिहाजा मैं यह दोनों प्रार्थनायें आपके सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभापति जी और हमारे अन्य मित्र हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

***श्री बी.सी. केशव राव** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस खण्ड का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं; मैं उस पर अपना भी मत प्रकट करना चाहता हूं।

यह खण्ड उन नागरिकों को मुआवजा देने की व्यवस्था करता है जिनकी सम्पत्ति सार्वजनिक उपभोग के लिए ले ली जायेगी। जब राज्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति ले लेता है, तो वह सार्वजनिक हित के लिए ही ऐसा करता है—व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। अगर इस तरह राज्य द्वारा सम्पत्ति लिये जाने पर उसका स्वामी उससे वंचित होकर अपनी आजीविका से हाथ धो बैठता है, तो उसे उस जायदाद के बराबर की कीमत मिल जानी चाहिए और मेरे ख्याल में इस प्रकार के मुआवजे का विरोध कोई नहीं करेगा।

हम स्वतन्त्र भारत के लिए शासन-विधान बना रहे हैं। हम ब्रिटेन से भारत छोड़कर चले जाने को कह रहे हैं, यद्यपि वे यहां दो सौ वर्ष पहले आये थे। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने अनुचित ढंग से भारत को प्राप्त किया था, परिश्रम करके नहीं। इस देश के मालिक होने के नाते हमें यह अधिकार है कि उनसे यह देश छोड़कर चले जाने के लिए कहें, और हमारी मांग के जवाब में वह जून सन् 1948 ई. तक भारत छोड़ रहे हैं। स्वतन्त्र भारत में कोई भी दूसरे के द्वारा शोषित नहीं होना चाहता। बड़े जमींदारों और भू-स्वामियों ने परिश्रम करके अपनी सम्पत्ति नहीं प्राप्त की है। इस दृष्टि से बड़े जमींदार और ब्रिटिश साम्राज्यवादी में कोई अन्तर नहीं है। ब्रिटेन ने साम्राज्य प्राप्त किया था और जमींदारों ने जायदाद दोनों ने अपना हित-साधन शोषण द्वारा ही किया।

स्वतन्त्र भारत में सभी नागरिकों का दर्जा समान होना चाहिए। वर्तमान प्रचलित प्रणाली को देखते हुए यह बात कुछ समय तक सम्भव नहीं है। किसानों की यह आम पुकार है कि उसकी सारी पैदावार जमींदार ले लेता है, यद्यपि उसमें से कुछ अंश की उसे अपने परिवार-पालन के लिए आवश्यकता होती है। उसके लिए भूखों मरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। क्या राज्य उसे कोई आजीविका या मुआवजा उस हानि के बदले देने को तैयार है जो उसने अपनी शक्ति खोकर

[श्री बी.सी. केशव राव]

और परिश्रम करके उठाई है? परन्तु अगर एक जमींदार जो गरीब को चूस कर धन-संग्रह करता है, अपनी जायदाद का एक भाग सार्वजनिक हित के लिए खो देता है, तो राज्य उसके लिए मुआवजा देने का विचार करता है, यद्यपि उसके लिए यह कोई नुकसान नहीं है। किसान इस समय इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन की मालगुजारी घटा दी जाये। किन्तु इसके बदले उनकी थोड़ी बहुत जमीन भी, जिसको वे जोतते चले आ रहे हैं और जिसके सहारे अपने कुटुम्ब का गुजर बसर करते हैं, छीन ली जायेगी। जमींदार तो जमीन को बंजर छोड़ देने को तैयार हैं, पर लगान घटाने को नहीं। इस तरह वह अपने आसामियों को भूखों मार रहा है।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जमींदार प्रथा तोड़ने के लिए कहती आ रही है और गत निर्वाचन में भी उसने जनता से प्रतिज्ञा की थी कि कांग्रेस अधिकार प्राप्त करते ही जमींदारी प्रथा तोड़ देगी। उसके अनुसार कांग्रेसी प्रान्तों ने जमींदारी प्रथा नष्ट करने के लिए बिल तैयार कर लिये हैं अब जब हमें स्वतंत्र भारत का विधान तैयार करने को कहा गया है तो हम उन्हें ऐसे मुआवजे की रकम देना चाहते हैं जिसका निश्चय कानून करेगा। यह कानून जमींदारों के पक्ष में होगा और वे उससे ज्यादा पायेंगे जितना कि उन्हें देना जरूरी है।

इन तथ्यों को सामने रखते हुए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस खण्ड पर विचार करके उसमें इस प्रकार के संशोधन कर दें जिससे किसी भी नागरिक या कारोबार को उसकी जायदाद का मुआवजा नाम-मात्र ही दिया जाये।

***राय बहादुर श्यामानन्दन सहाय** (बिहार : जनरल): महाशय, मैं उस संशोधन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा जो मेरे माननीय मित्र राजा जगन्नाथबख्श सिंह ने पेश किया है। उनके संशोधन में केवल 'उचित' शब्द मुआवजे के पहले जोड़ देने की मांग है। मैं चिन्तित होकर और सावधानी के साथ वाद-विवाद सुनता रहा हूं और मुझे कहना चाहिए कि अब तक मैंने किसी से भी यह नहीं सुना कि मुआवजा देने में न्याय नहीं करना चाहिए। किसी ने भी यह नहीं कहा और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि न कोई आगे ही कहेगा कि एक बार जब हम ली हुई जायदाद के बदले मुआवजा देने का सिद्धान्त स्वीकार कर लें, तो ऐसा हर्जाना उचित न हो। इस आदरणीय सभा में किसी का भी यह विचार नहीं होगा। आखिर इस देश का भविष्य उस न्याय और सद्व्यवहार पर ही निर्भर है, जिससे हम अपने सामने आई हुई विभिन्न समस्याओं के सुलझाने में काम लेंगे और उस योग्यता और चातुर्य पर भी, जो हम अन्तर्राष्ट्रीय नीति के मामलों को सुलझाने में प्रदर्शित करेंगे। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के पास इस समय जमीनें हैं उनके बारे में चाहे जो कहा जाये, पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि किसी समय दो सदी पहले वे ही इस देश के आर्थिक ढांचे के निर्माता थे। उन्होंने धन कमाया और उसे पैदा किया है; पर क्या इसी कारण

उनकी जमीन बिना मुआवजा दिये छीन ली जाये और मौलिक अधिकारों में मुआवजा देने की बात स्वीकार करके भी अब यह कहा जाये कि मुआवजा उचित न हो? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा जा सकता है और अगर रखा भी जाये तो वह इस सभा को स्वीकार हो सकता है।

महाशय, वह मांग क्या है जो इस संशोधन द्वारा पेश की गई है? इसमें केवल यह कहा गया है कि मुआवजे के साथ विशेषण भी जुड़ना चाहिए। माननीय प्रस्तावक ने संसार के अन्य देशों के विधानों का हवाला दिया है, जहां मुआवजे के पहले 'उचित' शब्द विशेषण के रूप में रखा गया है। केवल यही शब्द विशेषण के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। यदि हम मौलिक अधिकारों की विधान-माला का हवाला दें जिनमें सर श्री बी.एन. राव ने हम सबको दिया है, तो यह मालूम होगा कि जर्मन-विधान तक में 'उचित मुआवजा' शब्द रखे गये हैं। उसमें कहा गया है— "जायदाद केवल उसी हालत में ली जा सकती है जब वह सर्व साधारण के लिए उपयोगी हो और कानून में इसकी व्यवस्था हो, उसका उचित मुआवजा अदा किया जायेगा"। इसलिए मेरा निवेदन है कि फंडामेंटल राइट्स सब-कमेटी (बुनियादी अधिकार उप-समिति) की रिपोर्ट द्वारा जो कुछ अभिप्रेत है उसका वास्तविक अभिप्राय 'उचित' शब्द रख देने मात्र से हो जायेगा; लेकिन यदि कुछ सदस्य यह तर्क दें कि आप वहां "मुआवजा" शब्द भी रख सकते हैं परन्तु आपको इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि विशेष परिस्थितियों में वह अनुचित मुआवजा भी हो सकता है, तो महाशय, मैं कहूंगा कि यह इस समस्या को हल करने का ठीक ढंग नहीं है और न यह तर्क ही न्याय-संगत है।

महाशय, जिन लोगों ने इस संशोधन का विरोध किया है उनका तर्क जमींदारी ले लेने के सवाल तक ही सीमित रहा है। दुर्भाग्यवश इन मित्रों ने या तो जान-बूझकर इसकी अपेक्षा की है या वे यही नहीं समझ सके हैं कि मुआवजे का खण्ड केवल जमींदारों से ही सम्बन्ध नहीं रखता। यह देश की सभी चल और अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता है चाहे वह संघ में हो या प्रदेशों में। आगे चलकर देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए काश्तकारी या किसानों की जमीन भी ले ली जा सकती है। अगर आप सहकारी कृषि-पद्धत्ति के अनुसार खेती कराना चाहेंगे, या सारे समाज की खेती बड़े चक के रूप में कराना चाहेंगे तो किसानों से भी जमीन ले लेने की नौबत आ सकती है। क्या उस अवस्था में आप कृषकों को भी उचित मुआवजा देने से इन्कार करेंगे? इसलिये इस प्रकार के प्रस्ताव में जिसका क्षेत्र ऐसा व्यापक है कि वह जमींदारी तक ही परिसीमित नहीं किया जा सकता बल्कि व्यापारिक हितों पर भी लागू हो सकता है, सन्देह का कोई स्थान न होना चाहिये। यदि मैं यह निवेदन कर सकूं तो कहूंगा कि शक्ति पर सत्य के विजय के सिद्धान्तों को निजी सम्पत्ति के अधिकार और उसकी रक्षा से परिपुष्टि प्राप्त होती है। आप चाहें तो उसे समाप्त कर सकते हैं पर ऐसा हुआ तो हम सब धीरे-धीरे जंगली कानून की ओर चले जायेंगे और समाज को

[रायबहादुर श्यामानन्दन सहाय]

सुसंगठित रखने वाले कानून लुप्त हो जायेंगे। कुछ मित्रों ने उस तथ्य का हवाला दिया है कि कुछ जायदादें राष्ट्र-विरोधी कार्यों के लिए ही लोगों को सन् 1857 ई. की क्रान्ति में प्राप्त हुई थीं। माननीय प्रस्तावक ने इस कथन पर आपत्ति की है। मैं कुछ और आगे जाऊंगा और निवेदन करूंगा कि शायद हम माननीय मित्रों को यह मालूम नहीं है जमींदारी प्रथा क्या है, और इसीलये उन्होंने यह परिणाम निकाल लिया है कि बहुत से अधिकांश जमींदारों ने जमीनें सन् 1857 ई. की क्रांति के फलस्वरूप सरकारी तोहफे के रूप में प्राप्त की थीं। यह भूलते हैं कि देश के कुछ भागों में स्थायी बन्दोबस्त एक्ट (Permanent Settlement Act) सन् 1793 ई. में ही जारी हो गया था जो सन् 1857 की क्रान्ति से बहुत पहले की बात है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक्ट के अनुसार बने जमींदारों को अराष्ट्रीय कृत्यों के बदले भू-सम्पत्ति प्राप्त हुई थी। कुछ लोग ऐसे हुए होंगे जिनका व्यवहार लोगों को पसन्द नहीं आया होगा; पर आप एक समाज के साथ व्यवहार कर रहे हैं; व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। आप सारी भूमि-समस्या पर विचार कर रहे हैं, और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि सभी प्रश्न और सम्पूर्ण चित्र हमारे विचार की परिधि में हों। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी रकमें देकर जमींदारियां खरीदी हैं—यह कोई सैकड़ों वर्ष पहले की बात नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। जमींदारियों का क्रय-विक्रय प्रतिदिन होता ही रहता है। इस वर्ष भी लोगों ने काफी रकमें लगाकर जमींदारियां खरीदी हैं और वह रुपये उनकी जन्म भर की पसीने की कमाई से जमा हुए थे। कौन नहीं जानता कि कुछ ही साल पहले तक हमारी बचत का मुख्य भाग जमीन में ही लगा हुआ था? उनका उचित और न्याययुक्त मुआवजा न देना अच्छा न होगा। महाशय, मैं माननीय प्रस्तावक से यह निवदेन करता हूं मुख्य खंड के मुआवजा शब्द का अर्थ ही है, उचित और अच्छा बदला देना। मेरी राय में मुआवजा अनुचित और अन्यायपूर्ण हो ही नहीं सकता, और मेरा निवेदन है कि यदि मुख्य खंड के माननीय प्रस्तावक मेरे ही सदृश भावना रखने वाले हों और यह समझते हों कि मुआवजे का अर्थ उचित और न्यायसंगत मुआवजा ही होता है तो उन्हें मेरी यही सलाह है कि वह इस संशोधन पर जोर न दें।

*__राजा जगन्नाथ बख्श सिंह:__ महाशय, जो वाद-विवाद हुआ है उसे देखते हुए मैं अपने संशोधन पर जोर न दूंगा। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।)

*__अध्यक्ष:__ अब केवल पूरे खंड के बारे में वाद-विवाद होगा।

*__श्री लक्ष्मीनारायण साहू__ (उड़ीसा : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं खंड के वर्तमान रूप को पसन्द करता हूं, फिर भी कुछ कहना चाहता हूं विशेषतया मैं उड़ीसा

की जमींदारियों के सम्बन्ध में उड़ीसा में आसामियों की दशा बहुत खराब है। इसका कारण यही है कि उड़ीसा में अंग्रेजी की शिक्षा बंगाल और अन्यत्र की अपेक्षा बाद में शुरू हुई। हुआ यह कि उड़ीसा की जमींदारी उन जमींदारों के नाम कर दी गई जो वास्तव में वहां न होकर बंगाल में थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी उड़ीसा अर्थात् बालासोर, कटक, पुरी और सम्बलपुर के जिलों की दो-तिहाई भूमि अनुपस्थित जमींदारों के अधिकार में है जिसका परिणाम अत्यन्त भयानक हुआ है। जब उन्होंने यह जमींदारियां खरीदीं तो उन्होंने उनकी अच्छी कीमतें नहीं दीं, वास्तव में सरकारी कागजात से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वह जमीन की खरीदारी क्या थी, दिन-दहाड़े डाका था। इसलिये मैं यह नहीं समझता कि ऐसे जमींदारों को मुआवजे की रकम क्यों दी जाये जिन्हें अप्रत्याशित संयोग या दिन-दहाड़े डाके द्वारा ऐसी जमीनें प्राप्त हों गई थीं।

दूसरी बात यह है कि मैं सभा का ध्यान एक दूसरे जमींदार की ओर आकर्षित करूंगा जो जपूर के हैं। जपूर जमींदारी सारे कोरापुट जिले में है जो उड़ीसा के छ: जिलों में एक है। यह एक करुणाजनक बात है कि यह जमींदार 16,000 रु. सालाना सरकार को देकर इस जमींदारी से 16 लाख रुपये सालाना की आमदनी करता है। यह स्थिति बहुत खराब है और इसका उपाय होना ही चाहिए। ऐसे जमींदारों के होते हुए शासन-संचालन कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुआवजे की रकम देते समय—यही नहीं प्रत्युत उचित मुआवजे की रकम अदा करते समय हमें बंगाल के इन अनुपस्थित जमींदारों के प्रति बहुत न्याय से काम लेना चाहिए और उड़ीसा की जपूर के जमींदार की तरह अन्य जमींदारों के प्रति भी। मैं यहां खास बातें कहना चाहता था विशेषतया उड़ीसा के बारे में।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में प्रजातन्त्र-राज्य का निर्णय करते हुए, हम यह सहन नहीं कर सकते कि ऐसे जमींदारों का अस्तित्व कुछ और समय के लिए कायम रहने दिया जाये क्योंकि यह स्थिति अत्यन्त कष्टप्रद है। जमींदारों को तो जितनी ही जल्दी रकम थमाकर विदा किया जा सके उतना ही अच्छा होगा। मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है कि आजकल 100 जमींदारों में कम-से-कम 99 ऐसे हैं जो बदनाम हैं और उन पर जिन कर्त्तव्यों का बोझ लदा है उनका वे पालन नहीं करते। उदाहरण के लिए, जमींदार के एक कर्त्तव्य पर विचार कीजिये। सरकार के द्वारा उनके निश्चित कर्त्तव्यों में एक यह भी है कि वे किसानों की भलाई का ध्यान रखें, पर जमींदार ऐसा कभी नहीं करते। इसके विपरीत किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करते हैं। वह कितने ही गैर-कानूनी कर वसूल करते हैं। यदि मुझे उनका वर्णन एक-एक करके करने का अवसर मिले तो बहुत बड़ी सूची तैयार हो जायेगी। उड़ीसा की जमींदारियों में से एक में तो बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ है, जिसका नाम है, कनिका जमींदारी—वहां 64 प्रकार के गैर-कानूनी कर वसूल किये गये थे। आन्दोलन होते हुए भी वह स्थिति आज ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। किसानों को कितनी ही तरह से परेशान

[श्री लक्ष्मीनारायण साहू]

किया जाता है। इसलिये जब हमें प्रजातंत्र-राज्य शीघ्र ही दिये जाने की प्रतिज्ञा की गई है, तो हम जमींदारों के अत्याचार सहन नहीं कर सकते। उन्हें जितनी जल्दी दे ले कर विदा कर दिया जाये उतना ही अच्छा।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा:** महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि सवाल अब मतदान के लिए रखा जाये। उस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है।

***अध्यक्ष:** मेरे पास कुछ और नाम हैं—श्री फूलसिंह।

***श्री फूलसिंह:** जनाबेआला, बहुत-सी तकरीरें इस हाउस में हुईं। इससे यह मालूम होता है कि जमींदारी के एबोलिशन के मसले पर कुछ मुआवजा दिये जाने की तजवीज है। यह सही है कि जैसा कि श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी ने कहा कि जमींदारी को बहुत से लोगों ने मुल्क के खिलाफ गद्दारी करके हासिल किया था और उसके जवाब में एक राजा साहब ने फर्माया कि कुछ लोगों ने आजादी की लड़ाई में मुल्क की मदद भी की है। मुझे यह अर्ज करना है कि ऐसे लोगों को कुछ इनाम नहीं मिला जिन लोगों ने मुल्क की मदद की है। उस लड़ाई में तो जमींदारियां छीनी गई थीं। ऐसा केस तो एक अजीब केस होगा कि सरकार के खिलाफ लड़ने में किसी को रियायत मिली हो। बहरहाल अभी तक जो मुआवजे का सवाल है उसकी एक बड़ी वजह तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन् 1935 में बयान की जाती है, और जब कभी लोगों की तरफ से यह सवाल उठाया जाता था कि मुआवजा न दिया जावे तो जवाब में यह कहा जाता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के खत्म होने के बाद यह बात हो सकती है, लेकिन आज वही खण्ड यह कान्स्टीट्यूट असेम्बली पास करे और उसे हमारे कॉन्स्टीट्यूशन में न रखकर फंडामेंटल राइट्स में रख देने से मैं समझता हूं आइन्दा के लिए रास्ता बन्द कर देना होगा। जमींदारी के मुताल्लिक काफी साहिबान ने बयान किया लेकिन जमींदारी से भी बड़ा मसला इंडस्ट्री का है, कौन नहीं जानता कि इन लड़ाई के 56 सालों में बहुत से मिल मालिकों ने अपनी पूंजी का कई गुना रुपया उस पर मुनाफे का वसूल कर लिया है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री में जहां पेडअप कैपीटल 50 करोड़ के करीब है, कई सौ करोड़ रुपए मुनाफे का वसूल हो गया है।

इस मुल्क का और मुल्कों के साथ मुकाबला करना भी बहुत मुनासिब नहीं होगा। इतना ज्यादा मुनाफा किसी मुल्क के कैपिटलिस्टों ने इस लड़ाई से नहीं उठाया जितना यहां के लोगों ने उठा लिया है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे खण्ड को इस तरह से पास करने से तो शायद हम इस मुल्क के रिफार्म के रास्ते को मुस्तकिल तरीके से बन्द करने के खतरे में पड़ जायेंगे। मैं अपने बुजुर्गों से और उन साहिबान से दरख्वास्त करना चाहता हूं, जिनके हाथ में इस हाउस की नाव है, कि वे इस खण्ड पर दोबारा गौर करें और इसको इस तरीके से रखें कि आपके आइन्दा आने वाले लोग अगर किसी किस्म की सलाह यहां के मामलों में करना चाहें तो वह सलाह करना नामुमकिन न हो

जाये। जिस तरह से यह दफा 19 इस हाउस के सामने रखी गई है, अगर वह उसी तरह से पास हो गई तो फिर इंडस्ट्री का नेशनेलाइज करना नामुमकिन नहीं तो बहुत हद तक मुश्किल हो जायेगा। मैं हाउस का बहुत वक्त न लेकर महज यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस दफा को फिर मजीद गौर के लिए वापस कर दिया जाये।

*__श्री राजकृष्ण बोस__ (उड़ीसा : जनरल): महाशय, मेरा प्रस्ताव है कि यह प्रश्न मत लेने के लिए रखा जाये।

*__अध्यक्ष:__ एक प्रस्ताव है कि प्रश्न अब मत लेने के लिए रखा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि काफी बहस हो चुकी है, इसलिए मैं सभा का मत जानना चाहूंगा। सवाल यह है कि यह प्रश्न अब मत जानने के लिए सभा के सम्मुख रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

*__अध्यक्ष:__ सरदार पटेल अब अपना जवाब देंगे।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ महाशय, इस विषय के वाद-विवाद में कुछ प्रसंगान्तर हो गया है। किसी ने एक संशोधन पेश किया था जो बाद में वापस ले लिया गया; पर जिन लोगों ने विवाद में भाग लिया उनकी यही धारणा रही कि यह खण्ड जमींदारी हस्तगत करने के लिए ही रखा गया है। इसका संक्षेप में यह मतलब हुआ कि खण्ड का वास्तविक अर्थ नहीं समझा गया। कितने ही सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। केवल जमीन ही नहीं, कितनी ही अन्य चीजें भी प्राप्त करनी होंगी, और राज्य इन चीजों को मुआवजे की रकम देकर लेगा; वैसे ही नहीं छीन लेगा। खण्ड का वास्तविक अर्थ यही है। पर जमींदारों और उनके कुछ प्रतिनिधियों ने समझा कि उनकी हित-रक्षा संशोधन पेश करके या भाषण देकर करनी चाहिए। पर इस तरह वह उनकी हित-रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें समय को पहचानना और उसके साथ चलना चाहिए। यह खण्ड कल या परसों ही कानून नहीं बन जाने वाला है, इसमें कम-से-कम एक वर्ष और लगेगा और उसके पहले ही सारी जमींदारियां समाप्त कर दी जायेंगी। विभिन्न प्रान्तों के वर्तमान एक्टों के आधीन भी जमींदारियों को समाप्त करने के लिए कानून बन रहे हैं और यह या तो न्यायसंगत या काफी मुआवजा अदा करके किया जा रहा है या वहां की व्यवस्थापिका सभाएं जिस तरह भी उचित समझ रही हैं, कर रही हैं। इसलिए यह समझना गलत होगा कि यह खण्ड उनके प्रति परिलक्षित किया गया है। बात ऐसी नहीं है। सम्पत्ति-प्राप्ति की प्रक्रिया पहले से मौजूद है और व्यवस्थापिका-सभाएं जमींदारियां खत्म करने के लिए कार्यवाही कर रही हैं। इसलिए हमें इस सवाल पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि जमींदार भूतकाल में देशभक्त रहे हैं या खतरनाक अथवा कुछ और। यह सब बातें अप्रासंगिक हैं; हमें भूतकाल की ओर देखने की जरूरत नहीं है।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

इस खण्ड में कोई संशोधन पेश नहीं किये हैं, इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में जवाब के रूप में कुछ नहीं कहना है। मेरा प्रस्ताव है कि यह खण्ड जिस रूप में मैंने पेश किया है, पास किया जाये।

***अध्यक्षः** मैं खंड नं. 19 सभी के सामने रखता हूं।

खण्ड 19 स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 20 पर आते हैं।

खण्ड 20—विविध अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** मैं खण्ड नं. 20 पेश करता हूं।

(1) किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक सजा न दी जायेगी जब तक कि उसने उस कानून का उल्लंघन न किया हो जो उसके ऐसा काम करते समय जिसे अपराध ठहराया गया हो, प्रयोग में था और न उसे उस सजा से अधिक सजा दी जायेगी जो उसके अपराध करते समय कानून द्वारा दी जाती।

(2) एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जायेगा और न वह किसी फौजदारी के मुकदमें में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर किया जायेगा।

मैं नहीं समझता कि इस खण्ड में कोई संशोधन होगा और मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह खण्ड स्वीकार किया जाये।

***अध्यक्षः** मुझे इस खण्ड में भी संशोधन की कई सूचनाएं मिली हैं। मैं संशोधन-कर्ताओं से कहूंगा कि यदि वे चाहें तो इन संशोधनों को पेश करें। श्री कामत।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): महाशय, जहां तक संशोधन नं. 95 का सम्बन्ध है, बाद में छान-बीन करने पर प्रकट हुआ है कि मेरी बात खण्ड 9 के अन्तर्गत आ जाती है, और इसलिए मुझे अपना संशोधन पेश करने की आवश्यकता नहीं है। रहा मेरा संशोधन नं. 96, मैं चाहता हूं कि मैं इसे बाद में पेश करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखूं।

***अध्यक्षः** श्री रोहिणी कुमार चौधरी नं. 97।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना संशोधन अभी पेश कर सकता हूं। इसका सम्बन्ध आग्नेय अस्त्रों के रखने और मृत्यु दण्ड खत्म करने के महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। परन्तु यदि इसे नया खण्ड माना जाये, तो फिर इसे अन्य नये खण्डों के साथ पेश करना अच्छा होगा।

***अध्यक्षः** यह नया खण्ड होगा।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरीः** तो मैं पेश नहीं करता हूं।

***अध्यक्षः** इसका मतलब यह है कि इस खण्ड में कोई संशोधन नहीं है। मैं इस खण्ड को सभा के सामने रखता हूं।

खण्ड 20 स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 21 लेते हैं।

खण्ड 21—विविध अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** महाशय मैं खण्ड 21 पेश करता हूं।

(1) यूनियन की सीमा के अन्दर सब जगह और उसके हर एक प्रदेश में यूनियन के सरकारी एक्टों, कागजात और अदालती कार्यवाही को ठीक समझा जायेगा और उसका विश्वास किया जायेगा और यह यूनियन का कानून निर्धारित करेगा कि इन एक्टों, कागजात और कार्यवाहियों को किन दशाओं में और किन तरीकों से साबित किया जाये यह और कि इनका असर क्या होगा।

(2) किसी प्रदेश में दिये हुए दीवानी के अन्तिम फैसले, उन शर्तों के विपरीत न जाते हुए जो यूनियन के कानून द्वारा लगाई गई हों, यूनियन की सीमा के अन्दर सब जगह इजरा किये जायेंगे।

मैं उसे नियमित रूप से विचार के लिये सभा के सामने रखता हूं।

अध्यक्षः इस खण्ड के बारे में मुझे किसी संशोधन की सूचना नहीं मिली है। इसलिये मैं इसे सभा के सामने मतदान के लिये रखता हूं।

खण्ड 21 स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** खंड 22।

खण्ड 22—वैधानिक उपचारों का अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** श्रीमान्, मैं खंड 22 पेश करता हूं—

(1) इसका आश्वासन दिया जाता है कि इस भाग के द्वारा जिन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है उनको प्रयोग में लाने के लिये, उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त करने का अधिकार होगा।

(2) दूसरी अदालतों को इस संबंध में जो अधिकार दिये गये हैं उनके विपरीत न जाते हुए सर्वोच्च अदालत को शरीर उपस्थित होने की आज्ञा (Habeas corpus) नीचे की अदालत को आज्ञा (Mandamus), निषेध की आज्ञा (Prohibition), अपना अधिकार साबित करने की आज्ञा (Quo Warrants), और नीचे की अदालत से मुकदमे हटाने की आज्ञा (Certiorari) के रूप में आदेश देने का अधिकार होगा जो कि उस अधिकार की समुचित सुरक्षा के लिये होगा जिसका विधान के इस भाग में आश्वासन दिया गया है।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

(3) इन उपचारों को प्रयोग में लाने का अधिकार उस समय तक स्थगित न किया जायेगा जब तक कि विद्रोह या आक्रमण या दूसरी गम्भीर परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता न हो।

श्रीमान्, इस खण्ड के बारे में सम्भव है कुछ संशोधन पेश किये गये हों।

***अध्यक्ष:** कई संशोधनों की सूचनाएं मुझे मिल चुकी हैं। एक सर बी.एल. मित्तर का है।

***श्री बी.एल. मित्तर** (बड़ौदा): मुझे विश्वास दिलाया गया है कि जब जुडीशियरी रिपोर्ट सामने आयेगी तब इस पर विचार होगा। इसलिए मैं अपना संशोधन नहीं पेश करता।

(संशोधन नं. 99 से 101 तक पेश नहीं किये गये।)

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

खण्ड 22 के उपखण्ड (3) में ''गम्भीर परिस्थिति के उत्पन्न होने पर'' शब्दों के बाद नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायें:—

''और यूनियन या सम्बन्धित प्रदेश की सरकार के ऐसा घोषित किये जाने पर।''

यह बात स्पष्टत: छूट गई और मुझे आशा है कि यह प्रस्तावक को स्वीकार है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह संशोधन पेश करता हूं।

(संशोधन 103 से 106 तक पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** केवल एक ही संशोधन पेश किया गया है।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): एक संशोधन की सूचना मैंने आज प्रात:काल दी है। वह केवल शाब्दिक संशोधन है, केवल शब्दों का पुनर्विन्यास है। मेरा संशोधन खण्ड 22 के उपखण्ड (1) में थोड़ी-सी असुन्दरता दूर करने मात्र के लिए है। वह खण्ड इस प्रकार है:—

> ''इसका आश्वासन दिया जाता है कि इस भाग के द्वारा जिन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है उनको प्रयोग में लाने के लिए, उचित कार्यवाही द्वारा, सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त करने का अधिकार होगा।''

इसमें आश्वासन शब्द दो बार आया है और ऐसा अनुभव होता है कि यह सुन्दर शब्दावली नहीं है, इसलिए मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:—

खण्ड 22(1) में ''इस भाग द्वारा जिन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है'', शब्दों के बदले ये शब्द रख दिये जायें ''इस भाग में जिन अधिकारों की व्यवस्था की गई है''।

***अध्यक्ष:** खण्ड और दो संशोधनों पर अब बहस की जा सकती है।

*__श्री के. सन्तानम्:__ मुझे भय है कि खण्ड की जिस रूप में रचना हुई है, वह बहुत दूषित है, और यह उन खण्डों में से एक है जिन पर सावधानी से विचार होने और जिनके दुहराये जाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह उन चीजों में से है जिन पर न्याय-सम्बन्धी कमेटी विचार करेगी। मैं चाहता हूं कि यह खण्ड भी उस कमेटी के लिए ही छोड़ दिया जाये। यह इस समय जिस रूप में है उससे उसके गलत अर्थ लगाये जा सकते हैं, जिसका परिणाम गंभीर होगा। उदाहरण के लिए उपखण्ड (1) कहता है—

> ''इसका आश्वासन दिया जाता है कि इस भाग द्वारा जिन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है उनको प्रयोग में लाने के लिये, उचित कार्यवाही द्वारा, सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त करने का अधिकार होगा।''

इसका अर्थ सम्भवत: यह लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च अदालत को मौलिक अधिकारों द्वारा अधिकृत सभी मामलों में पृथक् मौलिक न्यायाधिकार दिये जायेंगे या इसका यह भी मतलब लगाया जा सकता है कि उसके वे मौलिक न्यायाधिकार भी होंगे जो किसी दूसरी अदालत के हों। मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछना चाहूंगा कि इसका क्या अर्थ है—''इसका आश्वासन दिया जाता है कि सर्वोच्च अदालत से दरख्वास्त करने का अधिकार होगा।'' मैं कभी भी सर्वोच्च अदालत में आकर इससे सम्बद्ध किसी भी मामले में दरख्वास्त कर सकता हूं। मौलिक न्यायाधिकार के द्वारा भी यह सम्भव है और अपील के अधिकार द्वारा भी। बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह ऐसी बात है जो साफ कर दी जानी चाहिए। इस खण्ड के पैराग्राफ (2) में आता है—''दूसरी अदालतों को इस सम्बन्ध में जो अधिकार दिये गये हैं, उनके विपरीत न जाते हुए।'' यहां 'अधिकार' देने वाला कौन है? संघ-व्यवस्थापिका-सभा? या प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा। मैं समझता हूं विधान का अर्थ लगाने या मौलिक अधिकारों को अमल में लाने के बारे में अदालतों को अधिकार देने का कार्य केवल यूनियन का ही विषय होना चाहिए; प्रदेशों को वह नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश इन मौलिक अधिकारों को दो भिन्न रूप में प्रयोग करके उनको विफल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वे कहें कि सभी मौलिक न्यायाधिकार सर्वोच्च अदालत के होंगे, तो साधारण नागरिक बार-बार वहां तक नहीं पहुंच पायेंगे। या अगर वे इन अधिकारों को हाकिमों के सुपुर्द कर दें, तो फिर उस (साधारण नागरिक) को अन्तत: अपील करके ही न्याय प्राप्त हो सकता है, जो बहुत ही विलम्ब का कारण और असुविधामूलक होगा। इसलिए न्यायाधिकार देने का विषय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि मौलिक अधिकारों को अमल में लाने के सारे मौलिक न्यायाधिकार केवल प्रदेश की हाईकोर्ट को सौंपे जाने चाहिएं। वह न तो निचली अदालतों को दिये जाने चाहिए और न सर्वोच्च अदालत को। हां, प्रादेशिक और संघीय अथवा अन्तर्प्रादेशिक मामलों में इसके विपरीत किया जा सकता है। इसलिए प्रदेशों के हाईकोर्ट इन अधिकारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए मुख्य केन्द्र होने चाहिए। मैं समझता हूं यह बात स्पष्ट कर दी

[श्री के. सन्तानम्]

गई होगी, मुझे आशा है कि उसका स्पष्टीकरण हो जायेगा। वर्तमान रूप में यह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है और जब यह पुनः विचारार्थ सामने आयेगी तो मैं इस पर आलोचना करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** यह ऐसा खण्ड है जो न्याय के उपचार व्यवस्थित करता है। यदि हम मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करें तो यह आवश्यक है कि हम उसके उपचार भी व्यवस्थित करें। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अन्य अदालतों या हाईकोर्टों का न्यायाधिकार अपहृत करता है। इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जब सम्पूर्ण न्यायाधिकार-व्यवस्था पर विचार होगा तो प्रत्येक बात पर ठीक तौर पर—समुचित ढंग से—विचार कर लिया जायेगा। इसलिए श्री सन्तानम् का भय ठीक नहीं है। वह अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, प्रत्येक ने अपना-अपना अधिकार सुरक्षित कर रखा है; पर यह सुरक्षा अनावश्यक है, क्योंकि सभी बातें विधान-में सम्मिलित करनी हैं और अन्तिम खण्डों में, उन्हें विधान में सम्मिलित करने के पहले, कई बार विचार कर लिया जायेगा। इस तरह का भय करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड को प्रस्तावित संशोधनों सहित स्वीकार किया जाये। मैं दोनों संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्तावक महाशय, दो संशोधन स्वीकार करने को तैयार हैं—एक श्री सन्तानम् का और दूसरा श्री मुंशी का।

खण्ड संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** खण्ड 23।

खण्ड 23—वैधानिक उपचारों के अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** मैं खण्ड 23 पेश करता हूं।

"यूनियन की धारा-सभा को अधिकार होगा कि वह कानून बनाकर यह तय करे कि वह सशस्त्र सेनाओं के लोगों के सम्बन्ध में, जिन पर सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, उन अधिकारों में से किसी अधिकार को किस सीमा तक कम कर दे या खत्म कर दे, जिनके बारे में इस भाग में आश्वासन दिया गया है ताकि अनुशासन सुरक्षित रहे और वे अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।"

यह ऐसा खण्ड है जिस पर मतभेद नहीं हो सकता और मुझे आशा है कि इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। मैं इसे पेश करता हूं।

खण्ड 23 स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्ष: खण्ड 24।

खण्ड 24—वैधानिक उपचारों के अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान् मैं खण्ड 24 पेश करता हूं।

> ''यूनियन की धारा-सभा इस भाग के उन आदेशों को प्रयोग में लाने के लिए, जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता है और उन कामों के लिये सजा नियत करने के लिये, जो इस भाग में अपराध घोषित किये गये हैं और जिनके लिये सजा नहीं दी जा सकती है, कानून बनायेगी।''

यह खण्ड परिणामस्वरूप है, इसलिये मुझे आशा है इसमें संशोधन नहीं होगा। मैं सभा से इसे स्वीकार करने को कहता हूं।

खण्ड 24 स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब दो खण्ड ऐसे हैं जिन्हें पांच आदमियों की एक कमेटी के हवाले किया गया थे। अब हम उन्हें एक-एक करके ले सकते हैं। नया खण्ड 3 अब पेश किया जा सकता है।

***श्री के.एम. मुंशी:** मेरा प्रस्ताव है कि नीचे लिखा खण्ड मौलिक खण्ड 3 की जगह रखा जाये:

> ''हर एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म यूनियन की सीमा के अन्दर हुआ हो और जो उसकी अधिकार-सीमा में हो, हर एक ऐसा व्यक्ति, जिसके मां-बाप में से कोई भी उसके जन्म के समय यूनियन का नागरिक हो और हर एक ऐसा व्यक्ति, जिसे कानून के अनुसार नागरिक बना लिया गया हो, यूनियन का नागरिक समझा जायेगा।
>
> यूनियन की नागरिकता प्राप्त करने और उसको खत्म करने के बारे में अन्य व्यवस्था यूनियन के कानून द्वारा की जा सकेगी।''

इसके कारण तत्सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट में पूर्णत: दिये जा चुके हैं। मैं उसमें कुछ और नहीं जोड़ना चाहता।

***श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस खण्ड के पहले पैराग्राफ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये:—

> ''हर एक ऐसा व्यक्ति जो यूनियन के समारम्भ के पहले भारत में पैदा हुआ हो या उसका नागरिक हो गया हो और उसकी अधिकार-सीमा के अन्तर्गत हो, यूनियन का नागरिक समझा जायेगा।''

इस संशोधन की आवश्यकता केवल यह है—आप ऐसे लोगों को नागरिकता के अधिकार दे रहे हैं जो आगे पैदा होने वाले हैं या उस दिन पैदा हों जिस दिन यूनियन अस्तित्व में आये। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि हम यूनियन की सीमा के अन्दर नहीं पैदा हुए हैं तो हम वहां के नागरिक नहीं हो सकते। मैंने सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर से परामर्श किया है इस खण्ड में तो केवल वह व्यक्ति आते हैं जो यूनियन के अस्तित्व में आने के समय वहां के जन्मजात नागरिक हों। मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना में, यूनियन का क्षेत्र भारत की सीमा के अन्तर्गत माना गया है। ऐसी अवस्था में मेरा संशोधन आवश्यक नहीं भी हो

[श्री के. सन्तानम्]

सकता। पर इस बात की सम्भावना है कि यूनियन का सीमा-क्षेत्र वर्तमान क्षेत्र से बहुत छोटा हो जाये। मान लीजिये यूनियन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिन्ध में पैदा हुआ था; इस परिभाषा के अनुसार वह यूनियन का नागरिक नहीं होगा। वह विदेशी हो जायेगा। क्या आप ऐसे परिणाम को घटित होने देना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि यूनियन के आरम्भ में जो कोई भी भारत में पैदा हुआ हो और जो यूनियन की अधिकार-सीमा का प्रजाजन है, यूनियन का नागरिक होगा। जब यूनियन अस्तित्व में आ चुकेगी तो मुझे इस खण्ड पर कोई आपत्ति न होगी। इसलिए यह एक बुनियादी बात है। मुझे आशा है कि इस पर अच्छी तरह विचार होगा और या तो इस रूप में अथवा किसी और ढंग पर इस आशय की व्यवस्था की जायेगी कि जो यूनियन के आरम्भ काल में भारत के नागरिक थे, उनके प्रति नागरिकों का-सा व्यवहार किया जायेगा और वे केवल इसलिये नागरिकता से नहीं वंचित किये जायेंगे कि वे प्रस्तावित नियम की विस्तार-सीमा से बाहर के क्षेत्र में पैदा हुए थे।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** इस समय ऐसे प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। इस समय इस संघ में रहने वालों को नागरिक अधिकार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी इस समय यह नहीं बता सकता कि जब विधान का अन्तिम रूप प्रस्तुत होगा तो स्थित क्या होगी। इस समय कोई यह बात नहीं कह सकता कि भारत का कोई भाग उससे पृथक् होने जा रहा है या नहीं। जब अन्तिम स्थिति आ जायेगी तो हम विचार कर सकेंगे कि अगर इस देश में विभाजन होना ही है तो उन भागों का पारस्परिक समन्वय किस प्रकार होगा। इस समय उस पर विचार करना अनावश्यक है। मुझे आशा है कि प्रस्तावक अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): पर जो लोग यूनियन में पैदा हुए होंगे उनका क्या होगा?

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** जब विधान पास हो जायेगा तो आप यूनियन में पैदा हुए माने जायेंगे।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य** (मद्रास : जनरल): जिस विषय पर विचार हो रहा है वह वैसा आसान या उपहासास्पद नहीं है जैसा कि सोचा गया है।

यूनियन में सुनिश्चित क्षेत्र सम्मिलित होंगे। उसमें सारा भारत नहीं भी हो सकता, केवल कुछ भाग भी हो सकते हैं। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं एक ठोस उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि मैं मैसूर में पैदा हुआ था। मैं मैसूरी हूं। मैसूर संघ में सम्मिलित नहीं होता। हमें इस रूप में विचार करना चाहिए। फिर तो मैं किसी भी खण्ड और कानूनी शब्द-निर्माण से यूनियन में पैदा हुआ नहीं समझा जाऊंगा। इसलिए यह सुझाव पेश किया गया है कि भारत के किसी भी

प्रांत में यूनियन के आरम्भ काल में पैदा हुआ कोई भी आदमी, लम्बे समय तक संघ-सीमा में रहने पर नागरिक बन जायेगा।

यह बड़ा ही सारपूर्ण प्रश्न है। सम्भवत: इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्तमान जनसंख्या का बहुत-सा भाग आ जायेगा, जो भारतीय यूनियन बनते ही उसका नागरिक अपने आप बन जायेगा। यह केवल अर्थ लगाने या व्याख्या करने पर ही निर्भर नहीं है। इसकी व्यवस्था आवश्यक है। इस पर विचार करके इसे सम्मिलित कर लेने की जरूरत है।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, जैसा कि श्री संतानम् ने कहा है यदि स्थिति ज्यों-की-त्यों रहने दी जाती है, तो इस खण्ड द्वारा कितने ही व्यक्ति, जो यूनियन में पैदा हुए, नागरिकता के अधिकार से वंचित रह जायेंगे। इसकी परिभाषा बाद में की जायेगी। मेरा ख्याल है कि इस यूनियन में भारत के सभी भाग आ जायेंगे, पर जो लोग यूनियन के नागरिक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे उनकी कानूनी स्थिति क्या होगी? मैं सिन्ध में पैदा हुआ हूं। मान लीजिए सिंध यूनियन का भाग नहीं बनता तो मेरी क्या स्थिति होगी? क्या मैं यूनियन की नागरिकता के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा। यह एक ऐसी बात है जिस पर बाद में विचार करना है। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकारों में से है। जो विदेशी भारत में अपने मतलब और स्वार्थ से आयेंगे, वह नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं और वह उन्हें शीघ्र मिल भी सकता है, जबकि भारत में पैदा हुए लोग नुकसान में रहेंगे। विदेशियों के लिए दस वर्ष का समय रख दिया जाना चाहिए। यदि राज्य को यह विश्वास हो जाये कि भारत में उन विदेशियों का कुछ माल-मत्ता है तो उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया जा सकता है। कल इस सभा-भवन में इस बात पर कई घंटे तक वाद-विवाद हुआ है। हम इस बात पर मामूली तौर से विचार नहीं करना चाहते थे, हम इसे गम्भीर विचार का विषय बनाना चाहते थे, और महाशय, आपने उन लोगों को, जिनका हमसे मत-भेद है, यह समझाने की कृपा की कि यह बात उपेक्षणीय नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि सभी को इस देश का नागरिक बनने का अधिकार होना चाहिए। आखिर, हम यूनियन में रहना चाहते हैं। हम यह नहीं भूल सकते कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारा इस देश में जन्म हुआ है। यदि भारत के टुकड़े होते हैं, तो हमें नागरिकता के क्या नियम बनाने हैं? महाशय, मैं समझता हूं कि जो लोग यूनियन की स्थापना के पहले पैदा हुए थे उन्हें पूरा आश्वासन मिलना चाहिए कि वे यूनियन के नागरिक हैं और उन्हें उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा।

इसके बाद यहां नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने के बारे में विचार करना है। कोई भी व्यक्ति, जो विदेशों से आकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए—अपने निजी लाभ के लिए आता है, उसे सिर्फ यही कहना पड़ेगा कि—"मैं यहां का नागरिक होना चाहता हूं"। और वह यूनियन का नागरिक हो जायेगा मैं भारत में

[श्री आर.के. सिधवा]

पैदा हुआ हूं और मैं इस देश की नागरिकता से वंचित होने जा रहा हूं, परन्तु एक विदेशी तो केवल यह घोषित करने के लिए कि वह इस देश का नागरिक होना चाहता है, नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है।

इस खण्ड के निर्माताओं के प्रति आदर-भाव रखते हुए भी, मैं यह नहीं समझता कि इस मामले पर पूर्णत: विचार किया गया है, यद्यपि यह कहा गया है कि ''यूनियन की नागरिकता प्राप्त करने और उसे खत्म करने के बारे में यूनियन का कानून आगे व्यवस्था करेगा''। मैं नहीं चाहता कि कोई कानून मेरी नागरिकता के लिए व्यवस्था करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर यहां वाद-विवाद हो।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): मैं समझता हूं कि श्री संतानम् की बात में कुछ जोर है। महाशय, हमें यह मानना होगा कि कमेटी में हमने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जो इस समय सभा के सामने उपस्थित है, पर एक बारगी संशोधन पेश करना भी बुद्धिमानी न होगी। यदि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है और वह यूनियन के अस्तित्व में आने के बाद यहां अपना निवास-स्थान बनाता है, तो ऐसी अवस्था में वह नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकता है। केवल इस कारण कि वह संयोगवश भारत या ब्रिटिश भारत में पैदा हुआ था, यूनियन में नहीं, उसे नागरिकता का अधिकार नहीं मिल सकता। हमें इस खण्ड में और शर्तें जोड़कर कहना पड़ सकता है कि ऐसे लोगों को भारतीय यूनियन में अपना स्थायी निवास-स्थान बनाना होगा।

जहां तक ''यूनियन में पैदा हुआ हो'' शब्दों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई कठिनाई पैदा होगी। यूनियन उस जगह भौगोलिक अर्थ में नहीं रखा गया है, और न राजनीतिक अर्थ में ही। किसी राजनीतिक प्रदेश में कोई पैदा भी नहीं हो सकता। ''यूनियन में पैदा हुआ हो'' का अर्थ है कि ''संघ की सीमा के अन्दर पैदा हुआ होगा।''

श्री सन्तानम् की आपत्ति कुछ सार-युक्त है। हम सहसा किसी को नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहते—देशी राज्यों में कैसे प्रसिद्ध लोग पैदा हुए हैं और वह ब्रिटिश भारत में आ बसे हैं, इसलिए जहां तक उस विशिष्ट श्रेणी का सम्बन्ध है, हम किसी समुचित उपाय पर विचार कर सकते हैं। हम भारत के किसी भी भाग में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार देने की स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए कुछ देशी राज्य यूनियन के बाहर ही रहना चाहते हैं। हमें विचार करना होगा कि इन राज्यों के निवासियों को हम नागरिकता के अधिकार दें या नहीं दें। इसलिए हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और एक समुचित खण्ड रखेंगे। कमेटी में—जिसका सदस्य मैं भी हूं और डॉ. अम्बेडकर भी हैं—इस विशेष पेचीदगी पर विचार नहीं किया गया जो आगे खड़ी हो सकती है। मैं समझता हूं कि हमें एकाएक संशोधन करने की शीघ्रता न करनी चाहिए।

पर जहां तक सामान्य सिद्धान्त का सम्बन्ध है, उसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। "हर एक ऐसा व्यक्ति, जिसका जन्म यूनियन की सीमा के अन्दर हुआ हो और जो उसकी अधिकार-सीमा में हो, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके मां-बाप में से कोई भी उसके जन्म के समय यूनियन का नागरिक हो और हर एक ऐसा व्यक्ति, जिसे कानून के अनुसार नागरिक बना लिया गया हो" इस भाग का जहां तक सम्बन्ध है, कोई अपवाद नहीं हो सकता। इसके सभी पहलुओं पर कमेटी में विचार हुआ था। जिस विशिष्ट श्रेणी के लोगों का श्री संतानम् ने जिक्र किया है, उस पर पृथक् विचार करके उसकी व्यवस्था करनी होगी। यह समझकर कि इस श्रेणी के लोगों के बारे में व्यवस्था की जायेगी, यह खण्ड पास किया जाना चाहिए या सारे खण्ड को अलग रखने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर जहां तक मुख्य सिद्धान्त का सम्बन्ध है, हम सभी सहमत हैं और उसमें मतभेद नहीं है। इस सभा द्वारा नियुक्त कमेटी ने इस बात पर पूर्णतः बहस कर ली थी और हम सर्वसम्मति से इस परिणाम पर पहुंचे थे कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** मैं सर अल्लादी से सहमत नहीं हूं। उनका कथन है कि यूनियन का अर्थ है यूनियन की सीमा। इस खण्ड में कहा गया है—"उसकी अधिकार-सीमा में"। इसका मतलब अधिकार-सीमा से है या वहां की सरकार से? केवल सीमा ही काफी नहीं है। इसलिए मैं तो सभा से अनुरोध करूंगा कि इस खण्ड को विशेष-समिति के पास पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः** हम भेजने और फिर भेजने का काम तो कर सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि कमेटी इस पर और प्रकाश डाल सकती है। यदि किसी और श्रेणी के लिए व्यवस्था करनी है तो हम कर सकते हैं। मैं तो खण्ड को कमेटी के पास भेजने के सुझाव का जवाब दे रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि यह खण्ड फिर उस कमेटी के पास भेजना उचित नहीं है। यह एक राजनीतिक प्रश्न है—कानूनी नहीं। हमें इस विषय में कोई निष्कर्ष निकालना है। हम कमेटी की सहायता पाने के लिए चिन्तित थे जिससे हम यह निश्चय कर सकें कि जातीयता का आधार 'जन्म' द्वारा निर्णीत होगा या नहीं और उस कमेटी ने अपनी राय दे दी है। इस सभा की कमेटियों को हम ऐसे विषय कितनी ही बार समर्पित और पुनर्समर्पित कर सकते हैं। जिस कमेटी ने इस खण्ड पर विचार किया है उसमें इस सभा के सदस्य सम्मिलित थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि हमें इस सभा के सदस्यों और इस कमेटी के सभापति से सहायता मिल चुकी है। मैं नहीं समझता कि कमेटी के प्रति यह न्याय होगा कि उसे फिर यह खण्ड इस तरह लौटा दिया जाये। मानो उन्होंने इसके किसी खास पहलू पर विचार ही नहीं किया हो। यह एक नया प्रश्न है जो कमेटी के सामने आयेगा और हमें

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

इस पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। और अगली बैठक के पहले खास श्रेणी के लोगों के लिए व्यवस्था करने में कठिनाई नहीं होगी। यह सामान्य सिद्धान्त पास किया जा सकता है और दूसरा खण्ड बाद में लाया जा सकता है, या फिर सारा ही खण्ड बाद के लिए रखा जा सकता है। मैं किसी एक सिद्धान्त या दूसरे सिद्धांत का अनुगामी नहीं हूं, पर यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जहां तक मूल सिद्धान्त का सम्बन्ध है, हम उस कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हैं। जिसका सभापतित्व एक विख्यात विधान-विशेषज्ञ ने किया था।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य:** महाशय, मुझे अफसोस है कि वाद-विवाद ऐसी दिशा में चला गया जिससे कुछ भ्रम-सा उत्पन्न हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान उन महत्वपूर्ण और राजनीतिक दृष्टि से निर्विवाद विषय की ओर लगना चाहिए कि भारत में आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो यूनियन की अधिकार सीमा में आ जायेंगे, चाहे वह कैसा ही नियंत्रित और छोटा क्यों न हो—जो भारत के अन्य भागों में पैदा हुये थे और जो इन क्षेत्रों में बसे हैं, जो संघ के अन्तर्गत आने वाले हैं, सभी संघ के नागरिक बन जायेंगे। वर्तमान व्यवस्था में वह श्रेणी नहीं आ सकेगी जो बहुत से लोगों से बनी है, पर यह जान-बूझकर नहीं, अनिच्छापूर्वक ही होगा। इसीलिए इस व्यवस्था में संशोधन करना होगा। इसमें संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उन बहुत से लोगों को नागरिक अधिकार स्वत: प्राप्त हो जायें जो भारत के विभिन्न भागों में पैदा हुए हैं और जो बाद में यूनियन के क्षेत्र के पुराने और स्थायी निवासी बन जायेंगे। इस तरह उन्हें पृथक् रखना तो बिल्कुल ही अनैच्छिक और बुरा होगा। इसलिए इस खंड में संशोधन करना ही होगा। मेरा विश्वास है कि इसमें संशोधन हो सकता है और अगर सर अल्लादी और डाक्टर अम्बेडकर इस पर ध्यान दें तो पन्द्रह मिनट के अन्दर ही हो सकता है; पर यदि इसे कठिन समझा जाये, तो सारा खंड वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस तरह गम्भीरतापूर्वक एक खंड विधान-परिषद् में पास कर लेते हैं, तो बाद में इसमें बिना रस्मी कार्यवाही के और कुछ नहीं जोड़ा जा सकेगा। मेरी राय है कि इस पर विचार-स्थगित किया जाये। सर अल्लादी और डाक्टर अम्बेडकर आज मिलकर इस पर विचार-विनिमय करने के बाद इसे कुछ ही मिनटों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं समझते तो, वे जितना चाहें समय ले लें, पर इसको तुच्छ समझकर इसकी उपेक्षा न की जाये। यह ऐसा महान् विषय है कि इसे इस तरह टाला नहीं जा सकता।

***श्री के.एम. मुंशी:** कोई थोड़े समय के लिए भी यह नहीं कह सकता कि यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। कमेटी ने इस पर विचार नहीं किया, पर जब मूल मसविदा रखा गया तो मेरे मस्तिष्क में इन कठिनाई का ध्यान था, पर सर अल्लादी ने बहुत ठीक कहा है कि यह सवाल केवल मौलिक अधिकारों का नहीं है। यह

ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय भविष्य में तत्कालीन राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये विधान का अन्तिम मसविदा तैयार करते समय होगा। निश्चय ही संशोधन पेश कर देना बहुत आसान है, पर हम आज यह नहीं जानते कि यूनियन की सीमा के बारे में आगे क्या होने वाला है—इसमें सारा भारत सम्मिलित होने जा रहा है, या कुछ भाग विरोधी बनने जा रहा है। दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि यूनियन में पैदा हुए लोग जो भारत के अन्य भागों में रहते हैं, उन्हें उन क्षेत्रों में नागरिकता के अधिकार मिलेंगे या नहीं। मैसूर का एक उदाहरण दिया गया था। मैं अपने को उसी तक सीमित रखूंगा। मान लीजिए मैसूर यूनियन के बाहर रहता है और ऐसा कानून बनाता है कि भारत के किसी भी भाग में पैदा हुआ कोई भी हिन्दुस्तानी मैसूर में आजन्म रहकर भी नागरिक नहीं बन सकता। इस सभा को ऐसे पेचीदे प्रश्नों पर केवल मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि उस राजनीतिक स्थिति के आधार पर विचार करना चाहिए जो इसको अन्तिम रूप में पास करते समय हमारे सामने होगी। यह मौलिक अधिकार जैसा प्रस्तुत किया गया है वह न्यूनातिन्यून रूप में और मूल-मात्र है। आज की परिवर्तित स्थिति ऐसी है कि आप इस खंड पर सम्भवत: कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए हमें देखना है इस समय से तब तक कैसी राजनीतिक स्थिति रहेगी, जब स्थिति पर अन्तिम विचार होगा। उस समय हम ऐसी समुचित व्यवस्था कर सकेंगे जिसे मौलिक अधिकारों में या अन्यत्र सुविधाजनक स्थान मिल सकेगा। कहा गया है कि इसके बाद बहुत से मौलिक अधिकारों पर विचार किया जाने वाला है। यह भी कहा गया है कि यह आरम्भिक मसविदा है और इसके बाद जैसी भी स्थिति होगी उस पर विचार किया जायेगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें इस खण्ड को ज्यों को त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए और भी संतानम् का संशोधन अन्य संशोधनों के साथ एडवाइजरी कमेटी के हवाले कर देना चाहिए जिससे प्रश्न का एक समुचित स्वरूप सभा के सम्मुख फिर आ सके।

***डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बंगाल : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि श्री संतानम् ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्व का है और हमें इस विषय पर विचार करना है। जो कठिनाई उत्पन्न हुई है वह कमेटी के तैयार किये हुए खण्ड के पहले ही वाक्य को देखने से स्पष्ट हो जाती है। उसमें कहा गया है, ''हर एक व्यक्ति, जो यूनियन में पैदा हुआ हो'' स्पष्टत: इसका संकेत भविष्य की ओर है, यानी उनकी ओर जो यूनियन की स्थापना के बाद यूनियन के अन्दर पैदा होंगे। प्रश्न यह है, उन लोगों की स्थिति क्या होगी जो भारत में पैदा हुए हों परन्तु जो यूनियन की स्थापना के पहले पैदा हो गये हों? मेरे विचार में इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये हमें एक खण्ड रखना होगा, मैं कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं बल्कि एक सुझाव रख रहा हूं, इस खण्ड को बहुत कुछ इस प्रकार रखना होगा:

[डा. बी.आर. अम्बेडकर]

''सभी ऐसे लोग, जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनकी परिभाषा जनरल क्लाजेज एक्ट में दी हुई है, तथा जो यूनियन के अन्दर रहते हों और उसकी अधिकार सीमा में हों, यूनियन के नागरिक समझे जायेंगे।''

मेरे विचार में इस प्रकार का एक खण्ड आवश्यक है और इसके अन्तर्गत वे सभी लोग आयेंगे जो भारत में पैदा हुए हों और जो यूनियन की स्थापना के समय उसकी प्रजा हो इस खण्ड के बिना बहुत-से लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे और उनकी जातीयता कुछ भी न रहेगी। इसलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह राय देता हूं कि यह उचित ही है कि सारा खण्ड पुनर्विचार के लिये वापस भेजा जाये। मेरी राय में यह एक गंभीर विषय है।

***अध्यक्षः** एक सुझाव पेश किया गया है कि सारा खण्ड अधिक विचार करने के लिए स्थगित किया जाये।

***श्री आर.के. सिधवाः** इस विषय का सम्बन्ध केवल वकीलों से नहीं है। इसका सभी साधारण लोगों से सम्बन्ध है।

***अध्यक्षः** एडवाइजरी कमेटी (परामर्श-समिति) इस पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगी और अगर वह ऐसा समझेगी तो अगली बैठक में अपने सुझाव पेश करेगी।

क्या मैं यह समझूं कि सभा इस खण्ड को पुनर्विचार के लिए स्थगित करती है?

***अनेक माननीय सदस्यः** जी हां।

***अध्यक्षः** तो इसे स्थगित किया जाता है। अब हम खण्ड 11 लेते हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** यह खण्ड जो उस कमेटी से निकल चुका है, जिसके हवाले यह किया गया था, इस प्रकार हैः—

''मनुष्यों का व्यापार और बेगार और इसी प्रकार दूसरी तरह बलपूर्वक काम लेने की आज्ञा नहीं है और इस निषेध का किसी प्रकार भी उल्लंघन किया जाना अपराध समझा जायेगा।''

इसकी जो व्याख्या रोक दी गई थी वह कमेटी की दृष्टि में आवश्यक है ताकि ''बलपूर्वक काम लेने'' का कोई विवाद-ग्रस्त अर्थ न लगाया जाये। इसकी व्याख्या के बारे में सभा के कई भागों में मतभेद था और यह रिपोर्ट केवल आज प्रातःकाल सभा के सामने रखी गई है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यह उचित ही होगा कि यह खण्ड भी हमारी अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया जाये, क्योंकि मेरा विश्वास है कि कुछ सदस्य संशोधन पेश करना चाहेंगें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस खण्ड पर आज विचार न किया जाये। यह भी स्थगित रखा जाना चाहिए।

***अध्यक्षः** तो पेश करने के बदले आप इसे स्थगित रखना चाहते हैं?

***श्री के.एम. मुंशीः** जी हां।

***अध्यक्षः** क्या सभा यह चाहती है कि यह खण्ड भी स्थगित किया जाये।

***अनेक माननीय सदस्यः** जी हां।

***अध्यक्षः** यह स्थगित किया जाता है।

हमारे पास अनेक नये प्रस्ताव हैं जो कुछ सदस्य संशोधन के रूप में पेश करना चाहते थे, और इस सभा द्वारा निश्चय किया गया था कि खण्डों की समाप्ति के बाद उन्हें लिया जायेगा। हमारे पास कितने ही ऐसे खण्ड हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सका है। मैं नहीं समझता कि सभा इन पर किस रूप में विचार करना चाहेगी।

***सेठ गोविन्ददास** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मेरा प्रस्ताव है कि ये सभी खण्ड एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिये जाएं जिससे वह कमेटी पहले इन पर विचार कर ले और तब इन्हें इस सभा के सामने लाया जाये।

***अध्यक्षः** सेठ गोविन्ददास ने यह सुझाव पेश किया है कि ये खण्ड विचारार्थ एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिये जायें और फिर ये कमेटी की रिपोर्ट के साथ यहां पेश हों। क्या मैं यह समझूं कि सभा की यह इच्छा है कि ये खण्ड एडवाइजरी कमेटी को सौंपे जायें?

***अनेक माननीय सदस्यः** जी हां।

***अध्यक्षः** यह सब खण्ड एडवाइजरी कमेटी को सौंपे जाते हैं।

***श्री आर.के. सिधवाः** महाशय, एडवाइजरी कमेटी के सभापति की रिपोर्ट का पैराग्राफ 9 इस प्रकार है:

> ''फंडामेन्टल राइट्स सब-कमेटी और माइनोरिटीज सब-कमेटी इस बात पर सहमत थी कि मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित भी सम्मिलित किया जाये:—
>
> '21 वर्ष या उससे अधिक अवस्था का प्रत्येक नागरिक किसी भी चुनाव में वोट दे सकेगा,..........
>
> ''इस खण्ड से सिद्धान्ततः सहमत होते हुए भी, हम सिफारिश करते हैं कि इन्हें मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने के बदले विधान के किसी अन्य भाग में स्थान मिलना चाहिए।''

सभा की इस सम्बन्ध में राय लेनी होगी कि वह इस खण्ड को मौलिक अधिकारों में रखने के पक्ष में है या इसे विधान का एक अंग बनाना चाहती है। इस प्रश्न पर यहां वाद-विवाद और निश्चय होने की जरूरत है। अन्यथा एडवाइजरी कमेटी के सभापति की उस रिपोर्ट के नवें पैराग्राफ का क्या प्रभाव जो आपके पास भेजा जा चुका है? क्या यह स्वतः विधान में आ जाता है?

[श्री आर.के. सिधवा]

एडवाइजरी कमेटी के सभापति ने इस पैराग्राफ के द्वारा यह जानना चाहा था कि सभा की क्या राय है?

*__अध्यक्ष:__ आपका सुझाव क्या है? क्या आप कोई प्रस्ताव रख रहे हैं?

*__श्री आर.के. सिधवा:__ मुझे इस खण्ड के विधान में सम्मिलित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

*__अध्यक्ष:__ आपका सुझाव क्या है? इसे विधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहीं?

*__श्री आर.के. सिधवा:__ इसे विधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

*__माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:__ हम रिपोर्ट में यह कह चुके हैं कि ''इस खण्ड से सिद्धान्तत: सहमत होते हुए भी हम सिफारिश करते हैं कि इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने के बदले, विधान के किसी अन्य भाग में स्थान मिलना चाहिये।''

*__अध्यक्ष:__ कमेटी की यही रिपोर्ट है और सभा को रिपोर्ट के इसी हिस्से पर विचार प्रकट करना है। इसीलिये मैंने श्री सिधवा से पूछा कि क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे विधान के किसी अन्य भाग में स्थान देना चाहिए।

*__श्री आर.के. सिधवा:__ मैंने कह दिया कि उसे विधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

*__अध्यक्ष:__ श्री सिधवा का प्रस्ताव है कि वह पैराग्राफ स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या कोई इस पर बोलना चाहते हैं।

(कोई नहीं बोला।)

मैं सभा के सामने रिपोर्ट का नवां पैराग्राफ स्वीकार करने के लिए रखता हूं।

रिपोर्ट का पैराग्राफ 9 स्वीकार कर लिया गया।

*__श्री विश्वनाथ दास__ (उड़ीसा : जनरल): मैं सभा का ध्यान खण्ड 2 की ओर गम्भीरतापूर्वक आकर्षित करता हूं, जो इस प्रकार है:—

> ''सब ऐसे वर्तमान कानून, विज्ञप्तियां, नियम, रीति या रिवाज जो कि यूनियन के क्षेत्र में प्रयोग में हों और उन अधिकारों के विपरीत हों, जिनके बारे में विधान के इस भाग में आश्वासन दिया गया है। मंसूख समझे जायेंगे।''

इस सम्बन्ध में मैं रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 का हवाला देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि इस खण्ड का वर्तमान धाराओं पर क्या असर पड़ेगा। इस पर विस्तृत विचार करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला।

***अध्यक्षः** हम मौलिक अधिकारों के खण्ड 2 पर विचार कर चुके हैं।

***श्री विश्वनाथ दासः** मैं इस खण्ड पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल इस बात का हवाला दे रहा हूं जो खण्ड 2 की स्वीकृति से पैदा होती है। मैं यह सुझाने जा रहा हूं कि खण्ड 2 के स्वीकार किये जाने पर आगे क्या करना जरूरी होगा। इसके गूढ़ार्थ को अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत इसलिए है कि स्थानीय (प्रांतीय) और भारतीय कानूनों और नियमों में मौलिक अधिकार को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप कितनी ही रद्दो-बदल करनी होगी। इसका निरीक्षण या तो भारत-सरकार प्रांतीय सरकारों के साथ मिलकर कर सकती है, या इस सभा द्वारा नियोजित कमेटी कर सकती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एजेन्डा कमेटी इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकी, क्योंकि यह हमारे सम्मुख नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मैं यह राय देना चाहूंगा कि हमारे लिए इस प्रश्न पर ध्यान देना आवश्यक है और इस प्रश्न की गूढ़ता को अगली बैठक के पहले समझ लेना जरूरी है। जब तक हम यह न समझ लें कि कानून और नियम किस हद तक रद्द होंगे तब तक इस सभा के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह इसके गूढ़ार्थ को पूर्णतः समझ सके और विधान में अस्थायी व्यवस्था जोड़ सके। मैं इन खास परिस्थतियों का हवाला दे रहा हूं जो खण्ड 2 की स्वीकृति से उत्पन्न होंगी और यह सुझाव पेश कर रहा हूं।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं आप रिपोर्ट के पैराग्राफ 7 के अंतिम वाक्य का हवाला दे रहे हैं, जो इस प्रकार हैः—

> "हमारी सिफारिश है कि इस खण्ड को विधान में सम्मिलित करने के पहले इस प्रकार की जांच की आवश्यकता है।"

यह स्वीकार किया गया है। हम सुझाव के अनुसार जांच करने जा रहे हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरी राय है कि इसे बहुत शीघ्र आरम्भ कर देना चाहिए, जिससे इसके गूढ़ार्थ के बारे में रिपोर्ट शीघ्र सामने आ जाये।

***अध्यक्षः** जब सभा ने इसे स्वीकार कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि कार्यवाही की जायेगी।

***श्री एच.वी. कामतः** यह खण्ड कमेटी के पास कैसे जायेंगे?

***अध्यक्षः** वे जिस रूप में हैं वैसे ही जायेंगे। सेक्रेटेरियट उन्हें एडवाइजरी कमेटी को सौंप देगा।

एक दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि भाषाओं एवं संस्कृति के आधार पर प्रान्तों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करने की सूचनाएं कई सदस्यों द्वारा दी गई थी; पर पिछली बैठक में वे प्रस्ताव स्थगित कर दिये गये थे और यह आशा की गई थी कि वे इस बैठक में लिये जा सकेंगे। पर हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं, दो

[अध्यक्ष]

कमेटियों का निर्माण किया जाये—एक यूनियन के विधान के सिद्धांतों का निर्णय करने के लिए और दूसरी प्रान्तों के लिए अनुकरणीय विधान तैयार करने के लिए। मैंने पहले घोषणा की थी कि यह कमेटियां उन प्रस्तावों पर भी विचार करेंगी। मैं समझता हूं कि ऐसा ही किया जायेगा और इन प्रस्तावों के बारे में और कुछ नहीं करना पड़ेगा।

फिर एक बात और है जिसके बारे में मैं कुछ चिन्तित-सा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभा भी उस चिन्ता में भाग ले। इसलिये नहीं कि मैं तत्काल उसका कोई जवाब चाहता हूं, पर मैं यह चाहता हूं कि सदस्यगण उसे ध्यान में रखें। हमारी सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में इसलिए चल रही हैं कि बहुत-से सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रभाषा से परिचित नहीं हैं—इसीलिए मसविदे भी अंग्रेजी में ही बनाये जा रहे हैं। मसविदों में बहुत-सी अभिव्यक्तियां ऐसी प्रयोग की गई हैं जो कला की शब्दावली अर्थात् विशिष्ट भाषा कही जा सकती है जो किसी न किसी विधान से ली गई हैं। इन विधानों में से कुछ के अनेक कानूनी भावार्थ लगाये जाते हैं और ऐसी भाषा के प्रयोग द्वारा हम उन भावार्थों की प्रक्रिया को भी अपने विधान में आकर्षित कर रहे हैं। भविष्य में—बहुत शीघ्र नहीं; पर आगे चलकर ऐसा समय आ सकता है, जब हम सम्भवत: अंग्रेजी पर निर्भर न रहेंगे और अगर आज विधान अंग्रेजों में पास किया जाता है तो वही मौलिक विधान बना रहेगा और भावार्थ का कोई भी सवाल उसी भाषा के द्वारा हल होगा जिसमें आज यह विधान पास किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या हम भविष्य में सदा अपने विधान की व्याख्या अंग्रेजी भाषा में ही करेंगे, क्या भविष्य में सदा हमारे न्यायाधीशों को अंग्रेजी भाषा से परिचित होना आवश्यक होगा, जिससे वह विधान की व्याख्या कर सकें? यदि विधान अंग्रेजी में पास किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यही परिणाम होगा। इस समय कोई ऐसा सुझाव पेश करना कठिन है जो इस कठिनाई को सुलझा सके। मैं सोच रहा था कि हम विधान का मसविदा तैयार होने पर जितनी जल्दी हो सके उसका अनुवाद करा लें और अन्त में उसे अपने मौलिक विधान के रूप में पास करें। *(हर्ष-ध्वनि)* यदि कहीं भावार्थ लगाने में कोई अस्पष्टता या कठिनाई पेश आई तो अंग्रेजी प्रति भी हवाले के लिये सामने रहेगी, पर मैं व्यक्तिगत रूप में यह चाहता हूं कि विधान मौलिक रूप में हमारी मुख्य भाषा में हो, अंग्रेजी में नहीं, *(उच्च हर्ष-ध्वनि)* जिससे हमारे भावी न्यायाधीश अपनी भाषा पर निर्भर हो सकें, विदेशी भाषा पर नहीं। *(हर्ष-ध्वनि)*। जैसा कि मैं कह चुका हूं मैं इस बात को कोई जवाब पाने की आशा से नहीं कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सदस्यगण इस पर विचार करेंगे और इस बीच यदि आप की आज्ञा हो तो जहां तक शीघ्र सम्भव होगा इस प्रस्तुत विधान का अनुवाद अपनी भाषा में करा लूंगा। मैं उस कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं कि इसे ऐसे रूप में रखा जाना चाहिए जिससे इसका ठीक-ठीक भावार्थ लगाया जा सके, क्योंकि कला की निश्चित शब्दावली हमारी भाषा में नहीं भी हो सकती, और हमें स्वभावत: ऐसे खण्ड जोड़ने पड़ेंगे जिनसे कला सम्बन्धी उक्तियों की अभिव्यक्ति हो सके।

पर यदि मुझे आपकी आज्ञा मिल जाये, तो हम एक प्रयत्न कर देखेंगे। मुझे भय है हमारे वर्तमान कर्मचारी इस अनुवाद के लिए काफी नहीं हैं और हमें ऐसे व्यक्तियों की सहायता लेनी होगी जो उच्च श्रेणी के लोग हैं और इसे कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए यह सम्भव होगा, पर आपकी आज्ञा अगर मिल जायेगी तो मैं प्रयत्न करूंगा। मैं सोचता था कि मैं यह बात आपके विचारार्थ रखूं क्योंकि यदि विधान स्थायी विधान बनने जा रहा है। कम-से-कम कुछ काल के लिए रहने वाला है, तो हम इसे ऐसी भाषा में नहीं रहने दे सकते, जो हमारी नहीं है। हमें उस समय के लिए व्यवस्था करनी है। जब हमें अपनी ही भाषा पर निर्भर होना होगा और वह भी दूर भविष्य में नहीं। इसलिये मैं यह बात सभी के ध्यान में लाया हूं जिससे सदस्यगण भी इस पर विचार करें और अपने परामर्श दें, आज नहीं तो बाद में—विधान का अन्तिम रूप तैयार होने के पहले।

इस अवसर पर कुछ सदस्य अपनी राय प्रकट करना चाहते थे।

मैं इस पर किसी विवाद की आशा नहीं करता। मैंने केवल अपने विचार प्रकट किए हैं और इस पर बाद में विचार किया जायेगा।

*__अध्यक्ष:__ एक बात और रह गई है।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी (संयुक्तप्रांत : जनरल): इस बारे में मैं कुछ............।

***श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): मुझे इस पर नियम सम्बन्धी आपत्ति है। महाशय, यह तो वाद-विवाद है।

*__अध्यक्ष:__ कुछ भी हो, अब उन्हें समाप्त कर लेने दीजिए।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी: मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन नियमों में यह दिया गया है कि हमको सारी कार्यवाही अर्थात् एजेंडा आदि हिंदुस्तानी भाषा में भी मिला करेंगी। यह ठीक है कि इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी यह बात बहुत आवश्यक है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आयन्दा अधिवेशन से इसका कुछ प्रबंध अवश्य किया जाये।

*__अध्यक्ष:__ जी हां, मैं आपको उत्तर देता हूं कि किसलिए यह चीज पूरी नहीं हो सकी है। मेरा हिंदुस्तानी का स्टाफ पूरा नहीं था, लेकिन इंतजाम किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि जल्दी इंतजाम हो सकेगा।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रांत : जनरल): इस विषय में जो आदेश दिये गए हैं उनके विरुद्ध कुछ न कहकर क्या मैं यह जान सकता हूं कि विधान का अनुवाद, जिसके लिए प्रबन्ध किया जा रहा है, हिन्दी में होगा या उर्दू में, या वह ऐसी भाषा में होगा जो दोनों ही खिचड़ी होगी?

***अध्यक्षः** वह ऐसी भाषा में होगा जो समझी जा सके। *(हास्य)*

एक और विचारणीय बात हमारे लिए है यानी इस असेम्बली की अगली बैठक। इस सभा की गत बैठक में सभा ने प्रस्ताव पास करके अगली बैठक अप्रैल में करने का फैसला किया था। मैं यह सुझाव रखूंगा कि कोई भी तारीख या महीना निश्चित करने के बदले सभा यह बात मेरे ऊपर छोड़ दे कि अगली बैठक कब हो।

***माननीय सदस्यः** जी हां।

***अध्यक्षः** मैं यह वचन दे सकता हूं कि ज्यों ही मैं समझूंगा कि सभा के लिए सामग्री प्रस्तुत हो गई है, मैं उसे बुला लूंगा।

***श्री के. सन्तानम्ः** मेरा सुझाव है कि इस आशय का एक रस्मी प्रस्ताव पास कर लिया जाये।

***अध्यक्षः** यही मैं भी कह रहा हूं। एक रस्मी प्रस्ताव रखा जा सकता है।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठीः इस सिलसिले में मुझे यह बात.........।

***अध्यक्षः** इसको हो जाने दीजिए।

***श्री सत्यनारायण सिन्हा** (बिहार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि विधान-परिषद् ऐसी तारीख के लिए स्थगित की जाये जिसका निश्चय अध्यक्ष कर सकते हैं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव है कि विधान-परिषद् उस तारीख तक के लिए स्थगित की जाये जिसका निश्चय अध्यक्ष कर सकते हैं। क्या मैं समझूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है?

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***श्री आर.के. सिधवाः** इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं—वह यह कि अब चूंकि तारीख आप पर छोड़ दी गई है। महाशय, क्या कृपा कर आप यह व्यवस्था करेंगे कि एजेंडा हम सबके निवास स्थानों पर सभा होने के काफी समय पहले पहुंच जाये जिससे हमें उसके अध्ययन के लिए समय मिल जाये।

***अध्यक्षः** मैं आपसे आरम्भ में ही कह चुका हूं कि मैं तारीख तभी निश्चित करूंगा जब मेरे पास वाद-विवाद के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत हो जायेगी।

(श्री त्रिपाठी से) आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठीः मुझे जो सिधवा साहब ने आपके सामने कहा है, वही कहना था और कोई बात नहीं।

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि हमने अब अपना काम समाप्त कर लिया है। अब सभा उस समय तक के लिए स्थगित होती है जिसका निश्चय मैं करूंगा।

इसके बाद विधान-परिषद् उस समय तक के लिए स्थगित हुई जिसका निश्चय अध्यक्ष करेंगे।

अष्टम अनुसूची

{अनुच्छेद ३४४ (१) और ३५१}

भाषाएं

१. असमिया
२. उड़िया
३. उर्दू
४. कन्नड
५. कश्मीरी
६. गुजराती
७. तामिल
८. तेलुगु
९. पंजाबी
१०. बंगला
११. मराठी
१२. मलयालम
१३. संस्कृत
१४. हिन्दी

राजेन्द्र प्रसाद

जवाहरलाल नेहरू

अल्लादि कृष्णस्वामि अय्यर

पट्टाभि सीता रामय्य

Ammu Swaminadhan

न. गोपालस्वामि

T. Prakasam

O. P. Ramaswamy Reddy

K. Santhanam

कळा. वेंकटराव

[illegible]

पं. अनंतशयनं अय्यंगार

नीलम संजीव रेड्डि

जि. दुर्गाबाई

मोसल्लिकंटि तिरुमलराव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जयरामदास दौलतराम

अमृत कौर

[illegible]

[illegible]

ओ. वि. अलगेशन

[illegible]

T. J. M. Wilson

[illegible]

[illegible]

भीमराव रामजी आंबेडकर

दास - नागप्पा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह

Mahboob Ali Baig

[illegible]

V. Ramaiah

[illegible]

D Velayudhan

Padampat Singhania

B. Shiva Rao

V. C. Kesava Rao

D. Govinda Doss

[illegible]

[illegible]

[illegible] Mallaiah

V. Subramaniam

M. Md. Ismail

B. Pocker

M. Kunhiraman

[illegible]

K. T. M. Ahmed Ibrahim

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A. Karunakara Menon

Joseph Alban D'Souza

[illegible]

[illegible]
i. c. B. [illegible]

[illegible]

Kanayalal N Desai

गणेश वासुदेव मावलंकर

एस. निजलिंगप्पा.

[illegible]

हरी विनायक पाटसकर

केशवराव जेधे

श्री रमेश कुमार मुखोपाध्याय

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

Abdul Halim Ghuznavi

अखिलचन्द्र गुहा

रतनाप्पा कुंभार

रेणुका राय

Naziruddin Ahmad

B.N. Munavalli.

R.B. Patel

Dr. Monomohon Das.

Mihir Lal Chattopadhyay

श्री सतीश चंद्र सामंत

श्री सुरेश चंद्र मजुमदार

श्री बसन्त कुमार दास

श्री अरुण चन्द्र गुह

[illegible]

पुरुषोत्तमदास टण्डन

हृदयनाथ कुंजरू

प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका

सुरेन्द्र मोहन घोष

Lakshmi Kanta Maitra
श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र श्री [illegible]

गोविन्द मालवीय.

[illegible]

सतीशचन्द्र

Khurshed Lal

[illegible]

M. Gautam

पूर्णिमा बनर्जी

महावीर त्यागी

अलगूराय शास्त्री

बलवन्त सिंह

जसपत राय कपूर

सुचेता कृपलानी

[illegible]

शिब्बनलाल सक्सेना

S. Mohammad Ahmad Kazmi

K. Aizaz Rasul (Begum)

[illegible]

Jogendra Singh

रघुनाथविनायक धुलेकर

[illegible]

कृष्णचन्द्र शर्मा

[illegible]

Mohan Lal Saksena

हीरावल्लभ त्रिपाठी

Ram Chandra Gupta

फूल सिंह

हरगोविन्द पन्त
अल्मोड़ा

गोपाल नारायण सक्सेना

चौधरी हैदर हुसैन

A. Dharam Das

अजित प्रसाद जैन

कमलापति तिवारी

[illegible]

बालकृष्ण शर्मा

मसुरियादीन

वेंकटेश नारायण तिवारी

[illegible]

[illegible]

बख्शी टेकचन्द

ठाकुरदास भार्गव

यशवन्त राय

गुरमुख सिंह मुसाफिर

रणबीर सिंह चौधरी

अचिन्त राम

विक्रम लाल सोंधी

नन्द लाल [illegible]

حسین امام

सत्यनारायण सिन्ह

[illegible]

अनुग्रह नारायण सिंह

श्रीकृष्ण सिंह

[illegible]

बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला

Prosanto Kumar Sen.

महेश प्रसाद सिंह

रघुनन्दन प्रसाद

खुशाल लाल कसी शाह

श्री नारायण महथा।

भागवत प्रसाद

श्री शारङ्गधर सिंह

कृष्ण वल्लभ सहाय

राम नारायण सिंह

Tajamul Husain

जगत नारायण लाल

[illegible]

अमिय-कुमार घोष

Sardar Mohammad Latifur Rahman

यदुवंश सहाय

देवेन्द्रनाथ सामन्त

चन्द्रिकाराम

बोनीफेस लकड़ा

विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी

कमलेश्वरी प्रसाद यादव.

गुप्तनाथ सिंह

दीपनारायण सिंह

[illegible]

श्यामनन्दन सहाय

श्री कामेश्वर सिंह (दरभंगा)

Jaipal Singh

[illegible]

V.T Krishnamachari

गोविन्द मेनन्

रविशंकर शुक्ल

फ्रैंक अन्थनी

[illegible]

[illegible]

गोविन्ददास

ब्रिजलाल बियाणी

घनश्यामसिंह गुप्त:

हरि विष्णु कामत

[illegible]

रघुवीर

[illegible]

Kazi Syed Karimuddin

[illegible]

[illegible]

लक्ष्मण श्रावण भटकर

[illegible]

শ্রীরোহিণী কুমার চৌধুরী

[illegible]

সৈয়দ আবদুর রৌফ

[illegible]

[illegible]

Syed Muhammad Saadulla

A.V. Thakkar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର

ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ B. Das

ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ श्री नन्द किशोर दास

ଶ୍ରୀ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ श्री राजकृष्ण बोस

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ लक्ष्मीनारायण साहु

ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମିଶ୍ର

Lalmohan Pati

ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ.

के. चेंगलराय रेड्डि.

ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ.

देशपांडे

ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

[signature] (H.R. Guruv Reddy)

सं. वा. कृष्णमूर्ती राव

ಟಿ. ಚೆನ್ನಯ್ಯ

ಹೆಚ್. ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ

Jasimuddin Ahmed

प.ल. संद्रे

मोतीराम बैगरा

M A Beg
24.1.50.

બળવંતરાય મહેતા.

ચીમનલાલ ચ. શાહ.

जयनारायण व्यास

माणिक्यलाल वर्मा

गोकुललाल असावा (राजस्थान

राज कंवार

विनायकराव बालाशंकर वैद्य.

हीरालाल शास्त्री

Jaswant Singh

Sardar Singh of Khetri
सरदारसिंह खेतड़ी

Jaisukhlal Hathi

[illegible]

बलवन्तसिंह महता.

H. V. R. Iengar

रामनारायण चौधरी [illegible]

राजा बहादुर [illegible]

अवधेश प्रताप सिंह

वि. सी. सरवटे.

युधिष्ठिर मिश्र (Yudhishthir mishra)

शम्भुनाथ शुक्ल

रामसहाय चौधरी

मन्नूलाल द्विवेदी

किशोरीमोहन त्रिपाठी

रामसहाय तिवारी

[illegible]

गोपीकृष्ण विजयवर्गीय

सुखानन्द सुजानमल जाजू
(Sukhan Sunajmal Jaju)

राधावल्लभ विजयवर्गीय

[illegible]

[illegible]

गुरुमीत सिंह.

काका भगवन्तराव

A. Thanu Pillai

P. S. Nataraja Pillai

A. Mascarene

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Thakur Lalsingh

[illegible]

भवानजी अ. खिमजी

Girija Sankar Guha
गिरिजाशंकर गुह

जीवराज ना. मेहता

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ब. ह. ज़ैदि

[illegible]

सच्चिदानन्द सिंह

बि. एन. राओ

[illegible]

[illegible]

Jerome D'Souza Prabhu S.J.
जेरोम डिसोजा प्रभु एस.जे.

Ramanath Goenka
रामनाथ गोयंका

फीरोज गान्धी

हरेकृष्ण महताब

सुन्दरलाल

हिन्दी प्रतिलिपि प्रबन्धक मैनेजर, भारत सरकार फोटो लिथो मुद्रणालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित की गई।

सुलेखन-कार्य श्री बसन्त कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया चित्रण-कार्य की अनुकृति सर्वश्री असप कुमार दास, चित्तरंजन पकड़ाशी, शीतांशु कुमार राय और रामेश्वर सरन श्रीवास्तव द्वारा की गई।

हिन्दी प्रतिलिपि का पुनर्मुद्रक श्री सुधीर कुमार जैन मैसस जैनको आर्ट इन्डिया नई दिल्ली द्वारा की गई।

भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता-सूची

भारत की संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता-सूची

(23 अगस्त, 1949 की स्थिति के अनुसार)

प्रान्त-235

क्रम सं.	राज्य	सदस्यों की संख्या
1.	मद्रास	49
2.	बम्बई	21
3.	पश्चिम बंगाल	21
4.	संयुक्त प्रान्त	55
5.	पूर्वी पंजाब	16
6.	बिहार	36
7.	मध्य प्रान्त और बरार	17
8.	असम	8
9.	उड़ीसा	9
10.	दिल्ली	1
11.	अजमेर-मेरवाड़ा	1
12.	कुर्ग	1
	भारतीय राज्य-72	
1.	मैसूर	7
2.	कश्मीर	4
3.	बड़ौदा	3
4.	जोधपुर	2
5.	जयपुर	3
6.	बीकानेर	1
7.	कोल्हापुर	1
8.	मयूरभंज	1

क्रम सं.	राज्य	सदस्यों की संख्या
9.	सिक्किम-कूच बिहार	1
10.	त्रिपुरा, मणिपुर और खासी राज्य	1
11.	रामपुर-बनारस	1
12.	उड़ीसा राज्य	4
13.	मध्य प्रान्त और बरार राज्य	3
14.	मद्रास राज्य	1
15.	बम्बई राज्य	4
16.	हिमाचल प्रदेश	1
17.	काठियावाड़ संयुक्त राज्य (सौराष्ट्र)	4
18.	मत्स्य संयुक्त राज्य	2
19.	राजस्थान संयुक्त राज्य	4
20.	विन्ध्या प्रदेश संयुक्त राज्य	4
21.	ग्वालियर-इन्दौर-मालवा (मध्य भारत) संयुक्त राज्य	7
22.	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ	3
23.	ट्रावनकोर और कोचीन संयुक्त राज्य	7
24.	कच्छ	1
25.	जूनागढ़	1
26.	शेष राज्य	1

भारतीय संविधान सभा के सदस्य-गण

बैठे हुए बाएं से दाएं : श्री फ्रैंक एथनी, सेठ गाविन्द दास, दरभंगा के महाराजा, श्री खुर्ष्ठीद लाल, श्री एन. माधवराव, श्रीमती रेणुका राय, माननीय डॉ. जीवराज एन. मेहता, माननीय श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री के.एम. मुंष्ठी, श्रीमती हंसा मेहता, श्री ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियार, कुमारी ऐनी मैस्करीन, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, माननीय अनुग्रह नारायण सिन्हा, माननीय श्री वक्षज़्ण सिन्हा, श्री ए.वी. ठक्कर, श्री लक्ष्मीकांत मैत्रा, माननीय श्री आर.आर. दिवाकर, श्री एम. अनन्तष्ठायनम् अय्यंगर, माननीय श्री एन.वी. गाडगिल, माननीय श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर, माननीय श्री जयरामदास दौलतराम, माननीय एम. अबुल कलाम आजाद, माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, माननीय एस. बलदेव सिंह, माननीय डॉ. जॉन मथाई, माननीय श्री जी.वी. मावलंकर, माननीय राजकुमारी अमष्टत कौर, माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉ. एच.सी. मुकर्जी, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (राज्ट्रपति), श्री टी.टी. वक्षज़्णामाचारी, माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल, माननीय श्री जगजीवनराम, माननीय श्री रफी अहमद किदवई, माननीय डॉ. ष्ठयामाप्रसाद मुखर्जी, माननीय श्री बी.जी. खेर, श्री अब्दुल हलीम गजनवी, माननीय पंडित रविष्ठांकर ष्ठुक्ला, माननीय श्री गोपीनाथ बरदलोई, श्री टी. प्रकासम, माननीय जे.जे.एम. निकोस राय, माननीय श्री के.सी. नियोगी, डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या, श्री के.सी. रेड्डी, श्री पी. गोविन्द मेनन, श्री दामोदर स्वरूप सेठ, प्रो. निबारन चन्द्र लुसकर, डॉ. रघुबीरा, माननीय श्री के. संतानम, श्री डी.बी. मातारी, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री बाबू रामनारायण सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण साहू, श्री आर.के. सिधवा, श्रीमती सुचेता वक्षपालानी, पारलकीमेडी के महाराजा, श्री बी. दास, श्री जसपतराय कपूर।

खड़े हुए पहली पंक्ति बाएं से दाएं : माननीय श्री के.बी. सहाय, श्री ष्ठयामनंदन सहाय, श्री ताजमल हुसैन, श्री सोंरगधर सिन्हा, प्रो. एन.जी. रंगा, डॉ. रघुनंदन प्रसाद, श्री काजी सैयद करीमुद्दीन, श्री जफर इमाम, श्री मोहम्मद ताहिर, श्री मोहम्मद हिफाजुर रहमान, श्री लतीफुर रहमान, श्री एम. नारायण मेहता, माननीय श्री विनोदानन्द झा, श्री गुप्तनाथ सिंह, श्री दीपनारायण सिन्हा, श्री जादूबंस सहाय, श्री अमियो कुमार घोज़, श्री आर.ई. पटेल, लेफ्टिनेंट कर्नल बृजराज नारायण, सरदार सुचेत सिंह, श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री बोनीफेस लाकरा, श्री बृजेष्ठवर प्रसाद, मास्टर नन्दलाल, श्री राम सहाय, श्री बी.एन. मुलावाली, श्री मणिक्यालाल वर्मा, श्री आर.बी. विजय वर्गिया, श्री बलवंतसिंह मेहता, श्री सीताराम एस. जाजू, ठाकुर लाल सिंह, श्री चन्द्रीकरम, प्रो. यष्ठावन्त राय, डॉ. धरम प्रकाष्ठा, श्री प्रगीलाल, श्री भगवानदीन, श्री दयाल दास भगत, श्री पी. कक्कण, श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त, ठाकुर छेदीलाल, श्री रामचन्द्र गुप्त, श्री बी.एन. तिवारी, श्री के.सी. ष्ठार्मा, श्री जयनारायण व्यास, श्री कल्लुर सुभा राव, श्री बी.एन. बियानी, श्री गोकुललाल असवा, लाला अचिन्त राम, श्री जसवंत सिंह जी, श्री गिरिजाष्ठांकर गुहा, श्री पी.डी. हिम्मत सिंहका, श्री एच.जे. खांडेकर, श्री एस. नागाप्पा, श्री अरिबहादुर गुरुंक, श्री सी.एम. पुनाचा, श्री वी. रमैय्या, श्री एस.सी. मजूमदार, श्री यू.एस. मल्लाया, श्री सुरेन्द्र मोहन घोज़।

खड़े हुए दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं : डॉ. पी.के. सेन, श्री सरदार सिंह, खेतड़ी के. बहादुर, श्री ए. तनुपिल्लै, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री जगत नारायण लाल, श्री हुसैन इमाम, श्री किष्ठोरी मोहन त्रिपाठी, श्री मोहम्मद अहमद काज़मी, श्री अब्दुररौफ, श्री बी.एम. गुप्ता, श्री महेष्ठा प्रसाद सिंह, कर्नल बी.एच. जैदी, डॉ. पी. सुब्बारायन, श्री एस.वी. वक्षज़्णमूर्तिराव, श्री आर.सी. उपाध्याय, श्री के.पी. यादव, श्री ष्ठांतनु कुमार दास, ठाकुर किष्ठान सिंह, श्री एल.के. भारती, श्री वी.सी. केसवा राव, श्री भगवत प्रसाद, श्री जयपाल सिंह, श्री एम. तिरुमुल राव, श्रीमती जी. दुर्गा बाई, श्रीमती कमला चौधरी, श्रीमती दक्षायणी वेलायुदाहन, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, बेगम ऐजाज रसूल, श्री टी. सिद्दलिंगैया, श्री मोहनलाल गौतम, श्री बी.एल. सोंधी, श्री महाबीर त्यागी, श्री आर.एल. मालवीय, श्री रामप्रसाद पोटई, श्री सारंगधर दास, श्री के. हनुमनतिया, श्री एच.वी. कामत, श्री एच. गुरुव रेड्डी, लाला राजकंवर, सरदार रंजीत सिंह, श्री पदमयन सिंघानिया, श्री एम.ए. मुथिया चेट्टियार, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, श्री टी.जे.एम. विल्सन, आचार्य जुगलकिष्ठोर, चौधरी हैदर हुसैन, श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहिम, श्री बी. पोकर, श्री जी.के. विजयवर्गिया, श्री मोहम्मद इस्माइल, श्री ओ.वी. अलागेसन, श्री सी. सुब्रमणियम्, श्री हीरालाल ष्ठास्त्री, श्री गोकुलभाई डी. भट्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल के.आर. दलेल सिंहजी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉ. बक्ष्ठी टेकचंद।

खड़े हुए तीसरी पंक्ति बाएं से दाएं : श्री प्राणलाल ठाकुरलाल मुंष्ठी, श्री कुलधर चालिहा, श्री मुकुट बिहारीलाल भार्गव, श्री विनायक राव बी. वैद्य, सरदार हुकम सिंह, श्री महबूब अली बेग, चौधरी रणबीर सिंह, श्री नंद किष्ठोर दास, श्री ठाकुरदास, भार्गव, डॉ. जोसेफ अलबन डिसूजा, श्री टी. चन्निया, कैप्टन अवधेष्ठा प्रताप सिंह, श्री ष्ठांभु नाथ ष्ठुक्ल, श्री के.एम. जाधे, श्री एच.वी. पतास्कर, श्री आर. बी. कुम्भर, माननीय एन. संजीव रेड्डी, श्री डी. गोविन्द डौस, श्री एस. भुपेन्द्रसिंह मान, श्री एच. सिद्दकीरिया, श्री पी. कुन्हीरामन, श्री ए.के. मेनन, श्री अननजी अर्जन खीमजी, श्री राम सहाय तिवारी, श्री मन्नूलाल द्विवेदी, श्री खंडूभाई देसाई, श्री के.एन. देसाई, श्री सी.सी. ष्ठाह, डॉ. वाई.एस. परमार, श्री दरबार गोपालदास ए. देसाई, श्री बलवंतराय जी. मेहता, श्री जयसुखलाल हाथी, श्री अजीत प्रसाद जैन, सरदार जोगिन्दर सिंह, श्री बालकृज़्ण ष्ठार्मा, श्री एम.एल. चट्टोपाध्याय, श्री हरगोविन्द पंत, श्री आर.वी. धुलेकर, श्री मसूर्य दिन, श्री बंसीधर मिश्र, माननीय जी.एस. गुप्ता, श्री बी.ए. मंदलोई, श्री एस.टी. धर्माधिकारी, श्री कुसुमकांत जैन, श्री राज बहादुर, श्री देष्ठाबंधु गुप्त, श्री विष्ठवनाथ दास, श्री एम.सी. वीरा बाबू, श्री वी. नाडिमुकु पिल्लै, श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार, श्री के. कामराज, श्री गोविन्द मालवीय, श्री एस. निजलिंगप्पा, माननीय श्री सत्यनारायण सिंह।

खड़े हुए अंतिम पंक्ति बाएं से दाएं : श्री कमलापति त्रिपाठी, प्रो. ष्ठिाब्बनलाल सक्सेना, पंडित मोतीराम बागरा, श्री मौलाना मोहम्मद सैयद मसूदी, श्री मिर्ज़ा मोहम्मद अ.फज़ल बेग, श्री सुन्दरलाल, श्री सतीष्ठाचन्द्र, श्री युधिज्ठर मिश्र, श्री अरुणचन्द्र गुहा, श्री वी. सुब्रमणियम, श्री एम. सत्यनारायण, श्री बी.के. दास, श्री सतीष्ठा चन्द्र सामंत, श्री जसीमुद्दीन अहमद, डॉ. मनमोहन डौस, श्री पी.टी. चाको, श्री के.ए. मोहम्मद, श्री आर. ष्ठांकर, श्री पी.एस. नटराज पिल्लै, श्री बी. ष्ठिाव राव, माननीय राजकृज़्ण बोस, श्री वी.आई. मुनीस्वामी पिल्लै, श्री वी.एस. सरवते, डॉ. पी.एस. देष्ठामुख, श्री गोपाल नारायण, श्री पी.एल. नरसिंह राजू, श्री एल.एस. अक्तर, श्री आर.एम. नलवडे, श्री वी.डी. त्रिपाठी, श्री अलगुराय ष्ठास्त्री, श्री ए. धर्मदास, श्री एच.वी. त्रिपाठी, श्री ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर, श्री नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, श्री मौलाना हसरत मोहनी, श्री लाल मोहन पाटी, (पांच पुलिस कर्मी), श्री काला वेंकटराव, श्री नजीरुद्दीन अहमद, श्री काका भगवंत राय।

चित्रांकन: 7 अप्रैल, 1949